आपत्काले रक्षिष्यामि
GIC Re

54वीं वार्षिक रिपोर्ट 2025-26



वैश्विक पहुंच। अटूट विश्वास।



आपत्काले रक्षिष्यामि
GIC Re



हमारी दृष्टि

एक अग्रणी सार्वभौमिक पुनर्बीमा और जोखिम समाधान प्रदाता बनना

हमारा लक्ष्य

निम्नलिखित द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करना:

- व्यावसायिक भागीदारों के साथ दीर्घकालिक पारस्परिक लाभकारी संबंध स्थापित करना
- उचित व्यावसायिक आचार–शास्त्र और मूल्यों का अनुपालन करना
- उद्यम जोखिम प्रबंधन और नवोन्मेषी समाधानों सहित ''अत्याधुनिक'' प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं को लागू करना
- कर्मचारियों की अत्यधिक अभिप्रेरित व्यावसायिक टीम को विकसित करना और उसे बनाए रखना
- सार्वभौमिक स्थिति के अनुरूप लाभप्रदता और वित्तीय क्षमताओं का विस्तार करना

हमारे कोर मूल्य

- विश्वास और परस्पर आदर–भाव
- व्यावसायिक उत्कृष्टता
- ईमानदारी और पारदर्शिता
- वचनबद्धता
- उत्तरदायी सेवाएं

निगमीय अवलोकन

अध्यक्ष महोदय का संदेश 07
निगमीय जानकारी 11
निगमीय प्रमुख घटनाएं 13
निदेशक मंडल 15
प्रबंधन 16

प्रतिवेदन

निदेशक मंडल का प्रतिवेदन 18
निगमीय अभिशासन पर प्रतिवेदन 42
निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व प्रतिवेदन 62
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन 67
प्रबधन का प्रतिवेदन 84
व्यावसायिक उत्तरअनिवार्यता एवं स्थिरता आश्वासन प्रतिवेदन 86
व्यावसायिक उत्तरअनिवार्यता एवं स्थिरता प्रतिवेदन 90

एकल वित्तीय परिणाम

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन 131
भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां और प्रबंधन का उत्तर 147
राजस्व खाते 151
लाभ और हानि खाता 156
तुलन पत्र 158
वित्तीय विवरणों के भाग रूप में अनुसूचियां 159
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 186
लेखों के भाग रूप में टिप्पणियां 192
नकदी प्रवाह विवरण 227
वित्तीय विवरणों का सारांश 229
कार्य–निष्पादन अनुपात 231
तुलन पत्र का सारांश और कंपनी के सामान्य कारोबार का ब्यौरा 237
कार्य–निष्पादन की विशेषताएं 238

समेकित वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन 240
भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां और प्रबंधन का उत्तर 254
राजस्व खाते 259
लाभ और हानि खाता 264
तुलन पत्र 266
वित्तीय विवरणों के भाग रूप में अनुसूचियां 267
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 293
लेखों के भाग रूप में टिप्पणियां 300
नकदी प्रवाह विवरण 333
वित्तीय विवरणों का सारांश 235
कार्य–निष्पादन अनुपात 237

सहायक कंपनियों का वार्षिक प्रतिवेदन

जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड 343
जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड 351
जीआईसी पेरेस्त्राखोवेनी एलएलसी 385

वार्षिक आम सभा की सूचना 426
पारिभाषिक शब्दावली 443



श्री हितेश जोशी

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयरधारको,

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी री) का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है!

समीक्षाधीन वर्ष ने पुनर्बीमा उद्योग के लिए एक अहम सच्चाई को और पुख्ता किया: जोखिम आपस में ज़्यादा जुड़े हुए और जटिल होते जा रहे हैं, और उनका मॉडल बनाना और उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल होता जा रहा है। भौगोलिक–राजनीतिक अनिश्चितता, बदलते व्यापार संबंध, टेक्नोलॉजी से आने वाले बदलाव, साइबर जोखिम, मौसम में उतार–चढ़ाव और वैश्विक पूंजी बाजार में बदलाव दुनिया भर में बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों के कामकाज के माहौल पर असर डाल रहे हैं।

ऐसे माहौल में, एक पुनर्बीमाकर्ता की भूमिका सिर्फ़ क्षमता देने तक सीमित नहीं रहती। इसमें बीमा पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता, तकनीकी जानकारी और दीर्घकालिक भरोसा लाना भी शामिल है। भारत के राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता के तौर पर,

जीआईसी री ने ज़िम्मेदारी, प्रतिबद्धता और मज़बूती के साथ यह भूमिका निभाई है, घरेलू बीमा बाजार को सपोर्ट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी मौजूदगी बनाए रखी है।

जीआईसी री के लिए, वित्तीय वर्ष 2025–26 में बेहतर जोखिम निर्धारण, विवेकपूर्ण पूंजी उपयोग और बेहतर पोर्टफोलियो प्रबंधन पर लगातार ध्यान दिया गया। हमारा मकसद साफ था: वित्तीय मजबूती बढ़ाते हुए टिकाऊ वृद्धि हासिल करना, हितधारकों के हितों की रक्षा करना, संस्थागत विश्वसनीयता बनाए रखना और उस दीर्घकालिक मजबूती को बढ़ावा देना जिसे जीआईसी री ने कई दशकों में बनाया है।

वित्तीय प्रदर्शन

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जीआईसी री ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में शानदार वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। इसमें प्रीमियम आय में वृद्धि, विवेकपूर्ण बीमांकन परिणाम, अधिक लाभप्रदता और सॉल्वेंसी की स्थिति और मजबूत होना शामिल है।

आपकी कंपनी ने इस वर्ष ₹44,006.74 करोड़ की सकल प्रीमियम आय दर्ज की, जबकि वित्तीय वर्ष 2024–25 में यह ₹41,153.95 करोड़ थी। घरेलू कारोबार हमारे कामकाज का मुख्य आधार बना रहा, जिसने कुल प्रीमियम आय में लगभग 75% का योगदान दिया और भारतीय पुनर्बीमा बाजार में जीआईसी री की लीडरशिप की स्थिति को फिर से साबित किया।

इस वर्ष के शानदार प्रदर्शन का मुख्य आधार हमारे मुख्य कामकाज में आया बड़ा सुधार था। बीमांकन घाटे में 47.40% की कमी आई और यह पिछले साल के ₹3,351.61 करोड़ से घटकर ₹1,763.00 करोड़ हो गया। बीमांकन अनुशासन, विवेकपूर्ण जोखिम चयन और पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने पर हमारे लगातार ध्यान देने के कारण, हमारा उपगत दावा अनुपात 88.44% से काफी सुधार होकर 85.40% हो गया।

हमारे निवेश पोर्टफोलियो ने कुल आमदनी को स्थिरता और सहारा देना जारी रखा। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान निवेश से होने वाली आय बढ़कर ₹13,089.34 करोड़ हो गई, जो पिछले साल ₹12,772.52 करोड़ थी। पोर्टफोलियो अच्छी तरह से विविधीकृत और विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधित है, जो हमारी दीर्घावधि रणनीति के अनुरूप है यानी पूंजी को सुरक्षित रखते हुए लगातार प्रतिलाभ कमाना।

पिछले वर्ष की तुलना में कर–पूर्व लाभ 23.13% बढ़कर ₹10,793.25 करोड़ हो गया, जबकि कर–पश्चात लाभ 25.23% बढ़कर ₹8,392.18 करोड़ हो गया। इक्विटी पर प्रतिलाभ 15.5% से बढ़कर 16.4% हो गया, जो वर्ष के दौरान कंपनी की मज़बूत लाभप्रदता और पूंजी के कुशल इस्तेमाल को दर्शाता है।

मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हमारी बैलेंस शीट मज़बूत होती रही। सॉल्वेंसी अनुपात सुधरकर 4.21 हो गया, जो 1.50 की विनियामक अपेक्षा से काफ़ी अधिक है और उद्योग में सबसे मज़बूत अनुपातों में से एक है। इस ऊँचे सॉल्वेंसी अनुपात को इन बातों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए: पिछले कुछ वर्षों में बीमांकन में अनुशासन बनाए रखने की कोशिश ताकि A–रेटिंग वापस मिल सके जो अक्टूबर 2024 में मिली; पहले खोए हुए अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को वापस पाने और वैश्विक स्तर पर विस्तार करने की आवश्यकता; भारतीय लेखा मानक को लागू करना और जोखिम–आधारित पूंजी प्रणाली को लाने की तैयारी; साथ ही हरित अर्थव्यवस्था, नई पीढ़ी के उभरते जोखिम और भारतीय बाज़ार में मौजूद पैठ बनाने की संभावनाओं से मिलने वाले वृद्धि के अवसरों को भी हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए।

31 मार्च, 2026 को कुल परिसंपत्तियाँ बढ़कर ₹1,97,220.93 करोड़ हो गईं, जबकि निवल संपत्ति (उचित मूल्य परिवर्तन खाते को छोड़कर) ₹51,301.27 करोड़ रही। वर्ष के लिए संयुक्त अनुपात में सुधार हुआ और यह पिछले वर्ष के 108.81% से घटकर 106.02% हो गया, जो बीमांकन प्रदर्शन में सुधार लाने की दिशा में लगातार हो रही प्रगति को दर्शाता है।

ये परिणाम हमारी प्रबंधन टीम और कर्मचारियों के सतत् प्रयास को दर्शाते हैं, जिनकी लगन और प्रतिबद्धता जीआईसी री को बदलते जोखिम के परिदृश्य में आगे बढ़ा रही है। ये हमारी फ्रैंचाइज़ी की मज़बूती, हमारे बिज़नेस मॉडल की मज़बूती और सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने की हमारी क्षमता को भी फिर से साबित करते हैं। हालांकि वित्तीय प्रदर्शन प्रगति का एक अहम पैमाना है, लेकिन हमारी दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धी शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि हम लगातार बदलते जोखिम के माहौल और स्थूल आर्थिक परिदृश्य में होने वाले बदलावों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं।

वर्ष के दौरान, हमने अपने पोर्टफोलियो में बीमांकन अनुशासन बनाए रखने पर ध्यान देना जारी रखा। हमारा ज़ोर जोखिम चयन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने, पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने पर रहा कि वृद्धि उन व्यवसाय क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में हो जहां प्रतिलाभ जोखिम के अनुरूप हों। ऐसे बाजार में जहां प्रतिस्पर्धी दबाव के कारण अक्सर बीमांकन मानकों में कमी आ सकती है, हम अपनी जोखिम बही की गुणवत्ता को सुरक्षित रखने पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं।

तेजी से जटिल होते जोखिम परिदृश्य से निपटने के लिए, हमने अपने डेटा विश्लेषण, निर्णय–सहायता क्षमताओं और जोखिम प्रबंधन को लगातार उन्नत किया है। बढ़ती अस्थिरता के इस दौर में, जोखिमों का सटीक मूल्यांकन और उनका सही मूल्य निर्धारण करना सर्वोपरि है। तदनुसार, आपदा मॉडलिंग, क्षमता आरक्षण, पोर्टफोलियो निगरानी और उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों में किए गए हमारे लक्षित निवेश, हमारे बीमा निर्णयों की गुणवत्ता को बढ़ाने और उभरते खतरों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

पूंजी सुदृढ़ता और अनुकूलन हमारी रणनीति के केंद्र में हैं। एक मजबूत सॉल्वेंसी स्थिति हमें बाजार चक्रों के दौरान बीमाकर्ताओं का समर्थन करने, अस्थिरता को अवशोषित करने और आत्मविश्वास के साथ अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। हम विकास और लाभप्रदता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए पूंजी परिनियोजन के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखेंगे।

पुनर्बीमा परिदृश्य: जोखिम के एक नए युग का अनुकूलन

वैश्विक पुनर्बीमा उद्योग संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आज जोखिम के दायरे तेजी से परस्पर जुड़ते जा रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। भू–राजनीतिक अस्थिरता, व्यापार नीति में बदलाव, आपूर्ति

श्रृंखला की कमजोरियां, मुद्रास्फीति का दबाव और वित्तीय बाजार में उतार–चढ़ाव दुनिया भर के व्यवसायों और बीमाकर्ताओं के परिचालन वातावरण को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही, तीव्र डिजिटलीकरण और तकनीकी प्रगति ने जोखिम की नई श्रेणियां बनाई हैं। साइबर खतरे, तकनीकी रुकावटें, डेटा उल्लंघन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता अब सभी क्षेत्रों के संगठनों के लिए प्राथमिक जोखिम कारक बन गए हैं। जैसे–जैसे व्यवसाय डिजिटल प्रणालियों पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं, विशेषीकृत बीमा और पुनर्बीमा समाधानों की मांग बढ़ने की उम्मीद है।

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्बीमा बाजार में, पारंपरिक तुलन–पत्र (बैलेंस शीट) और वैकल्पिक जोखिम पूंजी सहित वैश्विक पूंजी की प्रचुरता, अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण वातावरण को आकार दे रही है। वैश्विक पुनर्बीमा बाजारों में मूल्य निर्धारण में सुधार के दौर के बाद, पुनर्बीमाकर्ता स्थायी प्रतिफल, तकनीकी मूल्य निर्धारण और सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस वातावरण में, मूल्य सृजन विवेकपूर्ण जोखिम चयन और लक्षित, उच्च गुणवत्ता वाले पोर्टफोलियो विस्तार के बीच संतुलन बनाने पर निर्भर करता है।

भारत में बीमा और पुनर्बीमा के लिए दीर्घकालिक व्यापार के मजबूत अवसर मौजूद हैं। आर्थिक विकास, बढ़ती प्रति व्यक्ति आय, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, बढ़ता परिसंपत्ति निर्माण, जोखिम के प्रति बढ़ती जागरूकता और सक्रिय नियामक पहल बीमा बाजार के विस्तार को गति दे रही हैं। साइबर बीमा, प्रतिभूति बांड, देयता कवर, कृषि और अन्य विशिष्ट क्षेत्र जैसे उभरते क्षेत्र बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं दोनों के लिए नए अवसर पैदा करने की संभावना रखते हैं।

घरेलू बाजार की प्रगति का केंद्र बिंदु भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) का '2047 तक सभी के लिए बीमा' का लक्ष्य प्राप्त करना है। रिस्क–बेस्ड कैपिटल (आरबीसी) ढांचे की ओर संक्रमण, उन्नत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और स्थानीय बाजार–गहन पहलों सहित ऐतिहासिक नियामक सुधारों द्वारा इस लक्ष्य को गति दी जा रही है। ये दूरदर्शी उपाय कम बीमा वाले जनसांख्यिकी और क्षेत्रों में सुरक्षा कवरेज का विस्तार कर रहे हैं, जिससे पुनर्बीमाकर्ता आवश्यक क्षमता, जोखिम–पूलिंग तंत्र और पूंजी लचीलापन प्रदान करने के लिए तैयार हो रहे हैं।

भारत की प्रमुख पुनर्बीमा कंपनी के रूप में, जीआईसी री इस बदलते माहौल में नेतृत्व करने और सहयोग देने की खास स्थिति में है। हमारी घरेलू पहुंच, तकनीकी अनुभव, मज़बूत पूंजी और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय संबंधों की वजह से हम बीमा पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और मज़बूती को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

स्थिरता और ज़िम्मेदारीपूर्ण विकास

पुनर्बीमा व्यवसाय में स्थिरता पर ध्यान देना एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है। जोखिम परिदृश्य में हो रहे बदलावों के साथ, पुनर्बीमाकर्ताओं की लचीलेपन को बढ़ावा देने, जोखिम हस्तांतरण को सक्षम बनाने और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

जीआईसी री में, स्थिरता के प्रति हमारा दृष्टिकोण जिम्मेदार विकास, सुशासन और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन पर आधारित है। हम भविष्य के व्यावसायिक निर्णयों को आकार देने में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन संबंधी पहलुओं के महत्व को समझते हैं। हम अपने आंतरिक शासन ढांचे को मजबूत करना जारी रखेंगे, प्रतिभाओं में निवेश करेंगे और एक अधिक लचीले बीमा पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देने वाले समाधानों का समर्थन करेंगे।

भावी संभावनाएं

बीमा और पुनर्बीमा उद्योग के लिए भविष्य की उम्मीदें अच्छी हैं, हालांकि कामकाज के माहौल में सावधानी बरतने और जोखिम के मामले में अनुशासन बनाए रखने की ज़रूरत बनी रहेगी। यह बात खास तौर पर गिफ्ट सिटी में नई पुनर्बीमा कंपनियों के आने के संदर्भ में अहम है। आर्थिक विकास, बीमे की बढ़ती पहुंच, तेज़ी से हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और जोखिम से सुरक्षा के बारे में बढ़ती जागरूकता से बीमा और पुनर्बीमा समाधानों की मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

जीआईसी री के लिए आगे की प्राथमिकताएं साफ़ हैं: एक मज़बूत, ज़्यादा लचीली और भविष्य के लिए तैयार संस्था बनाना। हम बीमालेखन (अंडरराइटिंग) के नियमों का पालन करते रहेंगे, अपनी पूंजी की मज़बूती बनाए रखेंगे, पोर्टफोलियो की गुणवत्ता बेहतर करेंगे और ऐसी क्षमताओं में निवेश करेंगे जो जोखिम समायोजित मूल्य सृजन के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करें। जैसे–जैसे भारत का बीमा क्षेत्र बढ़ रहा है, जीआईसी री स्थिर क्षमता, अंडरराइटिंग में लीडरशिप और मार्केट में मज़बूती बनाए रखेगी। साथ ही, हम अपनी एएत बेस्ट "A-' (उत्कृष्ट) रेटिंग का फ़ायदा उठाकर चुनिंदा और अहम अंतरराष्ट्रीय अवसरों का लाभ उठाएंगे। प्रतिभा, टेक्नोलॉजी और उद्यम जोखिम अभिशासन में लगातार निवेश के दम पर, जीआईसी री बदलते वैश्विक जोखिम परिदृश्य में दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए पूरी तरह तैयार है। अपनी बात पूरी करते हुए, मैं जीआईसी री पर अटूट भरोसा और विश्वास बनाए रखने के लिए अपने शेयरधारकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं निदेशक मंडल का भी उनके दूरदर्शी मार्गदर्शन के लिए और विनियामकोंका उनके लगातार संस्थागत सहयोग के लिए आभारी हूं। हमारे ग्राहकों, सीडेंट्स, ब्रोकरों और व्यवसाय भागीदारों को उनके बहुमूल्य सहयोग और लगातार साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।

सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं जीआईसी री परिवार के हर सदस्य का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनकी अटूट प्रतिबद्धता, बेहतरीन व्यावसायिकता और अथक समर्पण की बदौलत ही निगम तेज़ी से बदलते कामकाजी माहौल में भी अपने दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों पर मज़बूती से ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ पाया है।

जीआईसी री ने दशकों की मेहनत, भरोसे और अनुशासित कामकाज के ज़रिए अपनी पहचान बनाई है। जैसे–जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इस विरासत को और मज़बूत करने और एक ऐसी संस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो बीमा पारिस्थितिकी तंत्र को सपोर्ट करता रहे, हितधारकों के लिए मूल्य सृजित करे और भारत की विकास यात्रा में योगदान दे।

हितेश जोशी

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक



निदेशक	श्री हितेश रमेशचन्द्र जोशी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (16.06.2026 से)
	श्री रामस्वामी नारायणन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30.09.2025 तक)
	डॉ. देबाशीष प्रुस्टी	सरकारी नामिती निदेशक (19.06.2026 से)
	श्री मनोज मुत्ताथिल अय्यप्पन	सरकारी नामिती निदेशक (17.04.2025 से)
	डॉ. एम. पी. तंगिरला	सरकारी नामिती निदेशक (17.04.2025 तक)
	श्री तपन कुमार मंडल	सरकारी नामिती निदेशक (24.07.2025 से और 19.06.2026 तक)
	सुश्री ए. मणिमेखलाई	स्वतंत्र निदेशक (02.06.2025 तक)
	सुश्री विनीता कुमारी	स्वतंत्र निदेशक (23.03.2026 तक)
	श्री अश्वनी कुमार	स्वतंत्र निदेशक (30.07.2025 से और 31.05.2026 तक)
	श्री हितेशकुमार के. भंडारी	स्वतंत्र निदेशक (13.08.2026 से)
	सूश्री जयश्री बालकृष्ण	कार्यपालक निदेशक (23.07.2025 से)
	सुश्री राधिका सी. एस.	कार्यपालक निदेशक (30.06.2025 तक)
प्रबंधन		
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री हितेश रमेशचन्द्र जोशी	16.06.2026 से
	श्री रामस्वामी नारायणन	30.09.2025 तक
कार्यपालक निदेशक	श्री हितेश रमेशचन्द्र जोशी	16.06.2026 तक
	सूश्री जयश्री बालकृष्ण	23.07.2025 से
	सुश्री राधिका सी. एस.	30.06.2025 तक
महा प्रबंधक	श्री एस.के रथ	31.07.2025 तक
	श्रीमती जयश्री बालकृष्ण	22.07.2025 तक
	श्री वी. बालकृष्ण	17.07.2026 तक
	श्री सचिन्द्र साळ्वी	01.01.2025 से जीआईसीएचएफएल में प्रतिनियुक्ति
	श्री राजेश पवार	15.05.2025 से
	श्री राजेश खडतरे	15.05.2025 से
	श्री संजय मोकाशी	15.05.2025 से
	श्रीमती मनाली पतके	15.05.2025 से
	श्री सतीश कुमार	01.04.2026 से
मुख्य सतर्कता अधिकारी	श्री उदय लक्ष्मणदास देवी	29.12.2025 से
	श्री एस. अलगरसामी	27.12.2025 तक
मुख्य वित्त अधिकारी	श्री राजेश लाहेरी	18.06.2026 से
	श्री वी. बालकृष्ण	18.06.2026 तक
कंपनी सचिव	श्री सतीश कुमार	30.04.2025 से
नियुक्त एक्चुअरी (गैर-जीवन)	श्री सतीश भट	
नियुक्त एक्चुअरी (जीवन)	श्री सुरेश सिंधी	
उप महाप्रबंधक	श्री नागा भीमा सोनावणे	31.05.2025 तक
	श्री मुकेश दरमवाला	
	श्री मुकेश वघेला	30.04.2026 तक
	श्री वी. बी. साळ्वे	
	श्री सतीश कुमार	31.03.2026 तक
	श्रीमती राधिका रविशेखर	
	श्रीमती बबीता अमीन	
	श्री राजेश लाहेरी	

	श्रीमती जयश्री प्रभु	
	शाजी थॉमस कूरियन	
	श्रीमती ज़ेनोबिया पल्सेतिया	15.05.2025 से
	श्री जेठो वी. झामनानी	15.05.2025 से
	श्रीमती लता श्रीजीत	15.05.2025 से
	श्रीमती प्रेरणा पुथरन	15.05.2025 से
	श्रीमती मेधा सावन्त	15.05.2025 से
	श्री प्रशांत शीलवंत	15.05.2025 से
	श्रीमती गीता नायर	01.04.2026 से
	श्रीमती प्रज्ञा प्रभु	01.04.2026 से
	श्रीमती उज्ज्वला नितीन सकळकले	01.04.2026 से
सांविधिक लेखापरीक्षक	एसएचबीए एंड कं. एलएलपी (पूर्ववर्ती बथिया एंड एसोसिएट्स एलएलपी) सनदी लेखाकार जी–2ए, दोस्ती पिनेकल, नए पासपोर्ट कार्यालय के बगल में, मार्ग सं. 22, वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट, ठाणे, मुंबई– 400604	एसएआरए एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार 202, दूसरी मंज़िल, माय बिल्डिंग, 97/299/301 प्रिंसेस स्ट्रीट, मरीन लाइन्स फ्लाईओवर के पास, मुंबई – 400002
सचिवीय लेखापरीक्षक	मेसर्स रागिनी चोकशी एंड कंपनी, कंपनी सचिव, 34, कमेर बिल्डिंग, पाँचवीं मंजिल, 38, कवासजी पटेल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई– 400001	
रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 'कार्वी सेलेनियम', टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31 और 32, वित्तीय जिला, नानकराम गुडा, गचीबाउली, हैदराबाद – 500 032 फ़ोन: (040) 6716 2222/3321 1000 ईमेल: einward.ris@kfintech.com वेबसाइट: www.kfintech.com	
स्टाक एक्सचेंज	बीएसई लिमिटेड पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400 001	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाजा, सी–1, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051
बैंकर	बैंक ऑफ इंडिया चर्चगेट शाखा, बलदोता भवन, तल मंजिल, 117, महर्षि कर्वे मार्ग, चर्चगेट, मुंबई – 400 020	
पंजीकृत कार्यालय	''सुरक्षा'', 170, जे. टी. रोड, चर्चगेट, मुंबई – 400 020 (भारत) फ़ोन: +91 22 2286 7000 ईमेल: info@gicre.in वेबसाइट: www.gicre.in	
सीआईएन	L67200MH1972GOI016133	
आईआरडीएआई पंजीकरण सं.	112	

क्र.सं.	तिथि और वर्ष	घटना
1	22 नवंबर 1972	भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना जीआईबीएनए अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसरण में और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शेयरों द्वारा सीमित एक निजी कंपनी के रूप में की गई थी।
2	1 जनवरी 1973	भारत में साधारण बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया, 107 साधारण बीमा कंपनियों का विलय किया गया और चार सहायक कंपनियों, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ होल्डिंग कंपनी के रूप में भारतीय साधारण बीमा निगम का गठन किया गया।
3	1 जनवरी 1978	भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी चार सहायक कंपनियों द्वारा लॉस प्रिवेंशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया।
4	6 दिसंबर 1978	कंपनिया में कार्यरत जीआईसी और एलआईसी की सहायक कंपनियों के शाखा परिचालनों के विलय से केनेंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. की स्थापना हुई।
5	1 जनवरी 1988	सिंगापुर में जीआइसी और चार सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की स्थानीय रूप से निगमित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप इंडिया इंटरनेशल इंश्योरेंस पीएलई लि. में की गई।
6	12 दिसंबर 1989	भारतीय साधारण बीमा निगम और चार सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस कं. लि. की गई।
7	25 मई 1993	भारतीय साधारण बीमा निगम और चार सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा जीआईसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई थी।
8	19 अप्रैल 2000	बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) का गठन किया गया।
9	3 नवंबर 2000	जीआईसी को ''भारतीय पुनर्बीमाकर्ता'' के रूप में अधिसूचित किया गया।
10	जून 2001	लंदन में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया गया।
11	अप्रैल 2002	मॉस्को में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया गया।
12	20 दिसंबर 2002	जीआईसी री, चार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और नाबार्ड द्वारा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई।
13	अप्रैल 2003	जीवन पुनर्बीमा ने अपनी बीमांकन गतिविधियाँ शुरू कीं।
14	1 अप्रैल 2002	जीआईसी री को आतंकवाद बीमा पूल का प्रबंधक नियुक्त किया गया।
15	7 अगस्त 2002	जीआईबीएनए अधिनियम में संशोधन किया गया।
16	21 मार्च 2003	जीआईसी री होल्डिंग कंपनी नहीं रही।
17	अप्रैल 2005	दुबई में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया गया।
18	फरवरी 2006	एसएपी का प्रयोग आरंभ हुआ।
19	27 अप्रैल 2006	लॉस प्रिवेंशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जीआईसी री विलय हुआ।
20	1 जनवरी 2007	दुबई प्रतिनिधि कार्यालय का उन्नयन कर इसे शाखा कार्यालय बनाया गया।
21	1 अप्रैल 2007	जीआईसी री को मोटर थर्ड पार्टी पूल का प्रबंधक नियुक्त किया गया।
22	1 जनवरी 2008	लंदन प्रतिनिधि कार्यालय को शाखा कार्यालय में उन्नत किया गया और उसने अपना परिचालन शुरू कर दिया।
23	19 जून 2008	जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए हनोवर री के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर।
24	10 अक्टूबर 2008	रिटकाफुल पुनर्बीमा।

क्र.सं.	तिथि और वर्ष	घटना
25	16 अक्टूबर 2008	जीआईसी री को अफ्रीकी एशियाई क्षेत्र के लिए नेट कैट पूल बनाने के लिए अधिदेशित किया गया।
26	16 जनवरी 2009	जीआईसी री को ब्राज़ील में इवेंचुअल पुनर्बीमाकर्ता के रूप में पंजीकृत किया गया।
27	11 नवंबर 2010	जीआईसी री की मलेशिया शाखा ने कार्य करना शुरू कर दिया।
28	20 सितंबर 2011	आईआरडीए के अध्यक्ष श्री जे. हरिनारायण द्वारा ई-थ्रू प्लेटफ़ॉर्म का शुभारंभ।
29	19 अक्टूबर 2011	जीआईसी री ने सीट्रेड मीडिल ईस्ट का मरीन बीमा पुरस्कार और इंडियन सबकॉटिनेंटल अवार्ड 2011 जीता।
30	5 जुलाई 2012	जीआईसी री ने भूटान में पहली पुनर्बीमा कंपनी स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए
31	26 नवंबर 2012	जीआईसी री ने सीट्रेड मीडिल ईस्ट का समुद्री बीमा पुरस्कार और इंडियन सबकॉटिनेंटल अवार्ड 2012 लगातार दूसरी बार जीता।
32	5 सितंबर 2013	भूटान में संयुक्त उद्यम पुनर्बीमा कंपनी-जीआईसी भूटान री लिमिटेड ने परिचालन शुरू कर दिया।
33	19 सितंबर 2013	जीआईसी री को बीजिंग, चीन में फेयर नेटकैट पुनर्बीमा पूल का प्रबंधक नियुक्त किया गया।
34	11 अगस्त 2014	दक्षिण अफ्रीका में जीआईसी री की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड की स्थापना हुई।
35	12 जून 2015	इंडिया न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल की शुरुआत हुई।
36	29 जनवरी 2016	यूके में जीआईसी री की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड की स्थापना हुई।
37	4 फ़रवरी 2016	जीआईसी री 'पब्लिक लिमिटेड कंपनी' में परिवर्तित हुई।
38	21 अप्रैल 2017	जीआईसी री ने गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बीमा कार्यालय खोला।
39	25 अक्टूबर 2017	जीआईसी री बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हुई।
40	1 अप्रैल 2018	जीआईसी सिंडिकेट 1947
41	30 जनवरी 2020	जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी एलएलसी (जीआईसी री की 100% सहायक कंपनी) को सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया से पुनर्बीमा संचालन लाइसेंस प्राप्त हुआ।
42	22 नवंबर 2022	जीआईसी री ने 50 वर्ष पूरे किए
43	12 मई 2026	भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल (BMIP) की शुरुआत और जीआईसी री को पूल प्रबंधक के तौर पर नियुक्त किया गया।



श्री हितेश आर. जोशी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (16.06.2026 से) (डीआईएन: 09322218)

श्री हितेश आर. जोशी मुंबई विश्वविद्यालय से लेखाशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं और जमनालाल बजाज प्रबंधन अध्ययन संस्थान से वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। वे भारतीय बीमा संस्थान के फेलो भी हैं।

निगम में अपने करियर के दौरान, श्री जोशी ने मुख्य कार्यों से जुड़े कई तरह के काम संभाले हैं।



डॉ. देबाशीष प्रुस्टी

अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय (19.06.2026 से) (डीआईएन: 10655471)

डॉ. देबाशीष प्रुस्टी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और अभी भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग में अपर सचिव के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें लोक वित्त, सतत् विकास और विकास सहयोग और पर्यावरण व शहरी अभिशासन के क्षेत्रों में नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने का 26 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

अपनी मौजूदा ज़िम्मेदारी संभालने से पहले, उन्होंने राजस्थान सरकार के वित्त और शहरी विकास विभाग में प्रधान सचिव के तौर पर काम किया था।

जब वे भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन विभाग में निदेशक थे, तब उन्होंने 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) प्लेटफ़ॉर्म शुरू करने के लिए अलग-अलग देशों के साथ सहयोग और साझेदारी की भारत की पहल में योगदान दिया था।

उन्होंने 2019 से 2024 तक ब्रुसेल्स में बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग और यूरोपीय संघ में भारतीय दूतावास में उप-राजदूत के तौर पर काम किया। उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने, पहली बार 'भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद' की शुरुआत करने और 'भारत-लक्ज़मबर्ग वित्तीय क्षेत्र संवाद' पर चर्चा में अहम योगदान दिया।

उन्हें मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर के प्रबंधन विभाग से डॉक्टर ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत से पर्यावरण विज्ञान में मास्टर ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी की डिग्री मिली है। डॉ. प्रुस्टी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से समष्टि अर्थशास्त्र के लिए वित्त के क्षेत्र में प्रशिक्षित हैं।



श्री मनोज मुत्तहिल अय्यप्पन

संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय (17.04.2025 से) (डीआईएन: 10733238)

श्री मनोज मुत्तहिल अय्यप्पन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री (एमबीए) प्राप्त की है और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम, केरल से बी.एससी. की डिग्री प्राप्त की है।

वर्तमान में, वे वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

श्री मनोज मुत्तहिल अय्यप्पन को 05.08.2024 से बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार का नामिती निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें भारतीय बैंकों और वैश्विक परामर्शी कंपनियों में एसएमई ऋण, वित्तीय विश्लेषण, व्यापार वित्त, जोखिम प्रबंधन, दबावग्रस्त खाता प्रबंधन और ऋण संचालन में 25 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है।



श्री तपन कुमार मंडल

उप सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय (19.06.2026 तक) (डीआईएन: 11228147)

श्री तपन कुमार मंडल 1990 बैच के केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी.एससी. की उपाधि प्राप्त की है। उन्हें भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों जैसे डीजीएसएंडडी, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (वर्तमान में डीपीआईआईटी), रक्षा मंत्रालय आदि में व्यापक अनुभव प्राप्त है।

वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग में उप सचिव (सतर्कता) के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति के नोडल अधिकारी के तौर पर भी काम किया। वे मिजोरम ग्रामीण बैंक के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक भी थे।



श्री अश्वनी कुमार

स्वतंत्र निदेशक (31.05.2026 तक) (डीआईएन: 10344636)

श्री अश्वनी कुमार एक चार्टर्ड एकाउंटेंट, वाणिज्य में स्नातकोत्तर और भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान के प्रमाणित सदस्य हैं। उन्हें बैंकिंग के क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। श्री अश्वनी कुमार ने बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक जैसे विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सेवा करते हुए उन्नति की है। उनके अनुभव में थोक बैंकिंग प्रभाग और औद्योगिक वित्त शाखाओं और बड़ी कॉर्पोरेट शाखाओं सहित कई शाखाओं के प्रमुख के रूप में कार्य शामिल हैं। एक महाप्रबंधक के रूप में, वे मध्यम कॉर्पोरेट और बृहद् कॉर्पोरेट वर्टिकलों का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न अंचलों का नेतृत्व करते हुए अंचल प्रबंधक और मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) के रूप में भी कार्य किया है। एक उत्साही शिक्षार्थी के रूप में, उन्होंने भारत और विदेशों में आईआईएम और सीएएफआरएएल सहित प्रमुख संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। उन्होंने आईबीए और एगॉन ज़ेंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परामर्श से बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा क्यूरेट किए गए आईआईएम बैंगलोर के नेतृत्व विकास कार्यक्रम को भी पूरा किया है। उन्होंने एफएसआईबी और आईबीए के समन्वय में एगॉन ज़ेंडर और हार्वर्ड बिज़नेस पब्लिशिंग द्वारा संचालित निदेशक विकास कार्यक्रम भी पूरा किया है। इसके अलावा, उन्होंने आईडीआरबीटी द्वारा आयोजित बोर्ड सदस्यों के लिए आईटी और साइबर सुरक्षा प्रमाणन कार्यक्रम भी पूरा किया है। एमडी एवं सीईओ के रूप में यूको बैंक में पद संभालने से पूर्व, वे इंडियन बैंक कार्यपालक निदेशक थे।



सुश्री जयश्री बालकृष्ण

कार्यपालक निदेशक (23.07.2025 से)(डीआईएन: 11210291)

सुश्री जयश्री बालकृष्ण मुंबई विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं, भारतीय बीमा संस्थान (एफआईआईआई) की फेलो और चार्टर्ड इंश्योरेंस संस्थान (एसीआईआई), लंदन की एसोसिएट हैं।

निगम में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने निवेश संचालन और लेखा, पुनर्बीमा संचालन (दावा प्रबंधन सहित), लेखा परीक्षा विभाग, बजट और पूर्वानुमान, कॉर्पोरेट संचार, क्रेडिट रेटिंग, ब्रोकर संबंध प्रबंधन और निवेशक संबंध जैसे सभी क्षेत्रों सहित कई कार्यों को संभाला है। अपने परिणाम-केंद्रित नज़रिए के लिए पहचानी जाने वाली उन्होंने हमेशा तय समय-सीमा के भीतर पहलों को सफलतापूर्वक पूरा करने का नेतृत्व किया है, साथ ही काम को बेहतरीन ढंग से पूरा करने के ऊँचे मानकों को भी बनाए रखा है।

वर्तमान में निगम के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) का पद संभालती हैं और उद्यम जोखिम प्रबंधन, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, खरीद, निवेश गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए), निवेश (मध्य और बैक ऑफिस), कार्यालय सेवाएं विभाग, आईएनटीओपीएस, आईटीएमजी, डिजिटल टीम, एक्चुअरी, दावा वर्टिकल और सामान्य लेखों की जिम्मेदारी निभाती हैं। इस भूमिका में, वे इन सभी कामों के लिए रणनीतिक नेतृत्व देती हैं और अभिशासन, परिचालन उत्कृष्टता और टिकाऊ व्यवसाय परिणामों को आगे बढ़ाती हैं।



श्री हितेशकुमार के. भंडारी

स्वतंत्र निदेशक (13.08.2026 से) (डीआईएन: 11890575)

श्री हितेशकुमार के. भंडारी के पास मास्टर्स ऑफ़ लॉ (LLM) की डिग्री है। वे सिलवासा ज़िला अदालत में वकालत करते हैं और उन्हें सिविल और आपराधिक मामलों को संभालने का 26 वर्ष का लंबा अनुभव है।



श्री हितेश आर. जोशी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



सुश्री जयश्री बालकृष्ण
कार्यपालक निदेशक



श्री राजेश पवार
महा प्रबंधक



श्री राजेश खडतरे
महा प्रबंधक



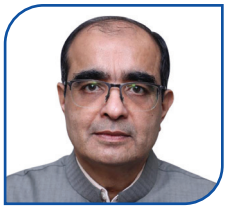
श्री संजय मोकाशी
महा प्रबंधक



श्रीमती मनाली पतके
महा प्रबंधक



श्री सतीश कुमार
महा प्रबंधक



श्री उदय लक्ष्मणदास देवी
मुख्य सतर्कता अधिकारी



श्री सतीश भट
नियुक्त एक्चुअरी (गैर-जीवन)



श्री सुरेश सिंधी
नियुक्त एक्चुअरी (जीवन)

सदस्यगण

भारतीय साधारण बीमा निगम

निदेशकगण को भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी री या निगम) के कामकाज और गतिविधियों पर 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा विवरणों के साथ-साथ निगम का चौवनवां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

वित्तीय परिणाम:

समीक्षाधीन वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2025-26	2024-25
1.	सकल प्रीमियम	44,006.74	41,153.95
2.	निवल प्रीमियम	40,571.25	37,844.21
3.	निवल अर्जित प्रीमियम	39,378.35	36,130.26
4.	अर्जित प्रीमियम से	33,627.66	31,953.69
	निवल उपगत दावों का %	85.40%	88.44%
5.	अर्जित प्रीमियम से	7,972.03	7,372.54
	निवल कमीशन का %	20.24%	20.41%
6.	अन्य आय घटाकर परिचालन व्यय और अन्य व्यय	(516.05)	193.26
7.	व्यय को घटाकर राजस्व के अनुपात में निवेश आय	8,612.97	8,713.96
8.	प्रीमियम न्यूनता	57.71	(37.62)
9.	कुल लाभ/हानि (-) (3+7-4-5-6-8)	6,849.97	5,362.35
10.	सीएटी रिजर्व में अंतरण	739.25	597.95
11.	ब्याज, लाभांश और किराया (निवल) और निवेशों की बिक्री पर लाभ	4,476.37	4,058.56
12.	अन्य व्यय को घटाकर अन्य आय	223.17	(90.16)
13.	बट्टे खाते डाले गए निवेशों के परिशोधन और बट्टे खाते डाले गए निवेशों के मूल्य में कमी सहित संदिग्ध ऋणों और निवेश के रिजर्व	17.00	(32.83)
14.	कर-पूर्व लाभ (9-10+11+12-13)	10,793.26	8,765.64
15.	आस्थगित करों सहित कर के लिए प्रावधान	2,401.08	2,064.28
16.	कर-पश्चात लाभ (14-15)	8,392.18	6,701.36

निवल अर्जित प्रीमियम असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि के समायोजन के बाद प्राप्त होता है) (प्रतिशत संबंधित वर्ष के निवल अर्जित प्रीमियम से संबंधित हैं) (आईआरडीएआई/एनएल/आरआई/41/2012-13 के जरिए घरेलू बीमा कंपनियों से अनिवार्य रूप से जोखिम/प्रीमियम हस्तांतरण 01.04.13 से 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है और इसे आगे आईआरडीएआई/आरआई/1/180/2022 दिनांक 10.01.2022 के अनुसार 01.04.2022 से 5% से घटाकर 4% कर दिया गया है)

लाभांश एवं लाभांश वितरण नीति

निदेशक मंडल ने 26 मई 2026 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹5/- अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर ₹13.25 (अर्थात चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 265%) लाभांश के भुगतान की सिफारिश की, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹10/- प्रति शेयर लाभांश दिया गया था।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियम 43 के अनुसार, निगम ने एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है और यह निगम की वेबसाइट: https://www.gicre.in/images/2025/Dividend_Distribution_Policy_2025_Ver_30_web.pdf पर उपलब्ध है।

पूँजी एवं निधियाँ

निगम की पूँजी एवं निधियाँ पिछले वर्ष ₹1,34,915.94 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2025 को ₹1,50,386.18 करोड़ थीं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

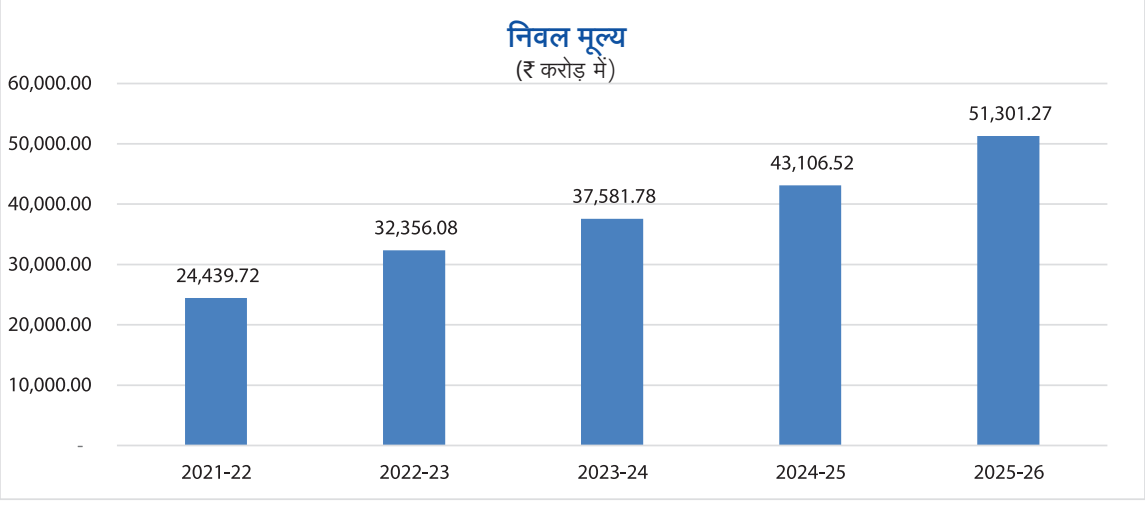
(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
शेयरधारकों की निधियाँ	51,301.27	43,106.52
पॉलिसीधारकों की निधियाँ	99,084.91	91,809.42
कुल निधियाँ	**1,50,386.18**	**1,34,915.94**

टिप्पणी: विनियामक मानकों के अनुसार, 31.03.2026 को शेयरधारकों की निधियों में विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि भी शामिल है।

विगत 5 वर्षों में शेयरधारकों की निधियां

आरक्षित निधि के लिए आगे ले जाने के लिए प्रस्तावित राशि को वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है।



परिसंपत्तियाँ

निगम की कुल परिसंपत्तियां 31 मार्च 2025 को ₹1,87,615.74 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2026 को ₹1,97,220.93 करोड़ थीं।

समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(2) के प्रावधान के अनुसार, कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में, कंपनी का निदेशक मंडल उस बैठक के समक्ष वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) में प्रावधान है कि जहां किसी कंपनी की एक या एक से अधिक सहायक कंपनियां हैं, वहां उसे धारा 129 की उप-धारा (2) के तहत प्रदान किए गए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त, कंपनी और सभी सहायक कंपनियों का समेकित वित्तीय विवरण उसी रूप और तरीके से तैयार करना होगा जैसा कि उसका अपना है, जिसे धारा 129 की उप-धारा (2) के तहत वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण के साथ कंपनी की वार्षिक आम बैठक के समक्ष भी रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण:

निगम समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर रहा है क्योंकि इसकी तीन सहायक कंपनियां हैं, अर्थात् जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड, जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड, यूके और जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी एलएलसी, मॉस्को। इसके अलावा तीन सहयोगी कंपनियां अर्थात् एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसीआईएल), इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर और जीआईसी भूटान री लिमिटेड भी हैं।

वित्तीय रेटिंग और रैंकिंग

एएम बेस्ट ने भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी री) (भारत) की वित्तीय मजबूती रेटिंग को B++ (अच्छा) से बढ़ाकर A- (उत्कृष्ट) और दीर्घकालिक निर्गमकर्ता क्रेडिट रेटिंग को "bbb+" (अच्छा) से बढ़ाकर "a-" (उत्कृष्ट) कर दिया है। इसके अलावा, एएम बेस्ट ने क्रेडिट रेटिंग (रेटिंग) के परिदृश्य को पॉजिटिव से स्टेबल कर दिया है। इसके अलावा, एएम बेस्ट ने स्थिर परिदृश्य के साथ भारत राष्ट्रीय स्केल रेटिंग (एनएसआर) aaa. IN (असाधारण) को बरकरार रखा है।

ये रेटिंग जीआईसी री के तुलन–पत्र की मजबूती को दर्शाती हैं, जिसे एएम बेस्ट बहुत मजबूत मानता है, साथ ही इसके पर्याप्त परिचालन प्रदर्शन, अनुकूल व्यावसायिक प्रोफ़ाइल और उचित उद्यम जोखिम प्रबंधन को भी दर्शाती हैं। इसके अलावा, रेटिंग में भारत सरकार द्वारा कंपनी के स्वामित्व के तटस्थ प्रभाव को भी शामिल किया गया है।

रेटिंग में यह सुधार जीआईसी री के तुलन–पत्र की मजबूती के बुनियादी सिद्धांतों में सुधार दर्शाता है। बेस्ट के पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बीसीएआर) द्वारा मापी गई जीआईसी री के जोखिम–समायोजित पूंजीकरण में पिछले चार वर्षों में सुधार की प्रवृत्ति रही है और यह अपने सबसे मज़बूत स्तर पर बना हुआ है।

केयर रेटिंग्स लिमिटेड ने जनवरी 2026 में स्टेबल दृष्टिकोण के साथ निगम के लिए 'AAA (Is)' जारीकर्ता रेटिंग की पुनः पुष्टि की है। यह रेटिंग एक प्रमुख भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में जीआईसी री के रणनीतिक महत्व को दर्शाती है। यह रेटिंग इसके अनुभवी प्रबंधन, विविध व्यावसायिक प्रोफ़ाइल और सुखद तरलता एवं सॉल्वेंसी की स्थिति को भी ध्यान में रखती है।

सॉल्वेंसी अनुपात

निगम का सॉल्वेंसी मार्जिन पिछले वर्ष के 3.70 की तुलना में 31 मार्च 2026 को 4.21 रहा।

निवेश

भारत में निगम के निवेश (निवेश, ऋण और जमा सहित) का बही मूल्य पिछले वर्ष के ₹1,06,733.46 करोड़ की तुलना में ₹1,17,645.62 करोड़ रहा। ₹13,128.97 करोड़ की निवेश आय पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों में निम्नानुसार विभाजित की गई:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2025–26	2024–25
पॉलिसीधारकों में विभाजित	8,650.28	8,647.85
शेयरधारकों में विभाजित	4,478.69	4,060.35

पॉलिसीधारकों/शेयरधारकों का अनुपात 65.89%/34.11%

*निवेश आय सकल रूप में ली गई है।

निवेशों की बिक्री पर लाभ वाले फंडों पर औसत प्रतिलाभ 10.60% (पिछले वर्ष 11.04%) रहा । सकल ऋण परिसंपत्तियों (सरकारी प्रतिभूतियों सहित) में निवल एनपीए (अनर्जक परिसंपत्तियाँ) का प्रतिशत 0.97% रहा (पिछले वर्ष – 0.00%)।

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)

निगम के एक पुनर्बीमा कंपनी होने के नाते, इसके कामकाज और कार्य भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा शासित होता है। निगम की मौजूदा चुकता इक्विटी पूंजी ₹877.20 करोड़ है जो आईआरडीएआई के मानकों के अनुरूप है। निगम के खाते आईआरडीएआई (वित्तीय विवरणों की तैयारी और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) विनियम, 2002 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

आईआरडीएआई ने घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं के संचालन की पहचान और निगरानी के लिए स्थापित ढांचे के अनुसार, निगम को 2025–26 के लिए एक घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता (D-SII) के रूप में चिह्नित किया है।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 186(4) के प्रावधान, जिनके अनुसार वित्तीय विवरणों में दिए गए ऋणों, किए गए निवेश या दी गई गारंटी या प्रदान की गई प्रतिभूति का पूरा विवरण और जिस उद्देश्य के लिए ऋण या गारंटी या प्रतिभूति प्राप्तकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है, उसका प्रकटन आवश्यकता निगम पर लागू नहीं है।

कंपनी की कार्यशील संस्था स्थिति और उसके भावी परिचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्व–पूर्ण और तात्विक आदेश

निगम के भावी परिचालनों की कार्यशील संस्था स्थिति को प्रभावित करने वाले विनियामकों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और/या तात्विक आदेश पारित नहीं किए गए हैं।

उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम)

निगम के पास एक सुदृढ़ ईआरएम नीति है। यह नीति एक अभिशासन संरचना के साथ-साथ प्रत्येक स्तर पर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को भी परिभाषित करती है। ईआरएम विभाग का प्रमुख मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) होता है जो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और प्रबंधन-स्तरीय ईआरएम समिति के माध्यम से बोर्ड जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट करते हैं।

एसएपी जोखिम प्रबंधन और प्रक्रिया नियंत्रण (SAP RM & PC – eGRC),) के आने से, ईआरएम विभाग एक व्यवस्थित और टेक्नोलॉजी-आधारित तरीके से जोखिम प्रबंधकों और जोखिम स्वामियों के साथ मिलकर पूरे उद्यम में जोखिम का आकलन करता है। ये आकलन नए जोखिम की पहचान करने के साथ-साथ मौजूदा जोखिमों की समीक्षा और उन पर विचार-विमर्श करने पर केंद्रित होते हैं। एसएपी आरएम एवं पीसी प्लेटफ़ॉर्म गवर्नेंस को मज़बूत करते हुए व्यवसाय और अनुपालन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाता है।

ईआरएम विभाग समय-समय पर जोखिमों की समीक्षा करता है और लागू किए गए नियंत्रणों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। मुख्य घटनाक्रमों, संप्रेक्षणों और किसी भी तरह के विचलनों की जानकारी नियमित रूप से प्रबंधन और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समितियों को दी जाती है।

अपनी संबद्ध गतिविधियों के एक भाग के रूप में, ईआरएम विभाग व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) और व्यवसाय प्रभाव मूल्यांकन (बीआईए) की समीक्षा करता है, जो एक प्रमुख वार्षिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण कार्यों के एक निर्धारित न्यूनतम स्वीकार्य स्तर पर सेवाओं की निरंतरता प्रदान करना और अल्प एवं मध्यम अवधि में वित्तीय, प्रतिस्पर्धी और प्रतिष्ठागत स्थिति की रक्षा करना है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम के तनाव परीक्षण अभ्यास को करने के लिए एक तटस्थ तृतीय-पक्ष सलाहकार की नियुक्ति की गई थी। 31 मार्च 2025 तक के वित्तीय आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक तनाव परीक्षण अभ्यास किया गया था। तनाव परीक्षण अभ्यास ने निगम की भविष्य की वित्तीय स्थिति के लिए महत्वपूर्ण प्रतिकूल खतरों के परिदृश्यों का मूल्यांकन किया और इसे पर्याप्त रूप से लचीला पाया। तनाव परीक्षण रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की गई और बाद में आईआरडीएआई के साथ साझा की गई।.

निगम के दो प्रमुख कार्यों अर्थात पुनर्बीमा और निवेश तथा उनसे संबंधित लेखा गतिविधियों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) पहले से ही लागू है और इन्हें निगम की उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति के अनुमोदन से उपयोगकर्ता विभाग के अनुरोध के अनुसार आवश्यकतानुसार संशोधित किया जाता है।

जीआईसी द्वारा एक धोखाधड़ी-रोधी नीति तैयार की गई है जो धोखाधड़ी की रोकथाम, पहचान, जाँच, रिपोर्टिंग, निगरानी और नियंत्रण को शामिल करती है और इसकी वार्षिक समीक्षा की जाती है। निगम ने धोखाधड़ी-रोधी नीति के निबंधनों और शर्तों का पालन न करने के प्रति मजीरो टॉलरेंसफ की घोषणा की है। अनुपालन के एक भाग के रूप में, ईआरएम विभाग नियामक के पास धोखाधड़ी निगरानी विवरणी दाखिल करता है।

निगम ने एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम वहन क्षमता विवरण तैयार किया है जो निगम के परिचालन को निर्देशित करने वाले जोखिम वहन क्षमता मापदंडों का एक व्यापक सारांश प्रदान करता है। हर समय पूँजी का उचित स्तर सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड द्वारा अनुमोदित पूँजी प्रबंधन योजना लागू की गई है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) के एक भाग के रूप में, जीआईसी दिल्ली संपर्क कार्यालय में एक वैकल्पिक साईट पर एक ड्रिल आयोजित किया गया, ताकि आपात स्थिति में महत्वपूर्ण संसाधन टीम और अन्य व्यावसायिक निरंतरता टीमों के बीच जागरूकता पैदा की जा सके और तैयारी सुनिश्चित की जा सके। परिचालनों की रिकवरी में शामिल प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता के लिए बीसीपी को सभी कर्मचारियों के साथ साझा किया जाता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) रिपोर्टिंग

निगम के पास एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर नीति) है जो निगम द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाती है, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

सीएसआर नीति निगम की वेबसाइट पर इस लिंक पर देखी जा सकती है: https://www.gicre.in/images/2026/CSR-Policy-2025-Ver-10.pdf

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर रिपोर्टिंग **अनुलग्नक I** में दी गई है।

लेखापरीक्षक

मेसर्स एस एच बी ए एंड कं. एलएलपी, सनदी लेखाकार, मुंबई और मेसर्स सारा एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, मुंबई को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और 143 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निगम के लेखों की लेखापरीक्षा हेतु संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था। संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों ने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी कर दी है। 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियाँ स्वतः स्पष्ट हैं और इसलिए किसी अतिरिक्त टिप्पणी/जानकारी की आवश्यकता नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसरण में, सुश्री रागिनी चोकशी एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को निगम के सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है। 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट **अनुलग्नक II** के रूप में संलग्न है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई शर्त, प्रतिबंध या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, सिवाय इसके कि सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 17 (1) (ए), (बी) और (सी) के अनुसार, निगम

निदेशक मंडल के गठन की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका; और विनियम 18(1)(बी) और 19(1)(सी) के तहत लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से जुड़ी आवश्यकताओं को भी रिपोर्ट में बताई गई अवधि के दौरान पूरा नहीं कर सका। इस संबंध में, चूंकि निगम भारत सरकार की कंपनी है, इसलिए संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार वित्त मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार के पास है। निगम सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 के अनुपालन हेतु निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध करता रहा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निगम पर लागू नहीं होता है।

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों का प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में, सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला एक अलग विवरण, फॉर्म –1 में, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का एक भाग है, जो अनुलग्नक के रूप में है और उनके प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति का विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136(1) के प्रावधान और सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियम 46 के अनुसार, निगम अपनी प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में अलग–अलग लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण अपनी वेबसाइट पर रखेगा और निगम के किसी भी शेयरधारक को, जो ऐसा चाहे, एक प्रति भी प्रदान करेगा। सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण भी निगम/संबंधित सहायक कंपनियों के पंजीकृत कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

सम्बद्ध पार्टी लेनदेन

वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सम्बद्ध पार्टी लेनदेन औपचारिक आधार पर और सामान्य व्यावसायिक क्रम में थे। सम्बद्ध पार्टी लेनदेन का विवरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दिया गया है।

वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के दायरे में आता हो। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(h) के तहत फॉर्म –2 में सम्बद्ध पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण निगम पर लागू नहीं होता है। सम्बद्ध पार्टी लेनदेन को अधिनियम और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में लेखा परीक्षा समिति और आवश्यकतानुसार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

निगम की सम्बद्ध पार्टी लेनदेन नीति, जिसमें महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों का निर्धारण भी शामिल है, निगम की वेबसाइट: https://www.gicre.in/en/people-resources/policies-and-guidelines. पर उपलब्ध है।

वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(a) के साथ पठित धारा 92(3) के अनुसार, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी की एक प्रति, इस रिपोर्ट की तिथि तक उपलब्ध जानकारी के साथ, निगम की वेबसाइट: https://www.gicre.in/en/investors-public-disclosures/investors-en/financial-performance/annual-return पर उपलब्ध है और इसे यथाशीघ्र, लेकिन वार्षिक आम बैठक की तिथि से साठ दिनों के भीतर अद्यतन किया जाएगा।

निगमीय अभिशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 में निर्धारित निगमीय अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र निगमीय अभिशासन प्रतिवेदन के साथ संलग्न है, जो इस वार्षिक प्रतिवेदन का एक भाग है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन

निगम के परिचालन और भावी संभावनाओं का वर्णन प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन में किया गया है, जो निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का एक भाग है।

विदेशी मुद्रा आय एवं निर्गम तथा अन्य जानकारी

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के अनुसार विदेशी मुद्रा आय/व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

i) आय ₹2,630.25 करोड़

ii) निर्गम ₹4,098.62 करोड़

आय में अंतर–बैंक अंतरण को छोड़कर प्रीमियम, दावों की वसूली, बाह्य कमीशन और निवेश आय के संबंध में विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित सभी प्राप्तियाँ शामिल हैं।

व्यय में अंतर–बैंक अंतरण को छोड़कर बाह्य प्रीमियम, स्वीकृत पुनर्बीमा दावों, कमीशन और प्रबंधन व्यय (बैंक शुल्क) के संबंध में विदेशी मुद्रा में सभी भुगतान शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के लिए (क) मनोरंजन (ख) विदेशी दौरे और (ग) प्रचार एवं विज्ञापन पर व्यय क्रमशः ₹6,15,795.77, ₹70,61,433.64 और ₹12,30,13,131.96 था।

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समावेशन

निगम किसी भी विनिर्माण गतिविधि में संलग्न नहीं है, इसलिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण या प्रौद्योगिकी समावेशन के संबंध में प्रकट करने हेतु कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध

I. मार्च 2026 को कर्मचारियों की संख्या:

श्रेणी I	अधिकारी	480
श्रेणी III	लिपिकीय कर्मचारी	23
कुल		**503**

II. कर्मचारी संख्या में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) और अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) की संरचना

संवर्ग	कुल कर्मचारी	संरचना					
		अजा	%	अजजा	%	अपिव	%
अधिकारी	480	83	17.29	30	6.25	121	25.21
लिपिकीय कर्मचारी	23	4	17.39	4	17.39	5	21.74
अधीनस्थ कर्मचारी	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**503**	**87**	**17.30**	**34**	**6.76**	**126**	**25.05**

III. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण:

निगम ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आरक्षण नीति के अनुसार नियम बनाए हैं, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को भर्ती एवं पदोन्नति में, जहाँ भी लागू हो, आरक्षण, रियायतें/छूट प्रदान करते हैं। पदोन्नति की संभावना वाले कर्मचारियों के लिए विशेष आंतरिक प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित की जाती हैं ताकि वे ज्ञान अर्जित कर सकें और पदोन्नति-पूर्व लिखित परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। निगम अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण भी आयोजित करता है। विभिन्न कल्याण ट्रस्टों के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को विभिन्न लाभ प्रदान किए जाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघ के नेताओं/सदस्यों के साथ उनकी समस्याओं/शिकायतों, यदि कोई हों, को समझने के लिए तिमाही बैठक आयोजित की जाती है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन

निगम भारत और विदेश में अपने सभी कार्यालयों में विभिन्न संवर्गों में महिला कर्मचारियों को नियुक्त करता रहा है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप, निगम ने यौन उत्पीड़न के विरुद्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू की है। सभी कर्मचारी इस नीति के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किसी भी कर्मचारी की ओर से कोई शिकायत नहीं आई है, इसलिए 31 मार्च 2026 को कोई भी शिकायत निवारण हेतु लंबित नहीं है।

केंद्र सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वर्ष 2025-26 के दौरान, जीआईसी री ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में अपने प्रदर्शन में सुधार किया और मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया।

सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार, निगम के राजभाषा विभाग के अधिकारी नियमित रूप से मुंबई स्थित मुख्यालय और दिल्ली स्थित संपर्क कार्यालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण करते हैं।

जीआईसी री ने मुंबई स्थित मुख्यालय में हिंदी कार्यशालाओं (कुल चार) और दिल्ली स्थित संपर्क कार्यालय में एक (1) हिंदी कार्यशाला का नियमित रूप से आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, जीआईसी री ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही (4) बैठकें भी आयोजित कीं। निगम, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है। सभी कर्मचारियों के साथ प्रति दिन एक विचार और तस्वीर के साथ 'आज का शब्द' (द्विभाषी) साझा किया जाता है। इस तरह, राजभाषा को लागू करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाते हैं।

अनुवाद के मुख्य कार्यों में वित्तीय स्थायी आदेश (एफएसओ) और निगम पोर्टल का समय-समय पर अद्यतनीकरण शामिल था। इन-हाउस त्रैमासिक पत्रिका, जिसे ''क्षितिज'' के नाम से जाना जाता है, वर्ष के दौरान निर्बाध रूप से प्रकाशित हुई है, और इसकी डिजिटल प्रति भी निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

सितंबर 2025 के दौरान, जिसे हिंदी पखवाड़ा के रूप में चिह्नित किया गया है, दैनंदिन कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं, जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, ''हिंदी दिवस'' समारोह का आयोजन, न केवल विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए, बल्कि कर्मचारियों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों को भी शामिल किया जा रहा है।

सभी निगम अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्तमान में राजभाषा का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। सभी डेस्कटॉप/कंप्यूटरों में ''यूनिकोड'' के माध्यम से हिंदी टाइपिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिससे जीआईसी री के अधिकारी और कर्मचारी अपना दैनिक कार्य आसानी से हिंदी में कर सकते हैं। संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति के निरीक्षण के दौरान, जीआईसी री को राजभाषा में बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। जीआईसी री के अधिकारियों ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) की सभी बैठकों में भाग लिया है और जीआईसी री ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लिया है। जीआईसी री के राजभाषा विभाग को टॉलिक द्वारा उसकी आंतरिक गृह-पत्रिका ''क्षितिज'' के लिए समय-समय पर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद

भारत सरकार के आदेशानुसार वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद पोर्टल के माध्यम से की जाती है और भारत सरकार के सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

भारत सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 और उसके संशोधनों को अधिसूचित किया है। जीआईसी री ने वर्ष 2025-26 के लिए एमएसई से 14.37% की खरीद की है।

सतर्कता

निगम में सतर्कता प्रशासन को पेशेवर तरीके से चलाया जाता है और यह प्रबंधन के कामकाज का एक अहम हिस्सा है। यह अलग-अलग सतर्कता कार्यों पर नियंत्रण, निगरानी और पर्यवेक्षण के अलावा साफ़-सुथरे कारोबारी लेन-देन, व्यावसायिकता और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

निगम का सतर्कता प्रशासन एक बहुत मज़बूत और पारदर्शी है। इसके प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति वित्तीय सेवाएं विभाग करता है। वे केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार निगम के सभी सतर्कता कार्यों की देखरेख करते हैं। भागीदारी वाला, सक्रिय और निवारक सतर्कता, सतर्कता प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य हैं।

सतर्कता कार्य के तीन पहलू हैं:

1. निवारक सतर्कता: भ्रष्टाचार और अन्य कुप्रथाओं का पता लगाने और सज़ा देने की तुलना में, नुकसान को रोकने के लिए निवारक उपाय ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं।
2. निवारक उपायों में शामिल हैं: व्यवसाय/परिचालन के संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण, संवेदनशील पदों की पहचान, आचरण नियमों का पालन सुनिश्चित करना, निरीक्षण और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की नियमित जांच, और प्रणाली में सुधार।
3. पता लगाने वाली सतर्कता (डिटेक्टिव विजिलेंस): इसमें संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित और अचानक निरीक्षण करना शामिल है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार या गलत काम किए गए हैं; साथ ही वार्षिक संपत्ति विवरण की जांच करना, शिकायतों पर कार्रवाई करना, गहन जांच करवाना और उचित प्रक्रिया के बाद सही नतीजे तक पहुँचने के लिए उनकी समीक्षा करना भी इसमें शामिल है।
4. दंडात्मक सतर्कता: यह सुनिश्चित करने के अलावा कि नियमों और कानूनों का जानबूझकर और गलत इरादे से उल्लंघन करने वाले किसी भी स्तर के कर्मचारियों को सज़ा से न बख्शा जाए, यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सामान्य कामकाज के दौरान लिए गए सही इरादे वाले निर्णयों का निष्पक्ष रूप से और ज़रूरी सावधानी के साथ मूल्यांकन किया जाए।

मुख्य सतर्कता अधिकारी, सतर्कता से जुड़े मामलों पर ज़रूरी सलाह के लिए सीवीसी और बैंकिंग सेवाएं विभाग के साथ, और धोखाधड़ी के मामलों में कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ भी तालमेल बिठाते हैं।

डिजिटलीकरण के तहत, सतर्कता विभाग ने जीआईसी री की वेबसाइट पर ङ्कसतर्कता-ऑनलाइन शिकायत पोर्टलङ्क शुरू किया है, ताकि आम लोग सतर्कता से जुड़ी शिकायतें या मुद्दे दर्ज करा सकें।

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग का प्राथमिक उद्देश्य संगठनात्मक गतिविधियों की सुदृढ़ निगरानी बनाए रखना है, जिससे प्रबंधन को वित्तीय अभिलेखों की अखंडता, परिचालन दक्षता और आंतरिक नियंत्रण एवं अभिशासन ढाँचे की प्रभावशीलता पर आश्वासन प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

जीआईसी री ने बीमांकन, निवेश, वित्त और आईटी सहित अपने प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों में प्रणालियाँ और नियंत्रण स्थापित किए हैं। अपने लेखापरीक्षा उद्देश्यों को एक संरचित और पेशेवर तरीके से प्राप्त करने के लिए, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग प्रतिष्ठित सनदी लेखाकार फर्मों की सेवाएं लेता है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए, मेसर्स टी. आर. चड्ढा, सनदी लेखाकार, को पुनर्बीमा परिचालनों और गैर–पुनर्बीमा परिचालनों के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया, जबकि मेसर्स मायरा एंड खत्री, सनदी लेखाकार, को निवेश विभाग की लेखापरीक्षा के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

जीआईसी री की लंदन, दुबई, मलेशिया स्थित विदेशी शाखाओं के साथ–साथ गिफ्ट सिटी स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों (आईआईओ) के लिए भी आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की गई।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित विशेष लेखापरीक्षाएँ भी की गईं:

- सचिवीय लेखापरीक्षा
- आंतरिक वित्त नियंत्रण (आईएफसी)

यह विभाग भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सीएजी) और अन्य संबंधित विभागों के साथ सीएजी लेखापरीक्षाओं के संबंध में बातचीत के लिए नोडल बिंदु के रूप में भी कार्य करता है। सीएजी द्वारा जारी किए गए मसौदा पैरा (डीपी) और निरीक्षण रिपोर्ट की स्थिति नियमित रूप से बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड को समीक्षा एवं निर्देश के लिए प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की स्वतंत्र निगरानी में कार्यरत, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की समीक्षा के लिए मुख्यालय और विदेश स्थित शाखाओं से लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं, जहाँ समिति के निर्देशों के अनुपालन की प्रगति पर नज़र रखने के लिए कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) भी प्रस्तुत की गईं।

वर्ष के दौरान, भारत और विदेश दोनों में आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के दायरे और दिशानिर्देशों की समीक्षा निगमीय अभिशासन, विनियामक अनुपालन, जोखिम न्यूनीकरण और धोखाधड़ी की रोकथाम से जुड़ी उभरती अपेक्षाओं के अनुरूप करने के लिए की गई।

पिछले वर्षों की तरह, पुनर्बीमा बीमांकन, बकाया खातों का निपटान, ब्रोकरों के बकाये का समाधान, संधि स्वीकृति, नकद कॉल निपटान और खाता निपटान जैसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों की समवर्ती आधार पर लेखापरीक्षा की गई। निवेश, मानव संसाधन, आईटी, संचार, सामान्य लेखा और कार्यालय सेवाओं सहित अन्य विभागों को भी लेखापरीक्षा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया।

वित्तीय निहितार्थ वाले प्रमुख पूँजीगत और राजस्व व्ययों की गहन लेखा–परीक्षा की गई। प्राथमिक और द्वितीयक बाजार लेनदेन सहित निवेश कार्यों की समवर्ती आधार पर लेखा–परीक्षा की गई। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए सहायक सरकारी बहीखाते (एसजीएल) की मासिक लेखा–परीक्षा की गई तथा समाधान और शेष राशि की पुष्टि भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई और लेखा–परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई।

आंतरिक लेखा–परीक्षा कार्य ने आँकड़ों की गुणवत्ता में सुधार, दावों के त्वरित प्रसंस्करण और बेहतर प्राप्य खातों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आलोचनात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक प्रतिक्रिया के माध्यम से, आंतरिक लेखा–परीक्षा विभाग निगम के समग्र अभिशासन और नियंत्रण तंत्र को निरंतर सुदृढ़ करता रहा है।

इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखा–परीक्षण विभाग ने वित्तीय अनुशासन का पालन सुनिश्चित करते हुए निगम के वार्षिक बजट और विभागीय बजट अनुमानों पर आधारित मध्य–वार्षिक बजट समीक्षा के कार्यान्वयन में सहायता की।

आरटीआई अधिनियम, 2005

निगम ने अपने संगठन में आरटीआई अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित ढांचा तैयार किया है। इस व्यवस्था के प्रमुख नोडल अधिकारी के रूप में नामित कार्यपालक निदेशक होते हैं। एक महा प्रबंधक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, सहायक महाप्रबंधक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी होता है, और मुख्य प्रबंधक अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सहायक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। एक वरिष्ठ प्रबंधक को एमआईएस का नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

कॉर्पोरेट वेबसाइट: https://www.gicre.in/en/ पर भी अधिनियम के अंतर्गत निगम से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। इसमें सूचना का अधिकार समर्पित एक अलग लिंक है जिसे आरटीआई कक्ष (GIC | Home Page (https://www.gicre.in/en)) द्वारा निरंतर अद्यतन किया जाता है और इसमें आरटीआई अधिनियम, 2005, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा केंद्रीय सूचना आयोग के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुरूप जानकारी होती है।

वित्त वर्ष 2025–26 में जीआईसी री ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत स्व–प्रेरित प्रकटन के कार्यान्वयन और उसकी लेखापरीक्षा के संबंध में कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया।

समीक्षाधीन अवधि (2025–26) के दौरान, निगम को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एक सौ सत्तानबे (197) आवेदन और पन्द्रह (15) प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं। सभी आवेदनों का विधिवत उत्तर दिया गया और अपीलों का निपटारा निर्धारित समय के भीतर कर दिया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष निगम के विरुद्ध 02 द्वितीय अपीलें दायर की गईं और सीआईसी ने उनका निपटारा किया।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन समूह (आईटीएमजी)

वित्त वर्ष 202526 के दौरान, सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन समूह (आईटीएमजी) ने मुख्य टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म को मज़बूत करके और परिचालन क्षमता व प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके जीआईसी री डिजिटल रूपांतरण एजेंडा को सपोर्ट करना जारी रखा।

वर्ष के दौरान एक मुख्य पहल /4 ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम थी, जिसमें सिस्टम को से /4 में अपग्रेड करना शामिल था। पहला चरण, जिसमें डेटाबेस को ओरेकल से में माइग्रेट करना शामिल था, 2024 की शुरुआत में सफलतापूर्वक पूरा हो गया। दूसरा चरण, जो अभी दो हिस्सों में चल रहा है, /4 पर –आधारित एप्लिकेशन को लागू करके बिज़नेस प्रोसेस को और बेहतर बनाने, प्रणाली के प्रदर्शन को सुधारने और डेटा प्रसंस्करण व रिपोर्टिंग क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है।

इसके साथ ही, संगठन ने दक्षता, स्वचालन और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 'प्रूफ ऑफ़ कॉन्सेप्ट' और प्रोजेक्ट शुरू किए। मुख्य पहलों में माइक्रोसाफ्ट 365 इकोसिस्टम में माइक्रोसाफ्ट को अपनाना शामिल था, ताकि इंटेलिजेंट कंटेंट क्रिएशन, डेटा विश्लेषण, सारांशीकरण और दैनंदिन कार्यों का स्वचालन किया जा सके। एआई –आधारित प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन को 'इनवॉइस प्रोसेसिंग कॉकपिट'के विकास के ज़रिए भी आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि के साथ आसानी से जुड़कर इनवॉइस पढ़ने और डेटा निकालने का कार्य स्वचालित हो सके; इससे सटीकता बढ़ती है और भुगतान प्रसंस्करण में मैन्युअल हस्तक्षेप कम होता है।

इसके अलावा, 'रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन'(RAG)–आधारित असिस्टेंट और 'एजेंटिक एआई' समाधानों का इस्तेमाल करके संदर्भ–समझने वाली इनसाइट्स और एनालिटिक्स तैयार करने पर केंद्रित एक समर्पित टीम बनाकर आंतरिक एआई क्षमताओं को मज़बूत किया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य संरचित और असंरचित उद्यम डेटा का लाभ उठाकर जानकारी तक पहुँच को बेहतर बनाना और पूरे संगठन में डेटा–आधारित निर्णय लेने में मदद करना है।

प्रशिक्षण/मानव संसाधन विकास

शिक्षण एवं विकास/प्रशिक्षण:

जीआईसी री की शिक्षण एवं विकास (एलएंडडी) नीति आंतरिक क्षमताओं के विकास, प्रभावी कार्य–निष्पादन को सक्षम बनाने और ज्ञान–संचालित कार्यबल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। जीआईसी री यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसके कर्मचारी वर्तमान और भविष्य की संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल और दक्षताओं से सुसज्जित हों। हमारी शिक्षण पहल व्यक्तिगत लक्ष्यों को निगम के रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करती है, हमारी वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ करती है और हमारी तकनीकी एवं नेतृत्व क्षमताओं को उन्नत करती है।

2025–26 में, जीआईसी री ने सभी स्तरों पर व्यापक प्रशिक्षण हस्तक्षेप प्रदान करके कर्मचारी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का विस्तार किया। कुल 59 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 503 कर्मचारी (कुल 1475 कार्यक्रम प्रतिभागी) लाभान्वित हुए। इनमें प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों, आंतरिक संसाधनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों के माध्यम से दिए गए तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण सत्र शामिल थे।

प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सारांश नीचे दिया गया है:

2025–26 की अवधि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण का प्रकार	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
देशी प्रशिक्षण	51	458
आंतरिक प्रशिक्षण + ऑनलाइन प्रशिक्षण	6	1013 (110 + 903)
विदेशी प्रशिक्षण	2	4
कुल	**59**	**1475**

वर्ष की प्रशिक्षण पहलों की मुख्य विशेषताएँ:

1. पुनर्बीमा, विमानन बीमा, इंजीनियरिंग बीमा, संपत्ति (अग्नि) बीमा, मोटर बीमांकन और दावा (स्वयं का नुकसान और थर्ड पार्टी), कृषि बीमा और दावा प्रबंधन जैसे मुख्य बीमा क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक विस्तृत श्रृंखला चलाई गई, जिससे पूरे संगठन में उस क्षेत्र की विशेषज्ञता मजबूत हुई।
2. डिजिटल क्षमताओं और निर्णय लेने के कौशल को बेहतर बनाने के लिए उभरती हुई टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स पर विशेष जोर दिया गया। इसके लिए बीमा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनरेटिव एआई के इस्तेमाल पर सर्टिफिकेट कोर्स, इंश्योरेंस एनालिटिक्स और एआई के लिए पॉयथन, डैशबोर्ड डेवलपमेंट के लिए, एडवांस्ड एक्सेल और डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे प्रोग्राम आयोजित किए गए।
3. जवाबदेही और बेहतरीन तौर-तरीकों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए अभिशासन, अनुपालन और विनियामक ढांचे में क्षमता निर्माण को मजबूत किया गया। इसके लिए सार्वजनिक खरीद, के जरिए ई-प्रोक्योरमेंट, वित्तीय और सेवा नियम, आरटीआई, सुशासन और पारदर्शिता, सतर्कता जागरूकता, आरोप पत्र तैयार करना और जांच/प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए।
4. बदलते जोखिमों से निपटने के लिए कर्मचारियों को तैयार करने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित बीमा क्षेत्र के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा और उद्यम जोखिम प्रबंधन जैसे विशेषीकृत कार्यक्रम आयोजित किए गए।
5. भावनात्मक बुद्धिमत्ता और कार्य-जीवन संतुलन, नेतृत्व विकास, सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण, प्रभावशाली मानव संसाधन प्रबंधन और युवा अधिकारियों के लिए कार्यक्रम जैसी पहलों के ज़रिए व्यवहार, प्रबंधन और नेतृत्व से जुड़ी क्षमताओं को मज़बूत किया गया, जिससे प्रभावशाली नेतृत्व और सहयोग का माहौल बना।
6. गैर-वित्त कार्यपालकों के लिए वित्त, परियोजना प्रबंधन और वित्तीय प्रबंधन, बीमा खाता कार्यपालक और प्रत्यक्ष कर पुनश्चर्या कोर्स जैसे कार्यक्रमों के ज़रिए वित्तीय परिचालनों और नियंत्रणों की बेहतर समझ बनाने के लिए वित्तीय और प्रबंधन से जुड़ी समझ को बढ़ाया गया।
7. सभी संवर्गों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण नीति, दिव्यांग लोगों के लिए सेवाओं की सुलभता, कार्य-जीवन संतुलन, वेलनेस प्रोग्राम और सेवानिवृत्ति योजना पर कार्यशाला के ज़रिए समावेश, सुलभता और कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता दी गई।
8. इंडक्शन ट्रेनिंग (जिसमें बैच भी शामिल है), मास्टर ट्रेनर्स प्रोग्राम और लाइफ री-नॉलेज एनरिचमेंट प्रोग्राम के ज़रिए सीखने के व्यवस्थित तरीकों को मज़बूत किया गया, जिससे सभी स्तरों पर लगातार सीखने और जानकारी साझा करने की प्रक्रिया बनी रही।
9. बीमा धोखाधड़ी प्रबंधन, (महिलाओं के विरुद्ध हिंसा) के तहत जांच और रिपोर्टिंग, मोटर बीमांकन कौशल और जनता की शिकायतों का समाधान जैसे विशेषीकृत कार्यक्रमों ने परिचालनात्मक दक्षता और सतर्कता को और बेहतर बनाया।
10. प्रशिक्षण विभाग ने एमएस ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स ट्रेनिंग जैसे खास तौर पर तैयार किए गए ऑनलाइन प्रोग्राम देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया, जिससे कर्मचारियों को आसानी से और अपनी सुविधा के अनुसार सीखने के अवसर मिले।

इन अलग-अलग और केंद्रित प्रशिक्षण पहलों के ज़रिए, जीआईसी री ने तकनीकी महारत, डिजिटल तैयारी और नैतिक कामकाज को बढ़ावा देकर अपने मानव संसाधन को मज़बूत करना जारी रखा है। इससे एक मज़बूत, भविष्य के लिए तैयार और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला कार्यबल तैयार हुआ है।

विदेश में विस्तार

शाखा कार्यालयों, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से परिचालन का विदेशी विस्तार, व्यावसायिक विकास रणनीति का एक अभिन्न अंग है ताकि दुनिया भर के कई देशों में परिचालन की पहुँच का विस्तार किया जा सके। निगम विकसित देशों, जहाँ माँग अधिक है और विकासशील देशों, जहाँ माँग बढ़ रही है, दोनों में, अपनी क्षमता का कुशलतापूर्वक उपयोग करके और अतिरिक्त स्थायी आय के अवसर सृजित करके नए बाज़ारों में विस्तार का लक्ष्य रखता है। विस्तार योजनाएँ बाज़ार के अवसरों के अध्ययन के आधार पर तैयार की जाती हैं, जो संभावित बाज़ारों में व्यवसाय, कार्य वातावरण और नियमों की समझ पर आधारित होती हैं। निगम दोनों पक्षों की विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ उठाने और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए विदेशों में पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ रणनीतिक साझेदारी भी कर रहा है।

बीमा कंपनियों में निवेश

घरेलू परिचालन

- **एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसीआईएल)**

निगम के पास एआईसीआईएल की 35% इक्विटी है और नाबार्ड के पास 30% इक्विटी है, जबकि शेष 8.75% की सीमा तक चार सार्वजनिक क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियों के पास समान रूप से धारित है।

विदेशी परिचालन

निगम के तीन विदेशी कार्यालय हैं, अर्थात् लंदन, दुबई और मलेशिया में शाखा कार्यालय।

इसके अलावा, निगम की तीन पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ हैं यानि जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड, जोहान्सबर्ग; जीआईसी री इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड, लंदन और जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी एलएलसी, मॉस्को हैं। निगम ने केन्या स्थित केनइंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केन्या, इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर, एशियन रीइंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बैंकॉक, ईस्ट अफ्रीका रीइंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केन्या और जीआईसी भूटान री लिमिटेड, भूटान की शेयर पूँजी में भी निवेश किया है।

- **लंदन शाखा (यूके)**

  चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, शाखा का सकल लिखित प्रीमियम 173.52 मिलियन जीबीपी है, जबकि पिछले वर्ष यह 155.51 मिलियन जीबीपी था। शाखा ने पिछले वर्ष 4.4 मिलियन जीबीपी के लाभ की तुलना में 2.7 मिलियन जीबीपी की हानि (कर के बाद) दर्ज की।

- **दुबई शाखा (यूएई)**

  वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, शाखा ने 21.75 मिलियन एईडी का सकल प्रीमियम दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष यह 35.70 मिलियन एईडी था और कर पश्चात लाभ 65.03 मिलियन एईडी अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष यह 92.20 मिलियन एईडी था।

- **मलेशिया शाखा**

  वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, शाखा ने 621.27 मिलियन मलेशियाई रिंगित का सकल लिखित प्रीमियम दर्ज किया, जो पिछले वर्ष के 610.41 मिलियन मलेशियाई रिंगित से अधिक है। कर–पश्चात लाभ 125.17 मिलियन मलेशियाई रिंगित है, जबकि पिछले वर्ष यह 54.11 मिलियन मलेशियाई रिंगित था।

- **केनइंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केन्या**

  केनइंडिया में निगम की शेयरधारिता 13.75% है, जिसकी चुकता शेयर पूंजी 1500 मिलियन केन्याई शिलिंग है। 31 दिसंबर, 2026 को निगम के पास कुल 2,062,404 शेयर हैं, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 100 केन्याई शिलिंग है। कंपनी ने पिछले वर्ष 1249.37 मिलियन केन्याई शिलिंग के कर–पश्चात शुद्ध लाभ की तुलना में 1253.35 मिलियन केन्याई शिलिंग का कर–पश्चात शुद्ध लाभ दर्ज किया। कंपनी के बोर्ड ने 31 दिसंबर 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति शेयर 7.50 केन्याई शिलिंग का लाभांश देने की सिफारिश की।

- **इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर**

  इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड में निगम की शेयरधारिता 20% है, जिसकी शेयर पूंजी 50 मिलियन सिंगापुर डॉलर है। कंपनी में निगम की कुल शेयरधारिता 10 मिलियन शेयर है, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 1 सिंगापुर डॉलर है।

  कंपनी ने पिछले वर्ष 50.63 मिलियन सिंगापुर डॉलर के लाभ की तुलना में 43.75 मिलियन सिंगापुर डॉलर का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

  निदेशकों ने वर्ष 2025 के लिए 50 मिलियन सिंगापुर डॉलर की चुकता पूंजी पर 10% का प्रथम और अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है।

- **एशियन रीइंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बैंकॉक**

  निगम एशियन रीइंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के सहयोगी सदस्य के रूप में 6.16% शेयर पूंजी धारित करता है, इसके अलावा भारत सरकार की ओर से इसके नियमित सदस्य के रूप में 0.97% शेयर पूंजी धारित करता है। एशियन री ने 2024 में 7.01 मिलियन अमरीकी डॉलर के लाभ की तुलना में 2025 में 6.70 मिलियन अमरीकी डॉलर का लाभ कमाया है। एशियन री ने शेयरधारकों की सभा की 20वीं बैठक में 31 दिसंबर 2025 तक बकाया कुल चुकता शेयर पूंजी के 0.5% की दर से नकद लाभांश की घोषणा की।

- **ईस्ट अफ्रीका रीइंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केन्या**

  केन्या की एक मौजूदा लाभ कमाने वाली पुनर्बीमा कंपनी, ईस्ट अफ्रीका रीइंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की शेयर पूंजी में निगम की 14.7521% हिस्सेदारी है। 31 दिसंबर 2025 तक, निगम की कुल शेयरधारिता 1,000 केन्याई शिलिंग के 221,281 शेयर हैं।

  कंपनी ने पिछले वर्ष में 804.33 मिलियन केन्याई शिलिंग के लाभ की तुलना में 864.04 मिलियन केन्याई शिलिंग का लाभ कमाया है।

  बोर्ड ने वर्ष 2025 के लिए 300 मिलियन केन्याई शिलिंग (200 केन्याई शिलिंग प्रति शेयर) के कुल लाभांश की सिफारिश की है, जो कर–पश्चात लाभ के 35% के बराबर है।

- **जीआईसी भूटान री लिमिटेड**

  भूटान की यह पुनर्बीमा कंपनी निगम और स्थानीय भूटानी प्रवर्तकों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। उद्यम ने दिसंबर 2013 में मजीआईसी भूटान री लिमिटेडफनाम से अपना परिचालन शुरू किया।

  निगम की संयुक्त उद्यम में 26% हिस्सेदारी है और 31 दिसंबर 2025 तक उसके पास 10 नेगुलत्रम मूल्य के 28,600,000 शेयर थे। शेष शेयरधारिता स्थानीय भूटानी प्रवर्तकों (29%) के पास है और (45%) शेयर जनता के पास हैं।

  कंपनी ने 2025 में 369.65 मिलियन नेगुलत्रम (कर–पश्चात लाभ) का लाभ कमाया है, जबकि 2024 में 339.02 मिलियन नेगुलत्रम (कर–पश्चात लाभ) का लाभ हुआ था।

  कंपनी ने आरएमए नियमों के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 को समाप्त वर्ष के लिए 20% लाभांश घोषित किया है।

- **जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड**

  जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड, कॉर्पोरेशन की पहली 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) है, जिसने 1 जनवरी 2015 से अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। अधिग्रहण के समय, कंपनी जीवन और गैर–जीवन दोनों व्यवसायों के लिए रन–ऑफ में थी। निगम के पास 31 मार्च 2026 तक जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड की 100% इक्विटी के साथ सभी 647,168,310 जारी किए गए बिना सममूल्य वाले साधारण शेयर हैं, जिनका बही मूल्य 1,427,577,155 है।

- **जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड**

  एक प्रतिष्ठित वैश्विक पुनर्बीमाकर्ता बनने के उद्देश्य से, निगम ने 2011 से कोटा शेयर पूंजी गियरिंग संधियों के माध्यम से लॉयड्स सिंडिकेट्स को पुनर्बीमा क्षमता प्रदान करके लंदन के लॉयड्स में विस्तार किया है। एक क्षमता प्रदाता के रूप में, निगम के लिए लॉयड्स में अपना स्वयं का कॉर्पोरेट सदस्य होना आवश्यक था। निगम ने नवंबर 2013 में एक मौजूदा कॉर्पोरेट सदस्य कंपनी I-CAT CCM TEN Ltd. का अधिग्रहण किया और इसका नाम बदलकर जीआईसी री, इंडिया, कॉर्पोरेट मेंबर लिमिटेड कर दिया, जो यूके में एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है। कंपनी ने 2014 में पुनर्बीमा परिचालन शुरू किया। कंपनी द्वारा बीमांकित किया गया व्यवसाय निगम द्वारा पूरी तरह से पुनर्बीमित है। कंपनी ने इस वर्ष के लिए किसी भी लाभांश के भुगतान की घोषणा नहीं की है

- **जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी एलएलसी**

  जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी एलएलसी (जीआईसी री रशिया) ने अगस्त 2020 में अपना परिचालन शुरू किया। वर्ष 2022 के दौरान, रूस और यूक्रेन से जुड़े भू–राजनीतिक संकट के कारण, जीआईसी री रशिया ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को केवल रूसी संघ तक ही सीमित रखा। स्थानीय पुनर्बीमा बाजार में बदलती गतिशीलता के कारण इसकी आय में भारी गिरावट देखी गई है और इसलिए, यह निकट भविष्य में अपनी रणनीतियों को फिर से व्यवस्थित करने के लिए उभरती स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही है। सहायक कंपनी ने 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाले अपने वित्तीय वर्ष का समापन 1181 मिलियन रूबल के सकल लिखित प्रीमियम के साथ किया। अर्जित प्रीमियम की तुलना में निवल उपगत दावा अनुपात 93% था।

इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता

निगम के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं।

सार्वजनिक जमाएँ

निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के अंतर्गत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है

निदेशक एवं अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

31 मार्च 2026 तक, निगम के निदेशक मंडल में पांच (5) निदेशक थे, जिनमें एक (1) स्वतंत्र निदेशक, दो (2) सरकारी नामिति निदेशक और एक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित तीन (2) कार्यपालक निदेशक शामिल थे।

कोई भी निदेशक निगम के किसी अन्य निदेशक से संबंधित नहीं है।

बोर्ड, समितियों, मुख्य प्रबंध कार्मिक और वरिष्ठ प्रबंधन की संरचना और परिवर्तन, बैठकों का विवरण कॉर्पोरेट अभिशासन प्रतिवेदन में दिया गया है

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। स्वतंत्र निदेशकों ने पुष्टि की है कि उन्होंने भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (IICA) द्वारा बनाए गए डेटाबेस में पंजीकरण कराया है।

निगम, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, वित्त मंत्रालय (MoF) के प्रशासनिक नियंत्रण में है, निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास है। निदेशकों की नियुक्ति, स्क्रीनिंग, समीक्षा और अनुपालन सहित उचित प्रक्रियाओं के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशकों में ईमानदारी और अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव है।

निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक हेतु नीति

एक सरकारी कंपनी होने के नाते निगम को 5 जून 2015 की एमसीए अधिसूचना के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ई) के अंतर्गत सूचना प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है।

मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक हेतु नीति

निगम के एक सरकारी कंपनी होने के नाते, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अंतर्गत आचार संहिता

निगम ने निदेशकों, कर्मचारियों और संबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूतियों में व्यापार को विनियमित, निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए एक आचार संहिता लागू की है, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुरूप है। यह संहिता निगम के कर्मचारियों, नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम रिश्तेदारों और संबद्ध व्यक्तियों पर, जहाँ तक लागू हो, लागू होती है। संहिता का उद्देश्य नामित व्यक्तियों द्वारा किसी भी तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करना और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना तथा 'जानने की आवश्यकता' के आधार पर सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निगम सीवीसी दिशानिर्देशों के अधीन है और निगम का एक अलग सतर्कता विभाग है जो सतर्कता मामलों का प्रबंधन करता है।

निगम के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति है और इसे निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

कॉर्पोरेट अभिशासन

निगम अपने कामकाज में पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाता रहता है। कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट को इस वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग रूप में एक अलग खंड के रूप में शामिल किया गया है।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्टिंग

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 34 के तहत निर्धारित व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट वार्षिक प्रतिवेदन का हिस्सा है और इसे निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है और इसे www.gicre.in पर देखा जा सकता है।

सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के अनुसार, निगम के प्रबंध निदेशक, सीईओ और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर प्रमाणन प्राप्त कर लिया गया है।

अदावाकृत उचंत खाते का विवरण

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची के भाग एफ के साथ पठित विनियम 39 के अनुसार हमारे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, अर्थात केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए अदावाकृत उचंत खाते का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
1	01.04.2025 को शेयरधारकों और अदावाकृत बकाया शेयरों की कुल संख्या	01	32
2	वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयरों के अंतरण के लिए सूचीबद्ध इकाई से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	0	0
3	वर्ष के दौरान उचंत खाते से जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए उनकी संख्या	0	0
4	31.03.2026 को शेयरधारकों और अदावाकृत बकाया शेयरों की कुल संख्या	01	32

निदेशकों की जिम्मेदारी का वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

1. वार्षिक लेखा तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं;
2. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में निगम की स्थिति और उस अवधि के लिए निगम के लाभ और हानि की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जा सके;
3. निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;
4. निदेशकों ने कार्यशील संस्था के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं;
5. निदेशकों ने निगम द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं; और
6. निदेशकों ने लागू कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और ये प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

अन्य प्रकटन

निगम के वित्तीय वर्ष, जिससे ये वित्तीय विवरण संबंधित हैं, की समाप्ति और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच निगम की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई भी भौतिक परिवर्तन या वचनबद्धता नहीं हुई है।

विनियामक/न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है जो निगम की क्रियाशील संस्था की स्थिति और उसके भावी परिचालन को प्रभावित करेगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार –7 में वार्षिक विवरणी निगम की वेबसाइट www.gicre.in पर उपलब्ध है।

बोर्ड की बैठकें

निगम ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान सात (7) बोर्ड बैठकें आयोजित कीं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

30 अप्रैल 2025
26 मई 2025
07 अगस्त 2025
12 नवंबर 2025
16 जनवरी 2026
07 फरवरी 2026
14 मार्च 2026

सचिवीय मानक

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, निगम बोर्ड और आम बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी अनिवार्य रूप से लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया।

संसद के समक्ष लेखा का प्रस्तुतीकरण

जैसाकि वित्त मंत्रालय, बीमा प्रभाग द्वारा पुष्टि की गई है, निगम की वर्ष 2024–25 का वार्षिक प्रतिवेदन और निदेशकों का प्रतिवेदन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

लोकसभा 08 दिसंबर 2025

राज्यसभा 09 दिसंबर 2025

आभार

निगम भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के निरंतर सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभारी है। निगम अपने निवेशकों, रेटिंग एजेंसियों, डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट और स्टॉक एक्सचेंजों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है।

निगम वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक और लेखा परीक्षा बोर्ड–, मुंबई के पदेन सदस्य से प्राप्त निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता है।

निदेशकगण संगठन के विकास और सफलता में सभी कर्मचारियों के उत्कृष्ट योगदान, समर्थन और प्रतिबद्धता के लिए प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अंत में, निदेशकगण सदस्यों के विश्वास और समर्थन के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–

(हितेश जोशी)

कार्यपालक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक)

दिनांक: 26 मई 2026

स्थान: मुंबई

31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

जीआईसी के विजन के अनुरूप, निगम की सीएसआर नीति और कार्यक्रम भारतीय समाज की सामाजिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को एकीकृत करके भारत को जोखिम–विरोधी समाज से जोखिम–जागरूक समाज में बदलने का प्रयास करते हैं। यह नीति क्षमता निर्माण, समुदायों के सशक्तिकरण, समावेशी सामाजिक–आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, पिछड़े क्षेत्रों के विकास और समाज के हाशिए पर और वंचित वर्गों के उत्थान पर केंद्रित है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

31 मार्च 2026 तक, सीएसआर समिति में 3 सदस्य (1 स्वतंत्र निदेशक सहित) शामिल हैं और वर्ष (वित्त वर्ष 2025–26) के दौरान आयोजित बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशकताका स्वरूप	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्री रामस्वामी नारायणन#	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अध्यक्ष)	2	2
2	सुश्री ए. मणिमेखलाई##	स्वतंत्र निदेशक	1	0
3	सुश्री विनीता कुमारी###	स्वतंत्र निदेशक	4	4
4	श्री हितेश जोशी	कार्यपालक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी) (अध्यक्ष)	4	4
5	सुश्री राधिका सी.एस.####	कार्यपालक निदेशक	1	1
6	सुश्री जयश्री बालकृष्ण*	कार्यपालक निदेशक	2	2
7	श्री अश्विनी कुमार**	स्वतंत्र निदेशक	0	0

#30.09.2025 से सदस्य नहीं रहे *##03.06.2025 से सदस्य नहीं रहीं*
###23.03.2026 से सदस्य नहीं रहीं *####30.06.2025 से सदस्य नहीं रहे*
**07.08.2025 से सदस्य के रूप में नियुक्त* ***24.03.2026 से सदस्य के रूप में नियुक्त*

3 वह वेब–लिंक जहाँ कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटन किया गया है।

सीएसआर समिति की संरचना – https://www.gicre.in/images/2026/Committees_as_on_24032026.pdf
सीएसआर नीति – https://www.gicre.in/images/2026/CSR-Policy-2025-Ver-10.pdf
अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएँ – https://www.gicre.in/images/2026/CSR_Activities_25-26.pdf

4. कंपनी (निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (प्रतिवेदन संलग्न करें)।

निम्नलिखित के साथ किया गया परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन अध्ययन:

1. **महेश फ़ाउंडेशन – बेलगावी, कर्नाटक (पूरी हो चुकी परियोजना)** – महेश फ़ाउंडेशन एक एनजीओ है जो पिछले 16 वर्षों से एचआईवी–पॉज़िटिव और ज़रूरतमंद बच्चों की भलाई के लिए काम कर रहा है। यह फ़ाउंडेशन एचआईवी–पॉज़िटिव और ज़रूरतमंद बच्चों को रहने की जगह, अच्छा खाना, हेल्थकेयर और शिक्षा मुहैया करा रहा है। पिछले दस सालों से उनका मुख्य ध्यान इन बच्चों को शिक्षा देने पर रहा है ताकि वे सम्मान के साथ जी सकें। जीआईसी री ने महेश फ़ाउंडेशन के साथ मिलकर एक परियोजना पर काम किया, जिसके तहत 2000 एचआईवी –पॉज़िटिव और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए स्कूल की नई बिल्डिंग बनाना, दो नई स्कूल बसें खरीदना और भारत के बेलगावी, कर्नाटक में मनई उम्मीदफ बीपीओ सेंटर शुरू करना शामिल था।

2. **करुणा मेडिकल सोसाइटी (पूरी हो चुकी परियोजना)** – मुंबई में स्थित करुणा हॉस्पिटल को 'मिशन सिस्टर्स ऑफ़ अजमेर' चलाती हैं। यह धार्मिक बहनों (ननों) का एक भारतीय समूह है, जिन्होंने महिलाओं, लड़कियों और हमारे समाज के शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों की भलाई के लिए काम करने के ईसा मसीह के बुलावे को अपनाया है। करुणा हॉस्पिटल अभी कई तरह के लोगों की सेवा कर रहा है, जिनमें कम आय वाले और वंचित लोग बड़ी संख्या में शामिल हैं। यह कम कीमत पर इलाज और रिज़र्व बेड जैसी सुविधाएँ देता है। यहाँ मुंबई के उपनगर अंधेरी से लेकर शहर के उत्तर में स्थित दहानू कस्बे तक के मरीज़ों का इलाज और पूरी तरह से ठीक होने में मदद की जाती है। जीआईसी री ने बोरीवली, मुंबई में करुणा मेडिकल सोसाइटी के लिए तीन ज़रूरी डायग्नोस्टिक मशीनें खरीदने में मदद की है: मैग्नेटिक रेज़ोनेंस इमेजिंग (MRI) मशीन, मैमोग्राफी मशीन और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर (BMD)।
3. **रूबल नागी आर्ट फ़ाउंडेशन (आरएनएएफ) (पूरी हो चुकी परियोजना)–** रूबल नागी आर्ट फ़ाउंडेशन (RNAF) 13 वर्ष पुरानी एक गैर–लाभकारी संस्था है। इसे इस सोच के साथ बनाया गया था कि सभी बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले जिससे वे संवेदनशील, ज़िम्मेदार और काम के नागरिक बन सकें। इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए आरएनएएफ के चार प्रोग्राम हैं: रौनक, लर्न टू अर्न, क्रेयॉन और मिसाल मुंबई। मिसाल मुंबई प्रोग्राम का मकसद भारत की झुग्गियों और गाँवों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बदलना है। जीआईसी री ने मुंबई (महाराष्ट्र) के महालक्ष्मी और कोलाबा के धोबी घाट इलाकों की झुग्गियों में बदलाव लाने के लिए आरएनएएफ के साथ मिलकर काम किया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद झुग्गी–बस्ती वाले इलाकों को साफ़–सुथरा और हाइजीनिक बनाना है। इसके लिए मकम्युनिटी आर्टफ (सामुदायिक कला) को मुख्य ज़रिया बनाया गया है, ताकि साफ़–सफ़ाई, स्वच्छता अभियान, आम बीमारियों के बारे में जागरूकता, हेल्थ कैंप, स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा जैसे कामों को आगे बढ़ाया जा सके।

   वेबसाइट पर प्रभाव आकलन प्रतिवेदन के लिए लिंक

   https://www.gicre.in/images/2026/Impact_Assessment_Report_Karuna_Hospital.pdf

   https://www.gicre.in/images/2026/Impact_Assessment_Report_Mahesh_Foundation.pdf

   https://www.gicre.in/images/2026/Impact_Assessment_Report_Rouble_Nagi_Art_Foundation.pdf

5. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ – **₹ 6789,00,00,000 (पिछले 3 वर्षों के लिए)**
   (ख) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत – **₹ 135,78,00,000**
   (ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष – **शून्य**
   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो – **शून्य**
   (ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख)+(ग)–(घ)] – **₹ 135,78,00,000**

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अलावा अन्य दोनों): **₹ 135,65,90,491**
   (ख) प्रशासनिक उपरिव्ययों में व्यय राशि: **शून्य**
   (ग) प्रभाव आकलन पर व्यय राशि, यदि लागू हो **: ₹ 12,09,509**
   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)] : **₹135,78,00,000**
   (ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ में)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
69,27,92,510.05	66,50,07,489.95	27.04.2026	–	–	लागू नहीं

(ख) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो – शून्य

क्रम संख्या	विवरण	राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	135,78,00,000.00
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	69,27,92,510.05
(iii)	वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	0.00
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	0.00
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	0.00

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च न की गई निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण:

पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अंतर्गत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ में)	धारा 135 की उपधारा 6 के अंतर्गत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में शेष राशि (₹ में) (01.04.2025 को)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ में) (वि.व.2025–26)	धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ में)	कमी, यदि कोई हो
				राशि (₹ में)	अंतरण की तारीख		
FY-1 (2022-23)	6,20,53,326.32	6,77,910.68	6,77,910.68	6,77,910.68	01.09.2025	0	शून्य
FY-2 (2023-24)	63,77,58,072.70	26,44,37,188.00	7,16,40,619.60	शून्य	शून्य	19,27,96,568.40	शून्य
FY-3 (2024-25)	52,14,03,818.92	52,14,03,818.92	37,44,57,051.11	शून्य	शून्य	14,69,46,767.81	शून्य

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई: निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति सृजित गई है या अर्जित की गई है?

☐हाँ ☒नहीं

यदि हाँ, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें।

वित्तीय वर्ष में निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से सृजित या अर्जित की गई ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्रम संख्या	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण जिसमें संपत्ति का पूरा पता और स्थान शामिल हो	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का पिन कोड	सृजन की तारीख	सीएसआर पर खर्च की गई राशि	पंजीकृत स्वामी की संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		

9. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएँ।

कंपनी ने ₹135,78,00,000.00 के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च किया है।

वर्ष 2025–26 के दौरान कंपनी ने विभिन्न परियोजनाओं पर ₹69,27,92,510.05 खर्च किए। चालू परियोजनाओं से संबंधित ₹66,50,07,489.95 की खर्च न हुई राशि अधिनियम की धारा 135(6) के प्रावधानों के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते–चालू परियोजनाएं वित्त वर्ष 2025–26 में अंतरित की गई है।

हस्ता/–
हितेश जोशी
कार्यपालक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
(अध्यक्ष – सीएआर समिति)

प्रपत्र संख्या एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार

(31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)

सेवा में,

सदस्यगण,

भारतीय साधारण बीमा निगम

सुरक्षा, 170 जे टाटा रोड,

चर्चगेट, मुंबई–400020, महाराष्ट्र

हमने **भारतीय साधारण बीमा निगम (सीआईएन: L67200MH1972GOI016133)** (इसमें इसके पश्चात ''निगम'' के रूप में उल्लिखित) द्वारा 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखा–परीक्षा की है। सचिवीय लेखा–परीक्षा इस तरह से की गई जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया;

निगम द्वारा रखी गई बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्मों और विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान निगम, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा प्रतिवेदन करते हैं कि हमारी राय में, निगम ने 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि निगम के पास इस रिपोर्टिंग के अधीन और इस तरीके से इसी भांति स्वीकार्य सीमा तक उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं;

हमने 1 **अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026** तक की लेखापरीक्षा अवधि के लिए निगम द्वारा रखी गई बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दाखिल प्रपत्रोंऔर विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जाँच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: –

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009; ***(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई)***

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; ***(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई)***

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008; ***(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई)***

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2021; ***(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं)***

(छ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993; ***(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं)***

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021; ***(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं)***

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018। ***(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं)***

(vi) प्रबंधन ने निम्नलिखित अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों को विशेष रूप से निगम पर लागू होने के रूप में चिह्नित और पुष्टि की है: –

क. बीमा अधिनियम, 1938, उसके बाद किए गए संशोधनों सहित;

ख. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 और विनियम;

ग. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी निगमीय अभिशासन दिशानिर्देश, 2016;

हमने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों और खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है:

- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 ''सेबी (एलओडीआर)''।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निगम ने नीचे उल्लिखित को छोड़कर अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 17 (1) (क) के अनुसरण में , निगम 24 मार्च, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक अपने बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक रखने की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका।
- सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 17 (1) (ख) के अनुसरण में, निगम निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक रखने की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका।
- सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 17 (1) (ग) के अनुसरण में, निगम 04 जून, 2025 से 24 जुलाई, 2025 और 24 मार्च, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक कम से कम छह निदेशक रखने की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका।
- सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 18 (1) (ख) के अनुसरण में, निगम लेखापरीक्षा समिति के गठन की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि समिति में 04 जून, 2025 से 29 जुलाई, 2025 और 24 मार्च, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक ज़रूरी दो–तिहाई स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।
- सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 19 (1) (ग) के अनुसरण में,, निगम नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि समिति में 04 जून, 2025 से 29 जुलाई, 2025 और 24 मार्च, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक ज़रूरी दो–तिहाई स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।

हम यह भी सूचित करते हैं कि

- निगमों के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है (ऊपर उल्लिखित को छोड़कर) और समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं।
- बोर्ड की बैठकों को आयोजित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।
- अध्यक्ष द्वारा विधिवत दर्ज और हस्ताक्षरित बोर्ड के कार्यवृत्त के अनुसार, बोर्ड के निर्णय अपेक्षित बहुमत से लिए गए थे।
- कार्यसूची मदों को पारित करने से पहले उन पर विचार–विमर्श किया जाता है और निदेशकों द्वारा दिए गए विचार/टिप्पणियाँ कार्यवृत्त में दर्ज की जाती हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि निगम द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की समीक्षा के आधार पर, निगम के आकार और परिचालन के अनुरूप निगम में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं, जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करती हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में निम्नलिखित घटनाएँ/कार्रवाइयाँ हुई हैं।

1. 17 अप्रैल, 2025 से श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन की निगम के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति;
2. 17 अप्रैल, 2025 से डॉ. एम. पी. तंगिराला निगम के नामिती निदेशक नहीं रहे;
3. 30 अप्रैल, 2025 से श्री सतीश कुमार की निगम के अनुपालन अधिकारी और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नियुक्ति;
4. 3 जून, 2025 से सुश्री ए. मणिमेखलाई निगम की स्वतंत्र निदेशक नहीं रहीं;
5. 30 जून, 2025 से सुश्री राधिका सी. एस. निगम की कार्यपालक निदेशक नहीं रहीं;
6. 23 जुलाई, 2025 से सुश्री जयश्री बालकृष्ण की निगम के कार्यपालन निदेशक के रूप में नियुक्ति;
7. 24 जुलाई, 2025 से श्री तपन कुमार मंडल की निगम के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति;
8. 30 जुलाई, 2025 से श्री अश्वनी कुमार की निगम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति;
9. वित्त वर्ष 2024–25 के लिए निगम के इक्विटी शेयरों पर प्रति शेयर 10 रुपये के लाभांश की घोषणा और भुगतान।

10. 30 सितंबर, 2025 से श्री रामस्वामी नारायणन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे;
11. 01 अक्टूबर, 2025 से कार्यपालक निदेशक श्री हितेश रमेश चंद्र जोशी को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपना;
12. 23 मार्च, 2026 से सुश्री विनीता कुमारी निगम की स्वस्तंत्र निदेशक नहीं रहीं।

कृते रागिनी चोकशी एंड कंपनी
(कंपनी सचिव)
हस्ता/–
रागिनी चोकशी
एफसीएस संख्या: 2390
सीपी संख्या: 1436
यूडीआईएन: F002390H000488821
सहकर्मी समीक्षा संख्या: 4166/2023
फर्म पंजीकरण संख्या: 92897

स्थान: मुंबई
दिनांक: 26.05.2026

यह रिपोर्ट हमारे सम संख्यक दिनांक के पत्र के साथ पढ़ी जानी है, जो अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक ''क''

सेवा में:

सदस्यगण,

भारतीय साधारण बीमा निगम

सुरक्षा, 170 जे टाटा रोड,

चर्चगेट, मुंबई–400020, महाराष्ट्र

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सम दिनांकित सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव निगम के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय–वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने निगम के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के घटित होने के बारे में प्रबंधन से प्रतिवेदन प्राप्त किया है।
5. निगमीय अभिशासन के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जाँच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो निगम की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का जिसके साथ प्रबंधन ने निगम के कार्यों का संचालन किया है।

कृते रागिनी चोकशी एंड कंपनी
(कंपनी सचिव)
हस्ता/–
रागिनी चोकशी
एफसीएस संख्या: 2390
सीपी संख्या: 1436
यूडीआईएन: F002390H000488821
सहकर्मी समीक्षा संख्या: 4166/2023
फर्म पंजीकरण संख्या: 92897

स्थान: मुंबई
दिनांक: 26.05.2026

फॉर्म एओसी–1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में)

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

भाग ''क'': सहायक कंपनियां

(प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में जानकारी ₹ में राशि के साथ प्रस्तुत की जानी है)

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	सहायक कंपनी का नाम	जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड#	जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेबर, यूके	जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी एलएलसी#
2.	सहायक कंपनी के अधिग्रहण की तारीख	24.04.2014	03.12.2013	14.11.2018
3.	संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	NO	01.01.2025 to 31.12.2025	01.01.2025 to 31.03.2026
4.	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	रैंड (R) ROE -- 1 रैंड = ₹ 5.54	ब्रिटिश पाउंड ROE --1 GBP = ₹ 125.636391	रुबल ROE-- 1RUR= ₹ 1.1629722
5.	शेयर पूंजी		97.56	1,569.92 Mln
6.	आरक्षित निधि और अधिशेष	4,952.17 Mln	657.74 Mln	443.52 Mln
7.	कुल परिसंपत्तियां		59,355.08 Mln	4,730.09 Mln
8.	कुल देयताएं		58,697.33 Mln	2,716.65 Mln
9.	निवेश		25,770.44 Mln	-*
10.	कुल कारोबार (सकल)	10,013.75 Mln	-**	1,892.38 Mln
11.	कराधान पूर्व लाभ		30.08 Mln	421.00 Mln
12.	कराधान के लिए प्रावधान		-	89.16 Mln
13.	कराधान पश्चात लाभ	210.64 Mln	30.08 Mln	331.84 Mln
14.	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य
15.	शेयरधारिता का %	100%	100%	100%

#अनंतिम वित्तीय विवरणों के अनुसार

**बैंकों में जमा राशि में निवेश को अनुसूची–11 नकद और बैंक शेष के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है और कुल परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।*

***वर्ष 2026 के लिए सकल प्रीमियम पूरी तरह से जीआईसी री को वापस कर दिया गया है और इसलिए टर्नओवर शून्य बताया गया है।*

टिप्पणी: विवरण के अंत में निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी:

1. उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका अभी परिचालन शुरू होना बाकी है – शून्य
2. वर्ष के दौरान परिसमापन की गई या बेची गई सहायक कंपनियों के नाम – शून्य

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 101046W/W100063

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.120927W

हितेश जोशी
कार्यपालक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
डीआईएन 09322218

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.:119509

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
तारीख: 26.05.2026

फॉर्म एओसी–1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप–धारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में)

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

भाग ''ख'': सहयोगी और संयुक्त उद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित विवरण

(राशि ₹ में)

क्र.स.	सहयोगी और संयुक्त उद्यम का नाम	इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड*	जीआईसी भूटान री लिमिटेड*
1.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख	01.01.2025-31.12.2025	01.01.2025-31.03.2026	01.01.2025-31.03.2026
2.	सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के सहयोगी बनने या अधिग्रहण करने की तारीख	01.01.1988	20.12.2002	05.07.2012
3.	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के शेयर			
	संख्या	10,000,000	70,000,000	28,600,000
	सहयोगी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	₹ 29,478,835	₹ 700,000,000	₹ 286,000,000
	धारिता की सीमा%	20%	35%	26%
4.	महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	यह केवल एक रणनीतिक निवेश है।		
5.	सहयोगी/संयुक्त उद्यम के समेकित न होने का का कारण			
6.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल संपत्ति	39,680.44 Mln.	91,711.00 Mln.	2,875.72 Mln.
7.	वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	3,388.10 Mln.	16,661.90 Mln.	367.68 Mln.
	i. समेकन में विचार किया गया (जीआईसी री शेयर)#	537.81 Mln.	5,831.67 Mln.	80.78 Mln.
	ii. समेकन में विचार नहीं किया गया	-	-	-

#लेखांकन नीति और नियामक प्रावधानों में अंतर के लिए समायोजन के अधीन।

**चालू वर्ष के अनंतिम वित्तीय विवरणों के अनुसार।*

1. उन सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है। – शून्य

2. वर्ष के दौरान परिसमापन की गई या बेची गई सहायक कंपनियों के नाम – शून्य

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 101046W/W100063

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.120927W

हितेश जोशी
कार्यपालक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
डीआईएन 09322218

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.:119509

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
तारीख: 26.05.2026

निगमीय अभिशासन पर प्रतिवेदन

निगमीय अभिशासन संरचनाओं, अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों की उस प्रणाली को संदर्भित करता है जिसके द्वारा निगमों को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। अभिशासन वह संरचना प्रदान करता है जिसके माध्यम से निगम अपने उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उनका पालन करते हैं, साथ ही सामाजिक, नियामक और बाजार परिवेश के संदर्भ को भी प्रतिबिंबित करते हैं। जीआईसी री अच्छे निगमीय अभिशासन में दृढ़ विश्वास रखता है और एक अच्छा निगमीय नागरिक बनने का लक्ष्य रखता है। यह दाताओं, मध्यस्थों, विनियामकों और अन्य हितधारकों का विश्वास और भरोसा हासिल करने में प्रभावी निगमीय अभिशासन के महत्व को पहचानता है।

निगम कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 सेबी (एलओडीआर) विनियम और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के लिए निगमीय अभिशासन) विनियम, 2024 (आईआरडीएआई सीजी विनियम) की अभिशासन और प्रकटन अपेक्षाओं का पालन करता है।

निदेशक मंडल:

निगम का कामकाज अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक निदेशक मंडल द्वारा संचालित किया जाता है। 31 मार्च 2026 को, निगम के निदेशक मंडल में पाँच (5) निदेशक हैं, जिनमें तीन (3) गैर–कार्यपालक निदेशक (जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक

शामिल है) और दो (2) कार्यपालक निदेशक (सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले एक कार्यपालक निदेशक सहित) शामिल हैं। कोई भी निदेशक एक–दूसरे से संबंधित नहीं है और सभी निदेशकों ने निगम के साथ एक प्रसंविदा विलेख निष्पादित किए हैं।

- बोर्ड नीतियों, रणनीतियों, सभी कार्यों में जोखिम प्रबंधन, पूंजी आवश्यकता का अनुमान, राजस्व के ज़रिया, खर्च और लाभप्रदता सहित व्यवसाय को समग्र दिशा देता है; यह बीमा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों और उस पर लागू अन्य सांविधिक अपेक्षाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करता है;
- यह हितों के टकराव की स्थितियों का समाधान करता है;
- यह सीडिंग कंपनियों और कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करता है;
- यह निवेशकों, सीडिंग कंपनियों, कर्मचारियों, विनियामकों, उपभोक्ताओं, वित्तीय विश्लेषकों और रेटिंग एजेंसियों सहित हितधारकों के साथ सूचना साझा करना और प्रकटन सुनिश्चित करता है;
- यह व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए उचित उपायों के साथ, चिंता व्यक्त करने या कानून या विनियमों के संभावित उल्लंघन की रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए एक प्रभावी चैनल स्थापित करता है; और
- यह एक ऐसी निगमीय संस्कृति विकसित करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है जो नैतिक मानकों के पालन को मान्यता देती है और पुरस्कृत करती है।

निदेशक मंडल की संरचना

31 मार्च 2026 को निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार थी:

डीआईएन सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	पदनाम
09322218	श्री हितेश जोशी	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
10733238	श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन	गैर– कार्यपालक निदेशक	सरकारी नामिती निदेशक
11228147	श्री तपन कुमार मंडल	गैर– कार्यपालक निदेशक	सरकारी नामिती निदेशक
10344636	श्री अश्वनी कुमार	गैर– कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक
11210291	सुश्री जयश्री बालकृष्ण	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक

वर्ष के दौरान बोर्ड की संरचना और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (KMPs) में परिवर्तन:

डॉ. एम. पी. तंगिरला 17.04.2025 से निगम के सरकारी नामिती निदेशक नहीं रहे; उनकी जगह श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन ने ली।

श्री सतीश कुमार को 30.04.2025 से निगम का कंपनी सचिव नियुक्त किया गया।

कार्यकाल पूरा होने के कारण, सुश्री ए. मणिमेखलाई और सुश्री विनीता कुमारी क्रमशः 03.06.2025 और 23.03.2026 से निगम की स्वतंत्र निदेशक नहीं रहीं।

अधिवर्षिता के कारण, सुश्री राधिका सी.एस. 30.06.2025 से निगम की कार्यपालक निदेशक नहीं रहीं।

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा सुश्री जयश्री बालकृष्ण को 23.07.2025 से निगम के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया।

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा श्री तपन कुमार मंडल को 24.07.2025 से निगम के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया।

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा श्री अश्वनी कुमार को 30.07.2025 से निगम के बोर्ड में गैर–कार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के तौर पर नियुक्त किया गया।

अपनी सेवानिवृत्ति के बाद श्री रामस्वामी नारायणन 30.09.2025 से निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे।

कार्यपालक निदेशक श्री हितेश जोशी को 01.10.2025 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां और कार्य सौंपे गए।

सुश्री विनीता कुमारी 23.03.2026 नियुक्ति कार्यकाल पूरा होने पर निगम की स्वतंत्र निदेशक नहीं रहीं।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद और निदेशकों के प्रतिवेदन की तारीख तक बोर्ड के गठन और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (KMPs) में बदलाव:

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद और निदेशकों के प्रतिवेदन की तारीख तक बोर्ड के गठन में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है। निगम की पदोन्नति प्रक्रिया के तहत श्री सतीश कुमार को 01.04.2026 से महा प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया गया।

बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान सात (07) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। बोर्ड बैठकों और वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है:

अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान निदेशकों द्वारा भाग ली गई बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम बैठक की संख्या दर्शाने वाला विवरण

निदेशक का नाम	बैठक की तारीख							23.09.2025 को आयोजित पिछली एजीएम
	30.04.2025	26.05.2025	07.08.2025	12.11.2025	16.01.2026	07.02.2026	14.03.2026	
श्री रामस्वामी नारायणन#	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित
डॉ. एम. पी. तंगिरला##	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सुश्री ए. मणिमेखलाई###	अनुपस्थित	अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सुश्री विनीता कुमारी####	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री हितेश जोशी	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
सुश्री राधिका सी.एस.#####	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन*	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
श्री तपन कुमार मंडल**	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
श्री अश्वनी कुमार***	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित
सुश्री जयश्री बालकृष्ण****	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित

टिप्पणी : NA = लागू नहीं

#30.09.2025 से निदेशक नहीं रहे

##17.04.2025 से निदेशक नहीं रहे

###03.06.2025 से निदेशक नहीं रहे

####23.03.2026 से निदेशक नहीं रहे

#####30.06.2025 से निदेशक नहीं रहे

** 17.04.2025 से सरकारी नामिती निदेशक नियुक्त*

***24.07.2025 से सरकारी नामिती निदेशक नियुक्त*

****30.07.2025 से स्वतंत्र निदेशक नियुक्त*

*****23.07.2025 से कार्यपालक निदेशक नियुक्त*

निदेशक अपनी–अपनी नियुक्ति अवधि समाप्त होने के कारण निदेशक नहीं रहे।

अन्य कंपनियों में निदेशकों की निदेशकता

निगम का कोई भी निदेशक दस से अधिक पबलिक लिमिटेड कंपनियों (जैसा कि अधिनियम की धारा 165 के अंतर्गत निर्दिष्ट है) और सात से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं (जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 17ए के अंतर्गत निर्दिष्ट है) में निदेशक नहीं है।

निगम का कोई भी निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों या तीन इक्विटी सूचीबद्ध कंपनियों (यदि वह किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करता है (जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 17ए में निर्दिष्ट है) में स्वतंत्र निदेशक (किसी भी वैकल्पिक निदेशक पद सहित) के रूप में कार्य नहीं करता है।

इसके अतिरिक्त, निगम के बोर्ड का कोई भी निदेशक उन सभी भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में, जिनमें वह निदेशक है, दस से अधिक समितियों का सदस्य या पाँच से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है (जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 26 में निर्दिष्ट है)।

31 मार्च 2026 को कंपनियों में निदेशकों द्वारा धारित निदेशकता, श्रेणी और समिति पदों का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	सार्वजनिक कंपनियों में निदेशकता की संख्या	सार्वजनिक कंपनियों में धारित समिति पदों की संख्या		अन्य सूचीबद्ध इकाई में निदेशकता (निदेशकता की श्रेणी)
		अध्यक्षा	सदस्य	
श्री हितेश जोशी	5	0	2	जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (गैर–कार्यपालक निदेशक, अध्यक्ष)
श्री मनोज मुत्ताथिल अय्यप्पन	2	0	1	बैंक ऑफ इंडिया (सरकारी नामिती निदेशक)
श्री तपन कुमार मंडल	1	1	1	–
श्री अश्वनी कुमार	3	1	1	यूको बैंक (प्रबंध निदेशक एव सीईओ)
सुश्री जयश्री बालकृष्ण	1	0	1	–

**भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति में सदस्यता/अध्यक्षता; सदस्यता की संख्या में अध्यक्षता भी शामिल हैं।*

कार्यपालक निदेशक सुश्री जयश्री बालकृष्ण के पास निगम के 1222 इक्विटी शेयर हैं। अन्य निदेशकों के पास निगम का कोई शेयर नहीं है।

स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशकों को निगम में उनकी भूमिकाओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ–साथ निगम के उद्योग और व्यवसाय मॉडल की प्रकृति से निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति के समय परिचय कार्यक्रमों के माध्यम से परिचित कराया गया है और साथ ही समय–समय पर निदेशकों को अर्थव्यवस्था और उद्योग अवलोकन, व्यवसाय अवलोकन, डिजिटलीकरण पहल, प्रमुख नियामक विकास, अभिशासन, रणनीति, निवेश, मानव संसाधन और प्रदर्शन पर प्रस्तुतियों के माध्यम से भी परिचित कराया गया है। परिचय कार्यक्रमों का विवरण निगम की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है और इसे इस लिंक पर देखा जा सकता है: https://www.gicre.in/images/2026/Familiarization_Programme_for_Directors_-_2025-26_1.pdf

निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/योग्यताएँ

निगम के एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इसके निदेशक मंडल के सभी निदेशकों का चयन और नियुक्ति सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। निगम के व्यवसाय के संदर्भ में, निदेशक मंडल के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक मुख्य कौशल, विशेषज्ञता और योग्यता की सूची, निदेशकों के चयन हेतु सरकारी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है।

निदेशकों की विशेषज्ञता और कौशल का मैट्रिक्स

निगम के वर्तमान निदेशकों के पास अपने–अपने कार्यक्षेत्रों में विभिन्न कौशल और विशेषज्ञता है, जैसे लेखांकन, सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, अनुपालन, पुनर्बीमा संचालन, मानव संसाधन और समग्र व्यवसाय की निगरानी में विशेषज्ञता। बोर्ड का अभिमत है कि मौजूदा निदेशकों के पास बोर्ड के कामकाज के लिए आवश्यक कौशल या योग्यता है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

स्वतंत्र निदेशक सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 16(1)(बी) के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत परिभाषित रूप में गैर–कार्यपालक निदेशक हैं। सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 25(8) के अनुसार, उन्होंने पुष्टि की है कि उन्हें ऐसी किसी भी परिस्थिति या स्थिति की जानकारी नहीं है जो मौजूद हो या जिसकी उचित रूप से आशंका हो, जो उनके कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता को क्षीण या प्रभावित कर सकती हो। स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त घोषणाओं के आधार पर, निदेशक मंडल ने पुष्टि की है कि वे सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियमन 16(1)(बी) के तहत उल्लिखित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

बोर्ड की समितियाँ

निगम में आठ बोर्ड स्तरीय समितियाँ हैं: लेखा परीक्षा समिति, निवेश समिति, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, मानव संसाधन समिति और सदाचार समिति।

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुपालन में, निगम में एक लेखा परीक्षा समिति है जिसका अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होता है।

- लेखा परीक्षा समिति वार्षिक और त्रैमासिक दोनों आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण प्रक्रियाओं का निरीक्षण करती है। यह जाँच और नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता से संबंधित सभी मुद्दों के समाधान के लिए कार्यविधियाँ और प्रणालियाँ स्थापित करती है।
- समिति आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के कुशल कामकाज का निरीक्षण करती है और उसकी रिपोर्टों की समीक्षा करती है तथा अनियमितताओं के सुधार और जहाँ भी कमियाँ सामने आई हैं, प्रक्रियाओं में बदलाव की प्रगति की निगरानी करती है।
- समिति लेखा परीक्षकों (आंतरिक/सांविधिक/समवर्ती) की नियुक्ति, पारिश्रमिक, कार्य-निष्पादन और कार्य की निगरानी की सिफ़ारिश के लिए ज़िम्मेदार है।
- सम्बद्ध पक्षों के साथ लेन-देन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन।

31 मार्च 2026 तक लेखा परीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार थी:

क्र.सं.	नाम	श्रेणी	पदनाम
1	श्री अश्वनी कुमार	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
2	श्री तपन कुमार मंडल	सदस्य	गैर-कार्यपालक सरकारी नामिती निदेशक
3	सुश्री जयश्री बालकृष्ण	सदस्य	कार्यपालक निदेशक

अप्रैल 2025 से मार्च 2026 की अवधि के दौरान सदस्यों द्वारा भाग ली गई लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

निदेशक का नाम	बैठक की तारीख			
	26.05.2025	07.08.2025	12.11.2025	07.02.2026
सुश्री ए. मणिमेखलाई#	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सुश्री विनीता कुमारी##	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री मनोज अय्यप्पन###	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री हितेश जोशी*	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री अश्विनी कुमार**	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
सुश्री जयश्री बालकृष्ण***	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित

टिप्पणी : NA = लागू नहीं

#03.06.2025 से सदस्य नहीं रहीं

##23.03.2026 से सदस्य नहीं रहीं

###03.06.2025 से सदस्य के तौर पर नियुक्त और 30.07.2025 से सदस्य नहीं रहे

**21.03.2025 से सदस्य के तौर पर नियुक्त और 01.10.2025 से सदस्य नहीं रहे*

***30.07.2025 से सदस्य के तौर पर नियुक्त*

****01.10.2025 से सदस्य के तौर पर नियुक्त*

निवेश समिति

आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए निगमीय अभिशासन) विनियम, 2024 के अनुपालन में, निगम की एक निवेश समिति है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दो गैर-कार्यपालक निदेशक, दो कार्यपालक निदेशक, मुख्य निवेश अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी और नियुक्त एक्चुअरी (जीवन और गैर-जीवन) शामिल हैं।

- समिति वार्षिक निवेश नीति निर्धारित करती है और निगम के निवेश कार्यों की निगरानी करती है।

- यह नीति सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों द्वारा समर्थित विवेकपूर्ण परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) पर केंद्रित है। निवेश नीति और परिचालन ढाँचे में, अन्य बातों के साथ-साथ, सुचारू संचालन के लिए तरलता, निवेश पर विवेकपूर्ण नियामक मानदंडों का अनुपालन, निवेश पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन/शमन रणनीतियाँ और सबसे बढ़कर, पॉलिसीधारकों के धन की सुरक्षा से संबंधित पहलू शामिल हैं।
- समिति निवेशों के प्रदर्शन और गतिशील बाजार स्थितियों के मूल्यांकन के आधार पर निवेश नीति की आवधिक समीक्षा के लिए जिम्मेदार है।

31 मार्च 2026 को निवेश समिति की संरचना इस प्रकार थी:

क्र.सं.	नाम	श्रेणी	पदनाम
1	श्री हितेश जोशी	अध्यक्ष	कार्यपालक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार-सीएमडी)
2	श्री अश्वनी कुमार	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
3	श्री तपन कुमार मंडल	सदस्य	गैर-कार्यपालक सरकारी नामित निदेशक
4	सुश्री जयश्री बालकृष्ण	सदस्य	मुख्य जोखिम अधिकारी
5	श्री वी. बालकृष्ण	सदस्य	मुख्य वित्तीय अधिकारी
6	श्रीमती राधिका रविशेखर	सदस्य	मुख्य निवेश अधिकारी
7	श्री सतीश एन भट्ट	सदस्य	नियुक्त एक्चुअरी (गैर-जीवन)
8	श्री सुरेश नारायण सिंधी	सदस्य	नियुक्त एक्चुअरी (जीवन)

अप्रैल 2025 से मार्च 2026 की अवधि के दौरान सदस्यों द्वारा भाग ली गई निवेश समिति की बैठकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

निदेशक/सदस्य का नाम	बैठक की तारीख				
	30.04.2025	26.05.2025	07.08.2025	12.11.2025	07.02.2026
श्री रामस्वामी नारायणन#	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं
सुश्री ए. मणिमेखलाई##	अनुपस्थित	अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सुश्री विनीता कुमारी###	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री हितेश जोशी	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
सुश्री राधिका सी. एस.####	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री मनोज अय्यप्पन*	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री अश्वनी कुमार**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	अनुपस्थित
सुश्री जयश्री बालकृष्ण सीआरओ	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री वी. बालकृष्ण, सीएफओ	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्रीमती राधिका रविशेखर, सीआईओ	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
श्री सतीश एन भट्ट, नियुक्त एक्चुअरी (गैर-जीवन)	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री सुरेश नारायण सिंधी, नियुक्त एक्चुअरी (जीवन)	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित

टिप्पणी : NA = लागू नहीं

#30.09.2025 से सदस्य नहीं रहे

##03.06.2025 से सदस्य नहीं रहीं

###23.03.2026 से सदस्य नहीं रहीं

####30.06.2025 से सदस्य नहीं रहे

**03.06.2025 से सदस्य के तौर पर नियुक्त और 07.08.2025 से सदस्य नहीं रहे*

***07.08.2025 से सदस्य के तौर पर नियुक्त*

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

निगम ने एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है और समिति के विचारार्थ विषय, सरकारी कंपनियों को दी गई छूट की सीमा को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और सेबी (एलओडीआर) विनियमों की अनुसूची II भाग घ के अंतर्गत निर्धारित हैं।

- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे, जिनमें से सभी गैर–कार्यपालक निदेशक होंगे, और कम से कम पचास प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे;
- निगम के अध्यक्ष (चाहे कार्यपालक हों या गैर–कार्यपालक) को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन वह ऐसी समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे;
- पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान लक्ष्यों पर आशय वक्तव्य (एसओआई) के आधार पर कार्य–निष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स के लिए निर्धारित व्यापक मात्रात्मक मापदंडों और विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों के आधार पर गुणात्मक मापदंडों और बेंचमार्क की उपलब्धि के अधीन, कार्य–निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों की पात्रता के लिए निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन करना;
- संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति और उन्हें हटाने को रिकॉर्ड में लेना;
- निदेशक मंडल की विविधता संबंधी नीति और निदेशकों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के मानदंडों सहित भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न नीतियों को रिकॉर्ड में लेना।
- मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार आयोजित वार्षिक पदोन्नति प्रक्रियाओं के माध्यम से नियुक्त मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और अध्यक्ष द्वारा की गई नियुक्तियों की समीक्षा करना और उसे नोट करना।
- प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और निदेशकों द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित घोषणाओं को नोट करना।

31 मार्च 2026 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार थी:

क्र.सं.	नाम	श्रेणी	पदनाम
1	श्री अश्वनी कुमार	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
2	श्री मनोज अय्यप्पन	सदस्य	गैर–कार्यपालक सरकारी नामिती निदेशक
3	श्री तपन कुमार मंडल	सदस्य	गैर–कार्यपालक सरकारी नामिती निदेशक

अप्रैल 2025 से मार्च 2026 की अवधि के दौरान सदस्यों द्वारा भाग ली गई नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण:

निदेशक का नाम	बैठक की तारीख			
	30.04.2025	12.11.2025	16.01.2026	14.03.2026
सुश्री ए. मणिमेखलाई#	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ. एम. पी. तंगिरला##	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सुश्री विनीता कुमारी###	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री मनोज अय्यप्पन*	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री अश्वनी कुमार**	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
श्री तपन कुमार मंडल***	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी : NA = लागू नहीं

#03.06.2025 से सदस्य नहीं रहीं
##17.04.2025 से सदस्य नहीं रहे
###23.03.2026 से सदस्य नहीं रहीं
**17.04.2025 से सदस्य के तौर पर नियुक्त*
***30.07.2025 से सदस्य के तौर पर नियुक्त*
****24.03.2026 से सदस्य के तौर पर नियुक्त*

जोखिम प्रबंधन समिति

निगम में निदेशक मंडल की एक जोखिम प्रबंधन समिति और प्रबंधन की एक उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति है, जिसमें चार महाप्रबंधक और मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) शामिल हैं।

- यह समिति उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे के कार्यान्वयन की निगरानी करती है, जिससे विभिन्न जोखिम जोखिमों के प्रभावी और कुशलतापूर्वक प्रबंधन के लिए एक मजबूत ईआरएम प्रणाली स्थापित होने की उम्मीद है;
- समिति विशिष्ट विश्लेषण और गुणवत्ता समीक्षा करके, एकल और व्यक्तिगत जोखिम प्रोफ़ाइल के अलावा बीमाकर्ता के जोखिम प्रोफ़ाइल पर समूह–व्यापी और समग्र दृष्टिकोण बनाए रखते हुए, जोखिम प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी संचालन में बोर्ड की सहायता करती है;

- बोर्ड को जोखिम एक्सपोजर और एक्सपोजरों के प्रबंधन के लिए की गई कार्रवाई के बारे में विवरण प्रस्तुत करना;
- जोखिम प्रबंधन, निगमीय रणनीति, विलय और अधिग्रहण जैसे रणनीतिक और परिचालन संबंधी मामलों और संबंधित मामलों से संबंधित निर्णयों के संबंध में बोर्ड को सलाह देना।

31 मार्च 2026 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना इस प्रकार थी:

क्र.सं.	नाम	श्रेणी	पदनाम
1	श्री अश्वनी कुमार	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
2	श्री तपन कुमार मंडल	सदस्य	गैर-कार्यपालक सरकारी नामिती निदेशक
3	श्री हितेश जोशी	सदस्य	कार्यपालक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार-सीएमडी)
4	सुश्री जयश्री बालकृष्ण	सदस्य	मुख्य जोखिम अधिकारी
5	श्री वी. बालकृष्ण	सदस्य	मुख्य वित्तीय अधिकारी
6	श्री सतीश एन भट्ट	सदस्य	नियुक्त एक्चुअरी (गैर-जीवन)
7	श्री सुरेश नारायण सिंधी	सदस्य	नियुक्त एक्चुअरी (जीवन)

उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति (प्रबंधन) के सदस्य हैं:

1. श्रीमती जयश्री बालकृष्ण, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी
2. श्री हितेश जोशी, कार्यपालक निदेशक
3. श्री संजय मोकाशी, महाप्रबंधक (पुनर्बीमा)
4. श्री वी. बालकृष्ण वरियार, महाप्रबंधक (निवेश)
5. श्री सतीश भट्ट, नियुक्त एक्चुअरी (गैर-जीवन)
6. श्री सुरेश सिंधी, नियुक्त एक्चुअरी (जीवन पुनर्बीमा)

अप्रैल 2025 से मार्च 2026 की अवधि के दौरान सदस्यों द्वारा भाग ली गई जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

निदेशक का नाम	बैठक की तारीख			
	26.05.2025	07.08.2025	12.11.2025	07.02.2026
सुश्री विनीता कुमारी#	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री रामस्वामी नारायणन##	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं
सुश्री ए. मणिमेखलाई###	अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री हितेश जोशी	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
सुश्री राधिका सी. एस.####	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री मनोज अय्यप्पन*	लागू नहीं	अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री तपन कुमार मंडल**	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित
सुश्री जयश्री बालकृष्ण, सीआरओ	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री वी. बालकृष्ण, सीएफओ	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री सतीश एन. भट्ट नियुक्त एक्चुअरी (गैर-जीवन)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री सुरेश नारायण सिंधी नियुक्त एक्चुअरी (जीवन)	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित

टिप्पणी : NA = लागू नहीं

#23.03.2026 से सदस्य नहीं रहीं

##30.09.2025 से सदस्य नहीं रहे

###03.06.2025 से सदस्य नहीं रहीं

####30.06.2025 से सदस्य नहीं रहीं

**03.06.2025 से सदस्य के तौर पर नियुक्त और 07.08.2025 से सदस्य नहीं रहे*

***07.08.2025 से सदस्य के तौर पर नियुक्त*

निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, निवल संपत्ति या निवल लाभ या कारोबार के मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए योगदान करना होता है।

निगम ने निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए बोर्ड स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति सीएसआर नीतियों की योजना बनाने, विश्लेषण करने, निर्माण करने और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निगम पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए गैर सरकारी संगठनों/संगठनों के माध्यम से सीएसआर नीतियों का क्रियान्वयन करता है।

31 मार्च 2026 को निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना इस प्रकार थी:

क्र.सं.	नाम	श्रेणी	पदनाम
1	श्री हितेश जोशी	अध्यक्ष	कार्यपालक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
2	श्री अश्वनी कुमार	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
3	सुश्री जयश्री बालकृष्ण	सदस्य	कार्यपालक निदेशक

सीएसआर समिति (प्रबंधन) के सदस्य थे:

1. श्री हितेश जोशी, कार्यपालक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
2. सुश्री जयश्री बालकृष्ण, कार्यपालक निदेशक
3. श्री वी. बालकृष्ण, महाप्रबंधक
4. श्री राजेश खडतरे, महाप्रबंधक
5. श्री संजय मोकाशी, महाप्रबंधक

अप्रैल 2025 से मार्च 2026 की अवधि के दौरान सदस्यों द्वारा भाग ली गई निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

निदेशक का नाम	बैठक की तारीख			
	26.05.2025	07.08.2025	12.11.2025	07.02.2026
श्री रामस्वामी नारायणन#	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं
सुश्री ए. मणिमेखलाई##	अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सुश्री विनीता कुमारी###	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री हितेश जोशी	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
सुश्री राधिका सी. एस.####	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सुश्री जयश्री बालकृष्ण*	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित
श्री अश्वनी कुमार**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी : NA = लागू नहीं

#30.09.2025 से सदस्य नहीं रहे
##03.06.2025 से सदस्य नहीं रहे
###23.03.2026 से सदस्य नहीं रहे
####30.06.2025 से सदस्य नहीं रहे
**07.08.2025 से सदस्य नियुक्त*
***24.03.2026 से सदस्य नियुक्त*

हितधारक संबंध समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 20 के प्रावधानों के अनुसार, निगम ने शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण हेतु स्वतंत्र और कार्यपालक निदेशकों वाली अपनी हितधारक संबंध समिति का गठन किया है। गैर–कार्यपालक सरकारी नामिती निदेशक श्री तपन कुमार मंडल इस समिति की अध्यक्ष हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी सचिव श्री सतीश कुमार को निगम का अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

31 मार्च 2026 को हितधारक संबंध समिति की संरचना इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	नाम	श्रेणी	पदनाम
1	श्री तपन कुमार मंडल	अध्यक्ष	गैर–कार्यपालक सरकारी नामिती निदेशक
2	श्री अश्वनी कुमार	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
3	श्री हितेश जोशी	सदस्य	कार्यपालक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)

अप्रैल 2025 से मार्च 2026 की अवधि के दौरान सदस्यों द्वारा भाग ली गई हितधारक संबंध समिति की बैठकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

निदेशक का नाम	बैठक की तारीख
	07.02.2026
सुश्री ए. मणिमेखलाई#	लागू नहीं
श्री रामस्वामी नारायणन##	लागू नहीं
सुश्री विनीता कुमारी###	उपस्थित
श्री हितेश जोशी*	उपस्थित
श्री तपन कुमार मंडल**	उपस्थित
श्री अश्वनी कुमार***	लागू नहीं

टिप्पणी : NA = लागू नहीं

#03.06.2025 से सदस्य नहीं रहे
##30.09.2025 से सदस्य नहीं रहे
###23.03.2026 से सदस्य नहीं रहे
**03.06.2025 से सदस्य के रूप में नियुक्त*
***07.08.2025 से सदस्य के रूप में नियुक्त*
****24.03.2026 से सदस्य के रूप में नियुक्त*

सदाचार समिति

निगम ने दो-स्तरीय सदाचार समिति गठित की है, जिसमें एक प्रबंधन स्तर पर है और दूसरी बोर्ड स्तर पर। यह व्यवस्था व्हिसल-ब्लोइंग तंत्र को मज़बूत समर्थन प्रदान करती है, जहाँ निगम के कर्मचारियों को पर्याप्त सहजता प्रदान करने के लिए गोपनीयता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

31 मार्च 2026 को सदाचार समिति की संरचना इस प्रकार थी:

क्र.सं.	नाम	श्रेणी	पदनाम
1	श्री हितेश जोशी	अध्यक्ष	कार्यपालक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार-सीएमडी)
2	श्री मनोज अय्यप्पन*	सदस्य	गैर-कार्यपालक सरकारी नामिती निदेशक
3	सुश्री जयश्री बालकृष्ण**	सदस्य	कार्यपालक निदेशक

**17.04.2025 से सदस्य के रूप में नियुक्त*

***07.08.2025 से सदस्य के रूप में नियुक्त*

सदाचार समिति (प्रबंधन) के सदस्य इस प्रकार हैं:

1. श्री हितेश जोशी, कार्यपालक निदेशक
2. श्रीमती जयश्री बालकृष्ण, कार्यपालक निदेशक
3. श्री राजेश पवार, महा प्रबंधक
4. श्रीमती मनाली पतके, महा प्रबंधक

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए निवेशकों की शिकायतों का विवरण, और सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 13(3) के तहत रिपोर्ट की गई जानकारी नीचे दी गई है:

विवरण	शिकायतों की संख्या
1 अप्रैल 2025 तक लंबित शिकायतों की संख्या	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	20
वर्ष के दौरान समाधान की गई शिकायतों की संख्या	20
31 मार्च 2026 तक लंबित शिकायतों की संख्या	0

कार्य–निष्पादन मूल्यांकन

निगम के निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड, उसकी समितियों, व्यक्तिगत निदेशकों और अध्यक्ष के कार्य–निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन किया गया है, जबकि स्वतंत्र निदेशकों का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन गैर–स्वतंत्र निदेशकों द्वारा, लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया गया है। कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रश्नावली और चर्चा के माध्यम से किया गया। बोर्ड कार्य–निष्पादन से संतुष्ट था।

आम सभा की बैठकें

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित सदस्यों की वार्षिक आम बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	2022–23	2023–24	2024–25
तारीख	26 सितंबर 2023	26 सितंबर 2024	23 सितंबर2025
समय	3:00 P.M.	3:00 P.M.	3:00 P.M.
स्थान	बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य श्रव्य–दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित मान्य स्थान : निगम का पंजीकृत कार्यालय	बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य श्रव्य–दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित मान्य स्थान : निगम का पंजीकृत कार्यालय	बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य श्रव्य–दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित मान्य स्थान : निगम का पंजीकृत कार्यालय
पारित विशेष संकल्पों की सं.	1	शून्य	1
विशेष प्रस्ताव का उद्देश्य/ विवरण	निगम के निदेशक के रूप में सुश्री विनीता कुमारी (डीआईएन 10093690) की नियुक्ति	–	निगम के बोर्ड में यूको बैंक के एमडी और सीईओ, श्री अश्वनी कुमार (डीआईएन: 10344636) की गैर–कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सदस्यों की कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गई।

डाक मतपत्र

इस वर्ष के दौरान, निगम ने डाक मतपत्र के माध्यम से शेयरधारकों की कोई मंजूरी नहीं ली।

निदेशकों का पारिश्रमिक

- निगम के एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इसके पूर्णकालिक निदेशकों/कार्यपालक निदेशकों को देय पारिश्रमिक सरकार द्वारा अनुमोदित होता है और प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात वित्त मंत्रालय के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है।
- गैर–सरकारी निदेशकों (गैर–कार्यपालक) को भारत सरकार के दिनांक 14 अक्टूबर 2015 के पत्र, जो निगम की वेबसाइट https://www.gicre.in/images/2026/GIC Re - Sitting fee for Board and Committee meetings.pdf पर उपलब्ध है, के अनुसार बोर्ड की बैठकों और बोर्ड की समिति की बैठकों के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।
- निगम के किसी भी निदेशक को लाभ पर कमीशन देने की निगम की कोई नीति नहीं है।
- बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों को देय पारिश्रमिक भी भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है।

सभी निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण फॉर्म एमजीटी–7, वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक विवरणी में दिया गया है। यह निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है: https://www.gicre.in/en/investors-public-disclosures/investors-en/financial-performance/annual-return

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 25(3) के अनुसार, निदेशकों, बोर्ड और समितियों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के लिए 14 मार्च 2026 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) और धारा 203(1) के अनुसार, 31 मार्च 2026 को निगम के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	श्री हितेश जोशी	कार्यपालक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
2	सूश्री जयश्री बालकृष्ण	कार्यपालक निदेशक
3	श्री वी बालकृष्ण	मुख्य वित्तीय अधिकारी
4	श्री सतीश कुमार	कंपनी सचिव

आईआरडीए अधिनियम, 1999 और उसके तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 मार्च 2026 को निगम के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	पदनाम	नाम
1	कार्यपालक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)	श्री हितेश जोशी
2	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी	सूश्री जयश्री बालकृष्ण
3	महा प्रबंधक एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख	श्रीमती मनाली पतके
4	महा प्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	श्री वी बालकृष्ण
5	महा प्रबंधक एवं मुख्य विपणन अधिकारी	श्री राजेश खडतरे
6	महा प्रबंधक एवं मुख्य बीमांकन अधिकारी	श्री संजय मोकाशी
7	कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी	श्री सतीश कुमार
8	मुख्य निवेश अधिकारी	श्रीमती राधिका रविशेखर
9	नियुक्त एक्चुअरी (गैर–जीवन)	श्री सतीश एन भट्ट
	नियुक्त एक्चुअरी (जीवन)	श्री सुरेश नारायण सिंधी
10	महा प्रबंधक	श्री राजेश पवार

आईआरडीए अधिनियम, 1999 और दिशानिर्देशों के अनुसार केएमपी/वरिष्ठ प्रबंधन में परिवर्तन, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी विनियमों के अनुसार मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (सीईओ और एमडी, सीएफओ और सीएस) में परिवर्तन और सेबी विनियमों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

- श्री सतीश कुमार को 30.04.2025 से मुख्य अनुपालन अधिकारी और कंपनी सचिव नियुक्त किया गया।
- श्री राजेश पवार, श्री राजेश खडतरे, श्री संजय मोकाशी और श्रीमती मनाली पतके को 15.05.2025 से महा प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया गया।
- सुश्री राधिका सी.एस. सेवानिवृत्ति के कारण 30.06.2025 से कार्यपालक निदेशक और वित्तीय सलाहकार और आंतरिक लेखारीक्षा प्रमुख के पद पर नहीं रहीं।
- सुश्री जयश्री बालकृष्ण को 23.07.2025 से निगम के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्रीमती मनाली पतके को 08.08.2025 से वित्तीय सलाहकार और आंतरिक लेखारीक्षा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री उदय लक्ष्मणदास देवी को श्री एस. अलगारस्वामी के स्थान पर, 29.12.2025 से निगम का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया।

संचार के साधन

निगमीय वित्तीय प्रदर्शन पर सुसंगत, प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी का समय पर प्रकटीकरण सुशासन का मूल है। इस दिशा में, उठाए गए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

क. त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम

निगम के त्रैमासिक और अर्धवार्षिक अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम/वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर घोषित किए जाते हैं। ये परिणाम प्रमुख व्यावसायिक/क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। निगम त्रैमासिक वार्षिक वित्तीय परिणामों के संबंध में निवेशकों के लिए कॉल भी आयोजित करता है और वेबसाइट पर इस संबंध में प्रस्तुति भी आयोजित करता है।

ख. वेबसाइट

निगम की वेबसाइट www.gicre.in पर निवेशकों के लिए ''निवेशक'' नामक एक अलग अनुभाग उपलब्ध है जहाँ शेयरधारकों के लिए प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध है।

ग. समाचार विज्ञप्ति

आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियाँ निगम की वेबसाइट www.gicre.in पर होस्ट की जाती हैं।

घ. वार्षिक प्रतिवेदन

वार्षिक प्रतिवेदन शेयरधारकों और उसके पात्र अन्य लोगों को परिचालित की जाती है। प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन का हिस्सा है।

सामान्य शेयरधारक जानकारी

क. 54वीं वार्षिक आम बैठक

दिनांक एवं समय:. मंगलवार, 22 सितंबर 2026 अपराह्न 11.00 बजे

स्थान/मोड: निगमीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 09/2021, 21/2021, 10/2022, 09/2023 और 09/2024 (एमसीए परिपत्र) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में, सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना, एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित करने का प्रस्ताव है। एजीएम की कार्यवाही निगम के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित मानी जाएगी, जो एजीएम का स्थान माना जाएगा।

ख. वित्तीय वर्ष: 1 अप्रैल से 31 मार्च

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निगम के तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों को अनुमोदित करने हेतु वित्तीय कैलेंडर (अनुमानित) नीचे दिया गया है:

30 जून 2026 को समाप्त तिमाही	:	14.08.2026 को या उससे पहले
30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही	:	14.11.2026 को या उससे पहले
31 दिसंबर 2026 को समाप्त तिमाही	:	14.02.2027 को या उससे पहले
31 मार्च 2027 को समाप्त तिमाही और वर्ष	:	30.05.2027 को या उससे पहले

ग. रिकॉर्ड तिथि और लाभांश भुगतान की तिथि:

रिकॉर्ड तिथि: शुक्रवार, 4 सितंबर 2026

लाभांश भुगतान की तिथि: निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित, यदि वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित हो, तो टीडीएस की कटौती के अधीन, प्रति शेयर ₹13.25 का लाभांश (चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 265%), कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वार्षिक आम बैठक के बाद निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर पात्र शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा।

घ. 31 मार्च 2026 को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता:

बीएसई लिमिटेड	**भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड**
फिरोज जीजीबॉय टावर्स,	एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंजिल, प्लॉट संख्या सी/1, जी ब्लॉक,
दलाल स्ट्रीट, मुंबई- 400 001	बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051

ङ. सूचीबद्धता शुल्क: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित समय अवधि के भीतर कर दिया गया है।

च. स्टॉक कोड:

बीएसई: 540755

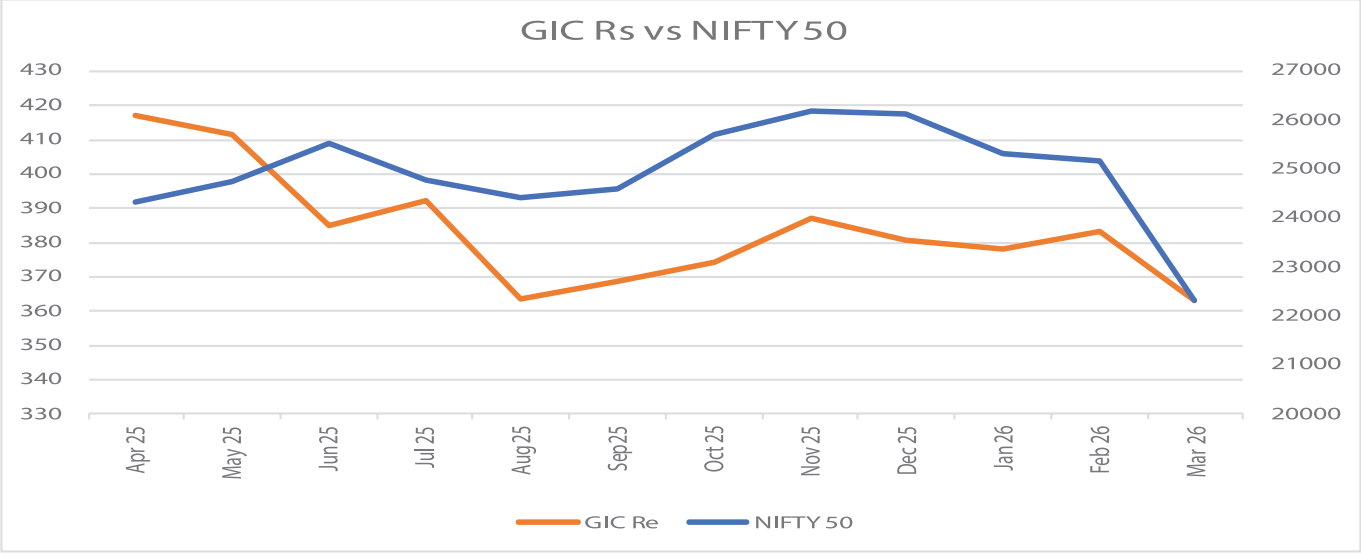
एनएसई GICRE

आईएसआईएन: INE481Y01014

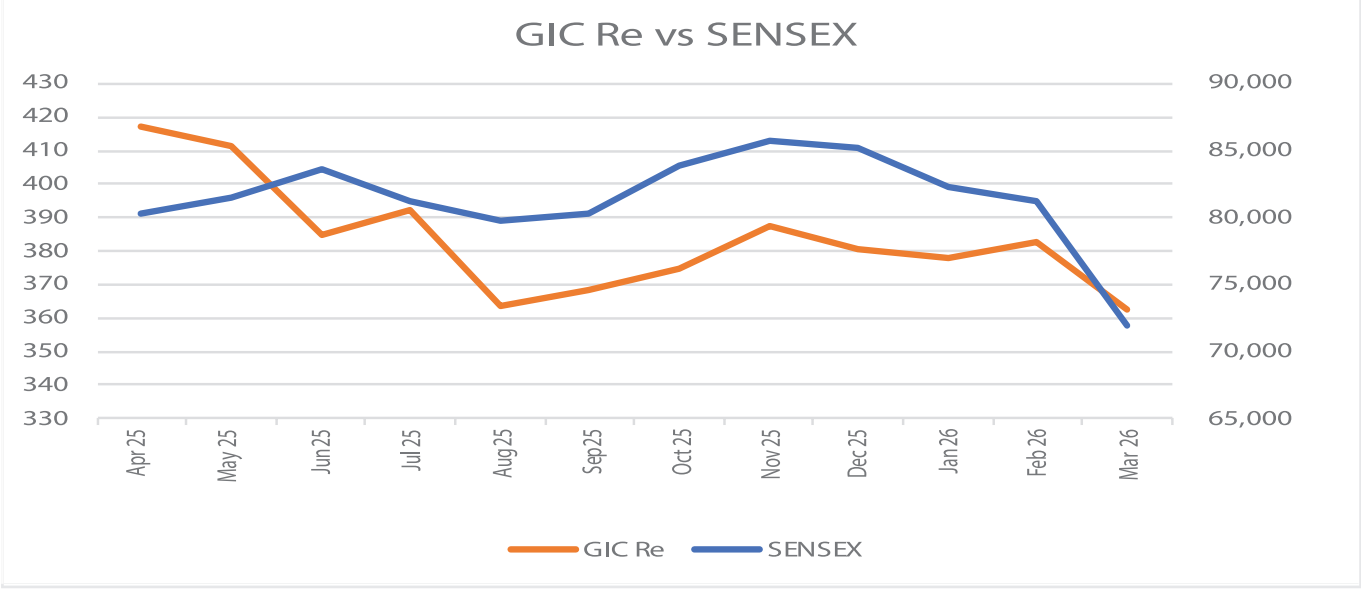
छ. शेयर बाजार डेटा

ब्राड बेस्ड सूचकांक की तुलना में प्रदर्शन

जीआईसी री बनाम एनएसई निफ्टी



जीआईसी री बनाम बीएसई सेंसेक्स



जीआईसी री शेयर मूल्य मासिक डेटा

माह	बीएसई				एनएसई			
	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	बंद (₹)	वॉल्यूम (मात्रा)	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	बंद (₹)	वॉल्यूम (मात्रा)
अप्रैल–2025	453.60	352.40	417.10	7,67,111	453.80	368.35	417.15	1,87,77,286
मई –2025	446.95	388.50	411.35	8,42,398	446.80	388.45	411.60	1,70,28,263
जुन –2025	424.80	368.05	385.00	11,75,721	424.65	368.05	385.15	2,11,66,321
जुलाई–2025	398.00	368.00	392.15	9,99,232	398.20	367.90	392.15	1,75,69,181
अगस्त–2025	404.00	362.80	363.70	13,39,582	404.05	362.80	363.65	1,93,65,825
सितंबर–2025	381.25	355.00	368.50	10,78,887	380.00	355.00	368.65	1,61,98,044
अक्टूबर–2025	392.10	363.10	374.50	5,90,716	392.50	363.60	374.20	1,57,80,922
नवंबर–2025	402.00	366.45	387.30	4,09,519	402.00	366.25	387.20	1,24,03,563
दिसंबरी–2025	392.00	361.90	380.60	5,18,601	394.00	361.30	380.80	1,03,10,607
जनवरी–2026	385.85	358.45	378.00	5,25,803	384.20	358.00	378.05	91,76,026
फरवरी–2026	400.00	366.00	382.80	6,41,344	400.30	365.85	383.05	1,01,43,937
मार्च–2026	377.95	351.00	362.55	3,28,368	378.00	350.25	362.95	62,29,660

ज. रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
कार्वी सेलेनियम, टावर बी,
प्लॉट संख्या 31 और 32,
वित्तीय जिला, गचीबाउली
हैदराबाद – 500 032
संपर्क संख्या: (040) 67162222
फैक्स संख्या: (040) 23001153
ईमेल: einward.ris@kfintech.com

झ. शेयर अंतरण प्रणाली

शेयर अंतरण से संबंधित गतिविधियाँ मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती हैं, जो निगम के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट हैं और जिनकी डिपॉजिटरीज यानि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के साथ व्यवस्था है।

सेबी के 16 मार्च, 2023 के परिपत्र के अनुसार, भौतिक स्वरूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना पैन, पूर्ण केवाईसी विवरण (पिन सहित डाक पता, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, बैंक विवरण, हस्ताक्षर) और अन्य प्रासंगिक विवरण फॉर्म ISR–1 में केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, निगम के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (''RTA'') को प्रस्तुत करें। यह फॉर्म निगम की वेबसाइट https://www.gicre.in/en/investors-public-disclosures/investors-en/notice-communication-to-shareholders और आरटीए की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। भौतिक स्वरूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से भी अनुरोध है कि वे अपनी शेयरधारिता को यथाशीघ्र डीमैट रूप में परिवर्तित कर लें, क्योंकि सेबी परिपत्र के अनुसार, अंतरण अनुरोधों सहित किसी भी निवेशक सेवा अनुरोध को केवल डीमैट रूप में ही संसाधित किया जाएगा।

ञ. 31 मार्च 2026 को शेयरधारिता का वितरण:

क्र.सं.	इक्विटी शेयरों का सांकेतिक मूल्य (₹)	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	शेयरों की संख्या	राशि का %
1	1 – 5000	2,16,902	99.73	2,33,32,906	1.33
2	5001 – 10000	261	0.12	18,31,242	0.10
3	10001 – 20000	124	0.06	17,88,524	0.10
4	20001 – 30000	43	0.02	10,76,216	0.06
5	30001 – 40000	25	0.01	8,59,853	0.05
6	40001 – 50000	21	0.01	9,46,306	0.05
7	50001 – 100000	28	0.01	20,03,929	0.11
8	100001 – 200000	26	0.01	34,44,751	0.20
9	200001 और उससे अधिक	64	0.03	1,71,91,16,273	97.99
कुल :		**2,17,494**	**100.00**	**1,75,44,00,000**	**100.00**

ट. 31 मार्च 2026 को शेयरधारिता की जानकारी:

क्र.सं.	श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयर	कुल जारी शेयरों का %
1.	भारत के राष्ट्रपति	1	1,44,55,67,615	82.40
2.	बैंक	2	77,31,923	0.44
3.	बीमा कंपनियाँ	13	19,21,09,420	10.95
4.	आरबीआई के पास पंजीकृत एबीएफसी	शून्य	शून्य	0.00
5.	अन्य वित्तीय संस्थान	शून्य	शून्य	0.00
6.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक श्रेणी ख	123	3,54,66,215	2.02
7.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक श्रेणी खख	7	5,89,793	0.03
8.	म्यूचुअल फंड	22	2,61,38,504	1.49
9.	व्यक्ति (निवासी व्यक्ति और एचयूएफ शामिल)	2,13,956	2,85,51,120	1.62
10.	अनिवासी भारतीय (प्रत्यावर्तनीय और गैर–प्रत्यावर्तनीय)	2,883	10,53,229	0.06
11.	अन्य (पीएफ, एआईएफ, ट्रस्ट, समाशोधन सदस्य,आईईपीएफ, सहयोगी कंपनियाँ, केएमपी, निगमीय निकाय)	487	1,71,92,181	0.98
कुल:		**2,17,494**	**1,75,44,00,000**	**100.00**

ठ. शेयरों का डीमैटरियलाइजेशन और तरलता

31 मार्च 2026 तक डीमैटरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या 1,75,43,99,132 है, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित शेयरों सहित जारी और अभिदत्त शेयर पूंजी का 99.99% है। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से, प्रतिभूतियों के अंतरण अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को किसी डिपॉजिटरी के पास डीमैट रूप में नहीं रखा जाता है। इसके अलावा, 24 जनवरी 2022 से, सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए किसी भी निवेशक सेवा अनुरोध जैसे डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, प्रतिभूतियों का आदान–प्रदान/उप–विभाजन/विभाजन/समेकन, प्रतिभूतियों का प्रेषण/अंतरण, आदि पर कार्रवाई करते समय केवल डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ जारी करना अनिवार्य कर दिया है। सेबी ने 25 जनवरी 2022 के अपने परिपत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि सूचीबद्ध संस्थाएं/आरटीए अब उपरोक्त किसी भी निवेशक सेवा अनुरोध पर कार्रवाई करते समय शेयर प्रमाणपत्र के बदले में पुष्टि पत्र जारी करेंगे।

निवेशक सेवा अनुरोध के प्रसंस्करण के लिए सरलीकृत मानदंड

सेबी ने 16 मार्च 2023 के अपने परिपत्र के माध्यम से, भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों के लिए किसी भी निवेशक सेवा का लाभ उठाने के लिए पैन, केवाईसी और नामांकन/नामांकन से बाहर निकलने का विवरण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। जिन फोलियो में उपर्युक्त विवरणों में से कोई भी 1 अक्टूबर 2023 तक

पंजीकृत नहीं है, उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा। इसलिए संबंधित सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित प्रपत्रों को विधिवत भरकर अपने पंजीकृत ईमेल आईडी से einward.ris@kfintech.com पर ईमेल द्वारा या आरटीए द्वारा व्यक्तिगत सत्यापन के माध्यम से या पंजीकृत धारकों द्वारा विधिवत भरे और हस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्रों की एक भौतिक प्रति मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31–32, गचीबाउली वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032 पर भेजकर पैन, केवाईसी और नामांकन/नामांकन से बाहर निकलने का विवरण प्रस्तुत करें।

ड. निवेशक पत्राचार:

i. श्री सतीश कुमार

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
ईमेल आईडी: investors.gic@gicre.in
'सुरक्षा', 170, जे.टी. रोड,
चर्चगेट, मुंबई– 400 020
टेलीफोन (बोर्ड): +91 22 2286 7000

ii. श्रीमती जयश्री बालकृष्ण

निवेशक संबंध प्रबंधक
ईमेल आईडी: investorrelationsteam@gicre.in
'सुरक्षा', 170, जे.टी. रोड,
चर्चगेट, मुंबई– 400 020

ढ. क्रेडिट रेटिंग:

31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, ए.एम. बेस्ट ने निगम की क्रेडिट रेटिंग को उन्नत किया, वित्तीय सुदृढ़ता रेटिंग (FCR) को स्टेबल आउटलुक के साथ 'B++' (अच्छा) से 'A-' (उत्कृष्ट) में उन्नत किया गया, दीर्घकालिक जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग को स्टेबल आउटलुक के साथ 'bbb+' (अच्छा) से 'a-' (उत्कृष्ट) में उन्नत किया गया और नेशनल स्केल रेटिंग (एनएसआर) को स्टेबल आउटलुक के साथ aaa.IN (असाधारण) की पुनः पुष्टि की गई।

केयर ने निगम को दी गई स्थिर दृष्टिकोण के साथ अअअ की रेटिंग की पुनः पुष्टि की है।

निम्नलिखित तालिका वर्ष के दौरान प्राप्त रेटिंग प्रदान करती है।

रेटिंग एजेंसी	क्रेडिट रेटिंग स्केल	स्केल	आउटलुक
ए.एम. बेस्ट	वित्तीय सुदृढ़ता रेटिंग	A- (उत्कृष्ट)	स्टेबल
	दीर्घकालिक जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग	a- (उत्कृष्ट)	स्टेबल
	नेलशन स्केल रेटिंग (एनएसआर)	aaa.IN (असाधारण)	स्टेबल
केयर	निर्गमकर्ता रेटिंग	AAA	स्टेबल

ण. निगमीय अभिशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्धारित निगमीय अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र इस प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक–ए के रूप में संलग्न है।

त. पेशेवर कंपनी सचिव से प्रमाणन:

मेसर्स रागिनी चोकशी एंड कंपनी, कंपनी सचिव, की सुश्री रागिनी चोकशी ने सेबी (एलओडीआर) विनियमों के तहत आवश्यक एक प्रमाणपत्र जारी किया है, जो पुष्टि करता है कि निगम के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी या कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। यह प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ 'अनुलग्नक–बी' के रूप में संलग्न है।

थ. सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किए गए कुल शुल्क का विवरण:

निगम और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा, सांविधिक लेखा परीक्षकों और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई, जिसका वैधानिक लेखा परीक्षक हिस्सा हैं, की सभी संस्थाओं को समेकित आधार पर देय सभी सेवाओं के लिए कुल फीस का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ में)

सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान	2025-26
लेखा परीक्षा शुल्क	78,75,000
कर लेखा परीक्षा शुल्क	5,00,000
अन्य सेवाएँ	11,55,000
कुल	**95,30,000**

द. **कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 से संबंधित प्रकटन:** अपेक्षित विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिए गए हैं।

ध. **विवेकाधीन अपेक्षाएँ:**

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 27 के उप-विनियम 1 में निर्दिष्ट गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं को अपनाने की स्थिति निम्नानुसार है:

क. शेयरधारक अधिकार: त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और निगम की वेबसाइट www.gicre.in पर अपलोड किए जाते हैं।

ख. लेखापरीक्षा रिपोर्ट में असंशोधित राय: सांविधिक लेखा परीक्षकों ने असंशोधित राय के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है।

ग. आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग: निगम के आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं।

न. **अन्य प्रकटन**

क. वर्ष 2025-26 के दौरान, निदेशकों या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं हुआ जिससे निगम के हितों के साथ संभावित टकराव हो। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निगम के सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इन निदेशकों के बीच कोई संबंध नहीं है।

ख. सेबी (एलओडीआर) विनियमों के अनुसार, निगम ने एक सम्बद्ध पक्ष लेनदेन नीति तैयार की है। वर्ष के दौरान किए गए सभी सम्बद्ध पक्ष लेनदेन उचित मूल्य पर थे।

ग. (i) वित्त वर्ष 2024-25: निगम को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड से 17.03.2025 के पत्र मिले हैं। इन पत्रों में बताया गया है कि 31.12.2024 को समाप्त तिमाही के दौरान 11 दिनों के लिए बोर्ड के गठन से जुड़े सेबी (एलओडीआर) विनियमके नियम 17(1) का पालन न करने पर जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में, निगमने दोनों एक्सचेंजों को बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के गठन के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई कोशिशों के बारे में बताया है और जुर्माना माफ़ करने का अनुरोध किया है।

(ii) वित्त वर्ष 2023-24: वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नियमों का पालन न करने के संबंध में विनियामक प्राधिकरण से कोई नोटिस नहीं मिला।

(iii) वित्त वर्ष 2022-23: निगम को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड से 21.11.2022 को पत्र मिले, जिनमें 30.09.2022 को समाप्त तिमाही के लिए बोर्ड के गठन से संबंधित सेब (एलओडीआर) विनियम के विनियम 17(1) के प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माना लगाने की जानकारी दी गई थी। इस संबंध में, निगम ने 25.11.2022 को दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को पत्र लिखकर जुर्माना माफ करने और उक्त विनियम का पालन न करने की अवधि के लिए छूट देने का अनुरोध किया था, क्योंकि निगम ने सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 17(1) का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय किए थे। बाद में, स्टॉक एक्सचेंजों ने इस पर सकारात्मक रूप से विचार किया।

घ. निगम के पास एक व्हिसल ब्लोअर नीति लागू है और किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया है। यह नीति निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे यहां देखा जा सकता है: https://www.gicre.in/images/2025/Vigil_Mechanism_or_Whistle_Blower_Policy_-_2025_Ver_30.pdf

ङ. निगम सेबी (एलओडीआर) विनियमों के अंतर्गत परिकल्पित विभिन्न अनिवार्य और गैर-अनिवार्य निगमीय अभिशासन अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है।

च. निगम के पास महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए एक नीति है जिसे निगम की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है और इसे यहां देखा जा सकता है: https://www.gicre.in/images/2024/Policy_for_determining_of_Material_Subsidiaries_-2024_Ver_40.pdf

छ. सम्बद्ध पक्ष लेनदेन से निपटने की नीति निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे यहां देखा जा सकता है: https://www.gicre.in/images/2024/Related_Party_Transaction_Policy_2024Ver_060_1.pdf

ज. निगम ने ''भेदिया कारोबार निषेध आचार संहिता–2024'' तैयार की है और इसे निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है और इसे यहां देखा जा सकता है: https://www.gicre.in/images/2025/Code_of_Conduct_for_Prohibition_of_Insider_Trading__2025_Ver_70.pdf

झ. निगम ने विनियम 17 से 27 में निर्दिष्ट निगमीय अभिशासन अपेक्षाओं की लागू शर्तों का, जहां तक लागू हो, और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 46 के उप–विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) का अनुपालन किया है। इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियमन 46 के तहत निर्धारित विवरण तक पहुंचने के लिए लिंक https://www.gicre.in/en/ है।

कॉर्पोरेट अभिशासन मास्टर परिपत्र के अनुपालन हेतु प्रमाणन

मैं, सतीश कुमार, अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि भारतीय साधारण बीमा निगम ने आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए निगमीय अभिशासन) विनियम, 2024 और उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों का अनुपालन किया है और कुछ भी छिपाया या दबाया नहीं गया है।

हस्ता/–
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का अनुपालन

यह प्रमाणित किया जाता है कि निगम ने अपने सभी निदेशक मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की है और इसे निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इस संहिता तक पहुँचने के लिए लिंक https://www.gicre.in/images/2024/Code_of_Conduct_for_Directors__Senior_Management_Personnel_-_2024_Version_40.pdf है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान उन पर लागू आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

हस्ता/–
(हितेश जोशी)
कार्यपालक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार – सीएमडी)

निगमीय अभिशासन प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्यगण

भारतीय साधारण बीमा निगम

सुरक्षा, 170 जे टाटा रोड,

चर्चगेट, मुंबई – 400020

हमने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 यथा संशोधित (''सेबी एलओडीआर'') के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (आई) और अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी में निर्धारित रूप में 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम (''निगम'') द्वारा निगमीय अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

निगमीय अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (''आईसीएसआई'') द्वारा जारी निगमीय अभिशासन प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार की गई हमारी जाँच, निगमीय अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर कोई राय व्यक्त करना है।

प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर और हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि निगम ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सेबी एलओडीआर के विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) और अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी में निर्धारित निगमीय अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित के अधीन है:

- सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (क) के अनुसरण में, निगम 24 मार्च, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक अपने बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक रखने की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका।
- सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (ख) के अनुसरण में, निगम निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक रखने की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका।
- सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (ग) के अनुसरण में, निगम 04 जून, 2025 से 24 जुलाई, 2025 और 24 मार्च, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक कम से कम छह निदेशक रखने की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका।
- सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 (1) (ख) के अनुसरण में, निगम लेखापरीक्षा समिति के गठन की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि समिति में 04 जून, 2025 से 29 जुलाई, 2025 और 24 मार्च, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक ज़रूरी दो–तिहाई स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।
- सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 19 (1) (ग) के अनुसरण में, निगम नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि समिति में 04 जून, 2025 से 29 जुलाई, 2025 और 24 मार्च, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक ज़रूरी दो–तिहाई स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।

हम यह भी कहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो निगम की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में और न ही निगम के कार्यों के संचालन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है।

स्थान : मुंबई
दिनांक: 23.05.2026

कृते रागिनी चोकशी एंड कंपनी
(कंपनी सचिव)
हस्ता/–
रागिनी चोकशी
भागीदार
एफसीएस संख्या: 2390
सीपी संख्या: 1436
यूडीआईएन: F002390H000488898
सहकर्मी समीक्षा संख्या: 4166/2023
फर्म पंजीकरण संख्या: 92897

निदेशकों की अयोग्यता का प्रमाणपत्र

(सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3)
और अनुसूची त पैरा उ खंड (10)(i) के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय साधारण बीमा निगम
सुरक्षा, 170 जे टाटा रोड,
चर्चगेट, मुंबई – 400020, महाराष्ट्र

हमने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची त पैरा–सी उपखंड 10(ळ) के साथ पठित विनिमय 34(3) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से **भारतीय साधारण बीमा निगम**, जिसका **सीआईएन: L67200MH1972GOI016133** है और जिसका पंजीकृत कार्यालय सुरक्षा, 170 जे टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई – 400020, महाराष्ट्र में है, (इसमें इसके पश्चात 'निगम' के रूप में निर्दिष्ट) के निदेशकों द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रासंगिक रजिस्टरों, अभिलेखों, प्रपत्रों, विवरणियों और प्रकटनों की जाँच की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और पोर्टल (www.mca.gov.in) पर आवश्यक समझे गए सत्यापन (निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) और निगम और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नीचे बताए गए निगम के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, निगमीय मामलों के मंत्रालय या किसी अन्य ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त करने या निदेशक बनाए रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	नियुक्ति की तारीख
1.	अरुमुगम मणिमेखलाई	08411575	05/09/2022*
2.	विनीता कुमारी	10093690	29/03/2023***
3.	हितेश रमेशचंद्र जोशी	09322218	09/07/2024
4.	राधिका सीतारमन चिन्नादारदुरम	10703999	12/07/2024****
5.	जयश्री बालकृष्ण	11210291	23/07/2025
6.	तपन कुमार मंडल	11228147	24/07/2025
7.	अश्वनी कुमार	10344636	30/07/2025

टिप्पणी:
** सुश्री अरुमुगम मणिमेखलाई 3 जून, 2025 से निगम की निदेशक नहीं रहीं।*
**** सुश्री विनीता कुमारी 23 मार्च, 2026 से निगम की निदेशक नहीं रहीं।*
***** सुश्री राधिका सीतारामन चिन्नादारादुरम 30 जून, 2025 से निगम की निदेशक नहीं रहीं।*

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता हेतु पात्रता सुनिश्चित करना निगम के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारा दायित्व है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर अपनी राय व्यक्त करें।

यह प्रमाणपत्र न तो निगम की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में और न ही निगम के कार्यों के संचालन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है।

स्थान : मुंबई
दिनांक: 23.05.2026

कृते रागिनी चोकशी एंड कंपनी
(कंपनी सचिव)
हस्ता/–
रागिनी चोकशी
भागीदार
एफसीएस संख्या: 2390
सीपी संख्या: 1436
यूडीआईएन: F002390H000488898
सहकर्मी समीक्षा संख्या: 4166/2023
फर्म पंजीकरण संख्या: 92897

निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व प्रतिवेदन

जीआईसी की निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति का उद्देश्य पूरे भारत में जोखिम जागरूकता और लचीलेपन की संस्कृति को बढ़ावा देकर समुदायों को सशक्त बनाना है। हमारा लक्ष्य अपनी सीएसआर गतिविधियों में सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल करना और क्षमता निर्माण, समुदायों के सशक्तिकरण, समावेशी सामाजिक–आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, वंचितों की शिक्षा, हरित और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, पिछड़े क्षेत्रों का विकास और समाज के हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करना है। जीआईसी री की सीएसआर के प्रति प्रतिबद्धता एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार निगम होने के प्रति उसके समर्पण को दर्शाती है, जो कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्यों और सांविधिक दायित्वों के अनुरूप समुदाय और पर्यावरण को लाभ पहुँचाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न है।

वित्त वर्ष 2025–26 में सीएसआर गतिविधियों पर प्रतिवेदन

1. **होसाबेलाकु सेवा ट्रस्ट** – होसाबेलाकु सेवा ट्रस्ट एक सामाजिक रूप से समर्पित संस्था है। इसे जाति, धर्म या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना बेसहारा, बुजुर्ग और बीमार लोगों को ज़रूरी देखभाल और सहायता देकर समुदाय की सेवा करने के मिशन से बनाया गया था। 2014 में शुरू हुए इस ट्रस्ट का सफ़र कैंसर से पीड़ित एक ऐसे बुजुर्ग मरीज़ की देखभाल से शुरू हुआ, जिनका कोई पारिवारिक सहारा नहीं था। समय के साथ, होसाबेलाकु सेवा ट्रस्ट ने अपनी सेवाओं का विस्तार किया है और ज़रूरतमंदों, खासकर उन बुजुर्गों के लिए सुरक्षित घर उपलब्ध कराया है जिन्हें छोड़ दिया गया है या जिनका कोई ठोस सहारा नहीं है। आज, ट्रस्ट 180 से ज़्यादा लोगों की पूरी देखभाल करता है। उन्हें न सिर्फ़ खाना, रहने की जगह और मेडिकल मदद देता है, बल्कि अपनापन और सम्मान का एहसास भी कराता है। ट्रस्ट की एक बड़ी कामयाबी 60 से ज़्यादा लोगों को उनके परिवारों से फिर से मिलाना रहा है, जिससे वे रिश्ते फिर से जुड़ पाए जिनके बारे में माना जाता था कि वे हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं।
   जीआईसी री ने एंडोसल्फ़ान से प्रभावित महिलाओं के लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने में पैसे दिए हैं। एंडोसल्फ़ान एक ज़हरीला कीटनाशक है जिसके बहुत बुरे असर होते हैं, खासकर अजन्मे बच्चों पर; इसके कारण हज़ारों बच्चे गंभीर शारीरिक और विकासात्मक विकलांगता के साथ पैदा हुए हैं। इस परियोजना की लागत ₹5,83,01,516.00 है।

2. **विकलांगों के लिए समर्थनम ट्रस्ट** – समर्थनम राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाला एक एनजीओ है, जिसे 1997 में इसके संस्थापक प्रबंध ट्रस्टी महंतेश जी. किवाडासन्नवर और स्वर्गीय नागेश एसपी ने मिलकर शुरू किया था। समर्थनम ट्रस्ट विकलांग लोगों और ज़रूरतमंदों के सशक्तिकरण के लिए काम करता है। यह अच्छी शिक्षा, रहने की जगह, पौष्टिक खाना, व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेल और प्लेसमेंट–आधारित पुनर्वास जैसी कई सेवाएँ देकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है। जीआईसी री ने कर्नाटक के धारवाड़ में विकलांग लोगों और समाज के पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक सुलभ और समावेशी संसाधन केंद्र बनाने में पैसे दिए हैं। इस परियोजना की लागत में जीआईसी री का योगदान ₹11,34,31,807.00 है।

3. **आईआईटी मंडी** – भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मंडी, दूसरी पीढ़ी के आठ नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक है। आईआईटी मंडी एक अनुसंधान विश्वविद्यालय है जो हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले के मंडी शहर में कामंड घाटी में स्थित है। अपनी शुरुआत से ही यह संस्थान कई अनुसंधान और विकास (R&D) प्रोजेक्ट्स में शामिल रहा है। संस्थान ने कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों, कंपनियों, अनुसंधान केंद्रों और संगठनों के साथ सहमति ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। देश में तकनीकी शिक्षा की पहुँच बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2011 के तहत यह संस्थान एक आईआईटी बना।
   अपनी सीएसआर पहलों के हिस्से के तौर पर, जीआईसी री ने 'रीवाइव सोलार' प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह एक डीप–टेक स्टार्टअप है जिसे आईआईटी मंडी कैटलिस्ट में इनक्यूबेट किया गया है। यह प्रोजेक्ट 'एंड–ऑफ़–लाइफ़' (उपयोग की अवधि समाप्त हो चुके) सोलर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल्स की सतत रिकवरी और रीसाइक्लिंग पर फ़ोकस करता है, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी वेस्ट से जुड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इस परियोजना की कुल लागत ₹10,00,00,000.00 है।

4. **एलिम्को** – भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) एक अनुसूची 'सी' मिनीरत्न श्रेणी ।। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के 'दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग' के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। एलिम्को दिव्यांग लोगों को मुफ़्त में सहायता और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने का काम करती है। इसने 40 से अधिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ भागीदारी की है, जिससे देश भर में लगभग 1.5 लाख लोगों को फ़ायदा पहुँचा है। अपनी सीएसआर पहलों के हिस्से के तौर पर, जीआईसी री ने बुजुर्गों को रोज़मर्रा के काम में मदद करने वाले उपकरण मुफ़्त उपलब्ध कराने के लिए एलिम्को को आर्थिक सहायता दी है। इसका मकसद उनकी गतिशीलता (मोबिलिटी), आत्मनिर्भरता और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इस परियोजना की कुल लागत ₹10,00,00,000.00 है।

5. **राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ)** – एनएसडीएफ की स्थापना 1998 में भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा धर्मास्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1890' के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य निगमीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, व्यक्तियों और अन्य स्रोतों से संसाधन जुटाकर खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना था। यह निधि खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय कोचिंग, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय अनुभव और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर व संबंधित विकास गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता देकर मदद करती है, जिससे खेल विभाग की पहलों को और मजबूती मिलती है। अपनी सीएसआर पहलों के हिस्से के तौर पर, जीआईसी री ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पैरा फिटनेस सेंटर के निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में योगदान दिया। इसका उद्देश्य पैरा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट (जैसे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, नई दिल्ली 2025) में मदद करना था। योगदान की राशि ₹17,38,01,570.00 थी।

6. **टाटा एसीटीआरईसी** – टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) की स्थापना टाटा समूह द्वारा 1941 में राष्ट्रीय व्यापक कैंसर केंद्र के तौर पर की गई थी। 1962 में यह केंद्र भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की देखरेख में एक स्वायत्त अनुदान-प्राप्त संस्थान बन गया। मुंबई क्षेत्र में टीएमसी के तहत काम करने वाले केंद्रो में परेल, मुंबई में 670 बिस्तरों वाला 'टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल' और 2001 में खारघर, नवी मुंबई में स्थापित रिसर्च कैंपस ' एसीटीआरईसी ' शामिल हैं। एसीटीआरईसी की परिकल्पना मूलभूत विज्ञान में गुणवत्तापूर्ण रिसर्च करने और उसे क्लिनिकल रिसर्च में बदलने के उद्देश्य0 से की गई थी। जीआईसी ने खारघर, नवी मुंबई स्थित उन्नत कैंसर उपचार, अनुसंधान और शिक्षा केंद्र (एसीटीआरईसी) के 'एडल्ट एंड पीडियाट्रिक हेमेटोलिम्फोइड कैंसर सेंटर' की पांचवीं मंजिल (56 बिस्तरों वाली डे केयर यूनिट) के विकास में योगदान दिया। इस परियोजना की लागत ₹12,15,10,678.00 है।

7. **एआरओएच फ़ाउंडेशन** – एआरओएच फ़ाउंडेशन भारत के प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के एनजीओ में से एक है। इसकी स्थापना 2001 में डॉ. नीलम गुप्ता ने की थी, जो एक जानी-मानी विकास पेशेवर प्रोफ़ेशनल और पुरस्कार विजेता लीडर हैं। एआरओएच ने 27 राज्यों, 213 ज़िलों और 36,000 से ज़्यादा गांवों में 20 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बदली है। जीआईसी री ने व्यापक स्कूल रूपांतरण के लिए निधि सहायता दी है। इस परियोजना का उद्देश्य असम के नागांव ज़िले और नागालैंड के दीमापुर ज़िले के 20 सरकारी स्कूलों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ़-सफ़ाई और खेल-कूद की सुविधाओं को बेहतर बनाना है। इस परियोजना की लागत ₹12,70,12,148.55 है।

8. **श्री पीतांबरा शिक्षा समिति** – श्री पीतांबरा शिक्षा समिति (एसपीएसएस) उत्तर प्रदेश का एक अग्रणी पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। यह संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कई क्षेत्रों में काम करती है। 2024 में इसने समाज के लिए 100 बेड वाला मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल शुरू किया और यह सीतापुर ज़िले में ग़रीब लोगों और उन इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचा रही हैं जहाँ चिकित्सा सुविधाएँ नहीं हैं। जीआईसी री ने उनकी परियोजना ''हेल्थकेयर को बेहतर बनाना: सीतापुर, उत्तर प्रदेश में 100-बेड वाले हॉस्पिटल का अत्याधुनिक मल्टी-स्पेशलिटी सुविधा में विस्तार'' के लिए योगदान दिया है। इस प्रस्ताव में सीतापुर, उत्तर प्रदेश में लहरपुर रोड पर स्थित 'के.पी. सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल' (परासराय, डाकधर-धोंधी) के मौजूदा 100-बेड वाले अस्पताल को अपग्रेड करने की योजना बताई गई है। इस परियोजना की लागत ₹3,93,56,616.00 है।

9. **प्रवाह** – प्रवाह, झारखंड में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है, जिसकी स्थापना श्री दिलीप कुमार दुबे के नेतृत्व में जोशीले सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह ने की थी। यह संस्था एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज को बनाने के लिए काम करती है जहाँ हर किसी को सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन मिले। प्रवाह ने टिकाऊ आजीविका, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तथा वॉटरशेड विकास पर केंद्रित कार्यक्रम लागू किए हैं। प्रवाह अभी झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में काम कर रही है। जीआईसी री ने उनकी परियोजना ''शिक्षा कायाकल्प: झारखंड के दो जिलों में मॉडल स्कूलों का नवीनीकरण और विकास'' में योगदान दिया है। इस परियोजना की लागत ₹5,34,77,409.00 है।

10. **ह्यूमन ऑर्गनाइज़ेशन फॉर पैट्रोनाइज़ेशन ऑफ़ एनवायरनमेंट (होप)** – 2008 में स्थापित, ह्यूमन ऑर्गनाइज़ेशन फॉर पैट्रोनाइज़ेशन ऑफ़ एनवायरनमेंट (होप) एक प्रमुख ज़मीनी स्तर की गैर-लाभकारी संस्था है, जिसे जम्मू-कश्मीर के चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील इलाकों में बड़े पैमाने पर समुदाय-संचालित परियोजनाओं को पूरा करने का 15 वर्ष से ज़्यादा का समर्पित अनुभव है। उनका मिशन हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाकर टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है, ताकि वे अपने पर्यावरण में बदलाव लाने वाले मुख्य एजेंट बन सकें। उनका मानना है कि सच्चा और स्थायी बदलाव तभी आता है जब स्थानीय समुदायों, खासकर महिलाओं के पास अपने संसाधनों का प्रबंधन करने और अपनी भलाई के लिए आवाज़ उठाने का कौशल, ज्ञान और अधिकार हो। जीआईसी री ने उनकी परियोजना – 'आरोही'

में योगदान दिया है। यह 12 महीने का एक व्यापक और गहन मिशन है जिसे जम्मू ज़िले में रोकथाम–आधारित स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मॉडल का मुख्य केंद्र जम्मू में एक समर्पित ''आरोही महिला स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र'' होगा, जो उन्नत स्क्रीनिंग, परमर्श और मरीज़ों की सहायता के लिए एक हब के रूप में काम करेगा। इस परियोजना की लागत ₹ 2,49,77,944.00 है।

11. **एंड पॉवर्टी (End Poverty) –** 'एंड पॉवर्टी' एक सिविल सोसाइटी है जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका उद्देश्य अपने परिचालन क्षेत्रों में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के आर्थिक विकास के लिए काम करना है। 'एंड पॉवर्टी' ने राजस्थान के अलवर ज़िले के 5 गांवों में काम शुरू किया था। आज यह 9 राज्यों के 1,250 से ज़्यादा गांवों तक पहुँच चुकी है और 1.65 लाख से ज़्यादा लोगों पर इसका असर पड़ा है। पिछले 16 सालों में, इसने डेयरी विकास, जलवायु के प्रति लचीलापन, खेती, ग्रामीण विकास और शिक्षा के क्षेत्र में अपने प्रोग्राम बढ़ाए हैं। जीआईसी री ने उनकी परियोजना 'ग्राम उदय – बेहतर भविष्य के लिए गांवों का कायाकल्प' में योगदान दिया है। प्रस्तावित परियोजना प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, शिक्षा, खेती और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, ताकि समुदाय की भलाई सुनिश्चित हो सके। इस पहल का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाना और उनका सही ढंग से प्रबंधन करना है, साथ ही मध्य प्रदेश के गुना ज़िले के 25 गांवों में इन खास कामों के ज़रिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस परियोजना की लागत ₹9,50,73,300.00 है।

12. **कोयंबटूर श्री महावीर वेलफेयर सोसाइटी –** कोयंबटूर श्री महावीर वेलफेयर सोसाइटी एक सामाजिक संस्था है जो वंचित लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। यह सोसाइटी 'जैन मेडिकल एंड डायलिसिस सेंटर' (JMDC) परियोजना की प्रवर्तक है। कोयंबटूर श्री महावीर वेलफेयर सोसाइटी के तहत 2012 में शुरू किया गया 'जैन मेडिकल एंड डायलिसिस सेंटर' (JMDC), कोयंबटूर और उसके आस–पास के इलाकों में आर्थिक रूप से कमज़ोर किडनी मरीज़ों को सस्ती, आसानी से उपलब्ध और अच्छी गुणवत्ता की डायलिसिस सेवाएँ देने में सबसे आगे रहा है। जीआईसी री ने इनकी परियोजना – 'जैन मेडिकल एंड डायलिसिस सेंटर' को निधि सहायता दी है, जिसका उद्देश्य समुदाय – लगभग 12,000 मरीज़ों – को अच्छी मेडिकल देखभाल और डायलिसिस सेवाएँ देना है। जेएमडीसी अपनी डायलिसिस सुविधाओं को बेहतर बनाने, परिचालन घाटे को पूरा करने और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए और डायलिसिस मशीनें खरीदने के लिए मदद चाहता है। इस परियोजना की लागत ₹1,46,00,000.00 है।

13. **कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन (CPAA) –** सीपीएए एक 56 साल पुरानी गैर–लाभकारी संस्था है, जिसका विज़न है 'कैंसर का पूरा मैनेजमेंट – शुरुआती पहचान से लेकर रिहैबिलिटेशन तक'। सीपीएए मेडिकल कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करती है और जागरूकता, शुरुआती पहचान, इलाज में मदद, गाइडेंस और काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन, रिसर्च स्टडीज़ और एडवोकेसी जैसे कामों पर ध्यान देती है। जीआईसी री ने 48 या उससे ज़्यादा बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए सीपीएए को ₹50,00,000.00 का योगदान दिया है।

14. **जनमित्रम कल्याण समिति –** जनमित्रम कल्याण समिति (''लोगों के दोस्त'') छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक प्रमुख गैर–लाभकारी संस्था के तौर पर उभरी है, जो हाशिए पर मौजूद आदिवासी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत 2002 में पंजीकृत, जनमित्रम ने पूर्वी छत्तीसगढ़ के जंगल वाले आदिवासी इलाकों में गरीबी, अशिक्षा, बेरोज़गारी, कुपोषण और सामाजिक असमानता जैसी कई समस्याओं को दूर करने के विज़न के साथ अपना सफ़र शुरू किया। जीआईजीसी री ने उनके 9 आदिवासी ग्रामीण हाटों को अपग्रेड करने और जनमित्रम एसपीएस मेमोरियल स्कूल (JSPS) का विस्तार करने की परियोजना के लिए निधि सहायता दी है। इस परियोजना की लागत ₹11,40,53,622.21 है।

15. **ग्राम कल्याण समिति (VWS) –** ग्राम कल्याण समिति (VWS) पर्यावरण के अनुकूल एक सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक विकास संगठन है। इसकी शुरुआत 1982 में पश्चिम बंगाल में हुई थी और इसने गरीबी के विभिन्न रूपों की पहचान करने और उनसे निपटने में अग्रणी भूमिका निभाई है। यह संगठन समाज के हाशिए पर रहने वाले और वंचित वर्गों के साथ काम कर रहा है, जिसमें विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूहों की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पिछले 34 वर्षों में इसके प्रयास समावेशी रहे हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुजुर्गों की देखभाल, पानी, स्वच्छता और साफ–सफाई, पोषण और आजीविका सुरक्षा, आपदा की तैयारी और जोखिम कम करने, तथा युवाओं के लिए रोजगार–क्षमता कौशल प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में सेवाएं शामिल हैं। जीआईसी ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के उदयनायण ब्लॉक के पंचारुल गांव में स्थित कमजोर महिलाओं के लिए चल रहे वृद्धाश्रम ''आनंदम'' के निवासियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ इमारत (पहली मंजिल) के निर्माण में योगदान दिया है। इस परियोजना की लागत ₹2,41,02,620.85 है।

16. **बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान (BSGSS) –** बीएसजीएसएस एक स्वैच्छिक संगठन है, जो 15–06–1994 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की दादरी तहसील के बिसनौली गांव में समाज सेवकों

के एक समूह द्वारा की गई थी। यह महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करता है। इस प्रयास के तहत, इसने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक लामबंदी जैसे कार्यों को अपनाया है। यह महिलाओं को सामाजिक–आर्थिक मुद्दों के बारे में जागरूक करने, उन्हें सूक्ष्म–वित्त की बुनियादी जानकारी देने और विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करने का प्रयास करता है, ताकि अंततः उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जा सके। जीआईसी री ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की खोड़ा कॉलोनी में 'जन आरोग्यम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र' की स्थापना के लिए बीएसजीएसएस को ₹99,03,000.00 की राशि का योगदान दिया है।

17. **सुहित जीवन ट्रस्ट –** पेन में स्थित सुहित जीवन ट्रस्ट एक पंजीकृत सार्वजनिक धर्मादा संगठन है। यह 2004 से महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले के ग्रामीण इलाकों में बौद्धिक और विकासात्मक रूप से दिव्यांग बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। अपने स्पेशल स्कूल (सुमंगल), व्यावसायिक केंद्र (एकलव्य), प्रारंभिक हस्तक्षेप इकाई (पल्लवी) और शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र (लाइटहाउस) के ज़रिए, वे 56 से ज़्यादा गांवों के 165 से ज़्यादा छात्रों को मुफ़्त शिक्षा, थेरेपी, प्रशिक्षण और देखभाल भी देते हैं। इसका उद्देश्य इन बच्चों के लिए आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन बनाना है। जीआईसी री ने खास ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए एक अलग दूसरी मंज़िल बनाने के लिए निधि सहायता दी है। इस परियोजना की लागत ₹3,42,05,821.00 है।

18. **पॉपुलेशन सर्विसेज़ इंटरनेशनल (PSI) –** पीएसआई की स्थापना भारत में 1980 में एक गैर–लाभकारी संगठन के तौर पर हुई थी, जो भारत में लोगों के जीवन की गुणवत्ता और भलाई को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। पीएसआई इंडिया समाज के सबसे पिछड़े वर्गों तक आसानी से उपलब्ध और सस्ती हेल्थकेयर पहुँचाने में सरकारों की मदद करने में सबसे आगे रहा है। जीआईसी री ने उनकी परियोजना 'नवजीवन' में योगदान दिया है। इस परियोजना का उद्देश्य बिहार के छह ज़िलों में माँ और नवजात शिशु की देखभाल के सिस्टम को मज़बूत करने के लिए मानक बुनियादी सुविधाएं और उपकरण स्थापित करना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य खासकर बिहार के 6 ज़िलों – भोजपुर, मुज़फ़्फ़रपुर, सिवान, कैमूर, जहानाबाद और सारण – में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) को मज़बूत करके बुनियादी सुविधा और स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाना है। इसमें माँ और नवजात शिशु की हेल्थकेयर सेवाओं को बेहतर बनाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इस परियोजना की लागत ₹8,01,30,960.00 है।

19. **जीआरएमडी फ़ाउंडेशन –** जीआरएमडी फ़ाउंडेशन 2014 में उप आयुक्त, कामरूप मेट्रो (असम) के कार्यालय में पंजीकृत एक गैर–लाभकारी संगठन है। यह डीसी हैंडीक्राफ्ट (भारत सरकार) के पास सूचीबद्ध है और इंडिया स्मार्ट ग्रिड फ़ोरम (ISGF) का एसोसिएट मेंबर है। फ़ाउंडेशन 2014 से असम में उद्यमिता और आजीविका, हथकरघा और हस्तशिल्प, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन, एग्रो–टूरिज्म, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, संस्कृति, कृषि, युवा विकास कार्यक्रम, ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक विकास, महिला सशक्तिकरण, और रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी में कौशल प्रशिक्षण जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। इसके लगभग 30% लाभार्थी असम के आदिवासी समुदायों से हैं और फ़ाउंडेशन इन समुदायों में अपने काम को और बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है। जीआईसी री ने बोको, असम में अहिंसा सिल्क (एरी सिल्क) के लिए निर्यात गांव विकसित करने के उनकी परियोजना के लिए निधि सहायता दी है। इस परियोजना की लागत ₹1,89,44,300.00 है।

20. **मंथन संस्था –** 1998 से, मंथन संस्था राजस्थान में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम कर रही है और समुदायों के साथ मिलकर पानी, शिक्षा और आजीविका पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अपनी जल–संबंधी पहलों के तहत, संस्था ने 600 ज़रूरतमंद परिवारों के लिए पानी की टंकियां बनाई हैं और बारिश के पानी को बचाने के लिए 24 बड़े तालाब बनाए हैं। इन तालाबों से 1,336 करोड़ लीटर बारिश का पानी जमा करने में मदद मिली है, जिससे शिक्षा और आजीविका के अवसर बेहतर हुए हैं और समुदाय पर जलवायु परिवर्तन का असर कम हुआ है। जीआईसी री ने उनकी परियोजना – ''वॉटर टैंक – वॉटर स्टोरेज टैंक / भीलावत बांध के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता'' के लिए निधि सहायता दी है। इस परियोजना की लागत ₹2,15,33,250.00 है।

21. **एनटीआर (नारायण ठाकुरसिंह राठौड़) चैरिटेबल फ़ाउंडेशन ट्रस्ट –** एनटीआर (नारायण ठाकुरसिंह राठौड़) चैरिटेबल फ़ाउंडेशन ट्रस्ट निगतीय निधियों को तुरंत सामाजिक लाभ में बदलने के लिए एक मज़बूत प्लेटफ़ॉर्म देता है। 2019 में स्थापित, इस ट्रस्ट ने सामुदायिक स्तर पर काम करने के साथ–साथ जटिल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू करने की बेहतरीन क्षमता दिखाई है। यह ट्रस्ट एक पंजीकृत पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो हेल्थकेयर, शिक्षा और सामुदायिक कल्याण तक पहुँच बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इनके रणनीतिक फ़ोकस एरिया में स्वास्थ्य, महिलाओं का स्वास्थ्य (सर्विकेयर), शिक्षा और खेल शामिल हैं। जीआईसी री ने इनके प्रोजेक्ट – ''प्रिसिजन वाशिम: 50,000 से ज़्यादा आकांक्षी नागरिकों के लिए सर्जरी पर लगने वाले 150 किमी के 'डिस्टेंस टैक्स' को खत्म करना'' – में योगदान दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत, एनटीआर ट्रस्ट, जीआईसी री की आर्थिक मदद से, संत सेवालाल महाराज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) वाशिम, महाराष्ट्र में चार क्रिटिकल सर्जिकल सिस्टम लगाएगा, जिसकी लागत ₹1,92,00,000.00 है।

22. **इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फ़ॉर द डिसेबल्ड –** इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फ़ॉर द डिसेबल्ड (IID) एक अग्रणी, गैर–लाभकारी स्वैच्छिक संगठन है जिसकी स्थापना 15 मार्च 1993 को हुई थी। यह दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण, समावेशन और सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है। जीआईसी री ने आईआईडी को सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों – खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों – के दिव्यांग बच्चों के लिए एक समर्पित बस सेवा (2 बसें) उपलब्ध कराने के लिए फ़ंड दिया है। इस परियोजना की लागत ₹54,06,378.00 है।

23. **इंडिया विज़न इंस्टीट्यूट –** इंडिया विज़न इंस्टीट्यूट (IVI) एक गैर–लाभकारी संस्था है, जिसे 2012 में भारत भर के उन समुदायों तक आंखों की देखभाल की सुविधा पहुँचाने के लिए बनाया गया था, जहाँ यह सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं थी। आईवीआईख का काम बच्चों, मज़दूरों, वाणिज्यिक वाहनो के ड्राइवरों, महिलाओं और समाज के कमज़ोर वर्गों पर केंद्रित है। समय के साथ, यह संस्था देश भर के 25 राज्यों में प्राथमिक नेत्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली एक प्रमुख गैर–लाभकारी संस्था बन गई है। यह संस्था विज़न स्क्रीनिंग, मुफ़्त चश्मे देने, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए रेफरल, जागरूकता अभियान, शिक्षा और अनुसंधान जैसे काम करती है। जीआईसी री ने इनके 'EYE SEE I WORK' प्रोजेक्ट के लिए निधि सहायता दी है जो चेन्नई, तमिलनाडु में मछुआरों के लिए एक खास विज़न स्क्रीनिंग और चश्मा देने का प्रोग्राम है। इस परियोजना की लागत ₹25,67,550.39 है।

निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) किसी कंपनी की अपने कामकाज के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों को ज़िम्मेदारी से और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप संचालित करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता है। सीएसआर के फ़ायदों में अच्छी प्रतिष्ठा बनाना, लोगों का सकारात्मक ध्यान आकर्षित करना, पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को कम करना और नवोन्मेषण को बढ़ावा देना शामिल है। लोगों में जागरूकता बढ़ने और सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार व्यवसायों की मांग बढ़ने के साथ, कंपनियाँ भविष्य के व्यावसायिक परिचालनों की योजना बनाते समय निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व पर भी विचार कर रही हैं, ताकि वे सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार भी हों।

निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का मकसद समाज को कुछ वापस देना, भलाई के कामों में हिस्सा लेना और समाज के लिए सकारात्मक योगदान देना है। कंपनियाँ बदलाव लाने और अपनी कंपनी की सकारात्मक ब्रांड इमेज बनाने के लिए तेज़ी से सीएसआर की ओर बढ़ रही हैं।

सीएसआर के प्रति जीआईसी री की प्रतिबद्धता एक सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार निगम बनने के उसके समर्पण को दर्शाती है। कंपनी ऐसे कामों में सक्रिय रूप से शामिल होती है जिनसे समाज और पर्यावरण को फ़ायदा हो, साथ ही ये काम कंपनी के कारोबारी लक्ष्यों और कानूनी ज़रूरतों के अनुरूप भी हों।

आर्थिक विहंगावलोकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा मुश्किल और असमान हालात के बीच वित्त वर्ष 2025–26 में प्रवेश किया। 2024 में 3.3% की बढ़ोतरी के बाद, वैश्विक वृद्धि 2025 में घटकर लगभग 3.2% हो गई और 2026 तक इसके 3.1–3.3% के दायरे में मोटे तौर पर स्थिर रहने का अनुमान है, जो धीमी लेकिन स्थिर बढ़ोतरी के दौर को दिखाता है। हालांकि समग्र वृद्धि ने मज़बूती दिखाई है, फिर भी यह महामारी से पहले के औसत से नीचे बनी हुई है, जो सख्त वित्तीय हालात, नीतिगत सामान्यीकरण और बदलती व्यपारिक गतिशीलता के मिले–जुले असर को दर्शाता है। इस स्थिरता को तकनीकी में लगातार निवेश, चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय सहायता और मोटे तौर पर अनुकूल वित्तीय स्थितियों से मदद मिली है।

हालांकि, वैश्विक आउटलुक में अलग–अलग क्षेत्रों के बीच बढ़ता अंतर बना हुआ है। व्यापार नीति को लेकर अनिश्चितताओं, खासकर 2025 की शुरुआत में टैरिफ से जुड़े कदमों के कारण गतिविधियों पर असर पड़ा है और वृद्धि की उम्मीदें कम हुई हैं। साथ ही, महंगाई के रुझान में नरमी आई है लेकिन अलग–अलग क्षेत्रों में यह असमान बनी हुई है, और कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह ज़्यादा समय तक बनी हुई है।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, अमेरिका ने राजकोषीय विस्तार और शुरुआती तेज़ी से मिली मदद के कारण निकट भविष्य में मज़बूत गति दिखाई है, हालांकि वृद्धि के धीमे होने की उम्मीद है क्योंकि सख्त वित्तीय हालात और कम होती राजकोषीय सहायता का असर मांग पर पड़ने लगा है। यूरोज़ोन को अभी भी संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और वृद्धि दर धीमी बनी हुई है, जो कमज़ोर औद्योगिक गतिविधि, लगातार सेवा महंगाई और कम ऋण मांग को दर्शाता है।

चीन का वैश्विक वृद्धि में अहम योगदान बना हुआ है, हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर में जारी चुनौतियों, निवेशकों की कमज़ोर धारणा और ज़्यादा खपत–आधारित वृद्धि मॉडल की ओर धीरे–धीरे बदलाव के कारण इसकी रफ़्तार धीमी होने की उम्मीद है। मज़बूत घरेलू मांग, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और डिजिटल टेक्नोलॉजी को तेज़ी से अपनाने की वजह से उभरते बाज़ारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक वृद्धि में बड़ा हिस्सा बना हुआ है।

मौजूदा स्थिरता के बावजूद, गिरावट का जोखिम ज़्यादा बना हुआ है। भौगोलिक–राजनीतिक तनाव, बदलती व्यापारिक गतिशीलता और वैश्विक स्तर पर भारी कर्ज़ से संरचनात्मक कमज़ोरियां बनी हुई हैं, जिनसे व्यापार प्रवाह, आपूर्ति श्रृंखला और निवेश गतिविधियों में रुकावट आ सकती है।

ऐसे माहौल में, नीति निर्माताओं के सामने महंगाई कम करने और वृद्धि को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती बनी हुई है। केंद्रीय बैंक सतर्क रुख अपनाए हुए हैं, क्योंकि हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी के बावजूद कई स्थानों पर कोर मुद्रास्फीति अभी भी लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। सतत प्रगति इस बात पर निर्भर करेगी कि नीतियां बनाने में तालमेल और डेटा का इस्तेमाल हो, राजकोषीय ढांचा भरोसेमंद हों और लंबे समय तक चलने वाली समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक सुधार किए जाएं।

भारतीय अर्थव्यवस्था

इस माहौल में, भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025–26 में मज़बूत और व्यापक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया। वर्ष के दौरान वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर में काफ़ी तेज़ी आई, जिसे मज़बूत निजी खपत, सरकार के शुरुआती दौर के बड़े पूंजीगत खर्च, अच्छे मॉनसून और जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने जैसे नीतिगत बदलावों से सहारा मिला। वर्ष के दौरान वृद्धि अनुमानों को बढ़ाया गया, जो प्रमुख क्षेत्रों में लगातार बनी हुई तेज़ी को दर्शाता है।

वर्ष के अधिकांश समय में समष्टि आर्थिक माहौल मददगार बना रहा, जिससे सोच–समझकर नीतिगत ढील देना संभव हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक ने नीतिगत दरों में कुल मिलाकर कटौती की, जिससे ऋण विस्तार में सहायता मिली, परिवारों की खरीदने की क्षमता मज़बूत हुई और अर्थव्यवस्था के उन हिस्सों में मांग बनी रही जो ब्याज दरों में बदलाव से प्रभावित होते हैं।

राजकोषीय और बाहरी मोर्चे पर, मुख्य संकेतक मज़बूत बने रहे। सरकार का पूंजीगत व्यय संवृद्धि का मुख्य इंजन बना रहा, जिसमें बुनियादी ढांचा, ऊर्जा ट्रांज़िशन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर लगातार ध्यान दिया गया। जीएसटी संग्रहण मज़बूत बना रहा, जबकि चालू खाता घाटा नियंत्रण में रहा और विदेशी मुद्रा भंडार सुखद स्तर पर बना रहा, जो दुनिया भर में अस्थिर माहौल के बावजूद बाहरी क्षेत्र में स्थिरता को दर्शाता है।

हालांकि, वर्ष के आखिरी हिस्से में तेज़ी में कुछ कमी आई। खासकर पश्चिम एशिया में बढ़ते भौगोलिक–राजनीतिक तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं और भारतीय रुपये पर दबाव पड़ा, जिससे वर्ष के दौरान रुपये की कीमत में गिरावट आई। इसके चलते विदेशी निवेश बाहर गया और ब्याज दरें घटाने की प्रक्रिया रुक गई, क्योंकि नीति का ध्यान मुद्रा में स्थिरता और तरलता प्रबंधन पर केंद्रित हो गया।

आगे की बात करें तो, निकट भविष्य के लिए आउटलुक सकारात्मक बना हुआ है, हालांकि बाहरी चुनौतियां भी उभर रही हैं। वस्तुओं की कीमतों, पूंजी प्रवाह और भौगोलिक–राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़े जोखिमों पर बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत है। फिर भी, मज़बूत घरेलू मांग, लगातार सार्वजनिक निवेश और डिजिटलीकरण व औपचारीकरण जैसे संरचनात्क कारकों से भारत को समर्थन मिल रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था मध्यावधि में लगातार विस्तार के लिए अच्छी स्थिति में है।

भारतीय बीमा क्षेत्र में घटनाक्रम

साधारण बीमा उद्योग

भारत के गैर-जीवन बीमा उद्योग ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विकास में उल्लेखनीय तेज़ी दर्ज की। सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (जीडीपीआई) लगभग ₹3.36 लाख करोड़ तक पहुँच गई, जो वर्ष-दर-वर्ष अच्छी वृद्धि को दर्शाता है। यह पिछले वर्ष दर्ज की गई धीमी वृद्धि दर की तुलना में सुधार है। इस सुधार में स्वास्थ्य बीमा में सुधार, मोटर और संपत्ति सेगमेंट में बेहतर गति और अनुकूल विनियामक घटनाक्रमों का योगदान रहा।

हालाँकि, वर्ष के दौरान वृद्धि एक समान नहीं रही। पहली छमाही पर लंबी अवधि की पॉलिसी के लिए संशोधित लेखांकन नियमों का प्रभाव जारी रहा, जिससे पॉलिसी की अवधि के दौरान प्रीमियम के निर्धारण में देरी हुई। इसके अलावा, फसल बीमा सेगमेंट में सुस्त प्रदर्शन का असर समग्र वृद्धि पर पड़ा। दूसरी छमाही में गति मज़बूत हुई क्योंकि ये प्रभाव सामान्य हो गए, जिससे वर्ष के अंत तक परिचालन की दिशा अधिक स्थिर हो गई।

सेगमेंट के स्तर पर, स्वास्थ्य बीमा मुख्य वृद्धि संवाहक बना रहा। एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने मज़बूत दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की और अतिरिक्त प्रीमियम में बड़ी हिस्सेदारी हासिल की। साधारण बीमा कंपनियों ने लगातार विस्तार दर्ज किया, जबकि मोटर और संपत्ति सेगमेंट में धीरे-धीरे सुधार देखा गया। इसमें बेहतर नवीकरण प्रवृत्ति और चुनिंदा वाणिज्यिक क्षेत्रों में मज़बूत कीमतों का योगदान रहा। हालाँकि, फसल बीमा को संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना जारी रहा।

इस वर्ष विनियामक नियमों में ढील के कारण रणनीतिक गतिविधियों में भी तेज़ी देखी गई। प्रत्यक्ष निवेश विदेशी (एफडीआई) की सीमाएं बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और पूंजी का प्रवाह बढ़ा। रणनीतिक लेन-देनों, पूंजी बाज़ार की गतिविधियों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश से इस क्षेत्र की दीर्घकालिक वृद्धि संभाव्यता में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।

संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य से देखें तो गैर-जीवन बीमा सेगमेंट में बीमा की पहुंच अभी भी कम है, जिससे इसके विस्तार की काफी गुंजाइश दिखती है। पहुंच बढ़ाने, डिजिटल अंगीकरण को बढ़ावा देने और उत्पाद नवोन्मेषण को बेहतर बनाने के लिए चल रहे विनियामक प्रयासों से समय के साथ बाज़ार में पैठ बढ़ने और ग्राहकों के साथ जुड़ाव बेहतर होने की उम्मीद है।

भावी संभावनाएं

आउटलुक सकारात्मक बना हुआ है और उम्मीद है कि वृद्धि उच्च एकल अंक से निम्न दोहरे अंक के दायरे में बनी रहेगी। स्वास्थ्य बीमा मुख्य वृद्धि इंजन बना रहेगा, जिसे बढ़ती जागरूकता, ज़्यादा कवरेज और लगातार उत्पाद नवोन्मेषण से मदद मिलेगी। मोटर बीमा की वृद्धि गाड़ियों की बिक्री से जुड़ी रहेगी, जबकि अग्नि और इंजीनियरिंग सेगमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी मांग और बेहतर कीमत निर्धारण अनुशासन से फायदा होने की उम्मीद है।

बढ़ती प्रयोज्य आय, शहरीकरण और जोखिम के प्रति बढ़ती जागरूकता जैसे संरचनात्क संवाहक दीर्घकालिक मांग को सहारा देंगे। साथ ही, वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव, सरकारी खर्च में संभावित कमी और बड़ी आपदाओं के जोखिम को देखते हुए लगातार सतर्क रहने की ज़रूरत है।

कुल मिलाकर, यह क्षेत्र समर्थनकारी विनियामक सुधारों, बेहतर परिचालन दक्षता और खुदरा एवं वाणिज्यिक दोनों सेगमेंट में लगातार मांग से फायदा उठाने की अच्छी स्थिति में है, जिससे वित्तीय मजबूती और जोखिम से सुरक्षा बढ़ाने में इसकी भूमिका और मजबूत होती है।

जीवन बीमा उद्योग

भारत के जीवन बीमा उद्योग ने वित्त वर्ष 2025-26 में ज़बरदस्त रिकवरी की। इसमें न्यू बिज़नेस प्रीमियम(एनबीपी) पहली बार ₹4 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर लगभग ₹4.6 लाख करोड़ तक पहुँच गया। यह मज़बूत वृद्धि की राह को दिखाता है, जिसे विनियामक सामान्यीकरण, ग्राहकों के बेहतर भरोसे और मांग की अनुकूल स्थितियों का समर्थन मिला।

यह वृद्धि व्यापक स्तर पर रही, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की बीमा कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। मंद वृद्धि के दौर के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने फिर से रफ़्तार पकड़ी, जबकि निजी बीमा कंपनियों ने विविध वितरण क्षमताओं और उत्पाद नवोन्मेषणों के दम पर तेज़ी से विस्तार जारी रखा। व्यक्तिगत और समूह (ग्रुप) दोनों सेगमेंटों ने इसमें अहम योगदान दिया, जिसमें समूह व्यवसाय ने विशेष रूप से मज़बूत गति दिखाई।

उद्योग को पिछले वित्त वर्ष में लागू किए गए विनियामक बदलावों के बाद स्थिरता का लाभ मिला, क्योंकि बीमा कंपनियों ने उसी के अनुसार अपने उत्पाद पोर्टफोलियो और वितरण रणनीतियों में बदलाव किए। विनियामक ढांचे में बेहतर स्पष्टता और डिजिटल तकनीक को ज़्यादा अपनाने से कामकाज का माहौल अधिक स्थिर और अनुमान लगाने योग्य बना।

मांग का रूझान, खासकर संरक्षण–उन्मुख उत्पादों में अनुकूल बना रहा क्योंकि लोगों में वित्तीय जागरूकता बढ़ी है और वे आय सुरक्षा पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। सूक्ष्म वित्त से जुड़े बीमा उत्पादों के विस्तार से अर्ध–शहरी और ग्रामीण बाज़ारों में भी इनकी पहुंच बढ़ी है।

भावी संभावनाएं

जीवन बीमा क्षेत्र के लिए मध्यावधि संभावनाएं सकारात्मक बनी हुई हैं, हालांकि वित्त वर्ष 2026–27 में वृद्धि पिछले वर्ष के ऊंचे आधार के मुकाबले थोड़ी धीमी हो सकती है। बचत का बढ़ता वित्तीयकरण, वितरण चैनलों का विस्तार और अनुकूल जनसांख्यिकी जैसे संरचनात्मक संवाहह दीर्घकालिक वृद्धि को सहारा देते रहेंगे।

विनियामक पहलों और बढ़ती विदेशी भागीदारी से बाज़ार की गहराई बढ़ने, नवोन्मेषण को सहारा मिलने और परिचालन क्षमताएं बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि निकट भविष्य की वृद्धि पर समष्टि आर्थिक कारकों और बदलती उत्पाद पसन्द का असर पड़ सकता है, लेकिन यह क्षेत्र मध्यम अवधि में अपनी वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है।

वैश्विक पुनर्बीमा परिदृश्य 2026–27

वैश्विक पुनर्बीमा उद्योग ने कई वर्षों के अनुशासित बीमांकरन, बेहतर जोखिम चयन और अच्छे निवेश प्रतिलाभ की बदौलत वित्त वर्ष 2025–26 में काफी मज़बूत वित्तीय स्थिति के साथ पदार्पण किया। हालांकि, इस वर्ष पुनर्बीमा चक्र में बदलाव देखा गया; प्रचुर पूंजी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा तीव्रता के चलते ज़्यादातर क्षेत्रों में कीमतें नरम होने लगीं।

दुनिया की प्रमुख पुनर्बीमा कंपनियों ने वर्ष के एक बड़े हिस्से में नुकसान के अनुकूल अनुभव की मदद से मज़बूत वित्तीय प्रदर्शन जारी रखी। पूंजी स्तर मज़बूत बना रहा; वैकल्पिक पूंजी में लगातार बढ़ोतरी और निवेशकों की लगातार भागीदारी ने बाजार में क्षमता को और मज़बूत किया।

इन मजबूतियों के बावजूद, उद्योग के व्यापक माहौल में सामान्य होने के संकेत दिखे। लाभ में चरम स्तर के मुकाबले कमी आई, क्योंकि बड़ी आपदाओं से हुए नुकसान और दावे की बदलती प्रवृत्तियों की बीमांकन मार्जिन पर असर पड़ा। उम्मीद है कि संयुक्त अनुपात और प्रतिलाभ मेट्रिक्स मध्य–चक्र माहौल के स्तर पर स्थिर हो जाएंगे, क्योंकि कीमत–निर्धारण में अनुशासन धीरे–धीरे कम हो रहा है।

अलग–अलग व्यवसाय क्षेत्रों में प्रदर्शन अलग–अलग रहा। संपत्ति पुनर्बीमा को कीमतों में बनी हुई मजबूती का फायदा मिलता रहा, हालांकि इसमें नरमी के शुरुआती संकेत भी दिखे हैं। दावे की लागत बढ़ने और लंबे समय तक बने रहने वाले जोखिमों की वजह से दुर्घटना पुनर्बीमा पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। जीवन और स्वास्थ्य पुनर्बीमा ने स्थिर प्रदर्शन दर्शाया , जिसमें मृत्यु दर के सामान्य होने का भी योगदान रहा।

रेटिंग एजेंसियों की राय में कुछ अंतर दिखा; ज़्यादातर ने आउटलुक को स्थिर बनाए रखा, जबकि कुछ ने क्षमता बढ़ने और कीमतों को लेकर मुकाबले की वजह से मार्जिन कम होने की संभावना जताई, खासकर उन सेगमेंट में जहां बड़ी आपदाओं का जोखिम ज़्यादा होता है।

वैश्विक पुनर्बीमा उद्योग के लिए दृष्टिकोण सतर्कतापूर्वक आशावादी बना हुआ है, हालांकि चक्रीय नरमी के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। अल्पकालिक पुनर्बीमा लाइनों में मूल्य निर्धारण में और नरमी आने की उम्मीद है, जिससे बीमा मार्जिन पर दबाव पड़ेगा। लाभप्रदता की स्थिरता अनुशासित बीमा, विवेकपूर्ण पूंजी आवंटन और परिष्कृत जोखिम चयन पर अधिकाधिक निर्भर करेगी।

उद्योग के मूलभूत कारक सहायक बने हुए हैं, जिनमें बेहतर बीमा संरचनाएं, मजबूत पूंजी बफर और स्थिर निवेश आय लचीलापन प्रदान कर रहे हैं। हालांकि, आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति, बदलते जोखिम और व्यापक समष्टि आर्थिक अनिश्चितताओं से निकट से मध्यम अवधि में परिचालन स्थितियों पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

समग्र रूप में, हालांकि बाजार अपने चक्रीय शिखर से आगे निकल चुका है, फिर भी यह क्षेत्र उचित लाभप्रदता बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है, बशर्ते बीमा अनुशासन बनाए रखा जाए और पोर्टफोलियो रणनीतियां बदलते वैश्विक जोखिम गतिशीलता के अनुरूप हों।

व्यवसाय का विहंगावलोकन

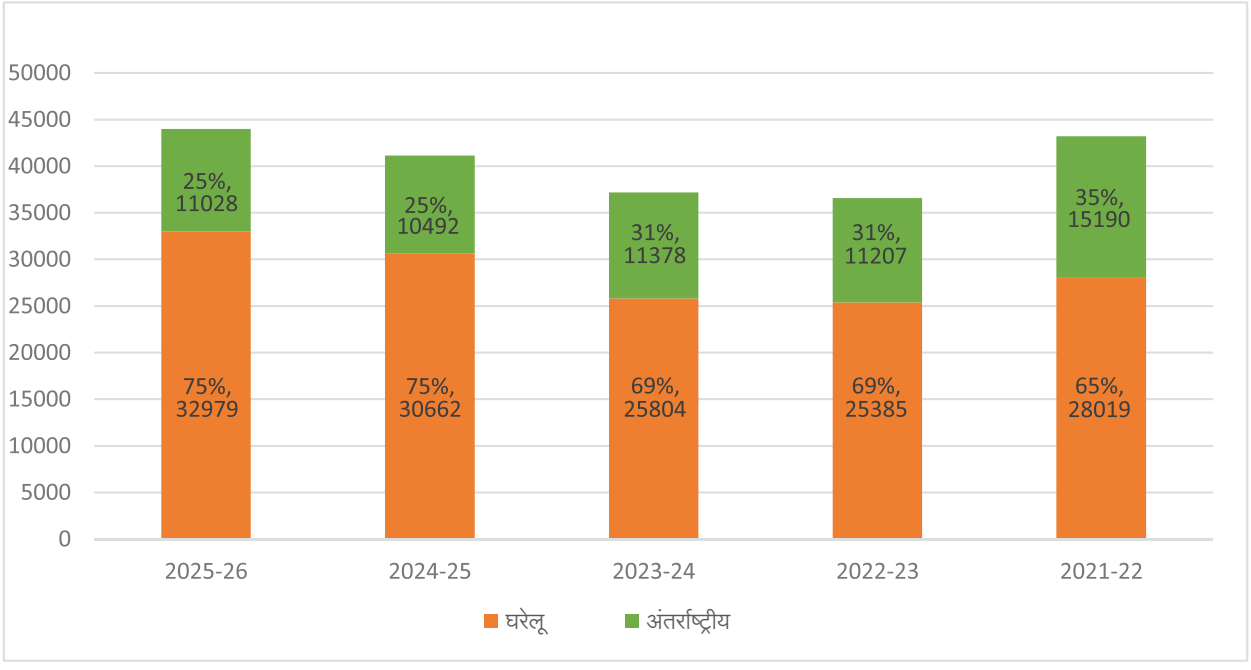
प्रस्तावना

वर्ष 2025–26 के दौरान निगम की सकल प्रीमियम आय 6.93% बढ़कर ₹44,007 करोड़ हो गई, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संरचना लगभग अपरिवर्तित रही। अर्जित प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में उपगत हानि अनुपात 85.40% है, जबकि पिछले वर्ष यह 88.44% था। निवेश से आय (सकल) ₹13,122.17 करोड़ रही।

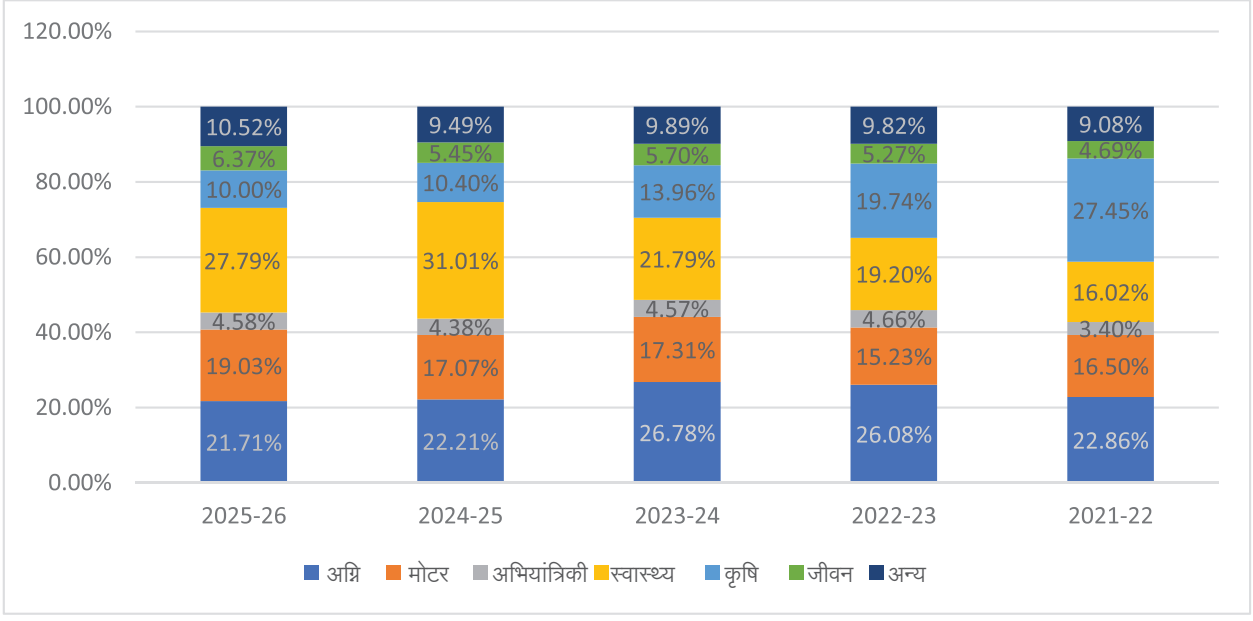
कुल व्यावसायिक व्यय और अर्जित प्रीमियम का अनुपात, अर्थात् संयुक्त अनुपात, 106.02% रहा। 31 मार्च 2026 तक निगम का सॉल्वेंसी मार्जिन 4.21 था।

व्यवसाय की संरचना

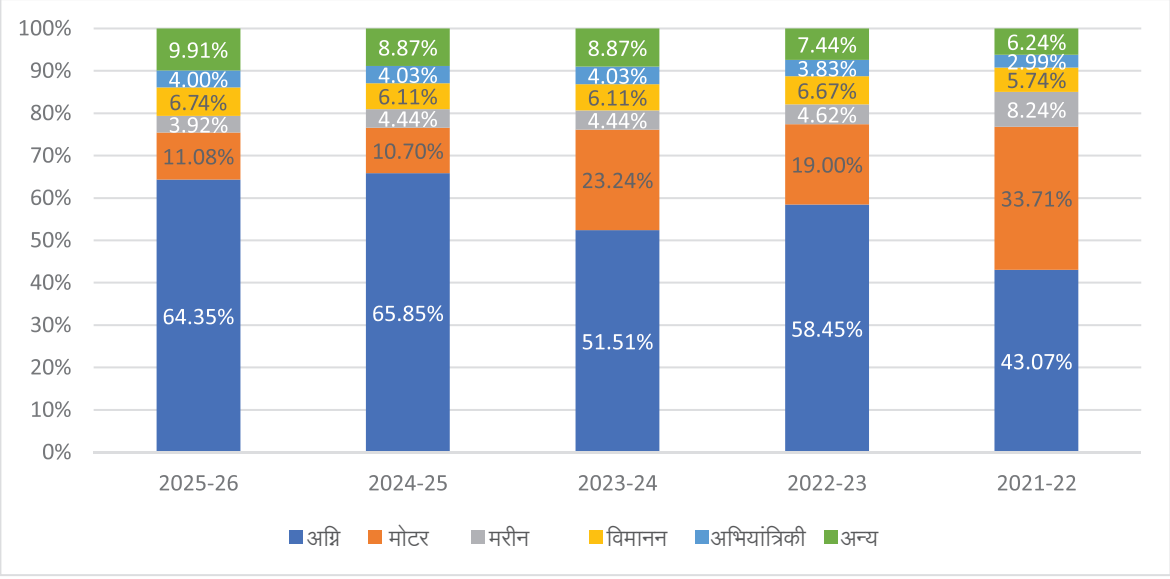
(₹ करोड़ में)



घरेलू सीओबी मिश्रण



अंतर्राष्ट्रीय सीओबी मिश्रण



श्रेणी–वार प्रदर्शन

घरेलू

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय की श्रेणी	सकल प्रीमियम		उपगत दावा अनुपात %	
	2025–26	2024–25	2025–26	2024–25
अग्नि	7159	6811	75.92	85.28
मोटर	6275	5233	81.02	81.20
विमानन	94	88	121.12	55.53
इंजीनियरिंग	1509	1343	64.78	67.35
डब्ल्यू. सी.	32	25	5.34	83.20
देयता	681	541	62.30	93.62
पीए	705	530	61.24	52.05
स्वास्थ्य	9167	9508	85.46	81.64
कृषि	3298	3188	90.66	90.42
अन्य विविध	1084	902	63.02	52.96
एफएल/क्रेडिट	224	209	32.59	0.53
मरीन कार्गो	374	377	57.26	77.34
मरीन हल	277	236	26.15	46.30
जीवन	2100	1671	133.50	148.15

अंतर्राष्ट्रीय

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय की श्रेणी	सकल प्रीमियम		उपगत दावा अनुपात %	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
अग्नि	7097	6908	72.00	84.86
मोटर	1222	1123	172.12	119.44
विमानन	744	641	201.26	96.13
इंजीनियरिंग	441	423	62.80	73.77
डब्ल्यू. सी.	3	4	850.91	2389.08
देयता	206	233	133.83	101.61
पीए	50	44	65.08	65.96
स्वास्थ्य	24	20	53.41	51.22
कृषि	95	75	63.93	50.04
अन्य विविध	315	268	81.41	106.50
एफएल/क्रेडिट	49	91	1.26	-35.86
मरीन कार्गो	175	135	157.06	224.14
मरीन हल	256	331	83.81	115.49
जीवन	351	196	155.32	87.57

संपत्ति (अग्नि एवं इंजीनियरिंग)

हाल के वर्षों में जोरदार कमाई, बेहतर निवेश प्रतिलाभ और वैकल्पिक पूंजी में लगातार बढ़ोतरी की वजह से पुनर्बीमा क्षमता काफ़ी बढ़ी है। अब कुल वैश्विक पुनर्बीमा पूंजी का अनुमान 830 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जिसमें आपदा बांड और बीमे से जुड़ी दूसरी प्रतिभूतियों जैसे लिखत बाज़ार में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

साथ ही, वैश्विक स्तर पर बड़ी आपदाओं से होने वाला नुकसान भी अधिक बना हुआ है, जो मौसम से जुड़ी घटनाओं की बारंबारता और गंभीरता पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर को दिखाता है। वर्ष 2025 लगातार छठा ऐसा वर्ष रहा जब बीमा के तहत होने वाला नुकसान 100 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक रहा; इसकी मुख्य वजहें अमेरिका में भयंकर तूफ़ान, जंगल की आग, बाढ़ और समुद्री तूफान जैसी घटनाएँ रहीं। द्वितीयक जोखिम अक्सर बार हो रहे हैं, जबकि बड़ी घटनाएँ अब भी सबसे ज़्यादा संभावित नुकसान का कारण बनती हैं। हालाँकि, अधिक प्रतिधारण स्तर और बेहतर प्रोग्राम संरचना ने पुनर्बीमाकृत पर पड़ने वाले असर को सीमित करने में मदद की है।

बाज़ार की स्थितियां प्रतिस्पर्धी बनी हुई हैं और कई खडों में आपूर्ति और मांग का संतुलन सीडेंट्स (बीमा जोखिम ट्रांसफर करने वालों) के पक्ष में है। हालांकि कुल मिलाकर बीमांकन (अंडरराइटिंग) में अनुशासन बनाए रखा गया है, लेकिन भरपूर क्षमता का प्रभाव जोखिम समायोजित कीमत-निर्धारण के परिणामों पर पड़ रहा है, खासकर उन कार्यक्रमों के मामले में जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

कुल मिलाकर, पुनर्बीमा बाजार मजबूत और अच्छी पूंजी वाला बना हुआ है। आगे चलकर, जलवायु से जुड़े जोखिम एक अहम बात बने रहेंगे; इसलिए जैसे-जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, अनुशासित अंडरराइटिंग, जोखिम का सावधानी से चयन और पूंजी का सही इस्तेमाल और भी आवश्यक हो जाएगा।

घरेलू

वित्त वर्ष 2025-26 में घरेलू अग्नि और इंजीनियरिंग बीमा बाज़ार में सुधार देखा गया। इसमें सकल प्रीमियम वित्त वर्ष 2024-25 के ₹30,280 करोड़ से बढ़कर ₹34,325 करोड़ हो गया, जो वर्ष-दर-वर्ष 13.36% की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि वर्ष के दौरान एक्सपोज़र बढ़ने और कीमतों में सुधार के कारण हुई।

1 जनवरी 2025 से कीमतों की स्थिति में साफ़ सुधार दिखा। इसके पीछे कुछ खास जोखिमों में नुकसान के अनुभव के बाद सुधारात्मक कदम और वित्त वर्ष की शुरुआत में दरों में भारी कटौती के बाद कीमतों की पर्याप्तता का व्यापक रूप से फिर से मूल्यांकन करना जैसे कारण थे। पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा तकनीकी मूल्य निर्धारण अनुशासन पर अधिकज़ोर देने से भी बाज़ार के प्रीमियम में सुधार हुआ। उन्होंने अंडरराइटिंग फ़ीडबैक और दरों की पर्याप्तता के संकेत दिए, खासकर उन जोखिमों के लिए जिनमें नुकसान की संभावना ज़्यादा थी या जो बड़ी आपदाओं के जोखिम वाले थे।

हालाँकि, कीमतों में यह सुधार न तो एक जैसा था और न ही लंबे समय तक बना रहा। तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई। बीमा कंपनियों ने ज़्यादा क्षमता का इस्तेमाल किया और आक्रामक मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ अपनाईं, जिससे कई सेगमेंट में दरों में कमी आई। इससे वर्ष की शुरुआत में कीमतों में हुई बढ़ोतरी का कुल असर कम हो गया।

इस माहौल में, जीआईसी री के घरेलू अग्नि और इंजीनियरिंग पोर्टफोलियो ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान संतुलित अंडरराइटिंग और चुनिंदा भागीदारी की मदद से ठीक–ठाक वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने जोखिम चयन में अनुशासित दृष्टिकोण अपनाया और मात्रा–आधारित वृद्धि के बजाय अंडरराइटिंग की गुणवत्ता पर ज़ोर दिया। सकल प्रीमियम आय ₹8154.66 करोड़ से बढ़कर ₹8668.85 करोड़ हो गई, जिसमें 6.30% की वृद्धि दर्ज की गई; यह कीमतों में उतार–चढ़ाव के बीच अंडरराइटिंग अनुशासन के अनुरूप था।

अनिवार्य सेशन, जो इस सेगमेंट के प्रीमियम का लगभग 15.53% हिस्सा हैं, ने पैमाने, विविधीकरण और प्रीमियम प्रवाह की निरंतरता प्रदान करके स्थिरता बनाए रखने में भूमिका निभाई।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान अग्नि और इंजीनियरिंग (घरेलू) सेगमेंट के अंडरराइटिंग प्रदर्शन में सुधार हुआ; अग्नि के लिए संयुक्त अनुपात 99.86% और इंजीनियरिंग के लिए 83.63% रहा, जिससे पिछले वर्ष देखी गई सकारात्मक प्रवृत्ति जारी रही। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति अपेक्षाकृत सामान्य रहने से लॉस एक्सपीरिएंस में लाभ हुआ; हालांकि, सामान्य नुकसान (attritional losses) और एक्सपोज़र से जुड़ी अस्थिरता इस सेगमेंट का स्वाभाविक हिस्सा बनी हुई है।

हानि अनुपात में सुधार के बावजूद, समग्र लाभप्रदता संरचनात्मक दबावों के अधीन रहा। प्रतिस्पर्धी बाज़ार की स्थितियों, सीडिंग कंपनियों की बढ़ती मोल–भाव करने की क्षमता और एफआरबी, सीबीआर तथा गिफ्ट सिटी आईएफएससी में पंजीकृत आईआइओ की बढ़ती मौजूदगी के कारण अर्जन लागत बढ़ गई; इसके परिणाम स्वरूप अंडरराइटिंग के बेहतर परिणामों का मार्जिन बढ़ने में जो असर होना चाहिए था, वह सीमित रहा।

अग्नि और इंजीनियरिंग पोर्टफोलियो पर कीमत–निर्धारण, अर्जन लागत, बड़ी आपदाओं, बाजार संरचना और संकेंद्रण से जुड़े जोखिम बने हुए हैं। ये जोखिम प्रतिस्पर्धा के दबाव, प्राकृतिक आपदाओं के जमाव और बदलती बाजार गतिशीलता के कारण पैदा होते हैं। इन जोखिमों को अनुशासित अंडरराइटिंग, पोर्टफोलियो स्तर पर एक्सपोजर की निगरानी, रेट्रोसेशन के सही इस्तेमाल और बड़े एवं उच्च मूल्य वाले जोखिमों के बेहतर तकनीकी मूल्यांकन के ज़रिए नियंत्रित किया जाता है।

आगे विचार करने पर, वित्त वर्ष 2026–27 में घरेलू अग्नि सेगमेंट के लिए हालात चुनौतीपूर्ण बने रहने की उम्मीद है। खासकर गिफ्ट सिटी आईआईओ से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और विदेशी पुनर्बीमा शाखा की अधिक भागीदारी से अर्जन लागत बढ़ने और पुनर्बीमा मार्जिन पर और दबाव पड़ने की संभावना है। प्रत्यक्ष बीमा बाजार में लगातार प्रतिस्पर्धा का दबाव भी कीमत–निर्धारण स्तर पर असर डाल सकता है।

इसके प्रत्युत्तर में, कंपनी पोर्टफोलियो की गुणवत्ता को सुरक्षित रखने और जोखिम–समायोजित प्रतिलाभ को बेहतर बनाने के लिए चुनिंदा अंडरराइटिंग, अनुशासित कीमत–निर्धारण, पुनः पुनर्बीमा (रेट्रोसेशन) के समझदारी भरे इस्तेमाल और जोखिमों के जमाव के सख्त नियंत्रण पर ध्यान देना जारी रखेगी।

विदेशी

जीआईसी री के अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति व्यवसाय (जिसमें शाखाएं भी शामिल हैं) ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए लगभग 2.82% की सकल प्रीमियम वृद्धि दर्ज की। यह वृद्धि मुख्य बाज़ारों के साथ लगातार जुड़ाव और रणनीतिक अंडरराइटिंग के बावजूद सुलभ बाजार चक्र को दिखाती है। अग्नि और इंजीनियरिंग के लिए उपगत दावा अनुपात 84.06% से घटकर 72.41% हो गया, क्योंकि किसी बड़ी वैश्विक घटना के न होने के बावजूद, वैश्विक बड़ी आपदा से हुए नुकसान में द्वितीयक जोखिमों का ज़्यादा असर रहा। नुकसान में घट–बढ अब सिर्फ़ पारंपरिक चरम खतरों (बड़ी आपदाओं) से नहीं, बल्कि मध्यम आकार की, जलवायु–संवेदनशील घटनाओं से अधिक हो रहा है।

चूंकि जलवायु परिवर्तन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरह की आपदाओं की बारंबारता और गंभीरता को प्रभावित कर रहा है, इसलिए जीआईसी री एक गतिशील और अनुकूलनशील दृष्टिकोण को मज़बूत करने और उभरते वैश्विक जोखिम प्रवृत्तियों के अनुसार अपनी रणनीतियों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मोटर

घरेलू

भारतीय साधारण बीमा बाजार में मोटर बीमा एक अहम हिस्सा बना हुआ है। हाल के वर्षों में, इस सेक्टर में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। इसकी वजहें हैं – गाड़ियों की बढ़ती संख्या, बीमा मूल्य में बढ़ोतरी, विनियामक स्थिरता और अंडरराइटिंग के तरीकों में धीरे–धीरे सुधार। इलेक्ट्रिक गाड़ियों (ईवी) का तेज़ी से चलन मोटर इंश्योरेंस बाजार में एक बड़ा बदलाव है। ईवी के लिए औसतन अधिक प्रीमियम देना पड़ता है और इनके बैटरी सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए खास कवरेज की ज़रूरत होती है।

2025 में जीएसटी में बदलाव से सस्ती छोटी कारों और दो–पहिया गाड़ियों पर कर की दरें कम हुईं, जिससे ये गाड़ियां अधिक सस्ती हो गईं और पहली बार गाड़ी खरीदने वालों को बाजार में आने के लिए बढ़ावा मिला। कीमतों में इस कमी से गाड़ियों की मांग और बिक्री, खासकर ग्रामीण और अर्ध–शहरी इलाकों में, बढ़ाने में मदद मिली है, जिससे ऑटोमोटिव सेक्टर की वृद्धि को बढ़ावा मिला है।

मोटर बीमा को नियंत्रित करने वाला विनियामक ढांचा स्थिर और प्रगतिशील रहा है। इसमें पॉलिसीधारक की सुरक्षा, पारदर्शिता और डिजिटल सुविधाओं को अपनाने पर लगातार ज़ोर दिया गया है। साथ ही, पारदर्शिता बढ़ाने, दावा निपटान को आसान बनाने और पूरे सेक्टर में कामकाज की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए कई पहलें की गई हैं।

वित्त वर्ष 2025–26 में, जीआईसी री का घरेलू सकल प्रीमियम पिछले वर्ष के ₹5,232.63 करोड़ से बढ़कर ₹6,274.65 करोड़ हो गया, जिसमें 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। खास बात यह है कि उपगत दावा अनुपात पिछले वर्ष की तरह ही 81% पर बना हुआ है; हालांकि, लाभदायक अनुबंधों पर थोड़ा अधिक कमीशन दिए जाने के कारण संयुक्त अनुपात 96.44% से बढ़कर 100.08% हो गया है।

वित्त वर्ष 2025–26 में, कुल घरेलू प्रीमियम में अनिवार्य प्रीमियम का हिस्सा 69% था, जबकि बाकी 31% हिस्सा गैर–अनिवार्य कारोबार से आया। 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनिवार्य सकल प्रीमियम में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.41% की वृद्धि हुई। जीआईसी री ने विवेकपूर्ण अंडरराइटिंग मानकों को बनाए रखते हुए, सीडेंट्स (cedants) को पुनर्बीमा क्षमता और जोखिम हस्तांतरण ट्रां समाधान प्रदान करके भारतीय मोटर बीमा बाज़ार को सहयोग देना जारी रखा।

विदेशी

वर्ष 2026 में वैश्विक मोटर बीमा बाजार का आकार 1098.28 बिलियन यूएस डॉलर होने का अनुमान है। कई नए प्रवृत्तियां मोटर बीमा उद्योग को बदल रही हैं, और बीमा कंपनियां तेज़ी से टेलीमैटिक्स–इनेबल्ड और यूसेज–बेस्ड इंश्योरेंस (यूबीआई) मॉडल अपना रही हैं। जीआईसी री के अंतर्राष्ट्रीय मोटर व्यवसाय के प्रीमियम में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सकल प्रीमियम में वर्ष–दर–वर्ष 8.84% की बढ़ोतरी हुई, जो वित्त वर्ष 2024–25 में ₹1,122.95 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 में ₹1,222.23 करोड़ हो गया। संयुक्त अनुपात 144.54% से बिगड़कर 206.04% हो गया है, जिसका मुख्य कारण कुछ क्षेत्रों या समझौतों का 'रन–ऑफ' चरण में प्रवेश करना है, क्योंकि उन क्षेत्रों से अब और प्रीमियम बुकिंग की उम्मीद नहीं है।

समग्र मोटर

मोटर पोर्टफोलियो के लिए, जीआईसी का सकल प्रीमियम वर्ष–दर–वर्ष 18% बढ़ा, जो वित्त वर्ष 2024–25 में ₹6,355.57 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 में ₹7,496.87 करोड़ हो गया। आगे चलकर, घरेलू बाज़ार में जीआईसी री की स्थिति को मज़बूत करते हुए नए अवसरों की खोज करके अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने और उसका विस्तार करने पर ध्यान दिया जाएगा।

देयता

वैश्विक देयता बीमा बाजार का आकार, जो 2025 में $290.45 बिलियन था, 2032 तक 6% की सीएजीआर से बढ़कर $462.93 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है। देयता जोखिमों के बारे में बढ़ती जागरूकता, बीमा कवरेज को अनिवार्य बनाने वाले विनियामक परिवर्तनों और देयता जोखिमों को बढ़ाने वाले बदलते न्यायालयी निर्णयों के परिणामस्वरूप आईटी, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण और पेशेवर सेवाओं जैसे क्षेत्रों में व्यापक और जटिल देयता जोखिमों को शामिल करने के लिए पुनर्बीमा क्षमता की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। निगम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा सहायता प्रदान करके, उनके देयता बीमा पोर्टफोलियो के विस्तार को सुगम बनाकर और साथ ही बड़े पैमाने पर होने वाली हानि के प्रति अपने जोखिम का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 31 मार्च 2026 को, निगम ने देयता श्रेणी के लिए ₹886.72 करोड़ का सकल लिखित प्रीमियम प्राप्तकिया। पिछले वर्ष की तुलना में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बही संरचना में थोड़ा बदलाव आया है; घरेलू हिस्सेदारी बढ़कर 76% (₹681 करोड़) हो गई है और विदेशी बाज़ारों से 23% (₹206 करोड़) का योगदान मिला है। मुख्य रूप से कई घरेलू संधियों के कारण कुल सकल लिखित प्रीमियम में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की बढ़ोतरी हुई। सकल लिखित प्रीमियम में बढ़ोतरी के साथ–साथ संयुक्त अनुपता में कमी (31 मार्च 2025 को 116.7% से घटकर 31 मार्च 2026 को 103.8% होना) भी उल्लेखनीय है। निगम साइबर इंश्योरेंस में अपार संभावनाएँ देखता है और इस नवीकरण के दौरान भी इन अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश की है। अवसरों के साथ चुनौतियाँ भी आती हैं और साइबर क्षमता की पेशकश में हमारी सावधानीपूर्वक अपनाई गई रणनीति से इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है। इस उभरते हुए सेक्टर में एक्सपोज़र के प्रभावी प्रबंधन के लिए ज़्यादा साइबर डेटा इकट्ठा करने और अपने विश्लेषण को बेहतर बनाने पर ध्यान देना हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। आगे बढ़ते हुए, निगम अंडरराइटिंग और जोखिम प्रबंधन में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए तैयार है, ताकि उभरते अवसरों का फ़ायदा उठाया जा सके और साथ ही चुनौतियों और देयता एक्सपोज़र पर वैश्विक प्रवृत्तियों के असर को भी नियंत्रित किया जा सके।

विविध एवं व्यक्तिगत दुर्घटनाएँ

2021 में, वैश्विक विविध बीमा बाज़ार का अनुमानित मूल्य $104.7 बिलियन था, जिसके 2031 तक $279 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है, जो इस दशक में 10.6% की यौगिक वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्शाता है। व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा तेज़ी से बदलते जोखिम परिवेश में बदलाव के कारण, विविध बीमा की माँग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। पारंपरिक बीमा कवरेज बदलती दुनिया द्वारा उत्पन्न विशिष्ट चुनौतियों का समाधान नहीं कर पाएँगे। बीमा कंपनियों द्वारा बढ़ती जोखिम जागरूकता और नवीन

उत्पाद विकास, आज के जटिल जोखिम परिवेश से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में विविध बीमा के उदय को प्रेरित कर रहे हैं। निगम ने विविध और पर्सनल एक्सीडेंट (पीए) बीमा के लिए 2154 करोड़ रुपये का सकल लिखित प्रीमियम (जीडब्लयूपी) हासिल किया। इसमें मुख्य रूप से घरेलू बाज़ार (83%, 1791 करोड़ रुपये) का योगदान रहा, जबकि विदेशी बाज़ारों (16%, 363 करोड़ रुपये) से भी योगदान बढ़ रहा है। घरेलू प्रीमियम में बढ़ोतरी के कारण कुल सकल लिखित प्रीमियम में 24% की वृद्धि हुई। संयुक्त अनुपात मुख्य रूप से अधिक सामान्य नुकसान (attritional losses) के कारण बढ़ा है। पैरामीट्रिक आय सुरक्षा और पहचान चोरी बीमा जैसे नवोन्मेषी उत्पादों पर निगम का रणनीतिक ध्यान, बीमा क्षेत्र में हो रहे बदलावों के प्रति इसकी अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। निगम का लक्ष्य घरेलू और विदेशी बीमा कंपनियों को निरंतर सहयोग प्रदान करना है, जिससे उनके विविध और व्यक्तिगत बीमा पोर्टफोलियो में वृद्धि हो सके और साथ ही अपने स्वयं के परिचालन में लाभप्रदता बनी रहे।

ऋण पुनर्बीमा

घरेलू प्रीमियम के मामले में ₹2,135 करोड़ के मूल्य वाले भारत के ऋण बीमा बाजार में अभी एक ही कंपनी ईसीजीसी का दबदबा है, जिसके पास 70% बाजार हिस्सा है। हालांकि, परिदृश्य बदल रहा है। दूसरी साधारण बीमा कंपनियाँ भी इस बढ़ते बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए अपनी वृद्धि की उम्मीदों और जानकारी का इस्तेमाल कर रही हैं। इसके अलावा, 2022 में प्रतिभू बांड के आने से बीमा कंपनियों को बिड वांड, निष्पादन बांड जैसे अनुकूलित उत्ताद पेश करने का बढ़ावा मिला है। इससे पारंपरिक बैंक गारंटी से हटकर बांड जारी करने की ओर बदलाव हो रहा है। यह निगम इस तेज़ी से बदलते बाजार में आवश्यक पुनर्बीमा क्षमता देकर एक अहम भूमिका निभा रहा है। 31 मार्च 2026 तक, ऋण पुनर्बीमा सकल लिखित प्रीमियम ₹273 करोड़ था, जिसमें से 82% प्रीमियम घरेलू बाजार (₹225 करोड़) से और 18% विदेशी बाजार (₹49 करोड़) से आया। 31 मार्च 2026 को निगम का संयुक्त अनुपात 51.8% था, जबकि 31 मार्च 2025 को यह 8.9% था। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के अवसरों के बावजूद, बढ़ती ब्याज दरों और संभावित मंदी से ऋण जोखिम बढ़ सकता है। हम विवेकपूर्ण एक्सपोज़र प्रबंधन करते हुए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इस सेगमेंट में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं।

स्वास्थ्य

भारत का स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र बढ़ती जन जागरूकता के कारण तेज़ी से विस्तार कर रहा है। स्वास्थ्य बाज़ार कई तरह की योजनाएँ प्रदान करता है, जिनमें व्यक्तिगत, पारिवारिक और गंभीर बीमारियों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पॉलिसियाँ शामिल हैं। आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाओं ने कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि की है। हालाँकि इस क्षेत्र को कम पहुँच और विनियामक जटिलताओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी इसमें विकास की प्रबल संभावनाएँ दिखाई देती हैं। डिजिटल तकनीकों और टेलीमेडिसिन तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसी नवीन सेवाओं का आगमन उद्योग में बदलाव ला रहा है, जिससे पहुँच और ग्राहक केंद्रितता में वृद्धि हो रही है।

जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–2026 के दौरान उद्योग प्रीमियम में 6.21% की वृद्धि हुई है, जबकि स्वास्थ्य बाज़ार पिछले कुछ वर्षों में बीमा उद्योग में सबसे तेज़ी से विस्तार करने वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है, जिसकी 31.03.2026 तक 15.4% की प्रभावशाली वार्षिक वृद्धि दर रही है। यह प्रवृत्ति इस क्षेत्र की आर्थिक क्षमता और इसकी गहरी सामाजिक अहमियत, दोनों को दिखाता है, जिससे लाखों नागरिकों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा तक पहुंच सुनिश्चित होती है।

निगम का स्वास्थ्य पोर्टफोलियो कई प्रमुख क्षेत्रों में विविधीकृत है:

- अनिवार्य अध्यर्पण: इन अनिवार्य पुनर्बीमा अनुबंधों के तहत प्राथमिक बीमाकर्ताओं को अपने स्वास्थ्य व्यवसाय का 4% निगम को सौंपना आवश्यक है, जो हमारे पोर्टफोलियो का 62% है।
- घरेलू संधि व्यवसाय: इसमें घरेलू बीमाकर्ताओं के साथ आनुपातिक (प्रीमियम और जोखिम साझा करना) और गैर–आनुपातिक (विशिष्ट हानियों को कवर करना) दोनों प्रकार के पुनर्बीमा समझौते शामिल हैं।
- वैकल्पिक व्यवसाय: इसमें व्यक्तिगत जोखिम के आधार पर पुनर्बीमा शामिल है, जो बीमांकन और मूल्य निर्धारण में अधिक लचीलापन प्रदान करता है।

अपने स्वास्थ्य बीमा पोर्टफोलियो के विस्तार पर स्पष्ट रणनीतिक ध्यान केंद्रित करते हुए, निगम ने एक विवेकपूर्ण और व्यवस्थित बीमांकन दृष्टिकोण अपनाया है। यह दृष्टिकोण सतत विकास, सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन और उत्पाद श्रृंखलाओं में विविधीकरण पर ज़ोर देता है। वित्त वर्ष 2025–26 में, स्वास्थ्य बीमा का कुल सकल प्रीमियम में 21% हिस्सा था, जो निगम के मज़बूत प्रदर्शन को दर्शाता है–विशेष रूप से आनुपातिक पुनर्बीमा खंडों में।

कृषि पुनर्बीमा

भारत में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) खरीफ 2016 में शुरू की गई थी, जिसका संचालन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएएस) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) का स्थान लिया।

पीएमएफबीवाई फसल खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे किसानों की आय स्थिर होती है और उन्हें नवीन एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह बुवाई से लेकर कटाई तक फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों को कवर करती है।

2025–26 के लिए, विभिन्न राज्यों ने हानि अनुपात को सीमित करने के उद्देश्य से 80:110 और 60:130 जैसे अधिशेष साझाकरण मॉडल (एसएसएम) लागू किए हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों ने क्रमशः एसएसएम 80:110–बर्न कॉस्ट मॉडल और एसएसएम 60:130–बर्न कॉस्ट मॉडल को चुना है।

पीएमएफबीवाई के तहत प्रीमियम सब्सिडी के बढ़ते वित्तीय बोझ को संभालने और जोखिम उठाने में राज्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, यह योजना साझा जोखिम मॉडल पर काम करती है। इसमें राज्य वित्तीय खर्च को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए या तो बीमा कंपनियों को पूरा जोखिम ट्रांसफर करने का विकल्प चुन सकते हैं, या फिर 'लाभ–हानि या 'कप एंड कैप' जैसे वैकल्पिक जोखिम ट्रांसफर मॉडल'(एआरटीएम) अपना सकते हैं। किसानों के लिए प्रीमियम दरें कम रखी गई हैं और उन्हें 1.5%–2% तक सीमित किया गया है, जबकि बाकी प्रीमियम पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भारी सब्सिडी दी जाती है।

अभी एआरटीएम के तीन मुख्य विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें जोखिम की सीमा और भागीदारी अलग–अलग होती है:

अधिशेष साझाकरण मॉडल (80:110) – बीमाकर्ता की देयता हानि अनुपात सीमा 80%–110% तक सीमित है। अर्थात्, बीमाकर्ता 80% से कम हानि अनुपात पर प्राप्त किसी भी लाभ से जुड़े सभी प्रीमियम राज्य को वापस कर देगा। हानि के मामले में, राज्य सरकार 110% से अधिक हानि अनुपात के लिए सभी हानियों को वहन करेगी। .

अधिशेष साझाकरण मॉडल (60:130) – बीमाकर्ता की देयता हानि अनुपात सीमा 60%–130% तक सीमित है। अर्थात्, बीमाकर्ता 60% से कम हानि अनुपात पर प्राप्त किसी भी लाभ से संबंधित सभी प्रीमियम राज्य को वापस कर देगा। हानि पक्ष में, राज्य और केंद्र सरकार 130% से अधिक हानि अनुपात के लिए सभी हानियों को समान रूप से वहन करेंगी।

लाभ और हानि में हिस्सेदारी: यह मॉडल जोखिम ट्रांसफर का सबसे व्यापक दायरा देता है–इसमें सभी हानियां और लाभ शामिल हैं–लेकिन अधिक जोखिम और वित्तीय अनुशासन की ज़रूरत के कारण अभी तक किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इसे नहीं अपनाया है। पीएमएफबीवाई के तहत प्रीमियम सब्सिडी के बढ़ते वित्तीय बोझ को कम करने और जोखिम उठाने में राज्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, भारत संरचित वैकल्पिक जोखिम ट्रान्सफर (एआरटी) तंत्रों पर विचार कर सकता है।

अधिशेष साझाकरण मॉडल 60:130/80:110–बर्न कॉस्ट मॉडल – बर्न कॉस्ट राज्य द्वारा दी जाती है। बीमाकर्ता द्वारा बताए गई दर के 60%/80% से कम हानि अनुपात पर होने वाले किसी भी लाभ से जुड़े सभी प्रीमियम बीमाकर्ता राज्य को वापस कर देगा। हानि की बात करें तो, बताए गई दर या बर्न कॉस्ट (इनमें से जो भी अधिक हो) के 110%/130% से अधिक हानि अनुपात होने पर राज्य सरकार सारी हानि उठाएगी।

देश में कुल कृषि बीमा प्रीमियम में एसएसएम मॉडल का योगदान वर्तमान में कुल बाजार प्रीमियम का 65% से 70% अनुमानित है।

भारत सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने, फसल बीमा में कार्यों को सुव्यवस्थित करने और हानि आकलन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत कई नई तकनीकी पहल की हैं, जैसे यस–टेक, विंड्स और क्रॉपिक।

जीआईसी री भारतीय बीमा कंपनियों की कोटा शेयर संधि और स्टॉप लॉस संधि व्यवस्थाओं पर पुनर्बीमा सहायता प्रदान करके भारत में फसल बीमा योजना, यानी संशोधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पुनर्संरचित पीएमएफबीवाई, खरीफ 2020 मौसम से प्रभावी) और 2016 से संशोधित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) को समर्थन देना जारी रखे हुए है।

कृषि पोर्टफोलियो के तहत सकल प्रीमियम वित्त वर्ष 2024–25 में ₹3263.05 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 में ₹3,392.86 करोड़ हो गया। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच जीआईसी री के कृषि पोर्टफोलियो का विभाजन क्रमशः 97.2% और 2.8% है।

वर्ष 2024–25 के लिए भारतीय कृषि बाजार प्रीमियम लगभग ₹27,900 करोड़ है और वित्त वर्ष 2025–26 के लिए लगभग ₹20,300 करोड़ है।

इसमें से कॉर्पोरेशन का भारतीय सकल कृषि प्रीमियम वित्त वर्ष 2024–25 में ₹3,188.04 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 में ₹3,298.02 करोड़ हो गया, जो 3.45% की वृद्धि है। भारतीय सकल कृषि प्रीमियम में अनिवार्य प्रीमियम का योगदान लगभग 29.74% है। घरेलू पोर्टफोलियो में वृद्धि एआईसीएज की प्रमुखता की वजह से हुई है। भारतीय व्यवसाय के मामले में हानि अनुपात वित्त वर्ष 2024–25 में 90.42% से वित्त वर्ष 2025–26 में 90.66% पर स्थिर रहा।

जीआईसी री का अंतर्राष्ट्रीय सकल कृषि प्रीमियम वित्त वर्ष 2024–25 में ₹75.01 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 में ₹94.84 करोड़ हो गया, जो 26.44% की ग्रोथ है। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय कृषि बही के लिए हानि अनुपात वित्त वर्ष 2024–25 में 50.04% की तुलना में वित्त वर्ष 2025–26 में 63.93% था।

वित्त वर्ष 2026–27 की बात करें तो, कई वर्षों के समझौते समाप्त हो गए हैं और राज्य या तो मौजूदा योजना के साथ आगे बढ़ सकते हैं या एक वर्ष के लिए पुनः निविदा कर सकते हैं, जो पुनर्बीमा भागीदारी के नए अवसर प्रस्तुत कर सकते हैं।

समुद्री श्रेणी (कार्गो, हल और तेल एवं ऊर्जा)

समुद्री कार्गो

घरेलू

घरेलू कार्गो बाजार में विशेष रूप से ज्वलनशील पदार्थों, पूर्ण निर्मित इकाइयों के लिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र और दवा उत्पादों जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए कवरेज की निरंतर मांग बनी हुई है। बाजार में स्टॉक थ्रूपुट पॉलिसियों के कवरेज के लिए अनुरोध बढ़ रहे हैं। हालिया मूल्य निर्धारण सुधारों और चुनौतीपूर्ण भू–राजनीतिक कारकों के कारण आगामी वित्तीय वर्ष में बाजार मूल्य निर्धारण स्थिर रहने का अनुमान है। यहाँ तक कि, वैकल्पिक बाजार भी नरम बना हुआ है। इसलिए, अग्रता बनाए रखने के लिए हमने वर्तमान बाजार के रुझान और कीमतों को अपनाया है। हालाँकि, जोखिमों को कम करने के लिए, हम न्यूनतम दरों और कटौतियों को लागू करके बीमांकन अनुशासन को बनाए रखना जारी रखेंगे।

पश्चिम एशिया में यूएसए–इजराइल और ईरान के बीच हाल ही में बढ़े सैन्य तनाव को देखते हुए, जीआईसी री ने अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में 'वॉर फैकल्टेटिव कवर' (युद्ध से जुड़े जोखिम के लिए अलग से लिया जाने वाला बीमा) रद्द करने का नोटिस जारी किया; हालाँकि, 'मरीन ट्रीटी कवर' के लिए ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इसके बाद, मौजूदा जोखिम के माहौल के हिसाब से बदली हुई शर्तों के साथ सात दिनों के भीतर फैकल्टेटिव कवर को फिर से बहाल कर दिया गया। इन अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में भारतीय हितों वाले कार्गो के लिए युद्ध से जुड़े जोखिमों का कवरेज मिलना जारी है।

ऐसे क्षेत्रों में युद्ध से जुड़े जोखिम कवरेज में होने वाले उतार–चढ़ाव से निपटने के लिए, 'भारत समुद्री बीमा पूल' बनाया गया और 12 मई 2026 को इसे शुरू किया गया। यह पूल ₹3,059.43 करोड़ रुपये तक की बीमा राशि वाले कार्गो शिपमेंट के लिए युद्ध से जुड़े जोखिम का कवरेज देने के लिए अधिकृत है।

भारतीय बाजार के लिए समुद्री कार्गो सकल प्रीमियम में 8.7% की वृद्धि हुई है और यह वित्त वर्ष 2025–26 में ₹4,283.89 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले वर्ष यह ₹3,940.24 करोड़ रुपये था। निगम का घरेलू समुद्री कार्गो सकल प्रीमियम 2024–25 में ₹376.96 करोड़ रुपये के सकल घरेलू समुद्री प्रीमियम की तुलना में 0.82% घटकर ₹373.93 करोड़ रुपये हो गया।

निगम का प्राथमिक ध्यान गैर–आनुपातिक संधियों पर है और इस क्षेत्र में, यह नाशवान वस्तुओं, एक्वामरीन उत्पादों और फ्रोजेन खाद्य पदार्थों को छोड़कर विभिन्न प्रकार के कार्गो के लिए कवरेज प्रदान करता रहा है। इसके अतिरिक्त, हमारे बीमांकन दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त खंडों, शर्तों और वारंटियों पर ज़ोर दिया गया है। संधि की निरंतर समीक्षा बीमांकन प्रदर्शन में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करती है।

अंतर्राष्ट्रीय

वैश्विक कार्गो बीमा परिदृश्य कई कारकों के संयोजन के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजर रहा है। आर्थिक मंदी, केंद्रीय बैंक की नीतियाँ, भू–राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान एक जटिल वातावरण का निर्माण कर रहे हैं।

वैश्विक आर्थिक मंदी और केंद्रीय बैंकों के मुद्रास्फीति–रोधी उपायों से व्यापार की मात्रा कम हो सकती है, जिसका असर कार्गो बीमा पर पड़ सकता है। भू–राजनीतिक अस्थिरता, विशेष रूप से रूस–यूक्रेन और इज़राइल–फिलिस्तीन में, लाल सागर संकट के साथ, इन चुनौतियों को और बढ़ा रही है। उद्योग दर में कमी, जोखिम संचय और एसटीपी और स्टॉप पॉलिसियों के लिए रियायती दरों के साथ कवरेज से जूझ रहा है। परिणामस्वरूप, समुद्री पुनर्बीमा बाजार में दर में कमी देखी जा रही है।

समुद्री कार्गो विदेशी बही घटकर ₹134.50 करोड़ रह गई, जो पिछले वर्ष 2023–24 के ₹564.15 करोड़ से 76.16% की कमी दर्शाती है। हालाँकि, यह कमी आंगिक पोर्टफोलियो में गिरावट के बजाय मुख्य रूप से समाप्त हुए अमेरिकी बाइंडर समझौते से संबंधित दावों के कारण है।

वर्ष 2024–25 इस श्रेणी के व्यवसायों के लिए अपेक्षाकृत बड़ी हानियों से मुक्त रहा, जिसमें एमवी फ्रैंकफर्ट जैसे कार्गो में बहुत कम हानि हुई।

मरीन कार्गो विदेशी बही का आकार बढ़कर ₹175.25 करोड़ हो गया है, जो पिछले वर्ष 2024–25 के ₹134.50 करोड़ के मुकाबले 30.29% की बढ़ोतरी दिखाता है।

साल 2025–26 में एमएससी एल्सा और वान हाई जैसे कुछ बाजार हानियां हुई हैं। हालांकि, जीआईसी री का इन हानियों में कोई वैकल्पिक एक्सपोज़र नहीं है।

समुद्री हल (तेल और ऊर्जा सहित)

घरेलू

निगम घरेलू समुद्री हल बाजार के ऐच्छिक खंड पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जो मुख्य रूप से ऐच्छिक पुनर्बीमा द्वारा संचालित रहता है। हम पर्याप्त मूल्य निर्धारण के अधीन घरेलू ऐच्छिक नीतियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पुनर्बीमा क्षमता की उपलब्धता के कारण घरेलू हल बीमा दरें पिछले वर्ष की तुलना में कम हुई हैं। भारतीय बाजार के लिए सकल समुद्री हल प्रीमियम वित्त वर्ष 2025–26 में 1.8% घटकर ₹1,535.63 करोड़ हो गया, जबकि 2024–25 में यह ₹1,563.70 रहा। जबकि निगम की घरेलू हल बही में 2024–25 में ₹236.27 करोड़ के समाप्ति सकल प्रीमियम से 17.45% की वृद्धि के साथ ₹277.50 करोड़ हो गई। निगम ने उन जोखिमों में शामिल होने से परहेज करना जारी रखा जिनकी कीमत सही ढंग से तय नहीं की गई थी। बंदरगाहों और जहाज निर्माण को बढ़ावा देने की सरकार की पहल के साथ तालमेल बिठाते हुए, निगम आगामी परियोजनाओं को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। जहाज निर्माण जोखिमों के लिए आरआई क्षमता की मांग में वृद्धि हुई है। घरेलू हल पोर्टफोलियो का संयुक्त अनुपात 2024–25 में 57.48% से बेहतर होकर 2025–26 में 38.09% हो गया है।

अंतर्राष्ट्रीय

अंतर्राष्ट्रीय हल बाज़ार अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है। भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, मुद्रास्फीति और उभरते जोखिम प्रोफाइल बाज़ार में अस्थिरता को बढ़ावा दे रहे हैं।

यूक्रेन में युद्ध, लाल सागर संकट और सामग्री मुख्यतः इस्पात की कमी ने उद्योग को काफ़ी प्रभावित किया है। बढ़ती मुद्रास्फीति ने मूल्य श्रृंखला में लागत बढ़ा दी है, जिससे बीमा कंपनियों की लाभप्रदता कम हो रही है। कंटेनर जहाजों और कार वाहकों में आग लगने की घटनाओं की आवृत्ति, जो लिथियम-आयन बैटरियों और इलेक्ट्रिक वाहनों के परिवहन से और भी बढ़ गई है, नई चुनौतियाँ पेश करती है। इस वर्ष कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।

पश्चिम एशिया में अमेरिका-इज़राइल और ईरान के बीच हाल ही में बढ़ी सैन्य गतिविधियों को देखते हुए, जीआईसी री ने अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में 'वॉर फैकल्टेटिव कवर' (युद्ध से जुड़े जोखिमों के लिए अलग से लिया जाने वाला बीमा) रद्द करने का नोटिस जारी किया था; हालाँकि, मरीन ट्रीटी कवर' के लिए ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। इसके बाद, मौजूदा जोखिम के माहौल के हिसाब से बदली हुई शर्तों के साथ सात दिनों के भीतर फैकल्टेटिव कवर को फिर से बहाल कर दिया गया। इन अधिक जोखिम वाले इलाकों में भारतीय हितों वाले कार्गो के लिए युद्ध से जुड़े जोखिमों का कवरेज अभी भी दिया जा रहा है।

ऐसे क्षेत्रों में युद्ध के जोखिम से जुड़े कवरेज में होने वाले उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए, 12 मई 2026 को 'भारत समुद्री बीमा पूल' बनाया और शुरू किया गया। यह पूल उन जहाजों के लिए युद्ध के जोखिम का कवरेज देने के लिए अधिकृत है जिनकी बीमा राशि ₹2,039.62 करोड़ रुपये तक है।

निगम ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके तहत वे अपस्ट्रीम एनर्जी पॉलिसी से हट रहे हैं जिनमें कीमत सही नहीं है और डिडक्टिबल कम हैं। निगम अपस्ट्रीम एनर्जी निर्माण में भी अवसर तलाश रहा है। हल बीमा बाजार में दरों में दरों के समायोजन का दौर जारी है।

निगम का समुद्री हल विदेशी वही वित्त वर्ष 2024-25 के ₹331.55 करोड़ रुपये से 22.64% घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में ₹256.50 करोड़ रुपये रह गई। इस कमी की वजह दुनिया भर में पुनर्बीमा बाजार में मंदी का आना है।

अंतर्राष्ट्रीय हल पोर्टफोलियो में 190% का प्रतिकूल संयुक्त अनुपात दर्ज किया गया, जिसकी मुख्य वजह मैक्सिको की खाड़ी में ऑयल रिग में हुआ धमाका था।

विमानन

वित्त वर्ष 2025-26 में, वैश्विक विमानन बीमा क्षेत्र हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या, एयरलाइन फ्लीट का लगातार विस्तार, कम लागत वाली एयरलाइंस की बढ़ती मौजूदगी, और एयरक्राफ्ट व ऑपरेशन से जुड़ी बढ़ती जटिलता से संबंधित चिंताओं के कारण मजबूती से बढ़ा है।

भू-राजनीतिक अनिश्चितता का बढ़ना, सुरक्षा से जुड़े बदलते जोखिम और पर्यावरण, समाज और अभिशासन (ईएसजी) से जुड़े पहलुओं पर बढ़ता ध्यान, पूरे बाज़ार में अंडरराइटिंग रणनीतियों को प्रभावित करता रहा।

वर्ष की पहली छमाही में, विमानन बीमा क्षेत्र अधिकतर नरम बाजार के दौर में रहा, जिसमें काफ़ी क्षमता और प्रतिस्पर्धी कीमतें देखने को मिलीं। जोखिम के बढ़ते स्तर और दरों पर दबाव के बावजूद, बीमा कंपनियों और पुनर्बीमा कंपनियों ने क्षमता के अनुशासित इस्तेमाल के ज़रिए बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखी। हालाँकि, दूसरी छमाही में बाज़ार की स्थितियों में मज़बूती के शुरुआती संकेत दिखे; हाल के बड़े नुकसानों से जुड़े दावों के अनुभव, लगातार होने वाले छोटे-मोटे दावे और बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण नवीकरण को लेकर ज़्यादा मज़बूत बातचीत हुई, पूर्व बीमांकन वर्ष की तुलना में।

व्यावसायिक विमानन परिवहन के सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक बना हुआ है। हालांकि 2025 में इस उद्योग में समग्र दुर्घटना दर में थोड़ी सुधार देखी गई (आईएटीए की 2025 की सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार, 2005 में प्रति मिलियन सेक्टर 3.72 दुर्घटनाओं से घटकर 2025 में 1.32 दुर्घटनाएं हो गईं), लेकिन यह वर्ष कई ऐसी बड़ी घटनाओं से प्रभावित रहा, जिनका लोगों की सोच और दुनिया भर में मौतों की संख्या पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा।

इस वर्ष विमानन क्षेत्र में सबसे बड़ी दुर्घटना जून 2025 में एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 171 का क्रैश होना था। अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद हुए इस हादसे में बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान शामिल था। इस दुर्घटना में यात्रियों, क्रू और ज़मीन पर मौजूद लोगों सहित लगभग 260 लोगों की मौत हो गई। यह ड्रीमलाइनर विमान के पूरी तरह नष्ट होने और उसमें जान जाने की पहली घटना थी, जिसके कारण विमान के नुकसान और तीसरे पक्ष की देनदारी के बड़े दावे हुए और वैश्विक पुनर्बीमा पर भी इसका असर पड़ा।

नवंबर 2025 में, यूपीएस कार्गो विमान से जुड़ी एक घटना ने वैश्विक विमानन बीमा और पुनर्बीमा पर और दबाव बढ़ा दिया। पहले से ही नुकसान झेल रहे वर्ष में हुई इस घटना ने पुनर्बीमाकर्ताओं का ध्यान कार्गो परिचालन, फ्लीट की आयु, रखरखाव मानक और इंटीग्रेटर एयरलाइंसों से जुड़े बारंबारता जोखिम की ओर खींचा। क्रैश और उसके बाद लगी आग से भारी मात्रा में जेट फ्यूल और तेल के रिसाव ने ऐसी घटनाओं के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की ओर भी ध्यान खींचा, जिससे यह ईएसजी से जुड़ा एक अहम विमानन नुकसान बन गया।

विमानन हानि की अधिकता (एक्सओएल) संधि बाजार में नवीकरण में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया, जबकि पिछले बीमांकन वर्षों में एक्सओएल बाजारमें बोइंग से जुड़े नुकसान बढ़े थे और रूस–यूक्रेन विमानन युद्ध से हुए नुकसान को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिनके निपटान सख्त एनडीए के तहत किए गए हैं। जनवरी 2025 में वाशिंगटन के रोनाल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक रीजनल जेट और मिलिट्री हेलीकॉप्टर के बीच हवा में हुई टक्कर की घटना के बारे में अभी भी बहुत कम जानकारी है; इस घटना में 67 लोगों की मृत्यु हो गई थी।

विमानन एक्सओएल के नज़रिए से, इन घटनाओं ने जटिल टर्मिनल एयरस्पेस में सिस्टम से जुड़े जोखिमों की धारणा को और मज़बूत किया है। इसके चलते क्षमता को लेकर सावधानी बरती जा रही है, कीमतें मज़बूत बनी हुई हैं, और विमानन पुनर्बीमा प्रोग्राम के तहत देयता समुच्चयन की बारीकी से जांच–पड़ताल बढ़ गई है।

जीआईसी री की सकल प्रीमियम आय वित्त वर्ष 2024–25 के ₹729 करोड़ के मुकाबले वित्त वर्ष 2025–26 में 14.95% बढ़कर ₹838 करोड़ हो गई है। अर्जित प्रीमियम के मुकाबले उपगत दावे का प्रतिशत वित्त वर्ष 2024–25 के 87.40% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025–26 में 182.81% हो गया है। इसकी मुख्य कारण बाजार स्तर पर दावों की काफ़ी ज़्यादा संख्या है।

वित्त वर्ष 2025–26 के लिए सकल प्रीमियम विभाजन इस प्रकार है: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से 88.78% से और घरेलू व्यापार से 11.22%; जबकि पिछले वित्त वर्ष 2024–25 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 87.87% और घरेलू व्यापार 12.12% था।

पोर्टफोलियो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर केंद्रित है, लेकिन पूरे पोर्टफोलियो में संतुलन बनाए रखने के लिए घरेलू खाते पर हस्ताक्षर करने और जहाँ भी संभव हो उन्हें बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भविष्य को देखते हुए, विमानन क्षेत्र के लिए मध्यम अवधि का आउटलुक सावधानीपूर्वक आशावादी बना हुआ है, जिसे भारतीय विमानन में लगातार वृद्धि, एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और स्थिर वैश्विक मांग का समर्थन प्राप्त है। हालाँकि, भू–राजनीतिक घटनाक्रम, घातक घटनाओं में वृद्धि और दावों में तेजी से जुड़े जोखिम बने हुए हैं।

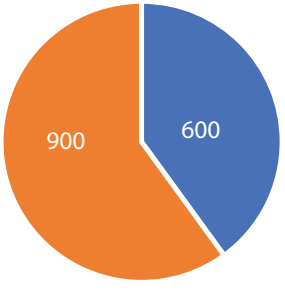
जीआईसी री विमानन पोर्टफोलियो के टिकाऊ प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत अभिशासन, जोखिम नियंत्रण और पुनर्बीमा संरक्षण के समर्थन से एक विवेकपूर्ण और तकनीकी रूप से संचालित बीमांकन दृष्टिकोण को अपनाना जारी रखेगा।

भारत में पुनर्बीमा पूल

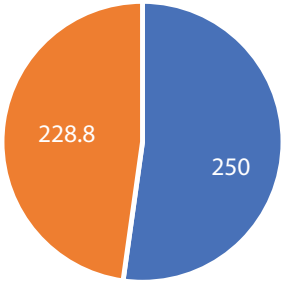
बीमा की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में पुनर्बीमा पूल स्थापित करने की प्रथा विश्व स्तर पर सर्वमान्य है। समय–समय पर, भारतीय बाजार ने भी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्बीमा सहायता की अपर्याप्त उपलब्धता या वापसी से उत्पन्न क्षमता संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए इस प्रथा को अपनाया है। भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में, जीआईसी री ने दो दशकों से भी अधिक समय से पूल के निर्माण और सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीआईसी री भारत में पूल का प्रबंधन करती रही है और एक पूल सदस्य तथा पुनर्बीमाकर्ता के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण क्षमता के साथ अपना समर्थन प्रदान करती है।

विभिन्न भारतीय पुनर्बीमा पूलों की मौजूदा क्षमता इस प्रकार है:

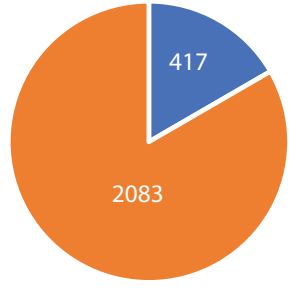
भारत परमाणु बीमा पूल
(क्षमता ₹ करोड़ में)
कुल क्षमता: ₹1500 करोड़



समुद्री कार्गो अपवर्जित क्षेत्र पूल
(क्षमता ₹ करोड़ में)
कुल क्षमता: ₹1478.8 करोड़



भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल
(क्षमता ₹ करोड़ में)
कुल क्षमता: ₹2500 करोड़



भारतीय बाज़ार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल

भारतीय बाज़ार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल (आईएमटीआरआईपी) की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 की घटना के बाद की गई थी, जिसके कारण आतंकवाद बीमा के लिए संधि क्षमता को दुनिया भर से वापस ले लिया गया था। इस पूल का गठन अप्रैल 2002 में भारत में आतंकवाद जोखिम को कवर करने हेतु घरेलू क्षमता निर्माण हेतु किया गया था। इस पूल ने अब तक अपने सफल संचालन के 24 वर्ष पूरे कर लिए हैं। चौबीस गैर–जीवन बीमा कंपनियाँ (मोनोलाइन बीमा कंपनियों के अलावा) और जीआईसी री इस पूल के सदस्य हैं।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, पूल ने निम्नलिखित बदलाव किए:

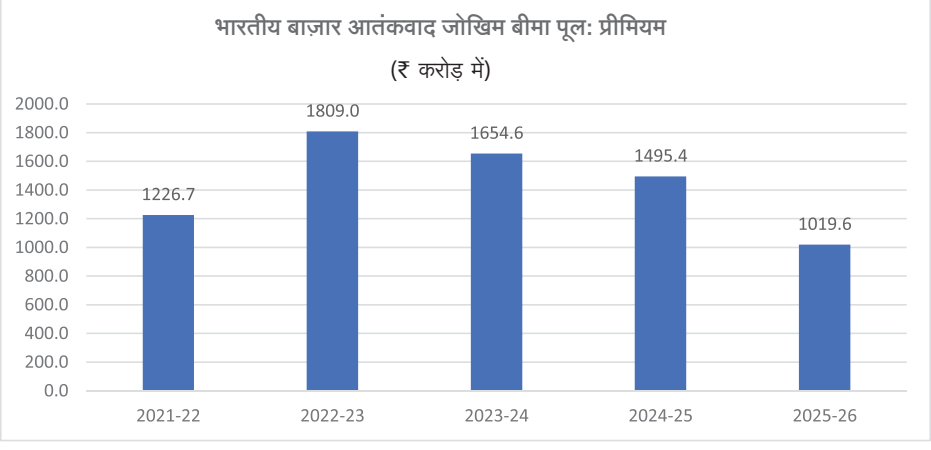
- हर लोकेशन पर क्षमता को ₹2,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,500 करोड़ कर दिया गया।
- पूल की दरों में कमी की गई।

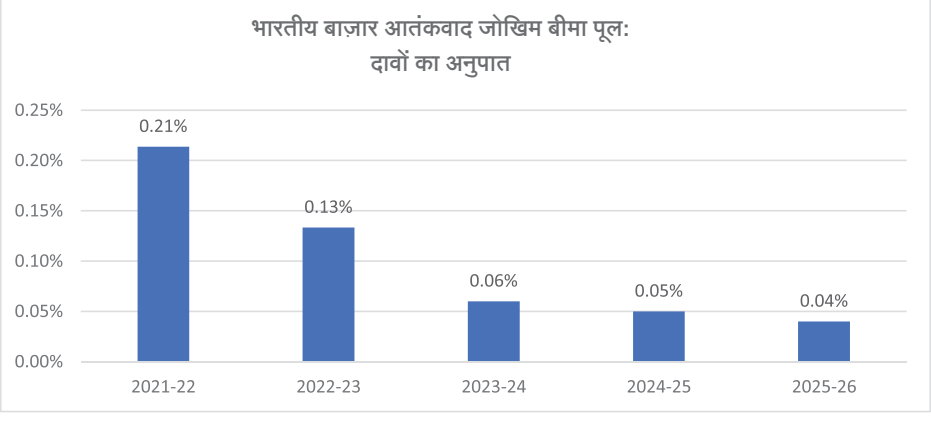
इन उपायों का मकसद घरेलू ग्राहकों को अधिक क्षमता और कम कीमत देकर पूल के आस्ति आधार का फ़ायदा उन तक पहुँचाना था।

17.05.2024 को जारी आईआरडीएआई के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों से जुड़े मास्टर परिपत्र के अनुसार, लंबी अवधि की पॉलिसी के लिए प्रीमियम लेखांकन के तरीके में बदलाव की वजह से प्रीमियम सेशन्स में आई कमी वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान भी जारी रही।

31.03.2026 को पूल की परिसंपत्ति ₹20,351 करोड़ है (31.03.2025 को यह ₹18,172 करोड़ थी)। पूल प्रबंधक के तौर पर जीआईसी री को 1% (मूल सकल प्रीमियम का) प्रबंधन कमीशन मिलता है। पूल प्रबंधक के रूप में अपनी भूमिका के अलावा, जीआईसी री, पूल के सदस्य के रूप में पूल में 16.69% की क्षमता का योगदान भी करता है और पूल के अतिरिक्त हानि पुनर्बीमा सुरक्षा पर पुनर्बीमाकर्ता के रूप में भाग लेता है।

5 वर्षों का पूल प्रीमियम और दावा अनुपात नीचे दिए गए बार चार्ट के अनुसार है।





भारतीय परमाणु बीमा पूल (आईएनआईपी)

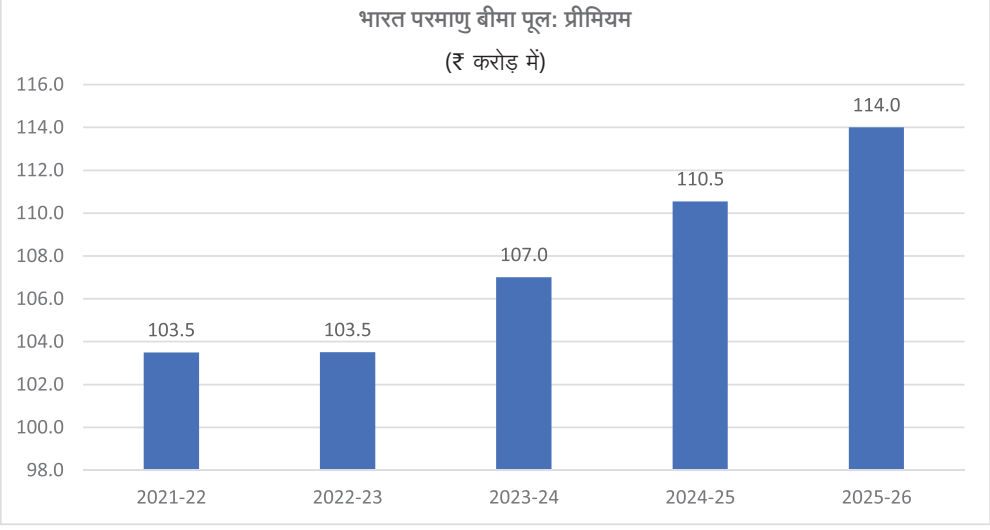
आईएनआईपी की स्थापना निगम द्वारा 11 घरेलू गैर–जीवन बीमा कंपनियों के साथ मिलकर एक पहल के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य परमाणु क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 के तहत परमाणु ऑपरेटरों को उनकी सांविधिक देनदारियों के विरुद्ध बीमा सुरक्षा प्रदान करना है, जो परमाणु दुर्घटना के परिणामस्वरूप होती हैं, और अधिनियम के तहत आश्रय लेने अधिकार के प्रयोग से उत्पन्न ऑपरेटर के प्रति आपूर्तिकर्ताओं की देनदारियों के विरुद्ध भी बीमा सुरक्षा प्रदान करता है।

यह पूल किसी एक दुर्घटना और कुल मिलाकर ₹1500 करोड़ की वार्षिक क्षतिपूर्ति सीमा प्रदान करता है।

पूल की क्षमता और दरें पिछले एक वर्ष से स्थिर बनी हुई हैं। आईएनआईपी के तहत इसकी स्थापना के बाद से कोई दावा दर्ज नहीं किया गया है। 31.03.2025 को पूल की परिसंपत्ति ₹1458 करोड़ (31.03.2024 को ₹1255 करोड़) है।

एक सदस्य के रूप में जीआईसी री की पूल में 40% हिस्सेदारी है। पूल प्रबंधक के रूप में जीआईसी री को 1% (मूल सकल प्रीमियम का) प्रबंधन कमीशन मिलता है।

5 वर्षों का पूल प्रीमियम नीचे दिए गए बार चार्ट के अनुसार है।



समुद्री कार्गो अपवर्जित क्षेत्र पूल (एमसीईटी पूल)

रूस, यूक्रेन और बेलारूस से आयात और निर्यात को कवर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कार्गो बीमा क्षमता प्रत्याहरण के कारण, इन अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित शिपमेंट का बीमा करने के लिए एक घरेलू समुद्री कार्गो पूल बनाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। क्षमता का यह प्रत्याहरण इन क्षेत्रों में बढ़ते भू–राजनीतिक जोखिमों, प्रतिबंधों और अस्थिरता के कारण उपजी है, जिससे भारतीय व्यवसायों के लिए आवश्यक बीमा कवरेज प्राप्त करना मुश्किल हो गया।

परिणामस्वरूप, अपवर्जित क्षेत्रों के लिए समुद्री कार्गो पूल (एमसीईटी पूल) का गठन किया गया और 1 जून 2022 को इसका परिचालन शुरू हुआ।

वर्तमान में, एमसीईटी पूल भारतीय बीमाधारकों को रूस, यूक्रेन और बेलारूस के अपवर्जित क्षेत्रों से आने–जाने वाली अनुमोदित वस्तुओं के समुद्री कार्गो शिपमेंट के लिए बीमा प्रदान करता है।

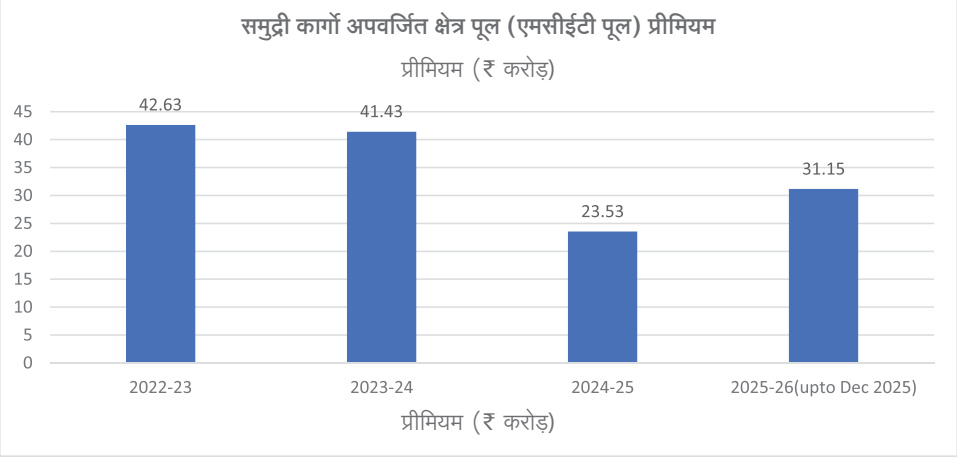
पूल का गठन शुरू में कुल 21 सदस्यों के साथ किया गया था, जो प्रति शिपमेंट ₹484.80 करोड़ (अनिवार्य अध्यर्पण सीमा को छोड़कर) की क्षमता का योगदान देता था। बाद में एक पूल सदस्य के बाहर निकलने के बाद इसे संशोधित कर प्रति शिपमेंट ₹478.80 करोड़ कर दिया गया। वर्ष 2025–26 के लिए पूल की क्षमता अपरिवर्तित रहेगी।

पूल प्रबंधक के रूप में, जीआईसी री, पूल की बीमांकन समिति के साथ मिलकर, आवश्यकतानुसार पूल के अंतर्गत नई वस्तुओं को शामिल करने की मंज़ूरी देता है। वर्तमान में शामिल वस्तुओं में उर्वरक, पेट कोक, कोयला, कच्चा तेल और उसके व्युत्पन्न, परियोजना कार्गो, इस्पात आदि शामिल हैं। जब भी किसी पूल सदस्य द्वारा कोई नई वस्तु प्रस्तावित की जाती है, तो जीआईसी री सहित बीमांकन समिति लागू दरों और शर्तों की समीक्षा और निर्धारण करता है।

पूल सभी स्वीकृत वस्तुओं के आयात शिपमेंट को कवर करता है। जीआईसी री की क्षमता हिस्सेदारी 51.21% के साथ सबसे बड़ी है। पूल प्रबंधक के रूप में, जीआईसी री को मूल सकल प्रीमियम (अनिवार्य अध्यर्पण को घटाकर) पर 2.5% प्रबंधन कमीशन प्राप्त होता है।

एमसीईटी पूल कोई प्रीमियम अपने पास नहीं रखता है। संबंधित तिमाही/अवधि के लिए प्राप्त पूरा प्रीमियम, पूल के सदस्यों को उनके हिस्सेदारी के अनुपात में वापस (रेट्रोसेड) कर दिया जाता है।

शुरुआत से ही पूल का परिकलित प्रीमियम नीचे दिया गया है:



लाइफ री

जीवन पुनर्बीमा, जीवन बीमा कंपनियों के जोखिम पोर्टफोलियो को स्थिर करने और उत्पाद नवाचार एवं विस्तार को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्विस री, म्यूनिख री, हनोवर री, एससीओआर और आरजीए जैसी वैश्विक पुनर्बीमा कंपनियाँ की मौजूदगी से भारतीय जीवन पुनर्बीमा बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बीमा कार्यालयों (आईआईओ) और सीमा-पार पुनर्बीमाकर्ताओं (सीबीआर) के बीच खासकर ग्रुप टर्म लाइफ (जीटीएल) और सूक्ष्म वित्त बीमा (एमएफआई) में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है जिससे कीमत-निर्धारण पर दबाव पड़ा।

जीआईसी री भारत की एकमात्र घरेलू पेशेवर पुनर्बीमाकर्ता है जो सभी जीवन पुनर्बीमा खंडों में मौजूद है, जिसमें रिटेल, समूह, सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण व्यवसाय शामिल हैं। कम समय के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने वाले कई प्रतिस्पर्धियों के विपरीत, जीआईसी री अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के उत्पादों में शामिल रहती है, जिसमें व्यक्तिगत टर्म और बचत व्यवसाय भी शामिल हैं।

भारतीय जीवन पुनर्बीमा बाजार में जीआईसी री की हिस्सेदारी लगभग 19% है और यह संधि और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के ज़रिए 23 से अधिक भारतीय जीवन बीमा कंपनियों को सपोर्ट करती है।

जीआईसी री सरकार की प्रमुख पहलों को सपोर्ट करना जारी रखती है, जिनमें शामिल हैं:

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)
- माइक्रोफाइनेंस-लिंक्ड क्रेडिट लाइफ उत्पाद
- आईआरडीएआई-अधिदेशित सरल जीवन बीमा

ये योजनाएं देश भर में बीमे की पहुंच और सामाजिक सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद करती हैं।

प्रीमियम में बढ़ोतरी

बेहतर जोखिम चयन, बीमांकिक सहायता, उत्पाद में सुधार और दावे की बारंबारता व गंभीरता के बेहतर विश्लेषण से यह बढ़ोतरी हुई है। जीआईसी री ने पिछले दो वर्षों में वर्ष-दर-वर्ष15% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की है।

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय

लाइफ़ री पोर्टफ़ोलियो में घरेलू बिज़नेस (~85%) का दबदबा बना हुआ है, जबकि बाकी ~15% हिस्सा विदेशी बिज़नेस से आता है। यह जीआईसी री के घरेलू स्थिति को मज़बूत करने और साथ ही चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय अवसरों को भुनाने पर ज़ोर देने को दिखाता है।

भावी संभावनाएं

निगम इन चीज़ों पर ध्यान देगा:

- संरक्षण-केंद्रित रिटेल उत्पादों का विस्तार करना
- वित्तीय लिखतों के लिए संरचित समूह समाधान को बढ़ाना

- प्रतिस्पर्धी बाजार में अंडरराइटिंग अनुशासन बनाए रखना
- जोखिम आधारित दृष्टिकोण के साथ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय अवसरों का अनुसरण करना

मजबूत घरेलू मौजूदगी, ज़िम्मेदार अंडरराइटिंग, विश्लेषण–आधारित कीमत–निर्धारण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ तालमेल के दम पर, जीआईसी री का लक्ष्य जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय में लगातार टिकाऊ वृद्धि बनाए रखना है।

भावी संभावनाएं

2026 में पुनर्बीमा उद्योग की भावी संभावनाएं सावधानीपूर्वक आशावादी है, जहाँ मज़बूत बुनियादी ढाँचे लाभप्रदता को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं कई चुनौतियाँ अनिश्चितता पैदा कर रही हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम और नए नियमन शामिल हैं। बीमा कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप नरम मूल्य निर्धारण और लाभप्रदता में कमी आने की उम्मीद है। बीमांकन अनुशासित रहने की उम्मीद है और कुल मिलाकर, बाजार पुनर्बीमा कंपनियों के लिए अनुकूल रहने की उम्मीद है।

प्रबंधन प्रतिवेदन

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची ।। के भाग ।। के पैरा 12 के अनुसार, निगम का प्रबंधन एतद्वारा:

1. पुष्टि करता है कि प्राधिकरण द्वारा मंजूर की गई पंजीकरण संख्या 112 वैध बनी रहेगी।
2. प्रमाणित करता है कि सांविधिक प्राधिकारियों को देय सभी देय राशियों का विधिवत भुगतान कर दिया गया है।
3. पुष्टि करता है कि वर्ष के दौरान शेयरधारिता पैटर्न और शेयरों का अंतरण सांविधिक या विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है।
4. घोषणा करता है कि भारत में पॉलिसी धारकों की निधियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर निवेश नहीं किया गया है।
5. पुष्टि करता है कि आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन बनाए रखा गया है।
6. प्रमाणित करता है कि तुलन–पत्र की तिथि पर सभी परिसंपत्तियों के मूल्यों की समीक्षा की गई है और यह कि उसके (बीमाकर्ता के) विश्वास में तुलन–पत्र में दर्शाई गई परिसंपत्तियां कुल मिलाकर विभिन्न शीर्षकों – ''ऋण'', ''निवेश'', ''एजेंट शेष'', ''बकाया प्रीमियम'', ''बकाया ब्याज, लाभांश और किराया'', ''उपचित लेकिन देय नहीं ब्याज, लाभांश और किराया'', ''बीमा व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों या निकायों से देय राशि'', ''विविध देनदार'', ''प्राप्य बिल'', ''नकद'' और ''अन्य खाते'' के अंतर्गत निर्दिष्ट कई मदें – के अंतर्गत उनके वसूली योग्य या बाजार मूल्य से अधिक नहीं दिखाई गई हैं।
7. पुष्टि करता है कि निगम के जोखिम जोखिम में शामिल हैं (क) अनिवार्य और अतिरिक्त कोटा शेयर अध्यर्पण (ख) ऐच्छिक स्वीकृतियाँ (ग) अधिशेष संधियों और हानि की अधिकता कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय बीमा कंपनियों में निगम का हिस्सा (घ) बाज़ार अधिशेष संधियों में निगम का हिस्सा और (ङ) विदेशी आवक व्यापार संधि और ऐच्छिक। जोखिम 2024–25 के लिए निगम के पुनर्बीमा कार्यक्रम द्वारा पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं जो प्रतिधारण नीति के साथ संरेखित है।
8. (क) निगम के अन्य देशों में कुल मिलाकर शीर्ष दस एक्सपोजर इस प्रकार हैं:

   यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, इज़राइल, चीन, स्वीडन, हांगकांग, जर्मनी, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण अफ्रीका।

   अनुभव, पोर्टफोलियो जोखिमों में परिवर्तनों के आंतरिक मूल्यांकन और आपदा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर आउटपुट के विश्लेषण के आधार पर, निगम विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए अपने पुनर्बीमा (रेट्रोसेशन) कार्यक्रम की निरंतर समीक्षा और परिशोधन करता है।

   निगम के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनर्बीमा संरक्षण कार्यक्रम है।

   (ख) प्रमाणित करता है कि निगम किसी भी देश में प्रत्यक्ष व्यवसाय का बीमा नहीं करता है। हालाँकि, गिफ्ट सिटी (विशेष आर्थिक क्षेत्र, गुजरात) में इसकी शाखा, आईएफएससी सहित विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर, पुनर्बीमा व्यवसाय के अतिरिक्त, प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय कर सकती है, सिवाय उन देशों के जिन्हें विशेष रूप से बाहर रखा गया है। निगम के कुआलालंपुर, दुबई (शाखा को बंद कर दिया गया) और लंदन में विदेशी शाखा कार्यालय हैं।
9. निगम के पुनर्बीमा दायित्व के अंतर्गत वसूली योग्य दावों का हिस्सा पुनर्बीमाधारक के साथ सहमत व्यवस्था के अनुसार, अर्थात नकद कॉल और आवधिक खाता विवरणों के माध्यम से निपटाया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में नामित होने से पहले जारी की गई रन–ऑफ विमानन पॉलिसियों से संबंधित दावों का निपटान बीमाधारक को किया जाता है। 31 मार्च 2026 को भारतीय, विदेशी आवक और विमानन व्यवसाय श्रेणियों के अंतर्गत बकाया वैकल्पिक दावों की स्थिति इस प्रकार है:

31.03.2026 को वैकल्पिक दावों की स्थिति

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	बकाया अवधि	आग		मरीन		अभियांत्रिकी		विमानन		देयता		विविध		योग	
		दावों की संख्या	राशि	दावों की संख्या	राशि	दावों की संख्या	राशि	दावों की संख्या	राशि	दावों की संख्या	राशि	दावों की संख्या	राशि	दावों की संख्या	राशि
1	0 – 30 दिन	2	119	4	7,660	–	–	11	163	3	5	–	–	20	**7,947**
2	31 दिन से लेकर 6 महीने तक	37	13,247	34	2,882	6	341	36	7,964	–	–	–	–	113	**24,434**
3	6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक		14,577	15	2,724	12	2,729	54	–8,625	4	1,875	2	1	130	**13,281**
4	1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक	423	57,743	100	23,919	99	10,701	520	13,246	29	218	10	50	1,181	**1,05,877**
5	5 वर्ष से अधिक	595	18,970	179	3,769	235	10,503	1,143	42,160	79	2,043	85	940	2,316	**78,384**
	कुल	**1,100**	**1,04,655**	**332**	**40,952**	**352**	**24,274**	**1,764**	**54,907**	**115**	**4,142**	**97**	**991**	**3,760**	**2,29,923**

जीआईसी के एक पुनर्बीमाकर्ता होने के नाते, औसत दावा निपटान लागू नहीं होता है क्योंकि दावों का निपटान पूरे वर्ष के समग्र व्यावसायिक लेनदेन के समाधान के बाद खातों के आवधिक विवरण और नकद कॉल के माध्यम से किया जाता है।

10. यह प्रमाणित किया जाता है कि निवेश और स्टॉक और शेयरों के तुलन–पत्र में दर्शाए गए मूल्य महत्वपूर्ण लेखा नीतियों संख्या 9 में बताए अनुसार प्राप्त किए गए हैं।

11. घोषित करता है कि ऋण और निवेश के लिए परिसंपत्ति गुणवत्ता और प्रदर्शन की समीक्षा नीचे उल्लिखित है:

निवेश

31 मार्च 2026 को निवेश का बही मूल्य ₹1,06,733 करोड़ से बढ़कर ₹1,17,645.62 करोड़ हो गया है। 31 मार्च 2026 को निवेश का वसूली योग्य मूल्य ₹1,50,473.92 करोड़ है, जो बही लागत पर 27.90% की वृद्धि दर्शाता है। बिक्री पर लाभ सहित निवेश से आय पिछले वर्ष के ₹12,262.06 करोड़ की तुलना में ₹13,129.08 करोड़ रही। ₹1,17,645.62 करोड़ के कुल निवेश में से ₹61,283.11 करोड़ सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य गारंटीकृत बॉन्ड में निवेशित हैं। इक्विटी शेयरों का बही मूल्य ₹19,403.59 करोड़ और बाजार मूल्य ₹52,055.42 करोड़ रहा, जिससे ₹32,651.83 करोड़ की निवल उचित मूल्य वृद्धि प्रदर्शित होती है।

निवेश में से, 31 मार्च 2026 को ऋण राशि ₹111.43 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष यह ₹128.59 करोड़ थी। ₹111.43 करोड़ की कुल ऋण राशि में से, ₹105.79 करोड़ या तो सरकारी निकायों द्वारा सुरक्षित या गारंटीकृत हैं, जो कुल ऋणों का 94.94% है और शेष 94.94% करोड़ असुरक्षित हैं। ऋणों से ब्याज आय ₹ 7.07 करोड़ रही। मानक अर्जक परिसंपत्तियाँ (ऋण) ₹70.21 करोड़ हैं और अनर्जक परिसंपत्तियों (ऋण) के लिए ₹41.22 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

31 मार्च 2026 को सकल एनपीए ₹843.97 करोड़ था। सकल ऋण परिसंपत्तियाँ ₹87,212.04 करोड़ और निवल ऋण परिसंपत्तियाँ ₹86,368.08 करोड़ थीं। सकल ऋण परिसंपत्तियों के सापेक्ष सकल एनपीए का प्रतिशत 0.97% था और सकल एवं निवल ऋण परिसंपत्तियों के सापेक्ष निवल एनपीए का प्रतिशत शून्य था।

निगम ने आवास एवं अवसंरचना तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश सीमा के लिए आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित निवेश विनियमन का अनुपालन किया है। यह अनुपालन समग्र आधार पर किया गया है।

12. पुष्टि करता है कि:

i. वित्तीय विवरणों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों, सिद्धांतों और नीतियों का पालन किया गया है, साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं।

ii. प्रबंधन ने लेखांकन नीतियों को अपनाया है और उन्हें लगातार लागू किया है (जिनमें विभिन्न आईआरडीएआई विनियमों द्वारा विशेष रूप से अपेक्षित नीतियां भी शामिल हैं) और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में निगम की स्थिति और वर्ष के लिए निगम के परिचालन लाभ और निवल लाभ की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

iii. प्रबंधन ने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए बीमा अधिनियम, 1938, बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 (अधिसूचित सीमा तक), कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

iv. वित्तीय विवरण क्रियाशील संस्था के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

v. प्रबंधन ने यह सुनिश्चित किया है कि व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद हो और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही हो।

13. प्रमाणित करता है कि निदेशकों के रिश्तेदारों, जो निगम के कर्मचारी हैं, को रोजगार की शर्तों के अनुसार दिए गए वेतन और पारिश्रमिक के अलावा, उन व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और संगठनों को कोई भुगतान नहीं किया गया है जिनमें निगम के निदेशक हितबद्ध हैं।

14. पुष्टि करता है कि सहायक कंपनियों, सहयोगियों, संयुक्त उद्यमों और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में देशों में घरेलू, सांविधिक, विनियामक और अन्य कानूनों का अनुपालन किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/–

(हितेशी जोशी)

कार्यपालक निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)

दिनांक: 26.05.2026

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता प्रतिवेदन (बीआरएसआर) मूल संकेतकों पर स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
भारतीय साधारण बीमा निगम,
सुरक्षा, 170, जे टाटा रोड, चर्चगेट,
मुंबई–400020, महाराष्ट्र

हमने नीचे दिए गए पैराग्राफ 3 में वर्णित मानदंडों के अनुसार नीचे सूचीबद्ध सहमत स्थिरता सूचना ('पहचानी गई स्थिरता सूचना' या 'बीआरएसआर कोर संकेतक') के संबंध में 31 जुलाई, 2026 के अपने अनुबंध पत्र के जरिए **भारतीय साधारण बीमा निगम** (**'निगम'**) के लिए उचित आश्वासन अनुबंध करने का दायित्व लिया है। यह स्थिरता सूचना 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की वार्षिक रिपोर्ट की व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता प्रतिवेदन ('बीआरएसआर' या 'प्रतिवेदन') में शामिल है।

2. पहचानी गई स्थिरता सूचना

हमारे उचित आश्वासन के दायरे में हमारे प्रतिवेदन के **परिशिष्ट।** में सूचीबद्ध बीआरएसआर के कोर संकेतक शामिल हैं। प्रतिवेदन की रिपोर्टिंग सीमा खंड क: बीआरएसआर के सामान्य प्रकटन के प्रश्न 13 और प्रश्न 23(क) में बताई गई है और जहाँ भी लागू है, बीआरएसआर के संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत टिप्पणी के माध्यम से अपवादों का प्रकटन किया गया है।

हमारा उचित आश्वासन अनुबंध केवल 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष की सूचना के संबंध में था और हमने पहले की अवधियों के संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं की है, और इसलिए, उन पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।

3. मानदंड

निगम द्वारा पहचानी गई स्थिरता सूचना तैयार करने के लिए प्रयुक्त मानदंड निम्नलिखित हैं:

- यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ), विनियम, 2015 का विनियम 34(2)(च);
- 11 जुलाई, 2023 के मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120 के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ; और
- 12 जुलाई, 2023 का सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी–एसईसी–2/पी/सीआईआर/2023/122 और सेबी द्वारा जारी स्पष्टीकरण।

4. प्रबंधन का उत्तरदायित्व

निगम का प्रबंधन लागू मानदंड के अनुसार पहचानी गई स्थिरता सूचना की तैयारी और प्रस्तुति के लिए ज़िम्मेदार है। इस उत्तरदायित्व में शामिल है:

- उपयुक्त मानदंड का चयन
- आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव
- यह सुनिश्चित करना कि सूचना धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी प्रकार की गलत जानकारी से मुक्त हो

5. अंतर्निहित सीमाएँ

अभी गैर–वित्तीय डेटा को मापने और उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए कोई खास वैश्विक मानक नहीं है, जिससे अलग–अलग तरह के स्वीकार्य तरीके अपनाए जा सकते हैं और इससे अलग–अलग संस्थाओं के बीच तुलना करने में अंतर पड़ सकता है।

यह आश्वासन निर्धारित प्रतिवेदन अवधि और भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है। इसमें ये शामिल नहीं हैं:

- रणनीतिक बातें या भावी अपेक्षाएं;
- बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्धा से जुड़े मुद्दों या कानूनी नियमों के पालन के बारे में विवरण;
- तय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के दायरे से बाहर की जानकारी।
- यह आश्वासन निगम द्वारा दिए गए डेटा की पूर्णता, पर्याप्तता और प्रमाणिकता पर आधारित है।

6. हमारी स्वतंत्रता

हमने लागू सेबी परिपत्र के अनुसार अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है और इस आश्वासन अनुबंध को संचालित करने के लिए आवश्यक योग्यताएँ और अनुभव रखते हैं।

7. हमारा उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व विनियोजन के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर पहचानी गई स्थिरता सूचना पर एक उचित आश्वासन राय व्यक्त करना है।

8. उचित आश्वासन

हमारी प्रक्रियाओं में ये शामिल थे:

- संबंधित नियंत्रणों के डिज़ाइन और उनके लागू होने की जांच;
- बीआरएसआर रिपोर्टिंग के लिए ज़िम्मेदार कर्मचारियों से बातचीत; डेटा पॉइंट्स का नमूना-आधारित सत्यापन;
- विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और मिलान;
- चुने गए डेटा की पुष्टि के लिए दस्तावेज़ों और रिकॉर्ड की समीक्षा।

हमारा मानना है कि हमें जो साक्ष्य मिले हैं, वे हमारी उचित आश्वासन राय का आधार बनने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

9. अपवर्जन

इस आश्वासन में ये शामिल नहीं हैं:

- पहचान की गई स्थिरता जानकारी के दायरे से बाहर का डेटा;
- राय, आकांक्षा या भावी इरादे से जुड़े कथन।

10. अन्य जानकारी

बीआरएसआर और वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल अन्य सभी जानकारियों (पहचानी गई स्थिरता जानकारी को छोड़कर) के लिए प्रबंधन ज़िम्मेदार है। हमने तात्विक विसंगतियों के लिए अतिरिक्त अनुभागों की समीक्षा की है और ऐसी कोई विसंगति नहीं पाई है जो आश्वासन निष्कर्ष को प्रभावित करे।

11. उचित आश्वासन राय

हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पहचानी गई स्थिरता जानकारी, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार तैयार की गई हैं।

12. उपयोग पर प्रतिबंध

हमारी उचित आश्वासन प्रतिवेदन विशेष रूप से निगम के अनुरोध पर निगम के निदेशक मंडल के लिए तैयार और संबोधित की गई है, ताकि निगम को उसकी स्थिरता और गतिविधियों की रिपोर्टिंग में सहायता मिल सके।

तदनुसार, हम निगम के अलावा किसी और के प्रति कोई दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं। हमारी उचित आश्वासन रिपोर्ट का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए या हमारी रिपोर्ट के प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। हम अपनी पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य पक्ष के प्रति, जिसे हमारी रिपोर्ट दिखाई जाती है या जिसके हाथों में यह आती है, किसी भी प्रकार का देखभाल कर्तव्य या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं।

कृते रागिनी चोकशी एंड कं.

कंपनी सचिव

दिनांक: 24.08.2025

स्थान: मुंबई

रागिनी चोकशी

(भागीदार)

सदस्यता सं.: F2390

सीओपी सं.: 1436

परिशिष्ट – 1

क्र.सं.	रिपोर्टिंग मानक संदर्भ	संकेतक संख्या
खंड ग: सिद्धांत [पी] वार कार्य–निष्पादन प्रकटन – अनिवार्य		
1	पी–1: व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपना संचालन और प्रबंधन करना चाहिए।	ई–8: देय खातों के दिनों की संख्या ((देय खाते *365) / खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत)। ई–9: व्यापारिक घरानों, डीलरों और सम्बद्ध पक्षों के साथ खरीद और बिक्री के संकेंद्रण का विवरण, साथ ही सम्बद्ध पक्षों के साथ ऋण, अग्रिम और निवेश का विवरण।
2	पी–3: व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए।	ई–1ग: कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और गैर–स्थायी सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर व्यय। ई–11 सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण
3	पी–5: व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।	ई–3ख: कंपनी द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को दिया गया सकल वेतन। ई–7: कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दर्ज की गई शिकायतें।
4.	पी–6: व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा एवं पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करने चाहिए।	ई–1: कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणजों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण। ई–3: जल निकासी और खपत से संबंधित प्रकटीकरण। ई–4: छोड़े गए जल से संबंधित विवरण। ई–7: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और उसकी तीव्रता का विवरण। ई–9: उत्पन्न अपशिष्ट का कुल भार मीट्रिक टन में, और अपशिष्ट की संरचना के अनुसार इस कुल भार का विवरण।
5.	पी–8: व्यवसायों को समावेशी विकास और समतामूलक विकास को बढ़ावा देना चाहिए।	ई–4: आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट) का प्रतिशत। ई–5: रोज़गार सृजन के लिए नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या अस्थायी/संविदा पर नियोजित कर्मचारियों या कामगारों सहित) को कुल वेतन लागत के प्रतिशत के रूप में भुगतान किया गया वेतन।
6.	पी–9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ ज़िम्मेदारी से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।	ई–7: डेटा उल्लंघनों से संबंधित जानकारी।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता प्रतिवेदन – वित्त वर्ष 2025–26

अनुभाग क – सामान्य प्रकटन

ख. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1. **निगम पहचान संख्या:** L67200MH1972GOI016133
2. **सूचीबद्ध इकाई का नाम:** भारतीय साधारण बीमा निगम
3. **निगमन का वर्ष:** 1972
4. **पंजीकृत कार्यालय का पता:** 'सुरक्षा', 170, जे. टी. रोड, चर्चगेट, मुंबई – 400020
5. **निगम का पता:** 'सुरक्षा', 170, जे. टी. रोड, चर्चगेट, मुंबई – 400020
6. **ई–मेल:** info@gicre.in
7. **टेलीफोन:** +91 22 2286 7000
8. **वेबसाइट:** www.gicre.in
9. **वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है:** 2024–2025
10. **स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंज) का नाम जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं:** बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
11. **चुकता पूंजी:** ₹ 877.2 करोड़
12. **बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किए जा सकने वाले व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता):** श्री सतीश कुमार, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी; ईमेल: cs.gic@gicre.in; फ़ोन नंबर: 022–22867000
13. **रिपोर्टिंग सीमा:** रिपोर्ट एकल आधार पर की जाती है
14. **आकलन या आश्वासन प्रदाता का नाम:** रागिनी चोकसी एंड कंपनी
15. **प्राप्त आकलन या आश्वासन का प्रकार:** बीआरएसआर – मूल संकेतकों के लिए उचित आश्वासन

II. उत्पाद/सेवाएँ

16. **व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार का 90% हिस्सा):**

क्र.सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के कारोबार का %
1.	वित्तीय एवं बीमा सेवा	जीवन और गैर–जीवन पुनर्बीमा	100%

टिप्पणी : कारोबार को वित्त वर्ष 2025–26 के लिए सकल प्रीमियम माना जाता है

17. **कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (इकाई के कारोबार का 90% हिस्सा:**

क्र.सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	योगदान किए गए कुल कारोबार का %
1.	पुनर्बीमा	6520	100%

टिप्पणी : कारोबार को वित्त वर्ष 2024–25 के लिए सकल प्रीमियम माना जाता है

III. परिचालन

18. **उन स्थानों की संख्या जहाँ कंपनी के संयंत्र और/या परिचालन/कार्यालय स्थित हैं**

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	–	3	3
अंतर्राष्ट्रीय	–	3	3

19. **संस्था द्वारा सेवा किए जाने वाले बाजार:**

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	36*
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	130

**8 केंद्र शासित प्रदेशों सहित*

ख. इकाई के कुल कारोबार में निर्यात का योगदान प्रतिशत के रूप में कितना है?

बीमा व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, यह लागू नहीं होता।

ग. ग्राहकों के प्रकार पर एक संक्षिप्त विवरण

एक पुनर्बीमा और जोखिम समाधान प्रदाता के रूप में, जीआईसी री मुख्य रूप से भारत और दुनिया भर में बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों और दलालों के साथ काम करता है। अन्य मूल्य-श्रृंखला भागीदार जिनके साथ हम बातचीत करते हैं, उनमें एमजीए (सामान्य एजेंटों का प्रबंधन), दावा/हानि समायोजक, आपदा/जोखिम/पूंजी मॉडलिंग विक्रेता, बीमांकिक फर्म, कानूनी फर्म और लेखा परीक्षा फर्म शामिल हैं।

IV. कर्मचारी

20. वित्तीय वर्ष के अंत तक विवरण:

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांगजन सहित):

क्र. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)
			कर्मचारी			
1.	स्थायी (डी)	418	269	64.35%	149	35.64%
2.	स्थायी के अतिरिक्त अन्य (ई)*		52	61.17%	33	38.82%
3.	कुल कर्मचारी (डी + ई)	503	321	63.82%	182	36.18%
			कामगार			
4.	स्थायी (एफ)					
5.	स्थायी के अतिरिक्त अन्य (जी)			लागू नहीं		
6.	कुल कामगार (एफ + जी)					

**परिवीक्षाधीन कर्मचारी शामिल हैं*

ख. दिव्यांगजन कर्मचारी एवं कामगार

क्र. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी /ए)
			दिव्यांगजन कर्मचारी			
1.	स्थायी (डी)	13	11	85%	2	15%
2.	स्थायी के अतिरिक्त अन्य (ई)	0	0	0	0	0
3.	कुल दिव्यांगजन कर्मचारी (डी + ई)	13	11	85%	2	15%
			दिव्यांगजन कामगार			
4.	स्थायी (एफ)					
5.	स्थायी के अतिरिक्त अन्य (जी)			लागू नहीं		
6.	कुल दिव्यांगजन कामगार (एफ + जी)					

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेश/प्रतिनिधित्व

31-03-2026 को	कुल (ए)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)
निदेशक मंडल	5	1	20%
मुख्य प्रबंध कार्मिक*	11	3	27%

**बोर्ड में मुख्य प्रबंध कार्मिक शामिल हैं*

22. स्थायी कर्मचारियों के लिए आवर्तन दर (पिछले 3 वर्षों की प्रकृति प्रकट करें)

	वित्तीय वर्ष 2025-26 (चालू वित्त वर्ष में आवर्तन दर)			वित्तीय वर्ष 2024-25 (पिछले वित्त वर्ष में आवर्तन दर)			वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछले वित्तीय वर्ष से पहल वर्ष में आवर्तन दर)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	6.53%	4.72%	5.88%	6.64%	4.59%	5.93%	8.77%	10.42%	9.35%
स्थायी कामगार	लागू नही								

V. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यमों सहित)

23 (क) होल्डिंग, सहायक, सहयोगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. सं.	होल्डिंग/ सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम (ए)	बताएं कि क्या होल्डिंग/ सहायक/सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम 'ए' में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हाँ/नहीं))
1.	जीआईसी न्यू साउथ अफ्रीका	सहायक	100%	नहीं
2.	जीआईसी री पेरेस्ट्राखोवानी एलएलसी	सहायक	100%	नहीं
3.	जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड	सहायक	100%	नहीं
4.	इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी	20%	नहीं
5.	जीआईसी भूटान री लिमिटेड	सहयोगी	26%	नहीं
6.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	सहयोगी	35%	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

24. **(i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है:** हाँ

(ii) कारोबार: ₹53,947.88 करोड़

(iii) निवल संपत्ति (करोड़ रुपये में) : ₹51,301.27 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटन अनुपालन

25. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/परिवाद:

हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2025-26			वित्त वर्ष 2024-25		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियाँ
समुदाय	हाँ https://www.gicre.in/en/grievance-redressa	115	0	--	130*	0	--
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	https://www.gicre.in/images/2025/GIC_Re_-_Complaint_Handling_Policy_-_2023.pdf	0	0	--	0	0	--

हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2025-26			वित्त वर्ष 2024-25		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियाँ
शेयरधारक	हाँ शेयरधारकों के अनुरोधों/शिकायतों का समाधान रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से किया जाता है। https://www.kfintech.com/ (शेयरधारक अनुपालन को क़ानून के तहत आवश्यकतानुसार निपटाया जाता है)	20	0	--	10	0	--
कर्मचारी और कामगार	हाँ निगम ने कर्मचारियों और कामगारों की शिकायतों के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। https://www.gicre.in/images/2025/GIC_Re_-_Complaint_Handling_Policy_-_2023.pdf	2	1	--	0	0	--
ग्राहक	https://www.gicre.in/images/2025/GIC_Re_-_Complaint_Handling_Policy_-_2023.pdf	0	0	--	0	0	--
मूल्य श्रृंखला भागीदार	https://www.gicre.in/images/2025/GIC_Re_-_Complaint_Handling_Policy_-_2023.pdf	0	0	--	0	0	--
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

** वित्त वर्ष 2024-25 के लिए समुदायों से जुड़ी शिकायतों की संख्या में संशोधन किया गया है।*

26. इकाई के भौतिक जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण मुद्दों का अवलोकन:

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, उनकी पहचान करने का औचित्य, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय निहितार्थ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार।.

क्र. सं.	पहचाने गए तात्विक मुद्दे	यह बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
1	जोखिम प्रबंधन	अवसर	जोखिम प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल, प्रबंधन और दूसरे कर्मचारी मिलकर चलाते हैं। इसका मकसद ऐसी संभावित घटनाओं और हालात की पहचान करना है जिनसे कंपनी पर असर पड़ सकता है, और जोखिम को कंपनी की जोखिम लेने की क्षमता के दायरे में रखना है। जोखिम प्रबंधन में व्यवसाय से जुड़े जोखिम वाले कारकों की पहचान, उनका विश्लेषण और उन पर प्रतिक्रिया देना शामिल है। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन व्यवसाय को एक आधार देता है जिसके ज़रिए सही निर्णय लिए जा सकते हैं।	निकम के पास जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, बोर्ड द्वारा मंज़ूर किया गया जोखिम प्रबंधन फ़्रेमवर्क और जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया मौजूद है। सैप रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोसेस कंट्रोल (एसएपी आरएम पीसी – इजीआरसी) के आने के बाद, ईआरएम विभाग एक व्यवस्थित और टेक्नोलॉजी-आधारित तरीके का इस्तेमाल करके, जोखिम प्रबंधकों और जोखिम मालिकों के साथ मिलकर पूरे संगठन में जोखिमों का आकलन करता है। ये आकलन नए जोखिमों की पहचान करने के साथ-साथ मौजूदा जोखिमों की समीक्षा और उन पर विचार-विमर्श करने पर केंद्रित होते हैं। सैप आरएम एवं पीसी प्लेटफ़ॉर्म गवर्नेंस को मज़बूत करते हुए बिज़नेस और अनुपालन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाता है।	सकारात्मक- जोखिम की पहले से पहचान और उसे कम करने के उपाय करने से जोखिम के बढ़ने का खतरा टल जाता है, जिससे नुकसान की संभावना कम होती है, नियमों के पालन में कमी से होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है और कामकाज की क्षमता बेहतर होती है।
2	संधारणीय निवेश की ओर बदलाव	अवसर	वैश्विक ग्राहकों, विनियामकों और निवेशकों की ओर से पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) एकीकृत निवेश की बढ़ती मांग।	हरित बांडों और नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र की इक्विटी में निवेश करना।	सकारात्मक – बाज़ार के नए अवसर, निवेशकों का तालमेल, लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता और ब्रांड की प्रतिष्ठा।
3	सामुदायिक विकास	अवसर	वंचित वर्गों का आर्थिक विकास और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार	निगम ने पिछड़े इलाकों के विकास, समुदायों के सशक्तिकरण, समाज के हाशिए पर रहने वाले और वंचित वर्गों के उत्थान तथा समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए कई सीएसआर प्रोजेक्ट, गतिविधियाँ और पहल शुरू की हैं।	सकारात्मक – इससे सार्थक सामाजिक प्रभाव और सामुदायिक कल्याण होता है, जो टिकाऊ विकास में सहायक है।

क्र. सं.	पहचाने गए तात्विक मुद्दे	यह बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
4	प्रतिभा को आकर्षित करना और बनाए रखना	अवसर	कुशल बीमांकिक, बीमांकन और जोखिम प्रबंधन पेशेवरों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने से जीआईसी री की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता मज़बूत होती है और बहुत ही खास पुनर्बीमा बाजार में बिज़नेस की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।	कर्मचारी मूल्य प्रस्ताव को बेहतर बनाने के लिए नियोक्ता ब्रांडिंग, गैर-मूल लाभें के साथ प्रतिस्पर्धी मुआवज़े और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोज़र पर ध्यान देना।	सकारात्मक – यह उननत बीमांकन कार्य-निष्पादन, बेहतर जोखिम चयन, नवोन्मेषण और टिकाऊ लाभप्रदता की दिशा में ले जाता है
5	कौशल विकास और ज्ञान का आदान-प्रदान	जोखिम एवं अवसर	वैश्विक पुनर्बीमा परिवेश में तेजी से हो रहे बदलावों के लिए निरंतर कौशल विकास की आवश्यकता है; अपर्याप्त ज्ञान हस्तांतरण या अनुभवी प्रतिभाओं की हानि परिचालन दक्षता और जोखिम मूल्यांकन क्षमताओं को प्रभावित कर सकती है।	जीआईसी की एल एंड डी (लर्निंग और डेवलपमेंट) नीति बहुत मज़बूत है, जो तकनीकी, व्यवहारिक और सॉफ्ट कौशल जैसे कई पहलुओं पर ध्यान देती है। संस्था की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम, मेंटरशिप पहल, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, उत्तराधिकार योजना और डिजिटल ज्ञान प्रबंधन प्रणाली लागू करना।	सकारात्मक-बेहतर कार्यक्षमता, बेहतर निर्णय लेना।
6	डेटा गोपनीयता और सुरक्षा	जोखिम एवं अवसर	डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सूचना को सुरक्षित रूप से संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किए गए उपायों और प्रणालियों को लागू करने की प्रक्रिया है।	निगम सबसे खराब स्थिति में उद्यम स्तर पर वित्तीय डेटा को सुरक्षित करने, तैयारियों का आकलन करने और ऐसे जोखिमों की रोकथाम के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए मौजूदा तंत्र की समीक्षा करता है।	सकारात्मक – मज़बूत सुरक्षा जो संगठन को जोखिमों से बचाती है।

अनुभाग ख : प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटन

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

प्रकटन	पी	पी	पी	पी	पी	पी	पी	पी	पी
प्रश्न	1	2	3	4	5	6	7	8	9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ									
1. क. कब क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं? (हाँ/नहीं).	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं (नोट देखें)	हाँ	हाँ
ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	हाँ	हाँ
ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	नीतियों का वेबलिंक नीचे दिया गया है: https://www.gicre.in/en/people-resources/policies-and-guidelines https://www.gicre.in/en/people-resources/hr-corner इसके अलावा, हर एनजीआरबीसी के लिए ये नीतियां तय की गई हैं: पी1– व्यवसाय को ईमानदारी से और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से काम करना चाहिए और खुद को संचालित करना चाहिए: निदेशक/वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता, शिकायत निवारण नीति, आचरण, अनुशासन और अपील नियम, व्हिसल ब्लोअर नीति, डिविडेंड वितरण नीति, संबंधित पक्ष लेनदेन नीति, इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक के लिए आचार संहिता, प्रबंधन संहिता पर नीति और बोर्ड विविधता पर नीति। पी2 – व्यवसाय को ऐसे तरीके से सामान और सेवाएं देनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों: ईएसजी और आउटसोर्सिंग नीति पी3 – व्यवसाय को सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान और समर्थन करना चाहिए, जिसमें उनकी मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारी भी शामिल हैं: आचरण, अनुशासन और अपील नियम, समान अवसर नीति और शिकायत निवारण नीति पी4– व्यवसाय को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए: सीएसआर नीति और ईएसजी नीति पी5 – कंपनियों को मानवाधिकारों का सम्मान और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण से जुड़ी नीति; समान अवसर नीति; शिकायत निवारण नीति और बोर्ड में विविधता से जुड़ी नीति। पी6 – कंपनियों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसकी सुरक्षा व बहाली के लिए प्रयास करने चाहिए: ईएसजी नीति। पी7 – जब कंपनियां सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने का काम करें, तो उन्हें यह ज़िम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ करना चाहिए – कंपनी सरकार और विनियामकों के सामने उद्योग का पक्ष रखने के लिए व्यापार और उद्योग संघों के साथ मिलकर काम करती है, हालांकि इस सिद्धांत के लिए कोई खास नीति नहीं बनाई गई है। पी8 – कंपनियों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए: सीएसआर नीति । पी9 – कंपनियों को ज़िम्मेदारी के साथ अपने ग्राहकों से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए शिकायत निवारण नीति और प्रबंधन संहिता।								

2.	**क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है? (हाँ/नहीं)**	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	हाँ	हाँ
3.	**क्या सूचीबद्ध नीतियाँ आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों पर भी लागू होती हैं? (हाँ/नहीं)**	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	-	हाँ	हाँ
4.	**आपकी संस्था द्वारा अपनाए गए और प्रत्येक सिद्धांत से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों (जैसे, फ़ॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फ़ेयरट्रेड, रेनफ़ॉरेस्ट अलायंस, ट्रस्टी) के नाम (जैसे, एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस)।**	निगम की नीतियां कंपनी अधिनियम, 2013, आईआरडीएआई और सेबी के नियमों और पुनर्बीमा क्षेत्र में आम तौर पर अपनाए जाने वाले बिज़नेस तौर-तरीकों के अनुरूप हैं।								
5.	**संस्था द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएँ, लक्ष्य और लक्ष्य, यदि कोई हों, तो निर्धारित समय-सीमा के साथ।**	पी1 – निगम कंपनी अधिनियम, 2013, आईआरडीएआई विनियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के प्रावधानों का, जहाँ तक लागू हो, अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। पी3 – निगम सभी कर्मचारियों और उम्मीदवारों को रोज़गार के समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और नस्ल, जाति, धर्म, रंग, वंश, वैवाहिक स्थिति, लिंग, यौन अभिविन्यास, आयु, राष्ट्रीयता, जातीय मूल, विकलांगता, या लागू कानून द्वारा संरक्षित किसी अन्य श्रेणी जैसे कारकों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता है। निगम एक सुरक्षित और सकारात्मक कार्य वातावरण प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उत्पादक और संलग्न कार्यबल को बनाए रखने के लिए सभी शिकायतों का शीघ्र और प्रभावी ढंग से समाधान किया जाए। पी6 – निगम अपने कार्यों और नीतियों में ईएसजी विचारों का एकीकरण सुनिश्चित करेगा। पी8 – अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, निगम क्षमता निर्माण, समुदायों के सशक्तिकरण, समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, पिछड़े क्षेत्रों के विकास और समाज के हाशिए पर और वंचित वर्गों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करता है।								

6.	**विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के प्रति इकाई का प्रदर्शन, तथा यदि वे पूरे नहीं होते हैं तो कारण भी।**	पी1 – निगम के पास कंपनी अधिनियम, 2013, आईआरडीएआई और सेबीके नियमों के तहत ज़रूरी सभी नीतियां हैं और समय–समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। पी3 – निगम के कुल कर्मचारियों में से 36.18% महिलाएं हैं और वरिष्ठ प्रबंधनमें 27% महिलाएं हैं। दिव्यांग व्यक्ति भी निगम के कार्यबल का हिस्सा हैं। वित्त वर्ष 2025–26 में कर्मचारियों के लिए 15,256 से ज़्यादा घंटे का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कर्मचारियों की सेहत और भलाई को बढ़ावा देने के लिए, जीआईसी प्रधान कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग सत्र आयोजित किया गया, ताकि कर्मचारियों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने और अपनी शारीरिक व मानसिक सेहत को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। पी6 – निगम के पास बोर्ड से मंज़ूर पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) नीति है, साथ ही ईएसजी संचालन कमिटी और ईएसजी टीम भी है, जो निगम की परिचालन रणनीतियों में ईएसजी से जुड़े पहलुओं को शामिल करना सुनिश्चित करती है। निगम ने अपने सभी कार्यालयों में कागज़ की खपत कम करने और टिकाऊ तौर–तरीकों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। कामकाज के तरीकों को डिजिटल बनाकर, निगम का मकसद कागज़ का इस्तेमाल कम करना और काम की क्षमता बढ़ाना है। इसके अलावा, सिंगल–यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए भी कोशिशें की गई हैं; जैसे प्लास्टिक फ़ोल्डर की जगह कागज़ के फ़ोल्डर का इस्तेमाल करना, प्लास्टिक के गमलों की जगह मिट्टी के गमले इस्तेमाल करना और पीने के लिए कांच की बोतलों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। निगम अपने कर्मचारियों और प्रशासनिक स्टाफ़ को इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ (ईवी) खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है और इसके लिए उन्हें आम ब्याज दरों से कम दरों पर लोन देता है। पी8 – निगम ने अपनी सीएसआर गतिविधियों के ज़रिए हेल्थकेयर, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सशक्तिकरण के क्षेत्र में योगदान दिया है: 1. विकलांग लोगों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने के मकसद से एक सुलभ संसाधन केंद्र बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी गई, जिससे लगभग 5,000 लोगों को फ़ायदा हुआ। 2. एंडोसल्फ़ान से प्रभावित महिलाओं के लिए एक पुनर्वास केंद्र बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी गई, जिससे 150 लोगों को मदद मिली। 3. 100 ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए एक वृद्धाश्रम की पहली मंज़िल बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। 4. खास ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए दूसरी मंज़िल बनाने में मदद के लिए फंड दिया गया, जिससे 56 से ज़्यादा गांवों के 165 से ज़्यादा छात्रों को शिक्षा और देखभाल मिल रही है।

अभिशासन, नेतृत्व और निगरानी

7. व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए ज़िम्मेदार निदेशक का वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया हो

राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में जीआईसी री बेहतर भविष्य के लिए व्यापक विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह वित्तीय समावेशन, डिजिटल नवाचार और समावेशी विविधता को बढ़ावा देता है। सुस्पष्ट कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों और एक सुदृढ़ उद्यम जोखिम प्रबंधन ढाँचे के साथ, हमने मज़बूत कार्य नीतियाँ स्थापित की हैं जो हमारे सभी कार्यों और निर्णय लेने के लिए एक आधार साबित होती हैं। हमारे ग्राहकों, कर्मचारियों और व्यावसायिक भागीदारों का कल्याण हमारे सभी निर्णयों में सर्वोपरि है।

हमारा व्यावसायिक दर्शन स्थिरता की अवधारणाओं को समाहित करता है, जो ग्राहकों की सुरक्षा और दीर्घकालिक माँगों को पूरा करने वाले एक दीर्घकालिक संगठन के निर्माण के हमारे उद्देश्य को प्रभावित करता है। आईआरडीएआई द्वारा डी-एसआईआई (घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता) के रूप में हमारा वर्गीकरण, भारतीय बीमा उद्योग में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। हम अपने समुदायों और व्यापक रूप से दुनिया को प्रभावित करने वाली कई चुनौतियों का समाधान करना चाहते हैं। हम संपत्ति, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की बीमा योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

हम भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल, भारतीय परमाणु बीमा पूल और समुद्री कार्गो (अस्वीकृत जोखिम) पूल जैसे विभिन्न पूलों का भी प्रबंधन करते हैं, जिनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण उद्योग और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखता है।

बदलते परिवेश में अनुकूलनशील बने रहने के लिए, कंपनी ने एक व्यापक व्यावसायिक निरंतरता योजना लागू की है।कंपनी की भलाई और दीर्घकालिक व्यवहार्यता की रक्षा के लिए, प्रतिक्रिया रणनीतियाँ बनाई गई हैं और उनका बारीकी से पालन किया गया है।अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए, कंपनी संसाधन अनुकूलन के एक भाग के रूप में ऊर्जा, जल और अपशिष्ट में कमी को बढ़ावा देती है। दैनिक व्यावसायिक कार्यों में ईएसजी प्रथाओं के निर्बाध एकीकरण के लिए पर्यावरण, सामाजिक और शासन ढाँचे को लागू किया जा रहा है, जिसमें प्रबंधन अपने निर्णयों के प्रति अधिक जागरूक है, जिनका व्यवसाय के सतत विकास पर काफी ध्यान है।

कंपनी किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के प्रति एक समझौताहीन शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण रखती है, जिसमें अंदरूनी व्यापार निषेध और धोखाधड़ी-रोधी नीति जैसी नीतियाँ पूरी तरह से प्रभावी हैं। साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित हमारी मज़बूत सूचना सुरक्षा नीति के माध्यम से, हम सभी संवेदनशील संगठनात्मक और ग्राहक जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

8.	**व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (नीतियों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।**	श्री हितेश रमेशचन्द्र जोशी, कार्यपालक निदेशक और (अतिरिक्त प्रभार- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक). डीआईएन- 09322218
9.	**क्या संस्था के पास स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।**	हाँ, बोर्ड और प्रबंधन स्तर की जोखिम प्रबंधन समितियाँ समय-समय पर सभी जोखिमों और न्यूनीकरण उपायों की समीक्षा करती हैं। 31 मार्च 2026 को जोखिम प्रबंध समिति का गठन

डीआईएन	समिति सदस्य का नाम	पदनाम
10344636	अश्वनी कुमार (अध्यक्ष)	गैर-कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक
09322218	हितेश रमेशचंद्र जोशी	कार्यपालक निदेशक
11210291	जयश्री बालकृष्ण	कार्यपालक निदेशक
11228147	तपन कुमार मंडल	गैर-कार्यपालक - नामिती निदेशक
99999999	बालकृष्ण वरियार	मुख्य वित्तीय अधिकारी
99999999	सतीश भट्ट	नियुक्त एक्चुअरी (गैर-जीवन)
99999999	सुरेश सिंधी	नियुक्त एक्चुअरी (जीवन)

निगम के ईएसजी ढांचे के तहत, निगम ने पर्यावरण की स्थिरता, सामाजिक ज़िम्मेदारी और अभिशासन के लिए लक्ष्य तय करने और ईएसजी उद्देश्यों व ईएसजी से जुड़े मामलों पर लागू अन्य नियमों के आधार पर प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए प्रबंधन स्तरीय कीईएसजी संचालन समिति बनाई है।

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

समीक्षा के लिए विषय	बताएं कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
उपरोक्त नीतियों के अनुसार प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं (नोट देखें)	हाँ	हाँ	वार्षिक / आवश्यकतानुसार (पी7 को छोड़कर)								
सिद्धांतों से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन, और किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार	निगम सभी लागू सांविधिक अपेक्षाओं का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करता है।																	

11. क्या आप अपनी नीतियों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किसी बाहरी एजेंसी से करवाते हैं? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो उस एजेंसी का नाम बताएँ।	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं (नोट देखें)	हाँ	हाँ
	ये नीतियाँ वैधानिक दिशानिर्देशों और व्यावसायिक आवश्यकताओं के दायरे में तैयार की जाती हैं, जिन्हें समय-समय पर व्यावसायिक/पर्यावरणीय/प्रशासन आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जाता है। नीतियों की समय-समय पर आंतरिक समिति द्वारा समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा उनकी समीक्षा/मूल्यांकन और अद्यतनीकरण किया जाता है तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है।								

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर 'नहीं' है, अर्थात सभी सिद्धांत पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, तो कारण बताएं:

प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
संस्था इन सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हाँ/नहीं)									
संस्था अभी उस स्थिति में नहीं है जहाँ वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने की स्थिति में हो (हाँ/नहीं)									
संस्था के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या/या मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ/नहीं)									
इसे अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है (हाँ/नहीं)									
कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)									

नोट: निगम सरकार और नियामकों के समक्ष उद्योग का प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए व्यापार और उद्योग संघों के साथ काम करता है, जबकि इस सिद्धांत के लिए कोई

अनुभाग ग: सिद्धांत-वार निष्पादन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को सिद्धांतों और मूल तत्वों को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में सहायता करना है। मांगी गई जानकारी को 'आवश्यक' और 'नेतृत्व' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि आवश्यक संकेतकों का खुलासा प्रत्येक संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है, जिसे यह रिपोर्ट दाखिल करने का दायित्व सौंपा गया है, नेतृत्व संकेतकों का प्रकटन उन संस्थाओं द्वारा स्वेच्छा से किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से ज़िम्मेदार बनने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति करना चाहती हैं।

सिद्धांत 1: व्यवसायों को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से ईमानदारी से आचरण और नियंत्रण करना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. **वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज का प्रतिशत:**

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत %
निदेशक मंडल	3	**इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध और अधिकारियों के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग अनुपालन प्रबंधन प्रणाली के परिचित कराना और एआई पर कार्यक्रम** निहितार्थ: निदेशकों को इनसाइडर ट्रेडिंग कानूनों के बारे में जागरूक करके, उन्हें 'इनसाइडर ट्रेडिंग पर निशेध के लिए निगम की आचार संहिता' के तहत अपनी जिम्मेदारियों की व्यावहारिक जानकारी मिली। इससे संभावित उल्लंघनों को रोकने और जवाबदेही को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। इसके अलावा, एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम ने कार्यपालकों को बेहतर जानकारी और डेटा के आधार पर निर्णय लेने और एआई पहलों को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया। इस कार्यक्रम ने अलग-अलग विभागों के बीच सहयोग को मजबूत किया और नवोन्मेषण की संस्कृति को बढ़ावा दिया, साथ ही एआई से जुड़े जोखिमों, नैतिकता और अभिशासन के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई।	100%
		परिचय कार्यक्रम क) उस उद्योग स्वरूप जिसमें निगम काम करता है; ख) निगम का बिज़नेस मॉडल; ग) निगम की निगमीय अभिशासन दर्शन; घ) निगम द्वारा अपनाई गई नीति, मानक, प्रक्रियाएं, आचार संहिता आदि; ड.) लागू विनियामक फ्रेमवर्क जिसमें ईएसजी और आरपीटी फ्रेमवर्क शामिल हैं; और च) निदेशकों की भूमिकाएं, कार्य और कर्तव्य; और फ्रेमवर्क। निहितार्थ – इन कार्यक्रमों से निदेशकों को निगम के कामकाज और अभिशासन दर्शन के बारे में जानकारी अपडेट करने और जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली; साथ ही, निगम के विनियामक और अनुपालन माहौल के बारे में समझ भी बेहतर हुई।	50%

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत %
मुख्य प्रबंधकी कार्मिक*	3	**इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध और इनसाइडर ट्रेडिंग अनुपालन प्रबंधन प्रणाली की जानकारी; कार्यपालकों के लिए एआई पर कार्यक्रम; और लाइफ री-ज्ञान संवर्धन पर सूचना सुरक्षा कार्यक्रम।** प्रभाव: कर्मचारियों को इनसाइडर ट्रेडिंग कानूनों के बारे में जागरूक करके, उन्हें निगम के 'इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध संबंधी आचार संहिता के तहत अपनी जिम्मेदारियों की व्यावहारिक जानकारी मिली है। इससे संभावित उल्लंघनों को रोकने और जवाबदेही को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। इसके अलावा, एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम ने कार्यपालकों को बेहतर जानकारी और डेटा के आधार पर निर्णय लेने और एआई पहलों को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया। इस कार्यक्रम ने अलग-अलग विभागों के बीच सहयोग को मजबूत किया और नवोन्मेषण की संस्कृति को बढ़ावा दिया, साथ ही एआई से जुड़े जोखिमों, नैतिकता और अभिशासन के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई।	100%
कर्मचारी बीओडी और केएमपी के अलावा	62	• अभिशासन, अनुपालन और विनियामक से सम्बद्ध प्रशिक्षण • बीमा और पुनर्बीमा के क्षेत्र की जानकारी • साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा का प्रशिक्षण • डिजिटल रूपांतरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता • नेतृत्व और व्यवहार से सम्बद्ध विकास प्रभाव : इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अलग-अलग विभागों में कर्मचारियों की जानकारी, कौशल और नियमों के अनुपालन के बारे में जागरूकता बढ़ी। जांच की प्रक्रियाओं, सतर्कता और आरोप पत्र तैयार करने पर हुए खास सेशन से जांच और अनुशासनात्मक क्षमताएं मजबूत हुईं। आरक्षण नीति, मानवाधिकार, पीओएसएच और वीएडब्ल्यू पर हुए कार्यक्रमों से संगठन के भीतर संवेदनशीलता, समावेशिता और नैतिक व्यवहार में सुधार हुआ। साइबर सुरक्षा, सूचना सुरक्षा और बीमा धोखाधड़ी प्रबंधन पर हुए तकनीकी प्रशिक्षण से जोखिम को कम करने और परिचालनात्मक मजबूती में मदद मिली। एआई और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके बीमांकन और दावे पर आयोजित कार्यशालाओं से प्रतिभागियों को उद्योग के नए तौर-तरीकों को समझने और निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिली। वित्तीय, सेवा और स्थापित नियमों पर प्रशिक्षण से विनियामक और प्रशासनिक ढांचे का बेहतर पालन सुनिश्चित हुआ।बीआरएसआर और आईबीसी से जुड़े सत्रों ने सतत रिपोर्टिंग और दबावग्रस्त आस्ति समाधान की समझ को बढ़ाया। कुल मिलाकर, इन पहलों ने पेशेवर विकास को बढ़ावा दिया, अभिशासन मानकों में सुधार किया और बदलते बिज़नेस और विनियामक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की संगठन की क्षमता को मजबूत किया।	92.28%
कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

**केएमपी में बीओडी शामिल हैं*

2. **वित्तीय वर्ष में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही में भुगतान किए गए जुर्माने/दंड/दंड/पुरस्कार/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा), टिप्पणी : इकाई सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटन करेगी):**

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	**विनियामक/प्रवर्तन/एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम**	**राशि (रुपये में)**	**मामले का संक्षिप्त विवरण**	**क्या कोई अपील की गई है (हाँ/नहीं)**
दंड/जुर्माना	जून 2025, सितंबर 2025 और दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिए बोर्ड में ज़रूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशक न होने के कारण, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड ने हर तिमाही के लिए क्रमशः ₹5,36,900/- (जीएसटी सहित), ₹5,42,800/- (जीएसटी सहित) और ₹5,42,800/- (जीएसटी सहित) का जुर्माना लगाया। चूंकि यह निगम भारत सरकार की कंपनी है, इसलिए बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। इसी के अनुसार, निगम ने बताए गए स्टॉक एक्सचेंजों से लगाए गए जुर्माने को माफ़ करने का अनुरोध किया है।			
निपटान	कोई नहीं				
कंपाउंडिंग शुल्क					
गैर-मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	**विनियामक/प्रवर्तन/एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम**		**मामले का संक्षिप्त विवरण**	**क्या कोई अपील की गई है (हाँ/नहीं)**
कारावास	कोई नहीं				
दंड					

3. **उपरोक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए मामलों में, उन मामलों में की गई अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई के लिए अपील की गई है।**

मामले का विवरण	**विनियामक/प्रवर्तन/एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम**
कोई नहीं	

4. **क्या कंपनी के पास भ्रष्टाचार-विरोधी या रिश्वत-विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।**

हाँ, जीआईसी री ने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता लागू की है, जो निगम के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू होती है। साधारण बीमा (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 2014, शिकायत निवारण नीति, व्हिसल ब्लोअर नीति और धोखाधड़ी-रोधी नीति निगम के सभी कर्मचारियों पर लागू हैं। ये तंत्र निगम के मामलों के प्रबंधन में एक नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

हर साल, निगम सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है, और सभी कर्मचारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करते हुए, सतर्कता बनाए रखने और ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होने की शपथ लेते हैं। हमारे पास एक शिकायत निवारण नीति है जो बताती है कि कोई भी शिकायत कैसे दर्ज की जा सकती है और शिकायतकर्ता की गुमनामी और उचित समाधान की अनुमति देती है।

ये नीतियां आसानी से उपलब्ध हैं और इन्हें निम्नलिखित लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:

https://www.gicre.in/images/2024/Code_of_Conduct_for_Directors__Senior_Management_Personnel_-_2024_Version_40.pdf

https://www.gicre.in/images/2025/GIC_Re_-_Complaint_Handling_Policy_-_2023.pdf

https://www.gicre.in/images/pdf/CDA-Rules-2018.pdf

https://www.gicre.in/images/2025/Vigil_Mechanism_or_Whistle_Blower_Policy_-_2025_Ver_30.pdf

5. **निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:**

	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
निदेशक	0	0
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	0	0
कर्मचारी	0	0
कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं

6. **हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरण:**

	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
	संख्या/टिप्पणियां	संख्या/टिप्पणियां
निदेशकों के हितों के टकराव से संबंधित मुद्दों से संबंधित प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों से संबंधित प्राप्त शिकायतों की संख्या		

7. **भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा जुर्माने/दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान, भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में विनियामक, कानून लागू करने वाली एजेंसियों या न्यायिक संस्थाओं द्वारा लगाए गए जुर्माने/दंड या की गई कार्रवाई से जुड़े मुद्दों पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई और न ही ऐसी कोई कार्रवाई चल रही है।

8. **देय खातों के दिनों की संख्या ((देय खाते *365) / खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत) निम्नलिखित प्रारूप में:**

	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
देय खातों के दिनों की संख्या	0	6

9. **व्यवसाय का खुलापन:**

व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री की एकाग्रता का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम और निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मानदंड	मेट्रिक्स	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
क्रय का संकेन्द्रण	क. व्यापारिक घरानों से की गई खरीदारी, कुल खरीदारी के % के रूप में	लागू नहीं	लागू नहीं
	ख. उन व्यापारिक घरानों की संख्या जहाँ से खरीदारी की गई है	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग. शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से की गई खरीदारी, व्यापारिक घरानों से की गई कुल खरीदारी के % के रूप में	लागू नहीं	लागू नहीं
बिक्री का संकेन्द्रण	क. डीलरों/वितरक को की गई बिक्री, कुल बिक्री के % के रूप में	लागू नहीं	लागू नहीं
	ख. उन डीलरों/वितरक की संख्या जिन्हें बिक्री की गई है	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग. शीर्ष 10 डीलरों/वितरक को की गई बिक्री, डीलरों/वितरक को की गई कुल बिक्री के % के रूप में	लागू नहीं	लागू नहीं
निम्न में आरपीटी का हिस्सा	a. i) खरीदारी (संबंधित पक्षों के साथ की गई खरीदारी)	83,844,171.80	410,735,972.16
	ii) कुल खरीदारी	34,327,260,854.63	33,097,473,461.09
	iii) ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम / कुल ऋण और अग्रिम)	0.24%	1.24%
	b. i) बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री)	41,019,346,473.96	21,956,761,280.28
	ii) कुल बिक्री	440,067,408,999.79	411,539,524,688.72
	iii) बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री / कुल बिक्री)	9.32%	5.34%
	c. i) संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम	–	–
	ii) कुल ऋण और अग्रिम	–	–
	iii) कुल ऋण और अग्रिम के प्रतिशत के रूप में संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम	–	–

	d. i) निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश)	–	–
	ii) किया गया कुल निवेश	–	–
	iii) किए गए कुल निवेशों के % के रूप में संबंधित पक्षों में निवेश	–	–

टिप्पणी: *निगम एक पुनर्बीमा प्रदाता होने के नाते, डीलरों/वितरक को उत्पादों की बिक्री के लिए उपरोक्त प्रकटन व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए लागू नहीं होता है। इसके अलावा, बीमा एजेंट/दलाल/मध्यस्थों को रिपोर्टिंग के लिए डीलर/वितरक नहीं माना जाता है।*

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए किसी भी सिद्धांत पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/ सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)
कोई नहीं		

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएँ मौजूद हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदान करें।

हाँ। जीआईसी री ने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता लागू की है। यह संहिता हितों के टकराव को परिभाषित और संबोधित करती है तथा समाधान के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है। बोर्ड की बैठकों के दौरान, सदस्य एजेंडा मदों से संबंधित किसी भी संभावित टकराव का पारदर्शी रूप से खुलासा करते हैं और हितों के टकराव की स्थिति में मतदान से परहेज करते हैं।

संबंधित नीतियाँ आसानी से उपलब्ध हैं और इन्हें निम्नलिखित लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है: https://www.gicre.in/en/people-resources/policies-and-guidelines

सिद्धांत 2: व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को टिकाऊ और सुरक्षित तरीके से प्रदान करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत, क्रमशः कंपनी द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश का प्रतिशत।

	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
अनुसंधान एवं विकास	0.00%	0.00%	लागू नहीं
पूंजीगत व्यय	0.00%	0.00%	लागू नहीं

2. क्या संस्था के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएँ मौजूद हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे।

निगम एक पुनर्बीमा सेवा प्रदाता होने के नाते विनिर्माण गतिविधि में शामिल नहीं है, इसलिए स्थायी सोर्सिंग पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

3. अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और जीवन के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने हेतु मौजूद प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-कचरा (ग) खतरनाक कचरा और (घ) अन्य कचरा।

निगम के आईटी विभाग में मीडिया निपटान की प्रक्रिया है, जिसमें विनियामक ज़रूरतों के अनुसार ई-कचरा निपटान भी शामिल है, क्योंकि मीडिया में ई-कचरा भी आता है।

डेटा सेंटर/एफएम टीम निपटान से पहले मीडिया/एसेट्स को सैनिटाइज़ करती है। परिवहन तक मीडिया/एसेट्स को सुरक्षित रखा जाता है। सुविधा प्रबंधन टीम निपटान वेंडर तक इनकी डिलीवरी की व्यवस्था करती है।

वेंडर मीडिया/एसेट्स को नष्ट कर देता है और नष्टीकरण प्रमाणपत्र जारी करता है।

4. क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) संस्था की गतिविधियों पर लागू है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दें।

निगम के व्यवसाय और उसके संचालन क्षेत्र की प्रकृति के कारण लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	योगदान किए गए कुल कारोबार का %	सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन किया गया था	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया था (हाँ/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो वेब-लिंक प्रदान करें
लागू नहीं					

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम उत्पन्न होते हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उन्हें कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ उनका संक्षेप में वर्णन करें।

उत्पाद/सेवा का नाम	जोखिम/चिंता का विवरण	की गई कार्रवाई
लागू नहीं		

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में प्रयुक्त कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्चक्रित या पुनःप्रयुक्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

इनपुट सामग्री बताएं	कुल सामग्री के लिए पुनर्चक्रित या पुनःप्रयुक्त इनपुट सामग्री	
	वित्तीय वर्ष 2025-2026	वित्तीय वर्ष 2024-2025
लागू नहीं	0%	0%

4. उत्पादों और पैकेजिंग की जीवन अवधि के अंत में पुनः प्राप्त मात्रा (मीट्रिक टन में) निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और सुरक्षित रूप से निपटान की गई मात्रा:

	वित्तीय वर्ष 2025-2026			वित्तीय वर्ष 2024-2025		
	पुन: प्रयुक्त	पुनर्चक्रित	सुरक्षित रूप से निपटान की गई	पुन: प्रयुक्त	पुनर्चक्रित	सुरक्षित रूप से निपटान की गई
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	0	0	0	0	0	0
ई-कचरा	0	0	0	0	0	0
खतरनाक कचरा	0	0	0	0	0	0
अन्य कचरा	0	0	0	0	0	0

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

उत्पाद श्रेणी बताएं	संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के % के रूप में पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री
लागू नहीं	0%

सिद्धांत 3: व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल सभी कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **क. कर्मचारियों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:**

वर्ग	कवर किए गए कर्मचारियों का %										
	कुल	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
	(ए)	संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)	संख्या (डी)	% (डी / ए)	संख्या (ई)	% (ई / ए)	संख्या (एफ)	% (एफ / ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	269	269	100%	269	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	269	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	149	141	95%	149	100%	141	95%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	418	410	98%	418	100%	141	34%	269	64%	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य*											
पुरुष	52	52	100%	52	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	52	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	33	33	100%	33	100%	33	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	85	85	100%	85	100%	33	39%	52	61%	लागू नहीं	लागू नहीं

**परिवीक्षाधीन कर्मचारी*

ख. कर्मचारियों की भलाई के उपायों का विवरण:

वर्ग	कवर किए गए कर्मचारियों का %										
	कुल	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
	(ए)	संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)	संख्या (डी)	% (डी / ए)	संख्या (ई)	% (ई / ए)	संख्या (एफ)	% (एफ / ए)
स्थायी कामगार											
पुरुष	लागू नहीं										
महिला	लागू नहीं										
कुल	लागू नहीं										
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य											
पुरुष	लागू नहीं										
महिला	लागू नहीं										
कुल	लागू नहीं										

ग. कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और स्थायी के अलावा अन्य सहित) के कल्याण के उपायों पर निम्नलिखित प्रारूप में व्यय –

	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर व्यय	0.02%	0.02%

2. **चालू वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभ के विवरण**

लाभ	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कामगारों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हां/ना/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में कवर किए गए कामगारों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हां/ना/लागू नहीं)
पीएफ/पेंशन	24.85%	लागू नहीं	हाँ	33%	लागू नहीं	हाँ
एनपीएस	75.14%	लागू नहीं	हाँ	67%	लागू नहीं	हाँ
ग्रेच्युटी	100%	लागू नहीं	हाँ	100%	लागू नहीं	हाँ
ईएसआई	–					
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें	-					

3. **कार्यस्थलों की सुगम्यता:**

क्या संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं?

हाँ, कार्यस्थल दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक सुगम्यता प्रावधानों से पूरी तरह सुसज्जित हैं।

4. **क्या संस्था के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।**

एक संगठन के रूप में, हम सभी कर्मचारियों और उम्मीदवारों को रोजगार के समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम विविधता और समावेश के सिद्धांतों में दृढ़ता से विश्वास करते हैं और नस्ल, जाति, धर्म, रंग, वंश, वैवाहिक स्थिति, लिंग, यौन अभिविन्यास, आयु, राष्ट्रीयता, जातीय मूल, विकलांगता, या लागू कानून द्वारा संरक्षित किसी अन्य श्रेणी जैसे कारकों के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। सभी के साथ निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने और निष्पक्षता और समान अवसर की हमारी भावना के अनुरूप कार्य करने के महत्व को निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता और सभी कर्मचारियों पर लागू सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमों दोनों में संहिताबद्ध किया गया है।

https://www.gicre.in/images/2026/Equal-Opportunity_Policy.pdf

5. **पितृत्व छुट्टी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर**

	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगार	
लिंग	**काम पर वापसी दर**	**प्रतिधारण दर**	**काम पर वापसी दर**	**प्रतिधारण दर**
पुरुष	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं

6. **क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों की शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें।**

	हां/नहीं (यदि हां, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें)
स्थायी कामगार	लागू नहीं
स्थायी कामगार के अलावा अन्य	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी	जीआईसी री एक सुरक्षित और सकारात्मक कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि सभी शिकायतों का तुरंत और प्रभावी ढंग से समाधान किया जाए ताकि उत्पादक और संलग्न कार्यबल बनाए रखा जा सके। कर्मचारी हमारी शिकायत निवारण नीति के अनुसार अपने संबंधित लाइन मैनेजर, विभाग प्रमुख या मानव संसाधन विभाग (शिकायत निवारण अधिकारी) के समक्ष अपनी चिंताएं उठा सकते हैं। एक बार शिकायत उठाए जाने के बाद, हम समस्या को समझने और संभावित समाधानों की पहचान करने के लिए कर्मचारी के साथ मिलकर काम करते हैं। एक संपूर्ण जांच प्रक्रिया सभी संबंधित पक्षों के लिए निष्पक्षता का आश्वासन देती है, जिसमें तथ्य और कोई भी प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करने की क्षमता शामिल है। कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई और उपलब्ध सहारा सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमों में संहिताबद्ध हैं। हमारे शिकायत निवारण तंत्र में कर्मचारियों के लिए अपने कर्मचारी प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी चिंताओं या शिकायतों को उठाने की एक प्रक्रिया शामिल है।
स्थायी कर्मचारी के अलावा अन्य	

7. **सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों की सदस्यता:**

जीआईसी री में दिसंबर 2024 से अधिकारियों के लिए चेक-ऑफ यूनियन के रूप में जीआईसी ऑफिसर्स एसोसिएशन और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए चेक-ऑफ यूनियन के रूप में भारतीय बीमा कर्मचारी सेना और जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन है।

श्रेणी	वि.व. 2025–26 चालू वित्तीय वर्ष			वि.व. 2024–25 पिछला वित्तीय वर्ष		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगार (ए)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या, जो संघ या यूनियन का हिस्सा हैं (बी)	% (बी / ए)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी / कामगार (सी)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या, जो संघ या यूनियन का हिस्सा हैं (डी)	% (डी / सी)
कुल स्थायी कर्मचारी	**418**	**304**	**72.73%**	**401**	**251**	**62.59%**
–पुरुष	269	200	74.35%	260	177	68.08%
–महिला	149	104	69.80%	141	74	52.48%
कुल स्थायी कामगार	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं	0	0
–पुरुष	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं	0	0
–महिला	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं	0	0

8. **कर्मचारियों और कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:**

श्रेणी	वि.व. 2025–256 चालू वित्तीय वर्ष					वि.व. 2024–25 पिछला वित्तीय वर्ष				
	कुल (ए)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (डी)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)		संख्या (ई)	% (ई/डी)	संख्या (एफ)	% (एफ/डी)
					कर्मचारी					
पुरुष	321	0	0.00%	292	90.97%	292	0	0.00%	248	84.93%
महिला	182	0	0.00%	173	95.05%	157	0	0.00%	148	94.26%
कुल	**503**	**0**	**0.00%**	**465**	**92.44%**	**449**	**0**	**0.00%**	**396**	**88.20%**
					कामगार					
पुरुष	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महिला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. **कर्मचारियों के प्रदर्शन और करियर विकास समीक्षाओं का विवरण:**

कर्मचारी जुड़ाव और प्रबंधक और कर्मचारी क्षमता निर्माण पर जोर तकनीकी और व्यवहारिक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला को कवर करने वाले प्रशिक्षणों के माध्यम से उचित रूप से ध्यान रखा जाता है। 100% कर्मचारियों ने करियर विकास पहलुओं के साथ–साथ अपने प्रबंधकों के साथ केपीआई/एसीआर वार्तालापों के बाद एक संरचित प्रारूप में अपनी विकास आवश्यकताओं को पूरा किया।

श्रेणी	वि.व. 2025–256 चालू वित्तीय वर्ष			वि.व. 2024–25 पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल (ए)	संख्या (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	संख्या (डी)	% (डी/सी)
			कर्मचारी			
पुरुष	321	321	100%	292	292	100%
महिला	182	182	100%	157	157	100%
कुल	**503**	**503**	**100%**	**449**	**449**	**100%**
			कामगार			
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

10. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या कंपनी द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली किस प्रकार लागू है?

हाँ, कंपनी ने अपने सभी कार्यालयों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की है। सभी फ्लोर वार्डन और सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल, उपलब्ध नियंत्रण उपायों और निकासी प्रोटोकॉल पर प्रशिक्षित किया जाता है।

ख. कंपनी द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है?

सभी संभावित कार्य-संबंधी खतरों का हमारे जोखिम रजिस्टर के भाग के रूप में गहन मूल्यांकन और पहचान की जाती है ताकि निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पहचाने गए जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण उपाय स्थापित और कार्यान्वित किए जाते हैं।

ग. क्या आपके पास कर्मचारियों के लिए कार्य-संबंधी खतरों की रिपोर्ट करने और खुद को ऐसे जोखिमों से दूर रखने की प्रक्रियाएँ हैं? (हाँ/नहीं)

हाँ, सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने और संभावित खतरों की सक्रिय रूप से पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए, कर्मचारियों को किसी भी निकटवर्ती खतरे, असुरक्षित कार्यों या असुरक्षित स्थितियों की सूचना मानव संसाधन या विशेष कार्य विभाग को देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

घ. क्या कंपनी के कर्मचारियों/कर्मचारियों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं? (हाँ/नहीं)

हाँ। जीआईसी री व्यापक चिकित्सा कवरेज प्रदान करके कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देता है। सभी कर्मचारी स्वयं और अपने परिवार के लिए चिकित्सा बीमा द्वारा कवर किए जाते हैं। निगम अग्नि सुरक्षा उपकरणों की स्थापना और इस संबंध में जागरूकता सहित विभिन्न अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन कर रहा है।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

सुरक्षा दुर्घटना/संख्या	श्रेणी*	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
क्षतिग्रस्त समय की चोट आवृत्ति दर (LTIFR) (प्रति दस लाख व्यक्ति घंटे काम किया)	कर्मचारी/कामगार	0	0
कुल रिकॉर्ड योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी/कामगार	0	0
मृत्यु की संख्या	कर्मचारी/कामगार	0	0
उच्च परिणाम वाली कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी/कामगार	0	0

**संविदा कार्यबल सहित*

12. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा उठाए गए उपायों का वर्णन करें।

जीआईसी री एक सुरक्षित, सहायक और मैत्रीपूर्ण कार्यस्थल वातावरण प्रदान करने में विश्वास करता है – एक सकारात्मक कार्यस्थल वातावरण और एक बेहतरीन कर्मचारी अनुभव हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। निगम का लक्ष्य सभी कार्यालयों में एक एर्गोनॉमिक रूप से सुरक्षित और आरामदायक कार्य वातावरण प्रदान करना है। निगम नियमित रूप से अपने कर्मचारियों के लिए वार्षिक निवारक स्वास्थ्य जांच प्रदान करती है।

निगम की विविधता और समावेशन की महत्वाकांक्षा का एक मुख्य घटक चुस्त कार्य है, जिसमें काम करने के विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो कर्मचारियों को अपनी पूरी क्षमता से लचीले ढंग से काम करने में सक्षम बनाती है। अंशकालिक कार्य, घर से काम और लचीले घंटे इस पहल के तहत दिए गए कुछ विकल्प हैं।

13. कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वि.व. 2025-26 चालू वित्तीय वर्ष			वि.व. 2024-25 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	टिप्पणियां
कार्य स्थितियां	शून्य					
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	शून्य					

14. वर्ष के लिए आकलन:

	मूल्यांकन किए गए आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % (किसी संस्था या सांविधिक प्राधिकरण या अन्य पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	शून्य
कार्य स्थितियां	शून्य

15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं एवं कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं से निपटने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान हमें कोई एलटीआई (हानि समय क्षति) नहीं हुई।

लीडरशिप संकेतक

1. क्या कंपनी (क) कर्मचारियों (ध) (ख) कामगारों (छ) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है?

(क) कर्मचारी : हाँ, निगम कर्मचारियों को जीएसएलआई, जीटीआईएस और समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के तहत कवरेज देता है।

(ख) कामगार : लागू नहीं।

2. कपंनी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय बताएं कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा सांविधिक देय राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है।

निगम अपने वेंडरों/सेवा प्रदाताओं के साथ 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) के ज़रिए काम करता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के लिए खरीद का एक केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म है। GeM पर पंजीकृत वेंडरों/सेवा प्रदाताओं को सभी आवश्यक कानूनी नियमों का पालन करना होता है, जिसमें कर और श्रम से जुड़े अंशदान जैसे बकाया का समय पर भुगतान और जमा करना शामिल है।

इसके अलावा, वेंडरों/सेवा प्रदाताओं को मासिक भुगतान करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उन्होंने आवश्यक सांविधिक भुगतान किए हैं या नहीं।

3. ऐसे कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या बताएं, जिन्हें कार्य से संबंधित गंभीर चोट/बीमारी/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) का सामना करना पड़ा है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:

	प्रभावित कर्मचारियों/कामगारों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है	
	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25	वि.व. 2025-25	वि.व. 2024-25
कर्मचारी		0	0	0
कामगार	0	0	0	0

4. क्या संस्था निरंतर रोज़गार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोज़गार समाप्ति के परिणामस्वरूप करियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है?

हाँ, निगम का एचआर विभाग सेवानिवृत्ति के करीब पहुँच रहे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति निधि के प्रबंधन के प्रशिक्षण के लिए नामित करता है।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्यांकन किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ **कार्य स्थितियां**	निगम मुख्य रूप से गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के ज़रिए खरीद करता है। इसके लिए आवश्यक है कि पंजीकृत वेंडर/सेवा प्रदाता लागू कानूनी, श्रम, स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिक व्यावसायिक आवश्यकताओं का पालन करें। इसलिए, निगम GeM प्लेटफ़ॉर्म में शामिल अनुपालन ढांचेपर निर्भर करता है और अपने वेंडर/ सेवा प्रदात से सभी लागू कानूनी दायित्वों का पालन करने की अपेक्षा करता है।

6. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान हेतु की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

चूँकि वर्ष के दौरान कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था, इसलिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

सिद्धांत 4: व्यवसाय को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. कंपनी के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

प्रमुख हितधारकों की पहचान कंपनी पर उनके भौतिक प्रभाव या निगम के निर्णयों और उन निर्णयों के परिणामों से उनके भौतिक रूप से प्रभावित होने के आधार पर की जाती है। रुचि और प्रभाव के स्तर के आधार पर, निगम हितधारक समूहों को प्राथमिकता देता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि निगम के लिए कौन से समूह सबसे महत्वपूर्ण हैं। निगम निवेशकों, केएमपी और कर्मचारियों, सरकार, नियामकों और मूल्य श्रृंखला भागीदारों जैसे व्यक्तियों/संस्थाओं को, जिनके साथ वह अपना व्यवसाय संचालित करता है, अपने प्रमुख हितधारक मानता है।

2. अपनी कंपनी के लिए प्रमुख के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति की सूची बनाएँ।

हितधारक समूह	क्या उन्हें कमजोर और हाशिए पर पड़े समूह के रूप में पहचाना गया है (हाँ/नहीं)	संचार के माध्यम	जुड़ाव की आवृत्ति	जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा जिसमें ऐसे जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताएँ शामिल हैं
कर्मचारी	नहीं	वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा टाउनहॉल आंतरिक संचार के लिए सीधा प्रसारण	आवश्यकता के आधार पर आवश्यकता के आधार पर	इस बातचीत का मकसद संगठन के सफ़र, उपलब्धियों और मूल्यों के बारे में जागरूकता पैदा करना है, साथ ही कर्मचारियों के बीच गर्व और एकता की भावना को मज़बूत करना है। यह भविष्य के विज़न और रणनीतिक दिशा को साझा करने का एक मौका है, जिससे पूरी श्रमशक्ति के बीच तालमेल बना रहे। टाउन हॉल कर्मचारियों को पहचान और पारदर्शी बातचीत के ज़रिए प्रेरित करता है, जिससे भरोसा और जुड़ाव बढ़ता है। यह कर्मचारियों को संगठन के प्रदर्शन, सीखने और विकास की पहलों और उनके प्रदर्शन के प्रबंधन के बारे में अपडेट रखने में भी मदद करता है।
शेयरधारक एवं निवेशक	नहीं	वित्तीय विवरण स्टॉक एक्सचेंज, निगम की वेबसाइट और अखबारों में प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन और एजीएम निवेशक/विश्लेषक बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया विज्ञप्तियां निगम की वेबसाइट निवेशकों की शिकायतों के लिए समर्पित ईमेल	तिमही वार्षिक वार्षिक आवश्यकता के आधार पर आवश्यकता के आधार पर www.gicre.in investors.gic@gicre.in	निवेशक–विश्लेषक बैठक या कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए निवेशक कंपनी के वित्तीय और परिचालन कार्य–निष्पादन के बारे में प्रबंधन से बातचीत कर सकते हैं। कंपनी ने शेयरधारकों के सवालों और शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित ईमेल आईडी बनाई है। इसके अलावा, शेयरधारक एजीएम में सीधे बोर्ड और प्रबंधन के सामने अपने सवाल रख सकते हैं।

हितधारक समूह	क्या उन्हें कमजोर और हाशिए पर पड़े समूह के रूप में पहचाना गया है (हाँ/नहीं)	संचार के माध्यम	जुड़ाव की आवृत्ति	जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा जिसमें ऐसे जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताएँ शामिल हैं
ग्राहक	नहीं	व्यवसाय/भौगोलिक क्षेत्र के लिए समर्पित ईमेल आमने-सामने की बैठकें	आवश्यकता के आधार पर	व्यापार खरीद, रूपांतरण और सेवा
सरकारी एवं विनियामक निकाय	नहीं	प्रचलित कानूनों के तहत लागू होने वाले निम्नलिखित कार्य: 1. रिपोर्ट और विवरणी प्रस्तुत करना 2. निर्देश और परिपत्र 3. लिखित संचार 4. स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग 5. नीति की वकालत	आवश्यकता के आधार पर	यह निगम भारत सरकार की एक कंपनी है, जो आईआरडीएआई और सेबी द्वारा विनियमित की जाती है और इसे विनियामकसंस्थाओं द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अलग-अलग परिपत्रों और आदेशों का पालन करना होता है।
समुदाय एवं एनजीओ	हाँ	बैठकें और चर्चाएँ – कर्मचारी स्वयंसेवा कार्यक्रम	सामुदायिक कार्यक्रम	निरंतर इन बातचीत का मकसद सीएसआर पहलों को बेहतर बनाने के लिए समुदाय की ज़रूरतों को समझना है।

लीडरशिप संकेतक

1. आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श की प्रक्रियाएँ प्रदान करें या यदि परामर्श का कार्य सौंपा जाता है, तो ऐसे परामर्शों से प्राप्त फीडबैक बोर्ड को कैसे प्रदान किया जाता है।

जीआईसी री के वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों के साथ संवाद करते हैं और इस तरह के संवादों से प्राप्त अंतर्दृष्टि को निर्णय लेने के दौरान ध्यान में रखा जाता है। जीआईसी री की हितधारक संबंध समिति समय-समय पर शेयरधारकों और निवेशकों से संबंधित मामलों की समीक्षा करती है, जिससे शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित होता है। निगम की सीएसआर समिति समय-समय पर जीआईसी री की सीएसआर पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है, जिससे विभिन्न स्थानीय समुदायों को लाभ होता है। बैठकों में प्रस्तुत रिपोर्टों के माध्यम से बोर्ड को नियमित अपडेट भी प्रदान किए जाते हैं। ईएसजी संचालन समिति निगम के पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन ढाँचे के समग्र कार्यान्वयन की समीक्षा करती है।

2. क्या पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो उन उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को कंपनी की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया।

निगम की सीएसआर पहलों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पिछड़े इलाकों का विकास और समाज के हाशिए पर रहने वाले और वंचित वर्गों को ऊपर उठाना शामिल है। गैर सरकारी संगठन प्रतिक्रिया एकत्र करते हैं और सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करते हैं और तदनुसार बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया से लाभ नीति, पुरस्कार और मान्यता नीति के माध्यम से मुख्य और गैर-मुख्य लाभों का कार्यान्वयन हुआ है, सीखने और विकास पहलों पर चर्चा के परिणामस्वरूप सीखने और विकास नीति का निर्माण हुआ है। शेयरधारकों द्वारा उठाई गई शिकायतें और प्रश्न और समाधान की स्थिति बोर्ड की हितधारक संबंध समिति के समक्ष रखी जाती है। प्रश्नों में पर्यावरण, सामाजिक विषय, यदि कोई हो, शामिल हो सकते हैं। निगम ने पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन से जुड़े पहलुओं को अपने बिज़नेस, कामकाज, निवेश और नीति में शामिल करने के लिए बोर्ड से अनुमोदित ईएसजी नीति अपनाई है।

3. कमजोर/हाशिए पर रहने वाले हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई और उनके साथ जुड़ाव के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।

जीआईसी री की सीएसआर पहल पर्यावरण की सुरक्षा और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। मुख्य प्रयासों में कर्नाटक के धारवाड़ में दिव्यांगों के लिए एक समावेशी संसाधन केंद्र बनाना, इस्तेमाल के बाद बेकार हो चुके सोलर पीवी मॉड्यूल की टिकाऊ रीसाइक्लिंग करना, और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और खेल-कूद की सुविधाओं को बेहतर बनाने के मकसद से 20 सरकारी स्कूलों को बदलना शामिल है। इन पहलों में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास पर भी ज़ोर दिया जाता है, जिसमें हाशिए पर रहने वाले और वंचित समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **कर्मचारी जिन्हें मानवाधिकार मुद्दों और कंपनी की नीतियों पर प्रशिक्षण दिया गया है निम्नलिखित प्रारूप में:**

श्रेणी	वि.व. 2025-26 (चालू वित्तीय वर्ष)			वि.व. 2024-25 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	कुल (ए)	कवर किए गए कर्मचारियों / कामगारों की संख्या (बी)	% (बी / ए)	कुल (सी)	कवर किए गए कर्मचारियों / कामगारों की संख्या (डी)	% (डी / सी)
कर्मचारी						
स्थायी	418	154	36.84%	401	26	6.48%
स्थायी के अलावा	85	51	60%	48	35	72.91%
कुल कर्मचारी	**503**	**205**	**40.76%**	**449**	**61**	**13.59%**
कामगार						
स्थायी	लागू नहीं					
स्थायी के अलावा						
कुल कामगार						

2. **कर्मचारियों को प्रदत्त न्यूनतम वेतन का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:**

श्रेणी	वि.व. 2025-26 चालू वित्तीय वर्ष					वि.व. 2024-25 पिछला वित्तीय वर्ष				
	कुल (ए)	समान न्यूनतम मजदूरी	को	न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (डी)	समान न्यूनतम मजदूरी	को	न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)		संख्या (ई)	% (ई / डी)	संख्या (एफ)	% (एफ / डी)
कर्मचारी										
स्थायी										
पुरुष	269	–	–	269	100%	260	–	–	260	100%
महिला	149	–	–	149	100%	141	–	–	141	100%
अन्य स्थायी										
पुरुष	52	–	–	52	100%	32	–	–	32	100%
महिला	33	–	–	33	100%	16	–	–	16	100%
कामगार										
स्थायी	लागू नहीं									
पुरुष										
महिला										
अन्य स्थायी										
पुरुष										
महिला										

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण

(क) माध्य पारिश्रमिक/मजदूरी (यथा 31.03.2026 को)

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी (₹)	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी (₹)
निदेशक मंडल (बीओडी)	1	53,92,180.88	1	61,84,320.63
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक*	7	68,09,286.30	2	58,26,683.03
निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	315	27,22,934.93	179	28,52,392.34
कामगार	लागू नहीं			

केएमपी में बीओडी शामिल नहीं

(ख) कंपनी द्वारा प्रदत्त कुल वेतन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को प्रदत्त सकल वेतन/मजदूरी

विवरण	वि.व. 2025-26 (₹)	वि.व. 2024-25 (₹)
महिलाओं को प्रदत्त सकल मजदूरी	56,95,61,291.15	36,19,05,399.77
कुल मजदूरी	1,45,66,07,282.22	99,45,31,817.48
कुल वेतन के % के रूप में महिलाओं को प्रदत्त सकल मजदूरी	39.10%	36.39%

4. क्या आपके पास कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या उसमें योगदान देने वाले मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है? (हाँ/नहीं)

हाँ, कंपनी के पास सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति के साथ-साथ एक मजबूत शिकायत निवारण नीति है और कर्मचारियों को अपनी कोई भी चिंता गुमनाम रूप से उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जीआईसी में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी), अध्यक्ष (बोर्ड की आचार समिति), अध्यक्ष (बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति), संबंधित विभाग के प्रमुख या मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को उनके कार्यालय के पते पर सीधे लिखकर शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। जनहित प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता का संरक्षण (पीआईडीपीआई) के तहत शिकायतें केवल डाक द्वारा, सीधे केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को की जा सकती हैं। जीआईसी री ने यौन उत्पीड़न के मामलों को संबोधित करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम-नीति के तहत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया है।

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु विद्यमान आंतरिक तंत्रों का वर्णन कीजिए।

सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 2014 और सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति निगम के सभी कर्मचारियों पर लागू हैं और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और उत्तरदायी आचरण की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं। कर्मचारियों और भागीदारों सहित सभी हितधारकों को संहिता, कंपनी की नीतियों या कानून के किसी भी संदिग्ध या वास्तविक उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे पास कार्य या रोजगार की स्थितियों से संबंधित उन मुद्दों के समाधान हेतु एक शिकायत निवारण नीति है जो कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करती हैं। निर्धारित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, जवाबदेही और अपील प्रक्रिया के साथ एक संरचित जाँच प्रक्रिया है।

6. कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वि.व.2025-26 चालू वित्तीय वर्ष			वि.व2024-25 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	0	0	-	0	0	-
कार्यस्थल पर भेदभाव	1	0	शिकायत मार्च 2026 में बंद कर दी गई	0	0	

	वि.व.2025-26 चालू वित्तीय वर्ष			वि.व2024-25 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	टिप्पणियां
बाल श्रम	0	0		0	0	
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	0	0		0	0	
मजदूरी	0	0		0	0	
मानवाधिकार संबंधी अन्य मुद्दे	0	0		0	0	

7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दर्ज शिकायतें, निम्नलिखित प्रारूप में:

	वि.व 2025-26	वि.व 2024-25
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच-पॉश) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें	0	0
महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के प्रतिशत के अनुसार पीओएसएच-पॉश पर शिकायतें	0	0
पीओएसएच-पॉश पर शिकायतों को सही ठहराया गया	0	0

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र

हम यह सुनिश्चित करने पर विशेष बल देते हैं कि हमारी पीओएसएच-पॉश (यौन उत्पीड़न निवारण) और आचार समितियों के सदस्य गोपनीयता के महत्व के बारे में अच्छी तरह से अवगत और शिक्षित हों। वैध चिंताओं की रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के प्रतिशोध के प्रति हमारी शून्य-सहिष्णुता की नीति है, और ऐसे व्यक्तियों को निशाना बनाते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हमारे झजडक और आचार समिति के सदस्यों को प्रतिशोध को रोकने और शिकायतकर्ताओं को आश्वस्त करने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान की जाती है कि वे बिना किसी डर के अपनी चिंताओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। हम शिकायतकर्ताओं को अनुरोध पर टीम, स्थान बदलने या लंबी छुट्टी लेने का विकल्प भी प्रदान करते हैं।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएँ आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं)

निगम मुख्य रूप से 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) के ज़रिए खरीद करता है। इसके लिए आवश्यक है कि पंजीकृत वेंडर/सेवा प्रदाता लागू कानूनी, श्रम, स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिक कारोबारी नियमों का पालन करें। इसलिए, निगम ऋशच प्लेटफ़ॉर्म के नियमों के पालन वाले सिस्टम पर निर्भर रहता है और अपने वेंडर/सेवा प्रदाता से उम्मीद करता है कि वे सभी लागू कानूनी ज़िम्मेदारियों का पालन करें।

इसके अलावा, निगम कंपनी किसी भी प्रकार के बाल श्रम/जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम में संलग्न या उसे बर्दाश्त नहीं करती है और कोई भी भेदभावपूर्ण रोजगार प्रथा नहीं अपनाता है।

10. वर्ष के लिए आकलन:

	आकलन किए गए आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % (किसी संस्था या सांविधिक प्राधिकरण या तृतीय पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	0.00%
जबरन/अनैच्छिक श्रम	0.00%
यौन उत्पीड़न	0.00%
कार्यस्थल पर भेदभाव	0.00%
मजदूरी	0.00%
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें	0.00%

11. उपरोक्त प्रश्न 10 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें:

लागू नहीं

लीडरशिप संकेतक

1. **मानवाधिकार संबंधी शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण**

   निगम ने शिकायतों के समाधान और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित किया है। निगम की सभी नीतियाँ बोर्ड/बोर्ड समितियों/वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अधिकृत हैं और नियमित रूप से आंतरिक लेखा परीक्षा और समीक्षा के अधीन हैं।

2. **मानवाधिकार के संबंध में किए गए सम्यकब तत्परता अध्ययन के दायरे और कवरेज का विवरण**

   शून्य

3. **क्या कंपनी का परिसर/कार्यालय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?**

   हाँ, जिन कार्यस्थलों पर दिव्यांग कर्मचारी काम करते हैं, वे आवश्यक सुगम्यता प्रावधानों से सुसज्जित हैं।

4. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के आकलन का विवरण:**

	आकलन किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)
यौन उत्पीड़न	0.00%
कार्यस्थल पर भेदभाव	0.00%
बाल श्रम	0.00%
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	0.00%
मजदूरी	0.00%
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें	0.00%

टिप्पणी: *हमारे सभी वेंडरों/सेवा प्रदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे नैतिक और मानवाधिकार नीतियों को लागू करें और इन नीतियों के उल्लंघन से निपटने के लिए उचित प्रक्रियाएँ अपनाएँ। निगम किसी भी प्रकार के बाल श्रम/जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम में संलग्न या उसे बर्दाश्त नहीं करता है और न ही किसी भी प्रकार की भेदभावपूर्ण रोजगार पद्धति को अपनाता है।*

5. **उपरोक्त प्रश्न 4 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान हेतु की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

   लागू नहीं

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा एवं पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करने चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:**

विवरण	यूनिट	वि.व. 2025–26 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व. 2024–25 (पिछला वित्तीय वर्ष)
नवीकरणीय स्रोतों से			
कुल बिजली खपत (ए)	गीगाजूल	0	0
कुल ईंधन खपत (बी)	गीगाजूल	0	0
अन्य स्रोतों से ऊर्जा खपत (सी)	गीगाजूल	0	0
नवीकरणीय संसाधनों से कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी)	गीगाजूल	0	0
गैर–नवीकरणीय स्रोतों से			
कुल बिजली खपत (डी)	गीगाजूल	3284.64 गीजू	3794.10 गीजू
कुल ईंधन खपत (ई)	गीगाजूल	216.94 गीजू	268.99 गीजू
अन्य स्रोतों से ऊर्जा खपत (एफ)	गीगाजूल	शून्य	शून्य

विवरण	यूनिट	वि.व. 2025–26 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व. 2024–25 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल ऊर्जा खपत (डी+ई+एफ)	गीगाजूल	3501.58 गीजू	4063.09 गीजू
कुल खपत की गई ऊर्जा (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	गीगाजूल	3501.58 गीजू	4063.09 गीजू
प्रति रुपया कारोबार पर ऊर्जा तीव्रता *(कुल ऊर्जा खपत/ कारोबार (संचालन से राजस्व) रुपये में)*	गीगाजूल/मिलियन रुपये का कारोबार	0.01	0.01
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/ कारोबार (संचालन से राजस्व) पीपीपी के लिए समायोजित) गीगाजूल/मिलियन रुपये का कारोबार क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/ कारोबार (संचालन से राजस्व) पीपीपी के लिए समायोजित)	गीगाजूल/मिलियन रुपये का कारोबार पीपीपी के लिए समायोजित मिलियन अमेरिकी डॉलर में	0.16	0.20
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता	--	--	--
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) – संबंधित मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	गीगाजूल / हेडकाउंट	6.96	9.05

टिप्पणी: *i) कारोबार को संबंधित वर्षों के लिए सकल प्रीमियम माना जाता है।*

ii) गहनता अनुपात की गणना का आधार/बेंचमार्क: कर्मचारियों की संख्या वर्ष के आखिर में मौजूद कर्मचारियों की संख्या के आधार पर ली जाती है।

iii) पीपीपी कन्वर्जन दर संबंधित वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम उपलब्ध प्रकाशन (https://www.imf.org/external/datamapper/PPPEX@WEO/OEMOC/INO) के आधार पर माना जाता है (वित्त वर्ष 26 – 20.34 रुपया/यूएस डालर और वित्त वर्ष 25 – 20.66 रुपया/यूएस डॉलर)।

टिप्पणी: बताएँ कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ।

हां, सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बीआरएसआर कोर के लिए मेसर्स रागिनी चोकशी एंड कं. द्वारा उचित आश्वासन दिया गया है।

2. **क्या कंपनी के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ताओं के रूप में पहचाने गए कोई स्थल/सुविधाएँ हैं? (हाँ/ना) यदि हाँ, तो बताएँ कि क्या पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, तो क्या कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, यदि कोई हो, तो बताएँ:**

नहीं

3. **जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटनों का विवरण दें, निम्नलिखित प्रारूप में:**

पैरामीटर	वि.व. 2025–26 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व. 20234–25 (पिछला वित्तीय वर्ष)
स्रोत से जल निकासी (किलोलीटर में):		
(i) सतही जल	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii) भूजल	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii) तृतीय पक्ष जल	5140 किली	5935 किली
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल	लागू नहीं	लागू नहीं
(v) अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल जल निकासी मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	5140 किली	5935 किली
कुल जल खपत मात्रा (किलोलीटर में)	5140 किली	5935 किली
प्रति रुपये कारोबार पर जल तीव्रता (कुल जल खपत / कारोबार (परिचालनों से राजस्व))	0.01	0.01
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार पर जल तीव्रता (कुल जल खपत / कारोबार (संचालन से राजस्व) पीपीपी के लिए समायोजित)	0.24	0.30
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल तीव्रता	--	--
जल तीव्रता (वैकल्पिक) – संबंधित मीट्रिक का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है	10.22	13.22

टिप्पणी:

i) कारोबार को संबंधित वर्षों के लिए सकल प्रीमियम माना जाता है।

ii) इंटेंसिटी रेश्यो की गणना का आधार/बेंचमार्क: कर्मचारियों की संख्या को साल के आखिर में मौजूद कर्मचारियों की संख्या के तौर पर लिया जाता है।

iii) पीपीपी रूपांतरण दर को संबंधित वर्ष (वित्त वर्ष 2026 – 20.34 रुपया/यूएस डॉलर और वित्त वर्ष 2025 – 20.66 रुपया/यूएस डॉलर) के लिए नवीनतम उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) प्रकाशन (https:J/www.imf.org/external/datamapper/ PPPEX@WEO/OEMOC/INO) के आधार पर माना जाता है।

टिप्पणी: बताएँ कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ।

हां, सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बीआरएसआर कोर के लिए मेसर्स रागिनी चोकशी एंड कं. द्वारा उचित आश्वासन दिया गया है।

4. पानी की निकासी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें।

पैरामीटर	वि.व.2025-26	वि.व 2024-25
गंतव्य और उपचार स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल में	0	0
– उपचार रहित	0	0
– उपचार सहित – कृपया उपचार स्तर बताएँ	0	0
(ii) भूजल मे	0	0
– उपचार रहित	0	0
– उपचार सहित – कृपया उपचार स्तर बताएँ	0	0
(iii) समुद्री जल में	0	0
– उपचार रहित	0	0
– उपचार सहित – कृपया उपचार स्तर बताएँ	0	0
(iv) तृतीय-पक्ष को भेजा गया	0	0
– उपचार रहित	0	0
– उपचार सहित – कृपया उपचार स्तर बताएँ	0	0
(v) अन्य	0	0
– उपचार रहित	0	0
– उपचार सहित – कृपया उपचार स्तर बताएँ	0	0
कुल निस्सृत जल (किलोलीटर में)	0	0

टिप्पणी: बताएँ कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ।

हां, सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बीआरएसआर कोर के लिए मेसर्स रागिनी चोकशी एंड कं. द्वारा उचित आश्वासन दिया गया है।

5. क्या कंपनी ने शून्य द्रव उत्सर्जन हेतु कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें। (हाँ/नहीं)

नहीं। चूँकि भारत में निगम के केवल 3 कार्यालय हैं, इसलिए अपशिष्ट जल का निर्वहन बहुत कम है। उत्पादित समस्त अपशिष्ट जल को नगरपालिका के सीवरों में बहा दिया जाता है, जिसका उपचार नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

6. कृपया कंपनी द्वारा वायु उत्सर्जन (ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	कृपया यूनिट निर्दिष्ट करे	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
NOx	--	निगम के कामकाज के स्वरूप के कारण लागू नहीं।	
SOx	--		
कणिका पदार्थ (PM)	--		
स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (POP)	--		
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC)	--		
खतरनाक वायु प्रदूषक (HAP)	--		
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें	--		

टिप्पणी: बताएँ कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ।
हां, सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बीआरएसआर कोर के लिए मेसर्स रागिनी चोकशी एंड कं. द्वारा उचित आश्वासन दिया गया है।

7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (दायरा 1 और दायरा 2 उत्सर्जन) और उसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	यूनिट	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
कुल दायरा 1 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो तो ग्रीनहाउस गैसों का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन)	CO2 का मीट्रिक टन समतुल्य	12.27	15.21
कुल दायरा 2 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो तो ग्रीनहाउस गैसों का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन)	CO2 का मीट्रिक टन समतुल्य	740.08	766.26
कुल दायरा 1 और दायरा 2 उत्सर्जन तीव्रता प्रति रुपया कारोबार (कुल दायरा 1 और दायरा 2 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन / कारोबार (परिचालन से राजस्व))	CO2 का मीट्रिक टन समतुल्य/ टर्नओवर का मिलियन रुपये	0.002	0.002
कुल दायरा 1 और दायरा 2 उत्सर्जन तीव्रता प्रति रुपया कारोबार (कुल दायरा 1 और दायरा 2 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन / कारोबार (परिचालन से राजस्व))	CO2 का मीट्रिक टन समतुल्य/ पीपीपी के लिए समायोजित यूएस डालर मे मिलियन रुपये	0.035	0.039
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में कुल दायरा 1 और दायरा 2 उत्सर्जन तीव्रता	--	--	--
कुल दायरा 1 और दायरा 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	CO2 का मीट्रिक टन समतुल्य/ हेडकाउंट	1.50	1.74

टिप्पणी : i) इस संकेतक की जानकारी वित्त वर्ष 2024-25 में नहीं दी गई थी और अब इसे हमारी बेहतर प्रकटनप्रक्रियाओं के हिस्से के तौर पर शामिल किया गया है।
ii) टर्नओवर को संबंधित वर्षों के लिए सकल प्रीमियम माना जाता है।
iii) गहनता अनुपात की गणना का आधार/बेंचमार्क: कर्मचारियों की संख्या को साल के आखिर में मौजूद कर्मचारियों की संख्या के तौर पर लिया जाता है।
iv) पीपीपी परिवर्तन दर को संबंधित वर्ष (वित्त वर्ष – 20.34 रुपया/यूए डालर और वित्त वर्ष – 20.66 रुपया/यूए डालर) के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के नवीनतम उपलब्ध प्रकाशन (https:J/www.imf.org/external/datamapper/ PPPEX@WEO/OEMOC/INO) के आधार पर माना जाता है।

टिप्पणी: बताएँ कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ।
हां, सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बीआरएसआर कोर के लिए मेसर्स रागिनी चोकशी एंड कं. द्वारा उचित आश्वासन दिया गया है।

8. क्या कंपनी के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

नहीं, निगम के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना नहीं है।9. कंपनी द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित

9. कंपनी द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (**ए**)	0	0
ई-अपशिष्ट (**बी**)	0	1.8 मीट्रिक टन
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (**सी**)	0	0
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (**डी**)	0	0
बैटरी अपशिष्ट (**ई**)	0	0
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (**एफ**)	0	0
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। यदि कोई हो, तो कृपया बताएँ। (**जी**)	0	0
उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (**एच**)। यदि कोई हो, तो कृपया बताएँ। (संरचना के अनुसार, अर्थातब क्षेत्र से संबंधित सामग्रियों के अनुसार)	0	0
कुल (**ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच**)	0	1.8 मीट्रिक टन
प्रति रुपया कारोबार अपशिष्ट तीव्रता (उत्पन्न कुल अपशिष्ट/कारोबार (संचालन से राजस्व)) (उत्पन्न कुल अपशिष्ट/संचालन से अरबों डॉलर का राजस्व)	0	0.0044

पैरामीटर	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार अपशिष्ट तीव्रता (उत्पन्न कुल अपशिष्ट/कारोबार (संचालन से राजस्व)) (उत्पन्न कुल अपशिष्ट/पीपीपी के लिए समायोजित संचालन से अरबों डॉलर का राजस्व)	0	0.09
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता	--	--
अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक) – संबंधित मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	0.00	0.00
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में))		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रित	0	1.8
(ii) पुनः उपयोग	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	1.8
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी	-	-
(i) भस्मीकरण	-	-
(ii) भू-भराव	-	-
(iii) अन्य निपटान कार्य	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी: बताएँ कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ।

हां, सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बीआरएसआर कोर के लिए मेसर्स रागिनी चोकशी एंड कं. द्वारा उचित आश्वासन दिया गया है।

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए अपनी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु अपनाई गई पद्धतियों का वर्णन करें।

निगम द्वारा किसी भी प्रकार से किसी भी खतरनाक या विषैले रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है।

11. यदि कंपनी के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल रिज़र्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/आसपास परिचालन/कार्यालय हैं, जहाँ पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी आवश्यक है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्र.सं.	परिचालनों/कार्यालयों का स्थान	परिचालनों का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण तथा यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो तो उसका विवरण दें।
लागू नहीं			

12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	तारीख	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया (हाँ / नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए (हाँ / नहीं)	संबंधित वेब लिंक
लागू नहीं					

13. क्या कंपनी भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों, जैसे जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत आने वाले नियमों का अनुपालन करती है (हाँ/नहीं)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण दें:

क्र.सं.	उस कानून/विनियम/दिशानिर्देश को निर्दिष्ट करें जिसका पालन नहीं किया गया	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालय जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा लिया गया कोई जुर्माना/दंड/कार्रवाई	की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
लागू नहीं				

लीडरशिप संकेतक

1. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में): लागू नहीं

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

(i) क्षेत्र का नाम

(ii) परिचालन की प्रकृति

(iii) जल निकासी, खपत और निर्वहन, निम्नलिखित प्रारूप में:

पैरामीटर	वि.व. 2025-26 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व. 20234-25 (पिछला वित्तीय वर्ष)
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	-	-
(ii) भूजल		
(iii) तृतीय पक्ष जल		
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
जल खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
प्रति रुपये कारोबार पर जल तीव्रता (उपभोग किया गया जल / कारोबार)		
जल तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक कंपनी द्वारा चुना जा सकता है		
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार निम्नलिखित में पानी का निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल में	-	-
- बिना उपचार के		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करे		
(ii) भूजल में		
- बिना उपचार के		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल में		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर बताएँ		
(iv) तृतीय-पक्ष को भेजा गया		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर बताएँ		

पैरामीटर	वि.व. 2025–26 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व. 20234–25 (पिछला वित्तीय वर्ष)
(v) अन्य	-	-
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर बताएँ		
कुल छोड़ा गया पानी (किलोलीटर में)		

टिप्पणी: बताएँ कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ।

हां, सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बीआरएसआर कोर के लिए मेसर्स रागिनी चोकशी एंड कं. द्वारा उचित आश्वासन दिया गया है।

2 **कृपया कुल दायरा 3 उत्सर्जन और उसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें, निम्नलिखित प्रारूप में:**

पैरामीटर	यूनिट	वि.व. 2025–26 (चालू वित्तीय वर्ष)	वि.व. 20234–25 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल दायरा 3 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो, तो ग्रीनहाउस गैसों का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन)	CO2 का मीट्रिक टन समतुल्य	-	-
प्रति रुपये कारोबार पर कुल दायरा 3 उत्सर्जन		-	-
कुल दायरा 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) – संबंधित मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		-	-

टिप्पणी: बताएँ कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ।

हां, सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बीआरएसआर कोर के लिए मेसर्स रागिनी चोकशी एंड कं. द्वारा उचित आश्वासन दिया गया है।

3. **उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में उल्लिखित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण, साथ ही रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों का विवरण दें।**

लागू नहीं

4. **यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन/उत्सर्जित अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार उसका विवरण और ऐसी पहलों के परिणाम प्रदान करें:**

क्र.सं.	की गई पहल	पहल का विवरण (यदि कोई वेबलिंक हो, तो सारांश के साथ प्रदान किया जा सकता है)	पहल का परिणाम
		लागू नहीं	

5. **क्या कंपनी के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? उस संस्था का विवरण दें जहाँ व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना रखी गई है या वेब लिंक प्रदान करें।**

जीआईसी री के पास एक व्यवसाय निरंतरता योजना है। अपनी संबद्ध गतिविधियों के एक भाग के रूप में, ईआरएम विभाग व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) और व्यवसाय प्रभाव मूल्यांकन (बीआईए) की वार्षिक समीक्षा करता है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण कार्यों के एक निर्धारित न्यूनतम स्वीकार्य स्तर पर सेवाओं की निरंतरता प्रदान करना और अल्प एवं मध्यम अवधि में वित्तीय, प्रतिस्पर्धी और प्रतिष्ठागत स्थिति की रक्षा करना है।

व्यवसाय निरंतरता प्रक्रियात्मक नियमावली व्यवसाय व्यवधान के प्रबंधन हेतु एक संरचना को परिभाषित करती है, आंतरिक और ग्राहक संबंधी पुनर्प्राप्ति कार्यों के संचार और समन्वय हेतु एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, और जीआईसी री विभागों को आवश्यक समय-सीमा के भीतर महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों/प्रक्रियाओं को पुनः प्राप्त करने हेतु आवश्यक जानकारी और प्रक्रियाएँ प्रदान करती है। एक व्यवसाय प्रभाव विश्लेषण (बीआईए) प्रतिवर्ष किया जाता है जो उन व्यावसायिक कार्यों/प्रक्रियाओं की पहचान करता है जिन्हें व्यवसाय सेवा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण माना जाता है। आपातकाल के समय महत्वपूर्ण संसाधन टीम और अन्य व्यवसाय निरंतरता टीमों के बीच जागरूकता पैदा करने और तैयारी सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक स्थल पर प्रतिवर्ष एक अभ्यास भी आयोजित किया जाता है। व्यवसाय निरंतरता प्रक्रियात्मक मैनुअल निगम के इंट्रानेट के ज़रिए सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।

6. **कंपनी की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर पड़ने वाले किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का प्रकटन करें। इस संबंध में कंपनी द्वारा क्या न्यूनीकरण या अनुकूलन उपाय किए गए हैं?**

   व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

7. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य के अनुसार) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया था।**

   0.00%

8. **सूचीबद्ध कंपनी और उसके शीर्ष दस मूल्य-श्रृंखला भागीदारों द्वारा कितने ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न या प्राप्त किए गए हैं:**

   शून्य

सिद्धांत 7: जब व्यवसाय सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में प्रवृत्त हो तो ऐसा ज़िम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **क. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या: 8**

   ख. उन शीर्ष 8 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएँ जिनकी कंपनी सदस्य हो/जिनसे संबद्ध हो।

क्र.सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों का नाम	मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	विकासशील देशों के बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं का संघ (INC).	अंतर्राष्ट्रीय
2	सिंगापुर पुनर्बीमाकर्ता संघ	अंतर्राष्ट्रीय
3	एयरोस्पेस बीमाकर्ताओं का अंतर्राष्ट्रीय संघ	अंतर्राष्ट्रीय
4	साधारण बीमा परिषद	राष्ट्रीय
5	एफ्रो-एशियाई बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं का संघ (FAIR)	अंतर्राष्ट्रीय
6	भारत के वाणिज्य और उद्योग मंडलों का संघ (ASSOCHAM)	अंतर्राष्ट्रीय
7	भारतीय व्यापारी मंडल	अंतर्राष्ट्रीय
8	भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ (FICCI)	अंतर्राष्ट्रीय

2. **विनियामक प्राधिकारियों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।**

   लागू नहीं

लीडरशिप संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीतिगत पदों का विवरण:

क्र. सं.	वकालत की गई सार्वजनिक नीति	ऐसी वकालत के लिए अपनाई गई विधि	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
यह लागू नहीं होता क्योंकि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कॉर्पोरेशन ने सार्वजनिक वकालत में भाग नहीं लिया।					

सिद्धांत 8: व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया (हां / नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए (हां / नहीं)	संबंधित वेब लिंक
महेश फाउंडेशन	GIC-HO/CSR/ RFP/132/2025-26	04.02.2026	हां	हां	https://www.gicre.in/images/2026/Impact_Assessment_Report_Mahesh_Foundation.pdf
करुणा मेडिकल सोसाइटी	GIC-HO/CSR/ RFP/132/2025-26	04.02.2026	हां	हां	https://www.gicre.in/images/2026/Impact_Assessment_Report_Karuna_Hospital.pdf
रुबल नागी आर्ट फाउंडेशन (RNAF)	GIC-HO/CSR/ RFP/132/2025-26	04.02.2026	हां	हां	https://www.gicre.in/images/2026/Impact_Assessment_Report_Rouble_Nagi_Art_Foundation.pdf

2 उन परियोजनाओं की जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है, निम्नलिखित प्रारूप में :

क्र. सं.	उस परियोजना का नाम जिसके लिए आरएंडआर किया जा रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन द्वारा कवर किए गए पीएएफ का प्रतिशत	वित्तीय वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)
1	होसाबेलाकु सेवा ट्रस्ट	कर्नाटक	उडुपी	एंडोसल्फ़ान से प्रभावित महिलाओं के लिए खास तौर पर एक पुनर्वास केंद्र का निर्माण। एंडोसल्फ़ान एक ज़हरीला कीटनाशक है जिसके बहुत बुरे असर होते हैं, खासकर अजन्मे बच्चों पर; इसके कारण हज़ारों बच्चे गंभीर शारीरिक और विकासात्मक विकलांगता के साथ पैदा हुए हैं (150*)।	100%	583.01
2	विकलांग हेतु समर्थन ट्रसट	कर्नाटक	धारवाड़	विकलांग और हाशिए पर रहने वाले लोगों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक सुलभ और समावेशी संसाधन केंद्र का निर्माण (5000*)।	100%	1134.32
3	ग्राम कल्याण सोसाइटी	पश्चिम बंगाल	हावड़ा	ज़रूरी सुविधाओं के साथ बिल्डिंग (पहली मंज़िल) का निर्माण: कमज़ोर वर्ग की महिलाओं के लिए वृद्धाश्रम (100*).	100%	241.02
4	सुहीत जीवन ट्रस्ट	महाराष्ट्र	रायगढ	समावेशी शिक्षा और सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे का विकास – बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए एक समर्पित 'प्रारंभिक हस्तक्षेप और थेरेपी' फ्लोर का निर्माण (165*)।	100%	342.05

**दिए गए आंकड़े हर सीएसआर परियोजना के तहत शामिल लाभार्थियों की कुल संख्या को दर्शाते हैं, न कि पीएएफ की संख्या को।*

3. **समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने की व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए।**

हमारे पास एक शिकायत निवारण व्यवस्था है जो हमारे सभी हितधारकों को कवर करती है। हमारा 24x7 चलने वाला शिकायत निवारण सेल लाभार्थियों और प्रभावित समुदाय के सदस्यों को शिकायतों का तुरंत समाधान पाने की सुविधा देता है। इसके अलावा, हमारे पास एक प्रभावी आंतरिक व्यवस्था है ताकि मुद्दों, शिकायतों और समस्याओं का समाधान तय समय के भीतर किया जा सके।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट) का प्रतिशत:**

	वि.व. 2025–26 चालू वित्तीय वर्ष	विव 2024–25 पिछला वित्तीय वर्ष
एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त	0.00%	0.00%
सीधे भारत के भीतर से	0.00%	0.00%

5. **छोटे शहरों में रोज़गार सृजन – निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या अस्थायी/अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान की गई मज़दूरी, कुल मज़दूरी लागत के प्रतिशत के रूप में प्रकट करें:**

लागू नहीं (वर्ष के दौरान किसी भी स्थान पर कोई नया कार्यालय शुरू नहीं हुआ और तदनुसार कोई नई नौकरी सृजित नहीं हुई)

स्थान	विव 2025–26	विव 2024–25
ग्रामीण	--	--
अर्ध–शहरी	--	--
शहरी	--	--
महानगरीय	--	--

(स्थान को आरबीआई के वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा – ग्रामीण / अर्ध–शहरी / शहरी / महानगर)

लीडरशिप संकेतक

1. **सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):**

पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
शून्य	शून्य

2. **सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

क्र.सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च राशि ₹ (लाख में)
1.	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	50.00
2.	छत्तीसगढ़	कोरबा	50.00
3.	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	50.00
4.	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	50.00
5.	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	50.00
6.	झारखण्ड	गुमला	50.00
7.	झारखण्ड	पलामू	50.00
8.	त्रिपुरा	धलाई	50.00
9.	मेघालय	रिभोई	50.00
10.	मिजोरम	मामित	50.00
11.	नागालैंड	किफायर	50.00
12.	सिक्किम	पश्चिम सिक्किम	50.00
13.	हरियाणा	मेवात	50.00

क्र.सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च राशि ₹ (लाख में)
14.	राजस्थान	धौलपुर	50.00
15.	पंजाब	मोगा	50.00
16.	झारखण्ड	गिरिडीह	208.52
17.	मध्य प्रदेश	गुना	950.73
18.	बिहार	मुजफ्फरपुर	133.55
19.	महाराष्ट्र	वाशिम	242.00

3. **(क) क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जिसके तहत आप हाशिए पर पड़े/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ/नहीं/लागू नहीं)**

नहीं। निगम वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित खरीद दिशानिर्देशों का पालन करता है।

(ख) आप किन हाशिए पर पड़े/कमजोर समूहों से खरीद करते हैं?

(ग) कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत हिस्सा इसका है?

निगम वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित खरीद दिशानिर्देशों का पालन करता है।

4. **पारंपरिक ज्ञान के आधार पर, आपकी कंपनी के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदाओं से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण (चालू वित्तीय वर्ष में):**

क्र.सं.	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अर्जित (हाँ/नहीं)	साझा लाभ (हाँ/नहीं)	साझा लाभ की गणना का आधार
लागू नहीं, निगम ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कोई भी बौद्धिक संपदा हासिल नहीं की है और न ही उसका कोई स्वामित्व है।				

5. **बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल हो।**

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं		

6. **सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:**

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लाभार्थियों का %
1.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)	8000	100%
2.	आरोह फ़ाउंडेशन	10,200	100%
3.	प्रवाह	2755	100%
4.	पर्यावरण संरक्षण हेतु मानव संगठन (HOPE)	50,000+	100%
5.	कैंसर पेशेंट्स एड्स एसोसिएशन (CPAA)	76	100%
6.	एंड पॉवर्टी	30,000	100%
7.	जैन मेडिकल डायलिसिस सेंटर	12000	100%
8.	मंथन संस्थान	32,800	100%
9.	विकलांगों हेतु समर्थनम ट्रस्ट	5000	100%
10.	होसाबेलकु सेवा ट्रस्ट	150	100%
11.	आईआईटी मंडी	यह पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ कार्यक्रम है, जिससे व्यापक रूप से समाज को लाभ मिलने की उम्मीद है (300)।	100%
12.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि (NSDF)	2500+	100%

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लाभार्थियों का %
13.	कैंसर में इलाज, अनुसंधान और शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र (ACTREC)	56 (संख्या बढ़ाई जाएगी)	100%
14.	श्री पीतांबरा शिक्षा समिति	सामुदायिक	100%
15.	जन मित्रम कल्याण समिति	11000+	100%
16.	ग्राम कल्याण सोसाइटी	100	100%
17.	बिशनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	20,000+	100%
18.	पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल (PSI) इंडिया	20,000+	100%
19.	जीआरएमडी फाउंडेशन	200	100%
20.	सुहित जीवन ट्रस्ट	165+	100%
21.	विकलांगों के लिए एकीकृत संस्थान	150+	100%
22.	नारायण ठाकुरसिंह राठौड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट (NTR) ट्रस्ट	14,10,000	100%
23.	इंडिया विजन इंस्टीट्यूट	3884	100%

सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ ज़िम्मेदारी से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्रों का वर्णन करें।

शिकायत निवारण नीति के अंतर्गत, सभी शिकायतें जीआईसी में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी), अध्यक्ष (बोर्ड की आचार समिति), अध्यक्ष (बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति), संबंधित विभागाध्यक्ष या मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को उनके कार्यालय पते पर सीधे लिखकर दर्ज की जा सकती हैं। जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत शिकायतें केवल डाक द्वारा, सीधे केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेजी जा सकती हैं।

2. उत्पादों और/सेवाओं का कारोबार, उन सभी उत्पादों/सेवाओं के कारोबार के प्रतिशत के रूप में, जिनमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी हो:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	0.00%
सुरक्षा और ज़िम्मेदारीपूर्ण उपयोग	0.00%
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	0.00%

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2025-26		टिप्पणियां	वित्त वर्ष 2024-25		टिप्पणियां
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डेटा गोपनीयता	0	0	--	0	0	--
विज्ञापन	0	0	--	0	0	--
साइबर सुरक्षा	0	0	--	0	0	--
आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति	0	0	--	0	0	--
प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार	0	0	--	0	0	--
अनुचित व्यापार व्यवहार	0	0	--	0	0	--
अन्य	0	0	--	0	0	--

4. **सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण:**

	संख्या	रिकॉल के कारण
ऐच्छिक रिकॉल	0	
जबरन रिकॉल		

5. **क्या कंपनी के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हाँ/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।**

   हाँ, निगम के पास एक सूचना सुरक्षा नीति है जो इंट्रानेट के माध्यम से सभी कर्मचारियों के लिए सुलभ है। यह नीति व्यावसायिक प्रक्रियाओं और संगठनात्मक पहलुओं, दोनों में सुरक्षा चिंताओं को कवर करती है। इसे जीआईसी री से संबंधित सूचना परिसंपत्तियों तक पहुँचने, उपयोग करने, वर्गीकरण करने और निपटाने के लिए बुनियादी दिशानिर्देश और नियम स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह नीति कंपनी के सीआईएसओ (मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी) के कार्यालय द्वारा प्रबंधित की जाती है और उन सभी अधिकृत उपयोगकर्ताओं पर लागू होती है जिनकी जीआईसी री से संबंधित किसी भी सूचना परिसंपत्ति तक पहुँच है, चाहे उपयोगकर्ता का भौगोलिक स्थान या कंपनी का संचालन कहीं भी हो।

   हाँ, संगठन में एक सूचना सुरक्षा जोखिम प्रबंधन समिति (आईएसआरएमसी) है, जिसका नेतृत्व एक वरिष्ठ स्तर के कार्यकारी करते हैं और सूचना सुरक्षा प्रशासन ढाँचे की समग्र ज़िम्मेदारी लेने के लिए बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं।आईएसआरएमसी के सदस्यों में वित्त, अनुपालन, जोखिम, सूचना प्रौद्योगिकी, पुनर्बीमा, मानव संसाधन और कार्यालय सेवा विभाग के कार्यात्मक प्रमुख शामिल हैं।

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा के संबंध में नियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

   रिपोर्टिंग अवधि के दौराननियामक प्राधिकरणों द्वारा कोई दंड या कार्रवाई नहीं की गई।

7. **डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

   क. डेटा उल्लंघनों की घटनाओं की संख्या – 0

   ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से संबंधित डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत – 0.00%

   ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो, : लागू नहीं

लीडरशिप संकेतक

1. **चैनल/प्लेटफ़ॉर्म जहाँ कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।**

   https://www.gicre.in/en/

2. **उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और ज़िम्मेदाराना उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।**

   लागू नहीं, क्योंकि निगम बी2बी मॉडल पर काम कर रहा है।

3. **आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए मौजूद तंत्र।**

   लागू नहीं, क्योंकि निगम बी2बी मॉडल पर काम कर रहा है।

4. **क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अलावा उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हाँ/नहीं/लागू नहीं) यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें।**

   लागू नहीं, क्योंकि निगम बी2बी मॉडल पर काम कर रहा है।



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में:

सदस्यगण, भारतीय साधारण बीमा निगम

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

राय

1. हमने भारतीय साधारण बीमा निगम (''निगम'' या ''कंपनी'') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें यथा 31 मार्च 2026 के तुलन–पत्र, अग्नि, विविध, समुद्री और जीवन बीमा के राजस्व खाते (सामूहिक रूप से ''राजस्व खाते'' के रूप में निर्दिष्ट), लाभ और हानि खाता, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और एकल वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियां शामिल हैं, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है, जिसमें शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित तीन विदेशी शाखाओं और एक घरेलू शाखा की वित्तीय जानकारी शामिल है। कंपनी की शाखाएँ परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध हैं।

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 6 में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण:

   क. बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 ('बीमा अधिनियम''), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 ('आईआरडीएआई अधिनियम''), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 ('विनियम''), कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'') द्वारा यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 और निर्दिष्ट लेखांकन मानक सहित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 की अपेक्षाओं के अनुसार लागू सीमा तक और अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं; और

   ख. बीमा कंपनियों पर लागू भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2025 तक निगम के मामलों की स्थिति, अग्नि, विविध, समुद्री और जीवन व्यवसाय के राजस्व खातों का अधिशेष/(घाटा), उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते के मामले में और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

3. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारे प्रतिवेदन के ''एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ'' अनुभाग में दिया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'आचार संहिता' और अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और नीचे अन्य मामले अनुभाग के पैराग्राफ 6 में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों सहित अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

4. प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, और नीचे अनुच्छेद 6 में उल्लिखित शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में विचार किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं।

5. हमने नीचे वर्णित मामलों को अपने प्रतिवेदन में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले निर्धारित किए हैं।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया
क.	**राजस्व निर्धारण:** निगम पुनर्बीमा प्रीमियम आय को सीडिंग कंपनियों से प्राप्त लेखा विवरण या समापन विवरणों के आधार पर निर्धारित करता है। वर्ष के अंत में, संधि या पॉलिसी स्लिप के आरंभ के समय निगम और सीडिंग कंपनियों, दोनों द्वारा सहमत अनुमानित प्रीमियम आय (ईपीआई) के आधार पर प्राप्त न हुए खातों के लिए अनुमान लगाए जाते हैं। प्रीमियम अनुमान, निगम के लिए ईपीआई और बुक किए गए प्रीमियम का अंतर है। आय का अनुमान तभी उचित माना जा सकता है जब प्रीमियम अनुमान में शामिल कारकों को आईटी लेखा प्रणाली से सही ढंग से निकाला गया हो।	**राजस्व निर्धारण पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:** • राजस्व निर्धारण पर प्रमुख नियंत्रणों के डिज़ाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया। • निगम के दिशानिर्देशों के साथ प्रीमियम अनुमान का सत्यापन किया गया और आय के आकलन पर नियंत्रणों का परीक्षण, विवरणों का परीक्षण और विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रक्रियाएँ की गईं। • संधि या पॉलिसी पर्ची, जैसा भी मामला हो, से ईपीआई का सत्यापन किया गया और नमूना आधार पर सेडेंट्स से प्राप्त लेखा विवरण या समापन विवरण से दर्ज किए गए वास्तविक प्रीमियम का सत्यापन किया गया।
ख.	**दावा प्रावधानीकरण:** बीमा दावा, बीमा कंपनी के व्यय का प्रमुख क्षेत्र है। कुल दावों में भुगतान किए गए दावे, बकाया हानि आरक्षित निधि (ओएसएलआर) और किए गए लेकिन (पर्याप्त) रिपोर्ट नहीं किए गए दावे (आईबीएनईआर) शामिल हैं। दावों का प्रावधान और भुगतान उन क्षेत्रों में से एक माना गया, जिन पर लेखा परीक्षकों का महत्वपूर्ण ध्यान आवश्यक था और यह एकल वित्तीय विवरणों में सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक था क्योंकि इसमें शामिल राशि महत्वपूर्ण है।	**दावा प्रावधानीकरण पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:** • दावा प्रक्रिया से संबंधित निगम के दिशानिर्देशों का सत्यापन किया गया, बकाया दावों पर नियंत्रण परीक्षण, विवरणों का परीक्षण और विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रक्रियाएँ की गईं। भुगतान किए गए दावे और नमूना आधार पर बनाए गए प्रावधान का सत्यापन सेडेंट कंपनी से प्राप्त भुगतान प्रमाण और प्रारंभिक हानि सलाह के साथ किया गया और इसे सर्वेक्षक की रिपोर्ट से भी सत्यापित किया गया। • जिन दावा मामलों में दावा हुआ है लेकिन रिपोर्ट नहीं किया गया है और जिन मामलों में दावा रिपोर्ट किया गया है लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किया गया है, इन मामलों को निगम द्वारा नियुक्त बीमांकिकों द्वारा दर्ज किया गया है। 31 मार्च 2026 तक, उपगत लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आईबीएनआर) और उपगत लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आईबीएनईआर) के संबंध में देयता का बीमांकिक मूल्यांकन, निगम के नियुक्त बीमांकिकों द्वारा प्रमाणित है और हमने ऐसी रिपोर्ट के आधार पर राशियों और संबंधित देयता का लेखापरीक्षा किया था।
ग.	**निवेशों का मूल्यांकन:** यथा 31 मार्च 2026 को निगम के निवेश, परिसंपत्तियों के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका मूल्यांकन नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखा नीति के अनुसार किया जाना है। सभी निवेशों का मूल्यांकन कंपनी द्वारा तैयार की गई निवेश नीति के अनुसार होना चाहिए, जो बदले में आईआरडीएआई निवेश विनियमों और वित्तीय विवरण तैयार करने संबंधी विनियमों के अनुरूप होना चाहिए। विनियमन में निर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति का उपयोग प्रत्येक निवेश वर्ग के लिए किया जाना है।	**निवेश पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:** • निवेश के उचित वर्गीकरण और मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन की प्रक्रिया और नियंत्रणों को समझा। • इन निवेशों से संबंधित उपलब्धता और स्वामित्व अधिकारों के लिए उपयुक्त बाह्य पुष्टिकरण और/या विवरण सत्यापित किए और प्राप्त किए। • निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यांकन प्रक्रिया पर प्रमुख नियंत्रणों के डिज़ाइन, कार्यान्वयन, प्रबंधन निरीक्षण और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया
	कंपनी के पास निवेशों के मूल्यांकन और मूल्य-ह्रास के लिए एक नीतिगत ढाँचा है। कंपनी समय-समय पर अपने निवेशों के मूल्य-ह्रास की समीक्षा करती है और जब निवेश कंपनी की निवेश नीति में निर्धारित मानदंडों के अनुसार मूल्य-ह्रास प्रावधान के लिए ट्रिगर/ट्रिगरों को पूरा करते हैं, तो मूल्य-ह्रास प्रभार निर्धारित करती है। इसके अलावा, हानि के आकलन में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय शामिल होता है। इन निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यांकन को एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण मामलों में से एक माना गया, क्योंकि एकल वित्तीय विवरणों में निवेशों के कुल मूल्य की महत्ता है।	• कंपनी की अपनी निवेश नीति के साथ-साथ आईआरडीएआई निवेश विनियमों के संदर्भ में मूल्यांकन पद्धतियों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए विभिन्न श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन की नमूना-जांच की गई। • कंपनी की हानि नीति की समीक्षा की गई और वर्ष के अंत में बकाया निवेशों पर उसके हानि प्रभार की पर्याप्तता का आकलन किया गया। • उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने पाया कि कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में निवेशों के मूल्य-ह्रास, मूल्यांकन और वर्गीकरण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में उचित हैं।
घ.	**आकस्मिक देनदारियों का निर्धारण, प्रकटन और प्रावधान:** कंपनी के पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के अनिश्चित कर मामले हैं, जिनमें कंपनी पर भारी माँग से जुड़े विवाद हैं, जिनके संभावित परिणामों का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास विभिन्न दावों से संबंधित अन्य चल रहे कानूनी मामले भी हैं जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, जिनके संभावित परिणामों का निर्धारण करने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। चल रहे मुकदमे से संबंधित प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों के संबंध में प्रबंधन के प्रकटीकरण कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 44 में प्रस्तुत किए गए हैं। एकल वित्तीय विवरणों में किसी देनदारी को प्रावधान के रूप में मान्यता दी गई है या आकस्मिक देनदारी के रूप में प्रकट किया गया है, इसका आकलन स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक है और व्यवसाय से नकदी बहिर्वाह के निर्धारण, लागू कानूनों और विनियमों की व्याख्या, और विनियामक प्राधिकरणों के विभिन्न स्तरों पर लंबित आकलनों की सावधानीपूर्वक जाँच में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है। चूंकि इसमें शामिल राशियां महत्वपूर्ण हैं और संभावित परिणामों की सीमा के कारण उच्च अनुमान अनिश्चितता उत्पन्न होती है जिसके लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन और लेखापरीक्षक निर्णय की आवश्यकता होती है, इसलिए इस मामले को चालू वर्ष की लेखापरीक्षा के लिए एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं थे:** • कंपनी के कानूनी और वित्तीय कार्मिकों के साथ विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से, प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों की पहचान और मापन की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। • विभिन्न नियामक प्राधिकरणों और न्यायिक पदानुक्रम के स्तरों पर लंबित मुकदमों के परिणामों के आकलन के संबंध में प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों की संरचना और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। • मुकदमेबाजी मामलों के सारांश का अवलोकन किया और कंपनी के विधिक और वित्त काम्रिकों के साथ वर्ष के दौरान मुख्य घटनाक्रमों पर चर्चा की। • जहाँ लागू हो, कंपनी द्वारा मांगी गई बाहरी कानूनी और/या विनियामक सलाह का अवलोकन और मूल्यांकन किया। • कुछ महत्वपूर्ण मामलों में उत्पन्न होने वाली किसी भी देनदारी की संभावना, परिमाण और लेखांकन के प्रबंधन के आकलन पर चर्चा की और उसे चुनौती दी। तदनुसार, हमने एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए मान्यता प्राप्त प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों की मात्रा की समीक्षा की और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को शामिल करते हुए ऐसे निष्कर्षों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए अपने पेशेवर निर्णय का प्रयोग किया। • मुकदमेबाजी मामलों के सारांश का निरीक्षण किया और कंपनी के कानूनी एवं वित्तीय कर्मियों के साथ वर्ष के दौरान प्रमुख घटनाक्रमों पर चर्चा की। • लागू लेखांकन मानकों के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटनों की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया।

अन्य मामले

6. हमने एकल वित्तीय विवरणों में शामिल तीन विदेशी शाखाओं और एक घरेलू शाखा की वित्तीय जानकारी की लेखा–परीक्षा नहीं की जिनकी लेखा परीक्षित वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2026 को ₹12,84,447 लाख की कुल परिसंपत्ति (समापन से पहले) और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹2,50,781 लाख का कुल अर्जित प्रीमियम (निवल) (समापन से पहले) दर्शाती है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। इन वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा एक अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है जिसका प्रतिवेदन हमें प्रस्तुत किया गया है और एकल वित्तीय विवरणों पर हमारा निष्कर्ष, जहां तक यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर आधारित है।

7. भारत के बाहर तीन शाखाएँ स्थित हैं जिनकी वित्तीय जानकारी उनके संबंधित देशों में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई है और जिनकी समीक्षा उनके संबंधित देशों में लागू आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के तहत प्रमाणित अन्य लेखा परीक्षकों या स्थानीय प्रबंधन द्वारा की गई है। निगम के प्रबंधन ने भारत के बाहर स्थित ऐसी शाखाओं की वित्तीय जानकारी को उनके संबंधित देशों में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों में परिवर्तित कर दिया है। हमने निगम के प्रबंधन द्वारा किए गए इन रूपांतरण समायोजनों की समीक्षा की है। जहां तक भारत के बाहर स्थित ऐसी विदेशी शाखाओं के शेष और मामलों का संबंध है, हमारा निष्कर्ष एक अन्य लेखा परीक्षक/प्रबंधन द्वारा प्रमाणित खातों के प्रतिवेदन और हमारे द्वारा समीक्षा किए गए निगम के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण रूपांतरण समायोजन पर आधारित है।

8. एकल वित्तीय विवरणों में दुबई शाखा की वित्तीय जानकारी शामिल है, जिसने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्त लेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी के अनुसार रन–ऑफ शाखा की स्थिति की सूचना दी है। शाखा के लेखा परीक्षकों ने यह भी कहा है कि शाखा को भविष्य में चालू चिंता के रूप में नहीं देखा जाता है क्योंकि 14 सितंबर 2022 को जीआईसी गिफ्ट सिटी शाखा और दुबई शाखा के बीच एक पोर्टफोलियो ट्रांसफर करार किया गया है।

9. उपगत परंतु पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न की गई (''आईबीएनईआर'') देनदारियों, प्रीमियम कमी रिज़र्व (''पीडीआर'') और तकनीकी रिज़र्व (''टीआर'') सहित उपगत परंतु रिपोर्ट नहीं की गई (''आईबीएनआर'') देनदारियों के संबंध में देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन निगम के नियुक्त बीमांकिकों (''नियुक्त बीमांकिक'') की ज़िम्मेदारी है। सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके अनुमानित इन देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन, 31 मार्च 2026 को नियुक्त बीमांकिकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और उनकी राय में, ऐसे मूल्यांकनों के लिए उनके द्वारा मानी गई धारणाएँ आईआरडीएआई और भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा आईआरडीएआई की सहमति से जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। हमने बकाया दावा आरक्षित निधियों, निगम के एकल वित्तीय विवरणों में निहित पीडीआर और टीआर के लिए देनदारियों के मूल्यांकन पर अपना निष्कर्ष बनाने के लिए इस संबंध में निगम के नियुक्त बीमांककों के प्रमाणपत्रों पर भरोसा किया है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारे प्रतिवेदन में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारी

10. निगम का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक प्रतिदेवन में शामिल जानकारी शामिल है, जिसमें बोर्ड के प्रतिवेदन और उसके अनुलग्नक, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, व्यावसायिक उत्तरदायित्व प्रतिवेदन और कॉर्पोरेट अभिशासन पर प्रतिवेदन शामिल हैं, लेकिन इसमें एकल और समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन शामिल नहीं है। यह वार्षिक प्रतिवेदन और अन्य जानकारी हमें इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों से भौतिक रूप से असंगत है, या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा प्राप्त जानकारी भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। जब हम वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ते हैं, और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें इस मामले की सूचना अभिशासन के प्रभारी अधिकारियों को देनी होगी।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

11. निगम का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'') की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और प्राप्तियों और भुगतानों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ये विवरण कंपनी अधिनियम साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतया स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों, बीमा अधिनियम, आईआरडीएआई अधिनियम, विनियमों की अपेक्षाओं और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी आदेशों/ निदेशों और परिपत्रों के अनुसार, लागू सीमा तक और उनमें अपेक्षित रूप में तैयार किये गये हैं।

12. इस ज़िम्मेदारी में निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं की रोकथाम व पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जो एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले तात्विक मिथ्या कथनों से मुक्त हैं।

13. एकल वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन निगम की क्रियाशील संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर, क्रियाशील संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटन करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन निगम को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, क्योंकि ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

14. निदेशक मंडल निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी ज़िम्मेदार है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

15. हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप में तात्विक मिथ्या तथ्यों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण हो और एक लेखापरीक्षक प्रतिवेदन जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षकों के मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा किसी तात्विक मिथ्या तथ्य का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

16. लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- एकल वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलतबयानों के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करते हैं और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक मिथ्या तथ्य का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न तात्विक मिथ्या तथ्य की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ डिज़ाइन की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों, लेकिन इस बारे में राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं कि क्या निगम के पास वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियाँ हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के लिए क्रियाशील संस्था के आधार पर प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो निगम की क्रियाशील संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण निगम का क्रियाशील संस्था के रूप में जारी रहना बंद हो सकता है।
- प्रकटीकरणों सहित, एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना, और यह देखना कि क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो।

17. हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों के साथ अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं।

18. हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को यह कथन भी देते हैं कि हमने लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में भी संवाद करना है जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों से संबंधित माने जा सकते हैं।

19. अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को नहीं रोकता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

20. तात्विकता वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथन की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से यह संभावना उत्पन्न करती है कि वित्तीय विवरणों के किसी यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलतबयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक तात्विक और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर प्रतिवेदन

21. जैसाकि विनियमों द्वारा अपेक्षित है, हमने विनियमों के भाग खखख के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों को प्रमाणित करते हुए 26 मई 20256को एक अलग प्रमाणपत्र जारी किया है।

22. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और ऊपर पैराग्राफ 6 में संदर्भित शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, हम रिपोर्ट करते हैं कि अधिनियम की अनुसूची त के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी अधिनियम की धारा 2(45) के तहत परिभाषित एक सरकारी कंपनी है। तदनुसार, धारा 197(16) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

23. अधिनियम की धारा 143(3) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशों या निर्देशों के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और ऊपर पैराग्राफ 6 में संदर्भित शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

    क. हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

    ख. हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसा कि उन बहियों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है, उनसे हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां प्राप्त हुई हैं;

    ग. शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी के चार शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उनका उचित ढंग से निरूपण किया है;

    घ. इस प्रतिवेदन में शामिल एकल तुलनपत्र, एकल राजस्व लेखे, एकल लाभ-हानि लेखे और एकल नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों और उन शाखाओं/प्रतिनिधि कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

    ड. 31 मार्च, 2026 तक देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन निगम द्वारा नियुक्त बीमांकिक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है, जिसमें यह भी शामिल है कि ऐसे मूल्यांकन के लिए धारणाएं भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा अपने सदस्यों को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं और इसे आईआरडीएआई को भेज दिया गया है।

    च. एकल तुलनपत्र, एकल राजस्व लेखे, एकल लाभ-हानि लेखे और एकल नकदी प्रवाह विवरण (प्रत्यक्ष विधि) बीमा अधिनियम 1938, आईआरडीएआई अधिनियम, 1999 और अधिनियम के अनुसार तैयार किए गए हैं।

    छ. निवेशों का मूल्यांकन बीमा अधिनियम के प्रावधानों, विनियमों और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया गया है।

    ज. कंपनी द्वारा चुनी गई लेखांकन नीतियां सही हैं। ये नीतियां और ऊपर बताए गए एकल वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 और उससे जुड़े नियमों के तहत बताए गए लेखांकन मानकों का पालन करते हैं। साथ ही, ये भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के भी अनुरूप हैं और विनियम, बीमा अधिनियम, आईआरडीएआई अधिनियम और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी परिपत्रों/ओदशों/निर्देशों में बताए गए लेखांकन सिद्धांतों से असंगत नहीं हैं।

झ. 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधानों से छूट दी गई है; इसलिए, निगम को यह रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या निगम का कोई निदेशक उस धारा में दिए गए प्रावधानों के तहत अयोग्य है।

ञ. निगम एक बीमा कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी संशोधित कंपनी (लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश, 2020 (''आदेश'') लागू नहीं होता है।

ट. निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्नक क'' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ठ. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

(i) एकल वित्तीय विवरण 31 मार्च 2026 को कंपनी की एकल वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन करते हैं, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 45 में विस्तृत रूप से बताया गया है;

(ii) लागू कानून या लेखा मानकों के तहत, दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, तो संभावित भौतिक हानि के लिए एकल वित्तीय विवरणों में यथा 31 मार्च 2026 को प्रावधान किए गए हैं। यथा 31 मार्च 2026 को कोई व्युत्पन्नी संविदा नहीं थी।

(iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे निगम द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित करने की आवश्यकता थी।

(iv) (क) प्रबंधन ने अभिवेदन किया है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (''मध्यवर्ती'') शामिल हैं, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हो) अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस सहमति के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यवर्ती, कंपनी (''अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने अभिवेदन किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हैं) प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्था (''वित्तपोषण पक्ष'') शामिल है, इस सहमति के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से वित्तपोषण पक्ष (''अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी;

(ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के अंतर्गत प्रस्तुत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) में प्रावधान किया गया है, में कोई तात्विक मिथ्या कथन है।

(v) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा लागू हो।

(vi) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच शामिल थी, निगम ने अपनी खाता बहियों को बनाए रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करने) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित रहा है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला और ऑडिट ट्रेल को रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 128 (5) की अपेक्षाओं के अनुसार संरक्षित किया गया है।

24. यथा संशोधित कंपनी अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) के तहत अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, अधिनियम की धारा 197(16) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

25. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यक है, हमारे पूर्वोक्त लेखापरीक्षा के आधार पर, हम इसके साथ ''अनुलग्नक ख'' के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी अतिरिक्त निर्देशों सहित निर्देश, उन पर की गई कार्रवाई और निगम के खातों और वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव संलग्न करते हैं।

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101046W / W100063

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता संख्या 134767

स्थान : मुंबई
दिनांक: 26 मई 2026
यूडीआईएन: 26134767SWFEMM4564

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 120927W

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या 119509

स्थान : मुंबई
दिनांक: 26 मई 2026
यूडीआईएन: 26119509OTYOHG8280

परिशिष्ट 1

शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं की सूची

1. जीआईसी री, गिफ्ट सिटी, भारत
2. जीआईसी री, दुबई, यूएई
3. जीआईसी री, लंदन, यूके
4. जीआईसी री, मलेशिया

भारतीय साधारण बीमा निगम के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के समदिनांकित प्रतिवेदन का 'अनुलग्नक क'

(26 मई 2026 के स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के हिस्से के तौर पर, 'अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर प्रतिवेदन' अनुभाग के परिच्छेद 23(के) में उल्लिखित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणें पर प्रतिवेदन

1. हमने 31 मार्च, 2026 को भारतीय साधारण बीमा निगम ('निगम') की वित्तीय रिपोर्टिंग से जुड़े आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है। यह लेखापरीक्षा उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निगम के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

2. निगम का प्रबंधन, इंस्टीट्यूट ऑफ़ ऋनदी लेखाकार ऑफ़ इंडिया' ('आईसीएआई ') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक हिस्सों को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों के तय मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को बनाने और उन्हें बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। इन ज़िम्मेदारियों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को डिज़ाइन करना, लागू करना और बनाए रखना शामिल है जो निगम के कामकाज को व्यवस्थित और कुशलतापूर्वक चलाने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे हों। इसमें निगम की नीतियों का पालन, उसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों को रोकना और उनका पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और भरोसेमंद वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है, जैसा कि अधिनियम, बीमा अधिनियम, 1938 (संशोधित) (''बीमा अधिनियम '), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 ('आईआरडीएआई अधिनियम''), भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 ('विनियम'') और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (''आईआरडीएआई'') द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के तहत ज़रूरी है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

3. हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग से जुड़े निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय दें। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट (''मार्गदर्शन नोट'') और आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित माने जाने वाले लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा पर लागू सीमा तक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षण पर लागू और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखा-परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करें।

4. ये मानक और मार्गदर्शन नोट अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और लेखा-परीक्षा की योजना बनाएं और उसे निष्पादित करें ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी तात्विक पहलुओं में प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

5. हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें एकल वित्तीय विवरणों में तात्विक मिथ्या कथन के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप, हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

6. वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण के साथ, निगम की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किए जाते हैं और निगम की प्राप्तियाँ और व्यय केवल निगम के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) निगम की परिसंपत्तियों, जिनका एकल वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव पड़ सकता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

7. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें सांठगांठ या नियंत्रणों पर अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं चल पाता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर कम हो सकता है।

राय

8. हमारी राय में, व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप, निगम के पास, सभी तात्विक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर, यथा 31 मार्च, 2026 को प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

अन्य मामले

9. 31 मार्च 2026 तक उपगत लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आईबीएनआर) और उपगत लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आईबीएनईआर) के संबंध में पॉलिसी देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन निगम के नियुक्त बीमांकिकों द्वारा प्रमाणित है और 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 9 में उल्लिखित अनुसार हमारे द्वारा इस पर भरोसा किया गया है। तदनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय में मूल्यांकन पर प्रबंधन के आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता और पूर्वोक्त बीमांकिक मूल्यांकन की सटीकता पर रिपोर्टिंग शामिल नहीं है।

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101046W / W100063

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता संख्या 134767

स्थान : मुंबई
दिनांक: 26 मई 2026
यूडीआईएन: 26134767SWFEMM4564

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 120927W

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या 119509

स्थान : मुंबई
दिनांक: 26 मई 2026
यूडीआईएन: 26119509OTYOHG8280

भारतीय साधारण बीमा निगम के एकल वित्तीय परिणामों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के सम–दिनांकित प्रतिवेदन का 'अनुलग्नक ख'

(स्वतंत्र लेखा परीक्षक की दिनांक 26 मई 2025 की रिपोर्ट के भाग रूप में परिच्छेद 25 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम निगम के एकल वित्तीय विवरणों के लेखों पर की गई कार्रवाई और वित्तीय प्रभाव के बारे में रिपोर्ट करते हैं, सिवाय लाबुआन (मलेशिया) शाखा और लंदन शाखा के बारे में, जिनके लेखा परीक्षकों ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों और उप–निर्देशों पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

क्र. सं.	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश	की गई कार्रवाई और वित्तीय प्रभाव
1.	क्या निगम ने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों के लिए कंपनी द्वारा सीधे या ट्रस्ट के ज़रिए किए गए सभी निवेशों (उद्धृत और अउद्धृत दोनों) के उचित मूल्यांकन का आकलन किया है? इसमें मूल्यांकन के तरीकों की जाँच करना, भारतीय लेखांकन मानक के साथ एकरूपता सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेज़ों की समीक्षा करना शामिल है। लेखापरीक्षक मूल्यांकन के तरीके, उसके उचित होने और लागू नियमों के पालन के बारे में एक संक्षिप्त नोट देगा, जिसमें किसी भी महत्वपूर्ण अंतर या गलत जानकारी की रिपोर्ट की जाएगी।	कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों के लिए कंपनी ने सीधे या ट्रस्ट के ज़रिए जो भी निवेश किए हैं, उनका मूल्यांकन लागू वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और नियमों के अनुसार सही ढंग से किया गया है। इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निगम ने जो तरीका और प्रक्रिया अपनाई है, वह सही है; इसलिए इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है। मूल्यांकन के तरीके के बारे में संक्षिप्त जानकारी परिशिष्ट 2 में दी गई है।
2.	क्या निगम के पास सभी लेखांकन लेन–देनों को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो क्या इस प्रणाली और कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रकिया और साइबर सुरक्षा के लिए ज़रूरी नियंत्रणों की समीक्षा उर्शीं–खप द्वारा अधिकृत सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा संगठन ने वर्ष में कम से कम एक बार की है और क्या कोई बड़ी गड़बड़ी मिलने पर उसकी उचित रिपोर्टिंग की गई है? आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देन को संसाधित करने से खातों की अखंडता और वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव की भी रिपोर्टिंग की जाए।	निगम के पास आईटी प्रणालियों के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने की प्रणाली है, सिवाय उन मामलों के जहाँ आईटी प्रणाली में डेटा डालने से पहले कुछ मैन्युअल गणना करने की ज़रूरत होती है: 1. **प्रीमियम और कमीशन का अनुमान:** प्रीमियम और कमीशन अनुमानों का आधार आईटी प्रणाली से निकाले गए डेटा के आधार पर मैन्युअल रूप से गणना की जाती है और फिर सत्यापन के बाद इसे आईटी लेखा प्रणाली में दर्ज किया जाता है, इसलिए इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होता है। 2. **असमाप्त जोखिम रिजर्व (यूआरआर):** यूआरआर का प्रावधान सिस्टम से निकाले गए डेटा के आधार पर मैन्युअल रूप से गणना की जाती है और फिर सत्यापन के बाद इसे आईटी प्रणाली में दर्ज किया जाता है, इसलिए इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होता है। 3. **संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान:** प्रावधान की गणना (कंपनी की नीति के अनुसार) आईटी सिस्टम से निकाले गए डेटा के आधार पर मैन्युअल रूप से की जाती है और फिर सत्यापन के बाद उसे आईटी लेखा प्रणाली में दर्ज किया जाता है, इसलिए इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। 4. **बकाया हानि आरक्षित निधि (ओएसएलआर):** ओएसएलआर की गणना प्राप्त सूचनाओं/खातों के विवरण के आधार पर मैन्युअल रूप से की जाती है और फिर ऐसी गणना के बाद उसे आईटी लेखा प्रणाली में दर्ज किया जाता है, इसलिए इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। 5. **उपगत लेकिन रिपोर्ट नहीं किया गया, उपगत लेकिन पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किया गया और प्रीमियम न्यूनता आरक्षित निधि (आईबीएनआर, आईबीएनईआर और पीडीआर):** इनकी गणना आईटी प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नियुक्त बीमांकिकों द्वारा मैन्युअल रूप से की जाती है और फिर जीआईसी द्वारा बीमांककों की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, उसे आईटी लेखा प्रणाली में दर्ज किया जाता है, इसलिए इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

क्र. सं.	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश	की गई कार्रवाई और वित्तीय प्रभाव
		6. **रेट्रो रिकवरी दावे:** यह ज्ञात है कि दावा वसूली मैन्युअल रूप से संसाधित की जाती है और डेटा ऑफ़लाइन रखा जाता है। सत्यापन के बाद इसे आईटी प्रणाली में दर्ज किया जाता है, इसलिए इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी होने की तारीख तक, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा अभी की जानी है; हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 29 जुलाई 2025 की साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई थी। हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक की साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, ऐसी आईटी प्रणालियों और नियंत्रणों में कोई ऐसी बड़ी कमी नहीं है जिसके कारण संस्था के वित्तीय विवरणों में कोई तात्विक मिथ्या कथन हो सकता हो, और लेखापरीक्षक ने भी कोई कमी नहीं बताई है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का नियम व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा–जोखा रखा गया/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	लागू नहीं। निगम एक पुनर्बीमा कंपनी है, और यह विशिष्ट योजनाओं के लिए राज्य/केन्द्रीय एजेंसियों से सीधे कोई धनराशि प्राप्त नहीं करती है।
4.	क्या निगम ने जोखिम वाले मुख्य क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या निगम ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है? यदि हाँ, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक स्तर पर अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम तरीकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है? (ख) क्या निगम ने अपनी डेटा संपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?	निगम ने मुख्य जोखिमों की पहचान, आकलन, निगरानी, उन्हें कम करने और उनकी रिपोर्टिंग के लिए पूरे संगठन में लागू होने वाला जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है। साथ ही,उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति और प्रक्रिया मैनुअल भी बनाया और लागू किया गया है। यह नीति निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित है और प्रबंधन के अनुसार, यह वैश्विक उत्कृष्ट प्रथा पर आधारित है। कंपनी ने लागू वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है। इन डेटा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन भी लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार किया गया है।
5.	क्या निगम, जहाँ भी लागू हो, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सेबी, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कंपनी कार्य मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, उएठढ–खप, इलेक्ट्रॉनिक्सऔर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया के अन्य लागू नियमों और विनियमों का पालन कर रहा है? यदि नहीं, तो नियमों से अलग हटकर किए गए कामों या मामलों को बताया जाए।	निगम द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण, कंपनी की सचिवीय लेखपरीक्षा रिपोर्ट और हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, निगम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सेबी, दीपम, एमसीए, डीपीई, आरबीआई, सीईआरटी–इन और चशळींध द्वारा जारी अन्य लागू नियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और विनियमों के प्रावधानों का पालन कर रहा है। इसके अलावा, भारतीय दूरसंचार एवं विनियामक प्राधिकरण और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी अतिरिक्त निर्देशों के संबंध में, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम निगम के एकल वित्तीय विवरणों के लेखों पर की गई कार्रवाई और वित्तीय प्रभाव के बारे में नीचे रिपोर्ट करते हैं:

क्र. सं.	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश	की गई कार्रवाई और वित्तीय प्रभाव
1.	सीजीएस/एसजीएस/बॉन्ड/डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्व के हकों की संख्या। भौतिक/डीमैट रूप में उपलब्ध है और इनमें से, उन मामलों की संख्या जो कंपनी की लेखा बहियों में दर्शाई गई संबंधित राशियों से मेल नहीं खाते हैं, सत्यापित की जा सकती है और पाई गई विसंगति की उचित रूप से रिपोर्ट की जा सकती है।	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, डिबेंचर शेषों का मिलान निगम की लेखा बहियों के साथ अभिरक्षक के रिकॉर्ड के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, बांड के मामले में: निगम के अभिरक्षक के पास वास्तव में दातार स्विचगियर लिमिटेड का 65 लाख रुपये का बांड है, जो निगम की लेखा बहियों के अनुसार धारित राशि से अधिक (13 लाख रुपये) है। हमें सूचित किया गया है कि कंपनी समाधान के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है।
2.	क्या निवेश नीति मौजूद है और इसमें निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करने की व्यवस्था शामिल है और क्या हानि रोध सीमाएँ निर्धारित हैं? यदि हाँ, तो क्या इसका पालन किया गया था? यदि अस्तित्व में नहीं है या इसका पालन नहीं किया गया है, तो विवरण दिया जाए।	वार्षिक निवेश नीति मौजूद है जिसमें निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करने की व्यवस्था शामिल है और नीति में हानि रोध सीमा निर्धारित की गई है जिसका पालन किया गया है। निवेश नीति की समीक्षा वार्षिक और आईआरडीएआई विनियमों के अनुसार अर्ध–वार्षिक रूप से भी की जाती है। निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा हर तिमाही में की जाती है और पोर्टफोलियो का प्रदर्शन बोर्ड को उसकी तिमाही बैठकों में भी प्रस्तुत किया जाता है। निवेश नीति में 30 जनवरी 2023 से प्रभावी विशिष्ट हानि रोध दिशानिर्देश पेश किए गए हैं। हानि रोध दिशानिर्देशों के अलावा, एक इक्विटी समीक्षा नीति भी मौजूद है। स्टॉप लॉस दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक कंपनी की गहन समीक्षा की जा रही है और कंपनी/क्षेत्र के विस्तृत विश्लेषण के बाद होल्ड या एग्जिट की सिफारिशों पर एक सतत प्रक्रिया के रूप में विचार किया जाता है। निगम अवांछित इक्विटी निवेशों से बाहर आने के लिए इक्विटी समीक्षा नीति और हानि रोध दिशानिर्देशों दोनों के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने में सक्रिय रहा है।

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101046W / W100063

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता संख्या 134767

स्थान : मुंबई
दिनांक: 26 मई 2026
यूडीआईएन: 26134767SWFEMM4564

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 120927W

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या 119509

स्थान : मुंबई
दिनांक: 26 मई 2026
यूडीआईएन: 26119509OTYOHG8280

परिशिष्ट 2

खंड 1 पर संक्षिप्त नोट – सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के लिए ट्रस्ट के ज़रिए रखे गए निवेशों का मूल्यांकन

हमें उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड, निवेश विवरण, बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट और अन्य सहायक दस्तावेज़ों की जांच के आधार पर, हमने पाया कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के लिए बनाए गए ट्रस्ट (ट्रस्टों) के ज़रिए रखे गए निवेशों का मूल्यांकन 31 मार्च, 2026 को उचित मूल्य/बाज़ार मूल्य पर किया गया है।

हमने उद्धृत और अउद्धृत निवेशों के लिए अपनाई गई मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा की। उध्दृत निवेशों का मूल्यांकन रिपोर्टिंग की तारीख पर उपलब्ध बाज़ार मूल्य के आधार पर किया गया है। हमने पिछले वर्षों में अपनाए गए मूल्यांकन के तरीके के साथ इसकी समानता की भी जांच की और मूल्यांकन के आधार बने सहायक दस्तावेज़ों को भी देखा। निवेश पोर्टफोलियो सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च–गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड और अउद्धृत निवेशों में लगाया गया है, जिनका मूल्यांकन देखे जा सकने वाले बाज़ार इनपुट और प्रकाशित निवल परिसंपत्ति मूल्य/बाज़ार मूल्य के आधार पर किया जाता है, जिससे मूल्यांकन में अनिश्चितता कम हो जाती है। नतीजतन, ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में बड़ी गड़बड़ी का जोखिम कम माना जाता है।

की गई लेखा प्रक्रिया के आधार पर, अपनाई गई मूल्यांकन पद्धति उचित लगती है और यह लेखांकन नीतियों और लागू लेकांकन ढांचे के अनुसार है। ट्रस्ट के ज़रिए रखे गए निवेशों के मूल्यांकन में कोई तात्विक विचलन, विसंगति या मिथ्या कथन नहीं पाया गया है।

भारतीय साधारण बीमा निगम के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का समदिनांकित प्रमाणपत्र

(26 मई 2026 की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के पैराग्राफ 21 में संदर्भित)

सेवा में,

निदेशक मंडल

भारतीय साधारण बीमा निगम

170 जे टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई

प्रिय महोदय,

1. यह प्रमाणपत्र भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024, ('विनियम'), यथा संशोधित, के विनियम के भाग ।। के साथ पठित भाग ।।। के पैराग्राफ 3 और 4 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु जारी किया गया है।

प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

2. निगम का निदेशक मंडल बीमा अधिनियम, 1938 (बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा यथा संशोधित) ('बीमा अधिनियम''), बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 ('आईआरडीए अधिनियम''), भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 ('विनियम''), भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (''आईआरडीएआई'') द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए ज़िम्मेदार है, जिसमें प्रबंधन रिपोर्ट तैयार करना भी शामिल है। इसमें डेटा एकत्र करना, उसका मिलान और सत्यापन करना और पूर्वोक्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और निगरानी करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

3. हमारा जिम्मेदारी उन प्रासंगिक वर्षों के लिए कंपनी की लेखा बहियों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों के संदर्भ में हमें प्रदान किए गए विवरण या सूचना, या दस्तावेजों की जांच करना है, जिनकी कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षा की गई है।

4. इन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों और अन्य लागू आधिकारिक घोषणाओं के अनुसार की गई थी। इन मानकों के अनुसार, हमें लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसे निष्पादित करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की तात्विक गलतबयानी से मुक्त हैं या नहीं। हमारी लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन किसी ऐसे लेनदेन के संबंध में नहीं किया गया था जिससे ऐसे मामलों की पहचान की जा सके जो संभावित रूप से अन्य पक्षों के लिए हितकर हो सकते हैं।

5. अपेक्षाओं के अनुसार, यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उचित आश्वासन प्राप्त करें और अपनी लेखापरीक्षा तथा बहियों व अभिलेखों की जाँच के आधार पर यह राय बनाएँ कि निगम ने 31 मार्च 2026 के लिए विनियमों के भाग ।। के साथ पठित भाग ।।। के पैराग्राफ 3 और 4 में निहित मामलों का अनुपालन किया है या नहीं।

6. हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी विशेष प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट या प्रमाणपत्रों पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित 2016) ('मार्गदर्शन नोट'') के अनुसार हमें प्रदान किए गए विवरण या दस्तावेजों या जानकारी की जाँच की। मार्गदर्शन नोट के अनुसार, हमें आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की स्वतंत्रता और अन्य नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है। हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (''एसक्यूसी'') 1, ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा और समीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवाओं के अनुबंधों की प्रासंगिक लागू अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

राय

7. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, और 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए निगम द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि:

क) हमने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की है और हमारी समीक्षा के आधार पर, एकल वित्तीय विवरणों में कोई प्रकट गलतबयारी या तात्विक विसंगतियां नहीं हैं।

ख) निगम के अधिकारियों द्वारा निदेशक मंडल को प्रस्तुत प्रबंधन अभ्यावेदन और अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर, जिन्हें अनुपालन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और जिन्हें बोर्ड द्वारा नोट किया गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि निगम ने आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित पंजीकरण के नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं किया है।

ग) हमने आवश्यक समझी गई सीमा तक नकदी शेष का सत्यापन किया है और यथा 31 मार्च 2026 को निगम के ऋणों और निवेशों से संबंधित प्रतिभूतियों का सत्यापन निगम द्वारा नियुक्त अभिरक्षक और/या डिपॉजिटरी सहभागियों, जैसा भी मामला हो, से प्राप्त पुष्टि के आधार पर किया गया है जो नीचे उल्लिखित पैराग्राफ के अधीन, है:

(i) दातार स्विचगियर लिमिटेड में निवेश – जो वास्तव में निगम के अभिरक्षक के पास 65 लाख रुपये का है, निगम के बहीखातों के अनुसार धारित राशि 13 लाख रुपये से अधिक है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी समाधान के लिए पर्याप्त कदम उठाने की प्रक्रिया में है।

(ii) इसके अलावा, एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 9 के तहत रिपोर्ट किए गए ऋण पुष्टि/समाधान के अधीन हैं।

8. निगम किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं है; हालाँकि, निगम आतंकवाद और परमाणु पूल के प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है।

9. पॉलिसीधारकों की निधियों की परिसंपत्तियों का कोई भी हिस्सा पॉलिसीधारकों की निधियों के उपयोग और निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया गया है।

उपयोग पर प्रतिबंध

10. यह प्रमाणपत्र निगम के निदेशक मंडल को संबोधित है और केवल विनियमों के अनुसार निगम के वार्षिक लेखा में शामिल करने के लिए प्रदान किया गया है और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रमाणपत्र की तिथि के बाद होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों के लिए इसे अद्यतन करने की हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तदनुसार, हम अपनी पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति, जिसे यह रिपोर्ट दिखाई जाती है या जिसके हाथों में यह आती है, कोई दायित्व या देखभाल का कोई कर्तव्य स्वीकार या ग्रहण नहीं करते हैं।

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101046W / W100063

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता संख्या 134767

स्थान : मुंबई
दिनांक: 26 मई 2026
यूडीआईएन: 26134767SWFEMM4564

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 120927W

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या 119509

स्थान : मुंबई
दिनांक: 26 मई 2026
यूडीआईएन: 26119509OTYOHG8280

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा 26 मई 2026 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा–परीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी दस्तावेजों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक जाँच तक सीमित है।

अपनी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत उन विशेष बातों पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो मेरे सामने आई हैं और जो मेरी राय में वित्तीय विवरण और उससे जुड़ी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए ज़रूरी हैं।

टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
क. लाभप्रदता पर टिप्पणियां **(i) एकल तुलन–पत्र** **आस्थगित कर परिसंपतति (निवल): ₹104300 लाख** **एकल लाभ और हानि खाता** **आस्थगित कर : (₹34906) लाख**	
एएस 22 (आय पर कर के लिए लेखांकन) के अनुसार, आस्थगित कर समय के अंतर के कारण होने वाले कर प्रभाव को दर्शाता है। समय के अंतर, करयोग्य आय और लेखांकन आय के बीच वे अंतर हैं जो एक अवधि में शुरू होते हैं और बाद की अवधि में प्रतिवर्तित सकते हैं। आस्थगित कर आस्तियों (DTA) को तभी मान्यता दी जाती है जब उनके वसूली की उचित निश्चितता हो।	आस्थगित कर एक लेखांकन मद है जो AS 22, 'आय पर कर के लिए लेखांकन' के तहत आता है।
इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खखख के तहत खंड ।–गैर इंड एस पर मार्गदर्शी नोट का पैराग्राफ 8.1.2.1, 'आरक्षित निधि' को किसी सामान्य या विशिष्ट उद्देश्य के लिए आय के विनियोग के रूप में परिभाषित करता है और इसे एस 29 के तहत परिभाषित प्रोविजन से अलग करता है। आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची ।।, भाग ।। (फॉर्म बी–आरए) भी अपेक्षा करता है कि आपदा आरक्षित निधि में ट्रान्सफर को आरक्षित निधि अधिशेष (अनुसूची 6) के अंतर्गत दर्शाए गए शेष के साथ 'विनियोग' शीर्ष के तहत दिखाया जाए।	इसके अलावा आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची ।।, भाग खख में बताए गए फॉर्म B-RA की मद सं.9 – 'विनियोग' के तहत, परिचालन लाभ का एक हिस्सा आपदा रिज़र्व में आवश्यक धनराशि ट्रांसफर करके अलग किया जाता है, और शेष धनराशि लाभ और हानि खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इस तरह, आपदा रिज़र्व में धनराशि ट्रांसफर करने के बाद कर–पूर्व लाभ निर्धारित किया जाता है। आपदा रिज़र्व पर आस्थगित कर आस्ति को दर्शाना सही है, क्योंकि कर–पूर्व लाभ निकालते समय इस रिज़र्व को राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है और कर प्रयोजनों के लिए इसे वापस जोड़ा जाता है, और आपदा से जुड़े वास्तविक दावे का भुगतान होने पर ही इसे कटौती के तौर पर अनुमति मिलती है। इससे एएस 22 के तहत समय का अंतर और अनुरूपी भावी कर का लाभ मिलता है। निगम को पूरा भरोसा है कि भविष्य में आपदा से जुड़े पात्र दावों के लिए इस आपदा रिज़र्व का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे इससे जुड़ी आस्थगित कर परिसंपतति को दर्शाने का आधार मिलता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आपदा रिज़र्व लाभ का एक विनियोग है, न कि कोई खर्च, प्रावधान या देनदारी। यह किसी मौजूदा दायित्व को नहीं दिखाता है, न ही यह बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है; इसलिए, एएस 22 के तहत इससे समय का कोई अंतर पैदा नहीं होता है। परिणामस्वरूप, ₹2,43,724 लाख के आपदा रिज़र्व के मुकाबले ₹61,340 लाख की आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता देना अड 22 के अनुसार नहीं है। इसके कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल) को ₹61,340 लाख अधिक दिखाया गया है, और साथ ही कर–पश्चात लाभ ₹18,605 लाख अधिक और 'रिज़र्व और अधिशेष' ₹42,735 लाख अधिक दर्शाए गए है

इसलिए, प्रबंधन का मानना है कि आपदा रिज़र्व पर आसथगित कर परिसंपत्ति (डीटीए) के लिए अपनाई गई लेखांकन प्रक्रिया – जिसका कई वर्षों से लगातार पालन किया जा रहा है – सही है और लागू लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है। इसी के अनुसार, मौजूदा लेखांकन प्रक्रिया में किसी भी बदलाव की ज़रूरत नहीं समझी जाती है।

(ii) एकल राजस्व खाते

समस्त बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय (अनुसूची 4): ₹39325 लाख

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची ।।, भाग खख के अनुसार, अनुसूची 4 बीमा कारोबार से जुड़े परिचालन खर्चों से संबंधित है और इसे राजस्व खाते में दिखाया जाना ज़रूरी है।

दुबई शाखा पर लगे वैट जुर्माने को निगम ने दुबई शाखा के लेखापरीक्षित विवरण और संबंधित नोटों के आधार पर परिचालन व्यय के तौर पर दिखाया था, क्योंकि इसे परिचालन से जुड़ा व्यय माना गया था। हालांकि, कैग की टिप्पणी पर ध्यान दिया गया है और वित्तीय वर्ष 2026–27 से समेकित वित्तीय विवरण में इस मद को ''अन्य व्यय (ई) – जुर्माना'' के तहत फिर से वर्गीकृत किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए वैट रिटर्न में विसंगतियों और निगमीय कर पंजीकरण में देरी के कारण यूएई के फेडरल कर प्राधिकरण (एफटीए) द्वारा लगाए गए ₹6219 लाख के जुर्माने की रकम को, 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित एकल राजस्व खाते में ''बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय'' के तहत शामिल किया गया था। चूंकि यह व्यय बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए आईआरडीएआई विनियम, 2024 के अनुसार इसे लेखापरीक्षित एकल लाभ और हानि खाते में ''अन्य व्यय (ई) – जुर्माना'' के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप, राजस्व खाते में 'बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय को ₹6219 लाख अधिक दिखाया गया तथा लाभ और हानि खाते और 'अन्य व्यय (ई): जुर्माने' को ₹6219 लाख कम दिखाया गया।

ख. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

(i) एकल तुलन–पत्र

नकद और बैंक शेष (अनुसूची 11): ₹2779122 लाख

अलेखांकन मानक (अड) 1 के पैराग्राफ 17(सी) के अनुसार, वित्तीय विवरणों में सभी महत्वपूर्ण मदों का प्रकटन किया जाना चाहिए, जिनकी जानकारी वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं के निर्णयो पर प्रभाव डाल सकती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2026 तक बैंक शेष पुष्टि प्रमाणपत्र में कुल ₹1436736 लाख की सावधि जमा दिखाई गई थीं, जबकि जीआईसी री की खाता बहियों में दो महा बही खातों में कुल ₹872000 लाख का शेष था। इस तरह, ₹564736 लाख का अंतर जीआईसी री की बहियों में उपलब्ध नहीं था। प्रबंधन ने बताया कि ₹ 557295 लाख की जमा राशि आतंकवादी पूल और न्यूक्लियर पूल से जुड़ी थी। सैप में पूल कोड के

निगम की बहियों (जिसमें पूल से जुड़े सावधि जमा शेष भी शामिल हैं) के अनुसार राशि और बैंक पुष्टि के अनुसार राशि के बीच ₹7441 लाख के अंतर के संबंध में, कैग की टिप्पणियों के अनुसार अंतर का मिलान इस प्रकार किया गया है:

तहत इनका हिसाब अलग से रखा गया था और जीआईसी री के पैन का इस्तेमाल करके इनमें निवेश किया गया था, क्योंकि ये पूल अलग कानूनी इकाइयाँ नहीं हैं।

प्रबंधन के उत्तर को देखते हुए, ₹7441 लाख (₹564736 लाख – ₹557295 लाख) का अंतर बिना समाधान के रह गया। हालाँकि, जीआईसी री की बहियों से पूल निवेश और उससे होने वाली आय को अलग-अलग करने के दस्तावेज़ी साक्ष्य, या जीआईसी के पैन के इस्तेमाल से कर पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़े दस्तावेज़ लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए।

इसके अलावा, एकल वित्तीय विवरण में जीआईसी री द्वारा 'पूल प्रबंधक' के तौर पर भारतीय बाजार आतंकवादी जोखिम बीमा पूल और भारतीय न्यूक्लियर बीमा पूल के प्रबंधन के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई थी। खास तौर पर, वित्तीय विवरणों में इन पूलों के अभिशासन और परिचालन ढांचे; पूलों के निवेश को प्रबंधित और संचालित करने के तरीके; और पूलों की परिसंपत्तियों और निवेश के संबंध में जीआईसी री के एक्सपोज़र, जिम्मेदारियों और आर्थिक भूमिका के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। साथ ही, पूलों के निवेश और उससे जुड़े दूसरे लेनदेनों के लिए जीआईसी री के स्थायी खाता संख्या (पैन) के इस्तेमाल से होने वाले संभावित कर प्रभाव (अगर कोई हो) के बारे में भी जानकारी नहीं दी गई थी।

विभिन्न लिखतों में इन पूलो से जुड़े निवेशों के बड़े आकार को देखते हुए, ऊपर दी गई जानकारी एएस 1 के पैराग्राफ 17(सी) के तहत महत्वपूर्ण तथ्य मानी जाती है।

विवरण	राशि (₹लाख में)
एक्सिस बैंक चालू खाता शेष	₹ 3457
एक्सिस बैंक उपचित किंतु देय नहीं गणना	₹ 1765
कोटक महिंद्रा बैंक उपचित किंतु देय नहीं गणना	₹ 2227
घटाएं: पुष्टि में गलती से उल्लिखित यूनियन बैंक अतिरिक्त शेष	₹ (8)
समाधान की गई राशि	**₹ 7441**

इस बारे में अलग-अलग बैंकों से स्पष्टीकरण मिल गया है और यह निगम के पास उपलब्ध है। ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, बैंक शेष में अंतर का सही ढंग से मिलान और उचित स्पष्टीकरण किया गया है, और संगठन के पास इसके लिए आवश्यकत दस्तावेज़ी साक्ष्य भी मौजूद हैं।

वर्ष के अंत में पूल से संबंधित आय, परिसंपत्तियों और देनदारियों को सभी पूल सदस्यों के बीच बांटा जाता है, और हर सदस्य अपने हिस्से को रिकॉर्ड करता है और लागू करों का भुगतान अलग-अलग करता है। टीपीएलआई और आईएनआईपी निवेश, और उनसे जुड़ी आय को अलग-अलग सैप कंपनी कोड के तहत अलग से रखा और उनका हिसाब-किताब किया जाता है। 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार, जीआईसी री की बहियों में केवल उसके हिस्से को ही दर्शाया जाता है। चूंकि पूल की परिसंपत्तियां और देनदारियां बराबर हैं, इसलिए जीआईसी री के खातों पर इनका प्रभाव निष्क्रिय (न्यूट्रलाइज़) हो जाता है, और आतंकवादी पूल शेष को सॉल्वेंसी मार्जिन और विश्लेषण अनुपात की गणना में शामिल नहीं किया जाता है।

इस मामले पर कैग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, निगम 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक खातों की भाग रूप बनने वाली टिप्पणियों में पूल से संबंधित सभी जानकारी अलग से बताएगा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

(विशाल चावड़े)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (वित्तीय सेवाएं), मुंबई

स्थान :मुंबई
तारीख : 05.08.2026

भारतीय साधारण बीमा निगम
के लिए और की ओर से

(हितेश जोशी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान :मुंबई
तारीख : 13.08.2026

वित्तीय जानकारी



फॉर्म बी–आरए
पंजीकरण सं. 112
आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तिथि: 2 अप्रैल 2001
अग्नि बीमा व्यवसाय के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित एकल राजस्व खाते

	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1.	अर्जित प्रीमियम (निवल)	1	1186 649	1133 478
2.	निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ/(हानि)		100 446	104 554
3.	ब्याज, लाभांश और किराया – सकल* (टिप्पणी 1)		219 665	221 299
4.	अन्य			
	(क) विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)		30 861	5 244
	(ख) शेयरधारकों के खाते से योगदान	0	0	0
	(i) प्रबंधन के व्यय के प्रति		0	0
	(ii) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के प्रति		0	0
	(iii) अन्य		0	0
	कुल (क)		**1537 621**	**1464 575**
5.	उपगत दावे (निवल)	2	876 124	964 126
6.	कमीशन	3	298 117	278 562
7.	बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	4	12 115	11 213
8	प्रीमियम न्यूनता		0	0
	कुल (ख)		**1186 356**	**1253 901**
9.	**अग्नि बीमा व्यवसाय से परिचालन लाभ/(हानि) ग = (क–ख)**		**351 265**	**210 674**
10.	**विनियोजन**			
	शेयरधारक खाते में अंतरण		316 138	189 607
	आपदा आरक्षित निधि में अंतरण		35 127	21 067
	अन्य आरक्षित निधि में अंतरण (निर्दिष्ट किया जाए)		0	0
	कुल (ग)		**351 265**	**210 674**

टिप्पणी –1

	पॉलिसीधारक की निधियों से संबंधित	**वर्तमान वर्ष**	**गत वर्ष**
	ब्याज, लाभांश एवं किराया	194 638	178 394
	जोड़ें/घटाएं		
	निवेश व्यय	167	143
	निवेशों पर प्रीमियम/छूट का परिशोधन	1 455	1 325
	मूल्यह्रासित निवेशों के संबंध में बट्टे खाते डाली गई राशि	0	0
	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(1 432)	(9 015)
	सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी के अलावा अन्य के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	1 197	5 075
	पूल से निवेश आय	26 414	40 433
	ब्याज, लाभांश एवं किराया – सकल*	**219 665**	**221 299**

**सकल शब्द का तात्पर्य टीडीएस सहित है।*
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ राजस्व खाते का अभिन्न अंग हैं।
हमारी सम–दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार।

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

फॉर्म बी–आरए
पंजीकरण सं. 112
आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तिथि: 2 अप्रैल 2001
विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित एकल राजस्व खाते

	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1.	अर्जित प्रीमियम (निवल)	1	2426 857	2159 070
2.	निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ/(हानि)		149 642	154 577
3.	ब्याज, लाभांश और किराया – सकल* (टिप्पणी 1)		327 251	327 178
4.	अन्य			
	(क) विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)		50 140	7 719
	(ख) शेयरधारकों के खाते से योगदान		0	0
	(i) प्रबंधन के व्यय के प्रति		0	0
	(ii) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के प्रति		0	0
	(iii) अन्य		0	0
	कुल (क)		**2953 890**	**2648 544**
5.	उपगत दावे (निवल)	2	2109 142	1803 478
6.	कमीशन	3	480 651	437 498
7.	बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	4	24 543	20 296
8	प्रीमियम न्यूनता		0	0
	कुल (ख)		**2614 336**	**2261 272**
9.	**अग्नि बीमा व्यवसाय से परिचालन लाभ/(हानि) ग = (क–ख)**		**339 554**	**387 272**
10.	**विनियोजन**			
	शेयरधारक खाते में अंतरण		305 599	348 546
	आपदा आरक्षित निधि में अंतरण		33 955	38 726
	अन्य आरक्षित निधि में अंतरण (निर्दिष्ट किया जाए)		0	0
	कुल (ग)		**339 554**	**387 272**

टिप्पणी –1

	पॉलिसीधारक की निधियों से संबंधित	**वर्तमान वर्ष**	**गत वर्ष**
	ब्याज, लाभांश एवं किराया	325 512	319 903
	जोड़ें/घटाएं		
	निवेश व्यय	248	211
	निवेशों पर प्रीमियम/छूट का परिशोधन	2 167	1 959
	मूल्यह्रासित निवेशों के संबंध में बट्टे खाते डाली गई राशि	0	0
	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(2 133)	(13 328)
	सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी के अलावा अन्य के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	1 784	7 503
	पूल से निवेश आय	3 805	3 620
	ब्याज, लाभांश एवं किराया – सकल*	**327 251**	**327 178**

**सकल शब्द का तात्पर्य टीडीएस सहित है।*

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ राजस्व खाते का अभिन्न अंग हैं।
हमारी सम–दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

फॉर्म बी–आरए
पंजीकरण सं. 112
आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तिथि: 2 अप्रैल 2001
मरीन बीमा व्यवसाय के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित एकल राजस्व खाते

	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1.	अर्जित प्रीमियम (निवल)	1	96 745	113 156
2.	निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ/(हानि)		10 323	12 972
3.	ब्याज, लाभांश और किराया – सकल* (टिप्पणी 1)		22 575	27 458
4.	अन्य			
	(क) विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)		3 447	646
	(ख) शेयरधारकों के खाते से योगदान		0	0
	(i) प्रबंधन के व्यय के प्रति		0	0
	(ii) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के प्रति		0	0
	(iii) अन्य		0	0
	कुल (क)		**133 090**	**154 232**
5.	उपगत दावे (निवल)	2	67 724	137 360
6.	कमीशन	3	16 056	19 737
7.	बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	4	882	677
8	प्रीमियम न्यूनता		0	0
	कुल (ख)		**84 662**	**157 774**
9.	**अग्नि बीमा व्यवसाय से परिचालन लाभ/(हानि) ग = (क–ख)**		**48,428**	**(3 542)**
10.	**विनियोजन**			
	शेयरधारक खाते में अंतरण		43 585	(3 542)
	आपदा आरक्षित निधि में अंतरण		4 843	0
	अन्य आरक्षित निधि में अंतरण (निर्दिष्ट किया जाए)		0	0
	कुल (ग)		**48,428**	**(3 542)**

टिप्पणी –1

	पॉलिसीधारक की निधियों से संबंधित	**वर्तमान वर्ष**	**गत वर्ष**
	ब्याज, लाभांश एवं किराया	22 717	27 151
	जोड़ें/घटाएं		
	निवेश व्यय	17	18
	निवेशों पर प्रीमियम/छूट का परिशोधन	149	164
	मूल्यह्रासित निवेशों के संबंध में बट्टे खाते डाली गई राशि	0	0
	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(147)	(1 119)
	सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी के अलावा अन्य के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	123	630
	पूल से निवेश आय	0	0
	ब्याज, लाभांश एवं किराया – सकल*	**22 575**	**27 458**

**सकल शब्द का तात्पर्य टीडीएस सहित है।*

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ राजस्व खाते का अभिन्न अंग हैं।
हमारी सम–दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

फॉर्म बी–आरए
पंजीकरण सं. 112
आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तिथि: 2 अप्रैल 2001
जीवन बीमा व्यवसाय के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित एकल राजस्व खाते

	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1.	अर्जित प्रीमियम (निवल)	1	227 584	207 323
2.	निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ/(हानि)		9 851	7 494
3.	ब्याज, लाभांश और किराया – सकल* (टिप्पणी 1)		21 543	15 863
4.	अन्य			
	(क) विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)		6 483	750
	(ख) शेयरधारकों के खाते से योगदान		0	0
	(i) प्रबंधन के व्यय के प्रति		0	0
	(ii) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के प्रति		0	0
	(iii) अन्य		0	0
	कुल (क)		**265 461**	**231 430**
5.	उपगत दावे (निवल)	2	309 776	290 405
6.	कमीशन	3	2 379	1 457
7.	बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	4	1 785	1 500
8	प्रीमियम न्यूनता		5 771	(3 762)
	कुल (ख)		**319 711**	**289 600**
9.	**अग्नि बीमा व्यवसाय से परिचालन लाभ/(हानि) ग = (क–ख)**		**(54 250)**	**(58 170)**
10.	**विनियोजन**			
	शेयरधारक खाते में अंतरण		(54 250)	(58 170)
	आपदा आरक्षित निधि में अंतरण		0	0
	अन्य आरक्षित निधि में अंतरण (निर्दिष्ट किया जाए)		0	0
	कुल (ग)		**(54 250)**	**(58 170)**

टिप्पणी –1

पॉलिसीधारक की निधियों से संबंधित	**वर्तमान वर्ष**	**गत वर्ष**
ब्याज, लाभांश एवं किराया	**21 679**	15 686
जोड़ें/घटाएं		
निवेश व्यय	**16**	10
निवेशों पर प्रीमियम/छूट का परिशोधन	**143**	95
मूल्यह्रासित निवेशों के संबंध में बट्टे खाते डाली गई राशि	**0**	0
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**(140)**	(646)
सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी के अलावा अन्य के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	**117**	364
पूल से निवेश आय	**0**	0
ब्याज, लाभांश एवं किराया – सकल*	**21 543**	**15 863**

**सकल शब्द का तात्पर्य टीडीएस सहित है।*
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ राजस्व खाते का अभिन्न अंग हैं।
हमारी सम–दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

फॉर्म बी–आरए
पंजीकरण सं. 112
आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तिथि: 2 अप्रैल 2001
समस्त बीमा व्यवसाय के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित एकल राजस्व खाते

	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1.	अर्जित प्रीमियम (निवल)	1	3937 835	3613 027
2.	निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ/(हानि)		270 263	279 597
3.	ब्याज, लाभांश और किराया – सकल* (टिप्पणी 1)		591 034	591 797
4.	अन्य			
	(क) विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)		90 931	14 359
	(ख) शेयरधारकों के खाते से योगदान		0	0
	(i) प्रबंधन के व्यय के प्रति		0	0
	(ii) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के प्रति		0	0
	(iii) अन्य		0	0
	कुल (क)		**4890 062**	**4498 780**
5.	उपगत दावे (निवल)	2	3362 766	3195 369
6.	कमीशन	3	797 203	737 254
7.	बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	4	39 325	33 686
8	प्रीमियम न्यूनता		5 771	(3 762)
	कुल (ख)		**4205 665**	**3962 547**
9.	**अग्नि बीमा व्यवसाय से परिचालन लाभ/(हानि) ग = (क–ख)**		**684 997**	**536 233**
10.	**विनियोजन**			
	शेयरधारक खाते में अंतरण		611 072	476 438
	आपदा आरक्षित निधि में अंतरण		73 925	59 795
	कुल (ग)		**684 997**	**536 233**

टिप्पणी –1

	पॉलिसीधारक की निधियों से संबंधित		**वर्तमान वर्ष**	**गत वर्ष**
	ब्याज, लाभांश एवं किराया		564 546	541 134
	जोड़ें/घटाएं			
	निवेश व्यय		448	382
	निवेशों पर प्रीमियम/छूट का परिशोधन		3 914	3 544
	मूल्यह्रासित निवेशों के संबंध में बट्टे खाते डाली गई राशि		0	0
	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		(3 852)	(24 108)
	सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी के अलावा अन्य के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		3 221	13 572
	पूल से निवेश आय		30 219	44 053
	ब्याज, लाभांश एवं किराया – सकल*		**591 034**	**591 797**

**सकल शब्द का तात्पर्य टीडीएस सहित है।*
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ राजस्व खाते का अभिन्न अंग हैं।
हमारी सम–दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

फॉर्म बी-पीएल

पंजीकरण सं. 112

आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तिथि: 2 अप्रैल 2001

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का लेखापरीक्षित एकल विवरण

	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1.	**परिचालन लाभ (हानि)**			
	(क) अग्नि बीमा		316 138	189 607
	(ख) मरीन बीमा		43 585	(3 542)
	(ग) विविध बीमा		305 599	348 546
	(घ) जीवन बीमा		(54 250)	(58 170)
2.	**निवेशों से आय**			
	(क) ब्याज, लाभांश और किराया – सकल		307 708	274 579
	(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ		139 929	131 277
	(ग) निवेशों की बिक्री/निवेशों के मोचन पर (हानि)		0	0
	(घ) निवेशों पर प्रीमियम / छूट का परिशोधन		0	0
3.	**अन्य आय:**			
	क) विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)		46 730	6 549
	ख) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)		0	0
	ग) वापस लिखे गए विविध शेष (निवल)		0	0
	घ) आयकर वापसी पर ब्याज		0	208
	ड.) (प्रावधान)/संदिग्ध ऋणों और निवेश का प्रत्यावर्तन		1 994	11 319
	ङ) विविध प्राप्तियाँ		550	452
	कुल (क)		**1107 983**	**900 825**
4.	**प्रावधान (कराधान के अलावा)**			
	(क) निवेशों के मूल्य में कमी		1 668	6 372
	(ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान/(उलटाव)		10 855	5 447
	(ग) निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन		2 027	1 664
5	**अन्य व्यय:**			
	(क) बीमा व्यवसाय से संबंधित व्ययों के अलावा अन्य व्यय			
	(i) विदेशी मुद्रा हानि/(लाभ)		0	0
	(ii) परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (निवल)		50	36
	(ख) बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण (निवल)		(13)	44
	(ग) गौण ऋण पर ब्याज और अन्य		0	0
	(घ) सीएसआर गतिविधियों पर व्यय		13 578	10 586
	(ङ) जुर्माने		0	0

(च) पॉलिसीधारकों के खाते में अंशदान			
(i) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के प्रति[1]		0	0
(ii) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक हेतु[2]		0	0
(iii) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		0	0
(छ) अन्य		0	0
आयकर, जीएसटी और अन्य पर ब्याज		493	112
कुल (ख)		**28 658**	**24 261**
कर पूर्व लाभ		1079 325	876 564
कराधान के लिए प्रावधान:			
वर्तमान कर		270 543	207 054
आस्थगित कर		(34 906)	(882)
पिछले वर्षों के संबंध में कर प्रावधान		4 470	256
कर-पश्चात लाभ		**839 218**	**670 136**
विनियोजन			
(क) वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश		0	0
(ख) भुगतान किया गया अंतिम लाभांश		175 440	175 440
(ग) लाभांश वितरण कर		0	0
(घ) सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण		0	0
पिछले वर्ष से आगे लाया गया लाभ शेष		2226 862	1732 166
तुलन-पत्र में आगे ले जाया गया शेष		2890 640	2226 862
5 रुपये अंकित मूल्य के प्रति शेयर आय		47.84	38.20
5 रुपये अंकित मूल्य के प्रति शेयर डॉयल्यूटेड आय		47.84	38.20

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखों पर टिप्पणियां तुलन-पत्र का अभिन्न भाग हैं -- टिप्पणी संख्या 16

[1] यदि प्रबंधन का व्यय विनियमों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो।

[2] यदि वार्षिक पारिश्रमिक निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो।

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार।

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार-सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

फॉर्म बी-बीएस

पंजीकरण सं. 112

आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तिथि: 2 अप्रैल 2001

31 मार्च 2026 को लेखापरीक्षित एकल तुलन-पत्र

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
निधियों के स्रोत			
शेयर पूँजी	5 & 5A	87 720	87 720
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि		0	0
आरक्षित निधि और अधिशेष	6	5286 131	4392 732
उचित मूल्य परिवर्तन खाता			
शेयरधारक निधि		1116 461	1281 790
पॉलिसीधारक निधि		2156 368	2729 991
उधार	7	0	0
कुल		**8646 680**	**8492 233**
निधि का उपयोग			
निवेश- शेयरधारक	8	4868 376	4472 858
निवेश- पॉलिसीधारक	8a	9224 457	9334 516
ऋण	9	12 519	13 728
अचल परिसंपत्तियाँ	10	29 736	29 541
आस्थगित कर संपत्ति (निवल)		104 300	69 333
चालू परिसंपत्तियाँ:			
नकद और बैंक शेष	11	2779 122	2463 755
अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ	12	2703 582	2377 842
उप-योग (क)		**5482 704**	**4841 597**
आस्थगित कर देयता (निवल)		0	4
चालू देयताएँ	13	8988 687	8323 306
प्रावधान		2086 725	1946 031
उप-योग (ख)		**11075 412**	**10269 341**
निवल चालू परिसंपत्तियाँ (ग)=(क-ख)		**(5592 708)**	**(5427 743)**
विविध व्यय (बट्टे खाते में डाले या समायोजित न किए गए सीमा तक)	15	0	0
कुल		**8646 680**	**8492 233**

लेखों पर टिप्पणियां तुलन-पत्र-अनुसूची 16 का अभिन्न अंग हैं।

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार-सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणों की भाग रूप अनुसूचियाँ

अनुसूची 1

अर्जित प्रीमियम (निवल)

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
क	**अग्नि बीमा**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	1425 605	1371 949
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	225 132	209 900
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**1200 473**	**1162 049**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का आरंभिक शेष	593 259	564 687
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का अंतिम शेष	607 083	593 259
	निवल अर्जित प्रीमियम	**1186 649**	**1133 478**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
ख.	**विविध बीमा**		
(1)	**मोटर**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	749 688	635 557
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	0	0
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**749 688**	**635 557**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का आरंभिक शेष	317 779	355 547
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का अंतिम शेष	374 844	317 779
	निवल अर्जित प्रीमियम	**692 622**	**673 325**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
(2)	**विमानन**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	83 760	72 908
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	46 211	37 794
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**37 549**	**35 114**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का आरंभिक शेष	17 557	21 101
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का अंतिम शेष	18 775	17 557
	निवल अर्जित प्रीमियम	**36 332**	**38 658**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
(3)	**इंजीनियरिंग**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	195 078	176 616
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	13 833	15 886
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**181 245**	**160 730**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का आरंभिक शेष	81 198	75 576
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का अंतिम शेष	91 176	81 198
	निवल अर्जित प्रीमियम	**171 266**	**155 108**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
(4)	**कामगार मुआवजा / नियोक्ता की देयता**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	3 443	2 901
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	74	0
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**3 369**	**2 901**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का आरंभिक शेष	1 450	2 207
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का अंतिम शेष	1 685	1 450
	निवल अर्जित प्रीमियम	**3 135**	**3 658**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर		0
(5)	**देयता**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	88 672	77 337
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	9 640	13 812
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**79 032**	**63 525**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का आरंभिक शेष	31 763	26 051
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का अंतिम शेष	39 516	31 763
	निवल अर्जित प्रीमियम	**71 279**	**57 813**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर		0
(6)	**व्यक्तिगत दुर्घटना**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	75 499	57 441
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	20	460

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**75 480**	**56 981**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का आरंभिक शेष	28 491	20 683
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का अंतिम शेष	37 740	28 491
	निवल अर्जित प्रीमियम	**66 230**	**49 173**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर		0
(7)	**स्वास्थ्य**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	919 027	952 741
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	4	7 831
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**919 023**	**944 910**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का आरंभिक शेष	472 455	276 245
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का अंतिम शेष	459 511	472 455
	निवल अर्जित प्रीमियम	**931 966**	**748 700**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
(8)	**कृषि**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	339 286	326 305
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	6 246	7 080
	निवल प्रीमियम	**333 040**	**319 225**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का आरंभिक शेष	23 815	31 958
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का अंतिम शेष	34 290	23 815
	निवल अर्जित प्रीमियम	**322 565**	**327 370**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर		0
(9)	**अन्य विविध**		
	लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	139 898	116 985
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	25 469	20 539
	निवल प्रीमियम	**114 429**	**96 446**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का आरंभिक शेष	46 137	30 935
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का अंतिम शेष	57 214	46 137
	निवल अर्जित प्रीमियम	**103 352**	**81 244**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
(10)	**वित्तीय देयता/ ऋण**		
	लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	27 352	30 053
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	66	1 119
	निवल प्रीमियम	**27 286**	**28 934**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का आरंभिक शेष	14 467	9 554
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का अंतिम शेष	13 643	14 467
	निवल अर्जित प्रीमियम	**28 110**	**24 021**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर		0
	कुल विविध		
	लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	2621 704	2448 844
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	101 563	104 520
	निवल प्रीमियम	**2520 141**	**2344 324**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का आरंभिक शेष	1035 110	849 856
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का अंतिम शेष	1128 394	1035 110
	निवल अर्जित प्रीमियम	**2426 857**	**2159 070**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
ग	**मरीन बीमा**		
(1)	**समुद्री कार्गो**		
	लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	54 917	51 147
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	9 992	9 322
	निवल प्रीमियम	**44 925**	**41 825**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का आरंभिक शेष	20 912	47 102
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का अंतिम शेष	22 462	20 912
	निवल अर्जित प्रीमियम	**43 375**	**68 015**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
(2)	**मरीन हल**		
	लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	53 400	56 782
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	4 393	3 412
	निवल प्रीमियम	**49 007**	**53 370**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का आरंभिक शेष	53 370	45 141

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का अंतिम शेष	49 007	53 370
	निवल अर्जित प्रीमियम	**53 370**	**45 141**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर		0
	कुल मरीन		
	लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	108 317	107 929
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	14 385	12 734
	निवल प्रीमियम	**93 932**	**95 195**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का आरंभिक शेष	74 282	92 243
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का अंतिम शेष	71 469	74 282
	निवल अर्जित प्रीमियम	**96 745**	**113 156**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
घ	**जीवन बीमा**		
	लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	245 048	186 674
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	2 469	3 821
	निवल प्रीमियम	**242 579**	**182 853**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का आरंभिक शेष	21 408	45 878
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का अंतिम शेष	36 403	21 408
	निवल अर्जित प्रीमियम	**227 584**	**207 323**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
ड.	**कुल सभी श्रेणियां**		
	लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	4400 674	4115 396
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	343 549	330 975
	निवल प्रीमियम	**4057 125**	**3784 421**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का आरंभिक शेष	1724 059	1552 665
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (यूपीआर) का अंतिम शेष	1843 350	1724 059
	निवल अर्जित प्रीमियम	**3937 835**	**3613 027**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0

अनुसूची 2

उपगत दावे (निवल)

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
क	**अग्नि बीमा**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	677 398	700 030
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	43 933	38 102
	निवल भुगतान किए गए दावे	**633 465**	**661 928**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	3319 895	3077 235
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	3077 235	2775 037
	निवल उपगत दावे	**876 124**	**964 126**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	1873 125	1654 687
	अवधि के आरंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	1654 687	1368 633
ख	**विविध बीमा**		
(1)	**मोटर**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	653 329	599 779
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	0	0
	निवल भुगतान किए गए दावे	**653 329**	**599 779**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	1960 705	1946 027
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	1946 027	1927 030
	निवल उपगत दावे	**668 007**	**618 776**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	1088 944	1107 165
	अवधि के आरंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	1107 165	1117 227
(2)	**विमानन**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	37	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	85 049	59 411
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	35 335	20 460
	निवल भुगतान किए गए दावे	**49 750**	**38 951**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	178 566	161 899

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	161 899	167 063
	निवल उपगत दावे	**66 417**	**33 787**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	62 893	81 553
	अवधि के आरंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	81 553	73 977
(3)	**इंजीनियरिंग**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	69 440	47 887
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	246	214
	निवल भुगतान किए गए दावे	**69 194**	**47 673**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	492 723	451 820
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	451 820	392 057
	निवल उपगत दावे	**110 096**	**107 436**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	331 733	272 622
	अवधि के आरंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	272 622	212 998
(4)	**कामगार मुआवजा/नियोक्ता की देयता**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	3 640	5 538
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	0	0
	निवल भुगतान किए गए दावे	**3 640**	**5 538**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	17 169	17 718
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	17 718	11 160
	निवल उपगत दावे	**3 091**	**12 096**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर		0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	9 564	9 679
	अवधि के आरंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	9 679	5 950
(5)	**देयता**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	36 787	39 409
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	4 257	4 139
	निवल भुगतान किए गए दावे	**32 530**	**35 270**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	209 673	182 447
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	182 447	161 849
	निवल उपगत दावे	**59 757**	**55 868**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	140 614	120 694
	अवधि के आरंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	120 694	102 298
(6)	**व्यक्तिगत दुर्घटना**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	33 642	26 003
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	39	368
	निवल भुगतान किए गए दावे	**33 603**	**25 635**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	92 032	84 896
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	84 896	84 643
	निवल उपगत दावे	**40 739**	**25 888**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	58 682	59 172
	अवधि के आरंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	59 172	59 139
(7)	**स्वास्थ्य**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	636 345	574 515
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	545	14 991
	निवल भुगतान किए गए दावे	**635 799**	**559 524**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	608 623	448 649
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	448 649	398 831
	निवल उपगत दावे	**795 773**	**609 342**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	539 507	389 581
	अवधि के आरंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	389 581	355 829

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
(8)	**कृषि**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	266 146	219 422
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	54 417	4 828
	निवल भुगतान किए गए दावे	**211 729**	**214 594**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	945 970	867 515
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	867 511	789 006
	निवल उपगत दावे	**290 188**	**293 103**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर		0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	731 267	646 186
	अवधि के आरंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	646 186	542 720
(9)	**अन्य विविध**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	69 806	49 610
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	9 573	5 964
	निवल भुगतान किए गए दावे	**60 233**	**43 646**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	152 453	144 753
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	144 758	138 694
	निवल उपगत दावे	**67 928**	**49 705**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	82 802	73 749
	अवधि के आरंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	73 749	73 292
(10)	**वित्तीय देयता/ऋण**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	8 147	24 210
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	0	6
	निवल भुगतान किए गए दावे	**8 147**	**24 204**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	70 119	71 120
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	71 120	97 846
	निवल उपगत दावे	**7 146**	**(2 522)**

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर		0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	56 630	59 791
	अवधि के आरंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	59 791	67 279
	कुल विविध		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	37	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	1862 331	1645 784
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	104 413	50 970
	निवल भुगतान किए गए दावे	**1757 955**	**1594 814**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	4728 032	4376 844
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	4376 845	4168 180
	निवल उपगत दावे	**2109 142**	**1803 478**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	3102 638	2820 192
	अवधि के आरंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	2820 192	2610 708
उ	**मरीन बीमा**		
(1)	**समुद्री कार्गो**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	50 869	116 878
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	3 438	2 183
	निवल भुगतान किए गए दावे	**47 430**	**114 695**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	156 955	168 210
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	168 210	184 609
	निवल उपगत दावे	**36 175**	**98 296**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	78 816	99 686
	अवधि के आरंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	99 686	127 114
(2)	**मरीन हल**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	73 083	61 319
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	1 000	2 545
	निवल भुगतान किए गए दावे	**72 083**	**58 774**

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	176 058	216 592
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	216 592	236 302
	निवल उपगत दावे	**31 549**	**39 064**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	92 580	102 455
	अवधि के आरंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	102 455	100 885
	कुल मरीन		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	123 952	178 197
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	4 439	4 728
	निवल भुगतान किए गए दावे	**119 513**	**173 469**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	333 013	384 802
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	384 803	420 911
	निवल उपगत दावे	**67 724**	**137 360**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	171 397	202 141
	अवधि के आरंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	202 141	227 999
घ	**जीवन बीमा**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	204 178	191 400
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	1 244	2 743
	निवल भुगतान किए गए दावे	**202 935**	**188 657**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	344 713	237 872
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	237 872	136 124
	निवल उपगत दावे	**309 776**	**290 405**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	311 281	190 671
	अवधि के आरंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	190 671	104 734
ड.	**कुल सभी श्रेणियां**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	37	0

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	2867 859	2715 411
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	154 028	96 543
	निवल भुगतान किए गए दावे	**2713 867**	**2618 868**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	8725 654	8076 753
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	8076 754	7500 252
	निवल उपगत दावे	**3362 766**	**3195 369**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	5458 440	4867 690
	अवधि के आरंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	4867 690	4312 075

अनुसूची 3

कमीशन

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
क	**अग्नि बीमा**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	316 183	292 193
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	18 067	13 631
	निवल कमीशन	**298 117**	**278 562**
	मीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	20 556	26 601
	सकल कमीशन	**295 627**	**265 592**
	कुल	316 183	292 193
ख	**विविध बीमा**		
(1)	**मोटर**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	154 581	102 795
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	0	0
	निवल कमीशन	**154 581**	**102 795**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	3 368	3 215
	सकल कमीशन	151 213	99 580
	कुल	**154 581**	**102 795**
(2)	**विमानन**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	15 784	16 744
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	10 108	9 182
	निवल कमीशन	**5 676**	**7 562**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	2 520	2 155
	सकल कमीशन	13 263	14 589
	कुल	**15 784**	**16 744**
(3)	**इंजीनियरिंग**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	36 023	36 533
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	141	463
	निवल कमीशन	**35 881**	**36 070**

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	1 609	1 592
	सकल कमीशन	34 414	34 941
	कुल	**36 023**	**36 533**
(4)	**कामगार मुआवजा / नियोक्ता की देयता**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	541	48
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	28	0
	निवल कमीशन	**513**	**48**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	7	11
	सकल कमीशन	534	37
	कुल	**541**	**48**
(5)	**देयता**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	16 561	14 575
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	1 472	2 442
	निवल कमीशन	**15 089**	**12 133**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	849	1 113
	सकल कमीशन	15 712	13 462
	कुल	**16 561**	**14 575**
(6)	**व्यक्तिगत दुर्घटना**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	25,714	(2 897)
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	(1)	55
	निवल कमीशन	**25 715**	**(2 952)**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	416	424
	सकल कमीशन	25 298	(3 321)
	कुल	**25 714**	**(2 897)**
(7)	**स्वास्थ्य**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	197 919	227 169
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	1	758

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	निवल कमीशन	**197 918**	**226 411**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	831	270
	सकल कमीशन	197 088	226 899
	कुल	**197 919**	**227 169**
(8)	**कृषि**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	16 250	33 779
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	176	770
	निवल कमीशन	**16 074**	**33 009**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	333	318
	सकल कमीशन	15 917	33 461
	कुल	**16 250**	**33 779**
(9)	**अन्य विविध**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	26 935	19 882
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	4 731	2 818
	निवल कमीशन	**22 204**	**17 064**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	835	845
	सकल कमीशन	26 100	19 037
	कुल	**26 935**	**19 882**
(10)	**वित्तीय देयता/ऋण**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	6 968	5 755
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	(31)	397
	निवल कमीशन	**7 000**	**5 358**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	194	222
	सकल कमीशन	6 775	5 533
	कुल	**6 968**	**5 755**
	कुल विविध		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	497 275	454 383

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	16 624	16 885
	निवल कमीशन	**480 651**	**437 498**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	10 961	10 162
	सकल कमीशन	486 314	444 221
	कुल	**497 275**	**454 383**
ग	**मरीन बीमा**		
(1)	**समुद्री कार्गो**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	9 796	12 844
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	1 317	892
	निवल कमीशन	**8 479**	**11 952**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	589	561
	सकल कमीशन	9 207	12 283
	कुल	**9 796**	**12 844**
(2)	**मरीन हल**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	7 747	7 804
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	170	19
	निवल कमीशन	**7 577**	**7 785**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	1 606	1 700
	सकल कमीशन	6 142	6 104
	कुल	**7 747**	**7 804**
	कुल मरीन		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	17 544	20 648
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	1 488	911
	निवल कमीशन	**16 056**	**19 737**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	2 195	2 261
	सकल कमीशन	15 349	18 387
	कुल	**17 544**	**20 648**

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
घ	**जीवन बीमा**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	2 379	1 457
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	0	0
	निवल कमीशन	**2 379**	**1 457**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	959	552
	सकल कमीशन	1 420	905
	कुल	**2 379**	**1 457**
ड.	**कुल सभी श्रेणियां**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	833 382	768 681
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	36 179	31 427
	निवल कमीशन	**797 203**	**737 254**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	34 672	39 578
	सकल कमीशन	798 710	729 103
	कुल	**833 382**	**768 681**

अनुसूची 4

बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1	कर्मचारियों का पारिश्रमिक और कल्याणकारी लाभ	16 796	15 755
2	यात्रा, परिवहन और वाहन चलाने का खर्च	690	638
3	प्रशिक्षण व्यय	162	135
4	किराया, दरें और कर	707	622
5	मरम्मत	1 897	1 608
6	मुद्रण और लेखन सामग्री	11	14
7	संचार व्यय	140	109
8	विधिक और व्यावसायिक शुल्क	1 369	1 730
9	लेखापरीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि		
	(क) लेखा परीक्षक के रूप में	171	211
	(ख) सलाहकार के रूप में या किसी अन्य क्षमता में, निम्नलिखित के संबंध में		
	(i) कराधान संबंधी मामले		5
	(ii) बीमा संबंधी मामले	11	8
	(iii) प्रबंधन सेवाएँ और	0	0
	(ग) किसी अन्य क्षमता में	0	0
10	विज्ञापन और प्रचार	1 234	318
11	ब्याज और बैंक प्रभार	5 341	6 556
12	मूल्यह्रास	534	1 232
13	ब्रांड/ट्रेडमार्क उपयोग शुल्क/प्रभार	0	0
14	व्यावसायिक विकास और बिक्री संवर्धन व्यय	0	0
15	सूचना प्रौद्योगिकी व्यय	3 163	2 859
16	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	(543)	372
17	अन्य	7 637	1 515
	कुल	**39 325**	**33 687**
	भारत में	**29 037**	**30 161**
	भारत के बाहर	**10 288**	**3 526**

अनुसूची 5

शेयर पूंजी

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1	**प्राधिकृत पूंजी**		
	₹ 5/– प्रत्येक के 200,00,00,000 (गत वर्ष 200,00,00,000) इक्विटी शेयर	100 000	100 000
	रुपये .... प्रत्येक के अधिमानी शेयर	0	0
2	**निर्गमित पूँजी**		
	₹ 5/– प्रत्येक के 175,44,00,000 (गत वर्ष 175,44,00,000) इक्विटी शेयर	87 720	87 720
	रुपये .... प्रत्येक के अधिमानी शेयर	0	0
3	**अभिदत्त पूँजी**		
	₹ 5/– प्रत्येक के 175,44,00,000 (गत वर्ष 175,44,00,000) इक्विटी शेयर	87 720	87 720
	रुपये .... प्रत्येक के अधिमानी शेयर	0	0
4	**माँगी गई पूँजी**		
	₹ 5/– प्रत्येक के 175,44,00,000 (गत वर्ष 175,44,00,000) इक्विटी शेयर	87 720	87 720
	(पूंजी मोचन रिज़र्व और सामान्य रिजर्व के पूंजीकरण द्वारा जारी		
	₹ 5/– प्रत्येक के 168,92,00,000 शेयर शामिल हैं)		
	सामान्य रिज़र्व के पूंजीकरण द्वारा पूर्णतः चुकता शेयर में परिवर्तित 1,00,00,000	0	0
	अंशत: प्रदत्त शेयर (₹ 2.50 प्रति शेयर भुगतान)		
	घटाएँ: अप्रदत्त कॉल	0	0
	जोड़ें: ज़ब्त किए गए इक्विटी शेयर (मूल रूप से भुगतान की गई राशि)	0	0
	घटाएँ: वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों का सममूल्य	0	0
	घटाएँ: प्रारंभिक व्यय		0
	शेयरों की बीमांकन या अभिदान पर कमीशन या ब्रोकरेज सहित व्यय	0	0
	रुपये .... प्रत्येक के अधिमानी शेयर	0	0
	कुल	**87 720**	**87 720**

अनुसूची 5ए

शेयरधारिता का पैटर्न

प्रबंधन द्वारा प्रमाणित

	शेयरधारक	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		शेयरों की संख्या	धारिता का %	शेयरों की संख्या	धारिता का %
	शेयरधारक				
	प्रवर्तक				
	भारतीय	1445567 615	82.40 %	1445567 615	82.40 %
	विदेशी	0	0	0	0
	निवेशक				
	भारतीय	0	0	0	0
	विदेशी	0	0	0	0
	अन्य	308832 385	17.60 %	308832 385	17.60 %
	भारतीय				
	विदेशी				
	कुल	**1754400 000**	**100.00%**	**1754400 000**	**100.00%**

अनुसूची 6

आरक्षित निधि और अधिशेष

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1	पूंजी आरक्षित निधि	0	0
2	पूंजी मोचन आरक्षित निधि	0	0
3	शेयर प्रीमियम	154 407	154 407
4	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि	0	0
5	सामान्य आरक्षित निधि		
	आरंभिक शेष	1588 538	1588 538
	घटाएँ: वापसी खरीद के लिए उपयोग की गई राशि	0	0
	घटाएँ: बोनस शेयर जारी करने के लिए उपयोग की गई राशि	0	0
	जोड़ें: लाभ–हानि खाते से अंतरण	0	0
	अंतिम शेष	**1588 538**	**1588 538**
6	आपदा आरक्षित निधि		
	आरंभिक शेष	169 799	110 004
	अवधि के दौरान वृद्धि	73 925	59 795
	अवधि के दौरान कटौती	0	0
	अंतिम शेष	**243 724**	**169 799**
7	अन्य आरक्षित निधि:		
	विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि		
	प्रारंभिक शेष	253 126	195 347
	अवधि के दौरान वृद्धि	155 697	57 778
	अवधि के दौरान कटौती	0	0
	अंतिम शेष	**408 822**	**253 126**
8	लाभ–हानि खाते में लाभ शेष		
	आरंभिक शेष	2226 862	1732 166
	अवधि के दौरान वृद्धि	663 778	494 696
	अवधि के दौरान कटौती	0	0
	अंतिम शेष	**2890 640**	**2226 862**
	कुल	**5286 131**	**4392 732**

अनुसूची 7

उधार

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1	डिबेंचर/बांड	0	0
2	बैंक	0	0
3	वित्तीय संस्थाएं	0	0
4	अन्य	0	0
	कुल	0	0

अनुसूची 8 और 8ए

(₹ लाख में)

	विवरण	अनुसूची 8 निवेश – शेयरधारकों की निधि		अनुसूची 8ए निवेश– पॉलिसीधारकों की निधि		कुल	
		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	दीर्घावधि निवेश						
1	ट्रेजरी बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकारी गारंटीकृत बांड*	1953 395	1688 330	3772 849	3595 849	5726 244	5284 179
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0	0	0	0	0	0
3	अन्य निवेश						
	(क) शेयर						
	(कक) इक्विटी – भारतीय	1669 333	1735 401	3224 202	3696 104	4893 535	5431 505
	(कख) इक्विटी – विदेशी	8 004	5 695	0	0	8 004	5 695
	(खख) अधिमान्य	0	0	0	0	0	0
	(ख) म्यूचुअल फंड	0	0	0	0	0	0
	(ग) व्युत्पन्नी लिखत	0	0	0	0	0	0
	(घ) भारतीय डिबेंचर/बॉन्ड	76 043	34 170	146 872	72 776	222 915	106 946
	विदेशी डिबेंचर/बॉन्ड	0	0	0	0	0	0
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ						
	i. गारंटीकृत इक्विटी	2	2	3	3	5	5
	ii. इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (InvIT)	1 757	0	3 394	0	5 151	0
	(च) सहायक कंपनियाँ	74 249	74 249	0	0	74 249	74 249
	(छ) सहयोगी – भारतीय	0	0	0	0	0	0
	सहयोगी – विदेशी	3 155	3 155	0	0	3 155	3 155
	(ज) निवेश संपत्तियाँ – रियल एस्टेट	0	0	0	0	0	0
4	इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग में निवेश						
	(क) इक्विटी	63 328	63 326	122 314	134 873	185 642	198 199
	(ख) डिबेंचर/बॉन्ड	613 381	464 151	1184 704	988 562	1798 085	1452 713
5	अनुमोदित निवेशों के अलावा						
	(क) इक्विटी	40 718	35 599	78 643	75 819	119 361	111 417
	(ख) वरीयता	0	0	0	0	0	0
	(ग) डिबेंचर/बॉन्ड		92 095	3 003	196 147	4 558	288 242
	(घ) उद्यम निधि	2 990	2 851	5 774	6 071	8 764	8 922

	विवरण	अनुसूची 8 निवेश – शेयरधारकों की निधि		अनुसूची 8ए निवेश– पॉलिसीधारकों की निधि		कुल	
		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	(ड.) सहयोगी भारतीय	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000
	अल्पावधि निवेश						
1	ट्रेजरी बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकारी गारंटीकृत बांड	133 648	101 283	258 132	215 715	391 780	316 998
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	639	599	1 235	1 275	1 874	1 874
3	अन्य निवेश						
	(क) शेयर	0	0	0	0	0	0
	(कक) इक्विटी	0	0	0	0	0	0
	(खख) अधिमान्य	0	0	0	0	0	0
	(ख) म्यूचुअल फंड	25 227	26 065	48 724	55 515	73 951	81 580
	(ग) व्युत्पन्नी लिखत	0	0	0	0	0	0
	(घ) भारतीय डिबेंचर/बॉन्ड	7 334	4 633	14 165	9 867	21 498	14 500
	विदेशी डिबेंचर/बॉन्ड	0	0	0	0	0	0
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ						
	वाणिज्यिक पत्र	0	0	0	0	0	0
	(च) सहायक कंपनिया	0	0	0	0	0	0
	(छ) सहयोगी – भारतीय	0	0	0	0	0	0
	सहयोगी – विदेशी	0	0	0	0	0	0
	(ज) निवेश संपत्तियाँ – रियल एस्टेट	0	0	0	0	0	0
4	इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग में निवेश						
	(क) डिबेंचर/बॉन्ड	154 668	105 365	298 731	224 408	453 399	329 773
5	अनुमोदित निवेशों के अलावा						
	(क) अधिमान शेयर	0	0	0	0	0	0
	(ख) डिबेंचर/बांड	31 951	28 891	61 712	61 532	93 663	90 422
	(ग) म्यूचुअल फंड	0	0	0	0	0	0
	कुल	**4868 376**	**4472 858**	**9224 457**	**9334 516**	**14092 833**	**13807 374**

*निवेश पॉलिसीधारकों की निधि में 31.03.2026 को ₹243724 लाख (31.03.2025 को ₹169799 लाख) की आपदा आरक्षित निधि शामिल है।

शेयरधारकों की निधि	**34.11%**
पॉलिसीधारकों की निधि	**65.89%**

सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों और व्युत्पन्न लिखतों के अलावा अन्य निवेशों का कुल मूल्य

(₹ लाख में)

विवरण	शेयरधारक		पॉलिसीधारक		कुल	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वष	पूर्व वर्ष
दीर्घकालिक निवेश:						
बही मूल्य	2680 885	2312 256	5177 948	4924 703	7858 833	7236 959
बाजार मूल्य	2680 885	2312 256	5177 948	4924 703	7858 833	7236 959
अल्पकालिक निवेश:						
बही मूल्य	349 872	263 468	675 755	561 140	1025 627	824 608
बाजार मूल्य	353 467	266 835	682 698	568 312	1036 165	835 147

अनुसूची 9

ऋण

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1	**प्रतिभूति वार वर्गीकरण**		
	सुरक्षित		
	(क) संपत्ति के बंधक पर		
	(कक) भारत में	4 816	4 313
	(खख) भारत के बाहर	0	0
	(ख) शेयरों, बांडों, सरकारी प्रतिभूतियों पर	0	0
	(ग) अन्य: आवास और अग्निशमन के लिए राज्य सरकार के ऋणों में निवेश	7 140	8 852
	असुरक्षित	563	563
	कुल	**12 519**	**13 728**
2	**उधारकर्ता वार वर्गीकरण**		
	(क) केंद्र और राज्य सरकारें	7 140	8 852
	(ख) बैंक और वित्तीय संस्थान	0	0
	(ग) सहायक कंपनियाँ	0	0
	(घ) औद्योगिक उपक्रम	4 003	4 007
	(ङ) कंपनियाँ		0
	(च) अन्य: कर्मचारियों को ऋण	1 376	869
	कुल	**12 519**	**13 728**
3	**निष्पादन वार वर्गीकरण**		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण		
	(कक) भारत में	8 397	9 292
	(खख) भारत के बाहर	0	0
	(ख) प्रावधान घटाकर अनर्जक ऋण		
	(कक) भारत में	0	0
	(खख) भारत के बाहर	0	0
	प्रावधान *	4 122	4 436
	कुल	**12 519**	**13 728**
4	**परिपक्वता-वार वर्गीकरण**		
	(क) अल्पावधि	1 492	1 551

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	(ख) दीर्घावधि	11 027	12 177
	कुल	**12 519**	**13 728**

*अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान शामिल है

(₹ लाख में)

अनर्जक ऋणों के विरुद्ध प्रावधान		
अनर्जक ऋण	**ऋण**	**ऋण**
अवमानक	0	0
संदिग्ध	4 122	4 436
हानि	0	0
कुल	**4 122**	**4 436**

अनर्जक ऋणों के विरुद्ध प्रावधान		
अनर्जक ऋण	**प्रावधान**	**प्रावधान**
अवमानक	0	0
संदिग्ध	4 122	4 436
हानि	0	0
कुल	**4 122**	**4 436**

अनुसूची 10
अचल परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	लागत/सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2025 को	परिवर्धन	कटौतिया	31.03.2026 को	31.03.2025 तक	31.03.2026 को समाप्त 12 माह	बिक्री/ समायोजन पर	31.03.2026 तक	31.03.2026 को	31.03.2025 को
पट्टाधृत भूमि	2 473	0	0	2 473	1 202	34	0	1 236	1 236	1 271
पूर्णस्वामित्व वाली भूमि	5 601	0	0	5 601	0	0	0	0	5 601	5 601
भवन	24 193	0	3	24 190	4 369	(331)	3	4 035	20 155	19 824
फर्नीचर और फ़िटिंग्स	397	0	75	322	358	16	75	298	24	39
आईटी उपकरण	1 953	293	47	2 199	1 188	417	47	1 558	641	765
आईटी सॉफ़्टवेयर	8 446	0	0	8 446	7 785	284	0	8 069	376	661
वाहन	847	60	189	718	403	88	152	339	379	444
कार्यालय उपकरण	234	14	113	135	207	13	102	118	17	27
एसीऔर वॉटर कूलर	174	0	28	146	141	5	26	120	26	34
लिफ़्ट	79	0	0	79	10	5	0	15	63	68
कैंटीन के उपकरण		0	2	4	5	0	2	3	1	1
इलेक्ट्रिकल संस्थापनाएं	136	0	94	42	121	3	94	31	12	15
अग्नि अलार्म सिस्टम	34	0	29	5	34	0	29	5	0	0
कुल	**44 573**	**367**	**581**	**44 359**	**15 823**	**534**	**529**	**15 829**	**28 531**	**28 750**
प्रगति पर पूंजीगत कार्य	791	414	0	1 205	0	0	0	0	1 205	791
कुल योग	**45 364**	**781**	**581**	**45 564**	**15 823**	**534**	**529**	**15 829**	**29 736**	**29 541**
पिछले वर्ष	43 501	2 144	281	45 364	14 793	1 232	202	15 823	29 541	

इन आंकड़ों में विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली बढ़ोतरी/कमी भी शामिल है।

* निगम ने वर्ष के दौरान एकबारीय सुधार की प्रक्रिया की, ताकि सैप परिसंपत्ति लेखांकन और सैप जनरल लैजर (जीएल) के बीच सकल ब्लॉक और संचित मूल्यह्रास से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे अंतर को ठीक किया जा सके। इस प्रक्रिया के दौरान यह पता चला कि भवन श्रेणी की परिसंपत्तियों के लिए पिछले वर्षों में अधिक मूल्यह्रास लगाया गया था। इसलिए, इस तरह ₹ 728 लाख के अतिरिक्त प्रावधान को इस वर्ष प्रतिवर्तित किया गया है।

अनुसूची 11

नकद और बैंक शेष

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पूर्व वर्ष (₹ लाख में)
1	नकद (चेक*, ड्राफ्ट और स्टाम्प सहित)	1	1
2	बैंक शेष		
	(क) जमा खाते – अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय)*	2460 500	2063 266
	(ख) चालू खाते	244 737	296 771
	(ग) अन्य (मार्गस्थ विप्रेषण)	0	0
3	मांग और अल्प सूचना पर देय धनराशि		
	(क) बैंक के पास	9 755	1 767
	(ख) अन्य संस्थाओं के पास	61 129	101 950
	कुल	**2779 122**	**2463 755**
	उपरोक्त 2 और 3 में शामिल गैर-अनुसूचित बैंकों के पास शेष राशि		
	नकद और बैंक शेष		
1	भारत में	970 702	869 150
2	भारत के बाहर	1808 420	1594 605
	कुल	**2779 122**	**2463 755**

*जमा खाते- 31.03.2026 को अल्पावधि में 3 महीने से अधिक परिपक्वता वाली ₹15,22,411 लाख (31.03.2025 को ₹10,62,874 लाख) की सावधि जमाराशियां और साख-पत्र के लिए मार्जिन के तहत ₹5,57,818 लाख (31.03.2025 को ₹6,93,643 लाख) की जमाराशियां शामिल हैं। मार्जिन धनराशि में दुबई शाखा को दी गई ₹1,40,519 लाख की बैंक गारंटी भी शामिल है।

अनुसूची 12

अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पूर्व वर्ष (₹ लाख में)
	अग्रिम		
1	**सीडिंग कंपनियों के पास आरक्षित जमा**	1108 906	902 072
	घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	73 187	54 666
		1035 719	847 406
2	निवेश के लिए आवेदन धनराशि	0	2 309
3	समय-पूर्व भुगतान		3 723
4	निदेशकों/अधिकारियों को अग्रिम	55	49
	घटाएं : प्रावधान	0	10
	(कराधान के लिए प्रावधान को घटाकर)	55	39
5	प्रदत्त अग्रिम कर और टीडीएस	1117 090	812 523
	घटाएं :कराधान के लिए प्रावधान	1048 798	745 299
		68 292	67 224
6	वस्तु और सेवा कर क्रेडिट	258	2 175
7	अन्य:		
	(i) विविध अग्रिम	628	1 055
	(ii) सहायक कंपनियों को विविध अग्रिम	1 987	1 987
	कुल (क)	**1109 266**	**925 917**
	अन्य परिसंपत्तिया		

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1	निवेश पर उपचित आय	242 107	212 532
2	बकाया प्रीमियम	0	0
	घटाएं: संदिग्ध ऋणों, यदि कोई है, के लिए प्रावधान	0	0
3	सीडिंग कंपनियों को अग्रिम	0	0
4	विदेशी एजेंसी शेष	0	0
5	बीमा व्यवसाय करने वाली अन्य संस्थाओं (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) से देय	1059 648	1014 465
	घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	58 878	62 175
		1000 770	952 290
6	सहायक कंपनियों/होल्डिंग से देय	100 448	37 955
7	पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि के लिए रखे गए निवेश	0	0
8	पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि के लिए रखे गए निवेश पर ब्याज	0	0
9	अन्य		
	(i) विविध देनदार	302	5 483
	घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		143
		288	5 340
	(ii) विविध जमाएं	250 455	241 900
	(iii) पेंशन परिसंपत्ति	249	697
	(iv) ग्रेच्युटी परिसंपत्ति	0	1 211
	कुल (ख)	**1594 316**	**1451 925**
	कुल (क+ख)	**2703 582**	**2377 842**

अनुसूची 13
चालू देयताएं

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1	एजेंटों का शेष	0	0
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष राशि	182 602	191 967
3	अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर जमाएं	2 830	3 343
4	अग्रिम में प्राप्त प्रीमियम		
	(क) दीर्घावधि पॉलिसियों के लिए	0	0
	(ख) अन्य पॉलिसियों के लिए	0	0
5	अनावंटित प्रीमियम	0	0
6	विविध लेनदार	27 090	11 715
7	सहायक कंपनियों/होल्डिंग कंपनी को देय	0	0
8	बकाया दावे	8725 654	8076 754
9	अधिकारियों/निदेशकों को देय	0	0
10	पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि	0	0
11	दावा न की गई राशि पर अर्जित आय	0	0
12	डिबेंचर/बॉन्ड पर देय ब्याज		0
13	वस्तु और सेवा कर देयता	50 511	39 527
14	अन्य :		
	क) वैट देयता दुबई	0	0
	ख) देय लाभांश	0	0
	कुल	**8988 687**	**8323 306**

अनुसूची 14

प्रावधान

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1	अनर्जित प्रीमियम के लिए आरक्षित निधि	1843 349	1724 059
2	प्रीमियम की कमी के लिए आरक्षित निधि	14 380	8 609
3	कराधान के लिए प्रावधान	306 722	348 210
	घटाएं: प्रदत्त अग्रिम कर और टीडीएस	268 658	337 812
		38 064	10 398
4	कर्मचारी लाभ के लिए		
	छुट्टी नकदीकरण के लिए	4 294	4 069
	पेंशन के लिए प्रावधान	0	0
	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	560	0
	निपटान के लिए प्रावधान	226	210
	भविष्य निधि के लिए प्रावधान	137	125
	वेतन बकाया के लिए प्रावधान	0	7 000
5	अन्य:		
	क) संदिग्ध ऋणों और निवेशों के लिए	185 715	191 561
	कुल	**2086 725**	**1946 031**

अनुसूची 15

विविध व्यय (जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है या समायोजित नहीं किया गया है)

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1	शेयरों/डिबेंचर के निर्गम में दी जाने वाली छूट	0	0
2	अन्य	0	0
	कुल	0	0

अनुसूची-16

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखों के भाग रूप में टिप्पणियाँ

ख. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ:

1. लेखांकन परिपाटी

वित्तीय विवरण बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11(1) के प्रावधानों के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएपीपी) का अनुपालन करने के लिए कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं। वित्तीय विवरण भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तों के भी अनुरूप हैं। उक्त विवरण अन्यथा उल्लिखित के सिवाय ऐतिहासिक लागत परिपाटी और उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं और भारत में सामान्य बीमा उद्योग में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों और प्रथाओं के अनुरूप हैं।

2. पुनर्बीमा व्यवसाय

2.1. आकलनों का प्रयोग

सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे आकलन और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, समाप्त वर्ष के लिए राजस्व और व्यय, और तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार आकस्मिक देनदारियों के प्रकटन को प्रभावित करते हैं। संलग्न वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त आकलन और धारणाएँ, वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम संलग्न वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त आकलनों और धारणाओं से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन आकलनों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधियों में भविष्यसूचक रूप से मान्यता दी जाती है।

2.2. पुनर्बीमा राजस्व

सीडिंग कंपनियों द्वारा खातों की प्राप्ति पर प्रतिपादित किए गए खातों के आधार पर प्रीमियम की गणना की जाती है। अवधि के अंत में, उपलब्ध जानकारी और वर्तमान प्रवृत्तियों के आधार पर, अभी तक प्राप्त नहीं हुए खातों के लिए आकलन किए जाते हैं। बीमा पूल व्यवसाय के संबंध में, जहाँ जीआईसी री पूल के सदस्यों में से एक है, केवल निगम के राजस्व का हिस्सा ही लेखा बहियों में दर्ज किया जाता है।

2.3. बकाया दावे

2.3.1. भारत में किए गए पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता, ''नियुक्त बीमांकिक'' को डेटा प्रस्तुत करने के लिए बहियों में दावा आंकड़ों को अंतिम रूप देने की तिथि तक विभिन्न तिथियों को प्राप्त सलाह पर आधारित है और जहाँ ऐसी सलाह प्राप्त नहीं होती है, वहाँ उपलब्ध जानकारी, वर्तमान प्रवृत्तियों, प्रबंधन के पिछले बीमांकन अनुभव और बीमांकिक अनुमान आधारों पर आधारित अनुमानों पर आधारित है।

2.3.2. उपगत लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आईबीएनआर) के लिए प्रावधान स्वीकृत बीमांकिक विधियों के आधार पर नियुक्त बीमांकिक द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार किया जाता है।

2.4. प्राप्यराशियां

प्राप्य राशियों के लिए संदिग्ध ऋणों के प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(i) परिसमापनाधीन कंपनियाँ

(ii) 3 वर्षों की अवधि में गैर-चल शेष वाली कंपनियाँ

(iii) विभिन्न मापदंडों के अलावा, चल शेष वाली कंपनियाँ, जिनका मुख्य रूप से 3 वर्षों से अधिक का बकाया है:

संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में घरेलू पूल और संरचित कोटा शेयर संधियां शामिल नहीं हैं।

3. विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्राओं में राजस्व लेनदेन उस दिन की दैनिक विनिमय दर पर परिवर्तित किए जाते हैं जिस दिन खाते प्राप्त होते हैं और लेनदेन दर्ज किए जाते हैं। ये दरें रीफिनिटीव इंडिया प्रा. लि., एक एलएसईजी बिजनेस, से ली गई हैं।

3.1 विदेशों में अचल संपत्तियों और निवेश सहित गैर-मौद्रिक मदों की रिपोर्ट अधिग्रहण की तिथि को लागू विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है।

3.2 प्राप्यराशियों, देयराशियों और विदेशी मुद्राओं में रखे गए बैंक खातों में शेष जैसी मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र की तिथि को विनिमय की समापन दरों का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

3.3 विदेशी मुद्राओं के रूपांतरण के कारण राजस्व लेनदेन से संबंधित विनिमय लाभ/हानि को संबंधित राजस्व खातों में राजस्व के रूप में दर्ज किया जाता है। रूपांतरण के कारण होने वाले सामान्य विनिमय लाभ/हानि को राजस्व खाते और लाभ–हानि खाते के बीच उसी अनुपात में विभाजित किया जाता है जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 5 में बताया गया है।

3.4 विदेशी शाखा परिचालनों को एएस 11 ''विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव (संशोधित 2003)'' में निर्धारित अनुसार ''गैर–अभिन्न व्यवसाय'' माना जाता है और तदनुसार रूपांतरित किया जाता है।

4. असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि (यूआरआर)

असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि के लिए प्रावधान निम्नानुसार किए गए हैं:

4.1 गैर–जीवन व्यवसाय:

(i) प्रधान कार्यालय के लिए:

मरीन (हल) और आतंकवाद जोखिम व्यवसाय (अग्नि एवं इंजीनियरिंग सहित) के संबंध में असमाप्त जोखिम हेतु आरक्षित निधि शुद्ध प्रीमियम के 100% पर बनाई जाती है, जबकि कृषि बीमा व्यवसाय–खरीफ (जहाँ प्रीमियम पूरी तरह से लेखा अवधि के भीतर अर्जित किया जाता है) को छोड़कर, अन्य सभी बीमा श्रेणियों के लिए यह पिछले 12 महीनों के शुद्ध प्रीमियम के 50% पर बनाई जाती है।

(ii) लंदन, दुबई और मलेशिया शाखा:

असमाप्त जोखिम हेतु आरक्षित निधि का प्रावधान संबंधित देशों की स्थानीय प्रथा के अनुसार किया जाता है। आईआरडीएआई की अपेक्षाओं के अनुसार,यूआरआर में अतिरिक्त या कम प्रावधान के लिए समायोजन का लेखांकन मुख्यालय में किया जाता है।

4.2 जीवन बीमा व्यवसाय:

असमाप्त जोखिम हेतु आरक्षित निधि के लिए प्रावधान स्वीकृत बीमांकिक विधियों के आधार पर नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित अनुसार किया जाता है।

5. ब्याज, लाभांश और किराये का प्रभाजन

ब्याज, लाभांश और किराये से प्राप्त आय को अवधि के अंत में क्रमशः शेयरधारकों की निधि और पॉलिसीधारकों की निधि के अनुपात में लाभ–हानि खाते और राजस्व खातों में विभाजित किया जाता है। अवधि के अंत में संबंधित पॉलिसीधारकों की निधि के आधार पर इसे राजस्व खातों में विभाजित किया जाता है।

शेयरधारकों की निधि और पॉलिसीधारकों की निधि की गणना आईआरडीएआई के परिपत्र आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/एमआईएससी /80/05/2024 पर आधारित है। शेयरधारक निधि में शेयर पूंजी के साथ–साथ सभी आरक्षित निधियाँ और अधिशेष (आपदा आरक्षित निधि को छोड़कर) शामिल हैं।

इस उद्देश्य के लिए पॉलिसीधारक निधि में बकाया दावों के लिए अनुमानित देयताएँ शामिल हैं, जिनमें आईबीएनआर और आईबीएनईआर, असमाप्त जोखिम आरक्षित निधि (यूआरआर), प्रीमियम की कमी (यदि कोई हो), आपदा आरक्षित निधि (यदि कोई हो) और आईआरडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य परिसंपत्तियों (पॉलिसीधारकों से संबंधित) को घटाकर अन्य देयताएँ शामिल हैं।

6. अचल परिसंपत्तियाँ और अमूर्त परिसंपत्तियाँ और विकासाधीन सीडब्ल्यूआईपी सॉफ्टवेयर

अचल परिसंपत्तियाँ:

अचल परिसंपत्तियों को लागत में से मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है। सहकारी समितियों/कंपनियों में अर्जित संपत्ति अधिकारों के लिए शेयरों की लागत अचल परिसंपत्तियों के अंतर्गत 'भवन' शीर्षक के अंतर्गत शामिल की जाती है।

मूर्त अचल परिसंपत्तियों को लागत (अधिग्रहण और स्थापना से संबंधित आकस्मिक व्ययों सहित) में से संचित मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है।

पूंजीगत परिसंपत्तियों पर जीएसटी को परिसंपत्तियों की अधिग्रहण लागत में शामिल नहीं किया जाता है और इसके लिए लागू जीएसटी कानूनों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्तियां:

सॉफ्टवेयर जैसी अमूर्त अचल परिसंपत्तियों को उसके अधिग्रहण मूल्य पर दर्ज किया जाता है और परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से, सीधी रेखा के आधार पर उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है। प्रबंधन ने ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए उपयोगी जीवन का अनुमान पाँच वर्ष लगाया है। प्रबंधन द्वारा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है। विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का पूंजीकरण केवल उसके पूरा होने पर ही किया जाता है।

चालू पूंजीगत कार्य:

चालू पूंजीगत कार्य में वे परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जो इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं और लागत पर रखी जाती हैं, जिसमें प्रत्यक्ष लागत और संबंधित आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

6.1. अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति से मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है और परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य ₹1/– होगा।

अचल परिसंपत्तियों में परिवर्धन और वर्ष के दौरान बेची/निष्कासित/ध्वस्त/नष्ट की गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

₹10,000 तक की व्यक्तिगत लागत वाली सभी परिसंपत्तियों का उस अवधि में पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है जिसमें उन्हें अर्जित किया गया था।

6.2. परिसंपत्तियों की क्षति (ह्रास)

जब भी किसी घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण किसी परिसंपत्ति की वहन राशि वसूली योग्य न हो, तो वर्ष के अंत में अचल परिसंपत्तियों की क्षति की समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग की जाने वाली परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति क्षमता को परिसंपत्ति की वहन राशि की तुलना परिसंपत्ति द्वारा उत्पन्न होने वाले अपेक्षित भावी शुद्ध छूट प्राप्त नकदी प्रवाह से करके मापा जाता है। यदि ऐसी परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है, तो मान्यता प्राप्त क्षति को उस राशि से मापा जाता है जिससे परिसंपत्ति की वहन राशि, परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

7. कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूर्ण रूप से देय कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उस अवधि में मान्यता प्राप्त होती है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है। सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों का लेखा–जोखा बिना छूट के आधार पर किया जाता है।

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

इनमें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, अवकाश वेतन, निपटान और पेंशन शामिल हैं। ये तुलन–पत्र की तारीख को बीमांकिक लाभ/हानि सहित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं और राजस्व खाते और लाभ और हानि खाते में दर्शाए जाते हैं।

8. व्यय का प्रभाजन

(i) मुख्यालय व्यवसाय:

बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय, लेखा तैयार करने की अवधि के दौरान स्वीकृत पुनर्बीमा प्रीमियम के आधार पर राजस्व खातों में प्रभाजित किए जाते हैं, जिसमें समुद्री व्यवसाय के लिए 75% और अग्नि, विविध एवं जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए 100% भार दिया जाता है।

(ii) विदेशी व्यवसाय:

बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय भी ऊपर 8 (ळ) में उल्लिखित रूप आधार पर शाखाओं के राजस्व खातों में प्रभाजित किए जाते हैं।

(iii) निवेश व्यय:

निवेश से संबंधित व्यय, राजस्व और लाभ–हानि खाते के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित किए जाते हैं जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 5 में बताया गया है। ब्याज, लाभांश और किराये की आय, निवेश व्यय घटाकर होती है। टिप्पणी संख्या 13 देखें।

9. निवेश

9.1 भारतीय रिज़र्व बैंक और आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन निम्नलिखित के संबंध में किया जाता है:
(i) राजस्व निर्धारण
(ii) परिसंपत्तियों का अर्जक और अनर्जक में वर्गीकरण और
(iii) अर्जक और अनर्जक परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान।

9.2 शेयरों की खरीद और बिक्री की गणना संविदा की तिथि को की जाती है, जबकि बांड, डिबेंचर और सरकारी प्रतिभूतियों की गणना निपटान की तिथि को की जाती है।

9.3 निवेश की लागत में अर्जन पर प्रीमियम, प्रतिभूति लेनदेन कर, माल और सेवा कर और उनसे संबंधित व्यय शामिल हैं।

9.4 अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखतों जैसे कि त्रिपक्षीय रेपो (टीआरईपीएस), वाणिज्यिक पत्र और ट्रेजरी बिल, जिन्हें संविदा के समय सहमत दर पर बट्टाकृत किया जाता है, उनके बट्टाकृत मूल्य पर परिकलित किए जाते हैं।

9.5 इक्विटी शेयरों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 द्वारा निर्धारित अनुसार सक्रिय रूप से कारोबार और कम कारोबार में विभाजित किया जाता है।

9.6 जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण निवेश की वहन राशि वसूल नहीं हो पाती है, तो अवधि के अंत में सभी निवेशों की क्षति (ह्रास) के लिए समीक्षा की जाती है। उसी के आधार पर, क्षति (अर्थात, मूल्य में अस्थायी कमी के अलावा) को महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार अलग से विशिष्ट मूल्यांकन-आधारित क्षति के अतिरिक्त दर्शाया जाता है।

(क) सक्रिय रूप से खरीदे-बेचे जाने वाले इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्यांकन आईआरडीए द्वारा बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर दिनांक 17 मई, 2024 के मास्टर परिपत्र संदर्भ संख्या आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/एमआईएससी/80/05/2024 के जरिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। निगम ने प्राथमिक स्टॉक एक्सचेंज के रूप में एनएसई और द्वितीयक एक्सचेंज के रूप में बीएसई को चुना है। तदनुसार, इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन उचित मूल्य, जो एनएसई का बंद भाव होता है, पर किया जाता है। यदि ऐसी प्रतिभूति क्लोजिंग दिन को एनएसई पर सूचीबद्ध नहीं है /ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई के बंद भाव पर विचार किया जाता है।

(i) इक्विटी शेयरों/अधिमान शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान:

इम्पेयरेंट हानि (अर्थात, मूल्य में अस्थायी कमी के अलावा) उस इक्विटी/अधिमान शेयर के संबंध में दर्शाई जाती है, जिसका स्टॉक एक्सचेंज में सक्रिय रूप से कारोबार होता है, और जिसे निगम द्वारा तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए रखा गया है, बशर्ते कि वर्तमान औसत बही मूल्य तुलन-पत्र की तारीख के साथ-साथ तुलन-पत्र की तारीख से पिछले तीन वर्षों के उचित मूल्य से अधिक हो।

प्रतिभूति/निवेश के पुनः मापे गए उचित मूल्य और उसकी अर्जन लागत के बीच के अंतर की सीमा तक प्रावधान, जिसमें से किसी भी पिछली इम्पेयरमेंट हानि को घटा दिया गया हो, को लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

(ख) म्यूचुअल फंड के यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन बीमा कंपनियों के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर मास्टर परिपत्र संदर्भ संख्या आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/एमआईएससी /80/05/2024 दिनांक 17 मई, 2024 के अनुसार उचित मूल्य पर किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए उचित मूल्य तुलन-पत्र की तारीख को अंतिम उद्धृत एनएवी है।

(ग) इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के मामले में निवेश का मूल्यांकन ट्रेडेड इक्विटी शेयरों के समान आधार पर किया जाता है, जबकि पैसिव ईटीएफ का मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि पर ट्रेडेड मूल्य या एनएवी पर किया जाएगा, जैसा कि बीमा कंपनियों के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर आईआरडीए द्वारा जारी मास्टर परिपत्र संदर्भ संख्या आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/एमआईएससी/80/05/2024 दिनांक 17 मई, 2024) के अनुसार किया गया है।

9.7 अप्राप्त अभिलाभ/हानि

(क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड के यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न अप्राप्त अभिलाभ/हानि (मूल्य में अस्थायी कमी के अलावा अन्य इम्पेयरमेंट हानि को छोड़कर) को ''उचित मूल्य परिवर्तन खाता'' शीर्षक के अंतर्गत लिया जाता है और वसूली होने पर लाभ-हानि खाते में रिपोर्ट किया जाता है।

(ख) वसूली लंबित रहने तक, ''उचित मूल्य परिवर्तन खाते'' में जमा शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होता है।

(ग) कम कारोबार वाले और गैर-सूचीबद्ध शेयरों से संबंधित निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया गया है, जो शेयरों की औसत बही लागत और विश्लेषित मूल्य के अंतर के बराबर है, सिवाय उन कंपनियों के जिनमें वित्तीय वर्ष के दौरान विलय हुआ है और नवीनतम लेखापरीक्षित खाते उपलब्ध नहीं हैं।

विश्लेषित मूल्य की गणना कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों से की जाती है, जो कंपनियों के वार्षिक खातों के बंद होने की तिथि पर ध्यान दिए बिना 21 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(घ) उद्यम पूंजी निधि के यूनिटों से संबंधित निवेश के मूल्य में कमी के लिए बही लागत और नवीनतम निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) में अंतर की राशि के बराबर प्रावधान किया गया है।

9.8 कंपनियों के इक्विटी और अधिमान शेयरों में निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

क) जहाँ शेयरों का सक्रिय रूप से कारोबार होता है और बही मूल्य बाजार मूल्य से कम है	:बाजार मूल्य पर उचित मूल्य परिवर्तन खाता

निम्नलिखित मामलों में ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी को अवधि के अंत में तुलन-पत्र में अंकित किया जाता है:

ख)	जहाँ शेयरों का सक्रिय रूप से कारोबार होता है और बही मूल्य बाजार मूल्य से अधिक ह	:बाजार मूल्य पर अवलिखित किया जाता है
ग)	कम कारोबार वाले इक्विटी शेयर	:प्रति कंपनी ₹1/– के अंकित मूल्य पर अवलिखित किया जाता है
घ)	अधिमान शेयर	: इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य के समानुपातिक मूल्य पर, जो उनके बाजार मूल्य के बराबर होता है और वहन लागत में ह्रास मूल्य को घटा दिया जाता है।

जिन कंपनियों के नवीनतम उपलब्ध लेखापरीक्षित खाते 21 महीने से अधिक पुराने हैं, चाहे तुलन–पत्र की तिथि के अनुसार कंपनियों के वार्षिक खातों के बंद होने की तिथि कुछ भी हो, या जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह से क्षतिग्रस्त (ऋणात्मक निवल संपत्ति) हो गई हो, उन्हें ₹1/– तक अवलिखित किया जाता है।

9.9 सहायक और सहयोगी कंपनियों में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है क्योंकि ये रणनीतिक निवेश हैं। इन निवेशों के मूल्य में कमी का प्रावधान केवल तभी किया जाता है जब गिरावट अस्थायी के अलावा हो।

9.10 अंतिम लाभांश को घोषणा के वर्ष में आय के रूप में और अंतरिम लाभांश को राशि प्राप्त होने या जमा होने पर आय के रूप में गणना की जाती है।

9.11 आपत्तिाधीन/लंबित सुपुर्दगी वाले शेयरों/डिबेंचर पर लाभांश/ब्याज की गणना वसूली/भुगतान पर की जाती है।

9.12 निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ–हानि खाते और राजस्व खातों के बीच उसी अनुपात में विभाजित किया जाता है जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 5 में उल्लिखित किय गया है।

निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि की गणना बिक्री की तिथि पर निवेशों के औसत बही मूल्य पर की जाती है।

9.13 निवेशों की सुरक्षित अभिरक्षा, सीधे प्रोसेसिंग और बैंक शुल्क आदि से संबंधित व्यय, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 8 में बताए अनुसार लाभ–हानि खाते और राजस्व खातों में प्रभारित किए जाते हैं।

9.14 सरकारी प्रतिभूतियों और मोचनीय अधिमान शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' प्रतिभूतियाँ माना गया है और उन्हें ऐतिहासिक लागत पर मापा गया है, जो शेष अवधि में भुगतान किए गए प्रीमियम के परिशोधन के अधीन है। शाश्वत् बांडों के परिशोधन के लिए कॉल तिथि को परिपक्वता तिथि माना गया है।

9.15 रेपो लेनदेन के मामले में, बिक्री और खरीद मूल्य के बीच के अंतर को ब्याज आय माना जाता है।

9.16 निवेशों को शेयरधारकों की निधियों और पॉलिसीधारकों की निधियों के बीच आईआरडीएआई परिपत्र आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/एम आईएससी/80/05/2024 दिनांक 17 मई 2024 के अनुसार परिकलित अनुपात में विभाजित किया जाता है।

9.17 ''रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (InvIT)'' के यूनिटों में निवेश:

रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (ठएखढ) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (खर्पींखढ) के यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर अंतिम उद्धृत बंद भाव (30 दिनों के बाद का नहीं होना चाहिए) के उचित मूल्य पर किया जाएगा या यदि ये राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर अंतिम उद्धृत भाव के आधार पर किया जाएगा। जहाँ पिछले 30 दिनों का बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, वहाँ यूनिटों का मूल्यांकन बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर आईआरडीएआई द्वारा जारी दिनांक 17 मई, 2024 के मास्टर परिपत्र संदर्भ संख्या के आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/एमआईएससी /80/05/2024 अनुसार ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित यूनिटों के नवीनतम एनएवी (6 महीने से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार किया जाता है।

9.18 ''रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (InvIT)'' की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश:

रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (InvIT) की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन या तो फिम्डा के अनुसार या बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर आईआरडीएआई द्वारा जारी दिनांक 17 मई, 2024 के मास्टर परिपत्र संदर्भ संख्या के आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/एमआईएससी /80/05/2024 अनुसार सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाएगा।

9.19 निवेश वर्गीकरण: तुलन–पत्र की तारीख से बारह महीनों के भीतर परिपक्व होने वाले निवेश और बारह महीनों के भीतर निपटान के विशिष्ट इरादे से किए गए निवेश को 'अल्पकालिक निवेश' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

'अल्पकालिक निवेश' के अलावा अन्य निवेशों को 'दीर्घकालिक निवेश' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

10. प्रीमियम का परिशोधन और संदिग्ध ऋणों, निवेशों और देनदारियों के लिए प्रावधान

प्रीमियम का परिशोधन, संदिग्ध ऋणों, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान और बट्टे खाते में डाले गए निवेशों के मूल्य में कमी को लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है। बट्टे पर खरीदी गई प्रतिभूतियों को बट्टाकृत मूल्य पर दर्ज किया जाता है।

11. लेखांकन मानकों का अनुपालन

निगम ने लागू सीमा तक और अपने वित्तीय विवरण तैयार करने में आईआरडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित प्रासंगिक लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है।

12. प्रीमियम न्यूनता आरक्षित निधि (पीडीआर)

गैर–जीवन बीमा व्यवसाय: जहाँ भी लागू हो, प्रीमियम न्यूनता की गणना प्रत्येक खंडीय राजस्व स्तर आधार यानि अग्नि, समुद्री और विविध के लिए अलग–अलग की जाती है, आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024, दिनांक 20 मार्च 2024 के अनुसार, पीडीआर की गणना गैर–जीवन बीमा नियुक्त बीमांकक द्वारा की जाती है।

जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय: आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024, दिनांक 20 मार्च 2024 के अनुसार, पीडीआर की गणना जीवन पुनर्बीमा नियुक्त बीमांकक द्वारा की जाती है।

13. आस्थगित कमीशन

लंदन शाखा कार्यालय ने स्थानीय कानूनों के अनुसार आस्थगित कमीशन का लेखा–जोखा रखा है। आईआरडीएआई की आवश्यकताओं के अनुपालन में, इसे मुख्यालय में कमीशन के रूप में लेखा–जोखा रखा जाता है।

14. कराधान

वर्तमान कर

कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, चालू लेखा अवधि के लिए कर योग्य आय के आधार पर आयकर का प्रावधान करती है।

वर्तमान आयकर व्यय में भारत और विदेशी क्षेत्राधिकार में परिचालन से होने वाली आय पर कर शामिल हैं। भारत में देय आयकर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। विदेशी परिचालन से संबंधित कर व्यय का निर्धारण उन देशों में लागू कर कानूनों के अनुसार किया जाता है जहाँ ऐसे परिचालन स्थित हैं।

आयकर वापसी पर ब्याज का हिसाब–किताब वसूली के आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्ष के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के आधार पर दर्शाया जाता है और कर दरों और तुलन–पत्र की तारीख को अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कानूनों का उपयोग करके मात्रा निर्धारित की जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक दर्शाया जाता है जहाँ यह उचित निश्चितता हो कि परिसंपत्तियों को भविष्य में वसूला जा सकता है, हालाँकि, जहाँ कराधान कानूनों के तहत अनवशोषित मूल्यह्रास या आगे ले जाई गई हानियां हैं, वहाँ आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी दर्शाया जाता है जब ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली की लगभग निश्चितता हो। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है और उस राशि को दर्शाने के लिए उचित रूप से समायोजित किया जाता है जिसका वसूल होना उचित/लगभग निश्चित है।

15. प्रावधान और आकस्मिकताएँ

कोई प्रावधान तब दर्शाया जाता है जब किसी उद्यम पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता है और यह संभावना होती है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य से कम नहीं किया जा सकता है और इन्हें तुलन–पत्र की तिथि पर दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

पॉलिसियों के अंतर्गत बीमा दावों के अलावा अन्य दावों, मुकदमेबाजी, मूल्यांकन, जुर्माने, दंड आदि से उत्पन्न आकस्मिक हानियों को प्रकटीकरण के रूप में दर्ज किया जाता है, जब कोई संभावित दायित्व होता है, लेकिन संभवतः संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता नहीं होती है।

जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम होती है या जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है, तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो दर्शाया जाता है और न ही उनका प्रकटन किया जाता है।

16. आपदा आरक्षित निधि

आपदा आरक्षित निधि अग्नि, समुद्री और विविध व्यवसायों के संबंध में राजस्व खातों के परिचालन लाभ के 10% के विनियोग द्वारा बनाई जाती है। यह आरक्षित निधि पॉलिसीधारकों के कोष का हिस्सा होती है और आईआरडीएआई प्रारूप के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची 6-आरक्षित और अधिशेष में परिलक्षित होती है।

II. लेखों के भाग रूप में टिप्पणियाँ:

लेखों की प्रस्तुति के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 को अपनाया गया है।

निवेश

1. (क) शेयरों, डिबेंचर, बॉन्ड और उद्यम पूंजी निधि में ₹78,95,708 लाख (पिछले वर्ष ₹81,16,309 लाख) मूल्य के निवेश में से, निगम के अभिरक्षक द्वारा वास्तव में धारित दातार स्विचगियर लिमिटेड के बॉन्ड में कुल निवेश ₹65 लाख है जिसमे से ₹13 लाख निगम से संबंधित हैं, और ₹52 लाख की राशि पूर्ववर्ती सहायक कंपनियों के बाबत है।

   (ख) वर्ष के दौरान ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹0.11 लाख) का अतिरिक्त लाभांश, ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य) अतिरिक्त लाभ और अतिरिक्त ब्याज शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य) की प्राप्तियाँ हुईं। 31.3.2026 को अतिरिक्त लाभांश शेष ₹16 लाख (पिछले वर्ष ₹16 लाख) रहा। 31 मार्च 2026 को अतिरिक्त बॉन्ड/डिबेंचर पर प्राप्त ब्याज और अतिरिक्त इक्विटी/डिबेंचर पर लाभ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य) और शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य) रहा। इस अतिरिक्त लाभांश को देयता के रूप में दिखाया गया है।

2. (क) प्रावधान में ₹10,091 लाख (पिछले वर्ष ₹8,821 लाख) के ऋण पोर्टफोलियो के संबंध में आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित विधियों के लिए आईआरडीएआई- विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार 0.40% की दर से मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान शामिल है।

   (ख) वर्ष के दौरान, निगम ने सीडीआर (कॉर्पोरेट ऋण पुनर्संरचना) प्रणाली के अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋण/ऋण की पुनर्संरचना का कोई मामला नहीं उठाया है। (पिछले वर्ष शून्य)

   (ग) निगम ने उद्यम पूंजी की इकाइयों के प्रावधान के लिए नवीनतम उपलब्ध एनएवी पर विचार किया है। विचार किए गए नवीनतम उपलब्ध एनएवी का विवरण इस प्रकार है:

निम्न तारीख को एनएवी	उद्यम पूंजी निधियों की संख्या
31 मार्च, 2026	4
31 दिसंबर, 2025	8
30 सितंबर 2025	0
31 मार्च 2025	3
शून्य एनएवी	2
निकास	2
कुल	**19**

3. सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन के लिए, वित्त वर्ष 2025-26 के अंतिम ट्रेडिंग दिन को क्लोजिंग तारीख माना गया है।

4. वर्ष के दौरान, निगम ने निम्नानुसार कर्जों, ऋणों और ब्याज को माफ/बट्टे खाते में डाला है:

वर्ष 2025-26 और 2024-25 के दौरान अधित्याग (राशि ₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	मामलों की संख्या	बट्टे खाते डाला गया	अधित्याग	मामलों की संख्या	बट्टे खाते डाला गया	अधित्याग
चक्रवृद्धि ब्याज/ विलम्बित देय राशि	2	0	11,085	60	0	38,746
साधारण ब्याज/मूलधन के विलंबित भुगतान पर ब्याज	2	0	7,560	49	0	22,365
कुल	**4**	**0**	**18,645**	**109**	**0**	**61,111**

वर्ष 2025–26 और 2024–25 के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऋण/इक्विटी (राशि ₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2024–25	
कंपनियों की सं.	अवलिखित/बट्टे खाते डाली गई राशि	कंपनियों की सं	अवलिखित/बट्टे खाते डाली गई राशि
2	4,710	28	19,944

(₹ लाख में) वर्ष 2025–26 और 2024–25 के दौरान बट्टे खाते डाले गए निवेशों मे मूल्य में कमी

(राशि ₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2024–25	
कंपनियों की सं	अवलिखित/बट्टे खाते डाली गई राशि	कंपनियों की सं	अवलिखित/बट्टे खाते डाली गई राशि
2	179	0	0

5. भौतिक/डीमैट प्रारूप में उपलब्ध सीजीएस/एसजीएस/बांड/डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्व के हक और लेखा बहियों में दर्शाए गए हकों के बीच मद संख्या 1 में इंगित अंतरों को छोड़कर कोई अंतर नहीं है।

6. 31 मार्च 2026 को , भारत के अंदर और बाहर निगम की सभी परिसंपत्तियां, निम्नलिखित के सिवाय, भारमुक्त हैं:

(क) भारत सरकार की प्रतिभूतियां, ₹785 लाख के लिए 8.24% 2027, ₹20 लाख के लिए 8.60% 2028, ₹500 लाख के लिए 6.19% 2034, ₹2,000 लाख के लिए 7.54% 2036, ₹1,000 लाख के लिए 7.10% 2029, ₹1,000 लाख, ₹1,000 लाख के लिए 7.26% 2032, ₹4,000 लाख के लिए 7.18% 2037, कुल राशि ₹10,305 लाख (पिछले वर्ष कुल राशि ₹10,305 लाख) और निपटान गारंटी निधि के लिए जमा के रूप में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास ₹126 लाख (पिछले वर्ष ₹106लाख) की नकद जमा।

नकद जमा में से, ₹15 लाख त्रिपक्षीय रेपो डिफ़ॉल्ट निधि (पिछले वर्ष कुल राशि ₹15 लाख) के लिए नकद संपार्श्विक जमा के रूप में और ₹8 लाख प्रतिभूति डिफ़ॉल्ट निधि (पिछले वर्ष कुल राशि ₹8 लाख) के लिए रखे गए हैं। ₹1 लाख प्रारंभिक मार्जिन के लिए और ₹82 लाख सीजीएस मार्जिन के लिए रखे गए हैं।

(ख) (i) सेबी द्वारा दिनांक 19/03/2008 के परिपत्र के अनुसार अनुशंसित मार्जिन अपेक्षाओं के मद्देनजर, निगम ने नकद खंडों में मार्जिन के लिए गिरवी के रूप में ₹4,000 लाख की राशि के भारत सरकार की प्रतिभूति 7.10% 2029 (पिछले वर्ष भारत सरकार की प्रतिभूति 7.10% 2029 जिसकी राशि ₹4000 लाख थी) समनुदेशित की है। यह गिरवी एनएसई और बीएसई में किए गए सौदों (ट्रेड) से उत्पन्न मार्जिन दायित्वों को कवर करती है।

(ii) 1844.40 वर्ग मीटर के CTS.NO.1606OF फोर्ट डिवीजन वाले भूखंड पर विकास गतिविधियाँ शुरू करने के लिए ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) को बैंक गारंटी के विरुद्ध ₹6 लाख (पिछले वर्ष ₹6 लाख) का मार्जिन एफडीआर।

(iii) दुबई शाखा के लिए बैंक गारंटी (BG) जारी करने के संबंध में यूएई की विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ₹1,40,520 लाख (पहले ₹1,30,949 लाख) की मार्जिन एफडीआर को लियन के तहत रखा गया है।

(iv) बैंक गारंटी (BG) जारी करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कमीशन के भुगतान हेतु बैंक गारंटी (BG) के विरुद्ध ₹850 लाख (पहले ₹850 लाख) की मार्जिन एफडीआर को लियन के तहत रखा गया है।

(ग) बैंक द्वारा ₹5,57,818 लाख (पिछले वर्ष ₹6,93,643 लाख) का एलसी/बीजी के रूप में जारी करने के लिए मार्जिन एफडीआर रखा गया है।

(घ) अलग–अलग बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले ब्याज की गणना के तरीकों के आधार पर सावधि जमाओं पर उपचित ब्याज में अंतर हो सकता है। निगम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरतता है और एक तय प्रक्रिया का पालन करता है कि ब्याज की गणना संबंधित सावधि जमा रसीदों (FDRs) में बताई गई शर्तों के अनुसार ही की जाए। इसी के अनुसार, ब्याज को हर तिमाही के आधार पर दर्ज और हिसाब में लिया जाता है, ताकि परिपक्वता पर मिलने वाली राशि सही तरीके से मिल सके।

7. 31 मार्च 2026 तक ऋण, निवेश और अचल परिसंपत्तियों (यदि कोई हो) के लिए की गई और बकाया प्रतिबद्धताएँ ₹293 लाख (पिछले वर्ष ₹1,949 लाख) हैं।

8. निवेश से संबंधित अनुबंधों का मूल्य, निम्न के लिए:

क) खरीद, जहाँ डिलीवरी देय और लंबित हैं ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)।

ख) बिक्री, जहाँ भुगतान अतिदेय हैं ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)।

9. उचित मूल्य के आधार पर निवेशों का बही मूल्य इस प्रकार है: इक्विटी ₹17,83,052 लाख (पिछले वर्ष ₹15,83,329 लाख) और म्यूचुअल फंड ₹63,413 (पिछले वर्ष ₹71,041 लाख) और इनविट्स ₹8,042 लाख (पिछले वर्ष ₹8,309 लाख)। ''उचित मूल्य मूल्यह्रास'' श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कुछ सक्रिय रूप से ट्रेड किए जाने वाले शेयरों के लिए, ''सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में कमी हेतु प्रावधान'' श्रेणी के अंतर्गत ₹88,204 लाख (पिछले वर्ष ₹80,766 लाख) की राशि पर विचार किया गया है।

10. ऋण प्रतिभूतियों के परिशोधन का आधार महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 9.14 में उल्लिखित है।

11. निगम निवेश उद्देश्यों के लिए कोई परिसंपत्ति नहीं रखता है।

12. अप्राप्त लाभ/हानि के संबंध में प्रावधान महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 9.7 में उल्लिखित हैं।

13. ब्याज, लाभांश और किराये की आय ₹680 लाख (पिछले वर्ष ₹561 लाख) के निवेश व्यय से निवल है।

14. अनर्जक परिसंपत्तियों (मानक परिसंपत्तियों के अलावा) के लिए ₹84,397 लाख (पिछले वर्ष ₹89,505 लाख) का प्रावधान किया गया है। इसलिए, वर्ष के दौरान प्रावधान का प्रत्यावर्तन ₹5,108 लाख है (पिछले वर्ष प्रावधान का प्रत्यावर्तन ₹47,618 लाख था)।

पुनर्बीमा

15. प्रत्यक्ष व्यवसाय की बीमांकन (अंडरराइटिंग) 1 अप्रैल 2001 से बंद कर दी गई। प्रत्यक्ष व्यवसाय से संबंधित राजस्व खातों में शामिल आंकड़े (यदि कोई हों) रन-ऑफ व्यवसाय के कारण हैं। प्राप्त सलाह के आधार पर रन-ऑफ देनदारियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

16. भारत में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान व्यवसाय से दर्ज किए गए प्रीमियम, पुनर्बीमा को छोड़कर, ₹31,08,980 लाख (पिछले वर्ष ₹28,44,247 लाख) हैं और भारत के बाहर ₹9,48,145 लाख (पिछले वर्ष ₹9,40,173 लाख) हैं।

17. दीर्घकालिक वैकल्पिक पॉलिसियों के संबंध में, 31.3.2026 के लिए यूआरआर में वृद्धिशील प्रावधान। - शून्य (पिछले वर्ष शून्य रुपये)।

18. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत में भुगतान किए गए पुनर्बीमा को छोड़कर दावे हैं:

₹19,06,895 लाख (पिछले वर्ष ₹17,02,488 लाख) और भारत के बाहर ₹8,06,972 लाख (पिछले वर्ष ₹9,16,379 लाख)।

19. **खंड रिपोर्टिंग**

लेखांकन मानक-17 ''सेग्मेंट रिपोर्टिंग'' के अनुसार खंड रिपोर्टिंग का अनुपालन आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 द्वारा अपेक्षित रूप से किया गया है।

31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए व्यवसाय-वार खंड राजस्व रिपोर्टिंग:

भारतीय व्यवसाय

(राशि ₹ लाख में)

व्यवसाय की श्रेणी	अर्जित प्रीमियम		उपगत दावे		निवल कमीशन		प्रबंधन व्यय		विनिमय पर लाभ (हानि)		प्रीमियम न्यूनता		बीमांकन पर लाभ/हानि(-)		निवेश आय (निवल)		राजस्व लाभ/हानि	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
अग्नि	5,55,134	5,34,346	4,21,430	4,55,700	1,32,937	1,28,027	5,214	5,475	0	0	0	0	(4,448)	(54,856)	1,56,559	1,57,684	1,52,110	1,02,828
मोटर	5,75,364	4,84,945	4,66,178	3,93,770	1,15,017	75,566	4,570	4,206	0	(5)	0	0	(10,402)	11,398	1,43,904	1,42,268	1,33,502	1,53,666
विमानन	8,364	8,316	10,131	4,618	1,055	56	69	71	125	44	0	0	(2,766)	3,614	1,327	1,684	(1,438)	5,299
इंजीनियरिंग	1,28,246	1,08,825	83,078	73,296	24,748	23,473	1,099	1,080	0	0	0	0	19,321	10,977	35,750	34,300	55,071	45,277
कर्मचारी क्षतिपूर्ति	2,789	3,264	149	2,716	463	365	23	20	0	0	0	0	2,154	163	429	567	2,584	730
देयता	49,817	36,019	31,035	33,722	11,266	8,213	496	434	0	0	0	0	7,020	(6,351)	11,788	10,542	18,809	4,191
व्यक्तिगत दुर्घटना	61,543	47,074	37,688	24,502	24,968	(3,121)	514	426	0	0	0	0	(1,627)	25,266	9,326	8,721	7,698	33,987
स्वास्थ्य	9,29,798	7,42,357	7,94,615	6,06,093	1,97,312	2,26,065	6,676	7,642	0	0	0	0	(68,804)	(97,444)	86,275	81,302	17,470	(16,142)
कृषि	3,14,166	3,20,163	2,84,818	2,89,497	14,236	31,600	2,402	2,562	0	0	0	0	12,710	(3,496)	79,248	78,260	91,957	74,763
अन्य विविध	88,126	68,773	55,534	36,422	18,791	12,661.57	789	725	0	0	0	0	13,012	18,964	14,642	14,440	27,654	33,404
वित्तीय दायित्व	21,677	16,742	7,065	88	5,182	3,280	163	168	0	0	0	0	9,267	13,205	5,087	5,226	14,354	18,431
मरीन कार्गो	32,014	36,889	18,331	28,530	4,317	3,596	204	227	0	0	0	0	9,161	4,536	5,513	5,891	14,674	10,427
मरीन हल	22,858	18,885	5,978	8,743	3,201	2,414	152	142	0	0	0	0	13,527	7,585	4,652	4,514	18,179	12,100
जीवन	2,00,314	1,79,695	2,67,421	2,66,212	709	75	1,529	1,343	0	0	3,839	(2,050)	(73,184)	(85,884)	28,333	21,641	(44,851)	(64,243)
कुल	**29,90,209**	**26,06,293**	**24,83,451**	**22,23,910**	**5,54,203**	**5,12,273**	**23,900**	**24,522**	**125**	**39**	**3,839**	**(2,050)**	**(75,059)**	**(1,52,323)**	**5,82,832**	**5,67,040**	**5,07,774**	**4,14,717**

विदेशी व्यवसाय

(राशि ₹ लाख में)

व्यवसाय की श्रेणी	अर्जित प्रीमियम		उपगत दावे		निवल कमीशन		प्रबंधन व्यय		विनिमय पर लाभ (हानि)		प्रीमियम न्यूनता		बीमांकन पर लाभ/ हानि(-)		निवेश आय (निवल)		राजस्व लाभ/हानि	
	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025
अग्नि	6,31,515	5,99,132	4,54,694	5,08,426	1,65,179	1,50,534	6,902	5,739	30,861	5,244	0	0	35,601	(60,323)	1,63,553	1,68,169	1,99,154	1,07,846
मोटर	1,17,259	1,88,380	2,01,828	2,25,006	39,563	27,229	1,887	958	19,800	3,210	0	0	(106,220)	(61,603)	45,046	58,306	(61,174)	(3,297)
विमानन	27,968	30,341	56,287	29,167	4,621	7,506	734	586	1,687	220	0	0	(31,986)	(6,698)	14,382	14,191	(17,604)	7,493
इंजीनियरिंग	43,021	46,283	27,019	34,141	11,133	12,597	4,389	787	5,053	765	0	0	5,532	(476)	12,467	13,519	17,999	13,043
कर्मचारी क्षतिपूर्ति	346	393	2,942	9,380	50	(318)	4	3	156	26	0	0	(2,494)	(8,647)	1,060	1,085	(1,435)	(7,561)
देयता	21,462	21,795	28,721	22,145	3,824	3,919	188	200	2,143	308	0	0	(9,128)	(4,162)	8,665	8,695	(463)	4,534
व्यक्तिगत दुर्घटना	4,687	2,100	3,051	1,385	746	168	36	35	1,149	172	0	0	2,004	684	1,638	1,781	3,642	2,465
स्वास्थ्य	2,168	6,343	1,158	3,249	607	346	17	15	8,951	1,293	0	0	9,338	4,026	(857)	(550)	8,481	3,475
कृषि	8,399	7,206	5,370	3,606	1,838	1,409	75	63	8,436	1,275	0	0	9,552	3,403	1,258	1,419	10,810	4,823
अन्य विविध	15,225	12,471	12,394	13,282	3,413	4,403	371	227	1,858	281	0	0	905	(5,161)	3 091	3,093	3,996	(2,068)
वित्तीय दायित्व	6,433	7,280	81	(2,610)	1,817	2,077	42	88	781	130	0	0	5,274	7,855	2,367	2,907	7,641	10,762
मरीन कार्गो	11,361	31,126	17,844	69,766	4,162	8,355	206	95	1,549	271	0	0	(9,302)	(46,820)	9,265	11,045	(36)	(35,776)
मरीन हल	30,512	26,256	25,571	30,321	4,376	5,371	321	212	1,899	376	0	0	2,143	(9,272)	13,468	18,980	15,611	9,707
जीवन	27,270	27,628	42,355	24,193	1,670	1,383	256	158	6,483	750	1,932	(1,712)	(12,461)	4,357	3,061	1,716	(9,399)	6,073
कुल	**9,47,626**	**10,06,733**	**8,79,315**	**9,71,459**	**2,43,000**	**2,24,981**	**15,426**	**9,165**	**90,806**	**14,322**	**1,932**	**(1,712)**	**(1,01,242)**	**(1,82,838)**	**2,78,464**	**3,04,356**	**1,77,223**	**1,21,518**

कुल व्यवसाय (भारतीय + विदेशी)

(राशि ₹ लाख में)

व्यवसाय की श्रेणी	अर्जित प्रीमियम		उपगत दावे		निवल कमीशन		प्रबंधन व्यय		विनिमय पर लाभ (हानि)		प्रीमियम न्यूनता		बीमांकन पर लाभ/ हानि(-)		निवेश आय (निवल)		राजस्व लाभ/हानि	
	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025
अग्नि	11,86,649	11,33,478	8,76,124	9,64,126	2,98,117	2,78,562	12,116	11,213	30,861	5,244	0	0	31,152	(1,15,179)	3,20,112	3,25,853	3,51,264	2,10,674
मोटर	6,92,622	6,73,325	6,68,007	6,18,776	1,54,581	1,02,796	6,457	5,164	19,800	3,205	0	0	(1,16,621)	(50,205)	1,88,949	2,00,574	72,328	1,50,368
विमानन	36,332	38,658	66,417	33,786	5,676	7,562	802	657	1,812	264	0	0	(34,752)	(3,084)	15,709	15,876	(19,043)	12,792
इंजीनियरिंग	1,71,266	1,55,108	1,10,096	1,07,437	35,881	36,070	5,489	1,866	5,053	765	0	0	24,853	10,500	48,217	47,819	73,070	58,319
कर्मचारी क्षतिपूर्ति	3,135	3,657	3,091	12,096	513	48	27	23	156	26	0	0	(340)	(8,483)	1,489	1,652	1,149	(6,831)
देयता	71,279	57,814	59,757	55,867	15,089	12,133	684	635	2,143	308	0	0	(2,108)	(10,513)	20,453	19,237	18,346	8,724
व्यक्तिगत दुर्घटना	66,230	49,174	40,739	25,887	25,715	(2,953)	549	461	1,149	172	0	0	376	25,950	10,964	10,502	11,341	36,452
स्वास्थ्य	9,31,966	7,48,700	7,95,773	6,09,343	1,97,918	2,26,412	6,693	7,657	8,951	1,293	0	0	(59,467)	(93,418)	85,418	80,752	25,951	(12,667)
कृषि	3,22,565	3,27,369	2,90,188	2,93,103	16,074	33,009	2,477	2,625	8,436	1,275	0	0	22,262	(93)	80,505	79,679	1,02,767	79,586
अन्य विविध	1,03,351	81,244	67,928	49,704	22,204	17,065	1,160	952	1,858	281	0	0	13,917	13,803	17,733	17,533	31,650	31,336
वित्तीय दायित्व	28,110	24,021	7,146	(2,522)	7,000	5,358	205	256	781	130	0	0	14,541	21,060	7,454	8,133	21,995	29,192
मरीन कार्गो	43,375	68,015	36,175	98,296	8,479	11,952	410	323	1,549	271	0	0	(140)	(42,284)	14,778	16,936	14,638	(25,349)
मरीन हल	53,370	45,141	31,549	39,064	7,577	7,785	472	354	1,899	376	0	0	15,671	(1,687)	18,120	23,494	33,790	21,807
जीवन	2,27,584	2,07,323	3,09,776	2,90,405	2,379	1,457	1,785	1,500	6,483	750	5,771.07	(3,762.39)	(85,645)	(81,527)	31,395	23,357	(54 250)	(58,170)
कुल	**39,37,835**	**36,13,026**	**33,62,766**	**31,95,369**	**7,97,203**	**7,37,254**	**39,325**	**33,687**	**90,931**	**14 ,360**	**5,771**	**(3,762)**	**(1,76,300)**	**(3,35,161)**	**8,61,297**	**8,71,396**	**6,84,996**	**5,36,235**

20. **दावों की गणना** – विभिन्न अवधियों के लिए बकाया दावों में अंतर:

निगम एक पुनर्बीमा कंपनी होने के नाते, बीमित व्यक्ति के साथ सीधे दावों का निपटान नहीं करता है। कंपनियाँ अपने बीमित व्यक्ति के साथ दावों का निपटान करने के बाद, पुनर्बीमा दायित्वों के अनुसार निगम से दावों की वसूली करेंगी। ऐसी वसूली का निपटारा पूरे वर्ष के कुल व्यावसायिक लेन–देन के समाधान के बाद आवधिक खाता विवरण और नकदी माँग के जरिए कंपनियों के साथ किया जाता है।

फिर भी, कंपनियों द्वारा वैकल्पिक व्यवसाय के संबंध में सूचित बकाया हानियों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बकाया अवधि के अनुसार वर्गीकृत किया गया है:

यथा 31.03.2026 का विवरण

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	बकाया अवधि	अग्नि		मरीन		इंजीनियरिंग		विमानन		देयता		विविध		कुल	
		दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि
1	0-30 दिन	2	119	4	7,660	0	0	11	163	3	5	0	0	20	7,947
2	31 दिन से 6 माह	37	13,247	34	2,882	6	341	36	7,965	0	0	0	0	113	24,434
3	6 माह से 1 वर्ष	43	14,577	15	2,724	12	2,729	54	(8,625)	4	1,875	2	1	130	13,281
4	1 वर्ष से 5 वर्ष	423	57,743	100	23,919	99	10,701	520	13,246	29	218	10	50	1,181	1,05,877
5	5 वर्ष और इससे अधिक	595	18,970	179	3,769	235	10,503	1,143	42,160	79	2,043	85	940	2,316	78,384
	कुल	**1,100**	**1,04,655**	**332**	**40,952**	**352**	**24,952**	**1,764**	**54,907**	**115**	**4,142**	**97**	**991**	**3,760**	**2,29,923**

यथा 31.03.2025 का विवरण

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	बकाया अवधि	अग्नि		मरीन		इंजीनियरिंग		विमानन		देयता		विविध		कुल	
		दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि
1	0-30 दिन	5	615	2	9	3	30	16	435	0	0	0	0	26	1,089
2	31 दिन से 6 माह	32	4,573	12	699	9	406	69	1,970	0	0	0	0	122	7,648
3	6 माह से 1 वर्ष	64	8,780	12	18,243	13	1,474	57	2,045	5	101	0	0	151	30,643
4	1 वर्ष से 5 वर्ष	467	66,417	148	37,902	115	22,616	590	18,608	54	456	18	131	1,392	64,552
5	5 वर्ष और इससे अधिक	532	19,742	131	5,039	218	10,064	1,098	26,905	55	1,765	94	1,036	2,128	64,552
	कुल	**1,100**	**1,00,127**	**305**	**61,892**	**358**	**34,591**	**1,830**	**49,964**	**114**	**2,322**	**112**	**1,168**	**3,819**	**2,50,064**

चूंकि निगम एक पुनर्बीमा कंपनी है, इसलिए औसत दावा निपटान लागू नहीं होता है; क्योंकि दावे का निपटारा पूरे वर्ष के कुल व्यावसायिक लेनदेन के समाधान के बाद, आवधिक खाता विवरण और नकदी माँग के ज़रिए किया जाता है।

21. निगम एक पुनर्बीमा कंपनी होने के नाते, बीमाधारकों के साथ सीधे दावों का निपटान नहीं करता है। कंपनियाँ अपने बीमाधारकों के साथ दावों का निपटान करने के बाद, पुनर्बीमा देयताओं के अनुसार निगम से दावों की वसूली करेंगी। ऐसी वसूलियाँ कंपनियों के साथ आवधिक खाता विवरणों के माध्यम से की जाती हैं। 31.03.2026 तक छह महीने से अधिक की अवधि के लिए निपटाए गए और अप्रदत्त दावों की राशि ₹ शून्य (पिछले वर्ष शून्य)।

22. **4 वर्ष से अधिक अवधि वाली देनदारियों/दावों के भुगतान के लिए प्रमाणपत्र** –– बीमा कंपनियों के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर आईआरडीएआई के 2024 के मास्टर परिपत्र के खंड खत.1 के अनुसार, 4 वर्ष से अधिक अवधि वाली देनदारियों/दावों के भुगतान (जैसे, दीर्घावधि विकलांगता) का अलग से मूल्यांकन और प्रमाणन करना ज़रूरी है। निगम के पास ऐसा कोई भुगतान नहीं है, इसलिए निगम पर यह प्रमाणपत्र लागू नहीं होता है।

23. (क) निगम ने बीमा/पुनर्बीमा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों/निकायों के साथ निरंतर आधार पर शेष राशि और आरक्षित जमाओं के निरंतर समाधान और निगरानी की प्रणाली स्थापित की है। निगम ने संदिग्ध प्राप्य राशियों के लिए ₹1,32,065 लाख (पिछले वर्ष ₹1,16,840 लाख) का संचयी प्रावधान किया है।

(ख) बीमा व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं को देय राशि और उनके पास रखी गई जमा राशियों का शेष, पुष्टि/समाधान के अधीन है। पुष्टियों को लेखा-बहियों से मिलान करने की एक विस्तृत प्रक्रिया है और अधिकांश शेष राशियों के लिए इन्हें अंकित किया जाता है। अपुष्ट शेष राशियों के लिए यदि कोई समायोजन किया जाता है, तो उसकी प्राप्ति/पुष्टि/समाधान के बाद उसका लेखा-जोखा किया जाएगा। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि तीन वर्षों की अवधि में देय राशि और जमा राशियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है। ये शेष राशियाँ और जमाएँ, दलालों प्राप्त लेखा विवरण के माध्यम से दर्ज किए गए खातों से उत्पन्न हो रही हैं।

(ग) निगम ने 31.03.2026 तक 1 वर्ष से अधिक समय से बकाया विविध देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए भी प्रावधान किया है, जिसकी राशि ₹14 लाख (पिछले वर्ष ₹153 लाख) है।

(घ) विदेशी व्यापार से संबंधित कुल परिसंपत्तियाँ ₹31,00,189 लाख (पिछले वर्ष ₹29,35,384 लाख) और विदेशी व्यापार से संबंधित कुल देयताएँ ₹75,87,424 लाख (पिछले वर्ष ₹37,07,873 लाख) हैं।

(ड.) कंपनी का विदेशी जोखिम के विरुद्ध कोई वायदा संविदा नहीं है। विनिमय दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के जोखिमों को सीमित करने के लिए, जीआईसी लंदन और गिफ्ट सिटी में 3 प्रमुख मुद्रा (यूरो, अमेरिकी डालरऔर ब्रिटिश पाउंड) बैंक खाते रखता है। सभी निपटान इन बैंक खातों के माध्यम से होते हैं। सभी विदेशी मुद्रा प्राप्तियां और भुगतान इन बैंक खातों के माध्यम से किए जाने हैं। यूरो, अमेरिकी डॉलर और ब्रिटिश पाउंड से संबंधित भुगतान संबंधित मुद्रा वाले बैंक खातों के माध्यम से किए जाते हैं। अन्य मुद्राओं के लिए, अधिकांश निपटान अमेरिकी डॉलर वाले बैंक खातों के माध्यम से होते हैं। इस प्रकार देनदारियाँ और बैंक शेष राशि एक ही मुद्रा में रखी जाती हैं। विदेशी मुद्रा में राशि केवल तभी अंतरित की जाती है जब नियमित भुगतान के लिए विदेशी बैंक में धन की कमी हो, जो कि दुर्लभ मामला है। विदेशी शाखाओं में रखी गई सावधि जमाएँ 90 दिनों से कम अवधि की होती हैं।

24. आपदा आरक्षित निधि का निर्माण, दावों में भविष्य की अस्थिरता से निपटने और वित्तीय परिणामों में स्थिरता लाने के लिए एक स्वीकृत तरीका है। यह आरक्षित निधि भविष्य में वित्तीय भेद्यता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इस आरक्षित निधि का उपयोग व्यापक रूप से लागू बीमा पॉलिसियों के विरुद्ध बड़े आपदा हानियों की भरपाई के लिए किया जाना है।

निगम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से राजस्व खातों के संबंध में परिचालन लाभ के 10% के विनियोजन द्वारा ₹5,00,000 लाख की कुल आरक्षित सीमा के साथ इसे सृजित करने का निर्णय लिया है।

(राशि ₹ लाख में)

	वित्तीय वर्ष 2025-26		वित्तीय वर्ष 2024-25	
राजस्व खाता	**प्रारंभिक लाभ**	**आपदा आरक्षित निधि**	**परिचालन लाभ**	**आपदा आरक्षित निधि**
अग्नि	3,51,265	35,127	210,675	21,068
विविध	3,39,554	33,955	387,272	38,727
मरीन	48,428	4,843	(3,542)	0
कुल	**7,39,247**	**73,925**	**5,94,405**	**59,795**

25. दुबई, लंदन और मलेशिया शाखा कार्यालय के संबंध में यूआरआर समायोजन का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	दुबई बीओ	मलेशिया बीओ	लंदन बीओ
2025-26	₹2,468 लाख (बीओ द्वारा प्रावधान कम, मुख्यालय द्वारा बढ़ाया गया)	₹5,440 लाख (बीओ द्वारा कम प्रावधान, मुख्यालय द्वारा बढ़ाया गया)	₹2,603 लाख (बीओ द्वारा अधिक प्रावधान, मुख्यालय द्वारा घटाया गया)
2024-25	₹1,868 लाख (बीओ द्वारा प्रावधान कम, मुख्यालय द्वारा बढ़ाया गया)	₹1,311 लाख (बीओ द्वारा कम प्रावधान, मुख्यालय द्वारा बढ़ाया गया)	₹1,309 लाख (बीओ द्वारा कम प्रावधान, मुख्यालय द्वारा बढ़ाया गया)

26. जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय:

(क) वर्ष के दौरान, निगम ने जीवन व्यवसाय (ओएसएलआर को छोड़कर) के लिए कुल निवल आरक्षित निधियों के रूप में ₹3,62,064 लाख (पिछले वर्ष ₹2,20,688 लाख का प्रावधान किया गया था) का प्रावधान किया है। ये आरक्षित निधियाँ, आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 और भारतीय बीमांकक संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार, आईआरडीएआई की सहमति से, जीवन नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित और प्रमाणित की गई हैं।

(ख) उपगत परंतु रिपोर्ट न किए गए दावों आईबीएनआर के आकलन को कंपनी के नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित किया गया है। नियुक्त बीमांकक ने कंपनी को प्रमाणित किया है कि इसके लिए प्रयुक्त धारणाएँ उपयुक्त हैं और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीएआई और भारतीय बीमांकक संस्थान की अपेक्षाओं के अनुसार, आईआरडीएआई की सहमति से हैं।

(ग) लाइफ़ री व्यवसाय के लिए आईबीएनआर प्रावधान नियुक्त बीमांकक – लाइफ री द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

आईबीएनआर की गणना घरेलू ग्रुप टर्म, स्वास्थ्य और दीर्घावधि व्यक्तिगत व ग्रुप क्रेडिट (एमएफआई को छोड़कर) बिज़नेस से जुड़े राइडर्स के लिए त्रिभुजन विधि का इस्तेमाल करके की गई है।

सभी विदेशी व्यवसाय (आनुपातिक और गैर–आनुपातिक) और अन्य सभी घरेलू व्यवसाय (गैर–आनुपातिक और दीर्घावधि आनुपातिक व्यक्तिगत और ग्रुप क्रेडिट (एमएफआई सहित)) के लिए 'विलंब दिवस पद्धति का इस्तेमाल किया गया है।

(घ) वित्त वर्ष 2024–25 की तुलना में, वित्त वर्ष 2025–26 में लाइफ़–री व्यवसाय के लिए प्रावधानों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, खासकर दीर्घावधिक व्यवसाय के मामले में। इसका मुख्य कारण मृत्यु दर से जुड़ा प्रतिकूल अनुभव रहा है, जिसके चलते प्रावधान तय करते समय मृत्यु दर से जुड़ी मान्यताओं को कड़ा करना पड़ा। इसलिए, मृत्यु दर से जुड़ी मान्यताओं में बदलाव का काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिससे प्रावधानों में ₹70,200 लाख की बढ़ोतरी हुई।

27. (क) वर्ष के अंत में निवल बकाया हानि आरक्षित निधि (ओएसएलआर) में शामिल पुनर्मूल्यांकन के विवरण निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ लाख में)

व्यवसाय की श्रेणी	31.03.2026	31.03.2025
अग्नि	55,039	10,050
जीवन	1,076	538
मरीन	11,525	4,147
विविध	53,938	10,029
कुल	**1,21,578**	**24,763**

(ख) संदर्भ/बेंचमार्क विनिमय दर:

मुद्रा	औसत ₹ दर (अप्रैल'25से मार्च2026)	औसत ₹ दर (अप्रैल'24 से मार्च 25)	क्लोजिंग ₹ दर (31.03.2026)	क्लोजिंग ₹ दर (31.03.2025)
एईडी	24.02255	23.01271	25.80651	23.31672
जीबीपी	118.29563	107.85093	125.63639	110.86098
एमवाईआर	21.23244	18.78149	23.62338	19.33619
यूएसडी	88.22707	84.51880	94.77700	85.64000
यूरो	102.32237	90.75808	109.06937	92.49976

28. विदेशी मुद्रा रूपांतरण रिजर्व खाते में ₹1,55,697 लाख की वृद्धि हुई है (पिछले वर्ष ₹57,778 लाख की वृद्धि) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		नामे	जमा	नामे	जमा
1	होल्डिंग कंपनी के गैर–अभिन्न विदेशी परिचालन में निवल निवेश	₹1,55,697 लाख	₹57,778 लाख	₹843 लाख	0
2	अन्य				
	कुल	**₹1,55,697 लाख**	**₹57,778 लाख**	**₹843 लाख**	**0**

मानव संसाधन

29. 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े एकमुश्त प्रोत्साहन का प्रावधान शून्य है (पिछले वर्ष शून्य लाख रुपये)।

30. कर्मचारी लाभ

निगम ने कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया है:

(i) परिभाषित अंशदान योजना

(क) भविष्य निधि

(ख) राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) भविष्य निधि में योगदान

(ii) परिभाषित लाभ योजना

(क) पेंशन

(ख) ग्रेच्युटी

(ग) छुट्टी वेतन

(iii) निपटान

वर्ष के दौरान निगम ने बीमांकिक रिपोर्टों के आधार पर लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित राशियों को दर्शाया है:

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
पेंशन सेवानिवृत्ति योजना (कर्मचारी पेंशन निधि)	1,051	(453)
छुट्टी का नकदीकरण (अर्जित अवकाश और बीमारी अवकाश)	1,015	139
उपदान (कर्मचारी उपदान निधि)	1,744	233
भविष्य निधि (कर्मचारी भविष्य निधि)*	137	125
निपटान लाभ	30	15
उपदान (संविदा/अस्थायी कर्मचारी)	29	0

*निगम एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में एक निश्चित अंशदान देता है, जो इस निधि को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। कंपनी का दायित्व ऐसा निश्चित अंशदान करना और सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिफल दर सुनिश्चित करना है। परामर्शदाता बीमांकिक की रिपोर्ट के अनुसार, कुल ब्याज आय और संचयी अधिशेष वैधानिक ब्याज भुगतान आवश्यकता से कम है। इसलिए, निगम ने 31 मार्च 2026 तक ₹137 लाख (पिछले वर्ष: ₹125 लाख) की देनदारी सृजित की गई है।

क. दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी वेतन*		निपटान	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1 अप्रैल 2025 को दायित्व का वर्तमान मूल्य	33,569	32,500	8,421	8,108	4,069	4,190	210	196
ब्याज लागत	2,154	2,220	549	570	249	294	14	14
पिछली सेवा लागत	0	0	0	0	0	0	0	0
वर्तमान सेवा लागत	461	450	586	426	178	180	4	4
कटौती लागत / (जमा)	0	0	0	0	0	0	0	0
निपटान लागत / (जमा)	0	0	0	0	0	0	0	0
भुगतान किया गया लाभ	(4,424)	(3,512)	(648)	(462)	(790)	(260)	(15)	0
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	2,687	1,911	1,447	(220)	588	(334)	12	(3)
31 मार्च 2026 को दायित्व का वर्तमान मूल्य	34,449	33,569	10,354	8,421	4,294	4,069	226	210

** ईएल + एसएल*

ख. योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी वेतन		निपटान	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1 अप्रैल को योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	34,266	29,800	9,632	9,551	0	0	0	0
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	2,912	2,657	631	674	0	0	0	0
दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	1,340	2,377	207	(132)	0	0	0	0
अंशदान	603	2,944	1	0	0	0	0	0
प्रदत्त लाभ	(4,424)	(3,512)	(648)	(462)	0	0	0	0
31 मार्च को योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	34,697	34,266	9,823	9,632	0	0	0	0
अदत्त राशि	0	0	0	0	0	0	0	0
31 मार्च 2026 को योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (निवल)	34,697	34,266	9,823	9,632	0	0	0	0
वास्तविक प्रतिफल	4,252	5,033	838	542	0	0	0	0

ग. परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य और परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का समाधान

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी वेतन		निपटान	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
दायित्व का वर्तमान मूल्य	34,449	33,569	10,354	8,421	4,294	4,069	226	210
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	34,697	34,266	9,823	9,632	0	0	0	0
तुलन–पत्र में दर्शाई गई गैर–वित्तपोषित निवल परिसंपत्ति/(देयता)	248	697	(531)	1,211	(4,294)	(4,069)	(226)	(210)

ईएल + एसएल

घ. लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया व्यय

(राशि ₹ लाख में)

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	पेंशन	उपदान	छुट्टी वेतन'*	निपटान
वर्तमान सेवा लागत	461	586	178	4
ब्याज लागत	2,154	549	249	14
कटौती लागत / (जमा)	0	0	0	0
निपटान लागत / (जमा)	0	0	0	0
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(2,912)	(631)	0	0
अवधि में दर्शाया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	1,347	1,240	588	12
लाभ और हानि खाते में दर्शाया कुल व्यय	1,051	1,744	1,015	30

*ईएल + एसएल

(राशि ₹ लाख में)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	पेंशन	उपदान	छुट्टी वेतन'*	निपटान
वर्तमान सेवा लागत	450	426	180	4
ब्याज लागत	2,220	570	294	14
कटौती लागत / (जमा)	0	0	0	0
निपटान लागत / (जमा)	0	0	0	0
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(2,657)	(674)	0	0
अवधि में दर्शाया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(466)	(89)	(334)	(4)
लाभ और हानि खाते में दर्शाया कुल व्यय	453	233	139	15

ईएल + एसएल

ड. योजनागत परिसंपत्तिया (% में)

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी वेतन'*		निपटान	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
सरकारी प्रतिभूतियाँ केंद्र एवं राज्य	52.97	56.04	44.82	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
उच्च गुणवत्ता वाले निगमीय बॉन्ड	36.56	37.43	42.08	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	10.47	6.53	13.10	8.1	0.00	0.00	0.00	0.00

ईएल + एसएल

च. बीमांकिक धारणा (% में)

विवरण	पेंशन		उपदान		छुट्टी वेतन'*		निपटान	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
बट्टा दर	7.59	6.87	7.49	6.78	7.49	6.78	7.49	6.78
संपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	9.00	9.00	6.78	7.23	0	0	0	0
वेतन वृद्धि*	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
अपघर्षण/वापसी दर	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14

ईएल + एसएल

छ. अन्य प्रकटन

पेंशन

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
अनुभव समायोजन						
दायित्व पर	2,687	1,911	1,266	10,200	2,128	1,365
योजनागत परिसंपत्तियों पर	(1340)	(2,377)	3,277	(701)	(324)	4,571
दायित्व का वर्तमान मूल्य	34,449	33,569	32,501	33,022	26,550	26,722
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	34,697	34,266	29,800	24,751	25,030	25,077
योजनागत परिसंपत्तियों पर दायित्व की अधिकता	(248)	697	(2,700)	(8,271)	(1,520)	(1,645)

उपदान

विवरण	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
अनुभव समायोजन						
दायित्व पर	2,021	(560)	(579)	(831)	(150)	(13)
योजनागत परिसंपत्तियों पर	(207)	(132)	737	245	294	(121)
दायित्व का वर्तमान मूल्य	10,354	8,421	8,108	8,153	5,434	5,560
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9,823	9,632	9,551	4,419	5,318	5,851
योजनागत परिसंपत्तियों पर दायित्व की अधिकता	531	(1,211)	1,443	(3,734)	(116)	290

छुट्टी वेतन

विवरण	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
अनुभव समायोजन						
दायित्व पर	0	0	0	0	0	0
योजनागत परिसंपत्तियों पर	0	0	0	0	0	0
दायित्व का वर्तमान मूल्य	4,294	4,069	4,190	4,219	3,799	3,955
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0	0	0	0	0
योजनागत परिसंपत्तियों पर दायित्व की अधिकता	4,294	4,069	4,190	4,219	3,799	3,955

निपटान

विवरण	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
अनुभव समायोजन						
दायित्व पर	12	(3)	(20)	(14)	(33)	(31)
योजनागत परिसंपत्तियों पर	0	0	0	0	0	0
दायित्व का वर्तमान मूल्य	226	210	196	198	193	208
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0	0	0	0	0
योजनागत परिसंपत्तियों पर दायित्व की अधिकता	226	210	196	198	193	208

**उपदान रिपोर्ट में कर्मचारियों की संख्या में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 25 सक्रिय कर्मचारी शामिल हैं।*

संविदा/अस्थायी कर्मचारियों के लिए उपदान:

क) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	उपदान	
	31.03.2026	31.03.2025
1 अप्रैल 2025 को दायित्व का वर्तमान मूल्य	0	0
ब्याज लागत	0	0
पिछली सेवा की लागत	0	0
वर्तमान सेवा की लागत	29	0
कटौती की लागत / (क्रेडिट)	0	0

विवरण	उपदान	
	31.03.2026	31.03.2025
निपटान की लागत / (क्रेडिट)	0	0
भुगतान किया गया लाभ	0	0
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/(हानि)	0	0
31 मार्च 2026 को दायित्व का वर्तमान मूल्य	29	0

ख) योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	उपदान	
	31.03.2026	31.03.2025
1 अप्रैल 2025 को योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	0	0
दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	0	0
अंशदान	0	0
भुगतान किया गया लाभ	0	0
31 मार्च 2026 को योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
अदत्त राशि	0	0
31 मार्च 2026 को योजनागत परिसंपत्तियों (निवल) का उचित मूल्य	0	0
वास्तविक प्रतिलाभ	0	0

ग) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य और परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का मिलान

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	उपदान	
	31.03.2026	31.03.2025
दायित्व का वर्तमान मूल्य	29	0
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
तुलन-पत्र में दर्शाई गई अनिधिक निवल परिसंपत्ति/(देयता)	(29)	0

घ) लाभ और हानि खाते में दर्शाए गए व्यय

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	उपदान	
	31.03.2026	31.03.2025
वर्तमान सेवा लागत	29	0
ब्याज लागत	0	0
कटौती लागत / (क्रेडिट)	0	0
निपटान लागत / (क्रेडिट)	0	0
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	0	0
इस अवधि में दर्शाया गया निवल बीमांकिक (लाभ)/(हानि)	0	0
लाभ और हानि खाते में दर्शाए गए कुल खच	29	0

ड.) योजनागत परिसंपत्तियां

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	उपदान	
	31.03.2026	31.03.2025
सरकारी प्रतिभूतियां केंद्रीय और राज्य	0	0
उच्च गुणवत्ता वाले निगमीय बांड	0	0
अन्य	0	0

च) बीमांकिक मान्यता

(% में)

विवरण	उपदान	
	31.03.2026	31.03.2025
बट्टा दर	6.02	0
परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	0.00	0
वेतन में बढ़ोत्तरी*	10.00	0
पलायन/ निकासी दर	3.00	0
भारतीय बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु दर	2012-14	0

ज) अन्य प्रकटन

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	2025-26
अनुभव समायोजन	
दायित्व पर	29
योजनागत परिसंपत्तियों पर	0
दायित्व का वर्तमान मूल्य	29
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0
योजनागत परिसंपत्तियों पर दायित्व की अधिकता	29

31. 21 नवंबर 2025 को, भारत सरकार ने मौजूदा श्रम कानूनों को मिलाकर मजदूरी संहिता, 2019', औद्योगिक संबंध संहिता 2020', सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता, 2020 को अधिसूचित किया।

निगम द्वारा प्राप्त कानूनी राय के आधार पर, निगम अपनी मौजूदा कर्मचारी लाभ नीतियों में बदलावों का फिर से आकलन और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया में है; इसने नई श्रम संहिता के तहत अपनी अनुमानित देनदारियों का पता लगा लिया है।

इसके अनुसार, निगम ने 'इंस्टीट्यूट ऑफ सनदी लेखाकार ऑफ इंडिया' द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप एएस 15 – कर्मचारी लाभ के तहत, बीमांकिक मूलयांकन और प्रबंधन के सबसे अच्छे अनुमान के आधार पर कर्मचारियों की पिछली सेवाओं के कारण अतिरिक्त अनुमानित देनदारियों को मान्यता दी है। यह अतिरिक्त अनुमान निश्चित कार्यकाल वाले कर्मचारियों (FTE) के लिए ₹29 लाख है और इसे 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए निगम के एकल वित्तीय परिणामों में दर्शाया गया है। वर्तमान में, नई श्रम संहिता पर केंद्र और राज्य के नियमों को अंतिम रूप दिए जाने का इंतजार है, जिसके आधार पर जरूरत पड़ने पर और कानूनी सलाह लेने के बाद उपरोक्त अनुमानों और मान्यताओं का फिर से आकलन किया जाएगा।

सचिवीय

32. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निगम ने ऐसे कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए हैं। 31 मार्च 2026 तक, निगम की जारी, अभिदत्त, मांगी गई और चुकता पूँजी ₹87,720 लाख है, जिसमें ₹5/- प्रत्येक के 17544 लाख इक्विटी शेयर शामिल हैं और तदनुसार प्रति शेयर आय, प्रति शेयर बही मूल्य और प्रति शेयर लाभांश की गणना की जाती है।

33. सहायक और सहयोगी कंपनियों में निवेश (31 मार्च, 2026 को)

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	मुद्रा	शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	% धारिता	अर्जन लागत
	सहायक कंपनी					
1	जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड	जार	64,71,68,310*	2 जार	100%	60,422
2	जीआईसी री, इंडिया, कॉर्पोरेट मेंबर लिमिटेड	जीबीपी	1	1 जीबीपी	100%	0
3	जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी एलएलसी, मॉस्को	आरयूबी	5	1,272,759,000 आरयूबी	100%	13,827
	कुल सहायक निवेश					74,249
	सहयोगी कंपनी					
1	इंडियन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	आईएनआर	70,000,000	10 आईएनआर	35%	7,000
2	जीआईसी – भूटान रीइंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	एनयू	28,600,000	10 एनयू	26%	2,860
3	इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड	एसजीडी	10,000,000	1 एसजीडी	20%	295
	कुल सहयोगी निवेश					10,155

**76,137,448 शेयरों के बोनस इश्यू के ज़रिए प्रतिधारित आय का पूंजीकरण।*

सहायक और सहयोगी कंपनियों में निवेश (31 मार्च, 2025 को

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	मुद्रा	शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	% धारिता	अर्जन लागत
	सहायक कंपनी					
1	जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड	जार	571,030,862	2 जार	100%	60,422
2	जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड	जीबीपी	1	1 जीबीपी	100%	0
3	जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी एलएलसी, मॉस्को	आरयूबी	1	1,272,759,000 आरयूबी	100%	13,827
	कुल सहायक निवेश					74,249
	सहयोगी कंपनी					
1	इंडियन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	आईएनआर	70,000,000	10 आईएनआर	35%	7,000
2	जीआईसी – भूटान रीइंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	एनयू	28,600,000	10 एनयू	26%	2,860
3	इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड	एसजीडी	10,000,000	1 एसजीडी	20%	295
	कुल सहयोगी निवेश					10,155

34. (i) लेखा मानक – 18 ''संबंधित पक्ष लेनदेन'' के अनुसार संबंधित पक्ष का प्रकटन:

क) सहायक कंपनी:

जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका

जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड, लंदन, यू. के.

जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी एलएलसी

ख) सहयोगी कंपनी:

इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, भारत

जीआईसी – भूटान रीइंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भूटान

लेनदेन की प्रकृति और मात्रा: उपरोक्त (क और ख) के साथ

(ii) एएस–18 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरण दर्शाने वाला विवरण

(क) सहायक कंपनियाँ (राशि ₹ लाख में)

अवधि	जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका		जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड, लंदन, यू.के.		जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी एलएलसी	
	2025–26	2024–25	2025–26	2024–25	2025–26	2024–25
स्वीकृत प्रीमियम	70,697	40,291	1,48,165	1,03,822	11,090	7,317
अर्पण किया गया प्रीमियम	0	0	0	0	0	0
निवल प्रीमियम	70,697	40,291	1,48,165	1,03,822	11,090	7,317
भुगतान किया गया कमीशन	17,991	8,991	62,707	38,655	737	0
वसूला गया कमीशन	0	0	0	0	0	0
निवल कमीशन	17,991	8,991	62,707	38,655	737	0
भुगतान किए गए दावे	23,036	11,752	58,406	53,867	7,595	2,435
वसूले गए दावे	0	0	0	0	0	0
निवल दावे	23,036	11,752	58,406	53,867	7,595	2435
31 मार्च तक शेष (–) जीआईसी द्वारा देय राशि दर्शाता है	9,426	91	75,492	25,046	15,529	12,819

ख सहयोगी कंपनियां (राशि ₹ लाख में)

अवधि	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड		भारत इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड		जीआईसी – भूटान पुनर्बीमा कंपनी लिमिटेड	
	2025–26	2024–25	2025–26	2024–25	2025–26	2024–25
स्वीकृत प्रीमियम	1,73,820	61,295	5,384	5,515	1,037	1,328
अर्पण किया गया प्रीमियम	0	0	838	4,107	0	0
निवल प्रीमियम	1,73,820	61,295	4,546	1,408	1,037	1,328
भुगतान किया गया कमीशन	3,397	2,726	611	330	1	1
वसूला गया	0	0	238	1,142	0	0
निवल कमीशन	3,397	2,726	374	(813)	1	1
भुगतान किए गए दावे	76,332	33,950	21,489	3,260	691	2
वसूले गए दावे	0	0	2,273	1,648	0	0
निवल दावे	76,332	33,950	19,216	1,612	691	2
31 मार्च तक शेष (–) जीआईसी द्वारा देय राशि दर्शाता है	19,932	37,955	(359)	(54)	(568)	0

35. (i) मुख्य प्रबंधन कार्मिक : वित्तीय वर्ष 2025–26

क्र. सं.	पदनाम	नाम
1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी (30.09.2025 तक)	श्री एन. रामस्वामी
2	कार्यपालक निदेशक (01.10.2025 से सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार)	श्री हितेश जोशी

क्र. सं.	पदनाम	नाम
3	कार्यपालक निदेशक और वित्तीय सलाहकार एवं आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख (30.06.2025 तक)	श्रीमती राधिका सी. एस.
4	महाप्रबंधक (22.07.2025 तक) और कार्यपालक निदेशक (23.07.2025 से) और मुख्य जोखिम अधिकारी	श्रीमती जयश्री बालकृष्ण
5	महाप्रबंधक (31.07.2025 तक)	श्री एस के रथ
6	महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्त अधिकारी	श्री वी बालकृष्ण
7	महाप्रबंधक (15.05.2025 से)	श्री राजेश पवार
8	महाप्रबंधक (15.05.2025 से) और मुख्य विपणन अधिकारी	श्री राजेश खडतरे
9	महाप्रबंधक (15.05.2025 से) और मुख्य बीमांकन अधिकारी	श्री संजय मोकाशी
10	महाप्रबंधक (15.05.2025 से) और वित्तीय सलाहकार एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख (08.08.2025) से)	श्रीमती मनाली पतके
11	कंपनी सचिव और मुख्य अनुपालन अधिकारी (30.04.2025 से)	श्री सतीश कुमार
12	उप महाप्रबंधक एवं मुख्य निवेश अधिकारी	श्रीमती राधिका रविशेखर
13	नियुक्त बीमांकिक (गैर–जीवन)	श्री सतीश एन. भट्ट
14	नियुक्त बीमांकिक (जीवन)	श्री सुरेश सिन्धी

(ii) 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सकल वेतन	निगम का पी.एफ	मकान अनुलाभ	ऋण अनुलाभ	वाहन अनुलाभ	एलटीएस अनुलाभ	अन्य अनुलाभ
1	श्री एन. रामस्वामी	मुख्य कार्यपालक अधिकारी (30.09.2025 तक)	28.46	1.29	1.23	0.00	0.00	0.00	1.54
2	श्री हितेश जोशी	कार्यपालक निदेशक (01.10.2025 से सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार)	48.06	2.30	4.51	11.76	3.89	0.00	0.00
3	श्रीमती राधिका सी. एस.	कार्यपालक निदेशक और वित्तीय सलाहकार एवं आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख (30.06.2025 तक)	12.46	0.58	0.00	0.00	0.00	0.99	1.33
4	श्रीमती जयश्री बालकृष्ण	महाप्रबंधक (22.07.2025 तक) और कार्यपालक निदेशक (23.07.2025 से) और मुख्य जोखिम अधिकारी	56.37	2.59	2.56	0.00	3.89	0.00	0.00
5	श्री एस के रथ	महाप्रबंधक (31.07.2025 तक)	28.77	1.19	1.22	0.80	1.19	0.00	4.99
6	श्री वी बालकृष्ण	महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्त अधिकारी	64.37	3.51	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00
7	श्री राजेश पवार	महाप्रबंधक (15.05.2025 से)	48.36	3.49	3.28	0.00	2.59	0.00	0.00
8	श्री राजेश खडतरे	महाप्रबंधक (15.05.2025 से) और मुख्य विपणन अधिकारी	60.52	3.49	3.44	26.66	3.89	0.00	0.00
9	श्री संजय मोकाशी	महाप्रबंधक (15.05.2025 से) और मुख्य बीमांकन अधिकारी	50.11	3.08	6.07	26.22	3.89	0.50	0.00

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सकल वेतन	निगम का पी.एफ	मकान अनुलाभ	ऋण अनुलाभ	वाहन अनुलाभ	एलटीएस अनुलाभ	अन्य अनुलाभ
10	श्रीमती मनाली पतके	महाप्रबंधक (15.05.2025 से) और वित्तीय सलाहकार एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख (08.08.2025) से	57.33	3.08	1.19	0.47	2.59	0.00	0.00
11	श्री सतीश कुमार	कंपनी सचिव और मुख्य अनुपालन अधिकारी (30.04.2025 से)	60.08	2.83	5.67	0.00	3.89	0.00	0.00
12	श्रीमती राधिका रविशेखर	उप महाप्रबंधक एवं मुख्य निवेश अधिकारी	52.10	2.83	0.00	0.00	3.89	0.00	0.00
13	श्री सतीश एन. भट्ट	नियुक्त बीमांकिक (गैर–जीवन)	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	श्री सुरेश सिन्धी	नियुक्त बीमांकिक (जीवन)	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सकल वेतन	निगम का पी.एफ	मकान अनुलाभ	ऋण अनुलाभ	वाहन अनुलाभ	एलटीएस अनुलाभ	अन्य अनुलाभ
1	श्री एन. रामस्वामी	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	41.49	2.52	2.41	0.00	0.00	0.00	1.24
2	श्री हितेश जोशी	महाप्रबंधक (8 जुलाई 2024 तक) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (9 जुलाई 2024 से प्रभावी)	38.43	2.20	2.18	1.51	3.89	0.74	5.58
3	श्रीमती राधिका सी. एस.	कार्यपालक निदेशक (12 जुलाई 2024 से) और वित्तीय सलाहकार एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख (1 अक्टूबर 2024 से)	35.58	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
4	श्री एस के रथ	महाप्रबंधक	37.47	2.18	2.14	1.45	3.89	0.74	1.10
5	श्री वी. बालकृष्ण	महाप्रबंधक, वित्तीय सलाहकार एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख (5 मई 2024 तक) और मुख्य वित्त अधिकारी (1 मई 2024 से)	37.21	2.10	0.00	0.00	3.89	0.00	2.36
6	श्रीमती जयश्री रानडे	महाप्रबंधक और मुख्य वित्त अधिकारी (30 अप्रैल 2024 तक)	26.91	0.19	0.21	0.00	0.00	6.49	5.25
7	श्रीमती जयश्री बालकृष्ण	महाप्रबंधक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी	35.40	2.05	2.01	0.00	3.89	0.00	1.97
8	श्री सचिन्द्र साळ्वी	महा प्रबंधक (31.12.2024 तक), वित्तीय सलाहकार और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख (6 मई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक)	25.67	1.40	1.39	0.00	3.89	1.98	1.78
9	श्री सतीश एन भट्ट	नियुक्त बीमांकिक (गैर जीवन)	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	श्री सुरेश सिंधी	नियुक्त बीमांकिक (जीवन)	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सकल वेतन	निगम का पी.एफ	मकान अनुलाभ	ऋण अनुलाभ	वाहन अनुलाभ	एलटीएस अनुलाभ	अन्य अनुलाभ
11	श्री सुरेश सावलिया	कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी (19 मार्च 2025 तक)	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
12	श्री राजेश खडतरे	उप महाप्रबंधक और मुख्य विपणन अधिकारी	35.76	2.09	2.03	2.73	3.89	0.00	2.67
13	श्री संजय मोकाशी	उप महाप्रबंधक और मुख्य बीमांकन अधिकारी	30.20	1.83	1.80	2.76	3.89	0.50	2.06
14	श्रीमती राधिका रविशेखर	उप महाप्रबंधक और मुख्य निवेश अधिकारी	32.30	1.91	0.00	0.00	3.89	0.50	0.96

36 . एएस–18 के पैरा 9 के अनुसार, राज्य–नियंत्रित उद्यमों के वित्तीय विवरणों में अन्य राज्य–नियंत्रित उद्यमों के साथ संबंधित पक्ष संबंधों और ऐसे उद्यमों के साथ लेनदेन के संबंध में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

37 . लाभांश

(क) वर्ष 2025–26 के लिए प्रस्तावित लाभांश

निगम के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ₹13.25 प्रति इक्विटी शेयर (₹5/– प्रत्येक के अंकित मूल्य पर) की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इससे पहले चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, निगम ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए ₹10 प्रति इक्विटी शेयर (₹5/– प्रत्येक के अंकित मूल्य पर) का अंतिम लाभांश दिया था।

(ख) दावा न किया गया लाभांश

इस वर्ष निगम ने वित्त वर्ष 2017–18 की बिना दावे वाली लाभांश राशि के लिए निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को लगभग ₹15.77 लाख (पिछले साल ₹ शून्य) अंतरित किए हैं।

38 . वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान निगम द्वारा ₹6,256 लाख (पिछले वर्ष ₹0.6) का जुर्माना अदा किया गया/देय है।

क्र सं	प्राधिकरण	अपालन / उल्लंघन	लगाया गया जुर्माना	अदा किया गया जुर्माना	माफ/कम किया गया जुर्माना
1	भारतीय बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण (IRDAI)		0	0	0
2	आयकर प्राधिकरण		0	0	0
3	जीएसटी प्राधिकरण		0	0	0
4	कोई अन्य प्राधिकरण		0	0	0
5	प्रवर्तन निदेशालय/ न्यायनिर्णयन प्राधिकरण/ अधिककरण या फेमा के तहत कोई अन्य प्राधिकरण		0	0	0
6	कंपनी रजिस्ट्रार /एनसीएलटी/सीएलबी/ निगमीय मामलों का विभाग या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कोई भी प्राधिकरण		0	0	0
7	किसी भी मामले (जिसमें दावा निटपान शामिल है, लेकिन मुआवज़ा शामिल नहीं है) के लिए किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा लगाया गया जुर्माना		0	0	0
8	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	जून 2025, सितंबर 2025, दिसंबर 2025 और मार्च 2026 को समाप्त होने वाली तिमाहियों के दौरान, बोर्ड के गठन से संबंधित सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 17(1) का पालन न करने पर बीएसई और एनएसई लिमिटेड द्वारा लगाया गया जुर्माना।	37**	0	0

क्र सं	प्राधिकरण	अपालन / उल्लंघन	लगाया गया जुर्माना	अदा किया गया जुर्माना	माफ/कम किया गया जुर्माना
9	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग		0	0	0
10	कोई अन्य केंद्रीय/राज्य/स्थानीय सरकार / वैधानिक प्राधिकरण (विवरण दें)	1. 24 जून 2025 को, दुबई शाखा को एफटीए वैट निर्धारण और जुर्माने की अधिसूचना (संदर्भ सं. 600/2025/t/m/a) मिली। इसमें 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए दाखिल किए गए वैट रिटर्न में पाई गई गड़बड़ियों के कारण अएऊ 25,966,807.36 का प्रशासनिक जुर्माना लगाया गया था। 2. 28 जनवरी 2026 को, एफटीए ईमाराटैक्स पोर्टल के ज़रिए निगमीय कर पंजीकरण में देरी के लिए AED 10,000 का जुर्माना लगाया गया।	6,219	0	0

*जुर्माने में किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए यौगिक प्रभार शामिल हैं।

**नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड, दोनों ने ₹18.25 लाख (जीएसटी को छोड़कर) का कुल जुर्माना लगाया।

निगमीय खाते

39 . जारी किए गए लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय (ईपीएस):

	2025-26	2024-25
कर पश्चात लाभ	₹8,39,218 लाख	₹ 6,70,136 लाख
इक्विटी शेयरों की संख्या	17,544 लाख	17,544 लाख
शेयर का अंकित मूल्य	₹5/-	₹5/-
मूल और तनुकृत (डॉयल्यूटेड) प्रति शेयर आय	₹47.84	₹38.20

प्रति शेयर मूल आय की गणना, इक्विटी शेयरधारकों को देय वर्ष के कर-पश्चात लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना के प्रयोजनार्थ, इक्विटी शेयरधारकों को देय वर्ष के कर-पश्चात लाभ या हानि और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को, सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों के संपरिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

संभावित इक्विटी शेयरों को तनुकृत (डॉयल्यूटेड) तभी माना जाता है जब इक्विटी शेयरों में उनके संपरिवर्तन से सामान्य परिचालन जारी रखने से प्रति शेयर निवल लाभ में कमी आए। संभावित तनुकृत इक्विटी शेयरों को अवधि की शुरुआत में ही संपरिवर्तित माना जाता है, जब तक कि उन्हें बाद में जारी न किया गया हो। तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों को उस प्राप्य राशि के लिए समायोजित किया जाता है जो शेयरों को वास्तव में उचित मूल्य पर जारी किए जाने पर प्राप्त होती। तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों का निर्धारण प्रत्येक प्रस्तुत अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से किया जाता है।

40. निगम के कार्यालय परिसर और गोदाम परिचालन पट्टे पर प्राप्त हैं और आपसी सहमति से नवीकृत/रद्द किए जा सकते हैं। पट्टा समझौतों द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। पट्टे की शर्तें वैयक्तिक समझौतों पर आधारित हैं। महत्वपूर्ण पट्टा समझौते परिसर के परिचालन पट्टे के संबंध में हैं। परिचालन पट्टे के तहत कुल ₹404 लाख (पिछले वर्ष ₹399 लाख) का भुगतान 31 मार्च 2026 से 12 महीने से कम समय में किए जाने की उम्मीद है।

पट्टे से संबंधित एएस-19 के अनुसार, जीआईसी री से कोई प्रकटन करना अपेक्षित नहीं है।

41. कराधान

लेखा मानक - 22 ''आय पर कर के लिए लेखांकन'' के अनुसार प्रकटन:

(क) इस बात की उचित निश्चितता हो जाने पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को दर्शाया जाता है कि उनकी वसूली हो जाएगी और प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर उनके संबंधित वहन मूल्यों की उपयुक्तता के लिए उनकी समीक्षा की जाती है।

निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों का विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	31.03.2026 को आस्थगित कर		31.03.2025 को आस्थगित कर	
	परिसंपत्तियां	देयताएं	परिसंपत्तियां	देयताएं
बहियों के अनुसार अवलिखित मूल्य और आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अवलिखित मूल्य में अंतर की दृष्टि से समय का अंतर		1,350		1,144
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	1,154		2,870	
धारा 40 र (ळर) के अंतर्गत अस्वीकृतियां	66		17	
विदेशी शाखाएँ	1,131			4
संदिग्ध निवेशों के लिए प्रावधान	41,958		24,855	
आपदा आरक्षित निधि	61,340		42,735	
कुल	**105,650**	**1,350**	**70,477**	**1,148**
निवल आस्थगित कर	1,04,300		69,329	

वर्ष के दौरान, निगम ने ₹166,712 लाख के संदिग्ध निवेशों के प्रावधान के विरुद्ध ₹41,958 लाख की ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को दर्शाया है, जहाँ निगम को हानि की वसूल और कर लाभ के प्रवाह की निश्चितता की उम्मीद है। इसके अलावा, ₹2,43,724 लाख के आपदा आरक्षित निधि के विरुद्ध ₹61,340 लाख की आस्थगित कर परिसंपत्ति को भी हिसाब में लिया गया है।

(ख) कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 घरेलू कंपनियों को कम कर दर का विकल्प प्रदान करता है, बशर्ते वे कुछ कटौतियों का दावा न करें और न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) के अनुसार कर की गणना न करें।

निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 में कम दर का विकल्प चुना है। तदनुसार, निगम ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और बारह महीनों के लिए इन एकल वित्तीय परिणामों में कर और आस्थगित कर के प्रावधान की गणना के उद्देश्य से समान दर पर विचार किया है।

42. वर्ष के दौरान, निगम ने अपनी अचल परिसंपत्तियों की क्षति (इम्पेयरमेंट) की समीक्षा की है। संबंधित कंपनियों के प्रबंधन की राय में, क्षति-हानि के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

43. निगम ने इस वर्ष सकल ब्लॉक और संचित मूल्यह्रास से जुड़े सैप परिसंपत्ति लेखांकन और सैप प्रधान खाता-बही (GL) के बीच लंबे समय से चले आ रहे अंतर को ठीक करने के लिए एक बार सुधार की प्रक्रिया की।

इस प्रक्रिया के दौरान, यह पता चला कि भवन श्रेणी में आने वाली परिसंपत्तियों के लिए पिछले वर्षों में अतिरिक्त मूल्यह्रास लगाया गया था। इसलिए, ₹728 लाख के ऐसे अतिरिक्त मूल्यह्रास के प्रतिवर्तन को चालू वर्ष में दर्शाया गया है।

44. राजस्व लेखों में परिचालन व्यय के प्रभाजन का आधार महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 8 में दिया गया है।

45. आकस्मिक देयताएँ:

(क) आंशिक रूप से चुकता निवेश ₹292 लाख (पिछले वर्ष ₹1,949 लाख)

(ख) बकाया बीमांकन प्रतिबद्धताएँ ₹ शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

(ग) ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे, पॉलिसियों के अंतर्गत दावों के अलावा, ₹62 लाख (पिछले वर्ष ₹62 लाख)

(घ) निगम द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटी/साखपत्र ₹1,50,923 लाख (पिछले वर्ष ₹1,47,163 लाख)

निगम ने विभिन्न समझौतों के अंतर्गत विभिन्न व्यावसायिक साझेदारों को बकाया हानियों, अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व, देय शेष आदि के लिए बैंकों में सावधि जमा के रूप में 100% मार्जिन के विरुद्ध ₹5,55,505 लाख (पिछले वर्ष ₹6,89,432 लाख) का साख पत्र/बैंक गारंटी प्रदान की है। वर्ष के दौरान, निगम ने अपनी बहियों में साख पत्र/बैंक गारंटी के संबंध में ₹1,23,542 लाख (पिछले वर्ष ₹5,42,269 लाख) की सभी देनदारियों का प्रावधान किया है, इसलिए इस राशि को आकस्मिक देनदारियों के रूप में नहीं दिखाया गया है।

ड.) विवादित सांविधिक मांग/देयताएँ – विवादित आयकर मांगें, जिनका प्रावधान नहीं है ₹26,16,640 लाख (पिछले वर्ष ₹25,08,519 लाख)।

1. वर्षवार विवरण निम्नानुसार है: **31.03.2026**

(राशि ₹ लाख में)

निर्धारण वर्ष	आकस्मिक देयता	धारा 220(2) के तहत ब्याज	अधिनियम की धारा 220(2) के तहत ब्याज सहित आकस्मिक देयता
2002–03	6,944	17,567	24,511
2003–04	7,573	19,160	26,733
2004–05	18,790	47,540	66,330
2005–06	18,500	42,919	61,419
2006–07	26,694	57,659	84,353
2007–08	31,268	60,972	92,240
2008–09	31,498	57,641	89,138
2009–10	18,098	30,948	49,046
2011–12	24,105	31,578	55,683
2013–14	78	0	78
2015–16	54,955	29,726	84,681
2016–17	1,00,359	49,944	1,50,302
2017–18	3,60,487	2,32,419	5,92,906
2018–19	3,34,222	1,20,277	4,54,499
2020–21	4,63,380	86,178	5,49,558
2021–22	63,079	9,987	73,066
2022–23	1,18,818	8,231	1,27,049
2023–24	35,048	0	35,048
कुल	**17,13,896**	**9,02,744**	**26,16,640**

*कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 और कर–निर्धारण वर्ष 2014–15 के लिए आयकर विभाग की ओर से उच्च न्यायालय में दायर अपील से जुड़ी आकस्मिक देनदारियां नहीं दिख रही हैं, क्योंकि बंबई उच्च न्यायालय के नियमों के नियम 986 के तहत उन्हें खारिज कर दिया गया है।

हालाँकि, उपरोक्त तालिका में उन आधारों की माँगें शामिल हैं जहाँ निगम को सीआईटी या अपीलीय न्यायाधिकरण से अनुकूल आदेश प्राप्त हुए हैं। इनका विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ लाख में)

वर्ष	कवर किए गए मामलों में शामिल राशि	धारा 220(2) के तहत ब्याज	ब्याज सहित
2002–03	6,944	17,567	24,511
2003–04	7,573	19,160	26,733
2004–05	18,790	47,540	66,330
2005–06	18,500	42,919	61,419
2006–07	26,694	57,659	84,353
2007–08	31,268	60,972	92,240
2008–09	31,498	57,641	89,138

वर्ष	कवर किए गए मामलों में शामिल राशि	धारा 220(2) के तहत ब्याज	ब्याज सहित
2009–10	18,098	30,948	49,046
2011–12	23,979	31,469	55,447
2015–16	54,900	29,679	84,579
2016–17	98,748	48,575	1,47,323
2017–18	3,59,179	2,31,346	5,90,525
2018–19	3,32,261	1,19,258	4,51,519
2020–21	4,48,125	81,906	5,30,031
2021–22	60,266	9,284	69,550
2022–23	1,18,203	8,169	1,26,372
2023–24	12,989	0	12,989
कुल	**16,68,014**	**8,94,092**	**25,62,106**

वर्षवार विवरण निम्नानुसार है: 31.03.2025

(राशि ₹ लाख में)

वर्ष	आकस्मिक देयता	धारा 220(2) के तहत ब्याज	अधिनियम की धारा 220 (2) के तहत ब्याज सहित आकस्मिक देयता
2002–03	6,944	16,734	23,678
2003–04	7,573	18,251	25,824
2004–05	18,790	45,285	64,075
2005–06	18,500	40,699	59,199
2006–07	26,694	54,456	81,150
2007–08	31,268	57,220	88,488
2008–09	31,498	53,861	85,358
2009–10	18,098	28,776	46,874
2010–11	29,040	42,688	71,728
2011–12	24,105	28,572	52,677
2013–14	78	0	78
2014–15	735	0	735
2015–16	54,955	24,933	79,889
2016–17	1,00,359	43,253	1,43,611
2017–18	3,60,487	1,98,208	5,58,694
2018–19	3,34,222	92,522	4,26,743
2020–21	4,63,380	49,244	5,12,624
2021–22	63,079	5,194	68,274
2022–23	1,18,818	0	1,18,818
कुल	**17,08,622**	**7,99,896**	**25,08,519**

हालाँकि, उपरोक्त तालिका में उन आधारों की माँगें शामिल हैं जहाँ निगम को सीआईटी या अपीलीय न्यायाधिकरण से अनुकूल आदेश प्राप्त हुए हैं। इनका विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ लाख में)

निर्धारण वर्ष	कवर किए गए मामलों में शामिल राशि	धारा 220(2) के तहत ब्याज	कुल
2002–03	6,944	16,734	23,678
2003–04	7,573	18,251	25,824
2004–05	18,790	45,285	64,075
2005–06	18,500	40,699	59,199
2006–07	26,694	54,456	81,150
2007–08	31,268	57,220	88,488
2008–09	31,498	53,861	85,358
2009–10	18,098	28,776	46,874
2010–11	29,040	42,688	71,728
2011–12	23,979	28,478	52,457
2014–15	735	0	735
2015–16	54,900	24,933	79,833
2016–17	98,748	43,253	1,42,001
2017–18	3,59,179	1,97,292	5,56,471
2018–19	3,32,261	91,738	4,23,999
2020–21	4,48,125	46,804	4,94,929
2021–22	60,266	4,829	65,095
2022–23	1,18,203	0	1,18,203
कुल	**16,84,800**	**7,95,296**	**24,80,096**

(च) निगम को चालू वर्ष के दौरान जीएसटी प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न कारण बताओ नोटिस (एससीएन) प्राप्त हुए हैं, जिनकी राशि ₹30,602 लाख (पिछले वर्ष ₹28,041 लाख) है और सेवा कर प्राधिकारियों द्वारा जारी 50,880 लाख (पिछले वर्ष 47,629 लाख) है और निगम प्राधिकारियों के साथ इस पर वाद–विवाद कर रहा है।

वर्षवार विवरण इस प्रकार है: 31.03.2026

वस्तु और सेवा कर: (राशि ₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	सेवा कर/एससीएन में मांगा गया ब्याज	अनुमानित आधार पर मार्च 2026 तक का ब्याज	कुल देयता + अनुमानित ब्याज
2017–18	2,181	2,531	4,712
2020–21	12,593	13,296	25,889
कुल	**14,774**	**15,827**	**30,602**

सेवा कर:

वित्तीय वर्ष	सेवा कर/एससीएन में मांगा गया ब्याज	अनुमानित आधार पर मार्च 2026 तक का ब्याज	कुल देयता + अनुमानित ब्याज
2014–15 से 2016–17	992	0	992
2014–15 से 2016–17	451	861	1,312
2014–15 से 20 17–18 की पहली तिमाही	2,406	4,752	7,158
2015–16 से 2017–18 की पहली तिमाही	359	541	900

वित्तीय वर्ष	सेवा कर/एससीएन में मांगा गया ब्याज	अनुमानित आधार पर मार्च 2026 तक का ब्याज	कुल देयता + अनुमानित ब्याज
2015–16 से 2017–18 की पहली तिमाही	15,042	25,476	40,518
कुल	**19,250**	**31,630**	**50,880**

**आयकर अधिनियम 2025 में धारा 130 के एकबारगी पूर्वव्यापी संशोधन के तहत हाल ही में लागू किए गए डब्ल्यूबीसीआईएस/एमएनएआईएस (फसल बीमा योजना) से संबंधित मामलों को सेवा कर से छूट प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष**	सेवा कर / एससीएन में मांगा गया ब्याज	अनुमानित आधार पर मार्च 2026 तक का ब्याज	कुल देयता + अनुमानित ब्याज
2011–12 से 2015–16	38,796	77,040	1,15,836
अक्टूबर 2016 से पहली तिमाही 2017–18	1,70,454	2,36,384	4,06,837
कुल	**2,09,249**	**3,13,424**	**5,22,673**

वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

31.03.2025

वस्तु और सेवा कर:

(राशि ₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	सेवा कर/एससीएन में मांगा गया ब्याज	अनुमानित आधार पर मार्च 2025 तक का ब्याज	कुल देयता + अनुमानित ब्याज
2017–18	2,182	2,237	4,419
2020–21	12,593	11,029	23,622
कुल	**14,775**	**13,266**	**28,041**

सेवा कर:

वित्तीय वर्ष	सेवा कर/एससीएन में मांगा गया ब्याज	अनुमानित आधार पर मार्च 2025 तक का ब्याज	कुल देयता + अनुमानित ब्याज
2014–15 से 2016–17	992	0	992
2014–15 से 2016–17	451	780	1,231
2014–15 से 2017–18 की पहली तिमाही	2,406	4,319	6,725
2015–16 से 2017–18 की पहली तिमाही	359	487	846
2015–16 से 2017–18 की पहली तिमाही	15,042	22,793	37,835
कुल योग	**19,250**	**28,379**	**47,629**

**आयकर अधिनियम 2025 में धारा 130 के एकबारगी पूर्वव्यापी संशोधन के तहत हाल ही में लागू किए गए डब्ल्यूबीसीआईएस/एमएनएआईएस (फसल बीमा योजना) से संबंधित मामलों को सेवा कर से छूट प्रदान की गई है।

इसलिए, नीचे उल्लिखित मामलों को आकस्मिक देयता नहीं माना गया है।

वित्तीय वर्ष**	सेवा कर/एससीएन में मांगा गया ब्याज	अनुमानित आधार पर मार्च 2025 तक का ब्याज	कुल देयता + अनुमानित ब्याज
2011–12 से 2015–16	38,796	71,221	1,10,016
अक्टूबर 2016 से 2017–18 की पहली तिमाही	1,70,454	2,10,816	3,81,269
कुल	**2,09,249**	**2,82,037**	**4,91,286**

(छ) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.2 के मद्देनजर, खातों में प्रावधान न किए गए सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व शून्य (पिछले वर्ष शून्य)।

(ज) उपरोक्त मामलों के अलावा, जीआईसी के पास विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में 174 कानूनी मामले लंबित हैं, जिनमें से 22 कानूनी मामलों में जीआईसी री की आकस्मिक देयता है और आकस्मिक देयता राशि ₹15,857 लाख (पिछले वर्ष ₹603 लाख) तक अनुमानित है और शेष मामलों का वित्तीय प्रभाव नगण्य है।

46. विदेशी शाखाओं का कार्य-प्रदर्शन:

चालू वर्ष: 2025-26 (राशि ₹ लाख में)

विवरण	दुबई	मलेशिया	लंदन
सकल प्रीमियम	5,226	1,31,910	2,05,263
निवल प्रीमियम	5,226	1,31,910	64,982
अर्जित प्रीमियम	6,752	1,23,058	72,950
उपगत दावे	3,589	1,13,835	94,226
निवल कमीशन	2,260	36,084	16,420
प्रबंधन व्यय	7,232	842	2,114
विनिमय पर लाभ/(हानि)	1,448	(17,350)	(4,111)
बीमांकन लाभ/(हानि)	(4,881)	(45,053)	(43,921)
राजस्व खाते में निवल निवेश आय	4,134	13,500	17,335
राजस्व लाभ/(हानि)	(747)	(31,553)	(26,587)

पिछला वर्ष: 2024-25 (राशि ₹ लाख में)

विवरण	दुबई	मलेशिया	लंदन
सकल प्रीमियम	8,215	1,14,644	1,67,716
निवल प्रीमियम	8,212	1,14,644	79,341
अर्जित प्रीमियम	12,165	1,09,265	72,470
उपगत दावे	(6,556)	98,463	67,713
निवल कमीशन	3,260	30,071	15,926
प्रबंधन व्यय	1,007	793	1,620
विनिमय पर लाभ/(हानि)	(37)	(8,913)	(9,273)
बीमांकन लाभ/(हानि)	14,416	(28,975)	(22,062)
राजस्व खाते में निवल निवेश आय	5,200	12,363	18,534
राजस्व लाभ/(हानि)	19,615	(16,612)	(3,529)

सामान्य

47. आम तौर पर निगम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अनुसार 45 दिनों की अवधि के भीतर अपने लेनदारों को भुगतान करता है। निगम ने उपर्युक्त अधिनियम में परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की पहचान की है। निगम ने न तो ब्याज के लिए कोई दावा प्राप्त किया है और न ही उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय कोई ब्याज प्रदान किया है।

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026	31.03.2025
1	एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देय मूलधन राशि, जो वर्ष के अंत तक अप्रदत्त रही	0	0
2	एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देय ब्याज, जो वर्ष के अंत तक अप्रदत्त रही	0	0
3	एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद भुगतान की गई मूलधन राशि	0	0
4	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अलावा, एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद भुगतान किया गया ब्याज	0	0
5	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत, एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद भुगतान किया गया ब्याज	0	0
6	एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को पहले से किए गए भुगतानों के लिए देय ब्याज	0	0
7	पिछले वर्षों के लिए देय और बकाया अतिरिक्त ब्याज	0	0

48. निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

निमगीय सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, भारतीय साधारण बीमा निगम को वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निमगीय सामाजिक उत्तरदायित्व पर 13,578 लाख रुपये खर्च करने थे। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, ₹6,928 लाख की राशि खर्च की जा चुकी है। परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 31.03.2026 को कुल खर्च न की गई राशि ₹6,650 लाख है, जो चल रही परियोजनाओं से संबंधित है। इस खर्च न की गई राशि को अगले तीन वित्तीय वर्षों में उपयोग के लिए एक अलग बैंक खाते में अंतरित कर दिया गया है।

वित्त वर्ष 2025–26 में शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

(क) वित्त वर्ष 2025–26 में कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि – ₹13,578 लाख

(ख) वित्त वर्ष 2025–26 में खर्च करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि – ₹13,578 लाख

(ग) वित्त वर्ष 2025–26 में 31.03.2025 तक खर्च की गई राशि: ₹6,928 लाख

बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वंचितों की आजीविका और पर्यावरण स्थिरता से संबंधित परियोजनाओं के लिए सीएसआर निधियों का आवंटन और वितरण किया गया है।

क्र. सं.	एनजीओ का नाम	राशि (₹ लाख में)
(i)	**किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण**	**0**
(ii)	**उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए**	**6,928**
1	समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड	567
2	होसाबेलाकु सेवा ट्रस्ट	292
3	आईआईटी मंडी	250
4	भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)	424
5	राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ)	1,738
6	टाटा मेमोरियल सेंटर– एसीटीआरईसी	608
7	आरोह फाउंडेशन	635
8	श्री पीतांबरा शिक्षा समिति	295
9	प्रवाह	267
10	ह्यूमन ऑर्गनाइज़ेशन फॉर पैट्रोनाइज़ेशन ऑफ़ एनवायरनमेंट (होप)	125

क्र. सं.	एनजीओ का नाम	राशि (₹ लाख में)
11	एंड पॉवर्टी	475
12	जैन मेडिकल डायलिसिस सेंटर	73
13	कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन (सीपीएए)	48
14	जनमित्रम्	570
15	ग्राम कल्याण समिति	121
16	बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	47
17	सुहित जीवन ट्रस्ट	86
18	पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल (पीएसआई), भारत	200
19	जीआरएमडी फाउंडेशन	47
20	मंथन संस्थान	54
21	एसआर एशिया	6
	कुल	**6,928**

(घ) सम्बद्ध पक्ष लेनदेन से संबंधित विवरण, जैसे लेखांकन मानक (एएस) 18, सम्बद्ध पक्ष लेनदेन प्रकटन के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित किसी ट्रस्ट/सोसायटी/धारा 8 के अंतर्गत आने वाली कंपनी को अंशदान। उपरोक्त (ii) के समान।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) और 135(6) की प्रयोज्यता

धारा 135(6) के मामले में चालू परियोजना से संबंधित खर्च न की गई राशि के मामले में

आरंभिक शेष (₹ लाख)		वित्तीय वर्ष 23-24 में खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित राशि (₹ लाख)	वित्तीय वर्ष 23-24 में खर्च की गई राशि (₹ लाख)		वित्तीय वर्ष 24-25 में खर्च की गई राशि (₹ लाख)		वित्तीय वर्ष 25-25 में खर्च की गई राशि (₹ लाख)		अंतिम शेष (₹ लाख)	
कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाता वित्तीय वर्ष 22-23 में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में
0	621	621	0	488	0	126	0	7	0	0

*वित्त वर्ष 22-23 का अलग सीएसआर अव्ययित खाता वित्त वर्ष 25-26 में बंद कर दिया गया और उस रकम को 'स्वच्छ भारत कोष' में अंतरित कर दिया गया।

धारा 135(6) के मामले में चालू परियोजना से संबंधित खर्च न की गई राशि के मामले में

आरंभिक शेष (₹ लाख)		वित्तीय वर्ष 24-25 में खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित राशि (₹ लाख)	वित्तीय वर्ष 24-25 में खर्च की गई राशि (₹ लाख)		वित्तीय वर्ष 25-26 में खर्च की गई राशि (₹ लाख)		अंतिम शेष (₹ लाख)	
कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाता वित्तीय वर्ष 23-24 में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में
0	6,378	6,378	0	3,733	0	717	0	1,928

धारा 135(6) के मामले में चालू परियोजना से संबंधित खर्च न की गई राशि के मामले में

आरंभिक शेष (₹ लाख)		वित्तीय वर्ष 25-26 में खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित राशि (₹ लाख)	वित्तीय वर्ष 25-26 में खर्च की गई राशि (₹ लाख)		अंतिम शेष (₹ लाख)	
कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाता वित्तीय वर्ष 24-25 में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में
0	5,214	5,214	0	3,745	0	1,469

ड.) राशि के ऐसे अंतरण की तिथि से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर उपयोग की जाने वाली वित्त वर्ष 2023-24 की चालू परियोजनाओं से संबंधित खर्च न की गई राशि का विवरण

क्र. सं.	एनजीओ/संगठन का नाम	31.03.2026 को शेष (₹ लाख में)
1	एलिम्को	183
2	स्वामी विवेकानद यूथ मूवमेंट(एसवीवाईएम)	21
3	आस्था सेवा संस्थान	4
4	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)	370
5	टाटा एसीटीआरईसी	45
6	विशेष ओलंपिक भारत	73
7	वीएसटीएफ	1,007
8	अभिव्यक्ति फाउंडेशन	217
9	इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन	8
	कुल	**1,928**

(च) राशि के ऐसे अंतरण की तिथि से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर उपयोग की जाने वाली वित्त वर्ष 2024-25 की चालू परियोजनाओं से संबंधित खर्च न की गई राशि का विवरण:

क्र. सं.	एनजीओ/संगठन का नाम	31.03.2025 को शेष (₹ लाख में)
1	बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी	44
2	रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन	1
3	वीएमएम फाउंडेशन	5
4	ह्यूमन अपलिफ्ट ट्रस्ट	41
5	ग्रामिका इंडिया	14
6	एनोबल सोशल इनोवेशन फाउंडेशन	396
7	एस्टाह सोसाइटी	7
8	सुचेता कृपलानी शिक्षा निकेतन सोसाइटी (एसकेएसएन)	22
9	कैंसर के उपचार, अनुसंधान और शिक्षा हेतु उन्नत केंद्र – एसीटीआरईसी	505
10	एकीकृत ग्रामीण विकास संसथान- आईआईआरडी	166
11	जैविक कृषि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सक्षमता केंद्र (आईसीसीओए)	67
12	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाणी एवं श्रवण विकलांगता संस्थान (दिव्यांगजन)	97

क्र. सं.	एनजीओ/संगठन का नाम	31.03.2025 को शेष (₹ लाख में)
13	फाइन आर्ट्स सोसाइटी	65
14	एमबीए फाउंडेशन	16
15	अगस्त्य फाउंडेशन	23
	कुल	**1,469**

(छ) राशि के ऐसे अंतरण की तिथि से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर उपयोग की जाने वाली वित्त वर्ष 2025-26 की चालू परियोजनाओं से संबंधित खर्च न की गई राशि का विवरण:

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यान्वयन एजेंसी	31.03.2026 को खर्च न की गई सीएसआर राशि
1	समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड	567
2	होसाबेलकु सेवा ट्रस्ट	292
3	आईआईटी मंडी	750
4	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)	576
5	टाटा मेमोरियल सेंटर- एसीटीआरईसी	608
6	आरोह फाउंडेशन	635
7	श्री पीतांबरा शिक्षा समिति	98
8	प्रवाह	267
9	ह्यूमन ऑर्गनाइज़ेशन फॉर पैट्रोनाइज़ेशन ऑफ़ एनवायरनमेंट (होप)	125
10	एंड पॉवर्टी	475
11	जैन मेडिकल डायलिसिस सेंटर	73
12	कैंसर पेशेंट्स एड्स एसोसिएशन (सीपीएए)	2
13	जनमित्रम	570
14	ग्राम कल्याण सोसाइटी	121
15	बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	52
16	सुहित जीवन ट्रस्ट	257
17	पॉपुलेशन सर्विसेज़ इंटरनेशनल (पीएसआई), इंडिया	601
18	जीआरएमडी फाउंडेशन	142
19	मंथन संस्थान	162
20	सीनियर एशिया	6
21	इंटीग्रेटेड इंस्टिट्यूट फॉर डिसेबल्ड	54
22	नारायण ठाकुरसिंह राठौड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट (एनटीआर)	192
23	इंडिया विज़न इंस्टिट्यूट	25
	कुल	**6,650**

49. अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (आईएएसबी) ने बीमा अनुबंधों के लिए नए मानक के रूप में आईएफआरएस 17 को अधिसूचित किया है। यह मानक अब यूके, यूरोपीय देशों, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका आदि सहित कई देशों में लागू किया जा रहा है। भारत में अनुरूपी मानक इंड एस 117 बीमा क्षेत्र के विकास के लिए प्रक्रिया में है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने 14 जुलाई 2022 के अपने पत्र के ज़रिए सभी बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं को इंड एएस (खपव अड) लागू करने की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया था, जिसमें एक संचालन समिति बनाना भी शामिल था। इसी के तहत, जीआईसी री ने इंड एएस को आसानी से लागू करने की देखरेख और उसे सुनिश्चित करने के लिए एक संचालन समिति और एक विशिष्ट कार्य समूह बनाया है। इसके बाद, आईआरडीएआई ने

30 मार्च 2026 की अपनी अधिसूचना (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ता के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) (संशोधन) विनियम, 2026) के ज़रिए 1 अप्रैल 2026 से इंड एएस को अपनाना अनिवार्य कर दिया, साथ ही दो वर्ष की अवधि के लिए इंड एएस और आईजीएएपी के तहत समानांतर रिपोर्टिंग की भी शर्त रखी।

प्रणाली की तैयारी और लागू करने की स्थिति को देखते हुए, जीआईसी री ने 30 मार्च 2026 की ऊपर बताई गई अधिसूचना के विनियम 6अ के तहत छूट (forbearance) के लिए आवेदन किया है और लागू करने की समय-सीमा को 1 अप्रैल 2027 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। संचालन समिति की विस्तृत समीक्षा और परियोजना के ज्ञान भागीदार और कार्यान्वयन भागीदार से मिली पुष्टि के आधार पर, निगम को भरोसा है कि इंड एस कार्यान्वयन परियोजना योजना के अनुसार चल रही है और विनियामक से मांगी गई छूट की अवधि के भीतर, 1 अप्रैल 2027 तक सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।

50. तुलन-पत्र की तिथि के बाद कंपनी (शाखाओं सहित) की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं। (पिछले वर्ष शून्य)

51. जीआईसी री दुबई शाखा जुलाई 2021 से रन-ऑफ परिचालन में है और वर्तमान में रन-ऑफ से पहले के वर्षों में बीमांकन की गई संविदाओं के लेखांकन और दावों का निपटान कर रही है। दुबई शाखा द्वारा पहले बीमांकन किया गया व्यवसाय अब भारत में गिफ्ट सिटी शाखा द्वारा संभाला जा रहा है। दुबई शाखा के ओपन बैलेंस को गिफ्ट सिटी शाखा में स्थानांतरित करने और अंततः दुबई शाखा के पंजीकरण को रद्द करने के लिए यूएई विनियामक के पास आवेदन दायर किया गया है और इस संबंध में पत्राचार जारी है।

52. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, मेसर्स एएम बेस्ट द्वारा वित्तीय सुदृढ़ता रेटिंग (एफएसआर) के लिए प्रदान की गई रेटिंग 'ए- (उत्कृष्ट)' और दीर्घकालिक जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग (आईसीआर) 'ए- (उत्कृष्ट)' है, जिसमें एफएसआर और दीर्घकालिक आईसीआर के लिए 'स्थिर' दृष्टिकोण है। वित्त वर्ष 2024-25 में, मेसर्स एएम बेस्ट द्वारा दी गई रेटिंग में वित्तीय सुदृढ़ता रेटिंग (एफएसआर) 'अ- (उत्कृष्ट)' और दीर्घावधि निर्गमकर्ता क्रेडिट रेटिंग (आईसीआर) 'र-(उत्कृष्ट)' थी, जिसमें वित्तीय सुदृढ़ता रेटिंग और दीर्घावधि निर्गमकर्ता क्रेडिट रेटिंग के लिए आउटलुक 'स्थिर' था।

53. भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त एवं निवेश कार्य) विनियम, 2024 के अनुसार, निगम को एएस-3 ''नकदी प्रवाह विवरण'' में निर्धारित प्रत्यक्ष विधि के अनुसार प्राप्तियां एवं भुगतान खाते तैयार करने होंगे। निगम ने इसका अनुपालन किया है।

54. 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए नकद और नकद समतुल्य राशियाँ, प्राप्तियां एवं भुगतान खाते/नकदी प्रवाह विवरण में उल्लिखित हैं, जिनमें 3 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली ₹15,22,411 लाख की सावधि जमाएँ और साख पत्र के लिए मार्जिन के अंतर्गत जमा राशियाँ, लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणों की तारीख को ₹5,57,818 लाख शामिल हैं। 31 मार्च 2025 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए नकद और नकद समतुल्य राशि में 3 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली ₹10,62,874 लाख की सावधि जमाएँ और साख पत्र के लिए मार्जिन के अंतर्गत जमा राशियाँ, ₹6,93,643 लाख शामिल हैं। नकदी प्रवाह के लिए नकद और नकद समतुल्य राशियों की गणना हेतु इन्हें शामिल नहीं किया गया है।

55. पिछली अवधि/वर्ष के आँकड़ों को आवश्यकतानुसार निम्नानुसार पुनर्समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है:

क्र. सं.	विवरण	(अनुसूची और लेखा शीर्ष)	पुनर्समूहित/ पुन: कथित राशि	पिछले वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार राशि (₹ लाख में)	अंतर (₹ लाख में)	पुनर्समूहन/पुनर्कथन के कारण	किससे पुनर्समूहित	किसमें पुनर्समूहित
1	बैंक शेष के तहत अल्पावधि जमा	अनु. 11	20,63,266	20,63,160	106	अल्पकालिक जमाओं में सीसीआईएल बैलेंस को शामिल न करना	वही पुनर्समूहन अनु. 11	वही पुनर्समूहन अनु. 11
2	सहायक/ होल्डिंग कंपनी से देय	अनु. 12	37,955	0	37,955	गलती से अनुसूची में लिया गया	वही पुनर्समूहन 12	वही पुनर्समूहन 12
3	विविध जमाएं	अनु. 12	2,41,900	2,42,006	(106)	अल्पकालिक जमाओं में सीसीआईएल बैलेंस को शामिल न करना	वही पुनर्समूहन 12	वही पुनर्समूहन 12

4	आय पर ब्याज, कर, जीएसटी और अन्य	अनु. 4	112	112	0	गौण ऋणों और अन्य पर ब्याज से संबंधित	वही पुनर्समूहन 4	वही पुनर्समूहन 4

56. विदेशी परिचालन के संबंध में कर देनदारियों, यदि कोई हो, की गणना वास्तविक आधार पर की जाती है।

निगम उन ट्रीटीज़ (संधियों) के लिए उपचित हुए प्रीमियम, दावों और खर्चों का अनुमान लगाता है, जिनके लिए सीडिंग कंपनियों से खाता विवरण नहीं मिले हैं। ये अनुमान आईआरडीएआई के 'बीमा कंपनियों के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों' से जुड़े मास्टर परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एसीटीएल/परि/विविध/80/05/2024, तारीख: 17 मई 2024 के अनुपालन में हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 से आगे के लिए अनुमानित बनाम वास्तविक के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	खंड	अनुमान वित्त वर्ष 2023-24			अनुमान वित्त वर्ष 2024-25			अनुमान वित्त वर्ष 2025-26		
		प्रीमियम	दावे	व्यय	प्रीमियम	दावे	व्यय	प्रीमियम	दावे	व्यय
1	अग्नि	1,20,162	1,34,870	23,132	1,46,412	1,55,978	29,070	1,27,236	1,25,624	31,723
2	मरीन	9,195	7,510	1,329	10,056	9,432	1,631	10,738	9,186	1,686
3	मोटर	1,18,504	1,06,160	13,088	1,30,126	1,17,458	13,695	1,56,003	1,40,369	20,511
4	स्वास्थ्य	1,43,395	1,54,866	23,863	2,21,202	2,35,019	51,867	2,25,574	2,45,361	46,999
5	व्यक्तिगत दुर्घटना	8,200	6,493	1,184	11,426	9,376	2,685	13,026	11,627	2,275
6	इंजीनियरिंग	11,399	9,079	1,960	20,329	17,163	3,680	21,123	18,079	3,852
7	विमानन	4,458	9,247	691	3,545	5,096	449	3,620	9,591	569
8	कर्मचारी मुआवज़ा / नियोक्ता दायित्व	0	0	0	12	13	1	0	0	0
9	सार्वजनिक / उत्पाद देयता	6,914	5,422	1,083	13,176	9,304	2,320	18,222	13,572	3,334
10	अन्य	1,99,378	1,92,050	12,197	1,75,045	1,70,769	9,725	1,00,764	1,01,666	7,649
11	जीवन बीमा	44,228	0	0	55,258	0	829	77,294	0	545
	कुल योग	**6,65,832**	**6,25,698**	**78,528**	**7,86,587**	**7,29,609**	**1,15,952**	**7,53,600**	**6,75,076**	**1,19,143**

क्र. सं.	खंड	वास्तविक			वास्तविक			वास्तविक		
		प्रीमियम	दावे	व्यय	प्रीमियम	दावे	व्यय	प्रीमियम	दावे	व्यय
1	अग्नि	3,18,183	1,36,608	85,972	1,35,332	1,83,536	43,240			
2	मरीन	28,106	20,037	4,684	21,422	9,166	3,157			
3	मोटर	1,77,426	1,26,069	25,861	1,60,442	1,31,341	23,655			
4	स्वास्थ्य	1,89,201	2,84,159	38,075	2,53,630	3,66,710	58,335			
5	व्यक्तिगत दुर्घटना	11,220	7,338	1,528	15,885	13,648	6,249			
6	इंजीनियरिंग	29,389	4,753	6,046	31,908	6,175	6,364			
7	विमानन	10,597	2,163	1,674	5,155	6,837	799			
8	कर्मचारी मुआवज़ा / नियोक्ता दायित्व	0	0	0	493	560	75			

9	सार्वजनिक / उत्पाद देयता	17,176	1,121	3,775	22,696	4,224	4,649			
10	अन्य	2,32,447	2,02,713	23,757	2,10,107	2,07,912	12,329			
11	जीवन बीमा	0	0	0	0	0	0			
	कुल योग	**10,13,746**	**7,84,960**	**1,91,370**	**8,57,070**	**9,30,109**	**1,58,852**			

क्र. सं.	खंड	अंतर (%)			अंतर (%)			अंतर (%)		
		प्रीमियम	दावे	व्यय	प्रीमियम	दावे	व्यय	प्रीमियम	दावे	व्यय
1	अग्नि	165	1	272	(8)	18	49			
2	मरीन	206	167	252	113	(3)	94			
3	मोटर	50	19	98	23	12	73			
4	स्वास्थ्य	32	83	60	15	56	12			
5	व्यक्तिगत दुर्घटना	37	13	29	39	46	133			
6	इंजीनियरिंग	158	(48)	208	57	(64)	73			
7	विमानन	138	(77)	142	45	34	78			
8	कर्मचारी मुआवज़ा / नियोक्ता दायित्व	0	0	0	3,859	4,380	10,845			
9	सार्वजनिक / उत्पाद देयता	148	(79)	248	72	(55)	100			
10	अन्य	17	6	95	20	22	27			
11	जीवन बीमा	0	0	0	0	0	0			
	कुल योग	52	25	144	9	27	37			

57. निगम ने बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27ई के अनुपालन में पॉलिसीधारकों की धनराशि भारत के बाहर निवेश नहीं की है।

58. जीआईसी सिंडिकेट 1947, जो पूरी तरह से भारतीय पूंजी समर्थित जीआईसी सिंडिकेट है, मार्च 2018 में लॉयड्स द्वारा अनुमोदन के बाद अप्रैल 2018 से लंदन में परिचालनरत हो गई। सिंडिकेट ने जीआईसी री को और विपर्यत: भी अपना व्यवसाय सौंप दिया। जीआईसी री और जीआईसी सिंडिकेट 1947 के बीच दर्ज व्यवसाय इस प्रकार है:

(राशि ₹ लाख में)

आवक	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
सकल प्रीमियम	3,995	9,484
सकल कमीशन	2	112
उपगत दावे	12	5,258
समग्र परिणाम	**3,981**	**4,114**
रेट्रो		
रेट्रो प्रीमियम	329	5,374
रेट्रो कमीशन	176	770
उपगत दावे – रेट्रो	(222)	(1,240)
समग्र परिणाम	**375**	**5,843**

59. प्रतिधारित एवं पुनर्बीमित जोखिमों की सीमा नीचे दी गई है:

श्रेणी	2025-26		2024-25	
	प्रतिधारित %	प्रतिधारित %	प्रतिधारित %	प्रतिधारित %
अग्नि	84.21	15.79	84.70	15.30
मोटर	100.00	0.00	100.00	0.00
विमानन	44.83	55.17	48.16	51.84
इंजीनियरिंग	92.91	7.09	91.01	8.99
कर्मचारी मुआवजा	97.86	2.14	100.00	0.00
देयता	89.13	10.87	82.14	17.86
व्यक्तिगत दुर्घटना	99.97	0.03	99.20	0.80
स्वास्थ्य	100.00	0.00	99.18	0.82
कृषि	98.16	1.84	97.83	2.17
अन्य विविध	81.79	18.21	82.44	17.56
वित्तीय दायित्व/ऋण	99.76	0.24	96.28	3.72
मरीन कार्गो	81.80	18.20	81.77	18.23
मरीन हल	91.77	8.23	93.99	6.01
जीवन बीमा	98.99	1.01	97.95	2.05

60. रोजगार की शर्तों के अनुसार निगम के कर्मचारियों के रूप में निदेशकों के रिश्तेदारों को दिए गए वेतन और पारिश्रमिक को छोड़कर, उन व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और संगठनों को कोई भुगतान नहीं किया गया है जिनमें निदेशक कार्यरत हैं।

61. निगम के पिछले पाँच वर्षों के वित्तीय विवरणों का सारांश अनुलग्नक ।। (बी) के अनुसार है।

62. निगम के लेखा अनुपात अनुलग्नक III (बी) में दिए गए हैं।

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार-सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

अनुलग्नक– I

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित
एकल प्राप्तियां और भुगतान खाता/ नकदी प्रवाह विवरण
सीधी पद्धति के अनुसार

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2026 को चालू वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त पूर्व वर्ष
क	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**		
1	पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम, अग्रिम प्राप्तियां सहित	0	0
2	अन्य प्राप्तियां		
	वापस लिखित विविध शेष (निवल)	0	0
	विविध प्राप्तियां	550	451
3	पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान, कमीशन और दावों को घटाकर*		146 730
4	सह–बीमाकर्ताओं को भुगतान, दावों की वसूली को घटाकर	0	0
5	दावों का भुगतान	0	0
6	कमीशन और ब्रोकरेज का भुगतान	0	0
7	अन्य परिचालन व्ययों का भुगतान	(34 154)	(33 310)
8	प्रारंभिक और परिचालन–पूर्व व्यय	0	0
9	जमा, अग्रिम और कर्मचारी ऋण	(8 654)	38 861
10	भुगतान किया गया आयकर (निवल)	(248 481)	(216 064)
11	भुगतान किया गया सेवा कर/जीएसटी	13 443	(2 982)
12	अन्य भुगतान	(14 071)	(10 697)
13	असाधारण मदों से पहले नकदी प्रवाह	(65 317)	(77 011)
14	असाधारण परिचालनों से नकदी प्रवाह	0	0
	परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	**(65 317)**	**(77 011)**
ख	**निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:**		
1	अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(781)	(2 144)
2	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय	17	43
3	निवेशों की खरीद	(2206 561)	(1860 668)
4	संवितरित ऋण	0	0
5	निवेशों की बिक्री	1266 712	1131 968
6	प्राप्त चुकौतियां	1 471	1 600
7	प्राप्त किराया/ब्याज/लाभांश	873 444	839 554
8	मुद्रा बाजार लिखतों और तरल म्यूचुअल फंडों में निवेश (निवल)	7 628	40 959
9	निवेश से संबंधित व्यय	(654)	(561)
10	**निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**(58 724)**	**150 751**
ग	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**		
1	शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आय		0
2	उधार लेने से प्राप्त आय	0	0
3	ऋण की चुकौती	0	0

4	प्रदत्त ब्याज/लाभांश	(175 440)	(175 440)
	वित्तीय कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	(175 440)	(175 440)
घ	**नकद और नकदी समतुल्य पर विदेशी मुद्रा दरों का प्रभाव, निवल**	293 343	78 687
ड.	**नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि: (क+ख +ग+घ)**	**(6 138)**	**(23 013)**
	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकदी समतुल्य	**707 344**	**730 357**
	वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	**701 206**	**707 344**

*अर्जित प्रीमियम में से अर्जित दावा और शुद्ध कमीशन को घटा दिया गया है, जिसमें विभिन्न बकाया, प्राप्य, देय और जमा राशियों को समायोजित किया गया है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकद बहिर्वाह दर्शाते हैं।

अनुसूची 11 के साथ नकदी और नकदी समतुल्य का समाधान

(₹ लाख में)

अवधि के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	**31.03.2026**	**31.03.2025**
अनुसूची 11 के अनुसार नकद और बैंक शेष	2463 755	2438 974
घटाएँ: 3 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाएँ	1062 768	940 839
घटाएँ: साख पत्र के लिए मार्जिन के अंतर्गत जमाएँ	693 643	767 778
अवधि के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	**707 344**	**730 357**
अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		
अनुसूची 11 के अनुसार नकद और बैंक शेष	2779 122	2463 755
घटाएँ: 3 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाएँ	1522 411	1062 768
घटाएँ: साख पत्र के लिए मार्जिन के अंतर्गत जमाएँ	555 505	693 643
अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	**701 206**	**707 344**

हमारे सम दिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

अनुलग्नक – II ख

वित्तीय विवरणों का सारांश

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

	विवरण	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
	परिचालन परिणाम					
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	**0**	0	0	0	0
2	सकल लिखित प्रीमियम	**4400 674**	4115 395	3718 176	3659 159	4320 846
3	निवल प्रीमियम आय	**4057 125**	3784 421	33 95 579	33 64 443	3879 903
4	निवेश से आय (निवल)	**861 297**	884 968	808 415	752 037	736 275
	अन्य आय					
5	विनिमय दर में उतार-चढ़ाव पर लाभ	**90 931**	14 360	9 677	59 640	40 141
6	शेयरधारकों के खाते से अंशदान					
	अतिरिक्त ईडीएम के प्रति	**0**	0	0	0	0
	अन्य, निर्दिष्ट किया जाए	**0**	0	0	0	0
	कुल आय	**5009 352**	4683 749	4213 671	4176 120	4656 319
7	कमीशन (निवल)	**797 203**	738 012	624 675	561 051	695 082
8	परिचालन व्यय	**39 325**	33 687	39 296	40 444	37 128
9	प्रीमियम की कमी	**5 771**	(3 762)	5 927	(854)	1 298
10	निवल उपगत दावे	**3362 766**	3195 369	3098 041	3273 938	3662 585
11	अवधि समाप्त जोखिम आरक्षित निधि में परिवर्तन	**119 290**	171 395	37 973	(216 358)	(49 437)
12	**परिचालन लाभ/हानि ✲**	**684 996**	549 048	407 759	517 899	309 663
	गैर-परिचालन परिणाम					
13	शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल आय (निवल)	**468 254**	400 123	438 784	257 045	46 351
14	शेयरधारक के खाते के अंतर्गत कुल व्यय	**0**	0	0	0	0
15	कर पूर्व लाभ/(हानि)	**1079 325**	876 564	787 793	774 944	356 014
16	कर के लिए प्रावधान	**240 108**	206 428	138 062	143 694	155 440
17	कर पश्चात लाभ/(हानि)	**839 218**	670 136	649 731	631 250	200 574
	विविध					
18	पॉलिसीधारक खाता:					
	कुल निधियां	**9908 491**	9180 942	8591 485	7916 715	8181 000
	कुल निवेश	**9224 457**	9334 516	9080 348	7916 715	7715 532
	निवेशों पर प्रतिलाभ (%)	**10.62**	10.67	11.58	12.19	12.95
19	शेयरधारक खाता:					
	कुल निधियां	**5130 127**	4310 652	3758 178	3235 608	2443 972
	कुल निवेश	**4868 376**	4472 858	4062 121	3151 578	2395 019

	निवेशों पर प्रतिलाभ (%)	**10.62**	10.67	11.58	12.19	12.95
20	चुकता इक्विटी पूँजी	**87 720**	87 720	87 720	87 720	87 720
21	निवल संपत्ति	**5130 127**	4310 652	3758 178	3235 608	2443 972
22	कुल परिसंपत्तियां	**19722 093**	18761 574	17828 582	15712 460	14488 737
23	कुल निवेशों पर प्रतिलाभ (%)	**10.62**	10.67	11.58	12.19	12.95
24	प्रति शेयर आय (मूल)	**47.84**	38.20	37.03	35.98	11.43
25	प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	**292.41**	245.71	214.21	184.43	139.31
26	वर्ष के लिए घोषित/भुगतान किया गया कुल लाभांश	**175 440**	175 440	126 317	39 474	0.00
27	प्रति शेयर लाभांश (₹)	**10.00**	10.00	7.20	2.25	0.00
28	सॉल्वेंसी अनुपात	**4.21**	3.70	3.25	2.61	1.96

**परिचालन लाभ/हानि आपदा आरक्षित निधि में अंतरण से पूर्व है*

हमारे सम दिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

अनुलग्नक– III ख

गैर–जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनुपात

	कार्य–निष्पादन अनुपात	अनुपात/प्रतिशत			
		31.03.2026 को समाप्त चालू वर्ष		31.03.2025 को समाप्त पिछला वर्ष	
		घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
		कुल		कुल	
1	सकल प्रीमियम वृद्धि दर (खंड–वार)				
	(चालू अवधि के सकल प्रीमियम को पिछले वर्ष के सकल प्रीमियम से विभाजित कर)				
	अग्नि बीमा	5.11	2.73	(1.45)	17.88
	मोटर बीमा	19.91	8.84	17.16	(57.54)
	विमानन बीमा	6.42	16.05	9.94	(18.29)
	इंजीनियरिंग बीमा	12.36	4.40	13.88	(16.26)
	कर्मचारी क्षतिपूर्ति/नियोक्ता दायित्व	27.00	(31.60)	(39.79)	9.61
	देयता	25.92	(11.50)	24.95	7.20
	व्यक्तिगत दुर्घटना	32.96	13.03	22.04	(2288.63)
	स्वास्थ्य	(3.58)	18.30	69.12	(81.43)
	कृषि	3.45	26.43	(11.47)	(10.96)
	अन्य विविध बीमा	20.18	17.60	12.08	266.94
	वित्तीय दायित्व/ऋण	7.15	(46.00)	66.71	16.33
	मरीन कार्गो	(0.81)	30.29	(12.98)	(76.16)
	मरीन हल	17.45	(22.64)	17.92	6.71
	जीवन	25.67	79.03	13.57	32.81
2	सकल प्रीमियम से निवल संपत्ति अनुपात: (चालू अवधि के सकल प्रीमियम को चुकता पूंजी और निर्बंध आरक्षित निधियों से विभाजित कर)	85.78		95.47	
3	निवल संपत्ति की वृद्धि दर (वर्तमान तुलन–पत्र की तिथि पर निवल संपत्ति को पिछली तुलन–पत्र तिथि पर निवल संपत्ति से विभाजित कर)	19.01		14.7	
4	निवल प्रतिधारण अनुपात (खंडवार) (निवल प्रीमियम को सकल प्रीमियम से विभाजित कर)				
	अग्नि बीमा	80.58	87.87	76.72	92.57
	मोटर बीमा	100.00	100.00	100.00	100.00
	विमानन बीमा	83.80	39.90	100.00	41.01
	इंजीनियरिंग बीमा	90.84	99.97	88.45	99.14
	कर्मचारी क्षतिपूर्ति/नियोक्ता दायित्व	97.67	100.00	100.00	100.00
	देयता	86.09	99.16	75.90	96.62
	व्यक्तिगत दुर्घटना	99.97	100.00	99.13	100.00
	स्वास्थ्य	100.00	100.00	99.18	100.00
	कृषि	98.11	100.00	97.78	100.00
	अन्य विविध बीमा	93.13	42.78	88.31	62.69
	वित्तीय दायित्व/ऋण	100.00	98.65	100.00	87.74
	मरीन कार्गो	82.16	81.04	88.35	63.35

	कार्य-निष्पादन अनुपात	अनुपात/प्रतिशत			
		31.03.2026 को समाप्त चालू वर्ष		31.03.2025 को समाप्त पिछला वर्ष	
		घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
		कुल		कुल	
	मरीन हल	92.18	91.34	96.74	92.03
	जीवन	98.82	100.00	97.71	100.00
5	निवल कमीशन अनुपात (खंडवार) (पुनर्बीमा कमीशन के बाद भुगतान किया गया कमीशन, उस खंड के लिए निवल लिखित प्रीमियम से विभाजित)				
	अग्नि बीमा	23.04	26.49	24.50	23.54
	मोटर बीमा	18.33	32.37	14.44	24.25
	विमानन बीमा	13.38	15.58	0.64	28.57
	इंजीनियरिंग बीमा	18.05	25.23	19.76	30.05
	कर्मचारी क्षतिपूर्ति/नियोक्ता दायित्व	14.98	17.90	14.67	(77.34)
	देयता	19.22	18.72	20.02	17.42
	व्यक्तिगत दुर्घटना	35.41	15.01	(5.93)	3.82
	स्वास्थ्य	21.52	25.81	23.97	17.42
	कृषि	4.40	19.38	10.14	18.78
	अन्य विविध बीमा	18.61	25.33	15.90	26.23
	वित्तीय दायित्व/ऋण	23.11	37.38	15.67	25.95
	मरीन कार्गो	14.05	29.30	10.80	98.06
	मरीन हल	12.51	18.68	10.56	17.60
	जीवन	0.34	4.76	0.05	7.05
6	सकल प्रीमियम अनुपात में प्रबंधन व्यय (सकल प्रीमियम से विभाजित प्रबंधन व्यय)	0.72	1.40	0.80	0.87
	अग्नि बीमा	0.73	0.97	0.80	0.83
	मोटर बीमा	0.73	1.54	0.80	0.85
	विमानन बीमा	0.73	0.99	0.80	0.92
	इंजीनियरिंग बीमा	0.73	9.94	0.80	1.86
	कर्मचारी क्षतिपूर्ति/नियोक्ता दायित्व	0.73	1.35	0.80	0.69
	देयता	0.73	0.91	0.80	0.86
	व्यक्तिगत दुर्घटना	0.73	0.71	0.80	0.79
	स्वास्थ्य	0.73	0.72	0.80	0.75
	कृषि	0.73	0.79	0.80	0.84
	अन्य विविध बीमा	0.73	1.18	0.80	0.85
	वित्तीय दायित्व/ऋण	0.73	0.84	0.80	0.96
	मरीन कार्गो	0.55	1.17	0.60	0.71
	मरीन हल	0.55	1.25	0.60	0.64
	जीवन	0.73	0.73	0.80	0.80

	कार्य-निष्पादन अनुपात	अनुपात/प्रतिशत			
		31.03.2026 को समाप्त चालू वर्ष		31.03.2025 को समाप्त पिछला वर्ष	
		घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
		कुल		कुल	
7	प्रबंधन व्यय और निवल लिखित प्रीमियम अनुपात (निवल लिखित प्रीमियम से विभाजित प्रबंधन व्यय)	0.77	1.63	0.86	0.97
	अग्नि बीमा	0.90	1.11	1.05	0.90
	मोटर बीमा	0.73	1.54	0.80	0.85
	विमानन बीमा	0.87	2.47	0.80	2.23
	इंजीनियरिंग बीमा	0.80	9.95	0.91	1.88
	कर्मचारी क्षतिपूर्ति/नियोक्ता दायित्व	0.75	1.35	0.80	0.69
	देयता	0.85	0.92	1.06	0.89
	व्यक्तिगत दुर्घटना	0.73	0.71	0.81	0.79
	स्वास्थ्य	0.73	0.72	0.81	0.75
	कृषि	0.74	0.79	0.82	0.84
	अन्य विविध बीमा	0.78	2.75	0.91	1.35
	वित्तीय दायित्व/ऋण	0.73	0.85	0.80	1.10
	मरीन कार्गो	0.66	1.45	0.68	1.12
	मरीन हल	0.59	1.37	0.62	0.69
	जीवन	0.74	0.73	0.82	0.80
8	निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में निवल उपगत दावे	83.05	92.79	85.33	96.50
	अग्नि बीमा	75.92	72.00	85.28	84.86
	मोटर बीमा	81.02	172.12	81.20	119.44
	विमानन बीमा	121.12	201.26	55.53	96.13
	इंजीनियरिंग बीमा	64.78	62.80	67.35	73.77
	कर्मचारी क्षतिपूर्ति/नियोक्ता दायित्व	5.34	850.91	83.20	2389.08
	देयता	62.30	133.83	93.62	101.61
	व्यक्तिगत दुर्घटना	61.24	65.08	52.05	65.96
	स्वास्थ्य	85.46	53.41	81.64	51.22
	कृषि	90.66	63.93	90.42	50.04
	अन्य विविध बीमा	63.02	81.41	52.96	106.50
	वित्तीय दायित्व/ऋण	32.59	1.26	0.53	(35.86)
	मरीन कार्गो	57.26	157.06	77.34	224.14
	मरीन हल	26.15	83.81	46.30	115.49
	जीवन	133.50	155.32	148.15	87.57
9	दावा प्रावधान की तुलना में भुगतान किए गए दावे (अवधि के अंत में बकाया दावों से विभाजित निवल भुगतान दावे)	33.89	26.04	33.71	30.28
	अग्नि बीमा	20.38	17.85	18.63	24.34
	मोटर बीमा	28.38	44.49	27.07	38.02
	विमानन बीमा	34.66	26.65	9.16	26.94
	इंजीनियरिंग बीमा	11.37	19.62	7.55	15.81

	कार्य–निष्पादन अनुपात	अनुपात/प्रतिशत			
		31.03.2026 को समाप्त चालू वर्ष		31.03.2025 को समाप्त पिछला वर्ष	
		घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
		कुल		कुल	
	कर्मचारी क्षतिपूर्ति/नियोक्ता दायित्व	32.30	17.24	18.95	37.29
	देयता	11.68	20.29	12.05	27.94
	व्यक्तिगत दुर्घटना	41.16	16.12	32.76	19.81
	स्वास्थ्य	105.20	19.75	125.53	53.93
	कृषि	22.21	32.65	24.62	31.12
	अन्य विविध बीमा	46.46	20.60	28.68	34.45
	वित्तीय दायित्व/ऋण	13.10	8.71	43.88	16.57
	मरीन कार्गो	35.00	27.88	38.21	81.29
	मरीन हल	21.55	46.52	16.53	29.67
	जीवन	55.16	95.74	77.29	102.11
10	संयुक्त अनुपात: (निवल उपगत दावों को निवल अर्जित प्रीमियम से भाग देने पर प्रबंधन व्यय (निवल कमीशन सहित) को निवल लिखित प्रीमियम से भाग देने पर)	101.65	120.05	104.20	121.40
	अग्नि बीमा	99.86	99.60	110.83	109.30
	मोटर बीमा	100.08	206.04	96.44	144.54
	विमानन बीमा	135.37	219.31	56.97	126.93
	इंजीनियरिंग बीमा	83.63	97.98	88.02	105.70
	कर्मचारी क्षतिपूर्ति/नियोक्ता दायित्व	21.07	870.15	98.67	2312.42
	देयता	82.37	153.46	114.70	119.92
	व्यक्तिगत दुर्घटना	97.38	80.80	46.93	70.56
	स्वास्थ्य	107.71	79.95	106.43	69.40
	कृषि	95.80	84.10	101.38	69.66
	अन्य विविध बीमा	82.41	109.49	69.77	134.08
	वित्तीय दायित्व/ऋण	56.43	39.50	17.00	(8.81)
	मरीन कार्गो	71.98	187.81	88.82	323.32
	मरीन हल	39.26	103.85	57.48	133.78
	जीवन	134.58	160.81	149.01	95.43
11	निवेश आय अनुपात (निवल प्रीमियम से विभाजित निवेश आय)	32.36		33.58	
12	निवल प्रीमियम की तुलना में तकनीकी आरक्षित निधि अनुपात: (असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि + प्रीमियम की कमी वाली आरक्षित निधि + बकाया दावों के लिए आरक्षित निधि (निवल प्रीमियम से विभाजित आईबीएनआर और आईबीएनईआर सहित) (सभी निवल आधार पर)	260.86		259.21	
	अग्नि बीमा	331.30	323.25	343.95	292.91
	मोटर बीमा	266.69	541.75	294.51	643.61
	विमानन बीमा	392.22	561.00	346.43	566.48
	इंजीनियरिंग बीमा	293.27	411.94	292.92	441.33
	कर्मचारी क्षतिपूर्ति/नियोक्ता दायित्व	196.43	4552.70	284.31	2944.13

	कार्य-निष्पादन अनुपात	अनुपात/प्रतिशत			
		31.03.2026 को समाप्त चालू वर्ष		31.03.2025 को समाप्त पिछला वर्ष	
		घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
		कुल		कुल	
	देयता	248.39	507.23	290.82	421.82
	व्यक्तिगत दुर्घटना	156.29	393.57	179.52	431.63
	स्वास्थ्य	115.82	272.43	97.04	306.79
	कृषि	296.69	214.19	279.86	252.53
	अन्य विविध बीमा	160.42	354.14	182.51	271.08
	वित्तीय दायित्व/ऋण	257.13	536.96	267.26	370.42
	मरीन कार्गो	217.56	792.69	203.63	1423.66
	मरीन हल	253.75	683.61	282.98	672.78
	जीवन	169.32	125.90	150.46	113.55
13	बीमांकन शेष अनुपात: (बीमांकन लाभ / शुद्ध प्रीमियम)	(4.35)		(8.88)	
14	परिचालन लाभ अनुपात: (बीमांकन लाभ/हानि + निवल प्रीमियम से विभाजित निवेश आय)	16.88		12.59	
15	देनदारियों की तुलना में तरल परिसंपत्तियों का अनुपात: (बीमाकर्ता की तरल परिसंपत्तियाँ (अल्पकालिक निवेश (अनुसूची 8) + अल्पावधि ऋण (अनुसूची 9) + नकद और बैंक शेष (अनुसूची 11)) को पॉलिसीधारक की देनदारियों (12 महीनों के भीतर चुकाई जाने वाली) (बकाया दावे (अनुसूची 13) + असमाप्त जोखिम और प्रीमियम की कमी के लिए आरक्षित राशि (अनुसूची 14)) से विभाजित किया जाता है।	36.06		35.93	
16	निवल अर्जन अनुपात: (कर पश्चात लाभ को शुद्ध प्रीमियम से विभाजित कर)	20.69		17.71	
17	निवल संपत्ति पर प्रतिफल (वार्षिकीकृत) (कर पश्चात लाभ को निवल संपत्ति से विभाजित कर)	21.81		15.55	
18	सॉल्वेंसी मार्जिन अनुपात (आरएसएम) अनुपात (तिमाही के अंत में उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन (एएसएम) का आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन (आरएसएम) से अनुपात, जिसे विनियमों के अनुसार बनाए रखना आवश्यक है।	4.21		3.70	
19	एनपीए अनुपात (निवल)				
	पॉलिसीधारकों की निधियां				
	सकल एनपीए अनुपात	0.97		1.13	
	निवल एनपीए अनुपात	0.00		0.00	
	शेयरधारकों की निधियां				
	सकल एनपीए अनुपात	0.97		1.13	
	निवल एनपीए अनुपात	0.00		0.00	
20	ऋण इक्विटी अनुपात	शून्य		शून्य	
21	ऋण शोधन कवरेज अनुपात	शून्य		शून्य	
22	ब्याज शोधन कवरेज अनुपात	शून्य		शून्य	

	कार्य–निष्पादन अनुपात	अनुपात/प्रतिशत			
		31.03.2026 को समाप्त चालू वर्ष		31.03.2025 को समाप्त पिछला वर्ष	
		घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
		कुल		कुल	
23	जीवन बीमा कंपनियों के अलावा अन्य के लिए इक्विटी धारिता पैटर्न और आय की जानकारी:				
	शेयरों की संख्या	1754400 000		1754400 000	
	धारिता का प्रतिशत	17.60%		17.60%	
	भारतीय	97.91%		98.04%	
	विदेशी	2.09%		1.96%	
	सरकारी धारिता का प्रतिशत (सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के मामले में)	82.40%		82.40%	
	अवधि के लिए असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) से पूर्व मूल ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं किया जाना है)	47.84		38.20	
	अवधि के लिए असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) से पूर्व तनुकृत ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं किया जाना है)	47.84		38.20	
	अवधि के लिए असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) के बाद मूल ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं किया जाना है)	47.84		38.20	
	अवधि के लिए असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) के बाद तनुकृत ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं किया जाना है)	47.84		38.20	
	प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)	292.41		245.71	

हमारे सम दिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

I. पंजीकरण विवरण

पंजीकरण सं.	16133	राज्य कोड	11
तुलन–पत्र की तारीख	31–03–2026		

II. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (₹ लाख में)

सार्वजनिक निर्गम	शून्य	सार्वजनिक निर्गम	शून्य
बोनस निर्गम	शून्य	प्राइवेट पलेसमेंट	शून्य

III. निधियों के संग्रहण और विनियोजन की स्थिति (₹ लाख में)

कुल देयताएं	8646 680	कुल परिसंपत्तियां	8646 680
निधियों के स्रोत			
चुकता पूंजी	87 720	आरक्षित निधि एवं अधिशेष	5286 131
प्रतिभूत ऋण	शून्य	अप्रतिभूत ऋण	शून्य
आस्थगित कराधान देयता	शून्य	उचित मूल्य परिवर्तन खाता	3272 829
निधियों का उपयोग			
निवल अचल परिसंपत्तियां	29 736	निवेश	14105 352
निवल चालू परिसंपत्तियां	(5592 708)	विविध व्यय	शून्य
संचित हानियां	शून्य	आस्थगित कर परिसंपत्ति	104 300

IV. कंपनी का कार्य–निष्पादन (₹ लाख में)

कारोबार	5394 788	कुल व्यय	4241 538
कर पूर्व लाभ/हानि	1079 325	कर पश्चात लाभ/हानि	839 218
प्रति शेयर आय (₹ में)	47.84	प्रस्तावित लाभांश @ %	शून्य

V. कंपनी के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं का सामान्य नाम (मौद्रिक शर्तों के अनुसार)

मद कोड सं.	लागू नहीं
उत्पाद विवरण	पुनर्बीमा सेवा

(₹ & $ लाख में)

	31.03.2026 H$mo		31.03.2025 H$mo	
	₹	$	₹	$
सकल प्रीमियम	4400 674	46 432	4115 395	48 055
निवल प्रीमियम	4057 125	42 807	3784 421	44 190
निवल अर्जित प्रीमियम	3937 835	41 548	3613 026	42 189
निवल दावे	3362 766	35 481	3195 369	37 312
अर्जित प्रीमियम का %	85.4%	85.4%	88.4%	88.4%
निवल कमीशन	797 203	8 411	737 254	8 609
अर्जित प्रीमियम का %	20.2%	20.2%	20.4%	20.4%
निवल प्रीमियम	(51 605)	(544)	19 326	226
परिचालन व्यय और अन्य व्यय – अन्य आय घटाएँ	5 771	61	(3 762)	(44)
प्रीमियम न्यूनता	73 925	780	59 795	698
आपदा आरक्षित निधि में अंतरण	861 297	9 088	871 396	10 175
निवेश आय – राजस्व खाते में प्रभाजित व्यय घटाएँ	611 072	6 447	476 441	5 563
राजस्व लाभ/हानि (–)	447 637	4 723	405 856	4 739
निवेश आय – घटाएँ लाभ–हानि खाते में प्रभाजित व्यय	35 167	371	7 751	91
अन्य आय घटाएँ अन्य व्यय	14 550	154	13 484	157
संदिग्ध ऋणों, बट्टे खाते डाले गए निवेश और निवेशों पर प्रीमियम के परिशोधन के लिए आरक्षित निधि	1079 325	11 388	876 564	10 235
कर पूर्व लाभ	240 107	2 533	206 428	2 410
कर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर सहित	839 218	8 855	670 136	7 825
कर–पश्चात लाभ				
परिसंपत्तियां:	14092 833	148 695	13807 374	161 226
निवेश	12 519	132	13 728	160
ऋण	29 736	314	29 541	345
अचल परिसंपत्तियां	104 300	1 100	69 333	810
आस्थगित कर परिसंपत्ति	2779 122	29 323	2463 649	28 768
नकदी और बैंक शेष	2703 582	28 526	2377 948	27 767
अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां	**19722 092**	**208 089**	**18 761 573**	**219 075**
कुल परिसंपत्तियां				
देयताएं:	87 720	926	87 720	1 024
शेयर पूंजी	5286 131	55 774	4 392 732	51 293
आरक्षित निधि और अधिशेष	0	0	4	0
आस्थगित कर देयताएं	3272 829	34 532	4011 781	46 845
उचित मूल्य परिवर्तन खाता	11075 412	116 858	10269 337	119 913
चालू देयताएं और प्रावधान	**19722 092**	**208 089**	**18761 573**	**219 075**
कुल देयताएं				

31.03.2026 को 1 US$ = 94.777

(प्रतिशत संबंधित अवधि के निवल अर्जित प्रीमियम के संबंध में है)

केवल पाठकों की सुविधा के लिए, कार्य–निष्पादन विशेषताओं को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया गया है।

यूएस डॉलर विनिमय दर	**94.7770**	**85.640**

आपत्काले रक्षिष्यामि

GIC Re

समेकित वित्तीय विवरण
(सीएफएस)
वर्ष 2025–26

क: सहायक कंपनियाँ:

(i) जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड

(ii) जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड

(iii) जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी एलएलसी

ख: सहयोगी कंपनियाँ:

(i) एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

(ii) जीआईसी भूटान री लिमिटेड

(iii) इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में:

सदस्यगण, भारतीय साधारण बीमा निगम

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

राय

1. हमने भारतीय साधारण बीमा निगम (''निगम'', ''होल्डिंग कंपनी'', ''कंपनी'') और उसकी सहायक कंपनियों (''समूह'') और उसके सहयोगियों के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है, जिसमें यथा 31 मार्च 2026 के समेकित तुलन–पत्र, अग्नि, विविध, समुद्री और जीवन बीमा के राजस्व खाते (सामूहिक रूप से ''समेकित राजस्व खाते'' के रूप में जाना जाता है), समेकित लाभ और हानि खाता, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियां शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (इसमें इसके पश्चात ''समेकित वित्तीय विवरण'' के रूप में निर्दिष्ट)। कंपनी की सहायक और सहयोगी कंपनियां परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध हैं और शाखाएं परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध हैं।

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 6 में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण:

   क. बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 (''बीमा अधिनियम'') द्वारा यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1968, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (''आईआरडीएआई अधिनियम''), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 (''विनियम''), कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') और निर्दिष्ट लेखांकन मानक सहित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 की अपेक्षाओं के अनुसार लागू सीमा तक और अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं; और

   ख. बीमा कंपनियों पर लागू भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2026 तक निगम के मामलों की स्थिति, अग्नि, विविध, समुद्री और जीवन व्यवसाय के राजस्व खातों का अधिशेष/(घाटा), उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते के मामले में और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

3. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के ''समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की ज़िम्मेदारियाँ'' अनुभाग में दिया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'आचार संहिता' और अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और नीचे अन्य मामले अनुभाग के पैराग्राफ 6 में संदर्भित शाखा लेखापरीक्षकों सहित अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

4. प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, और नीचे अनुच्छेद 6 में उल्लिखित शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में विचार किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं।

5. हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले निर्धारित किए हैं।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया
क)	**राजस्व निर्धारण:** निगम पुनर्बीमा प्रीमियम आय को सीडिंग कंपनियों से प्राप्त लेखा विवरण या समापन विवरणों के आधार पर निर्धारित करता है। वर्ष के अंत में, संधि या पॉलिसी पर्ची के आरंभ के समय निगम और सीडिंग कंपनियों, दोनों द्वारा सहमत अनुमानित प्रीमियम आय (ईपीआई) के आधार पर प्राप्त न हुए खातों के लिए अनुमान लगाए जाते हैं। प्रीमियम अनुमान, निगम के लिए ईपीआई और बुक किए गए प्रीमियम का अंतर है। आय का अनुमान तभी उचित माना जा सकता है जब प्रीमियम अनुमान में शामिल कारकों को आईटी लेखा प्रणाली से सही ढंग से निकाला गया हो।	**राजस्व निर्धारण पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:** • राजस्व निर्धारण पर प्रमुख नियंत्रणों के डिज़ाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया। • निगम के दिशानिर्देशों के साथ प्रीमियम अनुमान का सत्यापन किया गया और आय के आकलन पर नियंत्रणों का परीक्षण, विवरणों का परीक्षण और विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रक्रियाएँ की गईं। • संधि या पॉलिसी पर्ची, जैसा भी मामला हो, से ईपीआई का सत्यापन किया गया और नमूना आधार पर सेडेंट्स से प्राप्त लेखा विवरण या समापन विवरण से दर्ज किए गए वास्तविक प्रीमियम का सत्यापन किया गया।
ख)	**दावा प्रावधानीकरण:** बीमा दावा, बीमा कंपनी के व्यय का प्रमुख क्षेत्र है। कुल दावों में भुगतान किए गए दावे, बकाया हानि आरक्षित निधि (ओएसएलआर) और किए गए लेकिन (पर्याप्त) रिपोर्ट नहीं किए गए दावे (आईबीएनईआर) शामिल हैं। दावों का प्रावधान और भुगतान उन क्षेत्रों में से एक माना गया, जिन पर लेखा परीक्षकों का महत्वपूर्ण ध्यान आवश्यक था और यह समेकित वित्तीय विवरणों में सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक था क्योंकि इसमें शामिल मात्रा महत्वपूर्ण है।	**दावा प्रावधानीकरण पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:** • दावा प्रक्रिया से संबंधित निगम के दिशानिर्देशों का सत्यापन किया गया, बकाया दावों पर नियंत्रण परीक्षण, विवरणों का परीक्षण और विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रक्रियाएँ की गईं। भुगतान किए गए दावे और नमूना आधार पर बनाए गए प्रावधान का सत्यापन सेडेंट कंपनी से प्राप्त भुगतान प्रमाण और प्रारंभिक हानि सलाह के साथ किया गया और इसे सर्वेक्षक की रिपोर्ट से भी सत्यापित किया गया। • जिन दावा मामलों में दावा उपगत हुआ है लेकिन रिपोर्ट नहीं किया गया है और जिन मामलों में दावा रिपोर्ट किया गया है लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किया गया है, इन मामलों को निगम द्वारा नियुक्त बीमांकिकों द्वारा दर्ज किया गया है। 31 मार्च 2026 तक, उपगत लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आईबीएनआर) और उपगत लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आईबीएनईआर) के संबंध में देयता का बीमांकिक मूल्यांकन, निगम के नियुक्त बीमांकिकों द्वारा प्रमाणित है और हमने ऐसी रिपोर्ट के आधार पर राशियों और संबंधित देयता का लेखापरीक्षा किया था।
ग)	**निवेशों का मूल्यांकन:** यथा 31 मार्च 2026 को निगम के निवेश, परिसंपत्तियों के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका मूल्यांकन नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखा नीति के अनुसार किया जाना है। सभी निवेशों का मूल्यांकन कंपनी द्वारा तैयार की गई निवेश नीति के अनुसार होना चाहिए, जो बदले में आईआरडीएआई निवेश विनियमों और वित्तीय विवरण तैयार करने संबंधी विनियमों के अनुरूप होना चाहिए। विनियमन में निर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति का उपयोग प्रत्येक निवेश वर्ग के लिए किया जाना है। कंपनी के पास निवेशों के मूल्यांकन और मूल्य-ह्रास (इम्पेयरमेंट) के लिए एक नीतिगत ढाँचा है। कंपनी समय-समय पर अपने निवेशों के मूल्य-ह्रास की समीक्षा करती है और जब निवेश कंपनी की निवेश नीति में निर्धारित मानदंडों के अनुसार मूल्य-ह्रास प्रावधान के लिए ट्रिगर/ट्रिगरों को पूरा करते हैं, तो मूल्य-ह्रास प्रभार निर्धारित करती है।	**निवेश पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:** • निवेश के उचित वर्गीकरण और मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन की प्रक्रिया और नियंत्रणों को समझा। • इन निवेशों से संबंधित उपलब्धता और स्वामित्व अधिकारों के लिए उपयुक्त बाह्य पुष्टिकरण और/या विवरण सत्यापित किए और प्राप्त किए। • निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यांकन प्रक्रिया पर प्रमुख नियंत्रणों के डिज़ाइन, कार्यान्वयन, प्रबंधन निरीक्षण और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। • कंपनी की अपनी निवेश नीति के साथ-साथ आईआरडीएआई निवेश विनियमों के संदर्भ में मूल्यांकन पद्धतियों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए विभिन्न श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन की नमूना-जांच की गई।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया
	इसके अलावा, हानि के आकलन में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय शामिल होता है। इन निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यांकन को समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण मामलों में से एक माना गया, क्योंकि समेकित वित्तीय विवरणों में निवेशों के कुल मूल्य की महत्ता है।	• कंपनी की मूल्य-ह्रास (इम्पेयरमेंट) नीति की समीक्षा की गई और वर्ष के अंत में बकाया निवेशों पर उसके मूल्य-ह्रास (इम्पेयरमेंट) प्रभार की पर्याप्तता का आकलन किया गया। उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने पाया कि कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में निवेशों के मूल्य-ह्रास (इम्पेयरमेंट), मूल्यांकन और वर्गीकरण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में उचित हैं।
घ)	**आकस्मिक देनदारियों का निर्धारण, प्रकटन और प्रावधान:** कंपनी के पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के अनिश्चित कर मामले हैं, जिनमें कंपनी पर भारी माँग से जुड़े विवाद हैं, जिनके संभावित परिणामों का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास विभिन्न दावों से संबंधित अन्य चल रहे कानूनी मामले भी हैं जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, जिनके संभावित परिणामों का निर्धारण करने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। चल रहे मुकदमे से संबंधित प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों के संबंध में प्रबंधन के प्रकटीकरण कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 18 में प्रस्तुत किए गए हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में किसी देनदारी को प्रावधान के रूप में मान्यता दी गई है या आकस्मिक देनदारी के रूप में प्रकट किया गया है, इसका आकलन स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक है और व्यवसाय से नकदी बहिर्वाह के निर्धारण, लागू कानूनों और विनियमों की व्याख्या, और विनियामक प्राधिकरणों के विभिन्न स्तरों पर लंबित आकलनों की सावधानीपूर्वक जाँच में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है। चूंकि इसमें शामिल राशियां महत्वपूर्ण हैं और संभावित परिणामों की सीमा के कारण उच्च अनुमान अनिश्चितता उत्पन्न होती है जिसके लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन और लेखापरीक्षक निर्णय की आवश्यकता होती है, इसलिए इस मामले को चालू वर्ष की लेखापरीक्षा के लिए एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं थे:** • कंपनी के कानूनी और वित्तीय कार्मिकों के साथ विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से, प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों की पहचान और मापन की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। • विभिन्न नियामक प्राधिकरणों और न्यायिक पदानुक्रम के स्तरों पर लंबित मुकदमों के परिणामों के आकलन के संबंध में प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों की संरचना और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। • मुकदमेबाजी मामलों के सारांश का निरीक्षण किया और कंपनी के कानूनी और वित्तीय कार्मिकों के साथ वर्ष के दौरान प्रमुख घटनाक्रमों पर चर्चा की। • जहाँ लागू हो, कंपनी द्वारा मांगी गई बाहरी कानूनी और/या विनियामक सलाह का निरीक्षण और मूल्यांकन किया। • कुछ महत्वपूर्ण मामलों में उत्पन्न होने वाली किसी भी देनदारी की संभावना, परिमाण और लेखांकन के प्रबंधन के आकलन पर चर्चा की और उसे चुनौती दी। तदनुसार, हमने समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए मान्यता प्राप्त प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों की मात्रा की समीक्षा की और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को शामिल करते हुए ऐसे निष्कर्षों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए अपने पेशेवर निर्णय का प्रयोग किया। • लागू लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटनों की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया।

अन्य मामले

6. हमने समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल तीन विदेशी शाखाओं और एक घरेलू शाखा की वित्तीय जानकारी की लेखा-परीक्षा नहीं की जिनकी लेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2026 को ₹12,84,447 लाख रुपये की कुल परिसंपत्ति (समापन से पहले) और 31 मार्च 2026 को को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 2,50,781 लाख रुपये का कुल अर्जित प्रीमियम (निवल) (समापन से पहले) दर्शाती है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। इन वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा एक अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा निष्कर्ष, जहां तक यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

7. भारत के बाहर तीन शाखाएँ स्थित हैं जिनकी वित्तीय जानकारी उनके संबंधित देशों में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई है और जिनकी समीक्षा उनके संबंधित देशों में लागू सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के तहत प्रमाणित अन्य लेखा परीक्षकों या स्थानीय प्रबंधन द्वारा की गई है। निगम के प्रबंधन ने भारत के बाहर स्थित ऐसी शाखाओं की वित्तीय जानकारी को उनके संबंधित देशों में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों में परिवर्तित कर दिया है। हमने निगम के प्रबंधन द्वारा किए गए इन रूपांतरण समायोजनों की समीक्षा की है। जहां तक भारत के बाहर स्थित ऐसी विदेशी शाखाओं के शेष और मामलों का संबंध है, हमारा निष्कर्ष एक अन्य लेखा परीक्षक/प्रबंधन द्वारा प्रमाणित खातों की रिपोर्ट और हमारे द्वारा समीक्षा किए गए निगम के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण रूपांतरण समायोजन पर आधारित है।

8. समेकित वित्तीय विवरणों में दुबई शाखा की वित्तीय जानकारी शामिल है, जिसने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्त लेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी के अनुसार रन-ऑफ शाखा की स्थिति की सूचना दी है। शाखा के लेखा परीक्षकों ने यह भी कहा है कि शाखा को भविष्य में क्रियाशील संस्था के रूप में नहीं देखा जाता है क्योंकि 14 सितंबर 2022 को जीआईसी गिफ्ट सिटी शाखा और दुबई शाखा के बीच एक पोर्टफोलियो ट्रांसफर करार किया गया है।

9. हमने समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल तीन सहायक कंपनियों के वार्षिक वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी लेखापरीक्षा नहीं की, जिनकी वित्तीय जानकारी/वित्तीय विवरण 31 मार्च 2026 को कुल परिसंपत्ति (निवल) ₹ 8,83,343 लाख दर्शाते हैं और कुल प्रीमियम ₹ 29,739 लाख है और कुल निवल लाभ (कर पश्चात) ₹ 5,726 लाख है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। इन वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा एक अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा निष्कर्ष, जहां तक यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

10. समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कंपनियों के संबंध में उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ में समूह का हिस्सा ₹ 66,188 लाख है। इनमें से, दो सहायक कंपनियों के संबंध में, वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और एक सहायक कंपनी प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय जानकारी पर आधारित है।

11. कुछ सहायक और सहयोगी कंपनियों की वित्तीय जानकारी होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग तारीख से अलग तारीख तक तैयार की जाती है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 2 में प्रकट किया गया है।

12. हमने उपरोक्त सहायक और सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर भरोसा किया है, जिन्हें प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित किया गया है।

13. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह पूर्वोक्त सहायक कंपनियों और सहयोगियों से संबंधित है, पूरी तरह से प्रबंधन और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

14. उपगत परंतु पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न की गई (''आईबीएनईआर'') देनदारियों, प्रीमियम कमी रिज़र्व (''पीडीआर'') और तकनीकी रिज़र्व (''टीआर'') सहित उपगत परंतु रिपोर्ट नहीं की गई (''आईबीएनआर'') देनदारियों के संबंध में देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन निगम के नियुक्त बीमांकिकों (''नियुक्त बीमांकिक'') की ज़िम्मेदारी है। सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके अनुमानित इन देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन, 31 मार्च 2026 को नियुक्त बीमांकिकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और उनकी राय में, ऐसे मूल्यांकनों के लिए उनके द्वारा मानी गई धारणाएँ आईआरडीएआई और भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा आईआरडीएआई की सहमति से जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। हमने बकाया दावा आरक्षित निधियों, निगम के समेकित वित्तीय विवरणों में निहित पीडीआर और टीआर के लिए देनदारियों के मूल्यांकन पर अपना निष्कर्ष बनाने के लिए इस संबंध में निगम के नियुक्त बीमांककों के प्रमाणपत्रों पर भरोसा किया है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारे प्रतिवेदन में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारी

15. होल्डिंग कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल जानकारी शामिल है, जिसमें बोर्ड के प्रतिवेदन और उसके अनुलग्नक, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, व्यावसायिक उत्तरदायित्व प्रतिवेदन और निगमीय अभिशासन पर प्रतिवेदन शामिल हैं, लेकिन इसमें एकल और समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन शामिल नहीं है। यह वार्षिक प्रतिवेदन और अन्य जानकारी हमें इस लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

16. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों से भौतिक रूप से असंगत है, या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा प्राप्त जानकारी भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। जब हम वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ते हैं, और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें इस मामले की सूचना अभिशासन के प्रभारी अधिकारियों को देनी होगी।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

17. होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथा संशोधित बीमा अधिनियम 1938 (''बीमा अधिनियम''), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (''आईआरडीएआई अधिनियम''), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 (''विनियम''), कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक और भारत में सामान्यतय स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

18. इस ज़िम्मेदारी में निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं की रोकथाम व पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जो वित्तीय वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले तात्विक मिथ्या कथनों से मुक्त हैं।

19. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन निगम की क्रियाशील संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर, क्रियाशील संस्था से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन निगम को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, क्योंकि ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

20. होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल समूह और उसकी सहयोगी कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

21. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, किसी भी प्रकार के तात्विक मिथ्या कथनों से मुक्त हैं, और लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षकों के मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा किसी तात्विक मिथ्या तथ्य का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

22. एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:
    - समेकित वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण होने वाले तात्विक मिथ्या कथनों के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करते हैं और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक मिथ्या तथ्य का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न तात्विक मिथ्या तथ्य की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
    - लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ डिज़ाइन की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों, लेकिन इस बारे में राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं कि क्या निगम के पास वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियाँ हैं।
    - प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
    - लेखांकन के लिए क्रियाशील संस्था के आधार पर प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो निगम की क्रियाशील संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण निगम का क्रियाशील संस्था के रूप में जारी रहना बंद हो सकता है।
    - प्रकटीकरणों सहित, समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना, और यह देखना कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो।

23. तात्विकता वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथन की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना पैदा करती है कि वित्तीय विवरणों के किसी यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक तात्विक और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

24. हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों के साथ अन्य मामलों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं।

25. हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को यह कथन भी देते हैं कि हमने लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में भी संवाद करना है जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों से संबंधित माने जा सकते हैं।

26. अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को नहीं रोकता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारे प्रतिवेदन में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

27. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशों या निर्देशों के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और ऊपर पैराग्राफ 6 में संदर्भित शाखा लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों पर विचार करने के बाद, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:
    क. हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
    ख. हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसा कि उन बहियों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है, उनसे हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां प्राप्त हुई हैं;
    ग. शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित होलडिंग कंपनी के चार शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उनका उचित ढंग से निरूपण किया है;

घ. इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलनपत्र, समेकित राजस्व लेखे, समेकित लाभ–हानि लेखे और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों और उन शाखाओं/प्रतिनिधि कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

ड.. 31 मार्च, 2026 तक होलडिंग कंपनी देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन निगम द्वारा नियुक्त बीमांकिक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है, जिसमें यह भी शामिल है कि ऐसे मूल्यांकन के लिए धारणाएं भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा अपने सदस्यों को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं और इसे आईआरडीएआई को भेज दिया गया है।

च. समेकित तुलनपत्र, समेकित राजस्व लेखे, समेकित लाभ–हानि लेखे और समेकित नकदी प्रवाह विवरण (प्रत्यक्ष विधि) बीमा अधिनियम 1938, आईआरडीएआई अधिनियम, 1999 और अधिनियम के अनुसार तैयार किए गए हैं।

छ. होलडिंग कंपनी के निवेशों का मूल्यांकन बीमा अधिनियम के प्रावधानों, विनियमों और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया गया है।

ज. होल्डिंग कंपनी द्वारा चुनी गई लेखांकन नीति सही हैं। ये नीतियां और उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 और उससे तहत जारी प्रासंगिक नियमों के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं। साथ ही, ये भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के भी अनुरूप हैं और विनियम, बीमा अधिनियम, आईआरडीएआई अधिनियम और आईआरडीएआई द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्रों/आदेशों/निर्देशों में निर्दिष्ट लेखांकन सिद्धांतों से असंगत नहीं हैं।

झ. 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधानों से छूट दी गई है। तदनुसार, होल्डिंग कंपनी के लिए यह रिपोर्ट करना ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का कोई निदेशक उस धारा में दिए गए प्रावधानों के तहत अयोग्य है या नहीं।

ञ. निगम एक बीमा कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी संशोधित कंपनी (लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश, 2020 (''आदेश'') लागू नहीं होता है।

ट. निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, ''अनुलग्नक क'' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ठ. कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

(i) समूह ने समेकित वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 17 में लंबित मुकदमों के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का प्रकटन किया है;

(ii) समेकित वित्तीय विवरणों में, लागू कानून या लेखा मानकों के अंतर्गत, दीर्घकालिक अनुबंधों पर महत्वपूर्ण अप्रत्याशित हानियों, यदि कोई हों, के लिए यथा 31 मार्च 2026 को प्रावधान किए गए हैं। 31 मार्च 2026 को कोई व्युत्पन्नी अनुबंध नहीं थे।

(iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे समूह द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित करने की आवश्यकता थी।

(iv) (क) प्रबंधन ने यह अभिवेदन किया है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, होलडिंग कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (''मध्यवर्ती'') शामिल हैं, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हो) अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस सहमति के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यवर्ती, कंपनी (''अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, जमानत या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने अभिवेदन किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हैं) प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्था (''वित्तपोषण पक्ष'') शामिल है, इस सहमति के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से वित्तपोषण पक्ष (''अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, जमानत या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी;

(ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के अंतर्गत प्रस्तुत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) में प्रावधान किया गया है, में कोई तात्विक मिथ्या कथन है।

(v) होलडिंग कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123, यथा लागू हो, के अनुसार है।

(vi) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच शामिल थी, निगम ने अपनी खाता बहियों को बनाए रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करने) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित रहा है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला और ऑडिट ट्रेल

को रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 128 (5) की अपेक्षाओं के अनुसार संरक्षित किया गया है। इसके अलावा, भारत में निगमित एक सहयोगी कंपनी के मामले में, हमें केवल प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण प्राप्त हुए हैं तथा ऑडिट ट्रेल का विवरण उपलब्ध नहीं है।

28. यथा संशोधित कंपनी अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हम प्रतिवेदन करते हैं कि 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस. आर. 463(ई) के तहत अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान होल्डिंग कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, अधिनियम की धारा 197(16) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

29. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत आवश्यक है और हमारी पूर्वोक्त लेखापरीक्षा के आधार पर, हम इसके साथ ''अनुलग्नक ख'' के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा निर्देश, उन पर की गई कार्रवाई और होल्डिंग कंपनी के खातों और समेकित वित्तीय विवरणें पर वित्तीय प्रभाव संलग्न करते हैं।

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101046W / W100063

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता संख्या 134767

स्थान : मुंबई
दिनांक: 26 मई 2026
यूडीआईएन: 26134767SWFEMM4564

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 120927W

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या 119509

स्थान : मुंबई
दिनांक: 26 मई 2026
यूडीआईएन: 26119509RSDLHW1913

परिशिष्ट 1

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल संस्थाओं की सूची

सहायक कंपनियाँ

1. जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड, दक्षिण अफ्रीका
2. जीआईसी री इंडिया निगमीय मेंबर लिमिटेड, यूके
3. जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी एलएलसी, रूस

सहयोगी कंपनियाँ

1. जीआईसी भूटान री लिमिटेड, भूटान
2. एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत
3. इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर

परिशिष्ट 2

शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं की सूची

1. जीआईसी री, गिफ्ट सिटी, भारत
2. जीआईसी री, दुबई, यूएई
3. जीआईसी री, लंदन, यूके
4. जीआईसी री, मलेशिया

भारतीय साधारण बीमा निगम के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के समदिनांकित प्रतिवेदन का ''अनुलग्नक क''

(26 मई 2026 के स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के भाग रूप 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर प्रतिवेदन' के पैराग्राफ 27(के) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रतिवेदन

1. 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ, हमने उस तिथि को भारतीय साधारण बीमा निगम (''होल्डिंग कंपनी'') और भारत में निगमित उसकी सहयोगी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

2. होल्डिंग कंपनी और उसके सहयोगी कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, जिन पर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में रिपोर्टिंग लागू होती है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें निगम की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013, बीमा अधिनियम, 1938 यथ संशोधित (''आईआरडीएआई अधिनियम''), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 (''विनियम'') और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (''आईआरडीएआई'') द्वारा इस संबंध में निर्धारित आदेशों / निर्देशों और भारत में बीमा उद्योग के भीतर प्रचलित वर्तमान प्रथाओं के तहत आवश्यक है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट (''मार्गदर्शी नोट'') और आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं।

4. इन मानकों और मार्गदर्शी नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसे निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और कि क्या ऐसे नियंत्रण सभी तात्विक पहलुओं में प्रभावी रूप से लागू थे।

5. हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों में तात्विक ग़लतबयानी के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप, हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

6. वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण के साथ, निगम की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सुविधा के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं और निगम की प्राप्तियाँ और व्यय केवल निगम के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) निगम की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जिनका समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

7. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें सांठ–गांठ या नियंत्रणों पर अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण तात्विक मिथ्या कथन हो सकता है और उसका पता नहीं चल पाता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा कम हो सकती है।

राय

8. हमारी राय में, व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप, निगम के पास, सभी तात्विक पहलुओं में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर, 31 मार्च 2026 को प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

अन्य मामले

9. प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत में निगमित सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरणों की समूह के समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा की तिथि तक लेखापरीक्षा नहीं की गई है, इसलिए हम सहयोगी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। हालाँकि, सहयोगी कंपनी समूह का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है; इसलिए हमने इस मामले पर अपनी राय स्पष्ट नहीं की है।

10. यथा 31 मार्च 2026 को उपगत लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आईबीएनआर) और उपगत लेकिन पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आईबीएनईआर) के संबंध में पॉलिसी देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन, नियमों के अनुसार नियुक्त बीमांकिक द्वारा प्रमाणित है और 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अनुसार हमारे द्वारा इस पर भरोसा किया गया है। तदनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय में मूल्यांकन पर प्रबंधन के आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता और पूर्वोक्त बीमांकिक मूल्यांकन की सटीकता पर रिपोर्टिंग शामिल नहीं है।

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101046W / W100063

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता संख्या 134767

स्थान : मुंबई
दिनांक: 26 मई 2026
यूडीआईएन: 26134767SWFEMM4564

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 120927W

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या 119509

स्थान : मुंबई
दिनांक: 26 मई 2026
यूडीआईएन: 26119509RSDLHW1913

भारतीय साधारण बीमा निगम के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के समदिनांकित प्रतिवेदन का ''अनुलग्नक ख''

(दिनांक 26 मई 2026 के स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के भाग रूप परिच्छेद 29 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम निगम के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखों पर की गई कार्रवाई और वित्तीय प्रभाव के बारे में रिपोर्ट करते हैं, सिवाय लाबुआन (मलेशिया) शाखा और लंदन शाखा के बारे में, जिनके लेखा परीक्षकों ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों और उप-निर्देशों पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

क्र. सं.	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश	की गई कार्रवाई और वित्तीय प्रभाव
1.	क्या निगम ने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों के लिए कंपनी द्वारा सीधे या ट्रस्ट के ज़रिए किए गए सभी निवेशों (चाहे वे सूचीबद्ध हों या असूचीबद्ध) के उचित मूल्यांकन का आकलन किया है? इसमें मूल्यांकन के तरीकों की जाँच करना, भारतीय लेखांकन मानक के साथ एकरूपता सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेज़ों की समीक्षा करना शामिल है। लेखापरीक्षक मूल्यांकन के तरीके, उसके उचित होने और लागू नियमों के पालन के बारे में एक संक्षिप्त नोट देगा, जिसमें किसी भी महत्वपूर्ण अंतर या गलत जानकारी की रिपोर्ट की जाएगी।	कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों के लिए कंपनी ने सीधे या ट्रस्ट के ज़रिए जो भी निवेश किए हैं, उनका मूल्यांकन लागू वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और नियमों के अनुसार सही ढंग से किया गया है। इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निगम ने जो तरीका और प्रक्रिया अपनाई है, वह सही है; इसलिए इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है। मूल्यांकन के तरीके के बारे में संक्षिप्त जानकारी परिशिष्ट 3 में दी गई है।
2.	क्या निगम के पास सभी लेखांकन लेन-देनों को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो क्या इस प्रणाली और कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रकिया और साइबर सुरक्षा के लिए ज़रूरी नियंत्रणों की समीक्षा Cert-In द्वारा अधिकृत सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा संगठन ने वर्ष में कम से कम एक बार की है और क्या कोई बड़ी गड़बड़ी मिलने पर उसकी उचित रिपोर्टिंग की गई है? आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देन को संसाधित करने से खातों की अखंडता और वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव की भी रिपोर्टिंग की जाए।	निगम के पास आईटी प्रणालियों के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने की प्रणाली है, सिवाय उन मामलों के जहाँ आईटी प्रणाली में डेटा डालने से पहले कुछ मैन्युअल गणना करने की ज़रूरत होती है: 1. प्रीमियम और कमीशन का अनुमान: प्रीमियम और कमीशन अनुमानों का आधार आईटी प्रणाली से निकाले गए डेटा के आधार पर मैन्युअल रूप से गणना की जाती है और फिर सत्यापन के बाद इसे आईटी लेखा प्रणाली में दर्ज किया जाता है, इसलिए इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होता है। 2. असमाप्त जोखिम रिजर्व (यूआरआर): यूआरआर का प्रावधान सिस्टम से निकाले गए डेटा के आधार पर मैन्युअल रूप से गणना की जाती है और फिर सत्यापन के बाद इसे आईटी प्रणाली में दर्ज किया जाता है, इसलिए इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होता है। 3. संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान: प्रावधान की गणना (कंपनी की नीति के अनुसार) आईटी सिस्टम से निकाले गए डेटा के आधार पर मैन्युअल रूप से की जाती है और फिर सत्यापन के बाद उसे आईटी लेखा प्रणाली में दर्ज किया जाता है, इसलिए इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। 4. बकाया हानि आरक्षित निधि (ओएसएलआर): ओएसएलआर की गणना प्राप्त सूचनाओं/खातों के विवरण के आधार पर मैन्युअल रूप से की जाती है और फिर ऐसी गणना के बाद उसे आईटी लेखा प्रणाली में दर्ज किया जाता है, इसलिए इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। 5. उपगत लेकिन रिपोर्ट नहीं किया गया, उपगत लेकिन पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किया गया और प्रीमियम न्यूनता आरक्षित निधि (आईबीएनआर, आईबीएनईआर और पीडीआर): इनकी गणना आईटी प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नियुक्त बीमांकिकों द्वारा मैन्युअल रूप से की जाती है और फिर जीआईसी द्वारा बीमांककों की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, उसे आईटी लेखा प्रणाली में दर्ज किया जाता है, इसलिए इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

क्र. सं.	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश	की गई कार्रवाई और वित्तीय प्रभाव
		6. रेट्रो रिकवरी दावे: यह ज्ञात है कि दावा वसूली मैन्युअल रूप से संसाधित की जाती है और डेटा ऑफ़लाइन रखा जाता है। सत्यापन के बाद इसे आईटी प्रणाली में दर्ज किया जाता है, इसलिए इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी होने की तारीख तक, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा अभी की जानी है; हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 29 जुलाई 2025 की साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई थी। हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक की साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, ऐसी आईटी प्रणालियों और नियंत्रणों में कोई ऐसी बड़ी कमी नहीं है जिसके कारण संस्था के वित्तीय विवरणों में कोई तात्विक मिथ्या कथन हो सकता हो, और लेखापरीक्षक ने भी कोई कमी नहीं बताई है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का नियम व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा-जोखा रखा गया/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	लागू नहीं। निगम एक पुनर्बीमा कंपनी है, और यह विशिष्ट योजनाओं के लिए राज्य/केन्द्रीय एजेंसियों से सीधे कोई धनराशि प्राप्त नहीं करती है।
4.	क्या निगम ने जोखिम वाले मुख्य क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या निगम ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है? यदि हाँ, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक स्तर पर अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम तरीकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है? (ख) क्या निगम ने अपनी डेटा संपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?	निगम ने मुख्य जोखिमों की पहचान, आकलन, निगरानी, उन्हें कम करने और उनकी रिपोर्टिंग के लिए पूरे संगठन में लागू होने वाला जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है। साथ ही,उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति और प्रक्रिया मैनुअल भी बनाया और लागू किया गया है। यह नीति निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित है और प्रबंधन के अनुसार, यह वैश्विक उत्कृष्ट प्रथा पर आधारित है। कंपनी ने लागू वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है। इन डेटा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन भी लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार किया गया है।
5.	क्या निगम, जहाँ भी लागू हो, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सेबी, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कंपनी कार्य मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, CERT-In, इलेक्ट्रॉनिक्सऔर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया के अन्य लागू नियमों और विनियमों का पालन कर रहा है? यदि नहीं, तो नियमों से अलग हटकर किए गए कामों या मामलों को बताया जाए।	निगम द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण, कंपनी की सचिवीय लेखपरीक्षा रिपोर्ट और हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, निगम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सेबी, दीपम, एमसीए, डीपीई, आरबीआई, CERT-In और MeitY द्वारा जारी अन्य लागू नियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और विनियमों के प्रावधानों का पालन कर रहा है। इसके अलावा, भारतीय दूरसंचार एवं विनियामक प्राधिकरण और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी अतिरिक्त निर्देशों के संबंध में, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम निगम के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखों पर की गई कार्रवाई और वित्तीय प्रभाव के बारे में नीचे रिपोर्ट करते हैं:

क्र. सं.	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत उप-निर्देश	की गई कार्रवाई और वित्तीय प्रभाव
1	सीजीएस/एसजीएस/बॉन्ड/डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्व के हकों की संख्या। भौतिक/डीमैट रूप में उपलब्ध है और इनमें से, उन मामलों की संख्या जो कंपनी की लेखा बहियों में दर्शाई गई संबंधित राशियों से मेल नहीं खाते हैं, सत्यापित की जा सकती है और पाई गई विसंगति की उचित रूप से रिपोर्ट की जा सकती है।	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, डिबेंचर शेषों का मिलान निगम की लेखा बहियों के साथ अभिरक्षक के रिकॉर्ड के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, बांड के मामले में: निगम के अभिरक्षक के पास वास्तव में दातार स्विचगियर लिमिटेड का ₹65 लाख (पूर्व वर्ष ₹65 लाख) का बांड है, जो निगम की लेखा बहियों के अनुसार धारित राशि से अधिक (13 लाख रुपये) है। हमें सूचित किया गया है कि कंपनी समाधान के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है।
2	क्या निवेश नीति मौजूद है और इसमें निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करने की व्यवस्था शामिल है और क्या हानि रोध सीमाएँ निर्धारित हैं? यदि हाँ, तो क्या इसका पालन किया गया था? यदि अस्तित्व में नहीं है या इसका पालन नहीं किया गया है, तो विवरण दिया जाए।	वार्षिक निवेश नीति मौजूद है जिसमें निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करने की व्यवस्था शामिल है और नीति में हानि रोध सीमा निर्धारित की गई है जिसका पालन किया गया है। निवेश नीति की समीक्षा वार्षिक और आईआरडीएआई विनियमों के अनुसार अर्ध-वार्षिक रूप से भी की जाती है। निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा हर तिमाही में की जाती है और पोर्टफोलियो का प्रदर्शन बोर्ड को उसकी तिमाही बैठकों में भी प्रस्तुत किया जाता है। निवेश नीति में 30 जनवरी 2023 से प्रभावी विशिष्ट हानि रोध दिशानिर्देश पेश किए गए हैं। हानि रोध दिशानिर्देशों के अलावा, एक इक्विटी समीक्षा नीति भी मौजूद है। स्टॉप लॉस दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक कंपनी की गहन समीक्षा की जा रही है और कंपनी/क्षेत्र के विस्तृत विश्लेषण के बाद होल्ड या एग्जिट की सिफारिशों पर एक सतत प्रक्रिया के रूप में विचार किया जाता है। निगम अवांछित इक्विटी निवेशों से बाहर आने के लिए इक्विटी समीक्षा नीति और हानि रोध दिशानिर्देशों दोनों के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने में सक्रिय रहा है।

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101046W / W100063

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता संख्या 134767

स्थान : मुंबई
दिनांक: 26 मई 2026
यूडीआईएन: 26134767SWFEMM4564

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 120927W

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या 119509

स्थान : मुंबई
दिनांक: 26 मई 2026
यूडीआईएन: 26119509RSDLHW1913

परिशिष्ट 3

खंड 1 पर संक्षिप्त नोट – सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के लिए ट्रस्ट के ज़रिए रखे गए निवेशों का मूल्यांकन

हमें उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड, निवेश विवरण, बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट और अन्य सहायक दस्तावेज़ों की जांच के आधार पर, हमने पाया कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के लिए बनाए गए ट्रस्ट (ट्रस्टों) के ज़रिए रखे गए निवेशों का मूल्यांकन 31 मार्च, 2026 को उचित मूल्य/बाज़ार मूल्य पर किया गया है।

हमने उध्दृत और अनुध्दृत निवेशों के लिए अपनाई गई मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा की। उध्दृत निवेशों का मूल्यांकन रिपोर्टिंग की तारीख पर उपलब्ध बाज़ार मूल्य के आधार पर किया गया है। हमने पिछले वर्षों में अपनाए गए मूल्यांकन के तरीके के साथ इसकी समानता की भी जांच की और मूल्यांकन के आधार बने सहायक दस्तावेज़ों को भी देखा।

निवेश पोर्टफोलियो सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च–गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड और अनुध्दृत निवेशों में लगाया गया है, जिनका मूल्यांकन देखे जा सकने वाले बाज़ार इनपुट और प्रकाशित निवल परिसंपत्ति मूल्य/बाज़ार मूल्य के आधार पर किया जाता है, जिससे मूल्यांकन में अनिश्चितता कम हो जाती है। नतीजतन, ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में बड़ी गड़बड़ी का जोखिम कम माना जाता है।

की गई लेखा प्रक्रिया के आधार पर, अपनाई गई मूल्यांकन पद्धति उचित लगती है और यह लेखांकन नीतियों और लागू लेकांकन ढांचे के अनुसार है। ट्रस्ट के ज़रिए रखे गए निवेशों के मूल्यांकन में कोई तात्विक विचलन, विसंगति या मिथ्या कथन नहीं पाया गया है।

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा 26 मई 2026 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम के समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने भारतीय साधारण बीमा निगम और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की, लेकिन उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड, दक्षिण अफ्रीका, जीआईसी री इंडिया निगमीय मेंबर लिमिटेड, यूके, जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी, एलएलसी, रूस, जीआईसी भूटान री लिमिटेड, भूटान और इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(ए) जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड, दक्षिण अफ्रीका, जीआईसी री इंडिया निगमीय मेंबर लिमिटेड, यूके, जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी, एलएलसी, रूस, जीआईसी भूटान री लिमिटेड, भूटान और इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर पर लागू नहीं होती हैं, क्योंकि ये संबंधित कानूनों के तहत विदेशी देशों में निगमित संस्थाएं हैं, इसलिए उनके सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और पूरक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए यह धारा लागू नहीं होती है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने न तो सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इन कंपनियों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी दस्तावेजों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक जाँच तक सीमित है।

अपनी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के तहत उन महत्वपूर्ण मामलों को रेखांकित करना चाहता हूँ जो मेरे ध्यान में आये हैं और जो मेरी राय में वित्तीय विवरण और उससे जुड़ी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं।

टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
क. लाभप्रदता पर टिप्पणियां **(i) समेकित तुलन-पत्र** **आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल): ₹104300 लाख** **समेकित लाभ और हानि खाता** **आस्थगित कर : (₹34906) लाख** एएस 22 (आय पर कर के लिए लेखांकन) के अनुसार, आस्थगित कर समय के अंतर के कारण होने वाले कर प्रभाव को दर्शाता है। समय के अंतर, करयोग्य आय और लेखांकन आय के बीच वे अंतर हैं जो एक अवधि में शुरू होते हैं और बाद की अवधि में प्रतिवर्तित सकते हैं। आस्थगित कर आस्तियों (DTA) को तभी मान्यता दी जाती है जब उनके वसूली की उचित निश्चितता हो। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत खंड I - गैर इंड एस पर मार्गदर्शी नोट का पैराग्राफ 8.1.2.1, 'आरक्षित निधि' को किसी सामान्य या विशिष्ट उद्देश्य के लिए आय के विनियोग के रूप में परिभाषित करता है और इसे आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची II, भाग II में बताए गए फॉर्म B-RA के मद सं. 9 - एएस 29 के तहत परिभाषित 'प्रावधान' से अलग बताता है और अपेक्षा करता है कि आपदा आरक्षित निधि में ट्रान्सफर को आरक्षित निधि अधिशेष (अनुसूची 6) के अंतर्गत दर्शाए गए शेष के साथ 'विनियोग' शीर्ष के तहत दिखाया जाए।	आस्थगित कर एक लेखांकन मद है जो AS 22, 'आय पर कर के लिए लेखांकन' के तहत आता है। इसके अलावा आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची II, भाग II में बताए गए फॉर्म B-RA की मद सं.9 - ''विनियोग'' के तहत, परिचालन लाभ का एक हिस्सा आपदा रिज़र्व में आवश्यक धनराशि ट्रांसफर करके अलग किया जाता है, और शेष धनराशि लाभ और हानि खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इस तरह, आपदा रिज़र्व में धनराशि ट्रांसफर करने के बाद कर-पूर्व लाभ निर्धारित किया जाता है। आपदा रिज़र्व पर आस्थगित कर आस्ति को दर्शाना सही है, क्योंकि कर-पूर्व लाभ निकालते समय इस रिज़र्व को राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है और कर प्रयोजनों के लिए इसे वापस जोड़ा जाता है, और आपदा से जुड़े वास्तविक दावे का भुगतान होने पर ही इसे कटौती के तौर पर अनुमति मिलती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आपदा रिज़र्व लाभ का एक विनियोग है, न कि कोई खर्च, प्रावधान या देनदारी। यह किसी मौजूदा दायित्व को नहीं दिखाता है, न ही यह बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है; इसलिए, अड 22 के तहत इससे समय का कोई अंतर पैदा नहीं होता है। परिणामस्वरूप, ₹2,43,724 लाख के आपदा रिज़र्व के मुकाबले ₹61,340 लाख की आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता देना अड 22 के अनुसार नहीं है। इसके कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल) को ₹61,340 लाख अधिक दिखाया गया है, और साथ ही कर–पश्चात लाभ ₹18,605 लाख अधिक और 'रिज़र्व और अधिशेष' ₹42,735 लाख अधिक दर्शाए गए है	इससे अड 22 के तहत समय का अंतर और अनुरूपी भावी कर का लाभ मिलता है। निगम को पूरा भरोसा है कि भविष्य में आपदा से जुड़े पात्र दावों के लिए इस आपदा रिज़र्व का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे इससे जुड़ी आस्थगित कर परिसंपत्ति को दर्शाने का आधार मिलता है। अतएव, प्रबंधन का मानना है कि आपदा रिज़र्व पर आस्थगित कर परिसंपत्ति (DTA) के लिए अपनाई गई लेखांकन प्रक्रिया – जिसका कई वर्षों से लगातार पालन किया जा रहा है – सही है और लागू लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है। इसी के अनुसार, मौजूदा लेखांकन प्रक्रिया में किसी भी बदलाव की ज़रूरत नहीं समझी जाती है।
(ii) समेकित लाभ और हानि खाता **अन्य आय: विविध प्राप्तियां : ₹1153 लाख** सहायक कंपनी जीआईसी री निगमीय मेंबर यूके द्वारा दर्ज किए गए 500 हज़ार जीबीपी के सदस्य खर्चों के लिए पुनर्बीमाकर्ता से मिली प्रतिपूर्ति को, जीआईसी री की बहियों में संबंधित कमीशन खर्चों को हटाए बिना, सीधे तौर पर समेकित लाभ–हानि खाते में ₹574.75 लाख की 'विविध प्राप्तियों' के रूप में दर्ज किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, समेकित लाभ–हानि खाते में 'विविध प्राप्तियां' और समेकित राजस्व खातों (अनुसूची 3) में भुगतान किए गए कमीशन की राशि ₹574.75 लाख अधिक दिखाई गई है।	जीआईसी री निगमीय मेंबर यूके (सहायक कंपनी) के मामले में, 500 हज़ार जीबीपी के सदस्य खर्चों की प्रतिपूर्ति को सहायक कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और संबंधित टिप्पणियों के आधार पर 'विविध प्राप्तियों' के तहत वर्गीकृत किया गया था। कैग की टिप्पणी पर उचित ध्यान दिया गया है। इसके अनुसार, वित्त वर्ष 2026–27 से समेकित वित्तीय विवरण में जीआईसी की बहियों में दर्ज संबंधित कमीशन के मुकाबले उक्त राशि को हटाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। वर्ष 2025–26 के लिए लाभ और हानि के विवरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(iii) समेकित राजस्व खाते **समस्त बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय** **(अनुसूची 4): ₹45163 लाख** भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण(बीमा कंपनियों के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची ।।, भाग ।। के अनुसार, अनुसूची 4 बीमा कारोबार से जुड़े परिचालन खर्चों से संबंधित है और इसे राजस्व खाते में दिखाया जाना ज़रूरी है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए वैट रिटर्न में विसंगतियों और निगमीय कर पंजीकरण में देरी के कारण यूएई के फेडरल कर प्राधिकरण (FTA) द्वारा लगाए गए ₹6219 लाख के जुर्माने की रकम को, 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित एकल राजस्व खाते में ''बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय'' के तहत शामिल किया गया था। चूंकि यह व्यय बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए आईआरडीएआई विनियम, 2024 के अनुसार इसे लेखापरीक्षित एकल लाभ और हानि खाते में ''अन्य व्यय (ई) – जुर्माना'' के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, राजस्व खाते में 'बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय को ₹6219 लाख अधिक दिखाया गया तथा लाभ और हानि खाते और 'अन्य व्यय (ई): जुर्माने' को ₹6219 लाख कम दिखाया गया।	दुबई शाखा पर लगे वैट जुर्माने को निगम ने दुबई शाखा के लेखापरीक्षित विवरण और संबंधित नोटों के आधार पर परिचालन व्यय के तौर पर दिखाया था, क्योंकि इसे परिचालन से जुड़ा व्यय माना गया था। हालांकि, कैग की टिप्पणी पर ध्यान दिया गया है और वित्तीय वर्ष 2026–27 से समेकित वित्तीय विवरण में इस मद को **''अन्य व्यय (ई) – जुर्माना''** के तहत फिर से वर्गीकृत किया जाएगा।

ख. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ –

समेकित तुलन–पत्र

(i) नकद और बैंक बैलेंस (अनुसूची 11): ₹2848888 लाख

लेखांकन मानक (AS) 1 के पैराग्राफ 17(सी) के अनुसार, वित्तीय विवरणों में सभी महत्वपूर्ण मदों का प्रकटन किया जाना चाहिए, जिनकी जानकारी वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं के निर्णयो पर प्रभाव डाल सकती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2026 तक बैंक शेष पुष्टि प्रमाणपत्र में कुल ₹1436736 लाख की सावधि जमा दिखाई गई थीं, जबकि जीआईसी री की खाता बहियों में दो महा बही खातों में कुल ₹872000 लाख का शेष था। इस तरह, ₹564736 लाख का अंतर जीआईसी री की बहियों में उपलब्ध नहीं था। प्रबंधन ने बताया कि ₹ 557295 लाख की जमा राशि आतंकवादी पूल और न्यूक्लियर पूल से जुड़ी थी। सैप में पूल कोड के तहत इनका हिसाब अलग से रखा गया था और जीआईसी री के पैन का इस्तेमाल करके इनमें निवेश किया गया था, क्योंकि ये पूल अलग कानूनी इकाइयाँ नहीं हैं।

प्रबंधन के उत्तर को देखते हुए, ₹7441 लाख (₹564736 लाख – ₹557295 लाख) का अंतर बिना समाधान के रह गया। हालाँकि, जीआईसी री की बहियों से पूल निवेश और उससे होने वाली आय को अलग–अलग करने के दस्तावेज़ी साक्ष्य, या जीआईसी के पैन के इस्तेमाल से कर पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़े दस्तावेज़ लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए।

इसके अलावा, एकल वित्तीय विवरण में जीआईसी री द्वारा 'पूल प्रबंधक' के तौर पर भारतीय बाजार आतंकवादी जोखिम बीमा पूल और भारतीय न्यूक्लियर बीमा पूल के प्रबंधन के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई थी। खास तौर पर, वित्तीय विवरणों में इन पूलों के अभिशासन और परिचालन ढांचे; पूलों के निवेश को प्रबंधित और संचालित करने के तरीके; और पूलों की परिसंपत्तियों और निवेश के संबंध में जीआईसी री के एक्सपोज़र, जिम्मेदारियों और आर्थिक भूमिका के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। साथ ही, पूलों के निवेश और उससे जुड़े दूसरे लेनदेनों के लिए जीआईसी री के स्थायी खाता संख्या (पैन) के इस्तेमाल से होने वाले संभावित कर प्रभाव(अगर कोई हो) के बारे में भी जानकारी नहीं दी गई थी।

विभिन्न लिखतों में इन पूलो से जुड़े निवेशों के बड़े आकार को देखते हुए, ऊपर दी गई जानकारी एएस 1 के पैराग्राफ 17(सी) के तहत महत्वपूर्ण तथ्य मानी जाती है।

निगम की बहियों (जिसमें पूल से जुड़े सावधि जमा शेष भी शामिल हैं) के अनुसार राशि और बैंक पुष्टि के अनुसार राशि के बीच ₹7441 लाख के अंतर के संबंध में, कैग की टिप्पणियों के अनुसार अंतर का मिलान इस प्रकार किया गया है:

विवरण	राशि (₹लाख में)
एक्सिस बैंक चालू खाता शेष	₹3457
एक्सिस बैंक उपचित किंतु देय नहीं गणना	₹1765
कोटक महिंद्रा बैंक उपचित किंतु देय नहीं गणना	₹2227
घटाएं: पुष्टि में गलती से उल्लिखित यूनियन बैंक अतिरिक्त शेष	₹(8)
समाधान की गई राशि	**₹7441**

इस बारे में अलग–अलग बैंकों से स्पष्टीकरण मिल गया है और यह निगम के पास उपलब्ध है। ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, बैंक शेष में अंतर का सही ढंग से मिलान और उचित स्पष्टीकरण किया गया है, और संगठन के पास इसके लिए आवश्यकत दस्तावेज़ी साक्ष्य भी मौजूद हैं।

वर्ष के अंत में पूल से संबंधित आय, परिसंपतियों और देनदारियों को सभी पूल सदस्यों के बीच बांटा जाता है, और हर सदस्य अपने हिस्से को रिकॉर्ड करता है और लागू करों का भुगतान अलग–अलग करता है। टीपीएलआई और आईएनआईपी निवेश, और उनसे जुड़ी आय को अलग–अलग सैप कंपनी कोड के तहत अलग से रखा और उनका हिसाब–किताब किया जाता है। 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार, जीआईसी री की बहियों में केवल उसके हिस्से को ही दर्शाया जाता है।

चूंकि पूल की परिसंपत्तियां और देनदारियां बराबर हैं, इसलिए जीआईसी री के खातों पर इनका प्रभाव निष्क्रिय (न्यूट्रलाइज़) हो जाता है, और आतंकवादी पूल शेष को सॉल्वेंसी मार्जिन और विश्लेषण अनुपात की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। इस मामले पर कैग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, निगम 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक खातों की भाग रूप बनने वाली टिप्पणियों में पूल से संबंधित सभी जानकारी अलग से बताएगा।

ऋण (अनु 9): ₹12531 लाख

सहायक कंपनी जीआईसी री निगमीय मेंबर यूके द्वारा ऋण संस्थाओं को दिए गए ₹46766.44 लाख (GBP 38696 हज़ार) के ऋण को 'ऋण' (अनुसूची 9) में दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन इसे 'पॉलिसीधारक निवेश' (अनुसूची 8ए) में शामिल कर लिया गया। इसके कारण 'ऋण' की राशि ₹46766.44 लाख कम और 'पॉलिसीधारक निवेश' की राशि ₹46766.44 लाख अधिक दिखाई दी।

जीआईसी री निगमीय मेंबर यूके (सहायक कंपनी) के मामले में, ऋण संस्थाओं के साथ ऋण को सहायक कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और संबंधित टिप्पणियों के आधार पर 'पॉलिसीधारक निवेश' (अनुसूची 8ए) के तहत वर्गीकृत किया गया था। कैग की टिप्पणी पर उचित ध्यान दिया गया है। इसके अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 से जीआईसी री के समेकित वित्तीय विवरण में उक्त राशि को 'ऋण' (अनुसूची 9) के तहत फिर से वर्गीकृत करना सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) आस्थगित कर देयता (निवल): ₹475 लाख

सहायक कंपनी, जीआईसी री साउथ अफ्रीका के लेखापरीक्षित खातों में ₹554.17 लाख (ZAR 9,997,771) की आस्थगित कर देयता दिखाई गई थी। हालाँकि, समेकित तुलन-पत्र में देयताओं के तहत आस्थगित कर देयता के तौर पर इसे अलग मद में शामिल करने के बजाय, इसे चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत 'अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां' (अनुसूची 12) में समायोजित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, आस्थगित कर देयता और साथ ही'अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां की राशि ₹554.17 लाख कम दिखाई दी।

जीआईसी री साउथ अफ्रीका (सहायक कंपनी) के मामले में, सहायक कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उससे संबंधित टिप्पणियों के आधार पर, आस्थगित कर देयता को 'चालू परिसंपत्तियों' के तहत 'अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां' (अनुसूची 12) में वर्गीकृत किया गया था। कैग की टिप्पणी पर उचित ध्यान दिया गया है। इसके अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 से जीआईसी री के समेकित वित्तीय विवरण में आस्थगित कर देयता के तहत उक्त राशि का आवश्यक पुनर्समूहन सुनिश्चित किया जाएगा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

(विशाल चावड़े)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (वित्तीय सेवाएं), मुंबई

स्थान : मुंबई
तारीख : 05.08.2026

भारतीय साधारण बीमा निगम
के लिए और की ओर से

(हितेश जोशी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान :मुंबई
तारीख : 13.08.2026

वित्तीय जानकारी



फॉर्म बी–आरए
पंजीकरण सं. 112
आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तिथि: 2 अप्रैल 2001
अग्नि बीमा व्यवसाय के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित समेकित राजस्व खाते

	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पूर्व वर्ष (₹ लाख में)
1.	अर्जित प्रीमियम (निवल)	1	1201 798	1166 431
2.	निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ/(हानि)		101 129	104 625
3.	ब्याज, लाभांश और किराया – सकल* (टिप्पणी 1)		223 879	221 838
4.	अन्य			
	(क) विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)		30 747	5 218
	(ख) शेयरधारकों के खाते से योगदान		0	0
	(i) प्रबंधन के व्यय के प्रति		0	0
	(ii) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के प्रति		0	0
	(iii) अन्य		0	0
	कुल (क)		**1557 553**	**1498 112**
5.	उपगत दावे (निवल)	2	848 097	974 197
6.	कमीशन	3	301 207	283 922
7.	बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	4	16 305	14 977
	निवेश से संबंधित खर्च		0	0
8	प्रीमियम न्यूनता		0	0
	कुल (ख)		**1165 609**	**1273 096**
9.	**अग्नि बीमा व्यवसाय से परिचालन लाभ/(हानि) ग = (क–ख)**		**391 944**	**225 016**
10.	**विनियोजन**			
	शेयरधारक खाते में अंतरण		356 817	203 949
	आपदा आरक्षित निधि में अंतरण		35 127	21 067
	अन्य आरक्षित निधि में अंतरण (निर्दिष्ट किया जाए)		0	0
	कुल (ग)		**391 944**	**225 016**

टिप्पणी–1

	पॉलिसीधारक की निधियों से संबंधित		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	ब्याज, लाभांश एवं किराया		198 890	178 949
	जोड़ें/घटाएं		0	0
	निवेश व्यय		205	158
	निवेशों पर प्रीमियम/छूट का परिशोधन		1 455	1 325
	मूल्यह्रासित निवेशों के संबंध में बट्टे खाते डाली गई राशि		0	0
	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		(1 432)	(9 014)
	सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी के अलावा अन्य के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		1 197	5 075
	पूल से निवेश आय		26 414	40 433
	ब्याज, लाभांश एवं किराया – सकल*		**223 879**	**221 838**

**सकल शब्द का तात्पर्य टीडीएस सहित है।*
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ राजस्व खाते का अभिन्न अंग हैं।
हमारे सम–दिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार।

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

फॉर्म बी–आरए

पंजीकरण सं. 112

आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तिथि: 2 अप्रैल 2001

विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित समेकित राजस्व खाते

	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पूर्व वर्ष (₹ लाख में)
1.	अर्जित प्रीमियम (निवल)	1	2449 836	2184 432
2.	निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ/(हानि)		149 774	154 774
3.	ब्याज, लाभांश और किराया – सकल* (टिप्पणी 1)		328 140	328 273
4.	अन्य			
	(क) विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)		49 989	7 646
	(ख) शेयरधारकों के खाते से योगदान		0	0
	(i) प्रबंधन के व्यय के प्रति		0	0
	(ii) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के प्रति		0	0
	(iii) अन्य		0	0
	कुल (क)		**2977 739**	**2675 125**
5.	उपगत दावे (निवल)	2	2106 540	1815 814
6.	कमीशन	3	487 492	442 139
7.	बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	4	26 017	22 099
8	प्रीमियम न्यूनता		0	0
	कुल (ख)		**2620 048**	**2280 052**
9.	**विविध व्यवसाय से परिचालन लाभ/(हानि) ग = (क–ख)**		**357 690**	**395 073**
10.	**विनियोजन**			
	शेयरधारक खाते में अंतरण		323 735	356 346
	आपदा आरक्षित निधि में अंतरण		33 955	38 727
	अन्य आरक्षित निधि में अंतरण (निर्दिष्ट किया जाए)		0	0
	कुल (ग)		**357 690**	**395 073**

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ राजस्व खाते का अभिन्न अंग हैं।

टिप्पणी –1

	पॉलिसीधारक की निधियों से संबंधित		**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
	ब्याज, लाभांश एवं किराया		326 441	321 041
	जोड़ें/घटाएं			
	निवेश व्यय		288	254
	निवेशों पर प्रीमियम/छूट का परिशोधन		2 167	1 959
	मूल्यह्रासित निवेशों के संबंध में बट्टे खाते डाली गई राशि		0	0
	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		(2 133)	(13 328)
	सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी के अलावा अन्य के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		1 784	7 503
	पूल से निवेश आय		3 805	3 620
	ब्याज, लाभांश एवं किराया – सकल*		**328 140**	**328 273**

***** *सकल शब्द का तात्पर्य टीडीएस सहित है।*

हमारे सम–दिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार।

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

फॉर्म बी–आरए

पंजीकरण सं. 112

आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तिथि: 2 अप्रैल 2001

मरीन बीमा व्यवसाय के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित समेकित राजस्व खाते

	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पूर्व वर्ष (₹ लाख में)
1.	अर्जित प्रीमियम (निवल)	1	95 113	112 997
2.	निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ/(हानि)		10 344	12 999
3.	ब्याज, लाभांश और किराया – सकल* (टिप्पणी 1)		22 720	27 603
4.	अन्य			
	(क) विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)		3 423	637
	(ख) शेयरधारकों के खाते से योगदान			
	(i) प्रबंधन के व्यय के प्रति		0	0
	(ii) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के प्रति		0	0
	(iii) अन्य		0	0
	कुल (क)		**131 600**	**154 236**
5.	उपगत दावे (निवल)	2	67 404	136 274
6.	कमीशन	3	15 655	19 680
7.	बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	4	1 056	871
8	प्रीमियम न्यूनता		0	0
	कुल (ख)		**84 115**	**156 825**
9.	**मरीन व्यवसाय से परिचालन लाभ/(हानि) ग = (क–ख)**		**47 485**	**(2 589)**
10.	**विनियोजन**			
	शेयरधारक खाते में अंतरण		42 642	(2 589)
	आपदा आरक्षित निधि में अंतरण		4 843	0
	अन्य आरक्षित निधि में अंतरण (निर्दिष्ट किया जाए)		0	0
	कुल (ग)		**47 485**	**(2 589)**

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ राजस्व खाते का अभिन्न अंग हैं।

टिप्पणी –1

पॉलिसीधारक की निधियों से संबंधित	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
ब्याज, लाभांश एवं किराया	22 869	27 302
जोड़ें/घटाएं		
निवेश व्यय	24	23
निवेशों पर प्रीमियम/छूट का परिशोधन	149	164
मूल्यह्रासित निवेशों के संबंध में बट्टे खाते डाली गई राशि	0	0
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(147)	(1 118)
सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी के अलावा अन्य के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	123	630
पूल से निवेश आय	0	0
ब्याज, लाभांश एवं किराया – सकल*	**22 720**	**27 603**

**सकल शब्द का तात्पर्य टीडीएस सहित है।*

हमारे सम–दिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार।

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

फॉर्म बी–आरए

पंजीकरण सं. 112

आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तिथि: 2 अप्रैल 2001

जीवन बीमा व्यवसाय के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित समेकित राजस्व खाते

	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पूर्व वर्ष (₹ लाख में)
1.	अर्जित प्रीमियम (निवल)	1	227 584	207 323
2.	निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ/(हानि)		9 851	7 494
3.	ब्याज, लाभांश और किराया – सकल* (टिप्पणी 1)		21 543	15 863
4.	अन्य			
	(क) विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)		6 483	750
	(ख) शेयरधारकों के खाते से योगदान			
	(i) प्रबंधन के व्यय के प्रति		0	0
	(ii) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के प्रति		0	0
	(iii) अन्य		0	0
	कुल (क)		**265 461**	**231 430**
5.	उपगत दावे (निवल)	2	309 776	290 405
6.	कमीशन	3	2 379	1 457
7.	बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	4	1 785	1 500
8	प्रीमियम न्यूनता		5 771	(3 762)
	कुल (ख)		**319 711**	**289 600**
9.	**जीवन व्यवसाय से परिचालन लाभ/(हानि) ग = (क–ख)**		**(54 250)**	**(58 170)**
10.	**विनियोजन**			
	शेयरधारक खाते में अंतरण		(54 250)	(58 170)
	आपदा आरक्षित निधि में अंतरण		0	0
	अन्य आरक्षित निधि में अंतरण (निर्दिष्ट किया जाए)		0	0
	कुल (ग)		**(54 250)**	**(58 170)**

टिप्पणी –1

	पॉलिसीधारक की निधियों से संबंधित		**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
	ब्याज, लाभांश एवं किराया		21 679	15 686
	जोड़ें/घटाएं			
	निवेश व्यय		16	10
	निवेशों पर प्रीमियम/छूट का परिशोधन		143	95
	मूल्यह्रासित निवेशों के संबंध में बट्टे खाते डाली गई राशि		0	0
	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		(140)	(646)
	सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी के अलावा अन्य के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		117	364
	पूल से निवेश आय		0	0
	ब्याज, लाभांश एवं किराया – सकल※		**21 543**	**15 863**

**सकल शब्द का तात्पर्य टीडीएस सहित है।*

हमारे सम–दिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार।

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

फॉर्म बी–आरए

पंजीकरण सं. 112

आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तिथि: 2 अप्रैल 2001

समस्त बीमा व्यवसाय के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित समेकित राजस्व खाते

	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पूर्व वर्ष (₹ लाख में)
1.	अर्जित प्रीमियम (निवल)	1	3974 331	3671 183
2.	निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ/(हानि)		271 098	279 892
3.	ब्याज, लाभांश और किराया – सकल* (टिप्पणी 1)		596 282	593 576
4.	अन्य			
	(क) विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)		90 642	14 251
	(ख) शेयरधारकों के खाते से योगदान		0	0
	(i) प्रबंधन के व्यय के प्रति		0	0
	(ii) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के प्रति		0	0
	(iii) अन्य		0	0
	कुल (क)		**4932 353**	**4558 902**
5.	उपगत दावे (निवल)	2	3331 818	3216 689
6.	कमीशन (निवल)	3	806 733	747 199
7.	बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	4	45 163	39 448
8	प्रीमियम न्यूनता		5 771	(3 762)
	कुल (ख)		**4189 485**	**3999 574**
9.	**समस्त बीमा व्यवसाय से परिचालन लाभ/(हानि) ग = (क–ख)**		**742 868**	**559 328**
10.	**विनियोजन**			
	शेयरधारक खाते में अंतरण		668 944	499 533
	आपदा आरक्षित निधि में अंतरण		73 925	59 795
	अन्य आरक्षित निधि में अंतरण (निर्दिष्ट किया जाए)		0	0
	कुल (ग)		**742 868**	**559 328**

टिप्पणी –1

	पॉलिसीधारक की निधियों से संबंधित	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	ब्याज, लाभांश एवं किराया	569 879	542 976
	जोड़ें/घटाएं		
	निवेश व्यय	533	446
	निवेशों पर प्रीमियम/छूट का परिशोधन	3 914	3 544
	मूल्यह्रासित निवेशों के संबंध में बट्टे खाते डाली गई राशि	0	0
	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(3 852)	(24 108)
	सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी के अलावा अन्य के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	3 221	13 572
	पूल से निवेश आय	30 219	44 053
	ब्याज, लाभांश एवं किराया – सकल*	**596 282**	**593 576**

**सकल शब्द का तात्पर्य टीडीएस सहित है।*

हमारे सम–दिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार।

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

फॉर्म बी-पीएल

पंजीकरण सं. 112

आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तिथि: 2 अप्रैल 2001

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का लेखापरीक्षित समेकित विवरण

	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1.	परिचालन लाभ /-हानि			
	(क) अग्नि बीमा		356 817	203 949
	(ख) मरीन बीमा		42 642	(2 589)
	(ग) विविध बीमा		323 735	356 346
	(घ) जीवन बीमा		(54 250)	(58 170)
2.	निवेशों से आय			
	(क) ब्याज, लाभांश और किराया - सकल		315 726	284 035
	(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ		141 123	132 993
	(ग) निवेशों की बिक्री/निवेशों के मोचन पर (हानि)		0	0
	(घ) निवेशों पर प्रीमियम / छूट का परिशोधन		0	0
3.	अन्य आय :			
	(क) विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)		45 341	5 903
	(ख) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)		0	0
	(ग) पुनरांकित विविध शेष (निवल)		0	0
	(घ) आयकर वापसी पर ब्याज		0	208
	(ड.) (प्रावधान)/संदिग्ध ऋणों और निवेश का प्रत्यावर्तन		1 994	11 075
	(च) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान/(बट्टे खाते में डाला गया)		0	0
	(छ) विविध प्राप्तियाँ		1 153	1 003
	कुल (क)		**1174 281**	**934 753**
4.	प्रावधान (कराधान के अलावा)			
	(क) निवेशों के मूल्य में कमी		1 668	6 372
	(ख) संदिग्ध ऋणों और निवेश के लिए प्रावधान		0	0
	(ग) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान/(उलटाव)		11 782	5 448
	(घ) निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन		2 026	1 664
5	अन्य व्यय :			
	(क) बीमा व्यवसाय से संबंधित व्ययों के अलावा अन्य व्यय			
	i) विदेशी मुद्रा हानि/(लाभ)		0	0
	ii) (परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (निवल)		50	36
	(ख) बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण (निवल)		(13)	44
	(ग) गौण ऋण पर ब्याज और अन्य		27	27
	(घ) सीएसआर गतिविधियों पर व्यय		13 578	10 585

(ङ) जुर्माने		0	0
(च) पॉलिसीधारकों के खाते में अंशदान			
(i) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के प्रति		0	0
(ii) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के प्रति		0	0
(ज) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		0	0
कुल (ख)		493	112
कर पूर्व लाभ		**29 611**	**24 288**
कराधान के लिए प्रावधान:		**1144 670**	**910 465**
वर्तमान कर			
आस्थगित कर		274 883	213 126
पिछले वर्षों के संबंध में कर प्रावधान		(34 732)	(314)
पिछले वर्ष का एमएटी क्रेडिट		4 470	256
कर पश्चात लाभ		**900 049**	**697 397**
सहयोगी कंपनियों में लाभ का हिस्सा		66 189	45 788
वर्ष के लिए लाभ		**966 238**	**743 185**
विनियोजन:			
(क) अंतरिम लाभांश		0	0
(ख) भुगतान किया गया अंतिम लाभांश		175 440	175 440
(ग) सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण		600	0
पिछले वर्ष से आगे लाया गया लाभ शेष		2661 390	2093 646
तुलन-पत्र में आगे ले जाया गया शेष		3451 588	2661 390
5 रुपये अंकित मूल्य के प्रति शेयर आय		55.08	42.36
5 रुपये अंकित मूल्य के प्रति शेयर तनुकृत आय		55.08	42.36

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखों पर टिप्पणियां तुलन-पत्र का अभिन्न भाग हैं - टिप्पणी संख्या 16

हमारे सम-दिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार।

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार-सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

फॉर्म बी-बीएस

पंजीकरण सं. 112

आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तिथि: 2 अप्रैल 2001

31 मार्च 2026 को लेखापरीक्षित समेकित तुलन-पत्र

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
निधियों के स्रोत			
शेयर पूंजी	5 & 5A	87 720	87 720
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि			
आरक्षित निधि और अधिशेष	6	5841 924	4778 196
उचित मूल्य परिवर्तन खाता			
शेयरधारक निधि		1118 438	1284 054
पॉलिसीधारक निधि		2156 368	2729 991
उधार	7	0	0
कुल		**9204 450**	**8879 961**
निधियों का उपयोग			
निवेश- शेयरधारक	8	5321 740	4828 520
निवेश- पॉलिसीधारक	8A	9515 559	9499 502
ऋण	9	12 531	13 736
अचल परिसंपत्तियां	10	30 443	29 918
समेकन पर गुडविल		2 738	2 738
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)		104 300	69 333
चालू परिसंपत्तियाँ:			
नकदी और बैंक शेष	11	2848 888	2528 070
अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियों	12	2737 080	2505 125
उप-योग (क)		**5585 968**	**5033 195**
आस्थगित कर देयता (निवल)		475	187
वर्तमान देयताएँ	13	9271 377	8623 267
प्रावधान		2096 977	1973 527
उप-योग (ख)		**11368 829**	**10596 981**
निवल चालू परिसंपत्तियाँ (ग)=(क-ख)		**(5782 861)**	**(5563 786)**
विविध व्यय (बट्टे खाते में डाले या समायोजित न किए गए सीमा तक)	15	0	0
कुल		**9204 450**	**8879 961**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखों पर टिप्पणियां तुलन-पत्र का अभिन्न भाग हैं - टिप्पणी संख्या 16

हमारे सम-दिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार।

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार-सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों की भाग रूप अनुसूचियाँ

अनुसूची 1

अर्जित प्रीमियम (निवल)

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
क	**अग्नि बीमा**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	1441 470	1414 946
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	225 891	221 008
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**1215 579**	**1193 938**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का आरंभिक शेष	600 525	573 017
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का अंतिम शेष	614 305	600 525
	निवल अर्जित प्रीमियम	**1201 799**	**1166 431**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	– भारत में	0	0
	– भारत के बाहर	0	0
ख	**विविध बीमा**		
(1)	**मोटर**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	763 312	661 862
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	8 982	18 436
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**754 330**	**643 426**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का आरंभिक शेष	321 716	357 246
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का अंतिम शेष	377 366	321 716
	निवल अर्जित प्रीमियम	**698 681**	**678 956**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	– भारत में	0	0
	– भारत के बाहर	0	0
(2)	**विमानन**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	83 760	72 908
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	46 211	37 794
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**37 549**	**35 114**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का आरंभिक शेष	17 557	21 101
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का अंतिम शेष	18 775	17 557
	निवल अर्जित प्रीमियम	**36 332**	**38 658**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	– भारत में	0	0
	– भारत के बाहर	0	0

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
(3)	**इंजीनियरिंग**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	203 992	183 496
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	19 857	20 702
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**184 135**	**162 794**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का आरंभिक शेष	82 031	76 839
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का अंतिम शेष	92 747	82 031
	निवल अर्जित प्रीमियम	**173 419**	**157 603**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	– भारत में	0	0
	– भारत के बाहर	0	0
(4)	**कामगार मुआवजा/नियोक्ता की देयता**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	3 443	2 900
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	74	0
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**3 369**	**2 900**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का आरंभिक शेष	1 450	2 207
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का अंतिम शेष	1 685	1 450
	निवल अर्जित प्रीमियम	**3 135**	**3 657**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	– भारत में	0	0
	– भारत के बाहर	0	0
(5)	**देयता**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	92 681	78 335
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	12 310	14 510
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**80 371**	**63 825**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का आरंभिक शेष	32 078	26 551
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का अंतिम शेष	40 243	32 078
	निवल अर्जित प्रीमियम	**72 205**	**58 298**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	– भारत में	0	0
	– भारत के बाहर	0	0
(6)	**व्यक्तिगत दुर्घटना**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	75 499	57 441
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	20	460
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**75 480**	**56 981**

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का आरंभिक शेष	28 491	20 683
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का अंतिम शेष	37 740	28 491
	निवल अर्जित प्रीमियम	**66 230**	**49 174**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	– भारत में	0	0
	– भारत के बाहर	0	0
(7)	**स्वास्थ्य**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	921 312	954 315
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	1 521	8 911
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**919 791**	**945 403**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का आरंभिक शेष	472 757	276 517
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का अंतिम शेष	459 929	472 757
	निवल अर्जित प्रीमियम	**932 619**	**749 163**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	– भारत में	0	0
	– भारत के बाहर	0	0
(8)	**कृषि**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	339 286	326 305
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	6 246	7 080
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**333 040**	**319 225**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का आरंभिक शेष	23 815	31 958
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का अंतिम शेष	34 290	23 815
	निवल अर्जित प्रीमियम	**322 565**	**327 369**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	– भारत में	0	0
	– भारत के बाहर	0	0
(9)	**अन्य विविध**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	126 460	112 930
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	2 805	2 750
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**123 655**	**110 180**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का आरंभिक शेष	45 366	32 063
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का अंतिम शेष	53 089	45 366
	निवल अर्जित प्रीमियम	**115 932**	**96 877**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	– भारत में	0	0
	– भारत के बाहर	0	0

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
(10)	**वित्तीय देयता/ऋण**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	29 251	31 950
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	1 283	2 447
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**27 967**	**29 503**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का आरंभिक शेष	14 762	9 937
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का अंतिम शेष	14 013	14 762
	निवल अर्जित प्रीमियम	**28 717**	**24 678**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	– भारत में	0	0
	– भारत के बाहर	0	0
	कुल विविध		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	2638 997	2482 442
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	99 308	113 090
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**2539 689**	**2369 352**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का आरंभिक शेष	1040 022	855 102
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का अंतिम शेष	1129 876	1040 022
	निवल अर्जित प्रीमियम	**2449 835**	**2184 432**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	– भारत में	0	0
	– भारत के बाहर	0	0
ग	**मरीन बीमा**		
(1)	**मरीन कार्गो**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	57 873	54 688
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	14 288	12 979
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**43 585**	**41 710**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का आरंभिक शेष	21 745	47 891
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का अंतिम शेष	23 586	21 745
	निवल अर्जित प्रीमियम	**41 744**	**67 856**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	– भारत में	0	0
	– भारत के बाहर	0	0
(2)	**मरीन हल**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	53 400	56 782
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	4 393	3 412
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**49 007**	**53 370**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का आरंभिक शेष	53 370	45 141
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का अंतिम शेष	49 007	53 370

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	निवल अर्जित प्रीमियम	**53 370**	**45 141**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	– भारत में	0	0
	– भारत के बाहर	0	0
	कुल मरीन		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	111 273	111 470
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	18 681	16 391
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**92 592**	**95 079**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का आरंभिक शेष	75 114	93 032
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का अंतिम शेष	72 593	75 114
	निवल अर्जित प्रीमियम	**95 113**	**112 997**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	– भारत में	0	0
	– भारत के बाहर	0	0
घ	**जीवन बीमा**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	245 048	186 674
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	2 469	3 821
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**242 579**	**182 853**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का आरंभिक शेष	21 408	45 878
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का अंतिम शेष	36 403	21 408
	निवल अर्जित प्रीमियम	**227 584**	**207 323**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	– भारत में	0	0
	– भारत के बाहर	0	0
ड.	**कुल सभी श्रेणियां**		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	4436 788	4195 533
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	346 349	354 310
	निवल लिखित प्रीमियम/निवल प्रीमियम आय	**4090 439**	**3841 223**
	जोड़ें: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का आरंभिक शेष	1737 069	1567 029
	घटाएँ: अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व (युपीआर) का अंतिम शेष	1853 177	1737 069
	निवल अर्जित प्रीमियम	**3974 331**	**3671 183**
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	– भारत में	0	0
	– भारत के बाहर	0	0

अनुसूची 2

उपगत दावे (निवल)

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
क	**अग्नि बीमा**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	689 715	723 156
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	52 456	61 453
	भुगतान किए गए निवल दावे	**637 259**	**661 703**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	3258 651	3047 813
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	3047 813	2735 319
	निवल उपगत दावे	**848 097**	**974 197**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर		0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	1873 125	1654 687
	अवधि के प्रारंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	1654 687	1368 633
ख	**विविध बीमा**		
(1)	**मोटर**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	662 289	617 762
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	6 262	12 625
	भुगतान किए गए निवल दावे	**656 027**	**605 137**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	1964 013	1948 874
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	1948 874	1929 176
	निवल उपगत दावे	**671 166**	**624 835**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	1088 944	1107 165
	अवधि के प्रारंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	1107 165	1117 227
(2)	**विमानन**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	37	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	85 049	59 411
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	35 335	20 460
	भुगतान किए गए निवल दावे	**49 750**	**38 951**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	178 566	161 899

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	161 899	167 063
	निवल उपगत दावे	**66 417**	**33 786**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	62 893	81 553
	अवधि के प्रारंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	81 553	73 977
(3)	**इंजीनियरिंग**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	72 522	50 355
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	2 401	1 942
	भुगतान किए गए निवल दावे	**70 122**	**48 414**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	493 772	452 638
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	452 638	392 850
	निवल उपगत दावे	**111 255**	**108 202**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	331 733	272 622
	अवधि के प्रारंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	272 622	212 998
(4)	**कामगार मुआवजा/नियोक्ता की देयता**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	3 640	5 538
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	0	0
	भुगतान किए गए निवल दावे	**3 640**	**5 538**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	17 169	17 718
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	17 718	11 160
	निवल उपगत दावे	**3 091**	**12 096**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	9 564	9 679
	अवधि के प्रारंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	9 679	5 950
(5)	**देयता**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	37 293	39 821

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	4 609	4 424
	भुगतान किए गए निवल दावे	**32 684**	**35 397**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	210 031	182 772
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	182 772	162 243
	निवल उपगत दावे	**59 943**	**55 926**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	140 614	120 694
	अवधि के प्रारंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	120 694	102 298
(6)	**व्यक्तिगत दुर्घटना**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	33 642	26 003
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	39	368
	भुगतान किए गए निवल दावे	**33 603**	**25 635**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	92 032	84 896
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	84 896	84 643
	निवल उपगत दावे	**40 739**	**25 887**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	58 682	59 172
	अवधि के प्रारंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	59 172	59 139
(7)	**स्वास्थ्य**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	637 598	574 652
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	1 511	15 117
	भुगतान किए गए निवल दावे	**636 088**	**559 535**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	608 933	448 981
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	448 981	399 081
	निवल उपगत दावे	**796 039**	**609 435**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	539 507	389 581
	अवधि के प्रारंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	389 581	355 829

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
(8)	**कृषि**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	266 146	219 422
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	54 417	4 828
	भुगतान किए गए निवल दावे	**211 729**	**214 594**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	945 970	867 515
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	867 511	789 006
	निवल उपगत दावे	**290 188**	**293 103**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	731 267	646 186
	अवधि के प्रारंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	646 186	542 720
(9)	**अन्य विविध**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	63 387	49 572
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	(807)	1 060
	भुगतान किए गए निवल दावे	**64 194**	**48 512**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	141 537	145 565
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	145 569	139 520
	निवल उपगत दावे	**60 162**	**54 557**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	82 802	73 749
	अवधि के प्रारंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	73 749	73 292
(10)	**वित्तीय देयता/ऋण**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	8 893	25 360
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	523	811
	भुगतान किए गए निवल दावे	**8 370**	**24 549**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	70 829	71 661
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	71 661	98 223
	निवल उपगत दावे	**7 538**	**(2 013)**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	56 630	59 791
	अवधि के प्रारंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	59 791	67 279

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	कुल विविध		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	37	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	1870 460	1667 896
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	104 289	61 635
	भुगतान किए गए निवल दावे	**1766 208**	**1606 261**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	4722 851	4382 519
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	4382 519	4172 966
	निवल उपगत दावे	**2106 540**	**1815 814**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	3102 638	2820 192
	अवधि के प्रारंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	2820 192	2610 708
ग	**मरीन बीमा**		
(1)	**मरीन कार्गो**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	51 738	117 609
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	5 037	3 292
	भुगतान किए गए निवल दावे	**46 701**	**114 317**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	158 037	168 881
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	168 881	185 989
	निवल उपगत दावे	**35 856**	**97 209**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	78 816	99 686
	अवधि के प्रारंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	99 686	127 114
(2)	**मरीन हल**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	73 083	61 319
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	1 000	2 545
	भुगतान किए गए निवल दावे	**72 083**	**58 774**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	176 058	216 592
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	216 592	236 302
	निवल उपगत दावे	**31 549**	**39 064**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	92 580	102 455
	अवधि के प्रारंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	102 455	100 885

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	कुल मरीन		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	124 821	178 928
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	6 037	5 837
	भुगतान किए गए निवल दावे	**118 783**	**173 091**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	334 095	385 474
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	385 474	422 291
	निवल उपगत दावे	**67 404**	**136 274**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	171 397	202 141
	अवधि के प्रारंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	202 141	227 999
घ	**जीवन बीमा**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	204 178	191 400
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	1 244	2 743
	भुगतान किए गए निवल दावे	**202 935**	**188 657**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	344 713	237 872
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	237 872	136 124
	निवल उपगत दावे	**309 776**	**290 405**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	311 281	190 671
	अवधि के प्रारंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	190 671	104 734
ड.	**कुल सभी श्रेणियां**		
	भुगतान किए गए दावे		
	प्रत्यक्ष	37	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	2889 174	2761 380
	घटाएँ: अर्पण किया गया पुनर्बीमा	164 026	131 668
	भुगतान किए गए निवल दावे	**2725 185**	**2629 712**
	जोड़ें: अवधि के अंत में बकाया दावे	8660 311	8053 678
	घटाएँ: अवधि के आरंभ में बकाया दावे	8053 678	7466 700
	निवल उपगत दावे	**3331 818**	**3216 689**
	भुगतान किए गए दावे (प्रत्यक्ष)		
	–भारत में	0	0
	–भारत के बाहर	0	0
	अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	5458 440	4867 690
	अवधि के प्रारंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)	4867 690	4312 075

अनुसूची 3

कमीशन

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
क	**अग्नि बीमा**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	30	11 750
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	320 930	302 299
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	19 753	30 127
	निवल कमीशन	**301 207**	**283 922**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	20 556	26 601
	सकल कमीशन	300 404	287 448
	कुल कमीशन	**320 960**	**314 049**
ख	**विविध बीमा**		
(1)	**मोटर**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	157 812	106 887
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	2 155	3 190
	निवल कमीशन	**155 657**	**103 697**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	3 368	3 215
	सकल कमीशन	154 444	103 672
	कुल कमीशन	**157 812**	**106 887**
(2)	**विमानन**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	15 784	16 744
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	10 108	9 182
	निवल कमीशन	**5 676**	**7 562**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	2 520	2 155
	सकल कमीशन	13 263	14 590
	कुल कमीशन	**15 784**	**16 744**
(3)	**इंजीनियरिंग**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	39 558	39 037
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	2 596	2 222
	निवल कमीशन	**36 962**	**36 815**

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	1 609	1 592
	सकल कमीशन	37 949	37 445
	कुल कमीशन	**39 558**	**39 037**
(4)	**कामगार मुआवजा / नियोक्ता की देयता**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	541	48
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	28	0
	निवल कमीशन	**513**	**48**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	7	10
	सकल कमीशन	534	37
	कुल कमीशन	**541**	**48**
(5)	**देयता**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	17 992	14 825
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	2 442	2 618
	निवल कमीशन	**15 550**	**12 207**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	849	1 113
	सकल कमीशन	17 143	13 712
	कुल कमीशन	**17 992**	**14 825**
(6)	**व्यक्तिगत दुर्घटना**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	25 714	(2 897)
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	(1)	55
	निवल कमीशन	**25 715**	**(2 952)**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	416	424
	सकल कमीशन	25 298	(3 321)
	कुल कमीशन	**25 714**	**(2 897)**
(7)	**स्वास्थ्य**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	198 788	227 500
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	595	993

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	निवल कमीशन	**198 192**	**226 507**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	831	270
	सकल कमीशन	197 957	227 230
	कुल कमीशन	**198 788**	**227 500**
(8)	**कृषि**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	16 250	33 779
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	176	770
	निवल कमीशन	**16 074**	**33 009**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	333	318
	सकल कमीशन	15 917	33 461
	कुल कमीशन	**16 250**	**33 779**
(9)	**अन्य विविध**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	46	19 413
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	23 602	20 861
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	(2 278)	20 553
	निवल कमीशन	**25 926**	**19 721**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	835	845
	सकल कमीशन	22 813	39 429
	कुल कमीशन	**23 648**	**40 274**
(10)	**वित्तीय देयता/ऋण**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	7 643	6 315
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	417	788
	निवल कमीशन	**7 226**	**5 527**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	193	222
	सकल कमीशन	7 450	6 093
	कुल कमीशन	**7 643**	**6 315**
	कुल विविध		
	सकल कमीशन		

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	प्रत्यक्ष	46	19 413
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	503 684	463 098
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	16 238	40 371
	निवल कमीशन	**487 492**	**442 139**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	10 961	10 163
	सकल कमीशन	492 768	472 349
	कुल कमीशन	**503 729**	**482 511**
ग	**मरीन बीमा**		
(1)	**मरीन कार्गो**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	2	3 578
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	10 777	14 027
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	2 702	5 710
	निवल कमीशन	**8 078**	**11 895**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	589	561
	सकल कमीशन	10 190	17 044
	कुल कमीशन	**10 780**	**17 605**
(2)	**मरीन हल**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	7 747	7 804
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	170	19
	निवल कमीशन	**7 577**	**7 785**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	1 606	1 700
	सकल कमीशन	6 142	6 104
	कुल कमीशन	**7 747**	**7 804**
	कुल मरीन		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	2	3 578
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	18 524	21 831
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	2 872	5 729
	निवल कमीशन	**15 655**	**19 680**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	2 195	2 261

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	सकल कमीशन	16 331	23 148
	कुल कमीशन	**18 526**	**25 409**
घ	**जीवन बीमा**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	0	0
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	2 379	1 457
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	0	0
	निवल कमीशन	**2 379**	**1 457**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	959	551
	सकल कमीशन	1 420	906
	कुल कमीशन	**2 379**	**1 457**
ड.	**कुल सभी श्रेणियाँ**		
	सकल कमीशन		
	प्रत्यक्ष	79	34 741
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा	845 517	788 685
	घटाएँ: अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर कमीशन	38 863	76 227
	निवल कमीशन	**806 733**	**747 199**
	कमीशन का चैनलवार विवरण (सकल)		
	ब्रोकरेज	34 672	39 576
	सकल कमीशन	810 924	783 850
	कुल कमीशन	**845 596**	**823 426**

अनुसूची 4

बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1	कर्मचारियों का पारिश्रमिक और कल्याणकारी लाभ	20 511	17 984
2	यात्रा, परिवहन और वाहन चलाने का खर्च	700	651
3	प्रशिक्षण व्यय	162	135
4	किराया, दरें और कर	882	841
5	मरम्मत	1 951	1 665
6	मुद्रण और लेखन सामग्री	14	17
7	संचार व्यय	161	132
8	विधिक और व्यावसायिक शुल्क	1 913	2 555
9	लेखापरीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि		
	(क) लेखा परीक्षक के रूप में	417	707
	(ख) सलाहकार के रूप में या किसी अन्य क्षमता में, निम्नलिखित के संबंध में		
	(i) कराधान संबंधी मामले	5	5
	(ii) बीमा संबंधी मामले	11	8
	(iii) प्रबंधन सेवाएँ और	0	0
	(ग) किसी अन्य क्षमता में	0	0
10	विज्ञापन और प्रचार	1 234	318
11	ब्याज और बैंक प्रभार	5 744	6 939
12	मूल्यह्रास	630	1 456
13	ब्रांड/ट्रेडमार्क उपयोग शुल्क/प्रभार	0	0
14	व्यावसायिक विकास और बिक्री संवर्धन व्यय	0	0
15	सूचना प्रौद्योगिकी व्यय	3 295	2 980
16	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	(543)	372
17	अन्य	8 075	2 683
	कुल	**45 163**	**39 448**
	भारत में	29 037	30 161
	भारत के बाहर	16 126	9 287

अनुसूची 5

शेयर पूँजी

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1	**प्राधिकृत पूंजी**		
	₹ 5/– प्रत्येक के 200,00,00,000 (गत वर्ष 200,00,00,000) इक्विटी शेयर	1 00 000	100 000
	₹.... प्रत्येक के अधिमानी शेयर	0	0
2	**निर्गमित पूँजी**		
	₹ 5/– प्रत्येक के 175,44,00,000 (गत वर्ष 175,44,00,000) इक्विटी शेयर	87 720	87 720
	₹.... प्रत्येक के अधिमानी शेयर	0	0
3	**अभिदत्त पूँजी**		
	₹ 5/– प्रत्येक के 175,44,00,000 (गत वर्ष 175,44,00,000) इक्विटी शेयर	87 720	87 720
	₹.... प्रत्येक के अधिमानी शेयर	0	0
4	**माँगी गई पूँजी**		
	₹ 5/– प्रत्येक के 175,44,00,000 (गत वर्ष 175,44,00,000) इक्विटी शेयर	87 720	87 720
	(पूंजी मोचन रिज़र्व और सामान्य रिज़र्व के पूंजीकरण		
	द्वारा जारी ₹ 5/– प्रत्येक के 168,92,00,000 शेयर शामिल हैं)		
	सामान्य रिज़र्व के पूंजीकरण द्वारा पूर्णतः चुकता शेयर में परिवर्तित	0	0
	₹ 5/– प्रत्येक के 1,00,00,000 अंशत: प्रदत्त शेयर (₹ 2.50 प्रति शेयर भुगतान)		
	घटाएँ: अप्रदत्त कॉल	0	0
	जोड़ें: ज़ब्त किए गए इक्विटी शेयर (मूलत: चुकता राशि)	0	0
	घटाएँ: वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों का सममूल्य	0	0
	घटाएँ: प्रारंभिक व्यय	0	0
	शेयरों की बीमांकन या अभिदान पर कमीशन या ब्रोकरेज सहित व्यय	0	0
	₹.... प्रत्येक के अधिमानी शेयर	0	0
	कुल	**87 720**	**87 720**

अनुसूची 5ए

शेयर पूंजी का शेयरधारिता पैटर्न

प्रबंधन द्वारा प्रमाणित

	शेयरधारक	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		शेयरों की संख्या	धारिता का %	शेयरों की संख्या	धारिता का %
	प्रवर्तक				
	भारतीय	1445567 615	82.40 %	1445567 615	82.40 %
	विदेशी	0		0	
	निवेशक				
	भारतीय	0		0	
	विदेशी	0		0	
	अन्य	308832 385	17.60 %	308832 385	17.60 %
	भारतीय				
	विदेशी				
	योग	**1754400 000**	**100.00%**	**1754400 000**	**100.00%**

अनुसूची 6

आरक्षित निधि और अधिशेष

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1	पूंजी आरक्षित निधि	0	0
2	पूंजी मोचन आरक्षित निधि	0	0
3	शेयर प्रीमियम खाता	154 407	154 407
4	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि	0	0
5	सामान्य आरक्षित निधि		
	आरंभिक शेष	1566 644	1 572 651
	घटाएँ: वापसी खरीद के लिए उपयोग की गई राशि		
	घटाएँ: बोनस शेयर जारी करने के लिए उपयोग की गई राशि	0	0
	जोड़ें: लाभ–हानि खाते से अंतरण	0	0
	अंतिम शेष	**1566 644**	**1572 651**
6	आपदा आरक्षित निधि एवं अन्य आरक्षित निधि		
	आरंभिक शेष	169 799	110 004
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	73 925	59 795
	वर्ष के दौरान कमी	0	0
	अंतिम शेष	**243 724**	**169 799**
7	अन्य आरक्षित निधि		
	विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि		
	आरंभिक शेष	219 949	171 704
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	205 612	48 245
	वर्ष के दौरान कमी	0	0
	अंतिम शेष	**425 561**	**219 949**
8	लाभ और हानि लेखा में लाभ शेष		
	आरंभिक शेष	2661 390	2093 646
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	790 198	567 744
	वर्ष के दौरान कमी	0	0
	अंतिम शेष	**3451 588**	**2661 390**
	कुल	**5841 924**	**4778 196**

अनुसूची 7

उधारराशियां

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1	डिबेंचर/बांड	0	0
2	बैंक	0	0
3	वित्तीय संस्थाएं	0	0
4	अन्य	0	0
	कुल	**0**	**0**

अनुसूची 8 और 8ए

(₹ in Lakhs)

	विवरण	अनुसूची 8		अनुसूची 8ए		कुल	
		निवेश – शेयराधारकों की निधि		निवेश–पॉलिसीधारकों की निधि			
		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	दीर्घावधि निवेश						
1	ट्रेजरी बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकारी गारंटीकृत बांड*	2048 457	1772 423	3795 270	3610 256	5843 728	5382 679
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0	0	0	0	0	0
3	अन्य निवेश	0	0	0	0	0	0
	(क) शेयर	0	0	0	0	0	0
	(कक) इक्विटी – भारतीय	1669 333	1735 401	3224 202	3696 104	4893 535	5431 505
	(कख) इक्विटी – विदेशी	36 824	20 077	6 797	2 464	43 621	22 541
	(खख) अधिमान्य	0	0	0	0	0	0
	(ख) म्यूचुअल फंड	0	0	0	0	0	0
	(ग) व्युत्पन्नी लिखत	0	0	0	0	0	0
	(घ) भारतीय डिबेंचर/बॉन्ड	76 043	34 170	146 872	72 776	222 915	106 946
	विदेशी डिबेंचर/बॉन्ड	17 721	14 783	4 179	2 533	21 900	17 316
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ						
	गारंटीकृत इक्विटी	2	2	3	3	5	5
	ii. इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (InvIT)	1 757	0	3 394	0	5 151	0
	(च) सहायक कंपनियाँ	0	0	0	0	0	0
	(छ) सहयोगी – भारतीय	0	0	0	0	0	0
	सहयोगी – विदेशी	74 961	62 170	0	0	74 961	62 170
	(ज) निवेश संपत्तियाँ – रियल एस्टेट	0	0	0	0	0	0
4	इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग में निवेश						
	(क) इक्विटी	63 328	63 326	122 314	134 873	185 642	198 199
	(ख) डिबेंचर/बॉन्ड	613 381	464 151	1184 704	988 562	1798 085	1452 713
5	अनुमोदित निवेशों के अलावा						
	(क) इक्विटी	40 718	35 599	336 348	221 402	377 065	257 000
	(ख) अधिमानी	0	0	0	0	0	0
	(ग) डिबेंचर/बॉन्ड	1 555	92 095	3 003	196 147	4 558	288 242
	(घ) उद्यम निधि	2 990	2 851	5 774	6 071	8 764	8 922
	(ड.) सहयोगी भारतीय	321 204	264 637	0	0	321 204	264 637
	अल्पावधि निवेश						
1	ट्रेजरी बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकारी गारंटीकृत बांड	133 648	101 283	258 132	215 715	391 780	316 998
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	639	599	1 235	1 275	1 874	1 874
3	अन्य निवेश						
	(क) शेयर						
	(कक) इक्विटी–भारत	0	0	0	0	0	0
	(खख) अधिमान्य–विदेशी	0	0	0	0	0	0
	(ख) म्यूचुअल फंड	25 227	26 065	48 724	55 515	73 951	81 580
	(ग) व्युत्पन्नी लिखत	0	0	0	0	0	0
	(घ) भारतीय डिबेंचर/बॉन्ड	7 334	4 633	14 165	9 867	21 498	14 500
	विदेशी डिबेंचर/बॉन्ड	0	0	0	0	0	0
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ						

	विवरण	अनुसूची 8		अनुसूची 8ए		कुल	
		निवेश – शेयराधारकों की निधि		निवेश–पॉलिसीधारकों की निधि			
	वाणिज्यिक पत्र	0	0	0	0	0	0
	(च) सहायक कंपनियाँ	0	0	0	0	0	0
	(छ) सहयोगी – भारतीय	0	0	0	0	0	0
	सहयोगी – विदेशी	0	0	0	0	0	0
	(ज) निवेश संपत्तियाँ – रियल एस्टेट	0	0	0	0	0	0
4	बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र में निवेश						
	(क) डिबेंचर/बॉन्ड	154 668	105 365	298 731	224 408	453 399	329 773
5	अनुमोदित निवेशों के अलावा						
	(क) अधिमान्य शेयर	0	0	0	0	0	0
	(ख) डिबेंचर/बॉन्ड	31 951	28 891	61 712	61 532	93 663	90 422
	(ग) म्यूचुअल फंड	0	0	0	0	0	0
	कुल	**5321 740**	**4828 520**	**9515 559**	**9499 502**	**14837 299**	**14328 022**

*निवेश पॉलिसीधारक निधि में 31.03.2026 को ₹243724 लाख (31.03.2025 को ₹169799 लाख) की आपदा आरक्षित निधि शामिल है।

शेयरधारक की निधि	**34.11%**
पॉलिसीधारक की निधि	**65.89%**

सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों और व्युत्पन्न लिखतों के अलावा अन्य निवेशों का कुल मूल्य

(₹ लाख में)

विवरण	शेयरधारक		पॉलिसीधारक		कुल	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
दीर्घावधि निवेश:						
बही मूल्य	2680 885	2312 256	5177 948	4924 703	7858 833	7236 959
बाजार मूल्य	2680 885	2312 256	5177 948	4924 703	7858 833	7236 959
अल्पावधि निवेश:						
बही मूल्य	349 872	263 468	675 755	561 140	1025 627	824 608
बाजार मूल्य	353 467	266 835	682 698	568 312	1036 165	835 147

अनुसूची 9
ऋण

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1	प्रतिभूति वार वर्गीकरण		
	सुरक्षित		
	(क) संपत्ति के बंधक पर		
	(कक) भारत में	4 816	4 312
	(खख) भारत के बाहर	12	8
	(ख) शेयरों, बांडों, सरकारी प्रतिभूतियों पर	0	0
	(ग) अन्य: आवास और अग्रिशमन के लिए राज्य सरकार के ऋणों में निवेश	7 140	8 852
	असुरक्षित	563	564
	कुल	**12 531**	**13 736**
2	उधारकर्ता वार वर्गीकरण		
	(क) केंद्र और राज्य सरकारें	7 140	8 852
	(ख) बैंक और वित्तीय संस्थान	0	0
	(ग) सहायक कंपनियाँ	0	0
	(घ) औद्योगिक उपक्रम	4 003	4 007
	(ङ) कंपनियाँ	0	0
	(च) अन्य: कर्मचारियों को ऋण	1 388	877
	कुल	**12 531**	**13 736**
3	निष्पादन वार वर्गीकरण		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण		
	(कक) भारत में	8 397	9 292
	(खख) भारत के बाहर	12	8
	(ख) प्रावधान घटाकर अनर्जक ऋण		
	(कक) भारत में	0	0
	(खख) भारत के बाहर	0	0
	प्रावधान *	4 122	4 436
	कुल	**12 531**	**13 736**
4	परिपक्वता–वार वर्गीकरण		
	(क) अल्पकालिक	1 492	1 551
	(ख) दीर्घकालिक	11 039	12 185
	कुल	**12 531**	13 736

*इसमें अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान शामिल हैं

(₹ लाख में)

अनर्जक ऋणों के विरुद्ध प्रावधान		
अनर्जक ऋण	**ऋण**	**ऋण**
अवमानक	0	0
संदिग्ध	4 122	4 436
हानि	0	0
कुल	**4 122**	**4 436**

अनर्जक ऋणों के विरुद्ध प्रावधान		
अनर्जक ऋण	**प्रावधान**	**प्रावधान**
अवमानक	0	0
संदिग्ध	4 122	4 436
हानि	0	0
कुल	**4 122**	**4 436**

अनुसूची 10
अचल परिसंपत्तियां

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	लागत/सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2025 को	परिवर्धन	कटौती	31.03.2026 को	31.03.2025 तक	31.03.2026 को समाप्त बारह महीने	बिक्री/ समायोजन पर	31.03.2026 तक	31.03.2026 को	31.03.2025 को
लीजहोल्ड भूमि ''सुरक्षा''	2 473	0	0	2 473	1 202	34	0	1 236	1 236	1 271
फ्रीहोल्ड भूमि	5 601	0	0	5 601	0	0	0	0	5 601	5 601
भवन	24 588	0	(1)	24 589	4 665	(145)	176	4 344	20 245	19 924
फर्नीचर और फिटिंग	439	1	64	376	398	17	65	349	27	42
आईटी उपकरण	2 193	597	30	2 759	1 271	435	(292)	1 998	761	922
आईटी सॉफ्टवेयर	8 592	0	79	8 514	7 920	322	516	7 725	789	674
वाहन	1 081	60	191	950	533	110	152	493	457	547
कार्यालय उपकरण	271	14	106	180	241	15	97	159	20	31
एसी और वाटर कूलर	174	0	28	146	141	5	26	120	26	33
लिफ्ट	79	0	0	79	11	5	0	16	63	68
कैंटीन उपकरण	6	0	2	4	4	0	2	3	1	1
विद्युत स्थापना	136	0	94	42	120	3	94	31	11	15
अग्नि अलार्म सिस्टम	34	0	29	5	34	0	29	5	0	0
कुल	**45 667**	**672**	**624**	**45 718**	**16 543**	**802**	**864**	**16 480**	**29 238**	**29 129**
विकासाधीन सॉफ्टवेयर	791	414	0	1 205	0	0	0	0	1 205	791
कुल योग	**46 461**	**1 086**	**624**	**46 923**	**16 543**	**802**	**864**	**16 480**	**30 443**	**29 918**
पिछले वर्ष का कुल	**44 410**	**2 541**	**490**	**46 461**	**15 370**	**1 456**	**284**	**16 543**	**29 918**	

इन आंकड़ों में विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव के कारण होने वाली बढ़ोतरी/कमी भी शामिल है।

*निगम ने इस वर्ष्कबारीय सुधार की प्रक्रिया की, ताकि सैप परिसंपत्ति लेखांकन और सैप प्रधान लेखा–बही (GL) के बीच सकल ब्लॉक और संचित मूल्यह्रास से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे अंतर को ठीक किया जा सके। इस प्रक्रिया के दौरान यह पता चला कि भवन श्रेणी की परिसंपत्तियों के लिए पिछले वर्षों में अतिरिक्त मूलयह्रास लगाया गया था। इसलिए, इस वर्ष ₹728 लाख के ऐसे अतिरिक्त मूल्यह्रास के प्रतिवर्तन को दर्शाया गया है।

अनुसूची 11
नकद और बैंक शेष

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प सहित)	1	1
2	बैंक शेष		
	(क) जमा खाते – अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय)*	2492 729	2066 331
	(ख) चालू खाते	285 274	358 020
	(ग) मार्गस्थ विप्रेषण	0	0
3	मांग और अल्प सूचना पर देय धनराशि		
	(क) बैंक के पास	9 755	1 768
	(ख) अन्य संस्थाओं के पास	61 129	101 950
	कुल	**2848 888**	**2528 070**
	नकद और बैंक शेष		
1	भारत में	970 703	869 150
2	भारत के बाहर	1878 185	1658 920
	कुल	**2848 888**	**2528 070**

*जमा खाते – अल्पावधि में 3 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली ₹15,22,411 लाख (31.03.2025 को ₹10,62,874 लाख) की सावधि जमा राशि और साखपत्र के लिए मार्जिन के तहत ₹5,57,818 लाख (31.03.2025 को ₹6,93,643 लाख) की जमारशि (31.03.2026 तक) शामिल हैं। मार्जिन धन में दुबई शाखा को दी गई ₹1,40,519 लाख की बैंक गारंटी भी शामिल है।

अनुसूची 12

अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
	अग्रिम		
1	सीडिंग कंपनियों के पास आरक्षित जमा	1002 657	892 664
	घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	73 187	54 666
		929 470	837 998
2	निवेश के लिए आवेदन राशि	221 728	218 732
3	पूर्व भुगतान	3 819	5 280
4	निदेशकों/अधिकारियों को अग्रिम	154	49
	घटाएँ: प्रावधान	0	10
	(कराधान के लिए प्रावधान को घटाकर)	154	39
5	प्रदत्त अग्रिम कर और टीडीएस	1117 090	812 523
	घटाएं : कर के लिए प्रावधान	1048 798	745 299
		68 292	67 224
6	वस्तु और सेवा कर क्रेडिट	258	0
7	अन्य :		
	(i) विविध अग्रिम	5 039	3 952
	(ii) सहायक कंपनियों को विविध अग्रिम	1 987	1 988
	(iii) आस्थगित अर्जन लागत	21 365	14 486
	कुल (क)	**1252112**	**1149 699**
	अन्य परिसंपत्तियां		
1	निवेश पर उपचित आय	2 42 106	212 532
2	बकाया प्रीमियम	0	0
	घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान, यदि कोई है		
3	सीडिंग कंपनियों के एजेंटों को अग्रिम की शेषराशि	0	0
4	विदेशी एजेंसियों की शेषराशि	0	0
5	बीमा व्यवसाय करने वाली अन्य संस्थाओं (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) से देय	11 11 424	1134 665
	घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	58 878	62 175
		1052 547	1072 490
6	सहायक कंपनियों/होल्डिंग से देय	100 448	29
7	पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि के लिए रखे गए निवेश	0	0
8	पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि के लिए रखे गए निवेश पर ब्याज	0	0
9	अन्य		
	(i) विविध देनदार	500	5 651
	घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	14	143
		486	5 508
	(ii) विविध जमा	89 132	60 783
	(iii) जीएसटी परिसंपत्ति	0	2 175
	(iv) पेंशन परिसंपत्ति	249	697
	(v) ग्रेच्युटी परिसंपत्ति	0	1 211
	कुल (ख)	**1484 968**	**1355 426**
	कुल (क+ख)	**2737 080**	**2505 125**

अनुसूची 13

चालू देयताएं

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1	एजेंटों का शेष	0	0
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष राशि	4 98 618	441 610
3	अर्पण किए गए पुनर्बीमा पर रखी गई जमा राशि	(43 670)	28 496
4	अग्रिम में प्राप्त प्रीमियम		
	(क) दीर्घकालिक पॉलिसियों के लिए	0	0
	(ख) अन्य पॉलिसियों के लिए	0	0
5	अनाबंटित प्रीमियम	0	0
6	विविध लेनदार	105 529	59 890
7	सहायक कंपनियों/होल्डिंग कंपनी को देय	0	0
8	बकाया दावे	8660 311	8053 678
9	अधिकारियों/निदेशकों को देय	0	0
10	पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि	0	0
11	दावा न की गई राशि पर अर्जित आय	0	0
12	डिबेंचर/बॉन्ड पर देय ब्याज	0	0
13	वस्तु और सेवा कर देयता	50 511	39 527
14	अन्य:		
	क) कर/वैट देयता शाखाएं और सहायक कंपनियां	78	66
	ख) देय लाभांश	0	0
	कुल	**9271 377**	**8623 267**

अनुसूची 15

विविध व्यय (जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है या समायोजित नहीं किया गया है)

	विवरण	चालू वर्ष (₹ लाख में)	पुर्व वर्ष (₹ लाख में)
1	शेयरों/डिबेंचर के निर्गम में दी गई छूट	0	0
2	अन्य	0	0
	कुल	**0**	**0**

अनुसूची–16

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और 31 मार्च 2026 को समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) के भाग रूप में टिप्पणियाँ

I. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ:

1. समेकन के सिद्धांत:

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय साधारण बीमा निगम (''निगम''), उसकी सहायक कंपनियों और उसकी सहयोगी कंपनियों (जिन्हें सामूहिक रूप से ''समूह'' कहा गया है) में निगम के लाभ/हानि हिस्से से संबंधित हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों की सूची इस प्रकार है:

समूह संरचना (भारतीय साधारण बीमा निगम)			
क्र.सं.	**कंपनी का नाम**	**स्वामित्व %**	**निगमन देश**
सहायक कंपनियां			
1.	जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड	100	जोहानेसबर्ग, एसए
2.	जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड	100	लंदन, यू.के.
3	जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी एलएलसी	100	मॉस्को, रूस
सहयोगी कंपनियां			
1.	इंडियन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	35	भारत
2.	इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड	20	सिंगापुर
3.	जीआईसी – भूटान रीइंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	26	भूटान

समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

1.1 निगम और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को लेखांकन मानक (एएस) 21 – ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार, अंतर–समूह शेष और अंतर–समूह लेनदेन और परिणामी लाभ या हानि (जब तक कि लागत वसूल न की जा सके) को हटाने के बाद परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की पंक्ति मदों के मूल्य को एक साथ जोड़कर पंक्ति–दर–पंक्ति आधार पर संयोजित किया गया है।

1.2 सहायक कंपनियों में शेयरों के अर्जन के समय सहायक कंपनियों में निवेश की लागत और निवल परिसंपत्तियों के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में समेकन पर गुडविल या पूंजी आरक्षित निधि,जैसा भी मामला हो, के रूप में दर्शाया जाता है। 'गुडविल' / 'पूंजी आरक्षित निधि' प्रत्येक सहायक कंपनी के लिए अलग से निर्धारित की जाती है।

1.3 सहयोगी कंपनियों में निवेश की गणना लेखांकन मानक (एएस) 23 – ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कंपनियों में निवेश के लिए लेखांकन'' के अनुसार इक्विटी पद्धति का उपयोग करके की जाती है। तदनुसार, प्रत्येक सहयोगी कंपनी के लाभ/हानि के हिस्से (हानि निवेश की लागत तक सीमित) को निवेश की लागत में जोड़ा/घटाया गया है। सहयोगी कंपनियों से प्राप्त वितरण के लिए वहन मूल्य घटाया गया है।

1.4 सहयोगी कंपनी में निवेश की लागत और सहयोगी कंपनी में शेयरों के अर्जन के समय निवल परिसंपत्तियों के हिस्से के बीच के अंतर को गुडविल या पूंजी आरक्षित निधि, जैसा भी मामला हो, के रूप में दर्शाया जाता है। गुडविल या पूंजी आरक्षित निधि को सहयोगी कंपनी में निवेश की वहन राशि में शामिल किया जाता है।

1.5 निगम, अर्जन के बाद, सहयोगी कंपनी की निवल परिसंपत्तियों में हुए परिवर्तन में अपने हिस्से की गणना, निगम और उसके सहयोगी कंपनी के बीच लेन–देन से उत्पन्न अप्राप्त लाभ और हानि को अपने हिस्से की सीमा तक, अपने लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उस सीमा तक करता है, जहाँ तक ऐसा परिवर्तन सहयोगी कंपनी के लाभ और हानि विवरण के कारण होता है।

1.6 विदेशी सहायक कंपनियों, जिनका परिचालन अलग हो रहा है, के वित्तीय विवरण निम्नलिखित विनिमय दरों पर भारतीय रुपये में परिवर्तित किए गए हैं –

(i) राजस्व और व्यय: वर्ष के औसत पर।

(ii) परिसंपत्तियाँ और देयताएँ: वर्ष के अंत में। परिणामी रूपांतरण विनिमय अंतर ''विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि'' में अंतरित कर दिया जाता है।

1.7 दक्षिण अफ्रीका बीमा विनियमन, जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड पर लागू होता है और रूस बीमा विनियमन, जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी एलएलसी पर लागू होता है। जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड को आईबीएनआर के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सहायक कंपनी अपने सभी बीमांकन व्यवसाय का जीआईसी री के पास पुनर्बीमा करवाती है। लेखांकन नीति में अंतर को तात्विक नहीं माना गया है।

1.8 आस्थगित कर सहित कराधान के प्रावधान का लेखा स्थानीय कर कानूनों और स्थानीय जीएएपी के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

1.9 सांविधिक आरक्षित निधियाँ स्थानीय कानूनों की अपेक्षाओं के अनुसार सृजित की जाती हैं।

2. लेखांकन परिपाटी

वित्तीय विवरण बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11(1) के प्रावधानों के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएपीपी) का अनुपालन करने के लिए कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं। वित्तीय विवरण भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तों के भी अनुरूप हैं। उक्त विवरण अन्यथा उल्लिखित के सिवाय ऐतिहासिक लागत परिपाटी और उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं और भारत में सामान्य बीमा उद्योग में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों और प्रथाओं के अनुरूप हैं।

3. पुनर्बीमा व्यवसाय

3.1. आकलनों का प्रयोग

सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे आकलन और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, समाप्त वर्ष के लिए राजस्व और व्यय, और तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार आकस्मिक देनदारियों के प्रकटन को प्रभावित करते हैं। संलग्न वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त आकलन और धारणाएँ, वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम संलग्न वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त आकलनों और धारणाओं से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन आकलनों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधियों में भविष्यसूचक रूप से मान्यता दी जाती है।

3.2. पुनर्बीमा राजस्व

सीडिंग कंपनियों द्वारा खातों की प्राप्ति पर प्रतिपादित किए गए खातों के आधार पर प्रीमियम की गणना की जाती है। अवधि के अंत में, उपलब्ध जानकारी और वर्तमान प्रवृत्तियों के आधार पर, अभी तक प्राप्त नहीं हुए खातों के लिए आकलन किए जाते हैं। बीमा पूल व्यवसाय के संबंध में, जहाँ जीआईसी री पूल के सदस्यों में से एक है, केवल निगम के राजस्व का हिस्सा ही लेखा बहियों में दर्ज किया जाता है।

4. बकाया दावे

4.1. भारत में किए गए पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता, ''नियुक्त बीमांकिक'' को डेटा प्रस्तुत करने के लिए बहियों में दावा आंकड़ों को अंतिम रूप देने की तिथि तक विभिन्न तिथियों को प्राप्त सलाह पर आधारित है और जहाँ ऐसी सलाह प्राप्त नहीं होती है, वहाँ उपलब्ध जानकारी, वर्तमान प्रवृत्तियों, प्रबंधन के पिछले बीमांकन अनुभव और बीमांकिक अनुमान आधारों पर आधारित अनुमानों पर आधारित है।

4.2. खर्च किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आईबीएनआर) के लिए प्रावधान स्वीकृत बीमांकिक विधियों के आधार पर नियुक्त बीमांकिक द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार किया जाता है।

5. प्राप्यराशियां

प्राप्य राशियों के लिए संदिग्ध ऋणों के प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(i) परिसमापनाधीन कंपनियाँ

(ii) 3 वर्षों की अवधि में गैर-चल शेष वाली कंपनियाँ

(iii) विभिन्न मापदंडों के अलावा, चल शेष वाली कंपनियाँ, जिनका मुख्य रूप से 3 वर्षों से अधिक का बकाया है:

संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में घरेलू पूल और संरचित कोटा हिस्सा संघियां शामिल नहीं हैं।

6. विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्राओं में राजस्व लेनदेन उस दिन की दैनिक विनिमय दर पर परिवर्तित किए जाते हैं जिस दिन खाते प्राप्त होते हैं और लेनदेन दर्ज किए जाते हैं। ये दरें थॉमसन रॉयटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ली गई हैं।

6.1 विदेशों में अचल संपत्तियों और निवेश सहित गैर–मौद्रिक मदों की रिपोर्ट अधिग्रहण की तिथि को लागू विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है।

6.2 प्राप्यराशियों, देयराशियों और विदेशी मुद्राओं में रखे गए बैंक खातों में शेष जैसी मौद्रिक मदों को तुलन–पत्र की तिथि को विनिमय की अंतिम दरों का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

6.3 विदेशी मुद्राओं के रूपांतरण के कारण राजस्व लेनदेन से संबंधित विनिमय लाभ/हानि को संबंधित राजस्व खातों में राजस्व के रूप में दर्ज किया जाता है। रूपांतरण के कारण होने वाले सामान्य विनिमय लाभ/हानि को राजस्व खाते और लाभ–हानि खाते के बीच उसी अनुपात में विभाजित किया जाता है जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 8 में बताया गया है।

6.4 विदेशी शाखा परिचालनों को एएस–11 ''विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव (संशोधित 2003)'' में निर्धारित अनुसार ''गैर–अभिन्न व्यवसाय'' माना जाता है और तदनुसार रूपांतरित किया जाता है।

7. असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित निधि (यूआरआर)

असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि के लिए प्रावधान निम्नानुसार किए गए हैं:

7.1 **गैर–जीवन व्यवसाय:**

(i) **प्रधान कार्यालय के लिए:**

मरीन (हल) और आतंकवाद जोखिम व्यवसाय (अग्नि एवं इंजीनियरिंग सहित) के संबंध में असमाप्त जोखिम हेतु आरक्षित निधि निवल प्रीमियम के 100% पर बनाई जाती है, जबकि कृषि बीमा व्यवसाय – खरीफ (जहाँ प्रीमियम पूरी तरह से लेखा अवधि के भीतर अर्जित किया जाता है) को छोड़कर, अन्य सभी बीमा श्रेणियों के लिए यह पिछले 12 महीनों के लिए निवल प्रीमियम के 50% पर बनाई जाती है।

(ii) **लंदन, दुबई और मलेशिया शाखा:**

असमाप्त जोखिम हेतु आरक्षित निधि का प्रावधान संबंधित देशों की स्थानीय प्रथा के अनुसार किया जाता है। आईआरडीएआई की अपेक्षाओं के अनुसार,यूआरआर में अतिरिक्त या कम प्रावधान के लिए समायोजन का लेखांकन मुख्यालय में किया जाता है।

7.2 **जीवन बीमा व्यवसाय:**

असमाप्त जोखिम हेतु आरक्षित निधि के लिए प्रावधान स्वीकृत बीमांकिक विधियों के आधार पर नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित अनुसार किया जाता है।

8. ब्याज, लाभांश और किराये का प्रभाजन

ब्याज, लाभांश और किराये से प्राप्त आय को अवधि के अंत में क्रमशः शेयरधारकों की निधि और पॉलिसीधारकों की निधि के अनुपात में लाभ–हानि खाते और राजस्व खातों में विभाजित किया जाता है। अवधि के अंत में संबंधित पॉलिसीधारकों की निधि के आधार पर इसे राजस्व खातों में विभाजित किया जाता है।

शेयरधारकों की निधियों और पॉलिसीधारकों की निधियों की गणना आईआरडीएआई के परिपत्र आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/एमआईएससी /80/05/2024 पर आधारित है। शेयरधारक निधि में शेयर पूंजी के साथ–साथ सभी आरक्षित निधियाँ और अधिशेष (आपदा आरक्षित निधि को छोड़कर) शामिल हैं।

इस उद्देश्य के लिए पॉलिसीधारक निधि में बकाया दावों के लिए अनुमानित देयताएँ शामिल हैं, जिनमें आईबीएनआर और आईबीएनईआर, असमाप्त जोखिम आरक्षित निधि (यूआरआर), प्रीमियम की कमी (यदि कोई हो), आपदा आरक्षित निधि (यदि कोई हो) और आईआरडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य परिसंपत्तियों (पॉलिसीधारकों से संबंधित) को घटाकर अन्य देयताएँ शामिल हैं।

9. अचल परिसंपत्तियाँ और अमूर्त परिसंपत्तियाँ और विकासाधीन उथखझ सॉफ्टवेयर

अचल परिसंपत्तियाँ:

अचल परिसंपत्तियों को लागत में से मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है। सहकारी समितियों/कंपनियों में अर्जित संपत्ति अधिकारों के लिए शेयरों की लागत अचल परिसंपत्तियों के अंतर्गत 'भवन' शीर्षक के अंतर्गत शामिल की जाती है।

मूर्त अचल परिसंपत्तियों को लागत (अधिग्रहण और स्थापना से संबंधित आकस्मिक व्ययों सहित) में से संचित मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है।

पूंजीगत परिसंपत्तियों पर जीएसटी को परिसंपत्तियों की अधिग्रहण लागत में शामिल नहीं किया जाता है और इसके लिए लागू जीएसटी कानूनों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्तियां:

सॉफ्टवेयर जैसी अमूर्त अचल परिसंपत्तियों को उसके अधिग्रहण मूल्य पर दर्ज किया जाता है और परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से, सीधी

रेखा के आधार पर उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है। प्रबंधन ने ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए उपयोगी जीवन का अनुमान पाँच वर्ष लगाया है। प्रबंधन द्वारा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है। विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का पूंजीकरण केवल उसके पूरा होने पर ही किया जाता है।

चालू पूंजीगत कार्य:

चालू पूंजीगत कार्य में वे परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जो इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं और लागत पर रखी जाती हैं, जिसमें प्रत्यक्ष लागत और संबंधित आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

9.1. **अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास**

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति से मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है और परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य ₹1/- होगा।

अचल परिसंपत्तियों में परिवर्धन और वर्ष के दौरान बेची/निष्कासित/ध्वस्त/नष्ट की गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

₹10,000 तक की अलग-अलग लागत वाली सभी परिसंपत्तियों का उस अवधि में पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है जिसमें उन्हें अर्जित किया गया था।

9.2. **परिसंपत्तियों की क्षति (ह्रास)**

जब भी किसी घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण किसी परिसंपत्ति की वहन राशि वसूली योग्य न हो, तो वर्ष के अंत में अचल परिसंपत्तियों की क्षति की समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग की जाने वाली परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति क्षमता को परिसंपत्ति की वहन राशि की तुलना परिसंपत्ति द्वारा उत्पन्न होने वाले अपेक्षित भावी शुद्ध छूट प्राप्त नकदी प्रवाह से करके मापा जाता है। यदि ऐसी परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है, तो दर्शाई जाने वाली क्षति को उस राशि से मापा जाता है जिससे परिसंपत्ति की वहन राशि, परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

10. कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूर्ण रूप से देय कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है। सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों का लेखा-जोखा बिना छूट के आधार पर किया जाता है।

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

इनमें भविष्य निधि, उपदान, अवकाश वेतन, निपटान और पेंशन शामिल हैं। ये तुलन-पत्र की तारीख को बीमांकिक लाभ/हानि सहित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं और राजस्व खाते और लाभ और हानि खाते में दर्शाए जाते हैं।

11. व्यय का प्रभाजन

(i) मुख्यालय व्यवसाय:

बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय, लेखा तैयार करने की अवधि के दौरान स्वीकृत पुनर्बीमा प्रीमियम के आधार पर राजस्व खातों में प्रभाजित किए जाते हैं, जिसमें समुद्री व्यवसाय के लिए 75% और अग्नि, विविध एवं जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए 100% भार दिया जाता है।

(ii) विदेशी व्यवसाय:

बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय भी ऊपर 11 (i) में उल्लिखित रूप आधार पर शाखाओं के राजस्व खातों में प्रभाजित किए जाते हैं।

(iii) निवेश व्यय:

निवेश से संबंधित व्यय, राजस्व और लाभ-हानि खाते के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित किए जाते हैं जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 8 में बताया गया है। ब्याज, लाभांश और किराये की आय, निवेश व्यय घटाकर होती है। टिप्पणी संख्या 49 देखें।

12. निवेश

12.1 भारतीय रिज़र्व बैंक और आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन निम्नलिखित के संबंध में किया जाता है:

(i) राजस्व निर्धारण

(ii) परिसंपत्तियों का अर्जक और अनर्जक में वर्गीकरण और

(iii) अर्जक और अनर्जक परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान।

12.2 शेयरों की खरीद और बिक्री की गणना संविदा की तिथि को की जाती है, जबकि बांड, डिबेंचर और सरकारी प्रतिभूतियों की गणना निपटान की तिथि को की जाती है।

12.3 निवेश की लागत में अर्जन पर प्रीमियम, प्रतिभूति लेनदेन कर, माल और सेवा कर और उनसे संबंधित व्यय शामिल हैं।

12.4 अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखतों जैसे कि त्रिपक्षीय रेपो (टीआरईपीएस), वाणिज्यिक पत्र और ट्रेजरी बिल, जिन्हें संविदा के समय सहमत दर पर बट्टाकृत किया जाता है, उनके रियायती मूल्य पर परिकलित किए जाते हैं।

12.5 इक्विटी शेयरों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 द्वारा निर्धारित अनुसार सक्रिय रूप से कारोबार और कम कारोबार में विभाजित किया जाता है।

12.6 जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण निवेश की वहन राशि वसूल नहीं हो पाती है, तो अवधि के अंत में सभी निवेशों की क्षति (ह्रास) के लिए समीक्षा की जाती है। उसी के आधार पर, क्षति (अर्थात, मूल्य में अस्थायी कमी के अलावा) को महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार अलग से विशिष्ट मूल्यांकन-आधारित क्षति के अतिरिक्त दर्शाया जाता है।

(क) सक्रिय रूप से खरीदे-बेचे जाने वाले इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्यांकन आईआरडीए द्वारा बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर दिनांक 17 मई, 2024 के मास्टर परिपत्र संदर्भ संख्या आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/एमआईएससी/80/05/2024 के जरिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। निगम ने प्राथमिक स्टॉक एक्सचेंज के रूप में एनएसई और द्वितीयक एक्सचेंज के रूप में बीएसई को चुना है। तदनुसार, इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन उचित मूल्य, जो एनएसई का बंद भाव होता है, पर किया जाता है। यदि ऐसी प्रतिभूति क्लोजिंग दिन को एनएसई पर सूचीबद्ध नहीं है / ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई के बंद भाव पर विचार किया जाता है।

(i) इक्विटी शेयरों/अधिमान शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान:

इम्पेयरमेंट हानि (अर्थात, मूल्य में अस्थायी कमी के अलावा) उस इक्विटी/अधिमान शेयर के संबंध में दर्शाई जाती है, जिसका स्टॉक एक्सचेंज में सक्रिय रूप से कारोबार होता है, और जिसे निगम द्वारा तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए रखा गया है, बशर्ते कि वर्तमान औसत बही मूल्य तुलन-पत्र की तारीख के साथ-साथ तुलन-पत्र की तारीख से पिछले तीन वर्षों के उचित मूल्य से अधिक हो।

प्रतिभूति/निवेश के पुनः मापे गए उचित मूल्य और उसकी अर्जन लागत के बीच के अंतर की सीमा तक प्रावधान, जिसमें से किसी भी पिछली इम्पेयरमेंट हानि को घटा दिया गया हो, को लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

(ख) म्यूचुअल फंड के यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन बीमा कंपनियों के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर मास्टर परिपत्र संदर्भ संख्या आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/एमआईएससी/80/05/2024 दिनांक 17 मई, 2024 के अनुसार उचित मूल्य पर किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए उचित मूल्य तुलन-पत्र की तारीख को अंतिम उद्धृत एनएवी है।

(ग) इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के मामले में निवेश का मूल्यांकन ट्रेडेड इक्विटी शेयरों के समान आधार पर किया जाता है, जबकि पैसिव ईटीएफ का मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि पर ट्रेडेड मूल्य या एनएवी पर किया जाएगा, जैसा कि बीमा कंपनियों के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर आईआरडीए द्वारा जारी मास्टर परिपत्र संदर्भ संख्या आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/एमआईएससी/80/05/2024 दिनांक 17 मई, 2024) के अनुसार किया गया है।

12.7 (क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड के यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न अप्राप्त अभिलाभ/हानि (मूल्य में अस्थायी कमी के अलावा अन्य इम्पेयरमेंट हानि को छोड़कर) को ''उचित मूल्य परिवर्तन खाता'' शीर्षक के अंतर्गत लिया जाता है और वसूली होने पर लाभ-हानि खाते में रिपोर्ट किया जाता है।

(ख) वसूली लंबित रहने तक, ''उचित मूल्य परिवर्तन खाते'' में जमा शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होता है।

(ग) कम कारोबार वाले और गैर-सूचीबद्ध शेयरों से संबंधित निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया गया है, जो शेयरों की औसत बही लागत और विश्लेषित मूल्य के अंतर के बराबर है, सिवाय उन कंपनियों के जिनमें वित्तीय वर्ष के दौरान विलय हुआ है और नवीनतम लेखापरीक्षित खाते उपलब्ध नहीं हैं।

विश्लेषित मूल्य की गणना कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों से की जाती है, जो कंपनियों के वार्षिक खातों के बंद होने की तिथि पर ध्यान दिए बिना 21 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(घ) उद्यम पूंजी निधि के यूनिटों से संबंधित निवेश के मूल्य में कमी के लिए बही लागत और नवीनतम निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) में अंतर की राशि के बराबर प्रावधान किया गया है।

12.8 कंपनियों के इक्विटी और अधिमान शेयरों में निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

क)	जहाँ शेयरों का सक्रिय रूप से कारोबार होता है और बही मूल्य बाजार मूल्य से कम है	: बाजार मूल्य पर उचित मूल्य परिवर्तन खाता

निम्नलिखित मामलों में ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी को अवधि के अंत में तुलन-पत्र में अंकित किया जाता है:

ख) जहाँ शेयरों का सक्रिय रूप से कारोबार होता है और बही मूल्य बाजार मूल्य से अधिक है : बाजार मूल्य पर लिखा जाता है

ग) कम कारोबार वाले इक्विटी शेयर : प्रति कंपनी ₹1/– के अंकित मूल्य पर लिखा जाता है

घ) अधिमान शेयर : इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य के समानुपातिक मूल्य पर, जो उनके बाजार मूल्य के बराबर होता है और वहन लागत में से ह्रास मूल्य को घटा दिया जाता है।

जिन कंपनियों के नवीनतम उपलब्ध लेखापरीक्षित खाते 21 महीने से अधिक पुराने हैं, चाहे तुलन–पत्र की तिथि के अनुसार कंपनियों के वार्षिक खातों के बंद होने की तिथि कुछ भी हो, या जिनकी निवल मालियत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त (ऋणात्मक निवल संपत्ति) हो गई हो, उन्हें ₹1/– तक अवलिखित किया जाता है।

12.9 सहायक और सहयोगी कंपनियों में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है क्योंकि ये रणनीतिक निवेश हैं। इन निवेशों के मूल्य में कमी का प्रावधान केवल तभी किया जाता है जब गिरावट अस्थायी के अलावा हो।

12.10 अंतिम लाभांश को घोषणा के वर्ष में आय के रूप में और अंतरिम लाभांश को राशि प्राप्त होने या जमा होने पर आय के रूप में गणना की जाती है।

1211 आपत्ति के अधीन/लंबित सुपुर्दगी वाले शेयरों/डिबेंचर पर लाभांश/ब्याज की गणना वसूली/भुगतान पर की जाती है।

12.12 निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ–हानि खाते और राजस्व खातों के बीच उसी अनुपात में विभाजित किया जाता है जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 8 में उल्लिखित किय गया है। निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि की गणना बिक्री की तिथि पर निवेशों के औसत बही मूल्य पर की जाती है।

12.13 निवेशों की सुरक्षित अभिरक्षा, सीधे प्रोसेसिंग और बैंक शुल्क आदि से संबंधित व्यय, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 11 में बताए अनुसार लाभ–हानि खाते और राजस्व खातों में प्रभारित किए जाते हैं।

12.14 सरकारी प्रतिभूतियों और मोचनीय अधिमान शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' प्रतिभूतियाँ माना गया है और उन्हें ऐतिहासिक लागत पर मापा गया है, जो शेष अवधि में भुगतान किए गए प्रीमियम के परिशोधन के अधीन है। शाश्वत् बांडों के परिशोधन के लिए कॉल तिथि को परिपक्वता तिथि माना गया है।

12.15 रेपो लेनदेन के मामले में, बिक्री और खरीद मूल्य के बीच के अंतर को ब्याज आय माना जाता है।

12.16 निवेशों को शेयरधारकों की निधियों और पॉलिसीधारकों की निधियों के बीच आईआरडीएआई परिपत्र आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/एमआईएससी/80/05/2024 के अनुसार परिकलित अनुपात में विभाजित किया जाता है।

12.17 ''रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (ठएखढ) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (InvIT)'' के यूनिटों में निवेश:

रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (ठएखढ) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (InvIT) के यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर अंतिम उद्धृत बंद भाव (30 दिनों के बाद का नहीं होना चाहिए) के उचित मूल्य पर किया जाएगा या यदि ये राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर अंतिम उद्धृत भाव के आधार पर किया जाएगा। जहाँ पिछले 30 दिनों का बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, वहाँ यूनिटों का मूल्यांकन बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर आईआरडीएआई द्वारा जारी दिनांक 17 मई, 2024 के मास्टर परिपत्र संदर्भ संख्या के आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/एमआईएससी /80/05/2024 अनुसार ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित यूनिटों के नवीनतम एनएवी (6 महीने से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार किया जाता है।

12.18 ''रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (InvIT)'' की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश:

रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (InvIT) की ऋण प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन या तो फिम्डा के अनुसार या बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर आईआरडीएआई द्वारा जारी दिनांक 17 मई, 2024 के मास्टर परिपत्र संदर्भ संख्या के आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/एमआईएससी /80/05/2024 अनुसार सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल दरों पर किया जाएगा।

12.19 निवेश वर्गीकरण: तुलन–पत्र की तारीख से बारह महीनों के भीतर परिपक्व होने वाले निवेश और बारह महीनों के भीतर निपटान के विशिष्ट इरादे से किए गए निवेश को 'अल्पकालिक निवेश' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

'अल्पकालिक निवेश' के अलावा अन्य निवेशों को 'दीर्घकालिक निवेश' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

13. प्रीमियम का परिशोधन और संदिग्ध ऋणों, निवेशों और देनदारियों के लिए प्रावधान

प्रीमियम का परिशोधन, संदिग्ध ऋणों, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान और बट्टे खाते में डाले गए निवेशों के मूल्य में कमी को लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है। बट्टे पर खरीदी गई प्रतिभूतियों को बट्टाकृत मूल्य पर दर्ज किया जाता है।

14. लेखांकन मानकों का अनुपालन

निगम ने लागू सीमा तक और अपने वित्तीय विवरण तैयार करने में आईआरडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित प्रासंगिक लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है।

15. प्रीमियम न्यूनता आरक्षित निधि (पीडीआर)

गैर–जीवन बीमा व्यवसाय: जहाँ भी लागू हो, प्रीमियम न्यूनता की गणना प्रत्येक खंडीय राजस्व स्तर आधार यानि अग्नि, समुद्री और विविध के लिए अलग–अलग की जाती है, आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024, दिनांक 20 मार्च 2024 के अनुसार, पीडीआर की गणना गैर–जीवन बीमा नियुक्त बीमांकक द्वारा की जाती है।

जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय: आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024, दिनांक 20 मार्च 2024 के अनुसार, पीडीआर की गणना जीवन पुनर्बीमा नियुक्त बीमांकक द्वारा की जाती है।

16. आस्थगित कमीशन

लंदन शाखा कार्यालय ने स्थानीय कानूनों के अनुसार आस्थगित कमीशन का लेखा–जोखा रखा है। आईआरडीएआई की आवश्यकताओं के अनुपालन में, इसे मुख्यालय में कमीशन के रूप में लेखा–जोखा रखा जाता है।

17. कराधान

वर्तमान कर

कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, चालू लेखा अवधि के लिए कर योग्य आय के आधार पर आयकर का प्रावधान करती है।

वर्तमान आयकर व्यय में भारत और विदेशी क्षेत्राधिकार में परिचालन से होने वाली आय पर कर शामिल हैं। भारत में देय आयकर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। विदेशी परिचालन से संबंधित कर व्यय का निर्धारण उन देशों में लागू कर कानूनों के अनुसार किया जाता है जहाँ ऐसे परिचालन स्थित हैं।

आयकर के रिफंड पर ब्याज का हिसाब–किताब वसूली के आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्ष के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के आधार पर दर्शाया जाता है और कर दरों और तुलन–पत्र की तारीख को अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कानूनों का उपयोग करके मात्रा निर्धारित की जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक दर्शाया जाता है जहाँ यह उचित निश्चितता हो कि परिसंपत्तियों को भविष्य में वसूला जा सकता है, हालाँकि, जहाँ कराधान कानूनों के तहत अनवशोषित मूल्यह्रास या आगे ले जाई गई हानियां हैं, वहाँ आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी दर्शाया जाता है जब ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली की लगभग निश्चितता हो। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है और उस राशि को दर्शाने के लिए उचित रूप से समायोजित किया जाता है जिसका वसूल होना उचित/लगभग निश्चित है।

18. प्रावधान और आकस्मिकताएँ

किसी प्रावधान तब दर्शाया जाता है जब किसी उद्यम पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता है और यह संभावना होती है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य से कम नहीं किया जा सकता है और इन्हें तुलन–पत्र की तिथि पर दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

पॉलिसियों के अंतर्गत बीमा दावों के अलावा अन्य दावों, मुकदमेबाजी, मूल्यांकन, जुर्माने, दंड आदि से उत्पन्न आकस्मिक हानियों को प्रकटीकरण के रूप में दर्ज किया जाता है, जब कोई संभावित दायित्व होता है, लेकिन संभवतः संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता नहीं होती है। जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम होती है या जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है, तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो दर्शाया जाता है और न ही उनका प्रकटन किया जाता है।

19. आपदा आरक्षित निधि

आपदा आरक्षित निधि अग्नि, समुद्री और विविध व्यवसायों के संबंध में राजस्व खातों के परिचालन लाभ के 10% के विनियोग द्वारा बनाई जाती है। यह आरक्षित निधि पॉलिसीधारकों के कोष का हिस्सा होती है और आईआरडीएआई प्रारूप के अनुसार तुलन–पत्र की अनुसूची 6–आरक्षित निधि और अधिशेष में परिलक्षित होती है।

II यथा 31 मार्च 2026 को समेकित वित्तीय विवरणों की भाग रूप टिप्पणियां

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार वित्तीय जानकारी

संस्थाओं के नाम	निवल संपत्ति		लाभ/(हानि) में हिस्सा	
	निवल परिसंपत्तियों का प्रतिशत	राशि ₹ लाख में	लाभ/(हानि) का प्रतिशत	राशि ₹ लाख में
मूल कंपनी				
भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी री)	90.23%	51,30,127	86.85%	8,39,218
सहायक कंपनियाँ (विदेशी)				
क. जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड, जोहान्सबर्ग	2.26%	1,28,651	0.22%	2,106
ख. जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड, लंदन, यूके	0.12%	6,577	0.03%	301
ग. जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी एलएलसी	0.35%	20,134	0.34%	3,318
विदेशी सहयोगी कंपनियां (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
क. इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर	1.21%	68,754	0.49%	4,713
ख. जीआईसी – भूटान पुनर्बीमा कंपनी लिमिटेड	0.05%	3,052	0.26%	2,494
भारतीय सहयोगी कंपनियां (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
क. एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	5.53%	3,14,204	5.85%	56,567
कुल	**99.75 %**	**56,71,499**	**94.05%**	**9,08,717**
समेकन से उत्पन्न समायोजन	0.25 %	14,421	5.95%	57,521
सहायक कंपनियों में अल्पसंख्यकों का हिस्सा				
समेकित निवल संपत्ति */ निवल लाभ	100 %	56,85,920	100 %	9,66,238

*निवल संपत्ति = शेयर पूंजी+आरक्षित निधि और अधिशेष– आपदा आरक्षित निधि

31.03.2026 को समाप्त अवधि के लिए सहायक/सहयोगी कंपनियों के समेकित लेखों की अवधि निम्नानुसार है: –

सहायक कंपनी	अवधि
जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड	01.04.2025–31.03.2026
जीआईसी री, इंडिया, कॉर्पोरेट मेंबर लिमिटेड	01.01.2025–31.12.2025
जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी एलएलसी*	01.01.2025–31.03.2026
सहयोगी कंपनी	
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड**	01.01.2025–31.03.2026
जीआईसी – भूटान पुनर्बीमा कंपनी लिमिटेड**	01.01.2025–31.03.2026
इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड	01.01.2025–31.12.2025

*जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी एलएलसी के लिए, निगम के वित्तीय वर्ष से मेल खाने के उद्देश्य से समेकन में 15 महीनों के आंकड़ों को शामिल किया गया है।

**एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और जीआईसी – भूटान पुनर्बीमा कंपनी लिमिटेड के लिए, निगम के वित्तीय वर्ष से मेल खाने के उद्देश्य से समेकन में 15 महीनों के आंकड़ों को शामिल किया गया है।

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण क्रमशः आईएफआरएस / यूके सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं और निगम की लेखांकन नीतियों और सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों के बीच पहचाने गए भौतिक अंतरों को निगम के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

2. कैलेंडर वर्ष में बहियों का रखरखाव:

सहायक कंपनी, जीआईसी री इंडिया कॉर्पोरेट मेंबर लिमिटेड, लंदन, यूके, और जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी, मॉस्को एंड एसोसिएट्स, इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर और जीआईसी–भूटान रीइंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भूटान के लेखे, जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया गया है, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कैलेंडर वर्ष के आधार पर तैयार किए गए हैं और इन्हें इसी रूप में समेकित किया गया है। जनवरी 2025 से मार्च 2025 की तिमाही के दौरान कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है जिसके लिए प्राप्त लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित खातों में दर्ज आंकड़ों में समायोजन की आवश्यकता हो।

3. निवेश

3.1. आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित विधियों के लिए उपयुक्त नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, मूल कंपनी की परिसंपत्तियों के लिए ₹10,091 लाख (पिछले वर्ष ₹8,821लाख) का प्रावधान किया गया है।

3.2. उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किए गए निवेशों का बही मूल्य इक्विटी ₹17,83,052 लाख (पिछले वर्ष ₹15,83,329 लाख) और म्यूचुअल फंड ₹63,413 लाख (पिछले वर्ष ₹71,041 लाख) और इनविट्स ₹8,042 लाख (पिछले वर्ष ₹8,309 लाख). है। ''उचित मूल्य मूल्यह्रास'' श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कुछ सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले शेयरों के लिए, ''सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में कमी हेतु प्रावधान'' श्रेणी के अंतर्गत ₹88,204 लाख (पिछले वर्ष ₹80,766 लाख) की राशि पर विचार किया गया है।

3.3. एनपीए (मानक आस्तियों के अलावा) के लिए ₹84,397 लाख (पिछले वर्ष ₹89,505 लाख) का प्रावधान किया गया है। इसलिए, वर्ष के दौरान प्रावधान का प्रत्यावर्तन ₹5,108 लाख है (पिछले वर्ष प्रावधान का प्रत्यावर्तन ₹47,618 लाख) है।

4. जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय

वर्ष के दौरान, निगम ने जीवन व्यवसाय (ओएसएलआर को छोड़कर) के लिए कुल निवल आरक्षित निधियों के रूप में ₹3,62,064 लाख (पिछले वर्ष ₹2,20,688 लाख का प्रावधान किया गया था) का प्रावधान किया है। ये आरक्षित निधियाँ, आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 और भारतीय बीमांकिक संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार, आईआरडीएआई की सहमति से, जीवन नियुक्त बीमांकिक द्वारा निर्धारित और प्रमाणित की गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2025–26 में लाइफ–री व्यवसाय के लिए प्रावधान में काफी बढ़ोतरी हुई है, खासकर दीर्घावधि व्यवसाय के मामले में। इसका मुख्य कारण मृत्यु दर (से जुड़े प्रतिकूल अनुभव रहे हैं, जिसके चलते प्रावधन तय करते समय मृत्यु दर से जुड़ी मान्यताओं को अधिक सख्त करना पड़ा। इसलिए, मृत्यु दर से जुड़ी मान्यताओं में बदलाव का सबसे बड़ा असर पड़ा, जिससे प्रावधान में ₹70,200 लाख की बढ़ोतरी हुई।

5. कर्मचारी लाभ

निगम ने कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया है:

(i) परिभाषित अंशदान योजना
   (क) भविष्य निधि
   (ख) राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) भविष्य निधि

(ii) परिभाषित लाभ योजना
   (क) पेंशन
   (ख) उपदान (ग्रैच्युटी)
   (ग) छुट्टी वेतन
   (घ) निपटान

वर्ष के दौरान, समूह ने बीमांकिक रिपोर्टों के आधार पर लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित राशियों को दर्शाया है: (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
पेंशन सेवानिवृत्ति योजना (कर्मचारी पेंशन निधि)	1,051	(453)
छुट्टी का नकदीकरण (अर्जित अवकाश और बीमारी अवकाश)	1,015	139
उपदान (कर्मचारी उपदान निधि)	1,744	233
भविष्य निधि (कर्मचारी भविष्य निधि)*	137	125
निपटान लाभ	30	15
उपदान (संविदा/अस्थायी कर्मचारी)	29	0

* समूह एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान देता है, जो इस राशि को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। कंपनी का दायित्व ऐसा निश्चित अंशदान करना और सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिफल दर सुनिश्चित करना है। परामर्शदाता बीमांकिक की रिपोर्ट के अनुसार, कुल ब्याज आय और संचयी अधिशेष वैधानिक ब्याज भुगतान आवश्यकता से कम है। इसलिए, समूह ने 31 मार्च 2026 तक ₹137 लाख (पिछले वर्ष: ₹125 लाख) की देयता सृजित की है।

क) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (₹ लाख में)

विवरण	पेंशन		उपदान		अवकाश वेतन*		निपटान	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1 अप्रैल 2025 को दायित्व का वर्तमान मूल्य	33,569	32,500	8,421	8,108	4,069	4,190	210	196
ब्याज लागत	2,154	2,220	549	570	249	294	14	14
पिछली सेवा लागत	0	0	0	0	0	0	0	0
वर्तमान सेवा लागत	461	450	586	426	178	180	4	4
कटौती लागत / (क्रेडिट)	0	0	0	0	0	0	0	0
निपटान लागत / (क्रेडिट)	0	0	0	0	0	0	0	0
भुगतान किया गया लाभ	(4,424)	(3,512)	(648)	(462)	(790)	(260)	(15)	0
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	2,687	1,911	1,447	(220)	588	(334)	12	(3)
31 मार्च 2026 को दायित्व का वर्तमान मूल्य	34,449	33,569	10,354	8,421	4,294	4,069	226	210

*अर्जित अवकाश + बीमारी अवकाश

ख) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (₹ लाख में)

विवरण	पेंशन		उपदान		अवकाश वेतन*		निपटान	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1 अप्रैल 2025 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	34,266	29,800	9,632	9,551	0	0	0	0
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	2,912	2,657	631	674	0	0	0	0
दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	1,340	2,377	207	(132)	0	0	0	0
अंशदान	603	2,944	1	0	0	0	0	0
प्रदत्त लाभ	(4,424)	(3,512)	(648)	(462)	0	0	0	0
31 मार्च 2026 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	34,697	34,266	9,823	9,632	0	0	0	0
अप्रदत्त राशि	0	0	0	0	0	0	0	0

31 मार्च 2026 को योजना परिसंपत्तियों (निवल) का उचित मूल्य	34,697	34,266	9,823	9,632	0	0	0	0
वास्तविक प्रतिफल	4,252	5,033	838	542	0	0	0	0

ग) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य और परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का समाधान (₹ लाख में)

विवरण	पेंशन		उपदान		अवकाश वेतन*		निपटान	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
दायित्व का वर्तमान मूल्य	34,449	33,569	10,354	8,421	4,294	4,069	226	210
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	34,697	34,266	9,823	9,632	0	0	0	0
तुलन-पत्र में दर्शाई गई अनिधिक निवल परिसंपत्ति/(देयता)	248	697	(531)	1,211	(4,294)	(4,069)	(226)	(210)

** अर्जित अवकाश + बीमारी अवकाश*

घ) लाभ और हानि खाते में दर्शाए गए व्यय (₹ लाख में)

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	पेंशन	उपदान	अवकाश वेतन*	निपटान
वर्तमान सेवा लागत	461	586	178	4
ब्याज लागत	2,154	549	249	14
कटौती लागत / (क्रेडिट)	0	0	0	0
निपटान लागत / (क्रेडिट)	0	0	0	0
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(2,912)	(631)	0	0
अवधि में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	1,347	1,240	588	12
लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया कुल व्यय	1,051	1,744	1,015	30

** अर्जित अवकाश + बीमारी अवकाश*

(₹ लाख में)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	पेंशन	उपदान	अवकाश वेतन*	निपटान
वर्तमान सेवा लागत	450	426	180	4
ब्याज लागत	2,220	570	294	14
कटौती लागत / (क्रेडिट)	0	0	0	0
निपटान लागत / (क्रेडिट)	0	0	0	0
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(2,657)	(674)	0	0
अवधि में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(466)	(89)	(334)	(4)
लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया कुल व्यय	453	233	139	15

** अर्जित अवकाश + बीमारी अवकाश*

ङ) योजनागत परिसंपत्तियां (% में)

विवरण	पेंशन		उपदान		अवकाश वेतन*		निपटान	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
सरकारी प्रतिभूतियां (केन्द्र और राज्य)	52.97	56.04	44.82	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
उच्च गुणवत्ता वाले निगमीय बांड	36.56	37.43	42.08	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	10.47	6.53	13.10	8.1	0.00	0.00	0.00	0.00

** अर्जित अवकाश + बीमारी अवकाश*

च) बीमांकिक धारणा

(% में)

विवरण	पेंशन		उपदान		अवकाश वेतन*		निपटान	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
छूट दर	7.59	6.87	7.49	6.78	7.49	6.78	7.49	6.78
परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	9.00	9.00	6.78	7.23	0	0	0	0
वेतन वृद्धि*	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
ह्रास/निकासी दर	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14

**अर्जित अवकाश + बीमारी अवकाश*

छ) अन्य प्रकटन

पेंशन

(₹ लाख में)

विवरण	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
अनुभव समायोजन						
दायित्व पर	2,687	1911	1,266	10,200	2,128	1,365
योजनागत परिसंपत्तियों पर (लाभ)/हानि	(1,340)	(2,377)	3,277	(701)	(324)	4,571
दायित्व का वर्तमान मूल्य	34,449	33,569	32,501	33,022	26,550	26,722
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	34,697	34,266	29,800	24,751	25,030	25,077
योजनागत परिसंपत्तियों पर दायित्व की अधिकता	(248)	697	(2,700)	(8,271)	(1,520)	(1,645)

उपदान

विवरण	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
अनुभव समायोजन						
दायित्व पर	2,021	(560)	(579)	(831)	(150)	(13)
योजनागत परिसंपत्तियों पर (लाभ)/हानि	(207)	(132)	737	245	294	(121)
दायित्व का वर्तमान मूल्य	10,354	8,421	8,108	8,153	5,434	5,560
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9,823	9,632	9,551	4,419	5,318	5,851
योजनागत परिसंपत्तियों पर दायित्व की अधिकता	531	(1,211)	1,443	(3,734)	(116)	290

छुट्टी वेतन

विवरण	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
अनुभव समायोजन						
दायित्व पर	0	0	0	0	0	0
योजनागत परिसंपत्तियों पर (लाभ)/हानि	0	0	0	0	0	0
दायित्व का वर्तमान मूल्य	4,294	4,069	4,190	4,219	3,799	3,955
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0	0	0	0	0
योजनागत परिसंपत्तियों पर दायित्व की अधिकता	4,294	4,069	4,190	4,219	3,799	3,955

निपटान

विवरण	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
अनुभव समायोजन						
दायित्व पर	12	(3)	(20)	(14)	(33)	(31)
योजनागत परिसंपत्तियों पर (लाभ)/हानि	0	0	0	0	0	0
दायित्व का वर्तमान मूल्य	226	210	196	198	193	208
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0	0	0	0	0
योजनागत परिसंपत्तियों पर दायित्व की अधिकता	226	210	196	198	193	208

**उपदान रिपोर्ट में कर्मचारियों की संख्या में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 25 कर्मचारी शामिल हैं।*

संविदा/अस्थायी कर्मचारियों के लिए उपदान :

क) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ लाख में)

विवरण	उपदान	
	31.03.2026	31.03.2025
1 अप्रैल 2025 को दायित्व का वर्तमान मूल्य	0	0
ब्याज लागत	0	0
पिछली सेवा लागत	0	0
वर्तमान सेवा लागत	29	0
कटौती लागत / (क्रेडिट)	0	0
निपटान लागत / (क्रेडिट)	0	0
भुगतान किया गया लाभ	0	0
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	0	0
31 मार्च 2026 को दायित्व का वर्तमान मूल्य	29	0

ख) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ लाख में)

विवरण	उपदान	
	31.03.2026	31.03.2025
1 अप्रैल 2025 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	0	0
दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	0	0
अंशदान	0	0
प्रदत्त लाभ	0	0
31 मार्च 2026 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
अप्रदत्त राशि	0	0
31 मार्च 2026 को योजना परिसंपत्तियों (निवल) का उचित मूल्य	0	0
वास्तविक प्रतिफल	0	0

ग) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य और परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	उपदान	
	31.03.2026	31.03.2025
दायित्व का वर्तमान मूल्य	29	0
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
तुलन–पत्र में दर्शाई गई अनिधिक निवल परिसंपत्ति/(देयता)	(29)	0

घ) लाभ और हानि खाते में दर्शाए गए व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	उपदान	
	31.03.2026	31.03.2025
वर्तमान सेवा लागत	29	0
ब्याज लागत	0	0
कटौती लागत / (क्रेडिट)	0	0
निपटान लागत / (क्रेडिट)	0	0
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	0	0
अवधि में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	0	0
लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया कुल व्यय	29	0

ड.) योजनागत परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	उपदान	
	31.03.2026	31.03.2025
सरकारी प्रतिभूतियां (केंद्र और राज्य)	0	0
उच्च गुणवत्ता वाले निगमीय बांड	0	0
अन्य	0	0

च) बीमांकिक धारणा

(% में)

विवरण	उपदान	
	31.03.2026	31.03.2025
छूट दर	6.02	0
परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	0.00	0
वेतनवृद्धि*	10.00	0
ह्रास/निकासी दर	3.00	0
भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर	2012–14	0

छ) अन्य प्रकटन

(₹ लाख में)

विवरण	2025-26
अनुभव समायोजन	
दायित्व पर	29
योजनागत परिसंपत्तियों पर (लाभ)/हानि	0
दायित्व का वर्तमान मूल्य	29
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0
योजनागत परिसंपत्तियों पर दायित्व की अधिकता	29

6. लेखांकन मानक-18 '' सम्बद्ध पक्ष लेनदेन'' के अनुसार सम्बद्ध पक्ष प्रकटन:

क) सहयोगी कंपनी:

- इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
- एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, भारत
- जीआईसी-भूटान रीइंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भूटान

लेन-देन की प्रकृति और मात्रा: उपरोक्त (क) के साथ

(₹ लाख में)

	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड		इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड		जीआईसी-भूटान रीइंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	
अवधि	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
स्वीकृत प्रीमियम	1,73,820	61,295	5,384	5,515	1,037	1,328
अर्पण किया गया प्रीमियम	0	0	838	4,107	0	0
निवल प्रीमियम	1,73,820	61,295	4,546	1,408	1,037	1328
भुगतान किया गया कमीशन	3,397	2,726	611	330	1	1
वसूल किया गया कमीशन	0	0	238	1,142	0	0
निवल कमीशन	3,397	2,726	374	(813)	1	1
भुगमान किए गए दावे	76,332	33,950	21,489	3,260	691	2
वसूल किए गए दावे	0	0	2,273	1,648	0	0
निवल दावे	76,332	33,950	19,216	1,612	691	2
31 मार्च को शेष (-) जीआईसी को देय राशि इंगित करता है	19,932	37,955	(359)	(54)	(568)	0

7. (i) मुख्य प्रबंध कार्मिक वित्तीय वर्ष 2025-26:

क्र.सं.	पदनाम	नाम
1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी (30.09.2025)	श्री एन रामस्वामी
2	कार्यपालक निदेशक (सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार 01.10.2025 से)	श्री हितेश जोशी
3	कार्यपालक निदेशक (और वित्तीय सलाहकार एवं आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख (30.06.2025 तक)	श्रीमती राधिका सी. एस.

क्र.सं.	पदनाम	नाम
4	महाप्रबंधक (22.07.2025 तक) और कार्यपालक निदेशक (23.07.2025 से) और मुख्य जोखिम अधिकारी	श्रीमती जयश्री बालकृष्ण
5	महाप्रबंधक (31.07.2025 तक)	श्री एस.के. रथ
6	महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्त अधिकारी	श्री वी बालकृष्ण
7	महाप्रबंधक (15.05.2025 से)	श्री राजेश पवार
8	महाप्रबंधक (15.05.2025 से) और मुख्य विपणन अधिकारी	श्री राजेश खडतरे
9	महाप्रबंधक (15.05.2025 से) और मुख्य बीमांकन अधिकारी	श्री संजय मोकाशी
10	महाप्रबंधक (15.05.2025 से) और वित्तीय सलाहकार एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख (08.08.2025) से)	श्रीमती मनाली पतके
11	कंपनी सचिव और मुख्य अनुपालन अधिकारी (30.04.2025 से)	श्री सतीश कुमार
12	उप महाप्रबंधक एवं मुख्य निवेश अधिकारी	श्रीमती राधिका रविशेखर
13	नियुक्त बीमांकिक (गैर–जीवन)	श्री सतीश एन. भट्ट
14	नियुक्त बीमांकिक (जीवन)	श्री सुरेश सिन्धी

ii. 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सकल वेतन	निगम का पी.एफ	मकान अनुलाभ	ऋण अनुलाभ	वाहन अनुलाभ	एलटीएस अनुलाभ	अन्य अनुलाभ
1	श्री एन. रामस्वामी	मुख्य कार्यपालक अधिकारी (30.09.2025 तक)	28.46	1.29	1.23	0.00	0.00	0.00	1.54
2	श्री हितेश जोशी	कार्यपालक निदेशक (01.10.2025 से सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार)	48.06	2.30	4.51	11.76	3.89	0.00	0.00
3	श्रीमती राधिका सी. एस.	कार्यपालक निदेशक और वित्तीय सलाहकार एवं आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख (30.06.2025 तक)	12.46	0.58	0.00	0.00	0.00	0.99	1.33
4	श्रीमती जयश्री बालकृष्ण	महाप्रबंधक (22.07.2025 तक) और कार्यपालक निदेशक (23.07.2025 से) और मुख्य जोखिम अधिकारी	56.37	2.59	2.56	0.00	3.89	0.00	0.00
5	श्री एस के रथ	महाप्रबंधक 31.07.2025 तक)	28.77	1.19	1.22	0.80	1.19	0.00	4.99
6	श्री वी बालकृष्ण	महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्त अधिकारी	64.37	3.51	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00
7	श्री राजेश पवार	महाप्रबंधक (15.05.2025 से)	48.36	3.49	3.28	0.00	2.59	0.00	0.00
8	श्री राजेश खडतरे	महाप्रबंधक (15.05.2025 से) और मुख्य विपणन अधिकारी	60.52	3.49	3.44	26.66	3.89	0.00	0.00
9	श्री संजय मोकाशी	महाप्रबंधक (15.05.2025 से) और मुख्य बीमांकन अधिकारी		3.08	6.07	26.22	3.89	0.50	0.00
10	श्रीमती मनाली पतके	महाप्रबंधक (15.05.2025 से) और वित्तीय सलाहकार एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख (08.08.2025) से)	57.33	3.08	1.19	0.47	2.59	0.00	0.00
11	श्री सतीश कुमार	कंपनी सचिव और मुख्य अनुपालन अधिकारी (30.04.2025 से)	60.08	2.83	5.67	0.00	3.89	0.00	0.00

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सकल वेतन	निगम का पी.एफ	मकान अनुलाभ	ऋण अनुलाभ	वाहन अनुलाभ	एलटीएस अनुलाभ	अन्य अनुलाभ
12	श्रीमती राधिका रविशेखर	उप महाप्रबंधक एवं मुख्य निवेश अधिकारी	52.10	2.83	0.00	0.00	3.89	0.00	0.00
13	श्री सतीश एन. भट्ट	नियुक्त बीमांकिक (गैर–जीवन)	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	श्री सुरेश सिन्धी	नियुक्त बीमांकिक (जीवन)	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(iii) 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सकल वेतन	निगम का पी.एफ	मकान अनुलाभ	ऋण अनुलाभ	वाहन अनुलाभ	एलटीएस अनुलाभ	अन्य अनुलाभ
1	श्री एन. रामस्वामी	मुख्य कार्यपालक अधिकारी		2.52	2.41	0.00	0.00	0.00	1.24
2	श्री हितेश जोशी	महाप्रबंधक (8 जुलाई 2024 तक) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (9 जुलाई 2024 से प्रभावी)	38.43	2.20	2.18	1.51	3.89	0.74	5.58
3	श्रीमती राधिका सी. एस.	कार्यपालक निदेशक (12 जुलाई 2024 से) और वित्तीय सलाहकार एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख (1 अक्टूबर 2024 से)	35.58	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
4	श्री एस के. रथ	महाप्रबंधक	37.47	2.18	2.14	1.45	3.89	0.74	1.10
5	श्री वी. बालकृष्ण	महाप्रबंधक, वित्तीय सलाहकार एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख (5 मई 2024 तक) और मुख्य वित्त अधिकारी (1 मई 2024 से)	37.21	2.10	0.00	0.00	3.89	0.00	2.36
6	श्रीमती जयश्री रानडे	महाप्रबंधक और मुख्य वित्त अधिकारी (30 अप्रैल 2024 तक)	26.91	0.19	0.21	0.00	0.00	6.49	5.25
7	श्रीमती जयश्री बालकृष्ण	महाप्रबंधक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी	35.40	2.05	2.01	0.00	3.89	0.00	1.97
8	श्री सचिन्द्र साळ्वी	महा प्रबंधक (31.12.2024 तक), वित्तीय सलाहकार और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख (6 मई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक)	25.67	1.40	1.39	0.00	3.89	1.98	1.78
9	श्री सतीश एन. भट्ट	नियुक्त बीमांकिक (गैर जीवन)	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	श्री सुरेश सिंधी	नियुक्त बीमांकिक (जीवन)	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	श्री सुरेश सावलिया	कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी (19 मार्च 2025 तक)	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सकल वेतन	निगम का पी.एफ	मकान अनुलाभ	ऋण अनुलाभ	वाहन अनुलाभ	एलटीएस अनुलाभ	अन्य अनुलाभ
12	श्री राजेश खडतरे	उप महाप्रबंधक और मुख्य विपणन अधिकारी	35.76	2.09	2.03	2.73	3.89	0.00	2.67
13	श्री संजय मोकाशी	उप महाप्रबंधक और मुख्य बीमांकन अधिकारी	30.20	1.83	1.80	2.76	3.89	0.50	2.06
14	श्रीमती राधिका रविशेखर	उप महाप्रबंधक और मुख्य निवेश अधिकारी	32.30	1.91	0.00	0.00	3.89	0.50	0.96

8. लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय (ईपीएस):

विवरण	2025-26	2024-25
कर पश्चात लाभ	₹9,66,238 लाख	₹ 7,43,185 लाख
इक्विटी शेयरों की संख्या	₹17,544 लाख	₹17,544 लाख
शेयर का अंकित मूल्य	₹5/-	₹5/-
मूल और तनुकृत (डॉयल्यूटेड) प्रति शेयर आय	₹55.08	₹42.36

प्रति शेयर मूल आय की गणना, इक्विटी शेयरधारकों को देय वर्ष के कर-पश्चात लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना के प्रयोजनार्थ, इक्विटी शेयरधारकों को देय वर्ष के कर-पश्चात लाभ या हानि और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को, सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों के संपरिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

संभावित इक्विटी शेयरों को तनुकृत (डॉयल्यूटेड) तभी माना जाता है जब इक्विटी शेयरों में उनके संपरिवर्तन से सामान्य परिचालन जारी रखने से प्रति शेयर निवल लाभ में कमी आए। संभावित तनुकृत इक्विटी शेयरों को अवधि की शुरुआत में ही संपरिवर्तित माना जाता है, जब तक कि उन्हें बाद में जारी न किया गया हो। तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों को उस प्राप्य राशि के लिए समायोजित किया जाता है जो शेयरों को वास्तव में उचित मूल्य पर जारी किए जाने पर प्राप्त होती। तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों का निर्धारण प्रत्येक प्रस्तुत अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से किया जाता है।

9. कराधान

(क) लेखा मानक – 22 ''आय पर कर के लिए लेखांकन'' के अनुसार प्रकटन:

इस बात की उचित निश्चितता हो जाने पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को दर्शाया जाता है कि उनकी वसूली हो जाएगी और प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर उनके संबंधित वहन मूल्यों की उपयुक्तता के लिए उनकी समीक्षा की जाती है।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2026 को आस्थगित कर		31.03.2025 को आस्थगित कर	
	परिसंपत्तियां	देयताएं	परिसंपत्तियां	देयताएं
बहियों के अनुसार अवलिखित मूल्यऔर आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अवलिखित मूल्य में अंतर की दृष्टि से समय का अंतर		1,350	0	1,144
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	1,154	0	2,870	0
धारा 40 a (ia) के अंतर्गत अस्वीकृतियां	66	0	17	0
विदेशी शाखाएँ	1,131	0	0	4
संदिग्ध निवेशों के लिए प्रावधान	41,958	0	24,855	0

विवरण	31.03.2026 को आस्थगित कर		31.03.2025 को आस्थगित कर	
	परिसंपत्तियां	देयताएं	परिसंपत्तियां	देयताएं
आपदा आरक्षित निधि	61,340	0	42,735	0
अन्य		475	0	183
कुल	10,560	1,825	70,477	1,331
निवल आस्थगित कर		1,03,825		69,146

वर्ष के दौरान, निगम ने ₹166,712 लाख के संदिग्ध निवेशों के प्रावधान के विरुद्ध ₹41,958 लाख की ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को दर्शाया है, जहाँ निगम को हानि की वसूल और कर लाभ के प्रवाह की निश्चितता की उम्मीद है। इसके अलावा, ₹2,43,724 लाख के आपदा आरक्षित निधि के विरुद्ध ₹61,340 लाख की आस्थगित कर परिसंपत्ति को भी हिसाब में लिया गया है।

(ख) कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 घरेलू कंपनियों को कम कर दर का विकल्प प्रदान करता है, बशर्ते वे कुछ कटौतियों का दावा न करें और न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) के अनुसार कर की गणना न करें। निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 में कम दर का विकल्प चुना है। तदनुसार, निगम ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और बारह महीनों के लिए इन एकल वित्तीय परिणामों में कर और आस्थगित कर के प्रावधान की गणना के उद्देश्य से समान दर पर विचार किया है।

10. वर्ष के दौरान, समूह ने अपनी अचल परिसंपत्तियों की क्षति (इम्पेयरमेंट) की समीक्षा की है। संबंधित कंपनियों के प्रबंधन की राय में, क्षति-हानि के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है (पिछले वर्ष ₹ शून्य)।

11. निगम ने इस वर्ष सकल ब्लॉक और संचित मूल्यह्रास से जुड़े सैप परिसंपत्ति लेखांकन और सैप प्रधान खाता-बही (GL) के बीच लंबे समय से चले आ रहे अंतर को ठीक करने के लिए एक बार सुधार की प्रक्रिया की। इस प्रक्रिया के दौरान, यह पता चला कि भवन श्रेणी में आने वाली परिसंपत्तियों के लिए पिछले वर्षों में अतिरिक्त मूल्यह्रास लगाया गया था। इसलिए, ₹728 लाख के ऐसे अतिरिक्त मूल्यह्रास के प्रतिवर्तन को चालू वर्ष में दर्शाया गया है।

12. विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि खाते में ₹2,05,612 लाख (पिछले वर्ष ₹48,245 लाख) की वृद्धि की गई जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		नामे	जमा	नामे	जमा
1	होल्डिंग कंपनी के गैर-अभिन्न विदेशी परिचालन में निवल निवेश		2,05,612		48,245
2	अन्य				
	कुल		**2,05,612**		**48,245**

13. होल्डिंग कंपनी के कार्यालय परिसर और गोदाम परिचालन पट्टे पर प्राप्त किए गए हैं और आपसी सहमति से नवीकरणीय/रद्द किए जा सकते हैं। पट्टा करारों द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। पट्टे की शर्तें अलग-अलग करारों पर आधारित हैं। महत्वपूर्ण पट्टा करार परिसर के परिचालन पट्टे के संबंध में हैं। परिचालन पट्टे के तहत 31 मार्च 2026 से 12 महीने से कम समय में कुल ₹404 लाख (पिछले वर्ष ₹399 लाख) का पट्टा किराया चुकाए जाने की उम्मीद है।
पट्टे से संबंधित लेखा मानक-19 के अनुसार, जीआईसी री को लेखा मानक -19 के अंतर्गत कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

14. (क) समूह ने बीमा/पुनर्बीमा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों/निकायों के साथ निरंतर आधार पर शेष राशि और आरक्षित जमाओं के निरंतर समाधान और निगरानी की प्रणाली स्थापित की है। निगम ने संदिग्ध प्राप्य राशियों के लिए ₹1,32,065 लाख (पिछले वर्ष ₹1,16,840 लाख) का संचयी प्रावधान किया है।

(ख) बीमा व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं को देय/प्राप्य राशि और उनके पास रखी गई जमा राशियों का शेष, पुष्टि/समाधान के अधीन है। पुष्टिकरणों का लेखा बहियों से मिलान करने की एक विस्तृत प्रक्रिया है और अधिकांश शेष राशियों के लिए इन्हें अंकित किया जाता है। अपुष्ट शेष राशियों के लिए यदि कोई समायोजन किया जाता है, तो उसकी प्राप्ति/पुष्टि/समाधान के बाद उसे हिसाब में लिया जाएगा। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि तीन वर्षों की अवधि में देय राशि और जमा राशियों के लिए प्रावधान पूरी तरह से किया गया है। ये शेष राशियाँ और जमाएँ, सेडेंटों/दलालों से प्राप्त लेखा विवरण के माध्यम से दर्ज किए गए खातों से उत्पन्न होती हैं।

(ग) समूह ने 31 मार्च, 2026 को एक वर्ष से अधिक समय से बकाया विविध देनदारों के संदिग्ध ऋणों के लिए भी ₹14 लाख (पिछले वर्ष ₹153 लाख) की राशि का प्रावधान किया है।

15. आम तौर पर निगम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अनुसार 45 दिनों की अवधि के भीतर अपने लेनदारों को भुगतान करता है। निगम ने उपर्युक्त अधिनियम में परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की पहचान की है। निगम ने न तो ब्याज के लिए कोई दावा प्राप्त किया है और न ही उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय कोई ब्याज प्रदान किया है।

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026	31.03.2025
1	एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देय मूलधन राशि, जो वर्ष के अंत तक अप्रदत्त रही	0	0
2	एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देय ब्याज, जो वर्ष के अंत तक अप्रदत्त रही	0	0
3	एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद भुगतान की गई मूलधन राशि	0	0
4	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अलावा, एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद भुगतान किया गया ब्याज	0	0
5	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत, एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद भुगतान किया गया ब्याज	0	0
6	एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को पहले से किए गए भुगतानों के लिए देय ब्याज	0	0
7	पिछले वर्षों के लिए देय और बकाया अतिरिक्त ब्याज	0	0

16. लाभांश

(क) वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित लाभांश

निगम के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹13.25 प्रति इक्विटी शेयर (₹5/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर) की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इससे पहले चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹10 प्रति इक्विटी शेयर (₹5/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर) का अंतिम लाभांश दिया था।

(ख) दावा न किया गया लाभांश

इस वर्ष निगम ने वित्त वर्ष 2017-18 की बिना दावे वाली लाभांश राशि के लिए निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को लगभग ₹15.77 लाख (पिछले साल ₹शून्य) अंतरित किए हैं।

17. निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

निमगीय सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, भारतीय साधारण बीमा निगम को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निमगीय सामाजिक उत्तरदायित्व पर 13,578 लाख रुपये खर्च करने थे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, ₹6,928 लाख की राशि खर्च की जा चुकी है। परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 31.03.2026 को कुल खर्च न की गई राशि ₹6,650 लाख है, जो चल रही परियोजनाओं से संबंधित है। इस खर्च न की गई राशि को अगले तीन वित्तीय वर्षों में उपयोग के लिए एक अलग बैंक खाते में अंतरित कर दिया गया है।

वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

(क) वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि – ₹13,578 लाख

(ख) वित्त वर्ष 2025-26 में खर्च करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि – ₹13,578 लाख

(ग) वित्त वर्ष 2025-26 में 31.03.2025 तक खर्च की गई राशि: ₹6,928 लाख

बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वंचितों की आजीविका और पर्यावरण स्थिरता से संबंधित परियोजनाओं के लिए सीएसआर निधियों का आवंटन और वितरण किया गया है।

क्र.सं.	एनजीओ का नाम	₹ लाख में
(i)	**किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण**	**0**
(ii)	**उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए**	**6,928**
1	समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड	567
2	होसाबेलाकु सेवा ट्रस्ट	292
3	आईआईटी मंडी	250
4	भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)	424
5	राष्ट्रीय खेल विकास निधि(एनएसडीएफ)	1,738
6	टाटा मेमोरियल सेंटर– ACTREC	608
7	आरोह फाउंडेशन	635
8	श्री पीतांबरा शिक्षा समिति	295
9	प्रवाह	267
10	ह्यूमन ऑर्गनाइज़ेशन फॉर पैट्रोनाइज़ेशन ऑफ़ एनवायरनमेंट (होप)	125
11	एंड पॉवर्टी	475
12	जैन मेडिकल डायलिसिस सेंटर	73
13	कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन (CPAA)	48
14	जनमित्रम्	570
15	ग्राम कल्याण समिति	121
16	बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	47
17	सुहित जीवन ट्रस्ट	86
18	पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल (पीएसआई), भारत	200
19	जीआरएमडी फाउंडेशन	47
20	मंथन संस्थान	54
21	सीनियर एशिया	6
	कुल	**6,928**

(घ) सम्बद्ध पक्ष लेनदेन से संबंधित विवरण, लेखांकन मानक (एएस) 18, सम्बद्ध पक्ष लेनदेन प्रकटन के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित किसी ट्रस्ट/सोसायटी/धारा 8 के अंतर्गत आने वाली कंपनी को अंशदान। उपरोक्त (ii) के समान।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) और 135(6) की प्रयोज्यता

धारा 135(6) के मामले में चालू परियोजना से संबंधित खर्च न की गई राशि के मामले में

आरंभिक शेष (₹ लाख)		वित्तीय वर्ष 23–24 में खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित राशि (₹ लाख)	वित्तीय वर्ष 23–24 में खर्च की गई राशि (₹ लाख)		वित्तीय वर्ष 24–25 में खर्च की गई राशि (₹ लाख)		वित्तीय वर्ष 25–25 में खर्च की गई राशि (₹ लाख)		अंतिम शेष (₹ लाख)	
कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाता वित्तीय वर्ष 22–23 में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से *	कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से
0	621	621	0	488	0	126	0	7	0	0

*वित्त वर्ष 22–23 का अलग सीएसआर अव्ययित खाता वित्त वर्ष 25–26 में बंद कर दिया गया और उस रकम को 'स्वच्छ भारत कोष' में अंतरित कर दिया गया।

धारा 135(6) के मामले में चालू परियोजना से संबंधित खर्च न की गई राशि के मामले में

आरंभिक शेष (₹ लाख)		वित्तीय वर्ष 24-25 में खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित राशि (₹ लाख)	वित्तीय वर्ष 24-25 में खर्च की गई राशि (₹ लाख		वित्तीय वर्ष 25-26 में खर्च की गई राशि (₹ लाख)		अंतिम शेष (₹ लाख)	
कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाता वित्तीय वर्ष 23-24 में		कंपनी के बैक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के बैक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के बैक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से
0	6,378	6,378	0	3,733	0	717	0	1,928

धारा 135(6) के मामले में चालू परियोजना से संबंधित खर्च न की गई राशि के मामले में

आरंभिक शेष (₹ लाख)		वित्तीय वर्ष 25-26 में खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित राशि (₹ लाख)	वित्तीय वर्ष 25-26 में खर्च की गई राशि (₹ लाख)		अंतिम शेष (₹ लाख)	
कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाता वित्तीय वर्ष 24-25 में		कंपनी के बैक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से
0	5,214	5,214	0	3,745	0	1,469

ड.) राशि के ऐसे अंतरण की तिथि से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर उपयोग की जाने वाली वित्त वर्ष 2023-24 की चालू परियोजनाओं से संबंधित खर्च न की गई राशि का विवरण:

क्र.सं.	एनजीओ/संगठन का नाम	31.03.2026 को शेष (₹ लाख में)
1	एलिम्को	183
2	स्वामी विवेकानद यूथ मूवमेंट(एसवीवाईएम)	21
3	आस्था सेवा संस्थान	4
4	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)	370
5	टाटा एसीटीआरईसी	45
6	विशेष ओलंपिक भारत	73
7	वीएसटीएफ	1,007
8	अभिव्यक्ति फाउंडेशन	217
9	इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन	8
	कुल	**1,928**

(च) राशि के ऐसे अंतरण की तिथि से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर उपयोग की जाने वाली वित्त वर्ष 2024-25 की चालू परियोजनाओं से संबंधित खर्च न की गई राशि का विवरण:

क्र.सं.	एनजीओ/संगठन का नाम	31.03.2025 को शेष (₹ लाख में)
1	बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी	44
2	रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन	1
3	वीएमएम फाउंडेशन	5
4	ह्यूमन अपलिफ्ट ट्रस्ट	41
5	ग्रामिका इंडिया	14
6	एनोबल सोशल इनोवेशन फाउंडेशन	396
7	एस्टाह सोसाइटी	7
8	सुचेता कृपलानी शिक्षा निकेतन सोसाइटी (एसकेएसएन)	22

9	कैंसर के उपचार, अनुसंधान और शिक्षा हेतु उन्नत केंद्र – एसीटीआरईसी	505
10	एकीकृत ग्रामीण विकास संसथान– आईआईआरडी	166
11	जैविक कृषि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सक्षमता केंद्र (आईसीसीओए)	67
12	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाणी एवं श्रवण विकलांगता संस्थान (दिव्यांगजन)	97
13	फाइन आर्ट्स सोसाइटी	65
14	एमबीए फाउंडेशन	16
15	अगस्त्य फाउंडेशन	23
	कुल	**1,469**

छ) राशि के ऐसे अंतरण की तिथि से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर उपयोग की जाने वाली वित्त वर्ष 2025–26 की चालू परियोजनाओं से संबंधित खर्च न की गई राशि का विवरण:

क्र.सं.	कार्यान्वयन एजेंसी	31.03.2026 को खर्च न की गई सीएसआर राशि
1	समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड	567
2	होसाबेलकु सेवा ट्रस्ट	292
3	आईआईटी मंडी	750
4	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)	576
5	टाटा मेमोरियल सेंटर– एसीटीआरईसी	608
6	आरोह फाउंडेशन	635
7	श्री पीतांबरा शिक्षा समिति	98
8	प्रवाह	267
9	ह्यूमन ऑर्गनाइज़ेशन फॉर पैट्रोनाइज़ेशन ऑफ़ एनवायरनमेंट (HOPE)	125
10	एंड पॉवर्टी	475
11	जैन मेडिकल डायलिसिस सेंटर	73
12	कैंसर पेशेंट्स एड्स एसोसिएशन (CPAA)	2
13	जनमित्रम	570
14	ग्राम कल्याण सोसाइटी	121
15	बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	52
16	सुहित जीवन ट्रस्ट	257
17	पॉपुलेशन सर्विसेज़ इंटरनेशनल (PSI), इंडिया	601
18	जीआरएमडी फाउंडेशन	142
19	मंथन संस्थान	162
20	सीनियर एशिया	6
21	इंटीग्रेटेड इंस्टिट्यूट फॉर डिसेबल्ड	54
22	नारायण ठाकुरसिंह राठौड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट (NTR)	192
23	इंडिया विज़न इंस्टिट्यूट	25
	कुल	**6,650**

18. आकस्मिक देयताएं:

(क) आंशिक रूप से चुकता निवेश ₹292 लाख (पिछले वर्ष ₹1,949 लाख)

(ख) बकाया बीमांकन प्रतिबद्धताएँ ₹ शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

(ग) ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे, पॉलिसियों के अंतर्गत दावों के अलावा, ₹62 लाख (पिछले वर्ष ₹62 लाख)

(घ) निगम द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटी/साखपत्र ₹1,50,923 लाख (पिछले वर्ष ₹1,47,163 लाख)

निगम ने विभिन्न समझौतों के अंतर्गत विभिन्न व्यावसायिक साझेदारों को बकाया हानियों, अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व, देय शेष आदि के लिए बैंकों में सावधि जमा के रूप में 100% मार्जिन के विरुद्ध ₹5,55,505 लाख (पिछले वर्ष ₹6,89,432 लाख) का साख पत्र/बैंक गारंटी प्रदान की है। वर्ष के दौरान, निगम ने अपनी बहियों में साख पत्र/बैंक गारंटी के संबंध में ₹1,23,542 लाख (पिछले वर्ष ₹5,42,269 लाख) की सभी देनदारियों का प्रावधान किया है, इसलिए इस राशि को आकस्मिक देनदारियों के रूप में नहीं दिखाया गया है।

ड.) विवादित सांविधिक मांग/देयताएँ – विवादित आयकर मांगें, जिनका प्रावधान नहीं है ₹26,16,640 लाख (पिछले वर्ष ₹25,08,519 लाख)।

वर्षवार विवरण निम्नानुसार है: **31.03.2026**

(₹ लाख में)

निर्धारण वर्ष	आकस्मिक देयता	धारा 220(2) के तहत ब्याज	अधिनियम की धारा 220(2) के तहत ब्याज सहित आकस्मिक देयता
2002–03	6,944	17,567	24,511
2003–04	7,573	19,160	26,733
2004–05	18,790	47,540	66,330
2005–06	18,500	42,919	61,419
2006–07	26,694	57,659	84,353
2007–08	31,268	60,972	92,240
2008–09	31,498	57,641	89,138
2009–10	18,098	30,948	49,046
2011–12	24,105	31,578	55,683
2013–14	78	0	78
2015–16	54,955	29,726	84,681
2016–17	1,00,359	49,944	1,50,302
2017–18	3,60,487	2,32,419	5,92,906
2018–19	3,34,222	1,20,277	4,54,499
2020–21	4,63,380	86,178	5,49,558
2021–22	63,079	9,987	73,066
2022–23	1,18,818	8,231	1,27,049
2023–24	35,048	0	35,048
कुल	**17,13,896**	**9,02,744**	**26,16,640**

*कर–निर्धारण वर्ष 2010–11 और कर–निर्धारण वर्ष 2014–15 के लिए आयकर विभाग की ओर से उच्च न्यायालय में दायर अपील से जुड़ी आकस्मिक देनदारियां नहीं दिख रही हैं, क्योंकि बंबई उच्च न्यायालय के नियमों के नियम 986 के तहत उन्हें खारिज कर दिया गया है।

हालाँकि, उपरोक्त तालिका में उन आधारों की माँगें शामिल हैं जहाँ निगम को सीआईटी या अपीलीय न्यायाधिकरण से अनुकूल आदेश प्राप्त हुए हैं। इनका विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

वर्ष	कवर किए गए मामलों में शामिल राशि	धारा 220(2) के तहत ब्याज	ब्याज सहित कुल
2002-03	6,944	17,567	24,511
2003-04	7,573	19,160	26,733
2004-05	18,790	47,540	66,330
2005-06	18,500	42,919	61,419
2006-07	26,694	57,659	84,353
2007-08	31,268	60,972	92,240
2008-09	31,498	57,641	89,138
2009-10	18,098	30,948	49,046
2011-12	23,979	31,469	55,447
2015-16	54,900	29,679	84,579
2016-17	98,748	48,575	1,47,323
2017-18	3,59,179	2,31,346	5,90,525
2018-19	3,32,261	1,19,258	4,51,519
2020-21	4,48,125	81,906	5,30,031
2021-22	60,266	9,284	69,550
2022-23	1,18,203	8,169	1,26,372
2023-24	12,989	0	12,989
कुल	**16,68,014**	**8,94,092**	**25,62,106**

वर्षवार विवरण निम्नानुसार है: 31.03.2025

(₹ लाख में)

निर्धारण वर्ष	आकस्मिक देयता	धारा 220(2) के तहत ब्याज	अधिनियम की धारा 220 (2) के तहत ब्याज सहित आकस्मिक देयता
2002-03	6,944	16,734	23,678
2003-04	7,573	18,251	25,824
2004-05	18,790	45,285	64,075
2005-06	18,500	40,699	59,199
2006-07	26,694	54,456	81,150
2007-08	31,268	57,220	88,488
2008-09	31,498	53,861	85,358
2009-10	18,098	28,776	46,874
2010-11	29,040	42,688	71,728
2011-12	24,105	28,572	52,677
2013-14	78	0	78
2014-15	735	0	735

निर्धारण वर्ष	आकस्मिक देयता	धारा 220(2) के तहत ब्याज	अधिनियम की धारा 220 (2) के तहत ब्याज सहित आकस्मिक देयता
2015–16	54,955	24,933	79,889
2016–17	1,00,359	43,253	1,43,611
2017–18	3,60,487	1,98,208	5,58,694
2018–19	3,34,222	92,522	4,26,743
2020–21	4,63,380	49,244	5,12,624
2021–22	63,079	5,194	68,274
2022–23	1,18,818	0	1,18,818
कुल	**17,08,622**	**7,99,896**	**25,08,519**

हालाँकि, उपरोक्त तालिका में उन आधारों की माँगें शामिल हैं जहाँ निगम को सीआईटी या अपीलीय न्यायाधिकरण से अनुकूल आदेश प्राप्त हुए हैं। इनका विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

निर्धारण वर्ष	कवर किए गए मामलों में शामिल राशि	धारा 220(2) के तहत ब्याज	ब्याज सहित कुल
2002–03	6,944	16,734	23,678
2003–04	7,573	18,251	25,824
2004–05	18,790	45,285	64,075
2005–06	18,500	40,699	59,199
2006–07	26,694	54,456	81,150
2007–08	31,268	57,220	88,488
2008–09	31,498	53,861	85,358
2009–10	18,098	28,776	46,874
2010–11	29,040	42,688	71,728
2011–12	23,979	28,478	52,457
2014–15	735	0	735
2015–16	54,900	24,933	79,833
2016–17	98,748	43,253	1,42,001
2017–18	3,59,179	1,97,292	5,56,471
2018–19	3,32,261	91,738	4,23,999
2020–21	4,48,125	46,804	4,94,929
2021–22	60,266	4,829	65,095
2022–23	1,18,203	0	1,18,203
कुल	**16,84,800**	**7,95,296**	**24,80,096**

(च) निगम को चालू वर्ष के दौरान जीएसटी प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न कारण बताओ नोटिस (एससीएन) प्राप्त हुए हैं, जिनकी राशि ₹30,602 लाख (पिछले वर्ष ₹28,041 लाख) है और सेवा कर प्राधिकारियों द्वारा जारी ₹50,880 लाख (पिछले वर्ष ₹47,629 लाख) है और निगम प्राधिकारियों के साथ इस पर वाद-विवाद कर रहा है।

वर्ष–वार विवरण इस प्रकार है: 31.03.2026

वस्तु और सेवा कर: (₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	सेवा कर/एससीएन में मांगा गया ब्याज	अनुमानित आधार पर मार्च 2025 तक का ब्याज	कुल देयता + अनुमानित ब्याज
2017–18	2,181	2,531	4,712
2020–21	12,593	13,296	25,889
कुल	**14,774**	**15,827**	**30,602**

सेवा कर :

वित्तीय वर्ष	सेवा कर/एससीएन में मांगा गया ब्याज	अनुमानित आधार पर मार्च 2026 तक का ब्याज	कुल देयता + अनुमानित ब्याज
2014–15 से 2016–17	992	0	992
2014–15 से 2016–17	451	861	1,312
2014–15 से 2017–18 की पहली तिमाही	2,406	4,752	7,158
2015–16 से 2017–18 की पहली तिमाही	359	541	900
2015–16 से 2017–18 की पहली तिमाही	15,042	25,476	40,518
कुल	**19,250**	**31,630**	**50,880**

****आयकर अधिनियम 2025 में धारा 135 के एकबारगी पूर्वव्यापी संशोधन के तहत हाल ही में लागू किए गए डब्ल्यूबीसीआईएस/एमएनएआईएस (फसल बीमा योजना) से संबंधित मामलों को सेवा कर से छूट प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष**	सेवा कर / एससीएन में मांगा गया ब्याज	अनुमानित आधार पर मार्च 2026 तक का ब्याज	कुल देयता + अनुमानित ब्याज
2011–12 से 2015–16	38,796	77,040	1,15,836
अक्टूबर 2016 से पहली तिमाही	1,70,454	2,36,384	4,06,837
कुल	**2,09,249**	**3,13,424**	**5,22,673**

वर्षवार विवरण इस प्रकार है: 31.03.2025

वस्तु और सेवा कर: (₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	सेवा कर/एससीएन में मांगा गया ब्याज	अनुमानित आधार पर मार्च 2025 तक का ब्याज	कुल देयता + अनुमानित ब्याज
2017–18	2,182	2,237	4,419
2020–21	12,593	11,029	23,622
कुल	**14,775**	**13,266**	**28,041**

सेवा कर:

वित्तीय वर्ष	सेवा कर/एससीएन में मांगा गया ब्याज	अनुमानित आधार पर मार्च 2025 तक का ब्याज	कुल देयता + अनुमानित ब्याज
2014–15 से 2016–17	992	0	992
2014–15 से 2016–17	451	780	1,231
2014–15 से 2017–18 की पहली तिमाही	2,406	4,319	6,725
2015–16 से 2017–18 की पहली तिमाही	359	487	846
2015–16 से 2017–18 की पहली तिमाही	15,042	22,793	37,835
कुल योग	**19,250**	**28,379**	**47,629**

वित्तीय वर्ष**	सेवा कर/एससीएन में मांगा गया ब्याज	अनुमानित आधार पर मार्च 2025 तक का ब्याज	कुल देयता + अनुमानित ब्याज
2011-12 से 2015-16	38,796	71,221	1,10,016
अक्टूबर 2016 से 2017-18 की पहली तिमाही	1,70,454	2,10,816	3,81,269
कुल	**2,09,249**	**2,82,037**	**4,91,286**

**आयकर अधिनियम 2025 में धारा 130 के एकबारगी पूर्वव्यापी संशोधन के तहत हाल ही में लागू किए गए डब्ल्यूबीसीआईएस/एमएनएआईएस (फसल बीमा योजना) से संबंधित मामलों को सेवा कर से छूट प्रदान की गई है।

इसलिए, नीचे उल्लिखित मामलों को आकस्मिक देयता नहीं माना गया है।

वित्तीय वर्ष**	सेवा कर/एससीएन में मांगा गया ब्याज	अनुमानित आधार पर मार्च 2025 तक का ब्याज	कुल देयता + अनुमानित ब्याज
2011-12 से 2015-16	38,796	71,221	1,10,016
अक्टूबर 2016 से 2017-18 की पहली तिमाही	1,70,454	2,10,816	3,81,269
कुल	**2,09,249**	**2,82,037**	**4,91,286**

(छ) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.2 के मद्देनजर, खातों में प्रावधान न किए गए सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व शून्य (पिछले वर्ष शून्य)।

(ज) उपरोक्त मामलों के अलावा, जीआईसी के पास विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में 174 कानूनी मामले लंबित हैं, जिनमें से 22 कानूनी मामलों में जीआईसी री की आकस्मिक देयता है और आकस्मिक देयता राशि ₹15,857 लाख (पिछले वर्ष ₹603 लाख) तक अनुमानित है और शेष मामलों का वित्तीय प्रभाव नगण्य है।

19. खंड रिपोर्टिंग:

लेखांकन मानक-17 ''खंड रिपोर्टिंग'' के अनुसार खंड रिपोर्टिंग का अनुपालन आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 द्वारा अपेक्षित रूप से किया गया है।

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए व्यवसाय-वार खंड राजस्व रिपोर्टिंग:

कुल व्यवसाय (भारतीय+ विदेश)

(₹ लाख में)

व्यवसाय की श्रेणी	अर्जित प्रीमियम		उपगत दावे		निवल कमीशन		प्रबंधन व्यय		विनिमय पर लाभ (हानि)		प्रीमियम न्यूनता		बीमांकन पर लाभ/ हानि (-)		निवेश आय (निवल)		राजस्व लाभ/ हानि	
	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025
अग्नि	12,01,798	11,66,431	8,48,097	9,74,197	3,01,207	2,83,922	16,192	14,978	30,747	5,218	0	0	67,049	(1,01,447)	3,25,008	3,26,463	3,92,056	2,25,016
मोटर	6,98,681	6,78,956	6,71,166	6,24,835	1,55,657	1,03,697	6,974	6,100	19,735	3,161	0	0	(1,15,381)	(52,514)	1,89,390	2,01,346	74,009	1,48,832
विमानन	36,332	38,658	66,417	33,786	5,676	7,562	802	657	1,812	264	0	0	(34,752)	(3,084)	15,709	15,876	(19,043)	12,792
इंजीनियरिंग	1,73,419	1,57,603	1,11,255	1,08,202	36,962	36,815	5,797	2,107	5,023	755	0	0	24,428	11,234	48,415	48,007	72,843	59,241
कर्मचारी क्षतिपूर्ति	3,135	3,657	3,091	12,096	513	48	27	23	156	26	0	0	(340)	(8,483)	1,489	1,652	1,149	(6,831)
देयता	72,205	58,298	59,943	55,926	15,550	12,207	826	670	2,131	304	0	0	(1,983)	(10,201)	20,536	19,310	18,553	(9,109)
व्यक्तिगत दुर्घटना	66,230	49,174	40,739	25,887	25,715	(2,953)	549	461	1,149	172	0	0	376	25,950	10,964	10,502	11,341	36,452
स्वास्थ्य	9,32,619	7,49,163	7,96,039	6,09,435	1,98,192	2,26,507	6,774	7,712	8,943	1,288	0	0	(59,443)	(93,203)	85,473	80,824	26,030	(12,380)
कृषि	3,22,565	3,27,369	2,90,188	2,93,103	16,074	33,009	2,477	2,625	8,412	1,275	0	0	22,238	(93)	80,669	79,679	1,02,907	79,586
अन्य विविध	1,15,932	96,877	60,162	54,557	25,926	19,721	1,647	1,421	1,846	275	0	0	30,044	21,453	17,814	17,623	47,858	39,076
वित्तीय दायित्व	28,717	24,678	7,538	(2,013)	7,226	5,526	262	322	781	125	0	0	14,471	20,967	7,454	8,228	21,925	29,195
मरीन कार्गो	41,744	67,856	35,856	97,209	8,078	11,895	560	459	1,524	271	0	0	(1,226)	(41,436)	14,945	16,936	13,719	(24,501)
मरीन हल	53,370	45,141	31,549	39,064	7,577	7,785	490	412	1,899	366	0	0	15,652	(1,754)	18,120	23,666	33,772	21,911
जीवन	2,27,584	2,07,323	3,09,776	290,405	2,379	1,457	1,785	1,500	6,483	750	5,771	(3,762)	(85,645)	(81,527)	31,395	23,357	(54,250)	(58,170)
कुल	**39,74,331**	**36,71,183**	**33,31,818**	**32,16,689**	**8,06,733**	**7,47,199**	**45,163**	**39,448**	**90,642**	**14,250**	**5,771**	**(3,762)**	**(1,24,512)**	**(3,14,140)**	**8,67,380**	**8,73,468**	**7,42,868**	**5,59,328**

20. दीर्घकालिक वैकल्पिक पॉलिसियों के संबंध में 31 मार्च 2026 के लिए यूआरआर में वृद्धिशील प्रावधान – ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

21. संदर्भ/ बेंचमार्क विनिमय दरें:

मुद्रा	औसत ₹ दर (अप्रैल 25 से मार्च 26)	औसत ₹ दर (अप्रैल24 से 25)	बंद ₹ दर (31.03.2026)	बंद ₹ दर (31.03.2025)
एईडी	24.02255	23.01271	25.80651	23.31672
जीबीपी	118.29563	107.85093	125.63639	110.86098
एमवाईआर	21.23244	18.78149	23.62338	19.33619
यूएसडी	88.22707	84.51880	94.77700	85.64000
यूरो	102.32237	90.75808	109.06937	92.49976

22. तुलन–पत्र की तारीख के बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

23. निगम उन ट्रीटीज़ (संधियों) के लिए उपचित हुए प्रीमियम, दावों और खर्चों का अनुमान लगाता है, जिनके लिए सीडिंग कंपनियों से खाता विवरण नहीं मिले हैं। ये अनुमान आईआरडीएआई के 'बीमा कंपनियों के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों' से जुड़े मास्टर परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एसीटीएल/परि/विविध/80/05/2024, तारीख: 17 मई 2024 के अनुपालन में हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 से आगे के लिए अनुमानित बनाम वास्तविक के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	खंड	अनुमान वित्त वर्ष 2023–24			अनुमान वित्त वर्ष 2024–25			अनुमान वित्त वर्ष 2025–26		
		प्रीमियम	दावे	व्यय	प्रीमियम	दावे	व्यय	प्रीमियम	दावे	व्यय
1	अग्नि	1,20,162	1,34,870	23,132	1,46,412	1,55,978	29,070	1,27,236	1,25,624	31,723
2	मरीन	9,195	7,510	1,329	10,056	9,432	1,631	10,738	9,186	1,686
3	मोटर	1,18,504	1,06,160	13,088	1,30,126	1,17,458	13,695	1,56,003	1,40,369	20,511
4	स्वास्थ्य	1,43,395	1,54,866	23,863	2,21,202	2,35,019	51,867	2,25,574	2,45,361	46,999
5	व्यक्तिगत दुर्घटना	8,200	6,493	1,184	11,426	9,376	2,685	13,026	11,627	2,275
6	इंजीनियरिंग	11,399	9,079	1,960	20,329	17,163	3,680	21,123	18,079	3,852
7	विमानन	4,458	9,247	691	3,545	5,096	449	3,620	9,591	569
8	कर्मचारी मुआवज़ा/नियोक्ता दायित्व	0	0	0	12	13	1	0	0	0
9	सार्वजनिक / उत्पाद देयता	6,914	5,422	1,083	13,176	9,304	2,320	18,222	13,572	3,334
10	अन्य	1,99,378	1,92,050	12,197	1,75,045	1,70,769	9,725	1,00,764	1,01,666	7,649
11	जीवन बीमा	44,228	0	0	55,258	0	829	77,294	0	545
	कुल योग	**6,65,832**	**6,25,698**	**78,528**	**7,86,587**	**7,29,609**	**1,15,952**	**7,53,600**	**6,75,076**	**1,19,143**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	खंड	वास्तविक			वास्तविक			वास्तविक		
		प्रीमियम	दावे	व्यय	प्रीमियम	दावे	व्यय	प्रीमियम	दावे	व्यय
1	अग्नि	3,18,183	1,36,608	85,972	1,35,332	1,83,536	43,240			
2	मरीन	28,106	20,037	4,684	21,422	9,166	3,157			
3	मोटर	1,77,426	1,26,069	25,861	1,60,442	1,31,341	23,655			

क्र. सं.	खंड	वास्तविक			वास्तविक			वास्तविक		
		प्रीमियम	दावे	व्यय	प्रीमियम	दावे	व्यय	प्रीमियम	दावे	व्यय
4	स्वास्थ्य	1,89,201	2,84,159	38,075	2,53,630	3,66,710	58,335			
5	व्यक्तिगत दुर्घटना	11,220	7,338	1,528	15,885	13,648	6,249			
6	इंजीनियरिंग	29,389	4,753	6,046	31,908	6,175	6,364			
7	विमानन	10,597	2,163	1,674	5,155	6,837	799			
8	कर्मचारी मुआवज़ा/नियोक्ता दायित्व	0	0	0	493	560	75			
9	सार्वजनिक / उत्पाद देयता	17,176	1,121	3,775	22,696	4,224	4,649			
10	अन्य	2,32,447	2,02,713	23,757	2,10,107	2,07,912	12,329			
11	जीवन बीमा	0	0	0	0	0	0			
	कुल योग	**10,13,746**	**7,84,960**	**1,91,370**	**8,57,070**	**9,30,109**	**1,58,852**			

क्र. सं.	खंड	अंतर (%)			अंतर (%)			अंतर (%)		
		प्रीमियम	दावे	व्यय	प्रीमियम	दावे	व्यय	प्रीमियम	दावे	व्यय
1	अग्नि	165	1	272	(8)	18	49			
2	मरीन	206	167	252	113	(3)	94			
3	मोटर	50	19	98	23	12	73			
4	स्वास्थ्य	32	83	60	15	56	12			
5	व्यक्तिगत दुर्घटना	37	13	29	39	46	133			
6	इंजीनियरिंग	158	(48)	208	57	(64)	73			
7	विमानन	138	(77)	142	45	34	78			
8	कर्मचारी मुआवज़ा/नियोक्ता दायित्व	0	0	0	3,859	4,380	10,845			
9	सार्वजनिक / उत्पाद देयता	148	(79)	248	72	(55)	100			
10	अन्य	17	6	95	20	22	27			
11	जीवन बीमा	0	0	0	0	0	0			
	कुल योग (%)	52	25	144	9	27	37			

24. आपदा आरक्षित निधि का सृजन, दावों में भविष्य की अस्थिरता से निपटने और वित्तीय परिणामों में स्थिरता लाने के लिए एक स्वीकृत तरीका है। यह आरक्षित निधि भविष्य में वित्तीय भेद्यता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इस आरक्षित निधि का उपयोग व्यापक रूप से लागू बीमा पॉलिसियों के विरुद्ध बड़े आपदा नुकसानों की भरपाई के लिए किया जाना है।

समूह ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से, राजस्व खातों के संबंध में होल्डिंग कंपनी के परिचालन लाभ के 10% के विनियोजन द्वारा, ₹5,00,000 लाख की कुल आरक्षित सीमा के साथ, इसे सृजित करने का निर्णय लिया है:

(₹ लाख में)

	वित्तीय वर्ष 2025-26		वित्तीय वर्ष 2024-25	
राजस्व खाता	**परिचालन लाभ**	**आपदा आरक्षित निधि**	**परिचालन लाभ**	**आपदा आरक्षित निधि**
अग्नि	3,51,265	35,127	2,10,675	21,068
विविध	3,39,554	33,955	3,87,272	38,727
मरीन	48,428	4,843	(3,542)	0
कुल	**7,39,247**	**73,925**	**5,94,405**	**59,795**

25. समेकन में प्रयुक्त सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण निगम की रिपोर्टिंग तिथि अर्थात 31 मार्च, 2026 को या उस तिथि को सहायक कंपनियों या सहयोगी कंपनियों द्वारा अपना वित्तीय वर्ष बंद करने की स्थिति में 31 दिसंबर 2025 तक तैयार किए जाते हैं। जीआईसी री की सहायक कंपनियों ने संबंधित देश के आवश्यक स्थानीय कानूनों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (IFRS)/यूके सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (GAAP) के अनुसार खाते तैयार किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप होल्डिंग कंपनी द्वारा अपनाए गए भारतीय सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की तुलना में कुछ भिन्नताएँ हैं। जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड, अपना संपूर्ण व्यवसाय जीआईसी री को हस्तांतरित करता है, जबकि जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड और जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी एलएलसी, मॉस्को, जीवन व्यवसाय को छोड़कर, व्यवसाय का एक हिस्सा जीआईसी री को हस्तांतरित करते हैं।

26. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से, निगम द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों के साथ पुष्टि करने के लिए सहायक कंपनियों के खातों को संरेखित करने हेतु लेखांकन समायोजन किए गए हैं, जहाँ लेखांकन नीति में अंतर को महत्वपूर्ण माना गया है।

27. निम्नलिखित लेखांकन पहलू हैं जहाँ निगम द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों के साथ महत्वपूर्ण अंतर को महत्वपूर्ण और कर के बाद समेकित लाभ पर प्रभाव माना गया है:

ऑकड़ें यथा 31.03.2026 को (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड	जीआईसी री इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड	जीआईसीपेरेस्ट्राखोवानी एलएलसी
1	अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि	(1,485)	0	39
2	मूल्यह्रास		0	0
3	आस्थगित कमीशन	(165)	0	(148)
4	लाभ–हानि/अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य में परिवर्तन	(1,819)	0	0
	कुल	**(3,469)**	**0**	**(109)**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	जीआईसी भूटान रीइंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड
1	अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि	(1,770)	(1,465)
2	मूल्यह्रास	0	0
3	आस्थगित कमीशन	0	(281)
4	लाभ–हानि/अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य में परिवर्तन	0	(5,244)
	कुल	**(1,770)**	**(6,990)**

ऑकडें यथा 31.03.2025 को (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड	जीआईसी री इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड	जीआईसीपेरेस्ट्राखोवानी एलएलसी
1	अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि	0	0	(101)
2	मूल्यह्रास	0	0	136
3	आस्थगित कमीशन	(1,068)	0	155
4	लाभ–हानि/अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य में परिवर्तन	0	0	0
	कुल	**(1,068)**	**0**	**190**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	जीआईसी भूटान रीइंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड
1	अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि	361	(926)
2	मूल्यह्रास	0	0
3	आस्थगित कमीशन	0	2,547
4	लाभ–हानि/अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य में परिवर्तन	0	0
	कुल	**361**	**1,621**

28. आईबीएनआर प्रावधानों को स्थानीय विनियामक निकायों द्वारा प्रदान की गई शर्तों के अनुसार दर्शाया जाता है।

29. आस्थगित कर सहित कराधान के प्रावधान का लेखा स्थानीय कर कानूनों और स्थानीय सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। लेखांकन नीति में अंतर को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है।

30. सांविधिक आरक्षित निधियाँ स्थानीय कानूनों की आवश्यकताओं के अनुसार सृजित की जाती हैं। लेखांकन नीति में अंतर को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है।

31. जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड से संबंधित एक वर्ष से कम की वैधता वाली सावधि जमा और परक्राम्य जमा प्रमाणपत्रों के अंतर्गत पड़ी राशियों को सहायक कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय भी यही वर्गीकरण अपनाया गया है। लेखांकन नीति में अंतर का प्रभाव समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण नहीं होगा।

32. निगम एक पुनर्बीमा कंपनी होने के नाते बीमाधारक के साथ सीधे दावों का निपटान नहीं करता है। कंपनियाँ अपने बीमाधारकों के साथ दावों का निपटान करने के बाद, पुनर्बीमा दायित्वों के अनुसार निगम से दावों की वसूली करेंगी। ऐसी वसूलियाँ कंपनियों के साथ आवधिक खाता विवरणों के माध्यम से निपटाई जाती हैं। 31.03.2026 तक छह महीने से अधिक अवधि के लिए निपटाए गए और अप्रदत्त दावे शून्य (पिछले वर्ष शून्य)।

33. उपगत परंतु रिपोर्ट न किए गए दावों आईबीएनआर का अनुमान कंपनी के नियुक्त बीमांकिक द्वारा प्रमाणित किया गया है। नियुक्त बीमांकिक ने कंपनी को प्रमाणित किया है कि इसके लिए प्रयुक्त धारणाएँ उपयुक्त हैं और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण आईआरडीएआई तथा भारतीय बीमांकिक संस्थान की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, जो आईआरडीएआई के साथ समन्वय में है।

    लाइफ री व्यवसाय के लिए आईबीएनआर प्रावधान नियुक्त बीमांकिक – लाइफ री द्वारा प्रमाणित है।

    घरेलू व्यवसाय (गैर–आनुपातिक व्यवसाय को छोड़कर) और विदेशी समूह ऋण व्यवसाय के लिए आईबीएनआर की गणना त्रिभुजन विधि का उपयोग करके की गई है।

    अन्य सभी विदेशी व्यवसाय (आनुपातिक और गैर–आनुपातिक) और घरेलू गैर–आनुपातिक व्यवसाय के लिए, विलंब दिवस विधि का उपयोग किया गया है।

34. वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, निगम ने ऐसे कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए हैं। 31 मार्च 2026 को, निगम की जारी, अभिदत्त, मांगी गई और चुकता पूंजी ₹87,720 लाख है, जिसमें ₹5/– प्रत्येक के ₹17,544 लाख इक्विटी शेयर शामिल हैं, और तदनुसार प्रति शेयर आय, प्रति शेयर बही मूल्य और प्रति शेयर लाभांश पिछले वर्षों के लिए शेयरों की बढ़ी हुई संख्या के आधार पर गणना की जाती है।

35. वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान निगम द्वारा प्रदत्त/देय जुर्माना ₹6,256 लाख (पिछले वर्ष ₹0.6) है।

क्र. सं.	प्राधिकरण	अपालन / उल्लंघन	लगाया गया जुर्माना	अदा किया गया जुर्माना	माफ/कम किया गया जुर्माना
1	भारतीय बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण (IRDAI)		0	0	0
2	आयकर प्राधिकरण		0	0	0
3	जीएसटी प्राधिकरण		0	0	0
4	कोई अन्य प्राधिकरण		0	0	0
5	प्रवर्तन निदेशालय/ न्यायनिर्णयन प्राधिकरण/ अधिककरण या फेमा के तहत कोई अन्य प्राधिकरण		0	0	0

क्र. सं.	प्राधिकरण	अपाल न / उल्लंघन	लगाया गया जुर्माना	अदा किया गया जुर्माना	माफ/कम किया गया जुर्माना
6	कंपनी रजिस्ट्रार /एनसीएलटी/सीएलबी/ निगमीय मामलों का विभाग या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कोई भी प्राधिकरण		0	0	0
7	किसी भी मामले (जिसमें दावा निटपान शामिल है, लेकिन मुआवज़ा शामिल नहीं है) के लिए किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा लगाया गया जुर्माना		0	0	0
8	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	जून 2025, सितंबर 2025, दिसंबर 2025 और मार्च 2026 को समाप्त होने वाली तिमाहियों के दौरान, बोर्ड के गठन से संबंधित सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 17(1) का पालन न करने पर बीएसई और एनएसई लिमिटेड द्वारा लगाया गया जुर्माना।	37**	0	0
9	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग		0	0	0
10	कोई अन्य केंद्रीय/राज्य/स्थानीय सरकार / वैधानिक प्राधिकरण (विवरण दें)	1. 24 जून 2025 को, दुबई शाखा को एफटीए वैट निर्धारण और जुर्माने की अधिसूचना (संदर्भ सं. 600/2025/t/m/a) मिली। इसमें 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए दाखिल किए गए वैट रिटर्न में पाई गई गड़बड़ियों के कारण अएऊ 25,966,807.36 का प्रशासनिक जुर्माना लगाया गया था। 2. 28 जनवरी 2026 को, एफटीए ईमाराटैक्स पोर्टल के ज़रिए निगमीय कर पंजीकरण में देरी के लिए अएऊ 10,000 का जुर्माना लगाया गया।	6,219	0	0

*जुर्माने में किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए यौगिक प्रभार शामिल हैं।

** नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड, दोनों ने ₹18.25 लाख (जीएसटी को छोड़कर) का कुल जुर्माना लगाया।

36. जीआईसी री दुबई शाखा जुलाई 2021 से रन-ऑफ परिचालन में है और वर्तमान में रन-ऑफ से पहले के वर्षों में बीमांकन की गई संविदाओं के लेखांकन और दावों का निपटान कर रही है। दुबई शाखा द्वारा पहले बीमांकन किया गया व्यवसाय अब भारत में गिफ्ट सिटी शाखा द्वारा संभाला जा रहा है। दुबई शाखा के ओपन बैलेंस को गिफ्ट सिटी शाखा में स्थानांतरित करने और अंततः दुबई शाखा के पंजीकरण को रद्द करने के लिए यूएई विनियामक के पास आवेदन दायर किया गया है और इस संबंध में पत्राचार जारी है।

37. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, मेसर्स एएम बेस्ट द्वारा वित्तीय सुदृढ़ता रेटिंग (एफएसआर) के लिए प्रदान की गई रेटिंग 'ए- (उत्कृष्ट)' और दीर्घकालिक जारीकर्ता क्रेडिट रेटिंग (आईसीआर) 'ए- (उत्कृष्ट)' है, जिसमें एफएसआर और दीर्घकालिक आईसीआर के लिए 'स्थिर' दृष्टिकोण है। वित्त वर्ष 2024-25 में, मेसर्स एएम बेस्ट द्वारा दी गई रेटिंग में वित्तीय सुदृढ़ता रेटिंग (FSR) 'अ- (उत्कृष्ट)' और दीर्घावधि निर्गमकर्ता क्रेडिट रेटिंग (ICR) 'a-(उत्कृष्ट)' थी, जिसमें वित्तीय सुदृढ़ता रेटिंग और दीर्घावधि निर्गमकर्ता क्रेडिट रेटिंग के लिए आउटलुक 'स्थिर' था।

38. निवेश:

(क) शेयरों, डिबेंचर, बॉन्ड और उद्यम पूंजी निधि में निवेशित राशि ₹78,95,708 लाख (पिछले वर्ष ₹81,16,309 लाख) में से, निगम के अभिरक्षक द्वारा वास्तव में धारित दातार स्विचगियर लिमिटेड के बॉन्ड में निवेश ₹65 लाख (पिछले वर्ष ₹65 लाख) है। इसमें से ₹13 लाख निगम से संबंधित हैं और शेष ₹52 लाख की राशि पूर्ववर्ती सहायक कंपनियों के बाबत है।

(ख) वर्ष के दौरान ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹0.11 लाख) का अतिरिक्त लाभांश, ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य) का अतिरिक्त लाभ और ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य) का अतिरिक्त ब्याज प्राप्त हुआ। 31.3.2026 को अतिरिक्त लाभांश शेष ₹16 लाख (पिछले वर्ष ₹16 लाख) है। 31 मार्च 2026 को अतिरिक्त बॉन्ड/डिबेंचर पर प्राप्त ब्याज और अतिरिक्त इक्विटी/डिबेंचर पर लाभ ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य) और ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य) है। इस अतिरिक्त लाभांश को देयता के रूप में दिखाया गया है।

39. (क) प्रावधान में ₹10,091 लाख (पिछले वर्ष ₹8,821 लाख) के ऋण पोर्टफोलियो के संबंध में आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित विधियों के लिए आईआरडीएआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार 0.40% की दर से मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान शामिल है।

(ख) वर्ष के दौरान, निगम ने सीडीआर (निगमीय ऋण पुनर्संरचना) प्रणाली के अंतर्गत निगमीय कर्ज/ऋण की की कोई पुनर्संरचना नहीं की है। (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

(ग) निगम ने उद्यम पूंजी की इकाइयों के प्रावधान के लिए नवीनतम उपलब्ध एनएवी पर विचार किया है। विचार किए गए नवीनतम उपलब्ध एनएवी का विवरण इस प्रकार है:

निम्न तारीख को एनएवी	उद्यम पूंजी निधियों की संख्या
31 मार्च, 2026	4
31 दिसंबर, 2025	8
30 सितंबर 2025	0
31 मार्च 2025	3
शून्य एनएवी	2
निकास	2
कुल	**19**

40. सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन के लिए, वित्त वर्ष 2025-26 के अंतिम कारोबारी दिन को क्लोजिंग दिवस माना गया है।

41. वर्ष के दौरान, निगम ने निम्नानुसार कर्ज, ऋण और ब्याज माफ/बट्टे खाते में डाले हैं:

वर्ष 2025-26 और 2024-25 के दौरान अधित्याग

(₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	मामलों की संख्या	बट्टे खाते डाला गया	अधित्याग	मामलों की संख्या	बट्टे खाते डाला गया	अधित्याग
चक्रवृद्धि ब्याज/ विलम्बित देय राशि	2	0	11,085	60	0	38,746
साधारण ब्याज/मूलधन के विलंबित भुगतान पर ब्याज	2	0	7,560	49	0	22,365
कुल	**4**	**0**	**18,645**	**109**	**0**	**61,111**

वर्ष 2025-26 और 2024-25 के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऋण/इक्विटी

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष 2025-26		वित्तीय वर्ष 2024-25	
कंपनियों की सं.	अवलिखित/बट्टे खाते डाली गई राशि	कंपनियों की सं.	अवलिखित/बट्टे खाते डाली गई राशि
2	4,710	28	19,944

वर्ष 2025-26 और 2024-25 के दौरान बट्टे खाते डाले गए निवेशों मे मूल्य में कमी

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष 2025-26		वित्तीय वर्ष 2024-25	
कंपनियों की सं.	अवलिखित/बट्टे खाते डाली गई राशि	कंपनियों की सं.	अवलिखित/बट्टे खाते डाली गई राशि
2	179	0	0

42. भौतिक/डीमैट प्रारूप में उपलब्ध सीजीएस/एसजीएस/बांड/डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्व के हक और लेखा बहियों में दर्शाए गए हकों के बीच मद संख्या 38 में इंगित अंतरों को छोड़कर कोई अंतर नहीं है।

43. 31 मार्च 2026 को , भारत के अंदर और बाहर निगम की सभी परिसंपत्तियां, निम्नलिखित के सिवाय, भारमुक्त हैं:

(क) भारत सरकार की प्रतिभूतियां, ₹785 लाख के लिए 8.24% 2027, ₹20 लाख के लिए 8.60% 2028, ₹500 लाख के लिए 6.19% 2034, ₹2,000 लाख के लिए 7.54% 2036, ₹1,000 लाख के लिए 7.10% 2029, ₹1,000 लाख, ₹1,000 लाख के लिए 7.26% 2032, ₹4,000 लाख के लिए 7.18% 2037, कुल राशि ₹10,305 लाख (पिछले वर्ष कुल राशि ₹10,305 लाख) और निपटान गारंटी निधि के लिए जमा के रूप में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास ₹126 लाख (पिछले वर्ष ₹106 लाख) की नकद जमा।

नकद जमा में से, ₹15 लाख त्रिपक्षीय रेपो डिफ़ॉल्ट निधि (पिछले वर्ष कुल राशि ₹15 लाख) के लिए नकद संपार्श्विक जमा के रूप में और ₹8 लाख प्रतिभूति डिफ़ॉल्ट निधि (पिछले वर्ष कुल राशि ₹8 लाख) के लिए रखे गए हैं। ₹1 लाख प्रारंभिक मार्जिन के लिए और ₹82 लाख सीजीएस मार्जिन के लिए रखे गए हैं।

(ख) (i) सेबी द्वारा दिनांक 19/03/2008 के परिपत्र के अनुसार अनुशंसित मार्जिन अपेक्षाओं के मद्देनजर, निगम ने नकद खंडों में मार्जिन के लिए गिरवी के रूप में ₹4,000 लाख की राशि के भारत सरकार की प्रतिभूति 7.10% 2029 (पिछले वर्ष भारत सरकार की प्रतिभूति 7.10% 2029 जिसकी राशि ₹4000 लाख थी) समनुदेशित की है। यह गिरवी एनएसई और बीएसई में किए गए सौदों (ट्रेड) से उत्पन्न मार्जिन दायित्वों को कवर करती है।

(ii) 1844.40 वर्ग मीटर के सीटीएस.सं.1606जक्रफोर्ट डिवीजन वाले भूखंड पर विकास गतिविधियाँ शुरू करने के लिए ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) को बैंक गारंटी के विरुद्ध ₹6 लाख (पिछले वर्ष ₹6 लाख) का मार्जिन एफडीआर।

(iii) दुबई शाखा के लिए बैंक गारंटी (BG) जारी करने के संबंध में यूएई की विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ₹1,40,520 लाख (पहले ₹1,30,949 लाख) की मार्जिन एफडीआर को लियन के तहत रखा गया है।

(iv) बैंक गारंटी (BG) जारी करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कमीशन के भुगतान हेतु बैंक गारंटी (BG) के विरुद्ध ₹850 लाख (पहले ₹850 लाख) की मार्जिन एफडीआर को लियन के तहत रखा गया है।

(ग) बैंक द्वारा ₹5,57,818 लाख (पिछले वर्ष ₹6,93,643 लाख) का एलसी/बीजी के रूप में जारी करने के लिए मार्जिन एफडीआर रखा गया है।

(घ) अलग-अलग बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले ब्याज की गणना के तरीकों के आधार पर सावधि जमाओं पर उपचित ब्याज में अंतर हो सकता है। निगम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरतता है और एक तय प्रक्रिया का पालन करता है कि ब्याज की गणना संबंधित सावधि जमा रसीदों (FDRs) में बताई गई शर्तों के अनुसार ही की जाए। इसी के अनुसार, ब्याज को हर तिमाही के आधार पर दर्ज और हिसाब में लिया जाता है, ताकि परिपक्वता पर मिलने वाली राशि सही तरीके से मिल सके।

44. 31 मार्च 2026 तक ऋण, निवेश और अचल परिसंपत्तियों (यदि कोई हो) के लिए की गई और बकाया प्रतिबद्धताएँ ₹293 लाख (पिछले वर्ष ₹1,949 लाख) हैं।

45. निवेश से संबंधित अनुबंधों का मूल्य, निम्न के लिए:

क) खरीद, जहाँ डिलीवरी देय और लंबित हैं ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)।

ख) बिक्री, जहाँ भुगतान अतिदेय हैं ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)।

46. ऋण प्रतिभूतियों के परिशोधन का आधार महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 12.14 में उल्लिखित है।

47. निगम निवेश उद्देश्यों के लिए कोई परिसंपत्ति नहीं रखता है।

48. अप्राप्त लाभ/हानि के संबंध में प्रावधान महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 12.7 में उल्लिखित हैं।

49. ब्याज, लाभांश और किराये की आय ₹680 लाख (पिछले वर्ष ₹561 लाख) के निवेश व्यय से निवल है।

50. जीआईसी सिंडिकेट 1947, जो पूरी तरह से भारतीय पूंजी समर्थित जीआईसी सिंडिकेट है, मार्च 2018 में लॉयड्स द्वारा अनुमोदन के बाद अप्रैल 2018 से लंदन में परिचालनरत हो गई। सिंडिकेट ने जीआईसी री को और विपर्यत: भी अपना व्यवसाय सौंप दिया। जीआईसी री और जीआईसी सिंडिकेट 1947 के बीच दर्ज व्यवसाय इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

आवक	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
सकल प्रीमियम	3,995	9,484
सकल कमीशन	2	112
उपगत दावे	12	5,258
समग्र परिणाम	**3,981**	**4,114**
रेट्रो		
रेट्रो प्रीमियम	329	5,374
रेट्रो कमीशीन	176	770
उपगत दावे – रेट्रो	(222)	(1,240)
समग्र परिणाम	**375**	**5,843**

51. प्रतिधारित एवं पुनर्बीमित जोखिमों की सीमा नीचे दी गई है:

श्रेणी	2025-26		2024-25	
	प्रतिधारित %	प्रतिधारित %	प्रतिधारित %	प्रतिधारित %
अग्नि बीमा	84.21	15.79	84.70	15.30
मोटर बीमा	100.00	0.00	100.00	0.00
विमानन बीमा	44.83	55.17	48.16	51.84
इंजीनियरिंग बीमा	92.91	7.09	91.01	8.99
कर्मचारी मुआवजा	97.86	2.14	100.00	0.00
देयता	89.13	10.87	82.14	17.86
व्यक्तिगत दुर्घटना	99.97	0.03	99.20	0.80
स्वास्थ्य	100.00	0.00	99.18	0.82
कृषि	98.16	1.84	97.83	2.17
अन्य विविध बीमा	81.79	18.21	82.44	17.56
वित्तीय दायित्व/ऋण	99.76	0.24	96.28	3.72
मरीन कार्गो	81.80	18.20	81.77	18.23
मरीन हल	91.77	8.23	93.99	6.01
जीवन बीमा	98.99	1.01	97.95	2.05

52. दावों की अवधि – विभिन्न अवधियों के लिए बकाया दावों में अंतर:

निगम एक पुनर्बीमा कंपनी होने के नाते, बीमित व्यक्ति के साथ सीधे दावों का निपटान नहीं करता है। कंपनियाँ अपने बीमित व्यक्ति के साथ दावों का निपटान करने के बाद, पुनर्बीमा दायित्वों के अनुसार निगम से दावों की वसूली करेंगी। ऐसी वसूलियाँ कंपनियों के साथ आवधिक खाता विवरणों और पूरे वर्ष के समग्र व्यावसायिक लेनदेनों के समाधान के बाद नकदी कॉल्स के माध्यम से की जाती हैं।

फिर भी, कंपनियों द्वारा वैकल्पिक व्यवसाय के संबंध में सूचित बकाया हानियों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बकाया अवधि के अनुसार वर्गीकृत किया गया है:

यथा 31.03.2026 को विवरण (₹ लाख में)

क्र. सं.	बकाया अवधि	अग्नि		मरीन		इंजीनियरिंग		विमानन		देयता		विविध		कुल	
		दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि
1	0–30 दिन	2	119	4	7,660	0	0	11	163	3	5	0	0	20	7,947
2	31 दिन से 6 माह	37	13,247	34	2,882	6	341	36	7,964	0	0	0	0	113	24,434
3	6 माह से 1 वर्ष	43	14,577	15	2,724	12	2,729	54	(8,625)	4	1,875	2	1	130	13,281
4	1 वर्ष से 5 वर्ष	423	57,743	100	23,919	99	0,701	520	3,246	29	218	10	50	1,181	1,05,877
5	5 वर्ष और इससे अधिक	595	18,970	179	3,769	235	0,503	,143	42,160	79	2,043	85	940	2,316	78,384
	कुल	**1,100**	**1,04,655**	**332**	**40,952**	**352**	**24,274**	**1,764**	**54,907**	**115**	**4,142**	**97**	**991**	**3,760**	**2,29,923**

Details as on 31.03.2025 (₹ in Lakhs)

क्र. सं.	बकाया अवधि	अग्नि		मरीन		इंजीनियरिंग		विमानन		देयता		विविध		कुल	
		दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि	दावों की सं.	राशि
1	0–30 दिन	5	615	2	9	3	30	16	435	0	0	0	0	26	1,089
2	31 दिन से 6 माह	32	4,573	12	699	9	406	69	1,970	0	0	0	0	122	7,648
3	6 माह से 1 वर्ष	64	8,780	12	18,243	13	1,474	57	2,045	5	101	0	0	151	30,643
4	1 वर्ष से 5 वर्ष	467	66,417	148	7,902	115	22,616	590	8,608	54	456	18	131	1,392	1,46,132
5	5 वर्ष और इससे अधिक	532	19,742	131	5,039	218	10,064	1,098	6,905	55	1,765	94	1,036	2,128	64,552
	कुल	**1,100**	**1,00,127**	**305**	**61,892**	**358**	**34,591**	**1,830**	**49,964**	**114**	**2,322**	**112**	**1,168**	**3,819**	**2,50,064**

चूंकि निगम एक पुनर्बीमा कंपनी है, इसलिए औसत दावा निपटान लागू नहीं होता है; क्योंकि दावे का निपटारा पूरे वर्ष के कुल व्यावसायिक लेनदेन के समाधान के बाद, आवधिक खाता विवरण और नकदी माँग के ज़रिए किया जाता है।

53. 4 वर्ष से अधिक अवधि वाली देनदारियों/दावों के भुगतान के लिए प्रमाणपत्र – बीमा कंपनियों के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर आईआरडीएआई के 2024 के मास्टर परिपत्र के खंड खत.1 के अनुसार, 4 वर्ष से अधिक अवधि वाली देनदारियों/दावों के भुगतान (जैसे, दीर्घावधि विकलांगता) का अलग से मूल्यांकन और प्रमाणन करना ज़रूरी है। निगम के पास ऐसा कोई भुगतान नहीं है, इसलिए निगम पर यह प्रमाणपत्र लागू नहीं होता है।

54. भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त एवं निवेश कार्य) विनियम, 2024 के अनुसार, निगम को एएस–3 ''नकदी प्रवाह विवरण'' में निर्धारित प्रत्यक्ष विधि के अनुसार प्राप्तियां एवं भुगतान खाते तैयार करने होंगे। निगम ने इसका अनुपालन किया है।

55. 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए नकद और नकद समतुल्य राशियाँ, प्राप्तियां एवं भुगतान खाते/नकदी प्रवाह विवरण में उल्लिखित हैं, जिनमें 3 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली ₹15,22,411 लाख की सावधि जमाएँ और साख पत्र के लिए मार्जिन के अंतर्गत जमा राशियाँ, लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणों की तारीख को ₹5,57,818 लाख शामिल हैं। 31 मार्च 2025 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए नकद और नकद समतुल्य राशि में 3 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली ₹10,62,874 लाख की सावधि जमाएँ और साख पत्र के लिए मार्जिन के अंतर्गत जमा राशियाँ, ₹6,93,643 लाख शामिल हैं। नकदी प्रवाह के लिए नकद और नकद समतुल्य राशियों की गणना हेतु इन्हें शामिल नहीं किया गया है।

56. पिछली अवधि/वर्ष के आँकड़ों को आवश्यकतानुसार निम्नानुसार पुनर्समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है:

क्र.सं.	विवरण	(अनुसूची और लेखा शीर्ष)	पुनर्समूहित/ पुन: कथित राशि (₹ लाख में)	पिछले वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार राशि (₹ लाख में)	अंतर (₹ लाख में)	पुनर्समूहन/ पुनर्कथन के कारण	किससे पुनर्समूहित	किसमें पुनर्समूहित
1	बैंक शेष के तहत अल्पावधि जमा	अनु 11	20,63,266	20,63,160	106	अल्पकालिक जमाओं में सीसीआईएल बैलेंस को शामिल न करना	वही पुनर्समूहन अनु 11	वही पुनर्समूहन अनु 11
2	सहायक/ होल्डिंग कंपनी से देय	अनु 12	37,955	0	37,955	गलती से अनुसूची में लिया गया	वही पुनर्समूहन अनु 12	वही पुनर्समूहन अनु 12
3	विविध जमाएं	अनु 12	2,41,900	2,42,006	(106)	अल्पकालिक जमाओं में सीसीआईएल बैलेंस को शामिल न करना	वही पुनर्समूहन अनु 12	वही पुनर्समूहन अनु 12
4	आय पर ब्याज, कर, जीएसटी और अन्य	अनु 4	112	112	0	गौण ऋणों और अन्य पर ब्याज से संबंधित शीर्ष में बदलाव	वही पुनर्समूहन अनु 4	वही पुनर्समूहन अनु 4

57. अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (आईएएसबी) ने बीमा अनुबंधों के लिए नए मानक के रूप में आईएफआरएस 17 को अधिसूचित किया है। यह मानक अब यूके, यूरोपीय देशों, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका आदि सहित कई देशों में लागू किया जा रहा है। भारत में अनुरूपी मानक इंड एस 117 बीमा क्षेत्र के विकास के लिए प्रक्रिया में है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 14 जुलाई 2022 के अपने पत्र के ज़रिए सभी बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं को इंड एएस (Ind AS) लागू करने की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया था, जिसमें एक संचालन समिति बनाना भी शामिल था। इसी के तहत, जीआईसी री ने इंड एएस को आसानी से लागू करने की देखरेख और उसे सुनिश्चित करने के लिए एक संचालन समिति और एक विशिष्ट कार्य समूह बनाया है। इसके बाद, आईआरडीएआई ने 30 मार्च 2026 की अपनी अधिसूचना (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ता के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) (संशोधन) विनियम, 2026) के ज़रिए 1 अप्रैल 2026 से इंड एएस को अपनाना अनिवार्य कर दिया, साथ ही दो वर्ष की अवधि के लिए इंड एएस और IGAAP के तहत समानांतर रिपोर्टिंग की भी शर्त रखी।

प्रणाली की तैयारी और लागू करने की स्थिति को देखते हुए, जीआईसी री ने 30 मार्च 2026 की ऊपर बताई गई अधिसूचना के विनियम 6अ के तहत छूट (forbearance) के लिए आवेदन किया है और लागू करने की समय–सीमा को 1 अप्रैल 2027 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। संचालन समिति की विस्तृत समीक्षा

और परियोजना के ज्ञान भागीदार और कार्यान्वयन भागीदार से मिली पुष्टि के आधार पर, निगम को भरोसा है कि इंड एस कार्यान्वयन परियोजना योजना के अनुसार चल रही है और विनियामक से मांगी गई छूट की अवधि के भीतर, 1 अप्रैल 2027 तक सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।

58. निगम के निदेशकों के उन रिश्तेदारों को, जो नियोजन की शर्तों के अनुसार निगम के कर्मचारी हैं, दिए गए वेतन और पारिश्रमिक को छोड़कर, ऐसे किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संगठन को कोई भुगतान नहीं किया गया है जिनमें निगम के निदेशक हितबद्ध हैं।

59. निगम ने बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27ई के अनुपालन में पॉलिसीधारकों का पैसा भारत के बाहर निवेश नहीं किया है।

60. निगम के पिछले पाँच वर्षों के वित्तीय विवरणों का सारांश अनुलग्नक ।। (ख) के अनुसार है।

61. निगम के लेखा अनुपात अनुलग्नक ।।। (ख) में दिए गए हैं।

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

अनुलग्नक – I

भारतीय साधारण बीमा निगम

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित समेकित प्राप्तियां एवं भुगतान खाता/नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त चालू वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त पूर्व वर्ष
क	**परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:**		
1	पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम, अग्रिम प्राप्तियां सहित	0	0
2	अन्य प्राप्तियां		
	विविध प्राप्तियां	1 153	1 211
3	पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान, कमीशन और दावों को घटाकर*	338 272	214 248
4	सह–बीमाकर्ताओं को भुगतान, दावों की वसूली को घटाकर	0	0
5	दावों का भुगतान	0	0
6	कमीशन और ब्रोकरेज का भुगतान	0	0
7	अन्य परिचालन व्ययों का भुगतान	(9 414)	(34 228)
8	प्रारंभिक और परिचालन–पूर्व व्यय	0	0
9	जमा, अग्रिम और कर्मचारी ऋण	(30 338)	252 452
10	भुगतान किया गया आयकर (निवल)	(252 387)	(222 361)
11	भुगतान किया गया सेवा कर/जीएसटी	13 456	(2 979)
12	अन्य भुगतान	(14 099)	(10 724)
13	असाधारण मदों से पहले नकदी प्रवाह	46 643	197 619
14	असाधारण परिचालनों से नकदी प्रवाह	0	0
15	**परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**46 643**	**1 97 619**
ख	**निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:**		
1	अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(1 086)	(2 541)
2	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय	(290)	170
3	निवेशों की खरीद	(2366 989)	(2123 987)
4	संवितरित ऋण	0	0
5	निवेशों की बिक्री	1268 742	1133 978
6	प्राप्त चुकौतियां	1 744	1 600
7	प्राप्त किराया/ब्याज/लाभांश	882 746	857 263
8	मुद्रा बाजार लिखतों और तरल म्यूचुअल फंडों में निवेश (निवल) (क)	7 628	40 959
9	निवेश से संबंधित व्यय	26	(1)
10	**निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**(207 478)**	**(92 559)**

ग	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**		
1	शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आय	0	0
2	उधार लेने से प्राप्त आय	0	0
3	ऋण की चुकौती	0	0
4	प्रदत्त ब्याज/लाभांश	(175 440)	(175 440)
5	**वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**(175 440)**	**(175 440)**
घ	**नकद और नकदी समतुल्य पर विदेशी मुद्रा दरों का प्रभाव, निवल**	3 35 588	65 051
ड	**नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि: (क+ख +ग+घ)**	(687)	(5 329)
	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकदी समतुल्य	**771 659**	**776 987**
	वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	**770 971**	**771 659**

*अर्जित प्रीमियम घटाएं उपगत दावे घटाएं विभिन्न बकाया, प्राप्य, देय और जमाराशियों के लिए निवल कमीशन। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकदी बहिर्वाह दर्शाते हैं।

अनुसूची 11 के साथ नकदी और नकदी समतुल्य का समाधान

अवधि के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	**31 मार्च 2026 को समाप्त चालू वर्ष**	**31 मार्च 2025 को समाप्त पूर्व**
अनुसूची 11 के अनुसार नकद और बैंक शेष	2528 070	2485 604
घटाएँ: 3 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाएँ	1062 768	940 839
घटाएँ: साख पत्र के लिए मार्जिन के अंतर्गत जमाएँ	693 643	767 779
अवधि के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	**771 659**	**776 987**
अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		
अनुसूची 11 के अनुसार नकद और बैंक शेष	2848 888	2528 070
घटाएँ: 3 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाएँ	1522 411	1062 768
घटाएँ: साख पत्र के लिए मार्जिन के अंतर्गत जमाएँ	555 505	693 643
अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	**770 971**	**771 659**

हमारे सम दिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

अनुलग्नक – II ख

समेकित वित्तीय विवरणों का सारांश

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

	विवरण	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23
	परिचालन परिणाम				
1	**सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम**	**0**	0	0	0
2	सकल लिखित प्रीमियम	**4436 788**	4195 533	3786 715	3712 875
3	निवल प्रीमियम आय	**4090 439**	3841 223	3414 566	3375 457
4	निवेशों से आय (निवल)	**867 380**	873 468	869 781	752 918
	अन्य आय				
5	विदेशी मुद्रा में घट-बढ़ पर लाभ	**90 642**	14 251	9 783	60 773
6	शेयरधारकों के खाते से अंशदान	**0**	0	0	0
	अतिरिक्त ईओएम के प्रति	**0**	0	0	0
	अन्य निर्दिष्ट किया जाए	**0**	0	0	0
	कुल आय	**5048 460**	**4728 942**	**4294 130**	**4189 148**
7	कमीशन (निवल)	**806 733**	747 199	630 118	565 067
8	परिचालन व्यय	**45 163**	39 448	42 299	44 002
9	प्रीमियम न्यूनता	**5 771**	(3 762)	5,927	(854)
10	निवल उपगत दावे	**3331 818**	3216 689	3103 027	3269 160
11	असमाप्त जोखिम आरक्षित निधि में परिवर्तन	**116 107**	170 040	44,095	(221 897)
	आपदा आरक्षित निधि में अंतरण	**73 925**	59 795	58,750	51,255
12	**परिचालन लाभ/हानि***	**668 944**	499 533	409 915	482 415
	गैर-परिचालन परिणाम				
13	शेयरधारक खाते के तहत कुल आय (निवल)	**475 726**	410 931	382 575	320 704
14	शेयरधारक खाते के तहत कुल व्यय	**0**	0	0	0
15	कर-पूर्व लाभ/(हानि)	**1144 670**	910 464	792 490	803 119
16	कर प्रावधान	**244 620**	213 068	141 676	145 402
17	कर-पश्चात लाभ/(हानि)	**900 049**	697 396	650 814	657 717
	सहयोगी कंपनियों में लाभ का हिस्सा	**66 188**	45 788	17 773	33 015
	वर्ष के लिए लाभ	**966 238**	743 184	668 586	690 732
	विविध				
18	पॉलिसीधारक खाता:				
	कुल निधियां	**10117 216**	9352 761	8711 603	8004 040
	कुल निवेश	**9515 559**	9499 502	9220 101	8040 937
	*निवेशों पर प्रतिलाभ (%)	**10.62**	10.67	11.58	12.19

19	शेयरधारक खाता:				
	कुल निधियां	**5685 920**	4696 117	4083 475	3548 345
	कुल निवेश	**5321 740**	4828 520	4356 153	3432 867
	*निवेशों पर प्रतिलाभ (%)	**10.62**	10.67	11.58	12.19
20	चुकता इक्विटी पूंजी	**87 720**	87 720	87 720	87 720
21	निवल संपत्ति	**5685 920**	4696 117	4083 475	3548 345
22	कुल परिसंपत्तियां	**20573 279**	19476 941	18445 224	16273 074
23	कुल निवेशों पर प्रतिलाभ(%)	**10.62**	10.67	11.58	12.19
24	प्रति शेयर आय (मूल)	**55.08**	42.36	38.11	39.37
25	प्रति शेयर बही मूल्य(₹)	**324.09**	267.68	232.76	202.25
26	घोषित/प्रदत्त कुल लाभांश	**175 440**	175 440	126 317	39 474
27	प्रति शेयर लाभांश (₹)	**10.00**	10.00	7.20	2.25
28	सॉल्वेंसी अनुपात	**4.21**	3.70	3.25	2.61

**परिचालन लाभ/हानि आपदा आरक्षित निधि में अंतरण् से पूर्व है।*

हमारे सम दिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार–सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

अनुलग्नक – III ख

गैर-जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनुपात

	निष्पादन अनुपात	अनुपात/प्रतिशत			
		चालू वर्ष समाप्त 31.03.2026		पूर्व वर्ष समाप्त 31.03.2025	
		घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
		कुल		कुल	
1	सकल प्रीमियम वृद्धि दर (खंड-वार) (चालू अवधि के सकल प्रीमियम को पिछले वर्ष के सकल प्रीमियम से विभाजित करने पर)				
	अग्नि बीमा	5.11	(1.13)	(1.45)	17.88
	मोटर बीमा	19.91	(1.99)	17.16	(57.54)
	विमानन बीमा	6.42	16.05	9.94	(18.29)
	इंजीनियरिंग बीमा	12.36	7.92	13.88	(16.26)
	कर्मचारी मुआवजा/नियोक्ता दायित्व	27.00	(31.60)	(39.79)	9.61
	देयता	25.92	1.37	24.95	7.20
	व्यक्तिगत दुर्घटना	32.96	13.03	22.04	(2,288.63)
	स्वास्थ्य	(3.58)	30.20	69.12	(81.43)
	कृषि	3.45	26.43	(11.47)	(10.96)
	अन्य विविध बीमा	20.18	(20.55)	12.08	266.94
	वित्तीय दायित्व/ऋण	7.15	(38.07)	66.71	16.33
	मरीन कार्गो	(0.81)	20.53	(12.98)	(76.16)
	मरीन हल	17.45	(22.64)	17.92	6.71
	जीवन बीमा	25.67	79.03	13.57	32.81
2	सकल प्रीमियम और निवल संपत्ति का अनुपात : (चालू अवधि के लिए सकल प्रीमियम को चुकता पूंज और निर्बंध आरक्षित निधि से भाग देने पर)	85.78		95.47	
3	निवल संपत्ति की वृद्धि दर (वर्तमान तुलन-पत्र की तारीख पर निवल संपत्ति को पिछले तुलन-पत्र की तारीख पर निवल संपत्ति से भाग देने पर)	19.01		14.70	
4	निवल प्रतिधारण अनुपात (खंड-वार) (निवल प्रीमियम को सकल प्रीमियम से भाग देने पर)				
	अग्नि बीमा	80.58	87.87	76.72	92.57
	मोटर बीमा	100.00	100.00	100.00	100.00
	विमानन बीमा	83.80	39.90	100.00	41.01
	इंजीनियरिंग बीमा	90.84	99.97	88.45	99.14
	कर्मचारी मुआवजा/नियोक्ता दायित्व	97.67	100.00	100.00	100.00
	देयता	86.09	99.16	75.90	96.62
	व्यक्तिगत दुर्घटना	99.97	100.00	99.13	100.00
	स्वास्थ्य	100.00	100.00	99.18	100.00
	कृषि	98.11	100.00	97.78	100.00
	अन्य विविध बीमा	93.13	42.78	88.31	62.69

	निष्पादन अनुपात	अनुपात/प्रतिशत			
		चालू वर्ष समाप्त		पूर्व वर्ष समाप्त	
		31.03.2026		31.03.2025	
		घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
		कुल		कुल	
	वित्तीय दायित्व/ऋण	100.00	98.65	100.00	87.74
	मरीन कार्गो	82.16	81.04	88.35	63.35
	मरीन हल	92.18	91.34	96.74	92.03
	जीवन बीमा	98.82	100.00	97.71	100.00
5	निवल कमीशन अनुपात (खंड-वार) (पुनर्बीमा कमीशन घटाकर दिया गया कमीशन, जिसे उस खंड के लिए निवल प्रतिधारित प्रीमियम से भाग दिया जाता है)				
	अग्नि बीमा	23.04	26.49	24.50	23.54
	मोटर बीमा	18.33	32.37	14.44	24.25
	विमानन बीमा	13.38	15.58	0.64	28.57
	इंजीनियरिंग बीमा	18.05	25.23	19.76	30.05
	कर्मचारी मुआवजा/नियोक्ता दायित्व	14.98	17.90	14.67	(77.34)
	देयता	19.22	18.72	20.02	17.42
	व्यक्तिगत दुर्घटना	35.41	15.01	(5.93)	3.82
	स्वास्थ्य	21.52	25.81	23.97	17.42
	कृषि	4.40	19.38	10.14	18.78
	अन्य विविध बीमा	18.61	25.33	15.90	26.23
	वित्तीय दायित्व/ऋण	23.11	37.38	15.67	25.95
	मरीन कार्गो	14.05	29.30	10.80	98.06
	मरीन हल	12.51	18.68	10.56	17.60
	जीवन बीमा	0.34	4.76	0.05	7.05
6	प्रबंधन व्यय और सकल प्रीमियम का अनुपात (प्रबंधन व्यय को सकल प्रीमियम से भाग देने पर)	0.72	1.40	0.80	0.87
	अग्नि बीमा	0.73	0.97	0.80	0.83
	मोटर बीमा	0.73	1.54	0.80	0.85
	विमानन बीमा	0.73	0.99	0.80	0.92
	इंजीनियरिंग बीमा	0.73	9.94	0.80	1.86
	कर्मचारी मुआवजा/नियोक्ता दायित्व	0.73	1.35	0.80	0.69
	देयता	0.73	0.91	0.80	0.86
	व्यक्तिगत दुर्घटना	0.73	0.71	0.80	0.79
	स्वास्थ्य	0.73	0.72	0.80	0.75
	कृषि	0.73	0.79	0.80	0.84
	अन्य विविध बीमा	0.73	1.18	0.80	0.85
	वित्तीय दायित्व/ऋण	0.73	0.84	0.80	0.96
	मरीन कार्गो	0.55	1.17	0.60	0.71
	मरीन हल	0.55	1.25	0.60	0.64
	जीवन बीमा	0.73	0.73	0.80	0.80

	निष्पादन अनुपात	अनुपात/प्रतिशत			
		चालू वर्ष समाप्त		पूर्व वर्ष समाप्त	
		31.03.2026		31.03.2025	
		घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
		कुल		कुल	
7	प्रबंधन व्यय और निवल लिखित प्रीमियम का अनुपात (प्रबंधन व्यय को निवल लिखित प्रीमियम से भाग देने पर)	0.77	1.63	0.86	0.97
	अग्नि बीमा	0.90	1.11	1.05	0.90
	मोटर बीमा	0.73	1.54	0.80	0.85
	विमानन बीमा	0.87	2.47	0.80	2.23
	इंजीनियरिंग बीमा	0.80	9.95	0.91	1.88
	कर्मचारी मुआवजा/नियोक्ता दायित्व	0.75	1.35	0.80	0.69
	देयता	0.85	0.92	1.06	0.89
	व्यक्तिगत दुर्घटना	0.73	0.71	0.81	0.79
	स्वास्थ्य	0.73	0.72	0.81	0.75
	कृषि	0.74	0.79	0.82	0.84
	अन्य विविध बीमा	0.78	2.75	0.91	1.35
	वित्तीय दायित्व/ऋण	0.73	0.85	0.80	1.10
	मरीन कार्गो	0.66	1.45	0.68	1.12
	मरीन हल	0.59	1.37	0.62	0.69
	जीवन बीमा	0.74	0.73	0.82	0.80
8	निवल उपगत दावे बनाम निवल अर्जित प्रीमियम	83.05	92.79	85.33	96.50
	अग्नि बीमा	75.92	72.00	85.28	84.86
	मोटर बीमा	81.02	172.12	81.20	119.44
	विमानन बीमा	121.12	201.26	55.53	96.13
	इंजीनियरिंग बीमा	64.78	62.80	67.35	73.77
	कर्मचारी मुआवजा/नियोक्ता दायित्व	5.34	850.91	83.20	2389.08
	देयता	62.30	133.83	93.62	101.61
	व्यक्तिगत दुर्घटना	61.24	65.08	52.05	65.96
	स्वास्थ्य	85.46	53.41	81.64	51.22
	कृषि	90.66	63.93	90.42	50.04
	अन्य विविध बीमा	63.02	81.41	52.96	106.50
	वित्तीय दायित्व/ऋण	32.59	1.26	0.53	−35.86
	मरीन कार्गो	57.26	157.06	77.34	224.14
	मरीन हल	26.15	83.81	46.30	115.49
	जीवन बीमा	133.50	155.32	148.15	87.57
9	दावा प्रावधान के मुकाबले चुकाए गए दावे (निवल दावा भुगतान को अवधि के अंत में बकाया दावे से भाग देने पर)	33.89	26.04	33.71	30.28
	अग्नि बीमा	20.38	17.85	18.63	24.34
	मोटर बीमा	28.38	44.49	27.07	38.02
	विमानन बीमा	34.66	26.65	9.16	26.94
	इंजीनियरिंग बीमा	11.37	19.62	7.55	15.81

	निष्पादन अनुपात	अनुपात/प्रतिशत			
		चालू वर्ष समाप्त		पूर्व वर्ष समाप्त	
		31.03.2026		31.03.2025	
		घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
		कुल		कुल	
	कर्मचारी मुआवजा/नियोक्ता दायित्व	32.30	17.24	18.95	37.29
	देयता	11.68	20.29	12.05	27.94
	व्यक्तिगत दुर्घटना	41.16	16.12	32.76	19.81
	स्वास्थ्य	105.20	19.75	125.53	53.93
	कृषि	22.21	32.65	24.62	31.12
	अन्य विविध बीमा	46.46	20.60	28.68	34.45
	वित्तीय दायित्व/ऋण	13.10	8.71	43.88	16.57
	मरीन कार्गो	35.00	27.88	38.21	81.29
	मरीन हल	21.55	46.52	16.53	29.67
	जीवन बीमा	55.16	95.74	77.29	102.11
10	संयुक्त अनुपात: (निवल उपगत दावे को निवल अर्जित प्रीमियम से भाग देने पर, और साथ ही प्रबंधन व्यय (निवल कमीशन सहित) को निवल लिखित प्रीमियम से भाग देने पर प्राप्त मानों का योग)	101.65	120.05	104.20	121.40
	अग्नि बीमा	99.86	99.60	110.83	109.30
	मोटर बीमा	100.08	206.04	96.44	144.54
	विमानन बीमा	135.37	219.31	56.97	126.93
	इंजीनियरिंग बीमा	83.63	97.98	88.02	105.70
	कर्मचारी मुआवजा/नियोक्ता दायित्व	21.07	870.15	98.67	2312.42
	देयता	82.37	153.46	114.70	119.92
	व्यक्तिगत दुर्घटना	97.38	80.80	46.93	70.56
	स्वास्थ्य	107.71	79.95	106.43	69.40
	कृषि	95.80	84.10	101.38	69.66
	अन्य विविध बीमा	82.41	109.49	69.77	134.08
	वित्तीय दायित्व/ऋण	56.43	39.50	17.00	-8.81
	मरीन कार्गो	71.98	187.81	88.82	323.32
	मरीन हल	39.26	103.85	57.48	133.78
	जीवन बीमा	134.58	160.81	149.01	95.43
11	निवेश आय अनुपात (निवेश आय को निवल प्रीमियम से भाग देने पर)	32.36		33.58	
12	तकनीकी आरक्षित निधि और निवल प्रीमियम का अनुपात: (असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित निधि + प्रीमियम की कमी के लिए आरक्षित निधि + बकाया दावों के लिए आरक्षित निधि (आईबीएनआर) और आईबीएनईआर सहित) को निवल प्रीमियम से भाग देने पर) (सभी निवल आधार पर)	260.86		259.21	
	अग्नि बीमा	331.30	323.25	343.95	292.91
	मोटर बीमा	266.69	541.75	294.51	643.61

	निष्पादन अनुपात	अनुपात/प्रतिशत			
		चालू वर्ष समाप्त		पूर्व वर्ष समाप्त	
		31.03.2026		31.03.2025	
		घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
		कुल		कुल	
	विमानन बीमा	392.22	561.00	346.43	566.48
	इंजीनियरिंग बीमा	293.27	411.94	292.92	441.33
	कर्मचारी मुआवजा/नियोक्ता दायित्व	196.43	4552.70	284.31	2944.13
	देयता	248.39	507.23	290.82	421.82
	व्यक्तिगत दुर्घटना	156.29	393.57	179.52	431.63
	स्वास्थ्य	115.82	272.43	97.04	306.79
	कृषि	296.69	214.19	279.86	252.53
	अन्य विविध बीमा	160.42	354.14	182.51	271.08
	वित्तीय दायित्व/ऋण	257.13	536.96	267.26	370.42
	मरीन कार्गो	217.56	792.69	203.63	1423.66
	मरीन हल	253.75	683.61	282.98	672.78
	जीवन बीमा	169.32	125.90	150.46	113.55
13	बीमांकन शेष अनुपात: (बीमांकन लाभ / निवल प्रीमियम)	(4.35)		(8.88)	
14	परिचालन लाभ अनुपात: (बीमांकन लाभ/हानि और निवेश से होने वाली वाली को जोड़कर निवल प्रीमियम से भाग देने पर)	16.88		12.59	
15	तरल परिसंपत्तियों और देयताओं का अनुपात: (बीमा कंपनी की तरल परिसंपत्तियां (अल्पावधि निवेश (अनुसूची 8) + अल्पावधि ऋण (अनुसूची 9) + नकदी और बैंक शेष (अनुसूची 11)) को पॉलिसीधारकों की देयताओं (जिन्हें 12 महीनों के भीतर चुकाना है) (बकाया दावा (अनुसूची13) + असमाप्त जोखिम और प्रीमियम की कमी के लिए आरक्षित निधि (अनुसूची 14)) से भाग देने पर)	36.06		35.93	
16	निवल अर्जन अनुपात: (कर-पश्चात लाभ / निवल प्रीमियम)	20.69		17.71	
17	निवल संपत्ति पर प्रतिलाभ (वार्षिक) (कर-पश्चात लाभ / निवल संपत्ति)	21.81		15.55	
18	सॉल्वेंसी मार्जिन अनुपात (RSM) अनुपात (तिमाही के अंत में उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन (ASM) और नियमों के अनुसार बनाए रखने के लिए ज़रूरी सॉल्वेंसी मार्जिन (RSM) का अनुपात।)	4.21		3.70	
19	एनपीए अनुपात (निवल)				
	पॉलिसीधारकों की निधियां				
	सकल एनपीए अनुपात	0.97		1.13	
	निवल एनपीए अनुपात	0.00		0.00	
	शेयरधारकों की निधियां				
	सकल एनपीए अनुपात	0.97		1.13	

	निष्पादन अनुपात	अनुपात/प्रतिशत			
		चालू वर्ष समाप्त		पूर्व वर्ष समाप्त	
		31.03.2026		31.03.2025	
		घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
		कुल		कुल	
	निवल एनपीए अनुपात	0.00		0.00	
20	ऋण इक्विटी अनुपात	शून्य		शून्य	
21	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	शून्य		शून्य	
22	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात	शून्य		शून्य	
23	जीवन बीमा कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए इक्विटी धारिता पैटर्न और अर्जनकी जानकारी:				
	शेयरों की संख्या	1754400 000		1754400 000	
	शेयरधारिता का प्रतिशत	17.60%		17.60%	
	भारतीय	97.91%		98.04%	
	विदेशी	2.09%		1.96%	
	सरकारी धारिता का प्रतिशत (सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के मामले में)	82.40%		82.40%	
	अवधि के लिए असाधारण मदों से पहले मूल ईपीएस (कर व्यय घटाकर) (वार्षिकीकृत न किया जाए)	47.84		25.76	
	अवधि के लिए असाधारण मदों से पहले डाइल्यूटेड ईपीएस (कर व्यय घटाकर) (वार्षिकीकृत न किया जाए)	47.84		25.76	
	अवधि के लिए असाधारण मदों के बाद मूल ईपीएस (कर व्यय घटाकर) (वार्षिकीकृत न किया जाए)	47.84		25.76	
	अवधि के लिए असाधारण मदों के बाद डाइल्यूटेड ईपीएस (कर व्यय घटाकर) (वार्षिकीकृत न किया जाए)	47.84		25.76	
	प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)	292.41		245.71	

हमारे सम दिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार

कृते एस एच बी ए एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 101046W/W100063

कृते एस ए आर ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 120927W

हितेश जोशी
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार-सीएमडी)
(डीआईएन 09322218)

जतिन ए. ठक्कर
भागीदार
सदस्यता सं.:134767

मनोज अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 119509

तपन कुमार मंडल
निदेशक
(डीआईएन 11228147)

जयश्री बालकृष्ण
निदेशक
(डीआईएन 11210291)

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A64846

वी. बालकृष्ण
सीएफओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.05.2026

आपत्काले रक्षिष्यामि
GIC Re SA Ltd.

जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड

31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

पंजीकृत सं.:1956/003037/06

अंतरिम वित्तीय जानकारी की समीक्षा पर प्रतिवेदन

महाप्रबंधक – वित्त
भारतीय साधारण बीमा निगम लिमिटेड
सुरक्षा, 170, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई, 400 020, भारत

और

मुख्य वित्तीय अधिकारी, जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड
पहली मंज़िल – ब्लॉक उ, रिविएरा रोड ऑफिस पार्क, 6, 9 रिविएरा रोड, रिविएरा, जोहान्सबर्ग, 2193 ड्छ्क्र ग्रांट थॉर्नटन 152 14वींह रोड, नूर्डविक, मिडरैंड 1687
फोन +27 86 117 6782

प्रस्तावना

हमने 31 मार्च 2026 को जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड के तुलन–पत्र और उस तारीख को समाप्त बारह महीनों की अवधि के लिए संबंधित आय विवरण (अंतरिम वित्तीय जानकारी) की समीक्षा की है। आईएफआरएस 4 बीमा अनुबंध और आईएफआरएस 9 वित्तीय लिखतों के अनुसार इस अंतरिम वित्तीय जानकारी को तैयार करने और प्रस्तुत करने की ज़िम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी समीक्षा के आधार पर इस अंतरिम वित्तीय जानकारी पर अपनी राय देना हमारी ज़िम्मेदारी है।

समीक्षा का दायरा

हमने अपनी समीक्षा 'इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स 2410, संस्था के स्वतंत्र निदेशक द्वारा वित्तीय अंतरिम जानकारी की गई समीक्षा के अनुसार की। अंतरिम वित्तीय जानकारी की समीक्षा में मुख्य रूप से वित्तीय और लेखांकन मामलों के लिए ज़िम्मेदार लोगों से पूछताछ करना और वैश्लेषिक व अन्य समीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करना शामिल है। समीक्षा का दायरा लेखांकन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा की तुलना में काफी कम होता है और इसलिए, इससे हमें यह भरोसा नहीं मिल पाता कि हम उन सभी महत्वपूर्ण मामलों के बारे में जान पाएंगे जिनकी पहचान लेखापरीक्षा में हो सकती है। इसलिए, हम लेखापरीक्षा राय व्यक्त नहीं करते हैं।

निष्कर्ष

हमारी समीक्षा के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे हमें यह लगे कि साथ में दी गई अंतरिम वित्तीय जानकारी, सभी ज़रूरी मामलों में, आईएफआरएस 4 बीमा अनुबंध और आईएफआरएस 9 वित्तीय लिखतों के अनुसार तैयार नहीं की गई है।

उपयोग और वितरण पर प्रतिबंध

जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड का 31 मार्च 2026 का तुलन–पत्र और उस तारीख को समाप्त होने वाली बारह महीने की अवधि के लिए संबंधित आय विवरण, भारतीय साधारण बीमा निगम लिमिटेड को जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं, ताकि वह समूह का वित्तीय विवरण तैयार कर सके। परिणामस्वरूप, जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड की 31 मार्च 2026 के तुलन–पत्र और उस तारीख को समाप्त होने वाली बारह महीने की अवधि के लिए संबंधित आय विवरण, भारतीय साधारण बीमा निगम लिमिटेड की लेखांकन नीतियों के आधार पर लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरा सेट नहीं हैं। इसलिए, जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड के 31 मार्च 2026 के तुलन–पत्र और उस तारीख को समाप्त होने वाली बारह महीने की अवधि के लिए संबंधित आय विवरण किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होंगे।

इस समीक्षा का निष्कर्ष केवल भारतीय साधारण बीमा निगम लिमिटेड द्वारा अपने संक्षिप्त वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाना है और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

प्रवेश हीरालाल
सिज़वेनत्सालुबागोबोडो ग्रांट थॉर्नटन इंक.
निदेशक, पंजीकृत ऑडिटर, 14 मई 2026
152 14 रोड, नूर्डविक मिडरैंड, 1687

जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च 2026 को

आँकड़े रैंड में	समीक्षित 31 मार्च 2026	लेखापरीक्षित 31 मार्च 2025	लेखापरीक्षित 31 मार्च 2024
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियाँ	**36,88,804**	**32,79,245**	**23,31,644**
मोटर वाहन	42,92,600	42,92,600	30,58,260
घटाएं: मोटर वाहनों पर संचित मूल्यह्रास	(28,90,276)	(25,03,427)	(29,46,702)
कंप्यूटर उपकरण	22,50,919	21,75,920	18,72,859
घटाएं: कंप्यूटर उपकरणों पर संचित मूल्यह्रास	(20,50,840)	(18,42,773)	(16,71,731)
ईडीपी उपकरण	5,60,341	57,000	
घटाएं: ईडीपी उपकरणों पर संचित मूल्यह्रास	(1,31,050)	(3,167)	
कार्यालय उपकरण	7,99,200	7,99,200	7,99,200
घटाएं: कार्यालय उपकरणों पर संचित मूल्यह्रास	(7,42,745)	(7,15,452)	(6,80,680)
फर्नीचर और फिटिंग	9,76,820	9,60,460	8,82,097
घटाएं: फर्नीचर और फिटिंग पर संचित मूल्यह्रास	(9,09,861)	(8,94,264)	(8,87,954)
संपत्ति के उपयोग का अधिकार	28,59,444	28,59,444	28,59,444
घटाएं संपत्ति के उपयोग का संचितअधिकार	(28,59,444)	(19,06,296)	(9,53,148)
कंप्यूटर साँफ्टवेयर	15,33,695	–	
आस्थगित अधिग्रहण लागतें	**2,62,59,808**	**2,30,15,606**	**1,88,79,136**
सकल	8,01,72,426	7,20,13,566	6,21,81,086
रेट्रो	(5,39,12,617)	(4,89,97,961)	(4,33,01,950)
कुल निवेश	**3,12,72,04,269**	**2,82,23,70,305**	**2,75,63,27,106**
इक्विटी और बाँड	**1,03,76,71,274**	**72,67,80,019**	**77,50,18,387**
सूचीबद्ध इक्विटी – एलेट एंड कंपनी	64,25,70,298	35,83,92,010	32,38,50,600
नियत ब्याज बॉन्ड – एलेट एंड कंपनी	39,51,00,976	36,83,88,009	45,11,67,787
नकद और जमाएं	**68,17,01,371**	**80,55,77,755**	**57,06,85,506**
निवेश कॉल खाते – एलेट एंड कंपनी	5,63,88,100	5,03,11,592	3,83,10,424
एनसीडी और वचन पत्र – एलेट एंड कंपनी	4,25,05,309	54,27,18,106	33,98,20,402
मुद्रा बाजार निधि – एलेट एंड कंपनी	15,75,52,799	19,70,13,777	16,33,43,358
सावधि जमा – एलेट एंड कंपनी		1,55,34,280	2,53,02,967
ट्रेजरी बिल	42,52,55,164		39,08,355

आँकड़े रैंड में	समीक्षित 31 मार्च 2026	लेखापरीक्षित 31 मार्च 2025	लेखापरीक्षित 31 मार्च 2024
एफडी निवेश	**1,40,78,31,624**	**1,29,00,12,530**	**1,41,06,23,213**
एफडी निवेश (यूरो)	–	1,49,07,203	–
एफडी निवेश (यूएसडी)	29,38,42,332	27,55,17,875	37,95,50,890
एफडी निवेश (ज़ार)	1,11,39,76,264	99,95,75,356	1,03,10,56,683
इस्लामिक एफडी निवेश (ज़ार)	13,027	12,097	15,640
आस्थगित कराधान	**(99,97,771)**	**(99,97,771)**	**2,38,62,092**
चालू परिसंपत्तियाँ	**1,25,39,14,689**	**1,15,04,87,157**	**92,73,80,195**
सेडेंट रन–ऑफ ट्रिटी	13,460	13,460	13,460
सेडेंट नया व्यवसाय	1,15,56,23,035	1,11,92,88,579	89,03,33,922
ट्रिटी – देनदार	9,82,78,194	3,11,85,118	3,70,32,814
प्राप्य खाते	**6,54,09,464**	**10,60,04,271**	**9,95,92,638**
विविध देनदार	41,83,876	38,38,530	36,62,247
वेतन देनदार	–	(0)	(12,21,718)
पेये, यूआईएफ और एसडीएल	–	0	16,81,109
डब्ल्यूटीआई–एसएआरएस			
अग्रिम में भुगतान किए गए व्यय	–	–	
उचंत			
एसएआरएस	6,12,25,588	10,21,65,741	9,54,71,000
बैंक में और हाथ में नकदी	**8,47,03,242**	**4,45,94,835**	**9,64,25,367**
बैंक माँग जमा	3,00,00,000	–	–
नेडबैंक – गैर–जीवन खाता	1,82,52,573	1,37,54,974	3,89,93,822
नेडबैंक – व्यय खाता	25,46,292	17,12,486	30,59,559
नेडबैंक – अमेरिकी डॉलर	70,23,309	1,67,71,698	4,69,13,280
नेडबैंक – यूरो	1,55,41,586	58,82,025	43,22,875
एसबीआई – ज़ार	46	46	46
हाथ में विदेशी मुद्रा	–	–	–
एसबीआई – अमेरिकी डॉलर	15,80,332	48,69,323	19,08,173
आरएमबी –– अमेरिकी डॉलर	–	–	–
स्टैंडर्ड बैंक – अमेरिकी डॉलर	1,87,297	2,24,678	1,79,042
एफएनबी इस्लामिक बैंकिंग – अमेरिकी डॉलर	95,69,034	13,73,328	10,41,168
एफएनबी इस्लामिक बैंकिंग – ज़ार	2,738	6,244	7,369

आँकड़े रैंड में	समीक्षित 31 मार्च 2026	लेखापरीक्षित 31 मार्च 2025	लेखापरीक्षित 31 मार्च 2024
केनरा बैंक – ज़ार	–	–	–
हाथ में फुटकर नकदी	34	34	34
कुल परिसंपत्तियाँ	**4,55,11,82,506**	**4,13,97,53,648**	**3,92,47,98,178**
देयताएं			
अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि	**15,17,72,522**	**15,08,29,575**	**10,28,13,862**
सकल	46,04,54,379	48,90,47,355	34,09,18,566
रेट्रो	(30,86,81,858)	(33,82,17,780)	(23,81,04,704)
बकाया दावों के लिए प्रावधान	**3,33,85,526**	**2,09,24,361**	**48,29,471**
सकल	1,28,97,63,458	1,42,87,95,182	1,65,71,45,510
रेट्रो	(1,25,63,77,932)	(1,40,78,70,821)	(1,65,23,16,039)
आईबीएनआर के लिए प्रावधान	**16,26,23,476**	**12,48,66,922**	**7,74,90,750**
सकल	43,85,71,227	39,55,66,536	25,07,69,498
रेट्रो	(27,59,47,751)	(27,06,99,613)	(17,32,78,748)
लाभ कमीशन के लिए प्रावधान	**2,46,49,953**	**2,03,78,449**	**2,07,35,791**
सकल	8,01,63,058	6,79,47,528	6,92,14,873
रेट्रो	(5,55,13,105)	(4,75,69,079)	(4,84,79,082)
पुन: विवरण प्रीमियम के लिए प्रावधान	**3,46,17,750**	**4,65,16,245**	**7,75,17,987**
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**4,71,31,543**	**2,89,59,162**	**8,29,65,207**
चालू देयताएं	**79,562**	**79,562**	**79,562**
ट्रिटी क्रेडिट सेडेंट शेष	79,562	79,562	79,562
रेट्रो नकदी आरक्षित निधि जमा खाते	**69,24,88,641**	**73,52,58,587**	**79,88,30,014**
पुनर्बीमा हानि आरक्षित निधि	70,39,73,290	60,80,05,881	70,42,18,031
पुनर्बीमा इंडिया आईबीएनआर आरक्षित निधि	(17,20,046)	1,90,24,388	1,41,14,626
पुनर्बीमा प्रीमियम आरक्षित निधि	(97,64,603)	10,82,28,318	8,04,97,356

आँकड़े रैंड में	समीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
रेट्रो शेष	**58,23,83,075**	**48,48,10,064**	**51,44,52,971**
रेट्रो शेष	58,23,83,075	48,48,10,064	51,44,52,971
आस्थगित कराधान			
छुट्टी वेतन के लिए प्रावधान	32,35,843	22,22,451	40,58,315
पट्टा देयता	0	11,04,506	20,50,763
कराधान के लिए प्रावधान	7,03,54,382	9,49,29,654	9,93,09,369
देय खाते	**10,00,45,112**	**4,48,29,349**	**11,55,61,758**
व्यय उपचय	26,78,206	39,89,707	20,67,776
उचंत	(30,10,022)	27,91,377	2,16,50,578
विविध देनदार			
वैट	11,76,857	68,63,147	5,15,77,422
विविध लेनदार	9,82,78,194	3,11,85,118	3,70,00,021
डब्लयूटीआई – एसएआरएस	9,21,876	–	32,65,961
कुल देयताएं	**1,90,27,67,385**	**1,75,57,08,888**	**1,90,06,95,820**
निवल परिसंपत्तियां	**2,64,84,15,121**	**2,38,40,44,760**	**2,02,41,02,358**
इक्विटी			
शेयर पूँजी			
साउथ अफ्रीका	1,42,75,77,155	1,14,20,61,725	1,14,20,61,725
राजस्व आरक्षित निधि	**1,22,08,37,966**	**1,24,19,83,035**	**88,20,40,633**
लाभ और हानि	22,87,06,692	31,17,86,074	27,87,78,210
प्रारंभिक प्रतिधारित आय	86,50,40,289	83,87,69,645	55,99,91,435
निवेश पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि	12,70,90,984	9,14,27,316	4,32,70,988
कुल इक्विटी	**2,64,84,15,121**	**2,38,40,44,760**	**2,02,41,02,358**

(शिजुलाल पलट)
सीएफओ

(वरुण भारद्वाज)
सीओओ/संयुक्त सीईओ

(राहुल गोयल)
सीटीओ/ संयुक्त सीईओ

जीआईसी री साउथ अफ्रीका लि.

आय विवरण

आँकड़े रैंड में	समीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
	(12 माह की अवधि)	(12 माह की अवधि)	(12 माह की अवधि)
सकल लिखित प्रीमियम	1,96,30,25,045	2,14,68,54,688	2,02,71,18,521
रेट्रो लिखित प्रीमियम	(1,31,13,56,382)	(1,52,42,19,504)	(1,45,82,68,670)
निवल लिखित प्रीमियम	**65,16,68,663**	**62,26,35,184**	**56,88,49,851**
सकल यूपीआर संचलन	2,85,92,975	(14,81,28,788)	(3,46,72,023)
रेट्रो यूपीआर संचलन	(2,95,35,922)	10,01,13,075	2,43,05,613
शुद्ध यूपीआर संचलन	**(9,42,947)**	**(4,80,15,713)**	**(1,03,66,410)**
सकल अर्जित प्रीमियम	1,99,16,18,020	1,99,87,25,899	1,99,24,46,498
रेट्रो अर्जित प्रीमियम	(1,34,08,92,304)	(1,42,41,06,428)	(1,43,39,63,057)
निवल अर्जित प्रीमियम	**65,07,25,716**	**57,46,19,471**	**55,84,83,441**
उपगत निवल दावे	**(26,57,78,177)**	**(20,70,76,285)**	**(20,70,69,149)**
भुगतान किए गए निवल दावे	**(21,55,60,458)**	**(15,13,12,768)**	**(26,34,37,576)**
सकल	(86,53,53,382)	(1,13,06,75,074)	(88,33,24,086)
पुनर्बीमित	64,97,92,924	97,93,62,306	61,98,86,510
बकाया दावों के लिए प्रावधान में निवल परिवर्तन	**(5,02,17,719)**	**(5,57,63,517)**	**5,63,68,427**
सकल	9,60,27,033	9,12,60,836	10,01,65,738
पुनर्बीमित	(14,62,44,752)	(14,70,24,353)	(4,37,97,311)
उपगत निवल कमीशन	**(19,53,20,296)**	**(12,05,26,722)**	**(13,26,38,857)**
प्रदत्त निवल कमीशन	**(19,85,64,499)**	**(12,46,63,192)**	**(13,40,94,652)**
सकल	(58,59,81,842)	(44,27,02,164)	(51,32,75,484)
पुनर्बीमित	38,74,17,344	31,80,38,973	37,91,80,831
आस्थगित अधिग्रहण लागतों में निवल परिवर्तन	**32,44,203**	**41,36,469**	**14,55,796**
सकल	81,58,859	98,32,480	50,52,873
पुनर्बीमित	(49,14,657)	(56,96,011)	(35,97,077)

आँकड़े रैंड में	समीक्षित 31 मार्च 2026 (12 माह की अवधि)	लेखापरीक्षित 31 मार्च 2025 (12 माह की अवधि)	लेखापरीक्षित 31 मार्च 2024 (12 माह की अवधि)
निवल तकनीकी परिणाम	18,96,27,243	24,70,16,464	21,87,75,436
निवल परिचालन व्यय	(7,17,50,097)	(6,49,06,565)	(6,33,37,182)
निवेश आय से पूर्व निवल लाभ/(हानि)	11,78,77,146	18,21,09,899	15,54,38,254
निवल निवेश आय	29,91,58,014	31,40,50,921	22,22,47,437
प्राप्त लाभांश	3,91,14,965	1,31,41,402	1,50,13,174
प्राप्त/(भुगतान किया गया) निवल ब्याज	19,54,40,439	21,55,98,910	20,76,44,157
निवेशों के निपटान पर प्राप्त लाभ/(हानि)	2,89,38,942	3,71,54,281	98,65,209
इक्विटी	2,17,83,219	3,59,58,236	1,04,41,396
प्रतिभूतियाँ	71,55,723	11,96,045	(5,76,187)
निवेशों के पुनर्मूल्यन पर अप्राप्त अधिशेष	3,56,63,669	4,81,56,328	(1,02,75,102)
इक्विटी	2,40,02,584	2,20,93,487	8,31,822
प्रतिभूतियाँ	1,19,19,625	2,57,52,809	(1,50,35,617)
नकद	(2,58,541)	3,10,032	39,28,693
वित्तीय प्रभार और आरक्षित जमा पर भुगतान किया गया ब्याज	(3,02,39,107)	(4,31,72,184)	(4,40,56,945)
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों में निवल कमी(वृद्धि)	(1,81,72,381)	5,40,06,044	76,44,137
विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि) और अन्य आय	(3,32,73,254)	(2,90,82,449)	2,65,39,593
कर पूर्व लाभ/(हानि)	33,53,50,419	47,79,12,230	36,78,12,477
कराधान	(7,09,80,058)	(11,79,69,829)	(9,93,09,369)
अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)	26,43,70,361	35,99,42,402	26,85,03,108

(शिजुलाल पलट)
सीएफओ

(वरुण भारद्वाज)
सीओओ/संयुक्त सीईओ

(राहुल गोयल)
सीटीओ/ संयुक्त सीईओ

जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा

31 दिसंबर 2025

पंजीकृत सं. : 07792458

जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड

विषय–सूची

विषय–सूची	पृष्ठ
निदेशक एवं प्रशासन	353
रणनीतिक प्रतिवेदन	354
निदेशकों का प्रतिवेदन	358
निदेशकों की ज़िम्मेदारियों का विवरण	359
जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	360
वार्षिक लेखे:	
लाभ और हानि खाता – तकनीकी लेखा	363
लाभ और हानि खाता और व्यापक आय – गैर–तकनीकी लेखा	364
तुलन पत्र – परिसंपत्तियां	365
तुलन पत्र – देयताएं	366
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	367
नकदी प्रवाह का विवरण	368
वार्षिक लेखों पर टिप्पणियां	369

जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड

निदेशक एवं प्रशासन

निदेशक

रामस्वामी नारायणन (29 सितंबर 2025 को त्यागपत्र दिया)
ध्यानराज बी गावड़े (24 अप्रैल 2026 को त्यागपत्र दिया)
हितेश जोशी (21 अप्रैल 2026 को नियुक्त)
कणाद विलास मांजरेकर (21 अप्रैल 2026 को नियुक्त)

सचिव

कैलिडस सेक्रेटरीज़ लिमिटेड
बेकेट हाउस
36 ओल्ड ज्यूरी,
लंदन
EC2R 8DD

पंजीकृत कार्यालय

40 लाइम स्ट्रीट, तीसरी मंजिल,
लंदन
EC3M 7AW

पंजीकृत संख्या

07792458

लेखा परीक्षक

द निगमीय प्रैक्टिस लिमिटेड
सनदी लेखाकार और सांविधिक लेखा परीक्षक,
65 डेलामेरे रोड
हेस
मिडलसेक्स
UB4 0NN

कर सलाहकार

फोर्विस माज़र्स एलएलपी,
30 ओल्ड बेली,
लंदन
EC4M 7AU

बैंकर

बैंक ऑफ इंडिया,
लंदन शाखा
63, क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट,
लंदन, EC4N 4UA

निदेशक 31 दिसंबर 2025 को समाप्त वर्ष के लिए जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड (कंपनी) के लिए अपना रणनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

प्रमुख गतिविधियाँ

कंपनी यूनाइटेड किंगडम ('यू.के.') में निगमित है और सोसाइटी ऑफ लॉयड्स (लॉयड्स) की एक निगमीय सदस्य है। कंपनी अपनी मूल कंपनी भारतीय साधारण बीमा निगम के साथ सीमित देयता कोटा शेयर पुनर्बीमा करार (एलएलक्यूएसआरए) के आधार पर विभिन्न लॉयड्स सिंडिकेट्स के साथ बीमांकन का कार्य (अंडरराइटिंग) करती है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने लॉयड्स सिंडिकेट 1955, सिंडिकेट 1966, सिंडिकेट 4747, सिंडिकेट 1925, सिंडिकेट 1947, सिंडिकेट 2454 और सिंडिकेट 1609 ('सिंडिकेट्स') पर (सीमित देयता के आधार पर) अंडरराइटिंग की है। नीचे दी गई तालिका बीमांकन वर्ष के अनुसार सिंडिकेट्स पर कंपनी की बीमा क्षमता का सारांश प्रस्तुत करती है।

सिंडिकेट	सिंडिकेट 1955 £000			सिंडिकेट 5183 £000		सिंडिकेट 1966 £000	सिंडिकेट 4747 £000	सिंडिकेट 1925 £000
लेखा वर्ष	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2025	2025
कंपनी बीमा क्षमता	9,125	10,800	10,800	5,500	1,900	2,906	1,900	5,000
कुल सिंडिकेट बीमा क्षमता	600,000	720,000	880,000	27,500	9,500	58,125	190,000	50,000
कुल का प्रतिशत	1.5%	1.5%	1.2%	20.0%	20.0%	5.0%	1.0%	10.0%

सिंडिकेट	सिंडिकेट 1947 £000			सिंडिकेट 2454 £000		सिंडिकेट 1609 £000		
लेखा वर्ष	2023	2024	2025	2024	2025	2023	2024	2025
कंपनी बीमा क्षमता	125,000	125,000	127,500	14,500	26,500	4,000	4,000	4,000
कुल सिंडिकेट बीमा क्षमता	125,000	125,000	127,500	58,000	106,000	205,659	255,264	259,559
कुल का प्रतिशत	100.0%	100.0%	100.0%	25%	25%	1.9%	1.6%	1.5%

सिंडिकेट 1955 की स्थापना 2007 में हुई थी। सिंडिकेट की मुख्य गतिविधि समुद्री, संपत्ति, वित्तीय और दुर्घटना एवं स्वास्थ्य एवं आकस्मिक श्रेणियों में सामान्य बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय का संचालन है।

सिंडिकेट 1966 की स्थापना 2021 के लेखा वर्ष में हुई थी और यह संपत्ति पुनर्बीमा और उससे जुड़े विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए पुनर्बीमा व्यवसाय को अंडरराइट करता है।

सिंडिकेट 4747 की स्थापना 2020 के लेखा वर्ष में हुई थी और यह संपत्ति, दुर्घटना (कैजुअल्टी) वित्तीय क्षेत्र और विशेष बीमा व्यवसाय, मुख्यत: प्रत्यायोजित प्राधिकार व्यवस्थाओं के ज़रिए लिखित, को अंडरराइट करता है।

सिंडिकेट 1925 की स्थापना 2024 के लेखा वर्ष में हुई थी और यह साइबर इंश्योरेंस और पुनर्बीमा व्यवसाय को अंडरराइट करता है।

सिंडिकेट 5183 की स्थापना माइक्रो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लॉयड्स की 'सिंडिकेट इन ए बॉक्स' पहल के तहत 2022 के लेखा वर्ष में की गई थी। एमआईसी का व्यवसाय मॉडल अंतर्निहित बीमा – शॉर्ट टेल, कम सीमा, बहुत कम या बिना कैट उत्पाद और बहुत कम हानि समायोजन व्यय पर केंद्रित है।

सिंडिकेट 1947 की स्थापना 2018 के लेखा वर्ष में हुई थी और यह संपत्ति, कृषि और इंजीनियरिंग क्षेत्रों के व्यवसाय को अंडरराइट करता है। सिंडिकेट पूरी तरह से भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा समर्थित है और इसमें उस कंपनी से प्राप्त जोखिम शामिल हैं।

सिंडिकेट 2454 की स्थापना 2024 के लेखा वर्ष में हुई थी और यह लंदन के लॉयड्स में विशेष बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय को अंडरराइट करता है, जिसका मुख्य ध्यान अफ्रीकी मूल के जोखिमों पर है।

सिंडिकेट 1609 की स्थापना 2021 में हुई थी और यह साइबर, वित्तीय क्षेत्र, राजनीतिक जोखिम, राजनीतिक हिंसा, व्यावसायिक क्षेत्र और लेन-देन संबंधी देयता व्यवसाय को अंडरराइट करता है।

भारतीय साधारण बीमा निगम ('मूल पुनर्बीमाकर्ता') सिंडिकेट्स से कंपनी के समस्त अंडरराइटिंग व्यवसाय का 100% आनुपातिक रूप से पुनर्बीमा करता है।

व्यवसाय समीक्षा

प्रमुख वित्तीय प्रदर्शन संकेतक

निदेशकों की राय में, नीचे दिए गए प्रमुख वित्तीय प्रदर्शन संकेतक कंपनी से मूल पुनर्बीमाकर्ता को उसके सभी बीमांकन (अंडरराइटिंग) व्यवसाय के पुनर्बीमा से पहले कंपनी के प्रदर्शन और स्थिति का सर्वोत्तम निरूपण करते हैं।

	2025 सिंडिकेट परिणाम £000	2025 कोटा शेयर £000
सकल लिखित प्रीमियम	174,281	(174,281)
जावक पुनर्बीमा प्रीमियम	(36,816)	36,816
वित्तीय वर्ष का लाभ	30,331	(30,331)
क्षमता पर लाभ	17.0%	

गैर-वित्तीय प्रमुख निष्पादन संकेतक

लॉयड्स निगमीय सदस्य के रूप में कंपनी के परिचालनों की प्रकृति के कारण, सिंडिकेट्स कंपनी की अधिकांश गतिविधियों का संचालन करते हैं। कंपनी प्रत्येक सिंडिकेट की गतिविधियों के प्रबंधन में सीधे तौर पर शामिल नहीं होती है, जिसमें कर्मचारियों की नियुक्ति भी शामिल है। सिंडिकेट के प्रबंध एजेंट अपने सिंडिकेट्स के प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। प्रबंध एजेंट सिंडिकेट्स की पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए भी ज़िम्मेदार होते हैं, हालाँकि अपनी प्रकृति के कारण, बीमाकर्ता आमतौर पर महत्वपूर्ण पर्यावरणीय उत्सर्जन नहीं करते हैं। इसलिए, निदेशक कर्मचारियों या पर्यावरणीय मामलों के लिए किसी भी निष्पादन संकेतक की निगरानी और रिपोर्ट करना उचित नहीं समझते हैं।

सदस्य जावक पुनर्बीमा व्यवस्था

कंपनी प्रत्येक सिंडिकेट से मूल पुनर्बीमाकर्ता को अपने सभी बीमांकन व्यवसाय का आनुपातिक रूप से पुनर्बीमा करती है। जावक पुनर्बीमा प्रीमियम, सिंडिकेट के सकल प्रीमियम में कंपनी के हिस्से के बराबर होता है, जिसमें से सिंडिकेट के जावक पुनर्बीमा प्रीमियम घटाए जाते हैं; पुनर्बीमाकृत देनदारियाँ, सिंडिकेट के घाटे और व्यय में कंपनी के हिस्से के बराबर होती हैं, जिसमें से निवेश आय घटाई जाती है। पुनर्बीमा अनुबंध कंपनी की निवल पुनर्बीमा वसूली को लॉयड्स में पुनर्बीमाकर्ता की संबंधित निधियों तक सीमित करता है। मूल पुनर्बीमाकर्ता कंपनी को 500,000 की सीमा तक सदस्य प्रशासनिक व्यय (लेखापरीक्षा और लेखांकन शुल्क और अन्य खर्च सहित) की प्रतिपूर्ति करता है।

जोखिम समीक्षा

बीमा जोखिम

लॉयड्स के एक निगमीय सदस्य के रूप में, कंपनी के सामने आने वाले अधिकांश महत्वपूर्ण बीमा जोखिम और अनिश्चितताएँ सिंडिकेट्स में उसकी भागीदारी से उत्पन्न होती हैं। इन जोखिमों के प्रबंधन में कंपनी की भूमिका सिंडीकेट के प्रदर्शन की निगरानी तक सीमित है। यह अगले बीमांकन वर्ष के लिए प्रत्येक सिंडीकेट को समर्थन देने से पहले शुरू होता है, जिसमें सिंडीकेट के प्रबंध एजेंट द्वारा तैयार की गई प्रत्येक सिंडीकेट व्यवसाय योजना की समीक्षा की जाती है। वर्ष के दौरान, निदेशक सिंडीकेट की तिमाही रिपोर्टों और वार्षिक खातों के साथ-साथ प्रबंध एजेंटों द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी अन्य जानकारी की निगरानी करते हैं और यदि आवश्यक हो, तो उनकी जाँच भी करते हैं। यदि निदेशकों को किसी सिंडीकेट में कोई विशेष जोखिम अत्यधिक लगता है, तो वे संबंधित प्रबंध एजेंट से इस बात की पुष्टि प्राप्त करेंगे कि जोखिम का पर्याप्त प्रबंधन किया गया है और, यदि उचित समझा जाए, तो यदि वे प्रबंध एजेंट के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे अगले बीमांकन वर्ष से कंपनी का समर्थन वापस ले सकते हैं।

प्रत्येक सिंडिकेट के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों पर प्रबंध एजेंटों के निदेशकों के वार्षिक प्रतिवेदन, सिंडिकेट के समक्ष उपस्थित महत्वपूर्ण जोखिमों और अनिश्चितताओं का विवरण देती है। प्रबंध एजेंट, सिंडिकेट सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर इन जोखिमों का प्रबंधन करते हैं।

चूँकि कंपनी अपने समस्त बीमांकन व्यवसाय का आनुपातिक पुनर्बीमा मूल पुनर्बीमाकर्ता को करती है, इसलिए सिंडिकेट में उसकी भागीदारी से होने वाले जोखिम काफी कम हो जाते हैं। हालाँकि, कंपनी के सामने यह जोखिम है कि मूल पुनर्बीमाकर्ता अपने पुनर्बीमा दायित्वों को पूरा नहीं कर पाएगा, हालाँकि निदेशक इस जोखिम को अप्रासंगिक मानते हैं, क्योंकि मूल पुनर्बीमाकर्ता ने कंपनी के प्रति अपने पुनर्बीमा दायित्वों को संपार्श्विक बनाने के लिए लॉयड्स (लॉयड्स में निधियाँ) को £ 24.2 मिलियन का ऋण पत्र प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, मूल पुनर्बीमाकर्ता ने लॉयड्स में £ 183.5 मिलियन (2024: £ 203.9 मिलियन) निधियाँ जमा की हैं।

परिचालन जोखिम

चूँकि कंपनी स्वयं कुछ ही लेन–देन करती है, इसलिए इसकी प्रणालियाँ और स्टाफिंग आवश्यकताएँ सीमित हैं। इसलिए, निदेशक कंपनी के परिचालन जोखिमों को महत्वपूर्ण नहीं मानते। कंपनी के प्रमुख निर्णय लेने में निदेशकों की गहन भागीदारी और यह तथ्य कि सिंडिकेट्स कंपनी के अधिकांश कार्यों का संचालन करते हैं, किसी भी शेष परिचालन जोखिम पर नियंत्रण प्रदान करता है।

विदेशी मुद्रा

कंपनी स्टर्लिंग के अलावा अन्य मुद्राओं में मूल्यवर्गित बीमा पॉलिसियों के तहत सिंडिकेट्स की देनदारियों के माध्यम से विदेशी मुद्रा जोखिम में है। सिंडिकेट्स के समक्ष आने वाली सबसे महत्वपूर्ण मुद्राओं में अमेरिकी डॉलर, कनाडाई डॉलर और यूरो शामिल हैं। जहाँ तक संभव हो, सिंडिकेट्स अनुमानित विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित देनदारियों का मिलान उसी मुद्रा में मूल्यवर्गित परिसंपत्तियों से करके जोखिम को कम करने का प्रयास करते हैं। मुद्रा जोखिम के साथ एक स्वाभाविक मिलान होता है क्योंकि दावों का भुगतान आमतौर पर मूल पॉलिसी की मुद्रा में किया जाता है। कंपनी ने प्रशासनिक व्ययों के सिवाय वर्ष के दौरान स्वयं कोई लेनदेन नहीं किया है और निगमीय सदस्य द्वारा ब्रोकर को सीधे भुगतान किया जाता है।

बाज़ार, ऋण और चलनिधि जोखिम

कंपनी के सामने आने वाले अन्य महत्वपूर्ण जोखिमों में अपनी स्वयं की अभिरक्षा में उपलब्ध निधियों का निवेश शामिल है। इन जोखिमों के तत्व ब्याज दर, निवेश मूल्य और चलनिधि जोखिम हैं। यदि सिंडिकेट्स के पास किसी बड़े दावे के लिए अपर्याप्त चलनिधि संसाधन हैं और वे दावे का भुगतान करने के लिए कंपनी से धन की मांग करते हैं, तो चलनिधि जोखिम उत्पन्न होगा। ब्याज दर, निवेश मूल्य और चलनिधि जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी को ऋण पत्र और लॉयड्स में मूल पुनर्बीमाकर्ता द्वारा प्रदान की गई निधियों द्वारा समर्थित किया जाता है।

चूँकि कंपनी ने स्वयं कई लेन–देन नहीं किए हैं, इसलिए निदेशक मुद्रा या ऋण जोखिम को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं।

विनियामक और अनुपालन जोखिम

कंपनी, सिंडिकेट्स का निगमीय सदस्य बनने के लिए लॉयड्स द्वारा निरंतर अनुमोदन के अधीन है। कंपनी अपनी सभी लॉयड्स सदस्यता अपेक्षाओं की निगरानी और उनका पूर्ण अनुपालन करके इस अनुमोदन के रद्द होने के जोखिम को कम करती है।

भविष्य के वर्षों के लिए प्रस्तावित सिंडीकेट बीमा क्षमता को समर्थित करने हेतु पूँजीगत अपेक्षाएं लॉयड्स द्वारा निर्धारित की जाती हैं। लॉयड्स इन अपेक्षाओं को निर्धारित करते समय बाज़ार की स्थितियों और सिंडीकेट के प्रदर्शन सहित कई कारकों को ध्यान में रखता है। हालाँकि लॉयड्स इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और उचित बनाना चाहता है, फिर भी अपेक्षाएं एक वर्ष से दूसरे वर्ष में बदल सकती हैं, जिससे कंपनी द्वारा भविष्य में समर्थित सिंडीकेट बीमा क्षमता की मात्रा सीमित हो सकती है।

कंपनी अधिनियम 2006 की धारा 172(1) के तहत रिपोर्टिंग

निदेशकों ने इस प्रकार कार्य किया है कि उन्हें सद्भावनापूर्वक लगा कि इससे कंपनी की सफलता को समग्र रूप से उसके सदस्यों के लाभ में बढ़ावा मिलेगा, और अपने कर्तव्यों का पालन करते समय उन्होंने (अन्य बातों के साथ–साथ) धारा 172(1) (क) से (च) में सूचीबद्ध मामलों का ध्यान रखते हैं और निम्नानुसार टिप्पणी करते हैं:

(क) निदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि जिन लॉयड्स सिंडिकेट्स में वे भाग लेते हैं, उनमें उनका निवेश कंपनी और उसके शेयरधारकों के दीर्घकालिक हित में है;

(ख) कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं है;

(ग) निदेशकों ने सिंडिकेट्स और लॉयड्स के साथ व्यावसायिक संबंधों को पर्याप्त रूप से बढ़ावा दिया है;

(घ) निदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि सिंडिकेट्स ने समुदाय की आवश्यकताओं और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का उचित ढंग से जवाब दिया है;

(ड.) कंपनी का व्यवसाय लॉयड्स सिंडिकेट्स में निवेश करना है और निदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि कंपनी और सिंडिकेट्स ने अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और नियामकों के साथ व्यवहार सहित व्यावसायिक आचरण के उच्च मानकों के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी है, और

(च) कंपनी ने अपने एक शेयरधारक को पर्याप्त और निष्पक्ष रूप से पूरी तरह से सूचित रखा है और तिमाही वित्तीय विवरण और कंपनी के व्यवसाय की प्रगति प्रदान की है।

भावी घटनाक्रम:

कंपनी 2025 के लेखा वर्ष के लिए निम्नलिखित सिंडिकेट में भाग लेगी:

- सिंडिकेट 1947 – एस्टा मैनेजिंग एजेंसी लिमिटेड द्वारा प्रबंधित
- सिंडिकेट 1955 – आर्क मैनेजिंग एजेंसी लिमिटेड द्वारा प्रबंधित
- सिंडिकेट 1609 – एस्टा मैनेजिंग एजेंसी लिमिटेड द्वारा प्रबंधित
- सिंडिकेट 2454 – अपोलो मैनेजिंग एजेंसी लिमिटेड द्वारा प्रबंधित
- सिंडिकेट 4747 – एस्टा मैनेजिंग एजेंसी लिमिटेड द्वारा प्रबंधित
- सिंडिकेट 1925 – अपोलो मैनेजिंग एजेंसी लिमिटेड द्वारा प्रबंधित

22 मई 2026 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित और इसकी ओर से निम्न द्वारा हस्ताक्षरित

कणाद विलास मांजरेकर

निदेशक

40 लाइम स्ट्रीट,

तीसरी मंजिल,

लंदन

EC3M 7AW

निदेशकों का प्रतिवेदन

पंजीकरण संख्या: 07792458

31 दिसंबर 2025

निदेशकगण 31 दिसंबर 2025 को समाप्त वर्ष के लिए जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड के लेखापरीक्षित खातों के साथ, पृष्ठ 13 से 41 तक निम्नानुसार अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

परिणाम

कंपनी रणनीतिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 2 पर उल्लिखित सिंडिकेटों पर बीमांकन करती है।
31 दिसंबर 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ 261,717 (2024: लाभ 221,864) था।

लाभांश

निदेशकगण लाभांश के भुगतान की अनुशंसा नहीं करते हैं (2024: शून्य)।

कार्यशील संस्था

कंपनी की वित्तीय स्थिति के अपने आकलन और उचित पूछताछ के बाद, निदेशकगण यथोचित रूप से यह अपेक्षा करते हैं कि कंपनी के पास निकट भविष्य में परिचालन जारी रखने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। इस कारण वार्षिक खाते कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

निदेशक

नीचे उन लोगों के नाम दिए गए हैं जो इस अवधि के दौरान और इस रिपोर्ट की अवधि और तिथि तक कंपनी के निदेशक थे।
रामस्वामी नारायणन (29 सितंबर 2025 को त्यागपत्र दिया)
ध्यानराज बी गावड़े (24 अप्रैल 2026 को त्यागपत्र दिया)
हितेश जोशी (21 अप्रैल 2026 को नियुक्त)
कणाद विलास मांजरेकर (21 अप्रैल 2026 को नियुक्त)

निदेशक एवं अधिकारी देयता बीमा

निदेशकों को मूल पुनर्बीमाकर्ता द्वारा लागू वैश्विक निदेशक एवं अधिकारी पॉलिसी के माध्यम से कंपनी से संबंधित देयताओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह 2,000,000,000 भारतीय रुपये (17,399,894) तक सीमित है।

दान

इस अवधि के दौरान कंपनी ने कोई राजनीतिक या धर्मार्थ दान नहीं दिया।

निगमीय अभिशासन

पृष्ठ 2–5 पर दिया गया रणनीतिक प्रतिवेदन 31 दिसंबर 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के परिचालन और उन परिचालनों के संभावित भावी घटनाक्रमों की एक व्यापक समीक्षा प्रदान करता है। रणनीतिक प्रतिवेदन में वर्ष के दौरान कंपनी के व्यावसायिक जोखिमों और अनिश्चितताओं का विवरण भी शामिल है। निदेशकों के सद्भावनापूर्वक कार्य करने और कंपनी की सफलता को बढ़ावा देने के कर्तव्यों से संबंधित जानकारी रणनीतिक प्रतिवेदन में शामिल है।

लेखा परीक्षकों को जानकारी का प्रकटन

इस रिपोर्ट की अनुमोदन तिथि पर पद धारण करने वाले निदेशक अपनी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार पुष्टि करते हैं कि ऐसी कोई प्रासंगिक लेखा परीक्षा नहीं है जिसके बारे में कंपनी के लेखा परीक्षकों को जानकारी न हो, और उन्होंने निदेशक के रूप में किसी भी प्रासंगिक लेखा परीक्षा जानकारी से अवगत होने और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की कि कंपनी के लेखा परीक्षक उस जानकारी से अवगत हैं।

बोर्ड की ओर से
कणाद विलास मांजेकर निदेशक
40 लाइम स्ट्रीट, तीसरी मंजिल
लंदन
EC3M 7AW

जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड

पंजीकरण संख्या: 07792458

31 दिसंबर 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रणनीतिक प्रतिवेदन, निदेशकों के प्रतिवेदन और वित्तीय विवरणों के संबंध में निदेशकों की ज़िम्मेदारियों का विवरण

निदेशक, लागू कानून और विनियमों के अनुसार रणनीतिक रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

कंपनी कानून निदेशकों से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने की अपेक्षा करता है। इस कानून के तहत, उन्होंने यूके लेखांकन मानकों और लागू कानून (यूके सामान्यतः स्वीकृत लेखा पद्धति), एफआरएस 102 (यूके और आयरलैंड गणराज्य में लागू वित्तीय रिपोर्टिंग मानक) और कंपनी अधिनियम 2006 के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने का चुनाव किया है।

कंपनी कानून के तहत, निदेशकों को वित्तीय विवरणों को तब तक अनुमोदित नहीं करना चाहिए जब तक कि वे इस बात से संतुष्ट न हों कि वे कंपनी के कार्यों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और उचित विवरण देते हैं।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, निदेशकों को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और फिर उन्हें सुसंगत रूप से लागू करना;
- उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना;
- यह बताना कि क्या लागू यूके लेखांकन मानकों, वित्तीय विवरणों में किसी भी महत्वपूर्ण विचलन को प्रकट और स्पष्ट करने के अधीन, का पालन किया गया है; और
- क्रियाशील संस्था के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करना, जब तक कि यह मान लेना अनुचित न हो कि कंपनी व्यवसाय जारी रखेगी।

निदेशक पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने के लिए ज़िम्मेदार हैं जो कंपनी के लेन-देन को दर्शाने और समझाने के लिए पर्याप्त हों और किसी भी समय कंपनी की वित्तीय स्थिति का उचित सटीकता के साथ प्रकट करें और उन्हें यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाएँ कि वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2006 का अनुपालन करते हैं। निदेशकों की सामान्य ज़िम्मेदारी है कि वे कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए उचित रूप से उपलब्ध कदम उठाएँ।

निदेशक पुष्टि करते हैं कि जहाँ तक उन्हें जानकारी है, ऐसी कोई प्रासंगिक लेखापरीक्षा जानकारी (कंपनी अधिनियम 2006 की धारा 418(3) द्वारा परिभाषित) नहीं है जिसके बारे में कंपनी के लेखा परीक्षकों को जानकारी न हो। उन्होंने निदेशक के रूप में सभी आवश्यक कदम उठाए हैं ताकि वे स्वयं को किसी भी प्रासंगिक लेखापरीक्षा जानकारी से अवगत करा सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि कंपनी के लेखा परीक्षक उस जानकारी से अवगत हैं।

राय

हमने 31 दिसंबर 2025 को समाप्त वर्ष के लिए जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड (''कंपनी'') के वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा की है, जिसमें लाभ और हानि खाता, व्यापक आय विवरण, तुलन पत्र, इक्विटी में परिवर्तन विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं। इन्हें तैयार करने में जिस वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे का उपयोग किया गया है, वह लागू कानून और वित्तीय रिपोर्टिंग मानक 102 ''यूके और आयरलैंड गणराज्य में लागू वित्तीय रिपोर्टिंग मानक'' (यूनाइटेड किंगडम सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन पद्धति) सहित यूनाइटेड किंगडम लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

हमारी राय में, वित्तीय विवरण:

- 31 दिसंबर 2025 को कंपनी के कामकाज की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के परिणामों का एक सही और उचित विवरण देते हैं।
- यूनाइटेड किंगडम सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन पद्धति के अनुसार उचित रूप से तैयार किए गए हैं; और
- कंपनी अधिनियम 2006 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षा मानकों (यूके) (आईएसए (यूके)) और लागू कानून के अनुसार की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अनुभाग में ''लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों'' में दिया गया है। यूके में वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक अपेक्षाओं, जिनमें एफआरसी के नैतिक मानक भी शामिल हैं, के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

क्रियाशील संस्था से संबंधित निष्कर्ष

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में, हमने निष्कर्ष निकाला है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में निदेशकों द्वारा लेखांकन के क्रियाशील संस्था आधार का उपयोग उचित है।

हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हमने ऐसी किसी भी घटना या स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता की पहचान नहीं की है जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, वित्तीय विवरणों के जारी होने की तिथि से कम से कम बारह महीने की अवधि तक इकाई की क्रियाशील संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती हो।

क्रियाशील संस्था के संबंध में हमारी ज़िम्मेदारियों और निदेशकों की ज़िम्मेदारियों का वर्णन इस प्रतिवेदन के संबंधित अनुभाग में किया गया है।

अन्य जानकारी

अन्य जानकारी में वित्तीय विवरणों और उस पर हमारे लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के अलावा, वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल जानकारी शामिल है। निदेशक अन्य जानकारी के लिए ज़िम्मेदार हैं। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और, हमारे प्रतिवेदन में अन्यथा स्पष्ट रूप से बताए गए सीमा तक को छोड़कर, हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। यदि हम ऐसी तात्विक विसंगतियों या स्पष्ट तात्विक गलतबयानों की पहचान करते हैं, तो हमें यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या वित्तीय विवरणों में कोई तात्विक गलतबयानी है या अन्य जानकारी की कोई तात्विक गलतबयानी है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की कोई तात्विक गलतबयानी है, तो हमें उस तथ्य का प्रतिवेदन करना आवश्यक है।

इस संबंध में प्रतिवेदन करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में विचार किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं।

कंपनी अधिनियम 2006 द्वारा निर्धारित अन्य मामलों पर राय

हमारी राय में, लेखापरीक्षा के दौरान किए गए कार्य के आधार पर:

जिस वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, उसके लिए रणनीतिक प्रतिवेदन और निदेशकों के प्रतिवेदन में दी गई जानकारी वित्तीय विवरणों के अनुरूप है; और रणनीतिक प्रतिवेदन और निदेशकों का प्रतिवेदन लागू कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया हैं।

वे मामले जिन पर हमें अपवाद स्वरूप प्रतिवेदन देना आवश्यक है

लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त कंपनी और उसके परिवेश के ज्ञान और समझ के आधार पर, हमने रणनीतिक प्रतिवेदन या निदेशकों के प्रतिवेदन में कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण नहीं पाया है।

निम्नलिखित मामलों के संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, जिनके संबंध में कंपनी अधिनियम 2006 हमें आपको रिपोर्ट करने के लिए कहता है, यदि हमारी राय में:

- पर्याप्त लेखा अभिलेख नहीं रखे गए हैं, या हमारे द्वारा दौरा न किए गए शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं; या
- वित्तीय विवरण लेखा अभिलेखों और विवरणियों के अनुरूप नहीं हैं; या
- कानून द्वारा निर्दिष्ट निदेशकों के पारिश्रमिक के कुछ प्रकटन नहीं किए गए हैं; या
- हमें अपनी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

निदेशकों की ज़िम्मेदारियाँ

जैसा कि निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में विस्तार से बताया गया है, निदेशक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और इस बात से संतुष्ट होने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि वे एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, और ऐसे आंतरिक नियंत्रण के लिए भी ज़िम्मेदार हैं जो निदेशकों द्वारा निर्धारित किया जाता है ताकि वित्तीय विवरणों को तैयार करना संभव हो सके जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, निदेशक कंपनी की एक क्रियाशील संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहाँ लागू हो, क्रियाशील संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटन करने और लेखांकन के क्रियाशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, जब तक कि निदेशक कंपनी का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखें, या उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं और एक लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि आईएसए (यूके) के अनुसार की गई लेखा-परीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगी, जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा हेतु हमारी ज़िम्मेदारियों का एक और विवरण वित्तीय रिपोर्टिंग परिषद की वेबसाइट http://www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities पर उपलब्ध है। यह विवरण हमारी लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का हिस्सा है।

धोखाधड़ी सहित अनियमितताओं का पता लगाने में लेखापरीक्षा की सीमा के बारे में स्पष्टीकरण

अनियमितताएँ, जिनमें धोखाधड़ी भी शामिल है, कानूनों और विनियमों का पालन न करने के उदाहरण हैं। हम धोखाधड़ी सहित अनियमितताओं का पता लगाने के लिए ऊपर उल्लिखित अपनी ज़िम्मेदारियों के अनुरूप प्रक्रियाएँ तैयार करते हैं। धोखाधड़ी के कारण किसी महत्वपूर्ण गलत बयान का पता न लगने का जोखिम, त्रुटि के कारण किसी गलत बयान का पता न लगने के जोखिम से कहीं अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में, उदाहरण के लिए, जालसाजी या जानबूझकर गलत विवरण, या मिलीभगत के माध्यम से जानबूझकर छिपाना शामिल हो सकता है।

हमारी प्रक्रियाएँ धोखाधड़ी सहित अनियमितताओं का पता लगाने में किस सीमा तक सक्षम हैं, इसका विवरण नीचे दिया गया है। हालाँकि, धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी कंपनी के परिचालन के लिए ज़िम्मेदार लोगों की है। हमारा दृष्टिकोण इस प्रकार था:

हमने कंपनी पर लागू होने वाले कानूनी और विनियामक ढाँचों की सामान्य समझ हासिल की और पाया कि सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कानून और नियम हैं, जो लॉयड्स द्वारा सिंडिकेट के निगमीय सदस्य बने रहने के लिए लॉयड्स द्वारा जारी अनुमोदन से संबंधित हैं, जो लॉयड्स, कंपनी के कानून और वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे (यूके जीएएपी) द्वारा निर्धारित पूँजी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। हमने प्रबंधन और कंपनी के कानूनी और अनुपालन मामलों के लिए ज़िम्मेदार लोगों से पूछताछ करके इस बात की सामान्य समझ हासिल की कि कंपनी इन ढाँचों का अनुपालन कैसे कर रही है।

- प्रत्यक्ष और अन्य कानूनों और नियमों, दोनों के लिए, हमारी प्रक्रियाओं में शामिल हैं: कंपनी के निदेशकों से कानूनों या नियमों के किसी भी गैर-अनुपालन के बारे में उनकी जागरूकता के बारे में पूछताछ करना, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कानूनों और नियमों के गैर-अनुपालन को रोकने के लिए स्थापित नीतियों के बारे में पूछताछ करना।

- कंपनी बीमा उद्योग में काम करती है जो एक अत्यधिक विनियमित वातावरण है। इस प्रकार वरिष्ठ सांविधिक लेखा परीक्षक ने संलग्न टीम के अनुभव और विशेषज्ञता पर विचार किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टीम में उचित योग्यता और क्षमताएं हैं, जिसमें जहां उपयुक्त हो, वहां विशेषज्ञों का उपयोग भी शामिल है।

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं:

- वित्तीय विवरण प्रकटनों का अंतर्निहित सहायक दस्तावेज़ों से मिलान;
- प्रबंधन से पूछताछ और पूरी अवधि के दौरान बोर्ड और प्रबंधन बैठकों के कार्यवृत्त की समीक्षा;
- कानूनों और विनियमों के अनुपालन की निगरानी में कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं को समझना;
- सिंडीकेट के वित्तीय विवरणों के साक्ष्य के लिए सिंडीकेट के खातों, सिंडीकेट के लेखा परीक्षक प्रश्नावली की समीक्षा,
- सिंडीकेट, जिसमें कंपनी ने भाग लिया है, से संबंधित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की समीक्षा।

हमारी रिपोर्ट का उपयोग

यह प्रतिवेदन कंपनी अधिनियम 2006 के भाग 16 के अध्याय 3 के अनुसार, एक निकाय के रूप में, केवल कंपनी के सदस्यों के लिए तैयार किया गया है। हमार लेखा–परीक्षा कार्य केवल इसलिए किया गया है ताकि हम कंपनी के सदस्यों को वे बातें बता सकें जो हमें लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में उन्हें बताने की आवश्यकता होती है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, हम अपने लेखा–परीक्षा कार्य, इस प्रतिवेदन या हमारे द्वारा बनाई गई राय के लिए, कंपनी और कंपनी के सदस्यों के अलावा, किसी और के प्रति कोई ज़िम्मेदारी स्वीकार या ग्रहण नहीं करते हैं।

देवेंद्र अरोड़ा (वरिष्ठ सांविधिक लेखा परीक्षक)

निगमीय प्रैक्टिस लिमिटेड के लिए और उनकी ओर से,

सांविधिक लेखा परीक्षक

65 डेलामेरे रोड हेज़,

मिडलसेक्स, UB4 0NN

दिनांक: 22 मई 2026

जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड

लाभ और हानि खाता – तकनीकी खाता

31 दिसंबर 2025 को समाप्त वर्ष

	टिप्पणी	2025 £000	2024 £000
तकनीकी खाता – सामान्य व्यवसाय:			
अर्जित प्रीमियम, पुनर्बीमा घटाकर:			
लिखित सकल प्रीमियम	6	174,281	153,114
जावक पुनर्बीमा प्रीमियम		(174,281)	(153,114)
लिखित निवल प्रीमियम		–	–
अनर्जित प्रीमियम के लिए सकल प्रावधान में परिवर्तन	14	(18,419)	(14,812)
अनर्जित प्रीमियम के लिए प्रावधान में परिवर्तन			
पुनर्बीमाकर्ता का हिस्सा	14	18,419	14,812
अनर्जित प्रीमियम के लिए प्रावधान में शुद्ध परिवर्तन		–	–
अर्जित प्रीमियम, पुनर्बीमा घटाकर		–	–
निवेश प्रतिफल	7	–	–
उपगत दावे, पुनर्बीमा घटाकर	6		
भुगतान किए गए दावे:			
सकल राशि		(42,339)	(69,047)
पुनर्बीमाकर्ता का हिस्सा		42,339	69,047
भुगतान किए गए दावे, पुनर्बीमा घटाकर		–	–
दावों के लिए प्रावधान में परिवर्तन:	14		
सकल राशि		(15,876)	1,137
पुनर्बीमाकर्ता का हिस्सा		15,876	(1,137)
दावों के लिए प्रावधान में परिवर्तन, पुनर्बीमा घटाकर		–	–
उपगत दावे, पुनर्बीमा घटाकर		–	–
निवल परिचालन व्यय	8, 11	(68)	(44)
तकनीकी खाते पर शेष – सामान्य व्यवसाय		(68)	(44)

सभी परिचालन चालू कार्यकलाप से संबंधित हैं।

पृष्ठ 369 से 384 तक की टिप्पणियां इन वार्षिक लेखों का हिस्सा हैं।

जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड

लाभ और हानि खाता और व्यापक आय – गैर–तकनीकी खाता

31 दिसंबर 2025 को समाप्त वर्ष

	टिप्पणी	2025 £000	2024 £000
तकनीकी खाते पर शेष – सामान्य व्यवसाय		(68)	(44)
निवेश आय		414	407
निवेश पर अप्राप्त (हानि)/लाभ		–	–
विदेशी मुद्रा (हानि)/लाभ		(32)	(4)
अन्य आय		500	500
अन्य शुल्क		(553)	(637)
सामान्य गतिविधियों पर कर–पूर्व लाभ/(हानि)	9	**261**	**222**
सामान्य गतिविधियों पर लाभ/(हानि) पर कर	10	–	–
सामान्य गतिविधियों पर कर पश्चात लाभ/(हानि)		**261**	**222**
वित्तीय वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**261**	**222**

सभी परिचालन चालू कार्यकलाप से संबंधित हैं।

पृष्ठ 369 से 384 तक की टिप्पणियां इन वार्षिक लेखों का हिस्सा हैं।

जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड

तुलन–पत्र परिसंपतियां

31 दिसंबर 2025 को

	टिप्पणी	2025 £000	2024 £000
परिसंपतियां:			
निवेश:			
अन्य वित्तीय निवेश	12	213,233	138,482
तकनीकी प्रावधानों में बीमाकर्ताओं का हिस्सा	14		
अनर्जित प्रीमियम के लिए प्रावधान		60,846	49,120
बकाया दावे		191,907	185,971
		252,753	**235,091**
देनदार:			
प्रत्यक्ष बीमा परिचालनों से उत्पन्न देनदार		15,797	15,296
पुनर्बीमा परिचालनों से उत्पन्न देनदार		53,344	53,500
अन्य देनदार		3,649	521
लॉयड्स में निधियां	18	183,465	203,892
		256,255	**273,209**
अन्य परिसंपतियां:			
बैंक में और हाथ में नकदी		15,731	35,860
आस्थगित कर परिसंपतियां/अन्य		4,669	2,179
		20,400	38,039
पूर्व भुगतान और उपचित आय :			
उपचित ब्याज		–	–
आस्थगित अधिग्रहण लागतें	14	17,678	13,504
अन्य पूर्व भुगतान और उपचित आय		1,235	1,452
		18,913	**14,956**
कुल परिसंपतियां		**761,554**	**699,777**

उपरोक्त परिसंपत्तियों में भाग लेने वाले सिंडिकेट्स की परिसंपत्तियाँ और कंपनी की अपनी परिसंपत्तियाँ शामिल हैं।

टिप्पणी 16 में कंपनी की अपनी परिसंपत्तियों का विश्लेषण दिया गया है।

पृष्ठ 369 से 384 तक की टिप्पणियां इन वार्षिक लेखों का हिस्सा हैं।

जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड

तुलन पत्र – देयताएं

31 दिसंबर 2025 को

	टिप्पणी	2025 £000	2024 £000
देयताएं:			
पूंजी और आरक्षित निधियां:	13		
मांगी गई शेयर पूंजी		–	–
लाभ और हानि खाता		5,232	4,971
		5,232	**4,971**
तकनीकी प्रावधान:	14		
अनर्जित प्रीमियम के लिए प्रावधान:			
सकल राशि		78,524	62,624
बकाया दावे:			
सकल राशि		191,907	185,971
		270,431	**248,595**
लेनदार:			
प्रत्यक्ष बीमा परिचालनों से उत्पन्न लेनदार		2,184	1,737
पुनर्बीमा परिचालनों से उत्पन्न लेनदार		284,964	230,958
कराधान सहित अन्य लेनदार	15	183,747	204,486
		470,895	**437,181**
उपचय और आस्थगित आय		14,996	9,030
कुल देयताएं		**761,554**	**699,777**

उपरोक्त देयताओं में भाग लेने वाले सिंडिकेट्स की देनदारियाँ और कंपनी की अपनी देनदारियाँ शामिल हैं। टिप्पणी 16 कंपनी की अपनी देनदारियों का विश्लेषण प्रदान करता है।

पृष्ठ 13 से 41 पर दिए गए वित्तीय विवरणों को जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड के बोर्ड द्वारा 22 मई 2026 को अनुमोदित किया गया था और उनकी ओर से निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था:

कणाद विलास मांजेकर

निदेशक

पंजीकृत संख्या : 07792458

पृष्ठ 369 से 384 पर दी गई टिप्पणियां इन वार्षिक लेखों का हिस्सा हैं।

जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

31 दिसंबर 2025 को

	मांगी गई शेयर पूंजी £000	लाभ और हानि खाता £000	कुल इक्विटी £000
1 जनवरी 2024 को	**–**	**4,749**	**4,749**
वर्ष के लिए लाभ	–	222	222
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	–	4,971	4,971
31 दिसंबर 2024 को	**–**	**4,971**	**4,971**
वर्ष के लिए लाभ	–	261	261
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	–	5,232	5,232
31 दिसंबर 2025 को	**–**	**5,232**	**5,232**

पृष्ठ 369 से 384 पर दी गई टिप्पणियां इन वार्षिक लेखों का हिस्सा हैं।

आईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड

नकदी प्रवाह विवरण

31 दिसंबर 2025 को

	टिप्पणी	2025 £000	2024 £000
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व (हानि)/लाभ		261	222
लेनदारों में आवागमन		61,515	(9,687)
देनदारों में आवागमन		(2,486)	49,994
भुगतान किया गया कर		–	–
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी		**59,290**	**40,529**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
निवेशों की खरीद और बिक्री से निवल (बहिर्वाह)	18	(79,419)	(24,480)
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी बहिर्वाह		**(79,419)**	**(24,480)**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि		(20,129)	16,049
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		35,860	19,811
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**15,731**	**35,860**

पृष्ठ 369 से 384 पर दी गई टिप्पणियां इन वार्षिक लेखों का हिस्सा हैं।

जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड

वार्षिक लेखों पर टिप्पणियां

यथा 31 दिसंबर 2025 को

(1) सामान्य सूचना

जीआईसी री, इंडिया, निगमीय मेंबर लिमिटेड (''कंपनी'') यूनाइटेड किंगडम में निगमित एक लिमिटेड कंपनी है। इसका पंजीकृत कार्यालय 40 लाइम स्ट्रीट, तीसरी मंजिल, लंदन, एउ3च 7अथ में स्थित है। कंपनी के परिचालनों की प्रकृति और उसकी प्रमुख गतिविधियाँ पृष्ठ 2 पर रणनीतिक प्रतिवेदन में दी गई हैं।

ये वित्तीय विवरण जीबीपी में प्रस्तुत किए गए हैं क्योंकि यह कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है, और यह वह प्राथमिक आर्थिक वातावरण है जिसमें कंपनी कार्य करती है।

(2) तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण वित्तीय रिपोर्टिंग मानक 102 – 'यूके और आयरलैंड गणराज्य में लागू वित्तीय रिपोर्टिंग मानक' ('एफआरएस 102'), वित्तीय रिपोर्टिंग मानक 103 – 'बीमा अनुबंध' ('एफआरएस 103') और कंपनी अधिनियम 2006 सहित यूनाइटेड किंगडम के लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय उन वित्तीय परिसंपत्तियों के जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा जीबीपी है।

निदेशक, कंपनी की वित्तीय स्थिति के अपने आकलन और उचित पूछताछ के बाद, यह उचित रूप से उम्मीद करते हैं कि कंपनी के पास निकट भविष्य में परिचालन जारी रखने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। इस कारण से, ये वार्षिक खाते क्रियाशील संस्था के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

(3) बीमांकन गतिविधियों के लिए लेखांकन का आधार

कंपनी, लॉयड्स सिंडिकेट 1955, सिंडिकेट 5183, सिंडिकेट 2454, सिंडिकेट 1609 और सिंडिकेट 1947 (सिंडिकेट) में अपनी भागीदारी के माध्यम से, सिंडिकेटों के साथ एजेंसी करार के तहत, बीमांकन वर्ष के आधार पर बीमा व्यवसाय की बीमांकन करती है; प्रत्येक बीमांकन वर्ष एक अलग वार्षिक उपक्रम होता है। एजेंसी करार, सिंडिकेटों के प्रबंध एजेंट को बीमांकन नियंत्रण प्रदान करते हैं, और कंपनी की सिंडिकेटों द्वारा नियंत्रित निधियों तक कोई पहुँच नहीं होती है। सिंडिकेट, बीमांकन वर्ष समाप्त होने पर (सामान्यतः तीन कैलेंडर वर्षों के बाद) सिंडिकेट प्रीमियम ट्रस्ट फंड से कंपनी को निधियाँ जारी करते हैं। प्रबंध एजेंट, उस वर्ष की सदस्यता के लिए उस वर्ष शुरू हुई बीमा पॉलिसियों के आधार पर प्रत्येक बीमांकन वर्ष के परिणाम और शुद्ध परिसंपत्तियों का आकलन करता है। यदि प्रबंध एजेंट पर्याप्त सटीकता के साथ वर्ष की अंतिम लाभप्रदता का निर्धारण कर सकता है (सामान्यतः दो कैलेंडर वर्षों के अंत में), तो सिंडिकेट, शुरू हुए बीमांकन वर्षों में भी निधियाँ जारी कर सकते हैं।

कंपनी अपने लाभ–हानि खाते में सिंडिकेट बीमांकन लेनदेन, निवेश प्रतिफल और परिचालन व्यय में अपने हिस्से की रिपोर्ट करती है, और अपने तुलन पत्र में सिंडिकेट की परिसंपत्तियों और देनदारियों में अपने हिस्से का प्रतिवेदन करती है। निदेशक इन हिस्सों की गणना प्रत्येक सिंडिकेट की कुल बीमा क्षमता के प्रतिशत के रूप में सिंडिकेट में कंपनी की भागीदारी के आधार पर करते हैं।

सिंडिकेट, कंपनी के बीमा लेनदारों के लाभ के लिए न्यास विलेखों के अधीन परिसंपत्तियाँ रखते हैं।

(4) लेखांकन नीतियाँ

निदेशकों ने इन वार्षिक खातों को तैयार करते समय नीचे दी गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया।

(क) सकल लिखित प्रीमियम

लिखित सकल प्रीमियम में प्रत्येक सिंडिकेट द्वारा वर्ष के दौरान किए गए बीमा अनुबंधों पर कंपनी के प्रीमियम का हिस्सा, साथ ही पूर्व वर्षों में लिखे गए व्यवसाय के संबंध में प्राप्त होने वाले ऐसे प्रीमियमों में वर्ष में होने वाले किसी भी समायोजन शामिल होते हैं। कंपनी मध्यस्थों को देय कमीशन के बाद प्रीमियम दिखाती है और उन पर लगाए गए करों और शुल्कों को शामिल नहीं करती है।

(ख) जावक पुनर्बीमा प्रीमियम

जावक पुनर्बीमा प्रीमियम में (क) अवधि के दौरान आबद्ध जावक पुनर्बीमा अनुबंध पर सिंडिकेट पुनर्बीमा प्रीमियम में कंपनी का हिस्सा और (ख) सिंडिकेटों से अपने समस्त बीमांकन व्यवसाय का आनुपातिक पुनर्बीमा करने के लिए अपने मूल पुनर्बीमाकर्ता के साथ किए गए जावक पुनर्बीमा अनुबंधों पर कंपनी के पुनर्बीमा प्रीमियम शामिल हैं। पुनर्बीमा लेनदेन कंपनी को अपने पॉलिसीधारकों के प्रति अपने प्राथमिक दायित्वों से मुक्त नहीं करते हैं।

कंपनी अपने मूल पुनर्बीमाकर्ता के साथ जावक पुनर्बीमा अनुबंध के अंतर्गत वास्तविक या अनुमानित परिसंपत्तियों और देनदारियों को, जो सिंडिकेटों से अपने समस्त बीमांकन व्यवसाय का आनुपातिक पुनर्बीमा करता है, एकल निवल शेष में समायोजित करती है, क्योंकि वे अलग-अलग परिसंपत्तियों और देनदारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

(ग) अनर्जित प्रीमियम के लिए प्रावधान

अनर्जित प्रीमियम, वर्ष में लिखे गए प्रीमियमों के उस अनुपात को दर्शाते हैं जो तुलन पत्र की तिथि पर लागू पॉलिसियों की अवधि समाप्त न होने से संबंधित होते हैं। इनकी गणना स्थापित आय पैटर्न या समय प्रभाजन के आधार पर की जाती है।

(घ) असमाप्त जोखिमों के लिए प्रावधान

तुलन पत्र की तिथि पर, कंपनी असमाप्त जोखिमों के लिए प्रावधान करती है, जहाँ तुलन पत्र की तिथि से पहले किए गए बीमा अनुबंधों से तुलन पत्र की तिथि के बाद उत्पन्न होने वाले अपेक्षित दावों और प्रशासनिक व्ययों का मूल्य, उन अनुबंधों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रीमियम की राशि, किसी भी आस्थगित अधिग्रहण लागत की कटौती के बाद, अनर्जित प्रीमियम के प्रावधान से अधिक होता है।

2024 और 2025 में असमाप्त जोखिमों के लिए कोई प्रावधान दर्ज नहीं किया गया।

(ङ) लेखा के समाप्त वर्ष

किसी बीमांकन वर्ष के तीसरे कैलेंडर वर्ष के अंत में, जब एक बीमा वर्ष प्रारंभ होता है, तो वर्ष सामान्यतः पुनर्बीमा के माध्यम से अगले प्रारंभिक बीमांकन वर्ष में समाप्त हो जाता है। प्रबंध एजेंट आमतौर पर 31 दिसंबर को अधिसूचित लेकिन निपटाए नहीं गए दावों की लागत का अनुमान लगाकर, साथ ही उस तिथि पर किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए दावों की अनुमानित लागत और भविष्य के दावों के निपटान व्यय का अनुमान लगाकर पुनर्बीमा की देय प्रीमियम की राशि का निर्धारण करते हैं। प्रारंभ होने वाला बीमांकन वर्ष, जिसमें बंद बीमांकन वर्ष का पुनर्बीमा किया जाता है, बंद वर्ष की अंतिम देनदारियों में किसी भी बाद के बदलाव का जोखिम वहन करता है।

प्रीमियम को बंद करने के लिए पुनर्बीमा का भुगतान, समापन वर्ष को बकाया दावों के लिए उसके प्राथमिक दायित्वों से मुक्त नहीं करता है। यदि पुनर्बीमा सिंडिकेट अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है और लॉयड की सुरक्षा श्रृंखला के अन्य तत्व विफल हो जाते हैं, तो समापन वर्ष को बकाया दावों का निपटान करना होगा। निदेशक इस तरह के समापन वर्ष में पुनर्बीमा की विफलता की संभावना को दूर-दूर तक नहीं मानते हैं और इसलिए समापन वर्ष में पुनर्बीमा को, एक समापन वर्ष में बकाया देनदारियों के निपटान के रूप में देखते हैं। कंपनी तुलन पत्र की तिथि पर अपने तकनीकी प्रावधानों में देय समाप्त वर्ष के पुनर्बीमा के अपने हिस्से को शामिल करती है, और कंपनी समाप्त वर्षों की अंतिम देयता में परिवर्तन के किसी भी संभावित जोखिम के लिए कोई और प्रावधान नहीं करती है।

च) खाते के रन-ऑफ वर्ष

यदि कोई बीमांकन वर्ष उस तीसरे कैलेंडर वर्ष के अंत में बंद नहीं होता है जिसमें वह खुला है (जिसे ''रन-ऑफ'' वर्ष कहा जाता है), तो कंपनी उस वर्ष की सभी ज्ञात और अज्ञात बकाया देनदारियों की अनुमानित लागत के लिए प्रावधान करती है। प्रबंध एजेंट पहले बंद किए जाने वाले पुनर्बीमा के समान आधार पर प्रावधान का निर्धारण करता है। हालाँकि, कंपनी उस वर्ष के लिए अंतिम देनदारियों में किसी भी बाद के बदलाव का निर्धारण करती है। इसलिए, कंपनी तीसरे कैलेंडर वर्ष के बाद किसी भी रन-ऑफ वर्ष से अपने परिणामों में तब तक बदलाव की रिपोर्ट करती रहेगी जब तक कि वह बंद करने के लिए पुनर्बीमा प्राप्त नहीं कर लेती।

31 दिसंबर 2025 को कंपनी का कोई रन-ऑफ वर्ष नहीं था।

(छ) उपगत दावे, पुनर्बीमा घटाकर

उपगत सकल दावों में उस अवधि के दौरान होने वाले सभी दावों के निपटान की अनुमानित लागत शामिल होती है, चाहे वे रिपोर्ट किए गए हों या नहीं, जिसमें संबंधित दावा प्रबंधन व्यय भी शामिल हैं। कंपनी रिपोर्ट किए गए दावों के लिए प्रावधान निर्धारित करते समय प्रत्यायोजन वसूली का अनुमान लगाती है। कंपनी पुनर्बीमा वसूली का लेखा-जोखा तब रखती है जब उसे संबंधित हानियाँ होती हैं।

बकाया दावों के प्रावधान में तुलन-पत्र की तिथि पर उपगत लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए दावों ('आईबीएनआर') की अनुमानित लागत शामिल होती है। ऐतिहासिक

अनुभव के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर आमतौर पर विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकों का उपयोग किया जाता है और इसमें आपदाओं और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं, ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों, न्यायिक निर्णयों और आवश्यकतानुसार विधान के लिए समायोजन शामिल होते हैं। प्रावधान का मूल्यांकन करते समय, निदेशक सिंडिकेट बीमांककों के निष्कर्षों का उपयोग करते हैं, जिसमें बड़ी आपदाओं के लिए एक संबद्ध तृतीय–पक्ष दावा प्रशासक के हानि अनुमान शामिल होते हैं।

प्रत्येक प्रासंगिक व्यवसाय श्रेणी को प्रभावित करने वाले बड़े दावों का आम तौर पर अलग–अलग मूल्यांकन किया जाता है, उन्हें मामला–दर–मामला आधार पर मापा जाता है या अलग–अलग प्रक्षेपित किया जाता है ताकि इन बड़े दावों के घटनाक्रम और घटना के संभावित विकृत प्रभाव को ध्यान में रखा जा सके।

सिंडिकेट्स के सीमित इतिहास और बीमित व पुनर्बीमित दावों की कम संख्या के कारण, बकाया दावों के लिए प्रावधान में उल्लेखनीय परिवर्तनशीलता देखी जा सकती है। हालाँकि निदेशकों का मानना है कि सकल दावों और पुनर्बीमा वसूलियों के लिए दर्ज प्रावधान पर्याप्त है, लेकिन इस दायित्व को स्थापित करना एक निर्णयात्मक और स्वाभाविक रूप से अनिश्चित प्रक्रिया है। इसलिए, यह संभव है कि वास्तविक हानियाँ इस प्रावधान की राशि निर्धारित करने में प्रयुक्त मान्यताओं के अनुरूप न हों। तदनुसार, अंतिम प्रावधान तुलन पत्र की तिथि पर धारित बकाया राशि से काफी अधिक या कम हो सकता है। कंपनी लाभ–हानि खाते में बकाया दावों के लिए प्रावधान में समायोजन को दर्शाती है, जब इसकी जानकारी हो। अपनी अंतर्निहित प्रकृति के कारण, दावा आईबीएनआर बीमाकर्ता को दावे को जन्म देने वाली घटना के कई वर्षों बाद तक स्पष्ट नहीं हो सकता है। जिन व्यवसायों में कुल आरक्षित निधि में आईबीएनआर का अनुपात अधिक होता है, वे आमतौर पर प्रारंभिक अनुमानों और अंतिम परिणामों के बीच अधिक भिन्नता प्रदर्शित करेंगे क्योंकि इन आरक्षित निधियों का अनुमान लगाना अधिक कठिन होता है। जिन व्यवसायों में दावों की रिपोर्ट आमतौर पर दावा घटना के अपेक्षाकृत तुरंत बाद की जाती है, उनमें अस्थिरता का स्तर कम होता है।

निदेशक, बकाया दावों के लिए प्रावधान में पुनर्बीमाकर्ताओं के हिस्से का निर्धारण, रिपोर्ट किए गए दावों और आईबीएनआर के प्रावधानों के आधार पर करते हैं, जो संबंधित पुनर्बीमाकर्ताओं के शेष के प्रकार और सुरक्षा रेटिंग के आधार पर संभावित पुनर्बीमाकर्ता दिवालियापन से अनुमानित अप्राप्य राशियों को घटाकर प्राप्त होता है।

(ज) अधिग्रहण लागतें, पुनर्बीमा घटाकर

अधिग्रहण लागत में सिंडिकेट से संबंधित कवर धारक का कंपनी का हिस्सा और नए और नवीनीकरण व्यवसाय के उत्पादन से मुख्य रूप से संबंधित (आवक पुनर्बीमा स्वीकृतियों पर) प्राप्त कमीशन शामिल हैं। कंपनी अधिग्रहण लागतों को उस सीमा तक स्थगित करती है जहाँ तक वे तुलन–पत्र की तिथि पर अर्जित प्रीमियम के कारण हैं और अंतर्निहित बीमा अनुबंध प्रीमियम अर्जित करने पर उन्हें व्यय करती है। कंपनी अधिग्रहण लागतों को शुद्ध परिचालन व्यय में शामिल करती है। कंपनी जावक पुनर्बीमाकर्ताओं से अधिग्रहण लागतों (प्राप्त कमीशन) की वसूली को स्थगित करती है और उन्हें उपचित और आस्थगित राजस्व में शामिल करती है। कंपनी अंतर्निहित पुनर्बीमा अनुबंध प्रीमियमों पर व्यय करते हुए सीडिंग कमीशन अर्जित करती है तथा उन्हें पुनर्बीमा कमीशन और लाभ भागीदारी के अंतर्गत निवल परिचालन व्यय में शामिल करती है।

(झ) निवेश

निवेश में सिंडिकेटों के शेयरों और अन्य परिवर्ती प्रतिलाभ प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों और अन्य निश्चित आय प्रतिभूतियों में कंपनी का हिस्सा शामिल होता है। कंपनी वर्तमान या बाजार मूल्य पर निवेश करती है।

(ञ) निवेश प्रतिफल

निवेश प्रतिफल में मुख्य रूप से सिंडिकेटों के निवेशों में कंपनी के हिस्से से आय, निवेशों की प्राप्ति पर लाभ और हानि, और निवेशों पर अप्राप्त लाभ और हानि में होने वाले उतार–चढ़ाव, निवेश प्रबंधन व्यय को घटाकर, शामिल होते हैं। निवेश से होने वाली आय में ब्याज शामिल होता है, जिसे कंपनी अर्जित होने पर दर्शाती है। कंपनी निवेशों पर प्राप्त लाभ और हानि का निर्धारण बिक्री आय और निवेश की लागत के बीच के अंतर पर करती है। निवेशों पर अप्राप्त लाभ और हानि में होने वाले उतार–चढ़ाव, निवेश निपटान पर विचार करने के बाद, तुलन–पत्र की तिथि पर निवेशों के वहन मूल्य और पिछली लेखा अवधियों में निवेशों के क्रय मूल्य के बीच के अंतर को दर्शाते हैं। निवेश प्रबंधन व्यय में निवेश अभिरक्षण और प्रबंधन शुल्क शामिल होते हैं।

कंपनी सबसे पहले अपने निवेश प्रतिफल को गैर–तकनीकी खाते में दर्ज करती है। इसके बाद कंपनी इस प्रतिफल को सामान्य व्यवसाय तकनीकी खाते में अंतरित कर देती है, ताकि सिंडीकेट के बीमांकन व्यवसाय को समर्थन देने वाले फंड पर निवेश प्रतिलाभ को दर्शाया जा सके; सिंडीकेट के फंड के अलावा कोई भी फंड कंपनी के अंडरराइटिंग व्यवसाय को समर्थन नहीं देता है।

(ट) निवल परिचालन व्यय

कंपनी परिचालन व्ययों को उपगत होने पर दर्शाती है। परिचालन व्ययों में अधिग्रहण लागतें और आस्थगित अधिग्रहण लागतों में परिवर्तन, प्रशासनिक व्यय, पुनर्बीमा कमीशन और लाभ भागीदारी शामिल हैं। प्रशासनिक व्ययों में शामिल हैं:

i. सिंडिकेट परिचालन लागतों में कंपनी का हिस्सा,

ii. प्रबंध एजेंट शुल्क और लाभ कमीशन,

iii. लॉयड्स सदस्यता लागतें, और

iv. मूल पुनर्बीमाकर्ता से प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति, जो सिंडिकेट से कंपनी के सभी बीमांकन व्यवसाय का आनुपातिक रूप से पुनर्बीमा करता है।

कंपनी, सिंडिकेट के लिए पुनर्बीमा कवरेज प्रदान करने वाले पुनर्बीमा दलालों से सिंडिकेट के ब्रोकरेज हिस्सेदारी के अपने हिस्से को भी प्रशासनिक व्ययों में शामिल करती है। जब दलाल पुनर्बीमा कवरेज प्रदान करते हैं, तो कंपनी ब्रोकरेज हिस्सेदारी को राजस्व के रूप में दर्शाती है।

पुनर्बीमा कमीशन और लाभ भागीदारी में शामिल हैं (क) बाह्य पुनर्बीमाकर्ताओं से सिंडिकेटों के अर्पण और आकस्मिक लाभ कमीशन में कंपनी का हिस्सा और (ख) मूल पुनर्बीमाकर्ता से अधिग्रहण लागत की वसूली, जो सिंडीकेट से कंपनी के सभी बीमांकन व्यवसाय का आनुपातिक रूप से पुनर्बीमा करता है।

(ठ) वर्तमान कराधान

कंपनी, बहीखाते और कर के लिए कुछ मदों के व्यवहार में स्थायी और समयबद्ध अंतरों पर विचार करने के बाद, उस अवधि के लिए अपने कर–योग्य परिणाम के आधार पर वर्तमान यू.के. करों के लिए प्रावधान करती है। कंपनी, उस अवधि के लिए अमेरिकी कर योग्य आय के आधार पर देय वर्तमान अमेरिकी संघीय कर के लिए भी प्रावधान करती है।

(ड) आस्थगित कराधान

कंपनी, समयबद्ध अंतरों पर आस्थगित कराधान के लिए पूर्ण प्रावधान करती है, जिसके परिणामस्वरूप तुलन पत्र की तिथि पर अधिक कर का भुगतान करने का दायित्व, या भविष्य की किसी तिथि पर कम कर का भुगतान करने का अधिकार, उन दरों पर लागू होने की उम्मीद है जब ये मदें वर्तमान कर दरों और कानून के आधार पर उलट जाती हैं। समयबद्ध अंतर, आय और व्यय की मदों को कराधान गणना में उन अवधियों में शामिल करने से उत्पन्न होते हैं जिनमें वे वार्षिक खातों में शामिल नहीं होते हैं। कंपनी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक दर्शाती है जहाँ तक उनकी वसूली की संभावना हो। कंपनी आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों पर छूट नहीं देती है।

(ढ) विदेशी मुद्रा विनिमय

कंपनी की कार्यात्मक और रिपोर्टिंग मुद्रा जीबीपी है। कंपनी विदेशी मुद्रा मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को तुलन पत्र की तिथि पर प्रभावी समापन विनिमय दर पर मापती है। बैलेंस शीट की तिथि पर गैर–मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को अनुबंध के समय लागू विनिमय दर पर बनाए रखा जाता है, सिवाय बीमा अनुबंधों से उत्पन्न गैर–मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं के, जिन्हें एफआरएस 103 बीमा अनुबंध (''FRS 103'') के अनुसार मौद्रिक मदों के रूप में माना जाता है। विदेशी मुद्रा राजस्व और व्यय संबंधित लेनदेन के समय प्रभावी ऐतिहासिक विनिमय दरों पर मापे जाते हैं।

(ण) महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करते समय, निदेशकों को परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशियों का निर्धारण करने में निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है। निदेशकों के निर्णय, आकलन और धारणाएँ निर्णय लेने के समय उपलब्ध सर्वोत्तम और सर्वाधिक विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित होते हैं और ऐतिहासिक अनुभव तथा अन्य कारकों पर आधारित होते हैं जिन्हें लागू माना जाता है। ऐसे निर्णय, आकलन और धारणाएँ बनाने में निहित व्यक्तिपरकता के कारण, वास्तविक परिणाम और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। आकलन और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर समीक्षा की जाती है।

लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में दर्शाए जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किया गया है, यदि संशोधन केवल उसी अवधि को प्रभावित करता है, या संशोधन की अवधि और भविष्य की अवधियों में, यदि संशोधन वर्तमान और भविष्य दोनों अवधियों को प्रभावित करता है।

कंपनी जिस भी सिंडिकेट में भाग लेती है, उसका प्रबंधन और नियंत्रण उस सिंडिकेट के प्रबंध एजेंट द्वारा किया जाता है, और कंपनी प्रत्येक सिंडिकेट के प्रबंधन हेतु उपयुक्त नीतियों, प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रणों को लागू करने के लिए प्रबंध एजेंट पर निर्भर करती है। इसलिए, नीचे दिए गए महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत केवल कंपनी के संबंध में निदेशकों द्वारा लिए गए निर्णयों से संबंधित हैं, और इसमें सिंडिकेट के संबंध में किए गए अनुमान और निर्णय शामिल नहीं हैं।

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में निदेशकों द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और जिनका वैधानिक वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, की चर्चा नीचे की गई है।

ह्रास (इम्पेयरमेट) के आकलन संकेतक

यह आकलन करते समय कि क्या हानि परिसंपत्तियों के कोई संकेतक मौजूद हैं, सिंडिकेटों ने सूचना के बाहरी और आंतरिक दोनों स्रोतों, जैसे बाजार की स्थिति, प्रतिपक्ष क्रेडिट रेटिंग और वसूली के अनुभव, पर विचार किया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हानि के कोई संकेतक नहीं पाए गए हैं।

(त) महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत (जारी)

अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

भविष्य से संबंधित प्रमुख धारणाएँ और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोत, जिनसे अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों में महत्वपूर्ण समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे चर्चा की गई है।

प्राप्य राशियों की वसूली योग्यता

कंपनी उन प्राप्य राशियों के लिए प्रावधान करती है जिनके वसूली योग्य न होने का अनुमान है। वसूली योग्यता का आकलन करते समय, निदेशक प्राप्य राशियों की आयु, वसूली योग्यता का पिछला अनुभव और व्यक्तिगत या ग्राहक समूहों की क्रेडिट प्रोफ़ाइल जैसे कारकों पर विचार करते हैं। वर्ष के अंत में कोई प्रावधान दर्शाया नहीं गया है।

(5) वित्तीय जोखिम का प्रबंधन

कंपनी अपनी परिचालन और वित्तीय गतिविधियों के दौरान निम्नलिखित वित्तीय जोखिमों के संपर्क में रहती है:

- ऋण जोखिम
- चलनिधि जोखिम; और
- विदेशी मुद्रा जोखिम

प्रत्येक सिंडिकेट का प्रबंधन और नियंत्रण उस सिंडिकेट के प्रबंध एजेंट द्वारा किया जाता है, और कंपनी प्रत्येक सिंडिकेट के प्रबंधन हेतु उपयुक्त नीतियों, प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रणों को लागू करने के लिए प्रबंध एजेंट पर निर्भर रहती है, जिनमें वित्तीय जोखिम प्रबंधन से संबंधित नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और आंतरिक नियंत्रण शामिल हैं। निदेशकों द्वारा किए गए निम्नलिखित गुणात्मक जोखिम प्रबंधन प्रकटीकरण केवल कॉर्पोरेट गतिविधि से संबंधित हैं। मात्रात्मक प्रकटीकरण कॉर्पोरेट और सिंडिकेट दोनों के संबंध में किए गए हैं।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी के वित्तीय साधनों का कोई प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता के कारण कंपनी को हानि पहुँचाता है। कंपनी के लिए ऋण जोखिम के प्रमुख क्षेत्र उसके पुनर्बीमा कार्यक्रम, निवेश और बैंक जमा हैं।

मूल पुनर्बीमाकर्ता द्वारा चूक के जोखिम को मूल पुनर्बीमाकर्ता द्वारा लॉयड्स (लॉयड्स में निधियाँ) को कंपनी के प्रति अपने पुनर्बीमा दायित्वों को संपार्श्विक बनाने के लिए प्रदान किए गए 24.2 मिलियन के साख पत्र और 183.4 मिलियन की निधियों द्वारा कम किया जाता है।

कंपनी यह सुनिश्चित करके निगमीय स्तर पर ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है कि निवेश और नकदी तथा नकदी समतुल्य जमा केवल उच्च श्रेणी की ऋण संस्थाओं के पास ही रखे जाएँ। कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि कंपनी के ऋण जोखिम के अधिकतम जोखिम को दर्शाती है।

नीचे दी गई तालिकाएं उन वित्तीय परिसंपत्तियों की ऋण गुणवत्ता को दर्शाती हैं जो न तो देय हैं और न ही क्षतिग्रस्त (इम्पेयर) हैं।

	2025 सिंडिकेट सहभागिता £000						
	AAA	AA	A	BBB	BBB या कम	श्रेणी निर्धारित नहीं	कुल
शेयर और अन्य परिवर्ती प्रतिलाभ प्रतिभूतियाँ और यूनिट ट्रस्ट	–	42	36,503	–	–	–	36,545
ऋण प्रतिभूतियाँ	2,989	48,490	67,501	9,853	16	2	128,851
निवेश पूल में सहभागिता	916	262	1,516	1,928	895	–	5,517
ऋण संस्थाओं से ऋण	–	–	38,696	–	–	–	38,696
ऋण संस्थाओं के पास जमा राशि	–	–	3,623	–	–	–	3,623
निवेश के रूप में विदेश में जमा राशि	–	–	–	–	–	–	–
व्युत्पन्न संपत्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–
अन्य निवेश	–	–	–	–	–	–	–
सीडिंग उपक्रमों के पास जमा राशि	–	–	–	–	–	–	–
बकाया दावों में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा	44	5,863	185,614	15	–	371	191,907
पुनर्बीमा देनदार	–	49	4,220	–	2,673	46,402	53,344
बैंक में और हाथ में नकदी	–	–	15,235	496	–	–	15,731
कुल	**3,949**	**54,706**	**352,908**	**12,292**	**3,584**	**46,775**	**474,214**

	2024 सिंडिकेट सहभागिता £000						
	AAA	AA	A	BBB	BBB या कम	श्रेणी निर्धारित नहीं	कुल
शेयर और अन्य परिवर्ती प्रतिलाभ प्रतिभूतियाँ और यूनिट ट्रस्ट	20,233	–	1,367	–	–	65	21,665
ऋण प्रतिभूतियाँ	3,512	33,094	59,617	9,042	–	9	105,274
निवेश पूल में सहभागिता	385	486	1,595	1,916	701	–	5,083
ऋण संस्थाओं से ऋण	–	–	–	–	–	–	–
ऋण संस्थाओं के पास जमा राशि	–	–	2,300	–	–	–	2,300
निवेश के रूप में विदेश में जमा राशि	1,594	308	358	289	92	135	2,776
व्युत्पन्न संपत्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–
अन्य निवेश	–	–	1,384	–	–	–	1,384
सीडिंग उपक्रमों के पास जमा राशि	–	–	–	–	–	–	–
बकाया दावों में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा	–	11,437	174,185	20	–	329	185,971
पुनर्बीमा देनदार	–	–	53,500	–	–	–	53,500
बैंक में और हाथ में नकदी	–	1,083	34,775	–	–	2	35,860
कुल	**25,724**	**46,408**	**329,081**	**11,267**	**793**	**540**	**413,813**

नीचे दी गई तालिकाएं लिखतों की श्रेणी के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों की अवधि और क्षति (इम्पेयरमेंट) को दर्शाती हैं।

	2025 सिंडिकेट सहभागिता £000						
	न तो देय और न ही क्षतिग्रस्त	तीन माह तक	तीन से छ: माह	छ: माह से एक वर्ष	एक वर्ष से अधिक	क्षतिग्रस्त हुई वित्तीय परिसंपत्तियां	कुल
शेयर और अन्य परिवर्ती प्रतिलाभ प्रतिभूतियाँ और यूनिट ट्रस्ट	36,545	–	–	–	–	–	36,545
ऋण प्रतिभूतियाँ	128,851	–	–	–	–	–	128,851
निवेश पूल में सहभागिता	5,517	–	–	–	–	–	5,517
ऋण संस्थाओं से ऋण	38,696	–	–	–	–	–	38,696
ऋण संस्थाओं के पास जमा राशि	3,623	–	–	–	–	–	3,623
निवेश के रूप में विदेश में जमा राशि	4,669	–	–	–	–	–	4,669
व्युत्पन्न संपत्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–
अन्य निवेश	–	–	–	–	–	–	–
सीडिंग उपक्रमों के पास जमा राशि	–	–	–	–	–	–	–
बकाया दावों में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा	191,907	–	–	–	–	–	191,907
पुनर्बीमा देनदार	49,246	4,098	–	–	–	–	53,344
बैंक में और हाथ में नकदी	15,731	–	–	–	–	–	15,731
बीमा देनदार	14,542	1,255	–	–	–	–	15,797
अन्य देनदार	3,448	201	–	–	–	–	3,649
कुल	**492,775**	**5,554**	**–**	**–**	**–**	**–**	**498,329**

	2024 सिंडिकेट सहभागिता £000						
	न तो देय और न ही क्षतिग्रस्त	तीन माह तक	तीन से छ: माह	छ: माह से एक वर्ष	एक वर्ष से अधिक	क्षतिग्रस्त हुई वित्तीय परिसंपत्तियां	कुल
शेयर और अन्य परिवर्ती प्रतिलाभ प्रतिभूतियाँ और यूनिट ट्रस्ट	21,665	–	–	–	–	–	21,665
ऋण प्रतिभूतियाँ	105,274	–	–	–	–	–	105,274
निवेश पूल में सहभागिता	5,083	–	–	–	–	–	5,083
ऋण संस्थाओं से ऋण	–	–	–	–	–	–	–
ऋण संस्थाओं के पास जमा राशि	2,300	–	–	–	–	–	2,300
निवेश के रूप में विदेश में जमा राशि	2,776	–	–	–	–	–	2,776
व्युत्पन्न संपत्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–
अन्य निवेश	1,384	–	–	–	–	–	1,384
सीडिंग उपक्रमों के पास जमा राशि	–	–	–	–	–	–	–
बकाया दावों में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा	185,971	–				–	185,971
पुनर्बीमा देनदार	53,169	149	31	151	–	–	53,500

	2024 सिंडिकेट सहभागिता £000						
	न तो देय और न ही क्षतिग्रस्त	तीन माह तक	तीन से छ: माह	छ: माह से एक वर्ष	एक वर्ष से अधिक	क्षतिग्रस्त हुई वित्तीय परिसंपत्तियां	कुल
बैंक में और हाथ में नकदी	35,860	–	–	–	–	–	35,860
बीमा देनदार	12,545	929	300	413	179	–	14,366
अन्य देनदार	(1,116)	1,212	291	74	60	–	521
कुल	**424,912**	**2,290**	**622**	**638**	**239**	**–**	**428,700**

निगमीय स्तर पर कंपनी को कोई महत्वपूर्ण ऋण जोखिम नहीं है। परिणामस्वरूप, निगम के लिए ऋण जोखिम का संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम वह जोखिम है जिसके कारण किसी इकाई को वित्तीय साधनों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कॉर्पोरेट स्तर पर, कंपनी पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी करके चलनिधि का प्रबंधन करती है।

निम्नलिखित तालिकाएँ कंपनी की वित्तीय देनदारियों के लिए शेष संविदात्मक परिपक्वता का विवरण देती हैं। ये तालिकाएँ वित्तीय देनदारियों के अबट्टाकृत नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार की गई हैं, जो उस प्रारंभिक तिथि पर आधारित हैं जिस पर कंपनी को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है।

	2025 सिंडिकेट सहभागिता £000					
	परिपक्वता उल्लिखित नहीं	1 वर्ष से कम	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
व्युत्पन्न	–	–	–	–	–	–
पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त जमा राशि	–	–	–	–	–	–
बकाया दावे	–	66,312	61,176	30,498	33,921	191,907
लेनदार	3,134	180,582	31	–	–	183,747
अन्य	–	–	–	–	–	–
कुल	**3,134**	**246,894**	**61,207**	**30,498**	**33,921**	**375,654**

	2024 सिंडिकेट सहभागिता £000					
	परिपक्वता उल्लिखित नहीं	1 वर्ष से कम	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
व्युत्पन्न	–	–	–	–	–	–
पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त जमा राशि	–	–	–	–	–	–
बकाया दावे	–	41,345	105,516	28,644	10,466	185,971
लेनदार	5,229	199,258	–	–	–	204,487
अन्य	–	–	–	–	–	–
कुल	**5,229**	**240,603**	**105,516**	**28,644**	**10,466**	**390,458**

निगमीय स्तर पर, कंपनी को कोई महत्वपूर्ण चलनिधि जोखिम नहीं है। परिणामस्वरूप, निगम के लिए परिपक्वता प्रोफ़ाइल प्रस्तुत नहीं की गई है।

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो वित्तीय लिखतों के भावी नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव के रूप में प्रकट होता है।

कंपनी नकदी और नकदी समतुल्य के संबंध में ब्याज दर में उतार–चढ़ाव के जोखिम के प्रति संवेदनशील है।

नीचे दी गई तालिका ब्याज दरों में परिवर्तन का कंपनी के लाभ या हानि पर और कंपनी की इक्विटी पर प्रभाव दर्शाती है।

	2025 £000	2024 £000
परिणाम पर 50 आधार अंकों की वृद्धि/(कमी) का प्रभाव	–	–
निवल परिसंपत्तियों पर 50 आधार अंकों की वृद्धि/(कमी) का प्रभाव	–	–

सिंडिकेट परिणामों में कंपनी के हिस्से पर ब्याज दरों का प्रभाव शून्य है क्योंकि मूल पुनर्बीमाकर्ता, सिंडिकेटों से कंपनी के सभी बीमांकन व्यवसाय का आनुपातिक रूप से 100% पुनर्बीमा करता है।

कंपनी स्तर पर, कंपनी नकदी प्रवाह पर किसी महत्वपूर्ण ब्याज के जोखिम में नहीं है, फलस्वरूप, निगमीय के लिए ब्याज दर जोखिम का संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मुद्रा जोखिम

कंपनी अपनी कार्यात्मक मुद्रा, स्टर्लिंग के अलावा अन्य मुद्राओं में मूल्यवर्गित परिसंपत्तियां और देयताएं दोनों रखती है। इसलिए, यह मुद्रा जोखिम के प्रति संवेदनशील है क्योंकि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्य में विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के अनुरूप घट–बढ होगा।

निगमीय स्तर पर, कंपनी यह सुनिश्चित करके मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करती है कि विनिमय दर जोखिमों का प्रबंधन अनुमोदित नीति मानदंडों के भीतर किया जाए।

कंपनी ने प्रत्येक सिंडिकेट के माध्यम से अपनी बीमांकन का एकमात्र प्रबंधन और नियंत्रण सिंडिकेट के प्रबंध एजेंट को सौंप दिया है और उसने इस तरह के प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयोग में हस्तक्षेप न करने का भी वचन दिया है। इसलिए, सिंडिकेटों के प्रबंध एजेंट दर्शाए जाने वाले बीमा लेनदेन निर्धारित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। इसलिए, इन वित्तीय विवरणों में, केवल निगमीय के लिए ही, की गई धारणाओं और निर्णयों, तथा परिसंपत्तियों और देयताओं से उत्पन्न होने वाले मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं के संबंध में प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जाते हैं।

(6) खंड रिपोर्टिंग

नीचे दी गई तालिकाएं व्यवसाय श्रेणी के अनुसार निवेश प्रतिलाभ से पहले कंपनी के बीमांकन परिणामों का विवरण देती हैं।

	2025 £000					
	लिखित सकल प्रीमियम	अर्जित सकल प्रीमियम	उपगत सकल दावे	निवल परिचालन व्यय	पुनर्बीमा शेष	कुल
दुर्घटना और स्वास्थ्य	115	102	(65)	–	11	48
मोटर – तृतीय पक्ष देयता	–	–	–	–	–	–
मोटर – अन्य श्रेणी	–	–	–	–	–	–
समुद्री, विमानन और परिवहन	(1,570)	2,361	(1,349)	(1)	(612)	399
आग और संपत्ति को अन्य क्षति	28,002	29,683	(4,956)	(11)	(18,905)	5,811
तृतीय पक्ष देयता	30,651	28,682	(14,581)	(16)	(4,832)	9,253
ऋण और ज़मानत	5,025	1,302	(632)	(1)	(459)	210
विविध	–	–	–	–	–	–
पुनर्बीमा	112,058	93,731	(36,632)	(39)	(72,849)	(15,789)
कुल	**174,281**	**155,861**	**(58,215)**	**(68)**	**(97,646)**	**(68)**

	2024 £000					
	लिखित सकल प्रीमियम	अर्जित सकल प्रीमियम	उपगत सकल दावे	निवल परिचालन व्यय	पुनर्बीमा शेष	कुल
दुर्घटना और स्वास्थ्य	105	112	(55)	–	(10)	47
मोटर – तृतीय पक्ष देयता	–	–	–	–	–	–
मोटर – अन्य श्रेणी	–	–	–	–	–	–
समुद्री, विमानन और परिवहन	8,572	6,076	(9,231)	(2)	(1,648)	(4,805)
आग और संपत्ति को अन्य क्षति	30,047	26,671	(6,546)	(7)	(26,252)	(6,134)
तृतीय पक्ष देयता	24,514	22,725	(13,405)	(11)	(2,454)	6,855
ऋण और ज़मानत	1,500	289	(134)	–	(136)	19
विविध	–	–	–	–	–	–
पुनर्बीमा	88,376	82,428	(38,539)	(23)	(39,892)	3,974
कुल	**153,114**	**138,301**	**(67,910)**	**(43)**	**(70,392)**	**(44)**

पुनर्बीमा शेष में पुनर्बीमा कमीशन और £24,798k का लाभ सहभागिता (2024: £30,500k की आय) शामिल है। सभी बीमा व्यवसायों की यूके में लॉयड्स बीमा बाज़ार में बीमांकन की जाती है, जिसे खंडीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से एक भौगोलिक खंड माना गया है।

(7) निवेश प्रतिलाभ

	2025 £000	2024 £000
निवेश से आय	6,334	4,362
निवेश पर प्राप्त लाभ	854	1,435
निवेश पर अप्राप्त लाभ/(हानि)	1,624	158
निवेश व्यय और शुल्क	(104)	(424)
निवेश प्रतिफल में पुनर्बीमाकर्ता का हिस्सा	(8,708)	(5,531)
	–	–

(8) निवल परिचालन व्यय

	2025 £000	2024 £000
अधिग्रहण लागत	(37,975)	(32,128)
आस्थगित अधिग्रहण लागत में परिवर्तन	4,612	3,811
प्रशासनिक व्यय	(12,846)	(9,952)
व्यक्तिगत व्यय	(4,851)	(4,963)
पुनर्बीमा कमीशन और लाभ सहभागिता	50,992	43,188
	(68)	(44)

निवल परिचालन व्यय, सिंडिकेटों द्वारा सीधे तौर पर किए गए व्ययों में कंपनी के हिस्से को दर्शाते हैं, जिसमें से मूल पुनर्बीमाकर्ता से इन व्ययों की वसूली घटा दी जाती है, जो आनुपातिक रूप से सिंडिकेटों से कंपनी के सभी बीमांकन व्यवसाय का पुनर्बीमा करता है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने £68k (2024: £44k) ब्रोकरेज शुल्क का भुगतान किया, जिसका भुगतान मूल पुनर्बीमाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए ओवर-राइडर से किया जाता है।

(9) सामान्य गतिविधियों पर कर-पूर्व लाभ

यह तालिका अन्य आय और शुल्कों के अंतर्गत गैर-तकनीकी खाते में सामान्य गतिविधियों पर कर-पूर्व लाभ के लिए शुल्कों (क्रेडिट) का विवरण देती है।

	2025 £000	2024 £000
व्यवसायिक शुल्क	(226)	(310)
विदेशी मुद्रा (हानि)/लाभ	(32)	(3)
निवेश आय	414	406
निवेश पर अप्राप्त लाभ	–	–
अन्य व्यय	(68)	(44)
सदस्य व्ययों के लिए पुनर्बीमाकर्ता प्रतिपूर्ति	500	500
एलओसी कमीशन	(327)	(327)
कर की चुकौती	–	–
	261	222

इन वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा के लिए स्वीकृत फीस £14,400 (2024: £9,900) है। 31 दिसंबर 2025 को कंपनी के लेखापरीक्षक को देय कुल शेष राशि (उपचित लेकिन अभी तक देय नहीं हुई फीस सहित) £14,400 (2023: £9,900) थी।

(10)सामान्य गतिविधियों के लाभ पर कर

(क) अवधि के दौरान कर प्रभार का विश्लेषण

यह तालिका अवधि के दौरान कंपनी के सामान्य गतिविधियों से लाभ पर कर प्रभार/(क्रेडिट) का सारांश प्रस्तुत करती है।

	2025 £000	2024 £000
वर्तमान कर:		
यूके निगमीय कर	65	59
दोहरे कराधान से राहत	(65)	(59)
कुल वर्तमान कर	–	–
आस्थगित कर	–	–
सामान्य गतिविधियों के लाभ पर कर	–	–

(ख) अवधि के लिए कर को प्रभावित करने वाले कारक

यह तालिका संक्षेप में दर्शाती है कि इस अवधि के लिए वर्तमान कर प्रभार/(क्रेडिट) कंपनी के सामान्य गतिविधियों से होने वाले लाभ पर मुख्य यू.के. निगम कर दर लागू करने से लगने वाले कर से भिन्न क्यों है।

	2025 £000	2024 £000
सामान्य गतिविधियों पर कर-पूर्व लाभ/हानि	**261**	**222**
निम्न का प्रभाव:		
यूके में 25% निगमीय कर (2024: 25%)	(65)	(59)
दोहरे कराधान से राहत	65	59
वर्ष के लिए कुल प्रभार	–	–

(ग) भविष्य के वर्षों में कर प्रभारों को प्रभावित करने वाले कारक

31 दिसंबर 2025 को समाप्त वर्ष के लिए यूके निगम कर की दर 25% (2024: 25%) थी।

ओईसीडी के पिलर दो मॉडल नियम, अंतर्संबंधित टॉप-अप करों की एक वैश्विक प्रणाली की शुरुआत करते हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बड़े बहुराष्ट्रीय समूह न्यूनतम आयकर का भुगतान करें। 11 जुलाई 2023 को प्रकाशित एफआरएस 102 में संशोधन, ओईसीडी के पिलर दो मॉडल नियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न आस्थगित करों के लेखांकन के लिए एक अस्थायी अपवाद प्रस्तुत करते हैं। कंपनी ने इस अपवाद का लाभ उठाया है। यूके ने एक कानून बनाया है जो 31 दिसंबर 2023 के बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए पिलर 2 समूह के अंतर्गत आने वाली यूके संस्थाओं पर लागू होगा। इस अवधि के लिए वर्तमान कर रेखा में किसी भी टॉप-अप कर का अलग से खुलासा किया जाता है और 31 दिसंबर 2025 को समाप्त अवधि में कंपनी के लिए यह शून्य है।

(11) निदेशकों का पारिश्रमिक और स्टाफिंग

निदेशकों को 2025 (2024: £शून्य) के दौरान उनकी सेवाओं के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिला।

कंपनी के पास कोई कर्मचारी नहीं है।

(12) अन्य वित्तीय निवेश

	2025 £000		2024 £000	
	बाजार मूल्य	लागत	बाजार मूल्य	लागत
शेयर और अन्य परवर्ती प्रतिलाभ प्रतिभूतियाँ	36,544	36,544	21,666	21,679
ऋण प्रतिभूतियाँ और अन्य नियत आय प्रतिभूतियाँ	128,852	127,962	105,562	105,708
ऋण और क्रेडिट संस्थानों के साथ जमा	38,696	38,696	–	–
अन्य ऋण	–	–	1,095	1,098
निवेश पूल में सहभागिता	5,518	5,407	5,083	5,065
ऋण संस्थानों के पास जमा राशि	3,623	3,623	2,300	2,300
निवेश के रूप में विदेश में जमा राशि	–	–	–	–
अन्य	4,669	4,669	2,776	2,776
कुल	**217,902**	**216,901**	**138,482**	**138,626**

सभी शेयर और अन्य परिवर्ती प्रतिलाभ प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं।

31 दिसंबर 2025 और 31 दिसंबर 2024 को धारित निवेशों को लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्शाया गया है और उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों के बीच वर्गीकृत किया गया है जो उचित मूल्य निर्धारित करते समय उपयोग किए गए इनपुट की अवलोकनीयता और महत्व को दर्शाता है।

स्तर 1

स्तर 1 के उचित मूल्यों के इनपुट सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों के लिए उद्धृत मूल्य हैं। एक सक्रिय बाजार वह होता है जिसमें परिसंपत्ति के लिए लेनदेन पर्याप्त आवृत्ति और मात्रा के साथ होते हैं ताकि निरंतर आधार पर मूल्य निर्धारण जानकारी प्रदान की जा सके। उदाहरण के लिए, सक्रिय बाजारों में सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियाँ या सक्रिय बाजारों में सूचीबद्ध इक्विटी या सक्रिय बाजारों में ऋण संस्थाओं के पास रखी गई सूचीबद्ध जमा राशियाँ हैं।

स्तर 2

स्तर 2 के उचित मूल्यों के इनपुट, स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट होते हैं जो परिसंपत्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों से प्राप्त) प्रमाणित होते हैं और उचित मूल्य का निर्धारण मॉडलों या अन्य मूल्यांकन पद्धतियों के उपयोग के माध्यम से किया जाता है। स्तर 2 के इनपुट में सक्रिय बाज़ारों में समान (अर्थात समरूप नहीं) परिसंपत्तियों के लिए उद्धृत मूल्य, उन बाज़ारों में समान या समान परिसंपत्तियों के लिए उद्धृत मूल्य जो सक्रिय नहीं हैं या जिनके बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक रूप से जारी की जाती है, सक्रिय बाज़ारों में ऋण संस्थानों के पास रखी गई असूचीबद्ध जमा राशियाँ, कम अस्थिरता वाले हेज फ़ंड जहाँ व्यापार योग्य शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य प्रकाशित होते हैं, शामिल होते हैं।

स्तर 3

स्तर 3 के उचित मूल्यों के इनपुट, परिसंपत्ति के लिए अप्रमाणित इनपुट होते हैं। अप्रमाणित इनपुट का उपयोग उचित मूल्य को मापने के लिए किया गया है जहाँ प्रमाणित इनपुट उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी स्थितियों के लिए अनुमति देते हुए जहाँ बाज़ार में बहुत कम या कोई गतिविधि नहीं होती है। अप्रमाणित इनपुट उन मान्यताओं को दर्शाते हैं, जिनके बारे में सोसायटी का मानना है कि बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति का मूल्य निर्धारण करने में उनका उपयोग करेंगे तथा ये स्वतंत्र तृतीय पक्ष साक्ष्य और आंतरिक रूप से विकसित मॉडलों के संयोजन पर आधारित हैं।

(12) अन्य वित्तीय निवेश (जारी)

नीचे दी गई तालिका पदानुक्रम के स्तर के अनुसार लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर रखे गए कंपनी के वित्तीय निवेशों को दर्शाती है।

2025 उचित मूल्य पदानुक्रम	स्तर 1 2025 £000	स्तर 2 2025 £000	स्तर 2 2025 £000	परिशोधित लागत पर रखे गए 2025 £000	कुल 2025 £000
शेयर और अन्य परिवर्ती प्रतिलाभ प्रतिभूतियाँ		42	–	–	36,545
ऋण प्रतिभूतियाँ और अन्य नियत आय प्रतिभूतियाँ	1,090	127,761	–	–	128,851
ऋण संस्थानों के पास जमा राशि	5,518				5,518
विदेश में जमा राशि	42,319	–	–	–	42,319
शेयर और अन्य परिवर्ती प्रतिलाभ प्रतिभूतियाँ	–	4,669	–	–	4,669
	85,430	**132,472**	**–**	**–**	**217,902**

2024 उचित मूल्य पदानुक्रम	स्तर 1 2024 £000	स्तर 2 2024 £000	स्तर 2 2024 £000	परिशोधित लागत पर रखे गए 2024 £000	कुल 2024 £000
शेयर और अन्य परिवर्ती प्रतिलाभ प्रतिभूतियाँ		–	1,095	–	22,760
ऋण प्रतिभूतियाँ और अन्य नियत आय प्रतिभूतियाँ	1,252	104,310	–	–	105,562
ऋण संस्थानों के पास जमा राशि	5,083	–	–	–	5,083
विदेश में जमा राशि	40	2,737	–	–	2,777
	28,040	**107,047**	**1,095**	**–**	**136,182**

(13) पूँजी और आरक्षित निधियाँ

कंपनी के पास तुलन पत्र की तिथि पर £1 के नाममात्र मूल्य वाला एक अधिकृत, जारी और पूर्णतः चुकता साधारण शेयर था। 31 दिसंबर 2025 को यह शेयर निर्गमित और प्रदत्त था।

यह तालिका इस अवधि के दौरान लाभ–हानि खाते में हुए उतार–चढ़ाव को दर्शाती है।

	2025 £000	2024 £000
वर्ष के प्रारंभ में लाभ–हानि खाता	4,971	4,749
वित्तीय वर्ष का लाभ	261	222
वर्ष के अंत में लाभ–हानि खाता	5,232	4,971

(14) तकनीकी प्रावधान और आस्थगित अधिग्रहण लागत में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा

	2025 £000	
	अनर्जित प्रीमियम के लिए प्रावधान	बकाया दावे
सकल तकनीकी प्रावधान:		
1 जनवरी 2025 को	62,624	185,971
विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर	(2,519)	(9,940)
प्रावधान में घट–बढ़	18,419	15,876
31 दिसंबर 2025 को	**78,524**	**191,907**
तकनीकी प्रावधानों में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा:		
1 जनवरी 2025 को	49,120	185,971
विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर	(6,694)	(9,940)
प्रावधान में घट–बढ़	18,419	15,876
31 दिसंबर 2025 को (i)	**60,845**	**191,907**
आस्थगित अधिग्रहण लागतें:		
1 जनवरी 2025 को	(13,504)	–
विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर	(4,175)	–
31 दिसंबर 2025 को	**(17,679)**	**–**
कुल	**–**	**–**

(i) आस्थगित अधिग्रहण लागतों का पुनर्बीमा हिस्सा, अनर्जित प्रीमियम के तकनीकी प्रावधानों के पुनर्बीमा हिस्से में शामिल है।

(15) अन्य लेनदार

	2025 £000	2024 £000
संबद्ध और समूह कंपनियों को देय राशि	183,634	203,283
अन्य को देय राशि	113	1,204
कुल	**183,747**	**204,487**

£183,465k (2024: £203,892k) की राशि कंपनी की मूल कंपनी को देय है, जिसका उपयोग लॉयड्स(''एफएएल'') (टिप्पणी 18) में निधियाँ प्रदान करने के लिए किया गया है। ये निधियाँ आसानी से उपलब्ध नहीं हैं और एफएएल जारी होने तक इस देयता का भुगतान संभव नहीं होगा। इसलिए, यह देयता एक वर्ष के भीतर आसानी से चुकाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, £1,882k (2024: £1,556k) मूल कंपनी को कमीशन के संबंध में देय है, जो लॉयड्स में प्रदान किए गए साख पत्र पर प्रभारित किया गया है

(16) निगमीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ

तुलन–पत्र में दर्शाई गई अधिकांश परिसंपत्तियाँ और देयताएं उन सिंडिकेटों की परिसंपत्तियों और देयताओं में कंपनी के हिस्से से उत्पन्न होती हैं जिनमें वह भाग लेती है। निम्नलिखित तालिका उन परिसंपत्तियों और देयताओं को दर्शाती है जो स्वयं कंपनी से संबंधित हैं:

	2025 £000	2024 £000
परिसंपत्तियाँ		
तकनीकी प्रावधानों में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा:		
अर्जित प्रीमियम के लिए प्रावधान	54,148	46,480
बकाया दावे	169,318	165,960
पुनर्बीमा परिचालनों से उत्पन्न देयताएं	45	45
जमा राशि	3,623	2,300
बैंक और हाथ में नकदी	496	1,144
आस्थगित कर परिसंपत्ति	–	–
अन्य देनदार	640	201
कुल परिसंपत्तियाँ	**228,269**	**216,130**
देयताएं		
पुनर्बीमा परिचालनों से उत्पन्न लेनदार	278,729	224,426
संबद्ध और समूह कंपनियों को देय राशि	182,499	199,462
निगम कर	505	505
अन्य लेनदार	–	–
उपचित और आस्थगित आय	38	32
कुल देयताएं	**461,771**	**424,425**

(17) निवल पोर्टफोलियो निवेश

2025 निवल पोर्टफोलियो निवेश में संचलन	1 जनवरी 2025 £000	बाजार मूल्य में परिवर्तन £000	नकदी प्रवाह £000	31 दिसंबर 2025 £000
शेयर और अन्य परिवर्ती प्रतिलाभ प्रतिभूतियाँ	21,665	–	14,880	36,545
ऋण प्रतिभूतियाँ और अन्य नियत आय प्रतिभूतियाँ	105,562	–	23,290	128,852
विदेश में जमाराशियां	2,776	–	1,893	4,669
अन्य	8,477	–	39,358	47,835
	138,480	**–**	**79,421**	**217,901**

2024 निवल पोर्टफोलियो निवेश में संचलन	1 जनवरी 2024 £000	बाजार मूल्य में परिवर्तन £000	नकदी प्रवाह £000	31 दिसंबर 2024 £000
शेयर और अन्य परिवर्ती प्रतिलाभ प्रतिभूतियाँ		–	11,581	21,665
ऋण प्रतिभूतियाँ और अन्य नियत आय प्रतिभूतियाँ	97,791	–	7,771	105,562
विदेश में जमाराशियां	2,295	–	481	2,776
अन्य	3,830	–	4,647	8,477
	114,000	**–**	**24,480**	**138,480**

(18) लॉयड्स में निधियाँ

कंपनी की मूल कंपनी, सिंडिकेट से कंपनी के सभी बीमांकन परिणामों का आनुपातिक रूप से पुनर्बीमा करती है और कंपनी के प्रति अपने पुनर्बीमा दायित्वों को संपार्श्विक बनाने के लिए लॉयड्स को £24.2 मिलियन (2024: £24.2 मिलियन) का साख पत्र प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, मूल पुनर्बीमाकर्ता ने लॉयड्स में £183.5 मिलियन (2023: £203.9 मिलियन) की निधियाँ जमा की हैं, ये राशियाँ कंपनी की तुलन पत्र में लेनदारों के अंतर्गत शामिल की गई हैं।

(19) तात्कालिक और अंतिम मूल कंपनी

कंपनी की तात्कालिक और अंतिम मूल कंपनी, भारतीय साधारण बीमा निगम है, जो भारत में पंजीकृत एक कंपनी है। अंतिम नियंत्रक पक्ष भारत सरकार है। समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की प्रतियाँ gicre.in पर प्राप्त की जा सकती हैं।

(20) सम्बद्ध पक्ष लेन–देन

मूल कंपनी, भारतीय साधारण बीमा निगम (भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली), सिंडिकेट्स से उत्पन्न कंपनी के सभी बीमांकन परिणामों का आनुपातिक रूप से पुनर्बीमा करती है। कंपनी को सम्बद्ध पक्ष लेन–देन का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये लेन–देन समूह के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों के साथ होते हैं।

(21) आकस्मिक देयताएँ

कानूनी कार्यवाही

सिंडिकेट और व्यापक समूह अपने बीमा व्यवसाय के सामान्य क्रम में नियमित रूप से विभिन्न कानूनी कार्यवाहियों में शामिल होते हैं। निदेशकों का मानना है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का कंपनी की वित्तीय स्थिति या भविष्य की लाभप्रदता पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आपत्काले रक्षिष्यामि
GIC Re

जीआईसी पेरेस्त्राखोवेनी एलएलसी

31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वार्षिक वित्तीय विवरण

अप्रैल 2026

पंजीकृत सं.:1187746936783

''जीआईसी पेरेस्त्राखोवेनी''

विषय–सूची

विषय–सूची	पृष्ठ
स्वतंत्र लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	387
परिशिष्ट	
बीमा कंपनी का तुलन–पत्र	389
बीमा कंपनी का आय विवरण	390
बीमा कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	391
बीमा कंपनी के नकदी प्रवाह का विवरण	392
बीमा कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	393

सेवा में, सीमित देयता कंपनी **''जीआईसी पेरेस्त्राखोवेनी''**

के एकमात्र भागीदार और निदेशक मंडल

राय

हमने बीमा कंपनी सीमित कंपनी ''जीआईसी पेरेस्त्राखोवेनी'' (''कंपनी'') के विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 दिसंबर 2025 को बीमा कंपनी का तुलन–पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बीमा कंपनी का आय विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय में, 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरण की 'टिप्पणी 2 – विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार' में बताए गए आधार के अनुसार तैयार किए गए हैं।

राय के लिए आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों (आईएसए) के अनुसार की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के वार्षिक वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा अनुभाग में ''लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों'' में दिया गया है। हम लेखापरीक्षकों के लिए पेशेवर आचार संहिता की नैतिक अपेक्षाओं और लेखापरीक्षा संगठनों के स्वतंत्रता नियमों, जो रूसी संघ में वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, के अनुसार और साथ ही लेखाकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचार मानक बोर्ड (आईईएसबीए संहिता) द्वारा जारी पेशेवर लेखाकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता (अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता मानकों सहित) के अनुसार भी बीमा कंपनी से स्वतंत्र हैं। हमने इन अपेक्षाओं और आईईएसबीए संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का जोर – लेखांकन का आधार और वितरण व इस्तेमाल पर रोक

हम विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 2 की ओर ध्यान दिलाते हैं, जिसमें इन विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार बताया गया है। ये विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरण 31 दिसंबर 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकमात्र सदस्य समेकित को तैयार करने के प्रयोजन से बनाए गए हैं। इसलिए, ये विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरण किसी और प्रयोजन के लिए सही नहीं हो सकते हैं। हमारा प्रतिवेदन सिर्फ़ कंपनी के एकमात्र सदस्य और निदेशक मंडल के लिए है और इसे अन्य पक्षों (कंपनी के एकमात्र सदस्य और निदेशक मंडल के अलावा) को न तो वितरित किया जाना चाहिए और न ही उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारियाँ

प्रबंधन टिप्पणी 2 – विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार में दिए गए सिद्धातों के अनुसार विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार है, और ऐसे आंतरिक नियंत्रण के लिए भी ज़िम्मेदार है जिसे प्रबंधन आवश्यक ऐसे विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए आवश्यक मानता है जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के तात्विक गलत विवरण से मुक्त हों।

विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन बीमा कंपनी की एक क्रियाशील संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहाँ लागू हो, क्रियाशील संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटन करने और लेखांकन के क्रियाशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन बीमा कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा न रखे, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल बीमा कंपनी की विशेष प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए ज़िम्मेदार है।

विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार के तात्विक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, और एक लेखापरीक्षक प्रतिवेदन जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि आईएसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा किसी तात्विक गलत विवरण का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। ग़लत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

आईएसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम:

- विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले तात्विक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन भी करते हैं, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार और कार्यान्वित करते हैं, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत विवरण या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी भी प्राप्त करते हैं ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों, लेकिन बीमा कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन भी करते हैं।
- लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा क्रियाशील प्रतिष्ठान आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष भी निकालते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई तात्विक अनिश्चितता मौजूद है जो बीमा कंपनी के क्रियाशील प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई तात्विक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वार्षिक वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण बीमा कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

हम निदेशक मंडल के साथ, अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध दायरा और समय, और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई किसी महत्वपूर्ण कमी सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में बातचीत भी करते हैं।

ओल्गा आई. वोस्त्रिकोवा,
बी 1 – ऑडिट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की ओर से कार्यरत
19 जनवरी 2026 के पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर,
इस स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा के प्रभारी भागीदार
(मुख्य पंजीकरण संख्या 2206014715)

29 अप्रैल 2026

लेखापरीक्षक का विवरण

नाम: बी 1– ऑडिट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी

5 दिसंबर 2002 को राज्य कानूनी संस्थाओं के रजिस्टर में दर्ज, राज्य पंजीकरण संख्या 1027739707203।

पता: 75 सडोवनीचेस्काया एम्बैंकमेंट, मॉस्को, 115035, रूस।

बी 1 – ऑडिट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लेखापरीक्षकों के स्व-नियामक संगठन ''सोद्रुजेस्तवो'' की सदस्य है। बी 1– ऑडिट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लेखापरीक्षकों और लेखा परीक्षा संगठनों के रजिस्टर की नियंत्रण प्रति में शामिल है, मुख्य पंजीकरण संख्या 12006020327

लेखापरीक्षित संस्था का विवरण

नाम: सीमित देयता कंपनी ''जीआईसी पेरेस्त्रोखोवेनी''

14 नवंबर 2018 को कानूनी संस्थाओं के राज्य रजिस्टर में दर्ज, राज्य पंजीकरण संख्या 1187746936783।

पता: 25, लियोन्टीव्स्की लेन, त्वर्स्कोय इंट्रासिटी म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट, मॉस्को, 125375, रूस।

बीमा कंपनी का तुलन–पत्र
यथा 31 दिसंबर 2025 को

फॉर्म 0420125. बीमा कंपनी का तुलन–पत्र **(राशि RUB'000 में)**

संकेतक	लाइन नं.	टिप्पणी	31.12.2025	31.12.2024
			4	5
खंड I. परिसंपत्तियाँ	53		x	x
नकदी और नकदी समतुल्य	1	5	1,167,306	500,523
ऋण संस्थाओं और अनिवासी बैंकों के पास जमा राशि और अन्य निधियाँ	2	6	2,201,007	2,184,419
बीमा, सह–बीमा और पुनर्बीमा से प्राप्त होने वाली प्राप्य राशियाँ	6	10	123,481	194,211
ऋण, रखी गई अन्य निधियाँ और अन्य प्राप्य राशियाँ	8	12	1,040	1,040
गैर–जीवन बीमा आरक्षित निधि में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा	11	15	2,519,576	2,115,501
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	17	21	30,730	27,148
परिसंपत्ति और लिखत और उनमें पूंजी निवेश	18	22	9,999	19,323
आस्थगित अधिग्रहण लागतें	19	23	11,102	6,336
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	21	58	7,499	29,427
अन्य परिसंपत्तिया	22	24	3,410	3,784
कुल परिसंपत्तियाँ	**23**		**6,075,150**	**5,081,712**
खंड II. देयताएँ			x	x
जुटाए गए ऋण और अन्य निधियाँ	25	27	12,122	21,058
बीमा, सह–बीमा और पुनर्बीमा से उत्पन्न देयताएँ	28	30	1,659,436	1,314,187
गैर–जीवन बीमा आरक्षित निधियाँ	33	15	2,621,842	2,190,875
आस्थगित अधिग्रहण आय	35	23	16,543	19,981
वर्तमान आयकर देयता	36	58	19,494	8,465
आस्थगित कर देयताएँ	37	58	62,520	52,988
अन्य देयताएँ	39	35	4,408	5,419
कुल देयताएँ	**40**		**4,396,365**	**3,612,973**
खंड III. इक्विटी	55		x	x
शेयर पूँजी	41	36	600,000	600,000
अतिरिक्त चुकता पूँजी	42	36	749,922	692,710
प्रतिधारित आय (अप्रयुक्त हानि)	50		328,863	176,029
कुल इक्विटी	**51**		**1,678,785**	**1,468,739**
कुल इक्विटी और देयताएँ	**52**		**6,075,150**	**5,081,712**

वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी	सीईओ		दमित्री व्लॉदिमिरोविच गार्मश
29.04.2026	(पद)	(हस्ताक्षर)	(मुद्रित नाम)

बीमा कंपनी का आय विवरण

वर्ष 2025 के लिए

फॉर्म 0420126. :रिपोर्टिंग अवधि के लिए बीमा कंपनी का आय विवरण **(राशि RUB'000 में)**

संकेतक	लाइन नं.	टिप्पणी	01.01.2025 – 31.12.2025	01.01.2024 – 31.12.2024
			4	5
खंड I. बीमा गतिविधियाँ	55		x	x
उपखंड 1. जीवन बीमा	56		x	x
उपखंड 2. गैर–जीवन बीमा	57		x	x
अर्जित बीमा प्रीमियम, पुनर्बीमा को घटाकर, जिनमें शामिल हैं:	8	44	50,697	36,955
बीमा, सह–बीमा और पुनर्बीमा के अंतर्गत बीमा प्रीमियम	8.1	44	1,181,509	928,699
अर्पण किया गया प्रीमियम	8.2	44	(1,125,329)	(882,522)
अर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि में परिवर्तन	8.3		(33,429)	(169,888)
अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि में पुनर्बीमाकर्ताओं के हिस्से में परिवर्तन	8. 4		27,946	160,666
पुनर्बीमा को घटाकर किए गए दावे, जिनमें शामिल हैं:	9	45	(47,354)	(14,164)
बीमा, सह–बीमा और पुनर्बीमा के अंतर्गत भुगतान किए गए दावे	9.1	45	(698,998)	(273,481)
हानि समायोजन व्यय	9.2	45	(8,456)	(8,062)
भुगतान किए गए दावों में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा	9.3		681,509	266,644
हानि आरक्षित निधि में परिवर्तन	9.4	45	(397,538)	(703,077)
हानि आरक्षित निधि में पुनर्बीमाकर्ताओं के हिस्से में परिवर्तन	9.5	45	376,129	703,811
प्रतिगमन, प्रतिस्थापन और अन्य प्रतिपूर्ति से आय – निवल पुनर्बीमा	9. 6	45	–	1
पुनर्बीमा को घटाकर पॉलिसी प्रशासन व्यय, जिनमें शामिल हैं:	10	46	35,223	19,983
अधिग्रहण लागत	10.1	46	(35,770)	(33,836)
पुनर्बीमा अनुबंधों पर पुनर्बीमा कमीशन	10.2		62,789	59,562
आस्थगित अधिग्रहण लागत और आय में परिवर्तन	10.3	46	8,204	(5,743)
अन्य गैर–जीवन बीमा आय	12	48	21,330	102,325
अन्य गैर–जीवन बीमा व्यय	13	48	(41,469)	(29,593)
गैर–जीवन बीमा का परिणाम	14		18,427	115,506
बीमा गतिविधियों से कुल लाभ घटा हानि (हानि घटा लाभ)	15		**18,427**	**115,506**
खंड II. निवेश गतिविधियाँ	58		x	x
ब्याज आय	16	49	407,446	336,489
विदेशी मुद्राओं में लेनदेन से लाभ घटा हानि (हानि घटा लाभ)	20		6,446	(4,717)
निवेश गतिविधियों से कुल लाभ घटा हानि (हानि घटा लाभ)	22		**413,892**	**331,772**
खंड III. अन्य परिचालन आय और व्यय	59		x	x
सामान्य और प्रशासनिक व्यय	23	54	(151,160)	(118,872)
ब्याज व्यय	24	55	(2,227)	(2,997)
अन्य आय	27	57	2,668	1,467
अन्य परिचालन गतिविधियों से कुल आय (व्यय)	29		(150,719)	(120,402)
कर–पूर्व लाभ (हानि)	30		281,600	326,876
आयकर लाभ (व्यय), जिसमें शामिल हैं:	31	58	(71,554)	(71,244)
वर्तमान आयकर लाभ (व्यय)	31.1	58	(40,094)	(8,465)
आस्थगित आयकर लाभ (व्यय)	31.2	58	(31,460)	(62,779)
कर–पश्चात लाभ (हानि)	33		210,046	255,632
धारा IV. अन्य व्यापक आय	60		x	x
रिपोर्टिंग अवधि के लिए कुल व्यापक आय (व्यय)	54		**210,046**	**255,632**

वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी	सीईओ		दमित्री व्लॉदिमिरोविच गार्मश
29.04.2026	(पद)	(हस्ताक्षर)	(मुद्रित नाम)

बीमा कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
वर्ष 2025 के लिए

फॉर्म 0420127. बीमा कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(राशि RUB'000 में)

संकेतक	लाइन सं	टिप्पणी	शेयर पूंजी	अतिरिक्त प्रदत्त पूंजी	प्रतिधारित आय (अपूरित हानि)	कुल
			1	2	10	11
पिछली रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष राशि	1		600,000	692,710	(79,603)	1,213,107
पिछली रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष राशि – पुन: वर्णित	4		600,000	692,710	(79,603)	1,213,107
कर पश्चात लाभ (हानि)	5		–	–	255,632	255,632
पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि	13.1		600,000	692,710	176,029	1,468,739
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष राशि	14		600,000	692,710	176,029	1,468,739
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष राशि – पुन: वर्णित	17		600,000	692,710	176,029	1,468,739
कर पश्चात लाभ (हानि)	18		–	–	210,046	210,046
इक्विटी शेयरधारकों से अन्य अंशदान और उन्हें वितरण	25		–	57,212	(57,212)	ड्ड
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि कुल	27		600,000	749,922	328,863	1,678,785

वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी	सीईओ		दमित्री व्लॉदिमिरोविच गार्मश
29.04.2026	(पद)	(हस्ताक्षर)	(मुद्रित नाम)

बीमा कंपनी के नकदी प्रवाह का विवरण

वर्ष 2025 के लिए

फॉर्म 0420128. बीमा कंपनी के नकदी प्रवाह का विवरण **(राशि RUB'000 में)**

संकेतक	लाइन नं.	टिप्पणी	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
खंड I. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	35			
प्राप्त गैर–जीवन बीमा और पुनर्बीमा प्रीमियम	3		1,094,047	855,845
भुगतान किए गए गैर–जीवन बीमा और पुनर्बीमा के अंतर्गत दावे	7		(609,328)	(258,463)
भुगतान की गई अधिग्रहण लागतें	11		(8,035)	(9,735)
भुगतान की गई हानि समायोजन व्यय	12		(7,280)	(7,574)
प्राप्त ब्याज	21		414,258	276,728
कर्मचारियों को वेतन और अन्य पारिश्रमिक भुगतान	23		(42,720)	(40,141)
भुगतान किए गए प्रशासनिक और अन्य परिचालन व्यय	24		(99,467)	(61,957)
भुगतान किया गया आयकर			(29,064)	(6,654)
परिचालन गतिविधियों से अन्य नकदी प्रवाह	26		(8,470)	5,163
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	27		703,941	753,212
खंड II. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	37		x	x
ऋण संस्थानों और अनिवासी बैंकों के पास जमा और अन्य निधियों के प्लेसमेंट और क्लोजर से भुगतान घटाकर आय (भुगतान घटाकर आय)	41		(23,500)	(248,700)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	45		(23,500)	(248,700)
खंड III. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह	38		x	x
पट्टा देनदारियों की चुकौती	53.1		(13,758)	(11,601)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	56		(13,758)	(11,601)
रिपोर्टिंग अवधि के लिए निवल नकदी प्रवाह	57		666,683	492,911
रूबल के मुकाबले विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव	58			(36)
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य शेष	59		498,427	5,552
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य शेष	60		1,165,110	498,427

वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी	सीईओ		दमित्री व्लॉदिमिरोविच गार्मश
29.04.2026	(पद)	(हस्ताक्षर)	(मुद्रित नाम)

टिप्पणी 1. बीमाकर्ता का परिचालन परिवेश

प्रकटन अपेक्षाएं	लाइन नं.	विवरण
वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। बाह्य घटनाक्रम और उनके प्रति प्रतिक्रिया	1	2025 में, भू-राजनीतिक स्थिति और उससे जुड़े प्रतिबंध, साथ ही स्थूल आर्थिक, सूक्ष्म-आर्थिक और संरचनात्मक बदलाव आर्थिक माहौल को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बने रहे। बीमा और पुनर्बीमा बाजारों पर उनका प्रभाव, हमेशा की तरह, अप्रत्यक्ष रहा और मात्रात्मक रूप से उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। हालाँकि, गुणात्मक नज़रिए से यह महत्वपूर्ण बना रहा। 2023-2024 के अंत तक, यह देखा जा सकता है कि रूसी पुनर्बीमा बाजान ने काफी हद तक अपना नया रूप ले लिया है और नई हकीकत के हिसाब से स्वयं को ढाल लिया है, क्योंकि इसने 2022 के वैश्विक बदलावों, पहलों और परिवर्तनों के बाद शुरुआती 12 महीनों का चक्र पूरा कर लिया है। इनमें जेएससी रशियन नेशनल री-इंश्योरेंस कंपनी (ठछठउ) की प्रमुख स्थिति से पैदा हुई नई बाजार व्यवस्था और प्रक्रियाएँ, विनियाम घटनाक्रम (बिनियम सं. 781-झ, जिसे बाद में आईएफआरएस 17 से प्रतिस्थापित कर दिया गया), और साथ ही कुछ विदेशी क्षेत्रों के बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं और बीमा ब्रोकरों के साथ लेन-देन पर प्रतिबंध शामिल हैं। कंपनी इन घटनाक्रमों के साथ-साथ स्थूल और सूक्ष्म आर्थिक स्थितियों में व्यापक बदलावों का अपने कामकाज, वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन पर पड़ने वाले असर का आकलन करना जारी रखे हुए है। प्रबंधन का मानना है कि कंपनी के पास अपने कामकाज को जारी रखने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और वह बदलते हुए कामकाजी माहौल के हिसाब से अपने कारोबार को और ढालने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

टिप्पणी 2. विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

प्रकटन अपेक्षाएं	लाइन नं.	विवरण
		1
बीमाकर्ता को वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए	1	ये विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरण (इसके बाद, ''वित्तीय विवरण'') 3 में निर्दिष्ट लेखांकन नियमों, महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमानों और लेखांकन नियमों को लागू करने में लिए गए निर्णयो के आधार पर तैयार किए गए हैं। इनका प्रयोजन 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मूल कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में मदद करना है। कंपनी अपने लेखा रिकॉर्ड रखती है और रूसी लेखांकन कानूनों और संबंधित निर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करती है। ये वित्तीय विवरण लेखा रिकॉर्ड के आधार पर तैयार किए गए हैं और टिप्पणी 3 में बताए गए वित्तीय विवरण नियमों, महत्वपूर्ण वित्तीय विवरण अनुमानों और लेखांकन नियमों को लागू करने में लिए गए निर्णयों के साथ तालमेल बिठाने के लिए इनमें ज़रूरी बदलाव किए गए हैं। रूसी लेखांकन कानूनों और संबंधित निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए अपने वित्तीय विवरणों में बीमा और पुनर्बीमा अनुबंधों के लेखांकन के लिए, कंपनी 1 जनवरी 2025 से आईएफआरएस 17 'बीमा अनुबंध में बताए गए लेखांकन सिद्धांतों को लागू करती है। इन वित्तीय विवरणों के लिए, बीमा और पुनर्बीमा अनुबंधों के लेखांकन नीति उन लेखांकन सिद्धांतों को दर्शाती हैं जिन्हें कंपनी पहले लागू करती थी, और जो आईएफआरएस 4 के अनुरूप हैं।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त अनुमान आधार	2	वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय नीचे दी गई लेखांकन नीतियों में प्रकट किए गए।
तुलनात्मक राशियों के पुनर्वर्गीकरण का कारण	3	लागू नहीं
तुलनात्मक राशियों के पुनर्वर्गीकरण की प्रकृति (पिछली रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत की जानकारी सहित)	4	लागू नहीं
पुनर्वर्गीकरण के अधीन प्रत्येक मद (मदों का वर्ग) की राशि	5	लागू नहीं
पिछली रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत की जानकारी पर पूर्वव्यापी अनुप्रयोग (पूर्वव्यापी पुनर्कथन या पुनर्वर्गीकरण) का महत्वपूर्ण प्रभाव	6	लागू नहीं

टिप्पणी 3. लेखांकन सिद्धांतों का सारांश, महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और लेखांकन नीतियों को लागू करने में निर्णय

प्रकटन अपेक्षाएं	लाइन नं.	विवरण
		1
लेखांकन सिद्धांतों का सारांश, महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और लेखांकन नीतियों को लागू करने में निर्णय	1	x
अनुभाग ।. अनुमानों और धारणाओं का प्रभाव	2	x
प्रबंधन द्वारा लेखांकन नीति लागू करते समय लिए गए वे निर्णय (अनुमानों से जुड़े निर्णयों के अलावा) जिनका वित्तीय विवरण में दर्ज की गई राशियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।	1	कंपनी ऐसे अनुमान और धारणाएँ बनाती है जो वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों और अगली रिपोर्टिंग अवधि में परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि, दोनों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन के अनुभव और अन्य कारकों, जिनमें भविष्य की घटनाओं की अपेक्षाएँ भी शामिल हैं, जिन्हें परिस्थितियों के अनुसार उचित माना जाता है, के आधार पर अनुमानों और धारणाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।
दर्शाई गई परिसंपत्तियों और देनदारियों पर अनुमानों और धारणाओं का प्रभाव (वित्तीय विवरणों की मदों को निर्दिष्ट करें, कौन सी राशियाँ व्यावसायिक अनुमानों और धारणाओं से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं और इस पर टिप्पणी प्रदान करें कि व्यावसायिक निर्णय इन मदों के मूल्यांकन को कैसे प्रभावित करते हैं)	2	वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों और अनुमानों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले निर्णय, जो अगली वित्तीय अवधि में परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि में महत्वपूर्ण समायोजन का कारण बन सकते हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं: –बीमा अनुबंध देनदारियों का अनुमान: सभी अनुबंध देयता पर्याप्तता परीक्षण के अधीन हैं, जो प्रबंधन के भविष्य के नकदी प्रवाह के सर्वोत्तम वर्तमान अनुमान को दर्शाता है। –हानि आरक्षित निधि में परिवर्तन: वित्तीय विवरण बीमा आरक्षित निधि को दर्शाते हैं जिन्हें सर्वोत्तम अनुमान सिद्धांत के अनुसार मापा गया था। –कर कानून– रूसी कर कानून अलग–अलग व्याख्याओं के अधीन है। रूसी कर कानून की जटिलता को देखते हुए, आयकर देनदारियों की राशि का निर्धारण कुछ हद तक निर्णय का विषय है। कर राशि निर्धारित करने में कंपनी के प्रबंधन द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों को कर अधिकारियों द्वारा चुनौती दी जा सकती है। कंपनी उन कर देनदारियों को पहचानती है जो आकस्मिक कर देनदारियों के अनुमान के आधार पर कर लेखा परीक्षा के बाद उत्पन्न हो सकती हैं। 31 दिसंबर, 2025 को , प्रबंधन का मानना है कि प्रासंगिक कानून की उसकी व्याख्या उचित है और कंपनी की कर स्थिति बनी रहेगी।
जीवन बीमा अनुबंधों के अंतर्गत देयताओं को मापने में प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक धारणाएं	3	लागू नहीं

प्रकटन अपेक्षाएं	लाइन नं.	विवरण
गैर–जीवन बीमा अनुबंधों के अंतर्गत देयताओं को मापने में प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक धारणाएं	4	कंपनी आईएफआरएस 4, जिसे 1 जनवरी 2025 सं प्रभावी आईएफआरएस 17 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, में दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए बीमा आरक्षित निधियाँ बनाती है। सर्वोत्तम अनुमान सिद्धांत के अनुसार बीमा आरक्षित निधियों की राशि निर्धारित करते समय, कंपनी यह मानती है कि: – सभी संपन्न पुनर्बीमा अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले भावी व्ययों में बीमित घटनाओं के घटित होने पर भुगतान, व्यावसायिक व्यय, दावा निपटान के व्यय, अनुबंध समाप्ति से संबंधित व्यय और अन्य व्यय शामिल हैं; – सभी संपन्न अनुबंधों से उत्पन्न होने वाली भावी आय में बीमा प्रीमियम और अन्य आय शामिल हैं; – बीमा आरक्षित निधियों का सर्वोत्तम अनुमान पुनर्बीमा परिचालनों और बीमा गतिविधियों से संबंधित अन्य परिचालनों के प्रभाव को ध्यान में रखे बिना दर्ज किया जाता है जो बीमाकर्ता के व्ययों, जैसे कि प्रत्यायोजन और आश्रय दावों से आय, साथ ही बीमित संपत्ति और/या अवशिष्ट मूल्य की प्राप्ति से आय की भरपाई करते हैं। कंपनी वित्तीय विवरणों में बीमा आरक्षित निधियों को सर्वोत्तम अनुमान से कम राशि में दर्शाती है। गैर–जीवन बीमा अनुबंधों के तहत देनदारियों को मापने में उपयोग की जाने वाली प्रमुख बीमांकिक धारणाएं इस प्रकार हैं: – सभी आरक्षित समूहों के लिए आवक पुनर्बीमा अनुबंधों के तहत अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि की गणना इस धारणा के आधार पर की जाती है कि पुनर्बीमा अनुबंध/जोखिम वहन अवधि की वैधता अवधि के दौरान किसी भी समय कोई बीमित घटना घट सकती है; – चूंकि रिपोर्टिंग तिथि पर देय आवक पुनर्बीमा अनुबंध के तहत प्रत्येक हानि की राशि कंपनी के कर्मचारियों द्वारा रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध हानि की जानकारी के आधार पर निर्धारित की जाती है, इसलिए किसी भी धारणा को लागू करना आवश्यक नहीं है; – कंपनी हुई लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई हानियों के आरक्षित निधि के मूल्यांकन के लिए भुगतान विकास त्रिकोणों पर बोर्नह्यूटर–फर्ग्यूसन विधि लागू करती है, – उपगत किंतु रिपोर्ट न किए गए (IBNR) दावे की आरक्षित निधि के लिए, यह माना जाता है कि कंपनी की देनदारियों का अनुमान लगाने के लिए मूल कंपनी के आँकड़ों पर आधारित हानि विकास कारक, दावा रिपोर्टिंग लैग और हानि अनुपात लागू होते हैं। यह एक बुनियादी मान्यता है, जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है क्योंकि कंपनी अपना डेटा इकट्ठा करती है, और उसी के अनुसार कार्यप्रणाली में बदलाव किए जाते हैं। एक और मुख्य मान्यता यह है कि विश्लेषण किए गए पोर्टफोलियो में भुगतान किए गए दावे का विकास इतना स्थिर है कि बीमांकिक तरीके अपनी अनुमान लगाने की क्षमता बनाए रखते हैं।
		– यह अनुमान सबसे कमज़ोर है, क्योंकि दावे के विकास में काफ़ी उतार–चढ़ाव होता है, और इसलिए आरक्षित निाधि के कम या ज़्यादा आँकलन का जोखिम काफ़ी ज़्यादा होता है। इस अनुमान के साथ एक और बात जोड़ी गई है कि बाहरी बदलावों (आर्थिक और राजनीतिक) और उनके कारण हुए अंदरूनी बिज़नेस बदलावों (जैसे विमानन पुनर्बीमा से लगभग पूरी तरह हटना, पुनर्बीमा अनुबंधों को विदेशी मुद्रा के बजाय रूसी रूबल में बदलना, और अंडरराइटिंग प्रक्रियाओं को सख़्त करना) की वजह से मानदंडों (मुख्य रूप से हानि अनुपात) के अनुमानों में बदलाव आया है; अब पिछली रिपोर्टिंग तारीखों के अनुमानों की तुलना में हाल के समय के आँकड़ों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। सरल हानि अनुपात पद्धति का एक मुख्य अनुमान यह है कि मौजूदा और पिछले अंडरराइटिंग पोर्टफोलियो की तुलना की जा सकती है– यह तुलना अर्जितप्रीमियम के आधार पर प्रत्याशित हानि की मात्रा के संदर्भ में की जाती है, और इसमें उनके वास्तविक विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

प्रकटन अपेक्षाएं	लाइन नं.	विवरण
		– हानि समायोजन व्यय हेतु आरक्षित निधि की गणना इस धारणा के आधार पर की जाती है कि इन व्ययों की संरचना और मात्रा, वर्तमान लाइसेंस के अंतर्गत पुनर्बीमा गतिविधियों को जारी रखने के कारण, वर्तमान मूल्यों से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं होगी। यह अनुमान कंपनी के व्ययों के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित था, जो दावा किए गए नुकसानों, उनके निपटान और रिपोर्टिंग तिथि से पहले के वर्ष के लिए अनुबंधों के तहत भुगतान की राशि के निर्धारण से संबंधित थे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्ययों के लिए हानि समायोजन व्यय हेतु आरक्षित निधि की गणना करने के लिए, यह धारणा लागू की गई थी कि रिपोर्टिंग तिथि पर निपटाए न गए नुकसानों के लिए, हानि की प्रति इकाई निपटान की लागत, रिपोर्टिंग तिथि से पहले की रिपोर्टिंग अवधियों के लिए किए गए समायोजन व्यय और भुगतानों के अनुपात के औसतन बराबर होगी; – यदि अर्जित प्रीमियम कंपनी की भविष्य के दावों के भुगतान, इन दावों के निपटान पर होने वाले व्यय और मौजूदा बीमा अनुबंधों की सेवा पर होने वाले भविष्य के व्यय से संबंधित देनदारियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं, तो असमाप्त जोखिम आरक्षित निधि बनाई जाती है। सामान्यतः, असमाप्त जोखिम आरक्षित निधि बनाने की आवश्यकता का विश्लेषण इस धारणा के आधार पर किया गया था कि कंपनी अगली रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपने परिचालन बंद नहीं करेगी। असमाप्त जोखिम आरक्षित निधि की राशि का अनुमान पिछले अनुभव, हानि अनुपात संबंधी धारणाओं (हानि समायोजन व्यय सहित) और वर्तमान पोर्टफोलियो के प्रबंधन हेतु व्यय के स्तर के आधार पर लगाया जाता है। आरक्षित निधि की राशि का निर्धारण समग्र रूप से कंपनी के लिए असमाप्त जोखिम आरक्षित निधि अनुमान की पर्याप्तता की समीक्षा करके किया जाता है।
वित्तीय लिखतों को मापने के प्रमुख दृष्टिकोण	5	कंपनी के पास उचित मूल्य पर मापे गए कोई वित्तीय लिखत नहीं हैं।
विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित परिसंपत्तियों और देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन	6	कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा रूसी संघ की राष्ट्रीय मुद्रा, रूसी रूबल है। प्रारंभिक मान्यता के समय, विदेशी मुद्राओं में लेन–देन से उत्पन्न आय और व्यय, साथ ही परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता की तिथि पर आधिकारिक विनिमय दर पर संबंधित विदेशी मुद्रा के रूबल समकक्ष में परिवर्तित किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों को बाद में रिपोर्टिंग तिथि पर आधिकारिक विनिमय दर पर संबंधित विदेशी मुद्रा के रूबल समकक्ष में परिवर्तित किया जाता है। गैर–मौद्रिक मदें, जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनः घोषित नहीं की जाती हैं। गैर–मौद्रिक मदें, जिन्हें विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापा जाता है, उन्हें उचित मूल्य मापे जाने की तिथि पर आधिकारिक विनिमय दर पर संबंधित विदेशी मुद्रा के रूबल समकक्ष में परिवर्तित किया जाता है।
क्रियाशील संस्था	7	वित्तीय विवरण इस धारणा के आधार पर तैयार किए गए हैं कि कंपनी निकट भविष्य में या वित्तीय विवरण तैयार करने की तिथि से कम से कम 12 महीनों तक परिचालन करती रहेगी। इस प्रकार, कंपनी का न तो इरादा है और न ही अपनी गतिविधियों के पैमाने को भौतिक रूप से समाप्त या कम करने की आवश्यकता है।
रूसी रूबल की सामान्य क्रय शक्ति में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पिछली अवधियों के मदों का पुनर्कथन	7.1	लागू नहीं
खंड ।।।. लेखांकन नीतियों के सिद्धांत जो वित्तीय विवरणों को समझने के लिए उपयुक्त हैं। वित्तीय लिखतों के मापन के लिए निर्धारण मानदंड और आधार	14	x

प्रकटन अपेक्षाएं	लाइन नं.	विवरण
नकदी और नकदी समतुल्य के मापन के लिए निर्धारण मानदंड और आधार	10	नकदी और नकदी समतुल्य वे मदें होती हैं जिन्हें आसानी से नकदी की ज्ञात राशियों में परिवर्तित किया जा सकता है और जिनके मूल्य में नगण्य परिवर्तन होते हैं। नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल हैं: – हाथ में नकदी; – निपटान खातों में नकदी शेष; – निपटान खातों में न्यूनतम शेष राशि जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने से कम है। जिन राशियों के उपयोग पर तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई प्रतिबंध है, उन्हें नकदी और नकदी समतुल्य से बाहर रखा जाता है और कंपनी के वित्तीय विवरणों में जमा और ऋणदाता संस्थानों के पास रखी गई अन्य निधियों के रूप में दर्शाया जाता है। नकदी और नकदी समतुल्य को परिशोधित लागत पर रखा जाता है।
ऋण संस्थाओं और अनिवासी बैंकों के पास रखी गई जमाराशियों और अन्य निधियों के मापन के लिए निर्धारण मानदंड और आधार	11	किसी ऋण या बैंक जमा करार के तहत वितरित (रखी गई) नकदी, अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक (आईएएस) 39 वित्तीय लिखत : निर्धारण और मापन के अनुसार परिशोधित लागत पर रखी जाती है।
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रारंभिक और अनुवर्ती निर्धारण	12	31 दिसंबर, 2025 और 31 दिसंबर, 2024 को, कंपनी के पास लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई कोई वित्तीय परिसंपत्ति नहीं थी।
बिक्री के लिए उपलब्ध वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रारंभिक और अनुवर्ती निर्धारण	13	31 दिसंबर, 2025 और 31 दिसंबर, 2024 को कंपनी के पास बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत कोई वित्तीय परिसंपत्ति नहीं थी।
परिपक्वता तक धारित वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रारंभिक और अनुवर्ती निर्धारण	14	31 दिसंबर, 2025 और 31 दिसंबर, 2024 को कंपनी के पास परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत कोई वित्तीय परिसंपत्ति नहीं थी।
अन्य रखी गई निधियों और प्राप्य राशियों का प्रारंभिक और अनुवर्ती निर्धारण	15	अन्य रखी गई निधियों और प्राप्य राशियों की श्रेणी में दर्शाई गई परिसंपत्तियाँ गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं जिनके भुगतान निश्चित या निर्धारित होते हैं और जिन्हें किसी सक्रिय बाज़ार में उद्धृत नहीं किया जाता है। प्रारंभिक मान्यता पर, इन परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उचित मूल्य और अधिग्रहण लागत के आधार पर किया जाता है। प्रारंभिक माप के बाद, रखी गई निधियों और प्राप्य राशियों को प्रभावी ब्याज पद्धति से हानि भत्ते को घटाकर परिशोधित लागत पर रखा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि के रूप में तब दर्शाया जाता है जब रखी गई निधियों और प्राप्य राशियों को दर्शाया नहीं जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, साथ ही परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी। अन्य रखी गई निधियों और प्राप्य राशियों का परिशोधित लागत पर रखी गई परिसंपत्तियों की क्षति की प्रक्रिया के अनुसार क्षति के लिए परीक्षण किया जाता है।
सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों में निवेश का प्रारंभिक और अनुवर्ती निर्धारण	16	31 दिसंबर, 2025 और 31 दिसंबर, 2024 को कंपनी का सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों में कोई निवेश नहीं है।
अन्य परिसंपत्तियों का प्रारंभिक और अनुवर्ती निर्धारण	17	अन्य परिसंपत्तियों में इन्वेंट्री, निपटान या पुरोबंध व्यवस्था के तहत प्राप्त श्रम के साधन और विषय, बीमित परिसंपत्ति के हक के पॉलिसीधारक (लाभार्थी) के अधित्याग के माध्यम से प्राप्त परिसंपत्ति और/या निस्तारण वसूलियां शामिल हैं। इन्वेंट्री को शुरू में उनके वास्तविक अधिग्रहण लागत पर दर्शाया जाता है। इसके बाद इन्वेंट्री को लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के निम्नतर पर मापा जाता है। जब वस्तुओं को निपटान या पुरोबंध व्यवस्था के तहत प्राप्त श्रम के साधन के रूप में दर्शाया जाता है, तो कंपनी उन्हें उचित मूल्य में से बेचने की लागत घटाकर मापती है। जब वस्तुओं को निपटान या पुरोबंध व्यवस्था के तहत प्राप्त श्रम के विषयों के रूप में दर्शाया जाता है, तो कंपनी उन्हें अनुमानित मूल्य पर मापती है जिस पर वस्तुओं को बेचने की लागत घटाकर बेचा जा सकता है (निवल वसूली योग्य मूल्य)।

प्रकटन अपेक्षाएं	लाइन नं.	विवरण
		निपटान या पुरोबंध व्यवस्था के तहत प्राप्त श्रम के साधनों को दर्शाने की तिथि पर ऐतिहासिक लागत और उचित मूल्य में से बेचने की लागत घटाकर जो भी कम हो, उस पर मापा जाता है। निपटान या पुरोबंध व्यवस्था के तहत प्राप्त श्रम के विषयों को दर्शाने की तिथि पर लागत और अनुमानित मूल्य जिस पर वस्तुओं को प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में बेचने की लागत (निवल वसूली योग्य मूल्य पर) घटाकर बेचा जा सकता है, में से जो भी कम हो, उस पर मापा जाना चाहिए। बीमित परिसंपत्ति के हक के पॉलिसीधारक (लाभार्थी) के अधित्याग के माध्यम से प्राप्त परिसंपत्ति वस्तुओं और/या अवशिष्ट मदों को शुरू में अनुमानित बिक्री कीमत में से बिक्री की लागत घटाकर (निवल वसूली योग्य मूल्य) दर्ज किया जाता है। इसके बाद, हर रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में, उन्हें उनकी वहन राशि और निवल वसूली–योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस कीमत पर मापा जाता है।
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देनदारियों का प्रारंभिक और अनुवर्ती निर्धारण	18	कंपनी अपने वित्तीय स्थिति विवरण में वित्तीय दायित्व को तभी दर्शाती है, और केवल तभी जब वह संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बनती है। उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय दायित्व के प्रारंभिक निर्धारण के बाद, कंपनी उसे उचित मूल्य पर मापती है और बाद में वहन करती है; लाभ या हानि को लाभ या हानि के माध्यम से दर्शाया जाता है। कंपनी वित्तीय स्थिति विवरण में वित्तीय दायित्व (या वित्तीय दायित्व के किसी भाग) को तभी निकालती है, और केवल तभी जब वह समाप्त हो जाता है, अर्थात, जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन हो जाता है, रद्द हो जाता है या उसकी अवधि समाप्त हो जाती है।
ऋणों और अन्य उधार ली गई निधियों का प्रारंभिक और अनुवर्ती निर्धारण	19	वित्तीय देयताओं का निर्धारण रूसी कानून के अनुसार तैयार किए गए प्राथमिक लेखा दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है। प्रारंभिक निर्धारण के समय, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए वैध ऋण या बैंक जमा करार के तहत निर्गमित (रखी) धनराशि की राशि, प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके भविष्य के नकदी प्रवाह को भुनाकर निर्धारित की जाती है। प्रारंभिक निर्धारण के बाद, ऋण या बैंक जमा करार के तहत निर्गमित (रखी) धनराशि को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर निर्धारित किया जाता है। परिशोधित लागत वह राशि होती है जिस पर प्रारंभिक निर्धारण के समय वित्तीय लिखत को दर्शाया गया था, जिसमें मूलधन की चुकौती, उपचित ब्याज और उपचित ह्रास हानि (सीधे या छूट खाते के माध्यम से) के लिए किसी भी अपलेखन को घटाया गया है। कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंतिम दिन तिमाही में कम से कम एक बार परिशोधित लागत की गणना करती है।
जारी की गई ऋण प्रतिभूतियों का प्रारंभिक और अनुवर्ती निर्धारण	20	31 दिसंबर, 2025 और 31 दिसंबर, 2024 को, कंपनी ने कोई ऋण प्रतिभूतियाँ जारी नहीं की थीं।
अन्य वित्तीय देनदारियों का प्रारंभिक और अनुवर्ती निर्धारण	21	कंपनी की अन्य वित्तीय देयताएं परिशोधित लागत पर वहन की जाती हैं।
वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की प्रतिपूर्ति	22	तुलन पत्र की मदों की प्रस्तुति के प्रयोजन के लिए, समंजन तभी किया जाता है, और केवल तभी, जब कंपनी के पास वर्तमान में निर्धारित राशियों का समंजित करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो और वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना चाहती हो या परिसंपत्ति की वसूली और देनदारियों का एक साथ निपटान करना चाहती हो। किसी वित्तीय परिसंपत्ति के अंतरण के लेखांकन में, जो दर्शाने योग्य नहीं है, कंपनी अंतरित परिसंपत्ति और संबंधित देनदारियों का समंजन नहीं करती है।
धारा IV. हेज का प्रारंभिक और अनुवर्ती निर्धारण	28	x
नकदी प्रवाह हेज (हेज के प्रकार का विवरण, हेज किए गए जोखिमों की प्रकृति, हेजिंग लिखतों के रूप में वर्गीकृत वित्तीय लिखत)	23	कंपनी किसी भी प्रकार की हेजिंग नहीं करती है।

प्रकटन अपेक्षाएं	लाइन नं.	विवरण
उचित मूल्य हेज (हेज के प्रकार का विवरण, हेज किए गए जोखिमों की प्रकृति, हेजिंग लिखतों के रूप में वर्गीकृत वित्तीय लिखत)	24	कंपनी किसी भी प्रकार की हेजिंग नहीं करती है।
विदेशी परिचालनों में शुद्ध निवेश के हेज (हेज के प्रकार का विवरण, हेज किए गए जोखिमों की प्रकृति, हेजिंग लिखतों के रूप में वर्गीकृत वित्तीय लिखत)	25	कंपनी किसी भी प्रकार की हेजिंग नहीं करती है।
खंड V. बीमा गतिविधियों से जुड़ी परिसंपत्तियों और देनदारियों, आय और व्यय का निर्धारण और मापन के आधार के मानदंड	32	x
बीमा गतिविधियाँ। बीमा अनुबंधों का निर्धारण और वर्गीकरण	26	पुनर्बीमा अनुबंध ऐसे अनुबंध होते हैं जिनके अंतर्गत कंपनी पुनर्बीमाकर्ता से महत्वपूर्ण बीमा जोखिम स्वीकार करती है और किसी निर्दिष्ट अनिश्चित भविष्य की घटना (बीमित घटना) के पुनर्बीमाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर क्षतिपूर्ति करने पर सहमत होती है। लेखांकन उद्देश्यों के लिए, किसी पुनर्बीमा अनुबंध को अल्पकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उसकी अवधि या जोखिम 12 महीने से अधिक न हो, या कुछ परिस्थितियों में बीमा प्रीमियम दर या देयता सीमा को बदलने का संविदात्मक विकल्प उपलब्ध हो। अन्य अनुबंधों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी वैकल्पिक और अनिवार्य, दोनों प्रकार की पुनर्बीमा गतिविधियों में संलग्न है। पुनर्बीमा के लिए स्वीकृत अनुबंध के अंतर्गत आय के निर्धारण की तिथि एक विशिष्ट पुनर्बीमा अनुबंध पर आधारित होती है। पुनर्बीमा के लिए स्वीकृत अनुबंधों के अंतर्गत बीमा प्रीमियमों का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि पुनर्बीमा वैकल्पिक है या अनिवार्य, आनुपातिक है या गैर-आनुपातिक, और अनुबंध अल्पकालिक है या दीर्घकालिक। पुनर्बीमा के लिए स्वीकृत वैकल्पिक अनुबंधों के अंतर्गत प्रीमियमों का निर्धारण उस तिथि को किया जाता है जिस दिन पुनर्बीमा अनुबंध के अंतर्गत देयता उत्पन्न होती है (पुनर्बीमा अवधि की शुरुआत)। यदि देयता आरंभ तिथि खुली है और पुनर्बीमा पर्ची या किसी अन्य दस्तावेज़ पर इंगित की गई है, तो प्रीमियम को ऐसे दस्तावेज़ की स्वीकृति तिथि को दर्शाया जाता है। यदि पुनर्बीमाकर्ता की संविदात्मक देयता आरंभ तिथि स्वीकृति तिथि से पहले है, तो प्रीमियम को स्वीकृति तिथि को दर्शाया जाता है। अनिवार्य करारों के लिए, मान्यता तिथि क्रमशः संविदात्मक देयता आरंभ तिथि (यदि यह निर्धारित है) या पुनर्बीमाकर्ता के खाते (बॉर्डर्यू) की स्वीकृति तिथि होती है। कंपनी पुनर्बीमा (रिट्रोसेशन) अनुबंधों को सौंपती है, जिसके अंतर्गत देयताएँ पुनर्बीमा पर आंतरिक नीति द्वारा स्थापित स्वयं प्रतिधारण की अधिकतम राशि (सीमा) से अधिक होती हैं, जिसे महानिदेशक के आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें 27 नवंबर, 1992 को रूसी संघ में बीमा व्यवसाय के संगठन पर रूसी संघ के कानून संख्या 4015-1 की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाता है। पुनर्बीमा को सौंपे गए अनुबंधों की कंपनी द्वारा निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वे महत्वपूर्ण बीमा जोखिम हस्तांतरित करते हैं। पुनर्बीमा अनुबंध महत्वपूर्ण बीमा जोखिम को स्थानांतरित करता है, यदि पुनर्बीमाकर्ता को ऐसे अनुबंधों के तहत महत्वपूर्ण हानि हो सकती है।

प्रकटन अपेक्षाएं	लाइन नं.	विवरण
आस्थगित अधिग्रहण आय और लागतों का निर्धारण, विनिर्धारण, परिशोधन। देयता पर्याप्तता परीक्षण के दौरान आस्थगित अधिग्रहण लागतों का निर्धारण	27	पुनर्बीमा अनुबंधों के अंतर्गत प्रत्यक्ष अधिग्रहण लागतों को तब दर्शाया जाता है जब मध्यस्थों के साथ संविदात्मक संबंध हों या अन्य परिस्थितियाँ किसी प्रतिफल का भुगतान करने के दायित्वों को जन्म देती हों, और तब भी जब प्रतिफल की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके। पुनर्बीमा अनुबंधों के अंतर्गत प्रत्यक्ष अधिग्रहण लागतों के निर्धारण की तिथि संबंधित पुनर्बीमा अनुबंधों के अंतर्गत बीमा प्रीमियम के निर्धारण की तिथि के अनुरूप होती है। कंपनी पुनर्बीमाकर्ता से प्राप्त पुनर्बीमा कमीशन के रूप में आय को पुनर्बीमा को हस्तांतरित अनुबंधों के अंतर्गत अधिग्रहण आय के रूप में दर्शाती है। कंपनी पुनर्बीमा को हस्तांतरित अनुबंधों के अंतर्गत पुनर्बीमा कमीशन के रूप में आय को पुनर्बीमा को हस्तांतरित अनुबंध के अंतर्गत बीमा प्रीमियम के निर्धारण की तिथि को दर्शाती है। कंपनी बीमा दलालों और अन्य मध्यस्थों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक से संबंधित प्रत्यक्ष अधिग्रहण लागतों (आय) को पूंजीकृत करती है। आस्थगित अधिग्रहण लागतों का निर्धारण आनुपातिक अस्थायी विधि से किया जाता है। आउटबाउंड पुनर्बीमा अनुबंधों के अंतर्गत आस्थगित अधिग्रहण आय को भी इसी प्रकार परिभाषित किया जाता है। यदि उन अनुबंधों के नियम और शर्तें, जिनके अंतर्गत अधिग्रहण लागतों को पहले पूंजीकृत किया गया था, बदल जाती हैं, तो आस्थगित अधिग्रहण लागतों की राशि भी संशोधित की जाती है। अप्रत्यक्ष अधिग्रहण लागतों और आय को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। कंपनी ने बीमा आरक्षित निधि के निर्माण विनियमन में पुनर्बीमाकर्ता की देनदारियों की पर्याप्तता परीक्षण के लिए प्रक्रिया को मंजूरी दी है।
प्रारंभिक निर्धारण, अनुवर्ती निर्धारण, हानि परीक्षण, बीमा, सह-बीमा और पुनर्बीमा से प्राप्तियों का विनिर्धारण	28	पुनर्बीमा अनुबंधों के अंतर्गत प्राप्तियां पुनर्बीमाकर्ता या दलाल से देय राशियों का निरूपण करती हैं जिनमें बीमा प्रीमियम से प्राप्य राशियां, प्रत्यायोजन से प्राप्य राशियां और आश्रय दावे, और बीमा दावों के संबंध में पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्य राशियां शामिल हैं। प्रारंभिक निर्धारण के बाद, प्राप्तियों की राशि को प्रतिपक्षकारों से प्राप्त नकदी से घटा दिया जाता है ताकि नकद खातों के साथ पत्राचार में देय राशियों का भुगतान किया जा सके; एक करार, बॉर्डरियो या समंजन करार के तहत प्रतिपक्षकार को कंपनी के देय राशियों के विरुद्ध समंजन की गई राशि; क्षति के लिए छूट के विरुद्ध बट्टे खाते डाला गया अशोध्य ऋण। विभिन्न पुनर्बीमा अनुबंधों के तहत परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ-साथ विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं और/या निपटान के प्रकारों के बीच एक पुनर्बीमा अनुबंध के भीतर समंजन की अनुमति नहीं है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जब कंपनी को अनुबंध, पक्षों के बीच करार, या कानून के अनुसार इस तरह के समंजन का अधिकार हो। कंपनी पुनर्बीमा परिचालनों से प्राप्तियों की क्षति के लिए जाँच करती है। मूल्यह्रास हानियों को एक छूट खाते के माध्यम से दर्शाया जाता है ताकि परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि को अपेक्षित नकदी प्रवाह (जिसमें भविष्य में न हुई ऋण हानियाँ शामिल नहीं हैं) के वर्तमान मूल्य पर बट्टे खाते में डाला जा सके, जिसे परिसंपत्ति के लिए मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट दी गई हो। पूर्ण या आंशिक वसूली के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएँ पूरी हो जाने और अंतिम हानि राशि निर्धारित हो जाने के बाद, गैर-वसूली योग्य परिसंपत्तियों को मूल्यह्रास छूट के विरुद्ध बट्टे खाते में डाला जाता है।
बीमा, सह-बीमा और पुनर्बीमा से उत्पन्न होने वाली देय राशियों का निर्धारण, अनुवर्ती निर्धारण, विनिर्धारण	29	पुनर्बीमा देय राशियों में दलालों और पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ किए गए करार, साथ ही प्रतिस्थापन और पुनर्भुगतान दावों के अंतर्गत किए गए करार शामिल हैं। देय राशियों को परिशोधित लागत पर वहन किया जाता है और प्रोद्भवन आधार पर दर्शाया जाता है। पुनर्बीमा प्राप्तियों और देय राशियों को एक ही प्रतिपक्ष के लिए समंजित किया जाता है, यदि समंजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो।
बीमा के रूप में वर्गीकृत जीवन बीमा अनुबंधों के अंतर्गत देनदारियों का निर्धारण, वर्गीकरण, मापन, अनुवर्ती निर्धारण, हानि परीक्षण, विनिर्धारण	30	कंपनी जीवन बीमा अनुबंध नहीं करती है।

प्रकटन अपेक्षाएं	लाइन नं.	विवरण
गैर–जीवन बीमा अनुबंधों के अंतर्गत देनदारियों का निर्धारण, वर्गीकरण, मापन, अनुवर्ती निर्धारण, विनिर्धारण परीक्षण	31	कंपनी बीमा अनुबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की आरक्षित निधियाँ बनाती है। अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि, सकल प्रीमियम को दर्शाता है जो आगामी रिपोर्टिंग अवधियों में अर्जित की जाएगी। अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि की गणना प्रत्येक बीमा अनुबंध के लिए आनुपातिक आधार पर अलग से की जाती है और अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि, रिपोर्टिंग तिथि से प्रभावी बीमा अनुबंधों की अनुमानित समाप्ति को घटाकर दर्ज की जाती है। अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि में परिवर्तन को उस अवधि में लाभ या हानि में दिखाया जाता है जिसमें बीमा कवरेज दिया जाता है। दावा आरक्षित निधि उन राशियों को दर्शाती है जिनका अनुमान कंपनी ने रिपोर्टिंग की तारीख तक उपगत लेकिन अभी तक निपटान नहीं हुए दावों (चाहे रिपोर्ट किए गए हों या नहीं) के पूर्ण निपटान के लिए अपेक्षित राशि के प्रावधान शामिल होते हैं, चाहे वे रिपोर्ट किए गए हों या नहीं, और संबंधित बाह्य हानि समायोजन व्ययों के लिए प्रावधान शामिल हैं। दावा आरक्षित निधि में रिपोर्ट किए गए लेकिन निपटान नहीं हुए दावों के लिए रिज़र्व, हुए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (खइइछ) दावों के लिए आरक्षित निधि और हानि समायोजन व्ययों एडजस्टमेंट खर्चों (ङअए) के लिए आरक्षित निधियां शामिल हैं। दावा आरक्षित निधि का अनुमान रिपोर्ट किए गए व्यक्तिगत दावों का विश्लेषण करके और उपगत लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए दावों के लिए प्रावधान बनाकर लगाया जाता है, जिसमें अनुमानित बाह्य और आंतरिक भविष्य की घटनाओं, जैसे बाह्य हानि समायोजन व्ययों में परिवर्तन, नियामक परिवर्तन, पिछले वर्षों के अनुभव और स्थापित प्रवृत्तियों के प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी उस तिथि तक बीमित घटनाओं से उत्पन्न दावों के पूर्ण निपटान हेतु आवश्यक अनुमानित राशि के लिए एक प्रावधान बनाती है, चाहे उन दावों की रिपोर्ट की गई हो या नहीं, जिसमें संबंधित बाह्य हानि समायोजन व्यय की राशि, पहले से भुगतान की गई राशि को घटाकर, शामिल है। इस प्रावधान को धन के समय मूल्य के लिए बट्टाकृत नहीं किया जाता है। असमाप्त जोखिम प्रावधान, असमाप्त पॉलिसियों से उत्पन्न होने वाले दावों और लागतों की एक अनुमानित राशि है। यह प्रावधान बीमा अनुबंधों के संबंध में उत्पन्न असमाप्त जोखिम के संबंध में किया जाता है, जहाँ रिपोर्टिंग तिथि पर विद्यमान बीमा पॉलिसियों की शेष अवधि के दौरान बीमा भुगतानों और हानि समायोजन व्ययों की अनुमानित राशि, ऐसी पॉलिसियों से संबंधित अनर्जित प्रीमियमों के लिए प्रावधान की राशि, सभी आस्थगित अधिग्रहण लागतों को घटाकर, से अधिक होती है। असमाप्त जोखिम प्रावधान की गणना ऐतिहासिक आँकड़ों, अनुमानित हानि दरों (हानि समायोजन व्ययों सहित), और मौजूदा बीमा पोर्टफोलियो की सेवा से संबंधित लागतों के आधार पर की जाती है। बीमा दावा भुगतान का अनुमान रिपोर्टिंग तिथि से पहले घटित घटनाओं के आधार पर लगाया जाता है। देनदारियों की पर्याप्तता परीक्षण में प्रयुक्त प्रमुख धारणाओं का वर्णन इस तालिका के इस खंड की पंक्ति संख्या 4 में किया गया है।
विवेकाधीन भागीदारी विशेषताओं वाले निवेश अनुबंधों या विवेकाधीन भागीदारी विशेषताओं के बिना निवेश अनुबंधों के रूप में वर्गीकृत जीवन बीमा अनुबंधों के अंतर्गत देयताओं का प्रारंभिक निर्धारण और अनुवर्ती निर्धारण, वर्गीकरण, देयताओं का विनिर्धारण	32	कंपनी जीवन बीमा अनुबंध नहीं करती है।
पुनर्बीमा परिसंपत्तियों का निर्धारण, मापन और विनिर्धारण, पुनर्बीमा परिसंपत्तियों की क्षति के लिए जाँच। पुनर्बीमा परिसंपत्तियों की संरचना और परिभाषा	40	कंपनी अपनी परिचालन गतिविधियों के दौरान अपने जोखिम पुनर्बीमा कंपनियों को सौंप देती है। पुनर्बीमा लेनदेन से उत्पन्न परिसंपत्तियाँ, पुनर्बीमा को सौंपी गई बीमा देनदारियों के संबंध में पुनर्बीमा कंपनियों से प्रतिपूर्ति के लिए दावों की राशि का निरूपण करती हैं। प्रतिपूर्तियों को पुनर्बीमा अनुबंधों की शर्तों के अनुसार उन विधियों का उपयोग करके मापा जाता है जो बीमा अनुबंध देनदारियों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों के अनुरूप हैं। पुनर्बीमा परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर क्षति के लिए परीक्षण किया जाता है। क्षति संकेतकों की पहचान करने और पुनर्बीमा परिसंपत्तियों की क्षति को मापने की प्रक्रिया, क्षति संकेतकों की पहचान करने और बीमा प्राप्तियों की क्षति को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया के समान है। बीमा प्रारक्षित निधि में पुनर्बीमाकर्ता के हिस्से के रूप में पुनर्बीमा परिसंपत्तियों की क्षति को उस हिस्से में कमी के रूप में दर्शाया जाता है।

प्रकटन अपेक्षाएं	लाइन नं.	विवरण
बीमा और पुनर्बीमा अनुबंधों के तहत बीमा प्रीमियम का प्रारंभिक और अनुवर्ती निर्धारण	33	वैकल्पिक पुनर्बीमा अनुबंधों के लिए प्रीमियम उस तिथि को निर्धारित किए जाते हैं जिस तिथि को कंपनी अंतर्निहित बीमा अनुबंधों के अंतर्गत जोखिम ग्रहण करती है और बीमा अनुबंध की अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर अर्जित होते हैं। यदि पुनर्बीमा अनुबंध के अंतर्गत जोखिम आरंभ तिथि पुनर्बीमा अनुबंध स्वीकृति तिथि से पहले है, तो आय के निर्धारण की तिथि को स्वीकृति तिथि माना जाएगा। आनुपातिक संधि पुनर्बीमा अनुबंध के तहत प्रीमियम को उस तारीख को दर्शाया जाता है है जब बीमाकर्ता से मिले प्रीमियम बॉर्डरॉ (खाते का विवरण) में निर्दिष्ट राशि को मंज़ूरी दी जाती है। गैर–आनुपातिक संधि पुनर्बीमा अनुबंधों के तहत प्रीमियम को आय के रूप में दिखाया जाता है और इस तरह से उपचित होता है: न्यूनतम जमा प्रीमियम को अनुबंध में निर्दिष्ट राशि के आधार पर पुनर्बीमा अनुबंध शुरू होने की तारीख पर आय के रूप में दिखाया जाता जाता है। पुनर्स्थापन प्रीमियम को तब दिखाया जाता है जब उन्हें पाने का अधिकार बनता है, बशर्ते पुनर्बीमा अनुबंध में ऐसे भुगतान का प्रावधान हो। कंपनी किसी पुनर्स्थापन प्रीमियम को तब दर्शाती है जब पुनर्बीमा अनुबंध उस तिथि पर पुनर्स्थापन प्रीमियम का प्रावधान करता है जिस तिथि पर ऐसे प्रीमियम का अधिकार उत्पन्न होता है। कंपनी उस तिथि को, जब पुनर्स्थापन प्रीमियम का अधिकार उत्पन्न होता है, किसी बीमित घटना के तहत पुनर्बीमाकर्ता को भुगतान करने के दायित्व के निर्धारण की तिथि के रूप में परिभाषित करती है, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त पुनर्स्थापन प्रीमियम का भुगतान करना आवश्यक हो गया, लेकिन उस तिथि से पहले नहीं जब कंपनी को भुगतान करने के अपने दायित्व के बारे में पता चला (पता चलना चाहिए)। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, कंपनी पुनर्बीमा अनुबंधों के तहत अतिरिक्त रूप से अर्जित होने वाले प्रीमियम को मापती है, जिसके लिए पुनर्बीमाकर्ता से दस्तावेजों की देर से प्राप्ति के कारण रिपोर्टिंग तिथि तक कोई अंतिम जानकारी नहीं है। अतिरिक्त रूप से अर्जित होने वाला प्रीमियम पुनर्बीमा अनुबंधों की शर्तों के अनुसार गणना की गई पुनर्बीमा प्रीमियम की अपेक्षित राशि पर आधारित होता है।
बीमा और पुनर्बीमा अनुबंधों के अंतर्गत बीमा भुगतानों का प्रारंभिक और अनुवर्ती निर्धारण, साथ ही भुगतानों में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा	34	पुनर्बीमा अनुबंधों के अंतर्गत बीमा दावों को उस तिथि दर्शाया जाता है जिस तिथि पर बीमा अनुबंध के अंतर्गत दावों को दर्शाया जाता है। गैर–आनुपातिक अनुबंधों के अंतर्गत अंतर्गत बीमा दावों को उस तिथि दर्शाया जाता है जिस तिथि पर जब पुनर्बीमाकर्ता किसी हानि को स्वीकार करता है। पुनर्बीमाकर्ता के भुगतान में हिस्से को आगामी पुनर्बीमा अनुबंध के अंतर्गत भुगतान के निर्धारण की तिथि को दर्शाया जाता है।
अधिग्रहण लागतों की संरचना और वर्गीकरण। अधिग्रहण लागतों और आय का निर्धारण	35	अधिग्रहण लागतें पुनर्बीमा अनुबंधों के समापन और नवीनीकरण से जुड़ी लागतें हैं। अधिग्रहण लागतों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्यक्ष लागतें वे परिवर्तनीय लागतें हाती हैं जो किसी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा विशिष्ट पुनर्बीमा अनुबंधों में प्रवेश या नवीनीकरण करते समय वहन की जाती हैं। कंपनी अप्रत्यक्ष लागतों में उन परिवर्तनीय लागतों को शामिल करती है जिनका उद्देश्य बीमा अनुबंधों का समापन करना होता है, हालाँकि उन्हें विशिष्ट पुनर्बीमा अनुबंधों में आवंटित करना कठिन है, लेकिन वे बिक्री संवर्धन या प्रोत्साहन से संबंधित हैं, और ऐसी लागतों और बीमा प्रीमियम वृद्धि के बीच संबंध निर्धारित किया जा सकता है। पुनर्बीमा अनुबंधों के तहत बीमा दलालों को पारिश्रमिक और पुनर्बीमा कमीशन के रूप में लागतों को उस तिथि से दर्शाया जाता है जब पुनर्बीमा के लिए स्वीकृत अनुबंध के लिए बीमा प्रीमियम को दर्शाया जाता है। अन्य प्रत्यक्ष अधिग्रहण लागतों को सहायक दस्तावेजों के आधार पर दर्शाया जाता है, क्योंकि संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
प्रत्यासन और आश्रय दावों से आय का निर्धारण	36	प्रत्यासन और आश्रय दावों से प्राप्त आय, बीमित घटनाओं के लिए दोषी व्यक्तियों से और साथ ही ऐसे व्यक्तियों के दायित्व का बीमा करने वाले बीमाकर्ताओं से भी कंपनी को मिलने वाला मुआवजा है, जो पुनर्बीमा अनुबंध की शर्तों के अनुसार कंपनी को देय हिस्सा है।
अवशिष्ट वसूली (परित्याग) की बिक्री से आय का निर्धारण	37	कंपनी अवशिष्ट (साल्वेज) के निपटान में संलग्न नहीं है।

प्रकटन अपेक्षाएं	लाइन नं.	विवरण
अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा परिचालनों से आय और व्यय की संरचना और निर्धारण	38	कंपनी अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा परिचालन नहीं करती है।
बीमा अनुबंधों के रूप में वर्गीकृत अनुबंधों और विवेकाधीन भागीदारी विशेषताओं के बिना निवेश अनुबंधों के रूप में वर्गीकृत अनुबंधों के अंतर्गत देयताओं में परिवर्तन का निर्धारण	39	कंपनी जीवन बीमा अनुबंध नहीं करती है।
अनुभाग VI. निवेश संपत्ति के मापन के लिए निर्धारण मानदंड और आधार	48	x
निवेश परिसंपत्ति पर लागू लेखांकन मॉडल	41	31 दिसंबर, 2025 और 31 दिसंबर, 2024 को कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है।
कंपनी द्वारा निवेश संपत्ति, स्वामी–अधिकृत संपत्ति और सामान्य व्यावसायिक क्रम में बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के बीच अंतर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड	42	31 दिसंबर, 2025 और 31 दिसंबर, 2024 को कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है।
निवेश संपत्ति का उचित मूल्य (वित्तीय विवरणों में मापा या प्रकट किया गया) किस हद तक एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित है जिसके पास उचित मान्यता प्राप्त व्यावसायिक योग्यता और उसी स्थान और उसी श्रेणी की निवेश संपत्ति के मूल्यांकन का हालिया अनुभव हो, जिस संपत्ति का मूल्यांकन किया जा रहा है।	43	31 दिसंबर, 2025 और 31 दिसंबर, 2024 को कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है।
खंड VII. संपत्ति और लिखतों के मापन के लिए निर्धारण मानदंड और आधार	52	x
खंड VIII. अमूर्त संपत्तियों के मापन के लिए निर्धारण मानदंड और आधार	56	x
अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों के प्रत्येक समूह के लिए वार्षिक क्षति परीक्षण और संभावित क्षति संकेतकों का प्रकटीकरण	49	31 दिसंबर, 2025 और 31 दिसंबर, 2024 को, कंपनी के पास अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।
सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों के परिशोधन हेतु प्रयुक्त अवधि और विधियाँ, अवशिष्ट मूल्य और उनके परिवर्तनों का आकलन करने की प्रक्रिया	50	परिमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों का उनके उपयोगी जीवन के दौरान परिशोधन किया जाता है। कंपनी की परिमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों का उनके अपेक्षित उपयोगी जीवन के दौरान एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधन किया जाता है। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन उस तारीख से शुरू होता है जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती है और उस तारीख को समाप्त हो जाती है जब अमूर्त संपत्ति को बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू संपत्तियों में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है और वह तारीख जब संपत्ति का दर्शाना हटा दिया जाता है। संपत्ति के उपयोगी जीवन के दौरान परिशोधन निलंबित नहीं होता है। एक अमूर्त संपत्ति का उपयोगी जीवन कंपनी के परिचालन जीवन (लाइसेंस – 1–5 वर्ष; सॉफ्टवेयर – 3–5 वर्ष; वेबसाइट – 1–10 वर्ष; अन्य – 5 वर्ष) से अधिक नहीं हो सकता है।

प्रकटन अपेक्षाएं	लाइन नं.	विवरण
अमूर्त परिसंपत्तियों के उत्पादन के लिए आंतरिक लागतों का निर्धारण	51	कंपनी, आंतरिक रूप से बनाई गई अमूर्त परिसंपत्तियों के सृजन की प्रक्रिया को अनुसंधान चरण और विकास चरण में बांटती है। अनुसंधान में कंपनी द्वारा नई वैज्ञानिक या तकनीकी जानकारी हासिल करने के लिए की गई मौलिक और योजनाबद्ध जांच शामिल होती है। अमूर्त परिसंपत्ति सृजित करते समय अनुसंधान चरण में हुए व्यय को उसी समय व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। विकास का मतलब है अनुसंधान से मिली जानकारी और दूसरी जानकारी का इस्तेमाल करके नए या काफी बेहतर उपकरण, उत्पाद, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा को वाणिज्यिक इस्तेमाल से पहले किसी योजना या डिज़ाइन के अनुसार तैयार करना। अमूर्त परिसंपत्ति के विकास चरण में हुए व्यय को परिसंपत्ति की लागत का हिस्सा माना जाता है, यदि नीचे दी गई सभी शर्तें पूरी होती हैं: – कंपनी अमूर्त परिसंपत्ति के सृजन का काम पूरा करने और उसे अपने कामकाज में इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। – अमूर्त परिसंपत्ति से भविष्य में आर्थिक लाभ उत्पन्न होगा। – कंपनी के पास अमूर्त परिसंपत्ति के विकास और इस्तेमाल को पूरा करने के लिए संसाधन (तकनीकी, वित्तीय और अन्य) मौजूद हैं। – कंपनी अमूर्त परिसंपत्ति को पूरा करने की तकनीकी व्यवहार्यता प्रदर्शित कर सकती है। – कंपनी विकास की प्रक्रिया के दौरान अमूर्त परिसंपत्ति से जुड़े व्यय को भरोसेमंद तरीके से माप सकती है। यदि कंपनी अमूर्त परिसंपत्ति सृजित करने के उद्देश्य वाली परियोजना के अनुसंधान चरण और विकास चरण के बीच अंतर नहीं कर पाती है, तो सभी खर्चों को अनुसंधान लागत माना जाता है। शुरुआत में व्यय के तौर पर माने गए व्यय को बाद में अमूर्त परिसंपत्ति की लागत का हिस्सा नहीं माना जाता है।
धारा IX. कर्मचारी लाभों और संबंधित शुल्कों का प्रारंभिक और अनुवर्ती निर्धारण	62	x
वेतन उपचय पर व्यय का निर्धारण, जिसमें प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन, अवकाश भुगतान, अस्थायी विकलांगता लाभ, बाल देखभाल लाभ, वर्षांत बोनस और सेवांत भुगतान शामिल हैं	52	वेतन व्यय, राज्य पेंशन निधि और सामाजिक बीमा निधि में अंशदान, सवेतन वार्षिक अवकाश, अस्थायी विकलांगता लाभ और अन्य भुगतान को कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कार्य निष्पादन (संबंधित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं) से संबंधित कार्य के रूप में दर्शाए जाते हैं। अग्रिम भुगतान किए गए वेतन रोजगार अनुबंध में निर्दिष्ट तिथियों पर दर्शाए जाते हैं। मासिक वेतन रिपोर्टिंग माह की अंतिम तिथि को दर्शाए जाते हैं। निपटान माह के बाद अगले महीने से संबंधित अवकाश के दिन उस महीने में अर्जित होते हैं जब भुगतान दायित्व उत्पन्न होते हैं। उपचित अवकाश वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कर्मचारी को अप्रयुक्त सवैतनिक अवकाश के लिए भुगतान की जाने वाली अपेक्षित लागत को दर्शाता है। पूर्व में मान्यता प्राप्त कर्मचारी लाभ दायित्वों और अतिरिक्त बजटीय निधियों में संबंधित योगदानों में सभी समायोजन (परिवर्तन) रिपोर्टिंग माह के अंतिम दिन दर्शाए जाते हैं। तदनुसार, अग्रिम भुगतानों से संबंधित समायोजन भी रिपोर्टिंग माह के अंतिम दिन किए जाते हैं, जबकि माह के अंत की गणनाओं से संबंधित संचय समायोजन अगले रिपोर्टिंग माह में मान्यता प्राप्त होते हैं। वर्ष के अंत में प्रदर्शन बोनस से संबंधित बोनस दायित्वों सहित, कंपनी द्वारा बोनस दायित्वों को तब मान्यता दी जाती है जब, – कंपनी के पास स्थानीय नियमों और अन्य आंतरिक दस्तावेजों, श्रम की शर्तों और/या सामूहिक समझौतों की आवश्यकताओं के आधार पर बोनस का भुगतान करने की देनदारी है; – बोनस भुगतान की देनदारियों की राशि, जिसमें वर्ष के परिणामों पर आधारित देनदारियां भी शामिल हैं, को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। बोनस भुगतान की देनदारियों को मापने की प्रक्रिया स्थानीय नियमों और कंपनी के अन्य आंतरिक दस्तावेजों, श्रम की शर्तों और/या सामूहिक करारों द्वारा निर्धारित की जाती है।

प्रकटन अपेक्षाएं	लाइन नं.	विवरण
बीमाकर्ता की परिभाषित लाभ योजनाओं का विवरण	53	कंपनी के पास कोई पेंशन योजना नहीं है।
वर्तमान मूल्य पद्धति का उपयोग करके रोज़गार–पश्चात लाभ दायित्व की राशि और वर्तमान अवधि के लिए कर्मचारी अंशदान के संबद्ध मूल्य का निर्धारण	54	कंपनी के पास कोई पेंशन योजना नहीं है।
कर्मचारियों के पिछले सेवा अंशदान के मूल्य को दर्शाते हुए हुए, कर्मचारी के रोज़गार–पश्चात लाभों के निर्धारण से संबंधित अन्य प्रावधान, जो निश्चित भुगतानों तक सीमित नहीं हैं	55	कंपनी के पास कोई पेंशन योजना नहीं है।
धारा X. निर्धारण मानदंड, अन्य परिसंपत्तियों और देयताओं के मापन और निर्धारण का आधार	67	x
बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियों का प्रारंभिक और अनुवर्ती निर्धारण	56	31 दिसंबर, 2025 और 31 दिसंबर, 2024 को, कंपनी के पास बिक्री के लिए कोई गैर–चालू परिसंपत्ति नहीं थी।
प्रावधानों का प्रारंभिक और अनुवर्ती निर्धारण	57	प्रावधान जो पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न मौजूदा देयताओं का निरूपण करते हैं और देयताओं के रूप में दर्शाए जाते हैं, और यह संभव है कि उनके निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा (यह मानते हुए कि एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है)। कंपनी प्रावधानों को तब दर्शाती है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं: – कंपनी पर पिछली किसी घटना (एक या अधिक) के कारण अभी कोई दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) है। रचनात्मक दायित्व कंपनी की कार्रवाइयों (प्रकाशित नीति, वक्तव्यों और अन्य समान कार्रवाइयों सहित) के कारण उत्पन्न होता है जो दायित्वों की स्वीकृति को प्रदर्शित करता है और अन्य पक्षों के बीच उन्हें पूरा करने की उचित अपेक्षाएँ पैदा करता है इस बात की संभावना है कि दायित्व को पूरा करने के लिए आर्थिक फ़ायदा देने वाले संसाधनों का बहिर्वाह (बाहर आवश्यक होगा। – दायित्व का एक विश्वसनीय अनुमान प्रदान करना संभव है। यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो प्रावधान को दर्शाया नहीं जाता है। प्रावधान के रूप में दर्शाई गई राशि, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूदा दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक खर्च का सबसे अच्छा अनुमान होती है; यानी वह राशि जो कंपनी समझदारी से दायित्व को पूरा करने या उसे किसी तीसरे पक्ष को ट्रांसफर करने के लिए चुकाएगी। प्रावधान का मापन करते समय, कंपनी: – विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर उपयुक्त अनुमान लगाने के तरीके अपनाती है और आवश्यकता पड़ने पर, ऐसे तरीकों को अपनी आंतरिक नीतियों में औपचारिक रूप देती है – अनिश्चितताओं के बारे में धारणाएं बनाती है और पेशेवर समझ के आधार पर संभावित खर्च का अनुमान लगाती है – यदि किसी प्रावधान के अनुमान में बड़ी संख्या में परिणाम शामिल हैं, तो दायित्व का अनुमान सभी संभावित परिणामों का संभाव्यता–भारित परिणाम होता है। यदि संभावित परिणामों का एक सतत अंतराल है और इस अंतराल के भीतर सभी बिंदु समान रूप से संभावित हैं, तो निर्दिष्ट अंतराल का औसत मूल्य उपयोग किया जाता है –जहाँ धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, तो प्रावधानों को बट्टाकृत किया जाता है,। कंपनी स्वतंत्र रूप से धन के समय मूल्य के प्रभाव की भौतिकता के मानदंड निर्धारित करती है और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें इकाई के मानकों के भीतर अनुमोदित करती है –प्रावधान की राशि का निर्धारण करते समय उन भविष्य की घटनाओं को ध्यान में रखती है जो दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि पर प्रभाव डाल सकती हैं, बशर्ते इस बात के पर्याप्त वस्तुनिष्ठ प्रमाण हों कि वे घटित होंगी; – अन्य कारकों पर विचार करती है जो दायित्व के सबसे अच्छे अनुमान पर असर डाल सकते हैं। जब धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, तो प्रावधानों को बट्टाकृत किया जाता है, यानी दायित्व को पूरा करने के लिए ज़रूरी संभावित खर्च के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। कंपनी द्वारा प्रावधानों की समीक्षा तिमाही आधार पर संबंधित तिमाही के अंतिम दिन से पहले की जाती है।

प्रकटन अपेक्षाएं	लाइन नं.	विवरण
पट्टा देयताओं का प्रारंभिक और अनुवर्ती निर्धारण और विनिर्धारण	58	एक पट्टेदार के रूप में कंपनी परिसंपत्ति के उपयोग–अधिकार और पट्टा देयता को पट्टे की प्रारंभ तिथि को दर्शाती है। प्रारंभ तिथि को उपयोग–अधिकार परिसंपत्ति को लागत पर मापा जाता है और पट्टा देयता को भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर का मापा जाता है। पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि और संविदात्मक ब्याज दर के आधार पर बट्टाकृत किया जाता है। यदि पट्टे में बट्टाकृत दर निर्दिष्ट नहीं है और कंपनी धन उधार नहीं लेती है, तो वह पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य की गणना के लिए बट्टाकृत दर को बैंक ऑफ रूस के सांख्यिकी बुलेटिन में प्रकाशित परिसंपत्तियों या गारंटियों द्वारा सुरक्षित बैंक ऑफ रूस के ऋणों पर ब्याज दर के संदर्भ में बट्टा निर्धारित करती है। प्रारंभ तिथि को, पट्टा देयता के मापन में शामिल पट्टा भुगतानों में पट्टा अवधि के दौरान अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के लिए निम्नलिखित भुगतान शामिल होते हैं, जिनका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है: (क) नियत भुगतान, किसी भी पट्टा प्रोत्साहन प्राप्य को घटाकर; (ख) परिवर्ती पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर करते हैं, जिन्हें प्रारंभ में बाजार पट्टा दरों (पुनर्वित्त दर) में परिवर्तन के आधार पर प्रारंभ तिथि पर सूचकांक या दर का उपयोग करके मापा जाता है; (ग) अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत पट्टेदार द्वारा देय होने वाली अपेक्षित राशियाँ; (घ) क्रय विकल्प का प्रयोग मूल्य, यदि पट्टेदार उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से निश्चित है; (ङ) पट्टा समाप्त करने के लिए दंड का भुगतान, यदि पट्टा अवधि पट्टेदार द्वारा पट्टा समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने को दर्शाती है। प्रारंभिक रूप से मापी गई पट्टा देयताओं की राशि उपयोग–अधिकार परिसंपत्ति की लागत में शामिल की जाती है। उपयोग–अधिकार परिसंपत्ति की लागत में पट्टे की प्रारंभ तिथि से पहले अग्रिम रूप से किए गए पट्टा भुगतान और पट्टा करार करने के लिए पट्टेदार द्वारा उपगत प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें शामिल होती हैं। पट्टेदार द्वारा पट्टा करने के लिए किए गए प्रारंभिक प्रत्यक्ष खर्च उपयोग–अधिकार परिसंपत्ति की लागत में शामिल किए जाते हैं। प्रारंभिक निर्धारण के बाद, परिसंपत्ति और उपकरण से संबंधित उपयोग–अधिकार परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास और संचित हानि हानियों को घटाकर लागत मॉडल लागू करके मापा जाता है। पट्टा देयता को बाद में निम्न द्वारा मापा जाता है: (क) पट्टा देयता पर ब्याज को दर्शाने के लिए वहन राशि बढाकर (ख) किए गए पट्टा भुगतान को दर्शाने के लिए वहन राशि कम करके (ग) पट्टे में संशोधन या दोबारा मूल्यांकन को दर्शाने के लिए वहन राशि को फिर से मापकर ब्याज खर्च पिछली पट्टा भुगतान के बाद की अवधि के लिए आवधिक आधार पर (कम से कम हर महीने या संविदात्मक भुगतान तारीखों के अनुसार) उपचित होता है। पट्टा शुरू होने की तारीख से, पट्टे की अवधि में संशोधन होने या अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने के विकल्प के आकलन में संशोधन होने पर, पट्टा भुगतान में हुए संशोधनों को दिखाने के लिए पट्टा देयता को फिर से मापा जाता है। पट्टा देयता को फिर से मापने पर जो धनराशि आती है, उसे एक पट्टेदार के रूप में कंपनी परिसंपत्ति के उपयोग–अधिकार में समायोजन के तौर पर दर्ज करती है (जिससे पट्टा देयता की वहन राशि में भी उसी के अनुसार बढ़ोतरी या कमी होती है)। नीचे दी गई किसी भी स्थिति में, संशोधित बट्टा दर का इस्तेमाल करके बदले हुए पट्टा भुगतान को बट्टाकृत करके भी पट्टा देयता को फिर से मापा जाता है: – पट्टे की अवधि में बदलाव (संशोधित पट्टा भुगतान, पट्टे की संशोधित अवधि के आधार पर तय किए जाते हैं) – अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने के विकल्प में बदलाव (संशोधित पट्टा भुगतान, अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने के विकल्प के तहत देय राशि में हुए बदलाव को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं) संशोधित बट्टा दर को बची हुई पट्टा अवधि के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर के रूप में निर्धारित किया जाता है, अगर वह दर आसानी से पता की जा सके; या फिर पुन: मापन की तारीख पर पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अगर वह दर आसानी से पता नहीं चल पाती है और कंपनी उधार निधियां नहीं लेती है, तो कंपनी परिसंपत्ति या गारंटी से सुरक्षित ऋण के लिए बैंक ऑफ रूस द्वारा प्रकाशित ब्याज दर के आधार पर बट्टा निर्धारित करती है। पट्टे की देनदारी को पट्टेदार द्वारा संशोधित पट्टा भुगतान को बट्टाकृत करके फिर से मापा जाता है।

प्रकटन अपेक्षाएं	लाइन नं.	विवरण
		– पट्टे के अंतर्गत अवशिष्ट मूल्य गारंटी के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशियों में परिवर्तन (संशोधित पट्टा भुगतान अवशिष्ट मूल्य गारंटी के ढांचे में भुगतान की जाने वाली राशियों में परिवर्तनों को दर्शाने के लिए निर्धारित किए जाते हैं); – उन भुगतानों को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त सूचकांक या दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भविष्य के पट्टा भुगतानों में परिवर्तन (पट्टा देयता का पुनर्मूल्यांकन केवल तभी किया जाता है जब नकदी प्रवाह में परिवर्तन होता है)। – पट्टेदार, उन स्थितियों को छोड़कर जहाँ पट्टा भुगतानों में परिवर्तन अस्थिर दरों में परिवर्तन से संबंधित हों, स्थिर बट्टा दर का उपयोग करता है।
अल्पकालिक पट्टों के लिए छूट और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए छूट का उपयोग करना	58.1	लागू नहीं
देय राशियों का प्रारंभिक और अनुवर्ती निर्धारण और विनिर्धारण	59	देय राशियाँ परिशोधित लागत पर वहन की जाती हैं और उपचय आधार पर दर्शायी जाती हैं। जब पुनर्बीमा प्राप्य राशियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो संबंधित पुनर्बीमा देयता (देय राशियाँ) को बट्टे खाते में डाला जा सकता है। देयताओं को केवल व्यक्तिगत आधार पर ही बट्टे खाते में डाला जा सकता है, और बट्टे खाते में डाली गई राशि प्रत्येक व्यक्तिगत युग्म के लिए संबंधित परिसंपत्ति (प्राप्य राशियों) की क्षति की राशि से अधिक नहीं हो सकती। जब किसी पुनर्बीमा करार के तहत बीमा प्रीमियम प्राप्य राशियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो इन प्राप्य राशियों से संबंधित देयताओं के एक हिस्से का आनुपातिक बट्टे खाते में डाला जा सकता है, जो इस पुनर्बीमा करार के तहत किसी बीमा मध्यस्थ को देय होता है। इस स्थिति में, देयताओं को बट्टे खाते में डालने के लिए वही क्षति प्रतिशत मान लागू किया जा सकता है जो संबंधित क्षतिग्रस्त प्राप्य राशियों पर लागू होता है।
शेयर पूंजी, शेयर प्रीमियम का निर्धारण और मापन	60	शेयर पूंजी, पूंजी की वह अधिकतम राशि है जिस तक एकमात्र भागीदार कंपनी के अपने लेनदारों के प्रति बकाया दायित्वों के लिए उत्तरदायी होता है। कंपनी की शेयर पूंजी की राशि कंपनी के चार्टर द्वारा अनुमोदित कंपनी के एकमात्र भागीदार के शेयर के सममूल्य के अनुरूप होती है।
ट्रेजरी शेयर (हित) का निर्धारण और मापन	61	लागू नहीं, कंपनी के पास कोई ट्रेजरी शेयर (हित) नहीं हैं।
आरक्षित पूँजी का निर्धारण और मापन	62	कंपनी के पास कोई आरक्षित पूंजी नहीं है।
आस्थगित कर परिसंपत्ति और आस्थगित कर देयता का प्रारंभिक निर्धारण, मापन, तत्पश्चात निर्धारण और विनिर्धारण	63	आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में आय कर की वे राशियां शामिल होती हैं,जो भविष्य की रिपोर्टिंग अवधियों में देय आयकर की राशि को क्रमश: घटा या बढ़ा सकती हैं। आस्थगित कर देयता, कर योग्य अस्थायी अंतरों के संबंध में भविष्य की रिपोर्टिंग अवधियों में बजट को देय आयकर की राशि है। आस्थगित कर परिसंपत्ति, भविष्य की रिपोर्टिंग अवधियों में निम्नलिखित के संबंध में वसूली योग्य आयकर की राशि है: कटौती योग्य अस्थायी अंतर; आगे ले जाए गए कर घाटे, जिनका उपयोग आयकर कम करने के लिए नहीं किया गया आस्थगित कर देनदारियों को सभी कर योग्य अंतरों के लिए दर्शाया जाता है, जो ऐसे अंतरों की राशि और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रभावी रूसी कर कानून द्वारा स्थापित आयकर दर के गुणनफल के बराबर होती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक दर्शाया जाता है जहाँ यह संभावना हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति, कटौती योग्य अस्थायी अंतरों या आगे ले जाए गए कर घाटे की राशि और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रभावी रूसी कर कानून द्वारा स्थापित आयकर दर के गुणनफल के बराबर होती है।

प्रकटन अपेक्षाएं	लाइन नं.	विवरण
		यदि कंपनी को आस्थगित कर परिसंपत्ति के आंशिक या संपूर्ण भाग का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है, तो गणना की गई आस्थगित कर परिसंपत्ति के ऐसे आंशिक या संपूर्ण भाग को दर्शाया नहीं जाएगा। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें उस सीमा तक दर्शाया जाता है जहाँ यह संभावना हो कि भविष्य के कर योग्य लाभ से आस्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली की जा सकेगी। आस्थगित कर देयताएं और आस्थगित कर परिसंपत्तियां बट्टाकृत नहीं की जाती हैं।
लाभांश का निर्धारण	64	कंपनी की लाभांश घोषित करने और भुगतान करने की क्षमता रूसी कानून के अधीन है। लाभांश को लाभांश आय में तब शामिल किया जाता है जब कंपनी का लाभांश भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है और यह संभावना होती है कि लाभांश एकत्र किया जाएगा।

टिप्पणी 5. नकदी और नकदी समतुल्य

तालिका 5.1. नकदी और नकदी समतुल्य

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	31.12.2025	31.12.2024
		1	2
बैंक में नकदी	3	1,167,306	500,523
कुल	7	**1,167,306**	**500,523**

पाठ प्रकटन. नकदी और नकदी समतुल्य

लाइन नं.	विषय-वस्तु
	1
1	x
2	31 दिसंबर 2025 को, तालिका 5.1 की पंक्ति 3 निम्नलिखित ऋण संस्थाओं के पास खातों में शेष राशि दर्शाती है:: वीटीबी बैंक (सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी) के पास 102,123 हज़ार रूबल की राशि या कुल नकदी शेष का 8.75%; एसबीईआर बैंक ऑफ रसिया पब्लिक ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी के पास 64 हज़ार रूबल की राशि या कुल नकदी शेष का 0.01%; अल्फा-बैंक संयुक्त स्टॉक कंपनी के पास 160,069 हज़ार रूबल की राशि या कुल नकदी शेष का 13.71%; टी-बैंक संयुक्त-स्टॉक कंपनी के पास 255 हज़ार रूबल की राशि या कुल नकदी शेष का 0.02%; यूनीक्रेडिट बैंक संयुक्त -स्टॉक कंपनी के पास 453,858 हज़ार रूबल की राशि या कुल नकदी शेष का 38.88%; कमर्शियल इंडो बैंक एल्एल्स्भ्के पास 80 हज़ार रूबल की राशि या कुल नकदी शेष का 0.02%; और ओटीपी बैंक जेएससी के पास 450,857 हज़ार रूबल की राशि या कुल नकदी शेष का 38.62%। 31 दिसंबर 2024 को, तालिका 5.1 की पंक्ति 3 निम्नलिखित ऋण संस्थाओं के पास खातों में शेष राशि दर्शाती है: वीटीबी बैंक (सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी) – 86,461 हजार रूबल की राशि, जो कुल नकदी शेष का 17.27% है; एसबीईआर बैंक ऑफ रसिया पब्लिक ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी – 180 हजार रूबल की राशि, जो कुल नकदी शेष का 0.04% है; अल्फा-बैंक संयुक्त स्टॉक कंपनी – 410,581 हजार रूबल की राशि, जो कुल नकदी शेष का 82.03% है; रोसबैंक सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी – 559 हजार रूबल की राशि, जो कुल नकदी शेष का 0.11% है; यूनीक्रेडिट बैंक संयुक्त स्टॉक कंपनी – 2,550 हजार रूबल की राशि, जो कुल नकदी शेष का 0.51% है; वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी – 92 हजार रूबल की राशि , जो कुल नकदी शेष का 0.02% है; ओटीपी बैंक जेएससी 99 हजार रूबल की राशि में, जो कुल नकदी शेष का 0.02% है।

तालिका 5.2. नकदी प्रवाह विवरण में राशियों का तुलन-पत्र में समान मदों के साथ समाधान

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	31.12.2025	31.12.2024
		3	4
तुलन-पत्र में नकदी और नकदी समतुल्य	1	1,167,306	500,523
अन्य	2.1	(2,196)	(2,096)
नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य	**3**	**1,165,110**	**498,427**

टिप्पणी 6. ऋण संस्थाओं और अनिवासी बैंकों के पास रखी गई जमा राशियाँ और अन्य निधियाँ

तालिका 6.1. ऋण संस्थाओं और अनिवासी बैंकों के पास रखी गई जमा राशियाँ और अन्य निधियाँ

31.12.2025

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं	अक्षतिग्रस्त	कुल	वहन राशि
		1	3	5
रखी गई अन्य निधियां	5	2,201,007	2,201,007	2,201,007
कुल	**6**	**2,201,007**	**2,201,007**	**2,201,007**

31.12.2024

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं	अक्षतिग्रस्त	कुल	वहन राशि
		1	3	5
रखी गई अन्य निधियां	a.5	2,184,419	2,184,419	2,184,419
कुल	**a.6**	**2,184,419**	**2,184,419**	**2,184,419**

पाठ प्रकटीकरण: ऋण संस्थाओं और अनिवासी बैंकों के पास रखी गई जमा राशियाँ और अन्य निधियाँ

लाइन नं	विषय-वस्तु
	1
1	यथा 31 दिसंबर 2025 को तालिका 6.1 की पंक्ति 3 निम्नलिखित ऋण संस्थानों के पास जमा राशि को दर्शाती है: एसबीईआर बैंक ऑफ रसिया पब्लिक ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी, 590,900 हजार रूबल की राशि में (ब्याज दर 15.57%; और परिपक्वता 28 जनवरी 2026); अल्फा बैंक ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी, 500,000 हजार रूबल की राशि में (ब्याज दर 16.00%; परिपक्वता: 24 फरवरी 2026), वीटीबी बैंक (सार्वजनिक संयुक्त-स्टॉक कंपनी), 590,000 हजार रूबल की राशि में (ब्याज दर 14.20%; परिपक्वता: 26 जनवरी 2026) और टी बैंक संयुक्त स्टॉक कंपनी 439,300 हजार रूबल की राशि में (ब्याज दर 14.40%; परिपक्वता: 12 जनवरी 2026), साथ ही इन जमाओं पर अर्जित ब्याज। यथा 31 दिसंबर 2025 को, तालिका 6.1 की पंक्ति 3 निम्नलिखित ऋण संस्थानों के पास जमा राशि को दर्शाती है: एसबीईआर बैंक ऑफ रसिया पब्लिक ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी, 486,000 हजार रूबल की राशि में (ब्याज दर 18.90%, परिपक्वता: 14.01.2025); अल्फा बैंक ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी, 415,000 हजार रूबल की राशि में (ब्याज दर 20.16%, परिपक्वता: 14.01.2025), वीटीबी पीजेएससी, 475,000 हजार रूबल की राशि में (ब्याज दर 19.10%, परिपक्वता: 14.01.2025); रॉसबैंक पीजेएससी, 370,000 हजार रूबल की राशि में (ब्याज दर 17.44%, परिपक्वता: 14.01.2025); ओटीपी जेएससी में 350,000 हजार रूबल की राशि (ब्याज दर 18.50%,परिपक्वता: 09.01.2025), साथ ही इन जमाओं पर अर्जित ब्याज।

तालिका 6.2. ऋण संस्थाओं और अनिवासी बैंकों के पास जमा राशियों और अन्य निधियों की नाममात्र ब्याज दरें और अपेक्षित परिपक्वता

संकेतक	लाइन नं.	31.12.2025		31.12.2024	
		संविदात्मक ब्याज दरों की सीमा	परिपक्वता अवधि	संविदात्मक ब्याज दरों की सीमा	परिपक्वता अवधि
		1	2	3	4
जमाराशियां	2	20.43–16.68	90ड्ड120	21.91ड्ड18.54	90ड्ड120

टिप्पणी 10. बीमा, सह-बीमा और पुनर्बीमा से उत्पन्न प्राप्य राशियाँ

तालिका 10.1. बीमा, सह-बीमा और पुनर्बीमा से उत्पन्न प्राप्य राशियाँ

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	31.12.2025	31.12.2024
		3	4
गैर-जीवन बीमा प्राप्यराशियां	2	123,481	194,211
कुल	**3**	**123,481**	**194,211**

Table 10.3. Non-life insurance receivables

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	31.12.2025	31.12.2024
		3	4
आवक पुनर्बीमा प्राप्यराशियां	4	123,481	194,211
कुल	**13**	**123,481**	**194,211**

पाठ प्रकटन: गैर-जीवन बीमा प्राप्यराशियां

लाइनकोड	विषय-वस्तु
	1
1	100 हज़ार रूबल से अधिक प्राप्यराशियां: यथा 31 दिसंबर, 2024 को, कंपनी के 11 देनदार थे, जिनमें से प्रत्येक पर 100 हज़ार रूबल से अधिक बकाया था (31 दिसंबर 2023: 15 देनदार)। इन देनदारों से कुल प्राप्यराशियां 194,071 हज़ार रूबल थी (31 दिसंबर 2023: 190,859 हज़ार रूबल), जो कुल पुनर्बीमा प्राप्यराशियों का 100% है (31 दिसंबर 2023: 100%)। 1 मिलियन रूबल से अधिक की प्राप्यराशियां। 31 दिसंबर 2024 को, कंपनी के 10 देनदार थे, जिनमें से प्रत्येक पर 1 मिलियन रूबल से अधिक प्राप्यराशियां थीं (31 दिसंबर 2023: 7 देनदार)। इन देनदारों से कुल प्राप्यराशियां 193,931 हज़ार रूबल थी (31 दिसंबर 2023: 187,179 हज़ार रूबल), जो कुल पुनर्बीमा प्राप्यराशियों का 99.86% है (31 दिसंबर 2023: 98.07%)।

टिप्पणी 12. ऋण, रखी गई अन्य निधियाँ और अन्य प्राप्यराशियाँ तालिका

12.1. ऋण, रखी गई अन्य निधियाँ और अन्य प्राप्यराशियाँ

31.12.2025

(राशि '000 रुबल में)

लाइन मद	लाइन नं.	अक्षतिग्रस्त	कुल	वहन राशि
		1	3	5
वित्त पट्टा प्राप्यराशियां	6	1,040	1,040	1,040
कुल	**12**	**1,040**	**1,040**	**1,040**

31.12.2024 (राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	अक्षतिग्रस्त	कुल	वहन राशि
		1	3	5
वित्त पट्टा प्राप्यराशियां	a.6	1,040	1,040	1,040
कुल	**a.12**	**1,040**	**1,040**	**1,040**

टिप्पणी 15. गैर-जीवन बीमा आरक्षित निधि और गैर-जीवन बीमा आरक्षित निधि में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा

तालिका 15.1. गैर-जीवन बीमा आरक्षित निधि और गैर-जीवन बीमा आरक्षित निधि में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा (राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	31.12.2025			31.12.2024		
		आरक्षित निधि	आरक्षित निधियों में बीमाकर्ताओं का हिस्सा	आरक्षित निधि, निवल	आरक्षित निधि	आरक्षित निधियों में बीमाकर्ताओं का हिस्सा	आरक्षित निधि, निवल
		1	2	3	4	5	6
अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधियां	1	343,373	323,964	19,409	309,944	296,018	13,926
हानि आरक्षित निधियां	2	2,234,115	2,178,262	55,853	1,849,308	1,803,075	46,233
हानि समायोजन खर्च के लिए आरक्षित निधि	3	44,354	17,350	27,004	31,623	16,408	15,215
कुल	**7**	**2,621,842**	**2,519,576**	**102,266**	**2,190,875**	**2,115,501**	**75,374**

पाठ प्रकटीकरण: गैर-जीवन बीमा आरक्षित निधि और गैर-जीवन बीमा आरक्षित निधि में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा

लाइन नं.	विवरण
	1
1	यथा 31 दिसंबर, 2025 को, कंपनी ने अपनी गैर-जीवन बीमा आरक्षित निधियों की पर्याप्तता का आकलन किया। कंपनी द्वारा दर्शाई गई हानि आरक्षित निधि सर्वोत्तम बीमांकिक अनुमान के बराबर है, जो इसकी पर्याप्तता की पुष्टि करता है।

तालिका 15.2. अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि में परिवर्तन और अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा (राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	आरक्षित निधि	आरक्षित निधियों में बीमाकर्ताओं का हिस्सा	आरक्षित निधि, निवल
		1	2	3
रिपोर्टिंग अवधि प्रारंभ म	1	309,944	296,018	13,926
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लिखे गए प्रीमियम	2	1,181,508	1,125,329	56,179
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अर्जित प्रीमियम	3	(1,148,079)	(1,097,383)	(50,696)
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में	5	343,373	323,964	19,409

अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व में उतार-चढ़ाव और अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा (तुलनात्मक आँकड़े). (राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	आरक्षित निधि	आरक्षित निधियों में बीमाकर्ताओं का हिस्सा	आरक्षित निधि, निवल
		1	2	3
रिपोर्टिंग अवधि प्रारंभ में	1	140,057	135,352	4,705
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लिखे गए प्रीमियम	2	928,699	882,522	46,177
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अर्जित प्रीमियम	3	(758,812)	(721,856)	(36,956)
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में	5	309,944	296,018	13,926

पाठ प्रकटीकरण: अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि में परिवर्तन और अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा

लाइन नं.	विषय-वस्तु
	1
1	ऐसी बीमा घटनाओं के लिए बीमा देनदारियों को पूरा करने के लिए जो अभी तक घटित नहीं हुई हैं, लेकिन भविष्य में घटित हो सकती हैं, कंपनी लिखित बीमा प्रीमियम की लागत पर एक अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि (णझठ) बनाती है। इसलिए, अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि कंपनी की उन देनदारियों का मौद्रिक अनुमान है जो रिपोर्टिंग की तारीख के बाद और बीमा अनुबंध की समाप्ति तक भविष्य में उत्पन्न हो सकती हैं। यूपीआर की गणना बीमा प्रीमियम के आधार पर की गई थी, जो आवक पुनर्बीमा अनुबंधों की मुद्रा में थे, जिसमें अनुबंध की शर्तों (सकल लिखित प्रीमियम) में बदलाव के कारण बीमा प्रीमियम में कमी या वृद्धि को ध्यान में रखा गया था। यूपीआर की गणना अनुबंध की मुद्रा में की गई थी। यदि अनुबंध की मुद्रा रूसी रूबल से अलग थी, तो यूपीआर के रूबल समतुल्य मूल्य को अनुबंध की मुद्रा में उत्पन्न यूपीआर को रिपोर्टिंग की तारीख पर संबंधित मुद्रा की विनिमय दर से गुणा करके प्राप्त किया गया था। यथा 31 दिसंबर 2025 को बीमा अनुबंधों के तहत यूपीआर की गणना आनुपातिक टेम्पोरिस विधि का उपयोग करके की गई थी। समानुपातिक टेम्पोरिस पद्धति का उपयोग करके निर्धारित अनर्जित प्रीमियम की गणना प्रत्येक अनुबंध के लिए इस प्रकार की जाती है: अनुबंध के तहत लिखित बीमा प्रीमियम और अनुबंध के तहत पुनर्बीमा की शेष अवधि (दिनों में) तथा पुनर्बीमा की पूरी अवधि (दिनों में) के अनुपात का गुणनफल। यूपीआर और आस्थगित अधिग्रहण आय में पुनर्बीमाकर्ता का हिस्सा। रिपोर्टिंग की तारीख पर, कंपनी के पास एक एकल कोटा शेयर जावक संधि थी जो कंपनी द्वारा बीमांकन किए गए आवक पुनर्बीमा व्यवसाय के पूरे दायरे को कवर करती थी। पुनर्बीमाकर्ता के हिस्से की गणना प्रत्येक आवक पुनर्बीमा अनुबंध के लिए यूपीआर की राशि को इस अनुबंध की शर्तों (97.5%) के अनुसार रेट्रोसेशनेरी के हिस्से से गुणा करके की गई थी। इसी तरह, प्रत्येक आवक पुनर्बीमा अनुबंध के लिए, आस्थगित अधिग्रहण आय की गणना समानुपातिक टेम्पोरिस पद्धति का उपयोग करके मूल कमीशन, फ्रंटिंग शुल्क, लाभ कमीशन (टैंटिएम), ब्रेक-ईवन छूट, ब्रोकरेज कमीशन, करों और जावक संधि में प्रदान की गई किसी भी अन्य कटौती (सकल रेट्रोसेशनल प्रीमियम का 6.75%) से की गई थी।,

तालिका 15.3. हानि आरक्षित निधि में उतार-चढ़ाव और हानि आरक्षित निधि में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा (राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	आरक्षित निधि	आरक्षित निधियों में बीमाकर्ताओं का हिस्सा	आरक्षित निधि, निवल
		1	2	3
रिपोर्टिंग अवधि की प्रारंभ में	1	1,849,308	1,803,075	46,233
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में हुई हानियां	2	1,083,805	1,056,695	27,110
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रदत्त दावे	4	(698,998)	(681,509)	(17,490)
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में	6	2,234,115	2,178,262	55,853

हानि आरक्षित निधि में उतार-चढ़ाव और हानि आरक्षित निधि में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा (तुलनात्मक आँकड़े) (राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	आरक्षित निधि	आरक्षित निधियों में बीमाकर्ताओं का हिस्सा	आरक्षित निधि, निवल
		1	2	3
तुलनात्मक अवधि के प्रारंभ में	1	1,119,188	1,091,208	27,980
तुलनात्मक अवधि में हुई हानियाँ	2	1,003,601	978,511	25,090
तुलनात्मक अवधि के दौरान प्रदत्त दावे	4	(273,481)	(266,644)	(6,837)
तुलनात्मक अवधि के अंत में	6	1,849,308	1,803,075	46,233

पाठ प्रकटन। हानि आरक्षित निधि में उतार-चढ़ाव और हानि आरक्षित निधि में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा

लाइन नं.	विषय-वस्तु
	1
1	कंपनी के पोर्टफोलियो की रेट्रोसेशनल सुरक्षा एक एकल कोटा हिस्सा जावक संधि द्वारा सुनिश्चित की जाती है, जो कंपनी द्वारा बीमांकन किए गए आवक पुनर्बीमा व्यवसाय की संपूर्ण श्रृंखला को कवर करता है। कंपनी की भागीदारी का कोटा हिस्सा (स्वयं प्रतिधारण) प्रत्येक जोखिम के लिए 2.5% है, रेट्रोसेशनेयर का हिस्सा 97.5% है। एकमात्र पुनर्बीमाकर्ता (रेट्रोसेशनेयर) कंपनी का एकमात्र भागीदार जीआईसी री (मुंबई) है। आरएनआरसी, जेएससी ने अनिवार्य अर्पण के हिस्से के रूप में प्रस्तावित 10% शेयर को अस्वीकार कर दिया। बकाया दावा आरक्षित निधि में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा कोटा रेट्रोसेशन अनुबंध के अनुसार बनता है, अर्थात मूल दावे में कंपनी के हिस्से का 97.5%। उपगत लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं किए गए दावों के लिए आरक्षित निधि में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा कोटा रेट्रोसेशन समझौते के अनुसार बनता है, अर्थात उपगत लेकिन अभी तक आरक्षित निधि समूह में रिपोर्ट नहीं किए गए दावों के लिए आरक्षित निधि का 97.5%। हानि समायोजन व्यय हेतु आरक्षित निधि में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा प्रत्यक्ष हानि समायोजन व्यय का 97.5% था। आरक्षित समूह द्वारा असमाप्त जोखिम आरक्षित निधि में पुनर्बीमाकर्ताओं के हिस्से की गणना नहीं की गई है, क्योंकि 31 दिसंबर, 2024 तक ऐसी कोई आरक्षित निधि (यूआरआर) नहीं बनाई गई थी।

तालिका 15.4. हानि समायोजन व्यय हेतु आरक्षित निधि में परिवर्तन और हानि समायोजन व्यय हेतु आरक्षित निधि में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	आरक्षित निधि	आरक्षित निधियों में बीमाकर्ताओं का हिस्सा	आरक्षित निधि, निवल
		1	2	3
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में	1	31,623	(16,408)	15,215
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में उपगत हानि समायोजन व्यय	2	21,645	(9,661)	11,984
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रदत हानि समायोजन व्यय	4	(8,914)	8,719	(194)
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में	5	44,354	(17,350)	27,004

हानि समायोजन व्यय हेतु आरक्षित निधि में परिवर्तन और हानि समायोजन व्यय हेतु आरक्षित निधि में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा (तुलनात्मक आँकड़े)

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	आरक्षित निधि	आरक्षित निधियों में बीमाकर्ताओं का हिस्सा	आरक्षित निधि, निवल
		1	2	3
तुलनात्मक अवधि के प्रारंभ में	1	58,667	(24,464)	34,203
तुलनात्मक अवधि के दौरान उपगत हानि समायोजन व्यय	2	(25,506)	6,556	(18,945)
तुलनात्मक अवधि के दौरान प्रदत्त हानि समायोजन व्यय	4	(1,538)	1,500	(38)
तुलनात्मक अवधि के अंत में	5	31,623	(16,408)	15,215

टिप्पणी 21. अमूर्त परिसंपत्तियां

तालिका 21.1. अमूर्त परिसंपत्तियां

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियां	कुल
		कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	
		3	2
तुलनात्मक अवधि के प्रारंभ में वहन राशि, जिसमें शामिल है:			
कुल	1	25,349	25,349
लागत (पुनर्मूल्यांकित राशि)	2	27,622	27,622
संचित परिशोधन	3	(2,273)	(2,273)
परिवर्धन	5	4,249	4,249
निपटान, जिसमें शामिल है:			
कुल	8	(1,591)	(1,591)
लागत (पुनर्मूल्यांकित राशि)	10	(1,591)	(1,591)
परिशोधन	12	(858)	(858)
क्षति, जिसमें शामिल हैं:			
क्षति का प्रतिवर्तन, जिसमें शामिल हैं:			
पुनर्मूल्यांकन हानियों में वृद्धि (कमी), जिसमें शामिल हैं:			
तुलनात्मक अवधि के अंत में वहन राशि, जिसमें शामिल हैं:			
कुल	23	27,149	27,149
लागत (पुनर्मूल्यांकित राशि)	24	30,281	30,281
संचित परिशोधन	25	(3,132)	(3,132)
तुलनात्मक अवधि के अंत में वहन राशि, जिसमें शामिल हैं:			
कुल	27	27,149	27,149
लागत (पुनर्मूल्यांकित राशि)	28	30,281	30,281
संचित परिशोधन	29	(3,132)	(3,132)
परिवर्धन	31	6,140	6,140
निपटान, जिसमें शामिल है:			
कुल	34	(2,259)	(2,259)
लागत (पुनर्मूल्यांकित राशि)	36	(2,259)	(2,259)
संचित परिशोधन	38	(2,559)	(2,559)
क्षति, जिसमें शामिल हैं:			
क्षति का प्रतिवर्तन, जिसमें शामिल हैं:			
पुनर्मूल्यांकन अधिशेष (कमी), जिसमें शामिल हैं:			
अन्य	48	2,259	2,259
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वहन राशि, जिसमें शामिल है			
कुल	49	30,730	30,730
लागत (पुनर्मूल्यांकित राशि)	50	34,162	34,162
संचित परिशोधन	51	(3,432)	(3,432)

टिप्पणी 22. संपत्ति और उपकरण तथा उनमें पूंजीगत निवेश

तालिका 22.1 संपत्ति और उपकरण तथा उनमें पूंजीगत निवे

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	स्वयं की संपत्ति और उपकरण		संपति और उपकरण से संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	कुल
		कार्यालय और कंप्यूटर उपकरण	मोटर वाहन	भूमि, भवन और संरचनाएं	
		4	5	7	2
तुलनात्मक अवधि के प्रारंभ में वहन राशि, जिसमें शामिल है:					
कुल	1	36	749	3,994	4,779
लागत (पुनर्मूल्यांकित राशि)	2	280	3,211	16,042	19,533
संचित मूल्यह्रास	3	(244)	(2,462)	(12,048)	(14,754)
परिवर्धन		–	–	27,624	27,624
निपटान, जिसमें शामिल है:					
कुल	9	(280)	–	(16,042)	(16,321)
लागत (पुनर्मूल्यांकित राशि)	10	(280)	–	–	(280)
संचित मूल्यह्रास	11	–	–	(16,042)	(16,042)
मूल्यह्रास	13	(36)	(642)	(13,222)	(13,900)
क्षति, जिसमें शामिल हैं:					
क्षति का प्रतिवर्तन, जिसमें शामिल हैं:					
पुनर्मूल्यांकन अधिशेष (कमी), जिसमें शामिल हैं:					
अन्य	21	280	–	16,862	17,141
तुलनात्मक अवधि के अंत में वहन राशि, जिसमें शामिल है:					
कुल	22	–	107	19,216	19,323
लागत (पुनर्मूल्यांकित राशि)	23	280	3,211	27,624	31,115
संचित मूल्यह्रास	24	(280)	(3,104)	(8,408)	(11,792)
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में वहन राशि, जिसमें शामिल है:					
कुल	26	–	107	19,216	19,323
लागत (पुनर्मूल्यांकित राशि)	27	280	3,211	27,624	31,115
संचित मूल्यह्रास	28	(280)	(3,104)	(8,408)	(11,792)
निपटान, जिसमें शामिल है:					
कुल	36	–	(3,211)	–	(3,211)
लागत (पुनर्मूल्यांकित राशि)	37	–	(3,211)	–	(3,211)
मूल्यह्रास	40	–	(107)	(9,216)	(9,323)
क्षति, जिसमें शामिल हैं:					
क्षति का प्रतिवर्तन, जिसमें शामिल हैं:					
पुनर्मूल्यांकन अधिशेष (कमी), जिसमें शामिल हैं:					
अन्य	50	–	3,211	–	3,211
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वहन राशि, जिसमें शामिल है:					
कुल	51	–	–	9,999	9,999
लागत (पुनर्मूल्यांकित राशि)	52	–	3,211	27,624	30,835
संचित मूल्यह्रास	53	–	(3,211)	(17,625)	(20,836)

टिप्पणी 23. आस्थगित अधिग्रहण लागत और आय

तालिका 23.1. आस्थगित अधिग्रहण लागत

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	31.12.2025	31.12.2024
		1	2
गैर–जीवन बीमा, सह–बीमा और पुनर्बीमा से संबंधित आस्थगित अधिग्रहण लागतें	3	11,102	6,336
कुल	**4**	**11,102**	**6,336**

तालिका 23.4. गैर–जीवन बीमा, सह–बीमा और पुनर्बीमा से संबंधित आस्थगित अधिग्रहण लागतें

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	राशि
		1
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में गैर–जीवन बीमा, सह–बीमा और पुनर्बीमा से संबंधित आस्थगित अधिग्रहण लागतें	1	6,336
आस्थगित अधिग्रहण लागतों में परिवर्तन, जिनमें शामिल हैं:	2	4,767
अवधि के लिए आस्थगित अधिग्रहण लागतें	3	62,789
आस्थगित अधिग्रहण लागतों का परिशोधन	4	(58,023)
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में गैर–जीवन बीमा, सह–बीमा और पुनर्बीमा से संबंधित आस्थगित अधिग्रहण लागतें	7	11,102

गैर–जीवन बीमा, सह–बीमा और पुनर्बीमा से संबंधित आस्थगित अधिग्रहण लागतें– तुलनात्मक आँकड़े

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	राशि
		1
तुलनात्मक अवधि के प्रारंभ में गैर–जीवन बीमा, सह–बीमा और पुनर्बीमा से संबंधित आस्थगित अधिग्रहण लागतें	1	1,234
आस्थगित अधिग्रहण लागतों में परिवर्तन, जिनमें शामिल हैं:	2	5,102
अवधि के लिए आस्थगित अधिग्रहण लागतें	3	12,639
आस्थगित अधिग्रहण लागतों का परिशोधन	4	(7,537)
तुलनात्मक अवधि के अंत में गैर–जीवन बीमा, सह–बीमा और पुनर्बीमा से संबंधित आस्थगित अधिग्रहण लागतें	7	6,336

तालिका 23.5. आस्थगित अधिग्रहण आय

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	31.12.2025	31.12.2024
		1	2
गैर–जीवन बीमा, सह–बीमा और पुनर्बीमा से संबंधित आस्थगितअधिग्रहण लागतें	3	16,543	19,981
कुल	**4**	**16,543**	**19,981**

तालिका 23.8. गेर–जीवन बीमा, सह–बीमा और पुनर्बीमा से संबंधित आस्थगित अधिग्रहण आय

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	राशि
		1
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में गैर–जीवन बीमा, सह–बीमा और पुनर्बीमा से संबंधित आस्थगित अधिग्रहण आय	1	19,981
आस्थगित अधिग्रहण आय में परिवर्तन, जिसमें शामिल हैं:	2	(3,438)
अवधि के लिए आस्थगित अधिग्रहण आय	3	27,322
आस्थगित अधिग्रहण आय का परिशोधन	4	(30,760)
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में गैर–जीवन बीमा, सह–बीमा और पुनर्बीमा से संबंधित आस्थगित अधिग्रहण आय	6	16,543

गेर–जीवन बीमा, सह–बीमा और पुनर्बीमा से संबंधित आस्थगित अधिग्रहण आय– तुलनात्मक आँकड़े

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	राशि
		1
तुलनात्मक अवधि के प्रारंभ में गैर–जीवन बीमा, सह–बीमा और पुनर्बीमा से संबंधित आस्थगित अधिग्रहण आय	1	9,136
आस्थगित अधिग्रहण आय में परिवर्तन, जिसमें शामिल हैं:	2	10,845
अवधि के लिए आस्थगित अधिग्रहण आय	3	33,575
आस्थगित अधिग्रहण आय का परिशोधन	4	(22,730)
तुलनात्मक अवधि के अंत में गैर–जीवन बीमा, सह–बीमा और पुनर्बीमा से संबंधित आस्थगित अधिग्रहण आय	6	19,981

टिप्पणी 24. अन्य परिसंपतियां और इन्वेंटरी

तालिका.24.1. अन्य परिसंपत्तियां

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	31.12.2025		31.12.2024	
		सकल वहन राशि	वहन राशि	सकल वहन राशि	वहन राशि
		3	5	6	8
आयकर के अलावा प्राप्य अन्य कर	2	1,315	1,315	1,373	1,373
कर्मचारियों से प्राप्य	3	224	224	91	91
व्यापार प्राप्य राशियां	6	1,871	1,871	2,320	2,320
कुल	**10**	**3,410**	**3,410**	**3,784**	**3,784**

ऋण और अन्य उधार निधियां

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	31.12.2025	31.12.2024
		1	2
पट्टा देयताएं	6	12,122	21,058
कुल	**8**	**12,122**	**21,058**

टिप्पणी 30. बीमा, सह-बीमा और पुनर्बीमा से उत्पन्न देय राशियाँ

तालिका 30.1. गैर-जीवन बीमा, सह-बीमा और पुनर्बीमा से उत्पन्न देय राशियाँ

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	31.12.2025	31.12.2024
		1	2
गैर-जीवन बीमा, सह-बीमा और पुनर्बीमा से उत्पन्न देय राशियाँ		1,659,436	1,314,187
कुल	**3**	**1,659,436**	**1,314,187**

तालिका 30.3. गैर-जीवन बीमा, सह-बीमा और पुनर्बीमा से उत्पन्न देय राशियाँ

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	31.12.2025	31.12.2024
		1	2
आवक पुनर्बीमा अनुबंधों से उत्पन्न देय राशियाँ	3	272	874
जावक पुनर्बीमा अनुबंधों से उत्पन्न देय राशियाँ	4	1,659,164	1,313,313
कुल	**9**	**1,659,436**	**1,314,187**

पाठ प्रकटन. गैर-जीवन बीमा, सह-बीमा और पुनर्बीमा से उत्पन्न देय राशियाँ

लाइन नं.	विषय-वस्तु
	1
1	कंपनी के पोर्टफोलियो के रेट्रोसेशनल संरक्षण (पुनर्बीमा सुरक्षा) को एक एकल कोटा हिस्सा जावक संधि के ज़रिए सुनिश्चित किया जाता है। एकमात्र पुनर्बीमाकर्ता (रेट्रोसेशनेयर) जीआईसी री (मुंबई) है, जो कंपनी का एकमात्र भागीदार है। इसलिए, पुनर्बीमा के तहत देय कुल राशि इसी संधि के तहत देय राशि को दर्शाती है। तुलन-पत्र में पुनर्बीमा कार्यों से संबंधित उन प्रति-पक्षों को देय कोई भी बकाया राशि दर्ज नहीं की जाती है जिनकी अनुबंध अवधि समाप्त हो चुकी है।

टिप्पणी 35. अन्य देयताएं

तालिका 35.1. अन्य देयताएं

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	31.12.2025	31.12.2024
		1	2
कर्मचारियों को देय राशि	9	3,522	2,033
व्यापार देयराशि	11	418	2,993
आयकर के अलावा देय अन्य कर	12	468	393
कुल	**18**	**4,408**	**5,419**

टिप्पणी 37. पूंजी प्रबंधन

तालिका 37.1. रूसी कानून के अनुसार बीमाकर्ता द्वारा गणना की गई सांविधिक सॉल्वेंसी मार्जिन और वास्तविक सॉल्वेंसी मार्जिन की तुलना

संकेतक	लाइन नं.	पाठ प्रकटन
		1
बैंक ऑफ रूस द्वारा निर्धारित इक्विटी (पूंजी) आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बीमाकर्ता की नीतियों और प्रक्रियाओं का विवरण	1	कंपनी की पूँजी के प्रबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: सतत रूप से एक क्रियाशील प्रतिष्ठान के रूप में कार्य करने की क्षमता सुनिश्चित करते हुए रूसी संघ के कानून द्वारा स्थापित पूँजी संबंधी अपेक्षाओं का पालन करना।

संकेतक	लाइन नं.	पाठ प्रकटन
रिपोर्टिंग अवधि में इक्विटी (पूंजी) और बीमा भंडार के निवेश पर बैंक ऑफ रूस के नियमों के बीमाकर्ता द्वारा अनुपालन की जानकारी	2	2025 के दौरान, कंपनी ने बैंक ऑफ़ रूस द्वारा पूँजी स्तर पर निर्धारित सभी अपेक्षाओं का पालन किया। 31 दिसंबर, 2025 को कंपनी की पूर्णतः चुकता अधिकृत पूँजी की न्यूनतम राशि 600,000 हजार रूबल है। 31 दिसंबर, 2025 को कंपनी की पूर्णतः चुकता अधिकृत पूँजी 600,000 हजार रूबल थी
बैंक ऑफ रूस द्वारा निर्धारित इक्विटी (पूंजी) अपेक्षाओं के बीमा कंपनी द्वारा किए गए उल्लंघनों की सूची, इन उल्लंघनों के कारणों और परिणामों का विवरण	3	कोई नहीं

टिप्पणी 44. गैर-जीवन बीमा, सह-बीमा और पुनर्बीमा प्रीमियम - पुनर्बीमा घटाकर

तालिका 44.1. बीमा, सह-बीमा और पुनर्बीमा प्रीमियम

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	01.01.2025-31.12.2025	01.01.2024-31.12.2024
		3	4
पुनर्बीमा के लिए स्वीकृत अनुबंधों के अंतर्गत प्रीमियम	2	1,181,509	928,699
कुल	**4**	**1,181,509**	**928,699**

तालिका 44.2. सौंपे गए प्रीमियम

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	01.01.2025-31.12.2025	01.01.2024-31.12.2024
		1	2
सौंपे गए प्रीमियम	1	1,125,329	882,522
कुल	**3**	**1,125,329**	**882,522**

टिप्पणी 45. गैर-जीवन बीमा के अंतर्गत उपगत हानियाँ - पुनर्बीमा घटाकर

तालिका 45.1. बीमा, सह-बीमा और पुनर्बीमा के अंतर्गत भुगतान किए गए दावे

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	01.01.2025-31.12.2025	01.01.2024-31.12.2024
		1	2
आवक पुनर्बीमा अनुबंधों के अंतर्गत भुगतान किए गए दावे	2	698,998	273,481
कुल	**4**	**698,998**	**273,481**

तालिका 45.2. हानि समायोजन व्यय

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	01.01.2025-31.12.2025	01.01.2024-31.12.2024
		3	4
प्रत्यक्ष व्यय, जिनमें शामिल हैं:			
कुल	1	8,914	1,538
अपेक्षित विशेषज्ञ समीक्षाओं और बातचीत के लिए व्यय	2	8,914	1,538
अप्रत्यक्ष व्यय, जिनमें शामिल हैं:			
कुल	**6**	**8,261**	**8,024**
हानि समायोजन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले कर्मचारियों को देय वेतन	7	6,527	6,116

संकेतक	लाइन नं.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
अन्य व्यय	8	1,734	1,907
कुल हानि समायोजन व्यय – पुनर्बीमा के बाद सकल	9	17,175	9,562
हानि समायोजन व्यय में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा	10	(8,719)	(1,500)
कुल हानि समायोजन व्यय – पुनर्बीमा घटाकर	11	8,456	8,062

तालिका 45.3. हानि आरक्षित निधि में परिवर्तन

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
हानि आरक्षित निधि में परिवर्तन	1	384,807	730,120
हानि समायोजन व्यय के लिए आरक्षित निधि में परिवर्तन	2	12,731	(27,043)
कुल	**4**	**397,538**	**703,077**

तालिका 45.4. हानि आरक्षित निधियों में पुनर्बीमाकर्ताओं के हिस्से में परिवर्तन

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		3	4
हानि आरक्षित निधियों में पुनर्बीमाकर्ताओं के हिस्से में परिवर्तन	1	375,187	711,867
हानि समायोजन व्यय के लिए आरक्षित निधि में पुनर्बीमाकर्ताओं के हिस्से में परिवर्तन	2	942	(8,056)
कुल	**4**	**376,129**	**703,811**

तालिका 45.5 प्रतिगमन, प्रत्यासन और अन्य प्रतिपूर्ति से आय – पुनर्बीमा को घटाकर

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	01.01.2025–31.12.2025
		2
प्रतिगमन और प्रत्यासन से वसूलियां	1	40
प्रतिगमन और प्रत्यासन से वसूलियों में पुनर्बीमाकर्ताओं का हिस्सा	2	(39)
कुल	**5**	**1**

नोट 46. गैर–जीवन बीमा, सह–बीमा और पुनर्बीमा पर व्यय – पुनर्बीमा घटाकर

तालिका 46.1. अधिग्रहण लागतें

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
बीमा दलालों को पारिश्रमिक	2	11,660	12,271
राज्य के गैर–बजटीय कोषों में वेतन और बीमा अंशदान पर व्यय	7	6,125	7,349
पुनर्बीमाधारकों को पुनर्बीमा कमीशन	8	15,662	11,264
अनुबंधों के समापन से संबंधित अन्य व्यय	9	2,323	2,952
कुल	**10**	**35,770**	**33,836**

तालिका 46.2. आस्थगित अधिग्रहण लागत और आय में परिवर्तन (राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
आस्थगित अधिग्रहण लागतों में परिवर्तन	1	4,767	(5,102)
आस्थगित अधिग्रहण आय में परिवर्तन	2	3,437	10,845
कुल	**3**	**8,204**	**5,743**

टिप्पणी 48. अन्य गैर–जीवन बीमा आय और व्यय

तालिका 48.1. अन्य गैर–जीवन बीमा आय (राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
पुनर्बीमा को सौंपे गए अनुबंधों से उत्पन्न देय राशियों के बट्टे खाते में डालने से प्राप्त लाभ	4	21,330	20,547
बीमा और सह–बीमा लेनदेन और पुनर्बीमा अनुबंधों पर देय खातों के बट्टे खाते में डालने से प्राप्त आय	5	0	3,068
जावक पुनर्बीमा अनुबंधों के तहत लाभ कमीशन	6	0	78,710
कुल	**8**	**21,330**	**102,325**

तालिका 48.2. अन्य गैर–जीवन बीमा व्यय (राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
अन्य व्यय	6	41,469	29,593
कुल	**7**	**41,469**	**29,593**

नोट 49. ब्याज आय

तालिका 49.1 ब्याज आय (राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
ब्याज आय गैर–क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों से उत्पन्न, जिसमें शामिल हैं: कुल	1	407,446	336,489
ऋण संस्थाओं और अनिवासी बैंकों के पास रखी गई जमाराशियों और अन्य निधियों से उत्पन्न	5	407,446	336,489
क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों से उत्पन्न, जिसमें शामिल हैं: कुल	21	407,446	336,489

टिप्पणी 54. सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय

तालिका 54.1 सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
कार्मिक व्यय	1	45,610	40,227
संपत्ति और उपकरणों का मूल्यह्रास	2	11,556	16,798
अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन	3	2,559	2,449
पेशेवर सेवाएँ (सुरक्षा, दूरसंचार, आदि)	6	34,148	30,347
बीमा व्यय	7	2,834	3,661
विज्ञापन और विपणन व्यय	8	–	63
कानूनी और सलाहकार शुल्क	9	51,316	22,311
आतिथ्य	11	1,249	1,322
परिवहन	12	492	738
व्यावसायिक यात्रा	13	281	–
जुर्माना और दंड	14	–	18
बैंक शुल्क	15	198	223
आयकर व्यय के अलावा कर व्यय	16	20	21
अन्य प्रशासनिक व्यय	17	897	694
कुल	**18**	**151,160**	**118,872**

पाठ प्रकटीकरण: सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय

लाइन नं.	विषय–वस्तु
	1
1	वर्ष 2025 में, कार्मिक व्यय में अन्य बातों के अलावा, कार्मिकों के वार्षिक कार्य–निष्पादन बोनस पर होने वाला 36,745 हज़ार रूबल (2024: 32,454 हज़ार रूबल) का व्यय; रूसी कानूनों के अनुसार सरकारी अतिरिक्त–बजटीय निधि में 8,840 हज़ार रूबल (2024: 7,657 हज़ार रूबल) का बीमा अंशदान; और कर्मचारियों के प्रशिक्षण और पुन:प्रशिक्षण पर होने वाला 25 हज़ार रूबल (2024: 116 हज़ार रूबल) से संबंधित व्यय शामिल है।

टिप्पणी 55. ब्याज व्यय

तालिका 55.1 ब्याज व्यय

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
पट्टा देयताएं	2	2,227	2,997
कुल	**9**	**2,227**	**2,997**

टिप्पणी 57. अन्य आय और व्यय

तालिका 57.1 अन्य आय

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
अन्य आय	11	2,668	1,468
कुल	**12**	**2,668**	**1,468**

टिप्पणी 57.1

तालिका 57.1.1 उन पट्टों की जानकारी जहाँ बीमाकर्ता पट्टेदार है

संकेतक	लाइन नं.	विवरण
पट्टेदार की पट्टा गतिविधियों की प्रकृति	1	कार्यालय परिसर का पट्टा
भावी नकदी प्रवाह, जिनसे पट्टेदार संभावित रूप से प्रभावित होता है और जिन्हें पट्टा देनदारियों के मापन में दर्ज नहीं किया जाता है	2	0
पट्टों से संबंधित प्रतिबंध या विशेष शर्तें	3	कोई नहीं
बिक्री और पट्टा वापसी लेनदेन	4	कोई नहीं
अल्पकालिक पट्टों के अंतर्गत अनुबंध देनदारियों की राशि, यदि अल्पकालिक पट्टों का पोर्टफोलियो, जिसमें पट्टेदार के पास रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया अनुबंध देनदारियाँ हैं, अल्पकालिक पट्टों के पोर्टफोलियो से भिन्न है, जिससे अल्पकालिक पट्टे के अंतर्गत व्यय संबंधित है	5	0

नोट 57.1.2 पट्टा करारों के तहत परिसंपत्तियां और देयताएं, जिनकी शर्तों के तहत बीमाकर्ता पट्टेदार है

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	वहन राशि	
		31.12.2025	31.12.2024
		1	2
संपत्ति और उपकरण और संबंधित पूंजी व्यय	1	9,999	19,216
ऋण और अन्य उधार निधियां	**3**	**12,122**	**21,058**

तालिका 57.1.3. पट्टों से नकदी प्रवाह जहां बीमाकर्ता पट्टेदार के रूप में काम करता है

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह, जिसमें शामिल हैं:			
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह जिसमें शामिल है: कुल	5	(13,758)	(11,601)
पट्टा देयताओं का भुगतान	6	(13,758)	(11,601)
कुल नकदी बहिर्वाह	**7**	**(13,758)**	**(11,601)**

टिप्पणी 58. आयकर

तालिका 58.1 घटक द्वारा लाभ (हानि) में दर्ज आयकर व्यय (लाभ) (राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
घटक द्वारा लाभ (हानि) में दर्ज आयकर व्यय (लाभ)			
चालू आय कर व्यय (लाभ)	1	(40,094)	(8,465)
आयकर देयता (परिसंपत्ति) में परिवर्तन	3	(31,460)	(62,779)
कुल, जिनमें शामिल हैं कुल	4	(71,554)	(71,244)
आय कर व्यय (लाभ)	6	(71,554)	(71,244)

पाठ प्रकटन। घटक (आयकर दर) द्वारा लाभ (हानि) में दर्ज किया गया आयकर व्यय (लाभ)

संकेतक	लाइन नं.	31.12.2025	31.12.2024
		1	2
पाठ प्रकटन, आयकर दर	**1**	**25.00**	**20.00**

तालिका 58.2 सैद्धांतिक और वास्तविक आयकर व्यय के बीच मिलान (राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
कर–पूर्व लाभ (हानि)	1	281,600	326,876
प्रासंगिक आधार दर पर सैद्धांतिक आयकर व्यय (लाभ) (2025: 25%; 2024: 20%)	2	(70,359)	(65,375)
राष्ट्रीय कर लेखा प्रणाली के अंतर्गत गैर–कर योग्य आय या गैर–कटौती योग्य व्यय के लिए समायोजन, जिनमें शामिल हैं:	3	(1,195)	(823)
गैर–कटौती योग्य व्यय	5	(1,195)	(823)
आयकर दर परिवर्तन का प्रभाव	13	–	(5,046)
आयकर व्यय (लाभ)	14	(71,554)	(71,244)

पाठ प्रकटन। सैद्धांतिक और वास्तविक आयकर व्यय के बीच मिलान

लाइन नं.	31.12.2025	31.12.2024
	1	2
1	–	2 जुलाई 2024 को, रूसी संघ के कर संहिता के भाग एक और दो में संशोधन, रूसी संघ के कुछ विधायी अधिनियमों और रूसी संघ के विधायी अधिनियमों के कुछ प्रावधानों को रद्द करने पर संघीय कानून संख्या 176–FZ को अपनाया गया। अन्य संशोधनोंके अलावा, इस कानून में निगम आयकर की दर को 20% से बढ़ाकर 25% करने का प्रावधान है। इसके अनुसार, 2024 के लिए आयकर 20% की दर से देय है, जबकि 2025 से 25% की नई दर लागू होगी। यह कानून 1 जनवरी 2025 से प्रभावी है। अतिरिक्त आयकर जानकारी के अलावा, कंपनी ने 1 जनवरी 2025 से प्रभावी आयकर दर में बढ़ोतरी को दर्शाने के लिए अतिरिक्त आस्थगित कर देयताओं और आस्थगित कर आस्तियों को भी दर्ज किया।

तालिका 58.4 अस्थायी अंतरों और आस्थगित कर हानि का कर प्रभाव

चालू कार्यकलाप

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	अस्थायी अंतर का प्रकार	अवधि के अंत में	लाभ या हानि में दर्ज किया गया	अवधि के प्रारंभ में
		x1	1	2	4
खंड I. कटौती योग्य अस्थायी अंतरों और आगे ले जाई गई कर हानियों का कर प्रभाव	महत्वपूर्ण कर कटौतीयोग्य समायोजन	वित्त पट्टा	531	70	461
	महत्वपूर्ण कर कटौतीयोग्य समायोजन	अप्रयुक्त वोकेशन के लिए प्रावधान	1,038	432	606
	अन्य		5,930	758	5,172
	आस्थगित कर परिसंपत्ति		7,499	1,260	6,239
	आगे ले जाई गई कर हानि के लिए आस्थगित कर परिसंपत्ति		–	(23,188)	23,188
	आस्थगित कर देयता के प्रति समंजन से पूर्व आस्थगित कर परिसंपत्ति		7,499	(21,928)	29,427
खंड II. कर योग्य अस्थायी अंतरों का कर प्रभाव	महत्वपूर्ण कर गैर–कटौती योग्य समायोजन	बीमा आरक्षित निधि	(62,520)	(9,532)	(52,988)
	कुल आस्थगित कर देयताएं		(62,520)	(9,532)	(52,988)
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति (देयता)		(55,021)	(31,460)	(23,561)
	दर्शाई गई आस्थगित कर परिसंपत्ति (देयता)		(55,021)	(31,460)	(23,561)

अस्थायी अंतर और आस्थगित कर हानि का कर प्रभाव तुलनात्मक आँकड़े

चालू कार्यकलाप

(राशि '000 रुबल में)

संकेतक	लाइन नं.	अस्थायी अंतर का प्रकार	अवधि के अंत में	लाभ या हानि में दर्ज किया गया	अवधि के प्रारंभ में
		x1	1	2	4
खंड I. कटौती योग्य अस्थायी अंतरों और आगे ले जाई गई कर हानियों का कर प्रभाव	अप्रयुक्त वोकेशन के लिए प्रावधान	वित्त पट्टा	461	438	23
	अप्रयुक्त वोकेशन के लिए प्रावधान	अप्रयुक्त वोकेशन के लिए प्रावधान	606	(147)	753
	महत्वपूर्ण कर कटौतीयोग्य समायोजन	बीमा आरक्षित निधि	–	(8,971)	8,971
	अन्य		5,172	2,717	2,455
	कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति		6,239	(5,963)	12,202
	आगे ले जाई गई कर हानि के लिए आस्थगित कर परिसंपत्ति		23,188	(3,829)	27,017
	आस्थगित कर देयता के प्रति समंजन से पूर्व आस्थगित कर परिसंपत्ति		29,427	(9,792)	39,219
खंड II. कर योग्य अस्थायी अंतरों का कर प्रभाव	महत्वपूर्ण कर गैर–कटौती योग्य समायोजन	बीमा आरक्षित निधि	(52,988)	(52,988)	–
	कुल आस्थगित कर देयताएं		(52,988)	(52,988)	–
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति (देयता)		(23,561)	(62,780)	39,219
	दर्शाई गई आस्थगित कर परिसंपत्ति (देयता)		(23,561)	(62,780)	39,219

भारतीय साधारण बीमा निगम

(भारत सरकार की कंपनी)

सीआईएन: L67200MH1972GOI016133 **आईआरडीएआई पंजीकरण सं.:** 112

पंजीकृत कार्यालय: 'सुरक्षा', 170, जे. टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020

फ़ोन: +91-22-2286 7000 **फ़ैक्स:** +91-22-2288 4010

वेबसाइट: www.gicre.in

सूचना

एतद्वारा **सूचित** किया जाता है कि **भारतीय साधारण बीमा निगम (निगम)** के सदस्यों की **54वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

सामान्य कारोबार

1. 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (एकल एवं समेकित) और उन पर निदेशक मंडल एवं लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अंगीकार करना।
2. निदेशक मंडल द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹13.25 प्रति इक्विटी शेयर का लाभांश घोषित करना।
3. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु निदेशक मंडल को अधिकृत करना।
4. सुश्री जयश्री बालकृष्ण (डीआईएन: 11210291) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती हैं।

विशेष कारोबार

5. **निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में श्री हितेश रमेशचन्द्र जोशी (डीआईएन: 09322218) की नियुक्ति**

   सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो उसे संशोधन(नों) के साथ या बिना संशोधन(नों) के पारित करना:

   ''संकल्प किया जाता है कि वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार द्वारा जारी 15 जून 2026 के पत्र; कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152, 196 और 203 और साथ ही कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014' और अन्य संबंधित नियम व लागू प्रावधानों; सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रासंगिक लागू विनियम (तत्समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित); आईआरडीएआई (कॉर्पोरेट अभिशासन) विनियम, 2024 और निगम के संस्था-अंतर्नियमों के नियम 83 के प्रावधानों के अनुसरण मे, श्री हितेश रमेशचंद्र जोशी (डीआईएन: 09322218), जो अभी कार्यपालक निदेशक हैं, की निगम के बोर्ड में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद पर ₹2,05,400-2,24,400/- (स्तर 16) के वेतनमान पर 16 जून 2026 अर्थात पद का कार्यभार संभालने की तारीख से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख (30.09.2028) तक, या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्ति एतद्वारा नोट की जाए और नोट की जाती है।''

   ''यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उचित या समीचीन सभी कार्य करने और सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।''

6. **निगम के सरकारी नामिती निदेशक के रूप में डॉ. देबाशीष प्रुस्टी (डीआईएन: 10655471) की नियुक्ति**

   सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो उसे संशोधन(नों) के साथ या बिना संशोधन(नों) के पारित करना:

   सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो उसे संशोधन(नों) के साथ या बिना संशोधन(नों) के पारित करना:

   ''संकल्प किया जाता है कि वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार द्वारा जारी 19 जून 2026 के पत्र; कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और 161(3) और साथ ही कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014' और अन्य संबंधित नियम व लागू प्रावधानों; सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रासंगिक लागू विनियम (तत्समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित),; आईआरडीएआई (कॉर्पोरेट अभिशासन)

विनियम, 2024 और निगम के संस्था अंतर्नियमों के नियम 75(ii) के प्रावधानों के अनुसरण मे, श्री डॉ. देबाशीष ग्रुस्टी जोशी (डीआईएन: 10655471), अवर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग की तत्काल प्रभाव से यानी 19 जून 2026 से अगले आदेश तक निगम के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति एतद्वारा नोट की जाए और नोट की जाती है।''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उचित या समीचीन सभी कार्य करने और सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।''

7. **श्री हितेशकुमार किस्मतभाई भंडारी (डीआईएन: 11890575) की निगम के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्ति**

विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो उसे संशोधन(नों) के साथ या बिना संशोधन(नों) के पारित करना:

''संकल्प किया जाता है कि वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार द्वारा जारी 12 अगस्त 2026 के पत्र; कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 196 और 161(3) और साथ ही कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014' और अन्य संबंधित नियम व लागू प्रावधानों; सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रासंगिक लागू विनियम (तत्समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित),; आईआरडीएआई (कॉर्पोरेट अभिशासन) विनियम, 2024 और निगम के संस्था अंतर्नियमों के नियम 75 के प्रावधानों के अनुसरण मे, श्री हितेशकुमार किस्मतभाई भंडारी (डीआईएन: 11890575) की मंत्रालय के जारी 12 अगस्त 2026 के पत्र की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, (पदभार ग्रहण करने की तारीख यानी 13 अगस्त 2026 से प्रभावी), निगम के बोर्ड में अंशकालिक गैर'सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्ति एतद्वारा नोट की जाए और नोट की जाती है।''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उचित या समीचीन सभी कार्य करने और सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।''

स्थान: मुंबई
दिनांक: 28 अगस्त 2026

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते भारतीय साधारण बीमा निगम

हस्ता./–
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
''सुरक्षा'', 170, जे. टाटा रोड,
चर्चगेट, मुंबई – 400 020
सीआईएन: L67200MH1972GOI016133
फ़ोन: +91 22 2286 7000
ईमेल: investors.gic@gicre.in
वेबसाइट: www.gicre.in

टिप्पणियां:

1. निगमीय कार्य मंत्रालय (**''एमसीए''**) ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023, 09/2024 और 03/2025 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''सेबी'') ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 क्रमश: दिनांक 5 जनवरी, 2023, 7 अक्टूबर, 2023 और 1 अक्टूबर 2024 (सामूहिक रूप से ''परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के जरिए एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''वीसी/ओएवीएम'') के माध्यम से कंपनियों की वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी।
2. संबंधित परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (**''अधिनियम''**) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (**''सेबी एलओडीआर विनियम''**) के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, निगम की 54वीं वार्षिक आम बैठक (इसके बाद **''एजीएम''** के रूप में संदर्भित) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (**''आईसीएसआई''**) द्वारा जारी 15 अप्रैल 2020 के मार्गदर्शन / स्पष्टीकरण के साथ के साथ पठित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी आम बैठक पर सचिवीय मानक -2 (''एसएस -2'') के अनुसार, एजीएम की कार्यवाही निगम के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसे एजीएम का माना स्थल होगा।
3. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसरण में, किसी सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाना है और अधिनियम की धारा 142(1) के अनुसार, उनका पारिश्रमिक निगम द्वारा वार्षिक आम बैठक में या निगम द्वारा आम बैठक में निर्धारित तरीके से तय किया जाना है। तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निगम के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए अधिकृत करें।
4. सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई 2020 के खंड 3.ए.।। के प्रावधानों के अनुसार, संलग्न सूचना की मद संख्या 5 से 7 तक दिखाई देने वाला विशेष कारोबार का मामला बोर्ड द्वारा अपरिहार्य माना जाता है और इसलिए यह इस सूचना का हिस्सा है।
5. मद संख्या 4 से 7 के संबंध में सेबी एलओडीआर विनियमन के विनियमन 36(3) के तहत अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी, सूचना के अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत की गई है।
6. बैठक में किए जाने वाले विशेष कार्य से संबंधित अधिनियम की धारा 102(1) के अनुसार मद संख्या 5 से 7 के संबंध में एक विवरण संलग्न है और यह सूचना का भाग है।
7. बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने का हकदार सदस्य, स्वयं के स्थान पर उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी/प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और ऐसे प्रॉक्सी/प्रॉक्सी का निगम का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। **चूँकि यह वार्षिक आम बैठक (एजीएम) संबंधित परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, परिपत्रों के अनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी/ प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए, प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और रूट मैप इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं।**
8. निगम ने एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सदस्यों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएं ली हैं।
9. संस्थागत/निगमीय सदस्य (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) जो अपनी ओर से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों को अधिकृत करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बोर्ड/शासी निकाय के प्रस्ताव/प्राधिकरण पत्र आदि की विधिवत प्रमाणित स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप में) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ, अपने पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से, स्क्रूटिनाइज़र को mail@csraginichokshi.com/ragini.c@rediffmail.com पर भेजें, जिसकी एक प्रति evoting@nsdl.com पर भी भेजी जाए। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) अपने लॉगिन में ''ई-वोटिंग'' टैब के अंतर्गत प्रदर्शित ''अपलोड बोर्ड रिजॉल्यूशन/अथॉरिटी लेटर'' पर क्लिक करके अपना बोर्ड प्रस्ताव/पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकरण पत्र आदि भी अपलोड कर सकते हैं।
10. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के प्रयोजन के लिए की जाएगी।
11. उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 31 मार्च 2028 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन के साथ वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास पंजीकृत हैं। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और वार्षिक प्रतिवेदन की सूचना निगम की वेबसाइट www.gicre.in पर अपलोड कर दी गई है। यह सूचना स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी देखी जा सकती है।

12. **हरित पहल:**

''हरित पहल'' के समर्थन में, जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि यदि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं, तो वे अपने संबंधित डीपी के पास या यदि उनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, तो मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (**''आरटीए''**) के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत करा लें।

13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अंतर्गत निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत निदेशकों के हितबद्ध वाले अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर और इस सूचना और व्याख्यात्मक वक्तव्यों में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज भी वार्षिक आम बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से वार्षिक आम बैठक की तिथि तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध होंगे। ऐसे दस्तावेजों को देखने के इच्छुक सदस्य अपने पैन कार्ड की प्रति के साथ अपनी डीपी-आईडी और क्लाइंट आईडी या फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए cs.gic@gicre.in पर ईमेल भेज सकते हैं।

14. निदेशक मंडल ने 26 मई, 2026को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹5 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर ₹13.25 के अंतिम लाभांश के भुगतान की घोषणा की।

15. **लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि:**

निगम ने **शुक्रवार, 4 सितंबर 2026** को रिकॉर्ड तिथि घोषित की है और तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित इक्विटी शेयरों पर लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित होता है, तो घोषणा के 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर उन पात्र सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम इस प्रकार हैं:

i. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में दी गई सूची के अनुसार, **शुक्रवार, 4 सितंबर 2026** को लाभार्थी स्वामी के रूप में, और

ii. भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में **शुक्रवार, 4 सितंबर 2026** तक निगम के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में।

16. आयकर अधिनियम 2025 के प्रावधानों के अनुसार, निगम को शेयरधारकों को दिए गए लाभांश से निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर की कटौती करनी होगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम, 2025 का संदर्भ लें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे निगम/आरटीए (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) या संबंधित डीपी (डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) के पास अपना पैन अपडेट करें।

17. **दावा/भुगतान न की गई राशियों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण:**

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि ऐसे लाभांश जो अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तिथि से लगातार सात वर्षों की अवधि तक भुनाए नहीं गए हैं या दावा न किए गए हैं, उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और 125 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जा सकता है। ऐसे दावा न किए गए लाभांश से संबंधित शेयर भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में ट्रान्सफर किए जा सकते हैं।

इसे देखते हुए, सदस्यों/दावेदारों से अनुरोध है कि कृपया अपने बैंक विवरण को अद्यतन करना सुनिश्चित करें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर निगम से अपने लाभांश का दावा भी करें। जिन सदस्यों के दावा न किए गए लाभांश/शेयर आईईपीएफ में अंतरित कर दिए गए हैं, वे www.iepf.gov.in पर उपलब्ध फॉर्म संख्या आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को आवेदन करके इसका दावा कर सकते हैं।

निगम द्वारा भुगतान किए गए लाभांश और आईईपीएफ में उनके अंतरण की संबंधित नियत तिथियों का विवरण नीचे दिया गया है:

लाभांश की घोषणा की तारीख	वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश	निधि में अंतरण के लिए प्रस्तावित माह और वर्ष
05.09.2018	2017-18	अक्टूबर 2025 में आईईपीएफ प्राधिकरण में स्थानांतरित किया गया
27.08.2019	2018-19	अक्टूबर 2026
27.05.2022	2021-22	जून 2029
26.09.2023	2022-23	अक्टूबर 2030
26.09.2024	2023-24	अक्टूबर 2031
23.09.2025	2024-25	अक्टूबर 2032

18. **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लाभांश का भुगतान:**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सदस्यों के बैंक खाते में सीधे लाभांश जमा करने के लिए एनईसीएस (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली) सुविधा शुरू की है। अतः, सदस्यों से अनुरोध है कि वे लाभांश भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट का विकल्प चुनें और डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में अपने संबंधित डीपी के पास और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में नीचे क्रम संख्या 22 (ii) में दिए गए पते पर आरटीए के पास अपने बैंक खाते के विवरण (कोर बैंकिंग समाधान सक्षम खाता संख्या,

9 अंकों का माइकर कोड और 11 अंकों का आईएफएससी कोड) का पंजीकरण/अद्यतन सुनिश्चित करें।

19. **शेयरों का डीमेटिरियलाइजेशन:**

सेबी के 24 जनवरी 2022 के परिपत्र के साथ पठित यथा संशोधित सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 39 और 40 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियां शेयरधारकों के अनुरोधों जैसे कि डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करना, नवीनीकरण/विनिमय, अनुमोदन, उपविभाजन/विभाजन, प्रतिभूति प्रमाणपत्र का समेकन, ट्रान्सफर, पारेषण और ट्रांसपोजिशन केवल डीमेटिरियलाइज्ड रूप में ही कर सकती हैं। इसलिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने द्वारा धारित शेयरों को भौतिक रूप में डीमेटिरियलाइज करें।

सेबी परिपत्र दिनांक 14 दिसंबर 2021, 16 मार्च 2023, 26 सितंबर 2023 और 17 नवंबर 2023 के साथ पठित सेबी परिपत्र दिनांक 3 नवंबर 2021 के मद्देनजर भौतिक प्रतिभूतियों के धारक, जिनके फोलियो किसी भी केवाईसी विवरण जैसे पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण या नमूना हस्ताक्षर के साथ अद्यतन नहीं हैं, ऐसे फोलियो के संबंध में 1 अप्रैल 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश के भुगतान के लिए पात्र होंगे। कृपया लिंक: https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/nov-2023/simplified-norms-for-processing-investor-s-service-requests-by-rtas-and-norms-for-furnishing-pan-kyc-details-and-nomination_79167.html पर जाकर सेबी के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें। इसलिए, जिन सदस्यों ने अपने केवाईसी विवरण अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे फॉर्म आईएसआर–1 में आरटीए को अनुरोध भेजकर इसे अपडेट करें। यह फॉर्म निगम की वेबसाइट https://www.gicre.in/phocadownload/notice-communication-to-shareholders/Communication%20to%20Shareholders%20-%20Form%20_ISR-1%20to%20ISR-3%20and%20SH-13%20and%2014.pdf और आरटीए की वेबसाइट https://investor.kfintech.com/investor-information-resources/ पर भी उपलब्ध है

20. **नामांकन:**

कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 19(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अनुसार, सदस्य फॉर्म संख्या एसएच–13 में अपने द्वारा धारित शेयरों के लिए नामांकन करने के हकदार हैं। एकल नाम और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे निगम में अपनी हिस्सेदारी के संबंध में नामांकन करने के लिए विधिवत भरा हुआ फॉर्म संख्या एसएच–13 आरटीए के पास या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों के मामले में अपने संबंधित डीपी को जमा करें। संयुक्त धारक भी अपने द्वारा धारित शेयरों के लिए नामांकन सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। उक्त फॉर्म निगम की वेबसाइट और आरटीए की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

21. **एकाधिक फोलियो में शेयर रखने वाले सदस्य:**

समान नामों में एकाधिक फोलियो में भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों या समान नामों के क्रम में शेयर धारित करने वाले संयुक्त शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे एकल फोलियो में समेकन के लिए आरटीए को शेयर प्रमाणपत्र भेजें।

22. **विवरण का अपडेशन:**

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, डाक पता, ई–मेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, पैन, नामांकन पंजीकरण, पावर ऑफ अटॉर्नी पंजीकरण, बैंक अधिदेश विवरण आदि से संबंधित परिवर्तनों, यदि कोई हों, की सूचना दें:

i. डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के लिए – अपने संबंधित डीपी को।

ii. भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए – आरटीए, मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम, टावर–बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500 032, दूरभाष संख्या: (040) 6716 1562; फैक्स संख्या: (040) 2300 1153; ई–मेल पता: **einward.ris@kfintech.com** या निगम के पंजीकृत कार्यालय को।

इसके अलावा, सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि सेबी ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार के लिए पैन प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है।

23. **अनिवासी सदस्य:**

अनिवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे आरटीए/अपने संबंधित डीपी को निम्न की सूचना तुरंत दें:

क. पत्राचार के लिए भारत में अपने स्थानीय पते और सभी ई–संचार भेजने के लिए ई–मेल आईडी में परिवर्तन।

ख. स्थायी रूप से बसने के लिए भारत लौटने पर उनकी आवासीय स्थिति में बदलाव।

ग. भारत में रखे गए उनके बैंक खाते का विवरण, जिसमें पूरा नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर नंबर और बैंक का पता शामिल हो, यदि पहले प्रस्तुत नहीं किया गया हो, ताकि निगम उक्त बैंक खाते में सीधे लाभांश भेज सके।

24. **रिमोट ई-वोटिंग:**

ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति इस प्रकार है:

क. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 44 और उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, निगम अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए, सदस्यों को इस सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है।

ख. निगम के सदस्य, जिनके पास **मंगलवार, 15 सितंबर, 2026** की कट-ऑफ तिथि तक भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं, रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकार (वार्षिक आम बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से और वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग के लिए) कट-ऑफ तिथि तक निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित शेयरों के अनुपात में होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा **गुरुवार, 17 सितंबर, 2026 को सुबह 9:00 बजे** (भारतीय मानक समय) से शुरू होगी और **सोमवार, 21 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे** (भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार इस सूचना में उल्लिखित प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी और ऐसे ई-वोट को अंतिम माना जाएगा।

ग. वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यवाही के दौरान सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे भी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उपस्थित हो सकते हैं, हालाँकि ऐसे सदस्यों को दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

घ. वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में केवल कट-ऑफ तिथि पर दर्ज है, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। भौतिक रूप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, जो निगम के शेयर प्राप्त करता है और ई-मेल के माध्यम से नोटिस भेजे जाने के बाद निगम का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी **मंगलवार, 15 सितंबर, 2026** तक शेयर धारण करता है, evoting@nsdl.com पर या निगम/आरटीए को अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध **"Forgot User Details/ Password"** या **"Physical User Reset Password"** विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं। डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में, जो निगम के शेयर प्राप्त करते हैं और नोटिस भेजने के बाद निगम के सदस्य बन जाते हैं और कट-ऑफ तिथि यानी **मंगलवार, 15 सितंबर, 2026** तक शेयर धारण करते हैं, वे **"Access to NSDL e-Voting system"** के तहत एजीएम की सूचना में उल्लिखित चरणों का पालन कर सकते हैं।.

25. **वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले और उसके दौरान) के निर्देश नीचे दिए गए हैं (यह सुविधा ई-वोटिंग एजेंसी द्वारा प्रदान की जाएगी)**

(i) निगमीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 08 अप्रैल, 2020 को जारी परिपत्र सं. 14/2020 के अनुसार, इस एजीएम में सदस्यों की ओर से शामिल होने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, निगमीय निकाय एजीएम में वीसी/ओएवीएम के ज़रिए शामिल होने, उसमें भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं।

(ii) सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के प्रयोजनार्थ वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति गिनी जाएगी।

(iv) पठित कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर विनियम (यथा संशोधित) के विनियम 44 के प्रावधानों और निगमीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी प्रासंगिकपरिपत्रों के अनुसरण में, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने अधिकृत एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा के लिए एनएसडीएल के साथ एक करार किया है। एजीएम की तिथि पर सदस्य द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग प्रणाली के साथ-साथ स्थल पर वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

(v) कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और एमसीए परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, एमसीए परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, एमसीए परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, एमसीए परिपत्र सं. 2/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और एमसीए परिपत्र सं. 03/2025 दिनांक 22.09.2025 के अनुसार एजीएम वीसी/ओएवीएम ज़रिए आयोजित की जा रही है।

रिमोट ई-वोटिंग और आम बैठक में शामिल होने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

रिमोट ई-वोटिंग अवधि **गुरुवार, 17 सितंबर, 2026 को सुबह 09:00 बजे** शुरू होगी और **सोमवार, 21 सितंबर, 2025 को शाम 05:00 बजे** समाप्त होगी। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम रिकॉर्ड तिथि (कट-ऑफ तिथि) अर्थात **मंगलवार, 15 सितंबर, 2026** को सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि, अर्थात **मंगलवार, 15 सितंबर, 2026** को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे मतदान कर सकता/सकती हूँ?

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के ''दो चरण'' हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक एक्सेस

क) डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोटिंग की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारक का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियां धारित वाले वैयक्तिक शेयरधारक	1. ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या **ई-वोटिंग सेवा प्रदाता, यानी एनएसडीएल** पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
	2. मौजूदा **आईडीईएस** (IDeAS) या तो उपयोगकर्ता पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट https://eservices.nsdl.com देख सकते हैं। ई-सेवाओं के होम पेज पर ''**लॉगिन**'' के अंतर्गत **"Beneficial Owner"** आइकन पर क्लिक करें जो "**IDeAS**' सेक्शन में उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत **"Access to e-Voting"** पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे। कंपनी के नाम या **ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल** पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 3. यदि आप IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो इसके लिए पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। **"Register Online for IDeAS Portal"** चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।

4 एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न URL: https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई–वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "Shareholder/ Member' सेक्शन में उपलब्ध ''लॉगिन'' आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के पास आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ आप ई–वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या **ई–वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल** पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

5 शेयरधारक/सदस्य निर्बाध वोटिंग अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप ''एनएसडीएल स्पीड'' सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।

NSDL Mobile App is available on

App Store Google Play

सीडीएसएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईजी/ईजीस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई–वोटिंग पेज तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईजी/ईजीस्ट में लॉगिन करने के लिए उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगिन आइकन और New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा माईईजी यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करें। 2. सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद ईजी/ईजीस्ट उपयोगकर्ता पात्र कंपनियों के लिए ई–वोटिंग विकल्प देख पाएंगे जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई–वोटिंग प्रगति पर है। ईवोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोट करने के लिए ई–वोटिंग सेवा प्रदाता का ई–वोटिंग पेज देख पाएंगे। 3. यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है। लॉगिन और New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com के होम पेज पर उपलब्ध ई–वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई–वोटिंग पेज पर पहुँच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर यूजर को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, यूजर ई–वोटिंग विकल्प देख पाएगा जहाँ ई–वोटिंग चल रही है और सभी ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुँचने में भी सक्षम हो पाएगा।
वैयक्तिक शेयरधारक (डीमैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई–वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर, आपको ई–वोटिंग विकल्प दिखाई देगा। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई–वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता, यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध ''यूजर आईडी भूल जाने'' और ''पासवर्ड भूल जाने'' वाले विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क का विवरण
एनएसडीएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर या 022 – 4886 7000 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या टोल–फ्री नंबर 1800–21–09911 पर संपर्क करके सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

ख) डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों और भौतिक रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

एनएसडीएल ई–वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. ई–वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने के बाद, "Shareholder/Member' सेक्सन में उपलब्ध ''लॉगिन'' आइकन पर क्लिक करें।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको स्क्रीन पर दिखाई गई अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई–सेवाओं यानी आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएएस लॉगिन से *https://eservices.nsdl.com/ पर लॉगिन कर सकते हैं। अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एनएसडीएल ई–सेवाओं में लॉगिन करने के बाद, ई–वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें।*
4. आपकी यूजर आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर धारित करने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक रूप में	आपकी यूजर आईडी है:
क) उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के पास डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	8 अक्षरों वाली डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपी आईडी खछ300*** है और क्लाइंट आईडी 12****** है, तो आपकी यूजर आईडी खछ300***12****** होगी।
ख) उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	16 अंकों वाली लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12********** है, तो आपकी यूजर आईडी 12********** होगी।
ग) उन सदस्यों के लिए जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं।	सम संख्या और उसके बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फ़ोलियो संख्या उदाहरण के लिए, यदि फ़ोलियो संख्या 001*** है और सम 101456 है, तो यूजर आईडी 101456001*** होगी।

5. वैयक्तिक शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:
   क) यदि आप पहले से ही ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
   ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको बताया गया 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा। अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त करने के बाद, आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।
   ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे पुनः प्राप्त करें?
      (i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते या कंपनी के पास पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाएगा। अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल से आपको भेजे गए ईमेल का पता लगाएं। ईमेल खोलें और अनुलग्नक यानी .pdf फ़ाइल खोलें। .pdf फ़ाइल खोलें। .pdf फ़ाइल को खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। .pdf फ़ाइल में आपकी 'यूज़र आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन **शेयरधारकों के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी** पंजीकृत नहीं हैं।

6. यदि आप ''प्रारंभिक पासवर्ड'' प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या प्राप्त नहीं कर पाए हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

   क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध **"Forgot User Details/Password?"** विकल्प पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास अपने डीमैट खाते में शेयर रखते हैं)।

   ख) **"Physical User Reset Password?"** विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारित कर रहे हैं)।

   ग) यदि आप उपरोक्त दो विकल्पों से भी पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप evoting@nsdl.com पर अपना डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि बताते हुए अनुरोध भेज सकते हैं।

   घ) सदस्य एनएसडीएल के ई–वोटिंग सिस्टम पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके ''नियम और शर्तें'' से सहमत पर टिक करें।

8. अब, आपको ''लॉगिन'' बटन पर क्लिक करना होगा।

9. ''लॉगिन'' बटन पर क्लिक करने के बाद, ई–वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।.

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल कैसे हों?

1. चरण 1 में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों को देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका वोटिंग चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।
2. उस कंपनी का "EVEN" चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए, आपको "Join Meeting" के अंतर्गत दिए गए "VC/OAVM" लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आप ई–वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि वोटिंग पेज खुल गया है।
4. उपयुक्त विकल्प जैसे सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट डालें, उन शेयरों की संख्या सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और "Submit" पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "Confirm" पर भी क्लिक करें।
5. पुष्टि होने पर, "Vote cast successfully"" संदेश प्रदर्शित होगा।
6. आप पुष्टिकरण पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
7. एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड प्रस्ताव/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप में) वोट डालने के लिए विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (हस्ताक्षरकर्ताओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ ईमेल द्वारा जांचकर्ता को mail@csraginichokshi.com पर भेजनी होगी, जिसकी एक प्रति evoting@nsdl.com पर भी भेजनी होगी। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) अपने लॉगिन में "e-Voting" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित "Upload Board Resolution / Authority Letter" पर क्लिक करके भी अपना बोर्ड प्रस्ताव/मुख्तारनामा/प्राधिकरण पत्र आदि अपलोड कर सकते हैं।
2. यह दृढ़तापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने का पूरा ध्यान रखें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पाँच असफल प्रयासों पर ई–वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" या "Physical User Reset Password?" विकल्प का उपयोग करना होगा।
3. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या 022 – 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर एनएसडीएल को अनुरोध भेज सकते हैं।

जिन शेयरधारकों की ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया इस सूचना में बताई गई है:

1. यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति) investors.gic@gicre.in पर ईमेल द्वारा भेजें।

2. यदि शेयर डीमैट रूप में धारित हैं, तो कृपया डीपी आईडी -क्लाइंट आईडी (16 अंकों की डीपी आईडी + क्लाइंट आईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति) investors.gic@gicre.in पर प्रस्तुत करें। यदि आप डीमैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप चरण **1 (क) में बताई गई लॉगिन विधि अर्थात ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होने की विधि का का संदर्भ लें।**

3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:-

1. ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान ही है।

2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, ईजीएम/एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।

3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किया है, वे ईजीएम/एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालाँकि, वे ईजीएम/एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।

4. ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति ही होगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। **सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली** तक पहुँच के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके पहुँच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने **"Join meeting"** मेनू में '"VC/OAVM" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि Join Meeting मेनू के अंतर्गत दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम का लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी का ईवीएन प्रदर्शित होगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए सूचना में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3. इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए कैमरा की अनुमति देनी होगी तथा अच्छी गति से इंटरनेट का उपयोग करना होगा।

4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए, उपरोक्त किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

5. जो शेयरधारक अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बताते हुए gicagm.speakers@gicre.in पर **गुरुवार, 17 सितंबर 2026 को शाम 5:00 बजे** से पहले अपने प्रश्न पहले ही भेज सकते हैं। निगम द्वारा इसका उचित उत्तर दिया जाएगा।

6. **वक्ता के रूप में पंजीकरण:** जो सदस्य बैठक में वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो संख्या, पैन और मोबाइल नंबर बताते हुए gicagm.speakers@gicre.in पर मंगलवार, 15 सितंबर 2026 (सुबह 9:00 बजे (भारतीय मानक समय)) और गुरुवार, 17 सितंबर 2026 (शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय)) के बीच अनुरोध भेजकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। केवल उन्हीं सदस्यों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी जिन्होंने स्वयं को वक्ता के रूप में पूर्व-पंजीकृत किया है। निगम वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

26. निगम ने ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से जाँच करने के लिए मेसर्स रागिनी चोकशी एंड कंपनी, कंपनी सचिव से श्रीमती रागिनी चोकशी (एफसीएस 2390) और उनकी अनुपस्थिति में श्री उमाशंकर हेगड़े (एसीएस 22133) को संवीक्षक नियुक्त किया है।
27. अध्यक्ष, वार्षिक आम बैठक में, जिन प्रस्तावों पर मतदान होना है, उन पर चर्चा के अंत में, उन सभी सदस्यों को ई-वोटिंग प्रणाली के उपयोग द्वारा मतदान की अनुमति देंगे, जो वार्षिक आम बैठक के दौरान वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित हैं, लेकिन जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाकर अपना वोट नहीं डाला है। वार्षिक आम बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल बैठक की समाप्ति के 15 मिनट बाद, एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा।
28. वार्षिक आम बैठक में मतदान की समाप्ति के तुरंत बाद, संवीक्षक सबसे पहले वार्षिक आम बैठक में डाले गए वोटों की गणना करेगा, उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए मतों को अनब्लॉक करेगा और एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे निगम के अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
29. प्रस्तावों के परिणाम निर्धारित अवधि के भीतर घोषित किए जाएँगे और प्रस्तावों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में वोट प्राप्त होने पर, वार्षिक आम बैठक की तिथि को निगम के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावों को पारित माना जाएगा।
30. परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद उन पर संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ वोटिंग परिणाम निगम की वेबसाइट ु.सळलीश.ळप और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होंगे और निर्धारित अवधि के भीतर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी एक साथ सूचित किए जाएँगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसरण में नियुक्त निदेशक की अतिरिक्त जानकारी

मद संख्या 4 के लिए

सुश्री जयश्री बालकृष्ण (डीआईएन: 11210291)

जन्म तिथि: 15-10-1967

आयु: 58 वर्ष

नियुक्ति तिथि: 23-07-2025

राष्ट्रीयता: भारतीय

योग्यता: वाणिज्य में स्नातकोत्तर, एफआईआईआई और एसीआईआई

संक्षिप्त प्रोफ़ाइल:

सुश्री जयश्री बालकृष्ण ने अलग-अलग क्षेत्रों में कई तरह के काम संभाले हैं। उनके अनुभव में निवेश परिचालन और लेखा, पुनर्बीमा परिचालन (दावा प्रबंधन सहित), लेखा परीक्षा विभाग, बजट और पूर्वानुमान, निगमीय संचार, क्रेडिट रेटिंग, ब्रोकर संबंध प्रबंधन और निवेशक संबंध शामिल हैं। परिणामों पर ध्यान देने वाले अपने नज़रिए के लिए पहचानी जाने वाली सुश्री जयश्री ने हमेशा तय समय-सीमा के भीतर पहलों को सफलतापूर्वक पूरा किया है और साथ ही काम को बेहतरीन ढंग से करने के ऊँचे मानक भी बनाए रखे हैं।

सुश्री जयश्री बालकृष्ण अभी निगम के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के रूप में कार्य कर रही हैं। वह उद्यम जोखिम प्रबंधन, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, खरीद, अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए), निवेश (मिड और बैक ऑफिस), कार्यालय सेवा विभाग, INTOPS, आईटीएमजी, डिजिटल टीम, एक्चुअरी, दावा वर्टिकल और सामान्य खातों की देखरेख की ज़िम्मेदारी संभालती हैं। इस भूमिका में, वह इन सभी कामों के लिए रणनीतिक नेतृत्व देती हैं और सुशासन, परिचालन उत्कृष्टता और टिकाऊ व्यावसायिक परिणामों को आगे बढ़ाती हैं।

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति: प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और निवेश

निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण: वह श्री वी. बालकृष्ण, महा प्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी की पत्नी हैं (17 जुलाई 2026 से वीआरएस लेने पर निगम की सेवाओं से कार्यमुक्त)।

अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनमें वह निदेशकता और बोर्ड की समितियों में भी सदस्यता रखती हैं:

निदेशकता – शून्य

सदस्य – शून्य

अध्यक्ष – शून्य

सूचीबद्ध संस्थाएँ जिनसे व्यक्ति ने पिछले तीन वर्षों में त्यागपत्र दिया है –(1) जीआईसी भूटान रीइंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – गैर–कार्यपालक निदेशक

निगम में शेयरधारिता: निगम में 1222 शेयर हैं।

टिप्पणी: सुश्री जयश्री बालकृष्ण की नियुक्ति वित्तीय वर्ष 31.03.2025 की समाप्ति के बाद की गई थी।

नियुक्ति के निबंधन और शर्तें: वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 22 जुलाई 2025 के पत्र के अनुसार, सुश्री जयश्री बालकृष्ण (डीआईएन: 11210291) को 23 जुलाई 2025 से उनकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तिथि (अर्थात, 31.10.2027) तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निगम के बोर्ड में स्तर 14ए (वेतनमान ₹1,76,800–2,24,000) पर कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

टिप्पणी: सुश्री जयश्री बालकृष्ण की बोर्ड की बैठकों और बोर्ड की अन्य समितियों में उपस्थिति का विवरण 2025–26 के वार्षिक प्रतिवेदन के निगमीय अभिशासन प्रतिवेदन में दिया गया है।

नियुक्ति के निबंधन और शर्तें: वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 22 जुलाई 2025 के पत्र के अनुसार, सुश्री जयश्री बालकृष्ण (डीआईएन: 11210291) को 23 जुलाई 2025 से उनकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तिथि (अर्थात, 31.10.2027) तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निगम के बोर्ड में स्तर 14ए (वेतनमान ₹1,76,800–2,24,000) पर कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

सुश्री जयश्री बालकृष्ण निगम कर्मचारियों के लिए निगम की नीति के अनुसार और/या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा मंज़ूर या जारी निर्देशों के अनुसार अन्य लाभ, भत्ते आदि पाने की हकदार होंगी।

सुश्री जयश्री बालकृष्ण के अलावा और के सिवाय, निगम के अन्य निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, सूचना की मद संख्या 4 में उल्लिखित प्रस्ताव से किसी भी तरह से संबंधित या हितबद्ध नहीं है। बोर्ड, सूचना की मद संख्या 4 में उल्लिखित प्रस्तावित साधारण प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश करता है।

मद सं. 5 के लिए

श्री हितेश रमेशचंद्र जोशी (डीआईएन: 09322218)

जन्म तिथि: 19.09.1968

आयु : 57 वर्ष

नियुक्ति तिथि: 16.06.2026

राष्ट्रीयता: भारतीय

योग्यता: लेखाशास्त्र में स्नातकोत्तर और वित्तीय प्रबंधन में मास्टर्स

संक्षिप्त प्रोफ़ाइल:

श्री हितेश रमेशचंद्र जोशी मुंबई विश्वविद्यालय से लेखाशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं और जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडीज़ से वित्तीय प्रबंधन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। वे इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया के फेलो भी हैं।

निगम में अपने करियर के दौरान, श्री जोशी ने कई अहम कामों और ज़िम्मेदारियों को संभाला है।

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति: बीमा और प्रशासन

निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण: कोई नहीं

अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनमें व्यक्ति निदेशकता और बोर्ड की समितियों में भी सदस्यता रखते हैं: निदेशकता: जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड – गैर–कार्यपालक निदेशक

सदस्य – जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड – (क) लेखापरीक्षा समिति

अध्यक्ष – शून्य

सूचीबद्ध संस्थाएँ जिनसे व्यक्ति ने पिछले तीन वर्षों में त्यागपत्र दिया है – शून्य

निगम में शेयरधारिता: शून्य

टिप्पणी : श्री हितेश रमेशचंद्र जोशी को 16 जून 2026 से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। वे 16 जून 2026 तक निगम के कार्यपालक निदेशक के पद पर थे।

नियुक्ति के निबंधन और शर्तें: वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 15 जून 2026 के पत्र के अनुसार, कार्यपालक निदेशक श्री हितेश रमेशचंद्र जोशी (डीआईएन: 09322218) को उनके पद का कार्यभार संभालने की तारीख (यानी 16 जून 2026) से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख (यानी 30 सितंबर 2028) तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वेतनमान ₹2,05,400–2,24,400/– (स्तर–16) में निगम का अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था।

मद सं. 6 के लिए

डॉ. देबाशीष प्रुस्टी (डीआईएन: 10655471)

जन्म तिथि: 07.07.1976

आयु: 50 वर्ष

नियुक्ति की तिथि: 19.06.2026

राष्ट्रीयता: भारतीय

योग्यता: प्रबंधन विभाग से पीएचडी और पर्यावरण विज्ञान में एम.फिल

संक्षिप्त प्रोफ़ाइल:

डॉ. देबाशीष प्रुस्टी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और अभी भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग में अपर सचिव के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें लोक वित्त, सतत् विकास और विकास सहयोग और पर्यावरण व शहरी अभिशासन के क्षेत्रों में नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने का 26 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अपनी मौजूदा ज़िम्मेदारी संभालने से पहले, उन्होंने राजस्थान सरकार के वित्त और शहरी विकास विभाग में प्रधान सचिव के तौर पर काम किया था।

जब वे भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन विभाग में निदेशक थे, तब उन्होंने 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) प्लेटफ़ॉर्म शुरू करने के लिए अलग–अलग देशों के साथ सहयोग और साझेदारी की भारत की पहल में योगदान दिया था। उन्होंने 2019 से 2024 तक ब्रुसेल्स में बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग और यूरोपीय संघ में भारतीय दूतावास में उप–राजदूत के तौर पर काम किया। उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने, पहली बार 'भारत–यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद' की शुरुआत करने और 'भारत–लक्ज़मबर्ग वित्तीय क्षेत्र संवाद' पर चर्चा में अहम योगदान दिया। डॉ. प्रुस्टी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से समष्टि अर्थशास्त्र के लिए वित्त के क्षेत्र में प्रशिक्षित हैं।

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति: प्रशासन

निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण: कोई नहीं

अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनमें व्यक्ति निदेशकता और बोर्ड की समितियों में भी सदस्यता रखते हैं: निदेशकता: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया – सरकारी नामिती निदेशक

सदस्य – यूनियन बैंक ऑफ इंडिया – (क) लेखा परीक्षा समिति

(ख) शेयरधारक संबंध समिति

अध्यक्ष – शून्य

सूचीबद्ध संस्थाएँ जिनसे व्यक्ति ने पिछले तीन वर्षों में त्यागपत्र दिया है – शून्य

निगम में शेयरधारिता: शून्य

टिप्पणी: श्री देबाशीष पृस्टी को 19 जून 2026 से नियुक्त किया गया था।

नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें: 19 जून 2026 के मंत्रालय के पत्र के अनुसार, डॉ. देबाशीष पृस्टी (डीआईएन:10655471) को 19 जून 2026 से और अगले आदेश तक निगम के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

मद सं. 7 के लिए

श्री हितेशकुमार किस्मतभाई भंडारी (डीआईएन: 11890575)

जन्म तिथि: 10.07.1975

आयु: 51 वर्ष

नियुक्ति की तिथि: 13.08.2026

राष्ट्रीयता: भारतीय

योग्यता: विधि स्नातकोत्तर (LLM)

संक्षिप्त प्रोफ़ाइल:

श्री हितेशकुमार किस्मतभाई भंडारी सिलवासा ज़िला अदालत में वकालत करते हैं और उन्हें सिविल और आपराधिक मामलों को संभालने का 26 वर्षों का व्यापक अनुभव है।

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति: विधि व्यवसाय

निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण: शून्य

अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनमें व्यक्ति निदेशकता और बोर्ड की समितियों में भी सदस्यता रखते हैं: निदेशकता: शून्य

सदस्य – शून्य

अध्यक्ष – शून्य

सूचीबद्ध संस्थाएँ जिनसे व्यक्ति ने पिछले तीन वर्षों में त्यागपत्र दिया है – शून्य

निगम में शेयरधारिता: शून्य

टिपपणी: श्री हितेशकुमार किस्मतभाई भंडारी को 13 अगस्त 2026 से नियुक्त किया गया था।

नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें: वित्त मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त 2026 को जारी पत्र के अनुसार, श्री हितेशकुमार किस्मतभाई भंडारी (डीआईएन: 11890575) को मंत्रालय के उक्त पत्र के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, (पदभार ग्रहण करने की तारीख यानी 13 अगस्त 2026 से प्रभावी) निगम के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के तौर पर नियुक्त किया गया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 5: निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में श्री हितेश रमेशचन्द्र जोशी (डीआईएन: 09322218) की नियुक्ति

निगम के निदेशक मंडल ने नामांकन और पारिश्रमिक की सिफारिश के आधार पर, वित्त मंत्रालय के 15 जून 2026 के पत्र के अनुरूप, श्री हितेश रमेशचंद्र जोशी (डीआईएन: 09322218) की उनके पद का कार्यभार संभालने की तारीख (यानी 16 जून 2026) से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख (यानी 30 सितंबर 2028) तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में श्री हितेश रमेशचंद्र जोशी की नियुक्ति हेतु साधारण प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी जाती है। निगम के लिए प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रबंध कार्मिक

का होना एक सांविधिक अपेक्षा है।

निगम को उनसे सभी सांविधिक प्रकटन और घोषणाएँ प्राप्त हो गई हैं, जिनमें शामिल हैं (i) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसार फॉर्म डीआईआर-2 में निदेशक के रूप में कार्य करने हेतु लिखित सहमति (ii) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के अनुसार फॉर्म डीआईआर-8 में सूचना, कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के अंतर्गत अयोग्य नहीं हैं।

श्री जोशी कर्मचारियों के लिए निगम की नीति और/या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित या जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अन्य लाभ, भत्ते आदि पाने के हकदार होंगे। वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसार रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे।

श्री हितेश रमेशचंद्र जोशी के अलावा और के सिवाय, निगम के अन्य निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, सूचना की मद संख्या 5 में उल्लिखित प्रस्ताव से किसी भी तरह से संबंधित या हितबद्ध नहीं है। बोर्ड, सूचना की मद संख्या 5 में उल्लिखित प्रस्तावित साधारण प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश करता है।

उक्त मद से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित विवरण के अनुसार सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हैं।

मद संख्या 6: निगम के सरकारी नामिती निदेशक के रूप में डॉ. देबाशीष पृस्टी (डीआईएन: 10655471) की नियुक्ति

निगम के निदेशक मंडल ने वित्त मंत्रालय के 19 जून 2026 के पत्र के अनुरूप, डॉ. देबाशीष पृस्टी (डीआईएन: 10655471) की 19 जून 2026 से और अगले आदेश तक निगम के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के तौर पर नियुक्ति को अनुमादित कर दिया है। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, निगम के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के तौर पर डॉ. देबाशीष पृस्टी की नियुक्ति हेतु साधारण प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी जाती है।

निगम को उनसे सभी सांविधिक प्रकटन और घोषणाएँ प्राप्त हो गई हैं, जिनमें शामिल हैं (i) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसार फॉर्म डीआईआर-2 में निदेशक के रूप में कार्य करने हेतु लिखित सहमति (ii) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के अनुसार फॉर्म डीआईआर-8 में सूचना, कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के अंतर्गत अयोग्य नहीं हैं।

डॉ. देबाशीष पृस्टी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के तहत रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।

डॉ. देबाशीष पृस्टी के अलावा और के सिवाय, निगम के अन्य निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, सूचना की मद संख्या 6 में उल्लिखित प्रस्ताव से किसी भी तरह से संबंधित या हितबद्ध नहीं है। बोर्ड, सूचना की मद संख्या 6 में उल्लिखित प्रस्तावित साधारण प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश करता है।

उक्त मद से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित विवरण के अनुसार सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हैं।

मद संख्या 7: निगम के अंशकालिक गैर-सरकारी नामिती निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में श्री हितेशकुमार किस्मतभाई भंडारी (डीआईएन:11890575) की नियुक्ति

निगम के निदेशक मंडल ने श्री हितेशकुमार किस्मतभाई भंडारी (डीआईएन: 11890575) की मंत्रालय के 12 अगस्त 2026 के पत्र के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, (पदभार ग्रहण करने की तारीख यानी 13 अगस्त 2026 से प्रभावी) निगम के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के तौर पर नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, निगम के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के तौर पर अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) की नियुक्ति हेतु साधारण प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी जाती है।

निगम को उनसे सभी सांविधिक प्रकटन और घोषणाएँ प्राप्त हो गई हैं, जिनमें शामिल हैं (ळ) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसार फॉर्म डीआईआर-2 में निदेशक के रूप में कार्य करने हेतु लिखित सहमति (ळळ) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के अनुसार फॉर्म डीआईआर-8 में सूचना, कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के अंतर्गत अयोग्य नहीं हैं।

श्री हितेशकुमार किस्मतभाई भंडारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के तहत रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।

श्री हितेशकुमार किस्मतभाई भंडारी के अलावा और के सिवाय, निगम के अन्य निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, सूचना की मद संख्या 7 में उल्लिखित प्रस्ताव से किसी भी तरह से संबंधित या हितबद्ध नहीं है। बोर्ड, सूचना की मद संख्या 7 में उल्लिखित प्रस्तावित साधारण प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश करता है।

उक्त मद से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित विवरण के अनुसार सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हैं।

स्थान: मुंबई
दिनांक: 28 अगस्त 2026

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते भारतीय साधारण बीमा निगम

हस्ता./-
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
''सुरक्षा'', 170, जे. टाटा रोड,
चर्चगेट, मुंबई - 400 020
सीआईएन: L67200MH1972GOI016133
फ़ोन: +91 22 2286 7000
ईमेल: investors.gic@gicre.in
वेबसाइट: www.gicre.in

1	अधिग्रहण लागत	बीमा प्रीमियम का वह भाग जो बीमा व्यवसाय प्राप्त करने की लागत को दर्शाता है। इसमें एजेंसी का कमीशन, कंपनी का विपणन व्यय एवं अन्य संबंधित व्यय शामिल होता है।
2	ग्रहण करना	अनुबंध के निबंधनों और शर्तों के अधीन ऋण जोखिम के सभी या कुछ भाग की क्षतिपूर्ति करने का दायित्व स्वीकार करना।
3	परिसंपत्ति – देयता प्रबंधन (एएलएम)	इस तरीके से बीमा व्यवसाय का प्रबंधन करना जो परिसंपत्तियों और देयताओं पर निवेश संबंधी निर्णयों का समन्वयन करता है।
4.	बीमानन बीमा	वायुयानों के प्रचालन के साथ जुड़ी दुर्घटना दायित्व जोखिम के साथ ही हल क्षति का बीमा।
5.	बॉर्डरेएक्स	पुनर्बीमा करार के अधीन सौंपे गए विनिर्दिष्ट जोखिमों के संबंध में पुनर्बीमा प्रीमियम और/या पुनर्बीमा हानियों एवं अन्य उचित जानकारी के विवरणों के साथ कंपनी द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आम तौर पर बीमाकर्ता का नाम, प्रीमियम बेसिस, पॉलिसी अवध, कवरेज का प्रकार, प्रीमियम और पॉलिसी सीमा शामिल होती है।
6	ब्रोकर	एक मध्यस्थ जो अर्पणकारी कंपनी और पुनर्बीमाकर्ता(ओं) के बीच पुनर्बीमा अनुबंधों पर बातचीत करनी है। ब्रोकर सामान्यत: अर्पणकारी कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है और व्यवसाय करने और अन्य आवश्यक सेवाओं के निष्पादन के लिए कमीशन, ब्रोकरेज और/या अन्य शुल्कों के रूप में क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है।
7	बर्निंग कास्ट (जिसे शुद्ध हानि लागत के रूप में भी जाना जाता है)	एक प्रस्तावित पुनर्बीमा करार के लिए ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित प्रीमियम के अधीन सीडिंग कंपनी के लिए उपगत पुनर्बीमा हानियों का अनुपात।
8	व्यवसाय व्यवधान	संपत्ति के विनाश से और बाद में उत्पन्न बाधा के परिणामस्वरूप उपार्जन की हानि को बीमा संरक्षण प्रदान करना जिसे 'लाभ की हानि' या 'व्यवसाय आय संरक्षण बीमा' के नाम से भी जाना जाता है।
9	क्षमता	वित्तीय मजबूती या विनियामक सीमाओं के आधार पर सामान्य रूप से किसी कंपनी या बाजार से उपलब्ध बीमा या पुनर्बीमा की सबसे बड़ी राशि।
10.	आपदा पुनर्बीमा	अतिरिक्त हानि पुनर्बीमा का एक प्रकार जिसे बहु विध बीमाधारकों को हानियों के संचयन के संबंध में विशिष्ट प्रतिधारक के अतिरिक्त और/या एक या एक से अधिक विपत्तियों से उत्पन्न घटना या घटनाओं की श्रृंखला के परिणामस्वरूप पॉलिसियों को विशिष्ट सीमा तक प्रधान कंपनी क्षतिपूर्ति प्रदान करती है।
11	अर्पण (सीड)	इस क्रिया को बीमाकर्ता से पुनर्बीमाकर्ता को जोखिम या उसके एक हिस्से का अंतरण करने के रूप में वर्णित किया गया ह।
12	सेडेंट (जिसे सीडिंग कंपनी, पुन: आश्वस्त, पुनर्बीमाकृत भी कहा जाता है)	बीमा अनुबंध जारी करने वाला वह व्यक्ति जो अनुबंध के तहत एक या अधिक पुनर्बीमाकर्ताओं से जोखिम के संपूर्ण या निर्दिष्ट भाग के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है।
13	सीडिंग कमीशन	पुनर्बीमा प्रीमियम से कटौती की गई राशि, जो किसी सीडिंग कंपनी को उसके अधिग्रहण, प्रीमियम करों सहित अन्य उपरिव्यय लागतों और कभी–कभी लाभ के मार्जिन की क्षतिपूर्ति के लिए होती है।
14	सेशन	प्रीमियम के भुगतान के बदले बीमाकर्ता के जोखिमों का पुनर्बीमाकर्ता को हस्तांतरण।
15	दावा	बीमा अनुबंध के अंतर्गत बीमित व्यक्ति द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग।
16	दावों का निपटान	दावों की जाँच, निपटान और भुगतान से संबंधित गतिविधियाँ, उनके घटित होने के समय से लेकर निपटान तक।
17	उपगत दावे	सभी दावों के भुगतान (दावा समायोजन व्यय सहित) और एक व्यावसायिक वर्ष के बकाया दावों का प्रावधान।
18	दावा अनुपात	भुगतान किए गए दावों की राशि और अर्जित प्रीमियम के संबंध में भुगतान न किए गए दावों और दावा समायोजन व्यय के प्रावधानों में परिवर्तन।
19	सह–बीमा	वह व्यवस्था जिसके द्वारा कई बीमाकर्ता जोखिम साझा करते हैं।

20	संयुक्त अनुपात	संयुक्त अनुपात की गणना, उपगत दावों के प्रतिशत (निवल) को अर्जित प्रीमियम (निवल) से भाग देकर, प्रबंधन व्यय के प्रतिशत और निवल कमीशन को जोड़कर और फिर भागफल को निवल प्रीमियम से विभाजित करके की जाती है।
21	कमीशन	बीमा व्यवसाय के अधिग्रहण और प्रशासन से संबंधित लागतों के लिए बीमाकर्ता द्वारा अपने एजेंटों, दलालों या मध्यस्थों को, या बीमाकर्ता को पुनर्बीमाकर्ता द्वारा भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक।
22	कंप्यूटेशन करार	सीडिंग बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता के बीच एक करार जो किसी विशेष पुनर्बीमा अनुबंध(ओं) के तहत पक्षों के बीच कुछ या सभी वर्तमान और भविष्य के दायित्वों के मूल्यांकन, भुगतान और पूर्ण निर्वहन का प्रावधान करता है।
23	कवर नोट	किसी मध्यस्थ, दलाल या डायरेक्ट राइटर द्वारा जारी एक लिखित विवरण जो यह दर्शाता है कि कवरेज प्रभावी है और निबंधनों को प्रस्तुत करता है।
24	क्रेडिट बीमा	पॉलिसीधारकों के ग्राहकों द्वारा उन्हें आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं का व्यावसायिक कारणों से भुगतान न करने के कारण होने वाली वित्तीय हानि के विरुद्ध बीमा।
25	कट–थ्रू एंडोर्समेंट	किसी बीमा पॉलिसी या पुनर्बीमा अनुबंध का एक पृष्ठांकन जो यह प्रावधान करता है कि बीमा कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में, बीमा कंपनी (या उसके वैधानिक प्राप्तकर्ता) द्वारा पुनर्बीमाकर्ता से वसूल की जाने वाली किसी भी हानि की राशि, पुनर्बीमाकर्ता द्वारा पृष्ठांकन में निर्दिष्ट अनुसार, सीधे पॉलिसीधारक, दावेदार या अन्य आदाता को भुगतान की जाएगी।
26	जमा प्रीमियम	प्रीमियम की वह राशि (आमतौर पर हानि पुनर्बीमा अनुबंध की अधिकता के लिए), जिसका भुगतान करने वाली कंपनी अनुबंध की अवधि के दौरान आवधिक आधार पर (आमतौर पर त्रैमासिक) पुनर्बीमाकर्ता को करती है। यह राशि आमतौर पर अनुबंध से प्राप्त होने वाली अनुमानित प्रीमियम राशि के प्रतिशत के रूप में निर्धारित की जाती है।
27	''निदेशक और अधिकारी देयता बीमा (डी एंड ओ)''	किसी संस्था/कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों के लिए देयता बीमा, जो शेयरधारकों, लेनदारों, कर्मचारियों और अन्य लोगों के प्रति त्रुटियों और चूक जैसे गलत कार्यों से उत्पन्न उनकी व्यक्तिगत कानूनी देयता के लिए कवर प्रदान करता है।
28	अर्जित पुनर्बीमा प्रीमियम	पुनर्बीमा शब्द का तात्पर्य या तो 1) पुनर्बीमाकृत पॉलिसियों के समाप्त हो चुके हिस्से पर लागू पुनर्बीमा प्रीमियम के उस भाग से है, या 2) पुनर्बीमा प्रीमियम के उस भाग से है जिसे पुनर्बीमा अनुबंध के अंतर्गत अर्जित माना जाता है।
29	अतिरिक्त हानि पुनर्बीमा (जिसे गैर–आनुपातिक पुनर्बीमा भी कहा जाता है)	पुनर्बीमा का एक रूप, जो एक निर्दिष्ट सीमा के अधीन, एक निर्दिष्ट प्रतिधारण से अधिक हानि की राशि के लिए सीडिंग कंपनी को क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पुनर्बीमा जैसे आपदा पुनर्बीमा, प्रति जोखिम पुनर्बीमा, प्रति घटना पुनर्बीमा और समग्र अतिरिक्त हानि पुनर्बीमा शामिल हैं,
30	अनुग्रह भुगतान	किसी बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता द्वारा किसी ऐसे नुकसान के प्रत्युत्तर में किया गया स्वैच्छिक भुगतान जिसके लिए वह अपने अनुबंध की शर्तों के तहत तकनीकी रूप से बाध्य नहीं है।
31	व्यय अनुपात	अर्जित प्रीमियम के संबंध में अधिग्रहण लागत और अन्य परिचालन लागतों और व्ययों का योग।
32	वैकल्पित पुनर्बीमा	प्रस्ताव और स्वीकृति द्वारा व्यक्तिगत जोखिमों का पुनर्बीमा, जिसमें पुनर्बीमाकर्ता सीडिंग कंपनी द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक जोखिम को स्वीकार या अस्वीकार करने और व्यक्तिगत रूप से मूल्य निर्धारण करने की क्षमता रखता है।
33	उचित मूल्य परिवर्तन खाता	सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंडों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न अवास्तविक लाभ/हानि।
34	फॉलो द फॉर्च्यून	फॉलो द फॉर्च्यून्स में आम तौर पर यह प्रावधान होता है कि पुनर्बीमाकर्ता को अपने पुनर्बीमाधारक के जोखिम बीमांकन फॉर्च्यून्स का अनुसरण करना चाहिए और इसलिए, धोखाधड़ी, मिलीभगत या दुर्भावना की अनुपस्थिति में उसे अपने पुनर्बीमाधारक के निर्णयों को मानना पड़ता है।
35	सकल लाइन	किसी व्यक्तिगत जोखिम पर बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार की गई देयता की कुल सीमा (निवल लाइन + अर्पित समस्त पुनर्बीमा राशि)

36	सकल निवल अर्जित प्रीमियम आय (जीएनईपीआई)	जीएनईपीआई शामिल किए गए व्यवसाय के क्षेत्रों के लिए प्राथमिक कंपनी के अर्जित प्रीमियम का निरूपण करता है (निवल का अर्थ है निरस्तीकरण के बाद , मूल्यांकन किए जा रहे कवर की सुरक्षा करने वाले किसी भी पुनर्बीमा के लिए भुगतान की गई धनवापसी और प्रीमियम के बाद, लेकिन सकल का अर्थ है मूल्यांकन किए जा रहे कवर के लिए प्रीमियम घटाने से पहले)
37	सकल निवल लिखित प्रीमियम आय (जीएनडब्ल्यूपीआई)	यह एक बीमा कंपनी के प्रीमियम की राशि है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि प्रीमियम का कितना हिस्सा पुनर्बीमाकर्ता को देय है। आम तौर पर जीएनडब्ल्यूपीआई, सकल लिखित प्रीमियम में से लौटाए गए प्रीमियम को घटाकर, पुनर्बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को घटाकर प्राप्त होता है जो संबंधित कवर के लाभ के लिए होता है।
38	ग्राउंड अप हानि	किसी भी कटौती,प्रतिधारण, पॉलिसी सीमा, या पुनर्बीमा वसूली लागू करने से पहले किसी बीमित घटना से हुई हानि की कुल राशि।
39	स्वास्थ्य बीमा	सभी प्रकार के बीमा पर लागू होने वाला एक सामान्य शब्द जो शारीरिक चोट या बीमारी के कारण हुए नुकसान या बीमारी या आकस्मिक शारीरिक चोट के कारण आवश्यक चिकित्सा उपचार के खर्चों की क्षतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति करता है।
40	हल बीमा	जलयान या वायुयान के नुकसान या विनाश से होने वाली हानियों के विरुद्ध मालिकों की रक्षा करने वाला बीमा।
41	उपगत लेकिन रिपोर्ट नहीं किया गया (खइछठ)	अंतिम शुद्ध हानि का भुगतान करने के लिए आवश्यक राशियों का बीमांकिक आकलन, जो उन हानियों को संदर्भित करता है जो हुई हैं लेकिन अभी तक पूरी तरह से और अंतिम रूप से निपटाई/भुगतान नहीं की गई हैं।
42	उपगत लेकिन पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किया गया (आईबीएनईआर)	आईबीएनईआर उन दावों और हानियों के लिए एक प्रावधान है जिनकी रिपोर्ट पहले ही कर दी गई है लेकिन इन दावों के मूल्य में संभावित वृद्धि के लिए उनका अभी तक पूरा भुगतान नहीं किया गया है, अब वे अंततः भुगतान किए जाने हैं।
43	उपगत हानि (जिसे उत्पन्न हानि भी कहा जाता है)	एक विशिष्ट पुनर्बीमा अवधि (आमतौर पर वार्षिक) के लिए उपगत हानि की गणना उस अवधि के दौरान भुगतान की गई हानि में अवधि के अंत में बकाया हानि को घटाकर और अवधि के प्रारंभ में बकाया हानियों को घटाकर की जाती है, भले ही हानि वास्तव में कब हुई हो या मूल पॉलिसी कब जब्त की गई हो।
44	लेयर	एक गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा कार्यक्रम में कवर का वह भाग जिसमें कुल कवरेज को कई क्रमिक लेयरों में विभाजित किया जाता है, जो कि सीडिंग कंपनी के प्रतिधारण या जब्ती बिंदु से शुरू होकर क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा तक होता है।
45	देयता बीमा	किसी पॉलिसीधारक द्वारा लापरवाही, कठोर दायित्व या संविदात्मक दायित्व के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को हुई शारीरिक चोट या संपत्ति की क्षति के कारण होने वाली क्षति के लिए बीमा।
46	जीवन बीमा	वह बीमा जो पॉलिसी की शर्तों के आधार पर, बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर, या बीमित व्यक्ति के एक निश्चित संख्या में वर्षों तक जीवित रहने पर, एक निश्चित राशि के भुगतान का प्रावधान करता है।
47	व्यावसायिक क्षेत्र	बीमा उद्योग में व्यवसाय का सामान्य वर्गीकरण, जो आम जनता को बेची जाने वाली पॉलिसियों के प्रमुख खंडों, जैसे अग्नि, मरीन, मोटर, स्वास्थ्य, देयता, कृषि आदि की पहचान करता है।
48	हानि का विकास	दावों का पूरी तरह से निपटान और भुगतान किए जाने से पहले दावों के मूल्य में समय के साथ परिवर्तन की प्रक्रिया
49	पुनर्बीमा संविदा के दौरान होने वाली हानियाँ	पुनर्बीमा संविदा में वह प्रावधान जो यह निर्दिष्ट करता है कि जिन हानियों पर पुनर्बीमा लागू होता है, वे हानियाँ हैं जो वास्तव में पुनर्बीमा की अवधि के दौरान होती हैं, भले ही हानियों को कवर करने वाली मूल पॉलिसियाँ पुनर्बीमा संविदा के आरंभ से पहले जारी की गई हों।
50	मरीन बीमा	बीमा की वह श्रेणी जिसमें पारगमन में संपत्ति (कार्गो), परिवहन के साधन (विमान और मोटर वाहनों को छोड़कर), अपतटीय प्रतिष्ठानों और मूल्यवान वस्तुओं के साथ-साथ समुद्री जोखिमों और व्यवसायों से जुड़ी देनदारियों के लिए कवरेज शामिल है।

51	अधिकतम पूर्वाभासी हानि / संभावित अधिकतम हानि (पीएमएल)	किसी एक घटना के कारण होने वाली पूर्वाभासी या संभावित सबसे खराब हानि। यह शब्द आमतौर पर संपत्ति पुनर्बीमा में प्रयोग किया जाता है।
52	न्यूनतम प्रीमियम	प्रीमियम की वह राशि जो (आमतौर पर पुनर्बीमा अनुबंध में हानि की अधिकता के लिए), न्यूनतम आंकड़े दर्शाने वाले प्रीमियम के अधीन दरों को लागू करने के लिए वास्तविक प्रीमियम के बावजूद प्रभारित की जाएगी।
53	मोटर बीमा	बीमा की वह श्रेणी जो मोटर वाहनों से संबंधित संपत्ति, दुर्घटना और देयता हानियों के लिए बीमा संरक्षण प्रदान करती है।
54	निवल प्रतिधारित देयता	बीमा की वह राशि जो कोई सीडिंग कंपनी अपने खाते में रखती है और किसी भी तरह से पुनर्बीमा नहीं करती। यह हानि की वह राशि है जो सीडिंग कंपनी सभी उपलब्ध पुनर्बीमा वसूलियों के बाद अपने पास रखती है।
55	निवल हानि	पुनर्बीमाकर्ताओं पर सभी वसूलियों, निस्तारण और सभी दावों के लिए कटौती करने के बाद बीमाकर्ता को हुई हानि की राशि।
56	गैर-जीवन बीमा	जीवन बीमा को छोड़कर सभी प्रकार के बीमा व्यवसाय।
57	गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा	पुनर्बीमा का वह रूप जिसमें कवरेज मूल बीमाकर्ता की हानि के सीधे अनुपात में नहीं होता; इसके बजाय पुनर्बीमाकर्ता एक निर्दिष्ट राशि के लिए उत्तरदायी होता है जो बीमाकर्ता के प्रतिधारण से अधिक होती है; इसे ''हानि पुनर्बीमा की अधिकता'' भी कहा जाता है।
58	अनिवार्य संधि	एक पुनर्बीमा अनुबंध जिसके तहत संबंधित व्यवसाय को अनुबंध की शर्तों के अनुसार बीमाकर्ता द्वारा अर्पित किया जाना चाहिए और पुनर्बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।
59	घटना	किसी दुर्घटना, घटना या बारदात को संदर्भित करते हुए पुनर्बीमा में अक्सर प्रयोग किया जाने वाला शब्द जो घटना-आधारित पुनर्बीमा संविदा के तहत कवरेज को सक्रिय करता है।
60	घटना सीमा	अधिकांश संपत्ति प्रति जोखिम पुनर्बीमा अनुबंधों में एक प्रावधान जो एक घटना में शामिल सभी जोखिमों के लिए पुनर्बीमाकर्ता की देयता को सीमित करता है।
61	परिचालन मार्जिन अनुपात	परिचालन मार्जिन की गणना परिचालन परिणाम को कुल परिचालन राजस्व से विभाजित करके की जाती है। परिचालन परिणाम ब्याज व्यय, करों और शुद्ध प्राप्त लाभ/हानि से पहले की राशि होती है।
62	परिचालन राजस्व	अर्जित प्रीमियम + निवल निवेश आय + अन्य राजस्व।
63	परिचालन जोखिम	परिचालन प्रक्रियाओं, आंतरिक प्रक्रियाओं और नियंत्रणों की विफलता से उत्पन्न जोखिम जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है।
64	बकाया हानि आरक्षित निधि (ओएसएलआर)	किसी व्यक्तिगत दावे के लिए, दावे के अंतिम निपटान से पहले, बीमाकर्ता द्वारा रिपोर्ट किए गए दावे के लिए भुगतान की जाने वाली राशि का अनुमान। इसमें हानि समायोजन व्यय की राशि शामिल हो सकती है।
65	उप-बीमांकन कमीशन	पुनर्बीमा या रेट्रोसेशन व्यवसाय (आमतौर पर आनुपातिक संधियों) में, सीडिंग कंपनी को मूल व्यवसाय के निर्माण और बीमांकन के लिए वास्तविक अधिग्रहण और संबंधित लागत के अतिरिक्त, भुगतान किया जाने वाला भत्ता।
66	प्लेसमेंट स्लिप	औपचारिक पुनर्बीमा अनुबंध द्वारा प्रतिस्थापन के लंबित होते हुए पुनर्बीमा के नियमों और शर्तों को रेखांकित करने वाला एक अस्थायी करार जिसके तहत बीमा संरक्षण प्रदान किया गया है। इसे बाइंडर, पुष्टिकरण, पर्ची और कुछ परिस्थितियों में कवर नोट के रूप में भी जाना जाता है।
67	पोर्टफोलियो	पोर्टफ़ोलियो पुनर्बीमा एक प्रकार का अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता बीमा पॉलिसियों के एक बड़े समूह का पुनर्बीमा करता है। इसमें किसी विशेष प्रकार की पॉलिसी (जैसे संपत्ति, जीवन, मरीन, आदि), या किसी भौगोलिक क्षेत्र की सभी पॉलिसियों, या किसी व्यावसायिक बही के लिए जोखिम को बीमाकर्ता से पुनर्बीमाकर्ता पर स्थानांतरित करना शामिल हो सकता है।
68	प्रीमियम	जब कोई पॉलिसीधारक बीमा पॉलिसी के लेने के लिए सहमत हो जाता है तो उसके लिए किए जाने वाले भुगतान या आवधिक भुगतान को प्रीमियम कहते हैं।

69	अर्जित प्रीमियम	वे प्रीमियम जिन्हें किसी बीमा कंपनी ने एक विशिष्ट लेखा अवधि के दौरान राजस्व के रूप में दर्ज किया है।
70	लिखित प्रीमियम	किसी विशिष्ट लेखा अवधि के दौरान बेची गई सभी पॉलिसियों के लिए प्रीमियम।
71	प्रीमियम न्यूनता रिज़र्व	जब प्रत्याशित हानियाँ, हानि समायोजन व्यय, कमीशन और अन्य अधिग्रहण लागतें, और रखरखाव लागतें दर्ज ''अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व'' से अधिक हो जाती हैं, तो परिचालनों के संगत शुल्क के साथ, कमी के लिए एक अतिरिक्त देयता दर्ज करके प्रीमियम न्यूनता रिज़र्व सृजित किया जाता है।
72	प्राथमिकता	पुनर्बीमा करार में प्राथमिक कंपनी का प्रतिधारण।
73	उत्पाद देयता बीमा	माल के निर्माता या आपूर्तिकर्ता की उनके उत्पादों से होने वाली क्षति के लिए देयता को कवर करने वाला बीमा।
74	पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा	देयता बीमा कवर जो चिकित्सकों, वास्तुकारों, इंजीनियरों, वकीलों, लेखाकारों और अन्य जैसे पेशेवर विशेषज्ञों को उनके पेशेवर क्षेत्र में गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले तृतीय-पक्ष दावों से संरक्षण प्रदान करता है।
75	लाभ कमीशन (पी.सी.)	एक कमीशन की सुविधा जिसके तहत पुनर्बीमाकर्ता के व्यय और लाभ मार्जिन के लिए छूट (अलाउंस) के बाद पुनर्बीमा अनुबंध की लाभप्रदता के आधार पर सेडेंट को कमीशन की अनुमति दी जाती है।
76	संपत्ति बीमा	अग्नि और व्यावसायिक व्यवधान बीमा के साथ-साथ चोरी, विश्वस्तता गारंटी और संबद्ध कार्यों के लिए सामूहिक शब्द।
77	यथानुपात पुनर्बीमा (जिसे आनुपातिक पुनर्बीमा भी कहा जाता है)	कोटा हिस्सा और अधिशेष पुनर्बीमा के सभी रूपों का वर्णन करने वाला एक सामान्य शब्द जिसमें पुनर्बीमाकर्ता सीडिंग कंपनी की हानि और प्रीमियम का एक आनुपातिक हिस्सा साझा करता है।
78	कोटा हिस्सा पुनर्बीमा	यथानुपात पुनर्बीमा (या आनुपातिक पुनर्बीमा) का एक रूप, जो अनुबंध में शामिल प्रत्येक जोखिम पर एक निश्चित प्रतिशत हानि के लिए, सीडिंग कंपनी को भुगतान किए गए प्रीमियम के समान प्रतिशत के आधार पर, सीडिंग कंपनी को क्षतिपूर्ति प्रदान करता है।
79	दर	सीडिंग कंपनी के विषयगत प्रीमियम पर लागू प्रतिशत या कारक जिसके परिणामस्वरूप हानि पुनर्बीमा से अधिक के लिए पुनर्बीमा प्रीमियम प्राप्त होता है।
80	ऑनलाइन दर (आरओएल)	पुनर्बीमा प्रीमियम को पुनर्बीमा सीमा से विभाजित करके प्राप्त प्रतिशत; व्युत्क्रम को निवेश वापसी या परिशोधन अवधि के रूप में जाना जाता है।
81	रेटिंग/मूल्य निर्धारण	पुनर्बीमा अनुबंधों के मूल्य निर्धारण के लिए दो बुनियादी दृष्टिकोण हैं: जोखिम रेटिंग और अनुभव रेटिंग। दोनों विधियों का उपयोग अलग-अलग रेटिंग दृष्टिकोणों के रूप में किया जा सकता है या किसी अनुबंध के लिए अपेक्षित हानि की गणना करने के लिए एक साथ भारित किया जा सकता है, जिसका उपयोग पुनर्बीमा के मूल्य निर्धारण के आधार के रूप में किया जाता है।
82	पुनर्स्थापन खंड	पुनर्बीमा अनुबंध में एक प्रावधान यह बताता है कि, जब किसी अनुबंध के अंतर्गत प्रदान की गई पुनर्बीमा कवरेज की राशि किसी एक घटना के परिणामस्वरूप हुई हानि के भुगतान से कम हो जाती है, तो पुनर्बीमा कवरेज राशि अगली घटना के लिए स्वतः ही पुनः स्थापित हो जाती है, जो कभी-कभी एक निर्दिष्ट पुनर्बीमा प्रीमियम के भुगतान के अधीन होती है।
83	पुनर्स्थापन प्रीमियम	एक अतिरिक्त पुनर्बीमा प्रीमियम जो पुनर्बीमा अनुबंध के अंतर्गत पुनर्बीमा हानि भुगतान के परिणामस्वरूप घटी पुनर्बीमा कवरेज की राशि को पुनः स्थापित करने के लिए लिया जा सकता है।
84	पुनर्बीमा	वह लेन-देन जिसके तहत ग्रहणकर्ता बीमाकर्ता (''पुनर्बीमाकर्ता''), भुगतान किए गए प्रीमियम के बदले में, किसी अन्य बीमाकर्ता (''अधीन कंपनी'') को उस हानि के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होता है जो बाद वाले को उसके द्वारा जारी की गई किसी विशिष्ट पॉलिसी या पॉलिसियों के समूह के तहत हो सकती है।
85	अर्पित/स्वीकृत पुनर्बीमा	सीडिंग कंपनी द्वारा सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार प्रीमियम और दावों को साझा करने के लिए पुनर्बीमाकर्ता को अंतरित किए जाने वाले बीमा जोखिम को पुनर्बीमाकर्ता द्वारा स्वीकृत पुनर्बीमा और सीडिंग कंपनी द्वारा अर्पित पुनर्बीमा माना जाता है।

86	पुनर्बीमाकृत	सेडेंट देखें।
87	पुनर्बीमाकर्ता	वह बीमाकर्ता जो किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा लिखित बीमा या पुनर्बीमा जोखिम का संपूर्ण या आंशिक भाग ग्रहण करता है।
88	आरक्षित राशि (रिज़र्व)	बकाया पॉलिसियों और अनुबंधों के अंतर्गत भविष्य की प्रतिबद्धताओं के लिए बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता के वित्तीय विवरणों में देयता के रूप में आगे ले जाने के लिए आवश्यक राशि।
89	प्रतिधारण	सीडिंग कंपनी द्वारा अपने स्वयं के खाते या दूसरों के खाते में रखी जाने वाली जोखिम राशि।
90	रेट्रोसीड	प्राथमिक बीमा कंपनियों या अन्य पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ एक या अधिक पुनर्बीमा अनुबंधों के अंतर्गत ग्रहण किए गए अपने दायित्व के लिए किसी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा किसी अन्य पुनर्बीमाकर्ता का पुनर्बीमा करने की कार्रवाई।
91	रेट्रोसेडेंट	एक पुनर्बीमाकर्ता जो किसी अन्य पुनर्बीमाकर्ता के पास अपने ग्रहण किए गए पुनर्बीमा के संपूर्ण या आंशिक भाग का पुनर्बीमा करवाता है।
92	रेट्रोसेशन	एक पुनर्बीमा लेनदेन जिसके अंतर्गत एक पुनर्बीमाकर्ता, जिसे रेट्रोसेडेंट के रूप में जाना जाता है, अपने द्वारा ग्रहण किए गए पुनर्बीमा जोखिम के संपूर्ण या आंशिक भाग को किसी अन्य पुनर्बीमाकर्ता, जिसे रेट्रोसेसनेयर के रूप में जाना जाता है, को सौंप देता है।
93	रेट्रोसेसनेयर	अन्य पुनर्बीमाकर्ता से पुनर्बीमा ग्रहण करने वाला पुनर्बीमाकर्ता।
94	इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)	समय-भारित शेयरधारकों की इक्विटी के प्रतिशत के रूप में निवल आय।
95	जोखिम	ऐसी स्थिति जिसमें चोट या हानि की संभावना हो; बीमा व्यवसायियों द्वारा बीमित संपत्ति या बीमित जोखिम को इंगित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
96	जोखिम प्रबंधन	संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान और अनुभव के आधार पर जोखिमों की व्यापक पहचान और मूल्यांकन हेतु प्रबंधन साधन।
97	रन ऑफ	पुनर्बीमा अनुबंध का एक समाप्ति प्रावधान जो यह निर्धारित करता है कि पुनर्बीमाकर्ता, समाप्ति तिथि के बाद होने वाली घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली हानि के लिए, समाप्ति तिथि पर लागू पुनर्बीमा पॉलिसियों के लिए, उनकी समाप्ति तक या एक निर्दिष्ट समयावधि तक उत्तरदायी बना रहेगा।
98	स्लाइडिंग स्केल कमीशन	अर्जित प्रीमियम पर एक कमीशन समायोजन, जिसके तहत वास्तविक कमीशन हानि अनुपात के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप से बदलता रहता है, जो अधिकतम और न्यूनतम के अधीन होता है।
99	सॉल्वेंसी अनुपात	यह पूँजी पर्याप्तता का एक विनियामक उपाय है, जिसकी गणना उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन को आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन से विभाजित करके की जाती है, प्रत्येक की गणना आईआरडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एक एकल स्थापित आधार पर की जाती है। आईआरडीएआई ने न्यूनतम सॉल्वेंसी अनुपात 1.50 निर्धारित किया है।
100	हानि रोको (स्टॉप-लॉस) पुनर्बीमा	पुनर्बीमा का वह स्वरूप जो किसी अवधि में दावों की कुल राशि, जो या तो घोषित राशि से अधिक हो या अनुमानित लाभ लागत के एक निर्दिष्ट प्रतिशत से, के विरुद्ध सीडिंग बीमाकर्ता को सुरक्षा प्रदान करता है।
101	प्रत्यासन (सब्रोगेशन)	यह पॉलिसी या अनुबंध की शर्तों या कानून द्वारा बीमित व्यक्ति या पुनर्बीमित व्यक्ति के संविदात्मक अधिकार का समनुदेशन है, जिसमें किसी हानि के भुगतान के बाद, बीमित व्यक्ति को कानूनी रूप से उत्तरदायी व्यक्ति से हानि की राशि वसूलने का अधिकार दिया जाता है।
102	अधिशेष पुनर्बीमा (जिसे अधिशेष शेयर पुनर्बीमा या परिवर्तनीय कोटा शेयर पुनर्बीमा भी कहा जाता है)	आनुपातिक पुनर्बीमा का एक रूप जिसके अंतर्गत सीडिंग कंपनी किसी दिए गए जोखिम पर अपनी देयता के उस हिस्से को अर्पित करती है जो अर्पणकर्ता (सेडेंट) के प्रतिधारण जोखिम के हिस्से (अर्थात, नेट लाइन) से अधिक होता है, और प्रीमियम और हानियाँ उसी अनुपात में साझा की जाती हैं जो अर्पित राशि प्रत्येक जोखिम पर बीमित व्यक्ति की कुल सीमा से संबंधित होती है।

103	सिंडिकेट	लॉयड्स सिंडिकेट, निगमीय और/या व्यक्तिगत सदस्यों से बनी एक इकाई को संदर्भित करता है जिसका गठन लॉयड्स, लंदन में बीमा और/या पुनर्बीमा के बीमांकन के उद्देश्य से किया गया है।
104	संधि (ट्रीटी)	एक पुनर्बीमा अनुबंध जिसके अंतर्गत पुनर्बीमाकृत कंपनी किसी विशेष श्रेणी या व्यवसायों के जोखिमों का एक पोर्टफोलियो सौंपने और पुनर्बीमाकर्ता उसे ग्रहण करने के लिए सहमत होता है।
105	अंतिम निवल हानि (यूएनएल)	हानि की राशि, जिसमें कवर किए गए हानि समायोजन व्यय शामिल हैं, जिसके विरुद्ध प्रतिधारण और पुनर्बीमा सीमाएँ लागू होती हैं।
106	अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि (यूपीआर)	अनर्जित प्रीमियम उन पॉलिसियों या पुनर्बीमा करारों के असमाप्त अंशों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी प्रीमियमों का योग होते हैं जो बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता एक निश्चित तिथि को अपनी बहियों में हैं।
107	बीमांकन क्षमता	वह अधिकतम राशि जो एक बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता किसी एकल हानि घटना में किसी एकल जोखिम पर या किसी निश्चित अवधि में सभी जोखिमों पर कुल मिलाकर जोखिम उठाने को तैयार होता है।
108	कार्यशील कवर	अतिरिक्त पुनर्बीमा की राशि को कवर करते हुए अनुबंध जिसमें हानि की आवृत्ति का अनुमान लगाया जाता है, आमतौर पर अपेक्षाकृत कम प्रतिधारण पर संलग्न होता है और यह आमतौर पर प्रति हानि या जोखिम पुनर्बीमा कवरेज की अपेक्षाकृत कम सीमा प्रदान करता है।

आपत्काले रक्षिष्यामि
GIC Re

54th Annual Report 2025-26



Global Reach. Enduring Trust.



आपत्काले रक्षिष्यामि
GIC Re



VISION

To be a leading global reinsurance and risk solution provider

MISSION

To achieve our vision by:

- Building long-term mutually beneficial relationship with business partners
- Practicing fair business ethics and values
- Applying "state-of-art" technology, processes including enterprise risk management and innovative solutions.
- Developing and retaining highly motivated professional team of employees
- Enhancing profitability and financial strength befitting the global position

CORE VALUES

- Trust and mutual respect
- Professional excellence
- Integrity and transparency
- Commitment
- Responsive service

आपत्काले रक्षिष्यामि
GIC Re

CONTENTS

CORPORATE OVERVIEW

Chairman's Message 07
Corporate Information 11
Corporate Chronicle 13
Board of Directors 15
Management 17

REPORTS

Board of Director's Report 18
Corporate Governance Report 42
Corporate Social Responsibility Report 62
Management Discussion and Analysis Report 67
Management Report 84
Business Responsibility & Sustainability Assurance Report 86
Business Responsibility & Sustainability Report 90

STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

Independent Auditors' Report 131
Comments of the Comptroller & Auditor General of India and Management's Reply 147
Revenue Account 151
Profit & Loss Account 156
Balance Sheet 158
Schedules forming part of Financial Statements 159
Significant Accounting Policies 186
Notes forming Part of Accounts 192
Cash Flow Statement 227
Summary of Financial Statements 229
Performance Ratio 231
Balance Sheet Abstract & Company's General Business Profile 237
Performance Highlights 238

आपत्काले रक्षिष्यामि
GIC Re

CONTENTS

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Independent Auditors' Report 240
Comments of the Comptroller & Auditor General of India and Management's Reply 254
Revenue Account 259
Profit & Loss Account 264
Balance Sheet 266
Schedules forming part of Financial Statements 267
Significant Accounting Policies 293
Notes forming Part of Accounts 300
Cash Flow Statement 333
Summary of Financial Statements 335
Performance Ratio 337

ANNUAL REPORT OF SUBSIDIARIES

GIC Re South Africa Ltd. 343
GIC Re, India, Corporate Member Limited 351
GIC Perestrakhovanie LLC 385

Notice of Annual General Meeting 426
Glossary 443



Shri Hitesh Joshi

Chairman-cum-Managing Director

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to present the Annual Report of General Insurance Corporation of India (GIC Re) for the Financial Year 2025-26.

The year under review reinforced an important reality for the reinsurance industry: risks are becoming more interconnected, more complex and harder to model and manage. Geopolitical uncertainty, evolving trade relationships, technology-led disruption, cyber exposures, climate volatility and shifts in global capital markets continue to influence the operating environment for insurers and reinsurers across the world.

In such an environment, the role of a reinsurer extends beyond providing capacity. It involves bringing stability, technical expertise and long-term confidence to the insurance ecosystem. As India's national reinsurer, GIC Re has continued to play this role with responsibility, commitment and resilience,

supporting the domestic insurance market while also maintaining its presence across international markets.

For GIC Re, FY 2025-26 was marked by continued focus on sharper risk assessment, prudent capital deployment and improved portfolio management. Our objective was clear: to pursue sustainable growth while enhancing financial strength, protecting stakeholders' interests, ensuring institutional credibility and promoting long-term resilience that GIC Re has built over several decades.

Financial Performance

I am pleased to share that GIC Re delivered a strong financial performance in FY 2025-26, marked by growth in premium income, improved underwriting outcomes, higher profitability and a further strengthening of its solvency position.

Your Company recorded a Gross Premium Income of ₹44,006.74 crore during the year as compared to ₹41,153.95 crore in FY 2024-25. The domestic business continued to remain the cornerstone of our operations, contributing around 75% of the total premium income, reaffirming GIC Re's leadership position in the Indian reinsurance market.

The bedrock of this year's excellent performance was a major turnaround in our core operations, highlighted by a 47.40% reduction in underwriting losses to ₹1,763.00 crore down from ₹3,351.61 crore last year. Reflecting our relentless focus on underwriting discipline, prudent risk selection, and portfolio optimization, our incurred claims ratio improved significantly to 85.40% from 88.44%.

Our investment portfolio continued to provide stability and support to overall earnings. Investment income increased to ₹13,089.34 crore during FY 2025-26, up from ₹12,772.52 crore in the previous year. The portfolio remains well diversified and prudently managed, aligning with our long-term strategy of preserving capital while generating sustainable returns.

Profit Before Tax increased by 23.13% to ₹10,793.25 crore, while Profit After Tax rose by 25.23% to ₹8,392.18 crore over previous year. Return on Equity improved to 16.4% from 15.5%, reflecting the Company's strong profitability and efficient utilization of capital during the year.

I am also pleased to report that our balance sheet continued to strengthen. The solvency ratio improved to 4.21, significantly higher than the regulatory requirement of 1.50 and one of the strongest in the industry. The higher solvency ratio has to be viewed in the context of pursuit of underwriting discipline in last few years to get the A- rating back – which occurred in October 2024, the need to reclaim the international business lost earlier and expansion of global footprint, the implementation of Ind AS and introduction of Risk based capital regime on the anvil, not to miss the growth opportunities from the green economy and emerging new generation risks and penetration potential that is available in the Indian market.

Total assets increased to ₹1,97,220.93 crore, while net worth excluding fair value change account stood at ₹51,301.27 crore as on March 31, 2026. The combined ratio for the year improved to 106.02%, down from 108.81% in the previous year, demonstrating continued progress towards enhancing underwriting performance.

These results reflect the sustained efforts of our management team and employees, whose dedication and commitment continue to drive GIC Re through evolving risk landscape. They also reaffirm the fundamental strength of our franchise, the resilience of our business model and our ability to create long-term value for all stakeholders. While financial performance is an important indicator of progress, our long-term competitive strength lies in how we respond to changes in the ever-evolving risk environment and macro-economic landscape.

During the year, we continued to focus on maintaining underwriting discipline across our portfolio. The emphasis remained on optimizing risk selection, reviewing portfolio quality and ensuring that growth is pursued in lines and geographies where returns are aligned with risk. In a market where competitive pressures can often lead to dilution in underwriting standards, we remain focused on protecting the quality of our risk book.

To navigate an increasingly complex risk landscape, we continued to advance our data analytics, decision-support capabilities and risk management. In an era of escalating volatility, the capacity to evaluate exposures precisely and price them accurately is paramount. Accordingly, our targeted investments made in catastrophe modelling, reserving capabilities, portfolio monitoring, and advanced analytical tools are designed to elevate the quality of our underwriting decisions and sharpen our responsiveness to emerging threats.

Capital strength and optimization remain central to our strategy. A strong solvency position allows us to support insurers through market cycles, absorb volatility and pursue opportunities with confidence. We will continue to maintain a prudent approach to capital deployment while balancing growth with profitability.

The Reinsurance Landscape: Adapting to a New Era of Risk

The global reinsurance industry is undergoing a period of structural transformation. Risk exposures today are increasingly interconnected cutting across sectors and geographies. Geopolitical volatility, trade policy shifts, supply chain vulnerabilities, inflationary pressures and financial market fluctuations continue to shape the operating environment for businesses and insurers worldwide.

At the same time, rapid digitalization and technological advances have created new categories of risk. Cyber threats,

technology outages, data breaches and digital infrastructure dependencies are now primary risk considerations for organizations across sectors. As businesses become more dependent on digital systems, demand for specialized insurance and reinsurance solutions is expected to increase.

In the international reinsurance market, an abundance of global capital, spanning traditional balance sheets and alternative risk capital, is shaping a more competitive pricing environment. Following a period of pricing correction in global reinsurance markets, reinsurers are prioritizing sustainable returns, technical pricing and robust risk governance. In this environment, value creation relies on balancing prudent risk selection with targeted, high quality portfolio expansion.

India continues to offer a strong long term business opportunity for insurance and reinsurance. Economic growth and rising per capita income, infrastructure development, growing asset creation, increasing risk awareness and proactive regulatory initiatives are driving the expansion of the insurance market. Emerging areas such as cyber insurance, surety bonds, liability covers, agriculture and other specialty lines are likely to create new opportunities for insurers and reinsurers alike.

Central to the domestic market trajectory is the Insurance Regulatory and Development Authority of India's (IRDAI) vision of achieving 'Insurance for All by 2047'. This mandate is being propelled by landmark regulatory reforms, including the transition toward a Risk-Based Capital (RBC) framework, enhanced digital public infrastructure and localized market-deepening initiatives. These forward looking measures are expanding protection coverage across underinsured demographics and sectors, positioning reinsurers to provide necessary capacity, risk-pooling mechanisms and capital resilience.

As India's premier reinsurer, GIC Re is uniquely positioned to lead and support this evolving landscape. Our domestic franchise, technical experience, capital strength and domestic and international relationships enable us to play a meaningful role in driving the expansion and resilience of the insurance ecosystem.

Sustainability and Responsible Growth

Sustainability focus is increasingly becoming an integral part of the reinsurance business. As the risk landscapes evolve, reinsurers have an important role in supporting resilience, enabling risk transfer and contributing to long term economic stability.

At GIC Re, our approach to sustainability is based on responsible growth, sound governance and prudent risk management. We recognise the importance of environmental, social and governance considerations in shaping future business decisions. We will continue to strengthen our internal governance frameworks, invest in talent and support solutions that contribute to a more resilient insurance ecosystem.

Outlook

The outlook for the insurance and reinsurance industry remains positive, although the operating environment will continue to require careful navigation and risk discipline. This is particularly relevant in the context of influx of new reinsurance players in the GIFT City. Economic growth, rising insurance penetration, rapid infrastructure development and growing awareness of risk protection are expected to support demand for insurance and reinsurance solutions.

For GIC Re, the priorities ahead are clear: continue to build a stronger, more resilient and future ready institution. We will continue to adhere to underwriting discipline, preserve capital strength, improve portfolio quality and invest in capabilities that enhance decision-making to promote risk adjusted value creation. As India's insurance sector expands, GIC Re will continue to provide stable capacity, underwriting leadership and market resilience, while leveraging our AM Best 'A-' (Excellent) rating to selectively access meaningful international opportunities. Supported by continuous investments in talent, technology, and enterprise risk governance, GIC Re stands well-prepared to deliver long-term value in an evolving global risk landscape.

As I conclude, I would like to extend my deepest appreciation to our shareholders for their steadfast trust and enduring confidence in GIC Re. I am equally grateful to the Board of Directors for their visionary guidance, and to our regulators for their continued institutional support. To our clients, cedants, brokers and business partners, thank you for your invaluable collaboration and ongoing association.

Most importantly, I want to express my profound gratitude to every member of the GIC Re family. Their unwavering commitment, core professionalism, and tireless dedication have successfully enabled the Corporation to navigate a dynamic operating environment while keeping our eyes firmly fixed on our long-term strategic objectives.

GIC Re has built its reputation over decades through resilience, trust and disciplined execution. As we move ahead, we remain committed to strengthening this legacy and building an institution that continues to support the insurance ecosystem, create value for stakeholders and contribute to India's growth journey.

Hitesh Joshi
Chairman-cum-Managing Director



DIRECTORS	Shri Hitesh Rameshchandra Joshi	Chairman-cum-Managing Director (w.e.f. 16.06.2026)
	Shri Ramaswamy Narayanan	Chairman-cum-Managing Director (upto 30.09.2025)
	Dr. Debasish Prusty	Government Nominee Director (w.e.f. 19.06.2026)
	Shri Manoj Muttathil Ayyappan	Government Nominee Director (w.e.f. 17.04.2025)
	Dr. M. P. Tangirala	Government Nominee Director (upto 17.04.2025)
	Shri Tapan Kumar Mondal	Government Nominee Director (w.e.f. 24.07.2025 & upto 19.06.2026)
	Ms. A. Manimekhalai	Independent Director (upto 02.06.2025)
	Ms. Vinita Kumari	Independent Director (upto 23.03.2026)
	Shri Ashwani Kumar	Independent Director (w.e.f. 30.07.2025 & upto 31.05.2026)
	Shri Hiteshkumar K. Bhandari	Independent Director (w.e.f. 13.08.2026)
	Ms. Jayashri Balkrishna	Executive Director (w.e.f. 23.07.2025)
	Ms. Radhika C. S.	Executive Director (upto 30.06.2025)
MANAGEMENT		
Chairman-cum-Managing Director	Shri Hitesh Rameshchandra Joshi	w.e.f. 16.06.2026
	Shri Ramaswamy Narayanan	upto 30.09.2025
Executive Directors	Shri Hitesh Rameshchandra Joshi	upto 16.06.2026
	Ms. Jayashri Balkrishna	w.e.f. 23.07.2025
	Ms. Radhika C. S.	upto 30.06.2025
General Managers	Shri S. K. Rath	upto 31.07.2025
	Smt. Jayashri Balkrishna	upto 22.07.2025
	Shri V. Balkrishna	upto 17.07.2026
	Shri Sachindra Salvi	Deputation to GICHFL w.e.f 01.01.2025
	Shri Rajesh Pawar	w.e.f. 15.05.2025
	Shri Rajesh Khadatare	w.e.f. 15.05.2025
	Shri Sanjay Mokashi	w.e.f. 15.05.2025
	Smt. Manali Patke	w.e.f. 15.05.2025
	Shri Satheesh Kumar	w.e.f. 01.04.2026
Chief Vigilance Officer	Shri Uday Laxmandas Devi	w.e.f. 29.12.2025
	Mr. S. Alagarsamy	upto 27.12.2025
Chief Finance Officer	Shri Rajesh Laheri	w.e.f. 18.06.2026
	Shri V. Balkrishna	upto 18.06.2026
Company Secretary	Shri Satheesh Kumar	w.e.f. 30.04.2025
Appointed Actuary (Non-Life)	Shri Sateesh Bhat	
Appointed Actuary (Life)	Shri Suresh Sindhi	
Deputy General Managers	Shri Nago Bhima Sonawane	upto 31.05.2025
	Shri Mukesh Daramwala	
	Shri Mukesh Waghela	upto 30.04.2026
	Shri V. B. Salve	
	Shri Satheesh Kumar	upto 31.03.2026
	Smt. Radhika Ravishekar	
	Smt. Babita Amin	
	Shri Rajesh Laheri	

	Smt. Jayashri Prabhu	
	Shri Shaji Thomas Kurian	
	Smt. Zenobia Palsetia	w.e.f. 15.05.2025
	Shri Jetho V. Jhamnani	w.e.f. 15.05.2025
	Smt. Lata Srijit	w.e.f. 15.05.2025
	Smt. Prerana Puthran	w.e.f. 15.05.2025
	Smt. Medha Sawant	w.e.f. 15.05.2025
	Shri Prashant Shilwant	w.e.f. 15.05.2025
	Smt. Geeta Nair	w.e.f. 01.04.2026
	Smt. Pradnya Prabhu	w.e.f. 01.04.2026
	Smt. Ujjwala Nitin Sakalkale	w.e.f. 01.04.2026
Statutory Auditors	S H B A & Co. LLP (formerly known as Bathiya & Associates LLP) Chartered Accountants G-2A, Dosti Pinnacle, Next to new Passport office, Road No. 22 Wagle Industrial Estate, Thane, Mumbai- 400604	S A R A & Associates Chartered Accountants 202, 2nd Floor, May Building, 297/299/301 Princess Street, Near Marine Lines Flyover Mumbai - 400002
Secretarial Auditor	M/s. Ragini Chokshi and Co. Company Secretaries, 34, Kamer Building, 5th Floor, 38, Cawasji Patel Street, Fort, Mumbai- 400001	
Registrar & Transfer Agent	KFin Technologies Ltd. 'Karvy Selenium', Tower B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad - 500 032 Tel. No.: (040) 6716 2222/3321 1000 E-mail: einward.ris@kfintech.com Website: www.kfintech.com	
Stock Exchanges	BSE Ltd. P. J. Towers, Dalal Street Mumbai - 400 001	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051
Banker	Bank of India Churchgate Branch, Baldota Bhavan Gr. Floor, 117, Maharshi Karve Marg Churchgate, Mumbai - 400 020	
Registered Office	"Suraksha", 170, J. T. Road, Churchgate, Mumbai - 400 020 (India) Tel.: +91 22 2286 7000 Email : info@gicre.in Website: www.gicre.in	
CIN	L67200MH1972GOI016133	
IRDAI Registration No.	112	

Sr. No.	Date and Year	Event
1	22nd November 1972	General Insurance Corporation of India was formed in the pursuance of section 9(1) of GIBNA Act and also under the Companies Act, 1956 as Private Company limited by Shares.
2	1st January 1973	The general insurance business in India was nationalized, 107 general insurance companies were merged and GIC of India was formed as the holding company with four subsidiaries viz., The New India Assurance Co. Ltd., National Insurance Co. Ltd., Oriental Insurance Co. Ltd. and United India Insurance Co. Ltd.
3	1st January 1978	Loss Prevention Association of India was formed by GIC of India and its 4 subsidiaries.
4	6th December 1978	Kenindia Assurance Company Ltd. was incorporated by merging branch operations of subsidiaries of GIC of India and LIC operating in Kenya.
5	1st January 1988	India International Insurance Pte. Ltd. was set up as a locally incorporated wholly owned subsidiary company of GIC of India and four Public Sector Insurance Companies in Singapore.
6	12th December 1989	GIC Housing Finance Co. Ltd was set up by GIC of India and the four Public Sector Insurance Companies.
7	25th May 1993	GIC Asset Management Co. Ltd was set up by GIC of India and the four Public Sector Insurance Companies.
8	19th April 2000	Insurance Regulatory & Development Authority (IRDA) was formed.
9	3rd November 2000	GIC of India (GIC Re) notified as "Indian Reinsurer".
10	June 2001	London representative office set up.
11	April 2002	Moscow representative office set up.
12	20th December 2002	Agricultural Insurance Company of India was set up by GIC Re, the 4 PSU Companies and NABARD.
13	April 2003	Life Reinsurance started its Underwriting activities.
14	1st April 2002	GIC Re appointed as managers to the Terrorism Insurance Pool.
15	7th August 2002	GIBNA Act amended.
16	21st March 2003	GIC Re ceased to be holding Company.
17	April 2005	Dubai representative office set up.
18	February 2006	SAP went live.
19	27th April 2006	Loss Prevention Association of India was amalgamated with GIC Re.
20	1st January 2007	Dubai representative office was upgraded to a Branch office.
21	1st April 2007	GIC Re was appointed as managers to Motor Third Party Pool.
22	1st January 2008	London representative office was upgraded to branch office and commenced its operations.
23	19th June 2008	Signing of Co-operation Agreement with Hannover Re for Life Re Business.
24	10th October 2008	Retakaful reinsurance.
25	16th October 2008	GIC Re mandated to form Nat Cat Pool for Afro Asian Region.

Sr. No.	Date and Year	Event
26	16th January 2009	GIC Re registered as Eventual Reinsurer in Brazil.
27	11th November 2010	GIC Re Malaysia Branch start functioning.
28	20th September 2011	Launch of e-Thru platform by Mr. J. Harinarayan, Chairman, IRDA.
29	19th October 2011	GIC Re won the Marine Insurance Award at Seatrade Middle East and Indian Subcontinent Awards 2011.
30	5th July 2012	GIC Re entered into a joint venture agreement for setting up the 1st Reinsurance Company in Bhutan.
31	26th November 2012	GIC Re won the Marine Insurance Award second time in a row, at Seatrade Middle East and Indian Subcontinent Awards 2012.
32	5th September 2013	The joint venture Reinsurance Company in Bhutan-GIC Bhutan Re Ltd. became operational.
33	19th September 2013	GIC Re appointed as Managers of FAIR NATCAT Reinsurance Pool at Beijing, China.
34	11th August 2014	GIC Re South Africa Ltd., the Wholly owned subsidiary of GIC Re in South Africa established.
35	12th June 2015	India Nuclear Insurance Pool launched.
36	29th January 2016	GIC Re, India, Corporate Member Limited, the Wholly owned subsidiary of GIC Re in UK established.
37	4th February 2016	GIC Re converted into 'Public Limited Company'.
38	21st April 2017	GIC Re opened IFSC Insurance office in GIFT City.
39	25th October 2017	GIC Re got listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.
40	1st April 2018	GIC Syndicate 1947.
41	30th January 2020	GIC Perestrakhovanie LLC (GIC Re's 100% subsidiary) received its reinsurance operations license from Central Bank of Russia.
42	22nd November 2022	GIC Re completed 50 years.
43	12th May 2026	Launch of Bharat Maritime Insurance Pool (BMIP) and GIC Re appointed as Pool Manager.



SHRI HITESH R. JOSHI

Chairman-cum-Managing Director, (W.e.f. 16.06.2026) (DIN: 09322218)

Shri Hitesh R. Joshi is a post-graduate in Accountancy from Mumbai University and holds a master's in financial management from the Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies. He is also a Fellow of the Insurance Institute of India.

Over the course of his career in Corporation, Mr. Joshi has undertaken a diverse range of assignments across key functions.



DR. DEBASISH PRUSTY

Additional Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance (W.e.f. 19.06.2026) (DIN: 10655471)

Dr. Debasish Prusty is a member of the Indian Administrative Service and now serving as the Additional Secretary in the Department of Financial Services in the Union Ministry of Finance in the Government of India. He has more than 26 years of experience in the designing and implementing policies in the realm of Public Finance, Sustainable Development, and Development Cooperation and Environmental and Urban Governance.

Before joining his current assignment, he served as the Principal Secretary in Finance and Urban Development Department in the Government of Rajasthan.

He had contributed to India's initiative for collaboration and partnership with various countries to launch the International Solar Alliance (ISA) platform in the year 2015 when he was the Director in the Climate change division of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in Government of India.

He has served as India's Deputy Chief of Mission in the Embassy of India to Belgium, Luxembourg and the European Union in Brussels from 2019 to 2024.He contributed to the resumption of negotiations on the Free Trade Agreement between the India and EU and the launch of the first ever India -EU Trade and Technology Council and the discussion on the India - Luxembourg Financial Sector Dialogue.

He has been conferred the Doctor of Philosophy from the Management Department of the Manipal University Jaipur and the Master of Philosophy in Environmental Sciences from the Jawaharlal Nehru University, Delhi, India. Dr. Prusty is trained from the International Monetary Fund (IMF) in the field of Finance for Macro-economists.



SHRI MANOJ MUTTATHIL AYYAPPAN

Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance (W.e.f. 17.04.2025) (DIN: 10733238)

Shri Manoj Muttathil Ayyappan holds a Master's degree in Business Administration (MBA) and had done B.Sc. from Mahatma Gandhi University, Kottayam, Kerala.

Presently, he is posted as Joint Secretary in the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.

Shri Manoj Muttathil Ayyappan was appointed as Government of India Nominee Director in Bank of India from 05.08.2024. He has rich experience of over 25 years in SME lending, Financial Analysis, Trade Finance, Risk Management, Stressed Account Management and Credit Operations across Indian banks and Global Consulting Companies.



SHRI TAPAN KUMAR MONDAL

Deputy Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance (Upto 19.06.2026) (DIN: 11228147)

Shri Tapan Kumar Mondal is a Central Secretariat Service officer of the 1990 batch. He holds a B.Sc. degree from University of Calcutta. He has a vast array of experience of various Departments/Ministries of Government of India such as DGS&D, Department of Industrial Policy and Promotion (presently DPIIT), Ministry of Defence etc.

He superannuated as Deputy Secretary (Vigilance) in the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. He also served as the Nodal Officer for Andaman & Nicobar Islands Union Territory Level Bankers' Committee. He was also Government Nominee Director on the Board of Mizoram Rural Bank.



SHRI ASHWANI KUMAR

Independent Director (Upto 31.05.2026) (DIN: 10344636)

Shri Ashwani Kumar is a Chartered Accountant, Post Graduate in Commerce and also a certified member of Indian Institute of Banking and Finance. He has more than three decades of rich experience in banking. Shri Ashwani Kumar rose through the ranks serving in various Public Sector Banks such as Bank of Baroda, Corporation Bank, Oriental bank of Commerce, Punjab National Bank and Indian Bank. His experience includes Wholesale Banking Division and Head of several Branches including Industrial Finance Branches and Large Corporate Branches. As a General Manager, he was heading Mid Corporate and Large Corporate verticals. He has served as a Zonal Manager, heading various Zones and also as the Chief Finance Officer (CFO). As an avid learner, he has attended various training programs in premier institutes in India and abroad including IIM and CAFRAL. He has also completed the Leadership Development Programme of IIM Bangalore, curated by the Banks Board Bureau in consultation with IBA and Egon Zehnder International Pvt. Ltd. He has also completed Directors Development Programme curated by Egon Zehnder and Harvard Business Publishing in co-ordination by FSIB and IBA. In addition to the above, he has also completed the Certification Programme for IT and Cyber Security for Board Members organised by IDRBT. Prior to joining UCO Bank as MD & CEO, he was Executive Director of Indian Bank.



MS. JAYASHRI BALKRISHNA

Executive Director (W.e.f. 23.07.2025)(DIN: 11210291)

Ms. Jayashri Balkrishna is a Postgraduate in Commerce from the University of Mumbai, a Fellow of the Insurance Institute of India (FIII), and an Associate of the Chartered Insurance Institute (ACII), London.

Over the course of her career with the Corporation, she has handled a diverse range of functions across various domains. Her experience encompasses Investment Operations and Accounts, Reinsurance Operations (including Claims Management), Audit, Budgeting and Forecasting, Corporate Communications, Credit Rating, Broker Relationship Management, and Investor Relations. Recognized for her results-driven approach, she has consistently led initiatives to successful completion within stipulated timelines while ensuring high standards of execution.

She currently serves as the Chief Risk Officer (CRO) of the Corporation and is responsible for overseeing Enterprise Risk Management, Corporate Social Responsibility, Procurement, Non-Performing Assets (NPA), Investment (Mid and Back Office), Office Services Department, INTOPS, ITMG, Digital Team, Actuary, Claims Vertical, and General Accounts. In this role, she provides strategic leadership across these functions, driving governance, operational excellence, and sustainable business outcomes.



SHRI HITESHKUMAR K. BHANDARI

Independent Director (W.e.f. 13.08.2026) (DIN: 11890575)

Shri Hiteshkumar K. Bhandari holds degree in Masters of Law (LLM). He is a practicing advocate at Silvassa District Court and has wide experience of 26 years in handling civil & criminal matters.



Shri Hitesh R. Joshi
Chairman-cum-Managing Director



Ms. Jayashri Balkrishna
Executive Director



Shri Rajesh Pawar
General Manager



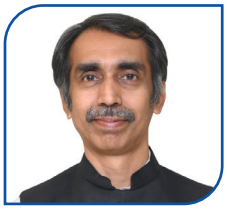
Shri Rajesh Khadatare
General Manager



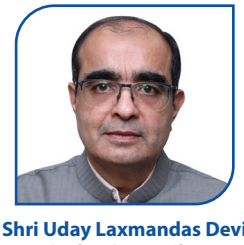
Shri Sanjay Mokashi
General Manager



Smt. Manali Patke
General Manager



Shri Satheesh Kumar
General Manager



Shri Uday Laxmandas Devi
Chief Vigilance Officer



Shri Sateesh Bhat
Appointed Actuary (Non-Life)



Shri Suresh Sindhi
Appointed Actuary (Life)

To the Members

General Insurance Corporation of India

The Directors have pleasure in presenting the Fifty-Fourth Annual Report of the General Insurance Corporation of India (GIC Re or the Corporation) on the working and affairs of the Corporation along with the audited statements of accounts for the year ended 31st March 2026.

FINANCIAL RESULTS:

The highlights of the financial results for the year under review are as under:

(₹ in crore)

	Particulars	2025-26	2024-25
1.	Gross premium	44,006.74	41,153.95
2.	Net Premium	40,571.25	37,844.21
3.	Net Earned Premium	39,378.35	36,130.26
4.	Net Incurred Claims % to Earned Premium	33,627.66 85.40%	31,953.69 88.44%
5.	Net Commission % to Earned Premium	7,972.03 20.24%	7,372.54 20.41%
6.	Operating Expenses and Other Outgo less Other Income	(516.05)	193.26
7.	Investment Income Apportioned to Revenue less expenses	8,612.97	8,713.96
8.	Premium Deficiency	57.71	(37.62)
9.	Total Profit/Loss (-) (3+7-4-5-6-8)	6,849.97	5,362.35
10.	Transfer To CAT Reserve	739.25	597.95
11.	Interest, Dividends & Rents (net) and Profit on sale of Investments	4,476.37	4,058.56
12.	Other Income less Other Outgo	223.17	(90.16)
13.	Reserve for Doubtful Debts and Investment including Amortization of Investments Written off and diminution in the value of investments written off	17.00	(32.83)
14.	Profit before Tax (9-10+11+12-13)	10,793.26	8,765.64
15.	Provision for tax including deferred taxes	2,401.08	2,064.28
16.	Profit after Tax (14-15)	8,392.18	6,701.36

(Net Earned Premium is arrived after adjustments for Reserve for Unexpired Risks)
(Percentages relate to the net earned premium of the corresponding year)
(Obligatory sessions from Domestic Insurance Companies reduced from 10% to 5% w.e.f. 01.04.2013 vide IRDA/NL/RI/41/2012-13 dated 3rd March 2013 and is further reduced from 5% to 4% w.e.f. 01.04.2022 vide IRDAI/RI/1/180/2022 dated 10.01.2022)

DIVIDEND & DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

The Board of Directors at its meeting held on 26th May 2026 recommended the payment of dividend of ₹13.25 per share of Face Value of ₹ 5/- each (i.e. 265% of paid-up equity share capital) for FY 2025-26 as against dividend of ₹10/- per share for FY 2024-25.

In accordance with the Regulation 43A of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI(LODR) Regulations], the Corporation has formulated a dividend distribution policy and the same is available on the website of the Corporation at https://www.gicre.in/images/2025/Dividend_Distribution_Policy_2025_Ver_30_web.pdf

CAPITAL AND FUNDS

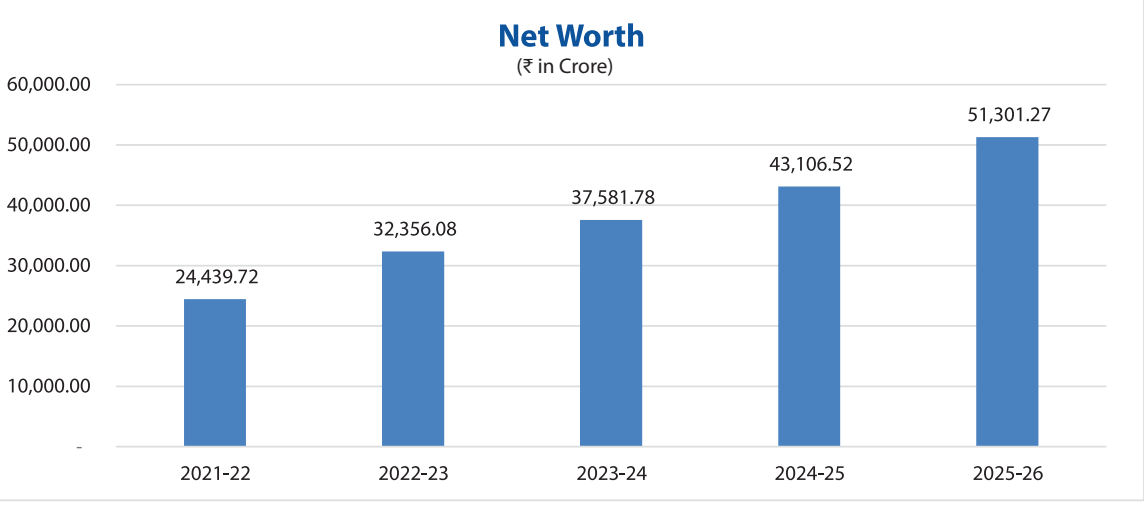
Capital and Funds of the Corporation stood at ₹ 1,50,386.18 crore as on 31st March 2026 as against ₹ 1,34,915.94 crore in the previous year, the details of which are given below:

(₹ in Crore)

Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
Shareholders' Funds	51,301.27	43,106.52
Policyholders' Funds	99,084.91	91,809.42
Total Funds	**1,50,386.18**	**1,34,915.94**

Note: As per the regulatory norms, Shareholders' funds as on 31.03.2026 also include foreign currency translation reserve.

SHAREHOLDERS' FUNDS FOR THE LAST 5 YEARS



The amount proposed to be carried to reserves are mentioned in the financial statement.

ASSETS

Total assets of the Corporation were ₹ 1,97,220.93 crore as on 31st March 2026 as compared to ₹ 1,87,615.74 crore as on 31st March 2025.

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

As per the provision of Section 129(2) of the Companies Act, 2013, at every Annual General Meeting of a company, the Board of Directors of the Company shall lay before such meeting financial statements for the financial year. Section 129 (3) of the Companies Act, 2013 provides that where a company has one or more subsidiaries, it shall, in addition to financial statements provided under sub-section (2) of Section 129, prepare a consolidated financial statements of the company and of all the subsidiaries in the same form and manner as that of its own which shall also be laid before the Annual General Meeting of the company along with the laying of its financial statements under sub-section (2) of Section 129.

Explanation:

The Corporation is preparing Consolidated Financial Statements as it has three subsidiaries namely GIC Re South Africa Ltd., GIC Re, India, Corporate Member Limited, UK and GIC Perestrakhovanie LLC, Moscow apart from three Associate Companies namely, Agriculture Insurance Company of India Ltd. (AICIL), India International Insurance Pte. Ltd., Singapore and GIC Bhutan Re Ltd.

FINANCIAL RATING AND RANKING

AM Best has upgraded the Financial Strength Rating to A- (Excellent) from B++ (Good) and the Long-Term Issuer Credit Rating to "a-" (Excellent) from "bbb+" (Good) of General Insurance Corporation of India (GIC Re). In addition, AM Best has revised the Credit Rating (rating) outlook to stable from positive. Furthermore, AM Best has affirmed the India National Scale Rating (NSR) of aaa.IN (Exceptional) with a stable outlook.

The ratings reflect GIC Re's balance sheet strength, which AM Best assesses as very strong, as well as its adequate operating performance, favourable business profile and appropriate enterprise risk management. In addition, the ratings factor in a neutral impact from the company's ownership by the Government of India.

The rating upgrades reflect an improvement in GIC Re's balance sheet strength fundamentals. GIC Re's risk-adjusted capitalisation, as measured by Best's Capital Adequacy Ratio (BCAR), has exhibited an improving trend over the past four years, and remained at the strongest level.

CARE Ratings Ltd. has reaffirmed 'AAA (Is)' Issuer Rating for the Corporation in January 2026 with a stable outlook. The rating reflects GIC Re's strategic importance as the dominant Indian reinsurer. The rating also factors in its experienced management, diversified business profile and comfortable liquidity and solvency position.

SOLVENCY RATIO

The Solvency Margin of the Corporation as on 31st March 2026 stood at 4.21 as against 3.70 in the previous year.

INVESTMENTS

The book value of the investments of the Corporation in India (representing investments, loans & deposits) amount to ₹ 1,17,645.62 crore as against ₹ 1,06,733.46 crore in the previous year. The Investment income of ₹ 13,128.97 crore was apportioned to Policyholders & Shareholders as under:

(₹ in Crore)

Particulars	2025-26	2024-25
Apportioned to Policyholders (PH)	8,650.28	8,647.85
Apportioned to Shareholders (SH)	4,478.69	4,060.35

Ratio of PH/SH – 65.89%/34.11%

*Investment income is taken at gross

The mean yield on funds with profit on sale of investments stood at 10.60% (Previous year 11.04%). The percentage of net NPA (Non-performing Assets) to Gross loan assets (including Government Securities) was 0.97% (Previous year – 0.00%).

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (IRDAI)

The Corporation being a Reinsurance Company, its working and functions, are governed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI). The Corporation's existing paid-up equity capital of ₹ 877.20 crore conforms to the specifications of the IRDAI. The Accounts of the Corporation are drawn up according to the stipulations prescribed in the IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report) Regulations, 2002.

IRDAI has identified the Corporation as a Domestic Systemically Important Insurer (D-SII) for FY 2025-26 as per the framework put in place for identification & monitoring of the operations of Domestic Systemically Important Insurers.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

The provisions of Section 186(4) of the Companies Act, 2013 (the Act) requiring disclosure in the financial statements of the full particulars of the loans given, investment made or guarantee given or security provided and the purpose for which the loan or guarantee or security are proposed to be utilised by the recipient of the loan or guarantee or security are not applicable to the Corporation.

SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS OF THE COMPANY AND ITS FUTURE OPERATIONS

There are no significant and/or material orders passed by the Regulators or Courts or Tribunals impacting the going concern status of future operations of the Corporation.

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)

The Corporation has established a Enterprise Risk Management (ERM) Policy, which defines a comprehensive governance structure along with clearly articulated roles and responsibilities at various levels. The ERM Department is headed by the Chief Risk Officer (CRO), who reports to the Board Risk Management Committee through the Chairman-cum-Managing Director (CMD) and the Management level ERM Committee.

With the introduction of SAP Risk Management & Process Control (SAP RM & PC – eGRC), the ERM Department conducts enterprise-wide risk assessments in coordination with Risk Managers and Risk Owners using a structured, technology-enabled approach. These assessments focus on identifying new risks, as well as reviewing and deliberating existing risks. The SAP RM & PC platform enhances transparency across business and compliance processes while strengthening governance.

The ERM Department undertakes periodic review of the risks and evaluates the effectiveness of the implemented controls. Key developments, observations, and deviations, if any, are reported to the Management and the Board Risk Management Committees on a regular basis.

As part of its associated responsibilities, the ERM Department reviews the Business Continuity Plan (BCP) and conducts the Business Impact Assessment (BIA), a key annual exercise aimed at ensuring continuity of critical functions at defined minimum acceptable levels and safeguarding the Corporation's financial, competitive, and reputational position in the short and medium term.

During the year under review, a neutral Third Party Consultant was appointed to conduct the Stress Test exercise of the Corporation. The Stress Test for the financial year 2025-26 was carried out based on financial data as on 31st March 2025. The Stress test exercise evaluated scenarios of significant adverse threats to the future financial condition of the Corporation and found it to be adequately resilient. The Stress Test Report was presented to the Board and subsequently shared with IRDAI.

Standard Operating Procedures (SOPs) are in place for the two key functional areas of the Corporation viz. Reinsurance and Investment, along with their related accounting activities. These SOPs are reviewed and modified on need basis, as per user department requests with the approval of the Corporation's Enterprise Risk Management Committee.

The Corporation has a Board approved Anti-Fraud Policy covering prevention, identification, investigation, reporting, monitoring, and control of frauds which is reviewed annually. The Corporation has declared 'Zero Tolerance' to any non compliance with the terms and conditions of the Anti-Fraud Policy. As part of regulatory compliance, the ERM Department files Fraud Monitoring Returns with the Regulator.

The Corporation has also put in place a Board approved Risk Appetite Statement which provides a comprehensive summary of risk appetite parameters guiding the operations of the Corporation. To ensure an appropriate level of capital at all times, the Board approved Capital Management Plan has been put in place.

During the year under review, as part of the Business Continuity Plan (BCP), a drill was conducted at the alternate site at the GIC Delhi Liaison Office to create awareness, ensure preparedness among the Critical Resource Team and Business Continuity Teams during emergencies. The BCP is shared with all employees for awareness on the procedures involved in the recovery of operations.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) REPORTING

The Corporation is having a Corporate Social Responsibility Policy (CSR Policy) indicating the activities to be undertaken by the Corporation, which has been approved by the Board.

The CSR Policy may be accessed on the Corporation's website at the link: https://www.gicre.in/images/2026/CSR-Policy-2025-Ver-10.pdf

The CSR Reporting as per Section 135 of the Companies Act, 2013 given in **Annexure I**.

AUDITORS

M/s. S H B A & Co LLP, Chartered Accountants, Mumbai and M/s. SARA & Associates, Chartered Accountants, Mumbai were appointed as Joint Statutory Auditors to audit the accounts of the Corporation for the Financial Year 2025-26 by the Comptroller & Auditor General of India under Section 139 and Section 143 of the Companies Act, 2013. The Joint Statutory Auditors have issued the Auditors' Report. The observations made in the Auditors' Report on the Corporation's financial statements for the financial year ended on 31st March 2026 are self-explanatory and therefore do not call for any further comments/information.

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013, M/s. Ragini Chokshi & Associates, Practicing Company Secretaries have been appointed to undertake the secretarial audit of the Corporation. The Secretarial Audit Report for the financial year ended 31st March 2026 is annexed herewith as **Annexure II**. The Secretarial Audit Report does not contain any qualification, reservation or adverse remark except that pursuant to Regulation 17(1)(a), (b) and (c) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Corporation could not comply with the requirement of composition of the Board of Directors and Regulation 18(1)(b) and 19(1)(c) regarding constitution of Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee during the period as specified in the said report. In this regard, the Corporation being a Government of India Company, in terms of Articles of Association, the power to appoint Directors vests with Government of India through Ministry of Finance. The Corporation has been requesting the Ministry for appointment of Directors towards compliance of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Maintenance of cost records as specified by the Central Government under sub-section (1) of Section 148 of the Companies Act, 2013, is not applicable to the Corporation.

PERFORMANCE AND FINANCIAL POSITION OF SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATES

Pursuant to Section 129(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, a separate statement containing salient features of the Financial Statements of Subsidiary, Associate and Joint Venture Companies in Form AOC-1 forms part of the Directors' Report for the financial year 2025-26 as **Annexure III** and the details on their performance & financial position are given in Management Discussion & Analysis Report.

Further, in terms of proviso to Section 136(1) of the Companies Act, 2013 and Regulation 46 of the SEBI (LODR) Regulations 2015, the Corporation will place separate audited Financial Statements in respect of each of its Subsidiary Company on its website and also provide a copy to any Shareholder of the Corporation who seeks the same. The Financial Statements of the Subsidiary Companies will also be kept open for inspection at the registered offices of the Corporation/ the respective Subsidiary Companies.

RELATED PARTY TRANSACTION

Related party transactions entered into during the financial year were on an arm's length basis and in the ordinary course of business. Details of related party transactions are provided in notes to financial statements.

There were no transactions entered during the year that fall under the scope of Section 188(1) of the Companies Act, 2013. Accordingly, disclosure of Related Party Transactions as required under Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 in Form AOC-2 is not applicable to the Corporation. Related party transactions are placed before the Audit Committee and also before the Board wherever necessary in compliance with the provision of the Act and SEBI (LODR) Regulations.

The Related Party Transaction policy of the Corporation including determining material subsidiaries is available on the Corporation's website at https://www.gicre.in/en/people-resources/policies-and-guidelines.

ANNUAL RETURN

Pursuant to Section 92(3) read with Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013, a copy of the Annual Return for the year ended 31st March 2026, with the information available up to the date of this report, is placed on the website of the Corporation at https://www.gicre.in/en/investors-public-disclosures/investors-en/financial-performance/annual-return and shall be further updated as soon as possible but no later than sixty days from the date of the Annual General Meeting.

COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

A certificate obtained from the Practicing Company Secretary regarding compliance of conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (LODR) Regulations, 2015 is annexed to the Corporate Governance Report, forming part of this Annual Report.

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS REPORT

The operations and future prospects of the Corporation are dealt with in the Management Discussion and Analysis Report which forms part of the Board of Directors' Report.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO AND OTHER INFORMATION

The particulars of Foreign Exchange earnings/outgo as required by the Companies (Accounts) Rules, 2014 is given below:

i) Earnings ₹ 2,630.25 crore

ii) Outgo ₹ 4,098.62 crore

The earnings included all receipts denominated in foreign currencies in respect of premium, recovery of claims, outward commission, and investment earnings but excluding interbank transfers.

The outgo comprises all payments in foreign currency in respect of outward premium, claims on reinsurance accepted, commission and expenses of management (bank charges) but excluding interbank transfers.

Expenses on (a) Entertainment (b) Foreign Tours and (c) Publicity and Advertisement amounted to ₹6,15,795.77, ₹70,61,433.64 and ₹12,30,13,131.96 respectively for the year under review.

CONSERVATION OF ENERGY AND TECHNOLOGY ABSORPTION

The Corporation is not engaged in any manufacturing activity and as such there are no particulars to disclose under the Companies (Accounts) Rules, 2014 as regards Conservation of Energy or Technology Absorption.

PERSONNEL AND INDUSTRIAL RELATIONS

I. Staff Position as on 31st March 2026

Class I	Officers	480
Class III	Clerical Staff	23
Total		**503**

II. Composition of Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribes (ST) and Other Backward Class (OBC) in Employee Strength

Cadre	Total Employees	Composition					
		SC	%	ST	%	OBC	%
Officers	480	83	17.29	30	6.25	121	25.21
Clerical Staff	23	4	17.39	4	17.39	5	21.74
Sub-Staff	0	0	0	0	0	0	0
Total	**503**	**87**	**17.30**	**34**	**6.76**	**126**	**25.05**

III. Welfare of SC/ST & OBC:

The Corporation has framed rules as per the National Policy on Reservations for SC/ST & OBC, which allows reservations, concessions/relaxations to SC/ST & OBC, in recruitment and promotions wherever applicable. Special in-house training classes are conducted for employees who are in the promotion zone, in order to enable them to acquire knowledge and perform better in the pre-promotional written examination. The Corporation also organises Online training for SC/ST candidates who apply for the Recruitment Examination on All India Basis. Various benefits under various Welfare Trusts are given to SC/ST employees. Quarterly meeting is held with the SC/ ST Union leaders/ members to understand their issues / grievances, if any.

DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

The Corporation has been employing women employees in various cadres in all offices within India and abroad. The Corporation has in place Board approved policy against Sexual Harassment, in line with the requirement of The Sexual Harassment of Women At Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. All employees are covered under the policy. There has been

no complaint from any employee during the financial year 2025-26 and hence no complaint is outstanding for redressal as of 31st March 2026.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY OF THE CENTRAL GOVERNMENT

During the year 2025-26, GIC Re continue to improve its performance in the implementation of the Official Language Policy of the Government of India and ensured complying with all the guidelines issued by the Ministry, from time to time.

As mandated by the Official Language Policy of the Government, the Officials of Rajbhasha Department of the Corporation regularly inspected various departments of the Head Office, Mumbai and the liaison office located in Delhi.

GIC Re organised regular Hindi workshops at Head office in Mumbai (four) and Liaison office in Delhi (one). In addition, GIC Re also organised Quarterly (4) meetings of the Officials Language Implementation Committee. Quarterly progress reports (QPR) related to the Corporation's Official Language implementation are uploaded to the Ministry's website in a timely manner. The Corporation is represented in programs related to the implementation of Official Language organized by the Ministry of Home Affairs. A 'Word of the Day' (Bilingual) with a thought and a picture is shared with all the employees on daily basis. In this way, continuous efforts are made towards implementing the official language.

Major translation activities covered Financial Standing Order (FSO) and the periodic updating of the Corporation's portal. The in-house quarterly journal, which is popularly known as "KSHITIJ", has seamlessly been published during the year, and digital copy of the same is also made available on the Corporation's website.

During September 2025, a period which is marked as Hindi Pakhwada (Fortnight), special activities are organised to promote the usage of Hindi language in day-to-day work, such as organising various competitions, organising "Hindi Day" celebrations, not only to reward the winners but also to include various cultural activities to ensure larger participation from the employees.

All the Corporation's Officers and Employees are currently acquired with working knowledge of Official Language. Hindi typing facility through "UNICODE" is made available in all the desktops / computers which enables the Officers and Employees of GIC Re to carry out their day-to-day work in Hindi, easily. During the inspection of the third sub-committee of the Parliamentary Language Committee, GIC Re received certificate of excellence for better performance in Official language. Officials of GIC Re have attended all Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) meetings and GIC Re has participated in various programs organized under the aegis of the TOLIC. Official Language Department of GIC Re is periodically awarded prizes for its In-house magazine "KSHITIJ" by TOLIC.

PROCUREMENT OF GOODS & SERVICES FROM MICRO AND SMALL ENTERPRISES (MSEs)

The Procurement of goods and services are through the GeM portal as per the Government of India mandate and ensure compliance of all the Government of India guidelines.

The Government of India has notified a Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) order 2012 and its amendments thereof. GIC Re has procured 14.37% from MSEs for the year 2025-26.

VIGILANCE

The Vigilance administration in the Corporation is professionally managed and an integral part of management function. It promotes clean business transactions, professionalism, and ethical practices apart from control, monitor and supervision of various vigilance functions.

The Corporation has a very strong and transparent Vigilance Administration headed by Chief Vigilance Officer, appointed by DFS, who oversees all vigilance functions of the Corporation as per the guidelines from the Central Vigilance Commission. Participative /Proactive & Preventive vigilance are the important functions of vigilance Administrations.

The vigilance function comprises of three aspects:

1. Preventive Vigilance: Preventive measures hold greater significance in containing damage than detection and punishment of corrupt and other malpractices.
2. Preventive measures such as inspections of sensitive areas of business/operations, identification of sensitive posts, ensuring observance of conduct rules, regular scrutiny of inspections and audit reports, and Systemic improvements.
3. Detective Vigilance: Detective Vigilance includes conducting regular and surprise inspection in the sensitive area to detect if

there have been any instances of corrupt or improper practices by the staff, undertaking scrutiny of annual property returns and handling complaints, getting in-depth investigations done and examining the same for logical conclusion through appropriate action after due process.

4. Punitive Vigilance: In addition to ensuring that employees at all levels indulging in wilful and malafide transgression of rules and regulations are not allowed to go unpunished. It is also ensured that Bonafide decisions taken in normal course of business are evaluated objectively and with required prudence.

The CVO also coordinates with CVC and DFS for necessary guidance on vigilance related matter and Law Enforcement Agencies in case of frauds.

Under Digitalization, Vigilance Department has put in place "Vigilance-online complaint portal" on GIC Re website, to enable public to raise the Vigilance related complaints/issues.

INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

The primary objective of the Internal Audit Department is to maintain robust oversight of organizational activities, thereby enabling the management to gain assurance on the integrity of financial records, operational efficiency and effectiveness of the internal control and governance framework.

GIC Re has established systems and controls across its key functional areas, including Underwriting, Claims, Investments, Finance, and IT. To achieve its audit objectives in a structured and professional manner, the Internal Audit Department engages reputed chartered accountancy firms.

For the Financial Year 2025-26, M/s T.R. Chadha, Chartered Accountants, were appointed as Internal Auditors for Reinsurance Operations and Non-Reinsurance Operations, while M/s Mayra & Khatri, Chartered Accountants, were appointed as Concurrent Auditors for auditing the Investment Department.

Internal Auditors were also appointed for GIC Re's overseas branches in London, Dubai, Malaysia, as well as the International Financial Services Centre Insurance Offices (IIO) at GIFT City.

Additionally, the following special audits were conducted:

- Secretarial Audit
- Internal Finance Control (IFC)

The department also acts as the nodal point for interactions with the Comptroller & Auditor General of India (CAG) and other related departments concerning CAG audits. The status of Draft Paras (DPs) and Inspection Reports (IRs) issued by the CAG is regularly presented to the Audit Committee of Board and also to the Board for review and direction.

Functioning under the independent supervision of the Audit Committee of the Board, the Internal Audit Department presents audit findings from Head Office and foreign branches for the Committee's review. Four Audit Committee meetings were held during FY 2025–26, where Action Taken Reports (ATRs) were also submitted to track progress on compliance with the Committee's directives.

During the year, the scope and guidelines for the appointment of Internal Auditors, both in India and abroad, were reviewed to align with evolving expectations around Corporate Governance, Regulatory compliance, risk mitigation, and fraud prevention.

As in previous years, key business areas such as Reinsurance Underwriting, settlement of outstanding accounts, broker balance reconciliations, Treaty acceptances, Cash Call settlements, and account settlements were audited on a concurrent basis. Other departments including Investments, HR, IT, Communications, General Accounts, and Office Services were also covered under the audit plan.

Major capital and revenue expenditures with financial implications were subjected to thorough audit. Investment operations, including both primary and secondary market transactions, were audited on a concurrent basis. In accordance with RBI guidelines, the Subsidiary Government Ledger (SGL) for Central and State Government Securities was audited monthly, with reconciliations and balance confirmations submitted to the RBI and placed before the Audit Committee.

The Internal Audit Function has significantly contributed to improvements in data quality, faster claim processing, and better accounts receivable management. Through critical evaluations and constructive feedback, the Internal Audit Department continues to strengthen the Corporation's overall governance and control mechanisms.

Furthermore, the Internal Audit Department facilitated the implementation of the Corporation's Annual Budget and the Mid-Year Budget Review based on departmental budget estimates, ensuring adherence to financial discipline.

RTI ACT, 2005

The Corporation has in place the stipulated structure to implement the RTI Act 2005, in the Organization. The Setup is headed by an Executive Director designated as the Nodal Officer. A General Manager functions as the First Appellate Authority, an Assistant General Manager is the Central Public Information Officer, a Chief Manager discharges the duties of Assistant Central Public Information Officer under the provisions of the Act. A Senior Manager has been nominated as Nodal Officer, MIS.

The Corporate website https://www.gicre.in/en/ also hosts information as relevant to the Corporation, under the Act. It has separate Right to Information dedicated link continuously updated by the RTI Cell (GIC | Home Page (https://www.gicre.in/en)) containing information and complying with the provisions under the RTI Act, 2005, DoPT and CIC circulars.

GIC Re in the FY 2025-26 complied with the guidelines issued by Ministry of Personnel regarding Implementation of suo motu disclosure u/s Section 4 of the RTI Act, 2005 and its Audit thereof.

During the period under review (2025-26) the Corporation received One hundred and Ninety- seven (197) Applications and Fifteen (15) First Appeals under the RTI Act, 2005. All the Applications were duly replied, and appeals were disposed of well within the stipulated time. 02 Second Appeals were filed against the Corporation before Central Information Commission and the same were disposed of by the CIC, during the period under review.

INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT GROUP (ITMG)

During the financial year 2025–26, the Information Technology Management Group (ITMG) continued to support GIC Re's digital transformation agenda by strengthening core technology platforms and leveraging artificial intelligence to enhance operational efficiency and effectiveness.

A key initiative during the year was the S/4 transformation program, involving the upgrade of the SAP ERP system from SAP ECC to SAP S/4HANA. Phase I, which comprised migration of the database from Oracle to SAP HANA, was successfully completed in early 2024. Phase II, currently underway in two parts, focuses on further streamlining business processes, improving system performance, and enhancing data processing and reporting capabilities through the deployment of FIORI based applications on S/4HANA.

In parallel, the organization initiated several artificial intelligence proof of concepts and projects aimed at driving efficiency, automation, and enhanced decision making. Key initiatives included the adoption of Microsoft Copilot within the Microsoft 365 ecosystem to support intelligent content creation, data analysis, summarization, and automation of routine tasks. AI led process transformation is also being advanced through the development of an Invoice Processing Cockpit to automate invoice reading and data extraction with seamless integration into SAP, thereby improving accuracy and reducing manual intervention in payment processing.

Further, in house AI capabilities are being strengthened through the establishment of a dedicated team focused on generating context aware insights and analytics using retrieval augmented generation (RAG)–based assistants and agentic AI solutions. These initiatives aim to leverage both structured and unstructured enterprise data to enhance knowledge accessibility and support data driven decision making across the organization.

TRAINING/HRD

Learning and Development / Training:

The Learning and Development (L&D) policy of GIC Re continues to play a pivotal role in developing in-house capabilities, enabling effective performance, and fostering a knowledge-driven workforce. GIC Re remains committed to ensuring that its employees are equipped with the necessary skills and competencies to meet present and future organizational needs. Our learning initiatives align individual goals with the strategic objectives of the Corporation, reinforcing our global position and advancing our technical and leadership capabilities.

In 2025-26, GIC Re extended its commitment to employee development by delivering comprehensive training interventions across all levels. A total of 59 training programmes were conducted, benefiting 503 Employees (Total 1475 program participants). These included both technical and behavioural training sessions delivered through reputed training institutes, internal resources, and international collaborations.

Summary of Training Programmes organised by Training Department is given below:

Training Programmes for the period 2025-26

Type of Training	No. of Training program	No. of participants
Domestic Training	51	458
In-House Training + Online Trainings	6	1013 (110 + 903)
Foreign Training	2	4
TOTAL	**59**	**1475**

Highlights of the Year's Training Initiatives:

1. A comprehensive portfolio of technical training programmes was delivered across core insurance domains, including Reinsurance, Aviation Insurance, Engineering Insurance, Property (Fire) Insurance, Motor Underwriting and Claims (Own Damage and Third Party), Agriculture Insurance, and Claims Management, strengthening domain expertise across the organisation.
2. Significant emphasis was placed on emerging technologies and analytics through programmes such as Certificate Course on Application of Artificial Intelligence and Generative AI in Insurance, Python for Insurance Analytics and AI, Power BI for Dashboard Development, Advanced Excel and Data Analytics, and Data Analytics and Data Interpretation, enhancing digital capabilities and decision-making skills.
3. Capacity building in governance, compliance, and regulatory frameworks was reinforced through training programmes on Public Procurement, e-Procurement through GeM, Financial Rules and Service Rules, RTI, Good Governance & Transparency, Vigilance Awareness, Framing of Charge Sheets, and Training for Inquiry/Presenting Officers, promoting accountability and adherence to best practices.
4. Specialized programmes focusing on cybersecurity and risk management, such as Comprehensive Insurance Sector-Specific Cyber Security and Enterprise Risk Management, were organized to equip employees to address evolving risk landscapes.
5. Behavioural, managerial, and leadership competencies were strengthened through initiatives like Emotional Intelligence & Work-Life Balance, Leadership Development, Soft Skills Training, Effective Human Resource Management, and Programme for Young Officers, fostering a culture of effective leadership and collaboration.
6. Financial and managerial acumen was enhanced through programmes including Finance for Non-Finance Executives, Project Management & Financial Management, Insurance Accounts Executives, and Direct Tax Refresher Course, enabling a broader understanding of financial operations and controls.
7. Inclusion, accessibility, and employee well-being remained a priority, with workshops on Reservation Policy, Accessibility of Services to Persons with Disabilities, Work-Life Balance, Wellness Programmes, and Retirement Planning for employees across cadres.
8. Structured learning pathways were strengthened through Induction Training (including Batch II), Master Trainers Programme, and Life Re-Knowledge Enrichment Programme, ensuring continuous learning and knowledge dissemination across levels.
9. Specialized programmes addressing critical areas such as Insurance Fraud Management, Investigation and Reporting under VAW, Motor Underwriting Skills, and Public Grievance Handling further enhanced operational efficiency and vigilance.
10. The Training Department also leveraged digital platforms to deliver customized online programmes, including MS Office Productivity Tools Training, ensuring accessible and flexible learning opportunities for employees.

Through these diverse and focused training initiatives, GIC Re has continued to strengthen its human capital by fostering technical excellence, digital readiness, and ethical governance, thereby ensuring a resilient, future-ready, and high-performing workforce.

OVERSEAS EXPANSION

Overseas expansion of operations, through branch offices, subsidiaries and joint ventures is an integral part of the business growth strategy so as to expand the reach of the operations into multiple countries throughout the world. The Corporation targets expansion into new markets by efficiently using the potential and creating additional sustainable income opportunities, both in developed countries, where there is larger demand and in developing countries where there is increasing demand. Expansion plans are drawn based on a study of market opportunities, supported by understanding of the business, working environment and regulations in prospective markets. The Corporation has also been striking strategic partnership with reinsurers abroad to take advantage of the expertise and experience of both parties and leverage on economies of scale.

INVESTMENT IN INSURANCE COMPANIES

DOMESTIC OPERATIONS

- **AGRICULTURE INSURANCE COMPANY OF INDIA LTD. (AICIL)**

The Corporation holds 35% equity of AICIL and NABARD holds 30% while the balance is held equally to the extent of 8.75% by the four public sector non-life insurance companies.

OVERSEAS OPERATIONS

The Corporation has 3 overseas offices viz. Branch Offices in London, Dubai and Malaysia.

Apart from this, the Corporation has three wholly owned subsidiaries viz. GIC Re South Africa Ltd., Johannesburg; GIC Re, India, Corporate Member Limited, London and GIC Perestrakhovanie LLC, Moscow. The Corporation also has invested in the share capitals of Kenindia Assurance Company Ltd., Kenya, India International Insurance Pte Ltd., Singapore, Asian Reinsurance Corporation, Bangkok, East Africa Reinsurance Company Ltd., Kenya, and GIC Bhutan Re Ltd., Bhutan.

- **LONDON BRANCH (UK)**

  During the current financial year 2025-26, the Gross Written Premium by the branch is GBP 173.52 million compared to GBP 155.51 million last year and incurred a loss (after tax) of GBP 2.7 million as against a profit of GBP 4.4 million last year.

- **DUBAI BRANCH (UAE)**

  During the financial year 2025-26, the branch reported a Gross Premium of AED 21.75 million, as against AED 35.70 million in the previous year and earned a Profit After Tax of AED 65.03 million, compared to AED 92.20 million in the previous year.

- **MALAYSIA BRANCH**

  During the financial year 2025-26, the branch recorded a Gross Written Premium of RM 621.27 million, an increase from RM 610.41 million in the previous year. The Profit After Tax is RM 125.17 million, compared to RM 54.11 million in the previous year.

- **KENINDIA ASSURANCE CO. LTD., KENYA**

  The Corporation holds 13.75% shares in Kenindia which has a paid-up share capital of Kshs 1500 million. The total shares held by the Corporation is 2,062,404 shares of Kshs 100 each as on 31st December 2025. The Company reported a net profit after tax of Kshs 1253.35 million as against net profit after tax of Kshs 1249.37 million last year. The Board of the Company recommended a dividend of Kshs 7.50 per share for the year ended 31st December 2025.

- **INDIA INTERNATIONAL INSURANCE PTE. LTD., SINGAPORE**

  The Corporation holds 20% shares in India International Insurance Pte. Ltd., which has a share capital of S$50 million. The total shareholding of the Corporation in the Company is 10 mn shares each of S$ 1.

  The Company has made a net profit of S$ 43.75 million as against a profit of S$ 50.63 million last year.

  The Directors have recommended a first and final dividend of 10% on the paid-up capital of S$50 million for the year 2025.

- **ASIAN REINSURANCE CORPORATION, BANGKOK**

  The Corporation is holding 6.16% of the share capital as Associate Member of Asian Re in addition to holding 0.97% of the share capital as its Regular Member on behalf of the Government of India. Asian Re has made a profit of USD 6.70 million in 2025 as against a profit of USD 7.01 million in 2024. The Asian Re declared cash dividend @ 0.5% of total paid up share capital outstanding as on 31st December 2025 at the 20th Meeting of the Shareholders' Assembly.

- **EAST AFRICA REINSURANCE COMPANY LTD., KENYA**

  The Corporation has 14.7521% stake in the share capital of East Africa Reinsurance Company Ltd., an existing profit-making reinsurance company in Kenya. The total shareholding of the Corporation is 221,281 shares of Kshs. 1,000, as on 31st December 2025.

  The Company has made a profit of Kshs. 864.04 million as against a profit of Kshs. 804.33 million last year.

The Board has recommended a total dividend of Kshs. 300 million (Kshs 200 per share) equivalent to 35% of PAT for the year 2025.

- **GIC BHUTAN RE LTD.**

  The reinsurance company of Bhutan is a Joint Venture between the Corporation and local Bhutanese promoters. The venture began its operations in the name 'GIC Bhutan Re Ltd.' in December 2013.

  The Corporation has a 26% stake in the Joint Venture and held 28,600,000 shares of value Nu 10 each as of 31st December 2025. The rest of the shareholding are held by Local Bhutanese promoters (29%) and the public (45%).

  The Company has made a profit of Nu 369.65 million (PAT) in 2025 as against a profit of Nu 339.02 million (PAT) in 2024.

  The Company has declared 20% dividend for the year ended 31st December 2025, as per RMA regulations.

- **GIC RE SOUTH AFRICA LTD.**

  GIC Re South Africa Ltd. is the Corporation's first 100% owned Subsidiary (Wholly owned subsidiary), which started its commercial operations from 1st January 2015. The Company, at the time of acquisition, was in the run-off for both Life and Non-life business. The Corporation holds all the 647,168,310 issued no par value Ordinary Shares, with a book value of R1,427,577,155, constituting 100% of GIC Re South Africa Ltd.'s equity as of 31st March 2026.

- **GIC RE, INDIA, CORPORATE MEMBER LIMITED**

  With the objective of becoming a reputed global reinsurer, the Corporation expanded into Lloyd's of London by offering reinsurance capacity to Lloyd's syndicates through quota share capital gearing treaties since 2011. As a capacity provider, the Corporation was required to have its own Corporate Member at Lloyd's, the Corporation acquired I-CAT CCM TEN Ltd., an existing corporate Member company, in November 2013 and renamed it as GIC Re, India, Corporate Member Limited, which is registered as a private limited company in the UK. The Company commenced reinsurance operations in 2014. The business underwritten by the Company is fully reinsured with the Corporation. The company has not declared payment of any dividend for the year.

- **GIC PERESTRAKHOVANIE LLC**

  GIC Perestrakhovanie LLC (GIC Re Russia) commenced its operations in August 2020. During the year 2022, due to the geopolitical crisis involving Russia and Ukraine, GIC Re Russia restricted its business activity to the Russian Federation only. It has been witnessing a drastic drop in the topline owing to the changed dynamics in the local reinsurance market and therefore, it continues to observe the unfolding situation closely to realign its strategies in the near future. The subsidiary closed its financial year ending on 31st December 2025 with a gross written premium of 1181 million Rubles. The net incurred claim to earned premium ratio was 93%.

LISTING OF EQUITY SHARES

The shares of the Corporation are listed on National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE).

PUBLIC DEPOSITS

The Corporation has not accepted any deposits under Section 73 of the Companies Act, 2013.

DIRECTORS AND OTHER KEY MANAGERIAL PERSONNEL

The Board of Directors of the Corporation as on 31st March 2026 consisted of Five (5) Directors, comprising of one (1) Independent Director, two (2) Government Nominee Directors and two (2) Executive Directors including one ED with additional charge of CMD.

None of the Directors are related to any other Director of the Corporation.

The details pertaining to composition and change in Board, Committees, KMP and senior management, details of meetings are provided under Corporate Governance Report.

DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTORS

All the Independent directors have given a declaration that they meet the criteria of independence as laid down under Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and the SEBI (LODR) Regulations. The Independent directors have confirmed that they have registered with the database maintained by the Indian Institute of Corporate Affairs (IICA).

The Corporation, being a Government Company, under the administrative control of Ministry of Finance (MoF), the power to appoint Directors (including Independent Directors) vests with the Government of India. The appointment of Directors is done by MoF after due processes involving screening, review and compliances. In the opinion of the Board, the Independent Directors possess integrity and the requisite expertise and experience.

POLICY FOR SELECTION AND APPOINTMENT OF DIRECTORS AND THEIR REMUNERATION

The Corporation being a Government Company, is exempted to furnish information under Section 134(3)(e) of the Companies Act, 2013 vide MCA Notification dated 5th June 2015.

POLICY FOR REMUNERATION OF KEY MANAGERIAL PERSON AND OTHER EMPLOYEES

The Corporation, being a Government Company, the remuneration payable to Key Managerial Persons and other employees are as per the Government of India norms.

CODE OF CONDUCT UNDER SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PROHIBITION OF INSIDER TRADING) REGULATIONS, 2015

The Corporation has in place a Code of Conduct to regulate, monitor and report trades in securities by Directors, Employees & Connected Persons which is in conformity with the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015. The Code is applicable to the Employees of the Corporation, Designated Persons, and their Immediate Relatives and Connected Persons, to the extent applicable. The objective of the Code is to prohibit insider trading in any manner by the Designated Persons and to maintain confidentiality of unpublished price sensitive information and access to information on a 'need to know' basis.

VIGIL MECHANISM/ WHISTLE BLOWER POLICY

The Corporation, being a Government Company, is subjected to the CVC Guidelines, and the Corporation has a separate Vigilance Department administering the Vigilance matters.

The Corporation has a Vigil Mechanism/ Whistle Blower Policy approved by the Board and the same is placed on the website of the Corporation.

CORPORATE GOVERNANCE

The Corporation continues to adopt the best practices of Corporate Governance to ensure transparency, integrity and accountability in its functioning. The Corporate Governance Report has been incorporated as a separate section, forming part of this Annual Report.

BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORTING

Business Responsibility and Sustainability Report as stipulated under Regulation 34 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 forms part of the Annual Report and has been hosted on the website of the Corporation and can be viewed at www.gicre.in

CEO/CFO CERTIFICATION

In terms of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the certification by the Managing Director & CEO and Chief Financial Officer of the Corporation on the financial statements and internal controls relating to financial reporting has been obtained.

DETAILS OF UNCLAIMED SUSPENSE ACCOUNT

Details of Unclaimed Suspense Account as provided by our Registrar and Transfer Agent i.e. KFin Technologies Limited pursuant to

Regulation 39 read with Part F of Schedule V of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 is as under:

Sr. No.	Description	No. of Shareholders	No. of Shares
1	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying unclaimed as on 01.04.2025	01	32
2	Number of shareholders who approached Listed entity for transfer of shares from suspense account during the year	0	0
3	Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year	0	0
4	Aggregate Number of shareholders and the outstanding shares lying unclaimed as on 31.03.2026	01	32

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the provisions of Section 134 of the Companies Act, 2013, the Directors confirm that:

1. In the preparation of annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanations relating to material departures;
2. The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Corporation at the end of the financial year and the profit and loss of the Corporation for that period;
3. The Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
4. The Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis;
5. The Directors have laid down internal financial control to be followed by the Corporation and that such Internal Financial Controls are adequate and are operating effectively; and
6. The Directors have devised proper systems to ensure compliance with applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

OTHER DISCLOSURE

There has been no material change and commitment affecting the financial position of the Corporation which occurred between the end of the financial year of the Corporation to which the financial statements relate and the date of this report.

There are no significant material orders passed by the regulator/courts/tribunal which would impact the going concern status of the Corporation and its future operation.

Annual Return in Form MGT-7 pursuant to the Companies Act, 2013 is posted on website of the Corporation i.e. www.gicre.in

BOARD MEETINGS

The Corporation held seven (7) Board meetings during financial year 2025-26 as detailed below:

30th April 2025

26th May 2025

07th August 2025

12th November 2025

16th January 2026

07th February 2026

14th March 2026

SECRETARIAL STANDARDS

During FY 2025-26, the Corporation was in compliance with the mandatorily applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India with respect to Board and General Meetings.

SUBMISSION OF ACCOUNTS BEFORE PARLIAMENT

As confirmed by the Ministry of Finance, Insurance Division, the Annual Report of the Corporation for the financial year 2024-25 along with Directors Report were placed before both the Houses of Parliament under Section 394 of the Companies Act, 2013 as per details given below:

LOK SABHA 08th December 2025

RAJYA SABHA 09th December 2025

ACKNOWLEDGEMENT

The Corporation is grateful to the Insurance Regulatory and Development Authority of India, Government of India, Reserve Bank of India and Securities and Exchange Board of India for their continued cooperation, support and guidance. The Corporation wishes to thank its investors, rating agencies, depositories, Registrar & Share Transfer Agent & Stock Exchanges for their support.

The Corporation would like to express its gratitude for the continued support and guidance received from Principal Director of Commercial Audit and Ex-Officio Member, Audit Board - I, Mumbai.

The Directors express their appreciation to all employees for their outstanding contributions, support and commitment towards the growth and success of the Organization. Finally, the Directors wish to express their gratitude to the Members for their trust and support.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

(Hitesh Joshi)

ED (Additional Charge-CMD)

Date: 26th May 2026

Place: Mumbai

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2026

1. Brief outline on CSR Policy of the Company.

In line with GIC vision, the Corporation's CSR policy and programs strives to transform India into a risk- aware society from being a risk-averse society by integrating social, environmental and health concerns of the Indian society. The Policy focusses on capacity building, empowerment of communities, inclusive socio-economic growth, environment protection, promotion of green and energy efficient technologies, development of backward regions, and upliftment of the marginalized and under-privileged sections of society.

2. Composition of CSR Committee:

As on 31st March 2026, the CSR committee comprised of 3 Members (including 1 Independent Director) and the details of their attendance in the meetings held during the year (FY 2025-26) is as follows:

Sr. No.	Name of Director	Designation/Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year
1	Shri Ramaswamy Narayanan#	Chairman and Managing Director (Chairperson)	2	2
2	Ms. A. Manimekhalai##	Independent Director	1	0
3	Ms. Vinita Kumari###	Independent Director	4	4
4	Shri Hitesh Joshi	Executive Director (Additional Charge-CMD) (Chairperson)	4	4
5	Ms. Radhika C. S.####	Executive Director	1	1
6	Ms. Jayashri Balkrishna*	Executive Director	2	2
7	Shri Ashwani Kumar**	Independent Director	0	0

#Ceased to be Member w.e.f. 30.09.2025 *##Ceased to be Member w.e.f. 03.06.2025*

###Ceased to be Member w.e.f. 23.03.2026 *####Ceased to be Member w.e.f. 30.06.2025*

** Appointed as Member w.e.f. 07.08.2025* ***Appointed as Member w.e.f. 24.03.2026*

3. Provide the web-link where Composition of CSR Committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company.

Composition of CSR Committee – https://www.gicre.in/images/2026/Committees_as_on_24032026.pdf

CSR Policy – https://www.gicre.in/images/2026/CSR-Policy-2025-Ver-10.pdf

CSR projects approved – https://www.gicre.in/images/2026/CSR_Activities_25-26.pdf

4. Provide the details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report).

Impact Assessment Study of the projects done with:

1. **Mahesh Foundation - Belagavi, Karnataka (Completed Project)** - Mahesh Foundation is an NGO working for the welfare of HIV-positive and underprivileged children for the past 16 years. The Foundation is providing shelter, nutrition, healthcare, and education to HIV-positive and underprivileged children. Their core focus over the last decade has been to provide education to these children so that they live dignified lives. GIC Re partnered with Mahesh Foundation for the project regarding Construction of New School Building for 2000 HIV positive underprivileged children, procurement of two new school buses and setup of Nayi Umeed BPO center in Belgavi Karnataka, India.

2. **Karuna Medical Society (Completed Project)** – Karuna Hospital situated in Mumbai is run by the Mission Sisters of Ajmer, an Indian Congregation of Religious Sisters who have responded to the call of Christ to work for the uplift of women and girl children, and the less fortunate people of our society in urban and rural areas. The Karuna hospital is currently serving a diverse population, including a significant number of low-income and underprivileged individuals. It offers service through subsidized treatments and reserved beds, offering treatments and holistic recuperation to patients spanning localities right from Andheri in suburban Mumbai to Dahanu town north of the city. GIC Re collaborated with Karuna Medical Society for the acquisition of three critical diagnostic machines: a Magnetic Resonance Imaging (MRI) machine, a Mammography machine, and a Bone Mineral Densitometer (BMD) in Karuna Medical Society, Borivali, Mumbai.
3. **Rouble Nagi Art Foundation (RNAF) (Completed Project)** – Rouble Nagi Art Foundation (RNAF) is a not-for-profit 13-year-old organization set up with the vision to make sure that all children get an education that helps them become caring, responsible and productive citizens. As a concrete step towards realizing this vision, RNAF has four programmes under it, namely Rounak, Learn to Earn, Crayon & lastly Misaal Mumbai – the programme is designed with the aim to transform the lives of people living in the Slums and Villages in India. GIC Re has collaborated with RNAF for the transformation of slums in Dhobi Ghats of Mahalaxmi & Colaba, Mumbai (Maharashtra). The main goal of this project is to make the slum areas cleaner and more hygienic using Community Art as the primary medium and entryway into sanitation, cleanliness drives, awareness of basic illnesses, health camps, skill development and education.

   The link for Impact Assessment Report on website

   https://www.gicre.in/images/2026/Impact_Assessment_Report_Karuna_Hospital.pdf

   https://www.gicre.in/images/2026/Impact_Assessment_Report_Mahesh_Foundation.pdf

   https://www.gicre.in/images/2026/Impact_Assessment_Report_Rouble_Nagi_Art_Foundation.pdf

5. (a) Average net profit of the company as per section 135(5) – **₹6789,00,00,000 (for the last 3 years)**
(b) Two percent of average net profit of the company as per section 135(5) – **₹135,78,00,000**
(c) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years – **Nil**
(d) Amount required to be set off for the financial year, if any – **Nil**
(e) Total CSR obligation for the financial year [(b)+(c)–(d)] – **₹135,78,00,000**

6. (a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project): **₹135,65,90,491**
(b) Amount spent in Administrative Overheads: **Nil**
(c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable. **₹12,09,509**
(d) Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)]. **₹135,78,00,000**
(e) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount spent for Financial Year (in ₹)	Amount Unspent (in ₹)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6)		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second provision to section 135(5)		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
69,27,92,510.05	66,50,07,489.95	27.04.2026	-	-	NA

(f) Excess amount for set off, if any – Nil

S. No.	Particular	Amount (in ₹)
(1)	(2)	(3)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	135,78,00,000.00
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	69,27,92,510.05
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	0.00
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	0.00
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	0.00

7. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:

Preceding Financial Year(s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135(6) (in ₹)	Balance Amount in Unspent CSR Account under sub section 6 of section 135 (in ₹) (as on 01.04.2025)	Amount spent in the Financial Year (in ₹) (FY 2025-26)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to Section 135(5), if any		Amount remaining to be spent in succeeding financial years (in ₹)	Deficiency, if any
				Amount (in ₹)	Date of Transfer		
FY-1 (2022-23)	6,20,53,326.32	6,77,910.68	6,77,910.68	6,77,910.68	01.09.2025	0	Nil
FY-2 (2023-24)	63,77,58,072.70	26,44,37,188.00	7,16,40,619.60	Nil	Nil	19,27,96,568.40	Nil
FY-3 (2024-25)	52,14,03,818.92	52,14,03,818.92	37,44,57,051.11	Nil	Nil	14,69,46,767.81	Nil

8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year

☐Yes ☒No

If yes, enter the number of Capital Assets created/acquired.

Furnish the details relating to such assets(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) including complete address and location of the property	Pin code of the property or asset(s)	Date of Creation	CSR amount spent	Details of entity/authority/beneficiary of the registered owner		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					CSR Registration number, if applicable	Name	Registered address
NA	NA	NA	NA	NA		NA	

9. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two percent of the average net profit as per section 135(5).

The company has spent two percent of the average net profit amounting to ₹135,78,00,000.00

During the year 2025-26, the Company spent ₹69,27,92,510.05 on various projects. An unspent amount of ₹66,50,07,489.95 pertaining to ongoing projects is transferred to Unspent CSR A/c – Ongoing Projects FY25–26 in accordance with the provisions of Section 135(6) of the Act.

Sd/-
Hitesh Joshi
Executive Director (Additional Charge-CMD)
(Chairman-CSR Committee)

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

(FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026)

To,
The Members,
GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA
Suraksha, 170 J Tata Road,
Churchgate, Mumbai-400020, Maharashtra

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA (CIN: L67200MH1972GOI016133)** (hereinafter called the "Corporation") for the financial year ended March 31, 2026. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon;

Based on our Verification of books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Corporation and also the information provided by the Corporation, its officers agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Corporation has, during the audit period covering April 01, 2025 to March 31, 2026 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Corporation has proper Board processes and Compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter;

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Corporation for the audit period **April 01, 2025 to March 31, 2026** according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'): -

  (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011

  (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

  (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009; (***No such event during Audit Period***)

  (d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits & Sweat Equity) Regulations, 2021; ***(No such event during Audit Period)***

  (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008; ***(No such event during Audit Period)***

  (f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non—Convertible Securities) Regulations,2021; ***(No such event during Audit Period)***

  (g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; ***(No such event during Audit Period)***

  (h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021; ***(No such event during Audit Period)***

  (i) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018. ***(No such event during Audit Period)***

(vi) The following Acts and Rules made thereunder as identified and confirmed by the Management as being specifically applicable to the Corporation: -

  a. The Insurance Act, 1938 including amendments made thereafter;

  b. Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and Regulations;

c. Corporate Governance Guidelines, 2016 issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India.

We have also examined compliance with the applicable provisions and clauses of the following:

- Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation & Disclosure Requirement) Regulations, 2015 ["SEBI (LODR)"].

During the period under review the Corporation has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. except mentioned below:

- Pursuant to Regulation 17 (1) (a) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Corporation could not comply with the requirement of having an independent woman director on its board from March 24, 2026 to March 31, 2026.
- Pursuant to Regulation 17 (1) (b) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Corporation could not comply with the requirement of having at least half of the Board of Directors as Independent Directors.
- Pursuant to Regulation 17 (1) (c) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Corporation could not comply with the requirement of having minimum number of six directors from June 04, 2025 to July 24, 2025 and from March 24, 2026 to March 31, 2026.
- Pursuant to Regulation 18 (1) (b) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Corporation could not comply with the requirement with constitution of the Audit Committee, as the Committee did not comprise with requisite two- thirds Independent Directors from June 04, 2025 to July 29, 2025 and from March 24, 2026 to March 31, 2026.
- Pursuant to Regulation 19 (1) (c) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, , the Corporation could not comply with the requirement with constitution of the Nomination and Remuneration Committee, as the Committee did not comprise with requisite two- thirds Independent Directors from June 04, 2025 to July 29, 2025 and from March 24, 2026 to March 31, 2026.

We further report that

- The Board of Directors of the Corporations duly constituted (except as stated above) and the changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in the compliance with the provision of the Act.
- Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.
- As per the minutes of the Board duly recorded and signed by Chairman, the decisions of the Board were with requisite majority.
- The agenda items are deliberated before passing the same and the views / observations made by the Directors are recorded in the minutes.

We further report that based on review of compliance mechanism established by the Corporation, there are adequate systems and processes in the Corporation commensurate with the size and operations of the Corporation to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, following events/actions have taken place in pursuance of the laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.

1. Appointment of Shri Manoj Muttathil Ayyappan as Nominee Director of the Corporation w.e.f. April 17, 2025;
2. Cessation of Dr. M. P. Tangirala as Nominee Director of the Corporation w.e.f. April 17, 2025;
3. Appointment of Mr. Satheesh Kumar as Company Secretary, Compliance Officer and Key Managerial Personnel of the Corporation w.e.f. April 30, 2025;
4. Cessation of Ms. A. Manimekhalai as Independent Director of the Corporation w.e.f. June 3, 2025;
5. Cessation of Ms. Radhika C. S. as Executive Director of the Corporation w.e.f. June 30, 2025;
6. Appointment of Ms. Jayashri Balkrishna as Executive Director of the Corporation w.e.f. July 23, 2025;
7. Appointment of Shri Tapan Kumar Mondal as Nominee Director of the Corporation w.e.f. July 24, 2025;
8. Appointment of Shri Ashwani Kumar as Independent Director of the Corporation w.e.f. July 30, 2025;
9. Declaration and payment of dividend of Rs. 10/- each on Equity Shares of the Corporation for FY 2024-25.

10. Cessation of Shri Ramaswamy Narayanan as Chairman-cum Managing Director of the Corporation w.e.f. September 30, 2025;
11. Entrustment of additional charge of Chairman-cum-Managing DIrector to Shri Hitesh Ramesh Chandra Joshi, Executive Director w.e.f. October 01, 2025;
12. Cessation of Ms. Vinita Kumari as Independent Director of the Corporation w.e.f. March 23, 2026.

For Ragini Chokshi & Co.
(Company Secretaries)
Sd/-
Ragini Chokshi
Partner
FCS No.: 2390
CP No.: 1436
UDIN: F002390H000488821
Peer Review No. 4166/2023
Firm Registration No. 92897

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure 'A' and forms an integral part of this report.

Annexure "A"

To
The Members,
GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA
Suraksha, 170 J Tata Road,
Churchgate, Mumbai-400020, Maharashtra

Our Secretarial Audit Report for the Financial Year ended on March 31, 2026 of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial record is the responsibility of the Management of the Corporation. Our responsibility is to express an opinion on these Secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. We believe that the processes and practices, we follow provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Corporation.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate Governance and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Corporation.

For Ragini Chokshi & Co.
(Company Secretaries)
Sd/-
Ragini Chokshi
Partner
FCS No.: 2390
CP No.: 1436
UDIN: F002390H000488821
Peer Review No. 4166/2023
Firm Registration No. 92897

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

Form AOC-1

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of Section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

Statement containing salient features of the financial statement of subsidiaries/associate companies/joint ventures

Part "A": Subsidiaries

(Information in respect of each subsidiary to be presented with amounts in ₹)

Sl. No.	Particulars	Details		
1.	Name of the subsidiary	**GIC Re South Africa Ltd.#**	**GIC Re, India, Corporate Member, UK**	**GIC Perestrakhovanie LLC#**
2.	The date since when subsidiary was acquired	24.04.2014	03.12.2013	14.11.2018
3.	Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period	NO	01.01.2025 to 31.12.2025	01.01.2025 to 31.03.2026
4.	Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant financial year in the case of foreign subsidiaries	Rand(R) ROE -- 1 Rand=INR 5.54	British Pound ROE --1 GBP = INR 125.636391	Rubles ROE-- 1RUR= INR 1.1629722
5.	Share capital	7,912.92 Mln	97.56	1,569.92 Mln
6.	Reserves & surplus	4,952.17 Mln	657.74 Mln	443.52 Mln
7.	Total assets	24,249.11 Mln	59,355.08 Mln	4,730.09 Mln
8.	Total Liabilities	11,186.34 Mln	58,697.33 Mln	2,716.65 Mln
9.	Investments	17,500.08 Mln	25,770.44 Mln	-*
10.	Turnover (Gross)	10,013.75 Mln	-**	1,892.38 Mln
11.	Profit before taxation	572.73 Mln	30.08 Mln	421.00 Mln
12.	Provision for taxation	362.08 Mln	-	89.16 Mln
13.	Profit after taxation	210.64 Mln	30.08 Mln	331.84 Mln
14.	Proposed Dividend	Nil	Nil	Nil
15.	% of shareholding	100%	100%	100%

 # As per provisional financial Statements

**Investment in deposits with banks has been grouped under Schedule - 11 Cash & Bank Balance and included in Total assets.*

***Gross premium for the year 2026 has entirely been retroceded to GIC Re and hence the turnover has been disclosed as NIL*

Notes: The following information shall be furnished at the end of the statement:

1. Names of subsidiaries which are yet to commence operations- NIL
2. Names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year. -NIL

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

Form AOC-1

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

Statement containing salient features of the financial statement of subsidiaries/associate companies/joint ventures

Part "B": Associates and Joint Ventures

Statement pursuant to Section 129(3) of the Companies Act, 2013 related to Associate Companies and Joint Ventures

(Amount in ₹)

Sl. No.	Name of associates/Joint Ventures	India International Insurance Pte. Ltd.	Agriculture Insurance Company of India Ltd.*	GIC Bhutan Re Ltd.*
1.	Latest audited Balance Sheet Date	01.01.2025-31.12.2025	01.01.2025-31.03.2026	01.01.2025-31.03.2026
2.	Date on which the Associate or Joint Venture was associated or acquired	01.01.1988	20.12.2002	05.07.2012
3.	Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end			
	No.	10,000,000	70,000,000	28,600,000
	Amount of Investment in Associates/Joint Venture	INR 29,478,835	INR 700,000,000	INR 286,000,000
	Extent of Holding%	20%	35%	26%
4.	Description of how there is significant influence			
5.	Reason why the associate/joint venture is not consolidated		It is a Strategic investment only.	
6.	Net worth attributable to shareholding as per latest audited Balance Sheet	39,680.44 Mln.	91,711.00 Mln.	2,875.72 Mln.
7.	Profit/(Loss) for the year	3,388.10 Mln.	16,661.90 Mln.	367.68 Mln.
	i. Considered in Consolidation (GIC Re share)#	537.81 Mln.	5,831.67 Mln.	80.78 Mln.
	ii. Not Considered in Consolidation	-	-	-

#Subject to adjustments for differences in accounting policy and regulatory provisions.

** As per provisional financial statements for the current year*

1. Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations. - NIL
2. Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year. – NIL

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Corporate governance refers to the system of structures, rights, duties and obligations by which Corporations are directed and controlled. Governance provides the structure through which Corporations set and pursue their objectives, while reflecting the context of the social, regulatory and market environment. GIC Re strongly believes in good corporate governance and aims at being a good corporate citizen. It recognizes the significance of effective corporate governance in achieving the trust and confidence of cedants, intermediaries, regulators and other stakeholders.

The Corporation follows governance and disclosure requirements of the Companies Act, 2013 (the Act), Securities Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 {SEBI (LODR) Regulations} and the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 (IRDAI CG Regulations).

BOARD OF DIRECTORS:

The Corporation is governed by a Board of Directors under the chairmanship of Chairman and Managing Director. As on 31st March 2026, the Board of Corporation has five (5) Directors which includes three (3) Non-Executive Directors (includes one (1) Independent Director) and two (2) Executive Directors (including one ED with additional charge of CMD). None of the Directors are related to each other and all the Directors have executed a deed of covenant with the Corporation.

- The Board provides overall direction to the business, including policies, strategies, risk management across all the functions, projections on the capital requirements, revenue streams, expenses and profitability;
- It ensures full compliance with the Insurance Act and the regulations framed thereunder and other statutory requirements applicable to it;
- It addresses conflicts of interest situations;
- It ensures fair treatment of ceding companies and employees;
- It ensures information sharing with and disclosures to stakeholders, including investors, ceding companies, employees, the regulators, consumers, financial analysts and rating agencies;
- It establishes an effective channel for encouraging and facilitating employees raising concerns or reporting a possible breach of law or regulations, with appropriate measures to protect a whistle blower; and
- It provides conducive environment for developing a corporate culture that recognizes and rewards adherence to ethical standards.

Composition of Board of Directors

The composition of the Board of Directors as on 31st March 2026 was as follows:

DIN No	Name of the Director	Category	Designation
09322218	Shri Hitesh Joshi	Executive Director	Executive Director (Additional Charge-CMD)
10733238	Shri Manoj Muttathil Ayyappan	Non-Executive Director	Government Nominee Director
11228147	Shri Tapan Kumar Mondal	Non-Executive Director	Government Nominee Director
10344636	Shri Ashwani Kumar	Non-Executive Director	Independent Director
11210291	Ms. Jayashri Balkrishna	Executive Director	Executive Director

Changes in the Composition of the Board and Key Managerial Personnel (KMPs) during the year:

Dr. M. P. Tangirala ceased to be a Government Nominee Director of the Corporation, vice Shri Manoj Muttathil Ayyappan, w.e.f. 17.04.2025.

Shri Satheesh Kumar was appointed as Company Secretary (CS) of the Corporation w.e.f. 30.04.2025.

Consequent to their tenure completion, Ms. A. Manimekhalai and Ms. Vinita Kumari ceased to be Independent Directors of the Corporation w.e.f. 03.06.2025 and 23.03.2026 respectively.

Consequent to her superannuation, Ms. Radhika C.S. ceased to be Executive Director of the Corporation w.e.f. 30.06.2025.

Ms. Jayashri Balkrishna was appointed as Executive Director on the Board of Corporation by the Department of Financial Service, Ministry of Finance w.e.f. 23.07.2025.

Shri Tapan Kumar Mondal was appointed as Government Nominee Director on the Board of Corporation by the Department of Financial Service, Ministry of Finance w.e.f. 24.07.2025.

Shri Ashwani Kumar was appointed as Non-Executive Director (Independent Director) on the Board of Corporation by the Department of Financial Service, Ministry of Finance w.e.f. 30.07.2025.

Consequent to his superannuation, Shri Ramaswamy Narayanan ceased to be Chairman-cum-Managing Director of the Corporation w.e.f. 30.09.2025.

Shri Hitesh Joshi, Executive Director was entrusted with financial and administrative powers and functions of Chairman-cum-Managing Director w.e.f. 01.10.2025.

Ms. Vinita Kumari ceased to be Independent Director of the Corporation upon completion of term of appointment on 23.03.2026.

Changes in the Composition of the Board and Key Managerial Personnel (KMPs) after closure of financial year and till the date of Directors' Report:

No such changes have occurred in the composition of the Board after closure of financial year and till the date of Directors' Report. Shri Satheesh Kumar was appointed as General Manager (GM) w.e.f. 01.04.2026 pursuant to promotion exercise of the Corporation.

Board Meetings

Seven (07) Board Meetings were held during the Financial Year 2025-26. Details of attendance of Directors at the Board Meetings and Annual General Meeting held during the period April 2025 to March 2026, are as per the statement below:

Name of Directors	Date of Meetings							Last AGM held on 23.09.2025
	30.04.2025	26.05.2025	07.08.2025	12.11.2025	16.01.2026	07.02.2026	14.03.2026	
Shri Ramaswamy Narayanan[#]	Present	Present	Present	NA	NA	NA	NA	Present
Dr. M. P. Tangirala[##]	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Ms. A. Manimekhalai[###]	Absent	Absent	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Ms. Vinita Kumari[####]	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present
Shri Hitesh Joshi	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present
Ms. Radhika C.S. [#####]	Present	Present	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Shri Manoj Muttathil Ayyappan[*]	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Absent
Shri Tapan Kumar Mondal[**]	NA	NA	Present	Present	Absent	Present	Present	Absent
Shri Ashwani Kumar[***]	NA	NA	Absent	Absent	Present	Absent	Absent	Present
Ms. Jayashri Balkrishna[****]	NA	NA	Present	Present	Present	Present	Present	Present

Notes: NA = Not Applicable

[#] Ceased to be Director w.e.f. 30.09.2025

[##] Ceased to be Director w.e.f. 17.04.2025

[###] Ceased to be Director w.e.f. 03.06.2025

[####] Ceased to be Director w.e.f. 23.03.2026

[#####] Ceased to be Director w.e.f. 30.06.2025

[*] Appointed as Government Nominee Director w.e.f. 17.04.2025

[**] Appointed as Government Nominee Director w.e.f. 24.07.2025

[***] Appointed as Independent Director w.e.f. 30.07.2025

[****] Appointed as Executive Director w.e.f. 23.07.2025

The Directors ceased to be Directors due to expiry of their respective terms of appointment.

Directorship of Directors in other Companies

None of the Director of the Corporation is a director in more than ten public limited companies (as specified under Section 165 of the Act) and director in more than seven listed entities (as specified under Regulation 17A of the SEBI (LODR) Regulations).

None of the Director of the Corporation acts as an independent director (including any alternate directorships) in more than seven listed companies or three equity listed companies in case he/she serves as a whole-time director/ managing director in any listed company (as specified in Regulation 17A of the SEBI (LODR) Regulations).

Further, none of the Directors on the Board of the Corporation is a member of more than ten committees or chairperson of more than five committees (as specified in Regulation 26 of the SEBI (LODR) Regulations), across all the Indian public limited companies in which he/she is a director.

Details of directorship, category and committee positions held by the Directors in the companies as on 31st March 2026 are as detailed below:

Name of Director	Number of Directorships in Public Companies	Number of Committee positions held in Public Companies		Directorship in other listed entity (Category of Directorship)
		Chairman	Member	
Shri Hitesh Joshi	5	0	2	GIC Housing Finance Limited (Non-Executive Director, Chairman)
Shri Manoj Muttathil Ayyappan	2	0	1	Bank of India (Government Nominee Director)
Shri Tapan Kumar Mondal	1	1	1	-
Shri Ashwani Kumar	3	1	1	UCO Bank (Managing Director & CEO)
Ms. Jayashri Balkrishna	1	0	1	-

**Memberships/Chairpersonships in Audit Committee and Stakeholders Relationship Committee of Indian public limited companies; number of Memberships includes Chairpersonships*

Ms. Jayashri Balkrishna, Executive Director, holds 1222 equity shares in the Corporation. Other Directors do not hold any shares in the Corporation.

FAMILIARISATION PROGRAMME FOR INDEPENDENT DIRECTORS

Independent Directors have been familiarized with their roles, rights and responsibilities in the Corporation as well as with the nature of industry and business model of the Corporation through induction programs at the time of their appointment as Directors and also through presentations on economy & industry overview, business overview, digitization initiatives, key regulatory developments, governance, strategy, investments, human resource and performance which are made to the Directors from time to time. The details of the familiarization programmes have been hosted on the website of the Corporation and can be accessed on the link: https://www.gicre.in/images/2026/Familiarization_Programme_for_Directors_-_2025-26_1.pdf

SKILLS / EXPERTISE / COMPETENCIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Corporation being a Government Company, all the Directors on its Board are selected and appointed by the Government as per the well laid down selection process for appointment of Directors. The list of core skills, expertise and competence required for the Board to function effectively, in context of the Corporation's business, forms an integral part of the Government's process for selection of the Directors.

Matrix of expertise and skill of Directors

Present Directors of the Corporation have different skills and expertise in their respective domain areas viz. expertise in accounting, public policy and public sector enterprise, compliance, reinsurance operations, human resources, and monitoring overall business. The Board is of the opinion that the present Directors meet the skill or competence required for the functioning of the Board.

DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTORS

Independent Directors are non-executive directors as defined under Regulation 16(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations read with Section 149(6) of the Companies Act, 2013 along with rules framed thereunder. In terms of Regulation 25(8) of the SEBI (LODR) Regulations, they have confirmed that they are not aware of any circumstance or situation which exists or may be reasonably anticipated that could impair or impact their ability to discharge their duties. Based on the declarations received from the

Independent Directors, the Board of Directors has confirmed that they meet the criteria of independence as mentioned under Regulation 16(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations and that they are independent of the management.

COMMITTEES OF THE BOARD

The Corporation has eight Board level Committees, viz. Audit Committee, Investment Committee, Corporate Social Responsibility Committee, Risk Management Committee, Nomination & Remuneration Committee, Stakeholders' Relationship Committee, Human Resource Committee and Ethics Committee.

Audit Committee

In compliance with Section 177 of the Companies Act, 2013, the Corporation has an Audit Committee which is headed by an Independent Director.

- The Audit Committee oversees the financial reporting and disclosure processes both on an annual and quarterly basis. It sets up procedures and processes to address all concerns relating to adequacy of checks and control mechanisms.
- The Committee oversees the efficient functioning of the internal audit department and reviews its reports and monitors the progress made in rectification of irregularities and changes in processes wherever deficiencies have come to notice.
- The Committee is responsible for the recommendation of the appointment, remuneration, performance and oversight of the work of the auditors (internal/statutory/concurrent).
- Approval or any subsequent modification of transactions with related parties.

The composition of the Audit Committee as on 31st March 2026 was as follows:

Sl. No.	Name	Category	Designation
1	Shri Ashwani Kumar	Chairman	Independent Director
2	Shri Tapan Kumar Mondal	Member	Non-Executive Government Nominee Director
3	Ms. Jayashri Balkrishna	Member	Executive Director

Statement showing number of Audit Committee Meetings attended by the members during the period April 2025 to March 2026

Name of Directors	Date of Meetings			
	26.05.2025	07.08.2025	12.11.2025	07.02.2026
Ms. A. Manimekhalai#	Present	NA	NA	NA
Ms. Vinita Kumari##	Present	Present	Present	Present
Shri Manoj Ayyappan###	NA	NA	NA	NA
Shri Hitesh Joshi*	Present	Present	NA	NA
Shri Ashwani Kumar**	NA	Present	Present	Present
Ms. Jayashri Balkrishna***	NA	NA	Present	Present

Notes: NA = Not Applicable

 # Ceased to be Member w.e.f. 03.06.2025

##Ceased to be Member w.e.f. 23.03.2026

Appointed as member w.e.f. 03.06.2025 and ceased w.e.f. 30.07.2025

**Appointed as a member w.e.f. 21.03.2025 and ceased w.e.f. 01.10.2025*

***Appointed as a member w.e.f. 30.07.2025*

****Appointed as a member w.e.f. 01.10.2025*

Investment Committee

In compliance with the IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024, the Corporation has an Investment Committee consisting of the CMD, two Non-Executive Directors, one Executive Director & Chief Risk Officer, Chief Investment Officer, Chief Financial Officer and Appointed Actuaries (Life and Non-Life).

- The Committee lays down annual investment policy and provides oversight to investment operations of the Corporation.

- The policy focuses on prudential Asset Liability Management (ALM) supported by robust internal control systems. The investment policy and operational framework inter alia, encompass aspects concerning liquidity for smooth operations, compliance with prudential regulatory norms on investments, risk management/mitigation strategies to ensure commensurate yield on investments and above all protection of policyholders' funds.
- The Committee is responsible for a periodic review of the Investment policy based on the performance of investments and the evaluation of dynamic market conditions.

The composition of the Investment Committee as on 31st March 2026 was as follows:

Sl. No.	Name	Category	Designation
1	Shri Hitesh Joshi	Chairman	Executive Director (Additional Charge-CMD)
2	Shri Ashwani Kumar	Member	Independent Director
3	Shri Tapan Kumar Mondal	Member	Non-Executive Government Nominee Director
4	Ms. Jayashri Balkrishna	Member	Chief Risk Officer
5	Shri V. Balkrishna	Member	Chief Financial Officer
6	Smt. Radhika Ravishekar	Member	Chief Investment Officer
7	Shri Sateesh N. Bhat	Member	Appointed Actuary (Non-Life)
8	Shri Suresh Narayan Sindhi	Member	Appointed Actuary (Life)

Statement showing number of Investment Committee Meetings attended by the members during the period April 2025 to March 2026

Name of Directors/Members	Date of Meetings				
	30.04.2025	26.05.2025	07.08.2025	12.11.2025	07.02.2026
Shri Ramaswamy Narayanan#	Present	Present	Present	NA	NA
Ms. A. Manimekhalai##	Absent	Absent	NA	NA	NA
Ms. Vinita Kumari###	Present	Present	Present	Present	Present
Shri Hitesh Joshi	Present	Present	Present	Present	Present
Ms. Radhika C. S. ####	Present	Present	NA	NA	NA
Shri Manoj Ayyappan*	NA	NA	Absent	NA	NA
Shri Ashwani Kumar**	NA	NA	NA	Absent	Absent
Ms. Jayashri Balkrishna CRO	Present	Present	Present	Present	Present
Shri V. Balkrishna, CFO	Present	Present	Present	Present	Present
Smt. Radhika Ravishekar, CIO	Absent	Present	Present	Present	Absent
Shri Sateesh N. Bhat, Appointed Actuary (Non-life)	Absent	Present	Present	Present	Present
Shri Suresh Narayan Sindhi, Appointed Actuary (Life)	Present	Absent	Present	Present	Present

Notes: NA = Not Applicable

#Ceased to be Member w.e.f. 30.09.2025
Ceased to be Member w.e.f. 03.06.2025
###Ceased to be Member w.e.f. 23.03.2026
####Ceased to be Member w.e.f. 30.06.2025
** Appointed as Member w.e.f. 03.06.2025 and ceased w.e.f. 07.08.2025*
*** Appointed as Member w.e.f. 07.08.2025*

Nomination & Remuneration Committee

The Corporation has formed a Nomination & Remuneration Committee and the terms of reference of the Committee is as prescribed under Section 178 of the Companies Act, 2013 and Schedule II Part D of the SEBI (LODR) Regulations, except to the extent of exemptions granted to Government Companies.

- The Nomination and Remuneration Committee shall comprise of minimum three directors, all of whom shall be non-executive directors, and at least fifty percent of the directors shall be independent directors;
- The Chairperson of the Corporation (whether executive or non-executive) may be appointed as a member of the Nomination and Remuneration Committee, but shall not chair such Committee;
- To evaluate the performance of Chairman and Managing Director of the Corporation for the entitlement of Performance Linked Incentives, subject to achievement of broad quantitative parameters fixed for performance evaluation matrix based on the Statement of Intent (SOI) on Goals and qualitative parameters and benchmarks based on various compliance reports during the last financial year;
- To take on record the appointment and removal of directors, including independent directors, by the Central Government acting through the respective ministries;
- To take on record various policies issued by the Government of India including policy on diversity of Board of Directors and criteria of evaluation of performance of directors.
- To review and take note of the Key Managerial Personnel appointed through the annual promotion exercises conducted as per the existing rules and regulations as well as appointments made by the Chairperson.
- To take note of the requisite declarations submitted by Key Managerial Personnel and Directors.

The composition of the Nomination and Remuneration Committee as on 31st March 2026 was as follows:

Sl. No.	Name	Category	Designation
1	Shri Ashwani Kumar	Chairman	Independent Director
2	Shri Manoj Ayyappan	Member	Non-Executive Government Nominee Director
3	Shri Tapan Kumar Mondal	Member	Non-Executive Government Nominee Director

Statement showing number of Nomination & Remuneration Committee Meetings attended by the members during the period April 2025 to March 2026:

Name of Directors	Date of Meetings			
	30.04.2025	12.11.2025	16.01.2026	14.03.2026
Ms. A. Manimekhalai#	Present	NA	NA	NA
Dr. M. P. Tangirala##	NA	NA	NA	NA
Ms. Vinita Kumari###	Present	Present	Present	Present
Shri Manoj Ayyappan*	Present	Present	Present	Present
Shri Ashwani Kumar**	NA	Absent	Present	Absent
Shri Tapan Kumar Modal***	NA	NA	NA	NA

Notes: NA = Not Applicable

#Ceased to be Member w.e.f. 03.06.2025
Ceased to be Member w.e.f. 17.04.2025
###Ceased to be Member w.e.f. 23.03.2026
** Appointed as Member w.e.f. 17.04.2025*
*** Appointed as Member w.e.f. 30.07.2025*
****Appointed as Member w.e.f. 24.03.2026*

Risk Management Committee

The Corporation has a Risk Management Committee of the Board of Directors and an Enterprise Risk Management Committee of the Management consisting of four General Managers and Chief Risk Officer (CRO).

- The Committee is supervising implementation of Enterprise Risk Management (ERM) framework which is expected to put in place a robust ERM system for effectively and efficiently managing the various risk exposures;
- The Committee assists the Board in effective operation of the risk management system by performing specialized analysis and quality reviews, maintaining a group-wide and aggregated view on the risk profile of the insurer in addition to the solo and individual risk profile;

- Report to the Board, details on the risk exposures and the actions taken to manage the exposures;
- Advice the Board with regard to risk management, decisions in relation to strategic and operational matters such as corporate strategy, mergers and acquisitions and related matters.

The composition of Risk Management Committee of the Board as on 31st March 2026 was as follows:

Sl. No.	Name	Category	Designation
1	Shri Ashwani Kumar	Chairman	Independent Director
2	Shri Tapan Kumar Mondal	Member	Non-Executive Government Nominee Director
3	Shri Hitesh Joshi	Member	Executive Director (Additional Charge-CMD)
4	Ms. Jayashri Balkrishna	Member	Chief Risk Officer
5	Shri V. Balkrishna	Member	Chief Financial Officer
6	Shri Sateesh N. Bhat	Member	Appointed Actuary (Non-Life)
7	Shri Suresh Narayan Sindhi	Member	Appointed Actuary (Life)

The members of the Enterprise Risk Management Committee (Management) were:

1. Smt. Jayashri Balkrishna, ED & Chief Risk Officer
2. Shri Hitesh Joshi, ED
3. Shri Sanjay Mokashi, GM (Reinsurance)
4. Shri V. Balkrishna, GM (Investment)
5. Shri Sateesh Bhat, Appointed Actuary (Non-life)
6. Shri Suresh Sindhi, Appointed Actuary (Life-Re)

Statement showing number of Risk Management Committee Meetings attended by the members during the period April 2025 to March 2026

Name of Directors	Date of Meetings			
	26.05.2025	07.08.2025	12.11.2025	07.02.2026
Ms. Vinita Kumari#	Present	Present	Present	Present
Shri Ramaswamy Narayanan##	Present	Present	NA	NA
Ms. A. Manimekhalai###	Absent	NA	NA	NA
Shri Hitesh Joshi	Present	Present	Present	Present
Ms. Radhika C. S.####	Present	NA	NA	NA
Shri Manoj Ayyappan*	NA	Absent	NA	NA
Shri Tapan Kumar Mondal**	NA	NA	Present	Present
Ms. Jayashri Balkrishna, CRO	Present	Present	Present	Present
Shri V. Balkrishna, CFO	Present	Present	Present	Present
Shri Sateesh N. Bhat Appointed Actuary (Non-life)	Present	Present	Present	Present
Shri Suresh Narayan Sindhi Appointed Actuary (Life)	Absent	Present	Present	Present

Notes: NA = Not Applicable

#Ceased to be Member w.e.f. 23.03.2026

Ceased to be Member w.e.f. 30.09.2025

###Ceased to be Member w.e.f. 03.06.2025

####Ceased to be Member w.e.f. 30.06.2025

** Appointed as Member w.e.f. 03.06.2025 and ceased w.e.f. 07.08.2025*

*** Appointed as Member w.e.f. 07.08.2025*

Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

Pursuant to the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013, companies fulfilling the criteria of Net Worth or Net Profit or Turnover have to contribute two percent of average net profits of the Company made during the three immediately preceding financial years for Corporate Social Responsibility.

The Corporation has formed Board level Committee for Corporate Social Responsibility. This committee plays an important role in planning, analyzing, formulating and executing the CSR policies. The Corporation executes the CSR policies through NGO/ Organization which are selected through transparent evaluation process.

The composition of Corporate Social Responsibility Committee as on 31st March 2026 was as follows:

Sl. No.	Name	Category	Designation
1	Shri Hitesh Joshi	Chairman	Executive Director (Additional Charge-CMD)
2	Shri Ashwani Kumar	Member	Independent Director
3	Ms. Jayashri Balkrishna	Member	Executive Director

The members of the CSR Committee (Management) were:
1. Shri Hitesh Joshi, ED (Additional Charge-CMD)
2. Ms. Jayashri Balkrishna, ED
3. Shri V. Balkrishna, GM
4. Shri Rajesh Khadatare, GM
5. Shri Sanjay Mokashi, GM

Statement showing number of Corporate Social Responsibility Committee Meetings attended by the members during the period April 2025 to March 2026

Name of Directors	Date of Meetings			
	26.05.2025	07.08.2025	12.11.2025	07.02.2026
Shri Ramaswamy Narayanan#	Present	Present	NA	NA
Ms. A. Manimekhalai##	Absent	NA	NA	NA
Ms. Vinita Kumari###	Present	Present	Present	Present
Shri Hitesh Joshi	Present	Present	Present	Present
Ms. Radhika C. S.####	Present	NA	NA	NA
Ms. Jayashri Balkrishna*	NA	NA	Present	Present
Shri Ashwani Kumar**	NA	NA	NA	NA

Notes: NA = Not Applicable
#Ceased to be Member w.e.f. 30.09.2025
##Ceased to be Member w.e.f. 03.06.2025
###Ceased to be Member w.e.f. 23.03.2026
####Ceased to be Member w.e.f. 30.06.2025
** Appointed as Member w.e.f. 07.08.2025*
***Appointed as Member w.e.f. 24.03.2026*

Stakeholders' Relationship Committee

In accordance with the provisions of Section 178 of the Companies Act, 2013 and Regulation 20 of the SEBI (LODR) Regulations, the Corporation has formed its Stakeholders' Relationship Committee comprising of Independent, Non- Executive Director and Executive Director to specifically look into the redressal of grievances of shareholders, debenture holders and other security holders. Shri Tapan Kumar Mondal, Non- Executive Government Nominee Director, is the Chairman of the Committee. During the year, Shri Satheesh Kumar, Company Secretary, has been designated as Compliance Officer of the Corporation.

The composition of Stakeholders' Relationship Committee as on 31st March 2026 was as follows:

Sl. No.	Name	Category	Designation
1	Shri Tapan Kumar Mondal	Chairman	Non-Executive Government Nominee Director
2	Shri Ashwani Kumar	Member	Independent Director
3	Shri Hitesh Joshi	Member	Executive Director (Additional Charge-CMD)

Statement showing number of Stakeholders' Relationship Committee Meetings attended by the members during the period April 2025 to March 2026

Name of Directors	Date of Meeting
	07.02.2026
Ms. A. Manimekhalai#	NA
Shri Ramaswamy Narayanan##	NA
Ms. Vinita Kumari###	Present
Shri Hitesh Joshi*	Present
Shri Tapan Kumar Mondal**	Present
Shri Ashwani Kumar***	NA

Notes: NA = Not Applicable
#Ceased to be Member w.e.f. 03.06.2025 ** Appointed as Member w.e.f. 03.06.2025*
Ceased to be Member w.e.f. 30.09.2025 *** Appointed as Member w.e.f. 07.08.2025*
###Ceased to be Member w.e.f. 23.03.2026 **** Appointed as Member w.e.f. 24.03.2026*

Ethics Committee

The Corporation has put in place a 2-level Ethics Committee of which one is at the Management level while the other is at the Board level. The set-up provides a robust support to the whistle-blowing mechanism where maintenance of confidentiality is of prime importance to provide adequate comfort level to the employees of the Corporation.

The composition of Ethics Committee on 31st March 2026 was as follows:

Sl. No.	Name	Category	Designation
1	Shri Hitesh Joshi	Chairman	Executive Director (Additional Charge-CMD)
2	Shri Manoj Ayyappan*	Member	Non-Executive Government Nominee Director
3	Ms. Jayashri Balkrishna**	Member	Executive Director

**Appointed as Member w.e.f. 17.04.2025*
***Appointed as Member w.e.f. 07.08.2025*

The members of the Ethics Committee (Management) are:

1. Shri Hitesh Joshi, ED
2. Smt. Jayashri Balkrishna, ED
3. Shri Rajesh Pawar, GM
4. Smt. Manali Patke, GM

Details of Investor Complaints received and attended during the Financial Year 2025-26 and reported under Regulation 13(3) of the SEBI (LODR) Regulations are as given below:

Particulars	No. of Complaints
No. of Complaints pending as on 1st April 2025	0
No. of Complaints received during the year	20
No. of Complaints resolved during the year	20
No. of Complaints pending as on 31st March 2026	0

PERFORMANCE EVALUATION

An annual evaluation of the performance of the Board, its committees and individual directors and Chairman has been carried out by the Board of Directors of the Corporation, while performance evaluation of the Independent Directors has been done by Non-Independent Directors, as per applicable statutory provisions. The performance evaluation was done in form of questionnaire and discussion. The Board was satisfied with the performance.

GENERAL BODY MEETINGS

The details of the Annual General Meetings of the Members held during the last three years are as follows:

Particulars	2022-23	2023-24	2024-25
Date	26th September 2023	26th September 2024	23rd September 2025
Time	3:00 P.M.	3:00 P.M.	3:00 P.M.
Venue	Meeting held through Video Conference (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM). Deemed Venue: Registered Office of the Corporation.	Meeting held through Video Conference (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM). Deemed Venue: Registered Office of the Corporation.	Meeting held through Video Conference (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM). Deemed Venue: Registered Office of the Corporation.
No. of Special Resolutions passed	1	NIL	1
Purpose/Details of Special Resolution	Appointment of Ms. Vinita Kumari (DIN 10093690) as Director of the Corporation	-	Appointment of Shri Ashwani Kumar (DIN: 10344636), MD & CEO, UCO Bank as Non- Executive Director on the Board of the Corporation.

There were no Extraordinary General Meeting of the Members held during the last three years.

POSTAL BALLOT

During the year, no approval of the shareholders was obtained by the Corporation by way of Postal Ballot.

REMUNERATION OF DIRECTORS

- The Corporation being a Government Company, the remuneration payable to its Whole-time Directors/ Executive Directors is approved by the Government and advice received through the Administrative Ministry viz. Ministry of Finance.
- The Non-official Directors (non-executive) are paid sitting fees for Board and Committee Meetings of the Board attended by them, as per relevant notifications issued by Government of India and approved by the Board, available on the website of the Corporation: https://www.gicre.in/images/2026/GIC_Re_-_Sitting_fee_for_Board_and_Committee_meetings.pdf
- The Corporation does not have a policy of paying commission on profits to any of the Directors of the Corporation.
- The remuneration payable to officers below Board and Committee Meetings.

The details of remuneration paid to all the Directors are disclosed in Form MGT-7, Annual Return for FY 2025-26. The same is available on the website of the Corporation:

https://www.gicre.in/en/investors-public-disclosures/investors-en/financial-performance/annual-return

INDEPENDENT DIRECTORS' MEETING

As provided under Schedule IV of the Companies Act, 2013 and as per Regulation 25(3) of the SEBI (LODR) Regulations, a separate meeting of Independent Directors was held on 14th March 2026 for inter-alia performance evaluation of Directors, Board and the Committees. Being a Government Company, the appointment of all Directors including Independent Directors is done by the Government of India.

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

As per Section 2(51) and Section 203(1) of the Companies Act, 2013, the following were the Key Managerial Personnel of the Corporation as on 31st March 2026:

Sl. No.	Name	Designation
1	Shri Hitesh Joshi	Executive Director (Additional Charge - CMD)
2	Ms. Jayashri Balkrishna	Executive Director
3	Shri V. Balkrishna	Chief Financial Officer
4	Shri Satheesh Kumar	Company Secretary

As per the IRDA Act, 1999 and applicable regulations/guidelines issued thereunder, the following were the Key Managerial Personnel of the Corporation as on 31st March 2026:

Sr. No.	Designation	Name
1	Executive Director (Additional Charge-CMD)	Shri Hitesh Joshi
2	Executive Director & Chief Risk Officer	Ms. Jayashri Balkrishna
3	General Manager, Financial Advisor & Chief of Internal Audit	Smt. Manali Patke
4	General Manager & Chief Financial Officer	Shri V. Balkrishna
5	General Manager & Chief Marketing Officer	Shri Rajesh Khadatare
6	General Manager & Chief Underwriting Officer	Shri Sanjay Mokashi
7	Company Secretary & Chief Compliance Officer	Shri Satheesh Kumar
8	Chief Investment Officer	Smt. Radhika Ravishekar
9	Appointed Actuary (Non-Life)	Shri Sateesh N. Bhat
	Appointed Actuary (Life)	Shri Suresh Narayan Sindhi
10	General Manager	Shri Rajesh Pawar

Changes in KMP / Senior Management as per IRDA Act, 1999 and regulations/guidelines, Changes in Key Managerial Personnel (CEO & MD, CFO and CS) as per the Companies Act, 2013 and SEBI Regulations and changes in Senior Management as per SEBI Regulations, were as under during the year:

- Shri Satheesh Kumar appointed as Chief Compliance Officer & Company Secretary w.e.f. 30.04.2025.
- Shri Rajesh Pawar, Shri Rajesh Khadatare, Shri Sanjay Mokashi and Smt. Manali Patke appointed as General Manager w.e.f. 15.05.2025.
- Ms. Radhika C.S. ceased to be Executive Director and Financial Advisor & Chief of Internal Audit w.e.f. 30.06.2025 upon attaining superannuation.
- Ms. Jayashri Balkrishna was appointed as Executive Director of the Corporation w.e.f. 23.07.2025.
- Smt. Manali Patke was appointed as Financial Advisor & Chief of Internal Audit w.e.f. 08.08.2025.
- Shri Uday Laxmandas Devi was appointed as Chief Vigilance Officer of the Corporation w.e.f. 29.12.2025, in place of Shri S. Alagarswamy.

MEANS OF COMMUNICATION

Timely disclosure of consistent, relevant and reliable information on corporate financial performance is at the core of good governance. Towards this end, major steps taken are as under:

a. Quarterly/Half-yearly/Annual Financial Results

The quarterly and half-yearly unaudited financial results / annual audited financial results of the Corporation are announced within the time limits prescribed by the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The results are published in leading business/regional newspapers. The Corporation also conduct investors calls in relation to quarterly annual financial results and host presentation in this respect on the website.

b. Website

The Corporation's website www.gicre.in provides separate section for investors "Investors" where relevant information for shareholders is available.

c. News Release

Official News Releases are hosted on the Corporation's website: www.gicre.in.

d. Annual Report

Annual Report is circulated to the shareholders and others entitled thereto. The Management Discussion & Analysis Report is part of the Annual Report.

GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION

a. 54th Annual General Meeting

Date & Time: Tuesday, 22nd September 2026 at 11:00 A.M.

Venue/Mode: The AGM is proposed to be convened through Video Conference (VC) /Other Audio-Visual Means (OAVM) in compliance with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 09/2021, 21/2021, 10/2022, 09/2023 and 09/2024 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), without the physical presence of the Members at a common venue. The proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Corporation which shall be the deemed venue of the AGM.

b. Financial Year: 1st April to 31st March

The financial calendar (tentative) to approve quarterly/ annual financial results of the Corporation for the financial year 2026-27 is given below:

Quarter ending 30th June 2026	: On or before 14.08.2026
Quarter ending 30th September 2026	: On or before 14.11.2026
Quarter ending 31st December 2026	: On or before 14.02.2027
Quarter & year ending 31st March 2027	: On or before 30.05.2027

c. Record date & Date of Dividend Payment:

Record date: Friday, 4th September 2026

Date of Dividend Payment: A dividend of ₹13.25 per share (265% of Paid-up equity share capital), subject to deduction of TDS, as recommended by the Board of Directors, if approved at the AGM, shall be paid to the eligible shareholders within the stipulated 30 days period after the AGM as provided under the Companies Act, 2013.

d. Listing on Stock Exchanges as of 31st March 2026:

The BSE Limited	The National Stock Exchange of India Limited
Phiroze Jeejeeboy Towers,	Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block,
Dalal Street, Mumbai- 400 001.	Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051.

e. Listing Fees: The listing fees for Financial Year 2026-27 has been paid to the Stock Exchanges within stipulated time period.

f. Stock Code:

BSE: 540755

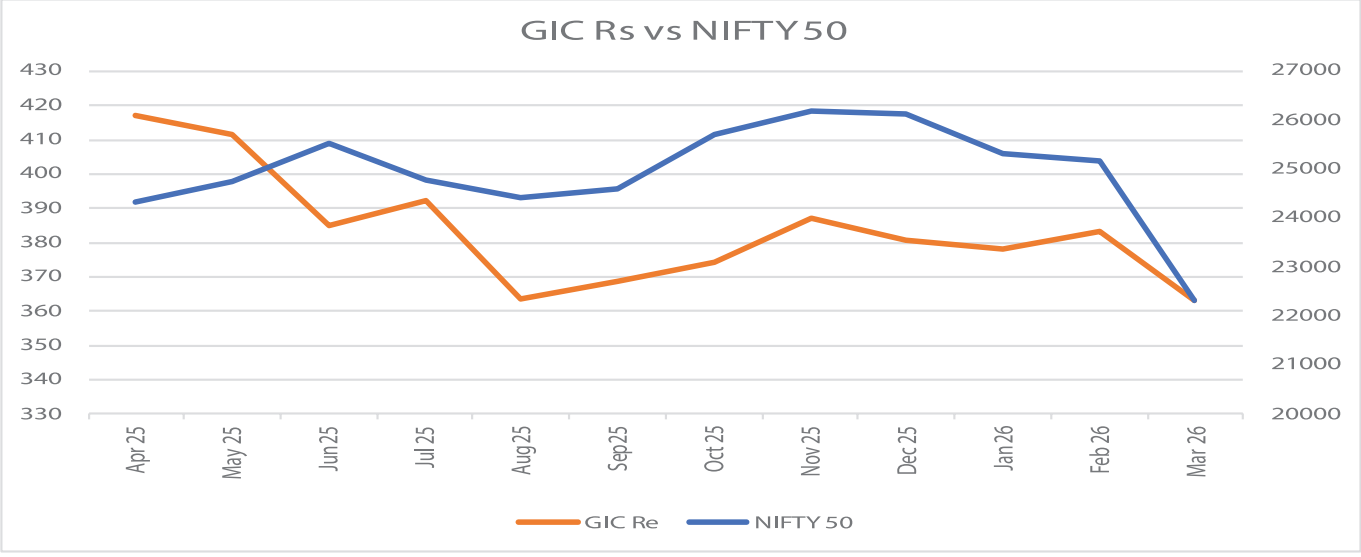
NSE: GICRE

ISIN: INE481Y01014

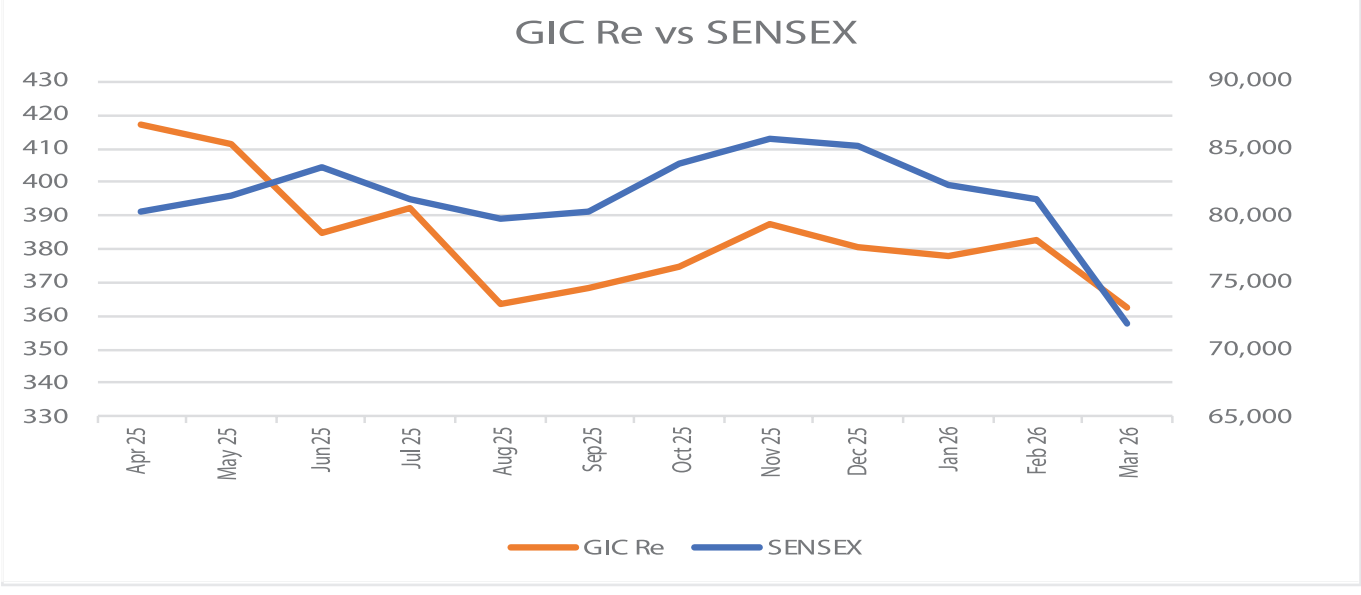
g. Stock Market Data

Performance in comparison to Broad Based Indices

GICRE vs NSE Nifty



GICRE vs BSE Sensex



GICRE Share Price Monthly data

Months	BSE				NSE			
	High (₹)	Low (₹)	Close (₹)	Volume (Qty)	High (₹)	Low (₹)	Close (₹)	Volume (Qty)
April-2025	453.60	352.40	417.10	7,67,111	453.80	368.35	417.15	1,87,77,286
May-2025	446.95	388.50	411.35	8,42,398	446.80	388.45	411.60	1,70,28,263
June-2025	424.80	368.05	385.00	11,75,721	424.65	368.05	385.15	2,11,66,321
July-2025	398.00	368.00	392.15	9,99,232	398.20	367.90	392.15	1,75,69,181
August-2025	404.00	362.80	363.70	13,39,582	404.05	362.80	363.65	1,93,65,825
September-2025	381.25	355.00	368.50	10,78,887	380.00	355.00	368.65	1,61,98,044
October-2025	392.10	363.10	374.50	5,90,716	392.50	363.60	374.20	1,57,80,922
November-2025	402.00	366.45	387.30	4,09,519	402.00	366.25	387.20	1,24,03,563
December-2025	392.00	361.90	380.60	5,18,601	394.00	361.30	380.80	1,03,10,607
January-2026	385.85	358.45	378.00	5,25,803	384.20	358.00	378.05	91,76,026
February-2026	400.00	366.00	382.80	6,41,344	400.30	365.85	383.05	1,01,43,937
March-2026	377.95	351.00	362.55	3,28,368	378.00	350.25	362.95	62,29,660

h. Registrar and Transfer Agents

M/s. KFin Technologies Ltd.
Karvy Selenium, Tower B,
Plot number 31 & 32,
Financial District, Gachibowli
Hyderabad - 500 032.
Contact No.: (040) 67162222
Fax No.: (040) 23001153
E-mail: einward.ris@kfintech.com

i. Share Transfer System

Activities relating to share transfers are carried out by M/s. KFin Technologies Ltd., who are the Registrar and Transfer Agents of the Corporation and who have arrangements with the Depositories viz. National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited.

In view of SEBI Circular dated March 16, 2023, physical shareholders are requested to submit their PAN, full KYC details (Postal address with PIN, mobile number, email address, bank details, signature) and other relevant details in Form ISR-1 to KFin Technologies Limited, Registrar and Transfer Agent of the Corporation ("RTA"). The said Form is also available on the website of the Corporation https://www.gicre.in/en/investors-public-disclosures/investors-en/notice-communication-to-shareholders and also on the website of RTA. Physical shareholders are also requested to dematerialize their shareholding at the earliest, as pursuant to SEBI Circular, any investor service requests including transfer requests shall be processed in dematerialised mode only.

j. Distribution of shareholding as on 31st March 2026:

Sl. NO.	Nominal value of equity shares (₹)	No. of shareholders	% of shareholders	No. of shares	% of amount
1	1 - 5000	2,16,902	99.73	2,33,32,906	1.33
2	5001 - 10000	261	0.12	18,31,242	0.10
3	10001 - 20000	124	0.06	17,88,524	0.10
4	20001 - 30000	43	0.02	10,76,216	0.06
5	30001 - 40000	25	0.01	8,59,853	0.05
6	40001 - 50000	21	0.01	9,46,306	0.05
7	50001 - 100000	28	0.01	20,03,929	0.11
8	100001 - 200000	26	0.01	34,44,751	0.20
9	200001 and above	64	0.03	1,71,91,16,273	97.99
Total:		**2,17,494**	**100.00**	**1,75,44,00,000**	**100.00**

k. Information on Shareholding as on 31st March 2026:

Sl. No.	Category	No. of shareholders	Shares held	% of total issued shares
1.	President of India	1	1,44,55,67,615	82.40
2.	Banks	2	77,31,923	0.44
3.	Insurance Companies	13	19,21,09,420	10.95
4.	NBFCs registered with RBI	Nil	Nil	0.00
5.	Other Financial Institutions	Nil	Nil	0.00
6.	Foreign Portfolio Investors Category I	123	3,54,66,215	2.02
7.	Foreign Portfolio Investors Category II	7	5,89,793	0.03
8.	Mutual Funds	22	2,61,38,504	1.49
9.	Individuals (Includes Resident Individuals & HUF)	2,13,956	2,85,51,120	1.62
10.	Non-Resident Indians (Repatriable & non-Repatriable)	2,883	10,53,229	0.06
11.	Others (PF, AIF, trust, Clearing members, IEPF, Associate companies, KMPs, Bodies Corporate)	487	1,71,92,181	0.98
Total:		**2,17,494**	**1,75,44,00,000**	**100.00**

l. Dematerialization of shares and liquidity

The total number of shares dematerialized as on 31st March 2026 is 1,75,43,99,132 representing 99.99% of Issued and Subscribed share capital including shares held by the President of India. Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018, w.e.f. 1st April 2019, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository. Further, with effect from 24th January 2022, SEBI has made it mandatory for listed companies to issue securities in demat mode only while processing any investor service requests viz. issue of duplicate share certificates, exchange/sub-division/splitting/consolidation of securities, transmission/transposition of securities. SEBI vide its Circular dated 25th January 2022, has clarified that listed entities/RTAs shall now issue a Letter of Confirmation in lieu of the share certificate while processing any of the aforesaid investor service request.

Simplified Norms for processing Investor Service Request

SEBI, vide its Circular dated 16th March 2023, had made it mandatory for holders of physical securities to furnish PAN, KYC

and Nomination/Opt-out of Nomination details to avail any investor service. Folios wherein any one of the above-mentioned details are not registered by 1st October 2023 shall be frozen. The concerned Members are therefore urged to furnish PAN, KYC and Nomination/ opt out of Nomination by submitting the prescribed forms duly filled by email from their registered email id to einward.ris@kfintech.com or through In Person Verification by RTA or by sending a physical copy of the prescribed forms duly filled and signed by the registered holders to M/s. KFin Technologies Limited at Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032.

m. Investor correspondence:

i. Shri Satheesh Kumar

Company Secretary & Compliance Officer
E-mail id: investors.gic@gicre.in
'Suraksha', 170, J.T. Road,
Churchgate, Mumbai- 400 020
Telephone (Board): +91 22 2286 7000

ii. Ms. Jayashri Balkrishna

Investor Relations Manager
Email id: investorrelationsteam@gicre.in
'Suraksha', 170, J.T. Road,
Churchgate, Mumbai – 400 020

n. Credit Ratings:

During the Financial year ended 31st March 2026, A.M. Best affirmed the Corporation's credit rating of Financial Strength Rating (FSR) 'A-' (Excellent) with outlook stable, Long-Term Issuer Credit Rating of 'a-' (Excellent) with outlook stable and the National Scale Rating (NSR) of aaa.IN (Exceptional) with outlook stable.

CARE has reaffirmed the rating of AAA with outlook stable assigned to the Corporation.

The following table provides the ratings obtained during the year.

Rating Agency	Credit Rating Scales	Rating	Outlook
A.M. Best	Financial Strength Rating	A- (Excellent)	Stable
	Long-Term Issuer Credit Rating	a- (Excellent)	Stable
	India National Scale Rating (NSR)	aaa.IN (Exceptional)	Stable
CARE	Issuer Rating	AAA	Stable

o. Compliance Certificate on Corporate Governance

A certificate obtained from the Practicing Company Secretary regarding compliance of conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is annexed to this report as **'Annexure A'.**

p. Certification from Company Secretary in practice:

Ms. Ragini Chokshi from M/s. Ragini Chokshi & Co., Company Secretaries, has issued a certificate as required under the SEBI (LODR) Regulations, confirming that none of the Directors on the Board of the Corporation has been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Director of Companies by the SEBI or Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority. The Certificate is enclosed with this report as **'Annexure – B'.**

q. Details of total fees paid to statutory auditors:

The details of total fees for all services payable by the Corporation and its subsidiaries, on a consolidated basis to the statutory

auditors and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditors are a part, are as follows:

(Amount in ₹)

Payment to Statutory Auditors	2025-26
Audit Fees	78,75,000
Tax Audit Fees	5,00,000
Other Services	11,55,000
Total	**95,30,000**

r. Disclosures pertaining to Sexual Harassment at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013: The requisite details are provided in the Board of Directors' Report.

s. Discretionary Requirements:

The status of adoption of the non-mandatory requirements as specified in sub-regulation 1 of Regulation 27 of the SEBI (LODR) Regulations, are as follows:

a. Shareholder Rights: Quarterly, Half-yearly and Annual financial statements are published in newspapers and uploaded on the Corporation's website www.gicre.in.

b. Unmodified opinion(s) in audit report: Statutory Auditors have issued audit report with unmodified opinion.

c. Reporting of Internal Auditor: The Internal Auditors of the Corporation report directly to the Audit Committee of the Board.

t. Other Disclosures

a. During the year 2025-26, there were no material transactions with Directors or their relatives having potential conflict with the interests of the Corporation at large. Being a Government Company, all the Directors of the Corporation are appointed by the Government of India. There is no relationship inter se between these Directors.

b. As required under the SEBI (LODR) Regulations, the Corporation has formulated a Related Party Transaction Policy. All the related party transactions entered during the year were at arm's length price.

c. (i) FY 2024-25: The Corporation has received letters from National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited dt. 17.03.2025 informing imposition of fine for non-compliance of provisions of Regulation 17(1) of the SEBI (LODR) Regulations pertaining to composition of Board for 11 days pretraining to quarter ended 31.12.2024. In this regard, the Corporation had communicated both the exchanges of the efforts taken towards ensuring compliance regarding the composition of the Board of Directors and has requested for waiver of fine.

(ii) FY 2023-24: No notice was received from the regulatory authority regarding any non-compliances during the FY 2023-24.

(iii) FY 2022-23: The Corporation has received letters from National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited dt. 21.11.2022 informing imposition of fine for non-compliance of provisions of Regulation 17(1) of the SEBI (LODR) Regulations pertaining to composition of Board for the quarter ended 30.09.2022. In this regard, the Corporation had applied to both the Stock Exchanges vide its letters dated 25.11.2022 for waiver of fine and grant exemption for the period of non-compliance with the aforesaid regulation, since the Corporation had taken all possible measures for ensuring compliance to Regulation 17(1) of SEBI (LODR) Regulations. Subsequently, the same was considered favorably by the Stock Exchanges.

d. The Corporation has a Whistle-Blower Policy in place and no personnel have been denied access to the Audit Committee. This policy is hosted on the website of the Corporation and can be accessed at:

https://www.gicre.in/images/2025/Vigil_Mechanism_or_Whistle_Blower_Policy_-_2025_Ver_30.pdf

e. The Corporation is complying with the various mandatory and non-mandatory Corporate Governance requirements envisaged under the SEBI (LODR) Regulations.

f. The Corporation has a policy for determining material subsidiaries which has been hosted on the website of the Corporation and can be accessed at: https://www.gicre.in/images/2024/Policy_for_determining_of_Material_Subsidiaries_-2024_Ver_40.pdf

g. The policy on dealing with related party transactions has been hosted on the website of the Corporation and can be accessed at: https://www.gicre.in/images/2024/Related_Party_Transaction_Policy_2024Ver_060_1.pdf

h. The Corporation has framed a "Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading-2024" and the same has been hosted on the website of the Corporation and can be accessed at:
https://www.gicre.in/images/2025/Code_of_Conduct_for_Prohibition_of_Insider_Trading__2025_Ver_70.pdf

i. The Corporation has complied with the applicable conditions of Corporate Governance requirements as specified in Regulation 17 to 27 to the extent applicable and clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of Regulation 46 of SEBI (LODR) Regulations. Further, the link for accessing the details as prescribed under Regulation 46 of the SEBI (LODR) Regulations is https://www.gicre.in/en/

CERTIFICATION FOR COMPLIANCE OF THE CORPORATE GOVERNANCE MASTER CIRCULAR

I, Satheesh Kumar, to the best of my knowledge and hereby certify that the Corporation has complied with the IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 and the circulars issued thereunder and nothing has been concealed or suppressed.

Sd/-
(Satheesh Kumar)
CS & Compliance Officer

COMPLIANCE WITH CODE OF CONDUCT FOR BOARD OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT

This is to certify that the Corporation has laid down the Code of Conduct for all Board Members and Senior Management of the Corporation and the same are uploaded on the website of the Corporation and the link for accessing this Code is https://www.gicre.in/images/2024/Code_of_Conduct_for_Directors__Senior_Management_Personnel_-_2024_Version_40.pdf

Further certified that the Members of the Board of Directors and Senior Management Personnel have affirmed having complied with the Code as applicable to them during the year ended 31st March 2026.

Sd/-
(Hitesh Joshi)
ED (Additional Charge-CMD)

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To,

The Members of

General Insurance Corporation of India

Suraksha, 170 J Tata Road,

Churchgate, Mumbai - 400020, Maharashtra

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **General Insurance Corporation of India ("the Corporation")** for the financial year ended on March 31, 2026, as stipulated in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46 (2) and paragraphs C and D of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI LODR").

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination, as carried out in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance issued by the Institute of the Company Secretaries of India (the "ICSI"), was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Corporation for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

Based on our examination of the relevant records and in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and Paragraphs C and D of Schedule V to the SEBI LODR for the financial year ended March 31, 2026 subject to the following:

- Pursuant to Regulation 17 (1) (a) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Corporation could not comply with the requirement of having an independent woman director on its board from March 24, 2026 to March 31, 2026.
- Pursuant to Regulation 17 (1) (b) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Corporation could not comply with the requirement of having at least half of the Board of Directors as Independent Directors.
- Pursuant to Regulation 17 (1) (c) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Corporation could not comply with the requirement of having minimum number of six directors from June 04, 2025 to July 24, 2025 and from March 24, 2026 to March 31, 2026.
- Pursuant to Regulation 18 (1) (b) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Corporation could not comply with the requirement with constitution of the Audit Committee, as the Committee did not comprise with requisite two- thirds Independent Directors from June 04, 2025 to July 29, 2025 and from March 24, 2026 to March 31, 2026.
- Pursuant to Regulation 19 (1) (c) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, , the Corporation could not comply with the requirement with constitution of the Nomination and Remuneration Committee, as the Committee did not comprise with requisite two-thirds Independent Directors from June 04, 2025 to July 29, 2025 and from March 24, 2026 to March 31, 2026.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Corporation.

Date: 26.05.2026
Place: Mumbai

For Ragini Chokshi & Co.
(Company Secretaries)

Sd/-

Ragini Chokshi
Partner
FCS No.: 2390
CP No.: 1436
UDIN: F002390H000488898
Peer Review No. 4166/2023
Firm Registration No. 92897

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,
The Members,
General Insurance Corporation of India
Suraksha, 170 J Tata Road,
Churchgate, Mumbai-400020, Maharashtra

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of **GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA** having **CIN: L67200MH1972GOI016133** and having registered office at Suraksha, 170 J Tata Road, Churchgate, Mumbai-400020, Maharashtra (hereinafter referred to as 'the Corporation'), produced before us by the Corporation for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal (www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Corporation & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Corporation as stated below for the Financial Year ending on March 31, 2026 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Sr. No.	Name of Director	DIN	Date of Appointment
1.	Arumugam Manimekhalai	08411575	05/09/2022*
2.	Maruthi Prasad Tangirala	03609968	05/01/2023**
3.	Vinita Kumari	10093690	29/03/2023***
4.	Hitesh Rameshchandra Joshi	09322218	09/07/2024
5.	Radhika Seetharaman Chinnadaraduram	10703999	12/07/2024****
6.	Jayashri Balkrishna	11210291	23/07/2025
7.	Tapan Kumar Mondal	11228147	24/07/2025
8.	Ashwani Kumar	10344636	30/07/2025
9.	Manoj Muttathil Ayyappan	10733238	17/04/2025

Note:
** Ms. Arumugam Manimekhalai ceased to be Director of the Corporation w.e.f. June 3, 2025.*
*** Maruthi Prasad Tangirala ceased to be Director of the Corporation w.e.f. April 17, 2025*
**** Ms. Vinita Kumari ceased to be Director of the Corporation w.e.f. March 23, 2026.*
***** Ms. Radhika Seetharaman Chinnadaraduram ceased to be Director of the Corporation w.e.f. June 30, 2025*

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Corporation. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification.

This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

Date: 26.05.2026
Place: Mumbai

For Ragini Chokshi & Co.
(Company Secretaries)
Sd/-
Ragini Chokshi
Partner
FCS No.: 2390
CP No.: 1436
UDIN: F002390H000488953
Peer Review No. 4166/2023
Firm Registration No. 92897

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

GIC Re Corporate Social Responsibility (CSR) policy aims to empower communities by fostering a culture of risk awareness and resilience across India and the policy is dedicated transforming India from risk-averse to risk-aware society. GIC Re aims to integrate social, environmental considerations in our CSR activities and focus on capacity building, empowerment of communities, inclusive socio-economic growth, environment protection, education of under-privileged, promotion of green and energy efficient technologies, development of backward regions, and uplifting the marginalized and under-privileged sections of society. GIC Re's commitment to CSR reflects its dedication to being a socially responsible corporate, actively engaging in activities that benefit the community and the environment while aligning with the company's business objectives and statutory obligations.

REPORT ON CSR ACTIVITIES IN FY 2025-26

1. **Hosabelaku Seva Trust -** Hosabelaku Seva Trust is a socially committed organization established with a mission to serve the community by providing essential care and support to destitute, elderly, and ailing individuals, irrespective of caste, creed, or background. Founded in 2014, the Trust's journey began with the compassionate care of an elderly cancer patient who had no family support. Over the years, Hosabelaku Seva Trust has expanded its services, offering a safe and secure home for those in need, particularly elderly individuals who have been abandoned or have no tangible support systems. Today, the Trust provides comprehensive care to over 180 individuals, offering them not just food, shelter, and medical assistance, but also a sense of belonging and dignity. A significant achievement of the Trust has been the successful reunification of over 60 residents with their families, restoring relationships that were once thought to be lost.
   GIC Re has contributed funds towards the construction of a rehabilitation center exclusively for women affected by endosulfan, a toxic pesticide with devastating effects, particularly on unborn children, resulting in thousands of births with severe physical and developmental disabilities. Cost of this project is ₹5,83,01,516.00.

2. **Samarthanam Trust for the Disabled -** Samarthanam is a National Award-winning NGO established in the year 1997 by Founder Managing Trustee Mahantesh G. Kivadasannavar along with Late. Nagesh SP. Samarthanam Trust works for the empowerment of persons with disabilities and the underserved. It caters to people in need by providing numerous services including quality education, accommodation, nutritious food, vocational training, sports and placement-based rehabilitation. GIC Re has contributed funds towards construction of an accessible and inclusive resource center to promote empowerment and capacity building of persons with disability and marginalized sections of society in Dharwad, Karnataka. GIC Re's contribution to the cost of this project is ₹11,34,31,807.00.

3. **IIT Mandi -** The Indian Institute of Technology Mandi is one among the eighth newer second generation of IITs. IIT Mandi is a research university located in Kamand Valley, Mandi city in Mandi district of Himachal Pradesh. Since its inception the institute has been involved with various Research and Development (R&D) projects, the institute has signed Memorandum of Understanding (MoU) with many International and National universities, Companies, Research Centres, Organizations. The institute became an IIT under The Institutes of Technology (Amendment) Act, 2011 with the intention to expand the reach and to enhance the quality of technical education in the country.
   As part of its CSR initiatives, GIC Re has funded for their project- ReVive Solar, a deep-tech startup incubated at IIT Mandi Catalyst. The project focuses on the sustainable recovery and recycling of 'end-of-life' solar photovoltaic (PV) modules, addressing environmental challenges associated with renewable energy waste. The total cost of the project is ₹10,00,00,000.00.

4. **ALIMCO -** Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) is a Schedule 'C' Miniratna Category II Central Public Sector Enterprise, registered under Section 8 of the Companies Act, 2013, and functions under the administrative control of the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities. ALIMCO is engaged in providing aids and assistive appliances free of cost to persons with disabilities and has partnered with over 40 Central Public Sector Undertakings, benefiting approximately 1.5 lakh beneficiaries across the country. As part of its CSR initiatives, GIC Re provided financial support to ALIMCO for the provision of free daily assistive devices to senior citizens, aimed at improving mobility, independence, and quality of life. The total cost of the project is ₹10,00,00,000.00.

5. **National Sports Development Fund (NSDF) -** NSDF was established in 1998 by the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, under the Charitable Endowments Act, 1890, with the objective of mobilising resources from corporate entities, public sector undertakings, individuals, and other sources to promote excellence in sports. The Fund supports sportspersons by enabling access to world class coaching, scientific and psychological training, international exposure, and by providing financial assistance for sports infrastructure and allied development activities, supplementing the initiatives of the Department of Sports. As part of its CSR initiatives, GIC Re contributed towards infrastructure development and construction of a Para Fitness Centre at Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi, aimed at strengthening para sports infrastructure and supporting national and international para sports tournaments, including the World Para Athletics Championship, New Delhi 2025. The contribution amount was ₹17,38,01,570.00.

6. **TATA ACTREC -** Tata Memorial Centre (TMC) was established by the House of Tata's as the National Comprehensive Cancer Centre in 1941. In 1962 the center came under the Guardianship of Department of Atomic Energy, Govt. of India as an autonomous grant- in-aid institution. The centers functioning under TMC at Mumbai region are Tata Memorial Hospital with 670 beds at Parel, Mumbai and the research campus ACTREC which was established in 2001 at Kharghar, Navi Mumbai. ACTREC was envisaged to bring quality research in basic sciences and its translation into clinical research. GIC Re contributed towards the development of the fifth floor (56 bedded Day Care Unit) of the Adult and Paediatric Haematolymphoid Cancer Centre, Advanced Centre for Treatment, Research and Education in Cancer – ACTREC, Kharghar, Navi Mumbai. Cost of the project is ₹12,15,10,678.00.

7. **AROH Foundation -** AROH Foundation is one of India's leading national-level NGOs, founded in 2001 by Dr. Neelam Gupta, an acclaimed development professional and award-winning leader. AROH has transformed over 2 million lives across 27 states, 213 districts, and more than 36,000 villages. GIC Re has contributed funds for Comprehensive School Transformation project: Enhancing education, health, hygiene & play for Holistic Child Development in 20 government schools of Nagaon District, Assam & Dimapur District, Nagaland. Cost of the project is ₹ 12,70,12,148.55.

8. **Peetambara Shiksha Samiti -** Shri Peetambara Shiksha Samiti (SPSS), a registered leading non-government organization of the Uttar Pradesh founded in 2004. The organization works in various domains, including education, health and family welfare, women's development and empowerment, rural development, and vocational training. In 2024 they started a 100 bedded Multi Specialty Hospital for society, and they are catering to poor people and medically unserved areas in district of Sitapur. GIC Re has contributed for their project "Elevating Healthcare: Expansion of A 100-Bed Hospital into a State of-The-Art Multispecialty Facility in Sitapur, Uttar Pradesh". This proposal outlines the plan to upgrade the existing 100-bedded hospital named K.P. Singh Memorial Hospital located at Parasarai, Post- Dhondhi, Laharpur Road in Sitapur, Uttar Pradesh. Cost of the project is ₹3,93,56,616.00.

9. **Pravah –** Pravah, a Jharkhand based non-profit organization was founded by a group of dynamic social activists under the leadership of Mr. Dilip Kumar Dubey. The organization works towards establishing an equity based just society where everyone has a dignified and respectful life. Pravah implemented programs focussing on sustainable livelihood, women empowerment, education, health and nutrition and watershed development. Pravah is currently working in Jharkhand, Bihar and West Bengal. GIC Re has contributed towards their project "Transforming Education: Renovation and Development of Model Schools in two districts of Jharkhand. Cost of this project is ₹ 5,34,77,409.00.

10. **Human Organisation for Patronisation of Environment (HOPE) –** Established in 2008, the Human Organisation for Patronisation of Environment (HOPE) is a premier grassroots non-profit organization with over 15 years of dedicated experience in executing large-scale, community-led projects in the challenging and sensitive landscape of Jammu & Kashmir. Their Mission is to foster sustainable development by empowering marginalized communities to become the primary agents of change in their own environment believing that true, lasting change is only achieved when local communities, particularly women, have the skills, knowledge, and ownership to manage their resources and advocate for their own well-being. GIC Re has contributed for their project - AAROHI, a comprehensive, high-intensity 12-month mission designed to saturate Jammu

district with preventive healthcare services. The model's core will be a dedicated "Aarohi Women's Health & Wellness Centre" in Jammu, serving as a hub for advanced screening, counselling, and patient support. Cost of the project is ₹ 2,49,77,944.00.

11. **End Poverty –** End Poverty is a civil society founded in the year 2009 with the aim to work towards the economic development of poor and needy people in its operational areas. End Poverty began work in 5 villages in Alwar, Rajasthan. Today, it reaches 1,250+ villages across 9 states, impacting over 1.65 lakh individuals. Over 16 years, it has scaled programs in dairy development, climate resilience, agriculture, rural development, and education. GIC Re has contributed for their project Gram Uday - Transforming Villages for a Better Future. The proposed project will focus on Natural Resource Management, Education, Agriculture and Rural Development, ensuring an approach to community well-being. This initiative aims to conserve and efficiently manage natural resources and foster solar energy through these targeted interventions across 25 villages of Guna District, Madhya Pradesh. Cost of this project is ₹9,50,73,300.00.

12. **Coimbatore Sree Mahaveer Welfare Society –** Coimbatore Sree Mahaveer Welfare Society is a social organization dedicated to serving the underprivileged. The society is the promoter of the project Jain Medical and Dialysis Centre (JMDC). Jain Medical & Dialysis Centre (JMDC), established in 2012 under the banner of Coimbatore Sree Mahaveer Welfare Society, has been at the forefront of providing affordable, accessible, and quality dialysis services to economically marginalized kidney patients in and around Coimbatore. GIC Re has funded their project - Jain Medical & Dialysis Centre which aims to provide quality medical care and dialysis services to the community - approximately 12000 patients. JMDC seeks support to strengthen its dialysis facilities, bridge the operational deficit, and procure additional dialysis machines to meet growing demand. Cost of the project is ₹1,46,00,000.00.

13. **Cancer Patients Aid Association (CPAA) –** CPAA is a 56-year-old non-profit organization with a vision of 'Total Management of Cancer – Early Detection to Rehabilitation'. CPAA works closely with the medical fraternity, focusing on activities encompassing Awareness, Early Detection, Support for treatment, Guidance and Counselling, Rehabilitation, Research Studies, and Advocacy. GIC Re has contributed to CPAA for treatment for 48 or more Paediatrics Cancer Patients, the cost amounting to ₹ 50,00,000.00.

14. **JanMitram Kalyan Samiti -** JanMitram Kalyan Samiti ("Friends of People") has emerged as a leading non-profit organization in Raigarh, Chhattisgarh, dedicated to the empowerment of marginalized tribal, Scheduled Caste (SC), and Scheduled Tribe (ST) communities. Registered in 2002 under the Chhattisgarh Societies Registration Act, 1973, JanMitram began its journey with the vision to address the multiple dimensions of poverty, illiteracy, unemployment, malnutrition, and social inequities prevalent in forest-dominated tribal areas of eastern Chhattisgarh. GIC Re has funded their project towards Upgradation of 9 Tribal Rural Haats & Expansion of a JanMitram SPS Memorial School (JSPS). Cost of the project is ₹11,40,53,622.21.

15. **Village Welfare Society (VWS) -** Village Welfare Society (VWS) is an environment friendly socio-economic-cultural development organization, started off in West Bengal in the year 1982 and established itself as a pioneer to identify and seize different claws of poverty. It has been working with the marginalized and disadvantaged segment of society focusing specially on women, children and aged persons belonging to scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes and minority groups in West Bengal and Bihar. Since beginning, endeavours in past 34 years have been all-inclusive with services in the regions of Education, Health Care, Old Age Care, Water, Sanitation & Hygiene, Nutrition and Livelihood Security, Disaster Preparedness & Risk Reduction, and Employability Skill Training for youth. GIC Re has contributed towards Construction of Building (1st Floor) with all necessary requirements for the Inmates of Ongoing "Anandam"- Old Age Home for vulnerable women situated at Pancharul Village under Udaynarayan Block of Howrah District, West Bengal. Cost of the project is ₹2,41,02,620.85.

16. **Bisnouli Sarvodaya Gramodyog Sewa Sansthan (BSGSS) –** BSGSS, a voluntary organization, came into existence on 15-06-1994 as a society registered under the Societies Registration Act 1860. It was set by a group of social workers in Bisnouli Village of Dadri Tehsil in District Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh. It actively works in the realm of women empowerment. As part of this effort, it has taken up healthcare, education, vocational training, and social mobilization. It strives to make

women aware of socio-economic issues, imparts a basic grounding in micro-finance and trains them in various skills with a view to ultimately making them financially independent. GIC Re has contributed to BSGSS for establishment of Jan Arogyam Community Healthcare Centre in Khora Colony, District- Ghaziabad, Uttar Pradesh, amounting to ₹99,03,000.00.

17. **Suhit Jeevan Trust -** Suhit Jeevan Trust in Pen is a registered public charitable organization working since 2004 for the upliftment of intellectually and developmentally disabled children across rural Raigad District, Maharashtra. Through their special school (Sumangal), vocational center (Eklavya), early intervention unit (Palavi) and teacher training center (Lighthouse), they also provide free education, therapy, training and care to over 165+ students from 56+ villages, aiming to build independent and dignified lives for them. GIC Re has funded for construction of dedicated second floor for children with special needs. Cost of this project is ₹3,42,05,821.00.

18. **Population Services International (PSI) –** PSI was established in India in 1980 as a non-for-profit organization dedicated to improving quality of life and wellbeing of people in India. PSI India has been at the fore front of supporting the governments in ensuring accessible, affordable health care to most downtrodden in the society. GIC Re has contributed for their project - Navjeevan: Establishing Standardized Infrastructure and Equipment for Strengthening Maternal and Newborn Care Systems in six districts of Bihar. The main aim of this project is advancing infrastructural establishment and Health System mainly by strengthening Community Health Centres (CHCs) in 6 Districts i,e. Bhojpur, Muzzaffarpur, Siwan, Kaimur, Jehanabad, Saran in Bihar India, particularly focusing on improving maternal and neonatal healthcare services. Cost of this project is ₹8,01,30,960.00.

19. **GRMD Foundation -** GRMD Foundation is a not-for-profit organization registered at the office of Deputy Commissioner, Kamrup Metro (Assam) in 2014. It is empanelled in DC Handicraft (Govt of India), associate member of India Smart Grid Forum (ISGF). Foundation is working in various sectors like Entrepreneurship & Livelihood, Handlooms & Handicrafts, Environment Conservation & Climate Change, Agro Tourism, Health, Education, Sports, Culture, Agriculture, Youth Development Programs, Rural Socio Economic Development, Women Empowerment, Skill training on Renewable Energy & Technology in Assam since 2014, where nearly 30% of the beneficiaries belongs to tribal communities of Assam and look forward to scale our work in these communities. GIC Re has contributed funds for their project - Developing Export Villages for AHIMSA SILK (ERI SILK) in Boko, Assam. Cost of this project is ₹1,89,44,300.00.

20. **Manthan Sanstha -** Since 1998, Manthan Sanstha has been working in Rajasthan on rural development, focusing on water, education, and livelihood by closely engaging with communities. Under its water initiatives, the organization has built water tanks for 600 needy households and constructed 24 large ponds to conserve rainwater. These ponds have helped store 1,336 crore litres of rainwater, improving education and livelihood opportunities while reducing the impacts of climate change in the community. GIC Re has funded for their project - "Water Tank - Safe Drinking Water Access Through Water Storage Tank / Dam Bhilawat". Cost of this project is ₹2,15,33,250.00.

21. **NTR (Narayan Thakursing Rathod) Charitable Foundation Trust –** The NTR (Narayan Thakursing Rathod) Charitable Foundation Trust provides a robust platform for translating corporate capital into immediate social utility. Established in 2019, the Trust has demonstrated a sophisticated ability to manage complex medical infrastructure deployments alongside community-level interventions. The Trust is a registered public charitable trust committed to improving access to healthcare, education, and community welfare. Their strategic focus areas include: Health, Women's Health (Cervicare), Education and Sports. GIC Re has contributed to their project - "Precision Washim: Eliminating the 150 km 'Distance Tax' on Surgery for 50,000+ Aspirational Citizens". Under this project the NTR Trust, with financial aid of GIC Re, will deploy four critical surgical system at the Sant Sevalal Maharaj Government Medical College & Hospital (GMCH) Washim, Maharashtra amounting to ₹1,92,00,000.00.

22. **Integrated Institute for The Disabled –** The Integrated Institute for the Disabled (IID) is a pioneering, non-profit voluntary organization founded on 15th March 1993, dedicated to the empowerment, inclusion and holistic development of persons with disabilities. GIC Re has funded IID for providing a dedicated bus service (2 buses) for children with disabilities from

socio-economic backgrounds, particularly Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Other Backward Classes and economically weaker families. Cost of the project is ₹54,06,378.00.

23. **India Vision Institute –** India Vision Institute (IVI) is a non-profit organisation established in 2012 to improve access to vision care for underserved communities across India. IVI's work focuses on children, workers, commercial vehicle drivers, women and other vulnerable groups. Over the years, it has grown into a national primary eye health not-for-profit working across 25 states through vision screenings, free spectacles, referrals for advanced care such as treatment for cataract and glaucoma, advocacy, education, and research. GIC Re has funded their project: EYE SEE I WORK - a focused vision screening and spectacle provision program for fishermen in Chennai, Tamil Nadu. Cost of the project is ₹25,67,550.39.

Corporate Social Responsibility (CSR) is a company's commitment to manage the social, environmental and economic effects of its operations responsibly and in line with public expectations. The benefits of CSR include establishing good reputations, attract positive attention, minimize environmental impacts and inspire innovation. With growing public awareness and demand for socially responsible businesses, companies are considering corporate social responsibility when planning future business operations which are socially responsible as well.

The purpose of corporate social responsibility is to give back to the community, take part in philanthropic causes, and provide positive social value. Businesses are increasingly turning to CSR to make a difference and build a positive brand around their company.

GIC Re's commitment to CSR reflects its dedication to being a socially responsible corporate, actively engaging in activities that benefit the community and the environment while aligning with the company's business objectives and legal requirements.

ECONOMIC OVERVIEW

Global Economy

The global economy entered FY2025–26 navigating a more complex and uneven landscape relative to the preceding year. Following an expansion of 3.3% in 2024, global growth moderated to approximately 3.2% in 2025 and is projected to remain broadly stable in the range of 3.1–3.3% through 2026, reflecting a phase of steady yet subdued expansion. While overall growth has demonstrated resilience, it remains below pre-pandemic averages, reflecting the cumulative impact of tighter financial conditions, policy normalization, and evolving trade dynamics. This stability has been supported by continued investment in technology, fiscal support in select economies, and broadly accommodative financial conditions.

However, the global outlook remains characterised by increasing divergence across regions. Trade policy uncertainties, particularly those arising from tariff actions earlier in 2025, have weighed on activity and moderated growth expectations. At the same time, inflationary trends have eased but remain uneven across geographies, with relatively greater persistence in certain advanced economies.

Among advanced economies, the United States has exhibited resilient near-term momentum, supported by fiscal expansion and front-loaded activity, although growth is expected to moderate as tighter financial conditions and waning fiscal support begin to weigh on demand. The Eurozone continues to face structural constraints, with growth remaining subdued, reflecting weak industrial activity, persistent services inflation, and muted credit demand.

China remains a key contributor to global growth, although its trajectory is expected to moderate amid ongoing real estate sector challenges, softer investor sentiment, and a gradual transition toward a more consumption-led growth model. Emerging markets and developing economies continue to account for a significant share of global growth, supported by resilient domestic demand, infrastructure investment, and increasing digital adoption.

Notwithstanding the baseline stability, downside risks remain elevated. Geopolitical tensions, evolving trade dynamics, and high global debt levels continue to pose structural vulnerabilities, with the potential to disrupt trade flows, supply chains, and investment activity.

In this environment, policymakers face the ongoing challenge of balancing disinflation with growth support. Central banks have maintained a cautious stance, as core inflation remains above target in several jurisdictions despite moderation in headline levels. Sustained progress will depend on coordinated, data-driven policymaking, credible fiscal frameworks, and structural reforms aimed at fostering long-term, inclusive growth.

Indian Economy

Against this backdrop, India's economy delivered a strong and broad-based performance in FY2025–26. Real GDP growth accelerated meaningfully over the year, supported by robust private consumption, front-loaded government capital expenditure, a favourable monsoon, and policy interventions such as GST rate rationalisation. Growth expectations were revised upward through the year, reflecting sustained underlying momentum across key sectors.

The macroeconomic environment remained supportive for much of the year, enabling calibrated policy easing. The Reserve Bank of India implemented a cumulative reduction in the policy rate, supporting credit expansion, reinforcing household purchasing power, and sustaining demand across interest-sensitive segments of the economy.

On the fiscal and external fronts, key indicators remained resilient. Government capital expenditure continued to serve as a primary engine of growth, with a sustained focus on infrastructure, energy transition, and digital public infrastructure. GST collections remained robust, while the current account deficit stayed contained and foreign exchange reserves were maintained at comfortable levels, demonstrating stability in the external sector despite a volatile global backdrop.

The latter part of the year, however, saw some moderation in momentum. Elevated geopolitical tensions, particularly in West Asia, contributed to higher crude prices and exerted pressure on the Indian rupee, which depreciated during the year. This led to foreign outflows and prompted a pause in the monetary easing cycle, with policy focus shifting toward currency stability and liquidity management.

Looking ahead, the near-term outlook remains constructive, albeit with emerging external headwinds. Risks linked to commodity prices, capital flows, and geopolitical developments warrant close monitoring. Nevertheless, India continues to be supported by resilient domestic demand, sustained public investment, and structural drivers such as digitalisation and formalisation, positioning the economy well for continued medium-term expansion.

INDIAN INSURANCE SECTOR DEVELOPMENTS

General Insurance Industry

India's non-life insurance industry recorded a notable acceleration in growth during FY2025–26, with gross direct premium income (GDPI) reaching approximately ₹3.36 lakh crore, representing a healthy year-on-year increase. This marks an improvement over the moderated growth trajectory observed in the previous year, supported by recovery in health insurance, improving momentum across motor and property segments, and favourable regulatory developments.

Growth during the year, however, remained uneven. The first half was impacted by the continued effect of revised accounting norms for long-duration policies, which deferred premium recognition over the policy tenure. In addition, subdued performance in the crop insurance segment weighed on overall growth. Momentum strengthened in the second half as these effects normalised, resulting in a more stable operating trajectory toward year-end.

At a segment level, health insurance remained the principal growth driver, with standalone health insurers delivering strong double-digit growth and accounting for a significant share of incremental premiums. General insurers reported steady expansion, while motor and property segments witnessed a gradual recovery, supported by improved renewal trends and firmer pricing in select commercial lines. Crop insurance, however, continued to face structural headwinds.

The year also witnessed increased strategic activity, supported by regulatory liberalisation. The enhancement of foreign direct investment limits facilitated greater international participation and capital inflows. Strategic transactions, capital market activity, and continued investments in digital infrastructure underscored growing investor confidence in the sector's long-term growth potential.

From a structural perspective, insurance penetration in the non-life segment remains modest, highlighting significant headroom for expansion. Ongoing regulatory initiatives aimed at improving accessibility, promoting digital adoption, and enhancing product innovation are expected to support deeper market penetration and improved customer engagement over time.

Outlook

The outlook remains constructive, with growth expected to sustain in the high single-digit to low double-digit range. Health insurance is likely to remain the primary growth engine, supported by increasing awareness, broader coverage, and continued product innovation. Motor insurance is expected to track underlying vehicle growth, while fire and engineering lines are likely to benefit from infrastructure-led demand and improved pricing discipline.

Structural drivers such as rising disposable incomes, urbanisation, and increasing risk awareness are expected to underpin long-term demand. At the same time, risks arising from commodity price volatility, potential moderation in government spending, and elevated catastrophe exposure warrant continued vigilance.

Overall, the sector remains well positioned to benefit from supportive regulatory reforms, improving operational efficiencies, and sustained demand across both retail and commercial segments, reinforcing its role in enhancing financial resilience and risk protection.

Life Insurance Industry

India's life insurance industry delivered a strong recovery in FY2025–26, with new business premium (NBP) surpassing the ₹4 lakh crore milestone for the first time and reaching approximately ₹4.6 lakh crore. This reflects a robust growth trajectory, supported by a combination of regulatory normalisation, improved consumer sentiment, and favourable demand conditions.

Growth was broad-based, with both public and private sector insurers recording improved performance. The Life Insurance Corporation of India regained momentum following a period of subdued growth, while private insurers continued to expand at a faster pace, supported by diversified distribution capabilities and product innovation. Individual and group segments both contributed meaningfully, with group business exhibiting particularly strong traction.

The industry benefited from a stabilisation following regulatory changes implemented in the previous fiscal, with insurers adapting their product portfolios and distribution strategies accordingly. Enhanced clarity in the regulatory framework, coupled with increased digital adoption, contributed to a more stable and predictable operating environment.

Demand trends remained favourable, particularly in protection-oriented products, driven by increasing financial awareness and a growing focus on income security. Expansion in microfinance-linked insurance offerings further supported penetration in semi-urban and rural markets.

Outlook

The medium-term outlook for the life insurance sector remains positive, although growth in FY2026–27 may moderate from the elevated base of the previous year. Structural drivers, including increasing financialization of savings, expanding distribution channels, and favourable demographics, continue to support long-term growth.

Regulatory initiatives and growing foreign participation are expected to enhance market depth, support innovation, and improve operational capabilities. While near-term growth may be influenced by macroeconomic factors and evolving product preferences, the sector remains well positioned to sustain its growth trajectory over the medium term.

Global Reinsurance Outlook 2026-27

The global reinsurance industry entered FY2025–26 in a position of considerable financial strength, underpinned by several years of disciplined underwriting, improved risk selection, and supportive investment returns. However, the year marked a transition in the reinsurance cycle, with pricing across most lines beginning to soften amid abundant capital and increasing competitive intensity.

Leading global reinsurers continued to deliver strong financial performance, supported by favourable loss experience for a significant part of the year. Capital levels remained robust, with continued growth in alternative capital and sustained investor participation reinforcing capacity within the market.

Notwithstanding these strengths, the broader industry environment exhibited signs of normalisation. Profitability moderated relative to peak levels, as elevated catastrophe losses and evolving claims trends weighed on underwriting margins. Combined ratios and return metrics are expected to stabilise at levels more reflective of a mid-cycle environment as pricing discipline gradually moderates.

Performance across business lines remained differentiated. Property reinsurance continued to benefit from residual pricing strength, although early signs of softening have emerged. Casualty reinsurance remains under close scrutiny due to claims inflation and long-tail risk considerations. Life and health reinsurance demonstrated steady performance, supported by normalising mortality trends.

Rating agency perspectives reflected some divergence, with most maintaining stable outlooks, while others highlighted the potential for margin compression arising from increased capacity and pricing competition, particularly in catastrophe-exposed segments.

The outlook for the global reinsurance industry remains cautiously optimistic, albeit with clear signs of cyclical moderation. Pricing across short-tail lines is expected to soften further, placing pressure on underwriting margins. The sustainability of profitability will increasingly depend on disciplined underwriting, prudent capital allocation, and refined risk selection.

Industry fundamentals remain supportive, with improved underwriting structures, stronger capital buffers, and stable investment income providing resilience. However, rising catastrophe frequency, evolving casualty risks, and broader macroeconomic uncertainties are expected to shape operating conditions in the near to medium term.

Overall, while the market has moved beyond its cyclical peak, the sector remains well positioned to sustain reasonable profitability, provided underwriting discipline is maintained and portfolio strategies remain aligned with evolving global risk dynamics.

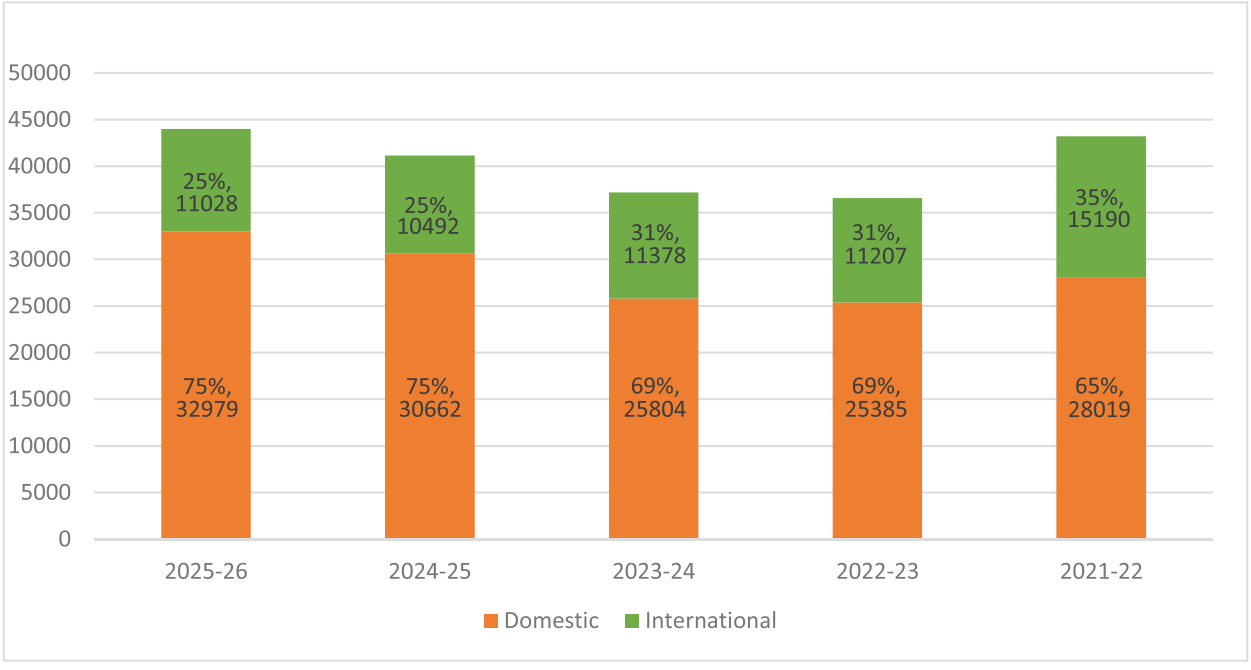
BUSINESS OVERVIEW

Introduction

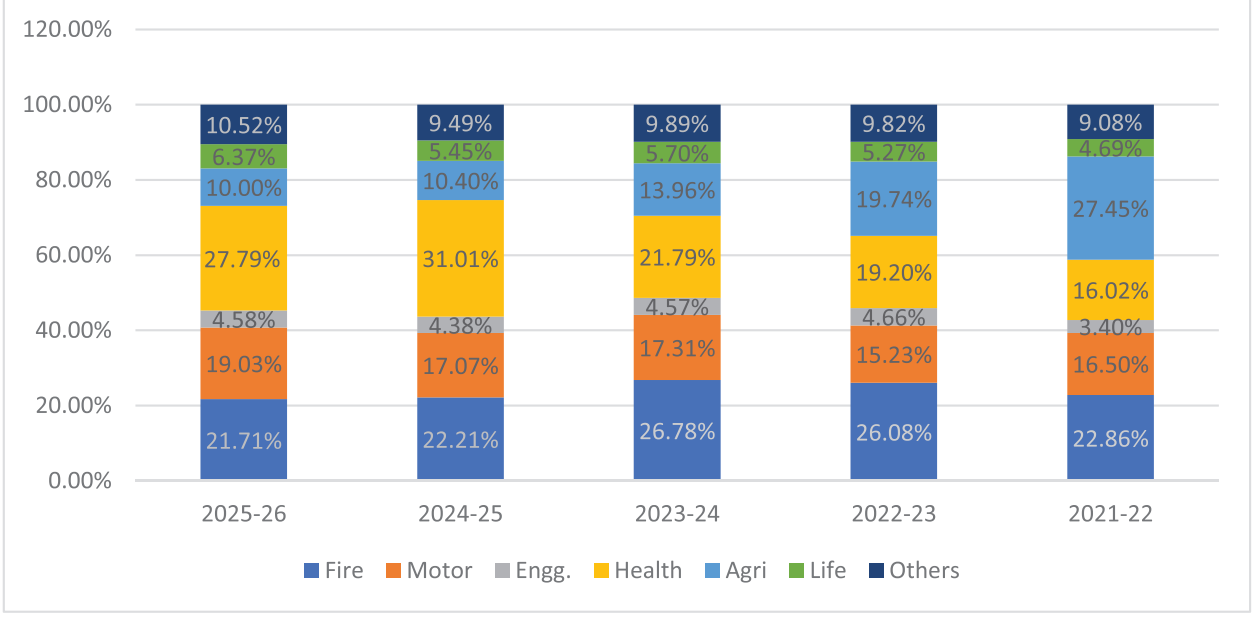
The Corporation's gross premium income during the year 2025-26 grew by 6.93% to ₹ 44,007 Crores with Domestic and International composition largely unchanged. Incurred loss ratio as a % of earned premium is 85.40% compared to 88.44% in the previous year.

The income from investments (gross) was ₹ 13,122.17 crore. The ratio of total business expenses to the earned premium i.e. Combined Ratio stood at 106.02%. The Solvency Margin of the Corporation as on 31st March 2026 was 4.21.

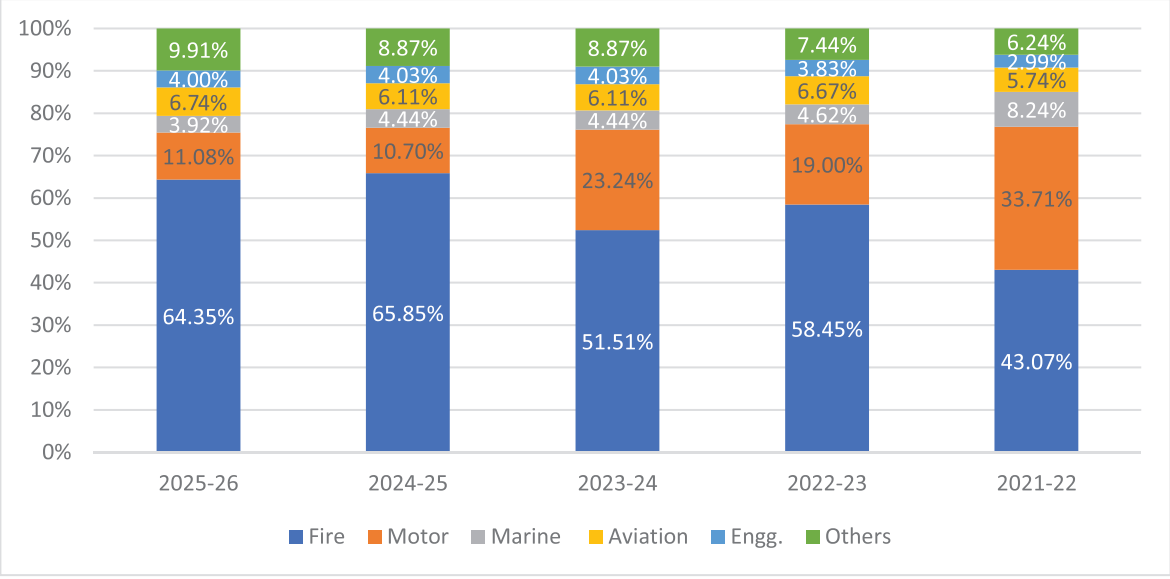
Business Composition (₹ in Crore)



Domestic CoB Mix



International CoB Mix



Class wise Performance

Domestic

(₹ in Crore)

Class of Business	Gross Premium		Incurred Claims Ratio %	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Fire	7159	6811	75.92	85.28
Motor	6275	5233	81.02	81.20
Aviation	94	88	121.12	55.53
Engineering	1509	1343	64.78	67.35
W.C.	32	25	5.34	83.20
Liability	681	541	62.30	93.62
PA	705	530	61.24	52.05
Health	9167	9508	85.46	81.64
Agriculture	3298	3188	90.66	90.42
Other Misc.	1084	902	63.02	52.96
FL/Credit	224	209	32.59	0.53
Marine Cargo	374	377	57.26	77.34
Marine Hull	277	236	26.15	46.30
Life	2100	1671	133.50	148.15

International

(₹ in Crore)

Class of Business	Gross Premium		Incurred Claims Ratio %	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Fire	7097	6908	72.00	84.86
Motor	1222	1123	172.12	119.44
Aviation	744	641	201.26	96.13
Engineering	441	423	62.80	73.77
W.C.	3	4	850.91	2389.08
Liability	206	233	133.83	101.61
PA	50	44	65.08	65.96
Health	24	20	53.41	51.22
Agriculture	95	75	63.93	50.04
Other Misc.	315	268	81.41	106.50
FL/Credit	49	91	1.26	-35.86
Marine Cargo	175	135	157.06	224.14
Marine Hull	256	331	83.81	115.49
Life	351	196	155.32	87.57

PROPERTY (FIRE & ENGINEERING)

Reinsurance capacity has increased significantly in recent years, supported by strong earnings, better investment returns, and continued growth in alternative capital. Total global reinsurance capital is now estimated to be above USD 830 billion, with instruments such as catastrophe bonds and other insurance-linked securities playing a growing role in the market.

At the same time, global catastrophe losses remain high, reflecting in part the growing impact of climate change on the frequency and severity of weather-related events. The year 2025 marked the sixth consecutive year in which insured losses exceeded USD 100 billion, largely driven by events such as severe storms, wildfires, floods, and hurricanes in the United States. Secondary perils continue to occur more frequently, while major events still represent the largest potential losses. However, higher retention levels and improved programme structures have helped limit the impact on reinsurers.

Market conditions remain competitive, with the balance of supply and demand favouring cedants in several segments. While overall underwriting discipline has been maintained, abundant capacity continues to influence risk-adjusted pricing outcomes, particularly for well performing programmes.

Overall, the reinsurance market remains strong and well-capitalized. Going forward, climate-related risks are expected to remain a key consideration, making disciplined underwriting, careful risk selection, and efficient use of capital increasingly important as competition continues to increase.

Domestic

The Domestic Fire and Engineering Insurance market recorded a recovery in FY 2025–26, with gross premiums increasing to ₹ 34,325 crore from ₹ 30,280 crore in FY 2024–25, reflecting a year on year growth of 13.36%. This growth was driven by a combination of exposure expansion and pricing improvements implemented during the year.

Pricing conditions showed an evident improvement from January 1, 2025, supported by corrective actions following loss experience in select risks and a broader reassessment of pricing adequacy after a sharp rate cut in the early part of the Fiscal. Increased emphasis on technical pricing discipline by reinsurers, through underwriting feedback and signalling of rate adequacy particularly for loss prone and catastrophe exposed risks partly contributed to the improvement in market premiums.

However, the pricing improvement was neither uniform nor sustained. Competitive intensity increased significantly during the third and fourth quarters, with heightened capacity deployment and aggressive pricing strategies by insurers resulting in rate reductions across several segments, moderating the net impact of pricing gains achieved earlier in the year.

Against this backdrop, GIC Re's Domestic Fire and Engineering portfolio recorded measured growth during FY 2025–26, supported by calibrated underwriting actions and selective participation. The Company continued to maintain a disciplined approach to risk selection emphasising underwriting quality rather than volume led growth. Gross premium income increased from ₹ 8154.66 crore to ₹ 8668.85 crore, registering a growth of 6.30%, consistent with underwriting discipline amid fluctuating pricing conditions.

Obligatory cessions, contributing around 15.53% of the segment's premium, continued to play a stabilising role by providing scale, diversification, and persistence of premium flows.

Underwriting performance of the Fire and Engineering (domestic) segment improved during FY 2025–26, with combined ratios of 99.86% for Fire and 83.63% for Engineering, continuing the positive trend observed in the previous year. Loss experience benefited from a relatively benign natural catastrophe environment; however, attritional losses and exposure related volatility remain inherent to the segment.

Notwithstanding the improvement in loss ratios, overall profitability remained subject to structural pressures. Elevated acquisition costs, driven by competitive market conditions, increased bargaining power of ceding companies, and the expanding presence of FRBs, CBRs, and GIFT City IFSC registered IIOs, moderated the extent to which improved underwriting outcomes translated into margin expansion.

The Fire and Engineering portfolio remains exposed to pricing, acquisition cost, catastrophe, market structure, and concentration risks, arising from competitive pressures, natural catastrophe accumulations, and evolving market dynamics. These risks are managed through disciplined underwriting, portfolio level exposure monitoring, appropriate use of retrocession, and enhanced technical evaluation of large and high value risks.

Looking ahead, the outlook for the Domestic Fire segment in FY 2026–27 is expected to remain challenging, with intensifying competition particularly from GIFT City IIOs and broader participation by Foreign Reinsurance Branches likely to increase acquisition costs and exert further pressure on reinsurance margins. Continued competitive pressure in the direct insurance market is also expected to weigh on pricing levels.

In response, the Company will continue to focus on selective underwriting, disciplined pricing, prudent use of retrocession, and strict accumulation management to protect portfolio quality and enhance risk adjusted returns.

Foreign

GIC Re's international property business (including the branches) reported a gross premium growth of approximately 2.82% for FY 2025–26 reflecting soft market cycle despite of our continued engagement with key markets and strategic underwriting. The incurred claims ratio for Fire and Engineering declined from 84.06% to 72.41%, as secondary perils (smaller-to-mid-sized natural catastrophe events) dominated global catastrophe losses, despite the absence of a major global peak event. Losses volatility is being driven less by classic peak perils alone and more by medium-sized, climate-sensitive events.

As climate change continues to influence the frequency and severity of both primary and secondary perils, GIC Re remains committed to reinforcing a dynamic and adaptive approach and evolving its strategies in line with emerging global risk trends.

MOTOR

Domestic

Motor insurance remains a key segment of the Indian general insurance market. In recent years, the segment has witnessed steady growth, supported by rising vehicle ownership, increasing insured values, regulatory stability, and gradual improvement in underwriting practices. The rapid adoption of electric vehicles (EVs) represents a key structural shift within the motor insurance market. EVs attract higher average premiums and require specialized coverage for battery systems and electronic components.

The GST rationalization in 2025 reduced tax rates on affordable small cars and two-wheelers, making vehicles more affordable and encouraging first-time buyers to enter the market. This price reduction has helped boost vehicle demand and sales, especially in rural and semi-urban markets, supporting growth across the automotive sector.

The regulatory framework governing motor insurance remained stable and progressive, with a continued emphasis on policyholder protection, transparency, and digital enablement, with initiatives aimed at improving transparency, streamlining claims settlement, and enhancing operational efficiency across the sector.

In the financial year 2025–26, GIC Re's domestic gross premium increased from ₹5,232.63 crore in the previous year to ₹ 6,274.65 crore, registering a growth of 20%. Notably, the incurred claim ratio remains 81% similar in line with the previous year, However, the combined ratio has increased from 96.44% to 100.08% due to slightly higher commission to the profitable contracts.

In FY 2025–26, the obligatory premium accounted for 69% of the gross domestic premium, while the remaining 31% came from non-obligatory business. There was a 9.41% increase in the obligatory gross premium for the year ended March 31, 2026, compared to the corresponding period of the previous year. GIC Re continued to support the Indian Motor insurance market by providing reinsurance capacity and risk transfer solutions to cedants, while maintaining prudent underwriting standards.

Foreign

The global motor insurance market size is projected at USD 1098.28 Billion in 2026. Several evolving trends are reshaping the motor insurance industry, with insurers increasingly adopting telematics enabled and usage based insurance (UBI) models. GIC Re's international motor business recorded an increase in premiums. The gross premium increased by 8.84% year-on year, from ₹ 1,122.95 crore in FY 2024–25 to ₹1,222.23 crore in FY 2025-26. The combined ratio has deteriorated from 144.54% to 206.04% primarily due to certain territories or treaties entering a run-off phase, with no further premium booking expected from those regions.

Overall Motor

For the Motor portfolio, GIC Re's gross premium increased by 18% year-on-year, from ₹6,355.57 crore in FY 2024–25 to ₹ 7,496.87 crore in FY 2025–26. Going forward, the focus will be on revamping and expanding the international portfolio by exploring new opportunities, while strengthening GIC Re's position in the domestic market.

LIABILITY

The global liability insurance market size, which was valued at $290.45 billion in 2025, is projected to reach $462.93 billion by 2032, growing at a CAGR of 6%. Increased awareness of liability risks, regulatory changes mandating insurance coverage, and evolving court judgments increasing liability exposures have resulted in a significant uptick in the demand for reinsurance capacity to cover extensive and intricate liability risks across sectors like IT, healthcare, construction, and professional services. The Corporation continues to play a crucial role by offering reinsurance support to both domestic and international insurers, facilitating the expansion of their liability insurance portfolios while effectively managing own exposure to large-scale losses. As on 31st March 2026, the Corporation achieved a GWP of ₹ 886.72 crore for Liability class. Indian and international book composition has slightly changed from previous year with an increase in the domestic front, contributing 76% (₹ 681 crore) and 23% from foreign markets (₹ 206 crore). The overall GWP increased by 15% from previous year mainly due to several domestic treaties. Increase in GWP coupled with decreased combined ratio of 103.8% as on 31st March 2026 from 116.7% as on 31st March 2025 is noteworthy. The Corporation recognizes immense potential in Cyber Insurance and has tried to tap on the opportunities even during this renewal. With opportunities come challenges and the same is addressed through our careful approach in offering cyber capacity. Increasing focus on collating more cyber data and enhancing our analysis for effective management of exposures in this evolving sector tops our priorities. Going forward, the Corporation is poised to leverage expertise in underwriting and risk management to capitalize on emerging opportunities while navigating challenges and the impact of global trends on liability exposures.

MISCELLANEOUS & PERSONAL ACCIDENT

In 2021, the global miscellaneous insurance market had an estimated value of $104.7 billion, with expectations to grow to $279 billion by 2031, marking a 10.6% CAGR over the decade. The demand for miscellaneous insurance is surging globally as businesses and individuals navigate a rapidly changing risk environment. Traditional coverages might not address the unique challenges posed by a changing world. Growing risk awareness and innovative product development by insurers, is propelling the rise of miscellaneous insurance as a crucial tool for navigating today's complex risk environment. The corporation generated INR 2154 crore in Gross Written Premium (GWP) for Miscellaneous and Personal Accident (PA) insurance, primarily sourced from the domestic market (83%, ₹ 1791 crore) with a growing contribution from foreign markets (16%, ₹ 363 crore). The overall GWP increased by 24%, driven by growth in domestic premiums. Combined ratio has increased primarily due to higher attritional losses. The Corporation's

strategic focus on innovative products like parametric income protection and identity theft insurance demonstrates adaptability to the dynamic insurance landscape. The corporation aims to provide continued support to both domestic and foreign insurers, facilitating growth in their Miscellaneous and PA insurance portfolios while maintaining profitability in its own operations.

CREDIT RE

Valued at ₹2,135 crore in domestic premiums, India's credit insurance market is currently dominated by a single player, ECGC, with 70% market share. However, the landscape is evolving. Other general insurance companies are leveraging their growth aspirations and expertise to tap into this growing market. Additionally, the introduction of Surety Bonds in 2022 has spurred the insurance companies to offer customized products such as bid bond, performance bonds etc. This is leading to a shift away from traditional bank guarantees and towards bond issuance. The Corporation remains a key player, providing crucial reinsurance capacity in this dynamic market. As on 31st March 2026, Credit Re GWP is ₹ 273 crore, with 82% premium generated from domestic market (₹ 225 crore) and 18% from foreign market (₹49 crore). The Corporation's combined ratio at 31st March 2026 was 51.8% as compared to 8.9% as on 31st March 2025. Despite growth opportunities in developing economies, rising interest rates and potential slowdowns might increase credit risk. We plan to navigate this segment in domestic and international markets with prudent exposure management.

HEALTH

India's health insurance sector continues to expand rapidly, driven by rising public awareness and demand for comprehensive healthcare protection. The market offers a wide spectrum of products, including individual, family floater, and specialized policies for critical illnesses and senior citizens. Government initiatives such as Ayushman Bharat have significantly broadened coverage, reinforcing the sector's social relevance. Despite challenges such as low penetration and regulatory complexities, the industry demonstrates strong growth potential. The adoption of digital technologies and innovative services—such as telemedicine and wellness programs—has further enhanced accessibility and customer-centricity.

According to the General Insurance Council, industry premiums grew by 9.3% during FY 2025–2026, while the health insurance market itself has emerged as one of the fastest-growing segments in the insurance industry, recording an impressive annual growth rate of 15.4% as of March 31, 2026. This trajectory underscores both the sector's economic potential and its profound social significance, ensuring access to essential healthcare services for millions of citizens.

Corporation's Health Portfolio

The Corporation's health portfolio is diversified across several key segments:

- Obligatory cessions: Mandatory reinsurance contracts requiring primary insurers to cede 4% of their health business to the Corporation, accounting for 62% of the portfolio.
- Domestic treaty business: Includes proportional treaties (sharing premiums and risks) and non-proportional treaties (covering specific losses) with domestic insurers.
- Facultative business: Reinsurance on an individual risk basis, offering flexibility in underwriting and pricing.

With a clear strategic focus on expanding its health insurance portfolio, the Corporation has adopted a prudent and methodical underwriting approach. This strategy emphasizes sustainable growth, robust risk management, and diversification across product lines. In FY 2025–2026, health insurance contributed 21% of the total gross premium, reflecting strong performance-particularly in the proportional reinsurance segments.

AGRICULTURE REINSURANCE

In India, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) was introduced in Kharif 2016, administered by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. It replaced the National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) and Modified National Agricultural Insurance Scheme (MNAIS).

PMFBY provides a comprehensive insurance cover against failure of the crop thus helping in stabilising the income of the farmers and encourage them for adoption of innovative and modern agriculture practices. It covers various stages of crop production from Sowing to Harvesting.

For 2025-26, various states have implemented surplus sharing models (SSM) like 80:110 and 60:130 with idea of capping the loss ratios. Also the states of Maharashtra and Odisha have chosen SSM 80:110-Burn Cost Model and SSM 60:130-Burn Cost Model respectively.

To address the growing fiscal burden of premium subsidies under PMFBY and enhance state-level participation in risk-bearing, the scheme operates on a shared-risk model, where states can choose between full risk transfer to insurers or alternative risk transfer models (ARTM) like Profit & Loss or Cup & Cap to better manage fiscal outgo. Premium rates are kept low and capped at 1.5%–2% for farmers, with the remaining premium heavily subsidized by the Centre and State governments.

Three key ARTM options currently available offer varying degrees of risk horizon and participation:

SSM (80:110) - Liability of the insurer is limited to the loss ratio range 80%–110%. That is, the insurer will return to the state all premiums associated with any profits realized on loss ratios below 80%. On the loss side, the State government will bear all losses for loss ratios above 110%.

SSM (60:130) - Liability of the insurer is limited to the loss ratio range 60%–130%. That is, the insurer will return to the state all premiums associated with any profits realized on loss ratios below 60%. On the loss side, the State & Central Government will bear all losses for loss ratios above 130% equally

Profit and Loss Sharing: This model offers the broadest horizon of risk transfer-covering all losses and gains-but has yet to be adopted by any state or UT due to its high exposure and demand for fiscal discipline. To address the growing fiscal burden of premium subsidies under PMFBY and enhance state-level participation in risk-bearing, India may explore structured Alternative Risk Transfer (ART) mechanisms.

SSM 60:130/80:110-Burn Cost Model – Burn cost is provided by the state. The insurer will return to the state all premiums associated with any profits realized on loss ratios below 60%/80% of rate quoted by the insurer. On the loss side, the State government will bear all losses for loss ratios above 110%/130% of quoted rate or burn cost whichever is higher.

The contribution of SSM models in the total agriculture insurance premium in the country is currently estimated at 65% to 70% of total market premium.

Govt. of India has taken several new technological initiatives under the PMFBY and RWBCIS to empower farmers, streamlining the operations in crop insurance and promote transparency in loss assessment, such as YES-TECH, WINDS and CROPIC.

GIC Re continues to support the crop insurance scheme in India, i.e. Revamped Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana scheme (Revamped PMFBY, w.e.f., Kharif 2020 season) & Revised Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) from 2016; by way of extending reinsurance support on quota share treaty and stop loss treaty arrangements of the Indian Insurance companies.

The gross premium under Agriculture portfolio increased to ₹3,392.86 Crore in FY 2025-26 from ₹ 3263.05 Crore in FY 2024-25. The split of GIC Re's Agriculture portfolio between Indian and International business is 97.2% and 2.8% respectively.

The Indian agriculture market premium for year 2024-25 is around ₹ 27,900 crore and for 2025-26 is around ₹ 20,300 Crore. Out of which the Corporation's Indian gross agriculture premium is at ₹3,298.02 Crore in FY 2025-26 from ₹ 3188.04 Crore in FY 2024-25, a growth of 3.45%. The contribution of obligatory premium is approx. 29.74% of gross Indian agriculture premium. The growth in the domestic portfolio is due to leadership in AICL. The loss ratio in respect of the Indian business has remained stable at 90.66% in FY 2025-26 from 90.42% in FY 2024-25.

GIC Re's International gross agriculture premium increased to ₹94.84 Crore for FY 2025-26 from ₹75.01 Crore in FY 2024-25, a growth of 26.44%. Also, the loss ratio for International agricultural book was 63.93% for FY 2025-26 comparing to 50.04% in FY 2024-25.

Looking ahead to FY 2026-27, the multi-year agreements have ended, and the states can either choose to go ahead with the existing scheme or can re-tender for one year, which may present new opportunities for reinsurance participation.

MARINE CLASS (CARGO, HULL AND OIL & ENERGY)

MARINE CARGO

Domestic

The domestic cargo market continues to exhibit a steady demand for coverage, particularly for high-risk segments like inflammable substances, automobile sectors for complete built units and pharmaceutical products. Requests for the coverage of Stock throughput policies in market are going up. The market pricing is anticipated to remain soft in the upcoming financial year due to recent pricing corrections and challenging geopolitical factors. Even, the facultative market remains soft. Hence, to retain leadership we have adopted the current market trends and price. However, to mitigate risks, we will continue to uphold underwriting discipline by enforcing minimum rates and deductibles.

In light of the recent military escalations involving the USA-Israel and Iran in West Asia, GIC Re issued a notice of cancellation for war facultative covers in high-risk areas; however, no such notice was issued for marine treaty covers. Subsequently, the facultative covers were reinstated within seven days with revised terms and conditions aligned to the prevailing risk environment. Coverage for war perils continues to be provided for cargo with Indian interests in these high-risk regions.

To address the volatility associated with war risk coverage in such areas, the Bharat Maritime Insurance Pool was established and launched on 12th May 2026. The pool is authorised to extend war risk coverage for cargo shipments with sum insured of up to ₹ 3,059.43 crore.

There has been an increase of 8.7% in marine cargo gross premium for Indian market to ₹ 4,283.89 crore in FY 2025-26 as compared to previous year gross premium of ₹3,940.24 Crores. The Corporation's domestic marine cargo gross premium decreased by 0.82% to ₹ 373.93 crore as compared to gross domestic marine premium of ₹ 376.96 crore in 2024-25.

The Corporation's primary focus is on non-proportional treaties and within the segment, it has been providing coverage for diverse cargo types excluding perishable items, aquamarine products and frozen foods. Additionally, the emphasis has been on appropriate clauses, conditions and warranties to meet client needs while advancing our underwriting approach. Ongoing treaty reviews ensure necessary improvements in underwriting performance.

International

The global cargo insurance landscape is undergoing significant changes due to a confluence of factors. Economic slowdown, central bank policies, geopolitical tensions, and supply chain disruptions are creating a complex environment.

Global economic deceleration and central banks' anti-inflation measures may reduce trade volumes, impacting cargo insurance. Geopolitical instability, particularly in Russia - Ukraine and Israel - Palestine, Red Sea crisis along with Persian Gulf conflict is further exacerbating these challenges. The industry is grappling with rate reduction, risk accumulation, and coverage with discounted rate for STP and STOP policy. Consequently, the marine reinsurance market is witnessing rate decrease.

Marine Cargo Foreign book increased to INR 175.25 Crores reflecting 30.29% growth from the previous year 2024-25 of ₹ 134.50 crore.

The year 2025-26 has seen few market losses like MSC Elsa and Wan Hai loss. However, GIC Re do not have facultative exposure in these losses.

MARINE HULL (INCLUDING OIL & ENERGY)

Domestic

The corporation maintains a strong focus on the facultative segment of the domestic marine hull market, which remains predominantly driven by facultative reinsurance. We actively participate in domestic facultative policies, subject to adequate pricing. Domestic hull insurance rates have soften compared to the previous year due to availability of reinsurance capacity. The Gross marine hull premium for Indian market decreased by 1.8% to ₹ 1,535.63 crore in FY 2025-26 over expiring year of gross premium of ₹ 1,563.70 crore in 2024-25, while corporation's domestic hull book saw a surge of 17.45% to ₹ 277.50 crores from expiry gross premium of ₹ 236.27 crore in 2024-25. The corporation continued to refrain from participating in the risks that had inadequate pricing. To align with the government's initiative to boost ports and shipbuilding, the corporation is committed to supporting upcoming projects. There has been increase in demand for RI capacity for Ship Builders Risks. The combined ratio for the domestic hull portfolio has performed better from 57.48% in 2024-25 to 38.09% in 2025-26.

International

The international hull market is facing unprecedented challenges. Geopolitical tensions, supply chain disruptions, inflation, and evolving risk profiles, are driving market volatility.

The war in Ukraine, the Red Sea crisis, and material shortages, primarily steel, have significantly impacted the industry. Rising inflation has increased costs across the value chain, eroding insurers' profitability. The frequency of fires on container ships and car carriers, exacerbated by the transportation of lithium-ion batteries and electric vehicles, poses new challenges. There are no large losses this year.

In light of the recent military escalations involving the USA–Israel and Iran in West Asia, GIC Re issued a notice of cancellation for war facultative covers in high-risk areas; however, no such notice was issued for marine treaty covers. Subsequently, the facultative covers were reinstated within seven days with revised terms and conditions aligned to the prevailing risk environment. Coverage for war perils continues to be provided for cargo with Indian interests in these high-risk regions.

To address the volatility associated with war risk coverage in such areas, the Bharat Maritime Insurance Pool was established and launched on 12th May 2026. The pool is authorised to extend war risk coverage for vessels with sum insured of up to ₹ 2,039.62 crore.

The corporation has adopted a calibrated approach, withdrawing from upstream energy policies with inadequate pricing and low deductibles. The corporation is exploring opportunities in upstream energy construction. The hull insurance market continues to undergo rate adjustments.

The corporation's marine hull foreign book decreased by 22.64% to INR 256.50 crore in FY 2025-26 from expiry INR 331.55 crores in 2024-25. The reason for these decreases is overall softening of the reinsurance market globally.

The international hull portfolio recorded an adverse combined ratio of 190%, primarily attributed to oil rig explosion in Gulf of Mexico.

AVIATION

The global aviation insurance market continued to experience steady growth during FY 2025–26, supported by rising air passenger traffic, continued expansion of airline fleets, the increasing presence of low cost carriers, and growing aircraft and operational complexity.

Heightened geopolitical uncertainty, evolving security risks, and increasing focus on Environmental, Social and Governance (ESG) considerations continued to influence underwriting strategies across the market.

During the first half of the year, the airline insurance segment largely remained in a soft market phase, characterized by ample capacity and competitive pricing. Despite increased exposure levels and rate pressures, insurers and reinsurers continued to defend market shares through disciplined deployment of capacity. However, market conditions showed early signs of strengthening in the second half, as claims experience from recent major losses, ongoing attritional claims, and heightened geopolitical risks led to more robust renewal negotiations, particularly compared to the prior underwriting year.

Commercial aviation remains one of the safest forms of transportation. Although the industry recorded a slight improvement in the overall accident rate in 2025 (declining from 3.72 accidents per million sectors in 2005 to 1.32 accidents per million sectors in 2025- as per IATA safety report 2025), the year was overshadowed by several high-profile events that had a disproportionate impact on public perception and global fatality figures.

The most significant aviation loss during the year was the June 2025 crash of Air India Flight AI171 shortly after take off from Ahmedabad, involving a Boeing 787-8 Dreamliner. The accident resulted in approximately 260 fatalities, including passengers, crew and ground victims, and marked the first fatal hull loss of the Dreamliner, leading to substantial hull and third party liability claims with global reinsurance implications.

In November 2025, an incident involving a UPS cargo aircraft added further pressure to the global aviation insurance and reinsurance market. Occurring in an already loss impacted year, the event heightened reinsurers' focus on cargo operations, fleet age, maintenance standards, and frequency risk associated with integrator airlines. The large jet fuel and oil spill following the crash and post impact fire also drew attention towards environmental impacts of such incidents making it a notable ESG relevant

aviation loss.

The Aviation Excess of loss (XOL) treaty market has seen flat renewals despite deterioration of Boeing loss in the XOL market in previous underwriting years and uncertainty for Russia–Ukraine aviation war losses which have seen settlements under strict NDAs. We continue to have little clarity on the incident in January 2025, for the mid air collision near Washington's Ronald Reagan National Airport involving a regional jet and a military helicopter, which resulted in 67 fatalities.

From an Aviation XOL perspective, the events reinforced perceptions of systemic exposure in complex terminal airspace, contributing to continued cautious capacity deployment, sustained pricing firmness, and increased scrutiny of liability aggregations within aviation reinsurance programmes.

GIC Re's gross premium income has increased by 14.95% to ₹838 Crore in the FY 2025-26 as against ₹ 729 Crore in the previous FY 2024-25. The incurred claims as % to earned premium has increased to 182.81% for FY 2025-26 vis-à-vis 87.40% for FY 2024-25. This can be mainly attributed to considerable claims activity at market level.

The gross premium split comprises 88.78% from international business and 11.22% from domestic business for FY 2025-26 as against 87.87% from international business and 12.12% from domestic business for previous FY 2024-25.

The portfolio continues to be primarily focused on international business, but efforts are made to maintain domestic account signings and increasing them wherever possible to bring balance to the overall portfolio. Looking ahead, the medium-term outlook for the Aviation class remains cautiously optimistic, supported by continued growth in Indian aviation, airport modernization, and stable global demand. However, risks arising from geopolitical developments, increased fatal events, and claims inflation persist.

GIC Re will continue to pursue a prudent, technically driven underwriting approach, supported by strong governance, risk controls, and reinsurance protection, to ensure sustainable performance of the Aviation portfolio.

REINSURANCE POOLS IN INDIA

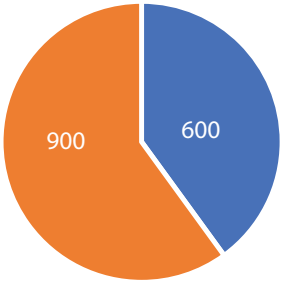
The practice of establishment of reinsurance pools to cater to situations where supply of insurance is a constraint is well accepted globally. Time and again, the Indian Market has also adopted the practice to overcome capacity challenges imposed by insufficient availability or withdrawal of international reinsurance support. GIC Re, as the Indian Reinsurer has played a pivotal role in creation and successful operation of pools for over two decades. GIC Re has been managing Pools in India and provides its support with very significant capacity as a pool member and as its reinsurer.

The current capacity of the various Indian reinsurance pools are as below:

THE INDIA NUCLEAR INSURANCE POOL

(Capacity in ₹ Crores)

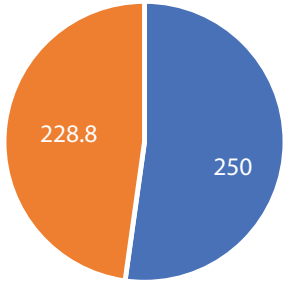
Total Capacity: ₹1500 Crores



THE MARINE CARGO POOL FOR EXCLUDED TERRITORIES

(Capacity in ₹ Crores)

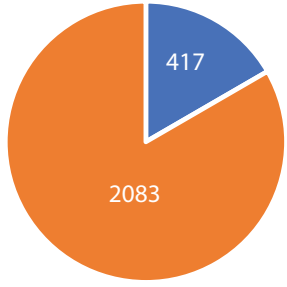
Total Capacity: ₹478.8 Crores



THE INDIAN MARKET TERRORISM RISK INSURANCE POOL

(Capacity in ₹ Crores)

Total Capacity: ₹2500 Crores



THE INDIAN MARKET TERRORISM RISK INSURANCE POOL

The Indian Market Terrorism Risk Insurance Pool (IMTRIP) was established in the aftermath of the 9/11 incident in the United States which led to worldwide withdrawal of treaty capacity for Terrorism Insurance. The Pool was formed in April 2002 to create domestic capacity within India to underwrite terrorism risk. The Pool has now completed 24 years of successful operations. Twenty-four non-life insurance companies (other than monoline insurers) and GIC Re are members of the Pool.

During FY 2025-26, the Pool introduced the following changes:

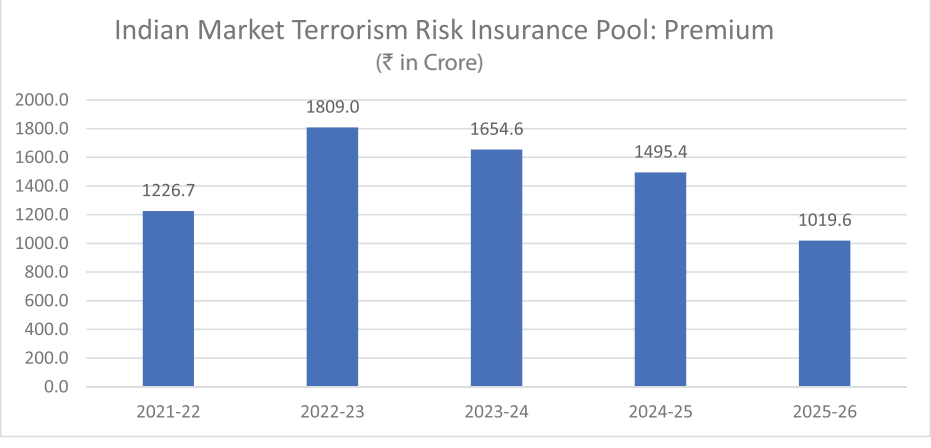
- Capacity per location was increased from ₹ 2,000 crore to ₹ 2,500 crore.
- Pool rates were reduced.

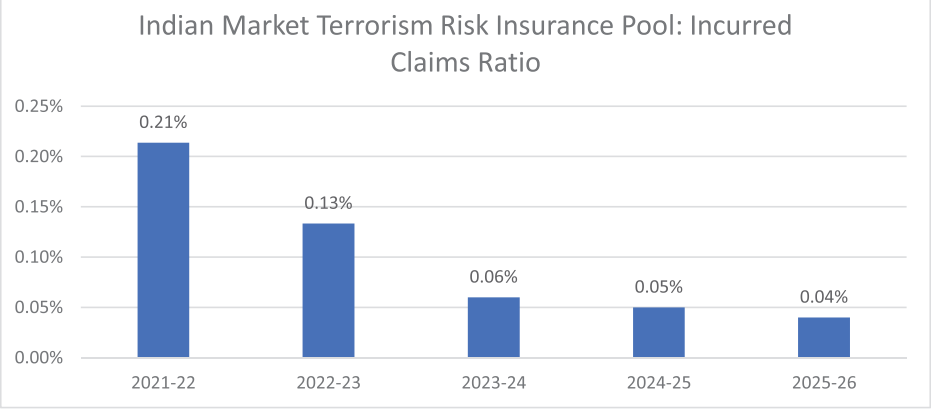
These measures were aimed at passing on the benefits of the Pool's asset base to insureds/customers by providing higher capacity and lower pricing for domestic customers.

A decline in premium cessions on account of change in premium accounting methodology for Long-Term Policies as per IRDAI Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers dated 17.05.2024 continued during FY 2025-26.

The Pool's assets stand at ₹ 20,351 Crore as at 31.03.2026 (₹ 18,172 Crore as on 31.03.2025). GIC Re as Pool Manager gets 1% (of original gross premium) Management Commission. Apart from its role as Pool Manager, GIC Re also contributes capacity to the Pool as a member of the Pool to the tune of 16.69% and participates as a reinsurer on the Pool's excess of loss reinsurance protection.

5 years pool premium and claims ratio are as per bar chart below.





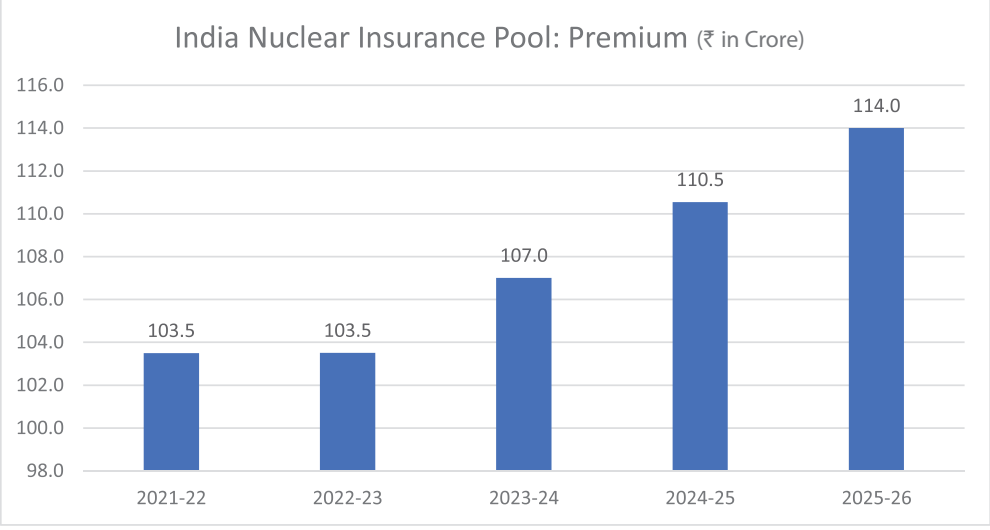
INDIA NUCLEAR INSURANCE POOL (INIP)

INIP was formed as an initiative by the Corporation along with 11 domestic non-life Insurance companies to provide insurance cover to nuclear operators against their statutory liability under the Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010, resulting from a nuclear incident, and liabilities of Suppliers to the Operator arising out of invocation of right to recourse under the Act.

The Pool provides annual indemnity limit of ₹ 1500 crore on any one accident and in the aggregate. The pool capacity and rates have remained constant for last one year. No claims have been reported under INIP since its inception. The Pool's assets stand at ₹ 1458 crore as on 31.03.2026. (₹ 1255 crore as on 31.03.2025).

GIC Re as a member has 40% share in the pool. GIC Re as Pool Manager gets Management Commission of 1% (of original gross premium).

5 years pool premium are as per bar chart below.



MARINE CARGO EXCLUDED TERRITORIES POOL (MCET POOL)

Due to the withdrawal of international marine cargo insurance capacity for covering imports and exports to/from Russia, Ukraine, and Belarus, there arose a need to create a domestic Marine Cargo Pool to insure shipments related to these Excluded Territories. This withdrawal of capacity stemmed from increased geopolitical risks, sanctions, and instability in these areas, making it difficult for Indian businesses to obtain necessary insurance coverage.

Consequently, the Marine Cargo Pool for Excluded Territories (MCET Pool) was formed and commenced operations on 1st June 2022.

Currently, the MCET Pool provides insurance to Indian insureds for marine cargo shipments of approved commodities to and from the excluded territories of Russia, Ukraine, and Belarus.

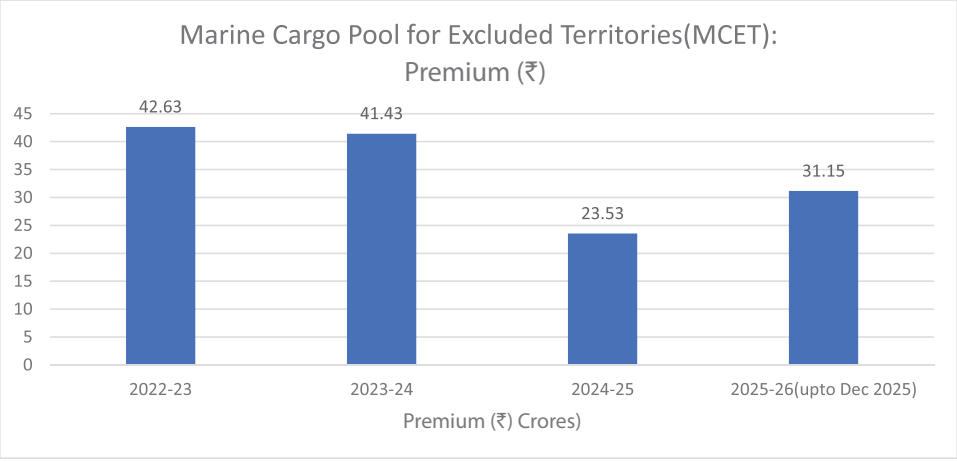
The Pool was initially formed with a total of 21 members, contributing a capacity of ₹ 484.80 crore per shipment (net of obligatory cession limits). This was later revised to ₹ 478.80 crore per shipment following the exit of one Pool member. The Pool's capacity remains unchanged for the year 2025–26.

GIC Re, as the Pool Manager, along with the Pool's Underwriting Committee (UC), approves the inclusion of new commodities under the Pool as needed. Currently covered commodities include fertilizers, pet coke, coal, crude oil and its derivatives, project cargo, steel (Import & Export), etc. Whenever a new commodity is proposed by any Pool member, the Underwriting Committee including GIC Re reviews and determines the applicable rates and terms.

The Pool covers import shipments of all approved commodities. GIC Re holds the largest capacity share at 52.21%. As the Pool Manager, GIC Re receives a 2.5% management commission on the original gross premium (net of obligatory cession).

The MCET Pool does not retain any premium. The entire premium received for the respective quarter/period is retroceded to the pool members in proportion to their participation share.

The accounted premium of the Pool since inception are as per the chart below:



LIFE RE

Life reinsurance helps life insurers strengthen their risk capacity, support growth, and introduce new products. During FY 2025-26, competition in the Indian life reinsurance market increased with the presence of global players such as Swiss Re, Munich Re, Hannover Re, SCOR and RGA. International Insurance Offices (IIOs) and Cross Border Reinsurers (CBRs) intensified competition, particularly in Group Term Life (GTL) and Microfinance Insurance (MFI), leading to pricing pressure.

GIC Re remains India's only domestic professional reinsurer with a presence across all life reinsurance segments including retail, group, social security and protection business. Unlike many competitors focused on short-duration business, GIC Re continues to participate in both short-term and long-term products, including Individual Term and Savings business.

GIC Re holds approximately 19% market share in the Indian life reinsurance market and supports more than 23 Indian life insurance companies through Treaty and Facultative arrangements.

GIC Re continues to support key Government initiatives, including:

- Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)
- Microfinance-linked Credit Life products
- IRDAI-mandated Saral Jeevan Bima

These schemes help improve insurance penetration and social protection across the country.

Premium Growth

Growth was driven by better risk selection, actuarial support, product refinement, and improved analysis of claim frequency and severity. GIC Re has delivered more than 15% year-on-year growth over the last two years.

Domestic and International Business

The Life Re portfolio continues to be dominated by domestic business (~85%), with foreign business contributing the remaining ~15%, reflecting GIC Re's emphasis on consolidating its domestic position while pursuing selective international opportunities.

Outlook

The Corporation will focus on:

- Expanding protection-focused retail products
- Growing structured group solutions for financial institutions

- Maintaining underwriting discipline in a competitive market
- Pursuing selected international opportunities with a risk-based approach

Supported by strong domestic presence, responsible underwriting, analytics-driven pricing and alignment with national priorities, GIC Re aims to continue delivering sustainable growth in the life reinsurance business."

FUTURE OUTLOOK

The future outlook for the reinsurance industry in 2026 is cautiously optimistic, with strong fundamentals supporting profitability but several headwinds creating uncertainty. These include climate change, risks of natural disasters and new regulations in the offing. Competition amongst insurers is expected to result in soft pricing and moderation in profitability. Underwriting is expected to be disciplined and overall, the market is expected to be favourable for reinsurers.

MANAGEMENT REPORT

In accordance with Para 12 of Part II of Schedule II of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, the management of the Corporation hereby:

1. Confirms that the Registration No. 112 granted by the Authority continues to be valid.
2. Certifies that all the dues payable to the statutory authorities have been duly paid.
3. Confirms that the shareholding pattern as well as transfer of shares during the year is in accordance with the statutory or regulatory requirements.
4. Declares that the funds of the holders of policies in India are not directly or indirectly invested outside India.
5. Confirms that the required solvency margins have been maintained.
6. Certify that the values of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and that in his (insurer's) belief the assets set forth in the Balance-sheets are shown in the aggregate at amounts not exceeding their realisable or market value under the several headings - "Loans", "Investments", "Agents balances", "Outstanding Premiums", "Interest, Dividends and Rents outstanding", "Interest, Dividends and Rents accruing but not due", "Amounts due from other persons or Bodies carrying on insurance business", " Sundry Debtors", "Bills Receivable", "Cash" and the several items specified under "Other Accounts";
7. Confirms that the Corporation's risk exposure consists of (a) Obligatory and Additional Quota Share Cessions (b) Facultative acceptances (c) The Corporation's share in Indian Insurance Companies through Surplus Treaties and Excess of Loss programme (d) The Corporation's share in Market Surplus Treaties and (e) Foreign Inward business Treaty and Fac. The exposures are adequately protected by the Corporation's Reinsurance Programme for 2025-26 that aligns with the Retention Policy.
8. (a) The Corporation's overall top ten exposures in other countries, are as follows:

   United Kingdom, Malaysia, Israel, South Africa, China, Hong Kong, Germany, France, United Arab Emirates and Turkey.

   Based on experience, internal evaluation of changes in portfolio exposures and analysis of catastrophe modelling software output, the Corporation constantly reviews and refines its retrocession programme for various classes of business.

   The Corporation has a Board approved Reinsurance Protection Programme in place.

   (b) Certifies that the Corporation does not underwrite direct business in any country. However, its branch in GIFT City (Special Economic Zone, Gujarat) can accept direct business from its office located within the SEZ, Including IFSC, in addition to Reinsurance business, within the SEZ including IFSC and from outside the country, except those which are specifically excluded. The Corporation has foreign branch offices at Kuala Lumpur, Dubai (Branch put into run-off) and London.
9. The portion of the claims recoverable under the reinsurance obligation of the Corporation are settled with the reinsured as per agreed arrangements, i.e. through cash calls and periodical account statements. Additionally, claims in respect of run-off aviation policies issued prior to being designated as an Indian reinsurer are settled to the insured. The position of Ageing of outstanding facultative claims under the categories of Indian, Foreign Inward and Aviation Business as on 31st March 2026 is as under:

Ageing of Facultative Claims as on 31.03.2026

(Amount ₹ in lakhs)

Sl No.	Outstanding Period	FIRE		MARINE		ENGINEERING		AVIATION		LIABILITY		MISCELLANEOUS		TOTAL	
		No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount
1	0 - 30 days	2	119	4	7,660	-	-	11	163	3	5	-	-	20	**7,947**
2	31 Days to 6 Months	37	13,247	34	2,882	6	341	36	7,964	-	-	-	-	113	**24,434**
3	6 Months to 1 Year	43	14,577	15	2,724	12	2,729	54	-8,625	4	1,875	2	1	130	**13,281**
4	1 Year to 5 Years	423	57,743	100	23,919	99	10,701	520	13,246	29	218	10	50	1,181	**1,05,877**
5	5 Years to Above	595	18,970	179	3,769	235	10,503	1,143	42,160	79	2,043	85	940	2,316	**78,384**
	TOTAL	**1,100**	**1,04,655**	**332**	**40,952**	**352**	**24,274**	**1,764**	**54,907**	**115**	**4,142**	**97**	**991**	**3,760**	**2,29,923**

GIC Re being a reinsurer, the Average Claim settlement is not applicable since the claims are settled through periodic statement of accounts and cash calls after reconciliation of overall business transactions throughout the year.

10. This is to certify that the values as shown in the balance sheet of the investments and stocks and shares have been arrived at as stated in Significant Accounting Policies No. 9.
11. Declares that the review of asset quality and performance is as mentioned below for Loans and Investments:

INVESTMENTS

The book value of the investment as on 31st March 2026 has increased to ₹ 1,17,645.62 crore from ₹ 1,06,733 crore. The realizable value of investments is at ₹ 1,50,473.92 crore as on 31st March 2026 showing an appreciation of 27.90% over book cost. Income from investment including Profit on Sale amounted to ₹ 13,129.08 crore as against ₹ 12,262.06 crore in the previous year. Out of the total investment of ₹ 1,17,645.62 crore, ₹ 61,283.11 crore are invested in Government Securities and State guaranteed Bonds. Book Value of equity shares is at ₹ 19,403.59 crore and market value stood at ₹ 52,055.42 crore showing net fair value appreciation of ₹ 32,651.83 crore.

Out of the Investment, loan as on 31st March 2026 stood at ₹ 111.43 crore compared to ₹ 128.59 crore in the previous year. Out of the total loan amount of ₹ 111.43 crore, ₹ 105.79 crore are either secured or guaranteed by the Government bodies representing 94.94% of total loans and the balance ₹ 5.64 crore are unsecured. Interest income from loans amounted to ₹ 7.07 crore. Standard performing assets (Loan) account for ₹ 70.21 crore and an amount ₹ 41.22 crore has been provided for the non-performing assets (Loan).

Gross NPA as on 31st March 2026 amounted to ₹ 843.97 crore. Gross Loan Assets amounted to ₹ 87,212.04 crore and Net Loan Assets ₹ 86,368.08 crore. Percentage of Gross NPA to Gross Loan Assets was 0.97% and percentage of Net NPA to Gross as well as Net Loan Assets was NIL.

The Corporation has complied with the regulation of investments prescribed by IRDAI for investment limits in housing and infrastructure and social sector. The compliance has been made on aggregate basis.

12. Confirms that:
    i. In the preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures.
    ii. The management has adopted accounting policies and applied them consistently (including those specifically required by various IRDAI regulations) and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Corporation at the end of the financial year and of the operating profit and net profit of the Corporation for the year.
    iii. The management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938, Insurance Law (Amendment) Act, 2015 (to the extent notified), Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the Corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
    iv. The financial statements are prepared on a going concern basis.
    v. The management has ensured that an internal audit system commensurate with the size and nature of the business exists and is operating effectively.
13. Certifies that except for salary and remuneration paid to relatives of Directors who are employees of the Corporation as per the terms of employment, no payment has been made to individuals, firms, companies and organisations in which the Directors of the Corporation are interested.
14. Confirm that compliance with domestic, statutory, regulatory and other laws in the countries in relation to subsidiaries, associates, joint ventures and other arrangements have been made.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

(Hitesh Joshi)

ED (Additional Charge-CMD)

Date: 26.05.2026

INDEPENDENT ASSURANCE REPORT ON
BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT (BRSR) CORE INDICATORS

To,
The Board of Directors
General Insurance Corporation of India
Suraksha, 170, J Tata Road, Churchgate,
Mumbai-400020, Maharashtra

We have undertaken to perform reasonable assurance engagement, for **General Insurance Corporation of India** (the **"Corporation"**) vide our engagement letter dated July 31, 2026 in respect of the agreed Sustainability Information listed below (the "Identified Sustainability Information" or "BRSR Core indicators") in accordance with the Criteria stated in paragraph 3 below. This Sustainability Information is included in the Business Responsibility and Sustainability Report (the "BRSR" or the "Report") of the Annual Report (the "AR") of the Corporation for the year ended March 31, 2026.

2. Identified Sustainability Information

Our scope of reasonable assurance consists of the BRSR Core indicators listed in the **Appendix I** to our report. The reporting boundary of the Report is as disclosed in Question 13 of Section A: General Disclosure of the BRSR with exceptions disclosed by way of note under respective questions of the BRSR, where applicable.

Our reasonable assurance engagement was with respect to the year ended March 31, 2026 information only and we have not performed any procedures with respect to earlier periods, and, therefore, do not express any opinion thereon.

3. Criteria

The Criteria used by the Corporation to prepare the Identified Sustainability Information is as under:

- Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India (the "SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 as amended;
- Business Responsibility and Sustainability Reporting Requirements for listed entities per Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/ CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023; and
- SEBI Circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated July 12, 2023 and clarifications thereto issued by SEBI.

4. Management's Responsibility

The Corporation's management is responsible for the preparation and presentation of the Identified Sustainability Information in accordance with the applicable criteria. This responsibility includes:

- Selection of suitable criteria;
- Design, implementation, and maintenance of internal control systems;
- Ensuring the information is free from material misstatement due to fraud or error.

5. Inherent limitations

There is currently no significant global standard for measuring and reporting non-financial data, which allows for diverse acceptable methodologies and may affect comparability across entities.

The assurance is limited to the defined reporting period and geographical boundary. It excludes:

- Strategic narratives or future expectations;
- Statements on intellectual property, competitive issues, or legal compliance;
- Information outside the agreed reporting frameworks.
- This assurance is based on the completeness, sufficiency, and authenticity of data provided by the Corporation.

6. Our Independence

We have maintained independence in accordance with the applicable SEBI circular and possess the required competencies and experience to conduct this engagement.

7. Our Responsibility

Our responsibility is to express a reasonable assurance opinion on the Identified Sustainability Information based on evidence obtained during the engagement.

8. Reasonable Assurance

Our procedures included:

- Evaluation of design and implementation of relevant controls;
- Interviewing personnel responsible for BRSR reporting; Sample-based verification of data points;
- Analytical procedures and reconciliations;
- Reviewing documents and records to validate selected data.

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our reasonable assurance opinion.

9. Exclusions

This assurance excludes:

- Data outside the Identified Sustainability Information;
- Statements of opinion, expectation, or future intent.

10. Other Information

Management is responsible for all other information included in the BRSR and Annual Report, excluding the Identified Sustainability Information. We have reviewed the additional sections for material inconsistencies and found none that would affect the assurance conclusion.

11. Reasonable Assurance Opinion

Based on the procedures performed and evidence obtained, the Identified Sustainability Information for the year ended March 31, 2026, is prepared, in all material respects, in accordance with the stated criteria.

12. Restriction on use

Our Reasonable Assurance report has been prepared and addressed to the Board of Directors of the Corporation at the request of the Corporation solely, to assist the Corporation in reporting on Corporation's sustainability performance and activities.

Accordingly, we accept no liability to anyone, other than the Corporation. Our Reasonable Assurance report should not be used for any other purpose or by any person other than the addressees of our report. We neither accept nor assume any duty of care or liability for any other purpose or to any other party to whom our report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For Ragini Chokshi & Co.

Company Secretaries

Date: 24.08.2026

Place: Mumbai

Ragini Chokshi

(Partner)

M. No.: F2390

COP No.: 1436

Appendix -1

Sr. No	Reporting Standard Reference	Indicator number
Section C: Principle [P] Wise Performance Disclosures- Essential		
1	P-1: Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.	E-8: Number of days of accounts payables ((Accounts payable *365) / Cost of goods/services procured). E-9: Details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along-with loans and advances and investments, with related parties.
2	P-3: Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains.	E-1c: Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent). E-11: Details of safety related incidents
3	P-5: Businesses should respect and promote human rights.	E-3b: Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity. E-7: Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.
4.	P-6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment.	E-1: Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity. E-3: Disclosures related to water withdrawal and consumption. E-4: Details related to water discharged. E-7: Details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) and its intensity. E-9: Total weight of waste generated in metric tons, and a breakdown of this total by composition of the waste.
5.	P-8: Businesses should promote inclusive growth and equitable development.	E-4: Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers. E-5: Job creation wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent / on contract basis), as % of total wage cost.
6.	P-9: Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner.	E-7: Information relating to data breaches.

BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT - FY 2025-26

SECTION A - GENERAL DISCLOSURES

I. DETAILS OF THE LISTED ENTITY

1. **Corporate Identity number (CIN):** L67200MH1972GOI016133
2. **Name of the Listed Entity:** General Insurance Corporation of India
3. **Year of incorporation:** 1972
4. **Registered office address:** 'Suraksha; 170, J. T. Road, Churchgate, Mumbai - 400020
5. **Corporate address:** 'Suraksha; 170, J. T. Road, Churchgate, Mumbai - 400020
6. **E -mail:** info@gicre.in
7 **Telephone:** +91 22 2286 7000
8. **Website:** www.gicre.in
9. **Financial year for which reporting is being done:** 2025-26
10. **Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed:** BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited
11. **Paid-up Capital:** ₹877.20 crore
12. **Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report:** Mr. Satheesh Kumar, Company Secretary & Compliance Officer; Email: cs.gic@gicre.in; Telephone No: 022-22867000
13. **Reporting boundary:** Report is done on a standalone basis
14. **Name of assessment or assurance provider:** M/s. Ragini Chokshi & Co.
15. **Type of assessment or assurance obtained:** Reasonable Assurance for BRSR - Core Indicators

II. PRODUCTS/SERVICES

16. **Details of business activities (accounting for 90% of the turnover):**

S. No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% of Turnover of the entity
1.	Financial and Insurance Service	Life/Non-life Reinsurance	100%

Note: Turnover is considered as Gross Premium for FY 2025-26

17. **Products/Services sold by the entity (accounting for 90% of the entity's Turnover):**

S. No.	Product/Service	NIC Code	% of total Turnover contributed
1.	Reinsurance	6520	100%

Note: Turnover is considered as Gross Premium for FY 2025-26

III. OPERATIONS

18. **Number of locations where plants and/or operations/offices of the entity are situated:**

Location	Number of plants	Number of offices	Total
National	-	3	3
International	-	3	3

19. **Markets served by the entity:**

a. Number of locations

Locations	Number
National (No. of States)	36*
International (No. of Countries)	130

**Including 8 Union Territories*

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

Given the nature of the insurance business, this is not applicable.

c. A brief on types of customers

As a reinsurance and risk solutions provider, GIC Re primarily works with insurance and reinsurance companies and brokers in India and worldwide. Other value-chain partners which we interact with include MGAs (Managing General Agents), Claim/Loss Adjusters, Catastrophe/Exposure/Capital Modelling Vendors, Actuarial firms, Legal firms, and Audit firms.

IV. EMPLOYEES

20. Details as at the end of Financial Year:

a. Employees and workers (including differently abled):

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
	EMPLOYEES					
1.	**Permanent (D)**	418	269	64.35%	149	35.64%
2.	**Other than Permanent (E)***	85	52	61.17%	33	38.82%
3.	**Total employees (D + E)**	503	321	63.82%	182	36.18%
	WORKERS					
4.	**Permanent (F)**	NOT APPLICABLE				
5.	**Other than Permanent (G)**					
6.	**Total workers (F + G)**					

**Includes employees on probation*

b. Differently abled Employees and workers:

S. No	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
	DIFFERENTLY ABLED EMPLOYEES					
1.	**Permanent (D)**	13	11	85%	2	15%
2.	**Other than Permanent (E)**	0	0	0	0	0
3.	**Total differently abled employees (D + E)**	13	11	85%	2	15%
	DIFFERENTLY ABLED WORKERS					
4.	**Permanent (F)**	NOT APPLICABLE				
5.	**Other than permanent (G)**					
6.	**Total differently abled workers (F + G)**					

21. Participation/Inclusion/Representation of women

As on 31-03-2026	Total (A)	No. and percentage of Females	
		No. (B)	% (B / A)
Board of Directors	5	1	20%
Key Management Personnel*	11	3	27%

** Includes KMPs on Board*

22. Turnover rate for permanent employees and workers (Disclose trends for the past 3 years)

	FY 2025-26 (Turnover rate in current FY)			FY 2024-25 (Turnover rate in previous FY)			FY 2023-24 (Turnover rate in the year prior to the previous FY)		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Permanent Employees	6.53%	4.72%	5.88%	6.64%	4.59%	5.93%	8.77%	10.42%	9.35%
Permanent Workers	NA								

V. HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES (INCLUDING JOINT VENTURES)

23. (a) Names of holding / subsidiary / associate companies / joint ventures

S. No.	Name of the holding/ subsidiary/ associate companies/ joint ventures (A)	Indicate whether holding/ Subsidiary/ Associate/Joint Venture	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No)
1.	GIC Re South Africa Ltd.	Subsidiary	100%	No
2.	GIC Perestrakhovanie LLC	Subsidiary	100%	No
3.	GIC Re, India, Corporate Member Limited	Subsidiary	100%	No
4.	India International Insurance Pte. Ltd.	Associate	20%	No
5.	GIC Bhutan Re Ltd.	Associate	26%	No
6.	Agriculture Insurance Company of India Ltd.	Associate	35%	No

VI. CSR DETAILS

24. (i) Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013: Yes

(ii) Turnover (in INR Crore): ₹ 53,947.88 crore

(iii) Net worth (in INR Crore): ₹ 51,301.27 crore

VII. TRANSPARENCY AND DISCLOSURES COMPLIANCES

25. Complaints/Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct:

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/No) (If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)	FY 2025-26			FY 2024-25		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Communities	Yes https://www.gicre.in/en/grievance-redressa	115	0	--	130*	0	--
Investors (other than shareholders)	https://www.gicre.in/images/2025/GIC_Re_-_Complaint_Handling_Policy_-_2023.pdf	0	0	--	0	0	--

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/No) (If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)	FY 2025-26			FY 2024-25		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Shareholders	Yes The requests/ complaints from shareholders are addressed through the Registrar & Transfer Agent. https://www.kfintech.com/ (Shareholder Compliances are dealt with as required under the Statutes)	20	0	--	10	0	--
Employees and workers	Yes The Corporation has constituted a Committee to address the grievances of employees and workers. https://www.gicre.in/images/2025/GIC_Re_-_Complaint_Handling_Policy_-_2023.pdf	2	1	--	0	0	--
Customers	https://www.gicre.in/images/2025/GIC_Re_-_Complaint_Handling_Policy_-_2023.pdf	0	0	--	0	0	--
Value Chain Partners	https://www.gicre.in/images/2025/GIC_Re_-_Complaint_Handling_Policy_-_2023.pdf	0	0	--	0	0	--
Other (please specify)	None	None	None	None	None	None	None

** The number of complaints under communities for FY 2024-25 have been revised.*

26. Overview of the entity's material responsible business conduct issues:

Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along-with its financial implications, as per the following format.

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1	Risk Management	Opportunity	Risk Management is a process, effected by the Corporation's Board of Directors, Management and other personnel to identify potential events and developments that may affect the Corporation and manage risk to be within its risk appetite, as applicable. Risk Management encompasses the identification, analysis, and response to risk factors that form part of the business. In addition, risk management provides business with a basis upon which it can undertake sound decision-making.	The Corporation has a Board-approved Risk Management Framework and risk management process in place to identify risks and guide us in taking corrective measures to mitigate them. With the introduction of SAP Risk Management & Process Control (SAP RM & PC – eGRC), the ERM Department conducts enterprise-wide risk assessments in coordination with Risk Managers and Risk Owners using a structured, technology-enabled approach. These assessments focus on identifying new risks, as well as reviewing and deliberating on existing risks. The SAP RM & PC platform enhances transparency across business and compliance processes while strengthening governance.	Positive - Proactive risk identification and mitigation prevents the risks aggravation thereby limiting the possibility of losses, avoids compliance gap consequences and enhances operational efficiency.
2	Transition to sustainable Investment	Opportunity	Increasing demand from global clients, regulators, and investors for Environmental, Social, and Governance (ESG) integrated investments.	Invest in green bonds and equity of renewable sectors.	Positive — New market opportunities, investor alignment, long-term resilience and brand reputation.
3	Community Development	Opportunity	Economic development of the underprivileged and broadening economic activity	The Corporation has implemented various CSR projects/activities/ initiatives for development of backward regions, empowerment of communities, upliftment of marginalized and under privileged sections of the society and providing healthcare services to the poor and vulnerable sections of the society.	Positive — Leads to meaningful social impact and community welfare supporting sustainable development.

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
4	Talent Attraction and Retention	Opportunity	Attracting and retaining skilled actuarial, underwriting, and risk management professionals strengthens GIC Re's global competitiveness and supports business growth in a highly specialized reinsurance market.	Focus on employer branding, competitive compensation in terms of non-core benefit, and international exposure to enhance employee value proposition.	Positive – leads to improved underwriting performance, better risk selection, innovation, and sustainable profitability.
5	Skill development and knowledge transfer	Risk & Opportunity	Rapid changes in the global reinsurance environment require continuous upskilling; inadequate knowledge transfer or loss of experienced talent can affect operational efficiency and risk assessment capabilities.	GIC has robust L&D policy focusing on various aspects like technical, behavioural, and soft skills. Implement structured training programs, mentorship initiatives, leadership development programs, succession planning, and digital knowledge management systems to preserve institutional knowledge.	Positive– enhanced efficiency, better decision-making.
6	Data Privacy and Security	Risk & Opportunity	Privacy and Security is the process of implementing measures and systems designed to securely protect and safeguard information utilizing various forms of technology.	The Corporation undertakes review of the existing mechanisms to secure financial data at enterprise level in a worst-case scenario, assess preparedness and take proactive steps for prevention of such risks.	Positive - Robust security preventing organization from risks.

SECTION B: MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

This section is aimed at helping businesses demonstrate the structures, policies and processes put in place towards adopting the NGRBC Principles and Core Elements.

Disclosure Questions			P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
Policy and management processes											
1.	**a.**	**Whether your entity's policy/ policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No)**	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N (Refer Note)	Y	Y
	b.	**Has the policy been approved by the Board? (Yes/No)**	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y
	c.	**Web Link of the Policies, if available**	Web link for policies is as below: https://www.gicre.in/en/people-resources/policies-and-guidelines https://www.gicre.in/en/people-resources/hr-corner Further, following policies are mapped against each NGRBC Principle: P1- Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable: Code of Conduct for Directors/Senior Management, Complaint Handling Policy, Conduct Discipline & Appeal Rules, Whistle Blower Policy, Dividend Distribution Policy, Related Party Transaction Policy, Code of Conduct for prohibition of Insider Trading, Policy on Stewardship Code and Policy on Board diversity. P2 - Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe: ESG & Outsourcing Policy P3 - Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains: Conduct, Discipline and Appeal Rules, Equal Opportunity Policy and Complaint Handling Policy P4- Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders: CSR Policy & ESG Policy P5 - Businesses should respect and promote human rights: Policy on Prevention, Prohibition & redressal of Sexual Harassment of Women at Workplace, Equal Opportunity Policy, Complaint Handling Policy and Policy on Board diversity P6 - Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment: ESG Policy P7 - Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent:- The Corporation works with trade and industry associations to put forth industry representations to the government and regulators, while there is no specific policy outlined for this principle. P8 - Businesses should promote inclusive growth and equitable development: CSR Policy P9 - Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner: Complaint Handling Policy & Stewardship Code								

2.	**Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes / No)**	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y
3.	**Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)**	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y
4.	**Name of the national and international codes/certifications/ labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustee) standards (e.g. SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.**	The policies of the Corporation are in line with applicable provision of the Companies Act, 2013, IRDAI and SEBI Regulations and business practices being generally followed in reinsurance sector.								
5.	**Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.**	P1 -The Corporation commits to comply with the provision in the Companies Act, 2013, IRDAI Regulations and SEBI (LODR) regulations to the extent applicable. P3 - The Corporation is committed to providing equal opportunities to all employees and candidates for employment and do not discriminate against individuals based on factors such as race, caste, religion, color, ancestry, marital status, gender, sexual orientation, age, nationality, ethnic origin, disability, or any other category protected by applicable law. The Corporation is committed to providing a safe and positive work environment and ensuring that all grievances are addressed promptly and effectively to maintain productive and engaged workforce. P6 - The Corporation is committed to integrating Environmental, Social and Governance (ESG) considerations across its operations, business activities, and corporate policies, and further incorporating ESG principles into relevant decision-making processes. P8 - Through its CSR Initiatives, the Corporation focusses on capacity building, empowerment of communities, inclusive socio-economic growth, environment protection, promotion of green and energy efficient technologies, development of backward regions, and uplifting the marginalized and under- privileged sections of the society.								

6.	**Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met.**	P1 - The Corporation has all the policies mandated by the Companies Act, 2013, IRDAI and SEBI Regulations and the same are reviewed periodically. P3 - 36.18% of the Corporation's total employees are women and 27% of the Corporation's senior management comprises of women. Differently abled persons are a part of Corporation's workforce. Over 15,256 employee training hours were clocked in for FY 2025-26. To promote employee health and well-being, Yoga session was organized at the GIC Head Office to commemorate International Yoga Day, encouraging employees to adopt healthy lifestyle practices and enhance their physical and mental well-being. P6 – The Corporation has a board approved Environmental, Social and Governance Policy and a ESG Steering Committee & ESG Team for ensuring the integration of ESG considerations into Corporation's operational strategies. The Corporation has undertaken several initiatives to reduce paper consumption and promote sustainable practices across its offices. By digitizing operational processes, the Corporation aims to minimize the use of paper and enhance efficiency. In addition, efforts have been made to reduce the use of single-use plastics by replacing plastic folders with paper folders, substituting plastic plant pots with earthen pots, and encouraging the use of glass bottles for drinking purposes. The Corporation encourages employees and administrative staff to purchase of Electric Vehicles(EVs) by offering loans at lower-than-normal interest rates for EV purchases. P8 -The Corporation has contributed towards healthcare, education, infrastructure, empowerment through its CSR activities: 1. Funds were contributed to build an accessible resource centre aimed at empowering people with disabilities and marginalized communities, benefiting around 5,000 individuals. 2. Funds were contributed to build a rehabilitation centre for women affected by endosulfan, supporting 150 beneficiaries. 3. Funds were contributed to construct the first - floor building for an old age home supporting 100 vulnerable women. 4. Funds contributed to support the construction of a second floor for children with special needs, providing education and care to over 165 students from 56+ villages.

Governance, leadership and oversight

7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements.

GIC Re as the national reinsurer is dedicated to fostering comprehensive development for a better future. It promotes financial inclusion, digital innovation, and inclusive diversity. With well-defined corporate governance guidelines and a sound Enterprise Risk Management framework in place, we have established strong work ethics that prove to be an anchor for all our operations and decision making. The welfare of our employees and business partners is at the forefront of all our decisions.

Our business philosophy incorporates sustainability concepts, influencing our aim to create a long-lasting organization that meets clients' protection and long-term demands. Our classification as a D-SII (Domestic Systematically Important Insurer) by IRDAI, highlights our critical role in in the Indian insurance industry. We seek to address the many challenges affecting our communities and the world at large. We play an active part across Central and State government insurance schemes in Property, Agriculture & Health.

We also manage various pools like Indian market Terrorism Risk Insurance Pool, Indian Nuclear Insurance Pool & Marine Cargo (Declined Risk) Pool each addressing critical industry and national interests.

To remain adaptive in an evolving environment, the Corporation has implemented a comprehensive business continuity plan. To safeguard the Corporation's well-being and long-term viability, response strategies have been created and closely followed. To reduce its environmental impact, the Corporation promotes decreasing energy, water, and waste as part of resource optimization.

The Environment, Social & Governance framework for seamless integration of ESG Practices into day-to-day business operations is being implemented, with management being more cognizant of their decisions that have considerable amount of attention towards a sustainable growth of the business.

The Corporation has an uncompromising zero-tolerance approach towards any form of fraud and corruption with policies such as Prohibition of Insider Trading and Anti-Fraud Policy in full effect. Through our robust Information Security Policy surrounding cyber security and data privacy, we ensure the protection of all sensitive organizational and client information.

8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies).

Mr. Hitesh Rameshchandra Joshi, Executive Director and (Additional Charge-Chairman and Managing Director).

DIN- 09322218

9. Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes / No). If yes, provide details.

Yes, the Board and Risk Management Committee periodically review all risks and mitigating measures.

Constitution of Risk Management Committee as on 31st March 2026.

DIN	Name of the Committee members	Designation
10344636	Ashwani Kumar (Chairman)	Non-Executive - Independent Director
09322218	Hitesh Rameshchandra Joshi	Executive Director
11210291	Jayashri Balkrishna	Executive Director
11228147	Tapan Kumar Mondal	Non-Executive - Nominee Director
99999999	Balkrishna Variar	Chief Financial Officer
99999999	Sateesh Bhat	Appointed Actuary (Non-Life)
99999999	Suresh Sindhi	Appointed Actuary (Life)

Pursuant to Corporation's ESG framework, the Corporation has established a management-level ESG Steering Committee to set goals for environmental sustainability, social responsibility, and governance, and to monitor performance against ESG objectives and other applicable regulatory guidelines pertaining to ESG related matters.

10. Details of Review of NGRBCs by the Company:

Subject for Review	Indicate whether review was undertaken by Director / Committee of the Board/Any other Committee									Frequency (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ Any other – please specify)								
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
Performance against above policies and follow up action	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N (Refer Note)	Y	Y	Annually /as & when required (except for P7)								
Compliance with statutory requirements of relevance to the principles, and, rectification of any non-compliances	The Corporation ensures timely compliance with all the statutory requirements as applicable.																	

11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency.	**P 1**	**P 2**	**P 3**	**P 4**	**P 5**	**P 6**	**P 7**	**P 8**	**P 9**
	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N (Refer Note)	Y	Y
	The policies are formulated within the ambit of the statutory guidelines and business requirements, which are amended from time to time as per business/ environmental/Governance requirements. The policies are periodically reviewed by internal committee and wherever required they are reviewed/evaluated and updated by Senior Management and approved by the Board.								

12. If answer to question (1) above is "No" i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:

Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
The entity does not consider the Principles material to its business (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	Refer Note	-	-
The entity is not at a stage where it is in a position to formulate and implement the policies on specified principles (Yes/No)									
The entity does not have the financial or/human and technical resources available for the task (Yes/No)									
It is planned to be done in the next financial year (Yes/No)									
Any other reason (please specify)									

Note: The Corporation works with trade and industry associations to put forth industry representations to the government and regulators, while there is no specific policy outlined for this principle.

SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

This section is aimed at helping entities demonstrate their performance in integrating the Principles and Core Elements with key processes and decisions. The information sought is categorized as "Essential" and "Leadership". While the essential indicators are expected to be disclosed by every entity that is mandated to file this report, the leadership indicators may be voluntarily disclosed by entities which aspire to progress to a higher level in their quest to be socially, environmentally, and ethically responsible.

PRINCIPLE 1: BUSINESSES SHOULD CONDUCT AND GOVERN THEMSELVES WITH INTEGRITY IN A MANNER THAT IS ETHICAL, TRANSPARENT AND ACCOUNTABLE

Essential Indicators

1. Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the principles during the financial year:

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics / principles covered under the training and its impact	% age of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors	3	**Prohibition of Insider Trading and familiarization of Insider Trading Compliance Management System & Program on AI for Executives** Implication-By sensitizing directors to insider trading laws, it has helped them to gain practical knowledge on obligations under Corporation's Code of Conduct on Prohibition of Insider Trading which helps in preventing potential violations and fostering accountability. Further, AI training program equipped executives with the knowledge to make more informed, data-driven decisions and confidently guide AI initiatives. The program strengthened cross-functional collaboration and fostered a culture of innovation, while raising awareness of AI risks, ethics, and governance.	100%
		Familiarisation programme a) Nature of the industry in which the Corporation operates; b) Business model of the Corporation; c) Corporate Governance Philosophy of the Corporation; d) Policies, standards, procedures, code of conduct etc. adopted by the Corporation; e) Applicable Regulatory framework including ESG & RPT framework; and f) Roles, functions and duties of the Directors; and framework. Implication- The programmes helped in updating and enhancing awareness among Directors regarding the Corporation's operations, governance philosophy strengthened understanding of the regulatory and Compliance landscape of the Corporation.	50%

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics / principles covered under the training and its impact	% age of persons in respective category covered by the awareness programmes
Key Managerial Personnel*	3	**Prohibition of Insider Trading and familiarization of Insider Trading Compliance Management System and Program on AI for Executives, Information Security Program on Life Re-Knowledge Enrichment** Impact : By sensitizing employees to insider trading laws, it has helped them to gain practical knowledge on obligations under Corporation's Code of Conduct on Prohibition of Insider Trading which helps in preventing potential violations and fostering accountability. Further, AI training program equipped executives with the knowledge to make more informed, data-driven decisions and confidently guide AI initiatives. The program strengthened cross-functional collaboration and fostered a culture of innovation, while raising awareness of AI risks, ethics, and governance.	100%
Employees other than BoD and KMPs	62	• Governance, Compliance & Regulatory related trainings • Insurance & Reinsurance Domain Knowledge • Cyber Security & Information Security trainings • Digital Transformation & Artificial Intelligence • Leadership & Behavioral development Impact : The training programs enhanced employees' knowledge, skills, compliance awareness across functional areas. Specialized sessions on inquiry procedures, vigilance, and charge-sheet framing strengthened investigative and disciplinary capabilities. Programs on reservation policy, human rights, POSH, and VAW improved sensitivity, inclusivity, and ethical conduct within the organization. Technical trainings on cyber security, information security, and insurance fraud management contributed to better risk mitigation and operational resilience. Workshops on underwriting and claims using AI and technology enabled participants to understand emerging industry practices and improve decision-making efficiency. Training on financial, service, and establishment rules ensured better adherence to regulatory and administrative frameworks. The BRSR and IBC-related sessions enhanced understanding of sustainability reporting and stressed asset resolution. Overall, these initiatives fostered professional development, improved governance standards, and strengthened the organization's capability to respond to evolving business and regulatory challenges effectively.	92.28%
Workers	NA	NA	NA

* KMP includes BoD

2. Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format (Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

Monetary					
	NGRBC Principle	**Name of the regulatory/ enforcement/ agencies/judicial institutions**	**Amount (in INR)**	**Brief of the case**	**Has an appeal been preferred (Yes/No)**
Penalty/ Fine	Fine of ₹5,36,900/- (incl. GST), ₹5,42,800/- (Incl. GST) and ₹5,42,800/- (Incl. GST), each levied by National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited during the financial year for not having required number of Independent Directors on the Board for the quarter ended June 2025, September 2025 and December 2025. Since the Corporation is a Government of India Company, the appointment of Directors on the Board is done by the Government of India through Ministry of Finance. Accordingly, the Corporation has requested the aforesaid Stock Exchanges for waiver of fine levied.				
Settlement	None				
Compounding fee					

Non- Monetary				
	NGRBC Principle	**Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions**	**Brief of the Case**	**Has an appeal been preferred? (Yes/No)**
Imprisonment	None			
Punishment				

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/ Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.

Case Details	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions
None	

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

Yes, GIC Re has put in place the Code of Conduct for Directors and Senior Management Personnel, which applies to the Directors and Senior Management Personnel of the Corporation. The General Insurance (Conduct, Discipline and Appeal) Rules, 2014, Complaint Handling Policy, Whistle Blower Policy, and Anti-Fraud Policy are in place and applicable to all employees of the Corporation. These mechanisms strive to enhance an ethical and transparent process in managing the affairs of the Corporation.

Every year, the Corporation celebrates Vigilance Awareness Week, and all employees take the Integrity Pledge to remain vigilant and commit to upholding the highest standards of honesty and integrity, supporting the fight against corruption. We have a complaint handling policy that outlines how any complaint can be lodged and allows for anonymity of the complainant and appropriate resolution.

The policies are readily available and can be accessed through the following link:

https://www.gicre.in/images/2024/Code_of_Conduct_for_Directors__Senior_Management_Personnel_-_2024_Version_40.pdf

https://www.gicre.in/images/2025/GIC_Re_-_Complaint_Handling_Policy_-_2023.pdf

https://www.gicre.in/images/pdf/CDA-Rules-2018.pdf

https://www.gicre.in/images/2025/Vigil_Mechanism_or_Whistle_Blower_Policy_-_2025_Ver_30.pdf

5. **Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:**

	FY 2025-26	FY 2024-25
Directors	0	0
KMPs	0	0
Employees	0	0
Workers	NA	NA

6. **Details of complaints with regard to conflict of interest:**

	FY 2025-26	FY 2024-25
	Numbers/Remarks	Numbers/Remarks
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	0	
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs		

7. **Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.**

During the reporting period, there have been no cases of any corrective action taken or underway on issues related to fine/penalties/action taken by regulators/law enforcement agencies/judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.

8. **Number of days of accounts payables ((Accounts payable *365) / Cost of goods/services procured) in the following format:**

	FY 2025-26	FY 2024-25
Number of days of accounts payables	0	6

9. **Open-ness of business:**

Provide details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties, in the following format:

Parameter	Metrics	FY 2025-26	FY 2024-25
Concentration of Purchases	a. Purchases from trading houses as % of total purchases	NA	NA
	b. Number of trading houses where purchases are made from	NA	NA
	c. Purchases from top 10 trading houses as % of total purchases from trading houses.	NA	NA
Concentration of Sales	a. Sales to dealers/ distributors as % of total sales	NA	NA
	b. Number of dealers / distributors to whom sales are made	NA	NA
	c. Sales to top 10 dealers/ distributors as % of total sales to dealers/ distributors	NA	NA
Share of RPTs in	a. i) Purchases (Purchases with related parties)	83,844,171.80	410,735,972.16
	ii) Total Purchases	34,327,260,854.63	33,097,473,461.09
	iii) Purchases (Purchases with related parties /Total Purchases)	0.24%	1.24%
	b. i) Sales (Sales to related parties)	41,019,346,473.96	21,956,761,280.28
	ii) Total Sales	440,067,408,999.79	411,539,524,688.72
	iii) Sales (Sales to related parties/ Total Sales)	9.32%	5.34%
	c. i) Loans & advances given to related parties	-	-
	ii) Total loans & advances	-	-
	iii) Loans & advances given to related parties as % of Total loans & advances	-	-

	d. i) Investments in related parties	-	-
	ii) Total Investments made	-	-
	iii) Investments in related parties as % of Total Investments made	-	-

Note- *The Corporation being a reinsurance provider, above disclosure for purchases of raw materials from trading houses/ sales of products to dealers/ distributors is not applicable given the nature of the business. Further, insurance agent/brokers/intermediaries are not considered as dealers/distributors for reporting.*

Leadership Indicators

1. **Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the principles during the financial year:**

Total number of awareness programmes held	Topics/principles covered under the training	% age of value chain partners covered (by value of business done with such partners) under the awareness programmes
None		

2. **Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving member of the Board? (Yes/No) If yes, provide details of the same.**

   Yes, GIC Re has put in place the Code of conduct for Directors and Senior Management Personnel. The Code defines and addresses conflicts of interest and provide guidelines for resolution. During Board meetings, members transparently disclose any potential conflicts related to agenda items and abstain from voting in the event of any conflict of interest.

   The relevant policies are readily available and can be accessed through the following link: https://www.gicre.in/en/people-resources/policies-and-guidelines

PRINCIPLE 2: BUSINESSES SHOULD PROVIDE GOODS AND SERVICES IN A MANNER THAT IS SUSTAINABLE AND SAFE

Essential Indicators

1. **Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively**

	FY 2025-26	FY 2024-25	Details of improvements in environmental and social impacts
R&D	0.00%	0.00%	NA
Capex	0.00%	0.00%	NA

2. **a. Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing?**

   b. If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably.

   No. The Corporation being a reinsurance service provider is not involved in manufacturing activity, therefore the reporting on sustainable sourcing is not applicable.

3. **Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste.**

   The IT Department of the Corporation has Media Disposal Procedure which covers E-waste disposal according to the regulatory requirements as Media includes E-waste.

   The Data Centre/FM Team sanitizes media/assets before disposal. Media/assets are kept securely until transportation. The Facility Management Team arranges delivery to the disposal vendor.

   The vendor destroys the media/assets and issues certificates of destruction.

4. **Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.**

   Not applicable owing to the nature of the Corporation's business and sector that it operates in.

Leadership Indicators

1. **Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format?**

NIC Code	Name of Product / Service	% of total Turnover contributed	Boundary for which the Life Cycle Perspective/ Assessment was conducted	Whether conducted by Independent external agency (Yes/No)	Results communicated in public domain (Yes/No) If yes, provide the web- link
NA					

2. **If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same.**

Name of Product/Service	Description of the risk/concern	Action Taken
NA		

3. **Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).**

Indicate Input Material	Recycled or re-used input material to total material	
	FY 2025-26	FY 2024-25
NA	0%	0%

4. **Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed, as per the following format:**

	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Re-used	Recycled	Safely Disposed	Re-used	Recycled	Safely Disposed
Plastics (including packaging)	0	0	0	0	0	0
E-waste	0	0	0	0	0	0
Hazardous waste	0	0	0	0	0	0
Other waste	0	0	0	0	0	0

5. **Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.**

Indicate Product Category	Reclaimed products and their packaging materials as % of total products sold in respective category
NA	0%

PRINCIPLE 3: BUSINESSES SHOULD RESPECT AND PROMOTE THE WELL-BEING OF ALL EMPLOYEES, INCLUDING THOSE IN THEIR VALUE CHAINS

Essential Indicators

1. **a. Details of measures for the well-being of employees:**

Category	% of employees covered by										
	Total (A)	Health insurance		Accident insurance		Maternity benefits		Paternity Benefits		Day Care facilities	
		Number (B)	% (B / A)	Number (C)	% (C / A)	Number (D)	% (D / A)	Number (E)	% (E / A)	Number (F)	% (F / A)
Permanent employees											
Male	269	269	100%	269	100%	NA	NA	269	100%	NA	NA

Category	% of employees covered by									
	Total (A)	Health insurance		Accident insurance		Maternity benefits		Paternity Benefits		Day Care facilities	
		Number (B)	% (B / A)	Number (C)	% (C / A)	Number (D)	% (D / A)	Number (E)	% (E / A)	Number (F)	% (F / A)
Female	149	141	95%	149	100%	141	95%	NA	NA	NA	NA
Total	418	410	98%	418	100%	141	34%	269	64%	NA	NA
Other than Permanent employees*											
Male	52	52	100%	52	100%	NA	NA	52	100%	NA	NA
Female	33	33	100%	33	100%	33	100%	NA	NA	NA	NA
Total	85	85	100%	85	100%	33	39%	52	61%	NA	NA

**Employees on probation*

b. Details of measures for the well-being of workers:

Category	% of employees covered by									
	Total (A)	Health insurance		Accident insurance		Maternity benefits		Paternity Benefits		Day Care facilities	
		Number (B)	% (B / A)	Number (C)	% (C / A)	Number (D)	% (D / A)	Number (E)	% (E / A)	Number (F)	% (F / A)
Permanent workers											
Male	NA										
Female	NA										
Total	NA										
Other than Permanent workers											
Male	NA										
Female	NA										
Total	NA										

c. Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent) in the following format –

	FY 2025-26	FY 2024-25
Cost incurred on wellbeing measures as a % of total revenue of the company	0.02%	0.02%

2. Details of retirement benefits, for current FY and Previous Financial Year

Benefits	FY 2025-26			FY 2024-25		
	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
PF/Pension	24.85%	NA	Yes	33%	NA	Yes
NPS	75.14%	NA	Yes	67%	NA	Yes
Gratuity	100%	NA	Yes	100%	NA	Yes
ESI	-					
Others – please specify	-					

3. **Accessibility of workplaces:**

   Are the premises / offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

   Yes, the workplaces are equipped with the necessary accessibility provisions as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016

4. **Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.**

   As an organisation, we are committed to providing equal opportunities to all employees and candidates for employment. We firmly believe in the principles of diversity and inclusion and do not discriminate against individuals based on factors such as race, caste, religion, color, ancestry, marital status, gender, sexual orientation, age, nationality, ethnic origin, disability, or any other category protected by applicable law. The importance of treating everyone with fairness, respect, and dignity and to act in a way that is consistent with our sense of fairness and equal opportunity is codified in both the Code of conduct for Directors and Senior Management Personnel and The General Insurance (Conduct, Discipline and Appeal) Rules, applicable to all employees.

   https://www.gicre.in/images/2026/Equal-Opportunity_Policy.pdf

5. **Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.**

	Permanent employees		Permanent workers	
Gender	**Return to work rate**	**Retention rate**	**Return to work rate**	**Retention rate**
Male	100%	100%	NA	NA
Female	100%	100%	NA	NA
Total	100%	100%	NA	NA

6. **Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and workers? If yes, give details of the mechanism in brief.**

	Yes/No (If Yes, then give details of the mechanism in brief)
Permanent Workers	NA
Other than Permanent Workers	NA
Permanent Employees	GIC Re is committed to providing a safe and positive work environment. We are committed to ensuring that all grievances are addressed promptly and effectively to maintain productive and engaged workforce. The employees can raise their concerns to their respective line manager, department head or HR department (Complaints Handling Officer) as per our Complaint Handling policy. Once a grievance is raised, we work closely with the employee to understand the issue and identify potential solutions. A thorough inquiry procedure assures fairness for all parties concerned, including the ability to submit facts and any relevant evidence. Any disciplinary action and recourse available are codified in The General Insurance (Conduct, Discipline and Appeal) Rules. Our grievance redressal mechanism includes a process for employees to raise their concerns or grievances through their Employee Representatives. We also hold joint meetings with the Employee Representatives to address any grievances raised and ensure that we provide timely feedback on the status of the grievance.
Other than Permanent Employees	

7. **Membership of employees in association(s) or Unions recognised by the listed entity:**

   GIC Re has a GIC Officers' Association as a check-off union for officers and Bhartiya Vima Karmachari Sena and General Insurance Employees' All India Association as check-off unions for class-III employees from December 2024 onwards.

Category	FY 2025-26 Current Financial Year			FY 2024-25 Previous Financial Year		
	Total employees / workers in respective category (A)	No. of employees / workers in respective category, who are part of association(s) or Union (B)	% (B / A)	Total employees / workers in respective category (C)	No. of employees / workers in respective category, who are part of association(s) or Union (D)	% (D / C)
Total Permanent Employees	**418**	**304**	**72.73%**	**401**	**251**	**62.59%**
-Male	269	200	74.35%	260	177	68.08%
-Female	149	104	69.80%	141	74	52.48%
Total Permanent Workers	NA	0	0	NA	0	0
-Male	NA	0	0	NA	0	0
-Female	NA	0	0	NA	0	0

8. Details of training given to employees and workers:

Category	FY 2025-26 Current Financial Year					FY 2024-25 Previous Financial Year				
	Total (A)	On health and safety measures		On Skill upgradation		Total (D)	On health and safety measures		On Skill upgradation	
		No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)		No. (E)	% (E/D)	No. (F)	% (F/D)
Employees										
Male	321	0	0.00%	292	90.97%	292	0	0.00%	248	84.93%
Female	182	0	0.00%	173	95.05%	157	0	0.00%	148	94.26%
Total	**503**	**0**	**0.00%**	**465**	**92.44%**	**449**	**0**	**0.00%**	**396**	**88.20%**
Workers										
Male	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Female	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. Details of performance and career development reviews of employees and workers:

Emphasis on employee engagement and building manager and employee capability is duly taken care through trainings covering a range of technical and behavioural processes. 100% of employees(permanent and probationary) captured their development needs in a structured format following KPI/ ACR conversations with their managers along with career development aspects.

Category	FY 2025-26 Current Financial Year			FY 2024-25 Previous Financial Year		
	Total (A)	No. (B)	% (B/A)	Total(C)	No. (D)	% (D/C)
Employees						
Male	321	321	100%	292	292	100%
Female	182	182	100%	157	157	100%
Total	**503**	**503**	**100%**	**449**	**449**	**100%**
Workers						
Male	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Female	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Total	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

10. Health and safety management system:

a. Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, the coverage such system?

Yes, the Corporation has deployed health and safety management system across all its offices. All Floor wardens and Security personnel are trained on Safety protocols, available control measures and Evacuation protocols.

b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?

All potential work-related hazards are thoroughly evaluated and identified as part of our Risk Register to ensure ongoing safety. Control measures are established and implemented to mitigate identified risks.

c. Whether you have processes for workers to report the work-related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N)

Yes, to foster a culture of safety and to proactively identify and address potential hazards, employees are encouraged to report any near hazards, unsafe acts, or unsafe conditions to either HR or OSD Department of the Corporation.

d. Do the employees/ worker of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes / No)

Yes, the Corporation prioritises employee health and wellbeing by providing comprehensive medical coverage. All Employees are covered by medical insurance for themselves and their families. The Corporation has been following various fire safety measures including installed fire safety equipment and awareness in this respect.

11. Details of safety related incidents, in the following format:

Safety Incident/Number	Category*	FY 2025-26	FY 2024-25
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked)	Employees/Workers	0	0
Total recordable work-related injuries	Employees/Workers	0	0
No. of fatalities	Employees/Workers	0	0
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	Employees/Workers	0	0

**Including the contract workforce*

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy workplace.

GIC Re believes in providing a safe, supportive, and friendly workplace environment – a positive workplace environment and a great employee experience are integral parts of our culture. The Corporation aims to provide an ergonomically safe and comfortable work environment at all offices. The Corporation regularly provides annual preventive health checks for its employees.

A core component of the Corporation's diversity and inclusion ambition is agile working which encompasses a wide range of working options enabling employees to work flexibly at their full potential. Part-time working, Work from Home and flexible hours are some options granted under this initiative.

13. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	FY 2025-26 Current Financial Year			FY 2024-25 Previous Financial Year		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of the year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of the year	Remarks
Working conditions	NIL					
Safety	NIL					

14. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	NIL
Working Conditions	NIL

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

No action required as we did not have any Loss Time Injuries (LTI) during the reporting period.

Leadership Indicators

1. Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of (A) Employees (Y/N) (B) Workers (Y/N).

(A) Employees : Yes, the Corporation extends cover under GSLI, GTIS and Group Personal Accident Policy to employees.

(B) Workers : N.A.

2. Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.

The Corporation engages with its Vendors/service providers through the Government e-Marketplace (GeM), a centralized procurement platform for public sector entities. Vendors/ service providers registered on GeM are required to comply with all applicable statutory requirements including timely deduction and deposit of dues such as taxes and labour-related contributions.

Further, due care is taken to check whether the vendor has made the necessary statutory payments while processing of monthly payments to the Vendors/Service providers.

3. Provide the number of employees / workers having suffered high consequence work related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:

	Total no. of affected employees/ workers		No. of employees/workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment	
	FY 2025-26	FY 2024-25	FY 2025-26	FY 2024-25
Employees	0	0	0	0
Workers	0	0	0	0

4. Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/No)

Yes, HR Department of the Corporation nominates employees approaching retirement for training on the management of retirement funds.

5. Details on assessment of value chain partners:

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Health and safety practices	The Corporation primarily undertakes procurement through the Government e-Marketplace (GeM), which requires registered Vendors/service providers to comply with applicable legal, labour, health, safety, and ethical business requirements. Accordingly, the Corporation relies on the compliance framework embedded within the GeM platform and expects its Vendors/Service providers to adhere to all applicable statutory obligations.
Working Conditions	

6. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.:

As no assessment was carried out during the year, therefore no corrective action was taken.

PRINCIPLE 4: BUSINESSES SHOULD RESPECT THE INTERESTS OF AND BE RESPONSIVE TO ALL ITS STAKEHOLDERS

Essential Indicators

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity

Key Stakeholders are identified on the basis of the material influence they have on the Corporation or on how they are materially influenced by the Corporation's decisions and the consequences of those decisions. Based on the level of interest and impact, Corporation prioritizes the stakeholder groups to determine which ones are most important to the Corporation. The Corporation considers individuals/entities like investors, KMP & employees, Government, Regulators and value chain partners with whom it engages in conducting its business as its Key Stakeholders.

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/No)	Channels of Communication	Frequency of Engagement	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
Employees	No	Town Hall by Senior leadership	On a need basis	The interaction aims to create awareness about organization's journey, achievements, and values while reinforcing pride and unity among employees. It is an opportunity to share future vision and strategic direction, ensuring alignment across the workforce. Town hall motivates employees through recognition and transparent communication, strengthening trust and engagement. It also helps to keep employees updated on Organisation's performance, Learning and development initiatives and management of their performance.
		Go live session for internal communication	On a need basis	
Shareholders & investors	No	Financial statements shared on Stock Exchanges, website of the Corporation and newspaper publication	Quarterly	Investor Analyst meet / con-calls allow investors to interact with the management on Corporation's Financial & Operational performance. The Corporation has dedicated email id to engage with shareholders to resolve their queries and grievances. Also, shareholders raise their queries directly with the Board & Management in the AGM.
		Annual Report	Annually	
		AGM	Annually	
		Investor/Analyst Meet	On a need basis	
		Press conferences and media releases	On a need basis	
		Corporation Website	www.gicre.in	
		Dedicated email for Investor grievances	investors.gic@gicre.in	

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/No)	Channels of Communication	Frequency of Engagement	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
Customers	No	Dedicated email specific to line of business/geography Face to face engagements Website	On a need basis	Business procurement, conversion and servicing
Government & Regulatory Bodies	No	Following as applicable under the prevailing laws: 1. Submission of reports and returns 2. Directives and circulars 3. Written communication 4. Stock Exchange filings 5. Policy advocacy	On a need basis	The Corporation is a Government of India Company, is regulated by IRDAI and SEBI and is required to comply with different circulars and orders issued by the Regulatory Bodies from time to time.
Communities and NGOs	Yes	Meetings and discussions Employee Volunteering Programme Community Programmes	Ongoing	Interactions aim at grasping community needs for enhancing CSR initiatives.

Leadership Indicators

1. **Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.**

   Senior executives of the Corporation periodically engage with both internal and external stakeholders and insights gathered from such engagements are factored in during decision making. The Stakeholders Relationship Committee of the Corporation periodically reviews matters concerning shareholders and investors, ensuring timely resolution of grievances. The CSR Committee of the Corporation periodically monitors implementation of CSR initiatives of the Corporation, benefiting various local communities. Regular updates are also provided to the Board through reports placed in the meetings. ESG Steering Committee reviews the overall implementation of Environmental, Social & Governance framework of the Corporation.

2. **Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.**

   The CSR Initiatives of the Corporation includes focus on education, healthcare, development of backward regions, and uplifting the marginalized and under- privileged sections of the society. NGOs gather feedback and assess CSR Projects impact and accordingly, reports on Impact assessment are submitted to Board. Employee feedback has led to the Updation in Benefits policy for core and non-core benefits. Grievances and queries raised by the Shareholders and status of resolution are placed before the Stakeholders Relationship Committee of the Board. Queries may include environment, social topics, if any. The Corporation has adopted Board approved ESG policy to ensure the integration of Environmental, Social and Governance considerations into the Corporation's business, operations, investments and policies.

3. **Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalized stakeholder groups.**

   The CSR Initiatives of GIC Re focusses on protecting the environment and supporting sustainable development. Key efforts include building an inclusive resource centre for persons with disabilities in Dharwad, Karnataka, sustainable recycling of end of life solar PV modules, transforming 20 government schools to enhance education, health, hygiene, and play for holistic child development. The initiatives also emphasize Natural Resource Management, Education, Agriculture, and Rural Development, with special focus on marginalized and underprivileged communities.

PRINCIPLE 5: BUSINESSES SHOULD RESPECT AND PROMOTE HUMAN RIGHTS

Essential Indicators

1. **Employees who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity, in the following format:**

Category	FY 2025-26 Current Financial Year			FY 2024-25 Previous Financial Year		
	Total (A)	No. of employees / workers covered (B)	% (B / A)	Total (C)	No. of employees/ workers covered (D)	% (D / C)
Employees						
Permanent	418	154	36.84%	401	26	6.48%
Other than permanent	85	51	60%	48	35	72.91%
Total Employees	**503**	**205**	**40.76%**	**449**	**61**	**13.59%**
Workers						
Permanent	NA					
Other than permanent						
Total Workers						

2. **Details of minimum wages paid to employees, in the following format:**

Category	FY 2025-26 Current Financial Year					FY 2024-25 Previous Financial Year				
	Total (A)	Equal Minimum Wage	to	More than Minimum Wage		Total (D)	Equal Minimum Wage	to	More than Minimum Wage	
		No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)		No. (E)	% (E / D)	No. (F)	% (F / D)
Employees										
Permanent										
Male	269	-	-	269	100%	260	-	-	260	100%
Female	149	-	-	149	100%	141	-	-	141	100%
Other Permanent										
Male	52	-	-	52	100%	32	-	-	32	100%
Female	33	-	-	33	100%	16	-	-	16	100%
Workers										
Permanent	NA									
Male										
Female										
Other Permanent										
Male										
Female										

3. Details of remuneration/salary/wages

a. Median remuneration/ wages (as on 31.03.2026):

	Male		Female	
	Number	Median remuneration/ salary/ wages of respective category (₹)	Number	Median remuneration/ salary/ wages of respective category (₹)
Board of Directors (BoD)	1	53,92,180.88	1	61,84,320.63
Key Managerial Personnel*	7	68,09,286.30	2	58,26,683.03
Employees other than BoD and KMP	315	27,22,934.93	179	28,52,392.34
Workers	NA			

**KMP excludes BoD*

(b) Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity, in the following format:

Particulars	FY 2025-26 (₹)	FY 2024-25 (₹)
Gross wages paid to females	56,95,61,291.15	36,19,05,399.77
Total wages	1,45,66,07,282.22	99,45,31,817.48
Gross wages paid to females as % total wages	39.10%	36.39%

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/No)

Yes, the Corporation has a robust Complaint Handling policy along with the Vigil Mechanism/Whistle Blower Policy and employees are encouraged to raise any of their concerns anonymously. Complaints can be lodged by writing directly to the Chairman cum Managing Director (CMD), Chairman (Ethics Committee of the Board), Chairman (Audit Committee of the Board), the Head of the Department concerned or the Chief Vigilance Officer (CVO) at their office address. Complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informer (PIDPI) can be made only by post, directly to the Central Vigilance Commission (CVC). GIC Re has constituted the Internal Complaints Committee (ICC) under the Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace-Policy to address sexual harassment cases.

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.

The General Insurance (Conduct, Discipline and Appeal) Rules, 2014 and Vigil Mechanism/Whistle Blower Policy are applicable to all employees of the Corporation and outline ethical business practices and responsible conduct. All stakeholders, including employees and partners, are encouraged to report any suspected or actual breaches of the Code, Corporation's policies, or the law. We have a Complaint Handling Policy to address issues on conditions of work or employment that affect employees personally. There is a structured investigation process with laid down roles and responsibilities, accountabilities and appeal mechanism.

6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	FY 2025-26 Current Financial Year			FY 2024-25 Previous Financial Year		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Sexual Harassment	0	0	-	0	0	-
Discrimination at workplace	1	0	The complaint was closed in March 2026.	0	0	

	FY 2025-26 Current Financial Year			FY 2024-25 Previous Financial Year		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Child Labour	0	0		0	0	
Forced Labour/ Involuntary Labour	0	0		0	0	
Wages	0	0		0	0	
Other human Rights related issues	0	0		0	0	

7. Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, in the following format:

	FY 2025-26	FY 2024-25
Total complaints reported under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH)	0	0
Complaints on POSH as a % of female employees/workers	0	0
Complaints on POSH upheld	0	0

8. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

We place great emphasis on ensuring that members of our POSH (Prevention of Sexual Harassment) and Ethics Committees are well-informed and educated on the importance of confidentiality. We have a zero-tolerance policy towards any form of retaliation against individuals who report legitimate concerns, and anyone found to be targeting such individuals will be subject to disciplinary action. Members of the POSH and Ethics Committee receive training and sensitization to prevent retaliation and reassure complainants that they can report concerns without fear. Where required, complainants are also provided options such as to change teams, locations or even take extended leave upon request.

9. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No)

The Corporation primarily undertakes procurement through the Government e-Marketplace (GeM), which requires registered Vendors/service providers to comply with applicable legal, labour, health, safety, and ethical business requirements. Accordingly, the Corporation relies on the compliance framework embedded within the GeM platform and expects its Vendors/Service providers to adhere to all applicable statutory obligations.

Further, the Corporation does not engage in or tolerate any form of child labour/forced labour/involuntary labour and does not adopt any discriminatory employment practices.

10. Assessments for the year

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child labour	0.00%
Forced/involuntary labour	0.00%
Sexual harassment	0.00%
Discrimination at workplace	0.00%
Wages	0.00%
Others – please specify	0.00%

11. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 10 above.

Not applicable

Leadership Indicators

1. **Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/complaints.**

   The Corporation has established an effective mechanism to address grievances/complaints and ensure appropriate actions are taken wherever required. All Corporation policies are authorised by the Board/Board Committees/senior management and are regularly subjected to internal audits and reviews.

2. **Details of the scope and coverage of any Human rights due diligence conducted.**

   NIL

3. **Is the premise/office of the entity accessible to differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?**

   Yes, the workplaces where differently abled employees work, are equipped with the necessary accessibility provisions to differently abled visitors also.

4. **Details on assessment of value chain partners:**

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Sexual Harassment	0.00%
Discrimination at workplace	0.00%
Child Labour	0.00%
Forced Labour/Involuntary Labour	0.00%
Wages	0.00%
Others – please specify	0.00%

Note: *Vendors/service providers are expected to have ethical and human right policies in place and appropriate procedures for handling breaches of these policies. The Corporation does not engage in or tolerate any form of child labour/forced labour/involuntary labour and does not adopt any discriminatory employment practices.*

5. **Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above.**

   Not applicable

PRINCIPLE 6: BUSINESSES SHOULD RESPECT AND MAKE EFFORTS TO PROTECT AND RESTORE THE ENVIRONMENT

Essential Indicators

1. **Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:**

Parameter	Unit	FY 2025-26 (Current Financial Year)	FY 2024-25 (Previous Financial Year)
From renewable sources			
Total electricity consumption (A)	Gigajoules	0	0
Total Fuel Consumption (B)	Gigajoules	0	0
Energy consumption through other sources (C)	Gigajoules	0	0
Total energy consumption (A+B+C)	Gigajoules	0	0
From non-renewable sources			
Total electricity consumption (D)	Gigajoules	3284.64 GJ	3794.10 GJ
Total Fuel Consumption (E)	Gigajoules	216.94 GJ	268.99 GJ
Energy consumption through other sources (F)	Gigajoules	Nil	Nil

Parameter	Unit	FY 2025-26 (Current Financial Year)	FY 2024-25 (Previous Financial Year)
Total energy consumption (D+E+F)	Gigajoules	3501.58 GJ	4063.09 GJ
Total energy consumed (A+B+C+D+E+F)	Gigajoules	3501.58 GJ	4063.09 GJ
Energy intensity per rupee of turnover *(Total energy consumption/turnover in rupees)*	Gigajoules/Million ₹ of turnover	0.01	0.01
Energy intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total energy consumed / Revenue from operations adjusted for PPP	Gigajoules/Million turnover in USD adjusted for PPP	0.16	0.20
Energy intensity in terms of physical output	--	--	--
Energy intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	Gigajoules / Headcount	6.96	9.05

Notes: *i) Turnover is considered as Gross Premium for respective years*

ii) Basis / Benchmark for Intensity ratio computation: Employee count is taken as year-end employee count.

iii) PPP conversion rate is considered based on latest available International Monetary Fund (IMF) publication (https:J/www.imf.org/external/datamapper/PPPEX@WEO/OEMOC/INO) for respective year (FY2026 - 20.34 INR/USD and FY2025- 20.66 INR/USD)

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Yes, reasonable assurance has been carried out by M/s. Ragini Chokshi & Co. for BRSR Core as per SEBI guidelines.

2. **Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any:**

   No

3. **Provide details of the following disclosures related to water, in the following format:**

Parameter	FY 2025-26 (Current Financial Year)	FY 2024-25 (Previous Financial Year)
Water withdrawal by source (in kilolitres):		
(i) Surface water	NA	NA
(ii) Groundwater	NA	NA
(iii) Third party water	5140 Kl	5935 Kl
(iv) Seawater / desalinated water	NA	NA
(v) Others	NA	NA
Total volume of water withdrawal (in kilolitres) (i + ii + iii + iv + v)	5140 Kl	5935 Kl
Total volume of water consumption (in kilolitres)	5140 Kl	5935 Kl
Water intensity per rupee of turnover (Total water consumption/ Revenue from operations)	0.01	0.01
Water intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total water consumption / Revenue from operations adjusted for PPP)	0.24	0.30
Water intensity in terms of physical output	--	--
Water intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	10.22	13.22

Notes :

i) Turnover is considered as Gross Premium for respective years

ii) Basis / Benchmark for Intensity ratio computation: Employee count is taken as year-end employee count.

iii) PPP conversion rate is considered based on latest available International Monetary Fund (IMF) publication (https:J/www.imf.org/external/datamapper/ PPPEX@WEO/OEMOC/INO) for respective year (FY2026 - 20.34 INR/USD and FY2025- 20.66 INR/USD)

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Yes, reasonable assurance has been carried out by M/s. Ragini Chokshi & Co. for BRSR Core as per SEBI guidelines.

4. Provide the following details related to water discharged.

Parameter	FY 2025-26	FY 2024-25
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) To Surface water	0	0
- No treatment	0	0
- With treatment – please specify level of treatment	0	0
(ii) To Groundwater	0	0
- No treatment	0	0
- With treatment – please specify level of treatment	0	0
(iii) To Seawater	0	0
- No treatment	0	0
- With treatment – please specify level of treatment	0	0
(iv) Sent to third-parties	0	0
- No treatment	0	0
- With treatment – please specify level of treatment	0	0
(v) Others	0	0
- No treatment	0	0
- With treatment – please specify level of treatment	0	0
Total water discharged (in kilolitres)	0	0

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency

Yes, reasonable assurance has been carried out by M/s. Ragini Chokshi & Co. for BRSR Core as per SEBI guidelines.

5. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.

As the Corporation has only 3 offices in India, wastewater discharge is very minimal. All wastewater produced is discharged into municipal sewers which is treated by the Municipal authorities.

6. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity, in the following format:

Parameter	Please specify unit	FY 2025-26	FY 2024-25
NOx	--	Not Applicable owing to the nature of the operations of the Corporation	
SOx	--		
Particulate matter (PM)	--		
Persistent organic pollutants (POP)	--		
Volatile organic compounds (VOC)	--		
Hazardous air pollutants (HAP)	--		
Others- please specify	--		

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency

Yes, reasonable assurance has been carried out by M/s. Ragini Chokshi & Co. for BRSR Core as per SEBI guidelines

7. Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity, in the following format:

Parameter	Unit	FY 2025-26	FY 2024-25
Total Scope 1 emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	Metric tonnes of CO2 equivalent	12.27	15.21
Total Scope 2 emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	Metric tonnes of CO2 equivalent	740.08	766.26
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from operations)	Metric tonnes of CO2 equivalent/Million rupees of turnover	0.002	0.002
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from operations adjusted for PPP	Metric Tonne CO2 equivalent/Million turnover in USD adjusted for PPP	0.035	0.039
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output	--	--	--
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	Metric Tonne CO2 equivalent / Headcount	1.50	1.74

Notes: i) This indicator was not reported in FY 2024-25 and it is now included as part of our enhanced disclosure practices.

ii) Turnover is considered as Gross Premium for respective years

iii) Basis / Benchmark for Intensity ratio computation: Employee count is taken as year-end employee count.

iv) PPP conversion rate is considered based on latest available International Monetary Fund (IMF) publication (https:J/www.imf.org/external/datamapper/PPPEX@WEO/OEMOC/INO) for respective year (FY2026 - 20.34 INR/USD and FY2025- 20.66 INR/USD)

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Yes, reasonable assurance has been carried out by M/s. Ragini Chokshi & Co. for BRSR Core as per SEBI guidelines.

8. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If Yes, then provide details.

No, the Corporation does not have any project related to reducing Green House Gas Emission.

9. Provide details related to waste management by the entity, in the following format:

Parameter	FY 2025-26	FY 2024-25
Total Waste generated (in metric tonnes)		
Plastic waste **(A)**	0	0
E-waste **(B)**	0	1.8 metric tonnes
Bio-medical waste **(C)**	0	0
Construction and demolition waste **(D)**	0	0
Battery waste **(E)**	0	0
Radioactive waste **(F)**	0	0
Other Hazardous waste. Please specify, if any. **(G)**	0	0
Other Non-hazardous waste generated **(H)**. Please specify, if any. (Break-up by composition i.e. by materials relevant to the sector)	0	0
Total (A+B + C + D + E + F + G + H)	0	1.8 metric tonnes
Waste intensity per rupee of turnover (Total waste generated/Turnover (Revenue from Operations)) (Total waste generated / billion revenue from operations)	0	0.0044

Parameter	FY 2025-26	FY 2024-25
Waste intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total waste generated/Turnover (Revenue from Operations) adjusted for PPP) (Total waste generated / billion USD of revenue from operations adjusted for PPP)	0	0.09
Waste intensity in terms of physical output	--	--
Waste intensity (optional) - the relevant metric may be selected by the entity	0.00	0.00
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
Category of waste		
(i) Recycled	0	1.8
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	0	1.8
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste	-	-
(i) Incineration	-	-
(ii) Landfilling	-	-
(iii) Other disposal operations	-	-
Total	-	-

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Yes, reasonable assurance has been carried out by M/s. Ragini Chokshi & Co. for BRSR Core as per SEBI guidelines.

10. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

No hazardous or toxic chemicals are used by the Corporation in any way.

11. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details in the following format:

Sr. No	Location of operations/offices	Type of operations	Whether the conditions of environmental approval/ clearance are being complied with? (Y/N) If no, the reasons thereof and corrective action taken, if any.
Not applicable			

12. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year:

Name and brief details of project	EIA Notification No.	Date	Whether conducted by independent external agency (Yes / No)	Results communicated in public domain (Yes / No)	Relevant Web link
Not applicable					

13. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment Protection Act and rules thereunder (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances, in the following format:

S. No.	Specify the law / regulation / guidelines which was not complied with	Provide details of the non-compliance	Any fines / penalties / action taken by regulatory agencies such as pollution control boards or by courts	Corrective action taken, if any
Not applicable				

Leadership Indicators

1. Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres): Not Applicable

For each facility / plant located in areas of water stress, provide the following information:

(i) Name of the area

(ii) Nature of operations

(iii) Water withdrawal, consumption and discharge in the following format

Parameter	FY 2025-26 (Current Financial Year)	FY 2024-25 (Previous Financial Year)
Water withdrawal by source (in kilolitres)		
(i) Surface water	-	-
(ii) Groundwater		
(iii) Third party water		
(iv) Seawater / desalinated water		
(v) Others		
Total volume of water withdrawal (in kilolitres)		
Total volume of water consumption (in kilolitres)		
Water intensity per rupee of turnover (Water consumed / turnover)		
Water intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity		
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) Into Surface water	-	-
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(ii) Into Groundwater		
- No treatment		
- With treatment – please specifylevel of treatment		
(iii) Into Seawater		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(iv) Sent to third-parties		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		

Parameter	FY 2025-26 (Current Financial Year)	FY 2024-25 (Previous Financial Year)
(v) Others	-	-
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
Total water discharged (in kilolitres)		

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.
Yes, reasonable assurance has been carried out by M/s. Ragini Chokshi & Co. for BRSR Core as per SEBI guidelines.

2. Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity, in the following format:

Parameter	Unit	FY 2025-26 (Current Financial Year)	FY 2024-25 (Previous Financial Year)
Total Scope 3 emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	Metric tonnes of CO2 equivalent	-	-
Total Scope 3 emissions per rupee of turnover		-	-
Total Scope 3 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity		-	-

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.
Yes, reasonable assurance has been carried out by M/s. Ragini Chokshi & Co. for BRSR Core as per SEBI guidelines.

3. With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 11 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along-with prevention and remediation activities.

Not Applicable

4. If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives, as per the following format:

Sr. No.	Initiative undertaken	Details of the initiative (Web-link, if any, may be provided along-with summary)	Outcome of the initiative
NA			

5. Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words/ web link.

The Corporation has a Business Continuity Plan (BCP) in place. As part of its allied activities, the ERM department annually reviews the Business Continuity Plan and Business Impact assessment (BIA) which aims at providing continuity of services at a defined minimum acceptable level of critical functions and to safeguard the financial, competitive and reputational position in the short and medium term.

The Business Continuity Procedural Manual defines a structure for managing a business interruption, outlines a methodology for communicating and coordinating internal and customer related recovery tasks, and provides information and procedures required for GIC Re departments to recover mission critical and critical business functions / processes within required time frames. A Business Impact Analysis (BIA) is performed annually that identifies the business functions / processes deemed mission critical and critical for sustaining the business service. A drill is also conducted annually at an Alternate Site to create awareness and ensure preparedness among the Critical Resource Team and other Business Continuity Teams in time of emergency. The Business Continuity Procedural Manual is available to all employees through the Corporation's intranet.

6. **Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard.**

   Given the nature of business, there has been no adverse impact on environment.

7. **Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts**

   0.00%

8. **How many Green Credits have been generated or procured by the listed entity and its top ten value-chain partners:**

   Nil

PRINCIPLE 7: BUSINESSES, WHEN ENGAGING IN INFLUENCING PUBLIC AND REGULATORY POLICY, SHOULD DO SO IN A MANNER THAT IS RESPONSIBLE AND TRANSPARENT

Essential Indicators

1. **a. Number of affiliations with trade and industry chambers / associations: 8**

   b. List the top 8 trade and industry chambers / associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of / affiliated to.

Sr. No.	Name of the trade and industry chambers/ associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National)
1	Association of Insurers & Reinsurers of Developing Countries INC.	International
2	Singapore Reinsurers Association	International
3	International Union of Aerospace Insurers	International
4	General Insurance Council	National
5	Federation of Afro-Asian Insurers & Reinsurers (FAIR)	International
6	The Associated Chambers of Commerce Industry of India (ASSOCHAM)	International
7	Indian Merchants Chamber	International
8	Federation of Indian Chamber of Commerce & Industry (FICCI)	International

2. **Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anticompetitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.**

   Not applicable

Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

S. No.	Public policy advocated	Method resorted for such advocacy	Whether information available in public domain? (Yes/No)	Frequency of Review by Board (Annually/ Half yearly/ Quarterly / Others – please specify)	Web Link, if available
Not applicable as the Corporation did not engage in public advocacy during the reporting period.					

PRINCIPLE 8: BUSINESSES SHOULD PROMOTE INCLUSIVE GROWTH AND EQUITABLE DEVELOPMENT

Essential Indicators

1. Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.

Name and brief details of project	SIA Notification No.	Date of notification	Whether conducted by independent external agency (Yes / No)	Results communicated in public domain (Yes / No)	Relevant Web link
Mahesh Foundation	GIC-HO/CSR/ RFP/132/2025-26	04.02.2026	Yes	Yes	https://www.gicre.in/images/2026/Impact_Assessment_Report_Mahesh_Foundation.pdf
Karuna Medical Society	GIC-HO/CSR/ RFP/132/2025-26	04.02.2026	Yes	Yes	https://www.gicre.in/images/2026/Impact_Assessment_Report_Karuna_Hospital.pdf
Rouble Nagi Art Foundation (RNAF)	GIC-HO/CSR/ RFP/132/2025-26	04.02.2026	Yes	Yes	https://www.gicre.in/images/2026/Impact_Assessment_Report_Rouble_Nagi_Art_Foundation.pdf

2 Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity, in the following format:

S. No.	Name of the Project for which R&R is going	State	District	No. of Project Affected Families (PAFs)	%of PAFs covered by R&R	Amount in INR (in Lakhs)
1	Hosabelaku Seva Trust	Karnataka	Udupi	Construction of a rehabilitation center exclusively for women affected by endosulfan, a toxic pesticide with devastating effects, particularly on unborn children, resulting in thousands of births with severe physical and developmental disabilities (150*).	100%	583.01
2	Samarthanam Trust for the Disabled	Karnataka	Dharwad	Construction of an accessible and inclusive resource center to promote empowerment of persons with disability and marginalized milieu (5000*).	100%	1134.32
3	Village Welfare Society	West Bengal	Howrah	Construction of Building (1st Floor) with all necessary requirements: Old Age Home for vulnerable Women (100*).	100%	241.02
4	Suhit Jeevan Trust	Maharashtra	Raigad	Infrastructure Development for Inclusive Education & Safety - Construction of a Dedicated Early Intervention & Therapy Floor for Children with Intellectual & Developmental Disabilities (165*).	100%	342.05

**The figures mentioned represent the total no. of beneficiaries covered under each CSR project and not the no. of PAFs.*

3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.

We have a grievance redressal mechanism which covers all our stakeholders. Our 24x7 grievance cell allows beneficiaries and affected community members to seek prompt redressal. Additionally, we have an actionable internal structure in place to ensure time-bound resolution of issues, complaints, and grievances.

4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:

	FY 2025-26 Current Financial Year	FY 2024-25 Current Previous Year
Directly sourced from MSMEs/ small producers	0.00%	0.00%
Directly from within India	0.00%	0.00%

5 Job creation in smaller towns – Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent / on contract basis) in the following locations, as % of total wage cost:

Not applicable (No new office started in any location during the year and accordingly no new job created).

Location	FY 2025-26	FY 2024-25
Rural	--	--
Semi- urban	--	--
Urban	--	--
Metropolitan	--	--

(Place to be categorized as per RBI Classification System - rural / semi-urban / urban / metropolitan)

Leadership Indicators

1. Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above):

Details of negative social impact identified	Corrective action taken
Nil	Nil

2. Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in the designated aspirational districts as identified by government bodies:

S. No.	State	Aspirational District	Amount Spent in ₹ (in Lakhs)
1.	Chhattisgarh	Rajnandgaon	50.00
2.	Chhattisgarh	Korba	50.00
3.	Uttar Pradesh	Sonbhadra	50.00
4.	Uttar Pradesh	Balrampur	50.00
5.	Madhya Pradesh	Singarauli	50.00
6.	Jharkhand	Gumla	50.00
7.	Jharkhand	Palamu	50.00
8.	Tripura	Dhalai	50.00
9.	Meghalaya	Ribhoi	50.00
10.	Mizoram	Mamit	50.00
11.	Nagaland	Kiphire	50.00
12.	Sikkim	West Sikkim	50.00
13.	Haryana	Mewat	50.00
14.	Rajasthan	Dholpur	50.00

S. No.	State	Aspirational District	Amount Spent in ₹ (in Lakhs)
15.	Punjab	Moga	50.00
16.	Jharkhand	Giridih	208.52
17.	Madhya Pradesh	Guna	950.73
18.	Bihar	Muzaffarpur	133.55
19.	Maharashtra	Washim	242.00

3. (a) Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups?

No. The Corporation follows the Procurement Guidelines as mandated by the Department of Expenditure, Ministry of Finance.

(b) From which marginalized /vulnerable groups do you procure

(c) What percentage of total procurement (by value) does it constitute?

The Corporation follows the Procurement Guidelines as mandated by the Department of Expenditure, Ministry of Finance.

4. Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge:

Sr. No	Intellectual property based on traditional knowledge	Owned/acquired (Yes/No)	Benefit shared (Yes/No)	Basis of calculating benefit shared
Not applicable, the Corporation has not acquired or owned any intellectual properties during the reporting period.				

5. Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved.

Name of the Authority	Brief of the case	Corrective action taken
Not applicable		

6. Details of beneficiaries of CSR Projects:

Sr. No.	CSR Project	No. of persons benefitted from CSR projects	% of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups
1.	Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO)	8000	100%
2.	AROH Foundation	10,200	100%
3.	PRAVAH	2755	100%
4.	Human Organisation for Patronisation of Environment (HOPE)	50,000+	100%
5.	Cancer Patients Aids Association (CPAA)	76	100%
6.	End Poverty	30,000	100%
7.	Jain Medical Dialysis Center	12000	100%
8.	Manthan Sansthan	32,800	100%
9.	Samarthanam Trust for the Disabled	5000	100%
10.	Hosabelaku Seva Trust	150	100%
11.	IIT Mandi	It is an environment sustainable program expected to benefit society at large (300).	100%
12.	National Sports Development Fund (NSDF)	2500+	100%

Sr. No.	CSR Project	No. of persons benefitted from CSR projects	% of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups
13.	Advanced Centre for Treatment, Research and Education in Cancer (ACTREC)	56 (numbers to be increased)	100%
14.	Shri Peetambara Shiksha Samiti	Community hospital, expected to benefit large number of beneficiaries (12767)	100%
15.	Jan Mitram Kalyan Samiti	11000+	100%
16.	Village Welfare Society	100	100%
17.	Bisnouli Sarvodya Gramodyog Sewa Sansthan	20,000+	100%
18.	Population Services International (PSI) India	20,000+	100%
19.	GRMD Foundation	200	100%
20.	Suhit Jeevan Trust	165+	100%
21.	Integrated Institute for Disabled	150+	100%
22.	Narayan Thakursing Rathod Charitable Foundation Trust (NTR) Trust	14,10,000	100%
23.	India Vision Institute	3884	100%

PRINCIPLE 9: BUSINESSES SHOULD ENGAGE WITH AND PROVIDE VALUE TO THEIR CONSUMERS IN A RESPONSIBLE MANNER

Essential Indicators

1. Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.

Under the Complaint Handling policy- all complaints can be lodged in GIC by writing directly to the Chairman cum Managing Director (CMD), Chairman (Ethics Committee of the Board), Chairman (Audit Committee of the Board), the Head of the Department concerned or the Chief Vigilance Officer (CVO) at their office address. Complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informer (PIDPI) can be made only by post, directly to the Central Vigilance Commission (CVC).

2. Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:

	As a percentage to total turnover
Environmental and social parameters relevant to the product	0.00%
Safe and responsible usage	0.00%
Recycling and/ or safe disposal	0.00%

3. Number of consumer complaints in respect of the following:

	FY 2025-26		Remarks	FY 2024-25		Remarks
	Received during the year	Pending resolution at end of year		Received during the year	Pending resolution at end of year	
Data privacy	0	0	--	0	0	--
Advertising	0	0	--	0	0	--
Cyber-security	0	0	--	0	0	--
Delivery of essential services	0	0	--	0	0	--
Restrictive Trade Practices	0	0	--	0	0	--

	FY 2025-26		Remarks	FY 2024-25		Remarks
	Received during the year	Pending resolution at end of year		Received during the year	Pending resolution at end of year	
Unfair Trade Practices	0	0	--	0	0	--
Other	0	0	--	0	0	--

4. **Details of instances of product recalls on account of safety issues:**

	Number	Reason for recall
Voluntary recalls	0	
Forced recalls		

5. **Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.**

   Yes, the Corporation has an Information Security Policy which is accessible to all employees through the intranet. This policy covers security concerns in both business processes and organisational aspects. It is designed to establish basic guidelines and regulations for accessing, using, classifying, and disposing of information assets belonging to GIC Re. The policy is managed by the Office of the CISO (Chief Information Security Officer) of the Corporation and applies to all authorized users who have access to any information assets belonging to GIC Re, regardless of the geographic location of the user or the Corporation's operation.

   The organization has an Information Security Risk Management Committee (ISRMC) headed by a senior-level executive with a reporting line to the Board to take overall responsibility for the information security governance framework. Members of ISRMC include functional heads from Finance, Compliance, Risk, Information Technology, Re-Insurance, HR & Office Service Department.

6. **Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty / action taken by regulatory authorities on safety of products / services.**

   There was no penalty or action taken by regulatory authorities during the reporting period.

7. **Provide the following information relating to data breaches:**
   a. Number of instances of data breaches – 0
   b. Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers- 0.00%
   c. Impact, if any, of the data breaches- Not applicable

Leadership Indicators

1. **Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).**

   https://www.gicre.in/en/

2. **Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.**

   Not Applicable, as the Corporation is operating a B2B model.

3. **Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.**

   Not Applicable, as the Corporation is operating a B2B model.

4. **Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? (Yes/No/ Not Applicable) If yes, provide details in brief. Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/No)**

   Not Applicable, as the Corporation is operating B2B model.



INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of General Insurance Corporation of India

Report on the Audit of Standalone Financial Statements

OPINION

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of General Insurance Corporation of India ("the Corporation" or "the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2026, the Revenue Accounts of Fire, Miscellaneous, Marine and Life Insurance (collectively known as "Revenue Accounts"), Profit and Loss Account, the Cash Flow statement for the year ended on that date and notes to the Standalone Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated financial information of three foreign branches and one domestic branch audited by branch auditors. The Company's branches are listed in Appendix 1.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, based on the consideration of the reports of the branch auditors as referred to in paragraph 6 of this report, we report that the aforesaid Standalone Financial Statements:

   a. give the information required in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 ("the Insurance Act"), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 ("the IRDAI Act"), the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 ("the Regulations"), the Companies Act, 2013 ("the Act") including the Accounting Standard specified under section 133 of the Act and Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") to the extent applicable and in manner so required; and

   b. give a true and fair view, in conformity with the accounting principles generally accepted in India as applicable to the Insurance Companies, of state of affairs of the Corporation as on March 31, 2026, surplus/(deficit) of Revenue Accounts of Fire, Miscellaneous, Marine and Life business, in case of Profit and Loss Account of the profit for the year ended on that date and its Cash Flows for the year ended on that date.

BASIS FOR OPINION

3. We conducted our audit of the Standalone Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs), as specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements' section of our report. We are independent of the Company in accordance with the 'Code of Ethics' issued by ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained together with the audit evidence obtained by the other auditors including the branch auditors in terms of their reports referred to in paragraph 6 of the Other Matters section below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the Standalone Financial Statements.

KEY AUDIT MATTERS

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, and based on the consideration of the reports of the branch auditors as referred to paragraph 6 below, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

5. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Sr. No.	Key Audit Matters	How our Audit addressed the Key Audit Matter
a.	**Revenue Recognition:** The Corporation recognizes reinsurance premium income based on the statement of accounts or closing statements received from the ceding companies. At the year end, estimates are made for the accounts not received based on the Estimated Premium Income (EPI) agreed upon by both the Corporation and the Ceding Companies at the time of inception of the treaty or policy slip. Premium estimation is the differential of EPI and the booked premium for the Corporation. Estimation of Income can be considered reasonable only when the factors involved in premium estimation are extracted correctly from the IT accounting system.	**Our audit procedures on revenue recognized included:** • Tested the design, implementation and operating effectiveness of key controls over Revenue Recognition. • Verified Premium Estimation with the guidelines of the Corporation and have performed test of controls, test of details and analytical review procedures on estimation of income. • Verified EPI from the treaty or policy slip as the case may be and verified Actual Premium booked from Statement of Accounts or Closing statements received from the Cedants on the sample basis.
b.	**Claim Provisioning:** Insurance Claim is the major area of expense for the insurance company. Total claims incurred include paid claims, Outstanding Loss Reserve (OSLR) and Claims Incurred But Not (Enough) Reported (IBNER). The Provision and payment of claims was considered to be one of the areas which required significant auditor attention and was one of the matters of most significance in the Standalone Financial Statements as the quantum involved is significant	**Our audit procedures on claim provisioning included:** • Verified guidelines of the Corporation relating to claim processing, have performed test of controls, test of details and analytical review procedures on the outstanding claims. Verified the claim paid and provision created on sample basis with payment proof and Preliminary Loss advice received from the Cedant Company and the same is further verified from the surveyor's report. • For the claim cases which has been incurred but not reported and cases in which claim has been reported but not enough reported, these cases have been captured by the actuaries appointed by the Corporation. The Actuarial valuation of liability in respect of Claims Incurred but Not Reported (IBNR) and those Incurred But Not Enough Reported (IBNER) as at March 31, 2026, is as certified by the Corporation's Appointed Actuaries and we have verified the amounts and the related liability, based on such report. We have placed our reliance on the Actuarial Certificate issued by the Corporation's Appointed Actuaries.
c.	**Valuation of Investments:** The Corporation's investments represent a substantial portion of the assets as of March 31, 2026, which are to be valued in accordance with accounting policy framed as per the extent of the regulatory guidelines. The valuation of all investments should be as per the investment policy framed by the Company which in turn should be in line with IRDAI Investment Regulations and Preparation of Financial Statement Regulations. The valuation methodology specified in the regulation is to be used for each class of investment.	**Our audit procedures on Investment included the following:** • Understood Management's process and controls to ensure proper classification and valuation of Investment. • Verified and obtained appropriate external confirmations and/or Statements for availability and ownership rights related to these investments. • Tested the design, implementation, management oversight and operating effectiveness of key controls over the classification and valuation process of investments.

Sr. No.	Key Audit Matters	How our Audit addressed the Key Audit Matter
	The Company has a policy framework for Valuation and impairment of Investments. The Company performs an impairment review of its investments periodically and recognizes impairment charge when the investments meet the trigger/s for impairment provision as per the criteria set out in the investment policy of the Company. Further, the assessment of impairment involves significant management judgment. The classification and valuation of these investments was considered one of the matters of material significance in the audit of Standalone Financial Statements due to the materiality of the total value of investments to the Standalone Financial Statements.	• Test-checked valuation of different class of investments to assess appropriateness of the valuation methodologies with reference to IRDAI Investment Regulations along with Company's own investment policy. • Reviewed the Company's impairment policy and assessed the adequacy of its impairment charge on investments outstanding at the Year end. • Based on procedures above, we found the company's impairment, valuation, and classification of investments in its Standalone Financial Statements in all material respects to be fair.
d.	**Ascertainment, disclosure and Provisions of contingent liabilities:** The Company has material uncertain tax matters, both direct and indirect, under disputes involving considerable demand raised on the Company which require significant judgment to determine the possible outcome of these disputes. Additionally, the Company has other ongoing legal matters relating to various claims not acknowledged as debts which require application of management judgement in order to determine the likely outcome. Management's disclosures with regards to provisions and contingent liabilities relating to ongoing litigation are presented in Note No. 45 to the Company's Standalone Financial Statements. The assessment of whether a liability is recognised as a provision or disclosed as a contingent liability in the Standalone Financial Statements is inherently subjective and requires significant management judgement in determination of the cash outflows from the business, interpretation of applicable laws and regulations, and careful examination of pending assessments at various levels of regulatory authorities. Since the amounts involved are significant and due to the range of possible outcomes leading to high estimation uncertainty that requires significant management and auditor judgement, this matter is considered to be a key audit matter for the current year audit.	**Our audit procedures included, but were not limited to the following:** • Obtained understanding of the process of identification and measurement of provisions and contingent liabilities relating to ongoing litigations implemented by the management, through various discussions held with company's legal and finance personnel. • Tested the design and operating effectiveness of the controls put in place by the management in relation to assessment of the outcome of the pending litigations at various level of regulatory authorities and judicial hierarchy. • Inspected the summary of litigation matters and discussed key developments during the year with the Company's Legal and Finance personnel. • Inspected and evaluated, where applicable, external legal and/or regulatory advice sought by the Company. • Discussed and challenged the management's assessment of the likelihood, magnitude and accounting of any liability that may arise in certain material cases. Accordingly, we reviewed the amount of provisions recognised and contingent liabilities disclosed in the standalone financial statements and exercised our professional judgment to assess appropriateness of such conclusions, involving experts as required. • Evaluated the adequacy of disclosures made in the standalone financial statements in accordance with the applicable accounting standards.

OTHER MATTERS

6. We did not audit the financial information of three foreign branches and one domestic branch included in the Standalone Financial Statements, whose audited financial information reflect total assets (before eliminations) of ₹ 12,84,447 lakhs as at March 31, 2026 and total Premiums earned (Net) (before eliminations) of ₹ 2,50,781 lakhs for the year ended March 31, 2026, as considered in the Standalone Financial Statements. These financial information have been audited by another auditor whose report has been furnished to us and our conclusion on the Standalone Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches is based solely on the report of another auditor.

7. Three branches are located outside India whose financial information have been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in their respective countries and which have been reviewed by other auditors or local management certified under generally accepted auditing standards applicable in their respective countries. The Corporation's management has converted the financial information of such branches located outside India from accounting principles generally accepted in their respective countries to accounting principles generally accepted in India. We have reviewed these conversion adjustments made by the Corporation's management. Our conclusion in so far as it relates to the balances and affairs of such foreign branches located outside India is based on the report of another auditor/management certified accounts and the material conversion adjustments prepared by the management of the Corporation reviewed by us.

8. The Standalone Financial Statements include the financial information of Dubai branch which has intimated the Run-off branch status as per the audited financial information received for the year ended March 31, 2026. The auditors of the branch have also stated that the Branch is not looked upon as a Going Concern in the future as a Portfolio Transfer Agreement has been entered on September 14, 2022, between GIC Gift City Branch and Dubai Branch.

9. The actuarial valuation of liabilities in respect of Incurred But Not Reported (the "IBNR") including Incurred But Not Enough Reported (the "IBNER"), Premium Deficiency Reserve (the "PDR") and Technical Reserves (the "TR") is the responsibility of the Corporation's Appointed Actuaries (the "Appointed Actuaries"). The actuarial valuation of these liabilities, that are estimated using statistical methods, as at March 31, 2026 has been duly certified by the Appointed Actuaries and in their opinion, the assumptions considered by them for such valuations are in accordance with the guidelines and norms issued by the IRDAI and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDAI. We have relied upon the Corporation's Appointed Actuaries' Certificates in this regard for forming our conclusion on the valuation of liabilities for outstanding claims reserves, the PDR and TR contained in the Standalone Financial Statements of the Corporation.

Our report is not modified in respect of the above matters.

INFORMATION OTHER THAN THE FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT THEREON

10. The Corporation's Management and Board of Directors is responsible for preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report including Board's Report and its Annexures, Management Discussion and Analysis, Business Responsibility Report and Report on Corporate Governance, but does not include the Standalone and Consolidated Financial Statements and our auditor's report thereon. This Annual Report and other information are expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

    Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

    In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements, or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matters to those charged with governance.

RESPONSIBILITIES OF THE MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

11. The Corporation's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and receipts and payments of the Company, in accordance with the Act including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act read with relevant rules issued thereunder and accounting principles generally accepted in India, the requirements of the Insurance Act, the IRDAI Act, the Regulations and the orders/directions and circulars issued by the IRDAI in this regard, to the extent applicable and in the manner so required.

12. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the act for safeguarding of the assets of the Corporation and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation & presentation of the Standalone Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

13. In preparing the Standalone Financial Statements, the management is responsible for assessing the ability of the Corporation's to continue as Going Concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, as has no realistic alternative but to do so.

14. The Board of Directors is also responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process.

AUDITOR'S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

15. Our Objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SA's will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

16. As part of an audit in accordance with SA's, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

    - Identify and assess the risks of material misstatements of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud and error, design and perform audit procedures responsive to those risks and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentation, or the override of internal controls.
    - Obtain and understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Corporation has in place an adequate internal financial control systems over financial reporting and the operating effectiveness of such controls.
    - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
    - Conclude on the appropriateness of the management use of going concern basis of accounting and, based on audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Corporation's ability to continue as a going concern. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or condition may cause the Corporation to cease to continue as a going concern.
    - Evaluate the overall presentation, structure and content of Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

17. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

18. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with the relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence and where applicable, related safeguards.

19. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the Key Audit Matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

20. Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that individually or in aggregate makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Standalone Financial Statements.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

21. As required by the Regulations, we have issued a separate certificate dated May 26, 2026, certifying the matters specified in paragraphs 3 and 4 of Part III of Schedule-II to the Regulations.

22. Based on our audit and on the consideration of the reports of the branch auditors as referred to in paragraph 6 above, we report that the provisions of section 197 read with Schedule V to the Act are not applicable to the Company since the Company is a Government company as defined under section 2(45) of the Act. Accordingly, reporting under section 197(16) is not applicable.

23. As required by Section 143(3) of the Act and the Regulations and orders or direction issued by the IRDAI, based on our audit, and on the consideration of the reports of the branch auditors as referred to in paragraph 6 above, we report, to the extent applicable, that:

    a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit of the accompanying Standalone Financial Statements;

    b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us;

    c. The reports on the accounts of the four branch offices of the Company audited under section 143(8) of the Act by the branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

    d. The Standalone Balance Sheet, Standalone Revenue Accounts, Standalone Profit and Loss Account and Standalone Cash Flow Statement dealt by this Report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches/representative offices not visited by us.

    e. The Actuarial valuation of liabilities as on March 31, 2026, is duly certified by the corporation's appointed actuary referred to in "other matter" paragraph above including to the effect that the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines issued by the Institute of Actuaries of India to its members and has been forwarded to IRDAI.

    f. The Standalone Balance Sheet, Standalone Revenue Account, Standalone Profit and Loss Account and Standalone Cash Flow Statement (Direct Method) have been drawn in accordance with the Insurance Act, The IRDAI Act and the Act.

    g. Investments have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act, the regulations and orders/ directions issued by IRDAI.

    h. The accounting polices selected by the Company are appropriate and such accounting policies and the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards specified under Section 133 of the Act read with relevant rules issued thereunder, and other accounting principles generally accepted in India read with and

which are not inconsistent with the accounting principles prescribed in the Regulations, the Insurance Act, the IRDAI Act and circulars/orders/directions issued by IRDAI in this regard.

i. As per notification no. G.S.R 463(E) dated June 5, 2015, the Government Companies are exempted from the provisions of section 164(2) of the Act, accordingly, the Corporation is not required to report whether any of the directors of the Corporation is disqualified in terms of provisions contained in the said section.

j. The Corporation being an Insurance Company, the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the order") as amended, issued by the Central Government of India in terms of sub section (11) of Section 143 of the Act is not applicable.

k. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Corporation and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure A".

l. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit & Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

(i) The Standalone Financial Statements disclose the impact of pending litigations on the standalone financial position of the Company as at March 31, 2026, as detailed in Note No. 45 to the standalone financial statements;

(ii) Provisions have been made as on March 31, 2026, in the Standalone Financial Statements, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts. There were no derivative contracts as on March 31, 2026.

(iii) There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the corporation.

(iv) (a) The Management has represented that, to the best of their knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding,

whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(b) The Management has represented, that, to the best of their knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

(v) The Board of Directors of the Company has proposed a final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The amount of dividend proposed is in accordance with section 123 of the Act, as applicable.

(vi) Based on our examination which included test checks, the corporation has used an accounting software for maintaining its books of account which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit, we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with and the audit trail has been preserved in accordance with the requirements of section 128(5) of the Act for record retention.

24. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended, we report that the provisions of section 197 of the Act are not applicable to the Corporation vide notification no. G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015. Hence reporting u/s 197(16) of the Act is not required.

25. As required under section 143(5) of the Act based on our audit as aforesaid, we enclose herewith, as per "Annexure B", the directions including the additional directions issued by Comptroller and Auditor General of India, action taken thereon and the financial impact on the accounts and the Standalone Financial Statements of the Corporation.

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No. 101046W / W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No. 134767

Place: Mumbai
Date: May 26, 2026
UDIN: 26134767SWFEMM4564

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No. 120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No. 119509

Place: Mumbai
Date: May 26, 2026
UDIN: 26119509OTYOHG8280

APPENDIX 1

List of Branches audited by Branch Auditors

1. GIC Re, Gift City, India
2. GIC Re, Dubai, UAE
3. GIC Re, London, UK
4. GIC Re, Malaysia

"ANNEXURE A" TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA

(Referred to in paragraph 23(k) in section "Report on other legal & regulatory Requirements" forming part of the Independent Auditor's report dated May 26, 2026)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

1. We have audited the internal financial controls over financial reporting of General Insurance Corporation of India ("the Corporation") as at March 31, 2026, in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Corporation for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

2. The Corporation's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Corporation's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act, the Insurance Act, 1938, as amended ("the Insurance Act"), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 ("the IRDAI Act"), the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 ("the Regulations") and orders/directions prescribed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI") in this regard.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on the Corporation's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by ICAI.

4. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

5. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error. Commensurate to the size and nature of the business, we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Corporation's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

6. A Corporation's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Standalone Financial Statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Corporation's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Corporation; (2) provide reasonable assurance that

transactions are recorded as necessary to permit preparation of Standalone Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles and that receipts and expenditures of the Corporation are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Corporation; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Corporation's assets that could have a material effect on the Standalone Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

7. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

8. In our opinion, commensurate with the size & nature of business, the Corporation has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2026, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note.

Other Matters

9. The actuarial valuation of policy liabilities in respect of Claims Incurred But Not Reported (IBNR) and those Incurred But Not Enough Reported (IBNER) as at March 31, 2026 is as certified by the Corporation's Appointed Actuaries and has been relied upon by us as mentioned in paragraph 9 of our audit report on the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2026. Accordingly, our opinion on the internal financial controls over financial reporting does not include reporting on the operating effectiveness of the management's internal controls over the valuation and accuracy of aforesaid actuarial valuation.

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No. 101046W / W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No. 134767

Place: Mumbai
Date: May 26, 2026
UDIN: 26134767SWFEMM4564

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No. 120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No. 119509

Place: Mumbai
Date: May 26, 2026
UDIN: 26119509OTYOHG8280

"ANNEXURE B" TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA

(Referred to in paragraph 25 forming part of the Independent Auditor's report dated May 26, 2026)

With regards to the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act"), based on our audit, we report hereunder on the action taken and the financial impact on the accounts of the Standalone Financial Statements of the Corporation except for Labuan (Malaysia) branch whose auditors have not commented on directions and sub directions of C&AG.

Sr. No.	Direction under Section 143(5) of the Companies Act, 2013	Action taken and financials impact
1.	Whether the Corporation has assessed the fair valuation of all the investments, both quoted and unquoted, made directly by the Company or through Trusts, for Post retirement benefits of the employees? This includes verifying valuation methodologies, ensuring consistency with Ind AS and reviewing supporting documentation. The auditor shall provide a brief note on the valuation approach, its reasonability, and compliance with applicable regulations, reporting any material deviations or misstatements.	All the investments, made directly by the Company or through Trusts, for Post-retirement benefits of the employees have been valued appropriately in accordance with the applicable financial reporting framework and applicable regulations. The valuation approach and valuation methodologies applied by the Corporation for these investments is appropriate, therefore there is no financial impact. Brief note on the valuation approach is given under Appendix 2.
2.	Whether the Corporation has a system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, whether review of this system and controls that are significant to the Companies' financial reporting process as well as cyber security has been done by Information Security Auditing Organisations empaneled by Cert-In at a minimum frequency of once in a year and material discrepancies found, if any, have been suitably reported? The implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications may also be reported.	The Corporation has system in place to process all the accounting transactions through IT systems except for the following areas where certain manual computations are involved before entering the data into the IT systems : 1. **Estimations of Premium and Commission:** The basis for premium and commission estimations are calculated manually based on the data extracted from the IT system and then the same is entered in the IT Accounting system after verification, therefore there is no financial impact. 2. **Unexpired Risk Reserve (URR):** The provision of URR is calculated manually based on the data extracted from the system and then the same is entered in the IT system after verification, therefore there is no financial impact. 3. **Provision for Doubtful Debts:** The provision is calculated (as per policy of the company) manually based on the data extracted from the IT system and then the same is entered in the IT Accounting system after verification, therefore there is no financial impact. 4. **Outstanding Loss Reserve (OSLR):** The OSLR is computed manually based on intimations/Statement of Accounts received and then after such computation the same is entered in the IT Accounting system, therefore there is no financial impact. 5. **Incurred but not reported, incurred but not enough reported and premium deficiency reserve (IBNR, IBNER and PDR):** These are computed manually by appointed actuaries based on data extracted from IT system and then after receiving of actuaries reports by the GIC, the same is entered in the IT Accounting system, therefore there is no financial impact.

Sr. No.	Direction under Section 143(5) of the Companies Act, 2013	Action taken and financials impact
		6. **Retro Recovery Claims:** It is understood that claims recovery is processed manually and the data is maintained offline. After verification it is entered in the IT system, therefore there is no financial impact. The Cyber security audit is yet to be conducted for the FY 2025-26 as on the date of issuance of our audit report, however the cybersecurity audit report dated July 29, 2025 for the FY 2024-25 was provided for our review. Based on the audit procedures performed by us, report of cybersecurity audit conducted by the auditor engaged by the management, there are no material weakness in such IT systems and controls, which may result in material misstatement of the financial statements of the entity and no deficiencies reported by the auditor.
3.	Whether funds (grants/ subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies were properly accounted for as per the applicable accounting standards or norms and whether the received funds were utilised as per its terms and conditions? Whether accounting of interest earned on grants received has been done as per terms and conditions of the Grant. List the cases of deviation.	Not Applicable. The Corporation is a re-insurance Company, and it does not receive any funds directly from State/Central Agencies for specific schemes.
4.	Whether the Corporation has identified the key Risk areas? If yes, whether the Corporation has formulated any Risk Management Policy to mitigate these risks? If yes, (a) whether the Risk Management Policy has been formulated considering global best practices? (b) whether the Corporation has identified its data assets and whether it has been valued appropriately?	The Corporation has established an enterprise-wide risk management framework for identification, assessment, monitoring, mitigation and reporting of key risks and formulated and implemented an Enterprise Risk Management Policy and Procedure Manual. The said policy has been duly approved by the Board of Directors and as represented by management, the same is stated to be based on global best practices. The company has identified its data assets in accordance with the applicable financial reporting framework. The data assets have also been valued in accordance with the applicable financial reporting framework.
5.	Whether the Corporation is complying with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable rules and regulations of SEBI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Corporate Affairs, Department of Public Enterprises, Reserve Bank of India, Telecom Regulatory Authority of India, CERT-In, Ministry of Electronics and Information Technology and National Payments Corporation of India wherever applicable? If not, the cases of deviation may be highlighted.	Based on the information and explanations provided by the Management, secretarial audit report of the company and audit procedures carried out by us, the Corporation is complying with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable rules, circulars, guidelines and regulations issued by SEBI, Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), Ministry of Corporate Affairs (MCA), Department of Public Enterprises (DPE), Reserve Bank of India (RBI), CERT-In, Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY). Provisions of Telecom Regulatory Authority of India and National Payments Corporation of India (NPCI) are not applicable to the Corporation.

With respect to the sub-directions issued by Comptroller and Auditor General of India under section 143 (5) of the Act, based on our audit, we report hereunder on the action taken and the financial impact on the accounts of the Standalone Financial Statements of the Corporation:

Sr. No.	Sub-Direction under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013	Action taken and financials impact
1.	Number of titles of ownership in respect of CGS/ SGS/ Bonds/Debentures etc, available in physical/ demat form and out of these, number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported.	The Central Government Securities and State Government securities, debentures balances are tallied as per the record of custodian vis a vis books of accounts of the Corporation. Further in case of bonds: The bond of Datar Switchgear Ltd actually held by the custodian of the corporation of ₹ 65 lakhs is in excess of the amount held as per the books of the Corporation amounting to ₹13 lakhs. As informed to us the Company is in the process of taking adequate steps for reconciliation.
2.	Whether Investment Policy exists and includes mechanism to review investment portfolios and whether stop loss limits are prescribed? If yes, whether it was adhered to? If not in existence or not adhered to, details may be given.	The Annual Investment Policy exists which includes mechanism to review investment portfolios and stop loss limits are prescribed in the policy which have been adhered to. The Investment Policy is reviewed annually and also half-yearly as per IRDAI Regulations. The Investment Portfolios are reviewed every quarter and the performance of the portfolio is also presented to the Board at its quarterly meetings. Specific Stop Loss Guidelines have been introduced in the Investment Policy w.e.f January 30, 2023. Over and above the Stop Loss Guidelines, there exists an Equity Review Policy. As per the Stop Loss Guidelines, a thorough review of each company is being done and recommendations to HOLD OR EXIT are considered after detailed analysis of the company/sector as an ongoing process. The Corporation has been proactive in vigorously following the guidelines of both the Equity Review Policy and Stop loss guidelines to come out of undesirable equity investments.

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No. 101046W / W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No. 134767

Place: Mumbai
Date: May 26, 2026
UDIN: 26134767SWFEMM4564

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No. 120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No. 119509

Place: Mumbai
Date: May 26, 2026
UDIN: 26119509OTYOHG8280

Appendix 2

Brief Note on Clause 1 - Valuation of Investments Held through Trusts for Post-Retirement Employee Benefits

Based on our examination of the records, investment statements, actuarial valuation reports, and other supporting documents made available to us, we observed that the investments held through Trust(s) established for post-retirement employee benefits have been valued at fair value/market value as at March 31, 2026.

We reviewed the valuation methodology adopted for quoted and unquoted investments. Quoted investments have been valued based on market price available as on the reporting date. We also verified the consistency of the valuation approach with that followed in previous years and examined the supporting documentation underlying the valuations.

The investment portfolio invested in Government Securities and high-quality Corporate Bonds and unquoted investments, which are valued based on observable market inputs and published Net Asset Values/market price, thereby reducing valuation uncertainty. Consequently, the risk of material misstatement in the valuation of such investments is considered low.

Based on the audit procedures performed, the valuation methodology adopted appears reasonable and is in accordance with the accounting policies and the applicable accounting framework. No material deviations, inconsistencies, or misstatements were observed in the valuation of investments held through the Trust(s).

INDEPENDENT AUDITORS' CERTIFICATE OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA

(referred to in paragraph 21 of the Independent Auditors' Report dated May 26, 2026)

To,

The Board of Directors

General Insurance Corporation of India

170 J Tata Road, Churchgate, Mumbai

Dear Sirs,

1. This certificate is issued to comply with the provisions of paragraphs 3 and 4 of Part III of Schedule-II of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, as amended (the "Regulations").

Management's Responsibility

2. The Corporation's Board of Directors is responsible for complying with the provisions of The Insurance Act, 1938 (as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act 2015) (the "Insurance Act"), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (the "IRDA Act"), the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 (the "Regulations"), orders/directions issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (the "IRDAI") which includes the preparation of the Management Report. This includes collecting, collating and validating data and designing, implementing and monitoring of internal controls suitable for ensuring compliance as aforesaid.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to examine the statement or information, or documents provided to us with reference to the books of account and other relevant records of the Company for the relevant years, which have been subjected to audit pursuant to the requirements of the Companies Act, 2013.

4. Our audits of these financial statements were conducted in accordance with the Standards on Auditing and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. Our audits were not planned and performed in connection with any transactions to identify matters that may be of potential interest to third parties.

5. Pursuant to the requirements, it is our responsibility to obtain reasonable assurance and form an opinion based on our audit and examination of books and records as to whether the Corporation has complied with the matters contained in paragraphs 3 and 4 of Part III of Schedule-II of the Regulations for the year ended March 31, 2026.

6. We conducted our examination of the statement or documents or information provided to us in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes (Revised 2016) (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). The Guidance Note requires that we comply with the independence and other ethical requirements of the Code of ethics issued by the ICAI. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control ("SQC") 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services engagements.

Opinion

7. In accordance with information and explanations given to us and to the best of our knowledge and belief and based on our examination of the books of account and other records maintained by the Corporation for the year ended March 31, 2026, we certify that:

a) We have reviewed the Management Report attached to the Standalone Financial Statements for year ended March 31, 2026, and on the basis of our review, there is no apparent mistake or material inconsistencies with the Standalone Financial Statements.

b) Based on management representations and compliance certificates submitted to the Board of Directors by the officers of the Corporation charged with compliance and the same being noted by the Board, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Corporation has not complied with the terms and conditions of registration as stipulated by the IRDAI.

c) We have verified the cash balances to the extent considered necessary and the securities relating to the Corporation loans and investments as of March 31, 2026 have been verified on the basis of confirmations received from the Custodian and/ or Depository Participants appointed by the Corporation, as the case may be, subject to paragraph mentioned below:

(i) The investment in a bond of Datar Switchgear Ltd – actually held by the custodian of the Corporation of ₹ 65 lakhs is in excess of the amount held as per the books of the Corporation amounting to ₹ 13 lakhs. As informed to us, the Company is in the process of taking adequate steps for reconciliation.

(ii) Further the Loans as reported under Schedule 9 of the Standalone Financial Statements are subject to confirmations/ reconciliation.

8. The Corporation is not a trustee of any trust; however, the Corporation is acting as manager of Terrorism and Nuclear Pool.

9. No part of the assets of the Policyholders' Funds has been directly or indirectly applied in contravention to the provisions of the Insurance Act relating to the application and investments of the Policyholders' Funds.

Restriction to use

10. This certificate is addressed to and provided to the Board of Directors of the Corporation, solely for inclusion in the Annual accounts of the Corporation as per the Regulations and should not be used by any other person or for any other purpose. We have no responsibility to update this certificate for events and circumstances occurring after the date of this certificate. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No. 101046W / W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No. 134767

Place: Mumbai
Date: May 26, 2026
UDIN: 26134767SWFEMM4564

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No. 120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No. 119509

Place: Mumbai
Date: May 26, 2026
UDIN: 26119509OTYOHG8280

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

The preparation of financial statements of GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA for the year ended 31 March 2026 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 and the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 26 May 2026.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA for the year ended 31 March 2026 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

Comments	Management's Reply
A. Comments on Profitability **(i) Standalone Balance Sheet** **Deferred Tax Asset (Net): ₹104300 Lakhs** **Standalone Profit and Loss Account** **Deferred Tax: (₹34906) Lakhs**	
As per AS 22 (Accounting for Taxes on Income), deferred tax represents the tax effect of timing differences. Timing differences are differences between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in subsequent periods. Deferred Tax Assets (DTA) are recognised only where there is reasonable certainty of their realisation. Further, paragraph 8.1.2.1 of the Guidance Note on Division I-Non-Ind AS Schedule III to the Companies Act, 2013 defines a Reserve as an appropriation of earnings for a general or specific purpose and distinguishes it from a Provision as defined under AS 29. Schedule II, Part II (Form B-RA) of the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 also requires the transfer to Catastrophe Reserve to be disclosed under the head 'Appropriations', with the balance reflected under Reserves and Surplus (Schedule 6).	Deferred tax is an accounting item governed by AS 22, Accounting for Taxes on Income. Further, under Point No. 9 – "Appropriations" of Form B-RA prescribed in Schedule II, Part II of the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, operating profit is appropriated by transferring the required amount to the Catastrophe Reserve, with the remaining balance transferred to the Profit and Loss Account. Accordingly, Profit Before Tax is determined after appropriation to the Catastrophe Catastrophe Reserve. Recognition of Deferred Tax Asset on the Catastrophe Reserve is appropriate, as the reserve is charged to the Revenue Account while computing profit before tax, added back for tax purposes, and allowed as a deduction only when actual catastrophe claims are paid. This gives rise to a timing difference and a corresponding future tax benefit under AS 22. The Corporation has virtual certainty of utilising the Catastrophe Reserve against future eligible catastrophe claims, which supports recognition of the related Deferred Tax Asset.

Audit observed that the Catastrophe Reserve is an appropriation of profits and not an expenditure, provision or liability. It does not represent a present obligation, is not based on actuarial valuation and, therefore, does not result in a timing difference within the meaning of AS 22. Consequently, recognition of Deferred Tax Asset of ₹ 61340 lakhs against the Catastrophe Reserve of ₹ 243724 lakhs is not in accordance with AS 22. This has resulted in overstatement of Deferred Tax Asset (Net) by ₹ 61340 lakhs and corresponding overstatement of Profit after Tax by ₹ 18605 lakhs and overstatement of Reserves and Surplus by ₹ 42735 lakh.	Therefore, the Management is of the view that the accounting treatment adopted for the Deferred Tax Asset (DTA) on the Catastrophe Reserve, which has been consistently followed for several years, is appropriate and in accordance with the applicable accounting principles. Accordingly, no change in the existing accounting treatment is considered warranted.
(ii) Standalone Revenue Accounts **Operating Expenses related to all insurance businesses (Schedule 4): ₹ 39325 lakhs**	
As per Schedule II, Part II of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, Schedule 4 pertains to Operating Expenses Related to Insurance Business and is required to be presented in the Revenue Account. Audit observed that an amount of ₹ 6219 lakhs, being penalty imposed by the Federal Tax Authority (FTA), UAE on account of discrepancies in VAT returns for the period 1 January 2018 to 31 December 2020 and late corporate tax registration, was included under "Operating Expenses Related to Insurance Business" in the Audited Standalone Revenue Account for the year ended 31 March 2026. Since the said expenditure is not in the nature of operating expenses relating to insurance business, it should have been classified under "Other Expenses (e) - Penalties" in the Audited Standalone Profit and Loss Account, in terms of the IRDAI Regulations, 2024. This resulted in overstatement of 'Operating Expenses Related to Insurance Business' in Revenue Accounts and corresponding understatement of Operating Profit and 'Other Expenses (e): Penalties' in Profit and Loss Account by ₹ 6219 lakhs.	For the Dubai branch VAT penalty, the Corporation classified it under operating expenses based on the audited Dubai branch financial statements and related notes, where it was considered operational in nature. However, the CAG comment has been noted, and the item will be regrouped under "Other Expenses (e) – Penalties" in the standalone financial statements from FY 2026–27.
B. Comments on Financial Position **(i) Standalone Balance Sheet** **Cash and Bank Balances (Schedule 11): ₹ 2779122 Lakhs**	
As per Paragraph 17(c) of Accounting Standard (AS) 1, Financial Statements shall disclose all material items, the knowledge of which may influence the decisions of users of the financial statements. Audit observed that Bank Balance Confirmation Certificates, as on 31 March 2026, reflected Fixed Deposits aggregating ₹ 1436736 lakhs against which GIC Re's books of accounts had balances amounting ₹ 872000 lakhs across two General Ledgers. Thus, the difference of ₹ 564736 lakhs	With regard to the difference of ₹ 7441 lakhs between the amount as per the books of the corporation (including the FD balances pertaining to the Pools) and the amount as per the bank confirmations, the difference as per C&AG comments has been duly reconciled as follows:

was not available in the books of GIC-Re. Management stated that deposits amounting ₹ 557295 lakhs pertained to the Terrorism Pool and Nuclear Pool, which were accounted for separately under Pool codes in SAP and were invested using GIC Re's PAN, as the Pools are not separate legal entities.

Considering the reply of the Management, there was a difference of ₹ 7441 lakhs (₹ 564736 lakhs - ₹ 557295 lakhs) remained unreconciled. However, documentary evidence of segregation of Pool investments and income from GIC Re's books, or documentation relating to the tax implications arising from the use of GIC Re's PAN was not furnished to audit.

Further, the Standalone Financial Statements did not disclose adequate information regarding GIC Re's management of the Indian Market Terrorism Risk Insurance Pool and the Indian Nuclear Insurance Pool in its capacity as the Pool Manager. In particular, the financial statements did not disclose the governance and operational framework of the Pools; the manner in which the investments of the Pools are managed and administered; GIC Re's exposure, responsibilities and fiduciary role in relation to the assets and investments of the Pools. Further, the potential tax implications, if any, arising from the utilization of GIC Re's Permanent Account Number (PAN) for investment and other related transactions of the Pools was also not disclosed.

Considering the magnitude of the investments pertaining to these Pools in various instrument, the above information constitutes material facts within the meaning of paragraph 17(c) of AS 1.

Particulars	Amount (₹ in lakhs)
Axis Bank Current Account balance	₹ 3457
Axis Bank Accrued But Not Due calculation	₹ 1765
Kotak Mahindra Bank Accrued But Not Due calculation	₹ 2227
Less : Union bank excess balance inadvertently mentioned in the confirmation	₹ (8)
Amount reconciled	**₹ 7441**

The clarification in this regard has been received from various banks and available with the corporation. In view of the above, the differences in the bank balances have been duly reconciled and appropriately explained and supporting documentary evidence is available with the organisation.

Pool-related income, assets and liabilities are allocated among all pool members at year-end, and each member records its share and pays applicable taxes independently. TPLI and INIP investments, along with related income, are separately maintained and accounted for under distinct SAP company codes. Only GIC Re's share is recognised in its books as per the Significant Accounting Policy. Since the Pool assets and liabilities are equal, their impact is neutralised in GIC Re's accounts, and Terrorism Pool balances are excluded from solvency margin and analytical ratio calculations.

In view of the comments by CAG on this issue, Corporation will disclose all pool related information separately in the Notes forming part of accounts from the annual accounts for the year ended 31st March 2027.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Vishal Chawre)
Principal Director of Audit (Financial Services), Mumbai

Place : Mumbai
Date : 05.08.2026

For and on behalf of
General Insurance Corporation of India

(Hitesh Joshi)
Chairman-cum-Managing Director

Place : Mumbai
Date : 13.08.2026

FINANCIAL INFORMATION



FORM B-RA

Registration No. 112

Date of Registration with IRDAI : 2nd April 2001

AUDITED STANDALONE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

IN RESPECT OF FIRE INSURANCE BUSINESS

	Particulars	Schedule	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1.	Premiums earned (Net)	1	1186 649	1133 478
2.	Profit/(loss)on sale/redemption of Investments		100 446	104 554
3.	Interest, Dividend & Rent - Gross* (Note 1)		219 665	221 299
4.	Other			
	(a)Forex Gain/(Loss)		30 861	5 244
	(b) Contribution from the Shareholders Account		0	0
	(i) Towards Expenses of Management		0	0
	(ii) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMPs		0	0
	(iii)Others		0	0
	Total (A)		**1537 621**	**1464 575**
5.	Claims Incurred (Net)	2	876 124	964 126
6.	Commission	3	298 117	278 562
7.	Operating Expenses related to Insurance Business	4	12 115	11 213
8	Premium Deficiency		0	0
	Total (B)		**1186 356**	**1253 901**
9.	**Operating Profit /(Loss) from Fire Business C = (A-B)**		**351 265**	**210 674**
10.	**APPROPRIATIONS**			
	Transfer to Shareholders' Account		316 138	189 607
	Transfer to Catastrophe Reserve		35 127	21 067
	Transfer to Other Reserves (to be specified)		0	0
	Total (C)		**351 265**	**210 674**

Note -1

	Pertaining to Policyholder's Funds		Current Year	Previous Year
	Interest, Dividend & Rent		194 638	178 394
	Add/Less :			
	Investment Expenses		167	143
	Amortisation of Premium/Discount on investments		1 455	1 325
	Amount written off in respect of depreciated investments		0	0
	Provision for Bad and Doubtful Debts		(1 432)	(9 015)
	Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities		1 197	5 075
	Investment income from Pool		26 414	40 433
	Interest, Dividend & Rent – Gross*		**219 665**	**221 299**

**Term gross implies inclusive of TDS*

The schedules referred to above form integral part of the Revenue Account

As per our report of even date

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

FORM B-RA

Registration No. 112

Date of Registration with IRDAI : 2nd April 2001

AUDITED STANDALONE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

IN RESPECT OF MISCELLANEOUS INSURANCE BUSINESS

	Particulars	Schedule	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1.	Premiums earned (Net)	1	2426 857	2159 070
2.	Profit/(loss)on sale/redemption of Investments		149 642	154 577
3.	Interest, Dividend & Rent - Gross* (Note 1)		327 251	327 178
4.	Other			
	(a)Forex Gain/(Loss)		50 140	7 719
	(b) Contribution from the Shareholders Account		0	0
	(i) Towards Expenses of Management		0	0
	(ii) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMPs		0	0
	(iii)Others		0	0
	Total (A)		**2953 890**	**2648 544**
5.	Claims Incurred (Net)	2	2109 142	1803 478
6.	Commission	3	480 651	437 498
7.	Operating Expenses related to Insurance Business	4	24 543	20 296
8	Premium Deficiency		0	0
	Total (B)		**2614 336**	**2261 272**
9.	**Operating Profit/(Loss) from Miscellaneous Business C = (A-B)**		**339 554**	**387 272**
10.	**APPROPRIATIONS**			
	Transfer to Shareholders' Account		305 599	348 546
	Transfer to Catastrophe Reserve		33 955	38 726
	Transfer to Other Reserves (to be specified)		0	0
	Total (C)		**339 554**	**387 272**

Note -1

	Pertaining to Policyholder's Funds		Current Year	Previous Year
	Interest, Dividend & Rent		325 512	319 903
	Add/Less :			
	Investment Expenses		248	211
	Amortisation of Premium /Discount on investments		2 167	1 959
	Amount written off in respect of depreciated investments		0	0
	Provision for Bad and Doubtful Debts		(2 133)	(13 328)
	Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities		1 784	7 503
	Investment income from Pool		3 805	3 620
	Interest, Dividend & Rent – Gross*		**327 251**	**327 178**

**Term gross implies inclusive of TDS*

The schedules referred to above form integral part of the Revenue Account

As per our report of even date

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

FORM B-RA

Registration No. 112

Date of Registration with IRDAI : 2nd April 2001

AUDITED STANDALONE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

IN RESPECT OF MARINE INSURANCE BUSINESS

	Particulars	Schedule	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1.	Premiums earned (Net)	1	96 745	113 156
2.	Profit/(loss)on sale/redemption of Investments		10 323	12 972
3.	Interest, Dividend & Rent - Gross* (Note 1)		22 575	27 458
4.	Other			
	(a) Forex Gain/(Loss)		3 447	646
	(b) Contribution from the Shareholders Account		0	0
	(i) Towards Expenses of Management		0	0
	(ii) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMPs		0	0
	(iii) Others		0	0
	Total (A)		**133 090**	**154 232**
5.	Claims Incurred (Net)	2	67 724	137 360
6.	Commission	3	16 056	19 737
7.	Operating Expenses related to Insurance Business	4	882	677
8	Premium Deficiency		0	0
	Total (B)		**84 662**	**157 774**
9.	**Operating Profit/(Loss) from Marine Business C = (A-B)**		**48,428**	**(3 542)**
10.	**APPROPRIATIONS**			
	Transfer to Shareholders' Account		43 585	(3 542)
	Transfer to Catastrophe Reserve		4 843	0
	Transfer to Other Reserves (to be specified)		0	0
	Total (C)		**48,428**	**(3 542)**

Note -1

	Pertaining to Policyholder's Funds		Current Year	Previous Year
	Interest, Dividend & Rent		22 717	27 151
	Add/Less :			
	Investment Expenses		17	18
	Amortisation of Premium/Discount on investments		149	164
	Amount written off in respect of depreciated investments		0	0
	Provision for Bad and Doubtful Debts		(147)	(1 119)
	Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities		123	630
	Investment income from Pool		0	0
	Interest, Dividend & Rent – Gross*		**22 575**	**27 458**

**Term gross implies inclusive of TDS*

The schedules referred to above form integral part of the Revenue Account

As per our report of even date

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

FORM B-RA

Registration No. 112

Date of Registration with IRDAI : 2nd April 2001

AUDITED STANDALONE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

IN RESPECT OF LIFE INSURANCE BUSINESS

	Particulars	Schedule	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1.	Premiums earned (Net)	1	227 584	207 323
2.	Profit/(loss)on sale/redemption of Investments		9 851	7 494
3.	Interest, Dividend & Rent - Gross* (Note 1)		21 543	15 863
4.	Other			
	(a)Forex Gain/(Loss)		6 483	750
	(b) Contribution from the Shareholders Account		0	0
	(i) Towards Expenses of Management		0	0
	(ii) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMPs		0	0
	(iii)Others		0	0
	Total (A)		**265 461**	**231 430**
5.	Claims Incurred (Net)	2	309 776	290 405
6.	Commission	3	2 379	1 457
7.	Operating Expenses related to Insurance Business	4	1 785	1 500
8	Premium Deficiency		5 771	(3 762)
	Total (B)		**319 711**	**289 600**
9.	**Operating Profit/(Loss) from Life Business C = (A-B)**		**(54 250)**	**(58 170)**
10.	**APPROPRIATIONS**			
	Transfer to Shareholders' Account		(54 250)	(58 170)
	Transfer to Catastrophe Reserve		0	0
	Transfer to Other Reserves (to be specified)		0	0
	Total (C)		**(54 250)**	**(58 170)**

Note -1

	Pertaining to Policyholder's Funds		Current Year	Previous Year
	Interest, Dividend & Rent		**21 679**	15 686
	Add/Less :			
	Investment Expenses		**16**	10
	Amortisation of Premium /Discount on investments		**143**	95
	Amount written off in respect of depreciated investments		**0**	0
	Provision for Bad and Doubtful Debts		**(140)**	(646)
	Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities		**117**	364
	Investment income from Pool		**0**	0
	Interest, Dividend & Rent – Gross*		**21 543**	**15 863**

**Term gross implies inclusive of TDS*

The schedules referred to above form integral part of the Revenue Account

As per our report of even date

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

FORM B-RA

Registration No. 112

Date of Registration with IRDAI : 2nd April 2001

AUDITED STANDALONE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

IN RESPECT OF ALL INSURANCE BUSINESS

	Particulars	Schedule	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1.	Premiums earned (Net)	1	3937 835	3613 027
2.	Profit/(loss)on sale/redemption of Investments		270 263	279 597
3.	Interest, Dividend & Rent - Gross Note 1		591 034	591 797
4.	Other			
	(a)Forex Gain/(Loss)		90 931	14 359
	(b) Contribution from the Shareholders Account		0	0
	(i) Towards Expenses of Management		0	0
	(ii) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMPs		0	0
	(iii)Others		0	0
	Total (A)		**4890 062**	**4498 780**
5.	Claims Incurred (Net)	2	3362 766	3195 369
6.	Commission (Net)	3	797 203	737 254
7.	Operating Expenses related to Insurance Business	4	39 325	33 686
8	Premium Deficiency		5 771	(3 762)
	Total (B)		**4205 665**	**3962 547**
9.	**Operating Profit /- Loss from All Business C = (A-B)**		**684 997**	**536 233**
10.	**APPROPRIATIONS**			
	Transfer to Shareholders' Account		611 072	476 438
	Transfer to Catastrophe Reserve		73 925	59 795
	Total (C)		**684 997**	**536 233**

Note -1

	Pertaining to Policyholder's Funds		Current Year	Previous Year
	Interest, Dividend & Rent		564 546	541 134
	Add/Less :			
	Investment Expenses		448	382
	Amortisation of Premium/Discount on investments		3 914	3 544
	Amount written off in respect of depreciated investments		0	0
	Provision for Bad and Doubtful Debts		(3 852)	(24 108)
	Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities		3 221	13 572
	Investment income from Pool		30 219	44 053
	Interest, Dividend & Rent – Gross*		**591 034**	**591 797**

**Term gross implies inclusive of TDS*

The schedules referred to above form integral part of the Revenue Account

As per our report of even date

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

FORM B-PL

Registration No. 112

Date of Registration with IRDAI : 2nd April, 2001

AUDITED STANDALONE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

	Particulars	Schedule	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1.	**Operating Profit/(Loss)**			
	(a) Fire Insurance		316 138	189 607
	(b) Marine Insurance		43 585	(3 542)
	(c) Miscellaneous Insurance		305 599	348 546
	(d) Life Insurance		(54 250)	(58 170)
2.	**Income from Investments**			
	(a) Interest, Dividend & Rent - Gross		307 708	274 579
	(b) Profit on sale of Investments		139 929	131 277
	(c) (Loss) on sale of Investment/redemption of Investments		0	0
	(d) Amortization of Premium / Discount on Investments		0	0
3.	**Other Income:**			
	(a) Forex Gain/(Loss)		46 730	6 549
	(b) Profit on sale of Assets (Net)		0	0
	(c) Sundry Balances Written Back (Net)		0	0
	(d) Interest on Income-tax Refund		0	208
	(e) (Provision) / Reversal of Doubtful Loans & Investment		1 994	11 319
	(f) Miscellaneous Receipts		550	452
	Total (A)		**1107 983**	**900 825**
4.	**Provision(Other Than Taxation)**			
	(a) Diminution in the value of investments		1 668	6 372
	(b) Provision/(reversal) for Doubtful Debts		10 855	5 447
	(c) Amortisation of premium on Investments		2 027	1 664
5	**Other Expenses :**			
	(a) Expenses other than those related to Insurance Business			
	(i) Forex Loss/(Gain)		0	0
	(ii) (Profit)/Loss on sale of Assets (Net)		50	36
	(b) Bad Debts Written off (Net)		(13)	44
	(c) Interest on subordinated debt & others		0	0
	(d) Expenses towards CSR Activities		13 578	10 586
	(e) Penalties		0	0
	(f) Contribution to Policyholders' A/c			

(i)Towards Excess Expenses of Management[1]		0	0
(ii) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMPs [2]		0	0
(iii) Others (please specify)		0	0
(g) Others		0	0
Interest on Income Tax,GST and others		493	112
Total (B)		**28 658**	**24 261**
Profit Before Tax		1079 325	876 564
Provision for Taxation :			
Current Tax		270 543	207 054
Deferred Tax		(34 906)	(882)
Provision for Tax in respect of earlier years		4 470	256
Profit After Tax		**839 218**	**670 136**
Appropriations			
(a) Interim dividend paid during the year		0	0
(b) Final dividend paid		175 440	175 440
(c) Dividend distribution tax		0	0
(d) Transfer to General Reserve		0	0
Balance of Profit brought forward from last year		2226 862	1732 166
Balance carried forward to Balance Sheet		2890 640	2226 862
Basic Earnings per share of ₹5 face value.		47.84	38.20
Diluted Earnings per share of ₹5 face value.		47.84	38.20

Significant Accounting Policies & Notes to Accounts form integral part of the Balance Sheet-Note no 16

[1] Incase expenses of management exceeds the limits prescribed by the regulations.

[2] Incase annual remuneration exceeds the specified limit.

As per our report of even date

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

Form B-BS

Registration No. 112

Date of Registration with IRDAI : 2nd April, 2001

AUDITED STANDALONE BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2026

Particulars	Schedule	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
SOURCES OF FUNDS			
Share Capital	5 & 5A	87 720	87 720
Share application money pending allotment		0	0
Reserves and Surplus	6	5286 131	4392 732
Fair Value Change Account			
Shareholders Fund		1116 461	1281 790
Policyholders Fund		2156 368	2729 991
Borrowings	7	0	0
Total		**8646 680**	**8492 233**
APPLICATION OF FUNDS			
Investments- Shareholders	8	4868 376	4472 858
Investments- Policyholders	8a	9224 457	9334 516
Loans	9	12 519	13 728
Fixed Assets	10	29 736	29 541
Deferred Tax Asset (Net)		104 300	69 333
Current Assets:			
Cash and Bank Balances	11	2779 122	2463 755
Advances and Other Assets	12	2703 582	2377 842
Sub-Total (A)		**5482 704**	**4841 597**
Deferred Tax Liability (Net)		0	4
Current Liabilities	13	8988 687	8323 306
Provisions	14	2086 725	1946 031
Sub-Total (B)		**11075 412**	**10269 341**
Net Current Assets (C)=(A-B)		**(5592 708)**	**(5427 743)**
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)	15	0	0
Total		**8646 680**	**8492 233**

Notes to Accounts form integral part of the Balance Sheet-Schedule 16

As per our report of even date

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

SCHEDULES FORMING PART OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

SCHEDULE 1

Premium Earned (Net)

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
A	**FIRE INSURANCE**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	1425 605	1371 949
	Less:Premium on Reinsurance ceded	225 132	209 900
	Net Written Premium/Net Premium Income	**1200 473**	**1162 049**
	Add :Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	593 259	564 687
	Less : Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	607 083	593 259
	Net Earned Premium	**1186 649**	**1133 478**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
B	**MISCELLANEOUS INSURANCE**		
(1)	**MOTOR**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	749 688	635 557
	Less: Premium on Reinsurance ceded	0	0
	Net Written Premium/Net Premium Income	**749 688**	**635 557**
	Add : Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	317 779	355 547
	Less : Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	374 844	317 779
	Net Earned Premium	**692 622**	**673 325**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
(2)	**AVIATION**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	83 760	72 908
	Less:Premium on Reinsurance ceded	46 211	37 794
	Net Written Premium/Net Premium Income	**37 549**	**35 114**
	Add :Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	17 557	21 101
	Less : Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	18 775	17 557
	Net Earned Premium	**36 332**	**38 658**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
(3)	**ENGINEERING**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	195 078	176 616
	Less:Premium on Reinsurance ceded	13 833	15 886
	Net Written Premium/Net Premium Income	**181 245**	**160 730**
	Add :Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	81 198	75 576
	Less : Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	91 176	81 198
	Net Earned Premium	**171 266**	**155 108**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
(4)	**WORKMENS' COMPENSATION /EMPLOYER'S LIABILITY**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	3 443	2 901
	Less:Premium on Reinsurance ceded	74	0
	Net Written Premium/Net Premium Income	**3 369**	**2 901**
	Add :Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	1 450	2 207
	Less : Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	1 685	1 450
	Net Earned Premium	**3 135**	**3 658**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
(5)	**LIABILITY**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	88 672	77 337
	Less:Premium on Reinsurance ceded	9 640	13 812
	Net Written Premium/Net Premium Income	**79 032**	**63 525**
	Add :Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	31 763	26 051
	Less : Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	39 516	31 763
	Net Earned Premium	**71 279**	**57 813**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
(6)	**PERSONAL ACCIDENT**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	75 499	57 441
	Less:Premium on Reinsurance ceded	20	460
	Net Written Premium/Net Premium Income	**75 480**	**56 981**

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	Add :Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	28 491	20 683
	Less : Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	37 740	28 491
	Net Earned Premium	**66 230**	**49 173**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
(7)	**HEALTH**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	919 027	952 741
	Less:Premium on Reinsurance ceded	4	7 831
	Net Written Premium/Net Premium Income	**919 023**	**944 910**
	Add :Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	472 455	276 245
	Less : Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	459 511	472 455
	Net Earned Premium	**931 966**	**748 700**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
(8)	**AGRICULTURE**		
	Premium from Direct Business written	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	339 286	326 305
	Less:Premium on Reinsurance ceded	6 246	7 080
	Net Premium	**333 040**	**319 225**
	Add :Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	23 815	31 958
	Less : Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	34 290	23 815
	Net Earned Premium	**322 565**	**327 370**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
(9)	**OTHER MISCELLANEOUS**		
	Premium from Direct Business written	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	139 898	116 985
	Less:Premium on Reinsurance ceded	25 469	20 539
	Net Premium	**114 429**	**96 446**
	Add :Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	46 137	30 935
	Less : Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	57 214	46 137
	Net Earned Premium	**103 352**	**81 244**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
(10)	**FINANCIAL LIABILTY/CREDIT**		
	Premium from Direct Business written	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	27 352	30 053
	Less:Premium on Reinsurance ceded	66	1 119
	Net Premium	**27 286**	**28 934**
	Add :Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	14 467	9 554
	Less : Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	13 643	14 467
	Net Earned Premium	**28 110**	**24 021**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	TOTAL MISCELLANEOUS		
	Premium from Direct Business written	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	2621 704	2448 844
	Less:Premium on Reinsurance ceded	101 563	104 520
	Net Premium	**2520 141**	**2344 324**
	Add :Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	1035 110	849 856
	Less : Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	1128 394	1035 110
	Net Earned Premium	**2426 857**	**2159 070**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
C	**MARINE INSURANCE**		
(1)	**MARINE CARGO**		
	Premium from Direct Business Written	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	54 917	51 147
	Less: Premium on Reinsurance ceded	9 992	9 322
	Net Premium	**44 925**	**41 825**
	Add : Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	20 912	47 102
	Less : Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	22 462	20 912
	Net Earned Premium	**43 375**	**68 015**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
(2)	**MARINE HULL**		
	Premium from Direct Business Written	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	53 400	56 782
	Less:Premium on Reinsurance ceded	4 393	3 412
	Net Premium	**49 007**	**53 370**
	Add :Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	53 370	45 141
	Less : Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	49 007	53 370

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	Net Earned Premium	**53 370**	**45 141**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	TOTAL MARINE		
	Premium from Direct Business Written	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	108 317	107 929
	Less:Premium on Reinsurance ceded	14 385	12 734
	Net Premium	**93 932**	**95 195**
	Add :Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	74 282	92 243
	Less : Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	71 469	74 282
	Net Earned Premium	**96 745**	**113 156**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
D	**LIFE INSURANCE**		
	Premium from Direct Business written	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	245 048	186 674
	Less:Premium on Reinsurance ceded	2 469	3 821
	Net Premium	**242 579**	**182 853**
	Add :Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	21 408	45 878
	Less : Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	36 403	21 408
	Net Earned Premium	**227 584**	**207 323**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
E	**TOTAL ALL CLASSES**		
	Premium from Direct Business Written	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	4400 674	4115 396
	Less:Premium on Reinsurance ceded	343 549	330 975
	Net Premium	**4057 125**	**3784 421**
	Add :Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	1724 059	1552 665
	Less : Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	1843 350	1724 059
	Total Premium Earned (Net)	**3937 835**	**3613 027**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0

SCHEDULE 2

Claims Incurred (Net)

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
A	**FIRE INSURANCE**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add : Reinsurance accepted	677 398	700 030
	Less: Reinsurance ceded	43 933	38 102
	Net Claims Paid	**633 465**	**661 928**
	Add : Claims Outstanding at the end of the Period	3319 895	3077 235
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the Period	3077 235	2775 037
	Net Incurred Claims	**876 124**	**964 126**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	1873 125	1654 687
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	1654 687	1368 633
B	**MISCELLANEOUS INSURANCE**		
(1)	**MOTOR**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add : Reinsurance accepted	653 329	599 779
	Less: Reinsurance ceded	0	0
	Net Claims Paid	**653 329**	**599 779**
	Add : Claims Outstanding at the end of the Period	1960 705	1946 027
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the Period	1946 027	1927 030
	Net Incurred Claims	**668 007**	**618 776**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	1088 944	1107 165
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	1107 165	1117 227
(2)	**AVIATION**		
	Claims Paid		
	Direct	37	0
	Add : Reinsurance accepted	85 049	59 411
	Less: Reinsurance ceded	35 335	20 460
	Net Claims Paid	**49 750**	**38 951**

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	Add : Claims Outstanding at the end of the Period	178 566	161 899
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the Period	161 899	167 063
	Net Incurred Claims	**66 417**	**33 787**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	62 893	81 553
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	81 553	73 977
(3)	**ENGINEERING**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add : Reinsurance accepted	69 440	47 887
	Less: Reinsurance ceded	246	214
	Net Claims Paid	**69 194**	**47 673**
	Add : Claims Outstanding at the end of the Period	492 723	451 820
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the Period	451 820	392 057
	Net Incurred Claims	**110 096**	**107 436**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	331 733	272 622
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	272 622	212 998
(4)	**WORKMENS' COMPENSATION /EMPLOYER'S LIABILITY**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add : Reinsurance accepted	3 640	5 538
	Less: Reinsurance ceded	0	0
	Net Claims Paid	**3 640**	**5 538**
	Add : Claims Outstanding at the end of the Period	17 169	17 718
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the Period	17 718	11 160
	Net Incurred Claims	**3 091**	**12 096**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	9 564	9 679
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	9 679	5 950
(5)	**LIABILITY**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	Add : Reinsurance accepted	36 787	39 409
	Less: Reinsurance ceded	4 257	4 139
	Net Claims Paid	**32 530**	**35 270**
	Add : Claims Outstanding at the end of the Period	209 673	182 447
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the Period	182 447	161 849
	Net Incurred Claims	**59 757**	**55 868**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	140 614	120 694
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	120 694	102 298
(6)	**PERSONAL ACCIDENT**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add : Reinsurance accepted	33 642	26 003
	Less: Reinsurance ceded	39	368
	Net Claims Paid	**33 603**	**25 635**
	Add : Claims Outstanding at the end of the Period	92 032	84 896
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the Period	84 896	84 643
	Net Incurred Claims	**40 739**	**25 888**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	58 682	59 172
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	59 172	59 139
(7)	**HEALTH**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance accepted	636 345	574 515
	Less: Reinsurance ceded	545	14 991
	Net Claims Paid	**635 799**	**559 524**
	Add: Claims Outstanding at the end of the Period	608 623	448 649
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the Period	448 649	398 831
	Net Incurred Claims	**795 773**	**609 342**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	539 507	389 581
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	389 581	355 829

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
(8)	**AGRICULTURE**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance accepted	266 146	219 422
	Less: Reinsurance ceded	54 417	4 828
	Net Claims Paid	**211 729**	**214 594**
	Add: Claims Outstanding at the end of the Period	945 970	867 515
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the Period	867 511	789 006
	Net Incurred Claims	**290 188**	**293 103**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	731 267	646 186
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	646 186	542 720
(9)	**OTHER MISCELLANEOUS**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance accepted	69 806	49 610
	Less: Reinsurance ceded	9 573	5 964
	Net Claims Paid	**60 233**	**43 646**
	Add: Claims Outstanding at the end of the Period	152 453	144 753
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the Period	144 758	138 694
	Net Incurred Claims	**67 928**	**49 705**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	82 802	73 749
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	73 749	73 292
(10)	**FINANCIAL LIABILTY/CREDIT**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add : Reinsurance accepted	8 147	24 210
	Less: Reinsurance ceded	0	6
	Net Claims Paid	**8 147**	**24 204**
	Add: Claims Outstanding at the end of the Period	70 119	71 120
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the Period	71 120	97 846
	Net Incurred Claims	**7 146**	**(2 522)**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	56 630	59 791
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	59 791	67 279
	TOTAL MISCELLANEOUS		
	Claims Paid		
	Direct	37	0
	Add: Reinsurance accepted	1862 331	1645 784
	Less: Reinsurance ceded	104 413	50 970
	Net Claims Paid	**1757 955**	**1594 814**
	Add: Claims Outstanding at the end of the Period	4728 032	4376 844
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the Period	4376 845	4168 180
	Net Incurred Claims	**2109 142**	**1803 478**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	3102 638	2820 192
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	2820 192	2610 708
C	**MARINE INSURANCE**		
(1)	**MARINE CARGO**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance accepted	50 869	116 878
	Less: Reinsurance ceded	3 438	2 183
	Net Claims Paid	**47 430**	**114 695**
	Add: Claims Outstanding at the end of the Period	156 955	168 210
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the Period	168 210	184 609
	Net Incurred Claims	**36 175**	**98 296**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	78 816	99 686
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	99 686	127 114
(2)	**MARINE HULL**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance accepted	73 083	61 319
	Less: Reinsurance ceded	1 000	2 545
	Net Claims Paid	**72 083**	**58 774**

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	Add: Claims Outstanding at the end of the Period	176 058	216 592
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the Period	216 592	236 302
	Net Incurred Claims	**31 549**	**39 064**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	92 580	102 455
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	102 455	100 885
	TOTAL MARINE		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance accepted	123 952	178 197
	Less: Reinsurance ceded	4 439	4 728
	Net Claims Paid	**119 513**	**173 469**
	Add: Claims Outstanding at the end of the Period	333 013	384 802
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the Period	384 803	420 911
	Net Incurred Claims	**67 724**	**137 360**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	171 397	202 141
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	202 141	227 999
D	**LIFE INSURANCE**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance accepted	204 178	191 400
	Less: Reinsurance ceded	1 244	2 743
	Net Claims Paid	**202 935**	**188 657**
	Add: Claims Outstanding at the end of the Period	344 713	237 872
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the Period	237 872	136 124
	Net Incurred Claims	**309 776**	**290 405**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	311 281	190 671
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	190 671	104 734
E	**TOTAL ALL CLASSES**		
	Claims Paid		
	Direct	37	0

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	Add: Reinsurance accepted	2867 859	2715 411
	Less: Reinsurance ceded	154 028	96 543
	Net Claims Paid	**2713 867**	**2618 868**
	Add: Claims Outstanding at the end of the Period	8725 654	8076 753
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the Period	8076 754	7500 252
	Net Incurred Claims	**3362 766**	**3195 369**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	5458 440	4867 690
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	4867 690	4312 075

SCHEDULE 3

Commission

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
A	**FIRE INSURANCE**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	316 183	292 193
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	18 067	13 631
	Net Commission	**298 117**	**278 562**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	20 556	26 601
	Gross Commission	**295 627**	**265 592**
	Total	316 183	292 193
B	**MISCELLANEOUS INSURANCE**		
(1)	**MOTOR**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	154 581	102 795
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	0	0
	Net Commission	**154 581**	**102 795**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	3 368	3 215
	Gross Commission	151 213	99 580
	Total	**154 581**	**102 795**
(2)	**AVIATION**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	15 784	16 744
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	10 108	9 182
	Net Commission	**5 676**	**7 562**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	2 520	2 155
	Gross Commission	13 263	14 589
	Total	**15 784**	**16 744**
(3)	**ENGINEERING**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	36 023	36 533
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	141	463
	Net Commission	**35 881**	**36 070**

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	1 609	1 592
	Gross Commission	34 414	34 941
	Total	**36 023**	**36 533**
(4)	**WORKMENS' COMPENSATION /EMPLOYER'S LIABILITY**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	541	48
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	28	0
	Net Commission	**513**	**48**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	7	11
	Gross Commission	534	37
	Total	**541**	**48**
(5)	**LIABILITY**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	16 561	14 575
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	1 472	2 442
	Net Commission	**15 089**	**12 133**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	849	1 113
	Gross Commission	15 712	13 462
	Total	**16 561**	**14 575**
(6)	**PERSONAL ACCIDENT**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	25,714	(2 897)
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	(1)	55
	Net Commission	**25 715**	**(2 952)**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	416	424
	Gross Commission	25 298	(3 321)
	Total	**25 714**	**(2 897)**
(7)	**HEALTH**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	197 919	227 169
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	1	758

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	Net Commission	**197 918**	**226 411**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	831	270
	Gross Commission	197 088	226 899
	Total	**197 919**	**227 169**
(8)	**AGRICULTURE**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	16 250	33 779
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	176	770
	Net Commission	**16 074**	**33 009**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	333	318
	Gross Commission	15 917	33 461
	Total	**16 250**	**33 779**
(9)	**OTHER MISCELLANEOUS**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	26 935	19 882
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	4 731	2 818
	Net Commission	**22 204**	**17 064**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	835	845
	Gross Commission	26 100	19 037
	Total	**26 935**	**19 882**
(10)	**FINANCIAL LIABILTY/CREDIT**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	6 968	5 755
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	(31)	397
	Net Commission	**7 000**	**5 358**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	194	222
	Gross Commission	6 775	5 533
	Total	**6 968**	**5 755**
	TOTAL MISCELLANEOUS		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	497 275	454 383

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	16 624	16 885
	Net Commission	**480 651**	**437 498**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	10 961	10 162
	Gross Commission	486 314	444 221
	Total	**497 275**	**454 383**
C	**MARINE INSURANCE**		
(1)	**MARINE CARGO**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	9 796	12 844
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	1 317	892
	Net Commission	**8 479**	**11 952**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	589	561
	Gross Commission	9 207	12 283
	Total	**9 796**	**12 844**
(2)	**MARINE HULL**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	7 747	7 804
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	170	19
	Net Commission	**7 577**	**7 785**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	1 606	1 700
	Gross Commission	6 142	6 104
	Total	**7 747**	**7 804**
	TOTAL MARINE		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	17 544	20 648
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	1 488	911
	Net Commission	**16 056**	**19 737**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	2 195	2 261
	Gross Commission	15 349	18 387
	Total	**17 544**	**20 648**

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
D	**LIFE INSURANCE**		
	Gross commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	2 379	1 457
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	0	0
	Net Commission	**2 379**	**1 457**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	959	552
	Gross Commission	1 420	905
	Total	**2 379**	**1 457**
E	**TOTAL ALL CLASSES**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	833 382	768 681
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	36 179	31 427
	Net Commission	**797 203**	**737 254**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	34 672	39 578
	Gross Commission	798 710	729 103
	Total	**833 382**	**768 681**

SCHEDULE 4

OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1	Employees' remuneration & welfare benefits	16 796	15 755
2	Travel, conveyance and vehicle running expenses	690	638
3	Training expenses	162	135
4	Rents, rates and taxes	707	622
5	Repairs	1 897	1 608
6	Printing & stationery	11	14
7	Communication expenses	140	109
8	Legal & professional charges	1 369	1 730
9	Auditors' fees, expenses etc.		
	(a) as auditor	171	211
	(b) as advisor or in any other capacity, in respect of		
	(i) Taxation matters	5	5
	(ii) Insurance matters	11	8
	(iii) Management Services and	0	0
	(c) In any Other Capacity	0	0
10	Advertisement and publicity	1 234	318
11	Interest & Bank Charges	5 341	6 556
12	Depreciation	534	1 232
13	Brand/Trade Mark usage fee/charges	0	0
14	Business Development and Sales Promotion Expenses	0	0
15	Information Technology Expenses	3 163	2 859
16	Goods and Services Tax (GST)	(543)	372
17	Others	7 637	1 515
	Total	**39 325**	**33 687**
	In India	**29 037**	**30 161**
	Outside India	**10 288**	**3 526**

SCHEDULE 5

SHARE CAPITAL

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1	**Authorised Capital**		
	200,00,00,000 (PY 200,00,00,000) Equity Shares of ₹5/- Each	100 000	100 000
	Preference Shares of ₹.... each	0	0
2	**Issued Capital**		
	175,44,00,000 (PY 175,44,00,000) Equity Shares of ₹5/- Each	87 720	87 720
	Preference Shares of ₹.... each	0	0
3	**Subscribed Capital**		
	175,44,00,000 (PY 175,44,00,000) Equity Shares of ₹5/- Each	87 720	87 720
	Preference Shares of ₹.... each	0	0
4	**Called-up Capital**		
	175,44,00,000 (PY 175,44,00,000) Equity Shares of ₹5/- Each	87 720	87 720
	(Includes 168,92,00,000 shares of ₹5/ issued by capitalisation of Capital Redemption Reserve and General Reserve,		
	1,00,00,000 partly paid shares (₹2.50 per share paid) made fully paid-up shares by capitalisation of General Reserve,	0	0
	Less : Calls unpaid	0	0
	Add : Equity Shares forfeited (Amount originally paid up)	0	0
	Less : Par Value of Equity Shares bought back	0	0
	Less : Preliminary Expenses	0	0
	Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares	0	0
	Preference Shares of ₹.... each	0	0
	Total	**87 720**	**87 720**

SCHEDULE 5A

PATTERN OF SHAREHOLDING
[As certified by the Management]

	Shareholders	Current Year		Previous Year	
		Number of Shares	% of Holding	Number of Shares	% of Holding
	Shareholders				
	Promoters				
	Indian	1445567 615	82.40 %	1445567 615	82.40 %
	Foreign	0	0	0	0
	Investors				
	Indian	0	0	0	0
	Foreign	0	0	0	0
	Others	308832 385	17.60 %	308832 385	17.60 %
	Indian				
	Foreign				
	Total	**1754400 000**	**100.00%**	**1754400 000**	**100.00%**

SCHEDULE 6

RESERVES AND SURPLUS

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1	Capital Reserve	0	0
2	Capital Redemption Reserve	0	0
3	Share Premium	154 407	154 407
4	Revaluation Reserve	0	0
5	General Reserve		
	Opening Balance	1588 538	1588 538
	Less: Amount utilized for Buy-back	0	0
	Less : Utilised for issuance of Bonus Shares	0	0
	Add : Transfer from Profit & Loss A/c	0	0
	Closing Balance	**1588 538**	**1588 538**
6	Catastrophe Reserve		
	Opening Balance	169 799	110 004
	Additions during the period	73 925	59 795
	Deductions during the period	0	0
	Closing Balance	**243 724**	**169 799**
7	Other Reserves :		
	Foreign Currency Translation Reserve		
	Opening Balance	253 126	195 347
	Additions during the period	155 697	57 778
	Deductions during the period	0	0
	Closing Balance	**408 822**	**253 126**
8	Balance of Profit in Profit & Loss Account		
	Opening Balance	2226 862	1732 166
	Additions during the period	663 778	494 696
	Deductions during the period	0	0
	Closing Balance	**2890 640**	**2226 862**
	Total	**5286 131**	**4392 732**

SCHEDULE 7

BORROWINGS

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1	Debentures/ Bonds	0	0
2	Banks	0	0
3	Financial Institutions	0	0
4	Others	0	0
	Total	0	0

Schedule 8 and 8A

(₹ in Lakhs)

	Particulars	SCHEDULE 8 INVESTMENTS - SHAREHOLDERS' FUND		SCHEDULE 8A INVESTMENTS - POLICYHOLDERS' FUND		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	Long Term Investments						
1	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills*	1953 395	1688 330	3772 849	3595 849	5726 244	5284 179
2	Other Approved Securities	0	0	0	0	0	0
3	Other Investments						
	(a) Shares						
	(aa) Equity - Indian	1669 333	1735 401	3224 202	3696 104	4893 535	5431 505
	(ab) Equity - Foreign	8 004	5 695	0	0	8 004	5 695
	(bb) Preference	0	0	0	0	0	0
	(b) Mutual Funds	0	0	0	0	0	0
	(c) Derivative Instruments	0	0	0	0	0	0
	(d) Debentures /Bonds Indian	76 043	34 170	146 872	72 776	222 915	106 946
	Debentures /Bonds Foreign	0	0	0	0	0	0
	(e) Other Securities						
	i. Guaranteed Equity	2	2	3	3	5	5
	ii. Infrastructure Investment Trust (InvIT)	1 757	0	3 394	0	5 151	0
	(f) Subsidiaries	74 249	74 249	0	0	74 249	74 249
	(g) Associates - Indian	0	0	0	0	0	0
	Associates - Foreign	3 155	3 155	0	0	3 155	3 155
	(h) Investment Properties-Real Estate	0	0	0	0	0	0
4	Investments in Infrastructure and Housing						
	(a) Equity	63 328	63 326	122 314	134 873	185 642	198 199
	(b) Debentures/Bonds	613 381	464 151	1184 704	988 562	1798 085	1452 713
5	Other than Approved Investments						
	(a) Equity	40 718	35 599	78 643	75 819	119 361	111 417
	(b) Preference	0	0	0	0	0	0
	(c) Debentures /Bond	1 555	92 095	3 003	196 147	4 558	288 242

	Particulars	SCHEDULE 8 INVESTMENTS - SHAREHOLDERS' FUND		SCHEDULE 8A INVESTMENTS - POLICYHOLDERS' FUND		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	(d) Venture Funds	2 990	2 851	5 774	6 071	8 764	8 922
	(e) Associate Indian	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000
	Short Term Investments						
1	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	133 648	101 283	258 132	215 715	391 780	316 998
2	Other Approved Securities	639	599	1 235	1 275	1 874	1 874
3	Other Investments						
	(a) Shares	0	0	0	0	0	0
	(aa) Equity	0	0	0	0	0	0
	(bb) Preference	0	0	0	0	0	0
	(b) Mutual Funds	25 227	26 065	48 724	55 515	73 951	81 580
	(c) Derivative Instruments	0	0	0	0	0	0
	(d) Debentures /Bond Indian	7 334	4 633	14 165	9 867	21 498	14 500
	Debentures /Bond Foreign	0	0	0	0	0	0
	(e) Other Securities						
	Commercial Paper	0	0	0	0	0	0
	(f) Subsidiaries	0	0	0	0	0	0
	(g) Associates - Indian	0	0	0	0	0	0
	Associates - Foreign	0	0	0	0	0	0
	(h) Investment Properties-Real Estate	0	0	0	0	0	0
4	Investments in Infrastructure and Social Sector						
	(a) Debentures /Bond	154 668	105 365	298 731	224 408	453 399	329 773
5	Other than Approved Investments						
	(a) Preference Shares	0	0	0	0	0	0
	(b) Debentures /Bond	31 951	28 891	61 712	61 532	93 663	90 422
	(c) Mutual Funds	0	0	0	0	0	0
	Total	**4868 376**	**4472 858**	**9224 457**	**9334 516**	**14092 833**	**13807 374**

*Investment Policyholder's Fund includes the Catastrophe Reserve amounting to ₹243724 Lakhs as at 31.03.2026 (₹169799 Lakhs as at 31.03.2025)

Share holder's fund	**34.11%**
Policy holder's fund	**65.89%**

Aggregate value of Investments other than Listed Equity Securities and Derivative Instruments

(₹ in Lakhs)

Particulars	Shareholders		Policyholders		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Long Term Investments:						
Book Value	2680 885	2312 256	5177 948	4924 703	7858 833	7236 959
Market Value	2680 885	2312 256	5177 948	4924 703	7858 833	7236 959
Short Term Investments:						
Book Value	349 872	263 468	675 755	561 140	1025 627	824 608
Market Value	353 467	266 835	682 698	568 312	1036 165	835 147

SCHEDULE 9

LOANS

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1	**Security-wise Classification**		
	Secured		
	(a) On mortgage of property		
	(aa) In India	4 816	4 313
	(bb) Outside India	0	0
	(b) On Shares, Bonds, Government Securities	0	0
	(c) Others: Investments In State Govt. Loans for Housing and Fire fighting	7 140	8 852
	Unsecured	563	563
	Total	**12 519**	**13 728**
2	**Borrower-Wise Classification**		
	(a) Central and State Governments	7 140	8 852
	(b) Banks and Financial Institutions	0	0
	(c) Subsidiaries	0	0
	(d) Industrial Undertakings	4 003	4 007
	(e) Companies		0
	(f) Others : Loan to Employees	1 376	869
	Total	**12 519**	**13 728**
3	**Performance-Wise Classification**		
	(a) Loans classified as standard		
	(aa) In India	8 397	9 292
	(bb) Outside India	0	0
	(b) Non-performing loans less provisions		
	(aa) In India	0	0
	(bb) Outside India	0	0
	Provisions *	4 122	4 436
	Total	**12 519**	**13 728**
4	**Maturity-Wise Classification**		
	(a) Short - Term	1 492	1 551

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	(b) Long - Term	11 027	12 177
	Total	**12 519**	**13 728**

*Includes Provision for Bad and Doubtful Loans

(₹ in Lakhs)

Provisions against Non-performing Loans		
Non-Performing Loans	**Loan**	**Loan**
Sub-standard	0	0
Doubtful	4 122	4 436
Loss	0	0
Total	**4 122**	**4 436**

Provisions against Non-performing Loans		
Non-Performing Loans	**Provision**	**Provision**
Sub-standard	0	0
Doubtful	4 122	4 436
Loss	0	0
Total	**4 122**	**4 436**

SCHEDULE 10

Fixed Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	Cost/Gross Block				Depreciation				Net Block	
	As at 01.04.2025	Additions	Deductions	As at 31.03.2026	Upto 31.03.2025	Twelve months ended 31.03.2026	On Sales/ Adjustment	Upto 31.03.2026	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
Leasehold Land	2 473	0	0	2 473	1 202	34	0	1 236	1 236	1 271
Freehold Land	5 601	0	0	5 601	0	0	0	0	5 601	5 601
Buildings*	24 193	0	3	24 190	4 369	(331)	3	4 035	20 155	19 824
Furniture & Fittings	397	0	75	322	358	16	75	298	24	39
I.T. Equipments	1 953	293	47	2 199	1 188	417	47	1 558	641	765
I.T. Software	8 446	0	0	8 446	7 785	284	0	8 069	376	661
Vehicles	847	60	189	718	403	88	152	339	379	444
Office Equipments	234	14	113	135	207	13	102	118	17	27
AC & Water Coolers	174	0	28	146	141	5	26	120	26	34
Elevators	79	0	0	79	10	5	0	15	63	68
Canteen Appliances	6	0	2	4	5	0	2	3	1	1
Electrical Installation	136	0	94	42	121	3	94	31	12	15
Fire Alarm Systems	34	0	29	5	34	0	29	5	0	0
Total	**44 573**	**367**	**581**	**44 359**	**15 823**	**534**	**529**	**15 829**	**28 531**	**28 750**
Capial Work in Progress	791	414	0	1 205	0	0	0	0	1 205	791
Grand Total	**45 364**	**781**	**581**	**45 564**	**15 823**	**534**	**529**	**15 829**	**29 736**	**29 541**
Previous years	43 501	2 144	281	45 364	14 793	1 232	202	15 823	29 541	

The figures are inclusive of Appreciation/Depreciation due to foreign currency fluctuation

* The Corporation undertook a one-time rectification exercise during the current year to address long-standing mismatches between SAP Asset Accounting and the SAP General Ledger (GL) relating to gross block and accumulated depreciation. Pursuant to this exercise, it was identified that excess depreciation had been charged over previous years in respect of assets within the Building category. Accordingly, a reversal of such excess depreciation of ₹ 728 Lakhs has been recognized in the current year.

SCHEDULE 11

CASH AND BANK BALANCES

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1	Cash (including cheques * , drafts and stamps)	1	1
2	Bank Balances		
	(a) Deposit Accounts - Short term (due within 12 months)*	2460 500	2063 266
	(b) Current Accounts	244 737	296 771
	(c) Others (Remittances in Transit)	0	0
3	Money at Call and Short Notice		
	(a) With Bank	9 755	1 767
	(b) With other Institutions	61 129	101 950
	Total	**2779 122**	**2463 755**
	Balances with non-scheduled banks included in 2 and 3 above		
	CASH AND BANK BALANCES		
1	In India	970 702	869 150
2	Outside India	1808 420	1594 605
	Total	**2779 122**	**2463 755**

*Deposit Accounts - Short term includes ₹15,22,411 lakhs (₹10,62,874 lakhs as on 31.03.2025) of fixed deposits having maturity of more than 3 months and Deposits under margin for Letter of Credit ₹5,57,818 lakhs (₹6,93,643 lakhs as on 31.03.2025) as on 31.03.2026. Margin Money includes Bank Guarantee provided to Dubai Branch for ₹1,40,519 lakhs.

SCHEDULE 12

ADVANCES AND OTHER ASSETS

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	Advances		
1	**Reserve Deposits with Ceding Companies**	1108 906	902 072
	Less:Provision for Doubtful Debts	73 187	54 666
		1035 719	847 406
2	Application Money for Investments	0	2 309
3	Prepayments	2 327	3 723
4	Advances to Directors/Officers	55	49
	Less: Provisions	0	10
	(Net of provision for taxation)	55	39
5	Advance Tax Paid and TDS	1117 090	812 523
	Less: Provision for Taxation	1048 798	745 299
		68 292	67 224
6	Goods & Service tax credit	258	2 175
7	Others :		
	(i) Sundry Advances	628	1 055
	(ii) Sundry Advances to Subsidiaries	1 987	1 987
	Total (A)	**1109 266**	**925 917**
	Other Assets		

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1	Income accrued on investments	242 107	212 532
2	Outstanding Premiums	0	0
	Less: Provisions for doubtful, if any	0	0
3	Advances to Ceding Companies	0	0
4	Foreign Agencies Balances	0	0
5	Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)	1059 648	1014 465
	Less: Provision for Doubtful Debts	58 878	62 175
		1000 770	952 290
6	Due from subsidiaries/ holding	100 448	37 955
7	Investments held for Unclaimed Amount of Policyholders	0	0
8	Interest on investments held for Unclaimed Amount of Policyholders	0	0
9	Others		
	(i) Sundry Debtors	302	5 483
	Less:Provision for Doubtful Debts	14	143
		288	5 340
	(ii) Sundry Deposits	250 455	241 900
	(iii) Pension Asset	249	697
	(iv) Gratuity Asset	0	1 211
	Total (B)	**1594 316**	**1451 925**
	Total (A+B)	**2703 582**	**2377 842**

SCHEDULE 13
CURRENT LIABILITIES

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1	Agents' Balances	0	0
2	Balances Due to other insurance companies	182 602	191 967
3	Deposits held on re-insurance ceded	2 830	3 343
4	Premiums received in advance		
	(a) For Long term policies	0	0
	(b) For Other Policies	0	0
5	Unallocated Premium	0	0
6	Sundry Creditors	27 090	11 715
7	Due to subsidiaries/ holding company	0	0
8	Claims Outstanding	8725 654	8076 754
9	Due to Officers/ Directors	0	0
10	Unclaimed Amount of policyholders	0	0
11	Income accrued on Unclaimed amounts	0	0
12	Interest payable on debentures/bonds	0	0
13	Goods and Service tax Liability	50 511	39 527
14	Others:		
	a) VAT Liability Dubai	0	0
	b) Dividend Payable	0	0
	Total	**8988 687**	**8323 306**

SCHEDULE 14

PROVISIONS

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1	Reserve for Unearned Premium Reserve	1843 349	1724 059
2	Reserve for Premium Deficiency	14 380	8 609
3	Provision for Taxation	306 722	348 210
	Less: Advance Tax Paid and TDS	268 658	337 812
		38 064	10 398
4	For Employee Benefits:		
	For Leave Encashment	4 294	4 069
	Provision for Pension	0	0
	Provision for Gratuity	560	0
	Provision for Settlement	226	210
	Provision for Provident fund	137	125
	Provision for Salary Arrears	0	7 000
5	Others:		
	a) For Doubtful Loans and Investments	185 715	191 561
	Total	**2086 725**	**1946 031**

SCHEDULE 15

MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extent not written off or adjusted)

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1	Discount Allowed in issue of shares/ debentures	0	0
2	Others	0	0
	TOTAL	0	0

SCHEDULE-16

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

I. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements have been prepared and presented on a going concern basis in accordance with the provisions of Section 11(1) of the Insurance Act, 1938 and to comply with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), including the Accounting Standards specified under Companies (Accounting Standards) Rules, 2021 read with Section 133 of Companies Act 2013, as amended. The Financial Statements also conform to the stipulation specified under the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024. The said statements are prepared on historical cost convention and on accrual basis except as otherwise stated and conform to the statutory provisions and practices prevailing in the General Insurance Industry in India.

2. REINSURANCE BUSINESS

2.1. **Use of Estimates**

The preparation of financial statements in conformity with the generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities as of the Balance Sheet date, revenue and expenses for the year ended and disclosure of contingent liabilities as of the Balance Sheet date. The estimates and assumptions used in accompanying financial statements are based upon Management's evaluation of the relevant facts and circumstances as of the date of the financial statements. Actual results may differ from the estimates and assumptions used in preparing the accompanying financial statements. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

2.2. **Reinsurance Revenues**

Premium is accounted based on accounts rendered by ceding companies upon receipt of accounts. At the period end, estimates are made for accounts not yet received, based on available information and current trends. In respect of Insurance pool business, where GIC Re is one of the members of the Pool, only the Corporation's share of revenue is recorded in the books of accounts.

2.3. **Outstanding Claims**

2.3.1. Estimated liability for outstanding claims in respect of Reinsurance business carried out in India is based on advice received as of different dates up to the date of finalization of claim figures in the books for submission of the data to the "Appointed Actuary" and wherever such advices are not received, on estimates based on available information, current trends, past underwriting experience of the management and actuarial estimation basis.

2.3.2. Provision for claims Incurred But Not Reported (IBNR) is made as certified by the Appointed Actuary based on accepted actuarial methods.

2.4. **Receivables**

Provisions for Doubtful Debts for receivables are provided as under:

(i) Companies in liquidation

(ii) Companies having non-moving balances over a period of 3 years

(iii) Companies having moving balances, apart from various parameters, has primarily outstanding dues for more than 3 years:

The Provision for doubtful debts does not include Domestic Pools and Wholly Owned Subsidiaries.

3. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Revenue transactions in foreign currencies are converted at the daily rate of exchange on the day accounts are received and transactions are booked. The rates have been taken Refinitiv India Private Limited, an LSEG business.

3.1 Non-Monetary items including fixed assets and investments abroad are reported using the exchange rate applicable on the date of acquisition.

3.2 Monetary items such as receivables, payables and balances in bank accounts held in foreign currencies are converted using the closing rates of exchange at the balance sheet date.

3.3 The exchange gain/ loss relating to revenue transaction, due to conversion of foreign currencies, is accounted for as revenue in respective revenue accounts. The common exchange gain/loss due to conversion are apportioned between Revenue Account and Profit and Loss Account in same proportion as stated in Significant Accounting Policy No. 5.

3.4 Foreign branch operations are considered as "non-integral business" as prescribed in AS11 "The effects of changes in foreign exchange rate (revised 2018)"and translated accordingly.

4. RESERVE FOR UNEXPIRED RISKS (URR)

The URR provisions are made as under:

4.1 **Non-Life Business:**

(i) For HO:

Reserve for Unexpired Risk in respect of Marine Insurance (Hull) and Terrorism Risk Business (included in Fire and Engineering) is made at 100% of Net Premium, while for all other classes of insurance is made at 50% of Net Premium of trailing 12 months other than Agriculture Insurance Business – Kharif (where premium is earned fully within the accounting period).

(ii) London, Dubai, and Malaysia Branch:

Reserve for Unexpired Risk is provided as per local practice of respective countries. Adjustment for excess or short provision in URR, as per IRDAI requirement, is accounted at Head Office.

4.2 **Life Business:**

Reserve for Unexpired Risk is provided as determined by Appointed Actuary based on accepted Actuarial methods.

5. APPORTIONMENT OF INTEREST, DIVIDEND AND RENT

The income from interest, dividends and rent is apportioned between Profit and Loss Account and Revenue Accounts in the ratio of Shareholders' Fund and Policyholders' Fund respectively at the end of the period. The same is further apportioned amongst the Revenue accounts on the basis of the respective Policyholder's fund at the end of the period.

Calculations of Shareholders' fund and Policyholders' fund are based on IRDAI circular IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024. Shareholder's fund consists of Share Capital plus all Reserves and Surplus (except catastrophe reserve).

Policyholders' fund for this purpose consists of estimated liability for outstanding claims including IBNR and IBNER, unexpired risk reserve (URR), Premium deficiency (if any), catastrophe reserve (if any) and Other Liabilities net of Other Assets (relating to policyholders) as per the guidelines of IRDAI.

6. FIXED ASSETS AND INTANGIBLES AND CWIP-SOFTWARE UNDER DEVELOPMENT

Fixed Assets:

Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost of shares in Co-operative Societies/Companies for property rights acquired is included under the head 'Buildings' under Fixed Assets.

Tangible Fixed Assets are stated at cost (including incidental expenses relating to acquisition and installation) less accumulated depreciation.

GST on capital assets is excluded in the acquisition cost of assets and Input Tax Credit for the same has been claimed as per applicable GST laws.

Intangible Assets:

Intangible Fixed Assets representing software are recorded at its acquisition price and are amortized over their estimated useful life on a straight-line basis, commencing from the date the assets are available for use. The management has estimated the useful life for such software as five years. The useful life of the asset is reviewed by the management at each Balance Sheet date. Intangible assets which are under development are capitalized only upon its completion.

Capital Work In Progress:

Capital work in progress includes assets not ready for the intended use and are carried at cost, comprising direct cost and related incidental expenses.

6.1. **Depreciation on Fixed Assets**

Depreciation is provided on straight line method based on useful life of the assets as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013 and residual value of the assets shall be ₹1/-.

Depreciation is provided on pro-rata basis on additions to fixed assets and on assets sold / discarded /demolished / destroyed during the year.

All assets individually costing up to ₹ 10,000 are fully depreciated in the period in which they are acquired.

6.2. **Impairment of Assets**

Fixed assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset.

7. EMPLOYEE BENEFITS

Short term employee benefits

Employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service are classified as short term employee benefits and are recognised in the period in which the employee renders the related service. All short term employee benefits are accounted on undiscounted basis.

Long term employee benefits

These include Provident Fund, Gratuity, Leave Salary, Settlement and Pension. These are provided on the basis of actuarial valuation including actuarial gains/losses at Balance Sheet date and is recognised in the Revenue Account(s) and Profit and Loss account.

8. APPORTIONMENT OF EXPENSES

(i) **Head office business:**

Operating expenses relating to insurance business are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of Reinsurance Premium accepted during the period for which accounts are prepared, giving weightage of 75% for Marine business & 100 % for Fire, Miscellaneous & Life Reinsurance business.

(ii) **Foreign business:**

Operating expenses relating to insurance business are also apportioned to the Revenue Accounts of branches on the same basis as mentioned in 8 (i) above.

(iii) **Investment Expenses:**

Expenses relating to investment are apportioned between Revenue and Profit & Loss Account in the same proportion as stated in Significant Accounting Policy No.5. Interest, Dividend and Rent income is net of Investment expenses. Refer Note No 13.

9. INVESTMENTS

9.1 Prudential norms prescribed by Reserve Bank of India and the IRDAI are followed in regard to:

(i) Revenue recognition

(ii) Classification of assets into Performing and Non-performing and

(iii) Provisioning against Performing and Non-performing assets.

9.2 Purchases and Sales of shares are accounted for on the date of contracts whereas bonds, debentures and Government securities are accounted for on the date of settlement.

9.3 The cost of investments includes premium on acquisition, Securities Transaction Tax, Goods & Service Tax and their related expenses.

9.4 Short term money market instruments such as Triparty Repo (TREPS), Commercial Paper and Treasury Bill, which are discounted at the time of contract at the agreed rate are accounted at their discounted value.

9.5 Investment portfolio in respect of Equity Shares are segregated into actively traded and thinly traded as prescribed by the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024.

9.6 All investments are reviewed for impairment at the end of the Period whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an investment may not be recoverable. Basis the same, Impairment loss (i.e., other than temporary diminution in value) is recognized over and above specific assessment-based impairment as required separately as per the Significant Accounting Policies.

(a) Investment in actively traded Equity Shares are required to be valued as per the guidelines of IRDAI issued vide circular ref. no. IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated 17th May, 2024 Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers. The Corporation has chosen NSE as primary stock exchange and BSE as secondary exchange. Accordingly, the valuation of Equity Shares is made at Fair Value being the closing price of NSE. If such security is not listed / not traded on NSE on closing day, the closing price of BSE is considered.

(i) Provisioning for diminution in the value of Equity shares/Preference shares:

Impairment loss (i.e., other than temporary diminution in value) is recognized in respect of an Equity/Preference Share which is actively traded in the stock exchange, and which has been held by the Corporation for a period of more than three years, provided, the current average book value is more than the Fair value as on the Balance Sheet date as well as persistently on previous three years from the Balance Sheet date.

Provision to the extent of difference between the re-measured fair value of the security/investment and its acquisition cost as reduced by any previous impairment loss will be recognized as expense in the Profit and Loss Account.

(b) Investment in units of Mutual Funds are valued at Fair value as per Master Circular Ref. No. IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated 17th May, 2024, Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers. Fair value for this purpose is the last quoted NAV as at the balance sheet date.

(c) In case of Equity Exchange Traded Funds (ETFs) the investment is valued on the same basis as traded Equity Shares, whereas Passive ETFs shall be valued at Traded Price or at NAV as on the reporting date as per the Master circular issued by IRDAI on Actuarial, Finance and Investment functions of Insurers issued vide circular Ref. No. IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated 17th May, 2024.

9.7 Unrealized Gains/Losses

(a) Unrealized gains/losses (excluding impairment loss of other than temporary diminution in value) arising due to changes in the fair value of listed Equity Shares and Mutual Fund units are taken under the head "Fair Value Change Account" and on realization reported in Profit and Loss Account.

(b) Pending realization, the credit balance in the "Fair Value Change Account" is not available for distribution.

(c) Provision is made for diminution in value of investments relating to thinly traded and unlisted shares equivalent to the amount of difference in average book cost and breakup value of the shares except in companies where demerger has taken place during the Financial Year and latest audited accounts are not available.

Break-up value is computed from the Annual Reports of companies not beyond 21 months irrespective of date of closure of annual accounts of the companies.

(d) Provision is made for diminution in value of investment relating to units of Venture Capital Funds equivalent to the amount of difference in book cost and the latest Net Asset Value (NAV).

9.8 Investments in Equity and Preference shares of companies are valued as under:

a) Where shares are Actively Traded, and Book Value is less than Market Value	: Fair Value Change Account at Market Value
Diminution in value of such investments is recognized in the Balance Sheet at period end by writing down in the following cases:	
b) Where shares are Actively Traded, and Book Value is greater than Market Value	: Written down to Market Value

c)	Thinly traded Equity Shares	: Written down to nominal value of ₹1/- per company
d)	Preference Shares	: At a value proportionate to the face value of the Equity Shares that bears to its market value and carrying cost is reduced by the diminution value.

Companies whose latest available audited accounts are beyond 21 months irrespective of date of closure of annual accounts of the companies as on the date of Balance Sheet or whose Net worth has been fully impaired (negative Net worth) are written down to ₹1/-.

9.9 Investments in Subsidiary and Associate Companies are valued at cost as these are Strategic investments. Provision for diminution in the value of these investments is made only if the decline is other than temporary.

9.10 Final Dividend is accounted for as income in the year of declaration and Interim dividend is accounted as income when the amount is received or credited.

9.11 Dividends/Interest on shares/debentures under objection/pending deliveries is accounted for on realization/payment.

9.12 Profit or Loss on sale of investments is apportioned between Profit and Loss Account and Revenue Accounts in same proportion as stated in Significant Accounting Policy No. 5.

Profit/Loss on sale of investments is computed at average book value of investments on the date of sale.

9.13 Expenses relating to safe custody, Straight Through Processing and bank charges etc. on investments are charged to Profit and Loss Account and Revenue Accounts as stated in Significant Accounting Policy No.8.

9.14 Debt securities including Government securities and Redeemable Preference shares have been considered as 'held to maturity' securities and have been measured at historical cost subject to amortization of premium paid over residual period. The call date has been considered as maturity date for amortization of Perpetual Bonds.

9.15 In case of Repos transaction, difference between the selling and buying value is treated as interest income.

9.16 Investments are apportioned between Shareholders' Fund & Policyholders' Fund basis ratio calculated as per IRDAI circular IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated 17th May, 2024.

9.17 Investment in Units of "Real Estate Investment Trusts (REIT) & Infrastructure Investment Trusts (InvIT)"

The Investment in Units of REITs / InvITs shall be valued at Fair value being last quoted closing price (should not be later than 30 days) on the National Stock Exchange or in case these are not listed on National Stock Exchange, then based on the last quoted price on the Bombay Stock Exchange. Where Market Quote is not available for the last 30 days, the Units shall be valued as per the latest NAV (not more than 6 months old) of the Units published by the trust as per Master circular issued by IRDAI on Actuarial, Finance and Investment functions of Insurers issued vide circular Ref. No. IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated 17th May, 2024.

9.18 Investments in Debt Securities of "Real Estate Investment Trusts (REIT) & Infrastructure Investment Trusts (InvIT)

The Investment in Debt Securities of InvITs / REITs shall be valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by any Rating Agency registered with SEBI as per Master circular issued by IRDAI on Actuarial, Finance and Investment functions of Insurers issued vide circular Ref. no. IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated 17th May, 2024.

9.19 Investment Classification: Investments maturing within twelve months from Balance Sheet date and investments made with the specific intention to dispose off within twelve months are classified as 'Short Term investments'.

Investments other than 'Short Term investments' are classified as 'Long Term investments'.

10. AMORTIZATION OF PREMIUM AND PROVISION FOR DOUBTFUL LOANS, INVESTMENTS & DEBTS

Amortization of premium, provision for doubtful loans, doubtful debts and diminution in the value of investments written off, are recognized in the Revenue Account and Profit & Loss Account in the ratio of Policyholder's Fund and Shareholder's Fund. Securities purchased at a discount are booked at the discounted price.

11. COMPLIANCE WITH ACCOUNTING STANDARDS

The Corporation has complied with relevant accounting standards prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act), read with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2014 as amended, to the extent applicable and IRDAI guidelines in preparation of its Financial Statements.

12. PREMIUM DEFICIENCY RESERVE(PDR)

Non-Life Business: Wherever applicable, Premium Deficiency is worked out separately for each segmental revenue level basis viz. Fire, Marine and Miscellaneous. As per IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, dated 20th March 2024, PDR is calculated by Non-Life Appointed Actuary.

Life Re business: As per IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 dated 20th March 2024, PDR is calculated by Life Re Appointed Actuary.

13. DEFERRED COMMISSION

London Branch Office has accounted for Deferred Commission as per the local laws. The same is accounted as Commission at Head Office, in compliance to IRDAI requirements.

14. TAXATION

Current tax

The Company provides for income tax on the basis of taxable income for the current accounting period in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961.

Current income tax expense comprises taxes on income from operations in India and in foreign jurisdiction. Income tax payable in India is determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. Tax expense relating to foreign operations is determined in accordance with tax laws applicable in countries where such operations are domiciled.

Interest on Refund of income tax is accounted on realization basis.

Deferred tax

Deferred tax assets and liabilities are recognised on timing differences between the accounting income and the taxable income for the year and quantified using the tax rates and laws enacted or substantively enacted as on the Balance Sheet date.

Deferred tax assets are recognised only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realised in future. However, where there is unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, Deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty of realisation of such assets. Deferred tax assets are reviewed at each Balance Sheet date and appropriately adjusted to reflect the amount that is reasonably/virtually certain to be realised.

15. PROVISIONS AND CONTINGENCIES

A provision is recognised when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to their present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the Balance sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

Contingent Losses arising from claims other than insurance claims under policies, litigation, assessment, fines, penalties, etc. are recorded as a disclosure made when there is a possible obligation but probably will not require an outflow of resources.

When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote or cannot be ascertained, no provision or disclosure is made.

Contingent asset are neither recognised nor disclosed in the Financial Statements.

16. CATASTROPHE RESERVE

Catastrophe Reserve is created by appropriation of 10 % of Operating profits of Revenue Accounts in respect of Fire, Marine and Miscellaneous business. This reserve forms part of Policyholders' Funds and is reflected in Schedule 6-Reserves & Surplus of the Balance Sheet as per IRDAI format.

II. NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS:

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, have been adopted for presentation of the accounts.

INVESTMENTS

1. (a) Out of Investment held in Shares, Debentures, Bonds & Venture Capital Fund of the value of ₹ 78,95,708 lakhs (Previous Year ₹ 81,16,309 lakhs). The total investment in the bonds of Datar Switchgear Limited is ₹ 65 lakhs. Out of this, ₹ 13 lakhs pertain to the Corporation, and the remaining amount of ₹ 52 lakhs are attributable to erstwhile Subsidiaries.

   (b) During the year there were receipts of Excess Dividends of ₹ NIL (Previous Year ₹ 0.11 lakhs), Excess Profits ₹ NIL (Previous Year ₹ NIL) and Excess Interests ₹ NIL (Previous Year ₹ NIL). The excess dividend balance as on 31.03.2026 amounts to ₹ 16 lakhs (Previous Year ₹ 16 lakhs). The interest received on the excess Bonds / Debentures and profit on excess equity / debentures as on 31st March 2026 amounts to ₹ NIL (Previous Year ₹ NIL) & ₹ NIL (Previous Year ₹ NIL). This excess dividend is shown as Liability.

2. (a) Provision includes provision for standard assets 0.40% as per IRDAI-Prudential norms for Income recognition, Asset Classification and provisioning and other related methods in respect of debt portfolio amounting to ₹ 10,091 lakhs (Previous Year ₹ 8,821 lakhs).

   (b) During the year, the Corporation has not undertaken under CDR (Corporate Debt Restructuring) System, any case of restructuring of corporate debt/loan. (Previous Year ₹ NIL).

   (c) The Corporation has considered latest available NAV for the provisioning of units of Venture Capital Fund. The details of latest available NAV considered are as follows:

NAV as on	No. of Venture Capital Funds
31st March, 2026	4
31st December, 2025	8
30th September 2025	0
31st March 2025	3
Nil NAV	2
Exit	2
Total	**19**

3. For valuation of actively traded Equity shares, last trading day of FY 2025-26 has been considered as closing day.

4. During the year, the corporation has waived / written off debts, loans, and interest as follows:

Waiver during the year 2025-26 & 2024-25 (₹ in lakhs)

Particulars	Financial Year 2025-26			Financial Year 2024-25		
	No. of cases	Write off	Waiver	No. of cases	Write off	Waiver
Compound Interest/ Late Dues	2	0	11,085	60	0	38,746
Simple Interest / Interest on Delayed payment of Principal	2	0	7,560	49	0	22,365
Total	**4**	**0**	**18,645**	**109**	**0**	**61,111**

Debts / Equity written off during year 2025-26 & 2024-25 (₹ in Lakhs)

Financial Year 2025-26		Financial Year 2024-25	
No of Companies	Amount written down/written off	No of Companies	Amount written down/written off
2	4,710	28	19,944

Diminution in the value of Investments written off during the year 2025-26 & 2024-25

(₹ in Lakhs)

Financial Year 2025-26		Financial Year 2024-25	
No of Companies	Amount written down/written off	No of Companies	Amount written down/written off
2	179	0	0

5. There is no difference between title of ownership in respect of CGS/SGS/ bonds/debentures etc. available in physical/demat format vis-à-vis shown in books of accounts except for the differences pointed out in Point No 1.

6. As at 31st March 2026, all the assets of the Corporation in and outside India are free from encumbrances except for:

(a) The Government of India Stock, 8.24% 2027 for ₹ 785 lakhs, 8.60% 2028 for ₹ 20 lakhs, 6.19 % 2034 for ₹ 500 lakhs, 7.54 % 2036 for ₹ 2,000 lakhs, 7.10 % 2029 for ₹ 1,000 lakhs, 7.41 % 2036 for ₹ 1,000 lakhs, 7.26 % 2032 for ₹ 1,000 lakhs, 7.18 % 2037 for ₹ 4,000 lakhs, total amounting to ₹ 10,305 lakhs (Previous Year ₹ 10,305 lakhs) and cash deposit of ₹ 126 lakhs (Previous year ₹ 106 lakhs) with Clearing Corporation of India Limited as deposit towards Settlement Guarantee Fund.

Out of the Cash Deposit, ₹ 15 lakhs is maintained as Cash collateral Deposit towards Triparty Repo Default fund (Previous Year ₹ 15 lakhs) and ₹ 8 lakhs towards Securities Default fund (Previous Year ₹ 8 lakhs). ₹ 1 lakh is maintained for initial margin and ₹ 102 lakhs are for CGS Margin.

(b) (i) In view of margin requirements as recommended by SEBI vide Circular dated 19/03/2008, Corporation has assigned a Government of India security 7.10% 2029 amounting to ₹ 4,000 lakhs (Previous year ₹ 4000 lakhs) as Pledge towards Margins in cash segments. This Pledge covers margin obligations arising out of trades done in NSE & BSE.

(ii) Margin FDR of ₹ 6 lakhs (Previous year ₹ 6 lakhs) against Bank Guarantee to Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) to undertake development activities at plot bearing CTS.NO.1606OF Fort Division measuring 1844.40 sq. meter.

(iii) Margin FDR of ₹ 1,40,520 lakhs (Previous ₹ 1,30,949 lakhs) is kept under lien for issuance of Bank Guarantee (BG) in compliance with UAE regulatory requirements for the Dubai Branch.

(iv) Margin FDR of ₹ 850 lakhs (Previous ₹ 850 lakhs) is kept under lien against the Bank Guarantee (BG) for payment of Bank of Baroda commission towards Bank Guarantee (BG) issuance.

(c) Margin FDR held by Bank for issue as LC/BG of ₹ 5,57,818 lakhs (Previous year ₹ 6,93,643 lakhs).

(d) Accrued interest on Fixed Deposits may vary based on the interest calculation methodologies adopted by different banks. The Corporation exercises due diligence and follows a consistent process to ensure that accrued interest is computed strictly in accordance with the terms and conditions specified in the respective Fixed Deposit Receipts (FDRs). Accordingly, accrued interest is recognized and accounted for on a quarter-on-quarter basis, ensuring proper realization of proceeds upon maturity.

7. The Commitments made and outstanding for Loans, Investments and Fixed Assets (if any) as at 31st March 2026 are ₹ 293 lakhs (Previous year ₹ 1,949 lakhs).

8. **Value of contracts in relation to investments, for**

a) Purchases, where deliveries are due and pending ₹ NIL (Previous year ₹ NIL).

b) Sales, where payments are overdue ₹ NIL (Previous year ₹ NIL).

9. The Book Value of Investments valued on Fair Value basis is Equity ₹ 17,83,052 lakhs (Previous Year ₹ 15,83,329 lakhs) & Mutual Funds ₹ 63,413 (Previous Year ₹ 71,041 lakhs) & INVITS ₹ 8,042 lakhs (Previous Year ₹ 8,309 lakhs). For some Actively traded shares falling under "Fair value Depreciation" category, an amount of ₹ 88,204 lakhs (Previous Year ₹ 80,766 lakhs) is considered under "Provision for Diminution of Listed equity shares" category.

10. The basis of amortization of debt securities is as stated in Significant Accounting Policy No.9.14.

11. The Corporation does not hold any properties for investment purposes.

12. Provisions regarding unrealized gains/losses have been stated in the Significant Accounting Policy No. 9.7.

13. Interest, Dividend and Rent income is net of Investment expenses of ₹ 680 lakhs (Previous Year ₹ 561 lakhs).

14. A Provision has been made for ₹ 84,397 lakhs (Previous Year ₹ 89,505 lakhs) towards Non-Performing Assets (Other than Standard Assets). Therefore, there is reversal of provision accounted during the year is ₹ 5,108 lakhs (Previous Year ₹ 47,618 lakhs).

Reinsurance

15. Underwriting of Direct business stopped from 1st April 2001. Figures included in Revenue Accounts Pertaining to direct business (if any) are on account of run-off business. Run-off liabilities are sufficiently provided for based on advice received.

16. Premiums, less reinsurance, written from business during the Financial Year 2025-26 in India are: ₹ 31,08,980 lakhs (Previous Year ₹ 28,44,247 lakhs) and outside India are ₹ 9,48,145 lakhs (Previous Year ₹ 9,40,173 lakhs).

17. Incremental Provision in URR, for March 31, 2026, in respect of long-term Facultative Policies. – ₹ NIL (Previous Year ₹ NIL).

18. Claims less reinsurance during the financial year 2025-26 paid in India are:

₹ 19,06,895 Lakhs (Previous Year ₹ 17,02,488 lakhs) and outside India are ₹ 8,06,972 lakhs (Previous Year ₹ 9,16,379 lakhs).

19. Segment Reporting

Segment Reporting as per Accounting Standard -17 "Segment Reporting", has been complied with as required by IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024.

Line of Business wise Segment Revenue Reporting for the year ended March 31, 2026:

INDIAN BUSINESS

(₹ in Lakhs)

Class of Business	Earned Premium		Incurred Claims		Net Commission		Expenses of Management		Profit/-Loss on Exchange		Premium Deficiency		Underwriting Profit/ Loss(-)		Investment Income (Net)		Revenue Profit/ Loss	
	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025
Fire	5,55,134	5,34,346	4,21,430	4,55,700	1,32,937	1,28,027	5,214	5,475	0	0	0	0	(4,448)	(54,856)	1,56,559	1,57,684	1,52,110	1,02,828
Motor	5,75,364	4,84,945	4,66,178	3,93,770	1,15,017	75,566	4,570	4,206	0	(5)	0	0	(10,402)	11,398	1,43,904	1,42,268	1,33,502	1,53,666
Aviation	8,364	8,316	10,131	4,618	1,055	56	69	71	125	44	0	0	(2,766)	3,614	1,327	1,684	(1,438)	5,299
Engineering	1,28,246	1,08,825	83,078	73,296	24,748	23,473	1,099	1,080	0	0	0	0	19,321	10,977	35,750	34,300	55,071	45,277
W.C.	2,789	3,264	149	2,716	463	365	23	20	0	0	0	0	2,154	163	429	567	2,584	730
Liability	49,817	36,019	31,035	33,722	11,266	8,213	496	434	0	0	0	0	7,020	(6,351)	11,788	10,542	18,809	4,191
PA	61,543	47,074	37,688	24,502	24,968	(3,121)	514	426	0	0	0	0	(1,627)	25,266	9,326	8,721	7,698	33,987
Health	9,29,798	7,42,357	7,94,615	6,06,093	1,97,312	2,26,065	6,676	7,642	0	0	0	0	(68,804)	(97,444)	86,275	81,302	17,470	(16,142)
Agriculture	3,14,166	3,20,163	2,84,818	2,89,497	14,236	31,600	2,402	2,562	0	0	0	0	12,710	(3,496)	79,248	78,260	91,957	74,763
Other Misc.	88,126	68,773	55,534	36,422	18,791	12,661.57	789	725	0	0	0	0	13,012	18,964	14,642	14,440	27,654	33,404
FL/Credit	21,677	16,742	7,065	88	5,182	3,280	163	168	0	0	0	0	9,267	13,205	5,087	5,226	14,354	18,431
Marine Cargo	32,014	36,889	18,331	28,530	4,317	3,596	204	227	0	0	0	0	9,161	4,536	5,513	5,891	14,674	10,427
Marine Hull	22,858	18,885	5,978	8,743	3,201	2,414	152	142	0	0	0	0	13,527	7,585	4,652	4,514	18,179	12,100
Life	2,00,314	1,79,695	2,67,421	2,66,212	709	75	1,529	1,343	0	0	3,839	(2,050)	(73,184)	(85,884)	28,333	21,641	(44,851)	(64,243)
TOTAL	**29,90,209**	**26,06,293**	**24,83,451**	**22,23,910**	**5,54,203**	**5,12,273**	**23,900**	**24,522**	**125**	**39**	**3,839**	**(2,050)**	**(75,059)**	**(1,52,323)**	**5,82,832**	**5,67,040**	**5,07,774**	**4,14,717**

FOREIGN BUSINESS

(₹ in Lakhs)

Class of Business	Earned Premium		Incurred Claims		Net Commission		Expenses of Management		Profit/-Loss on Exchange		Premium Deficiency		Underwriting Profit/ Loss(-)		Investment Income (Net)		Revenue Profit/ Loss	
	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025
Fire	6,31,515	5,99,132	4,54,694	5,08,426	1,65,179	1,50,534	6,902	5,739	30,861	5,244	0	0	35,601	(60,323)	1,63,553	1,68,169	1,99,154	1,07,846
Motor	1,17,259	1,88,380	2,01,828	2,25,006	39,563	27,229	1,887	958	19,800	3,210	0	0	(106,220)	(61,603)	45,046	58,306	(61,174)	(3,297)
Aviation	27,968	30,341	56,287	29,167	4,621	7,506	734	586	1,687	220	0	0	(31,986)	(6,698)	14,382	14,191	(17,604)	7,493
Engineering	43,021	46,283	27,019	34,141	11,133	12,597	4,389	787	5,053	765	0	0	5,532	(476)	12,467	13,519	17,999	13,043
W.C.	346	393	2,942	9,380	50	(318)	4	3	156	26	0	0	(2,494)	(8,647)	1,060	1,085	(1,435)	(7,561)
Liability	21,462	21,795	28,721	22,145	3,824	3,919	188	200	2,143	308	0	0	(9,128)	(4,162)	8,665	8,695	(463)	4,534
PA	4,687	2,100	3,051	1,385	746	168	36	35	1,149	172	0	0	2,004	684	1,638	1,781	3,642	2,465
Health	2,168	6,343	1,158	3,249	607	346	17	15	8,951	1,293	0	0	9,338	4,026	(857)	(550)	8,481	3,475
Agriculture	8,399	7,206	5,370	3,606	1,838	1,409	75	63	8,436	1,275	0	0	9,552	3,403	1,258	1,419	10,810	4,823
Other Misc.	15,225	12,471	12,394	13,282	3,413	4,403	371	227	1,858	281	0	0	905	(5,161)	3 091	3,093	3,996	(2,068)
FL/Credit	6,433	7,280	81	(2,610)	1,817	2,077	42	88	781	130	0	0	5,274	7,855	2,367	2,907	7,641	10,762
Marine Cargo	11,361	31,126	17,844	69,766	4,162	8,355	206	95	1,549	271	0	0	(9,302)	(46,820)	9,265	11,045	(36)	(35,776)
Marine Hull	30,512	26,256	25,571	30,321	4,376	5,371	321	212	1,899	376	0	0	2,143	(9,272)	13,468	18,980	15,611	9,707
Life	27,270	27,628	42,355	24,193	1,670	1,383	256	158	6,483	750	1,932	(1,712)	(12,461)	4,357	3,061	1,716	(9,399)	6,073
TOTAL	**9,47,626**	**10,06,733**	**8,79,315**	**9,71,459**	**2,43,000**	**2,24,981**	**15,426**	**9,165**	**90,806**	**14,322**	**1,932**	**(1,712)**	**(1,01,242)**	**(1,82,838)**	**2,78,464**	**3,04,356**	**1,77,223**	**1,21,518**

TOTAL BUSINESS (INDIAN + FOREIGN)

(₹ in Lakhs)

Class of Business	Earned Premium		Incurred Claims		Net Commission		Expenses of Management		Profit/-Loss on Exchange		Premium Deficiency		Underwriting Profit/Loss(-)		Investment Income (Net)		Revenue Profit/ Loss	
	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025
Fire	11,86,649	11,33,478	8,76,124	9,64,126	2,98,117	2,78,562	12,116	11,213	30,861	5,244	0	0	31,152	(1,15,179)	3,20,112	3,25,853	3,51,264	2,10,674
Motor	6,92,622	6,73,325	6,68,007	6,18,776	1,54,581	1,02,796	6,457	5,164	19,800	3,205	0	0	(1,16,621)	(50,205)	1,88,949	2,00,574	72,328	1,50,368
Aviation	36,332	38,658	66,417	33,786	5,676	7,562	802	657	1,812	264	0	0	(34,752)	(3,084)	15,709	15,876	(19,043)	12,792
Engineering	1,71,266	1,55,108	1,10,096	1,07,437	35,881	36,070	5,489	1,866	5,053	765	0	0	24,853	10,500	48,217	47,819	73,070	58,319
W.C.	3,135	3,657	3,091	12,096	513	48	27	23	156	26	0	0	(340)	(8,483)	1,489	1,652	1,149	(6,831)
Liability	71,279	57,814	59,757	55,867	15,089	12,133	684	635	2,143	308	0	0	(2,108)	(10,513)	20,453	19,237	18,346	8,724
PA	66,230	49,174	40,739	25,887	25,715	(2,953)	549	461	1,149	172	0	0	376	25,950	10,964	10,502	11,341	36,452
Health	9,31,966	7,48,700	7,95,773	6,09,343	1,97,918	2,26,412	6,693	7,657	8,951	1,293	0	0	(59,467)	(93,418)	85,418	80,752	25,951	(12,667)
Agriculture	3,22,565	3,27,369	2,90,188	2,93,103	16,074	33,009	2,477	2,625	8,436	1,275	0	0	22,262	(93)	80,505	79,679	1,02,767	79,586
Other Misc.	1,03,351	81,244	67,928	49,704	22,204	17,065	1,160	952	1,858	281	0	0	13,917	13,803	17,733	17,533	31,650	31,336
FL/Credit	28,110	24,021	7,146	(2,522)	7,000	5,358	205	256	781	130	0	0	14,541	21,060	7,454	8,133	21,995	29,192
Marine Cargo	43,375	68,015	36,175	98,296	8,479	11,952	410	323	1,549	271	0	0	(140)	(42,284)	14,778	16,936	14,638	(25,349)
Marine Hull	53,370	45,141	31,549	39,064	7,577	7,785	472	354	1,899	376	0	0	15,671	(1,687)	18,120	23,494	33,790	21,807
Life	2,27,584	2,07,323	3,09,776	2,90,405	2,379	1,457	1,785	1,500	6,483	750	5,771.07	(3,762.39)	(85,645)	(81,527)	31,395	23,357	(54 250)	(58,170)
TOTAL	**39,37,835**	**36,13,026**	**33,62,766**	**31,95,369**	**7,97,203**	**7,37,254**	**39,325**	**33,687**	**90,931**	**14 ,360**	**5,771**	**(3,762)**	**(1,76,300)**	**(3,35,161)**	**8,61,297**	**8,71,396**	**6,84,996**	**5,36,235**

20. Ageing of claims – Distinguishing between claims outstanding for different periods:

The Corporation being a reinsurance company does not settle claims directly with the insured. The companies after settling the claims with their insured would recover the claims from the Corporation as per the reinsurance obligations. Such recoveries are settled with the companies through periodical account statements and cash calls after reconciliation of overall business transactions throughout the year.

Nevertheless, the outstanding losses as intimated by the companies in respect of facultative business are classified according to the outstanding period as per the details given below:

Details as on 31.03.2026

(₹ in Lakhs)

Sl No.	Outstanding Period	FIRE		MARINE		ENGINEERING		AVIATION		LIABILITY		MISCELLANEOUS		TOTAL	
		No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount
1	0-30 Days	2	119	4	7,660	0	0	11	163	3	5	0	0	20	7,947
2	31 Days to 6 Months	37	13,247	34	2,882	6	341	36	7,965	0	0	0	0	113	24,434
3	6 Months to 1 Year	43	14,577	15	2,724	12	2,729	54	(8,625)	4	1,875	2	1	130	13,281
4	1 Year to 5 Years	423	57,743	100	23,919	99	10,701	520	13,246	29	218	10	50	1,181	1,05,877
5	5 Years and Above	595	18,970	179	3,769	235	10,503	1,143	42,160	79	2,043	85	940	2,316	78,384
	TOTAL	**1,100**	**1,04,655**	**332**	**40,952**	**352**	**24,952**	**1,764**	**54,907**	**115**	**4,142**	**97**	**991**	**3,760**	**2,29,923**

Details as on 31.03.2025

(₹ in Lakhs)

Sl No.	Outstanding Period	FIRE		MARINE		ENGINEERING		AVIATION		LIABILITY		MISCELLANEOUS		TOTAL	
		No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount
1	0-30 Days	5	615	2	9	3	30	16	435	0	0	0	0	26	1,089
2	31 Days to 6 Months	32	4,573	12	699	9	406	69	1,970	0	0	0	0	122	7,648
3	6 Months to 1 Year	64	8,780	12	18,243	13	1,474	57	2,045	5	101	0	0	151	30,643
4	1 Year to 5 Years	467	66,417	148	37,902	115	22,616	590	18,608	54	456	18	131	1,392	64,552
5	5 Years and Above	532	19,742	131	5,039	218	10,064	1,098	26,905	55	1,765	94	1,036	2,128	64,552
	TOTAL	**1,100**	**1,00,127**	**305**	**61,892**	**358**	**34,591**	**1,830**	**49,964**	**114**	**2,322**	**112**	**1,168**	**3,819**	**2,50,064**

The Corporation being a reinsurance company, the Average claim settlement is not applicable since the claim are settled through periodic statements of accounts and cash call after reconciliation of overall business transaction throughout the year.

21. The Corporation, being a reinsurance company, does not settle claims directly with the insured. The companies, after settling the claims with their insured would recover the claims from the Corporation as per the reinsurance obligations. Such recoveries are settled with the companies through periodical account statements. Claims settled and remaining unpaid for a period of more than six months as on 31.03.2026 ₹ NIL (Previous Year ₹ NIL).

22. Certification for liabilities/claim payments with tenure greater than 4 years. – As per section IV.1 of IRDAI Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers 2024, liabilities / claim payments with tenure greater than 4 years

(e.g. Long-Term disability) need to be valued and certified separately. Corporation doesn't have any such payments therefore certification is not applicable to Corporation.

23. (a) Corporation has put in place system of continuous reconciliation and monitoring of balances and reserve deposits on an ongoing basis with persons/bodies carrying on insurance/reinsurance business. The Corporation has provided a cumulative provision of ₹ 1,32,065 lakhs (Previous Year ₹ 1,16,840 lakhs) for doubtful receivables.

(b) The balances of amount due to/from and the deposits kept with other persons/bodies carrying on insurance business are subject to confirmation/reconciliation. There exists a detailed process to match confirmations with the books and these are marked for majority of the balances. Adjustments, if any, for unconfirmed balances will be accounted for on receipt / confirmation/reconciliation of the same. However, it may be noted that Provision for amount due from and the deposits, over a period of three years have been fully provided for. These balances and deposits are arising from the accounts booked through Statement of Accounts obtained from the cedants/ brokers.

(c) The Corporation has also provided a provision on doubtful debts on Sundry Debtors outstanding for more than 1 year as on 31.03.2026 amounting to ₹ 14 lakhs (Previous Year ₹ 153 lakhs).

(d) Total assets pertaining to foreign business are ₹ 31,00,189 lakhs (Previous Year ₹ 29,35,384 lakhs) and Total Liabilities pertaining to foreign business are ₹75,87,424 lakhs (Previous Year ₹ 37,07,873 lakhs).

(e) The company has no forward contact against foreign exposure. To limit the risks of adverse exchange rate movement, GIC maintains 3 major currency (Euro, USD & GBP) bank accounts in London and Gift City. All settlement takes place through these bank accounts. All foreign currency receipts and payments to be made through these bank accounts. Payment related to Euro; USD & GBP is made through respective currency bank accounts. For Other currencies, mostly settlement happen through USD Bank accounts. Thus, liabilities and bank balances are maintained in same currency. Amount in Foreign Currency to be transferred only if there is shortage of funds in overseas bank for regular payments which is rare case. FDs placed with foreign branches are for less than 90 days.

24. Creation of a Catastrophe Reserve is an accepted method to handle future volatility in claims, and to introduce a factor of stability in the financial results. The reserve can make a significant contribution to reducing financial vulnerability in future. This reserve is broadly intended to be utilised towards meeting large catastrophe losses against the insurance policies in force.

The Corporation decided to create the same from Financial Year 2022-23 onwards, by appropriation of 10% of Operating Profit in respect of Revenue Accounts with an overall reserve cap of ₹ 5,00,000 lakhs.

(₹ in lakhs)

	FY 2025-26		FY 2024-25	
Revenue Account	**Operating Profit**	**Catastrophe Reserve**	**Operating Profit**	**Catastrophe Reserve**
Fire	3,51,265	35,127	210,675	21,068
Miscellaneous	3,39,554	33,955	387,272	38,727
Marine	48,428	4,843	(3,542)	0
Total	**7,39,247**	**73,925**	**5,94,405**	**59,795**

25. The details of UPR adjustment in respect of Dubai, London & Malaysia BO are as under:

Year	Dubai BO	Malaysia BO	London BO
2025-26	₹ 2,468 lakhs (Less provision by BO, Increased at HO)	₹ 5,440 lakhs (Excess provision by BO, decreased at HO)	₹ 2,603 lakhs (Excess provision by BO, decreased at HO)
2024-25	₹ 1,868 lakhs (Less provision by BO, Increased at HO)	₹ 1,311 lakhs (Less provision by BO, increased at HO)	₹ 1,309 lakhs (Excess provision by BO, decreased at HO)

26. Life Reinsurance Business:

(a) During the year, the Corporation has made a provision of ₹ 3,62,064 lakhs (Previous Year ₹ 2,20,688 lakhs) towards total net reserves for life business (excluding OSLR). These reserves have been determined and certified by the Life Appointed Actuary, in accordance with the requirements of IRDAI's (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 and Institute of Actuaries of India in concurrence with IRDAI.

(b) The estimate of claims Incurred But Not Reported [IBNR] claims have been certified by the Corporation's Appointed Actuary. The Appointed Actuary has certified to the Corporation that the assumptions used for such are appropriate and are in accordance with the requirements of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) and Institute of Actuaries of India in concurrence with IRDAI.

(c) The IBNR provision for Life Re business is certified by the Appointed Actuary – Life Re.

The IBNR has been calculated using triangulation method for domestic group term, health and riders associated with long-term individual and group credit (excluding MFI) business .

For all overseas business (Proportional and Non-proportional) and all other domestic business (Non-proportional and long-term Proportional individual and group credit (including MFI), delay days method has been used.

(d) Compared to FY 2024–25, provisions for Life-Re business have increased significantly in FY 2025–26 especially for the long-term business mainly due to adverse experience of mortality resulting in tightening of mortality assumptions while arriving at the provisions. Hence change in mortality assumptions had the significant impact, increasing the provisions by ₹70,200 lakhs.

27. (a) The details on account of revaluation included in the net Outstanding Loss Reserves (OSLR) at the end of the year are as under:

(₹ in Lakhs)

Class of Business	31.03.2026	31.03.2025
Fire	55,039	10,050
Life	1,076	538
Marine	11,525	4,147
Miscellaneous	53,938	10,029
Total	1,21,578	24,763

(b) Reference / Benchmark Exchange Rates:

Currency	Average ₹ Rate (April'25 to March'26)	Average ₹ Rate (April'24 to March'25)	Closing ₹ Rate (31.03.2026)	Closing ₹ Rate (31.03.2025)
AED	24.02255	23.01271	25.80651	23.31672
GBP	118.29563	107.85093	125.63639	110.86098
MYR	21.23244	18.78149	23.62338	19.33619
USD	88.22707	84.51880	94.77700	85.64000
EURO	102.32237	90.75808	109.06937	92.49976

28. Foreign Currency Translation Reserve Account is Increased by ₹ 1,55,697 lakhs (Previous Year increased by ₹ 57,778 lakhs) consisting of the following:

Sr. No.	Particulars	Current Year		Previous year	
		Debit	Credit	Debit	Credit
1	Net Investment in non-integral foreign operation of Holding company	₹1,55,697 lakhs	₹57,778 lakhs	₹843 lakhs	0
2	Others				
	Total	**₹1,55,697 lakhs**	**₹ 57,778 lakhs**	**₹843 lakhs**	**0**

Human Resources

29. Provision for Productivity Linked Lump-sum Incentive to the employees for the year ended 31st March 2026 is ₹ NIL (Previous Year ₹ NIL Lakhs).

30. Employee Benefits

The Corporation has classified the various benefits provided to employees as under:

(i) Defined Contribution Plan
  (a) Provident Fund
  (b) Contribution to National Pension Scheme (NPS)Provident Fund

(ii) Defined Benefit Plan
  (a) Pension
  (b) Gratuity
  (c) Leave Salary
  (d) Settlement

During the year, Corporation has recognized the following amounts in the Profit and Loss Account based upon the actuary reports:

(₹ in Lakhs)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Pension Superannuation Scheme (Employees' Pension Fund)	1,051	(453)
Leave Encashment (Earned leave and Sick Leave)	1,015	139
Gratuity (Employees Gratuity Fund)	1,744	233
Provident Fund (Employees Provident Fund) *	137	125
Settlement Benefit	30	15
Gratuity (Contract/Temporary Employee)	29	0

*The Corporation pays fixed contribution to Provident Fund at predetermined rates to a separate trust, which invests the funds in permitted securities. The obligation of the Company is to make such fixed contribution and to ensure a minimum rate of return to the members as specified by Government of India (GoI). As per report of the consulting actuary, overall interest earnings and cumulative surplus is shorter than the statutory interest payment requirement. Hence, the Corporation has created a liability of ₹ 137 lakhs as on 31st March 2026 (Previous Year: ₹125 lakhs).

A. Change in the Present Value of Obligation

(₹ in Lakhs)

Particulars	Pension		Gratuity		Leave Salary *		Settlement	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
Present Value of Obligation as at 1st April 2025	33,569	32,500	8,421	8,108	4,069	4,190	210	196
Interest Cost	2,154	2,220	549	570	249	294	14	14
Past Service Cost	0	0	0	0	0	0	0	0
Current Service Cost	461	450	586	426	178	180	4	4
Curtailment Cost / (Credit)	0	0	0	0	0	0	0	0
Settlement Cost / (Credit)	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefit Paid	(4,424)	(3,512)	(648)	(462)	(790)	(260)	(15)	0
Actuarial (Gain)/Loss on Obligation	2,687	1,911	1,447	(220)	588	(334)	12	(3)
Present Value of Obligation at 31st March 2026	34,449	33,569	10,354	8,421	4,294	4,069	226	210

** EL + SL*

B. Change in the Fair value of Plan Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	Pension		Gratuity		Leave Salary		Settlement	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
Fair Value of Plan Assets as at 1st April 2025	34,266	29,800	9,632	9,551	0	0	0	0
Expected return on Plan Assets	2,912	2,657	631	674	0	0	0	0
Actuarial Gain/(Loss) on Obligation	1,340	2,377	207	(132)	0	0	0	0
Contribution	603	2,944	1	0	0	0	0	0
Benefit Paid	(4,424)	(3,512)	(648)	(462)	0	0	0	0
Fair Value of Plan Assets at 31st March 2026	34,697	34,266	9,823	9,632	0	0	0	0
Unpaid Amount	0	0	0	0	0	0	0	0
Fair Value of Plan (Net) Assets at 31st March 2026	34,697	34,266	9,823	9,632	0	0	0	0
Actual return	4,252	5,033	838	542	0	0	0	0

C. Reconciliation of Present Value of Defined Benefit Obligation and the Fair Value of Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	Pension		Gratuity		Leave Salary *		Settlement	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
Present Value of Obligation	34,449	33,569	10,354	8,421	4,294	4,069	226	210
Fair Value of Plan Assets	34,697	34,266	9,823	9,632	0	0	0	0
Unfunded Net Asset / (Liability) Recognized in Balance Sheet	248	697	(531)	1,211	(4,294)	(4,069)	(226)	(210)

** EL + SL*

D. Expenses recognized in the Profit and Loss Account

(₹ in Lakhs)

For year ending 31st March, 2026	Pension	Gratuity	Leave Salary *	Settlement
Current Service Cost	461	586	178	4
Interest Cost	2,154	549	249	14
Curtailment Cost / (Credit)	0	0	0	0
Settlement Cost / (Credit)	0	0	0	0
Expected Return on Plan Assets	(2,912)	(631)	0	0
Net actuarial (gains)/losses recognized in the period	1,347	1,240	588	12
Total Expenses recognized in the Profit & Loss A/c	1,051	1,744	1,015	30

* EL + SL

(₹ in Lakhs)

For year ending 31st March,2025	Pension	Gratuity	Leave Salary *	Settlement
Current Service Cost	450	426	180	4
Interest Cost	2,220	570	294	14
Curtailment Cost / (Credit)	0	0	0	0
Settlement Cost / (Credit)	0	0	0	0
Expected Return on Plan Assets	(2,657)	(674)	0	0
Net actuarial (gains)/losses recognized in the period	(466)	(89)	(334)	(4)
Total Expenses recognized in the Profit & Loss A/c	453	233	139	15

** EL + SL*

E. Plan Assets

(In %)

Particulars	Pension		Gratuity		Leave Salary *		Settlement	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
Government Securities {Central & State}	52.97	56.04	44.82	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
High quality Corporate Bonds	36.56	37.43	42.08	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Others	10.47	6.53	13.10	8.1	0.00	0.00	0.00	0.00

** EL + SL*

F. Actuarial Assumption

(In %)

Particulars	Pension		Gratuity		Leave Salary *		Settlement	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
Discount Rate	7.59	6.87	7.49	6.78	7.49	6.78	7.49	6.78
Expected return on assets	9.00	9.00	6.78	7.23	0	0	0	0
Salary Escalation*	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Attrition/ withdrawal Rate	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Indian Assured Lives Mortality	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14

** EL + SL*

G. Other Disclosures

Pension

(₹ in Lakhs)

Particulars	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
Experience Adjustment						
On obligation (Gains)/Losses	2,687	1,911	1,266	10,200	2,128	1,365
On plan assets (Gains)/Loss	(1340)	(2,377)	3,277	(701)	(324)	4,571
Present Value of obligation	34,449	33,569	32,501	33,022	26,550	26,722
Fair Value of plan assets	34,697	34,266	29,800	24,751	25,030	25,077
Excess of obligation over plan assets	(248)	697	(2,700)	(8,271)	(1,520)	(1,645)

Gratuity

Particulars	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
Experience Adjustment						
On obligation	2,021	(560)	(579)	(831)	(150)	(13)
On plan assets	(207)	(132)	737	245	294	(121)
Present Value of obligation	10,354	8,421	8,108	8,153	5,434	5,560
Fair Value of plan assets	9,823	9,632	9,551	4,419	5,318	5,851
Excess of obligation over plan assets	531	(1,211)	1,443	(3,734)	(116)	290

Leave Salary

Particulars	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
Experience Adjustment						
On obligation	0	0	0	0	0	0
On plan assets	0	0	0	0	0	0
Present Value of obligation	4,294	4,069	4,190	4,219	3,799	3,955
Fair Value of plan assets	0	0	0	0	0	0
Excess of obligation over plan assets	4,294	4,069	4,190	4,219	3,799	3,955

Settlement

Particulars	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
Experience Adjustment						
On obligation	12	(3)	(20)	(14)	(33)	(31)
On plan assets	0	0	0	0	0	0
Present Value of obligation	226	210	196	198	193	208
Fair Value of plan assets	0	0	0	0	0	0
Excess of obligation over plan assets	226	210	196	198	193	208

**No. of employees in gratuity report includes 25 Active employees of Agriculture Insurance Company of India Ltd.*

Gratuity for Contract / Temporary Employees:

A) Change in the Present Value of Obligation

(₹ in Lakhs)

Particulars	Gratuity	
	31.03.2026	31.03.2025
Present Value of Obligation as at 1st April 2025	0	0
Interest Cost	0	0
Past Service Cost	0	0
Current Service Cost	29	0
Curtailment Cost / (Credit)	0	0
Settlement Cost / (Credit)	0	0

Particulars	Gratuity	
	31.03.2026	31.03.2025
Benefit Paid	0	0
Actuarial (Gain)/Loss on Obligation	0	0
Present Value of Obligation at 31st March 2026	29	0

B) Change in the Fair value of Plan Assets

(₹ In Lakhs)

Particulars	Gratuity	
	31.03.2026	31.03.2025
Fair Value of Plan Assets as at 1st April 2025	0	0
Expected return on Plan Assets	0	0
Actuarial Gain/(Loss) on Obligation	0	0
Contribution	0	0
Benefit Paid	0	0
Fair Value of Plan Assets at 31st March 2026	0	0
Unpaid Amount	0	0
Fair Value of Plan (Net) Assets at 31st March 2026	0	0
Actual return	0	0

C) Reconciliation of Present Value of Defined Benefit Obligation and the Fair Value of Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	Gratuity	
	31.03.2026	31.03.2025
Present Value of Obligation	29	0
Fair Value of Plan Assets	0	0
Unfunded Net Asset / (Liability) Recognized in Balance Sheet	(29)	0

D) Expenses recognized in the Profit and Loss Account

(₹ In Lakhs)

Particulars	Gratuity	
	31.03.2026	31.03.2025
Current Service Cost	29	0
Interest Cost	0	0
Curtailment Cost / (Credit)	0	0
Settlement Cost / (Credit)	0	0
Expected Return on Plan Assets	0	0
Net actuarial (gains)/losses recognized in the period	0	0
Total Expenses recognized in the Profit & Loss A/c	29	0

E) Plan Assets

(₹ In Lakhs)

Particulars	Gratuity	
	31.03.2026	31.03.2025
Government Securities {Central & State}	0	0
High quality Corporate Bonds	0	0
Others	0	0

F) Actuarial Assumption

(in %)

Particulars	Gratuity	
	31.03.2026	31.03.2025
Discount Rate	6.02	0
Expected return on assets	0.00	0
Salary Escalation*	10.00	0
Attrition/ withdrawal Rate	3.00	0
Indian Assured Lives Mortality	2012-14	0

G) Other Disclosures

(₹ in Lakhs)

Particulars	2025-26
Experience Adjustment	
On obligation	29
On plan assets	0
Present Value of obligation	29
Fair Value of plan assets	0
Excess of obligation over plan assets	29

31. On November 21, 2025, the Government of India notified the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 consolidating existing labour laws.

Based on legal opinions obtained by the Corporation, the Corporation is in the process of reassessing and implementing policy changes to its existing employee benefit policies, it has ascertained its estimated obligations under the New Labour Codes.

Accordingly, the Corporation has recognised incremental estimated obligations on the account of employees past services, based on actuarial valuation and management's best estimate in accordance with AS 15 - 'Employee Benefits' consistent with guidance provided by the Institute of Chartered Accountants of India. This incremental estimate amounts to ₹ 29 lakhs for Fixed Term Employees (FTE) and has been recognised in the Standalone Financial Results of the Corporation for the quarter and year ended 31st March, 2026. Currently, the finalisation of Central and State Rules on the New Labour Codes is awaited based on which the above estimates and assumptions will be re-assessed after obtaining further legal advice as may be required.

Secretarial

32. During the Financial Year 2025-26, the Corporation has not issued any such bonus shares. As on 31st March 2026, the Issued, Subscribed, Called-up and Paid-up Capital of the Corporation is ₹ 87,720 lakhs comprising of 17,544 lakhs Equity shares of ₹ 5/- each and accordingly Earning Per Share, Book Value per share and Dividend per share is worked out.

33. Investment in Subsidiary & Associate Companies (As on 31st March, 2026)

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Name of the company	Currency	No. of Shares	Face value	% Holding	Acquisition Cost
	Subsidiary Company					
1	GIC Re South Africa Limited	ZAR	64,71,68,310*	2 ZAR	100%	60,422
2	GIC Re, India, Corporate Member Limited	GBP	1	1 GBP	100%	0
3	GIC Perestrakhovanie LLC, Moscow	RUB	5	1,272,759,000 RUB	100%	13,827
	Total Subsidiary Investment					74,249
	Associate Company					
1	Agriculture Insurance Company of India Limited	INR	70,000,000	10 INR	35%	7,000
2	GIC – Bhutan Reinsurance Company Limited	Nu	28,600,000	10 Nu	26%	2,860
3	India International Insurance Pte Ltd	SGD	10,000,000	1 SGD	20%	295
	Total Associate Investments					10,155

**Capitalization of retained earning though issue of Bonus issue of 76,137,448 shares.*

Investment in Subsidiary & Associate Companies (As on 31st March, 2025)

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Name of the company	Currency	No. of Shares	Face value	% Holding	Acquisition Cost
	Subsidiary Company					
1	GIC Re South Africa Limited	ZAR	571,030,862	2 ZAR	100%	60,422
2	GIC Re, India, Corporate Member Limited	GBP	1	1 GBP	100%	0
3	GIC Perestrakhovanie LLC, Moscow	RUB	1	1,272,759,000 RUB	100%	13,827
	Total Subsidiary Investment					74,249
	Associate Company					
1	Agriculture Insurance Company of India Limited	INR	70,000,000	10 INR	35%	7,000
2	GIC – Bhutan Reinsurance Company Limited	Nu	28,600,000	10 Nu	26%	2,860
3	India International Insurance Pte Ltd.	SGD	10,000,000	1 SGD	20%	295
	Total Associate Investments					10,155

34. (i) Related party Disclosures as per Accounting Standard - 18 "Related Party Transaction":

a) Subsidiary Company:

- GIC Re South Africa Limited, Johannesburg, S.A.
- GIC Re, India, Corporate Member Limited, London, U.K.
- GIC Perestrakhovanie LLC, Moscow, Russia

b) Associate Company:

- India International Insurance Pte. Ltd., Singapore
- Agriculture Insurance Company of India Limited, New Delhi, India
- GIC – Bhutan Reinsurance Company Limited, Bhutan

Nature and volume of transactions: With (a&b) above

(ii) Statement showing Related party disclosures as per AS-18

(a) Subsidiaries (₹ in Lakhs)

Period	GIC Re South Africa Limited. Johannesburg, S.A.		GIC Re, India, Corporate Member, Limited, London, U.K		GIC Perestrakhovanie LLC	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Premium Accepted	70,697	40,291	1,48,165	1,03,822	11,090	7,317
Premium Ceded	0	0	0	0	0	0
Net Premium	70,697	40,291	1,48,165	1,03,822	11,090	7,317
Commission Paid	17,991	8,991	62,707	38,655	737	0
Commission Recovered	0	0	0	0	0	0
Net Commission	17,991	8,991	62,707	38,655	737	0
Claims Paid	23,036	11,752	58,406	53,867	7,595	2,435
Claims Recovered	0	0	0	0	0	0
Net Claims	23,036	11,752	58,406	53,867	7,595	2435
Balance as on 31st March (-) indicates amount payable by GIC	9,426	91	75,492	25,046	15,529	12,819

(b) Associates (₹ in Lakhs)

	Agriculture Insurance Company of India Limited		India International Insurance Pte Ltd.		GIC – Bhutan Reinsurance Company Limited	
Period	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Premium Accepted	1,73,820	61,295	5,384	5,515	1,037	1,328
Premium Ceded	0	0	838	4,107	0	0
Net Premium	1,73,820	61,295	4,546	1,408	1,037	1,328
Commission Paid	3,397	2,726	611	330	1	1
Commission Recovered	0	0	238	1,142	0	0
Net Commission	3,397	2,726	374	(813)	1	1
Claims Paid	76,332	33,950	21,489	3,260	691	2
Claims Recovered	0	0	2,273	1,648	0	0
Net Claims	76,332	33,950	19,216	1,612	691	2
Balance as on 31st March (-) indicates amount payable by GIC	19,932	37,955	(359)	(54)	(568)	0

35. (i) Key Management Personnel: F.Y 2025-26

Sr. No.	Designation	Name
1	Chief Executive Officer (upto 30.09.2025)	Shri N. Ramaswamy
2	Executive Director (Additional Charge of CMD w.e.f. 01.10.2025)	Shri Hitesh Joshi

Sr. No.	Designation	Name
3	Executive Director and Financial Advisor & Chief of Internal Audit (upto 30.06.2025)	Smt. Radhika C.S.
4	General Manager (upto 22.07.2025) and Executive Director (w.e.f. 23.07.2025) and Chief Risk Officer	Smt. Jayashri Balkrishna
5	General Manager (upto 31.07.2025)	Shri. S. K. Rath
6	General Manager and Chief Finance Officer	Shri V. Balkrishna
7	General Manager (w.e.f. 15.05.2025)	Shri Rajesh Pawar
8	General Manager (w.e.f. 15.05.2025) & Chief Marketing Officer	Shri Rajesh Khadatare
9	General Manager (w.e.f. 15.05.2025) & Chief Underwriting Officer	Shri Sanjay Mokashi
10	General Manager (w.e.f. 15.05.2025) & Financial Advisor & Chief of Internal Audit (w.e.f. 08.08.2025)	Smt. Manali Patke
11	Company Secretary & Chief Compliance Officer (w.e.f. 30.04.2025)	Shri Satheesh Kumar
12	Deputy General Manager & Chief Investment Officer	Smt. Radhika Ravishekar
13	Appointed Actuary (Non-Life)	Shri Sateesh N. Bhat
14	Appointed Actuary (Life)	Shri Suresh Sindhi

(ii) Details of Key Managerial Personnel Remuneration for the year ended 31.03.2026 is as follows:

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Name	Designation	Gross Salary	Corp's P.F	House perquisite	Loan Perquisite	Vehicle Perquisite	LTS perquisite	Other perquisite
1	Shri N. Ramaswamy	Chief Executive Officer (upto 30.09.2025)	28.46	1.29	1.23	0.00	0.00	0.00	1.54
2	Shri Hitesh Joshi	Executive Director (Additional Charge of CMD w.e.f. 01.10.2025)	48.06	2.30	4.51	11.76	3.89	0.00	0.00
3	Smt. Radhika C. S.	Executive Director and Financial Advisor & Chief of Internal Audit (upto 30.06.2025)	12.46	0.58	0.00	0.00	0.00	0.99	1.33
4	Smt. Jayashri Balkrishna	General Manager (upto 22.07.2025) and Executive Director (w.e.f. 23.07.2025) and Chief Risk Officer	56.37	2.59	2.56	0.00	3.89	0.00	0.00
5	Shri. S. K. Rath	General Manager (upto 31.07.2025)	28.77	1.19	1.22	0.80	1.19	0.00	4.99
6	Shri V. Balkrishna	General Manager and Chief Finance Officer	64.37	3.51	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00
7	Shri Rajesh Pawar	General Manager (w.e.f. 15.05.2025)	48.36	3.49	3.28	0.00	2.59	0.00	0.00
8	Shri Rajesh Khadatare	General Manager (w.e.f. 15.05.2025) & Chief Marketing Officer	60.52	3.49	3.44	26.66	3.89	0.00	0.00
9	Shri Sanjay Mokashi	General Manager (w.e.f. 15.05.2025) & Chief Underwriting Officer	50.11	3.08	6.07	26.22	3.89	0.50	0.00

Sr. No.	Name	Designation	Gross Salary	Corp's P.F	House perquisite	Loan Perquisite	Vehicle Perquisite	LTS perquisite	Other perquisite
10	Smt. Manali Patke	General Manager (w.e.f. 15.05.2025) & Financial Advisor & Chief of Internal Audit (w.e.f. 08.08.2025)	57.33	3.08	1.19	0.47	2.59	0.00	0.00
11	Shri Satheesh Kumar	Company Secretary & Chief Compliance Officer (w.e.f. 30.04.2025)	60.08	2.83	5.67	0.00	3.89	0.00	0.00
12	Smt. Radhika Ravishekar	Deputy General Manager & Chief Investment Officer	52.10	2.83	0.00	0.00	3.89	0.00	0.00
13	Shri Sateesh N. Bhat	Appointed Actuary (Non-Life)	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Shri Suresh Sindhi	Appointed Actuary (Life)	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Details of Key Managerial Personnel Remuneration for the year ended 31.03.2025 is as follows:

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Name	Designation	Gross Salary	Corp's P.F	House perquisite	Loan Perquisite	Vehicle Perquisite	LTS perquisite	Other perquisite
1	Shri N. Ramaswamy	Chief Executive Officer	41.49	2.52	2.41	0.00	0.00	0.00	1.24
2	Shri Hitesh Joshi	General Manager (Upto 8th July 2024) Executive Director (W.e.f. 9th July 2024)	38.43	2.20	2.18	1.51	3.89	0.74	5.58
3	Smt. Radhika C. S.	Executive Director (W.e.f. 12th July 2024) and Financial Advisor & Chief of Internal Audit (W.e.f. 01st October 2024)	35.58	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
4	Shri. S. K. Rath	General Manager	37.47	2.18	2.14	1.45	3.89	0.74	1.10
5	Shri V. Balkrishna	General Manager, Financial Advisor & Chief of Internal Audit (upto 5th May 2024) and Chief Finance Officer (w.e.f. 01.05.2024)	37.21	2.10	0.00	0.00	3.89	0.00	2.36
6	Smt. Jayashree Ranade	General Manager and Chief Finance Officer (upto 30th April 2024)	26.91	0.19	0.21	0.00	0.00	6.49	5.25
7	Smt. Jayashri Balkrishna	General Manager & Chief Risk Officer	35.40	2.05	2.01	0.00	3.89	0.00	1.97
8	Shri. Sachindra Salvi	General Manager (upto 31.12.2024), Financial Advisor & Chief of Internal Audit (W.e.f. 6th May 2024 and upto 30th September 2024)	25.67	1.40	1.39	0.00	3.89	1.98	1.78

Sr. No.	Name	Designation	Gross Salary	Corp's P.F	House perquisite	Loan Perquisite	Vehicle Perquisite	LTS perquisite	Other perquisite
9	Shri Sateesh N. Bhat	Appointed Actuary (Non-Life)	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Shri Suresh Sindhi	Appointed Actuary (Life)	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Shri Suresh Savaliya	Company Secretary & Chief Compliance Officer (Upto 19th March 2025)	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
12	Shri Rajesh Khadatare	Deputy General Manager & Chief Marketing Officer	35.76	2.09	2.03	2.73	3.89	0.00	2.67
13	Shri Sanjay Mokashi	Deputy General Manager & Chief Underwriting Officer	30.20	1.83	1.80	2.76	3.89	0.50	2.06
14	Smt. Radhika Ravishekar	Deputy General Manager & Chief Investment Officer	32.30	1.91	0.00	0.00	3.89	0.50	0.96

36. In terms of Para 9 of AS-18, no disclosure has been made in the financial statements of state-controlled enterprises as regards related party relationships with other state-controlled enterprises and transactions with such enterprises.

37. **Dividend**

(a) Proposed Dividend for the year 2025-26

The Board of Directors of the Corporation have recommended final dividend at the rate of ₹ 13.25 per equity share (on face value of ₹ 5/- each) for the Financial Year 2025-26. Earlier during the current Financial Year, the Corporation had paid Final dividend of ₹10 per equity share (on face value of ₹ 5/- each) for the Financial Year 2024-25.

(b) Unclaimed Dividend

During the year the Corporation has transferred ₹ 15.77 lakhs approx. (Previous Year ₹ Nil) to the Investor Education & Protection Fund Authority for unclaimed dividend amount of FY 2017-18.

38. There are penalties paid /payable by the Corporation during the Financial Year 2025-26 ₹ 6,256 lakhs (Previous Year ₹ 0.6 lakhs)

Sr No	Authority	Non-Compliance/ Violation	Penalty Awarded	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1	Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)		0	0	0
2	Income Tax Authorities		0	0	0
3	GST Authorities		0	0	0
4	Any other Tax Authorities		0	0	0
5	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA		0	0	0
6	Registrar of Companies/ NCLT/CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 2013		0	0	0
7	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation		0	0	0

Sr No	Authority	Non-Compliance/ Violation	Penalty Awarded	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
8	Securities and Exchange Board of India	Fine levied by BSE and NSE Limited during quarter ended June 2025, September 2025, December 2025 and March 2026 for non-compliance under Regulation 17(1) of SEBI (LODR) Regulations pertaining to composition of Board.	37**	0	0
9	Competition Commission of India		0	0	0
10	Any other Central/State/Local Government / Statutory Authority (give break-up)	1. On 24 June 2025, the Dubai Branch received the FTA VAT Assessment & Penalty Notification (Ref. No. 600/2025/t/m/a) levying administrative penalties of AED 25,966,807.36 in relation to discrepancies identified in VAT returns filed for the period 1 January 2018 to 31 December 2020. 2. On 28 January 2026, a Late Corporate Tax registration penalty of AED 10,000 was received through the FTA EMARATAX portal.	6,219	0	0

*Penalty includes compounding charges levied by any Government Authority(ies).

** National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited levied aggregate fine of ₹ 18.25 lakhs (Excluding GST) each.

Corporate Accounts

39. Earnings per Share (EPS) as per Accounting Standards 20 issued:

	2025-26	2024-25
Profit after Tax	₹ 8,39,218 lakhs	₹ 6,70,136 lakhs
Number of equity shares	17,544 lakhs	17,544 lakhs
Nominal value of share	₹ 5/-	₹ 5/-
Basic and Diluted EPS	₹ 47.84	₹ 38.20

Basic Earnings Per Share are calculated by dividing the Profit or Loss After Tax for the year attributable to Equity Shareholders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year. For the purpose of calculating diluted Earning Per Share, the Profit or Loss After Tax for the year attributable to Equity Shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the year are adjusted for the effects of all dilutive potential Equity Shares which could have been issued on the conversion of all dilutive potential Equity Shares.

Potential Equity Shares are deemed to be dilutive only if their conversion to Equity Shares would decrease the Net Profit per share from continuing ordinary operations. Potential dilutive Equity Shares are deemed to be converted as at the beginning of the period unless they have been issued at a later date. The dilutive potential Equity Shares are adjusted for the proceeds receivable had the shares been actually issued at fair value. Dilutive potential Equity Shares are determined independently for each period presented.

40. The Corporation's office premises and godown are obtained on operating lease and are renewable / cancellable at mutual consent. There are no restrictions imposed by lease agreements. Lease terms are based on individual agreements. Significant leasing agreements are in respect of operating lease for premises. Aggregate lease rentals amounting to ₹ 404 lakhs (Previous Year ₹ 399 lakhs) are expected to be paid under operating lease in less than 12 months from 31st March 2026.

As per AS-19 related to Lease, GIC Re is not required to make any disclosure

41. Taxation

Disclosures as per Accounting Standard – 22 "Accounting for Taxes on Income":

(a) Deferred Tax assets are recognized if there is a reasonable certainty that they will be realized and are reviewed for the appropriateness of their respective carrying values at each Balance Sheet date.

The break-up of Net Deferred Tax Assets is as under:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As on 31.03.2026 Deferred Tax		As on 31.03.2025 Deferred Tax	
	Assets	Liability	Assets	Liability
Timing difference on account of difference in WDV as per books & WDV as per Income Tax Act, 1961		1,350		1,144
Provision for Employees Benefits	1,154		2,870	
Disallowance u/s. 40 a (ia)	66		17	
Foreign Branches	1,131			4
Provision for doubtful investments	41,958		24,855	
Catastrophe Reserve	61,340		42,735	
Total	**105,650**	**1,350**	**70,477**	**1,148**
Net Deferred Tax	1,04,300		69,329	

During the year the Corporation has recognised Deferred Tax asset of ₹ 41,958 lakhs against Provision for doubtful investments of ₹ 166,712 lakhs where the Corporation expects certainty of loss realisation and tax benefits to flow. Further, Deferred Tax asset of ₹ 61,340 lakhs is also accounted against Catastrophe Reserve of ₹ 2,43,724 lakhs.

(b) The Taxation Laws (Amendment) Act, 2019 provides domestic companies with an option of lower tax rate, provided they do not claim certain deductions and not compute tax as per Minimum Alternate Tax (MAT).

The Corporation has opted for reduced rate in FY 2022-23 Accordingly, the Corporation has considered the same rate for the purpose of computing provision for tax and deferred tax in these standalone financial results for the quarter and twelve months ended March 31,2026.

42. During the year, the Corporation has reviewed its fixed assets for impairment. In the opinion of the management of the respective companies, no provision for impairment loss is considered necessary.

43. The Corporation undertook a one-time rectification exercise during the current year to address long-standing mismatches between SAP Asset Accounting and the SAP General Ledger (GL) relating to gross block and accumulated depreciation.

Pursuant to this exercise, it was identified that excess depreciation had been charged over previous years in respect of assets within the Building category. Accordingly, a reversal of such excess depreciation of ₹ 728 lakhs has been recognized in the current year.

44. The basis of apportionment of operating expenses to the Revenue Accounts has been stated in the Significant Accounting Policy No. 8.

45. Contingent Liabilities:

(a) Partly Paid-up investments ₹ 292 lakhs (Previous year ₹ 1,949 lakhs)

(b) Underwriting commitments outstanding ₹ NIL (Previous year ₹ NIL)

(c) Claims, other than those under policies not acknowledged as debts ₹ 62 lakhs (Previous Year ₹ 62 lakhs)

(d) Guarantees / LC given by or on behalf of the Corporation ₹ 1,50,923 lakhs (Previous Year ₹ 1,47,163 lakhs)

The Corporation has provided Letter of Credit/ Bank Guarantee amounting to ₹ 5,55,505 lakhs (Previous Year ₹ 6,89,432 lakhs) against 100% Margin in the form of Term deposits with banks, towards outstanding losses, unearned premium reserve, balances payable etc., to various business partners towards various treaties. During the year, the Corporation has provided for all liabilities in respect of Letter of Credit/ Bank Guarantee in its books amounting to ₹ 1,23,542 lakhs (Previous Year ₹ 5,42,269 lakhs). Therefore, this amount has not been shown as Contingent Liabilities.

(e) Statutory demand / liabilities in dispute - Income-tax demands disputed, not provided for ₹ 26,16,640 lakhs (Previous Year ₹ 25,08,519 lakhs).

1. Year-wise break up as follows: **31.03.2026**

(₹ in Lakhs)

Assessment Year	Contingent Liability	Interest u/s 220(2)	Contingent Liability including Interest u/s 220(2) of the Act
2002-03	6,944	17,567	24,511
2003-04	7,573	19,160	26,733
2004-05	18,790	47,540	66,330
2005-06	18,500	42,919	61,419
2006-07	26,694	57,659	84,353
2007-08	31,268	60,972	92,240
2008-09	31,498	57,641	89,138
2009-10	18,098	30,948	49,046
2011-12	24,105	31,578	55,683
2013-14	78	0	78
2015-16	54,955	29,726	84,681
2016-17	1,00,359	49,944	1,50,302
2017-18	3,60,487	2,32,419	5,92,906
2018-19	3,34,222	1,20,277	4,54,499
2020-21	4,63,380	86,178	5,49,558
2021-22	63,079	9,987	73,066
2022-23	1,18,818	8,231	1,27,049
2023-24	35,048	0	35,048
Total	**17,13,896**	**9,02,744**	**26,16,640**

*Contingent Liabilities for the Appeal filed by Income Tax Department at High Court level for AY 2010-11 and AY 2014-15 are not appearing as they are rejected under Rule 986 of the Bombay High Court Rules.

However, the above table includes demands for the grounds where Corporation has received favourable orders in CIT or appellate tribunal. Details of same are as follows:

(₹ in Lakhs)

Year	Amount involved in covered matters	Interest under section 220(2)	Total Including Interest
2002-03	6,944	17,567	24,511
2003-04	7,573	19,160	26,733

Year	Amount involved in covered matters	Interest under section 220(2)	Total Including Interest
2004-05	18,790	47,540	66,330
2005-06	18,500	42,919	61,419
2006-07	26,694	57,659	84,353
2007-08	31,268	60,972	92,240
2008-09	31,498	57,641	89,138
2009-10	18,098	30,948	49,046
2011-12	23,979	31,469	55,447
2015-16	54,900	29,679	84,579
2016-17	98,748	48,575	1,47,323
2017-18	3,59,179	2,31,346	5,90,525
2018-19	3,32,261	1,19,258	4,51,519
2020-21	4,48,125	81,906	5,30,031
2021-22	60,266	9,284	69,550
2022-23	1,18,203	8,169	1,26,372
2023-24	12,989	0	12,989
Total	**16,68,014**	**8,94,092**	**25,62,106**

Year-wise break up as follows

31.03.2025

(₹ in Lakhs)

Year	Contingent Liability	Interest under section 220(2)	Contingent Liability including Interest u/s 220(2) of the Act
2002-03	6,944	16,734	23,678
2003-04	7,573	18,251	25,824
2004-05	18,790	45,285	64,075
2005-06	18,500	40,699	59,199
2006-07	26,694	54,456	81,150
2007-08	31,268	57,220	88,488
2008-09	31,498	53,861	85,358
2009-10	18,098	28,776	46,874
2010-11	29,040	42,688	71,728
2011-12	24,105	28,572	52,677
2013-14	78	0	78
2014-15	735	0	735
2015-16	54,955	24,933	79,889
2016-17	1,00,359	43,253	1,43,611
2017-18	3,60,487	1,98,208	5,58,694
2018-19	3,34,222	92,522	4,26,743
2020-21	4,63,380	49,244	5,12,624

Year	Contingent Liability	Interest under section 220(2)	Contingent Liability including Interest u/s 220(2) of the Act
2021-22	63,079	5,194	68,274
2022-23	1,18,818	0	1,18,818
Total	**17,08,622**	**7,99,896**	**25,08,519**

However, the above table includes demands for the grounds where Corporation has received favourable orders in CIT or appellate tribunal. Details of same are as follows

(₹ in Lakhs)

Assessment Year	Amount involved in covered matters	Interest under section 220(2)	Total
2002-03	6,944	16,734	23,678
2003-04	7,573	18,251	25,824
2004-05	18,790	45,285	64,075
2005-06	18,500	40,699	59,199
2006-07	26,694	54,456	81,150
2007-08	31,268	57,220	88,488
2008-09	31,498	53,861	85,358
2009-10	18,098	28,776	46,874
2010-11	29,040	42,688	71,728
2011-12	23,979	28,478	52,457
2014-15	735	0	735
2015-16	54,900	24,933	79,833
2016-17	98,748	43,253	1,42,001
2017-18	3,59,179	1,97,292	5,56,471
2018-19	3,32,261	91,738	4,23,999
2020-21	4,48,125	46,804	4,94,929
2021-22	60,266	4,829	65,095
2022-23	1,18,203	0	1,18,203
Total	**16,84,800**	**7,95,296**	**24,80,096**

(f) The Corporation has received various show cause notices (SCN) issued by GST authorities amounting to ₹ 30,602 lakhs (Previous Year ₹ 28,041 lakhs) and Service tax authorities during the current year amounting to ₹ 50,880 lakhs (Previous Year ₹ 47,629 lakhs) and the Corporation is contesting the same with the authority.

Year-wise break up as follows: 31.03.2026

Goods and Service Tax: (₹ in lakhs)

Financial Year	GST/ Interest demanded in SCN	Interest up to March 2026 on estimated basis	Total Liability + Estimated Interest
2017-18	2,181	2,531	4,712
2020-21	12,593	13,296	25,889
Total	**14,774**	**15,827**	**30,602**

Service Tax:

Financial Year	Service Tax/ Interest demanded in SCN	Interest up to March 2026 on estimated basis	Total Liability + Estimated Interest
2014-15 to 2016-17	992	0	992
2014-15 to 2016-17	451	861	1,312
2014-15 to Q1 2017-18	2,406	4,752	7,158
2015-16 to Q1 2017-18	359	541	900
2015-16 to Q1 2017-18	15,042	25,476	40,518
Total	**19,250**	**31,630**	**50,880**

** ** Cases pertaining to WBCIS/MNAIS which have been granted exemption from Service Tax as a one time retrospective amendment vide Section 135 in the Finance Act 2025.

Financial Year**	Service Tax/ Interest demanded in SCN	Interest up to March 2026 on estimated basis	Total Liability + Estimated Interest
2011-12 to 2015-16	38,796	77,040	1,15,836
October 2016 to Q1 2017-18	1,70,454	2,36,384	4,06,837
Total	**2,09,249**	**3,13,424**	**5,22,673**

Year-wise break up as follows: 31.03.2025

Goods and Service Tax: (₹ in lakhs)

Financial Year	Service Tax/ Interest demanded in SCN	Interest up to March 2025 on estimated basis	Total Liability + Estimated Interest
2017-18	2,182	2,237	4,419
2020-21	12,593	11,029	23,622
Total	**14,775**	**13,266**	**28,041**

Service Tax:

Financial Year	Service Tax/ Interest demanded in SCN	Interest up to March 2025 on estimated basis	Total Liability + Estimated Interest
2014-15 to 2016-17	992	0	992
2014-15 to 2016-17	451	780	1,231
2014-15 to Q1 2017-18	2,406	4,319	6,725
2015-16 to Q1 2017-18	359	487	846
2015-16 to Q1 2017-18	15,042	22,793	37,835
Grand Total	**19,250**	**28,379**	**47,629**

** Cases pertaining to WBCIS/MNAIS (crop insurance schemes) has been granted exemption from Service Tax in the recent introduction of Section 130 in the Income Tax Act 2025 as a one time retrospective amendment.

Therefore, below mentioned cases have not been considered as Contingent Liability.

Financial Year**	Service Tax/ Interest demanded in SCN	Interest up to March 2025 on estimated basis	Total Liability + Estimated Interest
2011-12 to 2015-16	38,796	71,221	1,10,016
October 2016 to Q1 2017-18	1,70,454	2,10,816	3,81,269
Total	**2,09,249**	**2,82,037**	**4,91,286**

(g) Reinsurance obligations to the extent not provided for in the accounts ₹ NIL (Previous Year ₹ NIL) in view of Significant Accounting Policy No. 2.2.

(h) GIC has 174 legal matters pending before various courts and tribunals other than above matters among which GIC Re is having Contingent Liability in 22 legal matters and the Contingent Liability amount is estimated up to ₹ 15,857 lakhs (Previous Year ₹ 603 lakhs) and rest of the matters are of negligible financial impact.

46. Performance of Overseas Branches

Current Year: 2025-26 (₹ in Lakhs)

Particulars	Dubai	Malaysia	London
Gross Premium	5,226	1,31,910	2,05,263
Net Premium	5,226	1,31,910	64,982
Earned Premium	6,752	1,23,058	72,950
Incurred Claims	3,589	1,13,835	94,226
Net Commission	2,260	36,084	16,420
Expenses of Management	7,232	842	2,114
Profit/(Loss) on Exchange	1,448	(17,350)	(4,111)
Underwriting Profit/(Loss)	(4,881)	(45,053)	(43,921)
Net Inv. Income in Rev. A/c	4,134	13,500	17,335
Revenue Profit/(Loss)	(747)	(31,553)	(26,587)

Previous Year: 2024-25 (₹ in Lakhs)

Particulars	Dubai	Malaysia	London
Gross Premium	8,215	1,14,644	1,67,716
Net Premium	8,212	1,14,644	79,341
Earned Premium	12,165	1,09,265	72,470
Incurred Claims	(6,556)	98,463	67,713
Net Commission	3,260	30,071	15,926
Expenses of Management	1,007	793	1,620
Profit/(Loss) on Exchange	(37)	(8,913)	(9,273)
Underwriting Profit/(Loss)	14,416	(28,975)	(22,062)
Net Inv. Income in Rev. A/c	5,200	12,363	18,534
Revenue Profit/(Loss)	19,615	(16,612)	(3,529)

GENERAL

47. The Corporation generally makes payments to its creditors within a period of 45 days as stipulated in Micro, Small and Medium Enterprises Act 2006. The Corporation has identified Micro, Small and Medium Enterprises as defined in above referred act. The Corporation has neither received any claims for interest nor provided any interest payable to Micro, Small and Medium Enterprises as required by aforesaid act.

(₹ in Lakhs)

Sl. No	Particulars	31.03.2026	31.03.2025
1	Principal amount due to suppliers registered under the MSMED Act and remaining unpaid as at year end	0	0
2	Interest due to suppliers registered under the MSMED Act and remaining unpaid as at year end	0	0
3	Principal amounts paid to suppliers registered under the MSMED Act, beyond the appointed day during the year	0	0
4	Interest paid, other than under Section 16 of MSMED Act, to suppliers registered under the MSMED Act, beyond the appointed day during the year	0	0
5	Interest paid, under Section 16 of MSMED Act, to suppliers registered under the MSMED Act, beyond the appointed day during the year	0	0
6	Interest due and payable towards suppliers registered under MSMED Act, for payments already made	0	0
7	Further interest remaining due and payable for earlier years	0	0

48. Corporate Social Responsibility (CSR):

Corporate Social Responsibility (CSR): As per Section 135 of the Companies Act, 2013, General Insurance Corporation of India was required to spend an amount of ₹ 13,578 lakhs for the financial year 2025-26 towards Corporate Social Responsibility. During the financial year 2025-26, an amount of ₹ 6,928 lakhs has been spent. The projects are in different stages of implementation. The total unspent amount as on 31.03.2026 is ₹ 6,650 lakhs pertaining to on-going projects. This unspent amount has been transferred to a separate bank account to be utilized in the next three financial years.

Below are details of CSR projects taken up in FY 2025-26:

(a) Gross amount required to be spent by the company in FY 2025-26 – ₹ 13,578 lakhs

(b) Amount approved by the Board to be spent in FY 2025-26 – ₹ 13,578 lakhs

(c) Amount spent in FY 2025-26 as on 31.03.2026: ₹ 6,928 lakhs

The CSR funds have been allocated and disbursed in respect of projects related to infrastructure, healthcare, education, livelihood of underprivileged and environment sustainability. There are no Material Changes and Commitments.

S. No.	Name of NGO	Amount (₹ in Lakhs)
(i)	**Construction/acquisition of any asset**	**0**
(ii)	**On purposes other than (i) above**	**6,928**
1	Samarthanam Trust for the Disabled	567
2	Hosabelaku Seva Trust	292
3	IIT Mandi	250
4	Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO)	424
5	National Sports Development Fund (NSDF)	1,738
6	TATA Memorial Centre- ACTREC	608
7	AROH Foundation	635
8	Shri Peetambara Shiksha Samiti	295
9	PRAVAH	267
10	Human Organisation for Patronisation of Environment (HOPE)	125

S. No.	Name of NGO	Amount (₹ in Lakhs)
11	End Poverty	475
12	Jain Medical Dialysis centre	73
13	Cancer Patients Aids Association (CPAA)	48
14	JanMitram	570
15	Village Welfare Society	121
16	Bisnouli Sarvodaya Gramodyog Sewa Sansthan	47
17	Suhit Jeevan Trust	86
18	Population Services International (PSI), India	200
19	GRMD Foundation	47
20	Manthan Sansthan	54
21	Sr. Asia	6
	Total	**6,928**

(d) Details of related party transactions, e.g., contribution to a trust/ society / section 8 company controlled by the company in relation to CSR expenditure as per Accounting Standard (AS) 18, Related Party Disclosures. Same as c (ii) above.

Applicability of Section 135(5) and 135(6) of the Companies Act, 2013

In case of Section 135(6) Unspent Amount pertaining to Ongoing Project

Opening Balance (₹ Lakhs)		Amount required to be spent in FY 23-24 (₹ Lakhs)	Amount spent in FY 23-24 (₹ Lakhs)		Amount spent in FY 24-25 (₹ Lakhs)		Amount spent in FY 25-26 (₹ Lakhs)		Closing Balance (₹ Lakhs)	
With Company	In Separate CSR Unspent A/c FY 22-23		From Company's bank A/c	From Separate CSR Unspent A/c	From Company's bank A/c	In Separate CSR Unspent A/c	From Company's bank A/c	In Separate CSR Unspent A/c*	From Company's bank A/c	In Separate CSR Unspent A/c
0	621	621	0	488	0	126	0	7	0	0

*Separate CSR unspent A/c FY22-23 was closed in the FY25-26, and the amount was transferred to Swachh Bharat Kosh

In case of Section 135(6) Unspent Amount pertaining to Ongoing Project

Opening Balance (₹ Lakhs)		Amount required to be spent in FY 24-25 (₹ Lakhs)	Amount spent in FY 24-25 (₹ Lakhs)		Amount spent in FY 25-26 (₹ Lakhs)		Closing Balance (₹ Lakhs)	
With Company	In Separate CSR Unspent A/c FY 23-24		From Company's bank A/c	From Separate CSR Unspent A/c	From Company's bank A/c	In Separate CSR Unspent A/c	From Company's bank A/c	In Separate CSR Unspent A/c
0	6,378	6,378	0	3,733	0	717	0	1,928

In case of Section 135(6) Unspent Amount pertaining to Ongoing Project

Opening Balance (₹ lakhs)		Amount required to be spent in FY 25-26 (₹ Lakhs)	Amount spent in FY 25-26 (₹ Lakhs)		Closing Balance (₹ Lakhs)	
With Company	In Separate CSR Unspent A/c FY 24-25		From Company's bank A/c	From Separate CSR Unspent A/c	With Company	In Separate CSR Unspent A/c
0	5,214	5,214	0	3,745	0	1,469

(e) Details of Unspent Amount pertaining to Ongoing Projects of FY 2023-24 to be utilized within a period of three financial years from the date of such transfer:

Sr. No.	Name of NGO/Organisation	Balance as on 31.03.2026 (₹ in Lakhs)
1	ALIMCO	183
2	Swami Vivekanada Youth Movement (SVYM)	21
3	Astha Sewa Sansthan	4
4	National Skill Development Corporation NSDC	370
5	Tata ACTREC	45
6	Special Olympics Bharat	73
7	VSTF	1,007
8	Abhivyakti Foundation	217
9	Impact India Foundation	8
	Total	**1,928**

(f) Details of Unspent Amount pertaining to Ongoing Projects of FY 2024-25 to be utilized within a period of three financial years from the date of such transfer:

Sr. No.	Name of NGO/Organisation	Balance as on 31.03.2025 (₹ in Lakhs)
1	Bombay Natural History Society	44
2	Rouble Nagi Art Foundation	1
3	VMM foundation	5
4	Human Uplift Trust.	41
5	Gramika India	14
6	Ennoble Social Innovation Foundation	396
7	Estah society	7
8	Sucheta Kriplani Shiksha Niketan Society (SKSN)	22
9	Advanced Centre for Treatment, Research and Education in Cancer - ACTREC	505
10	Institute for Integrated Rural Development - IIRD	166
11	International Competence Centre for Organic Agriculture (ICCOA)	67
12	Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities (Divyangjan)	97
13	Fine Arts Society	65
14	MBA Foundation	16
15	Agastya Foundation	23
	Total	**1,469**

(g) Details of Unspent Amount pertaining to Ongoing Projects of FY 2025-26 to be utilized within a period of three financial years from the date of such transfer:

(₹ in Lakhs)

S.No.	Implementing Agency	Unspent CSR Amount as on 31.03.2026
1	Samarthanam Trust for the Disabled	567
2	Hosabelaku Seva Trust	292
3	IIT Mandi	750
4	Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO)	576
5	TATA Memorial Centre- ACTREC	608
6	AROH Foundation	635
7	Shri Peetambara Shiksha Samiti	98
8	PRAVAH	267
9	Human Organisation for Patronisation of Environment (HOPE)	125
10	End Poverty	475
11	Jain Medical Dialysis centre	73
12	Cancer Patients Aids Association (CPAA)	2
13	JanMitram	570
14	Village Welfare Society	121
15	Bisnouli Sarvodaya Gramodyog Sewa Sansthan	52
16	Suhit Jeevan Trust	257
17	Population Services International (PSI), India	601
18	GRMD Foundation	142
19	Manthan Sansthan	162
20	Sr. Asia	6
21	Integrated Institute for Disabled	54
22	Narayan Thakursing Rathod Charitable Foundation Trust (NTR)	192
23	India Vision Institute	25
	Total	**6,650**

49. "The International Accounting Standards Board (IASB) has issued IFRS 17 as the new standard for insurance contracts, which is being implemented across multiple jurisdictions such as the UK, Europe, UAE, Malaysia, and South Africa. In India, the corresponding standard, Ind AS 117, is under development for the insurance sector.

Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), vide its letter dated 14th July 2022, had directed all insurers/ reinsurers to initiate preparedness for Ind AS implementation, including the formation of a Steering Committee. In compliance with the same, GIC Re has constituted a Steering Committee along with a dedicated working group to oversee and ensure smooth implementation of Ind AS. Subsequently, IRDAI, through its notification dated 30th March 2026 (Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) (Amendment) Regulations, 2026), mandated the adoption of Ind AS with effect from 1st April 2026 along with parallel reporting under Ind AS and IGAAP for a period of two years.

Considering the status of system readiness and implementation, GIC Re has applied for forbearance under Regulation 6A of the above-mentioned notification dated 30th March 2026, requesting an extension of the implementation timeline to 1st April 2027. Based on the detailed review by the Steering Committee, along with confirmations from Knowledge Partner and Implementation Partner to the project, the Corporation is confident that the Ind AS implementation project is progressing as per plan and will be successfully completed by 1st April 2027, within the forbearance period sought from the regulator."

50. There are no Material Changes and Commitments affecting the Financial Position of the Company (including branches) occurring after the Balance Sheet date (Previous Year ₹ Nil).

51. GIC Re Dubai branch continues to be in run-off operations since July 2021 and is presently servicing the accounting and claims of contracts underwritten in previous years prior to run-off. The business previously underwritten by Dubai branch is now being handled by GIFT City branch in India. Application for portfolio transfer of the open balances of Dubai branch to Gift City branch and eventual de-registration of Dubai branch has been filed with the UAE regulator and correspondence in this regard is in progress.

52. In the Financial Year 2025-26, the rating provided by M/s AM Best was affirmed as Financial Strength Rating (FSR) of 'A- (Excelllent)' and Long-Term Issuer Credit Rating (ICR) of 'a-(Excellent)', with 'Stable' outlook for FSR and Long-Term ICR. In the Financial Year 2024-25, the rating provided by M/s AM Best was Financial Strength Rating (FSR) is 'A- (Excellent)' and Long-Term Issuer Credit Rating (ICR) is 'a-(Excellent)', with 'Stable' outlook for FSR and Long-Term ICR.

53. As per the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 the Corporation is required to prepare Receipts and Payment Accounts in accordance with the Direct Method prescribed in AS -3 "Cash Flow Statement". The Corporation has complied with the same.

54. Cash and Cash equivalents amounts for the year ended 31st March 2026 mentioned in the Receipts and Payments Account / Cash Flow Statement which also includes ₹ 15,22,411 lakhs of Fixed Deposits having maturity of more than 3 months and Deposits under margin for Letter of Credit ₹ 5,57,818 lakhs as on the date of audited Standalone Financial Statements. Cash & Cash equivalent amount for Previous Year ended on 31st March 2025 includes ₹ 10,62,874 lakhs of Fixed Deposits having maturity of more than 3 months and Deposits under margin for Letter of Credit ₹ 6,93,643 lakhs. The same have been excluded for calculating Cash and Cash equivalents for Cash Flow.

55. Figures of the previous period/year have been re-grouped/re-arranged wherever necessary as follows:

Sr No.	Particulars	(schedule and head of account)	Regrouped / Restated Amount (₹ In lakh)	Amount as per financials of previous year (₹ In lakh)	Difference (₹ In lakh)	Reason for regrouping / restatement	Regrouped From	Regrouped To
1	Short Term Deposit under Bank Balances	Sch 11	20,63,266	20,63,160	106	Exclusion of CCIL balances in Short term deposits	Same regrouping Sch 11	Same regrouping Sch 11
2	Due from Subsidiaries / Holding	Sch 12	37,955	0	37,955	Inadvertently not taken in Schedule	Same regrouping Sch 12	Same regrouping Sch 12
3	Sundry Deposits	Sch 12	2,41,900	2,42,006	(106)	Exclusion of CCIL balances in Short term deposits	Same regrouping Sch 12	Same regrouping Sch 12
4	Interest on Income Tax,GST and others	Sch 4	112	112	0	Change of Heading from Interest on Subordinated Debts & Others	Same regrouping Sch 4	Same regrouping Sch 4

56. Tax liabilities in respect of foreign operation, if any, is accounted on actual basis.

The corporation estimates accrued premium, claims and expenses for treaties where statement of accounts are not received from ceding companies. The estimates are in compliance with IRDA's Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers, Ref: IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated 17th May 2024. The comparative figure for estimate versus actual from financial Year 2023-24 onwards is as below:

(Amount ₹ in Lakhs)

Sl. No.	Segment	Estimation			Estimation			Estimation		
		Financial Year 2023-24			Financial Year 2024-25			Financial Year 2025-26		
		Premium	Claims	Expenses	Premium	Claims	Expenses	Premium	Claims	Expenses
1	Fire	1,20,162	1,34,870	23,132	1,46,412	1,55,978	29,070	1,27,236	1,25,624	31,723
2	Marine	9,195	7,510	1,329	10,056	9,432	1,631	10,738	9,186	1,686
3	Motor	1,18,504	1,06,160	13,088	1,30,126	1,17,458	13,695	1,56,003	1,40,369	20,511
4	Health	1,43,395	1,54,866	23,863	2,21,202	2,35,019	51,867	2,25,574	2,45,361	46,999
5	Personal Accident	8,200	6,493	1,184	11,426	9,376	2,685	13,026	11,627	2,275
6	Engineering	11,399	9,079	1,960	20,329	17,163	3,680	21,123	18,079	3,852
7	Aviation	4,458	9,247	691	3,545	5,096	449	3,620	9,591	569
8	Workmen's Compensation / Employers' Liability	0	0	0	12	13	1	0	0	0
9	Public / Product Liability	6,914	5,422	1,083	13,176	9,304	2,320	18,222	13,572	3,334
10	Others	1,99,378	1,92,050	12,197	1,75,045	1,70,769	9,725	1,00,764	1,01,666	7,649
11	Life	44,228	0	0	55,258	0	829	77,294	0	545
	Grand Total	**6,65,832**	**6,25,698**	**78,528**	**7,86,587**	**7,29,609**	**1,15,952**	**7,53,600**	**6,75,076**	**1,19,143**

Sl. No.	Segment	Actuals			Actuals			Actuals		
		Premium	Claims	Expenses	Premium	Claims	Expenses	Premium	Claims	Expenses
1	Fire	3,18,183	1,36,608	85,972	1,35,332	1,83,536	43,240			
2	Marine	28,106	20,037	4,684	21,422	9,166	3,157			
3	Motor	1,77,426	1,26,069	25,861	1,60,442	1,31,341	23,655			
4	Health	1,89,201	2,84,159	38,075	2,53,630	3,66,710	58,335			
5	Personal Accident	11,220	7,338	1,528	15,885	13,648	6,249			
6	Engineering	29,389	4,753	6,046	31,908	6,175	6,364			
7	Aviation	10,597	2,163	1,674	5,155	6,837	799			
8	Workmen's Compensation / Employers' Liability	0	0	0	493	560	75			
9	Public / Product Liability	17,176	1,121	3,775	22,696	4,224	4,649			
10	Others	2,32,447	2,02,713	23,757	2,10,107	2,07,912	12,329			
11	Life	0	0	0	0	0	0			
	Grand Total	**10,13,746**	**7,84,960**	**1,91,370**	**8,57,070**	**9,30,109**	**1,58,852**			

Sl. No.	Segment	Variation (%)			Variation (%)			Variation (%)		
		Premium	Claims	Expenses	Premium	Claims	Expenses	Premium	Claims	Expenses
1	Fire	165	1	272	(8)	18	49			
2	Marine	206	167	252	113	(3)	94			
3	Motor	50	19	98	23	12	73			
4	Health	32	83	60	15	56	12			
5	Personal Accident	37	13	29	39	46	133			
6	Engineering	158	(48)	208	57	(64)	73			
7	Aviation	138	(77)	142	45	34	78			
8	Workmen's Compensation / Employers' Liability	0	0	0	3,859	4,380	10,845			
9	Public / Product Liability	148	(79)	248	72	(55)	100			
10	Others	17	6	95	20	22	27			
11	Life	0	0	0	0	0	0			
	Grand Total (%)	**52**	**25**	**144**	**9**	**27**	**37**			

57. The Corporation has not invested Policyholder's funds outside India in compliance of section 27E of Insurance Act 1938.

58. GIC Syndicate 1947, the fully Indian capital backed GIC Syndicate, became operational in London from April 2018 following approval by Lloyd's in March 2018. The Syndicate also cede business to GIC Re and vice versa. The business written between GIC Re and GIC Syndicate 1947 is as below: (Amount ₹ in Lakhs)

INWARD	FY 2025-26	FY 2024-25
Gross Premium	3,995	9,484
Gross Commission	2	112
Incurred Claims	12	5,258
Overall Result	**3,981**	**4,114**
RETRO		
Retro Premium	329	5,374
Retro Commission	176	770
Incurred Claims -Retro	(222)	(1,240)
Overall Result	**375**	**5,843**

59. Extent of risks retained and reinsured is set out below:

Class	2025-26		2024-25	
	Retained %	Reinsured %	Retained %	Reinsured %
Fire	84.21	15.79	84.70	15.30
Motor	100.00	0.00	100.00	0.00
Aviation	44.83	55.17	48.16	51.84
Engineering	92.91	7.09	91.01	8.99
W.C.	97.86	2.14	100.00	0.00
Liability	89.13	10.87	82.14	17.86
PA	99.97	0.03	99.20	0.80
Health	100.00	0.00	99.18	0.82
Agriculture	98.16	1.84	97.83	2.17
Other Miscellaneous	81.79	18.21	82.44	17.56
FL/Credit	99.76	0.24	96.28	3.72
Marine Cargo	81.80	18.20	81.77	18.23
Marine Hull	91.77	8.23	93.99	6.01
Life	98.99	1.01	97.95	2.05

60. Except for salary and remuneration paid to relatives of directors who are employees of the corporation as per the terms of employment, no payment has been made to individuals, firms, companies and organisation in which the Directors of the corporation are interested.

61. The summary of the financial statements of the Corporation for the last five years is as per Annexure II (b).

62. The Accounting Ratios of the Corporation are stated in Annexure III(b).

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

Annexure - I

AUDITED STANDALONE RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT/CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026
As per Direct Method

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Current Year Ended 31 March 2026	Previous Year Ended 31 March 2025
A	**Cash Flows from the operating activities:**		
1	Premium received from policyholders, including advance receipts	0	0
2	Other Receipts		
	Sundry Balances Written Back (Net)	0	0
	Miscellaneous Receipts	550	451
3	Payments to the re-insurers, net of commissions and claims*	226 051	146 730
4	Payments to co-insurers, net of claims recovery	0	0
5	Payments of claims	0	0
6	Payments of commission and brokerage	0	0
7	Payments of other operating expenses	(34 154)	(33 310)
8	Preliminary and pre-operative expenses	0	0
9	Deposits, advances and staff loans	(8 654)	38 861
10	Income taxes paid (Net)	(248 481)	(216 064)
11	Service tax/GST paid	13 443	(2 982)
12	Other payments	(14 071)	(10 697)
13	Cash flows before extraordinary items	(65 317)	(77 011)
14	Cash flow from extraordinary operations	0	0
	Net cash flow from operating activities	**(65 317)**	**(77 011)**
B	**Cash flows from investing activities:**		
1	Purchase of fixed assets	(781)	(2 144)
2	Proceeds from sale of fixed assets	17	43
3	Purchases of investments	(2206 561)	(1860 668)
4	Loans disbursed	0	0
5	Sales of investments	1266 712	1131 968
6	Repayments received	1 471	1 600
7	Rents/Interests/ Dividends received	873 444	839 554
8	Investments in money market instruments and in liquid mutual funds (Net)	7 628	40 959
9	Expenses related to investments	(654)	(561)
10	**Net cash flow from investing activities**	**(58 724)**	**150 751**
C	**Cash flows from financing activities**		
1	Proceeds from issuance of share capital	0	0
2	Proceeds from borrowing	0	0
3	Repayments of borrowing	0	0

4	Interest/dividends paid	(175 440)	(175 440)
	Net cash flow from financing activities	(175 440)	(175 440)
D	**Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents, net**	293 343	78 687
E	**Net increase in cash and cash equivalents:(A+B+C+D)**	**(6 138)**	**(23 013)**
	Cash and cash equivalents at the beginning of the period	**707 344**	**730 357**
	Cash and cash equivalents at the end of the period	**701 206**	**707 344**

*Earned Premium less incurred claim less net commission adjusted for various outstanding, receivable, payable and Deposits.

Figures in bracket indicates cash outflows.

Reconciliation of Cash & Cash Equivalent with Schedule 11

(₹ in Lakhs)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period	**31.03.2026**	**31.03.2025**
Cash and Bank Balances as per Schedule 11	2463 755	2438 974
Less: Fixed deposits having maturity of more than 3 months	1062 768	940 839
Less: Deposits under margin for Letter of Credit	693 643	767 778
Cash and cash equivalents at the beginning of the period	**707 344**	**730 357**
Cash and cash equivalents at the end of the period		
Cash and Bank Balances as per Schedule 11	2779 122	2463 755
Less: Fixed deposits having maturity of more than 3 months	1522 411	1062 768
Less: Deposits under margin for Letter of Credit	555 505	693 643
Cash and cash equivalents at the end of the period	**701 206**	**707 344**

As per our report of even date

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

Annexure - II b

SUMMARY OF FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

(₹ in Lakhs)

	Particulars	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
	OPERATING RESULTS					
1	Gross direct premium	**0**	0	0	0	0
2	Gross Written Premium	**4400 674**	4115 395	3718 176	3659 159	4320 846
3	Net Premium Income	**4057 125**	3784 421	33 95 579	33 64 443	3879 903
4	Income from investments (net)	**861 297**	884 968	808 415	752 037	736 275
	Other Income					
5	Profit on Exchange Fluctuation	**90 931**	14 360	9 677	59 640	40 141
6	Contribution from the Shareholders a/c					
	Towards excess EOM	**0**	0	0	0	0
	Others to be specified	**0**	0	0	0	0
	Total Income	**5009 352**	4683 749	4213 671	4176 120	4656 319
7	Commissions (Net)	**797 203**	738 012	624 675	561 051	695 082
8	Operating Expenses	**39 325**	33 687	39 296	40 444	37 128
9	Premium Deficiency	**5 771**	(3 762)	5 927	(854)	1 298
10	Net Incurred Claims	**3362 766**	3195 369	3098 041	3273 938	3662 585
11	Change in Unexpired Risk Reserve	**119 290**	171 395	37 973	(216 358)	(49 437)
12	**Operating Profit/loss***	**684 996**	549 048	407 759	517 899	309 663
	NON-OPERATING RESULT					
13	Total Income under Shareholders account (Net)	**468 254**	400 123	438 784	257 045	46 351
14	Total expenses under Shareholder's Account	**0**	0	0	0	0
15	Profit/(loss) before tax	**1079 325**	876 564	787 793	774 944	356 014
16	Provision for tax	**240 108**	206 428	138 062	143 694	155 440
17	Profit/(loss) after tax	**839 218**	670 136	649 731	631 250	200 574
	MISCELLANEOUS					
18	Policy holders Account :					
	Total funds	**9908 491**	9180 942	8591 485	7916 715	8181 000
	Total Investments	**9224 457**	9334 516	9080 348	7916 715	7715 532
	Yield on Investments (%)	**10.62**	10.67	11.58	12.19	12.95
19	Shareholders Account :					
	Total funds	**5130 127**	4310 652	3758 178	3235 608	2443 972
	Total Investments	**4868 376**	4472 858	4062 121	3151 578	2395 019
	Yield on Investments (%)	**10.62**	10.67	11.58	12.19	12.95

20	Paid up equity Capital	**87 720**	87 720	87 720	87 720	87 720
21	Net worth	**5130 127**	4310 652	3758 178	3235 608	2443 972
22	Total assets	**19722 093**	18761 574	17828 582	15712 460	14488 737
23	Yield on total investments (%)	**10.62**	10.67	11.58	12.19	12.95
24	Earnings per share (Basic)	**47.84**	38.20	37.03	35.98	11.43
25	Book Value per share (₹)	**292.41**	245.71	214.21	184.43	139.31
26	Total Dividend declared/paid for the year	**175 440**	175 440	126 317	39 474	0.00
27	Dividend per share (₹)	**10.00**	10.00	7.20	2.25	0.00
28	Solvency Ratio	**4.21**	3.70	3.25	2.61	1.96

**Operating Profit/loss is before transfer to Catastrophe Reserve*

As per our report of even date

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

Annexure - III b

RATIOS FOR NON - LIFE COMPANIES

	Performance Ratio	Ratio / Percentage			
		Current Year Ending		Previous Year Ending	
		31.03.2026		31.03.2025	
		Domestic	Foreign	Domestic	Foreign
		Total		Total	
1	Gross Premium Growth Rate (segment wise)				
	(Gross premium for the current period divided by the gross premium for the previous year)				
	Fire Insurance	5.11	2.73	(1.45)	17.88
	Motor Insurance	19.91	8.84	17.16	(57.54)
	Aviation Insurance	6.42	16.05	9.94	(18.29)
	Engineering insurance	12.36	4.40	13.88	(16.26)
	Workmen's Compensation/ Employer's liability	27.00	(31.60)	(39.79)	9.61
	Liability	25.92	(11.50)	24.95	7.20
	Personal Accident	32.96	13.03	22.04	(2288.63)
	Health	(3.58)	18.30	69.12	(81.43)
	Agriculture	3.45	26.43	(11.47)	(10.96)
	Other Miscellaneous Insurance	20.18	17.60	12.08	266.94
	Financial Liability/Credit	7.15	(46.00)	66.71	16.33
	Marine Cargo	(0.81)	30.29	(12.98)	(76.16)
	Marine Hull	17.45	(22.64)	17.92	6.71
	Life	25.67	79.03	13.57	32.81
2	Gross Premium to Net worth ratio : (Gross premium for the current period divided by paid up capital and free reserves)	85.78		95.47	
3	Growth rate of Net Worth (Net worth as at the current balancesheet date divided by Net worth as at the previous balance sheet date)	19.01		14.7	
4	Net retention ratio (segment wise) (Net premium divided by gross premium)				
	Fire Insurance	80.58	87.87	76.72	92.57
	Motor Insurance	100.00	100.00	100.00	100.00
	Aviation Insurance	83.80	39.90	100.00	41.01
	Engineering insurance	90.84	99.97	88.45	99.14
	Workmen's Compensation/ Employer's liability	97.67	100.00	100.00	100.00
	Liability	86.09	99.16	75.90	96.62
	Personal Accident	99.97	100.00	99.13	100.00
	Health	100.00	100.00	99.18	100.00
	Agriculture	98.11	100.00	97.78	100.00
	Other Miscellaneous Insurance	93.13	42.78	88.31	62.69
	Financial Liability/Credit	100.00	98.65	100.00	87.74
	Marine Cargo	82.16	81.04	88.35	63.35

	Performance Ratio	Ratio / Percentage			
		Current Year Ending		Previous Year Ending	
		31.03.2026		31.03.2025	
		Domestic	Foreign	Domestic	Foreign
		Total		Total	
	Marine Hull	92.18	91.34	96.74	92.03
	Life	98.82	100.00	97.71	100.00
5	Net commission ratio (segment wise) (Commission paid net of reinsurance commission divided by net written premium for that segment)				
	Fire Insurance	23.04	26.49	24.50	23.54
	Motor Insurance	18.33	32.37	14.44	24.25
	Aviation Insurance	13.38	15.58	0.64	28.57
	Engineering insurance	18.05	25.23	19.76	30.05
	Workmen's Compensation/ Employer's liability	14.98	17.90	14.67	(77.34)
	Liability	19.22	18.72	20.02	17.42
	Personal Accident	35.41	15.01	(5.93)	3.82
	Health	21.52	25.81	23.97	17.42
	Agriculture	4.40	19.38	10.14	18.78
	Other Miscellaneous Insurance	18.61	25.33	15.90	26.23
	Financial Liability/Credit	23.11	37.38	15.67	25.95
	Marine Cargo	14.05	29.30	10.80	98.06
	Marine Hull	12.51	18.68	10.56	17.60
	Life	0.34	4.76	0.05	7.05
6	Expenses of management to gross premium ratio (Expenses of management divided by Gross premium)	0.72	1.40	0.80	0.87
	Fire Insurance	0.73	0.97	0.80	0.83
	Motor Insurance	0.73	1.54	0.80	0.85
	Aviation Insurance	0.73	0.99	0.80	0.92
	Engineering insurance	0.73	9.94	0.80	1.86
	Workmen's Compensation/ Employer's liability	0.73	1.35	0.80	0.69
	Liability	0.73	0.91	0.80	0.86
	Personal Accident	0.73	0.71	0.80	0.79
	Health	0.73	0.72	0.80	0.75
	Agriculture	0.73	0.79	0.80	0.84
	Other Miscellaneous Insurance	0.73	1.18	0.80	0.85
	Financial Liability/Credit	0.73	0.84	0.80	0.96
	Marine Cargo	0.55	1.17	0.60	0.71
	Marine Hull	0.55	1.25	0.60	0.64
	Life	0.73	0.73	0.80	0.80

	Performance Ratio	Ratio / Percentage			
		Current Year Ending		Previous Year Ending	
		31.03.2026		31.03.2025	
		Domestic	Foreign	Domestic	Foreign
		Total		Total	
7	Expenses of management to Net written premium ratio (Expenses of management divided by Net written premium)	0.77	1.63	0.86	0.97
	Fire Insurance	0.90	1.11	1.05	0.90
	Motor Insurance	0.73	1.54	0.80	0.85
	Aviation Insurance	0.87	2.47	0.80	2.23
	Engineering insurance	0.80	9.95	0.91	1.88
	Workmen's Compensation/ Employer's liability	0.75	1.35	0.80	0.69
	Liability	0.85	0.92	1.06	0.89
	Personal Accident	0.73	0.71	0.81	0.79
	Health	0.73	0.72	0.81	0.75
	Agriculture	0.74	0.79	0.82	0.84
	Other Miscellaneous Insurance	0.78	2.75	0.91	1.35
	Financial Liability/Credit	0.73	0.85	0.80	1.10
	Marine Cargo	0.66	1.45	0.68	1.12
	Marine Hull	0.59	1.37	0.62	0.69
	Life	0.74	0.73	0.82	0.80
8	Net Incurred Claims to Net Earned Premium	83.05	92.79	85.33	96.50
	Fire Insurance	75.92	72.00	85.28	84.86
	Motor Insurance	81.02	172.12	81.20	119.44
	Aviation Insurance	121.12	201.26	55.53	96.13
	Engineering insurance	64.78	62.80	67.35	73.77
	Workmen's Compensation/ Employer's liability	5.34	850.91	83.20	2389.08
	Liability	62.30	133.83	93.62	101.61
	Personal Accident	61.24	65.08	52.05	65.96
	Health	85.46	53.41	81.64	51.22
	Agriculture	90.66	63.93	90.42	50.04
	Other Miscellaneous Insurance	63.02	81.41	52.96	106.50
	Financial Liability/Credit	32.59	1.26	0.53	(35.86)
	Marine Cargo	57.26	157.06	77.34	224.14
	Marine Hull	26.15	83.81	46.30	115.49
	Life	133.50	155.32	148.15	87.57
9	Claims paid to claims provisions (Net Claims Paid divided by Claims Outstanding at the end of the period)	33.89	26.04	33.71	30.28
	Fire Insurance	20.38	17.85	18.63	24.34
	Motor Insurance	28.38	44.49	27.07	38.02
	Aviation Insurance	34.66	26.65	9.16	26.94
	Engineering insurance	11.37	19.62	7.55	15.81

	Performance Ratio	Ratio / Percentage			
		Current Year Ending		Previous Year Ending	
		31.03.2026		31.03.2025	
		Domestic	Foreign	Domestic	Foreign
		Total		Total	
	Workmen's Compensation/ Employer's liability	32.30	17.24	18.95	37.29
	Liability	11.68	20.29	12.05	27.94
	Personal Accident	41.16	16.12	32.76	19.81
	Health	105.20	19.75	125.53	53.93
	Agriculture	22.21	32.65	24.62	31.12
	Other Miscellaneous Insurance	46.46	20.60	28.68	34.45
	Financial Liability/Credit	13.10	8.71	43.88	16.57
	Marine Cargo	35.00	27.88	38.21	81.29
	Marine Hull	21.55	46.52	16.53	29.67
	Life	55.16	95.74	77.29	102.11
10	Combined ratio : (Net Incurred Claims divided by Net Earned Premium plus expenses of management (including net commission) divided by Net written premium)	101.65	120.05	104.20	121.40
	Fire Insurance	99.86	99.60	110.83	109.30
	Motor Insurance	100.08	206.04	96.44	144.54
	Aviation Insurance	135.37	219.31	56.97	126.93
	Engineering insurance	83.63	97.98	88.02	105.70
	Workmen's Compensation/ Employer's liability	21.07	870.15	98.67	2312.42
	Liability	82.37	153.46	114.70	119.92
	Personal Accident	97.38	80.80	46.93	70.56
	Health	107.71	79.95	106.43	69.40
	Agriculture	95.80	84.10	101.38	69.66
	Other Miscellaneous Insurance	82.41	109.49	69.77	134.08
	Financial Liability/Credit	56.43	39.50	17.00	(8.81)
	Marine Cargo	71.98	187.81	88.82	323.32
	Marine Hull	39.26	103.85	57.48	133.78
	Life	134.58	160.81	149.01	95.43
11	Investment income ratio (Investment income divided by Net Premium)	32.36		33.58	
12	Technical reserves to net premium ratio: (Reserve for unexpired risks plus premium deficiency reserve plus reserve for outstanding claims (including IBNR and IBNER divided by net premium)(All on net basis)	260.86		259.21	
	Fire Insurance	331.30	323.25	343.95	292.91
	Motor Insurance	266.69	541.75	294.51	643.61
	Aviation Insurance	392.22	561.00	346.43	566.48
	Engineering insurance	293.27	411.94	292.92	441.33
	Workmen's Compensation/ Employer's liability	196.43	4552.70	284.31	2944.13

	Performance Ratio	Ratio / Percentage			
		Current Year Ending		Previous Year Ending	
		31.03.2026		31.03.2025	
		Domestic	Foreign	Domestic	Foreign
		Total		Total	
	Liability	248.39	507.23	290.82	421.82
	Personal Accident	156.29	393.57	179.52	431.63
	Health	115.82	272.43	97.04	306.79
	Agriculture	296.69	214.19	279.86	252.53
	Other Miscellaneous Insurance	160.42	354.14	182.51	271.08
	Financial Liability/Credit	257.13	536.96	267.26	370.42
	Marine Cargo	217.56	792.69	203.63	1423.66
	Marine Hull	253.75	683.61	282.98	672.78
	Life	169.32	125.90	150.46	113.55
13	Underwriting balance ratio: (underwriting profit / Net premium)	(4.35)		(8.88)	
14	Operating profit ratio: (Underwriting profit/ loss plus investment income divided by net premium)	16.88		12.59	
15	Liquid assets to liabilities ratio: (Liquid assets (Short Term Investments (Schedule 8) plus Short Term Loans (Schedule 9) plus Cash & Bank Balances (Schedule 11)) of the insurer divided by policyholders liabilities (to be discharged within 12 months) (claims outstanding (Schedule 13) plus reserve for unexpired risk and Premium Deficiency (Schedule 14))	36.06		35.93	
16	Net earnings ratio: (Profit after tax divided by net premium)	20.69		17.71	
17	Return on net worth (Annualised) (Profit after tax divided by net worth)	21.81		15.55	
18	Solvency Margin Ratio (RSM) ratio (Ratio of Available Solvency Margin (ASM) at the end of the Quarter to the Required Solvency Margin (RSM) required to be maintained as per regulations.	4.21		3.70	
19	NPA ratio (Net)				
	Policyholders' Funds				
	Gross NPA Ratio	0.97		1.13	
	Net NPA Ratio	0.00		0.00	
	Shareholders' Funds				
	Gross NPA Ratio	0.97		1.13	
	Net NPA Ratio	0.00		0.00	
20	Debt Equity Ratio	NIL		NIL	
21	Debt Service Coverage Ratio	NIL		NIL	
22	Interest Service Coverage Ratio	NIL		NIL	

	Performance Ratio	Ratio / Percentage			
		Current Year Ending		Previous Year Ending	
		31.03.2026		31.03.2025	
		Domestic	Foreign	Domestic	Foreign
		Total		Total	
23	Equity Holding Pattern for other than life Insurers and information on earnings:				
	No. of shares	1754400 000		1754400 000	
	Percentage of shareholding	17.60%		17.60%	
	Indian	97.91%		98.04%	
	Foreign	2.09%		1.96%	
	Percentage of Government holding (in case of public sector insurance companies)	82.40%		82.40%	
	Basic EPS before extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	47.84		38.20	
	Diluted EPS before extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	47.84		38.20	
	Basic EPS after extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	47.84		38.20	
	Diluted EPS after extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	47.84		38.20	
	Book value per share (Rs.)	292.41		245.71	

As per our report of even date

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

I. Registration Details

Registration No.	16133	State Code	11
Balance Sheet Date	31-03-2026		

II. Capital Raised During the year (₹ in lakhs)

Public Issue	N I L	Right Issue	N I L
Bonus Issue	N I L	Private Placement	N I L

III. Position of Mobilisation and Deployment of Funds (₹ in lakhs)

Total Liabilities	8646 680	Total Assets	8646 680

Sources of Funds

Paid-up Capital	87 720	Reserve & Surplus	5286 131
Secured Loans	N I L	Unsecured Loans	N I L
Deferred Tax Liability	N I L	Fair Value Change Account	3272 829

Application of Funds

Net Fixed Assets	29 736	Investment	14105 352
Net Current Assets	(5592 708)	Misc. Expenditure	N I L
Accumulated Losses	N I L	Deferred Tax Asset	104 300

IV. Performance of Company (₹ in lakhs)

Turnover	5394 788	Total Expenditure	4241 538
Profit/Loss Before Tax	1079 325	Profit/Loss After Tax	839 218
Earning per Share in (₹)	47.84	Proposed Dividend @ %	N I L

V. Generic Name of The Principal Products/Services of Company (as per Monetary terms)

Item Code No.	NOT APPLICABLE
Product Discription	REINSURANCE SERVICE

(₹ & $ in lakhs)

	As on 31.03.2026		As on 31.03.2025	
	₹	$	₹	$
Gross Premium	4400 674	46 432	4115 395	48 055
Net Premium	4057 125	42 807	3784 421	44 190
Net Earned Premium	3937 835	41 548	3613 026	42 189
Net Claims	3362 766	35 481	3195 369	37 312
% to Earned Premium	85.4%	85.4%	88.4%	88.4%
Net Commission	797 203	8 411	737 254	8 609
% to Earned Premium	20.2%	20.2%	20.4%	20.4%
Operating Expenses and Other Outgo less Other Income	(51 605)	(544)	19 326	226
Premium Deficiency	5 771	61	(3 762)	(44)
Transfer to Catastrophe Reserve	73 925	780	59 795	698
Investment Income Less Expenses apportioned to Revenue a/c	861 297	9 088	871 396	10 175
Revenue Profit/Loss(-)	611 072	6 447	476 441	5 563
Investment Income Less Expenses apportioned to P/L a/c	447 637	4 723	405 856	4 739
Other Income less Other Outgo	35 167	371	7 751	91
Res. for Doubtful Debts, Investment W/off & Amortisation of Prem.on Inv.	14 550	154	13 484	157
PROFIT BEFORE TAX	1079 325	11 388	876 564	10 235
Provision for tax including deferred tax	240 107	2 533	206 428	2 410
PROFIT AFTER TAX	839 218	8 855	670 136	7 825
ASSETS:				
Investments	14092 833	148 695	13807 374	161 226
Loans	12 519	132	13 728	160
Fixed Assets	29 736	314	29 541	345
Deferred Tax Asset	104 300	1 100	69 333	810
Cash and Bank Balances	2779 122	29 323	2463 649	28 768
Advances and Other Assets	2703 582	28 526	2377 948	27 767
TOTAL ASSETS	**19722 092**	**208 089**	**18 761 573**	**219 075**
LIABILITIES:				
Share Capital	87 720	926	87 720	1 024
Reserve and Surplus	5286 131	55 774	4 392 732	51 293
Deferred Tax Liabilities	0	0	4	0
Fair Value Change Account	3272 829	34 532	4011 781	46 845
Current Liabilities & Provisions	11075 412	116 858	10269 337	119 913
TOTAL LIABILITIES	**19722 092**	**208 089**	**18761 573**	**219 075**

1 US$ = 94.777 as on 31.03.2026

(Percentage relate to the net earned premium of the corresponding period)

Solely for the convenience of readers, performance highlights have been converted into United States Dollar

USD Exchange Rate	**94.7770**	**85.640**

आपत्काले रक्षिष्यामि

GIC Re

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

(CFS)

YEAR 2025-26

A: SUBSIDIARIES:

(i) GIC Re South Africa Ltd.

(ii) GIC Re, India, Corporate Member Limited

(iii) GIC Perestrakhovanie LLC

B: ASSOCIATES:

(i) Agriculture Insurance Company of India Ltd.

(ii) GIC Bhutan Re Ltd.

(iii) India International Insurance Pte. Ltd.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of General Insurance Corporation of India

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements

OPINION

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of General Insurance Corporation of India ("the Corporation", "the Holding Company", the "Company") and its subsidiaries ("the Group") and its Associates which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2026, the Revenue Accounts of Fire, Miscellaneous, Marine and Life Insurance (collectively known as "Consolidated Revenue Accounts"), Consolidated Profit and Loss Account, the Consolidated Cash Flow statement for the year ended on that date and notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (herein after referred to as "Consolidated Financial Statements"). The Company's Subsidiaries and Associates listed in Appendix 1 and branches listed in Appendix 2.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, based on the consideration of the reports of the other auditors as referred to in paragraph 6 in Other Matters section below, we report that the aforesaid consolidated financial statement:

   a. give the information required in accordance with the requirements of the Insurance Act 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 ("the Insurance Act"), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 ("the IRDAI Act"), the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 ("the Regulations"), the Companies Act, 2013 ("the Act") including the Accounting Standard specified under section 133 of the Act and Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") read with to the extent applicable and in manner so required; and

   b. give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the Consolidated state of affairs of the Group and its associates as at March 31, 2026, and their Consolidated Revenue accounts, Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

BASIS FOR OPINION

3. We conducted our audit of the consolidated financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs), as specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements' section of our report. We are independent of the Company in accordance with the 'Code of Ethics' issued by ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained together with the audit evidence obtained by the other auditors including the branch auditors in terms of their reports referred to in paragraph 6 in the Other Matters section below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the consolidated financial statements.

KEY AUDIT MATTERS

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, and based on the consideration of the reports of the branch auditors as referred to paragraph 6 below, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

5. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Sr. No.	Key Audit Matters	How our Audit addressed the Key Audit Matter
a.	**Revenue Recognition:** The Corporation recognizes reinsurance premium income based on the statement of accounts or closing statements received from the ceding companies. At the year end, estimates are made for the accounts not received based on the Estimated Premium Income (EPI) agreed upon by both the Corporation and the Ceding Companies at the time of inception of the treaty or policy slip. Premium estimation is the differential of EPI and the booked premium by the Corporation. Estimation of Income can be considered reasonable only when the factors involved in premium estimation are extracted correctly from the IT accounting system.	**Our audit procedures on revenue recognized included:** • Tested the design, implementation and operating effectiveness of key controls over Revenue Recognition. • Verified Premium Estimation with the guidelines of the Corporation and have performed test of controls, test of details and analytical review procedures on estimation of income. • Verified EPI from the treaty or policy slip as the case may be and verified Actual Premium booked from Statement of Accounts or Closing statements received from the Cedants on the sample basis.
b.	**Claim Provisioning:** Insurance Claim is the major area of expense for the insurance company. Total claims incurred include paid claims, Outstanding Loss Reserve (OSLR) and Claims Incurred But Not (Enough) Reported (IBNER). The Provision and payment of claims was considered to be one of the areas which required significant auditor attention and was one of the matters of most significance in the Consolidated Financial Statements as the quantum involved is significant.	**Our audit procedures on claim provisioning included:** • Verified guidelines of the Corporation relating to claim processing, have performed test of controls, test of details and analytical review procedures on the outstanding claims. Verified the claim paid and provision created on sample basis with payment proof and Preliminary Loss advice received from the Cedant Company and the same is further verified from the surveyor's report. • For the claim cases which has been incurred but not reported and cases in which claim has been reported but not enough reported, these cases have been captured by the actuaries appointed by the Corporation. The Actuarial valuation of liability in respect of Claims Incurred But Not Reported (IBNR) and those Incurred But Not Enough Reported (IBNER) as at March 31, 2026, is as certified by the Corporation's Appointed Actuaries and we have verified the amounts and the related liability, based on such report. We have placed our reliance on the Actuarial Certificate issued by the Corporation's Appointed Actuaries.
c.	**Valuation of Investments:** The Corporation's investments represent a substantial portion of the assets as of March 31, 2026, which are to be valued in accordance with accounting policy framed as per the extent of the regulatory guidelines. The valuation of all investments should be as per the investment policy framed by the Company which in turn should be in line with IRDAI Investment Regulations and Preparation of Financial Statement Regulations. The valuation methodology specified in the regulation is to be used for each class of investment.	**Our audit procedures on Investment included the following:** • Understood Management's process and controls to ensure proper classification and valuation of Investment. • Verified and obtained appropriate external confirmation and/or statements for availability and ownership rights related to these investments. • Tested the design, implementation, management oversight and operating effectiveness of key controls over the classification and valuation process of investments.

Sr. No.	Key Audit Matters	How our Audit addressed the Key Audit Matter
	The Company has a policy framework for Valuation and impairment of Investments. The Company performs an impairment review of its investments periodically and recognizes impairment charge when the investments meet the trigger/s for impairment provision as per the criteria set out in the investment policy of the Company. Further, the assessment of impairment involves significant management judgment. The classification and valuation of these investments was considered one of the matters of material significance in the audit of Consolidated Financial Statements due to the materiality of the total value of investments to the Consolidated Financial Statements.	• Test-checked valuation of different class of investments to assess appropriateness of the valuation methodologies with reference to IRDAI Investment Regulations along with Company's own investment policy. • Reviewed the Company's impairment policy and assessed the adequacy of its impairment charge on investments outstanding at the Year end. Based on procedures above, we found the company's impairment, valuation, and classification of investments in its Consolidated Financial Statements in all material respects to be fair.
d.	**Ascertainment, disclosure and Provisions of contingent liabilities:** The Company has material uncertain tax matters, both direct and indirect, under dispute involving considerable demand raised on the Company which require significant judgment to determine the possible outcome of these disputes. Additionally, the Company has other ongoing legal matters relating to various claims not acknowledged as debts which require application of management judgement in order to determine the likely outcome. Management's disclosures with regards to provisions and contingent liabilities relating to ongoing litigation are presented in Note No. 18 to the Company's Consolidated Financial Statements. The assessment of whether a liability is recognised as a provision or disclosed as a contingent liability in the consolidated financial statements is inherently subjective and requires significant management judgement in determination of the cash outflows from the business, interpretation of applicable laws and regulations, and careful examination of pending assessments at various levels of regulatory authorities. Since the amounts involved are significant and due to the range of possible outcomes leading to high estimation uncertainty that requires significant management and auditor judgement, this matter is considered to be a key audit matter for the current year audit.	**Our audit procedures included, but were not limited to the following:** • Obtained understanding of the process of identification and measurement of provisions and contingent liabilities relating to ongoing litigations implemented by the management, through various discussions held with company's legal and finance personnel. • Tested the design and operating effectiveness of the controls put in place by the management in relation to assessment of the outcome of the pending litigations at various level of regulatory authorities and judicial hierarchy. • Inspected the summary of litigation matters and discussed key developments during the year with the Company's Legal and Finance personnel. • Inspected and evaluated, where applicable, external legal and/or regulatory advice sought by the Company. • Discussed and challenged the management's assessment of the likelihood, magnitude and accounting of any liability that may arise in certain material cases. Accordingly, we reviewed the amount of provisions recognised and contingent liabilities disclosed in the consolidated financial statements and exercised our professional judgment to assess appropriateness of such conclusions, involving experts as required. • Evaluated the adequacy of disclosures made in the consolidated financial statements in accordance with the applicable accounting standards.

OTHER MATTERS

6. We did not audit the financial information of three foreign branches and one domestic branch included in the consolidated Financial Statements, whose audited financial information reflect total assets (before eliminations) of ₹ 12,84,447 lakhs as at March 31, 2026, total Premiums earned (Net) (before eliminations) of ₹ 2,50,781 lakhs for the year ended March 31, 2026, as considered in the Consolidated Financial Statements. These financial information have been audited by another auditor

whose report has been furnished to us and our conclusion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches is based solely on the report of another auditor.

7. Three branches are located outside India whose financial information have been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in their respective countries and which have been reviewed by other auditors or local management certified under generally accepted auditing standards applicable in their respective countries. The Corporation's management has converted the financial information of such branches located outside India from accounting principles generally accepted in their respective countries to accounting principles generally accepted in India. We have reviewed these conversion adjustments made by the Corporation's management. Our conclusion in so far as it relates to the balances and affairs of such foreign branches located outside India is based on the report of another auditor / management certified accounts and the material conversion adjustments prepared by the management of the Corporation reviewed by us.

8. The Consolidated Financial Statements include the financial information of Dubai branch which has intimated the Run-off branch status as per the audited financial information received for the year ended March 31, 2026. The auditors of the branch have also stated that the Branch is not looked upon as a Going Concern in the future as a Portfolio Transfer Agreement has been entered on September 14, 2022, between GIC Gift City Branch and Dubai Branch.

9. We did not audit the annual financial statements/financial information of three subsidiaries included in the Consolidated Financial Statements, whose financial information/financial statements reflect total assets (net) ₹ 8,83,343 lakhs as at March 31, 2026, total premium is ₹ 29,739 lakhs and total net profit (after tax) is ₹ 5,726 lakhs for the year ended March 31, 2026 as considered in the Consolidated Financial Statements. These financial information have been audited by another auditor whose report has been furnished to us and our conclusion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these Subsidiaries is based solely on the report of another auditor.

10. The Consolidated Financial Statements also include the Group's share of net profit after tax in respect of three associates is of ₹ 66,188 Lakhs for the year ended on that date. Out of these, in respect of two associates, the financial statements have been audited by other auditors whose report has been furnished to us and one associate is based on the management certified financial information.

11. The financial information of certain subsidiaries and associates are drawn up to a reporting date different from that of the Holding Company as disclosed under note no. 2 of the Consolidated Financial Statements.

12. We have relied on the financial statements of the above Subsidiary and Associate Companies which have been consolidated on the basis of Management certified financial statements.

13. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and associates, and our report in terms of sub-section (3) and (11) of section 143 of the Act, in so far as it relates the aforesaid subsidiaries and associates, based solely on the reports of the Management and other auditors.

14. The actuarial valuation of liabilities in respect of Incurred But Not Reported (the "IBNR") including Incurred But Not Enough Reported (the "IBNER"), Premium Deficiency Reserve (the "PDR") and Technical Reserves (the "TR") is the responsibility of the Corporation's Appointed Actuaries (the "Appointed Actuaries"). The actuarial valuation of these liabilities, that are estimated using statistical methods, as at March 31, 2026 has been duly certified by the Appointed Actuaries and in their opinion, the assumptions considered by them for such valuations are in accordance with the guidelines and norms issued by the IRDAI and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDAI. We have relied upon the Corporation's Appointed Actuaries' Certificates in this regard for forming our conclusion on the valuation of liabilities for outstanding claims reserves, the PDR and TR contained in the Consolidated Financial Statements of the Corporation.

Our Report is not modified in respect of above other matters.

INFORMATION OTHER THAN THE FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT THEREON

15. The Holding Company's Management and Board of Directors is responsible for preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report including Board's Report & it's Annexures, Management Discussion and Analysis, Business Responsibility Report and Report on Corporate Governance, but does not include the Standalone and Consolidated Financial Statements and our auditor's report thereon. This Annual Report and other information are expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

16. Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon. In connection with our audit of the Consolidated financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements, or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matters to those charged with governance.

RESPONSIBILITIES OF THE MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS.

17. The Holding Company's Board of Directors is responsible for matters as stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the Act including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act read with relevant rules issued thereunder and accounting principles generally accepted in India, the requirements of the Insurance Act, the IRDAI Act, the Regulations and the orders/ directions and circulars issued by the IRDAI in this regard, to the extent applicable and in the manner so required.

18. The responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the act for safeguarding of the assets of the Corporation and for preventing and detecting frauds and other irregularities, selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent, and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation & presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

19. In preparing the Consolidated Financial Statements, the management is responsible for assessing the ability of the Group's and Associate's ability to continue as going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, as has no realistic alternative but to do so.

20. The Board of Directors of the Holding Company is also responsible for overseeing the Group and its Associate's financial reporting process.

AUDITOR'S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

21. Our objective is to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SA's will always detect a material misstatement when they exist. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

22. As part of an audit in accordance with SA's, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
    - Identify and assess the risks of material misstatements of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud and error, design and perform audit procedures responsive to those risks and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentation, or the override of internal controls.
    - Obtain and understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Corporation has in place and adequate internal financial control systems over financial reporting and the operating effectiveness of such controls.
    - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
    - Conclude on the appropriateness of the management use of going concern basis of accounting and, based on audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group and its Associate's ability continue as a going concern. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or condition may cause the Group to cease to continue as a going concern.
    - Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

23. Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Consolidated Financial Statements.

24. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

25. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with the relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence and where applicable, related safeguards.

26. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the Key Audit Matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

27. As required by Section 143(3) of the Act and the Regulations and orders or direction issued by the IRDAI, to the extent applicable, based on our audit and on the consideration of the reports of the branch auditors as referred to in paragraph 6 above, we report, to the extent applicable, that:
    a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit of the aforesaid Consolidated Financial Statements.
    b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Group and its Associates and proper returns of both audited and unaudited subsidiaries and associates so far as it appears from our examination have been received, which were not visited by us.
    c. The reports on the accounts of the four branch offices of the Holding Company audited by the branch auditors under section 143(8) of the Act have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing the report of Holding Company.

d. The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Revenue Accounts, Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement dealt by this Report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the subsidiaries/associates not visited by us.

e. The Actuarial valuation of liabilities of the Holding Company as on March 31, 2026 is duly certified by the Corporation's appointed actuary referred to in "other matter" paragraph above of the Holding Company including to the effect that the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines issued by the Institute of Actuaries of India to its members and has been forwarded to IRDAI.

f. The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Revenue Account, Consolidated Profit & Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement (Direct Method) have been drawn in accordance with the Insurance Act 1938, The IRDAI Act, 1999 and the Act.

g. Investments of the Holding company have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act, the Regulations and orders/directions issued by IRDAI.

h. The accounting polices selected by the Holding Company are appropriate and such accounting policies and the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards specified under Section 133 of the Act read with relevant rules issued thereunder, and other accounting principles generally accepted in India read with and which are not inconsistent with the accounting principles prescribed in the Regulations, the Insurance Act, the IRDAI Act and circulars/orders/directions issued by IRDAI in this regard.

i. As per notification no. G.S.R 463(E) dated June 5, 2015, the Government Companies are exempted from the provisions of section 164(2) of the Act, accordingly, the Holding Company is not required to report whether any of the directors of the Company is disqualified in terms of provisions contained in the said section.

j. The Corporation being an Insurance Company, the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the order") as amended, issued by the Central Government of India in terms of sub section (11) of Section 143 of the Act is not applicable.

k. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Group and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure A".

l. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit & Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   (i) The Group has disclosed the impact of pending Litigations on its financial position in Note 18 to the Consolidated Financial Statements;

   (ii) Provisions have been made as on March 31, 2026, in the Consolidated Financial Statements, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts. There were no derivative contracts as on March 31, 2026.

   (iii) There has been no delay in transferring amount, required to be transferred, to the Investor and Education Protection Fund by the group.

   (iv) (a) The Management has represented that, to the best of their knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Holding Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

   (b) The Management has represented, that, to the best of their knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Holding Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

   (c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

   (v) The Board of Directors of the Holding Company have proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The amount of dividend proposed is in accordance with section 123 of the Act, as applicable.

(vi) Based on our examination which included test checks, the Corporation has used an accounting software for maintaining its books of account which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit, we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with and the audit trail has been preserved in accordance with the requirements of section 128(5) of the Act for record retention. Further, in case of one associate company which is incorporated in India, we have received only management certified financials and details of audit trail is not available.

28. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended, we report that the provisions of section 197 of the act are not applicable to the Holding Company vide notification No. G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015. Hence reporting u/s 197(16) of the Act is not required.

29. As required under section 143(5) of the Companies Act, 2013 based on our audit as aforesaid, we enclose herewith, as per "Annexure B", the directions including the additional directions issued by Comptroller and Auditor General of India, action taken thereon and the financial impact on the accounts and the Consolidated Financial Statements of the Holding Company.

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No. 101046W / W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No. 134767

Place: Mumbai
Date: May 26, 2026
UDIN: 26134767SWFEMM4564

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No. 120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No. 119509

Place: Mumbai
Date: May 26, 2026
UDIN: 26119509RSDLHW1913

APPENDIX 1

List of entities included in the consolidated financial statements

Subsidiaries

1. GIC Re South Africa Ltd., South Africa
2. GIC Re India Corporate Member Ltd., UK
3. GIC Perestrakhovanie LLC, Russia

Associates

1. GIC Bhutan Re Ltd., Bhutan
2. Agriculture Insurance Company of India Ltd., India
3. India International Insurance Pte Ltd., Singapore

APPENDIX 2

List of Branches audited by Branch Auditors

1. GIC Re, Gift City, India
2. GIC Re, Dubai, UAE
3. GIC Re. London, UK
4. GIC Re, Malaysia

"ANNEXURE A" TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT OF EVEN DATE ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA

(Referred to in paragraph 27(k) in section "Report on other legal & regulatory Requirements" forming part of the Independent Auditor's report dated May 26, 2026)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

1. In conjunction with our Audit of the Consolidated Financial Statements of the Corporation as of and for the year ended March 31, 2026, we have audited the internal financial controls over financial reporting of General Insurance Corporation of India ("the Holding Company") and its Associate Incorporated in India, as of that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

2. The Respective Board of Directors of the Holding Company and its Associate to whom reporting under clause (i) of sub section 3 of Section 143 of the Act in respect of the adequacy of the internal financial controls over financial reporting is applicable, which are companies incorporated in India are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Corporation's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act, the Insurance Act, 1938, as amended ("the Insurance Act"), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 ("the IRDAI Act"), the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 ("the Regulations") and orders/directions prescribed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI") in this regard.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on the Corporation's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by ICAI.

4. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

5. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error. Commensurate to the size and nature of the business, we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Corporation's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

6. A Corporation's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Corporation's internal financial control over financial reporting includes

those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Corporation; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Consolidated Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles and that receipts and expenditures of the Corporation are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Corporation; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Corporation's assets that could have a material effect on the Consolidated Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

7. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

8. In our opinion, commensurate with the size & nature of business, the Corporation has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2026, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note.

Other Matters

9. As per the information and explanations provided by the management, the financial statements of the Associate Company incorporated in India have not been audited till the date of our Audit on the Consolidated Financial Statement of the Group, hence we are unable to comment on the adequacy of internal financial controls system over financial reporting of the Associate. However, the Associate is not a material component of the Groups; hence we have not qualified our opinion on this matter.
10. The actuarial valuation of policy liabilities in respect of Claims Incurred But Not Reported (IBNR) and those Incurred But Not Enough Reported (IBNER) as at March 31, 2026, is as certified by the Appointed Actuary as per the regulations, and has been relied upon by us, as mentioned in our audit report on the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2026. Accordingly, our opinion on the internal financial controls over financial reporting does not include reporting on the operating effectiveness of the management's internal controls over the valuation and accuracy of the aforesaid actuarial valuation.

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No. 101046W / W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No. 134767

Place: Mumbai
Date: May 26, 2026
UDIN: 26134767SWFEMM4564

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No. 120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No. 119509

Place: Mumbai
Date: May 26, 2026
UDIN: 26119509RSDLHW1913

"ANNEXURE B" TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT OF EVEN DATE ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA

(Referred to in paragraph 29 forming part of the Independent Auditor's report dated May 26, 2026)

With regards to the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act"), based on our audit, we report hereunder on the action taken and the financial impact on the accounts of the Consolidated Financial Statements of the Corporation except for Labuan branch (Malaysia) whose auditors have not commented on directions and sub directions of C&AG.

Sr. No.	Direction under Section 143(5) of the Companies Act 2013	Action taken and financials impact
1.	Whether the Corporation has assessed the fair valuation of all the investments, both quoted and unquoted, made directly by the Company or through Trusts, for Post retirement benefits of the employees? This includes verifying valuation methodologies, ensuring consistency with Ind AS and reviewing supporting documentation. The auditor shall provide a brief note on the valuation approach, its reasonability, and compliance with applicable regulations, reporting any material deviations or misstatements.	All the investments, made directly by the Company or through Trusts, for Post-retirement benefits of the employees have been valued appropriately in accordance with the applicable financial reporting framework and applicable regulations. The valuation approach and valuation methodologies applied by the Corporation for these investments is appropriate, therefore there is no financial impact. Brief note on the valuation approach is given under Appendix 3.
2	Whether the Corporation has a system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, whether review of this system and controls that are significant to the Companies' financial reporting process as well as cyber security has been done by Information Security Auditing Organisations empaneled by Cert-In at a minimum frequency of once in a year and material discrepancies found, if any, have been suitably reported? The implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications may also be reported.	The Corporation has system in place to process all the accounting transactions through IT systems except for the following areas where certain manual computations are involved before entering the data into the IT systems : 1. Estimations of Premium and Commission: The basis for premium and commission estimations are calculated manually based on the data extracted from the IT system and then the same is entered in the IT Accounting system after verification, therefore there is no financial impact. 2. Unexpired Risk Reserve (URR): The provision of URR is calculated manually based on the data extracted from the system and then the same is entered in the IT system after verification, therefore there is no financial impact. 3. Provision for Doubtful Debts: The provision is calculated (as per policy of the Company) manually based on the data extracted from the IT system and then the same is entered in the IT Accounting system after verification, therefore there is no financial impact. 4. Outstanding Loss Reserve (OSLR): The OSLR is computed manually based on intimations/Statement of Accounts received and then after such computation the same is entered in the IT Accounting system, therefore there is no financial impact. 5. Incurred but not reported, incurred but not enough reported and premium deficiency reserve (IBNR, IBNER and PDR): These are computed manually by appointed actuaries based on data extracted from IT system and then after receiving of actuaries reports by the GIC, the same is entered in the IT Accounting system, therefore there is no financial impact.

Sr. No.	Direction under Section 143(5) of the Companies Act 2013	Action taken and financials impact
		6. Retro Recovery Claims: It is understood that claims recovery is processed manually and the data is maintained offline. After verification it is entered in the IT system, therefore there is no financial impact. The Cyber security audit is yet to be conducted for the FY 2025-26 as on the date of issuance of our audit report, however the cybersecurity audit report dated July 29, 2025 for the FY 2024-25 was provided for our review. Based on the audit procedures performed by us, report of cybersecurity audit conducted by the auditor engaged by the management, there are no material weakness in such IT systems and controls, which may result in material misstatement of the financial statements of the entity and no deficiencies reported by the auditor.
3.	Whether funds (grants/subsidy etc.) Received/ receivable for specific schemes from central/state government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	Not Applicable. The Corporation is a re-insurance Company, and it does not receive any funds directly from State/Central Agencies for specific schemes.
4.	Whether the Corporation has identified the key Risk areas? If yes, whether the Company has formulated any Risk Management Policy to mitigate these risks? If yes, (a) whether the Risk Management Policy has been formulated considering global best practices? (b) whether the Company has identified its data assets and whether it has been valued appropriately?	The Corporation has established an enterprise-wide risk management framework for identification, assessment, monitoring, mitigation and reporting of key risks and formulated and implemented an Enterprise Risk Management Policy and Procedure Manual. The said policy has been duly approved by the Board of Directors and as represented by management, the same is stated to be based on global best practices. The company has identified its data assets in accordance with the applicable financial reporting framework. The data assets have also been valued in accordance with the applicable financial reporting framework.
5.	Whether the Corporation is complying with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable rules and regulations of SEBI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Corporate Affairs, Department of Public Enterprises, Reserve Bank of India, Telecom Regulatory Authority of India, CERT-In, Ministry of Electronics and Information Technology and National Payments Corporation of India wherever applicable? If not, the cases of deviation may be highlighted.	Based on the information and explanations provided by the Management, secretarial audit report of the company and audit procedures carried out by us, the Corporation is complying with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable rules, circulars, guidelines and regulations issued by SEBI, Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), Ministry of Corporate Affairs (MCA), Department of Public Enterprises (DPE), Reserve Bank of India (RBI), CERT-In, Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY). Further, the provisions of Telecom Regulatory Authority of India and National Payments Corporation of India (NPCI) are not applicable to the Corporation.

With respect to the sub-directions issued by Comptroller and Auditor General of India under section 143 (5) of the Act, based on our audit, we report hereunder on the action taken and the financial impact on the accounts of the Consolidated Financial Statements of the Corporation:

Sr. No.	Sub-Direction under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013	Action taken and financials impact
1	Number of titles of ownership in respect of CGS/SGS/ Bonds/Debentures etc. Available in physical/demat form and out of these, number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported.	The Central Government Securities and State Government securities, debentures balances are tallied as per the record of custodian vis a vis books of accounts of the Corporation. Further in case of bonds: The bond of Datar Switchgear Ltd actually held by the custodian of the corporation of ₹ 65 lakhs (previous year ₹ 65 lakhs) is in excess of the amount held as per the books of the Corporation amounting to ₹ (13 lakhs). As informed to us, the Company is in process of taking adequate steps for reconciliation.
2	Whether Investment Policy exists and includes mechanism to review investment portfolios and whether stop loss limits are prescribed? If yes, whether it was adhered to? If not in existence or not adhered to, details may be given.	The Annual Investment Policy exists which includes mechanism to review investment portfolios and stop loss limits are prescribed in the policy which have been adhered to. The Investment Policy is reviewed annually and also half-yearly as per Regulations. The Investment Portfolios are reviewed every quarter and the performance of the portfolio is also presented to the Board at its quarterly meetings. Specific Stop Loss Guidelines have been introduced in the Investment Policy w.e.f January 30, 2023. Over and above the Stop Loss Guidelines, there exists an Equity Review Policy. As per the Stop Loss Guidelines, a thorough review of each company is being done and recommendations to HOLD OR EXIT are considered after detailed analysis of the company/sector as an ongoing process. The Corporation has been proactive in vigorously following the guidelines of both the Equity Review Policy and Stop loss guidelines to come out of undesirable equity investments.

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No. 101046W / W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No. 134767

Place: Mumbai
Date: May 26, 2026
UDIN: 26134767SWFEMM4564

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No. 120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No. 119509

Place: Mumbai
Date: May 26, 2026
UDIN: 26119509RSDLHW1913

APPENDIX 3

Brief Note on Clause 1 - Valuation of Investments Held through Trusts for Post-Retirement Employee Benefits

Based on our examination of the records, investment statements, actuarial valuation reports, and other supporting documents made available to us, we observed that the investments held through Trust(s) established for post-retirement employee benefits have been valued at fair value/market value as at March 31, 2026.

We reviewed the valuation methodology adopted for quoted and unquoted investments. Quoted investments have been valued based on market price available as on the reporting date. We also verified the consistency of the valuation approach with that followed in previous years and examined the supporting documentation underlying the valuations.

The investment portfolio invested in Government Securities and high-quality Corporate Bonds and unquoted investments which are valued based on observable market inputs and published Net Asset Values/market price, thereby reducing valuation uncertainty. Consequently, the risk of material misstatement in the valuation of such investments is considered low.

Based on the audit procedures performed, the valuation methodology adopted appears reasonable and is in accordance with the accounting policies and the applicable accounting framework. No material deviations, inconsistencies, or misstatements were observed in the valuation of investments held through the Trust(s).

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

The preparation of consolidated financial statements of GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA for the year ended 31 March, 2026 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 and Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 26 May 2026.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA for the year ended 31 March 2026 under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA and Agriculture Insurance Company of India Limited, but did not conduct supplementary audit of the financial statements of GIC Re South Africa Limited, South Africa, GIC Re India Corporate Member Limited, UK, GIC Perestrakhovanie, LLC, Russia, GIC Bhutan Re Ltd., Bhutan and India International Insurance Pte. Limited, Singapore for the year ended on that date. Further, section 139(5) and 143(6)(a) of the Act are not applicable to GIC Re South Africa Limited, South Africa, GIC Re India Corporate Member Limited, UK, GIC Perestrakhovanie, LLC, Russia, GIC Bhutan Re Ltd., Bhutan and India International Insurance Pte. Limited, Singapore being entities incorporated in Foreign countries under the respective laws, for appointment of their Statutory Auditor and for conduct of supplementary audit. Accordingly, Comptroller and Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditors nor conducted the supplementary audit of these companies. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) read with section 129(4) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

Comments	Management's Reply
A. Comments on Profitability **(i) Consolidated Balance Sheet** **Deferred Tax Asset (Net) ₹104300 Lakhs** **Consolidated Profit And Loss Account** **Deferred Tax: (₹34732) Lakhs**	
As per AS 22 (Accounting for Taxes on Income), deferred tax represents the tax effect of timing differences. Timing differences are differences between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in subsequent periods. Deferred Tax Assets (DTA) are recognised only where there is reasonable certainty of their realisation. Further, paragraph 8.1.2.1 of the Guidance Note on Division I -Non-Ind AS Schedule III to the Companies Act, 2013 defines a Reserve as an appropriation of earnings for a general or specific purpose and distinguishes it from a Provision as defined under AS 29. Schedule II, Part II (Form B-RA) of the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 also requires the transfer to Catastrophe Reserve to be disclosed under the head 'Appropriations', with the balance reflected under Reserves and Surplus (Schedule 6).	Deferred tax is an accounting item governed by AS 22, Accounting for Taxes on Income. Further, under Point No. 9 – "Appropriations" of Form B-RA prescribed in Schedule II, Part II of the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, operating profit is appropriated by transferring the required amount to the Catastrophe Reserve, with the remaining balance transferred to the Profit and Loss Account. Accordingly, Profit Before Tax is determined after appropriation to the Catastrophe Reserve. Recognition of Deferred Tax Asset on the Catastrophe Reserve is appropriate, as the reserve is charged to the Revenue Account while computing profit before tax, added back for tax purposes, and allowed as a deduction only when actual catastrophe claims are paid.

Audit observed that the Catastrophe Reserve is an appropriation of profits and not an expenditure, provision or liability. It does not represent a present obligation, is not based on actuarial valuation and, therefore, does not result in a timing difference within the meaning of AS 22. Consequently, recognition of Deferred Tax Asset of ₹61340 lakhs against the Catastrophe Reserve of ₹243724 lakhs is not in accordance with AS 22. This has resulted in overstatement of Deferred Tax Asset (Net) by ₹61340 lakhs and corresponding overstatement of Profit after Tax by ₹18605 lakhs and overstatement of Reserves and Surplus by ₹ 42735 lakh.	This gives rise to a timing difference and a corresponding future tax benefit under AS 22. The Corporation has virtual certainty of utilising the Catastrophe Reserve against future eligible catastrophe claims, which supports recognition of the related Deferred Tax Asset. Therefore, the Management is of the view that the accounting treatment adopted for the Deferred Tax Asset (DTA) on the Catastrophe Reserve, which has been consistently followed for several years, is appropriate and in accordance with the applicable accounting principles. Accordingly, no change in the existing accounting treatment is considered warranted.
(ii) Consolidated Profit And Loss Account **Other Income: Miscellaneous Receipts: ₹1153 lakh** Reinsurer reimbursement of member expenses of GBP 500 thousand booked by subsidiary, GIC Re Corporate Member UK, has been taken directly as Miscellaneous Receipts of ₹574.75 lakh in consolidated profit and loss account, without eliminating corresponding expenses of commission in the books of GIC Re. This has resulted into overstatement of Miscellaneous Receipts in Consolidated Profit and Loss Account and corresponding overstatement of commission paid in Consolidated Revenue Accounts (Schedule 3) by ₹ 574.75 lakh	In respect of GIC Re Corporate Member UK (Subsidiary), the reimbursement of member expenses amounting to GBP 500 thousand was classified under Miscellaneous Receipts based on the audited financial statements and related notes of the subsidiary. The CAG comment has been duly noted. Accordingly, the required elimination of the said amount against the corresponding commission recorded in the books of GIC Re shall be ensured in the consolidated financial statements from FY 2026–27. There is no impact of the same on the statement of Profit & Loss for the year 2025-26.
(iii) Consolidated Revenue Accounts **Operating Expenses related to all insurance businesses (Schedule 4): ₹45163 Lakhs** As per Schedule II, Part II of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, Schedule 4 pertains to Operating Expenses Related to Insurance Business and is required to be presented in the Revenue Account. Audit observed that an amount of ₹6219 lakhs, being penalty imposed by the Federal Tax Authority (FTA), UAE on account of discrepancies in VAT returns for the period 1 January 2018 to 31 December 2020 and late corporate tax registration, was included under "Operating Expenses Related to Insurance Business" in the Audited Standalone Revenue Account for the year ended 31 March 2026. Since the said expenditure is not in the nature of operating expenses relating to insurance business, it should have been classified under "Other Expenses (e) - Penalties" in the Audited Standalone Profit and Loss Account, in terms of the IRDAI Regulations, 2024. This resulted in overstatement of 'Operating Expenses Related to Insurance Business' in Revenue Accounts and corresponding understatement of Operating Profit and 'Other Expenses (e): Penalties' in Profit and Loss Account by ₹6219 lakhs.	For the Dubai branch VAT penalty, the Corporation classified it under operating expenses based on the audited Dubai branch financial statements and related notes, where it was considered operational in nature. However, the CAG comment has been noted, and the item will be regrouped under **"Other Expenses (e) – Penalties"** in the consolidated financial statements from FY 2026–27.

B. Comments on Financial Position

Consolidated Balance Sheet

(i) Cash and Bank Balances (Schedule 11): ₹2848888 Lakhs

As per Paragraph 17(c) of Accounting Standard (AS) 1, Financial Statements shall disclose all material items, the knowledge of which may influence the decisions of users of the financial statements. Audit observed that Bank Balance Confirmation Certificates, as on 31 March 2026, reflected Fixed Deposits aggregating ₹1436736 lakhs against which GIC Re's books of accounts had balances amounting ₹872000 lakhs across two General Ledgers. Thus, the difference of ₹564736 lakhs was not available in the books of GIC-Re. Management stated that deposits amounting ₹ 557295 lakhs pertained to the Terrorism Pool and Nuclear Pool, which were accounted for separately under Pool codes in SAP and were invested using GIC Re's PAN, as the Pools are not separate legal entities.

Considering the reply of the Management, there was a difference of ₹7441 lakhs (₹564736 lakhs - ₹557295 lakhs) remained unreconciled. However, documentary evidence of segregation of Pool investments and income from GIC Re's books, or documentation relating to the tax implications arising from the use of GIC Re's PAN was not furnished to audit.

Further, the Standalone Financial Statements did not disclose adequate information regarding GIC Re's management of the Indian Market Terrorism Risk Insurance Pool and the Indian Nuclear Insurance Pool in its capacity as the Pool Manager. In particular, the financial statements did not disclose the governance and operational framework of the Pools; the manner in which the investments of the Pools are managed and administered; GIC Re's exposure, responsibilities and fiduciary role in relation to the assets and investments of the Pools. Further, the potential tax implications, if any, arising from the utilization of GIC Re's Permanent Account Number (PAN) for investment and other related transactions of the Pools was also not disclosed.

Considering the magnitude of the investments pertaining to these Pools in various instrument, the above information constitutes material facts within the meaning of paragraph 17(c) of AS 1.

With regard to the difference of ₹7441 lakhs between the amount as per the books of the corporation (including the FD balances pertaining to the Pools) and the amount as per the bank confirmations, the difference as per C&AG comments has been duly reconciled as follows

Particulars	Amount (₹ in lakhs)
Axis Bank Current Account balance	₹3457
Axis Bank Accrued But Not Due calculation	₹1765
Kotak Mahindra Bank Accrued But Not Due calculation	₹2227
Less : Union bank excess balance inadvertently mentioned in the confirmation	₹(8)
Amount reconciled	**₹7441**

The clarification in this regard has been received from various banks and available with the corporation. In view of the above, the differences in the bank balances have been duly reconciled and appropriately explained and supporting documentary evidence is available with the organisation.

Pool-related income, assets and liabilities are allocated among all pool members at year-end, and each member records its share and pays applicable taxes independently. TPLI and INIP investments, along with related income, are separately maintained and accounted for under distinct SAP company codes. Only GIC Re's share is recognised in its books as per the Significant Accounting Policy. Since the Pool assets and liabilities are equal, their impact is neutralised in GIC Re's accounts, and Terrorism Pool balances are excluded from solvency margin and analytical ratio calculations.

In view of the comments by CAG on this issue, Corporation will disclose all pool related information separately in the Notes forming part of accounts from the annual accounts for the year ended 31st March 2027.

(ii) Loans (Sch 9): ₹12531 lakh Loans with credit institutions placed by the subsidiary, GIC Re Corporate Member UK, amounting to ₹46766.44 lakh (GBP 38696 thousand) should have been classified in Loans (Schedule 9), however, the same has been included in Policyholders investments (Schedule 8A). This has resulted in understatement of 'Loans' and over statement of 'Policyholders investments' by ₹46766.44 lakh.	In respect of GIC Re Corporate Member UK (Subsidiary), the loans with credit institutions was classified under Policyholders Investments (Schedule 8A) based on the audited financial statements and related notes of the subsidiary. The CAG comment has been duly noted. Accordingly, the required regrouping of the said amount under Loans (Schedule 9) shall be ensured in the consolidated financial statements of the GIC Re from FY 2026–27.
(iii) Deferred Tax Liability (Net): ₹475 lakh Deferred Tax Liability of ₹554.17 lakh (ZAR 9,997,771) was shown in audit-reviewed accounts of the subsidiary, GIC Re South Africa. However, instead of including this in the separate line item as Deferred Tax Liability under liabilities in the Consolidated Balance through line by line consolidation, the same has been adjusted under 'Advances and Other Assets' (Schedule 12) under Current Assets. This has resulted in understatement of Deferred Tax Liability with a corresponding understatement of 'Advances and Other Assets' by ₹554.17 lakh.	In respect of GIC Re South Africa (Subsidiary), the Deferred tax liability was classified under 'Advances and Other Assets' (Schedule 12) under Current Assets based on the audited financial statements and related notes of the subsidiary. The CAG comment has been duly noted. Accordingly, the required regrouping of the said amount under Deferred Tax Liability shall be ensured in the consolidated financial statements of the GIC Re from FY 2026–27.

For and on behalf of the Comptroller & Auditor General of India (Vishal Chawre) Principal Director of Audit (Financial Services), Mumbai Place : Mumbai Date : 05.08.2026	For and on behalf of General Insurance Corporation of India (Hitesh Joshi) Chairman-cum-Managing Director Place : Mumbai Date : 13.08.2026

FINANCIAL INFORMATION



FORM B-RA

Registration No. 112

Date of Registration with IRDAI : 2nd April 2001

AUDITED CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

IN RESPECT OF FIRE INSURANCE BUSINESS

	Particulars	Schedule	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1.	Premiums earned (Net)	1	1201 798	1166 431
2.	Profit/(loss) on sale/redemption of Investments		101 129	104 625
3.	Interest, Dividend & Rent - Gross* (Note 1)		223 879	221 838
4.	Other			
	(a) Forex Gain/(Loss)		30 747	5 218
	(b) Contribution from the Shareholders Account		0	0
	(i) Towards Expenes of Management		0	0
	(ii) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMPs		0	0
	(iii) Others		0	0
	Total (A)		**1557 553**	**1498 112**
5.	Claims Incurred (Net)	2	848 097	974 197
6.	Commission	3	301 207	283 922
7.	Operating Expenses related to Insurance Business	4	16 305	14 977
	Expenses relating to Investments		0	0
8	Premium Deficiency		0	0
	Total (B)		**1165 609**	**1273 096**
9.	**Operating Profit /(Loss) from Fire Business C = (A-B)**		**391 944**	**225 016**
10.	**APPROPRIATIONS**			
	Transfer to Shareholders' Account		356 817	203 949
	Transfer to Catastrophe Reserve		35 127	21 067
	Transfer to Other Reserves (to be specified)		0	0
	Total (C)		**391 944**	**225 016**

Note -1

	Pertaining to Policyholder's Funds		Current Year	Previous Year
	Interest, Dividend & Rent		198 890	178 949
	Add/Less :		0	0
	Investment Expenses		205	158
	Amorisation of Premium /Discount on investments		1 455	1 325
	Amount written off in respect of depreciated investments		0	0
	Provision for Bad and Doubtful Debts		(1 432)	(9 014)
	Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities		1 197	5 075
	Investment income from Pool		26 414	40 433
	Interest, Dividend & Rent – Gross*		**223 879**	**221 838**

**Term gross implies inclusive of TDS*

The schedules referred to above form integral part of the Revenue Account

As per our report of even date

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

FORM B-RA
Registration No. 112
Date of Registration with IRDAI : 2nd April 2001
AUDITED CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026
IN RESPECT OF MISCELLANEOUS INSURANCE BUSINESS

	Particulars	Schedule	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1.	Premiums earned (Net)	1	2449 836	2184 432
2.	Profit on sale/redemption of Investments		149 774	154 774
3.	Interest, Dividend & Rent - Gross* (Note 1)		328 140	328 273
4.	Other			
	(a) Forex Gain/(Loss)		49 989	7 646
	(b) Contribution from the Shareholders Account		0	0
	(i) Towards Expenes of Management		0	0
	(ii) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMPs		0	0
	(iii) Others		0	0
	Total (A)		**2977 739**	**2675 125**
5.	Claims Incurred (Net)	2	2106 540	1815 814
6.	Commission	3	487 492	442 139
7.	Operating Expenses related to Insurance Business	4	26 017	22 099
8	Premium Deficiency		0	0
	Total (B)		**2620 048**	**2280 052**
9.	**Operating Profit/(Loss) from Miscellaneous Business C = (A-B)**		**357 690**	**395 073**
10.	**APPROPRIATIONS**			
	Transfer to Shareholders' Account		323 735	356 346
	Transfer to Catastrophe Reserve		33 955	38 727
	Transfer to Other Reserves (to be specified)		0	0
	Total (C)		**357 690**	**395 073**

The schedules referred to above form integral part of the Revenue Account

Note -1

	Pertaining to Policyholder's Funds		Current Year	Previous Year
	Interest, Dividend & Rent		326 441	321 041
	Add/Less :			
	Investment Expenses		288	254
	Amorisation of Premium /Discount on investments		2 167	1 959
	Amount written off in respect of depreciated investments		0	0
	Provision for Bad and Doubtful Debts		(2 133)	(13 328)
	Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities		1 784	7 503
	Investment income from Pool		3 805	3 620
	Interest, Dividend & Rent – Gross*		**328 140**	**328 273**

**Term gross implies inclusive of TDS*

As per our report of even date

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

FORM B-RA

Registration No. 112

Date of Registration with IRDAI : 2nd April 2001

AUDITED CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

IN RESPECT OF MARINE INSURANCE BUSINESS

	Particulars	Schedule	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1.	Premiums earned (Net)	1	95 113	112 997
2.	Profit on sale of Investments (Net)		10 344	12 999
3.	Interest, Dividend & Rent - Gross* (Note 1)		22 720	27 603
4.	Other			
	(a) Forex Gain/(Loss)		3 423	637
	(b) Contribution from the Shareholders Account			
	(i) Towards Expenes of Management		0	0
	(ii) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMPs		0	0
	(iii) Others		0	0
	Total (A)		**131 600**	**154 236**
5.	Claims Incurred (Net)	2	67 404	136 274
6.	Commission	3	15 655	19 680
7.	Operating Expenses related to Insurance Business	4	1 056	871
8	Premium Deficiency		0	0
	Total (B)		**84 115**	**156 825**
9.	**Operating Profit/(Loss) from Marine Business C = (A-B)**		**47 485**	**(2 589)**
10.	**APPROPRIATIONS**			
	Transfer to Shareholders' Account		42 642	(2 589)
	Transfer to Catastrophe Reserve		4 843	0
	Transfer to Other Reserves (to be specified)		0	0
	Total (C)		**47 485**	**(2 589)**

The schedules referred to above form integral part of the Revenue Account

Note -1

	Pertaining to Policyholder's Funds		Current Year	Previous Year
	Interest, Dividend & Rent		22 869	27 302
	Add/Less :			
	Investment Expenses		24	23
	Amorisation of Premium /Discount on investments		149	164
	Amount written off in respect of depreciated investments		0	0
	Provision for Bad and Doubtful Debts		(147)	(1 118)
	Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities		123	630
	Investment income from Pool		0	0
	Interest, Dividend & Rent – Gross*		**22 720**	**27 603**

**Term gross implies inclusive of TDS*

As per our report of even date

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

FORM B-RA
Registration No. 112
Date of Registration with IRDAI : 2nd April 2001
AUDITED CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026
IN RESPECT OF LIFE INSURANCE BUSINESS

	Particulars	Schedule	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1.	Premiums earned (Net)	1	227 584	207 323
2.	Profit on sale of Investments (Net)		9 851	7 494
3.	Interest, Dividend & Rent - Gross* (Note 1)		21 543	15 863
4.	Other			
	(a) Forex Gain/(Loss)		6 483	750
	(b) Contribution from the Shareholders Account			
	(i) Towards Expenes of Management		0	0
	(ii) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMPs		0	0
	(iii) Others		0	0
	Total (A)		**265 461**	**231 430**
5.	Claims Incurred (Net)	2	309 776	290 405
6.	Commission	3	2 379	1 457
7.	Operating Expenses related to Insurance Business	4	1 785	1 500
8	Premium Deficiency		5 771	(3 762)
	Total (B)		**319 711**	**289 600**
9.	**Operating Profit/(Loss) from Life Business C = (A-B)**		**(54 250)**	**(58 170)**
10.	**APPROPRIATIONS**			
	Transfer to Shareholders' Account		(54 250)	(58 170)
	Transfer to Catastrophe Reserve		0	0
	Transfer to Other Reserves (to be specified)		0	0
	Total (C)		**(54 250)**	**(58 170)**

Note -1

	Pertaining to Policyholder's Funds		Current Year	Previous Year
	Interest, Dividend & Rent		21 679	15 686
	Add/Less :			
	Investment Expenses		16	10
	Amorisation of Premium /Discount on investments		143	95
	Amount written off in respect of depreciated investments		0	0
	Provision for Bad and Doubtful Debts		(140)	(646)
	Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities		117	364
	Investment income from Pool		0	0
	Interest, Dividend & Rent – Gross*		**21 543**	**15 863**

**Term gross implies inclusive of TDS*

As per our report of even date

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

FORM B-RA

Registration No. 112

Date of Registration with IRDAI : 2nd April 2001

AUDITED CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

IN RESPECT OF ALL INSURANCE BUSINESS

	Particulars	Schedule	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1.	Premiums earned (Net)	1	3974 331	3671 183
2.	Profit on sale of Investments (Net)		271 098	279 892
3.	Interest, Dividend & Rent - Gross* (Note 1)		596 282	593 576
4.	Other			
	(a) Forex Gain/(Loss)		90 642	14 251
	(b) Contribution from the Shareholders Account		0	0
	(i) Towards Expenes of Management		0	0
	(ii) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMPs		0	0
	(iii) Others		0	0
	Total (A)		**4932 353**	**4558 902**
5.	Claims Incurred (Net)	2	3331 818	3216 689
6.	Commission (Net)	3	806 733	747 199
7.	Operating Expenses related to Insurance Business	4	45 163	39 448
8	Premium Deficiency		5 771	(3 762)
	Total (B)		**4189 485**	**3999 574**
9.	**Operating Profit/(Loss) from Life Business C = (A-B)**		**742 868**	**559 328**
10.	**APPROPRIATIONS**			
	Transfer to Shareholders' Account		668 944	499 533
	Transfer to Catastrophe Reserve		73 925	59 795
	Transfer to Other Reserves (to be specified)		0	0
	Total (C)		**742 868**	**559 328**

Note -1

	Pertaining to Policyholder's Funds	Current Year	Previous Year
	Interest, Dividend & Rent	569 879	542 976
	Add/Less :		
	Investment Expenses	533	446
	Amorisation of Premium /Discount on investments	3 914	3 544
	Amount written off in respect of depreciated investments	0	0
	Provision for Bad and Doubtful Debts	(3 852)	(24 108)
	Provision for diminution in the value of other than actively traded Equities	3 221	13 572
	Investment income from Pool	30 219	44 053
	Interest, Dividend & Rent – Gross*	**596 282**	**593 576**

**Term gross implies inclusive of TDS*

As per our report of even date

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

FORM B-PL

Registration No. 112

Date of Registration with IRDAI : 2nd April, 2001

AUDITED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

	Particulars	Schedule	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1.	Operating Profit/-Loss			
	(a) Fire Insurance		356 817	203 949
	(b) Marine Insurance		42 642	(2 589)
	(c) Miscellaneous Insurance		323 735	356 346
	(d) Life Insurance		(54 250)	(58 170)
2.	Income from Investments			
	(a) Interest, Dividend & Rent - Gross		315 726	284 035
	(b) Profit on sale of Investments		141 123	132 993
	(c) Loss on sale /redemption of Investment		0	0
	(d) Amortization of Premium / Discount on Investments		0	0
3.	Other Income:			
	(a) Forex Gain/(Loss)		45 341	5 903
	(b) Profit on sale of Assets (Net)		0	0
	(c) Sundry Balances Written Back (Net)		0	0
	(d) Interest on Income-tax Refund		0	208
	(e)(Provision) / Reversal of Doubtful Loans & Investment		1 994	11 075
	(f) Provision/(written off) for Doubtful Debts		0	0
	(g) Miscellaneous Receipts		1 153	1 003
	Total (A)		**1174 281**	**934 753**
4.	Provision(Other Than Taxation)			
	(a) Diminution in the value of investments		1 668	6 372
	(b) Provision for Doubtful Loans & Investment		0	0
	(c) Provision/(reversal) for Doubtful Debts		11 782	5 448
	(d) Amortisation of premium on Investments		2 026	1 664
5	Other Expenses :			
	(a) Expenses other than those related to Insurance Business			
	i) Forex Loss/(Gain)		0	0
	ii) (Profit)/Loss on sale of Assets (Net)		50	36
	(b) Bad Debts Written off		(13)	44
	(c) Interest on subordinated debt & others		27	27
	(d) Expenses towards CSR Activities		13 578	10 585
	(e) Penalties		0	0
	(f) Contribution to Policyholders' A/c			

(i) Towards Excess Expenses of Management of Management		0	0
(ii) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMPs		0	0
(g) Others (please specify)		0	0
Interest on Income Tax,GST and others		493	112
Total (B)		**29 611**	**24 288**
Profit Before Tax		**1144 670**	**910 465**
Provision for Taxation :			
Current Tax		274 883	213 126
Deferred Tax		(34 732)	(314)
Provision for Tax in respect of earlier years		4 470	256
Profit After Tax		**900 049**	**697 397**
Share of Profit in Associates Companies		66 189	45 788
Profit for the year		**966 238**	**743 185**
Appropriations			
(a) Interim dividend		0	0
(b) Final dividend Paid		175 440	175 440
(c) Transfer to General Reserve		600	0
Balance of Profit brought forward from last year		2661 390	2093 646
Balance carried forward to Balance Sheet		3451 588	2661 390
Basic Earnings per share of ₹5 face value.		55.08	42.36
Diluted Earnings per share of ₹5 face value.		55.08	42.36

Significant Accounting Policies & Notes to Accounts form integral part of the Balance Sheet-Note no 16
As per our report of even date

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

FORM B-BS

Registration No. 112

Date of Registration with IRDAI : 2nd April, 2001

AUDITED CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2026

Particulars	Schedule	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
SOURCES OF FUNDS			
Share Capital	5 & 5A	87 720	87 720
Share application money pending allotment			
Reserves and Surplus	6	5841 924	4778 196
Fair Value Change Account			
Shareholders Fund		1118 438	1284 054
Policyholders Fund		2156 368	2729 991
Borrowings	7	0	0
Total		**9204 450**	**8879 961**
APPLICATION OF FUNDS			
Investments- Shareholders	8	5321 740	4828 520
Investments- Policyholders	8A	9515 559	9499 502
Loans	9	12 531	13 736
Fixed Assets	10	30 443	29 918
Goodwill on consolidation		2 738	2 738
Deferred Tax Asset (Net)		104 300	69 333
Current Assets:			
Cash and Bank Balances	11	2848 888	2528 070
Advances and Other Assets	12	2737 080	2505 125
Sub-Total (A)		**5585 968**	**5033 195**
Deferred Tax Liability (Net)		475	187
Current Liabilities	13	9271 377	8623 267
Provisions	14	2096 977	1973 527
Sub-Total (B)		**11368 829**	**10596 981**
Net Current Assets (C)=(A-B)		**(5782 861)**	**(5563 786)**
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)	15	0	0
Total		**9204 450**	**8879 961**

Significant Accounting Policies & Notes to Accounts form integral part of the Balance Sheet-Schedule 16.

As per our report of even date

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

SCHEDULES FORMING PART OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

SCHEDULE 1

Premium Earned (Net)

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
A	**FIRE INSURANCE**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	1441 470	1414 946
	Less: Premium on Reinsurance ceded	225 891	221 008
	Net Written Premium/Net Premium Income	**1215 579**	**1193 938**
	Add: Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	600 525	573 017
	Less: Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	614 305	600 525
	Net Earned Premium	**1201 799**	**1166 431**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
B	**MISCELLANEOUS INSURANCE**		
(1)	**MOTOR**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	763 312	661 862
	Less: Premium on Reinsurance ceded	8 982	18 436
	Net Written Premium/Net Premium Income	**754 330**	**643 426**
	Add: Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	321 716	357 246
	Less: Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	377 366	321 716
	Net Earned Premium	**698 681**	**678 956**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
(2)	**AVIATION**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	83 760	72 908
	Less: Premium on Reinsurance ceded	46 211	37 794
	Net Written Premium/Net Premium Income	**37 549**	**35 114**
	Add: Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	17 557	21 101
	Less: Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	18 775	17 557
	Net Earned Premium	**36 332**	**38 658**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
(3)	**ENGINEERING**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	203 992	183 496
	Less: Premium on Reinsurance ceded	19 857	20 702
	Net Written Premium/Net Premium Income	**184 135**	**162 794**
	Add: Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	82 031	76 839
	Less: Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	92 747	82 031
	Net Earned Premium	**173 419**	**157 603**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
(4)	**WORKMENS' COMPENSATION /EMPLOYER'S LIABILITY**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	3 443	2 900
	Less: Premium on Reinsurance ceded	74	0
	Net Written Premium/Net Premium Income	**3 369**	**2 900**
	Add: Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	1 450	2 207
	Less: Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	1 685	1 450
	Net Earned Premium	**3 135**	**3 657**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
(5)	**LIABILITY**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	92 681	78 335
	Less: Premium on Reinsurance ceded	12 310	14 510
	Net Written Premium/Net Premium Income	**80 371**	**63 825**
	Add: Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	32 078	26 551
	Less: Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	40 243	32 078
	Net Earned Premium	**72 205**	**58 298**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
(6)	**PERSONAL ACCIDENT**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	75 499	57 441
	Less: Premium on Reinsurance ceded	20	460
	Net Written Premium/Net Premium Income	**75 480**	**56 981**

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	Add: Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	28 491	20 683
	Less: Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	37 740	28 491
	Net Earned Premium	**66 230**	**49 174**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
(7)	**HEALTH**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	921 312	954 315
	Less: Premium on Reinsurance ceded	1 521	8 911
	Net Written Premium/Net Premium Income	**919 791**	**945 403**
	Add: Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	472 757	276 517
	Less: Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	459 929	472 757
	Net Earned Premium	**932 619**	**749 163**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
(8)	**AGRICULTURE**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	339 286	326 305
	Less: Premium on Reinsurance ceded	6 246	7 080
	Net Written Premium/Net Premium Income	**333 040**	**319 225**
	Add: Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	23 815	31 958
	Less: Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	34 290	23 815
	Net Earned Premium	**322 565**	**327 369**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
(9)	**OTHER MISCELLANEOUS**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	126 460	112 930
	Less:Premium on Reinsurance ceded	2 805	2 750
	Net Written Premium/Net Premium Income	**123 655**	**110 180**
	Add: Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	45 366	32 063
	Less: Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	53 089	45 366
	Net Earned Premium	**115 932**	**96 877**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
(10)	**FINANCIAL LIABILITY /CREDIT**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	29 251	31 950
	Less:Premium on Reinsurance ceded	1 283	2 447
	Net Written Premium/Net Premium Income	**27 967**	**29 503**
	Add: Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	14 762	9 937
	Less: Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	14 013	14 762
	Net Earned Premium	**28 717**	**24 678**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	TOTAL MISCELLANEOUS		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	2638 997	2482 442
	Less: Premium on Reinsurance ceded	99 308	113 090
	Net Written Premium/Net Premium Income	**2539 689**	**2369 352**
	Add: Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	1040 022	855 102
	Less: Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	1129 876	1040 022
	Net Earned Premium	**2449 835**	**2184 432**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
C	**MARINE INSURANCE**		
(1)	**MARINE CARGO**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	57 873	54 688
	Less: Premium on Reinsurance ceded	14 288	12 979
	Net Written Premium/Net Premium Income	**43 585**	**41 710**
	Add: Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	21 745	47 891
	Less: Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	23 586	21 745
	Net Earned Premium	**41 744**	**67 856**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
(2)	**MARINE HULL**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	53 400	56 782
	Less: Premium on Reinsurance ceded	4 393	3 412
	Net Written Premium/Net Premium Income	**49 007**	**53 370**
	Add: Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	53 370	45 141
	Less: Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	49 007	53 370

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	Net Earned Premium	**53 370**	**45 141**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	TOTAL MARINE		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	111 273	111 470
	Less: Premium on Reinsurance ceded	18 681	16 391
	Net Written Premium/Net Premium Income	**92 592**	**95 079**
	Add: Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	75 114	93 032
	Less: Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	72 593	75 114
	Net Earned Premium	**95 113**	**112 997**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
D	**LIFE INSURANCE**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	245 048	186 674
	Less: Premium on Reinsurance ceded	2 469	3 821
	Net Written Premium/Net Premium Income	**242 579**	**182 853**
	Add: Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	21 408	45 878
	Less: Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	36 403	21 408
	Net Earned Premium	**227 584**	**207 323**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
E	**TOTAL ALL CLASSES**		
	Gross Direct Premium	0	0
	Add: Premium on Reinsurance accepted	4436 788	4195 533
	Less: Premium on Reinsurance ceded	346 349	354 310
	Net Written Premium/Net Premium Income	**4090 439**	**3841 223**
	Add: Opening balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	1737 069	1567 029
	Less: Closing balance of Unearned Premium Reserve (UPR)	1853 177	1737 069
	Net Earned Premium	**3974 331**	**3671 183**
	Gross Direct Premium		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0

SCHEDULE 2

Claims Incurred (Net)

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
A	**FIRE INSURANCE**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance accepted	689 715	723 156
	Less: Reinsurance ceded	52 456	61 453
	Net Claims Paid	**637 259**	**661 703**
	Add: Claims Outstanding at the end of the period	3258 651	3047 813
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the period	3047 813	2735 319
	Net Incurred Claims	**848 097**	**974 197**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	1873 125	1654 687
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	1654 687	1368 633
B	**MISCELLANEOUS INSURANCE**		
(1)	**MOTOR**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance accepted	662 289	617 762
	Less: Reinsurance ceded	6 262	12 625
	Net Claims Paid	**656 027**	**605 137**
	Add: Claims Outstanding at the end of the period	1964 013	1948 874
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the period	1948 874	1929 176
	Net Incurred Claims	**671 166**	**624 835**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	1088 944	1107 165
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	1107 165	1117 227
(2)	**AVIATION**		
	Claims Paid		
	Direct	37	0
	Add: Reinsurance accepted	85 049	59 411
	Less: Reinsurance ceded	35 335	20 460
	Net Claims Paid	**49 750**	**38 951**
	Add: Claims Outstanding at the end of the period	178 566	161 899

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the period	161 899	167 063
	Net Incurred Claims	**66 417**	**33 786**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	62 893	81 553
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	81 553	73 977
(3)	**ENGINEERING**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance accepted	72 522	50 355
	Less: Reinsurance ceded	2 401	1 942
	Net Claims Paid	**70 122**	**48 414**
	Add: Claims Outstanding at the end of the period	493 772	452 638
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the period	452 638	392 850
	Net Incurred Claims	**111 255**	**108 202**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	331 733	272 622
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	272 622	212 998
(4)	**WORKMENS' COMPENSATION /EMPLOYER'S LIABILITY**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance accepted	3 640	5 538
	Less: Reinsurance ceded	0	0
	Net Claims Paid	**3 640**	**5 538**
	Add: Claims Outstanding at the end of the period	17 169	17 718
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the period	17 718	11 160
	Net Incurred Claims	**3 091**	**12 096**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	9 564	9 679
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	9 679	5 950
(5)	**LIABILITY**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance accepted	37 293	39 821

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	Less: Reinsurance ceded	4 609	4 424
	Net Claims Paid	**32 684**	**35 397**
	Add: Claims Outstanding at the end of the period	210 031	182 772
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the period	182 772	162 243
	Net Incurred Claims	**59 943**	**55 926**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	140 614	120 694
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	120 694	102 298
(6)	**PERSONAL ACCIDENT**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance accepted	33 642	26 003
	Less: Reinsurance ceded	39	368
	Net Claims Paid	**33 603**	**25 635**
	Add: Claims Outstanding at the end of the period	92 032	84 896
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the period	84 896	84 643
	Net Incurred Claims	**40 739**	**25 887**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	58 682	59 172
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	59 172	59 139
(7)	**HEALTH**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance accepted	637 598	574 652
	Less: Reinsurance ceded	1 511	15 117
	Net Claims Paid	**636 088**	**559 535**
	Add: Claims Outstanding at the end of the period	608 933	448 981
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the period	448 981	399 081
	Net Incurred Claims	**796 039**	**609 435**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	539 507	389 581
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	389 581	355 829

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
(8)	**AGRICULTURE**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance accepted	266 146	219 422
	Less: Reinsurance ceded	54 417	4 828
	Net Claims Paid	**211 729**	**214 594**
	Add: Claims Outstanding at the end of the period	945 970	867 515
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the period	867 511	789 006
	Net Incurred Claims	**290 188**	**293 103**
	Claims paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	731 267	646 186
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	646 186	542 720
(9)	**OTHER MISCELLANEOUS**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance accepted	63 387	49 572
	Less: Reinsurance ceded	(807)	1 060
	Net Claims Paid	**64 194**	**48 512**
	Add: Claims Outstanding at the end of the period	141 537	145 565
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the period	145 569	139 520
	Net Incurred Claims	**60 162**	**54 557**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	82 802	73 749
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	73 749	73 292
(10)	**FINANCIAL LIABILITY /CREDIT**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance accepted	8 893	25 360
	Less: Reinsurance ceded	523	811
	Net Claims Paid	**8 370**	**24 549**
	Add: Claims Outstanding at the end of the period	70 829	71 661
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the period	71 661	98 223
	Net Incurred Claims	**7 538**	**(2 013)**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	56 630	59 791
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	59 791	67 279

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	TOTAL MISCELLANEOUS		
	Claims Paid		
	Direct	37	0
	Add: Reinsurance accepted	1870 460	1667 896
	Less: Reinsurance ceded	104 289	61 635
	Net Claims Paid	**1766 208**	**1606 261**
	Add: Claims Outstanding at the end of the period	4722 851	4382 519
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the period	4382 519	4172 966
	Net Incurred Claims	**2106 540**	**1815 814**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	3102 638	2820 192
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	2820 192	2610 708
C	**MARINE INSURANCE**		
(1)	**MARINE CARGO**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance accepted	51 738	117 609
	Less: Reinsurance ceded	5 037	3 292
	Net Claims Paid	**46 701**	**114 317**
	Add: Claims Outstanding at the end of the period	158 037	168 881
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the period	168 881	185 989
	Net Incurred Claims	**35 856**	**97 209**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	78 816	99 686
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	99 686	127 114
(2)	**MARINE HULL**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance accepted	73 083	61 319
	Less: Reinsurance ceded	1 000	2 545
	Net Claims Paid	**72 083**	**58 774**
	Add: Claims Outstanding at the end of the period	176 058	216 592
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the period	216 592	236 302
	Net Incurred Claims	**31 549**	**39 064**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	92 580	102 455
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	102 455	100 885

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	TOTAL MARINE		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance accepted	124 821	178 928
	Less: Reinsurance ceded	6 037	5 837
	Net Claims Paid	**118 783**	**173 091**
	Add: Claims Outstanding at the end of the period	334 095	385 474
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the period	385 474	422 291
	Net Incurred Claims	**67 404**	**136 274**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	171 397	202 141
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	202 141	227 999
D	**LIFE INSURANCE**		
	Claims Paid		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance accepted	204 178	191 400
	Less: Reinsurance ceded	1 244	2 743
	Net Claims Paid	**202 935**	**188 657**
	Add: Claims Outstanding at the end of the period	344 713	237 872
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the period	237 872	136 124
	Net Incurred Claims	**309 776**	**290 405**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	311 281	190 671
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	190 671	104 734
E	**TOTAL ALL CLASSES**		
	Claims Paid		
	Direct	37	0
	Add: Reinsurance accepted	2889 174	2761 380
	Less: Reinsurance ceded	164 026	131 668
	Net Claims Paid	**2725 185**	**2629 712**
	Add: Claims Outstanding at the end of the period	8660 311	8053 678
	Less: Claims Outstanding at the beginning of the period	8053 678	7466 700
	Net Incurred Claims	**3331 818**	**3216 689**
	Claims Paid (Direct)		
	-In India	0	0
	-Outside India	0	0
	Estimates of IBNR and IBNER at the end of the period (net)	5458 440	4867 690
	Estimates of IBNR and IBNER at the beginning of the period (net)	4867 690	4312 075

SCHEDULE 3

Commission

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
A	**FIRE INSURANCE**		
	Gross Commission		
	Direct	30	11 750
	Add: Reinsurance Accepted	320 930	302 299
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	19 753	30 127
	Net Commission	**301 207**	**283 922**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	20 556	26 601
	Gross Commission	300 404	287 448
	Total Commission	**320 960**	**314 049**
B	**MISCELLANEOUS INSURANCE**		
(1)	**MOTOR**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	157 812	106 887
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	2 155	3 190
	Net Commission	**155 657**	**103 697**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	3 368	3 215
	Gross Commission	154 444	103 672
	Total Commission	**157 812**	**106 887**
(2)	**AVIATION**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	15 784	16 744
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	10 108	9 182
	Net Commission	**5 676**	**7 562**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	2 520	2 155
	Gross Commission	13 263	14 590
	Total Commission	**15 784**	**16 744**
(3)	**ENGINEERING**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	39 558	39 037
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	2 596	2 222
	Net Commission	**36 962**	**36 815**

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	1 609	1 592
	Gross Commission	37 949	37 445
	Total Commission	**39 558**	**39 037**
(4)	**WORKMENS' COMPENSATION /EMPLOYER'S LIABILITY**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	541	48
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	28	0
	Net Commission	**513**	**48**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	7	10
	Gross Commission	534	37
	Total Commission	**541**	**48**
(5)	**LIABILITY**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	17 992	14 825
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	2 442	2 618
	Net Commission	**15 550**	**12 207**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	849	1 113
	Gross Commission	17 143	13 712
	Total Commission	**17 992**	**14 825**
(6)	**PERSONAL ACCIDENT**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	25 714	(2 897)
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	(1)	55
	Net Commission	**25 715**	**(2 952)**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	416	424
	Gross Commission	25 298	(3 321)
	Total Commission	**25 714**	**(2 897)**
(7)	**HEALTH**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	198 788	227 500
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	595	993

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	Net Commission	**198 192**	**226 507**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	831	270
	Gross Commission	197 957	227 230
	Total Commission	**198 788**	**227 500**
(8)	**AGRICULTURE**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	16 250	33 779
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	176	770
	Net Commission	**16 074**	**33 009**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	333	318
	Gross Commission	15 917	33 461
	Total Commission	**16 250**	**33 779**
(9)	**OTHER MISCELLANEOUS**		
	Gross Commission		
	Direct	46	19 413
	Add: Reinsurance Accepted	23 602	20 861
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	(2 278)	20 553
	Net Commission	**25 926**	**19 721**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	835	845
	Gross Commission	22 813	39 429
	Total Commission	**23 648**	**40 274**
(10)	**FINANCIAL LIABILITY /CREDIT**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	7 643	6 315
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	417	788
	Net Commission	**7 226**	**5 527**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	193	222
	Gross Commission	7 450	6 093
	Total Commission	**7 643**	**6 315**
	TOTAL MISCELLANEOUS		
	Gross Commission		
	Direct	46	19 413
	Add: Reinsurance Accepted	503 684	463 098

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	16 238	40 371
	Net Commission	**487 492**	**442 139**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	10 961	10 163
	Gross Commission	492 768	472 349
	Total Commission	**503 729**	**482 511**
C	**MARINE INSURANCE**		
(1)	**MARINE CARGO**		
	Gross Commission		
	Direct	2	3 578
	Add: Reinsurance Accepted	10 777	14 027
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	2 702	5 710
	Net Commission	**8 078**	**11 895**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	589	561
	Gross Commission	10 190	17 044
	Total Commission	**10 780**	**17 605**
(2)	**MARINE HULL**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	7 747	7 804
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	170	19
	Net Commission	**7 577**	**7 785**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	1 606	1 700
	Gross Commission	6 142	6 104
	Total Commission	**7 747**	**7 804**
	TOTAL MARINE		
	Gross Commission		
	Direct	2	3 578
	Add: Reinsurance Accepted	18 524	21 831
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	2 872	5 729
	Net Commission	**15 655**	**19 680**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	2 195	2 261
	Gross Commission	16 331	23 148
	Total Commission	**18 526**	**25 409**

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
D	**LIFE INSURANCE**		
	Gross Commission		
	Direct	0	0
	Add: Reinsurance Accepted	2 379	1 457
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	0	0
	Net Commission	**2 379**	**1 457**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	959	551
	Gross Commission	1 420	906
	Total Commission	**2 379**	**1 457**
E	**TOTAL ALL CLASSES**		
	Gross Commission		
	Direct	79	34 741
	Add: Reinsurance Accepted	845 517	788 685
	Less: Commission on Reinsurance Ceded	38 863	76 227
	Net Commission	**806 733**	**747 199**
	Channel wise break-up of Commission (Gross)		
	Brokerage	34 672	39 576
	Gross Commission	810 924	783 850
	Total Commission	**845 596**	**823 426**

SCHEDULE 4

OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1	Employees' remuneration & welfare benefits	20 511	17 984
2	Travel, conveyance and vehicle running expenses	700	651
3	Training expenses	162	135
4	Rents, rates and taxes	882	841
5	Repairs	1 951	1 665
6	Printing & stationery	14	17
7	Communication expenses	161	132
8	Legal & professional charges	1 913	2 555
9	Auditors' fees, expenses etc.		
	(a) as auditor	417	707
	(b) as advisor or in any other capacity, in respect of		
	(i) Taxation Matters	5	5
	(ii) Insurance Matters	11	8
	(iii) Management Services and	0	0
	(c) In any Othjer Capacity	0	0
10	Advertisement and publicity	1 234	318
11	Interest & Bank Charges	5 744	6 939
12	Depreciation	630	1 456
13	Brand/Trade Mark usage fee/charges	0	0
14	Business Development and Sales Promotion Expenses	0	0
15	Information Technology Expenses	3 295	2 980
16	Goods and Services Tax (GST)	(543)	372
17	Others	8 075	2 683
	Total	**45 163**	**39 448**
	In India	29 037	30 161
	Outside India	16 126	9 287

SCHEDULE 5

SHARE CAPITAL

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1	**Authorised Capital**		
	200,00,00,000 (PY 200,00,00,000) Equity Shares of ₹5/- Each	1 00 000	100 000
	Preference Shares of ₹.... each	0	0
2	**Issued Capital**		
	175,44,00,000 (PY 175,44,00,000) Equity Shares of ₹5/- Each	87 720	87 720
	Preference Shares of ₹.... each	0	0
3	**Subscribed Capital**		
	175,44,00,000 (PY 175,44,00,000) Equity Shares of ₹5/- Each	87 720	87 720
	Preference Shares of ₹.... each	0	0
4	**Called-up Capital**		
	175,44,00,000 (PY 175,44,00,000) Equity Shares of ₹5/- Each	87 720	87 720
	(Includes 168,92,00,000 shares of ₹5/ issued by capitalisation of Capital Redemption Reserve and General Reserve,		
	1,00,00,000 partly paid shares (₹2.50 per share paid) made fully paid-up shares by capitalisation of General Reserve,	0	0
	Less : Calls unpaid	0	0
	Add : Equity Shares forfeited (Amount originally paid up)	0	0
	Less : Par Value of Equity Shares bought back	0	0
	Less : Preliminary Expenses	0	0
	Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares	0	0
	Preference Shares of ₹.... each	0	0
	Total	**87 720**	**87 720**

SCHEDULE 5A

SHARE CAPITAL PATTERN OF SHAREHOLDING

[As certified by the Management]

	Shareholders	Current Year		Previous Year	
		Number of Shares	% of Holding	Number of Shares	% of Holding
	Promoters				
	Indian	1445567 615	82.40 %	1445567 615	82.40 %
	Foreign	0		0	
	Investors				
	Indian	0		0	
	Foreign	0		0	
	Others	308832 385	17.60 %	308832 385	17.60 %
	Indian				
	Foreign				
	Total	**1754400 000**	**100.00%**	**1754400 000**	**100.00%**

SCHEDULE 6

RESERVES AND SURPLUS

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1	Capital Reserve	0	0
2	Capital Redemption Reserve	0	0
3	Share premium Account	154 407	154 407
4	Revaluation Reserve	0	0
5	General Reserve		
	Opening Balance	1566 644	1 572 651
	Less: Amount utilized for Buy-back		
	Less : Utilised for issuance of Bonus Shares	0	0
	Add : Transfer from Profit & Loss A/c	0	0
	Closing Balance	**1566 644**	**1572 651**
6	Catastrophe Reserve & Other Reserve		
	Opening Balance	169 799	110 004
	Additions during the year	73 925	59 795
	Deductions during the year	0	0
	Closing Balance	**243 724**	**169 799**
7	Other Reserves		
	Foreign Currency Translation Reserve		
	Opening Balance	219 949	171 704
	Additions during the year	205 612	48 245
	Deductions during the year	0	0
	Closing Balance	**425 561**	**219 949**
8	Balance of Profit in Profit & Loss Account		
	Opening Balance	2661 390	2093 646
	Additions during the year	790 198	567 744
	Deductions during the year	0	0
	Closing Balance	**3451 588**	**2661 390**
	Total	**5841 924**	**4778 196**

SCHEDULE 7

BORROWINGS

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1	Debentures/ Bonds	0	0
2	Banks	0	0
3	Financial Institutions	0	0
4	Others	0	0
	Total	**0**	**0**

Schedule 8 and 8A

(₹ in Lakhs)

	Particulars	SCHEDULE 8 INVESTMENTS - SHAREHOLDERS' FUND		SCHEDULE 8A INVESTMENTS - POLICYHOLDERS' FUND		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	Long Term Investments						
1	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills*	2048 457	1772 423	3795 270	3610 256	5843 728	5382 679
2	Other Approved Securities	0	0	0	0	0	0
3	Other Investments	0	0	0	0	0	0
	(a) Shares	0	0	0	0	0	0
	(aa) Equity - Indian	1669 333	1735 401	3224 202	3696 104	4893 535	5431 505
	(ab) Equity - Foreign	36 824	20 077	6 797	2 464	43 621	22 541
	(bb) Preference	0	0	0	0	0	0
	(b) Mutual Funds	0	0	0	0	0	0
	(c) Derivative Instruments	0	0	0	0	0	0
	(d) Debentures /Bonds Indian	76 043	34 170	146 872	72 776	222 915	106 946
	Debentures /Bonds Foreign	17 721	14 783	4 179	2 533	21 900	17 316
	(e) Other Securities						
	Guaranteed Equity	2	2	3	3	5	5
	ii. Infrastructure Investment Trust (InvIT)	1 757	0	3 394	0	5 151	0
	(f) Subsidiaries	0	0	0	0	0	0
	(g) Associates - Indian	0	0	0	0	0	0
	Associates - Foreign	74 961	62 170	0	0	74 961	62 170
	(h) Investment Properties-Real Estate	0	0	0	0	0	0
4	Investments in Infrastructure and housing						
	(a) Equity	63 328	63 326	122 314	134 873	185 642	198 199
	(b) Debentures/Bonds	613 381	464 151	1184 704	988 562	1798 085	1452 713
5	Other than Approved Investments						
	(a) Equity	40 718	35 599	336 348	221 402	377 065	257 000
	(b) Preference	0	0	0	0	0	0
	(c) Debentures /Bond	1 555	92 095	3 003	196 147	4 558	288 242
	(d) Venture Funds	2 990	2 851	5 774	6 071	8 764	8 922
	(e) Associate Indian	321 204	264 637	0	0	321 204	264 637
	Short Term Investments						
1	Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	133 648	101 283	258 132	215 715	391 780	316 998
2	Other Approved Securities	639	599	1 235	1 275	1 874	1 874
3	Other Investments						
	(a) Shares						
	(aa) Equity -India	0	0	0	0	0	0
	(bb) Preference- Foreign	0	0	0	0	0	0
	(b) Mutual Funds	25 227	26 065	48 724	55 515	73 951	81 580
	(c) Derivative Instruments	0	0	0	0	0	0
	(d) Debentures /Bond Indian	7 334	4 633	14 165	9 867	21 498	14 500
	Debentures /Bond Foreign	0	0	0	0	0	0
	(e) Other Securities						
	Commercial Paper	0	0	0	0	0	0
	(f) Subsidiaries	0	0	0	0	0	0
	(g) Associates - Indian	0	0	0	0	0	0
	Associates - Foreign	0	0	0	0	0	0
	(h) Investment Properties-Real Estate	0	0	0	0	0	0
4	Investments in Infrastructure and Social Sector						
	(a) Debentures /Bond	154 668	105 365	298 731	224 408	453 399	329 773
5	Other than Approved Investments						
	(a) Preference Shares	0	0	0	0	0	0
	(b) Debentures /Bond	31 951	28 891	61 712	61 532	93 663	90 422
	(c) Mutual Funds	0	0	0	0	0	0
	Total	**5321 740**	**4828 520**	**9515 559**	**9499 502**	**14837 299**	**14328 022**

*Investment Policyholder's Fund includes the Catastrophe Reserve amounting to ₹243724 lakhs as at 31.03.2026 (₹169799 lakhs as at 31.03.2025)

Share holder's fund	**34.11%**
Policy holder's fund	**65.89%**

Aggregate value of Investments other than Listed Equity Securities and Derivative Instruments

(₹ in Lakhs)

Particulars	Shareholders		Policyholders		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Long Term Investments:						
Book Value	2680 885	2312 256	5177 948	4924 703	7858 833	7236 959
Market Value	2680 885	2312 256	5177 948	4924 703	7858 833	7236 959
Short Term Investments:						
Book Value	349 872	263 468	675 755	561 140	1025 627	824 608
Market Value	353 467	266 835	682 698	568 312	1036 165	835 147

SCHEDULE 9
LOANS

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1	Security-wise Classification		
	Secured		
	(a) On mortgage of property		
	(aa) In India	4 816	4 312
	(bb) Outside India	12	8
	(b) On Shares, Bonds, Government Securities	0	0
	(c) Others : Investments In State Govt. Loans for Housing and Fire fighting	7 140	8 852
	Unsecured	563	564
	Total	**12 531**	**13 736**
2	Borrower-Wise Classification		
	(a) Central and State Governments	7 140	8 852
	(b) Banks and Financial Institutions	0	0
	(c) Subsidiaries	0	0
	(d) Industrial Undertakings	4 003	4 007
	(e) Companies	0	0
	(f) Others : Loan to Employees	1 388	877
	Total	**12 531**	**13 736**
3	Performance-Wise Classification		
	(a) Loans classified as standard		
	(aa) In India	8 397	9 292
	(bb) Outside India	12	8
	(b) Non-performing loans less provisions		
	(aa) In India	0	0
	(bb) Outside India	0	0
	Provisions *	4 122	4 436
	Total	**12 531**	**13 736**
4	Maturity-Wise Classification		
	(a) Short - Term	1 492	1 551
	(b) Long - Term	11 039	12 185
	Total	**12 531**	13 736

*Includes Provision for Bad and Doubtful Loans

(₹ in Lakhs)

Provisions against Non-performing Loans		
Non-Performing Loans	**Loan**	**Loan**
Sub-standard	0	0
Doubtful	4 122	4 436
Loss	0	0
Total	**4 122**	**4 436**

Provisions against Non-performing Loans		
Non-Performing Loans	**Provision**	**Provision**
Sub-standard	0	0
Doubtful	4 122	4 436
Loss	0	0
Total	**4 122**	**4 436**

SCHEDULE 10
Fixed Assets

(Amount in ₹ Lakhs)

Particulars	Cost/Gross Block				Depreciation				Net Block	
	As at 01.04.2025	Additions	Deductions	As at 31.03.2026	Upto 31.03.2025	Twelve months ended 31.03.2026	On Sales/ Adjustment	Upto 31.03.2026	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
Leasehold Land "Suraksha"	2 473	0	0	2 473	1 202	34	0	1 236	1 236	1 271
Freehold Land	5 601	0	0	5 601	0	0	0	0	5 601	5 601
Buildings	24 588	0	(1)	24 589	4 665	(145)	176	4 344	20 245	19 924
Furniture & Fittings	439	1	64	376	398	17	65	349	27	42
I.T. Equipments	2 193	597	30	2 759	1 271	435	(292)	1 998	761	922
I.T. Software	8 592	0	79	8 514	7 920	322	516	7 725	789	674
Vehicles	1 081	60	191	950	533	110	152	493	457	547
Office Equipments	271	14	106	180	241	15	97	159	20	31
AC & Water Coolers	174	0	28	146	141	5	26	120	26	33
Elevators	79	0	0	79	11	5	0	16	63	68
Canteen Appliances	6	0	2	4	4	0	2	3	1	1
Electrical Installation	136	0	94	42	120	3	94	31	11	15
Fire Alarm Systems	34	0	29	5	34	0	29	5	0	0
Total	**45 667**	**672**	**624**	**45 718**	**16 543**	**802**	**864**	**16 480**	**29 238**	**29 129**
Software under Development	791	414	0	1 205	0	0	0	0	1 205	791
Grand Total	**46 461**	**1 086**	**624**	**46 923**	**16 543**	**802**	**864**	**16 480**	**30 443**	**29 918**
Previous year's Total	**44 410**	**2 541**	**490**	**46 461**	**15 370**	**1 456**	**284**	**16 543**	**29 918**	

The figures are inclusive of Appreciation/Depreciation due to foreign currency fluctuation

* The Corporation undertook a one-time rectification exercise during the current year to address long-standing mismatches between SAP Asset Accounting and the SAP General Ledger (GL) relating to gross block and accumulated depreciation.Pursuant to this exercise, it was identified that excess depreciation had been charged over previous years in respect of assets within the Building category. Accordingly, a reversal of such excess depreciation of ₹ 728 Lakhs has been recognized in the current year.

SCHEDULE 11
CASH AND BANK BALANCES

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1	Cash (including cheques * , drafts and stamps)	1	1
2	Bank Balances		
	(a) Deposit Accounts - Short term (due within 12 months)*	2492 729	2066 331
	(b) Current Accounts	285 274	358 020
	(c) Remittances in Transit	0	0
3	Money at Call and Short Notice		
	(a) With Bank	9 755	1 768
	(b) With other Institutions	61 129	101 950
	Total	**2848 888**	**2528 070**
	CASH AND BANK BALANCES		
1	In India	970 703	869 150
2	Outside India	1878 185	1658 920
	Total	**2848 888**	**2528 070**

*Deposit Accounts - Short term includes ₹15,22,411 lakhs (₹10,62,874 lakhs as on 31.03.2025) of fixed deposits having maturity of more than 3 months and Deposits under margin for Letter of Credit ₹5,57,818 lakhs (₹6,93,643 lakhs as on 31.03.2025) as on 31.03.2026. Margin Money includes Bank Guarantee provided to Dubai Branch for ₹1,40,519 lakhs.

SCHEDULE 12

ADVANCES AND OTHER ASSETS

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
	Advances		
1	Reserve Deposits with Ceding Companies	1002 657	892 664
	Less: Provision for Doubtful Debts	73 187	54 666
		929 470	837 998
2	Application Money for Investments	221 728	218 732
3	Prepayments	3 819	5 280
4	Advances to Directors/Officers	154	49
	Less: Provisions	0	10
	(Net of provision for taxation)	154	39
5	Advance Tax Paid and TDS	1117 090	812 523
	Less: Provision for Taxation	1048 798	745 299
		68 292	67 224
6	Goods & Service tax credit	258	0
7	Others :		
	(i) Sundry Advances	5 039	3 952
	(ii) Sundry Advances to Subsidiaries	1 987	1 988
	(iii) Deferred Acquision Cost	21 365	14 486
	Total (A)	**1252112**	**1149 699**
	Other Assets		
1	Income accrued on investments	2 42 106	212 532
2	Outstanding Premiums	0	0
	Less: Provisions for doubtful, if any		
3	Advances to Ceding Companies Agents' Balances	0	0
4	Foreign Agencies Balances	0	0
5	Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)	11 11 424	1134 665
	Less: Provision for Doubtful Debts	58 878	62 175
		1052 547	1072 490
6	Due from subsidiaries/ holding	100 448	29
7	Investments held for Unclaimed Amount of Policyholders	0	0
8	Interest on investments held for Unclaimed Amount of Policyholders	0	0
9	Others		
	(i) Sundry Debtors	500	5 651
	Less: Provision for Doubtful Debts	14	143
		486	5 508
	(ii) Sundry Deposits	89 132	60 783
	(iii) GST Asset	0	2 175
	(iv) Pension Asset	249	697
	(v) Gratuity Asset	0	1 211
	Total (B)	**1484 968**	**1355 426**
	Total (A+B)	**2737 080**	**2505 125**

SCHEDULE 13

CURRENT LIABILITIES

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1	Agents' Balances	0	0
2	Balances Due to other insurance companies	4 98 618	441 610
3	Deposits held on re-insurance ceded	(43 670)	28 496
4	Premiums received in advance		
	(a) For Long term policies	0	0
	(b) for Other Policies	0	0
5	Unallocated Premium	0	0
6	Sundry Creditors	105 529	59 890
7	Due to subsidiaries/ holding company	0	0
8	Claims Outstanding	8660 311	8053 678
9	Due to Officers/ Directors	0	0
10	Unclaimed Amount of policyholders	0	0
11	Income accrued on Unclaimed amounts	0	0
12	Interest payable on debentures/bonds	0	0
13	Goods and Service tax Liability	50 511	39 527
14	Others:		
	a) Tax /VAT Liability Branches & Subsidiaries	78	66
	b) Dividend Payable	0	0
	Total	**9271 377**	**8623 267**

SCHEDULE 14

PROVISIONS

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1	Reserve for unearned premium reserve	1853 177	1751 556
2	Reserve for Premium Deficiency	14 380	8 609
3	For Taxation		
	Provision for Taxation	307 035	348 210
	Less: Advance Tax Paid and TDS	268 658	337 813
		38 377	10 397
4	For Employee Benefits:		
	For Leave Encashment	4 294	4 069
	Provision for Pension	0	0
	Provision for Gratuity	560	0
	Provision for Settlement	226	210
	Provision for Provident fund	138	125
	Provision for Salary Arrears	0	7 000
5	Others:		
	a) For Doubtful Loans and Investments	185 825	191 561
	Total	**2096 977**	**1973 527**

SCHEDULE 15

MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extent not written off or adjusted)

	Particulars	Current Year (₹ in Lakhs)	Previous Year (₹ in Lakhs)
1	Discount Allowed in issue of shares/ debentures	0	0
2	Others	0	0
	TOTAL	**0**	**0**

SCHEDULE-16

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS(CFS) AS ON 31ST MARCH 2026.

I. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. PRINCIPLES OF CONSOLIDATION:

The Consolidated Financial Statements related to General Insurance Corporation of India ("the Corporation"), its Subsidiary Companies and the Corporation's share of profit/loss in its Associate Companies (together referred as "the group"). The list of Subsidiary Companies and Associates which are included in the Consolidated Financial Statements are as under:

Group Structure (General Insurance Corporation of India)			
Sr. No.	**Name of the company**	**Ownership %**	**Country of incorporation**
Subsidiaries			
1.	GIC Re South Africa Limited	100	Johannesburg, SA
2.	GIC Re, India, Corporate Member Limited	100	London, U.K.
3	GIC Perestrakhovanie, LLC	100	Moscow, Russia
Associates			
1.	Agriculture Insurance Company of India Limited	35	India
2.	India International Insurance Pte Ltd	20	Singapore
3.	GIC – Bhutan Reinsurance Company Limited	26	Bhutan

The Consolidated Financial Statements have been prepared on the following basis:

1.1 The Financial Statements of the Corporation and its Subsidiary Companies have been combined on a line-by-line basis by adding together the value of line items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group balances and intra-group transactions and resulting profits or losses (unless cost cannot be recovered) in accordance with Accounting Standard (AS) 21 – "Consolidated Financial Statements".

1.2 The difference between the costs of investment in the Subsidiaries over the net assets at the time of acquisition of shares in the Subsidiaries is recognised in the Financial Statements as Goodwill or Capital Reserve on Consolidation as the case may be. The 'Goodwill' / 'Capital Reserve' is determined separately for each Subsidiary Company.

1.3 Investments in Associate Companies are accounted for using equity method in accordance with Accounting Standard (AS) 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements". Accordingly, the share of profit/loss of each of the Associate Companies (the loss being restricted to the cost of investment) has been added to/deducted from the cost of investments. The carrying value is reduced for the distributions received from the Associates.

1.4 The difference between the cost of investment in the Associate and the share of net assets at the time of acquisition of shares in the Associate is described as Goodwill or Capital Reserve as the case may be. Goodwill or Capital Reserve is included in the carrying amount of investment in Associate.

1.5 The Corporation accounts for its share in the change in the net assets of the Associate, post-acquisition, after eliminating unrealised profits and losses resulting from the transaction between the Corporation and its Associate to the extent of its share, through its Statement of Profit and Loss to the extent such change is attributable to the Associate's Statement of Profit and Loss.

1.6 Financial Statements of Foreign Subsidiaries, being non-integral operations, have been converted in Indian Rupees at following exchange rates –

(i) Revenue and Expenses: At the average of the year.

(ii) Assets and Liabilities: At the end of the year. The resultant translation exchange difference is transferred to "Foreign Currency Translation Reserve".

1.7 South Africa Insurance Regulation is applicable to GIC Re South Africa Limited, and Russia Insurance Regulation is applicable to GIC Perestrakhovanie LLC. No provision for IBNR is required by GIC Re, India, Corporate Member Limited, since the Subsidiary

reinsures all of its underwriting business to GIC Re. The difference in accounting policy has been assessed as not material.

1.8 Provision for taxation including Deferred Tax is accounted as per local tax laws and in accordance with the provisions of local Generally Accepted Accounting Principle (GAAP).

1.9 Statutory Reserves are created in accordance with the requirements of local laws.

2. ACCOUNTING CONVENTION:

The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Revenue Accounts are prepared and presented on a going concern basis in accordance with the provisions of Section 11(1) of the Insurance Act, 1938 and to comply with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), including the Accounting Standards specified under Companies (Accounting Standards) Rules, 2021 read with Section 133 of Companies Act 2013, as amended. The Financial Statements also conform to the stipulation specified under the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024. The said statements are prepared on historical cost convention and on accrual basis except as otherwise stated and conform to the statutory provisions and practices prevailing in the General Insurance Industry in India.

3. REINSURANCE BUSINESS:

3.1. **Use of Estimates**

The preparation of Financial Statements in conformity with the Generally Accepted Accounting Principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities as of the Balance Sheet date, Revenue and Expenses for the year ended and disclosure of Contingent Liabilities as of the Balance Sheet date. The estimates and assumptions used in accompanying Financial Statements are based upon Management's evaluation of the relevant facts and circumstances as of the date of the Financial Statements. Actual results may differ from the estimates and assumptions used in preparing the accompanying Financial Statements. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3.2. **Reinsurance Revenues**

Premium is accounted based on accounts rendered by ceding companies upon receipt of accounts. At the period end, estimates are made for accounts not yet received, based on available information and current trends. In respect of Insurance pool business, where GIC Re is one of the members of the Pool, only the Corporation's share of revenue is recorded in the books of accounts.

4. Outstanding Claims

4.1 Estimated liability for outstanding claims in respect of Reinsurance business carried out in India is based on advice received as of different dates up to the date of finalization of claim figures in the books for submission of the data to the "Appointed Actuary" and wherever such advices are not received, on estimates based on available information, current trends, past underwriting experience of the management and actuarial estimation bases.

4.2 Provision for claims Incurred But Not Reported (IBNR) is made as certified by the Appointed Actuary based on accepted actuarial methods.

5. Receivables:

Provisions for Doubtful Debts for receivables are provided as under:

(i) Companies in liquidation

(ii) Companies having non-moving balances over a period of 3 years

(iii) Companies having moving balances, apart from various parameters, has primarily outstanding dues more than 3 years:

The Provision for doubtful debts does not include Domestic Pools and Wholly Owned Subsidiaries.

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

Revenue transactions in foreign currencies are converted at the daily rate of exchange on the day accounts are received and

transactions are booked. The rates have been taken from Refinitiv India Private Limited, an LSEG business.

6.1 Non-Monetary items including fixed assets and investments abroad are reported using the exchange rate applicable on the date of acquisition.

6.2 Monetary items such as receivables, payables and balances in bank accounts held in foreign currencies are converted using the closing rates of exchange at the balance sheet date.

6.3 The exchange gain/ loss relating to revenue transaction, due to conversion of foreign currencies, is accounted for as revenue in respective revenue accounts. The common exchange gain/loss due to conversion is apportioned between Revenue Account and Profit and Loss Account in same proportion as stated in Significant Accounting Policy No.8.

6.4 Foreign branch operations are considered as "non-integral business" as prescribed in AS11 "The effects of changes in foreign exchange rates" (revised 2018) and translated accordingly.

7. RESERVE FOR UNEXPIRED RISK (URR)

The URR provisions are made as under:

7.1 **Non-Life Business:**

(i) **For HO:**

Reserve for Unexpired Risk in respect of Marine Insurance (Hull) and Terrorism Risk Business (included in Fire and Engineering) is made at 100% of Net Premium, while for all other classes of insurance is made at 50% of Net Premium of trailing 12 months other than Agriculture Insurance Business – Kharif (where premium is earned fully within the accounting period).

(ii) **London, Dubai and Malaysia Branch:**

Reserve for Unexpired Risk is provided as per local practice of respective countries. Adjustment for excess or short provision in URR, as per IRDAI requirement, is accounted at Head Office.

7.2 **Life Business:**

Reserve for Unexpired Risk is provided as determined by Appointed Actuary based on accepted Actuarial methods.

8. APPORTIONMENT OF INTEREST, DIVIDEND AND RENT

The income from interest, dividends and rent is apportioned between Profit and Loss Account and Revenue Accounts in the ratio of Shareholders' Fund and Policyholders' Fund respectively at the end of the period. The same is further apportioned amongst the Revenue accounts on the basis of the respective Policyholder's fund at the end of the period.

Calculations of Shareholders' fund and Policyholders' fund are based on IRDAI circular IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024. Shareholder's fund consists of Share Capital plus all Reserves and Surplus (except Catastrophe Reserve).

Policyholders fund for this purpose consists of estimated liability for outstanding claims including IBNR and IBNER, Unexpired Risk Reserve (URR), Premium Deficiency Reserve (if any), Catastrophe Reserve (if any) and Other Liabilities net of Other Assets (relating to Policyholders) as per the guidelines of IRDAI.

9. FIXED ASSETS AND INTANGIBLES AND CWIP-SOFTWARE UNDER DEVELOPMENT

Fixed Assets:

Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost of shares in Co-operative Societies/Companies for property rights acquired is included under the head 'Buildings' under Fixed Assets.

Tangible Fixed Assets are stated at cost (including incidental expenses relating to acquisition and installation) less accumulated depreciation.

GST on capital assets is excluded in the acquisition cost of assets and Input Tax Credit for the same has been claimed as per applicable GST laws.

Intangible Assets:

Intangible Fixed Assets representing software are recorded at its acquisition price and are amortized over their estimated useful life on a straight-line basis, commencing from the date the assets are available for use. The management has estimated

the useful life for such software as five years. The useful life of the asset is reviewed by the management at each Balance Sheet date. Intangible assets which are under development are capitalized only upon its completion.

Capital Work in Progress:

Capital work in progress includes assets not ready for the intended use and are carried at cost, comprising direct cost and related incidental expenses.

9.1 **Depreciation on Fixed Assets**

Depreciation is provided on straight line method based on useful life of the assets as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013 and residual value of the assets shall be ₹ 1/-.

Depreciation is provided on pro-rata basis on additions to fixed assets and on assets sold /discarded /demolished / destroyed during the year.

All assets individually costing up to ₹ 10,000 are fully depreciated in the period in which they are acquired.

9.2 **Impairment of Assets**

Fixed assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset.

10. EMPLOYEE BENEFITS

Short term employee benefits

Employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service are classified as short-term employee benefits and are recognised in the period in which the employee renders the related service. All short-term employee benefits are accounted on undiscounted basis.

Long term employee benefits

These include Provident Fund, Gratuity, Leave Salary, Settlement and Pension. These are provided on the basis of actuarial valuation including actuarial gains/losses at balance sheet date and is recognised in the Revenue Account(s) and Profit and Loss account.

11. APPORTIONMENT OF EXPENSES

(i) Head office business:

Operating expenses relating to insurance business are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of Reinsurance Premium accepted during the period for which accounts are prepared, giving weightage of 75% for Marine business & 100 % for Fire, Miscellaneous & Life Reinsurance business.

(ii) Foreign business:

Operating expenses relating to insurance business are also apportioned to the Revenue Accounts of branches on the same basis as mentioned in 11 (i) above.

(iii) Investment Expenses:

Expenses relating to investment are apportioned between Revenue and Profit & Loss Account in the same proportion as stated in Significant Accounting Policy No.8. Interest, Dividend and Rent income is net of Investment expenses. Refer Note No 49.

12. INVESTMENTS

12.1 Prudential norms prescribed by Reserve Bank of India and the IRDAI are followed in regard to:

(i) Revenue recognition

(ii) Classification of assets into Performing and Non-performing and

(iii) Provisioning against Performing and Non-performing assets.

12.2 Purchases and Sales of shares are accounted for on the date of contracts whereas bonds, debentures and Government

Securities are accounted for on the date of settlement.

12.3 The cost of investments includes Premium on Acquisition, Securities Transaction Tax, Goods & Service tax and their related expenses.

12.4 Short term money market instruments such as Triparty Repo (TREPS), Commercial Paper and Treasury Bill, which are discounted at the time of contract at the agreed rate are accounted at their discounted value.

12.5 Investment portfolio in respect of Equity Shares are segregated into actively traded and thinly traded as prescribed by the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024.

12.6 All investments are reviewed for impairment at the end of the Period whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an investment may not be recoverable. Basis the same, Impairment loss (i.e., other than temporary diminution in value) is recognized over and above specific assessment-based impairment as required separately as per the Significant Accounting Policies.

(a) Investment in actively traded Equity Shares are required to be valued as per Master circular issued by IRDAI on Actuarial, Finance and Investment functions of Insurers issued vide circular ref. no. IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated May 17th, 2024. The Corporation has chosen NSE as primary stock exchange and BSE as secondary exchange. Accordingly, the valuation of Equity Shares is made at Fair Value being the closing price of NSE. If such security is not listed / not traded on NSE on closing day, the closing price of BSE is considered.

(i) Provisioning for diminution in the value of Equity Shares /Preference Shares:

Impairment loss (i.e., other than temporary diminution in value) is recognized in respect of an Equity / Preference Share which is actively traded in the stock exchange, and which has been held by the Corporation for a period of more than three years, provided, the current average book value is more than the Fair value as on the Balance Sheet date as well as persistently on previous three years from the Balance Sheet date.

Provision to the extent of difference between the re-measured fair value of the security/investment and its acquisition cost as reduced by any previous impairment loss will be recognized as expense in the Profit and Loss Account.

(b) Investment in units of Mutual Funds are valued at Fair value as per Master Circular Ref. No. IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated May 17th, 2024, Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers. Fair value for this purpose is the last quoted NAV as at the Balance Sheet date.

(c) In case of Equity Exchange Traded Funds (ETFs), the investment is valued on the same basis as traded Equity Shares, whereas Passive ETFs shall be valued at Traded Price or at NAV as on the reporting date as per Master circular issued by IRDAI on Actuarial, Finance and Investment functions of Insurers issued vide circular Ref. No. IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated 17th May, 2024.

12.7 a) Unrealized gains/losses (excluding impairment loss of other than temporary diminution in value) arising due to changes in the fair value of listed Equity Shares and Mutual Fund units are taken under the head "Fair Value Change Account" and on realization reported in Profit and Loss Account.

b) Pending realization, the credit balance in the "Fair Value Change Account" is not available for distribution.

c) Provision is made for diminution in value of investments relating to thinly traded and unlisted shares equivalent to the amount of difference in average book cost and breakup value of the shares except in companies where demerger has taken place during the Financial Year and latest audited accounts are not available.

Break-up value is computed from the annual reports of companies not beyond 21 months irrespective of date of closure of Annual Accounts of the companies.

d) Provision is made for diminution in value of investment relating to units of Venture Capital Funds equivalent to the amount of difference in book cost and the latest Net Asset Value (NAV).

12.8 Investments in Equity and Preference shares of companies are valued as under:

a) Where shares are Actively Traded, and Book Value is less than Market Value : Fair Value Change Account at Market Value

Diminution in value of such investments is recognized in the Balance Sheet at period end by writing down in the following cases:

b)	Where shares are Actively Traded, and Book Value is greater than Market Value	: Written down to Market Value
c)	Thinly traded Equity Shares	: Written down to nominal value of ₹1/- per company
d)	Preference Shares	: At a value proportionate to the face value of the Equity Shares that bears to its market value and carrying cost is reduced by the diminution value.

Companies whose latest available audited accounts are beyond 21 months irrespective of date of closure of Annual Accounts of the companies as on the Date of Balance Sheet or whose Net worth has been fully impaired (negative Net worth) are written down to ₹ 1/-.

12.9 Investments in Subsidiary and Associate Companies are valued at cost as these are Strategic investments. Provision for diminution in the value of these investments is made only if the decline is other than temporary.

12.10 Final Dividend is accounted for as income in the year of declaration and Interim dividend is accounted as income when the amount is received or credited.

12.11 Dividends/Interest on shares/debentures under objection/pending deliveries are accounted for on realization/payment.

12.12 Profit or Loss on sale of investments is apportioned between Profit and Loss Account and Revenue Accounts in same proportion as stated in Significant Accounting Policy No. 8. Profit/Loss on sale of investments is computed at average book value of investments on the date of sale.

12.13 Expenses relating to safe custody, Straight Through Processing and bank charges etc. on investments are charged to Profit and Loss Account and Revenue Accounts as stated in Significant Accounting Policy No.11.

12.14 Debt securities including Government Securities and Redeemable Preference Shares have been considered as 'held to maturity' securities and have been measured at historical cost subject to Amortization of premium paid over residual period. The call date has been considered as maturity date for Amortization of Perpetual Bonds.

12.15 In case of Repos transaction, difference between the selling and buying value is treated as interest income.

12.16 Investments are apportioned between Shareholders' Fund & Policyholders' Fund basis ratio calculated as per IRDAI circular IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated 17th May, 2024.

12.17 Investment in Units of "Real Estate Investment Trusts (REIT) & Infrastructure Investment Trusts (InvIT)"

The Investment in Units of REITs / InvITs shall be valued at Fair value being last quoted closing price (should not be later than 30 days) on the National Stock Exchange or in case these are not listed on National Stock Exchange, then based on the last quoted price on the Bombay Stock Exchange. Where Market Quote is not available for the last 30 days, the Units shall be valued as per the latest NAV (not more than 6 months old) of the Units published by the trust as per Master circular issued by IRDAI on Actuarial, Finance and Investment functions of Insurers issued vide circular Ref. No. IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated May 17th, 2024.

12.18 Investments in Debt Securities of "Real Estate Investment Trusts (REIT) & Infrastructure Investment Trusts (InvIT)

The Investment in Debt Securities of InvITs / REITs shall be valued either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published by any Rating Agency registered with SEBI. as per Master circular issued by IRDAI on Actuarial, Finance and Investment functions of Insurers issued vide circular Ref. No. IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated May 17th, 2024.

12.19 Investment Classification: Investments maturing within twelve months from Balance Sheet date and investments made with the specific intention to dispose off within twelve months are classified as 'Short Term investments.

Investments other than 'Short Term investments' are classified as 'Long Term investments'

13. AMORTIZATION OF PREMIUM AND PROVISION FOR DOUBTFUL LOANS, INVESTMENTS AND DEBTS

Amortization of premium, provision for doubtful loans, doubtful debts and diminution in the value of investments written off, are recognized in the Revenue Account and Profit & Loss Account in the ratio of Policyholder's Fund and Shareholder's Fund. Securities purchased at a discount are booked at the discounted price.

14. COMPLIANCE WITH ACCOUNTING STANDARDS

The Corporation has complied with relevant accounting standards prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act), read with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2014 as amended to the extent applicable and IRDAI guidelines in preparation of its Financial Statements.

15. PREMIUM DEFICIENCY RESERVE (PDR):

Non-Life Business: Wherever applicable, Premium Deficiency is worked out separately for each segmental revenue level basis viz. Fire, Marine and Miscellaneous. As per IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, dated 20th March 2024, PDR is calculated by Non-Life Appointed Actuary.

Life Re business: As per IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 dated 20th March 2024, PDR is calculated by Life Re Appointed Actuary/panel Actuary.

16. DEFERRED COMMISSION

London BO has accounted for Deferred Commission as per the local laws. The same is accounted as Commission at Head Office, in compliance to IRDAI requirements.

17. TAXATION

Current tax

TThe Company provides for income tax on the basis of taxable income for the current accounting period in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961.

Current income tax expense comprises taxes on income from operations in India and in foreign jurisdiction. Income tax payable in India is determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act 1961. Tax expense relating to foreign operations is determined in accordance with tax laws applicable in countries where such operations are domiciled.

Interest on Refund of income tax is accounted on realization basis.

Deferred tax

Deferred tax assets and liabilities are recognised on timing differences between the accounting income and the taxable income for the year and quantified using the tax rates and laws enacted or substantively enacted as on the Balance Sheet date. Deferred tax assets are recognised only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realised in future, However, where there is unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, Deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty of realisation of such assets. Deferred tax assets are reviewed at each Balance Sheet date and appropriately adjusted to reflect the amount that is reasonably/virtually certain to be realised.

18. PROVISIONS AND CONTINGENCIES

A provision is recognised when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to their present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

Contingent Losses arising from claims other than insurance claims under policies, litigation, assessment, fines, penalties, etc. are recorded as a disclosure made when there is a possible obligation but probably will not require an outflow of resources.

When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote or cannot be ascertained, no provision or disclosure is made.

Contingent asset are neither recognised nor disclosed in the Financial Statements.

19. CATASTROPHE RESERVE

Catastrophe Reserve is created by appropriation of 10 % of Operating Profits of Revenue Accounts in respect of Fire, Marine and Miscellaneous business. This reserve forms part of Policyholders' Funds and is reflected in Schedule 6-Reserves & Surplus, of the Balance Sheet as per IRDAI format.

II NOTES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS ON 31st MARCH 2026.

1. Financial Information pursuant to Schedule III of Companies Act, 2013

Name of the Entities	Net Worth		Share in Profit/(Loss)	
	Percentage of Net Assets	Amount ₹ in Lakhs	Percentage of Profit/(Loss)	Amount ₹ in lakhs
Parent Company				
General Insurance Corporation of India (GIC Re)	90.23%	51,30,127	86.85%	8,39,218
Subsidiaries Companies (Foreign)				
a. GIC Re South Africa Limited, Johannesburg	2.26%	1,28,651	0.22%	2,106
b. GIC Re, India, Corporate Member Limited, London, UK	0.12%	6,577	0.03%	301
c. GIC Perestrakhovanie, LLC	0.35%	20,134	0.34%	3,318
Associates Foreign (investment as per Equity method)				
a. India International Insurance Pte. Ltd., Singapore	1.21%	68,754	0.49%	4,713
b. GIC – Bhutan Reinsurance Company Limited	0.05%	3,052	0.26%	2,494
Associates Indian (investment as per Equity method)				
a. Agriculture Insurance Company of India Limited, New Delhi	5.53%	3,14,204	5.85%	56,567
Total	**99.75 %**	**56,71,499**	**94.05%**	**9,08,717**
Adjustments arising out of consolidation	0.25 %	14,421	5.95%	57,521
Share of Minority in Subsidiaries				
Consolidated Net Worth */ Net Profit	100 %	56,85,920	100 %	9,66,238

*Net Worth= Share Capital +Reserves and Surplus - Catastrophe Reserve

The periods of Consolidated accounts for the Subsidiaries / Associates are as follows for the period ending 31.03.2026: -

Subsidiary	Period
GIC Re South Africa Limited	01.04.2025-31.03.2026
GIC Re, India, Corporate Member Limited	01.01.2025-31.12.2025
GIC Perestrakhovanie, LLC*	01.01.2025-31.03.2026
Associates	
Agriculture Insurance Company of India Limited**	01.01.2025-31.03.2026
GIC – Bhutan Reinsurance Company Limited**	01.01.2025-31.03.2026
India International Insurance Pte Ltd	01.01.2025-31.12.2025

*For GIC Perestrakhovanie LLC, figures of Fifteen months are considered for consolidation to coincide with the financial year of corporation.

** For Agriculture Insurance Company of India Limited and GIC-Bhutan Reinsurance Company Limited profit figures of Fifteen months are considered to coincide with the financial year of corporation.

The Financial Statements of the Subsidiaries/Associates are prepared in accordance with IFRS/UK GAAP respectively and Identified Material Differences between the accounting Policies of Corporation & that of the Subsidiaries/Associates have been accounted for in the Consolidated Financial Statements of the Corporation.

2. Books maintained on Calendar year:

The accounts of the Subsidiary Company, GIC Re India Corporate Member Ltd., London, UK, and GIC Perestrakhovanie, Moscow and Associates, India International Insurance Pte Ltd., Singapore and GIC-Bhutan Reinsurance Company Limited, Bhutan, which are combined in the Consolidated Financial Statements, are prepared on calendar year basis in accordance with the local requirements and these have been consolidated as such. There is no material change during the quarter January 2026 to March 2026 requiring adjustments to the figures reported in the audited/ unaudited accounts as received.

3. Investments

3.1. Provision of holding company ₹ 10,091 lakhs (Previous Year ₹ 8,821 Lakhs) for assets has been made as per Prudential norms for Income recognition, Asset Classification and provisioning and other related methods as prescribed by appropriate regulatory authorities.

3.2. The Book Value of Investments valued on Fair Value basis is Equity ₹ 17,83,052 lakhs (Previous Year ₹ 15,83,329 lakhs) & Mutual Funds ₹ 63,413 lakhs (Previous Year ₹ 71,041 lakhs) INVITS ₹ 8,042 lakhs (Previous year ₹ 8,309 lakhs). For some Actively traded shares falling under "Fair value Depreciation" category, an amount of ₹ 88,204 lakhs (Previous Year ₹ 80,766 lakhs) is considered under "Provision for Diminution of Listed equity shares" category.

3.3 A Provision has been made for ₹ 84,397 lakhs (Previous Year ₹ 89,505 lakhs) towards Non-Performing Assets (Other than Standard Assets). Therefore, there is reversal of provision accounted during the year is ₹ 5,108 lakhs (Previous Year ₹ 47,618 lakhs).

4. Life Reinsurance Business

During the year, the Corporation has made a provision of ₹ 3,62,064 lakhs (Previous Year ₹ 2,20,688 lakhs) towards total Net reserves for Life business (excluding OSLR). These reserves have been determined and certified by the Life Appointed Actuary, in accordance with the requirements of IRDAI's (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 and Institute of Actuaries of India in concurrence with IRDAI.

Compared to FY 2024–25, provisions for Life-Re business have increased significantly in FY 2025–26 especially for the long-term business mainly due to adverse experience of mortality resulting in tightening of mortality assumptions while arriving at the provisions. Hence change in mortality assumptions had the largest impact, increasing the provisions by ₹ 70,200 lakhs.

5. Employee Benefits

The Corporation has classified the various benefits provided to employees as under:

(i) Defined Contribution Plan
  (a) Provident Fund
  (b) Contribution to National Pension Scheme (NPS)Provident Fund

(ii) Defined Benefit Plan
  (a) Pension
  (b) Gratuity
  (c) Leave Salary
  (d) Settlement

During the year Group has recognized the following amounts in the Profit and Loss Account based upon the actuary reports:

(₹ in lakhs)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Pension Superannuation Scheme (Employees' Pension Fund)	1,051	(453)
Leave Encashment (Earned leave and Sick Leave)	1,015	139
Gratuity (Employees Gratuity Fund)	1,744	233
Provident Fund (Employees Provident Fund) *	137	125
Settlement Benefit	30	15
Gratuity (Contract/Temporary Employee)	29	0

* The Group pays fixed contribution to Provident Fund at predetermined rates to a separate trust, which invests the funds in permitted securities. The obligation of the Company is to make such fixed contribution and to ensure a minimum rate of return to the members as specified by Government of India (GOI). As per report of the consulting actuary, overall interest earnings and cumulative surplus is short than the statutory interest payment requirement. Hence, the Group has created a liability of ₹ 137 lakhs as on 31st March 2026 (Previous Year: ₹ 125 lakhs).

A) Change in the Present Value of Obligation

(₹ in lakhs)

Particulars	Pension		Gratuity		Leave Salary *		Settlement	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
Present Value of Obligation as at 1 April 2025	33,569	32,500	8,421	8,108	4,069	4,190	210	196
Interest Cost	2,154	2,220	549	570	249	294	14	14
Past Service Cost	0	0	0	0	0	0	0	0
Current Service Cost	461	450	586	426	178	180	4	4
Curtailment Cost / (Credit)	0	0	0	0	0	0	0	0
Settlement Cost / (Credit)	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefit Paid	(4,424)	(3,512)	(648)	(462)	(790)	(260)	(15)	0
Actuarial (Gain)/Loss on Obligation	2,687	1,911	1,447	(220)	588	(334)	12	(3)
Present Value of Obligation at 31st March 2026	34,449	33,569	10,354	8,421	4,294	4,069	226	210

* EL + SL

B) Change in the Fair value of Plan Assets

(₹ in lakhs)

Particulars	Pension		Gratuity		Leave Salary		Settlement	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
Fair Value of Plan Assets as at 1 April 2025	34,266	29,800	9,632	9,551	0	0	0	0
Expected return on Plan Assets	2,912	2,657	631	674	0	0	0	0
Actuarial Gain/(Loss) on Obligation	1,340	2,377	207	(132)	0	0	0	0
Contribution	603	2,944	1	0	0	0	0	0
Benefit Paid	(4,424)	(3,512)	(648)	(462)	0	0	0	0
Fair Value of Plan Assets at 31st March 2026	34,697	34,266	9,823	9,632	0	0	0	0
Unpaid Amount	0	0	0	0	0	0	0	0
Fair Value of Plan (Net) Assets at 31st March 2026	34,697	34,266	9,823	9,632	0	0	0	0
Actual return	4,252	5,033	838	542	0	0	0	0

C) Reconciliation of Present Value of Defined Benefit Obligation and the Fair Value of Assets

(₹ in lakhs)

Particulars	Pension		Gratuity		Leave Salary *		Settlement	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
Present Value of Obligation	34,449	33,569	10,354	8,421	4,294	4,069	226	210
Fair Value of Plan Assets	34,697	34,266	9,823	9,632	0	0	0	0
Unfunded Net Asset / (Liability) Recognized in Balance Sheet	248	697	(531)	1,211	(4,294)	(4,069)	(226)	(210)

** EL + SL*

D) Expenses recognized in the Profit and Loss Account

(₹ in lakhs)

For year ending 31st March,2026	Pension	Gratuity	Leave Salary *	Settlement
Current Service Cost	461	586	178	4
Interest Cost	2,154	549	249	14
Curtailment Cost / (Credit)	0	0	0	0
Settlement Cost / (Credit)	0	0	0	0
Expected Return on Plan Assets	(2,912)	(631)	0	0
Net actuarial (gains)/losses recognized in the period	1,347	1,240	588	12
Total Expenses recognized in the Profit & Loss A/c	1,051	1,744	1,015	30

** EL + SL*

(₹ in lakhs)

For year ending 31st March,2025	Pension	Gratuity	Leave Salary *	Settlement
Current Service Cost	450	426	180	4
Interest Cost	2,220	570	294	14
Curtailment Cost / (Credit)	0	0	0	0
Settlement Cost / (Credit)	0	0	0	0
Expected Return on Plan Assets	(2,657)	(674)	0	0
Net actuarial (gains)/losses recognized in the period	(466)	(89)	(334)	(4)
Total Expenses recognized in the Profit & Loss A/c	453	233	139	15

** EL + SL*

E) Plan Assets

(In %)

Particulars	Pension		Gratuity		Leave Salary *		Settlement	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
Government Securities {Central & State}	52.97	56.04	44.82	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
High quality Corporate Bonds	36.56	37.43	42.08	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Others	10.47	6.53	13.10	8.1	0.00	0.00	0.00	0.00

** EL + SL*

F) Actuarial Assumption

(In %)

Particulars	Pension		Gratuity		Leave Salary *		Settlement	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
Discount Rate	7.59	6.87	7.49	6.78	7.49	6.78	7.49	6.78
Expected return on assets	9.00	9.00	6.78	7.23	0	0	0	0
Salary Escalation*	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Attrition/ withdrawal Rate	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Indian Assured Lives Mortality	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14

** EL + SL*

G) Other Disclosures

Pension

(₹ in lakhs)

Particulars	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
Experience Adjustment						
On obligation	2,687	1911	1,266	10,200	2,128	1,365
On plan assets	(1,340)	(2,377)	3,277	(701)	(324)	4,571
Present Value of obligation	34,449	33,569	32,501	33,022	26,550	26,722
Fair Value of plan assets	34,697	34,266	29,800	24,751	25,030	25,077
Excess of obligation over plan assets	(248)	697	(2,700)	(8,271)	(1,520)	(1,645)

Gratuity

Particulars	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
Experience Adjustment						
On obligation	2,021	(560)	(579)	(831)	(150)	(13)
On plan assets	(207)	(132)	737	245	294	(121)
Present Value of obligation	10,354	8,421	8,108	8,153	5,434	5,560
Fair Value of plan assets	9,823	9,632	9,551	4,419	5,318	5,851
Excess of obligation over plan assets	531	(1,211)	1,443	(3,734)	(116)	290

Leave Salary

Particulars	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
Experience Adjustment						
On obligation	0	0	0	0	0	0
On plan assets	0	0	0	0	0	0
Present Value of obligation	4,294	4,069	4,190	4,219	3,799	3,955
Fair Value of plan assets	0	0	0	0	0	0
Excess of obligation over plan assets	4,294	4,069	4,190	4,219	3,799	3,955

Settlement

Particulars	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
Experience Adjustment						
On obligation	12	(3)	(20)	(14)	(33)	(31)
On plan assets	0	0	0	0	0	0
Present Value of obligation	226	210	196	198	193	208
Fair Value of plan assets	0	0	0	0	0	0
Excess of obligation over plan assets	226	210	196	198	193	208

**No. of employees in gratuity report includes 25 Active employees of Agriculture Insurance Company of India Ltd.*

Gratuity for Contract / Temporary Employees:

A) Change in the Present Value of Obligation

(₹ in Lakhs)

Particulars	Gratuity	
	31.03.2026	31.03.2025
Present Value of Obligation as at 1st April 2025	0	0
Interest Cost	0	0
Past Service Cost	0	0
Current Service Cost	29	0
Curtailment Cost / (Credit)	0	0
Settlement Cost / (Credit)	0	0
Benefit Paid	0	0
Actuarial (Gain)/Loss on Obligation	0	0
Present Value of Obligation at 31st March 2026	29	0

B) Change in the Fair value of Plan Assets

(₹ In Lakhs)

Particulars	Gratuity	
	31.03.2026	31.03.2025
Fair Value of Plan Assets as at 1st April 2025	0	0
Expected return on Plan Assets	0	0
Actuarial Gain/(Loss) on Obligation	0	0
Contribution	0	0
Benefit Paid	0	0
Fair Value of Plan Assets at 31st March 2026	0	0
Unpaid Amount	0	0
Fair Value of Plan (Net) Assets at 31st March 2026	0	0
Actual return	0	0

C) Reconciliation of Present Value of Defined Benefit Obligation and the Fair Value of Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	Gratuity	
	31.03.2026	31.03.2025
Present Value of Obligation	29	0
Fair Value of Plan Assets	0	0
Unfunded Net Asset / (Liability) Recognized in Balance Sheet	(29)	0

D) Expenses recognized in the Profit and Loss Account

(₹ In Lakhs)

Particulars	Gratuity	
	31.03.2026	31.03.2025
Current Service Cost	29	0
Interest Cost	0	0
Curtailment Cost / (Credit)	0	0
Settlement Cost / (Credit)	0	0
Expected Return on Plan Assets	0	0
Net actuarial (gains)/losses recognized in the period	0	0
Total Expenses recognized in the Profit & Loss A/c	29	0

E) Plan Assets

(₹ In Lakhs)

Particulars	Gratuity	
	31.03.2026	31.03.2025
Government Securities {Central & State}	0	0
High quality Corporate Bonds	0	0
Others	0	0

F) Actuarial Assumption

(in %)

Particulars	Gratuity	
	31.03.2026	31.03.2025
Discount Rate	6.02	0
Expected return on assets	0.00	0
Salary Escalation*	10.00	0
Attrition/ withdrawal Rate	3.00	0
Indian Assured Lives Mortality	2012-14	0

G) Other Disclosures

(₹ in Lakhs)

Particulars	2025-26
Experience Adjustment	
On obligation	29
On plan assets	0
Present Value of obligation	29
Fair Value of plan assets	0
Excess of obligation over plan assets	29

6. Related party Disclosures as per Accounting Standard - 18 "Related Party Transaction" :

a) Associate Company:

- India International Insurance Pte. Limited, Singapore
- Agriculture Insurance Company of India Limited, New Delhi, India
- GIC-Bhutan Reinsurance Company Limited, Bhutan

Nature and volume of transactions: With (a) above

(₹ in lakhs)

	Agriculture Insurance Company of India Limited		India International Insurance Pte Ltd.		GIC-Bhutan Reinsurance Company Limited	
Period	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Premium Accepted	1,73,820	61,295	5,384	5,515	1,037	1,328
Premium Ceded	0	0	838	4,107	0	0
Net Premium	1,73,820	61,295	4,546	1,408	1,037	1328
Commission Paid	3,397	2,726	611	330	1	1
Commission Recovered	0	0	238	1,142	0	0
Net Commission	3,397	2,726	374	(813)	1	1
Claims Paid	76,332	33,950	21,489	3,260	691	2
Claims Recovered	0	0	2,273	1,648	0	0
Net Claims	76,332	33,950	19,216	1,612	691	2
Balance as on 31st March (-) indicates amount payable by GIC	19,932	37,955	(359)	(54)	(568)	0

7. (i) Key Management Personnel: F Y 2025-26:

Sr. No.	Designation	Name
1	Chief Executive Officer (upto 30.09.2025)	Shri N. Ramaswamy
2	Executive Director (Additional Charge of CMD w.e.f. 01.10.2025)	Shri Hitesh Joshi
3	Executive Director and Financial Advisor & Chief of Internal Audit (upto 30.06.2025)	Smt. Radhika C.S.
4	General Manager (upto 22.07.2025) and Executive Director (w.e.f. 23.07.2025) and Chief Risk Officer	Smt. Jayashri Balkrishna
5	General Manager (upto 31.07.2025)	Shri. S. K. Rath

Sr. No.	Designation	Name
6	General Manager and Chief Finance Officer	Shri V. Balkrishna
7	General Manager (w.e.f. 15.05.2025)	Shri Rajesh Pawar
8	General Manager (w.e.f. 15.05.2025) & Chief Marketing Officer	Shri Rajesh Khadatare
9	General Manager (w.e.f. 15.05.2025) & Chief Underwriting Officer	Shri Sanjay Mokashi
10	General Manager (w.e.f. 15.05.2025) & Financial Advisor & Chief of Internal Audit (w.e.f. 08.08.2025)	Smt. Manali Patke
11	Company Secretary & Chief Compliance Officer (w.e.f. 30.04.2025)	Shri Satheesh Kumar
12	Deputy General Manager & Chief Investment Officer	Smt. Radhika Ravishekar
13	Appointed Actuary (Non-Life)	Shri Sateesh N. Bhat
14	Appointed Actuary (Life)	Shri Suresh Sindhi

ii. Details of Key Managerial Personnel Remuneration for the year ended 31.03.2026 is as follows

(₹ in lakhs)

Sl. No	Name	Designation	Gross Salary	Corp.'s P.F.	House Perquisite	Loan Perquisite	Vehicle Perquisite	LTS perquisite	Other Perquisite
1	Shri N. Ramaswamy	Chief Executive Officer (upto 30.09.2025)	28.46	1.29	1.23	0.00	0.00	0.00	1.54
2	Shri Hitesh Joshi	Executive Director (Additional Charge of CMD w.e.f. 01.10.2025)	48.06	2.30	4.51	11.76	3.89	0.00	0.00
3	Smt. Radhika C. S.	Executive Director and Financial Advisor & Chief of Internal Audit (upto 30.06.2025)	12.46	0.58	0.00	0.00	0.00	0.99	1.33
4	Smt. Jayashri Balkrishna	General Manager (upto 22.07.2025) and Executive Director (w.e.f. 23.07.2025) and Chief Risk Officer	56.37	2.59	2.56	0.00	3.89	0.00	0.00
5	Shri. S. K. Rath	General Manager (upto 31.07.2025)	28.77	1.19	1.22	0.80	1.19	0.00	4.99
6	Shri V. Balkrishna	General Manager and Chief Finance Officer	64.37	3.51	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00
7	Shri Rajesh Pawar	General Manager (w.e.f. 15.05.2025)	48.36	3.49	3.28	0.00	2.59	0.00	0.00
8	Shri Rajesh Khadatare	General Manager (w.e.f. 15.05.2025) & Chief Marketing Officer	60.52	3.49	3.44	26.66	3.89	0.00	0.00
9	Shri Sanjay Mokashi	General Manager (w.e.f. 15.05.2025) & Chief Underwriting Officer	50.11	3.08	6.07	26.22	3.89	0.50	0.00
10	Smt. Manali Patke	General Manager (w.e.f. 15.05.2025) & Financial Advisor & Chief of Internal Audit (w.e.f. 08.08.2025)	57.33	3.08	1.19	0.47	2.59	0.00	0.00

Sl. No	Name	Designation	Gross Salary	Corp.'s P.F.	House Perquisite	Loan Perquisite	Vehicle Perquisite	LTS perquisite	Other Perquisite
11	Shri Satheesh Kumar	Company Secretary & Chief Compliance Officer (w.e.f. 30.04.2025)	60.08	2.83	5.67	0.00	3.89	0.00	0.00
12	Smt. Radhika Ravishekar	Deputy General Manager & Chief Investment Officer	52.10	2.83	0.00	0.00	3.89	0.00	0.00
13	Shri Sateesh N. Bhat	Appointed Actuary (Non-Life)	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Shri Suresh Sindhi	Appointed Actuary (Life)	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(iii) Details of Key Managerial Personnel Remuneration for the year ended 31.03.2025 is as follows:

(₹ in lakhs)

Sl. No	Name	Designation	Gross Salary	Corp.'s P.F.	House Perquisite	Loan Perquisite	Vehicle Perquisite	LTS perquisite	Other Perquisite
1	Shri N. Ramaswamy	Chief Executive Officer	41.49	2.52	2.41	0.00	0.00	0.00	1.24
2	Shri Hitesh Joshi	General Manager (Upto 08.07.2024) Executive Director (W.e.f. 09.07.2024)	38.43	2.20	2.18	1.51	3.89	0.74	5.58
3	Smt. Radhika C. S.	Executive Director (W.e.f. 12.07.2024) and Financial Advisor & Chief of Internal Audit (W.e.f. 01.10.2024)	35.58	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
4	Shri. S. K. Rath	General Manager	37.47	2.18	2.14	1.45	3.89	0.74	1.10
5	Shri V. Balkrishna	General Manager, Financial Advisor & Chief of Internal Audit (upto 05.05.2024) and Chief Finance Officer (w.e.f. 01.05.2024)	37.21	2.10	0.00	0.00	3.89	0.00	2.36
6	Smt. Jayashree Ranade	General Manager and Chief Finance Officer (upto 30.04.2024)	26.91	0.19	0.21	0.00	0.00	6.49	5.25
7	Smt. Jayashri Balkrishna	General Manager & Chief Risk Officer	35.40	2.05	2.01	0.00	3.89	0.00	1.97
8	Shri. Sachindra Salvi	General Manager (upto 31.12.2024), Financial Advisor & Chief of Internal Audit (W.e.f. 06.05.2024 and upto 330.09.2024)	25.67	1.40	1.39	0.00	3.89	1.98	1.78
9	Shri Sateesh N. Bhat	Appointed Actuary (Non-Life)	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Shri Suresh Sindhi	Appointed Actuary (Life)	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Shri Suresh Savaliya	Company Secretary & Chief Compliance Officer (Upto 19.03.2025)	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

Sl. No	Name	Designation	Gross Salary	Corp.'s P.F.	House Perquisite	Loan Perquisite	Vehicle Perquisite	LTS perquisite	Other Perquisite
12	Shri Rajesh Khadatare	Deputy General Manager & Chief Marketing Officer	35.76	2.09	2.03	2.73	3.89	0.00	2.67
13	Shri Sanjay Mokashi	Deputy General Manager & Chief Underwriting Officer	30.20	1.83	1.80	2.76	3.89	0.50	2.06
14	Smt. Radhika Ravishekar	Deputy General Manager & Chief Investment Officer	32.30	1.91	0.00	0.00	3.89	0.50	0.96

8. Earnings per Share (EPS) as per Accounting Standards 20:

Particulars	2025-26	2024-25
Profit after Tax	₹ 9,66,238 Lakhs	₹ 7,43,185 Lakhs
Number of equity shares	₹ 17,544 Lakhs	₹ 17,544 Lakhs
Nominal value of share	₹ 5/-	₹5/-
Basic and Diluted EPS	₹ 55.08	₹ 42.36

Basic Earnings Per Share are calculated by dividing the Profit or Loss After Tax for the year attributable to Equity Shareholders by the weighted average number of Equity Shares outstanding during the year. For the purpose of calculating diluted Earnings Per Share, the Profit or Loss After Tax for the year attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the year are adjusted for the effects of all dilutive potential Equity Shares which could have been issued on the conversion of all dilutive potential Equity Shares.

Potential Equity Shares are deemed to be dilutive only if their conversion to Equity Shares would decrease the Net Profit Per Share from continuing ordinary operations. Potential dilutive Equity Shares are deemed to be converted as at the beginning of the period, unless they have been issued at a later date. The dilutive potential Equity Shares are adjusted for the proceeds receivable had the shares been actually issued at fair value. Dilutive potential Equity Shares are determined independently for each period presented.

9. Taxation

(a) Disclosures as per Accounting Standard – 22 "Accounting for Taxes on Income":

Deferred Tax assets are recognized if there is a reasonable certainty that they will be realized and are reviewed for the appropriateness of their respective carrying values at each Balance Sheet date.

(₹ in Lakhs)

Particulars	As on 31.03.2026 Deferred Tax		As on 31.03.2025 Deferred Tax	
	Assets	Liability	Assets	Liability
Timing difference on account of difference in WDV as per books & WDV as per Income Tax Act, 1961		1,350	0	1,144
Provision for Employees Benefits	1,154	0	2,870	0
Disallowance u/s. 40 a (ia)	66	0	17	0
Foreign Branches	1,131	0	0	4
Provision for doubtful investments	41,958	0	24,855	0
Catastrophe Reserve	61,340	0	42,735	0
Others		475	0	183
Total	10,560	1,825	70,477	1,331

Particulars	As on 31.03.2026 Deferred Tax		As on 31.03.2025 Deferred Tax	
	Assets	Liability	Assets	Liability
Net Deferred Tax		1,03,825		69,146

During the year the Corporation has recognised Deferred Tax asset of ₹ 41,958 lakhs against Provision for doubtful investments of ₹ 1,66,712 lakhs where the Corporation expects certainty of loss realisation and tax benefits to flow. Further, Deferred Tax asset of ₹ 61,340 lakhs is also accounted against Catastrophe Reserve of ₹ 2,43,724 lakhs.

(b) The Taxation Laws (Amendment) Act, 2019 provides domestic companies with an option of lower tax rate, provided they do not claim certain deductions and not compute tax as per Minimum Alternate Tax (MAT). The Corporation has opted for reduced rate in FY 2022-23 and accordingly, the Corporation has considered the same rate for the purpose of computing provision for tax and Deferred tax in standalone financial results for the quarter and twelve months ended March 31, 2026

10. During the year, the Group has reviewed its fixed assets for impairment. In the opinion of the management of the respective companies, no provision for impairment loss is considered necessary (Previous Year ₹ Nil).

11. The Corporation undertook a one-time rectification exercise during the current year to address long-standing mismatches between SAP Asset Accounting and the SAP General Ledger (GL) relating to gross block and accumulated depreciation.

Pursuant to this exercise, it was identified that excess depreciation had been charged over previous years in respect of assets within the Building category. Accordingly, a reversal of such excess depreciation of ₹ 728 lakhs has been recognized in the current year.

12. Foreign Currency Translation Reserve Account is increased by ₹ 2,05,612 lakhs (Previous Year ₹ 48,245 lakhs) consisting of the following

(₹ in lakhs)

S No.	Particulars	Current Year		Previous year	
		Debit	Credit	Debit	Credit
1	Net Investment in non-integral foreign operation of Holding company		2,05,612		48,245
2	Others				
	Total		**2,05,612**		**48,245**

13. The Holding Company's office premises and godown are obtained on operating lease and are renewable / cancellable at mutual consent. There are no restrictions imposed by lease agreements. Lease terms are based on individual agreements. Significant leasing agreements are in respect of operating lease for premises. Aggregate lease rentals amounting to ₹ 404 lakhs (Previous Year ₹ 399 lakhs) are expected to be paid under operating lease in less than 12 months from 31st March 2026.

As per AS-19 related to Lease, GIC Re is not required make any disclosure.

14. (a) Group has put in place system of continuous reconciliation and monitoring of balances and reserve deposits on an ongoing basis with persons/bodies carrying on insurance/reinsurance business. The Group has provided a cumulative provision of ₹ 1,32,065 lakhs (Previous Year ₹ 1,16,840 lakhs) for doubtful receivables.

(b) The balances of amount due to/from and the deposits kept with other persons/bodies carrying on insurance business are subject to confirmation/reconciliation. There exists a detailed process to match confirmations with the books and these are marked for majority of the balances. Adjustments, if any for unconfirmed balances will be accounted for on receipt / confirmation/reconciliation of the same. However, it may be noted that Provision for amount due from and the deposits, over a period of three years have been fully provided for. These balances and deposits are arising from the accounts booked through Statement of Accounts obtained from the cedants/ brokers.

(c) The Group has also provided a provision on doubtful debts on Sundry Debtors outstanding for more than 1 year as on 31.03.2026 amounting to ₹ 14 lakhs (Previous Year ₹ 153 lakhs).

15. The Group generally makes payments to its creditors within a period of 45 days as stipulated in Micro, Small and Medium Enterprises Act 2006. The Group has identified Micro, Small and Medium Enterprises as defined in above referred act. The Group has neither received any claims for interest nor provided any interest payable to Micro, Small and Medium Enterprises as required by aforesaid act.

Sl. No	Particulars	31.03.2026	31.03.2025
1	Principal amount due to suppliers registered under the MSMED Act and remaining unpaid as at year end	0	0
2	Interest due to suppliers registered under the MSMED Act and remaining unpaid as at year end	0	0
3	Principal amounts paid to suppliers registered under the MSMED Act, beyond the appointed day during the year	0	0
4	Interest paid, other than under Section 16 of MSMED Act, to suppliers registered under the MSMED Act, beyond the appointed day during the year	0	0
5	Interest paid, under Section 16 of MSMED Act, to suppliers registered under the MSMED Act, beyond the appointed day during the year	0	0
6	Interest due and payable towards suppliers registered under MSMED Act, for payments already made	0	0
7	Further interest remaining due and payable for earlier years	0	0

16. Dividend

(a) Proposed Dividend for the year 2025-26

The Board of Directors of the Corporation have recommended final dividend at the rate of ₹ 13.25 per Equity Share (on Face Value of ₹ 5/- each) for the Financial Year 2025-26. Earlier during the current financial year, the Corporation had paid Final dividend of ₹ 10/- per Equity Share (on Face Value of ₹ 5/- each) for the Financial Year 2024-25.

(b) Unclaimed Dividend

During the year the Corporation has transferred ₹15.77 lakhs approx. (Previous Year ₹ Nil) to the Investor Education & Protection Fund Authority for unclaimed dividend amount of FY 2017-18.

17. Corporate Social Responsibility (CSR):

Corporate Social Responsibility (CSR): As per Section 135 of the Companies Act, 2013, General Insurance Corporation of India was required to spend an amount of ₹ 13,578 lakhs for the financial year 2025-26 towards Corporate Social Responsibility. During the financial year 2025-26, an amount of ₹ 6,928 lakhs has been spent. The projects are in different stages of implementation. The total unspent amount as on 31.03.2026 is ₹ 6,650 lakhs pertaining to on-going projects. This unspent amount has been transferred to a separate bank account to be utilized in the next three financial years.

Below are details of CSR projects taken up in FY 2025-26:

(a) Gross amount required to be spent by the company in FY 2025-26 – ₹13,578 lakhs

(b) Amount approved by the Board to be spent in FY 2025-26 – ₹13,578 lakhs

(c) Amount spent in FY 2025-26 as on 31.03.2026: ₹6,928 lakhs

The CSR funds have been allocated and disbursed in respect of projects related to infrastructure, healthcare, education, livelihood of underprivileged and environment sustainability. There are no Material Changes and Commitments

S. No.	Name of NGO	₹ in Lakhs
(i)	**Construction/acquisition of any asset**	**0**
(ii)	**On purposes other than (i) above**	**6,928**
1	Samarthanam Trust for the Disabled	567
2	Hosabelaku Seva Trust	292
3	IIT Mandi	250
4	Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO)	424
5	National Sports Development Fund (NSDF)	1,738
6	TATA Memorial Centre- ACTREC	608
7	AROH Foundation	635
8	Shri Peetambara Shiksha Samiti	295
9	PRAVAH	267
10	Human Organisation for Patronisation of Environment (HOPE	125
11	End Poverty	475
12	Jain Medical Dialysis centre	73
13	Cancer Patients Aids Association (CPAA)	48
14	JanMitram	570
15	Village Welfare Society	121
16	Bisnouli Sarvodaya Gramodyog Sewa Sansthan	47
17	Suhit Jeevan Trust	86
18	Population Services International (PSI), India	200
19	GRMD Foundation	47
20	Manthan Sansthan	54
21	Sr. Asia	6
	Total	**6,928**

(d) Details of related party transactions, e.g., contribution to a trust/ society / section 8 company controlled by the company in relation to CSR expenditure as per Accounting Standard (AS) 18, Related Party Disclosures. Same as c (ii) above.

Applicability of Section 135(5) and 135(6) of the Companies Act, 2013

In case of Section 135(6) Unspent Amount pertaining to Ongoing Project

Opening Balance (₹ Lakhs)		Amount required to be spent in FY 23-24 (₹ Lakhs)	Amount spent in FY 23-24 (₹ Lakhs)		Amount spent in FY 24-25 (₹ Lakhs)		Amount spent in FY 25-26 (₹ Lakhs)		Closing Balance (₹ Lakhs)	
With Company	In Separate CSR Unspent A/c FY 22-23		From Company's bank A/c	From Separate CSR Unspent A/c	From Company's bank A/c	In Separate CSR Unspent A/c	From Company's bank A/c	In Separate CSR Unspent A/c*	From Company's bank A/c	In Separate CSR Unspent A/c
0	621	621	0	488	0	126	0	7	0	0

*Separate CSR unspent A/c FY22-23 was closed in the FY25-26, and the amount was transferred to Swachh Bharat Kosh

In case of Section 135(6) Unspent Amount pertaining to Ongoing Project								
Opening Balance (₹ Lakhs)		Amount required to be spent in FY 24-25 (₹ Lakhs)	Amount spent in FY 24-25 (₹ Lakhs)		Amount spent in FY 25-26 (₹ Lakhs)		Closing Balance (₹ Lakhs)	
With Company	In Separate CSR Unspent A/c FY 23-24		From Company's bank A/c	From Separate CSR Unspent A/c	From Company's bank A/c	In Separate CSR Unspent A/c	From Company's bank A/c	In Separate CSR Unspent A/c
0	6,378	6,378	0	3,733	0	717	0	1,928

In case of Section 135(6) Unspent Amount pertaining to Ongoing Project

Opening Balance (₹ lakhs)		Amount required to be spent in FY 25-26 (₹ Lakhs)	Amount spent in FY 25-26 (₹ Lakhs)		Closing Balance (₹ lakhs)	
With Company	In Separate CSR Unspent A/c FY 24-25		From Company's bank A/c	From Separate CSR Unspent A/c	With Company	In Separate CSR Unspent A/c
0	5,214	5,214	0	3,745	0	1,469

(e) Details of Unspent Amount pertaining to Ongoing Projects of FY 2023-24 to be utilized within a period of three financial years from the date of such transfer:

Sr. No.	Name of NGO/Organisation	Balance as on 31.03.2026 (₹ in Lakhs)
1	ALIMCO	183
2	Swami Vivekanada Youth Movement (SVYM)	21
3	Astha Sewa Sansthan	4
4	National Skill Development Corporation NSDC	370
5	Tata ACTREC	45
6	Special Olympics Bharat	73
7	VSTF	1,007
8	Abhivyakti Foundation	217
9	Impact India Foundation	8
	Total	**1,928**

(f) Details of Unspent Amount pertaining to Ongoing Projects of FY 2024-25 to be utilized within a period of three financial years from the date of such transfer:

Sr. No.	Name of NGO/Organisation	Balance as on 31.03.2025 (₹ in Lakhs)
1	Bombay Natural History Society	44
2	Rouble Nagi Art Foundation	1
3	VMM foundation	5
4	Human Uplift Trust.	41
5	Gramika India	14
6	Ennoble Social Innovation Foundation	396
7	Estah society	7
8	Sucheta Kriplani Shiksha Niketan Society (SKSN)	22

9	Advanced Centre for Treatment, Research and Education in Cancer - ACTREC	505
10	Institute for Integrated Rural Development - IIRD	166
11	International Competence Centre for Organic Agriculture (ICCOA)	67
12	Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities (Divyangjan)	97
13	Fine Arts Society	65
14	MBA Foundation	16
15	Agastya Foundation	23
	Total	**1,469**

(g) Details of Unspent Amount pertaining to Ongoing Projects of FY 2025-26 to be utilized within a period of three financial years from the date of such transfer:

S.No.	Implementing Agency	Unspent CSR Amount as on 31.03.2026
1	Samarthanam Trust for the Disabled	567
2	Hosabelaku Seva Trust	292
3	IIT Mandi	750
4	Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO)	576
5	TATA Memorial Centre- ACTREC	608
6	AROH Foundation	635
7	Shri Peetambara Shiksha Samiti	98
8	PRAVAH	267
9	Human Organisation for Patronisation of Environment (HOPE)	125
10	End Poverty	475
11	Jain Medical Dialysis centre	73
12	Cancer Patients Aids Association (CPAA)	2
13	JanMitram	570
14	Village Welfare Society	121
15	Bisnouli Sarvodaya Gramodyog Sewa Sansthan	52
16	Suhit Jeevan Trust	257
17	Population Services International (PSI), India	601
18	GRMD Foundation	142
19	Manthan Sansthan	162
20	Sr. Asia	6
21	Integrated Institute for Disabled	54
22	Narayan Thakursing Rathod Charitable Foundation Trust (NTR)	192
23	India Vision Institute	25
	Total	**6,650**

18. Contingent Liabilities:

(a) Partly Paid-up investments ₹ 292 lakhs (Previous Year ₹ 1,949 lakhs)

(b) Underwriting commitments outstanding ₹ NIL (Previous Year ₹ NIL)

(c) Claims, other than those under policies not acknowledged as debts ₹ 62 lakhs (Previous Year ₹ 62 lakhs)

(d) Guarantees / LC given by or on behalf of the Corporation ₹ 1,50,923 lakhs (Previous Year ₹ 1,47,163 lakhs)

The Corporation has provided Letter of Credit/ Bank Guarantee amounting to ₹ 5,55,505 lakhs (Previous Year ₹ 6,89,432 lakhs) against 100% Margin in the form of Term Deposits with banks, towards outstanding losses, unearned premium reserve, balances payable etc., to various business partners towards various treaties. During the year, the Corporation has provided for all liabilities in respect of Letter of Credit/ Bank Guarantee in its books amounting to ₹ 1,23,542 lakhs (Previous Year ₹ 5,42,269 lakhs). Therefore, this amount has not been shown as Contingent Liabilities.

(e) Statutory demand / liabilities in dispute - Income-tax demands disputed, not provided for ₹ 26,16,640 lakhs (Previous Year ₹ 25,08,519 lakhs).

Year-wise break-up is as follows: **31.03.2026**

(₹ in Lakhs)

Assessment Year	Contingent Liability	Interest u/s 220(2)	Contingent Liability including Interest u/s 220(2) of the Act
2002-03	6,944	17,567	24,511
2003-04	7,573	19,160	26,733
2004-05	18,790	47,540	66,330
2005-06	18,500	42,919	61,419
2006-07	26,694	57,659	84,353
2007-08	31,268	60,972	92,240
2008-09	31,498	57,641	89,138
2009-10	18,098	30,948	49,046
2011-12	24,105	31,578	55,683
2013-14	78	0	78
2015-16	54,955	29,726	84,681
2016-17	1,00,359	49,944	1,50,302
2017-18	3,60,487	2,32,419	5,92,906
2018-19	3,34,222	1,20,277	4,54,499
2020-21	4,63,380	86,178	5,49,558
2021-22	63,079	9,987	73,066
2022-23	1,18,818	8,231	1,27,049
2023-24	35,048	0	35,048
Total	**17,13,896**	**9,02,744**	**26,16,640**

*Contingent Liabilities for the Appeal filed by Income Tax Department at High Court level for AY 2010-11 and AY 2014-15 are not appearing as they are rejected under Rule 986 of the Bombay High Court Rules.

However, the above table includes demands for the grounds where Corporation has received favourable orders in CIT or appellate tribunal. Details of same are as follows:

(₹ in Lakhs)

Year	Amount involved in covered matters	Interest under section 220(2)	Total Including Interest
2002-03	6,944	17,567	24,511
2003-04	7,573	19,160	26,733
2004-05	18,790	47,540	66,330
2005-06	18,500	42,919	61,419
2006-07	26,694	57,659	84,353
2007-08	31,268	60,972	92,240
2008-09	31,498	57,641	89,138
2009-10	18,098	30,948	49,046
2011-12	23,979	31,469	55,447
2015-16	54,900	29,679	84,579
2016-17	98,748	48,575	1,47,323
2017-18	3,59,179	2,31,346	5,90,525
2018-19	3,32,261	1,19,258	4,51,519
2020-21	4,48,125	81,906	5,30,031
2021-22	60,266	9,284	69,550
2022-23	1,18,203	8,169	1,26,372
2023-24	12,989	0	12,989
Total	**16,68,014**	**8,94,092**	**25,62,106**

Year-wise break up as follows:

31.03.2025

(₹ in Lakhs)

Assessment Year	Contingent Liability	Interest u/s 220(2)	Contingent Liability including Interest u/s 220(2) of the Act
2002-03	6,944	16,734	23,678
2003-04	7,573	18,251	25,824
2004-05	18,790	45,285	64,075
2005-06	18,500	40,699	59,199
2006-07	26,694	54,456	81,150
2007-08	31,268	57,220	88,488
2008-09	31,498	53,861	85,358
2009-10	18,098	28,776	46,874
2010-11	29,040	42,688	71,728
2011-12	24,105	28,572	52,677
2013-14	78	0	78
2014-15	735	0	735
2015-16	54,955	24,933	79,889
2016-17	1,00,359	43,253	1,43,611

Assessment Year	Contingent Liability	Interest u/s 220(2)	Contingent Liability including Interest u/s 220(2) of the Act
2017-18	3,60,487	1,98,208	5,58,694
2018-19	3,34,222	92,522	4,26,743
2020-21	4,63,380	49,244	5,12,624
2021-22	63,079	5,194	68,274
2022-23	1,18,818	0	1,18,818
Total	**17,08,622**	**7,99,896**	**25,08,519**

However, the above table includes demands for the grounds where Corporation has received favourable orders in CIT or appellate tribunal. Details of same are as follows:

(₹ in Lakhs)

Year	Amount involved in covered matters	Interest under section 220(2)	Total Including Interest
2002-03	6,944	16,734	23,678
2003-04	7,573	18,251	25,824
2004-05	18,790	45,285	64,075
2005-06	18,500	40,699	59,199
2006-07	26,694	54,456	81,150
2007-08	31,268	57,220	88,488
2008-09	31,498	53,861	85,358
2009-10	18,098	28,776	46,874
2010-11	29,040	42,688	71,728
2011-12	23,979	28,478	52,457
2014-15	735	0	735
2015-16	54,900	24,933	79,833
2016-17	98,748	43,253	1,42,001
2017-18	3,59,179	1,97,292	5,56,471
2018-19	3,32,261	91,738	4,23,999
2020-21	4,48,125	46,804	4,94,929
2021-22	60,266	4,829	65,095
2022-23	1,18,203	0	1,18,203
Total	**16,84,800**	**7,95,296**	**24,80,096**

(f) The Corporation has received various Show Cause Notices (SCN) issued by GST authorities amounting to ₹ 30,602 lakhs (Previous Year ₹ 28,041 lakhs) and Service tax authorities during the current year amounting to ₹ 50,880 lakhs (Previous Year ₹ 47,629 lakhs) and the Corporation is contesting the same with the authority.

Year-wise break up as follows: **31.03.2026**

Goods and Service Tax: (₹ in lakhs)

Financial Year	GST/ Interest demanded in SCN	Interest up to March 2026 on estimated basis	Total Liability + Estimated Interest
2017-18	2,181	2,531	4,712
2020-21	12,593	13,296	25,889
Total	**14,774**	**15,827**	**30,602**

Service Tax:

Financial Year	Service Tax/ Interest demanded in SCN	Interest up to March 2026 on estimated basis	Total Liability + Estimated Interest
2014-15 to 2016-17	992	0	992
2014-15 to 2016-17	451	861	1,312
2014-15 to Q1 2017-18	2,406	4,752	7,158
2015-16 to Q1 2017-18	359	541	900
2015-16 to Q1 2017-18	15,042	25,476	40,518
Total	**19,250**	**31,630**	**50,880**

** ** Cases pertaining to WBCIS/MNAIS which have been granted exemption from Service Tax as a one time retrospective amendment vide Section 135 in the Finance Act 2025.

Financial Year**	Service Tax/ Interest demanded in SCN	Interest up to March 2026 on estimated basis	Total Liability + Estimated Interest
2011-12 to 2015-16	38,796	77,040	1,15,836
October 2016 to Q1 2017-18	1,70,454	2,36,384	4,06,837
Total	**2,09,249**	**3,13,424**	**5,22,673**

Year-wise break up as follows: 31.03.2025

Goods and Service Tax: (₹ in lakhs)

Financial Year	Service Tax/ Interest demanded in SCN	Interest up to March 2025 on estimated basis	Total Liability + Estimated Interest
2017-18	2,182	2,237	4,419
2020-21	12,593	11,029	23,622
Total	**14,775**	**13,266**	**28,041**

Service Tax:

Financial Year	Service Tax/ Interest demanded in SCN	Interest up to March 2025 on estimated basis	Total Liability + Estimated Interest
2014-15 to 2016-17	992	0	992
2014-15 to 2016-17	451	780	1,231
2014-15 to Q1 2017-18	2,406	4,319	6,725
2015-16 to Q1 2017-18	359	487	846
2015-16 to Q1 2017-18	15,042	22,793	37,835
Grand Total	**19,250**	**28,379**	**47,629**

Financial Year**	Service Tax/ Interest demanded in SCN	Interest up to March 2025 on estimated basis	Total Liability + Estimated Interest
2011-12 to 2015-16	38,796	71,221	1,10,016
October 2016 to Q1 2017-18	1,70,454	2,10,816	3,81,269
Total	**2,09,249**	**2,82,037**	**4,91,286**

** Cases pertaining to WBCIS/MNAIS (Crop Insurance Schemes) has been granted exemption from Service Tax in the recent introduction of Section 130 in the Income Tax Act 2025 as a one time retrospective amendment.

Therefore, below mentioned cases have not been considered as Contingent Liability.

Financial Year**	Service Tax/ Interest demanded in SCN	Interest up to March 2025 on estimated basis	Total Liability + Estimated Interest
2011-12 to 2015-16	38,796	71,221	1,10,016
October 2016 to Q1 2017-18	1,70,454	2,10,816	3,81,269
Total	**2,09,249**	**2,82,037**	**4,91,286**

(g) Reinsurance obligations to the extent not provided for in the accounts ₹ NIL (Previous Year ₹ NIL) in view of Significant Accounting Policy No. 3.2.

(h) Corporation has 174 legal matters pending before various courts and tribunals other than above matters among which GIC Re is having Contingent Liability in 22 legal matters and the Contingent Liability amount is estimated up to ₹15,857 lakhs (Previous Year ₹ 603 lakhs) and rest of the matters are of negligible financial impact.".

19. Segment Reporting:

Segment Reporting as per Accounting Standard -17 "Segment Reporting", has been complied with as required by IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024.

Line of Business wise Segment Revenue Reporting for the Year Ended March 31, 2026

TOTAL BUSINESS (INDIAN + FOREIGN)

(₹ in lakhs)

Class of Business	Earned Premium		Incurred Claims		Net Commission		Expenses of Management		Profit/-Loss on Exchange		Premium Deficiency		Underwriting Profit/Loss(-)		Investment Income (Net)		Revenue Profit/ Loss	
	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025	31.03. 2026	31.03. 2025
Fire	12,01,798	11,66,431	8,48,097	9,74,197	3,01,207	2,83,922	16,192	14,978	30,747	5,218	0	0	67,049	(1,01,447)	3,25,008	3,26,463	3,92,056	2,25,016
Motor	6,98,681	6,78,956	6,71,166	6,24,835	1,55,657	1,03,697	6,974	6,100	19,735	3,161	0	0	(1,15,381)	(52,514)	1,89,390	2,01,346	74,009	1,48,832
Aviation	36,332	38,658	66,417	33,786	5,676	7,562	802	657	1,812	264	0	0	(34,752)	(3,084)	15,709	15,876	(19,043)	12,792
Engi-neering	1,73,419	1,57,603	1,11,255	1,08,202	36,962	36,815	5,797	2,107	5,023	755	0	0	24,428	11,234	48,415	48,007	72,843	59,241
W.C.	3,135	3,657	3,091	12,096	513	48	27	23	156	26	0	0	(340)	(8,483)	1,489	1,652	1,149	(6,831)
Liability	72,205	58,298	59,943	55,926	15,550	12,207	826	670	2,131	304	0	0	(1,983)	(10,201)	20,536	19,310	18,553	(9,109)
PA	66,230	49,174	40,739	25,887	25,715	(2,953)	549	461	1,149	172	0	0	376	25,950	10,964	10,502	11,341	36,452
Health	9,32,619	7,49,163	7,96,039	6,09,435	1,98,192	2,26,507	6,774	7,712	8,943	1,288	0	0	(59,443)	(93,203)	85,473	80,824	26,030	(12,380)
Agricul-ture	3,22,565	3,27,369	2,90,188	2,93,103	16,074	33,009	2,477	2,625	8,412	1,275	0	0	22,238	(93)	80,669	79,679	1,02,907	79,586
Other Misc.	1,15,932	96,877	60,162	54,557	25,926	19,721	1,647	1,421	1,846	275	0	0	30,044	21,453	17,814	17,623	47,858	39,076
FL/ Credit	28,717	24,678	7,538	(2,013)	7,226	5,526	262	322	781	125	0	0	14,471	20,967	7,454	8,228	21,925	29,195
Marine Cargo	41,744	67,856	35,856	97,209	8,078	11,895	560	459	1,524	271	0	0	(1,226)	(41,436)	14,945	16,936	13,719	(24,501)
Marine Hull	53,370	45,141	31,549	39,064	7,577	7,785	490	412	1,899	366	0	0	15,652	(1,754)	18,120	23,666	33,772	21,911
Life	2,27,584	2,07,323	3,09,776	290,405	2,379	1,457	1,785	1,500	6,483	750	5,771	(3,762)	(85,645)	(81,527)	31,395	23,357	(54,250)	(58,170)
TOTAL	**39,74,331**	**36,71,183**	**33,31,818**	**32,16,689**	**8,06,733**	**7,47,199**	**45,163**	**39,448**	**90,642**	**14,250**	**5,771**	**(3,762)**	**(1,24,512)**	**(3,14,140)**	**8,67,380**	**8,73,468**	**7,42,868**	**5,59,328**

20. Incremental Provision in URR, for 31.3.2026, in respect of long-term Facultative Policies. – ₹ Nil (Previous Year ₹ NIL)

21. Reference / Benchmark Exchange Rates:

Currency	Average ₹ Rate (April'25 to March'26)	Average ₹ Rate (April'24 to March'25)	Closing ₹ Rate (31.03.2026)	Closing ₹ Rate (31.03.2025)
AED	24.02255	23.01271	25.80651	23.31672
GBP	118.29563	107.85093	125.63639	110.86098
MYR	21.23244	18.78149	23.62338	19.33619
USD	88.22707	84.51880	94.77700	85.64000
EURO	102.32237	90.75808	109.06937	92.49976

22. There are no Material Changes and Commitments affecting the Financial Position of the Company occurring after the Balance Sheet date.

23. The corporation estimates accrued premium, claims and expenses for treaties where statement of accounts are not received from ceding companies. The estimates are in compliance with IRDA's Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers, Ref: IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated 17th May 2024. The comparative figure for estimate versus actual from financial Year 2023-24 onwards is as below:

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Segment	Estimation			Estimation			Estimation		
		Financial Year 2023-24			Financial Year 2024-25			Financial Year 2025-26		
		Premium	Claims	Expenses	Premium	Claims	Expenses	Premium	Claims	Expenses
1	Fire	1,20,162	1,34,870	23,132	1,46,412	1,55,978	29,070	1,27,236	1,25,624	31,723
2	Marine	9,195	7,510	1,329	10,056	9,432	1,631	10,738	9,186	1,686
3	Motor	1,18,504	1,06,160	13,088	1,30,126	1,17,458	13,695	1,56,003	1,40,369	20,511
4	Health	1,43,395	1,54,866	23,863	2,21,202	2,35,019	51,867	2,25,574	2,45,361	46,999
5	Personal Accident	8,200	6,493	1,184	11,426	9,376	2,685	13,026	11,627	2,275
6	Engineering	11,399	9,079	1,960	20,329	17,163	3,680	21,123	18,079	3,852
7	Aviation	4,458	9,247	691	3,545	5,096	449	3,620	9,591	569
8	Workmen's Compensation / Employers' Liability	0	0	0	12	13	1	0	0	0
9	Public / Product Liability	6,914	5,422	1,083	13,176	9,304	2,320	18,222	13,572	3,334
10	Others	1,99,378	1,92,050	12,197	1,75,045	1,70,769	9,725	1,00,764	1,01,666	7,649
11	Life	44,228	0	0	55,258	0	829	77,294	0	545
	Grand Total	**6,65,832**	**6,25,698**	**78,528**	**7,86,587**	**7,29,609**	**1,15,952**	**7,53,600**	**6,75,076**	**1,19,143**

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Segment	Actuals			Actuals			Actuals		
		Premium	Claims	Expenses	Premium	Claims	Expenses	Premium	Claims	Expenses
1	Fire	3,18,183	1,36,608	85,972	1,35,332	1,83,536	43,240			
2	Marine	28,106	20,037	4,684	21,422	9,166	3,157			
3	Motor	1,77,426	1,26,069	25,861	1,60,442	1,31,341	23,655			

Sl. No.	Segment	Actuals			Actuals			Actuals		
		Premium	Claims	Expenses	Premium	Claims	Expenses	Premium	Claims	Expenses
4	Health	1,89,201	2,84,159	38,075	2,53,630	3,66,710	58,335			
5	Personal Accident	11,220	7,338	1,528	15,885	13,648	6,249			
6	Engineering	29,389	4,753	6,046	31,908	6,175	6,364			
7	Aviation	10,597	2,163	1,674	5,155	6,837	799			
8	Workmen's Compensation / Employers' Liability	0	0	0	493	560	75			
9	Public / Product Liability	17,176	1,121	3,775	22,696	4,224	4,649			
10	Others	2,32,447	2,02,713	23,757	2,10,107	2,07,912	12,329			
11	Life	0	0	0	0	0	0			
	Grand Total	**10,13,746**	**7,84,960**	**1,91,370**	**8,57,070**	**9,30,109**	**1,58,852**			

Sl. No.	Segment	Variation (%)			Variation (%)			Variation (%)		
		Premium	Claims	Expenses	Premium	Claims	Expenses	Premium	Claims	Expenses
1	Fire	165	1	272	(8)	18	49			
2	Marine	206	167	252	113	(3)	94			
3	Motor	50	19	98	23	12	73			
4	Health	32	83	60	15	56	12			
5	Personal Accident	37	13	29	39	46	133			
6	Engineering	158	(48)	208	57	(64)	73			
7	Aviation	138	(77)	142	45	34	78			
8	Workmen's Compensation / Employers' Liability	0	0	0	3,859	4,380	10,845			
9	Public / Product Liability	148	(79)	248	72	(55)	100			
10	Others	17	6	95	20	22	27			
11	Life	0	0	0	0	0	0			
	Grand Total (%)	**52**	**25**	**144**	**9**	**27**	**37**			

24. Creation of a Catastrophe Reserve is an accepted method to handle future volatility in claims, and to introduce a factor of stability in the financial results. The reserve can make a significant contribution to reducing financial vulnerability in future.

This reserve is broadly intended to be utilised towards meeting large catastrophe losses against the insurance policies in force.

The Group decided to create the same from Financial Year 2022-23 onwards, by appropriation of 10% of Operating Profit of holding company in respect of Revenue Accounts with an overall reserve cap of ₹ 5,00,000 lakhs:

(₹ in Lakhs)

	FY 2025-26		FY 2024-25	
Revenue Account	**Operating Profit**	**Catastrophe Reserve**	**Operating Profit**	**Catastrophe Reserve**
Fire	3,51,265	35,127	2,10,675	21,068
Miscellaneous	3,39,554	33,955	3,87,272	38,727
Marine	48,428	4,843	(3,542)	0
Total	**7,39,247**	**73,925**	**5,94,405**	**59,795**

25. The Financial Statements of the Subsidiaries and Associates used in the consolidation are drawn up to the same reporting date as that of the Corporation i.e. 31st March,2026 or upto 31st December 2025 in case where the Subsidiaries or Associates close their Financial Year on that date. The Subsidiaries of GIC Re have prepared the accounts in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS)/UK Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) as per the required local laws of the respective country, resulting in some variations as compared to Indian GAAP followed by the holding company. GIC Re, India, Corporate Member Ltd., retrocedes entire business to GIC Re while GIC Re South Africa Ltd. and GIC Perestrakhovanie LLC, Moscow retrocedes a portion of the business to GIC Re excluding Life Business.

26. For the purpose of preparing the CFS, accounting adjustments have been made to align the accounts of the Subsidiaries to confirm with the accounting polices followed by the Corporation where the difference in accounting policy has been assessed as material.

27. Following are the accounting aspects where the material differences with the accounting policies followed by the Corporation are assessed as material and the impact on the Consolidated Profit After Tax:
Figures as on 31.03.2026

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Particulars	GIC South Africa Limited	GIC Re, Corporate Member Limited	GIC Perestrakhovanie LLC
1	Unearned Premium Reserve	(1,485)	0	39
2	Depreciation	0	0	0
3	Deferred Commission	(165)	0	(148)
4	Changes in Fair Value through P&L / Other Comprehensive Income	(1,819)	0	0
	Total	**(3,469)**	**0**	**(109)**

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Particulars	GIC Bhutan Reinsurance Company Limited	India International Insurance Pte Ltd.
1	Unearned Premium Reserve	(1,770)	(1,465)
2	Depreciation	0	0
3	Deferred Commission	0	(281)
4	Changes in Fair Value through P&L / Other Comprehensive Income	0	(5,244)
	Total	**(1,770)**	**(6,990)**

Figures as on 31.03.2025 (₹ in lakhs)

Sl. No.	Particulars	GIC South Africa Limited	GIC Re, Corporate Member Limited	GIC Perestrakhovanie LLC
1	Unearned Premium Reserve	0	0	(101)
2	Depreciation	0	0	136
3	Deferred Commission	(1,068)	0	155
4	Changes in Fair Value through P&L / Other Comprehensive Income	0	0	0
	Total	**(1,068)**	**0**	**190**

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Particulars	GIC Bhutan Reinsurance Company Limited	India International Insurance Pte Ltd.
1	Unearned Premium Reserve	361	(926)
2	Depreciation	0	0
3	Deferred Commission	0	2,547
4	Changes in Fair Value through P&L / Other Comprehensive Income	0	0
	Total	**361**	**1,621**

28. IBNR provisions are recognised as per the terms provided by the local regulatory bodies.

29. Provision for taxation including Deferred Tax is accounted as per local tax laws and in accordance with the provisions of local GAAP. The difference in accounting policy has been assessed as not material.

30. Statutory Reserves are created in accordance with the requirements of local laws. The difference in accounting policy has been assessed as not material.

31. The amounts lying under Fixed Deposits and Negotiable Certificates of Deposits with a validity of less than one year relating to GIC Re South Africa Ltd. have been classified as investments by the Statutory Auditors of the Subsidiary. The same classification has been adopted while preparing the Consolidated Financial Statements. The impact of difference in accounting policy will not be material on the Consolidated Financial Statements.

32. The Corporation being a Reinsurance Company does not settle claims directly with the insured. The companies after settling the claims with their insured would recover the claims from the Corporation as per the reinsurance obligations. Such recoveries are settled with the companies through periodical account statements. Claims settled and remaining unpaid for a period of more than six months as on 31.03.2026 ₹ NIL (Previous Year ₹ NIL).

33. The estimate of claims Incurred But Not Reported [IBNR] claims have been certified by the Corporation's Appointed Actuary. The Appointed Actuary has certified to the Corporation that the assumptions used for such are appropriate and are in accordance with the requirements of the Insurance Regulatory and Development Authority of India [IRDAI] and Institute of Actuaries of India in concurrence with IRDAI.

    The IBNR provision for Life Re business is certified by the Appointed Actuary – Life Re.

    The IBNR has been calculated using triangulation method for domestic group term, health and riders associated with long-term individual and group credit (excluding MFI) business ..

    For all overseas business (Proportional and Non-proportional) and all other domestic business (Non-proportional and long-term Proportional individual and group credit (including MFI), delay days method has been used.

34. During the Financial Year 2025-26, the Corporation has not issued any such bonus shares. As on 31st March 2026, the Issued, Subscribed, Called-up and Paid-up Capital of the Corporation is ₹ 87,720 lakhs comprising of 17544 lakhs Equity Shares of ₹5/- each and accordingly Earning Per Share, Book Value Per Share and Dividend Per Share is worked out for the previous years based on the increased number of shares.

35. There are penalties paid /payable by the Corporation during the Financial Year 2025-26 is ₹ 6,256 lakhs (Previous Year ₹ 0.6 lakhs).

Sr No	Authority	Non-Compliance/ Violation	Penalty Awarded	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1	Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)		0	0	0
2	Income Tax Authorities		0	0	0
3	GST Authorities		0	0	0
4	Any other Tax Authorities		0	0	0
5	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA		0	0	0
6	Registrar of Companies/ NCLT/CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 2013		0	0	0
7	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation		0	0	0
8	Securities and Exchange Board of India	Fine levied by BSE and NSE Limited during quarter ended June 2025, September 2025, December 2025 and March 2026 for non-compliance under Regulation 17(1) of SEBI (LODR) Regulations pertaining to composition of Board.	37**	0	0
9	Competition Commission of India		0	0	0
10	Any other Central/State/Local Government / Statutory Authority (give break-up)	1. On 24 June 2025, the Dubai Branch received the FTA VAT Assessment & Penalty Notification (Ref. No. 600/2025/t/m/a) levying administrative penalties of AED 25,966,807.36 in relation to discrepancies identified in VAT returns filed for the period 1 January 2018 to 31 December 2020. 2. On 28 January 2026, a Late Corporate Tax registration penalty of AED 10,000 was received through the FTA EMARATAX portal.	6,219	0	0

*Penalty includes compounding charges levied by any Government Authority(ies).

** National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited levied aggregate fine of ₹ 18.25 lakhs (Excluding GST) each.

36. GIC Re Dubai branch continues to be in run-off operations since July 2021 and is presently servicing the accounting and claims of contracts underwritten in previous years prior to run-off. The business previously underwritten by Dubai branch is now being handled by GIFT City branch in India. Application for portfolio transfer of the open balances of Dubai branch to Gift City branch and eventual de-registration of Dubai branch has been filed with the UAE regulator and correspondence in this regard is in progress.

37. In the Financial Year 2025-26, the rating provided by M/s AM Best was affirmed as Financial Strength Rating (FSR) of 'A- (Excelllent)' and Long-Term Issuer Credit Rating (ICR) of 'a-(Excellent)', with 'Stable' outlook for FSR and Long-Term ICR. In the Financial Year 2024-25, the rating provided by M/s AM Best was Financial Strength Rating (FSR) is 'A- (Excellent)' and Long-Term Issuer Credit Rating (ICR) is 'a-(Excellent)', with 'Stable' outlook for FSR and Long-Term ICR.

38. Investment:

(a) Out of Investment held in Shares, Debentures, Bonds & Venture Capital Fund of the value of ₹ 78,95,708 lakhs (Previous Year ₹ 81,16,309 lakhs). The total investment in the bonds of Datar Switchgear Limited is ₹ 65 lakhs. Out of this, ₹ 13 lakhs pertain to the Corporation, and the remaining amount of ₹ 52 lakhs are attributable to erstwhile Subsidiaries.

(b) During the year there were receipts of Excess Dividends of ₹ NIL (Previous Year ₹ 0.11 lakhs), Excess Profits ₹ NIL (Previous Year ₹ NIL) and Excess Interests ₹ NIL (Previous Year ₹ NIL). The excess dividend balance as on 31.03.2026 amounts to ₹ 16 lakhs (Previous Year ₹ 16 lakhs). The interest received on the excess Bonds / Debentures and profit on excess equity / debentures as on 31st March 2026 amounts to ₹ NIL (Previous Year ₹ NIL) & ₹ NIL (Previous Year ₹ NIL). This excess dividend is shown as Liability.

39. (a) Provision includes provision for Standard Assets @0.40% as per IRDAI-Prudential norms for income recognition, Asset Classification and provisioning and other related methods in respect of debt portfolio amounting ₹ 10,091 lakhs (Previous Year ₹ 8,821 lakhs).

(b) During the year, the Corporation has not undertaken under CDR (Corporate Debt Restructuring) System, any case of restructuring of corporate debt/loan. (Previous Year ₹ NIL).

(c) The Corporation has considered latest available NAV for the provisioning of units of Venture Capital Fund. The details of latest available NAV considered are as follows:

NAV as on	No. of Venture Capital Funds
31st March, 2026	4
31st December, 2025	8
30th September 2025	0
31st March 2025	3
Nil NAV	2
Exit	2
Total	**19**

40. For valuation of actively traded Equity Shares, last trading day of FY 2025-26 has been considered as closing day.

41. During the year, the Corporation has waived / written off debts, loans, and interest as follows:

Waiver during the year 2025-26 & 2024-25 (₹ in Lakhs)

Particulars	Financial Year 2025-26			Financial Year 2024-25		
	No. of cases	Write off	Waiver	No. of cases	Write off	Waiver
Compound Inter-est/ Late Dues	2	0	11,085	60	0	38,746
Simple Interest / Interest on De-layed payment of Principal	2	0	7,560	49	0	22,365
Total	**4**	**0**	**18,645**	**109**	**0**	**61,111**

Debts / Equity written off during year 2025-26 & 2024-25

(₹ in Lakhs)

Financial Year 2025-26		Financial Year 2024-25	
No of Companies	**Amount written down/written off**	**No of Companies**	**Amount written down/written off**
2	4,710	28	19,944

Diminution in the value of Investments written off during the year 2025-26 & 2024-25

(₹ in Lakhs)

Financial Year 2025-26		Financial Year 2024-25	
No of Companies	**Amount written down/written off**	**No of Companies**	**Amount written down/written off**
2	179	0	0

42. There is no difference between title of ownership in respect of CGS/SGS/ bonds/debentures etc. available in physical/demat format vis-à-vis shown in books of accounts except for the differences pointed out in Point No. 38.

43. As at 31st March 2026, all the assets of the Corporation in and outside India are free from encumbrances except for

(a) The Government of India Stock, 8.24% 2027 for ₹ 785 lakhs , 8.60% 2028 for ₹ 20 lakhs, 6.19 % 2034 for ₹ 500 lakhs, 7.54 % 2036 for ₹ 2,000 lakhs, 7.10 % 2029 for ₹ 1,000 lakhs, 7.41 % 2036 for ₹ 1,000 lakhs, 7.26 % 2032 for ₹ 1,000 lakhs, 7.18 % 2037 for ₹ 4,000 lakhs, total amounting to ₹ 10,305 lakhs (Previous Year ₹ 10,305 lakhs) and cash deposit of ₹ 126 lakhs (Previous Year ₹ 106 lakhs) with Clearing Corporation of India Limited as deposit towards Settlement Guarantee Fund.

Out of the Cash Deposit, ₹ 15 lakhs is maintained as Cash collateral Deposit towards Triparty Repo Default fund (Previous Year ₹ 15 lakhs) and ₹ 8 lakhs towards Securities Default fund (Previous year ₹ 8 lakhs). ₹ 1 lakh is maintained for initial margin and ₹ 102 lakhs are for CGS Margin.

(b) (i) In view of margin requirements as recommended by SEBI vide Circular dated 19/03/2008, Corporation has assigned a Government of India security 7.10% 2029 amounting to ₹ 4,000 lakhs (Previous Year ₹ 4000 lakhs) as Pledge towards Margins in cash segments. This Pledge covers margin obligations arising out of trades done in NSE & BSE.

(ii) Margin FDR of ₹ 6 lakhs (Previous Year ₹ 6 lakhs) against Bank Guarantee to Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) to undertake development activities at plot bearing CTS.NO.1606OF Fort Division measuring 1844.40 sq. meter.

(iii) Margin FDR of ₹ 1,40,520 lakhs (Previous Year ₹ 1,30,949 lakhs) is kept under lien for issuance of Bank Guarantee (BG) in compliance with UAE regulatory requirements for the Dubai Branch.

(iv) Margin FDR of ₹ 850 lakhs (Previous Year ₹ 850 lakhs) is kept under lien against the Bank Guarantee (BG) for payment of Bank of Baroda commission towards Bank Guarantee (BG) issuance.

(c) Margin FDR held by Bank for issue as LC/BG of ₹ 5,57,818 lakhs (Previous Year ₹ 6,93,643 lakhs).

(d) Accrued interest on Fixed Deposits may vary based on the interest calculation methodologies adopted by different banks. The Corporation exercises due diligence and follows a consistent process to ensure that accrued interest is computed strictly in accordance with the terms and conditions specified in the respective Fixed Deposit Receipts (FDRs). Accordingly, accrued interest is recognized and accounted for on a quarter-on-quarter basis, ensuring proper realization of proceeds upon maturity.

44. The Commitments made and outstanding for Loans, Investments and Fixed Assets (if any) as at 31st March 2026 are ₹ 293 lakhs (Previous Year ₹ 1,949 lakhs).

45. Value of contracts in relation to investments, for

a) Purchases, where deliveries are due and pending ₹ NIL (Previous Year ₹ NIL).

b) Sales, where payments are overdue ₹ NIL (Previous Year ₹ NIL).

46. The basis of amortization of debt securities is as stated in Significant Accounting Policy No.12.14.

47. The Corporation does not hold any properties for investment purposes.

48. Provisions regarding unrealized gains/losses have been stated in the Significant Accounting Policy No. 12.7.

49. Interest, Dividend and Rent income is net of Investment expenses of ₹ 680 lakhs (Previous Year ₹ 561 lakhs).

50. GIC Syndicate 1947, the fully Indian capital backed GIC Syndicate, became operational in London from April 2018 following approval by Lloyd's in March 2018. The syndicate also cede business to GIC Re and vice versa. The business written between GIC Re and GIC Syndicate 1947 is as below:

(₹ in Lakhs)

INWARD	FY 2025-26	FY 2024-25
Gross Premium	3,995	9,484
Gross Commission	2	112
Incurred Claims	12	5,258
Overall Result	**3,981**	**4,114**
RETRO		
Retro Premium	329	5,374
Retro Commission	176	770
Incurred Claims -Retro	(222)	(1,240)
Overall Result	**375**	**5,843**

51. Extent of risk retained and reinsured is set out below:

Class	2025-26		2024-25	
	Retained %	Reinsured %	Retained %	Reinsured %
Fire	84.21	15.79	84.70	15.30
Motor	100.00	0.00	100.00	0.00
Aviation	44.83	55.17	48.16	51.84
Engineering	92.91	7.09	91.01	8.99
W.C.	97.86	2.14	100.00	0.00
Liability	89.13	10.87	82.14	17.86
PA	99.97	0.03	99.20	0.80
Health	100.00	0.00	99.18	0.82
Agriculture	98.16	1.84	97.83	2.17
Other Miscellaneous	81.79	18.21	82.44	17.56
FL/Credit	99.76	0.24	96.28	3.72
Marine Cargo	81.80	18.20	81.77	18.23
Marine Hull	91.77	8.23	93.99	6.01
Life	98.99	1.01	97.95	2.05

52. Ageing of claims – Distinguishing between claims outstanding for different periods:

The Corporation being a reinsurance company does not settle claims directly with the insured. The companies after settling the claims with their insured would recover the claims from the Corporation as per the reinsurance obligations. Such recoveries are settled with the companies through periodical account statements and cash calls after reconciliation of overall business transactions throughout the year.

Nevertheless, the outstanding losses as intimated by the companies in respect of facultative business are classified according to the outstanding period as per the details given below:

Details as on 31.03.2026 (₹ in Lakhs)

Sl No.	Outstanding Period	FIRE		MARINE		ENGINEERING		AVIATION		LIABILITY		MISCELLANEOUS		TOTAL	
		No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount
1	0-30 Days	2	119	4	7,660	0	0	11	163	3	5	0	0	20	7,947
2	31 Days to 6 Months	37	13,247	34	2,882	6	341	36	7,964	0	0	0	0	113	24,434
3	6 Months to 1 Year	43	14,577	15	2,724	12	2,729	54	(8,625)	4	1,875	2	1	130	13,281
4	1 Year to 5 Years	423	57,743	100	23,919	99	10,701	520	13,246	29	218	10	50	1,181	1,05,877
5	5 Years and Above	595	18,970	179	3,769	235	10,503	1,143	42,160	79	2,043	85	940	2,316	78,384
	TOTAL	**1,100**	**1,04,655**	**332**	**40,952**	**352**	**24,274**	**1,764**	**54,907**	**115**	**4,142**	**97**	**991**	**3,760**	**2,29,923**

Details as on 31.03.2025 (₹ in Lakhs)

Sl No.	Outstanding Period	FIRE		MARINE		ENGINEERING		AVIATION		LIABILITY		MISCELLANEOUS		TOTAL	
		No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount
1	0-30 Days	5	615	2	9	3	30	16	435	0	0	0	0	26	1,089
2	31 Days to 6 Months	32	4,573	12	699	9	406	69	1,970	0	0	0	0	122	7,648
3	6 Months to 1 Year	64	8,780	12	18,243	13	1,474	57	2,045	5	101	0	0	151	30,643
4	1 Year to 5 Years	467	66,417	148	37,902	115	22,616	590	18,608	54	456	18	131	1,392	1,46,132
5	5 Years and Above	532	19,742	131	5,039	218	10,064	1,098	26,905	55	1,765	94	1,036	2,128	64,552
	TOTAL	**1,100**	**1,00,127**	**305**	**61,892**	**358**	**34,591**	**1,830**	**49,964**	**114**	**2,322**	**112**	**1,168**	**3,819**	**2,50,064**

The Corporation being a reinsurance company, the Average claim settlement is not applicable since the claim are settled through periodic statement of accounts and cash call after reconciliation of overall business transaction throughout the year

53. Certification for liabilities/claim payments with tenure greater than 4 years. – As per section IV.1 of IRDAI Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers 2024, liabilities / claim payments with tenure greater than 4 years (e.g. Long-Term disability) need to be valued and certified separately. Corporation doesn't have any such payments therefore certification is not applicable to Corporation.

54. As per the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 the Corporation is required to prepare Receipts and Payment Accounts in accordance with the Direct Method prescribed in AS -3 "Cash Flow Statement". The Corporation has complied with the same.

55. Cash and Cash equivalents amounts for the year ended 31st March 2026 mentioned in the Receipts and Payments Account / Cash Flow Statement which also includes ₹ 15,22,411 lakhs of Fixed Deposits having maturity of more than 3 months and Deposits under margin for Letter of Credit ₹ 5,57,818 lakhs as on the date of audited standalone financial statements. Cash & Cash equivalent amount for Previous Year ended on 31st March 2025 includes ₹ 10,62,874 lakhs of Fixed Deposits having maturity of more than 3 months and Deposits under margin for Letter of Credit ₹ 6,93,643 lakhs. The same have been excluded for calculating Cash and Cash equivalents for Cash Flow.

56. Figures of the previous period/year have been re-grouped/re-arranged wherever necessary as follows:

Sr No.	Particulars	(schedule and head of account)	Regrouped / Restated Amount (₹ In lakh)	Amount as per financials of previous year (₹ In lakh)	Difference (₹ In lakh)	Reason for regrouping / restatement	Re-grouped From	Re-grouped To
1	Short Term Deposit under Bank Balances	Sch 11	20,63,266	20,63,160	106	Exclusion of CCIL balances in Short term deposits	Same re-grouping Sch 11	Same re-grouping Sch 11
2	Due from Subsidiaries /Holding	Sch 12	37,955	0	37,955	Inadvertently not taken in Schedule	Same re-grouping Sch 12	Same re-grouping Sch 12
3	Sundry Deposits	Sch 12	2,41,900	2,42,006	(106)	Exclusion of CCIL balances in Short term deposits	Same re-grouping Sch 12	Same re-grouping Sch 12
4	Interest on Income Tax,GST and others	Sch 4	112	112	0	Change of Heading from Interest on Subordinated Debts & Others	Same re-grouping Sch 4	Same re-grouping Sch 4

57. The International Accounting Standards Board (IASB) has issued IFRS 17 as the new standard for insurance contracts, which is being implemented across multiple jurisdictions such as the UK, Europe, UAE, Malaysia, and South Africa. In India, the corresponding standard, Ind AS 117, is under development for the insurance sector.

Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), vide its letter dated 14th July 2022, had directed all insurers/ reinsurers to initiate preparedness for Ind AS implementation, including the formation of a Steering Committee. In compliance with the same, GIC Re has constituted a Steering Committee along with a dedicated working group to oversee and ensure smooth implementation of Ind AS. Subsequently, IRDAI, through its notification dated 30th March 2026 (Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) (Amendment) Regulations, 2026), mandated the adoption of Ind AS with effect from 1st April 2026 along with parallel reporting under Ind AS and IGAAP for a period of two years.

Considering the status of system readiness and implementation, GIC Re has applied for forbearance under Regulation 6A of the above-mentioned notification dated 30th March 2026,, requesting an extension of the implementation timeline to 1st April 2027. Based on the detailed review by the Steering Committee, along with confirmations from Knowledge Partner and Implementation Partner to the project, the Corporation is confident that the Ind AS implementation project is progressing as per plan and will be successfully completed by 1st April 2027, within the forbearance period sought from the regulator.

58. Except for salary and remuneration paid to relatives of directors who are employees of the corporation as per the terms of employment, no payment has been made to individuals, firms, companies and organisation in which the Directors of the corporation are interested.

59. The Corporation has not invested Policyholder's funds outside India in compliance of section 27E of Insurance Act 1938.

60. The summary of the financial statements of the Corporation for the last five years is as per Annexure II (b).

61. The Accounting Ratios of the Corporation are stated in Annexure III(b).

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

Annexure - I

GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA

AUDITED CONSOLIDATED RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT/CASH FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED 31 MARCH 2026

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Current Year Ended 31 March 2026	Previous Year Ended 31 March 2025
A	**Cash Flows from the operating activities:**		
1	Premium received from policyholders, including advance receipts	0	0
2	Other receipts		
	Miscellaneous Receipts	1 153	1 211
3	Payments to the re-insurers, net of commissions and claims*	338 272	214 248
4	Payments to co-insurers, net of claims recovery	0	0
5	Payments of claims	0	0
6	Payments of commission and brokerage	0	0
7	Payments of other operating expenses	(9 414)	(34 228)
8	Preliminary and pre-operative expenses	0	0
9	Deposits, advances and staff loans	(30 338)	252 452
10	Income taxes paid (Net)	(252 387)	(222 361)
11	Service tax/GST paid	13 456	(2 979)
12	Other payments	(14 099)	(10 724)
13	Cash flows before extraordinary items	46 643	197 619
14	Cash flow from extraordinary operations	0	0
15	**Net cash flow from operating activities**	**46 643**	**1 97 619**
B	**Cash flows from investing activities:**		
1	Purchase of fixed assets	(1 086)	(2 541)
2	Proceeds from sale of fixed assets	(290)	170
3	Purchases of investments	(2366 989)	(2123 987)
4	Loans disbursed	0	0
5	Sales of investments	1268 742	1133 978
6	Repayments received	1 744	1 600
7	Rents/Interests/ Dividends received	882 746	857 263
8	Investments in money market instruments and in liquid mutual funds (Net)(a)	7 628	40 959
9	Expenses related to investments	26	(1)
10	**Net cash flow from investing activities**	**(207 478)**	**(92 559)**
C	**Cash flows from financing activities**		

1	Proceeds from issuance of share capital	0	0
2	Proceeds from borrowing	0	0
3	Repayments of borrowing	0	0
4	Interest/dividends paid	(175 440)	(175 440)
5	**Net cash flow from financing activities**	**(175 440)**	**(175 440)**
D	**Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents, net**	3 35 588	65 051
E	**Net increase in cash and cash equivalents:(A+B+C+D)**	(687)	(5 329)
	Cash and cash equivalents at the beginning of the year	**771 659**	**776 987**
	Cash and cash equivalents at the end of the year	**770 971**	**771 659**

*Earned Premium less incurred claim less net commission adjusted for various outstanding, receivable, payable and Deposits.
Figures in bracket indicates cash outflows.

Reconciliation of Cash & Cash Equivalent with Schedule 11

Cash and cash equivalents at the beginning of the period	**Current Year Ended 31 March 2026**	**Previous Year Ended 31 March 2025**
Cash and Bank Balances as per Schedule 11	2528 070	2485 604
Less: Fixed deposits having maturity of more than 3 months	1062 768	940 839
Less: Deposits under margin for Letter of Credit	693 643	767 779
Cash and cash equivalents at the beginning of the period	**771 659**	**776 987**
Cash and cash equivalents at the end of the period		
Cash and Bank Balances as per Schedule 11	2848 888	2528 070
Less: Fixed deposits having maturity of more than 3 months	1522 411	1062 768
Less: Deposits under margin for Letter of Credit	555 505	693 643
Cash and cash equivalents at the end of the period	**770 971**	**771 659**

As per our report of even date

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

Annexure - II b

SUMMARY OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

(₹ in Lakhs)

	Particulars	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23
	OPERATING RESULTS				
1	**Gross direct premium**	**0**	0	0	0
2	Gross Written Premium	**4436 788**	4195 533	3786 715	3712 875
3	Net Premium Income	**4090 439**	3841 223	3414 566	3375 457
4	Income from investments (net)	**867 380**	873 468	869 781	752 918
	Other Income				
5	Profit on Exchange Fluctuation	**90 642**	14 251	9 783	60 773
6	Contribution from the Shareholders a/c	**0**	0	0	0
	Towards excess EOM	**0**	0	0	0
	Others to be specified	**0**	0	0	0
	Total Income	**5048 460**	**4728 942**	**4294 130**	**4189 148**
7	Commissions (Net)	**806 733**	747 199	630 118	565 067
8	Operating Expenses	**45 163**	39 448	42 299	44 002
9	Premium Deficiency	**5 771**	(3 762)	5,927	(854)
10	Net Incurred Claims	**3331 818**	3216 689	3103 027	3269 160
11	Change in Unexpired Risk Reserve	**116 107**	170 040	44,095	(221 897)
	Transfer to Cat Reserve	**73 925**	59 795	58,750	51,255
12	**Operating Profit/loss***	**668 944**	499 533	409 915	482 415
	NON-OPERATING RESULT				
13	Total Income under Shareholders account (Net)	**475 726**	410 931	382 575	320 704
14	Total expenses under Shareholder's Account	**0**	0	0	0
15	Profit/(loss) before tax	**1144 670**	910 464	792 490	803 119
16	Provision for tax	**244 620**	213 068	141 676	145 402
17	Profit/(loss) after tax	**900 049**	697 396	650 814	657 717
	Share of Profit in Associates Companies	**66 188**	45 788	17 773	33 015
	Profit for the year	**966 238**	743 184	668 586	690 732
	MISCELLANEOUS				
18	Policy holders Account :				
	Total funds	**10117 216**	9352 761	8711 603	8004 040
	Total Investments	**9515 559**	9499 502	9220 101	8040 937
	*Yield on Investments (%)	**10.62**	10.67	11.58	12.19
19	Shareholders Account :				
	Total funds	**5685 920**	4696 117	4083 475	3548 345

	Total Investments	**5321 740**	4828 520	4356 153	3432 867
	Yield on Investments (%)	**10.62**	10.67	11.58	12.19
20	Paid up equity Capital	**87 720**	87 720	87 720	87 720
21	Net worth	**5685 920**	4696 117	4083 475	3548 345
22	Total assets	**20573 279**	19476 941	18445 224	16273 074
23	Yield on total investments (%)	**10.62**	10.67	11.58	12.19
24	Earnings per share (Basic)	**55.08**	42.36	38.11	39.37
25	Book Value per share (₹)	**324.09**	267.68	232.76	202.25
26	Total Dividend declared/paid for the year	**175 440**	175 440	126 317	39 474
27	Dividend per share (₹)	**10.00**	10.00	7.20	2.25
28	Solvency Ratio	**4.21**	3.70	3.25	2.61

**Operating Profit/loss is before transfer to Catastrophe Reserve*

As per our report of even date

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

Annexure - III b

RATIOS FOR NON - LIFE COMPANIES

	Performance Ratio	Ratio / Percentage			
		Current Year Ending		Previous Year Ending	
		31.03.2026		31.03.2025	
		Domestic	Foreign	Domestic	Foreign
		Total		Total	
1	Gross Premium Growth Rate (segment wise)				
	(Gross premium for the current period divided by the gross premium for the previous year)				
	Fire Insurance	**5.11**	**(1.13)**	(1.45)	17.88
	Motor Insurance	**19.91**	**(1.99)**	17.16	(57.54)
	Aviation Insurance	**6.42**	**16.05**	9.94	(18.29)
	Engineering insurance	**12.36**	**7.92**	13.88	(16.26)
	Workmen's Compensation/ Employer's liability	**27.00**	**(31.60)**	(39.79)	9.61
	Liability	**25.92**	**1.37**	24.95	7.20
	Personal Accident	**32.96**	**13.03**	22.04	(2,288.63)
	Health	**(3.58)**	**30.20**	69.12	(81.43)
	Agriculture	**3.45**	**26.43**	(11.47)	(10.96)
	Other Miscellaneous Insurance	**20.18**	**(20.55)**	12.08	266.94
	Financial Liability/Credit	**7.15**	**(38.07)**	66.71	16.33
	Marine Cargo	**(0.81)**	**20.53**	(12.98)	(76.16)
	Marine Hull	**17.45**	**(22.64)**	17.92	6.71
	Life	**25.67**	**79.03**	13.57	32.81
2	Gross Premium to Net worth ratio : (Gross premium for the current period divided by paid up capital and free reserves)	**85.78**		95.47	
3	Growth rate of Net Worth (Net worth as at the current balancesheet date divided by Net worth as at the previous balance sheet date)	**19.01**		14.70	
4	Net retention ratio (segment wise) (Net premium divided by gross premium)				
	Fire Insurance	**80.58**	**87.87**	76.72	92.57
	Motor Insurance	**100.00**	**100.00**	100.00	100.00
	Aviation Insurance	**83.80**	**39.90**	100.00	41.01
	Engineering insurance	**90.84**	**99.97**	88.45	99.14
	Workmen's Compensation/ Employer's liability	**97.67**	**100.00**	100.00	100.00
	Liability	**86.09**	**99.16**	75.90	96.62
	Personal Accident	**99.97**	**100.00**	99.13	100.00
	Health	**100.00**	**100.00**	99.18	100.00
	Agriculture	**98.11**	**100.00**	97.78	100.00
	Other Miscellaneous Insurance	**93.13**	**42.78**	88.31	62.69
	Financial Liability/Credit	**100.00**	**98.65**	100.00	87.74
	Marine Cargo	**82.16**	**81.04**	88.35	63.35

	Performance Ratio	Ratio / Percentage			
		Current Year Ending		Previous Year Ending	
		31.03.2026		31.03.2025	
		Domestic	Foreign	Domestic	Foreign
		Total		Total	
	Marine Hull	**92.18**	**91.34**	96.74	92.03
	Life	**98.82**	**100.00**	97.71	100.00
5	Net commission ratio (segment wise) (Commission paid net of reinsurance commission divided by net written premium for that segment)				
	Fire Insurance	**23.04**	**26.49**	24.50	23.54
	Motor Insurance	**18.33**	**32.37**	14.44	24.25
	Aviation Insurance	**13.38**	**15.58**	0.64	28.57
	Engineering insurance	**18.05**	**25.23**	19.76	30.05
	Workmen's Compensation/ Employer's liability	**14.98**	**17.90**	14.67	(77.34)
	Liability	**19.22**	**18.72**	20.02	17.42
	Personal Accident	**35.41**	**15.01**	(5.93)	3.82
	Health	**21.52**	**25.81**	23.97	17.42
	Agriculture	**4.40**	**19.38**	10.14	18.78
	Other Miscellaneous Insurance	**18.61**	**25.33**	15.90	26.23
	Financial Liability/Credit	**23.11**	**37.38**	15.67	25.95
	Marine Cargo	**14.05**	**29.30**	10.80	98.06
	Marine Hull	**12.51**	**18.68**	10.56	17.60
	Life	**0.34**	**4.76**	0.05	7.05
6	Expenses of management to gross premium ratio (Expenses of management divided by Gross premium)	**0.72**	**1.40**	0.80	0.87
	Fire Insurance	**0.73**	**0.97**	0.80	0.83
	Motor Insurance	**0.73**	**1.54**	0.80	0.85
	Aviation Insurance	**0.73**	**0.99**	0.80	0.92
	Engineering insurance	**0.73**	**9.94**	0.80	1.86
	Workmen's Compensation/ Employer's liability	**0.73**	**1.35**	0.80	0.69
	Liability	**0.73**	**0.91**	0.80	0.86
	Personal Accident	**0.73**	**0.71**	0.80	0.79
	Health	**0.73**	**0.72**	0.80	0.75
	Agriculture	**0.73**	**0.79**	0.80	0.84
	Other Miscellaneous Insurance	**0.73**	**1.18**	0.80	0.85
	Financial Liability/Credit	**0.73**	**0.84**	0.80	0.96
	Marine Cargo	**0.55**	**1.17**	0.60	0.71
	Marine Hull	**0.55**	**1.25**	0.60	0.64
	Life	**0.73**	**0.73**	0.80	0.80

	Performance Ratio	Ratio / Percentage			
		Current Year Ending		Previous Year Ending	
		31.03.2026		31.03.2025	
		Domestic	Foreign	Domestic	Foreign
		Total		Total	
7	Expenses of management to Net written premium ratio (Expenses of management divided by Net written premium)	**0.77**	**1.63**	0.86	0.97
	Fire Insurance	**0.90**	**1.11**	1.05	0.90
	Motor Insurance	**0.73**	**1.54**	0.80	0.85
	Aviation Insurance	**0.87**	**2.47**	0.80	2.23
	Engineering insurance	**0.80**	**9.95**	0.91	1.88
	Workmen's Compensation/ Employer's liability	**0.75**	**1.35**	0.80	0.69
	Liability	**0.85**	**0.92**	1.06	0.89
	Personal Accident	**0.73**	**0.71**	0.81	0.79
	Health	**0.73**	**0.72**	0.81	0.75
	Agriculture	**0.74**	**0.79**	0.82	0.84
	Other Miscellaneous Insurance	**0.78**	**2.75**	0.91	1.35
	Financial Liability/Credit	**0.73**	**0.85**	0.80	1.10
	Marine Cargo	**0.66**	**1.45**	0.68	1.12
	Marine Hull	**0.59**	**1.37**	0.62	0.69
	Life	**0.74**	**0.73**	0.82	0.80
8	Net Incurred Claims to Net Earned Premium	**83.05**	**92.79**	85.33	96.50
	Fire Insurance	**75.92**	**72.00**	85.28	84.86
	Motor Insurance	**81.02**	**172.12**	81.20	119.44
	Aviation Insurance	**121.12**	**201.26**	55.53	96.13
	Engineering insurance	**64.78**	**62.80**	67.35	73.77
	Workmen's Compensation/ Employer's liability	**5.34**	**850.91**	83.20	2389.08
	Liability	**62.30**	**133.83**	93.62	101.61
	Personal Accident	**61.24**	**65.08**	52.05	65.96
	Health	**85.46**	**53.41**	81.64	51.22
	Agriculture	**90.66**	**63.93**	90.42	50.04
	Other Miscellaneous Insurance	**63.02**	**81.41**	52.96	106.50
	Financial Liability/Credit	**32.59**	**1.26**	0.53	-35.86
	Marine Cargo	**57.26**	**157.06**	77.34	224.14
	Marine Hull	**26.15**	**83.81**	46.30	115.49
	Life	**133.50**	**155.32**	148.15	87.57
9	Claims paid to claims provisions (Net Claims Paid divided by Claims Outstanding at the end of the period)	**33.89**	**26.04**	33.71	30.28
	Fire Insurance	**20.38**	**17.85**	18.63	24.34
	Motor Insurance	**28.38**	**44.49**	27.07	38.02
	Aviation Insurance	**34.66**	**26.65**	9.16	26.94
	Engineering insurance	**11.37**	**19.62**	7.55	15.81

	Performance Ratio	Ratio / Percentage			
		Current Year Ending		Previous Year Ending	
		31.03.2026		31.03.2025	
		Domestic	Foreign	Domestic	Foreign
		Total		Total	
	Workmen's Compensation/ Employer's liability	**32.30**	**17.24**	18.95	37.29
	Liability	**11.68**	**20.29**	12.05	27.94
	Personal Accident	**41.16**	**16.12**	32.76	19.81
	Health	**105.20**	**19.75**	125.53	53.93
	Agriculture	**22.21**	**32.65**	24.62	31.12
	Other Miscellaneous Insurance	**46.46**	**20.60**	28.68	34.45
	Financial Liability/Credit	**13.10**	**8.71**	43.88	16.57
	Marine Cargo	**35.00**	**27.88**	38.21	81.29
	Marine Hull	**21.55**	**46.52**	16.53	29.67
	Life	**55.16**	**95.74**	77.29	102.11
10	Combined ratio : (Net Incurred Claims divided by Net Earned Premium plus expenses of management (including net commission) divided by Net written premium)	**101.65**	**120.05**	104.20	121.40
	Fire Insurance	**99.86**	**99.60**	110.83	109.30
	Motor Insurance	**100.08**	**206.04**	96.44	144.54
	Aviation Insurance	**135.37**	**219.31**	56.97	126.93
	Engineering insurance	**83.63**	**97.98**	88.02	105.70
	Workmen's Compensation/ Employer's liability	**21.07**	**870.15**	98.67	2312.42
	Liability	**82.37**	**153.46**	114.70	119.92
	Personal Accident	**97.38**	**80.80**	46.93	70.56
	Health	**107.71**	**79.95**	106.43	69.40
	Agriculture	**95.80**	**84.10**	101.38	69.66
	Other Miscellaneous Insurance	**82.41**	**109.49**	69.77	134.08
	Financial Liability/Credit	**56.43**	**39.50**	17.00	-8.81
	Marine Cargo	**71.98**	**187.81**	88.82	323.32
	Marine Hull	**39.26**	**103.85**	57.48	133.78
	Life	**134.58**	**160.81**	149.01	95.43
11	Investment income ratio (Investment income divided by Net Premium)	**32.36**		33.58	
12	Technical reserves to net premium ratio: (Reserve for unexpired risks plus premium deficiency reserve plus reserve for outstanding claims (including IBNR and IBNER divided by net premium)(All on net basis)	**260.86**		259.21	
	Fire Insurance	**331.30**	**323.25**	343.95	292.91
	Motor Insurance	**266.69**	**541.75**	294.51	643.61
	Aviation Insurance	**392.22**	**561.00**	346.43	566.48
	Engineering insurance	**293.27**	**411.94**	292.92	441.33
	Workmen's Compensation/ Employer's liability	**196.43**	**4552.70**	284.31	2944.13

	Performance Ratio	Ratio / Percentage			
		Current Year Ending		Previous Year Ending	
		31.03.2026		31.03.2025	
		Domestic	Foreign	Domestic	Foreign
		Total		Total	
	Liability	**248.39**	**507.23**	290.82	421.82
	Personal Accident	**156.29**	**393.57**	179.52	431.63
	Health	**115.82**	**272.43**	97.04	306.79
	Agriculture	**296.69**	**214.19**	279.86	252.53
	Other Miscellaneous Insurance	**160.42**	**354.14**	182.51	271.08
	Financial Liability/Credit	**257.13**	**536.96**	267.26	370.42
	Marine Cargo	**217.56**	**792.69**	203.63	1423.66
	Marine Hull	**253.75**	**683.61**	282.98	672.78
	Life	**169.32**	**125.90**	150.46	113.55
13	Underwriting balance ratio: (underwriting profit / Net premium)	**(4.35)**		(8.88)	
14	Operating profit ratio: (Underwriting profit/ loss plus investment income divided by net premium)	**16.88**		12.59	
15	Liquid assets to liabilities ratio: (Liquid assets (Short Term Investments (Schedule 8) plus Short Term Loans (Schedule 9) plus Cash & Bank Balances (Schedule 11)) of the insurer divided by policyholders liabilities (to be discharged within 12 months) (claims outstanding (Schedule 13) plus reserve for unexpired risk and Premium Deficiency (Schedule 14))	**36.06**		35.93	
16	Net earnings ratio: (Profit after tax divided by net premium)	**20.69**		17.71	
17	Return on net worth (Annualised) (Profit after tax divided by net worth)	**21.81**		15.55	
18	Solvency Margin Ratio (RSM) ratio (Ratio of Available Solvency Margin (ASM) at the end of the Quarter to the Required Solvency Margin (RSM) required to be maintained as per regulations.	**4.21**		3.70	
19	NPA ratio (Net)				
	Policyholders' Funds				
	Gross NPA Ratio	**0.97**		1.13	
	Net NPA Ratio	**0.00**		0.00	
	Shareholders' Funds				
	Gross NPA Ratio	**0.97**		1.13	
	Net NPA Ratio	**0.00**		0.00	
20	Debt Equity Ratio	**NIL**		NIL	
21	Debt Service Coverage Ratio	**NIL**		NIL	
22	Interest Service Coverage Ratio	**NIL**		NIL	

	Performance Ratio	Ratio / Percentage			
		Current Year Ending		Previous Year Ending	
		31.03.2026		31.03.2025	
		Domestic	Foreign	Domestic	Foreign
		Total		Total	
23	Equity Holding Pattern for other than life Insurers and information on earnings:				
	No. of shares	**1754400 000**		1754400 000	
	Percentage of shareholding	**17.60%**		17.60%	
	Indian	**97.91%**		98.04%	
	Foreign	**2.09%**		1.96%	
	Percentage of Government holding (in case of public sector insurance companies)	**82.40%**		82.40%	
	Basic EPS before extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	**47.84**		25.76	
	Diluted EPS before extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	**47.84**		25.76	
	Basic EPS after extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	**47.84**		25.76	
	Diluted EPS after extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	**47.84**		25.76	
	Book value per share (Rs.)	**292.41**		245.71	

As per our report of even date

For S H B A & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Regn No.101046W/W100063

Jatin A. Thakkar
Partner
Membership No.:134767

For S A R A & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn No.120927W

Manoj Agarwal
Partner
Membership No.:119509

Hitesh Joshi
ED (Additional Charge-CMD)
DIN 09322218

Tapan Kumar Mondal
Director
(DIN 11228147)

Jayashri Balkrishna
Director
(DIN 11210291)

Satheesh Kumar
Company Secretary
Membership No. A64846

V. Balkrishna
CFO

Place: Mumbai
Date: 26.05.2026

आपत्काले रक्षिष्यामि
GIC Re SA Ltd.

GIC RE SOUTH AFRICA LIMITED

REVIEWED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 MARCH 2026

Registered number : 1956/003037/06

Report on Review of Interim Financial Information

The General Manager - Finance
General Insurance Corporation of India Limited
Suraksha, 170, Jamshedji Tata Road, Churchgate, Mumbai, 400 020, India

and

The Chief Financial Officer
GIC Re South Africa Limited
1st Floor - Block C, Riviera Road Office Park, 6, 9 Riviera Road, Riviera, Johannesburg, 2193
SNG Grant Thornton 152 14th Road, Noordwyk, Midrand 1687
T +27 86 117 6782

Introduction

We have reviewed the accompanying balance sheet of GIC Re South Africa Limited as of 31 March 2026 and the related income statement for the twelve-month period then ended (interim financial information). Management is responsible for the preparation and presentation of this interim financial information in accordance with IFRS 4 Insurance Contracts and IFRS 9 Financial Instruments. Our responsibility is to express a conclusion on this interim financial information based on our review.

Scope of review

We conducted our review in accordance with International Standard on Review Engagements 2410, Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim financial information is not prepared, in all material respects, in accordance with IFRS 4 Insurance Contracts and IFRS 9 Financial Instruments.

Restriction on use and distribution

The accompanying balance sheet of GIC Re South Africa Limited as of 31 March 2026 and the related income statement for the twelve-month period then ended have been prepared for purposes of providing information to General Insurance Corporation of India Limited to enable it to prepare group financial statements. As a result, the accompanying balance sheet of GIC Re South Africa Limited as of 31 March 2026 and the related income statement for the twelve-month period then ended are not a complete set of financial statements of GIC Re South Africa Limited in accordance with General Insurance Corporation of India Limited's applicable financial reporting framework underlying General Insurance Corporation of India Limited 's accounting policies. The accompanying balance sheet of GIC Re South Africa Limited as of 31 March 2026 and the related income statement for the twelve-month period then ended, therefore, not be suitable for another purpose.

This review conclusion is intended solely for the use of General Insurance Corporation of India Limited in connection with the preparation of condensed financial statements of General Insurance Corporation of India Limited and should not be used for any other purpose.

Pravesh Hiralall
SizweNtsalubaGobodo Grant Thornton Inc.
Director Registered auditor
14 May 2026
152 14th Road, Noordwyk Midrand, 1687

GIC RE SOUTH AFRICA LIMITED

BALANCE SHEET

AS AT 31 March 2026

Figures in Rands	Reviewed 31 March 2026	Audited 31 March 2025	Audited 31 March 2024
ASSETS			
FIXED ASSETS	**36,88,804**	**32,79,245**	**23,31,644**
MOTOR VEHICLES	42,92,600	42,92,600	30,58,260
LESS ACCUM DEPRECIATION ON MOTOR VEHICLES	(28,90,276)	(25,03,427)	(29,46,702)
COMPUTER EQUIPMENT	22,50,919	21,75,920	18,72,859
LESS ACCUM DEPRECIATION ON COMPUTER EQUIPMENT	(20,50,840)	(18,42,773)	(16,71,731)
EDP EQUIPMENT	5,60,341	57,000	
LESS ACCUM DEPRECIATION ON EDP EQUIPMENT	(1,31,050)	(3,167)	
OFFICE EQUIPMENT	7,99,200	7,99,200	7,99,200
LESS ACCUM DEPRECIATION ON OFFICE EQUIPMENT	(7,42,745)	(7,15,452)	(6,80,680)
FURNITURE & FITTINGS	9,76,820	9,60,460	8,82,097
LESS ACCUM DEPRECIATION ON FURNITURE & FITTINGS	(9,09,861)	(8,94,264)	(8,87,954)
RIGHT TO USE ASSET	28,59,444	28,59,444	28,59,444
LESS ACCUM RIGHT OF USE ASSET	(28,59,444)	(19,06,296)	(9,53,148)
COMPUTER SOFTWARE	15,33,695	-	
DEFERRED ACQUISITION COSTS	**2,62,59,808**	**2,30,15,606**	**1,88,79,136**
Gross	8,01,72,426	7,20,13,566	6,21,81,086
Retro	(5,39,12,617)	(4,89,97,961)	(4,33,01,950)
TOTAL INVESTMENTS	**3,12,72,04,269**	**2,82,23,70,305**	**2,75,63,27,106**
EQUITIES & BONDS	**1,03,76,71,274**	**72,67,80,019**	**77,50,18,387**
LISTED EQUITIES - AYLETT & CO	64,25,70,298	35,83,92,010	32,38,50,600
FIXED INTEREST BONDS - AYLETT & CO	39,51,00,976	36,83,88,009	45,11,67,787
CASH & DEPOSITS	**68,17,01,371**	**80,55,77,755**	**57,06,85,506**
INVESTMENT CALL ACCOUNTS - AYLETT & CO	5,63,88,100	5,03,11,592	3,83,10,424
NCD's & PROMISSORY NOTES - AYLETT & CO	4,25,05,309	54,27,18,106	33,98,20,402
MONEY MARKET FUND - AYLETT & CO	15,75,52,799	19,70,13,777	16,33,43,358
FIXED DEPOSITS - AYLETT & CO		1,55,34,280	2,53,02,967
TREASURY BILLS	42,52,55,164		39,08,355

Figures in Rands	Reviewed 31 March 2026	Audited 31 March 2025	Audited 31 March 2024
FD INVESTMENTS	**1,40,78,31,624**	**1,29,00,12,530**	**1,41,06,23,213**
FD INVESTMENTS (EURO)	-	1,49,07,203	-
FD INVESTMENTS (USD)	29,38,42,332	27,55,17,875	37,95,50,890
FD INVESTMENTS (ZAR)	1,11,39,76,264	99,95,75,356	1,03,10,56,683
ISLAMIC FD INVESTMENTS (ZAR)	13,027	12,097	15,640
DEFERRED TAXATION	**(99,97,771)**	**(99,97,771)**	**2,38,62,092**
CURRENT ASSETS	**1,25,39,14,689**	**1,15,04,87,157**	**92,73,80,195**
Cedants Run-off Treaty	13,460	13,460	13,460
Cedants New business	1,15,56,23,035	1,11,92,88,579	89,03,33,922
Treaty - Debtors	9,82,78,194	3,11,85,118	3,70,32,814
ACCOUNTS RECEIVABLE	**6,54,09,464**	**10,60,04,271**	**9,95,92,638**
SUNDRY DEBTORS	41,83,876	38,38,530	36,62,247
SALARY DEBTORS	-	(0)	(12,21,718)
PAYE, UIF & SDL	-	0	16,81,109
WTI- SARS			
EXPENSES PAID IN ADVANCE	-	-	
Suspense			
SARS	6,12,25,588	10,21,65,741	9,54,71,000
CASH AT BANK & ON HAND	**8,47,03,242**	**4,45,94,835**	**9,64,25,367**
BANK CALL DEPOSIT	3,00,00,000	-	-
NEDBANK - NON-LIFE ACCOUNT	1,82,52,573	1,37,54,974	3,89,93,822
NEDBANK - EXPENSES ACCOUNT	25,46,292	17,12,486	30,59,559
NEDBANK - USD	70,23,309	1,67,71,698	4,69,13,280
NEDBANK - EURO	1,55,41,586	58,82,025	43,22,875
SBI - ZAR	46	46	46
FOREX ON HAND	-	-	-
SBI - USD	15,80,332	48,69,323	19,08,173
RMB - USD	-	-	-
STANDARD BANK - USD	1,87,297	2,24,678	1,79,042
FNB ISLAMIC BANKING - USD	95,69,034	13,73,328	10,41,168
FNB ISLAMIC BANKING - ZAR	2,738	6,244	7,369

Figures in Rands	Reviewed 31 March 2026	Audited 31 March 2025	Audited 31 March 2024
CANARA BANK - ZAR	-	-	-
PETTY CASH ON HAND	34	34	34
TOTAL ASSETS	**4,55,11,82,506**	**4,13,97,53,648**	**3,92,47,98,178**
LIABILITIES			
UNEARNED PREMIUM RESERVE	**15,17,72,522**	**15,08,29,575**	**10,28,13,862**
Gross	46,04,54,379	48,90,47,355	34,09,18,566
Retro	(30,86,81,858)	(33,82,17,780)	(23,81,04,704)
PROVISION FOR OUTSTANDING CLAIMS	**3,33,85,526**	**2,09,24,361**	**48,29,471**
Gross	1,28,97,63,458	1,42,87,95,182	1,65,71,45,510
Retro	(1,25,63,77,932)	(1,40,78,70,821)	(1,65,23,16,039)
PROVISION FOR IBNR	**16,26,23,476**	**12,48,66,922**	**7,74,90,750**
Gross	43,85,71,227	39,55,66,536	25,07,69,498
Retro	(27,59,47,751)	(27,06,99,613)	(17,32,78,748)
PROVISION FOR PROFIT COMMISSION	**2,46,49,953**	**2,03,78,449**	**2,07,35,791**
Gross	8,01,63,058	6,79,47,528	6,92,14,873
Retro	(5,55,13,105)	(4,75,69,079)	(4,84,79,082)
PROVISION FOR REINSTATEMENT PREMIUM	**3,46,17,750**	**4,65,16,245**	**7,75,17,987**
PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS	**4,71,31,543**	**2,89,59,162**	**8,29,65,207**
CURRENT LIABILITIES	**79,562**	**79,562**	**79,562**
TREATY CREDIT CEDANT BALANCES	79,562	79,562	79,562
RETRO CASH RESERVE DEPOSIT ACCOUNTS	**69,24,88,641**	**73,52,58,587**	**79,88,30,014**
RI LOSS RESERVES	70,39,73,290	60,80,05,881	70,42,18,031
RI INDIA IBNR RESERVES	(17,20,046)	1,90,24,388	1,41,14,626
RI PREMIUM RESERVES	(97,64,603)	10,82,28,318	8,04,97,356
RETRO BALANCES	**58,23,83,075**	**48,48,10,064**	**51,44,52,971**

Figures in Rands	Reviewed 31 March 2026	Audited 31 March 2025	Audited 31 March 2024
RETRO BALANCES	58,23,83,075	48,48,10,064	51,44,52,971
DEFERRED TAXATION			
PROVISIONS FOR LEAVE PAY	32,35,843	22,22,451	40,58,315
LEASE LIABILITY	0	11,04,506	20,50,763
PROVISION FOR TAXATION	7,03,54,382	9,49,29,654	9,93,09,369
ACCOUNTS PAYABLE	**10,00,45,112**	**4,48,29,349**	**11,55,61,758**
EXPENSE ACCRUALS	26,78,206	39,89,707	20,67,776
SUSPENSE	(30,10,022)	27,91,377	2,16,50,578
SALARY DEBTORS			
VAT	11,76,857	68,63,147	5,15,77,422
SUNDRY CREDITORS	9,82,78,194	3,11,85,118	3,70,00,021
WTI- SARS	9,21,876	-	32,65,961
TOTAL LIABILITIES	**1,90,27,67,385**	**1,75,57,08,888**	**1,90,06,95,820**
NET ASSETS	**2,64,84,15,121**	**2,38,40,44,760**	**2,02,41,02,358**
EQUITY			
SHARE CAPITAL			
SOUTH AFRICA	1,42,75,77,155	1,14,20,61,725	1,14,20,61,725
REVENUE RESERVE	**1,22,08,37,966**	**1,24,19,83,035**	**88,20,40,633**
PROFIT & LOSS	22,87,06,692	31,17,86,074	27,87,78,210
OPENING RETAINED INCOME	86,50,40,289	83,87,69,645	55,99,91,435
INVESTMENT REVALUATION RESERVE	12,70,90,984	9,14,27,316	4,32,70,988
TOTAL EQUITY	**2,64,84,15,121**	**2,38,40,44,760**	**2,02,41,02,358**

(SHYJULAL PALAT)
CFO

(VARUN BHARDWAJ)
COO/JOINT CEO

(RAHUL GOEL)
CTO/ JOINT CEO

GIC RE SOUTH AFRICA LTD

INCOME STATEMENT

Figures in Rands	Reviewed 31 Mar 2026 (12 Months Period)	Audited 31 Mar 2025 (12 Months Period)	Audited 31 March 2024 (12 Months Period)
Gross Written Premiums	1,96,30,25,045	2,14,68,54,688	2,02,71,18,521
Retro Written Premiums	(1,31,13,56,382)	(1,52,42,19,504)	(1,45,82,68,670)
Net Written Premiums	**65,16,68,663**	**62,26,35,184**	**56,88,49,851**
Gross UPR movement	2,85,92,975	(14,81,28,788)	(3,46,72,023)
Retro UPR movement	(2,95,35,922)	10,01,13,075	2,43,05,613
Net UPR movement	**(9,42,947)**	**(4,80,15,713)**	**(1,03,66,410)**
Gross Earned Premiums	1,99,16,18,020	1,99,87,25,899	1,99,24,46,498
Retro Earned Premiums	(1,34,08,92,304)	(1,42,41,06,428)	(1,43,39,63,057)
Net Earned Premiums	**65,07,25,716**	**57,46,19,471**	**55,84,83,441**
Net claims incurred	**(26,57,78,177)**	**(20,70,76,285)**	**(20,70,69,149)**
Net claims paid	**(21,55,60,458)**	**(15,13,12,768)**	**(26,34,37,576)**
Gross	(86,53,53,382)	(1,13,06,75,074)	(88,33,24,086)
Retroceded	64,97,92,924	97,93,62,306	61,98,86,510
Net change in provision for outstanding claims	**(5,02,17,719)**	**(5,57,63,517)**	**5,63,68,427**
Gross	9,60,27,033	9,12,60,836	10,01,65,738
Retroceded	(14,62,44,752)	(14,70,24,353)	(4,37,97,311)
Net commission incurred	**(19,53,20,296)**	**(12,05,26,722)**	**(13,26,38,857)**
Net commissions paid	**(19,85,64,499)**	**(12,46,63,192)**	**(13,40,94,652)**
Gross	(58,59,81,842)	(44,27,02,164)	(51,32,75,484)
Retroceded	38,74,17,344	31,80,38,973	37,91,80,831
Net change in deferred acquisition costs	**32,44,203**	**41,36,469**	**14,55,796**
Gross	81,58,859	98,32,480	50,52,873
Retroceded	(49,14,657)	(56,96,011)	(35,97,077)

INCOME STATEMENT

Figures in Rands	Reviewed 31 Mar 2026 (12 Months Period)	Audited 31 Mar 2025 (12 Months Period)	Audited 31 March 2024 (12 Months Period)
Net technical Result	**18,96,27,243**	**24,70,16,464**	**21,87,75,436**
Net operating expenses	**(7,17,50,097)**	**(6,49,06,565)**	**(6,33,37,182)**
Net Profit/(loss) before investment income	**11,78,77,146**	**18,21,09,899**	**15,54,38,254**
Net investment income	**29,91,58,014**	**31,40,50,921**	**22,22,47,437**
Dividends received	**3,91,14,965**	**1,31,41,402**	**1,50,13,174**
Net Interest received/(paid)	**19,54,40,439**	**21,55,98,910**	**20,76,44,157**
Realised gain/(loss) on disposal of investments	**2,89,38,942**	**3,71,54,281**	**98,65,209**
Equities	2,17,83,219	3,59,58,236	1,04,41,396
Securities	71,55,723	11,96,045	(5,76,187)
Unrealised surplus on revaluation of investments	**3,56,63,669**	**4,81,56,328**	**(1,02,75,102)**
Equities	2,40,02,584	2,20,93,487	8,31,822
Securities	1,19,19,625	2,57,52,809	(1,50,35,617)
Cash	(2,58,541)	3,10,032	39,28,693
Finance Charge & Interest paid on Reserve Deposits	**(3,02,39,107)**	**(4,31,72,184)**	**(4,40,56,945)**
Net Decrease/(increase) in provisions for doubtful debts	**(1,81,72,381)**	**5,40,06,044**	**76,44,137**
Forex Gain/(Loss) and other incomes	**(3,32,73,254)**	**(2,90,82,449)**	**2,65,39,593**
Profit/(loss) Before Taxation	**33,53,50,419**	**47,79,12,230**	**36,78,12,477**
Taxation	**(7,09,80,058)**	**(11,79,69,829)**	**(9,93,09,369)**
Net Profit/(loss) for the period	**26,43,70,361**	**35,99,42,402**	**26,85,03,108**

(SHYJULAL PALAT)
CFO

(VARUN BHARDWAJ)
COO/JOINT CEO

(RAHUL GOEL)
CTO/ JOINT CEO

GIC RE, INDIA, CORPORATE MEMBER LIMITED

Annual Report and Accounts
31 December 2025

Registered number: 07792458

GIC RE, INDIA, CORPORATE MEMBER LIMITED

Table of Contents

Contents	Page
Directors and Administration	353
Strategic Report	354
Directors' Report	358
Statement of Directors' Responsibilities	359
Independent Auditor's Report to the Member of GIC Re, India, Corporate Member Limited	360
Annual Accounts:	
Profit and Loss Account – Technical Account	363
Profit and Loss Account and Comprehensive Income – Non-technical Account	364
Balance Sheet – Assets	365
Balance Sheet – Liabilities	366
Statement of Changes in Equity	367
Statement of Cash Flows	368
Notes to the Annual Accounts	369

GIC RE, INDIA, CORPORATE MEMBER LIMITED

Directors and Administration

Directors

Ramaswamy Narayanan (resigned on 29 September 2025)
Dyanaraj B Gawade (resigned on 24 April 2026)
Hitesh Joshi (appointed on 21 April 2026)
Kanad Vilas Manjrekar (appointed on 21 April 2026)

Secretary

Callidus Secretaries Limited
Becket House
36 Old Jewry
London
EC2R 8DD

Registered Office

40 Lime Street
3rd Floor
London
EC3M 7AW

Registered Number

07792458

Auditors

The Corporate Practice Limited
Chartered Accountants & Statutory Auditor
65 Delamere Road
Hayes
Middlesex
UB4 0NN

Tax Advisors

Forvis Mazars LLP
30 Old Bailey
London
EC4M 7AU

Banker

Bank of India
London Branch
63, Queen Victoria Street,
London, EC4N 4UA

The Directors submit their Strategic Report for GIC Re, India, Corporate Member Limited (the Company) for the year ended 31st December 2025.

Principal Activities

The Company is incorporated in the United Kingdom ('U.K.') and is a corporate member of the Society of Lloyd's (Lloyd's). The Company underwrites with various Lloyd's Syndicates based on Limited Liability Quota Share Reinsurance Agreement (LLQSRA) with its parent company General Insurance corporation of India.

During the year, the Company has underwritten (on a limited liability basis) on Lloyd's Syndicate 1955, Syndicate 1966, Syndicate 4747, Syndicate 1925, Syndicate 1947, Syndicate 2454, and Syndicate and Syndicate 1609 ('the Syndicates'). The table below summarises the Company's insurance capacity on the Syndicates by underwriting year.

Syndicate	Syndicate 1955 £000			Syndicate 5183 £000		Syndicate 1966 £000	Syndicate 4747 £000	Syndicate 1925 £000
Year of Account	**2023**	**2024**	**2025**	**2023**	**2024**	**2025**	**2025**	**2025**
Company insurance capacity	9,125	10,800	10,800	5,500	1,900	2,906	1,900	5,000
Total Syndicate insurance capacity	600,000	720,000	880,000	27,500	9,500	58,125	190,000	50,000
Percent of total	1.5%	1.5%	1.2%	20.0%	20.0%	5.0%	1.0%	10.0%

Syndicate	Syndicate 1947 £000			Syndicate 2454 £000		Syndicate 1609 £000		
Year of Account	**2023**	**2024**	**2025**	**2024**	**2025**	**2023**	**2024**	**2025**
Company insurance capacity	125,000	125,000	127,500	14,500	26,500	4,000	4,000	4,000
Total Syndicate insurance capacity	125,000	125,000	127,500	58,000	106,000	205,659	255,264	259,559
Percent of total	100.0%	100.0%	100.0%	25%	25%	1.9%	1.6%	1.5%

Syndicate 1955 was established in 2007. The principal activity of the Syndicate is the transaction of general insurance and reinsurance business in the Marine, Property, Financial Lines and Accident & Health and Casualty classes.

Syndicate 1966 was established in the 2021 year of account and underwrites reinsurance business with a focus on property reinsurance and related specialty lines.

Syndicate 4747 was established in the 2020 year of account and underwrites property, casualty, financial lines and specialty insurance business, primarily written through delegated authority arrangements.

Syndicate 1925 was established in the 2024 year of account and underwrites cyber insurance and reinsurance business.

Syndicate 5183 was established in the 2022 year of account by Micro Insurance Company, under the Lloyd's 'Syndicate In A Box' initiative. MIC's business model is focussed on embedded insurance – short tail, low limit, little or no cat products with very low loss adjustment expenses.

Syndicate 1947 was established in the 2018 year of account and underwrites on the property, agriculture and engineering lines of business. The Syndicate is backed solely by General Insurance Corporation of India and includes risks ceded from that company.

Syndicate 2454 was established in the 2024 year of account and underwrites specialty insurance and reinsurance business at Lloyd's of London, with a primary focus on risks of African origin.

Syndicate 1609 was established in 2021 and writes cyber, financial lines, political risk, political violence, professional lines, and transactional liability business.

General Insurance Corporation of India ('the Parent Reinsurer') proportionately reinsures 100% of all the Company's underwriting business from the Syndicates.

Business Review

Key Financial Performance Indicators

In the opinion of the Directors, the key financial performance indicators below best represent the performance and position of the Company before reinsurance of all its underwriting business from the Company to the Parent reinsurer

	2025 Syndicate Results £000	2025 Quota Share £000
Gross written premiums	174,281	(174,281)
Outward reinsurance premiums	(36,816)	36,816
Profit for the financial year	30,331	(30,331)
Profit on capacity	17.0%	

Non-financial Key Performance Indicators

Due to the nature of the Company's operations as a Lloyd's corporate member, the Syndicates carry out the majority of the Company's activities. The Company is not directly involved in the management of each Syndicate's activities, including the employment of staff. The Syndicate Managing Agents are responsible for the management of their Syndicates. The Managing Agents also have responsibility for the environmental activities of the Syndicates, though by their nature, insurers generally do not produce significant environmental emissions. Therefore, the Directors do not consider it appropriate to monitor and report any performance indicators for staff or environmental matters.

Member Outward Reinsurance Arrangement

The Company proportionally reinsures all its underwriting business from each Syndicate to the Parent Reinsurer. Outward reinsurance premiums equal the Company's share of Syndicate gross premiums, less Syndicate outward reinsurance premiums; reinsured liabilities equal the Company's share of Syndicate losses and expenses, less investment income. The reinsurance contract limits the Company's net reinsurance recoveries to the reinsurer's related funds at Lloyd's. The Parent Reinsurer reimburses the Company for member administrative expenses (including audit and accounting fees and other expenses) up to a limit of £500,000.

Risk Review

Insurance risks

As a corporate member of Lloyd's, most of the significant insurance risks and uncertainties facing the Company arise from its participation on the Syndicates. The Company's role in managing these risks is limited to monitoring Syndicate performance. This starts in advance of committing support to each Syndicate for the following underwriting year, with a review of each Syndicate business plan as prepared by the Syndicate's Managing Agent. During the year, the Directors monitor and, if necessary, enquire into Syndicate quarterly reports and annual accounts together with any other information made available by the Managing Agents. If the Directors deem a particular risk in a Syndicate to be excessive, they will seek confirmation from the relevant Managing Agent that adequate management of the risk is in place and, if considered appropriate, may withdraw the Company's support from the next underwriting year if they are not satisfied with the Managing Agent's response.

The Annual Reports of the Directors of the Managing Agents on the audited annual accounts for each Syndicate detail the significant risks and uncertainties facing the Syndicates. The Managing Agents manage these risks together with the Syndicate service providers.

Since the Company proportionately reinsures all its underwriting business to the Parent Reinsurer, the risks it faces from its participation on the Syndicates are significantly reduced. The Company, however, faces the risk that the Parent Reinsurer will not meet its reinsurance obligations, though the Directors consider this risk remote, since the Parent Reinsurer provided a £24.2 million letter of credit to Lloyd's (Funds at Lloyd's) to collateralise its reinsurance obligations to the Company. In addition, the Parent Reinsurer has deposited £183.5 million Funds at Lloyd's (2024: £203.9 million).

Operational Risk

Since the Company only undertakes a few transactions of its own, it has limited systems and staffing requirements. Therefore, the Directors do not consider the Company's operational risks to be significant. Close involvement of the Directors in the Company's key decision making and the fact that the Syndicates conduct a majority of the Company's operations provides control over any remaining operational risk

Foreign Exchange

The Company is exposed to foreign exchange risk through the Syndicates' liabilities under policies of insurance denominated in currencies other than Sterling. The most significant currencies to which the syndicate is exposed are US Dollar, Canadian Dollar and the Euro. Where possible, the Syndicates seek to mitigate the risk by matching the estimated foreign currency denominated liabilities with assets denominated in the same currency. There is a natural matching to currency risk as claims are normally paid in the currency of the original policy. The Company did not undertake any transactions of its own during the year except for administrative expenses and a payment to a broker made directly by the Corporate Member.

Market, Credit, and Liquidity Risk

Other significant risks faced by the Company include its investment of available funds within its own custody. The elements of these risks are interest rate, investment price, and liquidity risk. Liquidity risk would arise if the Syndicates have inadequate liquid resources for a large claim and sought funds from the Company to pay the claim. In order to minimise interest rate, investment price, and liquidity risk, the Company is supported by the letter of credit and the funds provided by the Parent Reinsurer at Fund's at Lloyd's.

Since the Company did not undertake many transactions of its own, the Directors do not consider currency or credit risk to be significant.

Regulatory and Compliance Risk

The Company is subject to continuing approval by Lloyd's to be a corporate member of the Syndicates. The Company reduces the risk of this approval being revoked by monitoring and fully complying with all its Lloyd's membership requirements.

The capital requirements to support the proposed amount of Syndicate insurance capacity for future years are set by Lloyd's. Lloyd's takes a variety of factors into account when setting these requirements including market conditions and Syndicate performance. Though Lloyd's intends for the process to be fair and reasonable, the requirements can fluctuate from one year to the next, which may constrain the amount of Syndicate insurance capacity that the Company can support going forward.

Section 172(1) Companies Act 2006 Reporting

The Directors have acted in a way that they considered, in good faith, would be most likely to promote the success of Company for the benefits of its members as a whole, and in doing so had regard (amongst other matters) to the matters listed in section 172(1) (a) to (f) when performing their duties and comment as follows:

(a) the Directors are satisfied that its investment in Lloyd's Syndicates it participates on are in the long term interest of the Company and its Shareholder;

(b) the Company has no employees;

(c) the Directors have adequately fostered the business relationship with the Syndicates, and Lloyd's;

(d) the Directors are satisfied the Syndicates gave properly responded to the needs of the community and concerns regarding the environment;

(e) the Company's business is to invest in Lloyd's Syndicates and the Directors are satisfied that the Company and the Syndicates have maintained a reputation for high standards of business conduct, including its dealing with its customers, employees and the regulators, and

(f) the Company has adequately and fairly kept its one shareholder fully informed and provided quarterly financial statements and progress of the Company's business.

Future Developments

The Company will be participating on the following Syndicates for the 2025 Year of Account:

- Syndicate 1947 - managed by Asta Managing Agency Ltd
- Syndicate 1955 – managed by Arch Managing Agency Ltd
- Syndicate 1609 – managed by Asta Managing Agency Ltd
- Syndicate 2454 – managed by Apollo Syndicate Managing Agency Ltd
- Syndicate 4747 – managed by Asta Managing Agency Ltd
- Syndicate 1925 – managed by Apollo Syndicate Managing Agency Ltd

Approved by the Board on 22nd May 2026
And signed on its behalf by

Kanad Vilas Manjrekar
Director
40 Lime Street
3rd Floor
London
EC3M 7AW

DIRECTORS REPORT
Registered Number: 07792458
31 December 2025

The Directors present their report below, together with the audited accounts for GIC Re, India, Corporate Member Limited, for the year ended 31 December 2025 on pages 13 to 41.

Results
The Company underwrites on the Syndicates as outlined on page 2 of the Strategic report.
Profit for the year ended 31 December 2025 was £261,717 (2024: Profit of £221,864).

Dividend
The Directors do not recommend the payment of a dividend (2024: Nil).

Going Concern
On the basis of their assessment of the Company's financial position and after making appropriate enquiries, the Directors reasonably expect the Company has adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable future. For this reason the annual accounts are prepared on a going concern basis.

Directors
Below are the names of the people who were Directors of the Company during the period and to the date of this report.
Ramaswamy Narayanan (resigned on 29 September 2025)
Dyanaraj B Gawade (resigned on 24 April 2026)
Hitesh Joshi (appointed on 21 April 2026)
Kanad Vilas Manjrekar (appointed on 21 April 2026)

Directors and Officers Liability Insurance
The Directors are covered against liabilities arising in relation to the Company through the global Directors and Officers policy in place by the Parent Reinsurer. This is limited to 2,000,000,000 Indian Rupees (£17,399,894).

Donations
The Company made no political or charitable donations during the period.

Corporate Governance
The strategic report set out on pages 2-5 provides a comprehensive review of the Company's operations for the year ended 31 December 2024 and the potential future developments of those operations. The strategic report also includes details of the Company's business risks and uncertainties during the year. Information relating to Directors' duties to act in good faith and to promote the success of the company are included in the strategic report.

Disclosure of Information to Auditors
The Directors who held office at the approval date of this report confirm to the best of their knowledge, that there is no relevant audit information of which the Company's auditors are unaware, and they took all actions necessary as a Directors to become aware of any relevant audit information and to establish that the Company's auditors are aware of that information

On behalf of the Board
Kanad Vilas Manjrekar
Director
22nd May 2026
40 Lime Street
3rd Floor
London
EC3M 7AW

GIC RE, INDIA, CORPORATE MEMBER LIMITED

Registered Number: 07792458

Statement of Directors' Responsibilities in respect of the Strategic Report, the Directors' Report and the Financial Statements 31 December 2025

The Directors are responsible for preparing the Strategic Report, the Directors' Report and the financial statements in accordance with applicable law and regulations.

Company law requires the Directors to prepare financial statements for each financial year. Under that law they have elected to prepare the financial statements in accordance with UK Accounting Standards and applicable law (UK Generally Accepted Accounting Practice), FRS 102 The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland and with the Companies Act 2006.

Under Company law the directors must not approve the financial statements unless he is satisfied that they give a true and fair view of the state of affairs of the Company and of the profit or loss of the Company for that period.

In preparing these financial statements, the Directors are required to:

- select suitable accounting policies and then apply them consistently;
- make judgements and estimates that are reasonable and prudent;
- state whether applicable UK Accounting Standards have been followed, subject to any material departures disclosed and explained in the financial statements; and
- prepare the financial statements on the going concern basis unless it is inappropriate to presume that the Company will continue in business.

The Directors are responsible for keeping adequate accounting records that are sufficient to show and explain the Company's transactions and disclose with reasonable accuracy at any time the financial position of the Company and enable him to ensure that the financial statements comply with the Companies Act 2006. The Directors have general responsibility for taking such steps as are reasonably open to them to safeguard the assets of the Company and to prevent and detect fraud and other irregularities.

The directors confirm that so far as they are aware, there is no relevant audit information (as defined by section 418(3) of the Companies Act 2006) of which the company's auditors are unaware. They have taken all the steps that they ought to have taken as directors in order to make themselves aware of any relevant audit information and to establish that the company's auditors are aware of that information.

Opinion

We have audited the Financial Statements of GIC Re, India, Corporate Member Limited (the "Company") for the year ended 31 December 2025 which comprise the Profit and Loss Account, the Statement of Comprehensive Income, the Balance Sheet, the Statement of Changes in Equity, the Statement of Cash Flows and notes to the Financial Statements, including a summary of significant accounting policies. The financial reporting framework that has been applied in their preparation is applicable law and United Kingdom Accounting Standards, including Financial Reporting Standard 102 "The Financial Reporting Standard as applicable in the UK and Republic of Ireland" (United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice).

In our opinion the Financial Statements

- give a true and fair view of the state of the Company's affairs as at 31 December 2025 and of its result for the year then ended.
- have been properly prepared in accordance with United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice; and
- have been prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2006.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK) (ISAs (UK)) and applicable law. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Financial Statements in the UK, including the FRC's Ethical Standard, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Conclusions relating to going concern

In auditing the financial statements, we have concluded that the directors' use of the going concern basis of accounting in the preparation of the financial statements is appropriate.

Based on the work we have performed, we have not identified any material uncertainties relating to events or conditions that, individually or collectively, may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern for a period of at least twelve months from when the financial statements are authorised for issue.

Our responsibilities and the responsibilities of the directors with respect to going concern are described in the relevant sections of this report.

Other information

The other information comprises the information included in the Annual Report, other than the Financial Statements and our auditor's report thereon. The Directors are responsible for the other information. Our opinion on the Financial Statements does not cover the other information and, except to the extent otherwise explicitly stated in our report, we do not express any form of assurance conclusion thereon. In connection with our audit of the Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If we identify such material inconsistencies or apparent material misstatements, we are required to determine whether there is a material misstatement in the Financial Statements or a material misstatement of the other information. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.

We have nothing to report in this regard.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Opinion on other matters prescribed by the Companies Act 2006

In our opinion, based on the work undertaken in the course of the audit:

- the information given in the Strategic Report and the Directors' Report for the financial year for which the Financial Statements are prepared is consistent with the Financial Statements; and
- the Strategic Report and the Directors' Report have been prepared in accordance with applicable legal requirements.

Matters on which we are required to report by exception

In light of the knowledge and understanding of the Company and its environment obtained in the course of audit, we have not identified any material misstatements in the Strategic Report or the Directors' Report.

We have nothing to report in respect of the following matters in relation to which the Companies Act 2006 requires us to report to you if, in our opinion:

- adequate accounting records have not been kept, or returns adequate for our audit have not been received from branches not visited by us; or
- the Financial Statements are not in agreement with the accounting records and returns; or
- certain disclosures of Directors' remuneration specified by law are not made; or
- we have not received all the information and explanations we require for our audit.

Responsibilities of Directors

As explained more fully in the Directors' Responsibilities Statement, the Directors are responsible for the preparation of the Financial Statements and for being satisfied that they give a true and fair view, and for such internal control as the Directors determine is necessary to enable the preparation of Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Financial Statements, the Directors are responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Directors either intend to liquidate the Company or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Auditor's responsibilities for the audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs (UK) will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements.

A further description of our responsibilities for the audit of the Financial Statements is located on the Financial Reporting Council's website at: http://www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. This description forms part of our auditor's report.

Explanation as to what extent the audit was considered capable of detecting irregularities, including fraud

Irregularities, including fraud, are instances of non-compliance with laws and regulations. We design procedures in line with our responsibilities, outlined above, to detect irregularities, including fraud. The risk of not detecting a material misstatement due to fraud is higher than the risk of not detecting one resulting from error, as fraud may involve deliberate concealment by, for example, forgery or intentional misrepresentations, or through collusion.

The extent to which our procedures are capable of detecting irregularities, including fraud, is detailed below. However, the primary responsibility for the prevention and detection of fraud rests with those charged with governance of the Company. Our approach was as follows:

- We obtained a general understanding of the legal and regulatory frameworks that are applicable to the Company and determined that the most significant are direct laws and regulations, related to continuing approval by Lloyd's to be a corporate member of the syndicate meeting the capital requirements as set out by the Lloyds, company's legislation and the financial reporting framework (UK GAAP). We obtained a general understanding of how the Company is complying with those frameworks by making enquiries of management and those responsible for legal and compliance matters of the Company.

- For both direct and other laws and regulations, our procedures involved: making enquiry of the directors of the Company for their awareness of any noncompliance of laws or regulations, inquiring about the policies that have been established to prevent non-compliance with laws and regulations by officers and employees.
- The Company operates in the insurance industry which is a highly regulated environment. As such the Senior Statutory Auditor considered the experience and expertise of the engagement team to ensure that the team had the appropriate competence and capabilities, which included the use of specialists where appropriate.

Our audit procedures included:

- Agreement of the financial statement disclosures to the underlying supporting documentation;
- Enquiries of management and review of minutes of Board and management meetings throughout the period;
- Understanding Companies policies and procedures in monitoring compliance with laws and regulations;
- Reviewing syndicates accounts, syndicates auditor questionnaires for evidence of financial statements of syndicates.
- Reviewing the audited financial statements relating to the syndicate, the Company has participated in.

Use of our report

This report is made solely to the Company's Members, as a body, in accordance with Chapter 3 of Part 16 of the Companies Act 2006. Our audit work has been undertaken so that we might state to the Company's Members those matters we are required to state to them in an auditor's report and for no other purpose. To the fullest extent permitted by law, we do not accept or assume responsibility to anyone, other than the Company and the Company's Members as a body, for our audit work, for this report, or for the opinions we have formed.

Devender Arora (Senior Statutory Auditor)

For an on behalf of The Corporate Practice Limited, Statutory Auditor

65 Delamere Road Hayes, Middlesex, UB4 0NN

Date: 22nd May 2026

GIC RE, INDIA, CORPORATE MEMBER LIMITED

Profit and Loss Account – Technical Account

Year Ended 31 December 2025

	Note	2025 £000	2024 £000
Technical Account – General business:			
Earned premiums, net of reinsurance:			
Gross premiums written	6	174,281	153,114
Outward reinsurance premiums		(174,281)	(153,114)
Net premiums written		-	-
Change in the gross provision for unearned premiums	14	(18,419)	(14,812)
Change in the provision for unearned premiums			
reinsurers' share	14	18,419	14,812
Net change in provision for unearned premiums		-	-
Earned premiums, net of reinsurance		-	-
Investment return	7	-	-
Claims incurred, net of reinsurance:	6		
Claims paid:			
Gross amount		(42,339)	(69,047)
Reinsurers' share		42,339	69,047
Claims paid, net of reinsurance		-	-
Change in the provision for claims:	14		
Gross amount		(15,876)	1,137
Reinsurers' share		15,876	(1,137)
Change in provision for claims, net of reinsurance		-	-
Claims incurred, net of reinsurance		-	-
Net operating expenses	8, 11	(68)	(44)
Balance on Technical Account - General business		(68)	(44)

All operations relate to continuing activities.

The notes on pages 369 to 384 form part of these annual accounts

GIC RE, INDIA, CORPORATE MEMBER LIMITED

Profit and Loss Account and Comprehensive Income – Non-technical Account

Year Ended 31 December 2025

	Note	2025 £000	2024 £000
Balance on the Technical Account – General business		(68)	(44)
Investment income		414	407
Unrealised (loss)/gain on investments		-	-
Foreign exchange (loss)/gain		(32)	(4)
Other income		500	500
Other charges		(553)	(637)
Profit/(loss) on ordinary activities before tax	9	**261**	**222**
Tax on profit/(loss) on ordinary activities	10	-	-
Profit/(loss) on ordinary activities after tax		**261**	**222**
Profit/(loss) for the financial year		**261**	**222**

All operations relate to continuing activities.

The notes on pages 369 to 384 form part of these annual accounts.

GIC RE, INDIA, CORPORATE MEMBER LIMITED

Balance Sheet - Assets

At 31 December 2025

	Note	2025 £000	2024 £000
Assets:			
Investments:			
Other financial investments	12	213,233	138,482
Reinsurers' share of technical provisions:	14		
Provision for unearned premiums		60,846	49,120
Claims outstanding		191,907	185,971
		252,753	**235,091**
Debtors:			
Debtors arising out of direct insurance operations		15,797	15,296
Debtors arising out of reinsurance operations		53,344	53,500
Other debtors		3,649	521
Funds at Lloyd's	18	183,465	203,892
		256,255	**273,209**
Other assets:			
Cash at bank and in hand		15,731	35,860
Deferred tax asset /other		4,669	2,179
		20,400	38,039
Prepayments and accrued income:			
Accrued interest		-	-
Deferred acquisition costs	14	17,678	13,504
Other prepayments and accrued income		1,235	1,452
		18,913	**14,956**
Total assets		**761,554**	**699,777**

The above assets comprise of the assets of the Syndicates participated upon and the Company's own assets.

Note 16 provides an analysis of the Company's own assets.

The notes on pages 369 to 384 form part of these annual accounts.

GIC RE, INDIA, CORPORATE MEMBER LIMITED

Balance Sheet - Liabilities

At 31 December 2025

	Note	2025 £000	2024 £000
Liabilities:			
Capital and reserves:	13		
Called up share capital		-	-
Profit and loss account		5,232	4,971
		5,232	**4,971**
Technical provisions:	14		
Provision for unearned premiums:			
Gross amount		78,524	62,624
Claims outstanding:			
Gross amount		191,907	185,971
		270,431	**248,595**
Creditors:			
Creditors arising out of direct insurance operations		2,184	1,737
Creditors arising out of reinsurance operations		284,964	230,958
Other creditors including taxation	15	183,747	204,486
		470,895	**437,181**
Accruals and deferred income		14,996	9,030
Total liabilities		**761,554**	**699,777**

The above liabilities comprise of the liabilities of the Syndicates participated upon and the Company's own liabilities. Note 16 provide an analysis of the Company's own liabilities.

The financial statements on pages 13 to 41 were approved by the Board of GIC Re, India, Corporate Member Limited on 22nd May 2026 and signed on its behalf by:

Kanad Vilas Manjrekar
Director

Registered Number: 07792458

The notes on pages 369 to 384 form part of these annual accounts.

GIC RE, INDIA, CORPORATE MEMBER LIMITED

Statement of Changes in Equity

At 31 December 2025

	Called up Share Capital £000	Profit and loss account £000	Total Equity £000
At 1 January 2024	**-**	**4,749**	**4,749**
Profit for the year	-	222	222
Total comprehensive income for the period	-	4,971	4,971
As at 31 December 2024	**-**	**4,971**	**4,971**
Profit for the year	-	261	261
Total comprehensive income for the period	-	5,232	5,232
At 31 December 2025	**-**	**5,232**	**5,232**

The notes on pages 369 to 384 form part of these annual accounts.

GIC RE, INDIA, CORPORATE MEMBER LIMITED

Statement of Cash Flows

At 31 December 2025

	Note	2025 £000	2024 £000
Cash flow from operating activities			
(Loss)/profit before taxation		261	222
Movement in creditors		61,515	(9,687)
Movement in debtors		(2,486)	49,994
Tax paid		-	-
Net cash generated from operating activities		**59,290**	**40,529**
Cash flow from investing activities			
Net (outflow) from purchases and sales of investments	18	(79,419)	(24,480)
Net cash outflow from investing activities		**(79,419)**	**(24,480)**
Net increase in cash and cash equivalents		(20,129)	16,049
Cash and cash equivalents at the beginning of the year		35,860	19,811
Cash and cash equivalents at the end of the year		**15,731**	**35,860**

The notes on pages 369 to 384 form part of these annual accounts.

GIC RE, INDIA, CORPORATE MEMBER LIMITED

Notes to the Annual Accounts

At 31 December 2025

(1) General Information

GIC Re, India, Corporate Member Limited ("the Company") is a limited company incorporated in the United Kingdom. The address of its registered office is 40 Lime Street, 3rd Floor, London, EC3M 7AW. The nature of the Company's operations and its principal activities are set out in the Strategic report on page 2.

These financial statements have been presented in GBP as this is the Company's functional currency, being the primary economic environment in which the Company operates.

(2) Basis of Preparation

The financial statements have been prepared in accordance with applicable United Kingdom accounting standards, including Financial Reporting Standard 102 – 'The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland' ('FRS 102'), Financial Reporting Standard 103 – 'Insurance Contracts' ('FRS 103') and with the Companies Act 2006. The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for financial assets that are measured at fair value.

The Company's functional currency is GBP.

The Directors, based on their assessment of the Company's financial position and after making appropriate enquiries, reasonably expect that the Company has adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable future. For this reason, these annual accounts are prepared on a going concern basis.

(3) Basis of Accounting for Underwriting Activities

The Company underwrites insurance business on an underwriting year basis through its participation on Lloyd's Syndicate 1955, Syndicate 5183, Syndicate 2454, Syndicate 1609, Syndicate 1966, Syndicate 4747, Syndicate 1925 and Syndicate 1947 (the Syndicates) under agency agreements with the Syndicates; each underwriting year is a separate annual venture. Agency agreements grant underwriting control to the Managing Agent of the Syndicates, and the Company has no access to funds controlled by the Syndicates. The Syndicates release funds to the Company from the Syndicate Premium Trust Funds when underwriting years close (normally after three calendar years). The Managing Agent assesses the result and net assets for each underwriting year based on the insurance policies incepting in that year for the membership of that year. The Syndicates may also release funds early on open underwriting years if the Managing Agent can determine the ultimate profitability of the year with enough accuracy (generally at the end of two calendar years).

The Company reports its share of Syndicate underwriting transactions, investment return, and operating expenses in its profit and loss account, and its share of the Syndicate assets and liabilities on its balance sheet. The Directors calculate these shares based on the Company's participation in the Syndicates as a percentage of each Syndicate's total insurance capacity.

The Syndicates hold assets subject to trust deeds for the benefit of the Company's insurance creditors.

(4) Accounting Policies

The Directors consistently applied the material accounting policies below in preparing these annual accounts

(a) Gross Premiums Written

Gross premiums written consist of the Company's share of premiums on insurance contracts that each Syndicate bound during the year, together with any adjustments arising in the year to such premiums receivable in respect of business written in prior years. The Company shows premiums gross of commissions payable to intermediaries and excludes taxes and fees levied on them.

(b) Outward Reinsurance Premiums

Outward reinsurance premiums consist of (a) the Company's share of Syndicate reinsurance premiums on the outward reinsurance contract bound during the period and (b) the Company's reinsurance premiums on the outward reinsurance contracts that it has with its Parent reinsurer to proportionally reinsure all of its underwriting business from the Syndicates.

Reinsurance transactions do not relieve the Company of its primary obligations to its policyholders.

The Company offsets actual or estimated assets and liabilities under the outward reinsurance contract with its Parent reinsurer that proportionately reinsures all its underwriting business from the Syndicates into single net balances, because they do not represent separate assets and liabilities.

(c) Provision for Unearned Premiums

Unearned premiums represent the proportion of premiums written in the year that relate to the unexpired terms of policies in force at the Balance Sheet date, calculated on the basis of established earnings patterns or time apportionment as appropriate.

(d) Provision for Unexpired Risks

At the balance sheet date, the Company makes a provision for unexpired risks where the value of claims and administrative expenses expected to arise after the balance sheet date from the insurance contracts entered into before the balance sheet date exceeds the provision for unearned premiums, the amount of premiums receivable under those contracts, after the deduction of any deferred acquisition costs.

No provision for unexpired risks was recorded in 2024 and 2025.

(e) Closed Years of Account

At the end of the third calendar year that an underwriting year is open, the year normally closes by way of reinsurance into the following open underwriting year. The Managing Agents determine the amount of the reinsurance to close premium payable, generally by estimating the cost of claims notified but not settled at 31 December, together with the estimated cost of claims incurred but not reported at that date, and an estimate of future claims handling expenses. The open underwriting year into which the closed underwriting year is reinsured bears the risk of any subsequent variation in the ultimate liabilities of the closed year.

The payment of a reinsurance to close premium does not relieve the closed year from its primary obligations for outstanding claims. If the reinsuring syndicate is unable to meet its obligations and the other elements of Lloyd's chain of security failed, then the closed underwriting year would have to settle the outstanding claims. The Directors consider the likelihood of such a reinsurance to close failure to be remote and therefore deem reinsurance to close as settlement of the liabilities outstanding at the closure of an underwriting year. The Company includes its share of the reinsurance to close premiums payable in its technical provisions at the balance sheet date, and the Company makes no further provision for any potential risk of variation in the ultimate liability of closed years.

(f) Run - Off Years of Account

If an underwriting year is not closed at the end of the third calendar year that it is open (a "run-off" year), the Company makes a provision for the estimated cost of all known and unknown outstanding liabilities of that year. The Managing Agent first determines the provision on a similar basis to the reinsurance to close. The Company, however, determines any subsequent variation in the ultimate liabilities for that year. Therefore, the Company will continue to report movements in its results from any run-off year after the third calendar year until it secures reinsurance to close.

The Company had no run-off years at 31 December 2025.

(g) Claims Incurred, Net of Reinsurance

Gross claims incurred consist of the estimated cost of settling all claims occurring during the period, whether reported or not, including related claims handling expenses. The Company anticipates subrogation recoveries when it sets provisions for reported claims. The Company accounts for reinsurance recoveries when it incurs the related losses.

The provision for claims outstanding includes the estimated cost of claims incurred but not reported ('IBNR') at the balance sheet date. A variety of estimation techniques are used generally based upon statistical analyses of historical experience and includes adjustments for catastrophes and other significant events, changes in historical trends, economic and social

conditions, judicial decisions, and legislation, as necessary. In evaluating the provision, the Directors use the findings of the Syndicate actuaries, which include an associated third-party claims administrator's loss estimates for large catastrophes.

Large claims impacting each relevant business class are generally assessed separately, being measured on a case-by-case basis or projected separately in order to allow for the possible distorting effect of the development and incidence of these large claims.

Due to the Syndicates' limited history and small population of insured and reinsured claims, the provision for claims outstanding is subject to significant variability. While the Directors believe that the recorded provision for gross claims and reinsurance recoveries is adequate, establishing this liability is a judgmental and inherently uncertain process. Therefore, it is possible that actual losses may not conform to the assumptions that have been used in determining the amount of this provision. Accordingly, the ultimate provision may be significantly greater or less than the outstanding amount held at the balance sheet date. The Company recognises adjustments to the provision for claims outstanding in the profit and loss account when known. Due to its inherent nature Claims IBNR may not be apparent to the insurer until many years after the event giving rise to the claim has happened. Classes of business where the IBNR proportion of the total reserve is high will typically display greater variations between initial estimates and final outcomes because of the greater degree of difficulty of estimating these reserves. Classes of business where claims are typically reported relatively quickly after the claim event tend to display lower levels of volatility.

The Directors base the reinsurers' share of the provision for claims outstanding on the provisions for reported claims and IBNR, net of estimated irrecoverable amounts from potential reinsurer insolvencies based on the type of balance and security ratings of the involved reinsurers.

(h) Acquisition Costs, Net of Reinsurance

Acquisition costs consist of the Company's share of Syndicate related cover holder and ceding commissions (on inward reinsurance acceptances) primarily related to the production of new and renewal business. The Company defers acquisition costs to the extent that they are attributable to unearned premiums at the balance sheet date and expenses them as it earns the underlying insurance contract premiums. The Company includes acquisition costs in net operating expenses. The Company defers recoveries of acquisition costs (ceding commissions) from outward reinsurers and includes them in accruals and deferred revenue. The Company earns ceding commissions as it expenses underlying reinsurance contract premiums and includes them in net operating expenses under reinsurance commissions and profit participation.

(i) Investments

Investments consist of the Company's share of the Syndicates' shares and other variable yield securities and debt securities and other fixed-income securities. The Company carries investments at current or market value.

(j) Investment Return

Investment return primarily consists of income from the Company's share of the Syndicates' investments, gains and losses on the realisation of investments, and movements in unrealised gains and losses on investments, net of investment management expenses. Income from investments consists of interest, which the Company recognises when earned. The Company bases realised gains and losses on investments on the difference between the sale proceeds and the cost of the investment. Movements in unrealised gains and losses on investments represent the difference between the carrying value of investments at the balance sheet date and the purchase price of investments in earlier accounting periods, after considering investment disposals. Investment management expenses consist of investment custodian and management fees.

The Company first records its investment return in the non-technical account. The Company then transfers this return to the general business technical account to reflect the investment return on funds supporting the Syndicates' underwriting business; no funds outside of those in the Syndicate support the Company's underwriting business.

(k) Net Operating Expenses

The Company recognises operating expenses when incurred. Operating expenses include acquisition costs and the change in deferred acquisition costs, administrative expenses, and reinsurance commissions and profit participation.

Administrative expenses consist of:

i. the Company's share of Syndicate operating costs,

ii. Managing Agent fees and profit commissions,

iii. Lloyd's membership costs, and

iv. the reimbursement of administrative expenses from the Parent reinsurer that proportionately reinsures all the Company's underwriting business from the Syndicate.

The Company also includes its share of the Syndicates' brokerage sharing from reinsurance brokers that place reinsurance coverage for the Syndicate in administrative expenses. The Company recognises brokerage sharing as revenue when brokers place the reinsurance coverage.

Reinsurance commissions and profit participation consist of (a) the Company's share of the Syndicates' ceding and contingent profit commissions from outward reinsurers and (b) the recovery of acquisition costs from the Parent reinsurer that proportionately reinsures all of the Company's underwriting business from the Syndicate.

(l) Current Taxation

The Company makes a provision for current U.K. taxes based on its taxable result for the period after considering permanent and timing differences between the treatment of certain items for book and tax. The Company also makes a provision for current U.S. federal tax where due based on U.S. taxable income for the period.

(m) Deferred Taxation

The Company makes a full provision for deferred taxation on timing differences that result in an obligation at the balance sheet date to pay more tax, or a right to pay less tax, at a future date, at rates expected to apply when these items reverse based on current tax rates and law. Timing differences arise from the inclusion of items of income and expenditure in taxation computations in periods different from those in which they are included in the annual accounts. The Company recognises deferred tax assets to the extent that it is probable that they will be recovered. The Company does not discount deferred tax assets and liabilities.

(n) Foreign Currency Translation

The Company's functional and reporting currency is GBP. The Company measures foreign currency monetary assets and liabilities at the closing exchange rate in effect at the balance sheet date. Non-monetary assets and liabilities at the balance sheet date are maintained at the rate of exchange ruling when the contract was entered into except for non-monetary assets and liabilities arising out of insurance contracts which are treated as monetary items in accordance with FRS 103 Insurance Contracts ("FRS 103"). Foreign currency revenues and expenses are measured at the historical exchange rates in effect at the time of the related transactions.

(o) Critical accounting judgements and key sources of estimation uncertainty

In applying the Company's accounting policies, the Directors are required to make judgements, estimates and assumptions in determining the carrying amounts of assets and liabilities. The Directors' judgements, estimates and assumptions are based on the best and most reliable evidence available at the time when the decisions are made and are based on historical experience and other factors that are considered to be applicable. Due to the inherent subjectivity involved in making such judgements, estimates and assumptions, the actual results and outcomes may differ. The estimates and underlying assumptions are reviewed on an on-going basis.

Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised, if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods, if the revision affects both current and future periods.

The management and control of each Syndicate the Company participates on is carried out by the managing agent of that Syndicate, and the Company looks to the managing agent to implement appropriate policies, procedures and internal controls to manage each Syndicate. The critical accounting judgements and key sources of estimation uncertainty set out below therefore relate to those made by the Directors in respect of the Company only, and do not include estimates and judgements made in respect of the Syndicates.

The critical judgements that the Directors have made in the process of applying the Company's accounting policies and

that have the most significant effect on the amounts recognised in the statutory financial statements are discussed below.

Assessing indicators of impairment

In assessing whether there have been any indicators of impairment assets, the Syndicates have considered both external and internal sources of information such as market conditions, counterparty credit ratings and experience of recoverability. There have been no indicators of impairments identified during the current financial year.

(o) Critical accounting judgements and key sources of estimation uncertainty (Continued)

Key sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning the future, and other key sources of estimation uncertainty, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below.

Recoverability of receivables

The Company establishes a provision for receivables that are estimated not to be recoverable. When assessing recoverability, the Directors consider factors such as the aging of the receivables, past experience of recoverability, and the credit profile of individual or groups of customers. No provisions have been recognised at the year end.

(5) Management of Financial Risk

The Company is exposed to the following financial risks in the course of its operating and financing activities:

- Credit risk
- Liquidity risk; and
- Foreign exchange risk

The management and control of each Syndicate is carried out by the managing agent of that Syndicate, and the Company looks to the managing agent to implement appropriate policies, procedures and internal controls to manage each Syndicate, including those in respect of financial risk management. The following qualitative risk management disclosures made by the Directors relate to the Corporate activity only. The quantitative disclosures are made in respect of both the Corporate and the Syndicates.

Credit risks

Credit risk is the risk that a counterparty to the Company's financial instruments will cause a loss to the Company through failure to perform its obligations. The key areas of exposure to credit risk for the Company result through its reinsurance programme, investments and bank deposits.

The risk of default by the Parent Reinsurer is mitigated by a £24.2m letter of credit and funds of £183.4m provided by the Parent to Lloyd's (Funds at Lloyd's) to collateralise its reinsurance obligations to the Company.

The Company manages credit risk at the Corporate level by ensuring that investments and cash and cash equivalent deposits are placed only with highly rated credit institutions. The carrying amount of the Company's financial assets represents the Company's maximum exposure to credit risk.

The tables below show the credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired.

	2025 Syndicate participation £000						
	AAA	AA	A	BBB	BBB or lower	Not rated	Total
Shares and other variable yield securities and unit trusts	-	42	36,503	-	-	-	36,545
Debt securities	2,989	48,490	67,501	9,853	16	2	128,851
Participation in investment pools	916	262	1,516	1,928	895	-	5,517
Loans with credit institutions	-	-	38,696	-	-	-	38,696
Deposits with credit institutions	-	-	3,623	-	-	-	3,623
Overseas deposits as investments	-	-	-	-	-	-	-
Derivative assets	-	-	-	-	-	-	-
Other investments	-	-	-	-	-	-	-
Deposits with ceding undertakings	-	-	-	-	-	-	-
Reinsurers share of claims outstanding	44	5,863	185,614	15	-	371	191,907
Reinsurance debtors	-	49	4,220	-	2,673	46,402	53,344
Cash at bank and in hand	-	-	15,235	496	-	-	15,731
Total	**3,949**	**54,706**	**352,908**	**12,292**	**3,584**	**46,775**	**474,214**

	2024 Syndicate participation £000						
	AAA	AA	A	BBB	BBB or lower	Not rated	Total
Shares and other variable yield securities and unit trusts	20,233	-	1,367	-	-	65	21,665
Debt securities	3,512	33,094	59,617	9,042	-	9	105,274
Participation in investment pools	385	486	1,595	1,916	701	-	5,083
Loans with credit institutions	-	-	-	-	-	-	-
Deposits with credit institutions	-	-	2,300	-	-	-	2,300
Overseas deposits as investments	1,594	308	358	289	92	135	2,776
Derivative assets	-	-	-	-	-	-	-
Other investments	-	-	1,384	-	-	-	1,384
Deposits with ceding undertakings	-	-	-	-	-	-	-
Reinsurers share of claims outstanding	-	11,437	174,185	20	-	329	185,971
Reinsurance debtors	-	-	53,500	-	-	-	53,500
Cash at bank and in hand	-	1,083	34,775	-	-	2	35,860
Total	**25,724**	**46,408**	**329,081**	**11,267**	**793**	**540**	**413,813**

The tables below show the ageing and impairment of financial assets by class of instruments

	2025 Syndicate participation £000						
	Neither Due nor impaired	Up to three months	Three to six months	Six Month to one year	Greater than one year	Financial assets that have been impaired	Total
Shares and other variable yield securities and unit trusts	36,545	-	-	-	-	-	36,545
Debt securities	128,851	-	-	-	-	-	128,851
Participation in investment pools	5,517	-	-	-	-	-	5,517
Loans with credit institutions	38,696	-	-	-	-	-	38,696
Deposits with credit institutions	3,623	-	-	-	-	-	3,623
Overseas deposits as investments	4,669	-	-	-	-	-	4,669
Derivative assets	-	-	-	-	-	-	-
Other investments	-	-	-	-	-	-	-
Deposits with ceding undertakings	-	-	-	-	-	-	-
Reinsurer share of claims outstanding	191,907	-	-	-	-	-	191,907
Reinsurance debtors	49,246	4,098	-	-	-	-	53,344
Cash at bank and in hand	15,731	-	-	-	-	-	15,731
Insurance debtors	14,542	1,255	-	-	-	-	15,797
Other debtors	3,448	201	-	-	-	-	3,649
Total	**492,775**	**5,554**	**-**	**-**	**-**	**-**	**498,329**

	2024 Syndicate participation £000						
	Neither Due nor impaired	Up to three months	Three to six months	Six Month to one year	Greater than one year	Financial assets that have been impaired	Total
Shares and other variable yield securities and unit trusts	21,665	-	-	-	-	-	21,665
Debt securities	105,274	-	-	-	-	-	105,274
Participation in investment pools	5,083	-	-	-	-	-	5,083
Loans with credit institutions	-	-	-	-	-	-	-
Deposits with credit institutions	2,300	-	-	-	-	-	2,300
Overseas deposits as investments	2,776	-	-	-	-	-	2,776
Derivative assets	-	-	-	-	-	-	-
Other investments	1,384	-	-	-	-	-	1,384
Deposits with ceding undertakings	-	-	-	-	-	-	-
Reinsurer share of claims outstanding	185,971	-				-	185,971
Reinsurance debtors	53,169	149	31	151	-	-	53,500
Cash at bank and in hand	35,860	-	-	-	-	-	35,860

	2024 Syndicate participation £000						
	Neither Due nor impaired	Up to three months	Three to six months	Six Month to one year	Greater than one year	Financial assets that have been impaired	Total
Insurance debtors	12,545	929	300	413	179	-	14,366
Other debtors	(1,116)	1,212	291	74	60	-	521
Total	**424,912**	**2,290**	**622**	**638**	**239**	**-**	**428,700**

At the Corporate level the Company is not exposed to significant credit risk. Consequently, a sensitivity analysis for credit risk has not been presented for the Corporate.

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial instruments. At the Corporate level the Company manages liquidity by continuously monitoring forecast and actual cash flows.

The following tables detail the Company's remaining contractual maturity for its financial liabilities. The tables have been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date of which the Company can be required to pay.

	2025 Syndicate participation £000					
	No stated maturity	Less than 1 year	1 to 3 years	3 to 5 years	Greater than 5 years	Total
Derivatives	-	-	-	-	-	-
Deposits received from reinsurers	-	-	-	-	-	-
Claims outstanding	-	66,312	61,176	30,498	33,921	191,907
Creditors	3,134	180,582	31	-	-	183,747
Other	-	-	-	-	-	-
Total	**3,134**	**246,894**	**61,207**	**30,498**	**33,921**	**375,654**

	2024 Syndicate participation £000					
	No stated maturity	Less than 1 year	1 to 3 years	3 to 5 years	Greater than 5 years	Total
Derivatives	-	-	-	-	-	-
Deposits received from reinsurers	-	-	-	-	-	-
Claims outstanding	-	41,345	105,516	28,644	10,466	185,971
Creditors	5,229	199,258	-	-	-	204,487
Other	-	-	-	-	-	-
Total	**5,229**	**240,603**	**105,516**	**28,644**	**10,466**	**390,458**

At the Corporate level the Company is not exposed to significant liquidity risk. Consequently, a maturity profile has not been presented for the Corporate.

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial instruments will fluctuate because of changes in market interest rates.

The Company is exposed to the risk of interest rate fluctuations in respect of cash and cash equivalents.

The table below shows the impact of changes in interest rates on the profit or loss for the period and on the equity of the Company.

	2025 £000	2024 £000
Impact of 50 basis points increase/(decrease) on result	-	-
Impact of 50 basis points increase/(decrease) on net assets	-	-

The impact of interest rates on the Company's share of the Syndicate results is nil as the Parent Reinsurer' proportionately reinsures 100% of all the Company's underwriting business from the Syndicates.

At the Company level the Company is not exposed to significant cash flow interest, consequently a sensitivity analysis for interest rate risk has not been presented for the Corporate.

Currency risk

The Company holds both assets and liabilities denominated in currencies other than Sterling, its functional currency. It is therefore exposed to currency risk as the value of the foreign currency assets and liabilities will fluctuate in line with changes in foreign exchange rates.

At the Corporate level the Company manages currency risk by ensuring that exchange rate exposures are managed within the approved policy parameters.

The Company has delegated sole management and control of its underwriting through each Syndicate to the managing agent of the Syndicate and it has further undertaken not to interfere with the exercise of such management and control. The managing agents of the Syndicates are therefore responsible for determining the insurance transactions to be recognised. As such, disclosures in respect of the assumptions and judgements made, and the objectives, policies and processed for managing currency risk arising from assets and liabilities are only presented for the Corporate in these financial statements.

(6) Segment Reporting

The tables below detail the Company's underwriting results before investment return by class of business.

	2025 £000					
	Gross premiums written	Gross premiums earned	Gross claims incurred	Net operating expenses	Reinsurance Balance	Total
Accident and health	115	102	(65)	-	11	48
Motor – third party liability	-	-	-	-	-	-
Motor - other classes	-	-	-	-	-	-
Marine, aviation and transport	(1,570)	2,361	(1,349)	(1)	(612)	399
Fire and other damage to property	28,002	29,683	(4,956)	(11)	(18,905)	5,811
Third party liability	30,651	28,682	(14,581)	(16)	(4,832)	9,253
Credit and suretyship	5,025	1,302	(632)	(1)	(459)	210
Miscellaneous	-	-	-	-	-	-
Reinsurance	112,058	93,731	(36,632)	(39)	(72,849)	(15,789)
Total	**174,281**	**155,861**	**(58,215)**	**(68)**	**(97,646)**	**(68)**

	2024 £000					
	Gross premiums written	Gross premiums earned	Gross claims incurred	Net operating expenses	Reinsurance Balance	Total
Accident and health	105	112	(55)	-	(10)	47
Motor – third party liability	-	-	-	-	-	-
Motor - other classes	-	-	-	-	-	-
Marine, aviation and transport	8,572	6,076	(9,231)	(2)	(1,648)	(4,805)
Fire and other damage to property	30,047	26,671	(6,546)	(7)	(26,252)	(6,134)
Third party liability	24,514	22,725	(13,405)	(11)	(2,454)	6,855
Credit and suretyship	1,500	289	(134)	-	(136)	19
Miscellaneous	-	-	-	-	-	-
Reinsurance	88,376	82,428	(38,539)	(23)	(39,892)	3,974
Total	**153,114**	**138,301**	**(67,910)**	**(43)**	**(70,392)**	**(44)**

Included in the reinsurance balance are reinsurance commissions and profit participation of £24,798k (2024: income of £30,500k). All insurance business is underwritten in the UK in the Lloyd's insurance market, which has been treated as one geographical segment for the purpose of Segmental Reporting.

(7) Investment Return

	2025 £000	2024 £000
Income from investments	6,334	4,362
Realised gains on investments	854	1,435
Unrealised gains/(losses) on investments	1,624	158
Investment expenses and charges	(104)	(424)
Reinsurer share of investment return	(8,708)	(5,531)
	-	-

(8) Net Operating Expenses

	2025 £000	2024 £000
Acquisition costs	(37,975)	(32,128)
Change in deferred acquisition costs	4,612	3,811
Administrative expenses	(12,846)	(9,952)
Personal expenses	(4,851)	(4,963)
Reinsurance commissions and profit participations	50,992	43,188
	(68)	(44)

Net operating expenses represent the Company's share of expenses incurred directly by the Syndicates, less the recovery of these expenses from the Parent Reinsurer that proportionately reinsures all the Company's underwriting business from the Syndicates.

During the year the Company paid brokerage fee of £68k (2024: £44k) which is paid from the over-rider provided by the Parent Reinsurer.

(9) Profit on Ordinary Activities Before Tax

This table details the charges (credits) to profit on ordinary activities before taxation in the non-technical account under other income and charges.

	2025 £000	2024 £000
Professional fees	(226)	(310)
Foreign exchange (loss)/gain	(32)	(3)
Other income	414	406
Unrealised gains on investments	-	-
Other expenses	(68)	(44)
Reinsurer reimbursements of member expenses	500	500
LOC commission	(327)	(327)
Repayment of tax	-	-
	261	222

Agreed fees for the audit of these annual accounts are £14,400 (2024: £9,900). The total balance payable (including fees accrued but not yet due) to the Company's auditor at 31 December 2025 was £14,400 (2024: £9,900).

(10) Tax on Profit on Ordinary Activities

(a) Analysis of Tax Charge During the Period

This table summarises the tax charge/ (credit) on the Company's profit on ordinary activities during the period.

	2025 £000	2024 £000
Current tax:		
UK corporation tax	65	59
Double taxation relief	(65)	(59)
Total current tax	-	-
Deferred tax	-	-
Tax on profit on ordinary activities	-	-

(b) Factors Affecting the Tax for the Period

This table summarises why the current tax charge/ (credit) for the period is different than the tax from applying the main U.K. corporation tax rate to the Company's profit on ordinary activities.

	2025 £000	2024 £000
Profit / (loss) on ordinary activities before tax	**261**	**222**
Effects of:		
Corporation tax in the UK of 25% (2024:25%)	(65)	(59)
Double taxation relief	65	59
Total charge for the year	-	-

(c) Factors Affecting Tax Charges in Future Years

The UK corporation tax rate for year ended 31 December 2025 was 25% (2024: 25%)

The OECD's Pillar Two Model rules introduce a global system of interlocking top-up taxes that aim to ensure that large multinational groups pay a minimum amount of income tax. The amendments to FRS 102 published on 11 July 2023 introduce a temporary exception to the accounting for deferred taxes arising from the implementation of the OECD's Pillar Two model rules. The Company has taken advantage of this exception. The UK has enacted legislation which has effect for UK entities within a Pillar 2 group form periods beginning after 31 December 2023. Any top-up tax is disclosed separately in the current tax line for this period and is nil for the Company in the period ended 31 December 2025.

(11) Directors' Compensation and Staffing

The Directors did not receive any compensation for their services during 2025 (2024: £Nil).

The Company has no employees.

(12) Other Financial Investments

	2025 £000		2024 £000	
	Market value	Cost	Market value	Cost
Shares and other variable yield securities	36,544	36,544	21,666	21,679
Debt securities and other fixed income securities	128,852	127,962	105,562	105,708
Lonas and deposits with credit institutions	38,696	38,696	-	-
Other loans	-	-	1,095	1,098
Participation in investment pools	5,518	5,407	5,083	5,065
Deposits with credit institutions	3,623	3,623	2,300	2,300
Overseas deposits as investment	-	-	-	-
Other	4,669	4,669	2,776	2,776
Total	**217,902**	**216,901**	**138,482**	**138,626**

All shares and other variable yield securities are listed.

The investments held at 31 December 2025 and 31 December 2024 are carried at fair value through profit and loss and have been categorised between the three levels of the fair value hierarchy that reflects the observability and significance of inputs used when establishing the fair value.

Level 1

Inputs to Level 1 fair values are quoted prices in active markets for identical assets. An active market is one in which transactions for the asset occurs with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an on-going basis. Examples are listed debt securities in active markets or listed equities in active markets or listed deposits held with credit institutions in active markets.

Level 2

Inputs to Level 2 fair values are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices) and fair value is determined through the use of models or other valuation methodologies. Level 2 inputs include quoted prices for similar (i.e. not identical) assets in active markets, quoted prices for identical or similar assets in markets that are not active or in which little information is released publicly, unlisted deposits held with credit institutions in active markets, low volatility hedge funds where tradable net asset values are published.

Level 3

Inputs to Level 3 fair values are inputs that are unobservable for the asset. Unobservable inputs have been used to measure fair value where observable inputs are not available, allowing for situations where there is little or no market activity. Unobservable

inputs reflect assumptions that the Society considers that market participants would use in pricing the asset and have been based on a combination of independent third party evidence and internally developed models.

(12) Other Financial Investments (Continued)

The table below sets out the Company's financial investments held at fair value through profit and loss by level of hierarchy.

2025 Fair value hierarchy	Level 1 2025 £000	Level 2 2025 £000	Level 3 2025 £000	Held at Amortised Cost 2025 £000	Total 2025 £000
Shares and other variable yield securities	36,503	42	-	-	36,545
Debt securities and other fixed income securities	1,090	127,761	-	-	128,851
Participation in investment pools	5,518				5,518
Lonas and deposits with credit institutions	42,319	-	-	-	42,319
Overseas deposits	-	4,669	-	-	4,669
	85,430	**132,472**	**-**	**-**	**217,902**

2024 Fair value hierarchy	Level 1 2024 £000	Level 2 2024 £000	Level 3 2024 £000	Held at Amortised Cost 2024 £000	Total 2024 £000
Shares and other variable yield securities	21,665	-	1,095	-	22,760
Debt securities and other fixed income securities	1,252	104,310	-	-	105,562
Deposits with credit institutions	5,083	-	-	-	5,083
Overseas deposits	40	2,737	-	-	2,777
	28,040	**107,047**	**1,095**	**-**	**136,182**

(13) Capital and Reserves

The Company had one authorised, issued, and fully paid up ordinary share with a nominal value of £1 at the balance sheet date. At 31 December 2025 this share was issued and paid.

This table reconciles the movement in the profit and loss account during the period.

	2025 £000	2024 £000
Profit and loss account at beginning of year	4,971	4,749
Profit for the financial year	261	222
Profit and loss account at end of year	5,232	4,971

(14) Technical Provisions and Reinsurers' Share of Deferred Acquisition Costs

	2025 £000	
	Provision for unearned premiums	Claims outstanding
Gross technical provisions:		
At 1st January 2025	62,624	185,971
Foreign exchange differences	(2,519)	(9,940)
Movement in provision	18,419	15,876
At 31st December 2025	**78,524**	**191,907**
Reinsurers' share of technical provisions:		
At 1 January 2025	49,120	185,971
Foreign exchange differences	(6,694)	(9,940)
Movement in provision	18,419	15,876
At 31st December 2025 (i)	**60,845**	**191,907**
Deferred acquisition costs:		
At 1 January 2025	(13,504)	-
Foreign exchange differences	(4,175)	-
At 31st December 2025	**(17,679)**	**-**
Total	**-**	**-**

(i) The reinsurance share of the deferred acquisition costs is included within the reinsurance share of technical provisions of unearned premium.

(15) Other Creditors

	2025 £000	2024 £000
Amounts owed to associated and group companies	183,634	203,283
Amounts owed to others	113	1,204
Total	**183,747**	**204,487**

The amount of £183,465k (2024: £203,892k) is due to the Company's Parent Company which has been used to provide Funds at Lloyd's ("FAL") (Note 18). These funds are not readily accessible and repayment of this liability will not be possible until the FAL is released. Therefore, this liability is not readily repayable within a year. Additionally, £1,882k (2024: £1, 556k) is due to the Parent company in relation to commission which has been charged on the letter of credit provided at Lloyd's.

(16) Corporate assets and liabilities

The majority of the assets and liabilities shown in the balance sheet arise from the Company's share of the assets and liabilities of the Syndicates on which it participates.

The following table shows the assets and liabilities that relate to the Company itself:

	2025 £'000	2024 £'000
Assets		
Reinsurers' share of technical provisions:		
Provision for unearned premiums	54,148	46,480
Claims outstanding	169,318	165,960
Debtors arising out of reinsurance operations	45	45
Deposits	3,623	2,300
Cash at bank and in hand	496	1,144
Deferred tax asset	-	-
Other debtors	640	201
Total assets	**228,269**	**216,130**
Liabilities		
Creditors arising out of reinsurance operations	278,729	224,426
Amounts owed to associated and group companies	182,499	199,462
Corporation tax	505	505
Other creditors	-	-
Accruals and deferred income	38	32
Total liabilities	**461,771**	**424,425**

(17) Net Portfolio Investment

2025 Movement in net portfolio investment	At 1 January 2025 £000	Change in Market Value £000	Cash Flow £000	At 31 December 2025 £000
Shares and other variable yield securities	21,665	-	14,880	36,545
Debt securities and other fixed income securities	105,562	-	23,290	128,852
Overseas deposits	2,776	-	1,893	4,669
Other	8,477	-	39,358	47,835
	138,480	**-**	**79,421**	**217,901**

2024 Movement in net portfolio investment	At 1 January 2024 £000	Change in Market Value £000	Cash Flow (Restated) £000	At 31 December 2024 (Restated) £000
Shares and other variable yield securities	10,084	-	11,581	21,665
Debt securities and other fixed income securities	97,791	-	7,771	105,562
Overseas deposits	2,295	-	481	2,776
Other	3,830	-	4,647	8,477
	114,000	**-**	**24,480**	**138,480**

(18) Funds at Lloyd's

The Company's Parent company proportionately reinsures all the Company's underwriting results from the Syndicate and provided a £24.2million (2024: £24.2 million) letter of credit to Lloyd's to collateralize its reinsurance obligations to the Company. In addition, the Parent Reinsurer has deposited £183.5 million Funds at Lloyd's (2024: £203.9 million), these amounts are included under creditors on the Company balance sheet.

(19) Immediate and Ultimate Parent

The Company's immediate and also its ultimate parent is the General Insurance Corporation of India, a company registered in India. The ultimate controlling party is the Government of India. Copies of the group's consolidated financial statements can be obtained at gicre.in.

(20) Related Parties

The Parent Company, General Insurance Corporation of India (wholly owned by the Government of India), proportionally reinsures all the Company's Underwriting results arising from the Syndicates. The company is not required to disclose related party transactions as they are with companies that are wholly owned within the group.

(21) Contingent Liabilities

Legal Proceedings

The Syndicates and wider group are regularly involved in various legal proceedings in the ordinary course of their insurance business. The Directors believe the outcome of these proceedings will not have a material adverse effect on the Company's financial position or future profitability.

GIC Perestrakhovanie LLC

Annual Financial Statements
for the year ended 31st December 2025

April 2026

Registered number : 1187746936783

"GIC Perestrakhovanie"

Table of Contents

Contents	Page
Independent auditor's report	387
Appendices	
Balance sheet of the insurance company	389
Statement of income of the insurance company	390
Statement of changes in equity of the insurance company	391
Statement of cash flows of the insurance company	392
Notes to the special purpose financial statements	393

To the Sole Participant and Board of Directors of Limited Liability Company
"GIC Perestrakhovanie"

Opinion

We have audited the special purpose financial statements of Limited Liability Company "GIC Perestrakhovanie" (the "Company"), which comprise the balance sheet of the insurance company as at 31 December 2025, the statement of income, the statement of changes in equity and the statement of cash flows of the insurance company for the year then ended, and notes to the special purpose financial statements, including a summary of material accounting policies.

In our opinion, the accompanying special purpose financial statements of the Company for the year ended 31 December 2025 are prepared, in all material respects, in accordance with the basis of preparation as disclosed in Note 2 Basis of preparation of the special purpose financial statements to the special purpose financial statements.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISA). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the special purpose financial statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements adopted in the Russian Federation, such as those in the Code of Professional Ethics for Auditors and the Independence Rules for Auditors and Audit Organizations, including independence requirements that are relevant to the audit of financial statements of public interest entities. We have also fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of matter – basis of accounting and restriction on distribution and use

We draw attention to Note 2 to the special purpose financial statements, which describes the basis of preparation of the special purpose financial statements. The special purpose financial statements have been prepared for the purposes of preparing the consolidated financial statement of the Sole Member for the year ended 31 December 2025. As a result, the special purpose financial statements may not be suitable for another purpose. Our report is intended solely for the Company's Sole Member and Board of Directors and should not be distributed to or used by other parties (other than the Company's Sole Member and Board of Directors). Our opinion is not modified in respect of this matter.

Responsibilities of management and the Board of Directors for the special purpose financial statements

Management is responsible for the preparation of the special purpose financial statements in accordance with the principles described in Note 2 Basis of preparation of the special purpose financial statements to the special purpose financial statements, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of special purpose financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the special purpose financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the special purpose financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the special purpose financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these special purpose financial statements.

As part of an audit in accordance with ISA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the special purpose financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the special purpose financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

We communicate with the Board of Directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Olga I. Vostrikova,
acting on behalf of B1 – Audit Limited Liability Company
under the power of attorney dated 19 January 2026,
partner in charge of the audit resulting in this independent auditor's report
(main registration number 22006014715)

29 April 2026

Details of the auditor

Name: B1 – Audit Limited Liability Company

Record made in the State Register of Legal Entities on 5 December 2002, State Registration Number 1027739707203.

Address: 75 Sadovnicheskaya Embankment, Moscow, 115035, Russia.

B1 – Audit Limited Liability Company is a member of Self-regulatory organization of auditors Association "Sodruzhestvo." B1 – Audit Limited Liability Company is included in the control copy of the register of auditors and audit organizations, main registration number 12006020327.

Details of the audited entity

Name: Limited Liability Company "GIC Perestrakhovanie"

Record made in the State Register of Legal Entities on 14 November 2018, State Registration Number 1187746936783.

Address: 25 Leontyevsky Lane, Tverskoy Intracity Municipal District, Moscow, 125375, Russia.

BALANCE SHEET OF THE INSURANCE COMPANY
as at 31 December 2025

Form 0420125. Balance sheet of the insurance company **(Amount in RUB'000)**

Indicator	Line No.	Note	31.12.2025	31.12.2024
			4	5
Section I. ASSETS	53		x	x
Cash and cash equivalents	1	5	1,167,306	500,523
Deposits and other funds placed with credit institutions and non-resident banks	2	6	2,201,007	2,184,419
Insurance, co-insurance and reinsurance receivables	6	10	123,481	194,211
Loans, other funds placed and other receivables	8	12	1,040	1,040
Reinsurers' share of non-life insurance reserves	11	15	2,519,576	2,115,501
Intangible assets and related capital expenditure	17	21	30,730	27,148
Property and equipment and related capital expenditure	18	22	9,999	19,323
Deferred acquisition costs	19	23	11,102	6,336
Deferred tax assets	21	58	7,499	29,427
Other assets	22	24	3,410	3,784
Total assets	**23**		**6,075,150**	**5,081,712**
Section II. LIABILITIES	54		x	x
Loans and other borrowed funds	25	27	12,122	21,058
Insurance, co-insurance and reinsurance payables	28	30	1,659,436	1,314,187
Non-life insurance reserves	33	15	2,621,842	2,190,875
Deferred acquisition income	35	23	16,543	19,981
Current income tax liability	36	58	19,494	8,465
Deferred tax liabilities	37	58	62,520	52,988
Other liabilities	39	35	4,408	5,419
Total liabilities	**40**		**4,396,365**	**3,612,973**
Section III. EQUITY	55		x	x
Share capital	41	36	600,000	600,000
Additional paid-in capital	42	36	749,922	692,710
Retained earnings (accumulated deficit)	50		328,863	176,029
Total equity	**51**		**1,678,785**	**1,468,739**
Total equity and liabilities	**52**		**6,075,150**	**5,081,712**

The official who signed the financial statements	CEO		Dmitry Vladimirovich Garmash
29.04.2026	(position)	(signature)	(printed name)

INCOME STATEMENT OF THE INSURANCE COMPANY
for 2025

Form 0420126. Income statement of the insurance company for the reporting period **(Amount in RUB '000)**

Indicator	Line No.	Note	01.01.2025 – 31.12.2025	01.01.2024 – 31.12.2024
			4	5
Section I. Insurance activities	55		x	x
Subsection 1. Life insurance	56		x	x
Subsection 2. Non-life insurance	57		x	x
Insurance premiums earned – net of reinsurance, including:	8	44	50,697	36,955
Insurance premiums from insurance, co-insurance and reinsurance	8.1	44	1,181,509	928,699
Premiums ceded	8.2	44	(1,125,329)	(882,522)
Change in unearned premium reserve	8.3		(33,429)	(169,888)
Change in reinsurers' share of unearned premium reserve	8. 4		27,946	160,666
Claims incurred – net of reinsurance, including:	9	45	(47,354)	(14,164)
Claims paid under insurance, co-insurance and reinsurance contracts	9.1	45	(698,998)	(273,481)
Loss adjustment expenses	9.2	45	(8,456)	(8,062)
Reinsurers' share of claims paid	9.3		681,509	266,644
Change in loss reserves	9.4	45	(397,538)	(703,077)
Change in reinsurers' share of loss reserves	9.5	45	376,129	703,811
Recoveries from recourse, subrogation and other reimbursements – net of reinsurance	9. 6	45	-	1
Policy administration expenses – net of reinsurance, including:	10	46	35,223	19,983
Acquisition costs	10.1	46	(35,770)	(33,836)
Reinsurance commission on reinsurance contracts	10.2		62,789	59,562
Change in deferred acquisition costs and income	10.3	46	8,204	(5,743)
Other non-life insurance income	12	48	21,330	102,325
Other non-life insurance expenses	13	48	(41,469)	(29,593)
Result of non-life insurance	14		18,427	115,506
Total gains less losses (losses less gains) from insurance activities	15		**18,427**	**115,506**
Section II. Investing activities	58		x	x
Interest income	16	49	407,446	336,489
Gains less losses (losses less gains) from dealing in foreign currencies	20		6,446	(4,717)
Total gains less losses (losses less gains) from investing activities	22		**413,892**	**331,772**
Section III. Other operating income and expenses	59		x	x
General and administrative expense	23	54	(151,160)	(118,872)
Interest expense	24	55	(2,227)	(2,997)
Other income	27	57	2,668	1,467
Total income (expenses) from other operating activities	29		(150,719)	(120,402)
Profit (loss) before tax	30		281,600	326,876
Income tax benefit (expense), including:	31	58	(71,554)	(71,244)
Current income tax benefit (expense)	31.1	58	(40,094)	(8,465)
Deferred income tax benefit (expense)	31.2	58	(31,460)	(62,779)
Profit (loss) after tax	33		210,046	255,632
Section IV. Other comprehensive income	60		x	x
Total comprehensive income (loss) for the reporting period	54		**210,046**	**255,632**

The official who signed the financial statements	CEO		Dmitry Vladimirovich Garmash
29.04.2026	(position)	(signature)	(printed name)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY OF THE INSURANCE COMPANY
for 2025

Form 0420127. Statement of changes in equity of the insurance company

(Amount in RUB'000)

Indicator	Line No.	Note	Share capital	Additional paid-in capital	Retained earnings (uncovered loss)	Total
			1	2	10	11
Balance at the beginning of the previous reporting period	1		600,000	692,710	(79,603)	1,213,107
Balance at the beginning of the previous reporting period – restated	4		600,000	692,710	(79,603)	1,213,107
Profit (loss) after tax	5		-	-	255,632	255,632
Balance at the end of the previous reporting period	13. 1		600,000	692,710	176,029	1,468,739
Balance at the beginning of the reporting period	14		600,000	692,710	176,029	1,468,739
Balance at the beginning of the reporting period – restated	17		600,000	692,710	176,029	1,468,739
Profit (loss) after tax	18		-	-	210,046	210,046
Other contributions from and distributions to equity holders	25		-	57,212	(57,212)	–
Balance at the end of the reporting period Total	27		600,000	749,922	328,863	1,678,785

The official who signed the financial statements	CEO		Dmitry Vladimirovich Garmash
29.04.2026	(position)	(signature)	(printed name)

STATEMENT OF CASH FLOWS OF THE INSURANCE COMPANY
for 2025

Form 0420128. Statement of cash flows of the insurance company **(Amount in RUB'000)**

Indicator	Line No.	Note	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
Section I. Cash flows from operating activities	35			
Non-life insurance and reinsurance premiums received	3		1,094,047	855,845
Non-life insurance and reinsurance claims paid	7		(609,328)	(258,463)
Acquisition costs paid	11		(8,035)	(9,735)
Loss adjustment expenses paid	12		(7,280)	(7,574)
Interest received	21		414,258	276,728
Salaries and other employee benefits paid	23		(42,720)	(40,141)
Administrative and other operating expenses paid	24		(99,467)	(61,957)
Income tax paid	25		(29,064)	(6,654)
Other cash flows from operating activities	26		(8,470)	5,163
Net cash flows from operating activities	27		703,941	753,212
Section II. Cash flows from investing activities	37		x	x
Proceeds less payments (payments less proceeds) from placement and closure of deposits and other funds placed with credit institutions and non-resident banks	41		(23,500)	(248,700)
Net cash flows from investing activities	45		(23,500)	(248,700)
Section III. Cash flows from financing activities	38		x	x
Payment of lease liabilities	53. 1		(13,758)	(11,601)
Net cash flows from financing activities	56		(13,758)	(11,601)
Net cash flows for the reporting period	57		666,683	492,911
Effect of changes in foreign exchange rates against the ruble	58			(36)
Balance of cash and cash equivalents at the beginning of the reporting period	59		498,427	5,552
Balance of cash and cash equivalents at the end of the reporting period	60		1,165,110	498,427

The official who signed the financial statements	CEO		Dmitry Vladimirovich Garmash
29.04.2026	(position)	(signature)	(printed name)

Note 1. Operating environment of the Insurer

Disclosure requirement	Line No.	Description
Key factors affecting financial performance. External developments and response	1	In 2025, the key factors affecting the economic environment continued to be the geopolitical situation and the related sanctions, as well as ongoing macroeconomic, microeconomic and structural changes. Their impact on the insurance and reinsurance markets was largely indirect and, in quantitative terms, not particularly significant; however, from a qualitative perspective, it remained material. By the end of 2023–2024, it can be observed that the Russian reinsurance market has, to a large extent, taken shape in its new form and adapted to the new reality, having passed the first 12-months cycle following the global shifts, initiatives and changes of 2022. These include new market mechanisms and procedures resulting from the dominant position of JSC Russian National Reinsurance Company (RNRC) , regulatory developments (Regulation No. 781-P, subsequently replaced by IFRS 17), as well as restrictions on transactions with insurers, reinsurers and insurance brokers from certain foreign jurisdictions. The Company continues to assess the impact of these developments, as well as broader changes in macro- and microeconomic conditions, on its operations, financial position and financial performance. Management believes that the Company has sufficient resources to ensure the continuity of its operations and is taking the necessary steps to further adapt its business to the evolving operating environment.

Note 2. Basis of preparation of the special purpose financial statements

Disclosure requirement	Line No.	Description
		1
The insurer is required to clearly and unambiguously disclose the basis of preparation of the special purpose financial statements	1	These special purpose financial statements (hereinafter, "financial statements") have been prepared in accordance with the accounting policies described in Note 3 Summary of accounting principles, significant accounting estimates and judgments in applying accounting policies for the purpose of assisting in the preparation of the consolidated financial statements of the parent company for the year ended 31 December 2025. The Company maintains its accounting records and prepares financial statements in accordance with Russian accounting legislation and related instructions. These financial statements have been prepared on the basis of accounting records, adjusted as necessary to ensure conformity with the accounting policies described in Note 3 Summary of accounting principles, significant accounting estimates and judgments in applying accounting policies. For the accounting of insurance and reinsurance contracts in its financial statements prepared in accordance with Russian accounting legislation and related instructions, the Company apples, from 1 January 2025, the accounting principles set out in IFRS 17 Insurance Contracts. For the purposes of these financial statements, the accounting policies for insurance and reinsurance contracts reflect the accounting principles previously applied by the Company, which are consistent with IFRS 4.

Estimation basis (or bases) used in the preparation of the financial statements	2	The financial statements have been prepared on the historical cost basis, except as disclosed in the accounting policies below.
Reasons for reclassification of comparative amounts	3	N/A
Nature of reclassifications of comparative amounts (including information at the beginning of the previous reporting period)	4	N/A
Amount of each line item (class of items) subject to reclassification	5	N/A
Material effect of retrospective application (restatement or reclassification) on information at the beginning of the previous reporting period	6	N/A

Note 3. Summary of accounting principles, significant accounting estimates and judgments in applying accounting policies

Disclosure requirements	Line No.	Description
		1
Summary of accounting principles, significant accounting estimates and judgments in applying accounting policies	1	x
Section I. Effect of estimates and assumptions	2	x
Judgments (other than those involving estimates) made by management in applying the accounting policies that have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements	1	The Company makes estimates and assumptions that affect both the amounts recognized in the financial statements and the carrying amount of assets and liabilities in the subsequent reporting period. Estimates and assumptions are continuously reviewed based on management's experience and other factors, including expectations of future events that are considered reasonable under current circumstances.
Effect of estimates and assumptions on recognized assets and liabilities (disclosure of line items in the financial statements that are mostly affected by professional estimates and assumptions, together with commentary on how such judgments affect the measurement of these items)	2	The professional judgments that have the most significant effect on the amounts recognized in these special purpose financial statements, as well as estimates that may result in material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities during the next financial period, include the following: - Measurement of insurance contract liabilities. All contracts are subject to a liability adequacy test, which reflects management's best current estimate of future cash flows. - Change in loss reserves. The financial statements reflect insurance reserves that were measured in accordance with the best estimate principle. - Tax legislation. Russian tax legislation is subject to varying interpretations. Due to the complexity of the legal framework, the determination of income tax liabilities involves a degree of judgment. Certain judgments made by the Company's management in determining tax amounts may be interpreted differently by the tax authorities. The Company recognizes tax liabilities based on an assessment of potential additional tax exposures that may arise from tax audits. As at 31 December 2025, management believes that its interpretation of the applicable legislation is appropriate and that the Company's tax position will be sustained.

Disclosure requirements	Line No.	Description
Key actuarial assumptions used in the measurement of life insurance contract liabilities	3	N/A
Key actuarial assumptions used in the measurement of non-life insurance contract liabilities	4	The Company establishes insurance reserves in accordance with the best estimate principle, taking into account the guidance described in IFRS 4, which has been superseded by the introduction of IFRS 17 effective from 1 January 2025. In determining insurance reserves on a best estimate basis, the Company assumes the following: - Future expenses arising from all concluded reinsurance contracts should include claims payments upon insured events, business maintenance costs, loss adjustment expenses, contract termination costs, and other related expenses. - Future income arising from all concluded contracts includes insurance premiums and other income. - The best estimate of insurance reserves is determined without taking into account reinsurance transactions and other insurance-related recoveries that offset the insurer's costs, such as subrogation and recourse recoveries, as well as recoveries from insured property and/or its salvage value. The Company recognizes insurance reserves in the financial statements in an amount not less than their best estimated value. The key actuarial assumptions used in the measurement of non-life insurance contract liabilities are as follows: - The unearned premium reserve (UPR) for inward reinsurance contracts across all risk groups is calculated based on the assumption that an insured event may occur at any time during the coverage period or risk exposure period. - Since individual claim amounts under inward reinsurance contracts at the reporting date are determined by Company employees based on the information available at that date, no actuarial assumptions are applied in respect of reported claims. - For the reserve for incurred but not reported (IBNR) claims, it is assumed that loss development factors, claims reporting lags and loss ratios based on the parent's statistics are applicable for estimating the Company's liabilities. This is a fundamental assumption, which is subject to regular review as the Company accumulates its own data, with corresponding adjustments to the methodology. A further key assumption is that the development of paid claims within the analyzed portfolio sufficiently stable for actuarial methods to retain predictive validity.
		This assumption is the weakest, as claim development exhibits significant volatility, and therefore the risk of under- or overestimation of reserves is rather significant. The above assumption is supplemented by the assumption that external changes (economic and political) and resulting internal business adjustments (including a near-complete withdrawal from aviation reinsurance, redenomination of reinsurance contracts into Russian rubles instead of foreign currency, and tightening of underwriting procedures) have led to changes in estimates of parameters (mainly loss ratios), with greater weight now placed on more recent periods compared to estimates at previous reporting dates. A key assumption of the simple loss ratio method is the comparability of the current and past underwriting portfolios in terms of the volume of expected losses normalized by earned premium with no regard to their actual development.

Disclosure requirements	Line No.	Description
		- The reserve for loss adjustment expenses (LAE) is calculated based on the assumption that the structure and level of such expenses will not differ significantly from current levels, assuming continued reinsurance operations under the existing license. The estimate is based on the historical experience data related to claims assessment and settlement, and determination of the amount of payments under the contracts for the year preceding the reporting date. For both direct and indirect expenses, it is assumed that for claims outstanding at the reporting date, the average cost of settlement per claim will be equal to the historical ratio of incurred loss adjustment expenses to claims paid over the preceding reporting periods. - The reserve for unexpired risk (URR) is established when unearned premium is insufficient to cover expected future claims, claims handling expenses, and future expenses on servicing the existing insurance portfolio. In general, the assessment of the need for an URR was performed on a going concern basis, assuming that the Company will continue its operations during the next reporting period. The URR is measured based on historical experience and assumptions regarding loss ratios (including loss adjustment expenses) and the level of expenses for managing the current portfolio. The amount of the reserve is determined through an adequacy test of the UPR at the Company level.
Key approaches to the measurement of financial instruments	5	The Company does not have any financial instruments measured at fair value.
Revaluation of assets and liabilities denominated in foreign currencies	6	The functional currency of the Company is the national currency of the Russian Federation, the Russian ruble. On initial recognition, income and expenses, as well as assets and liabilities arising from transactions in foreign currencies, are translated in the ruble equivalent of the corresponding foreign currency at the official exchange rate of the Bank of Russia at the date of recognition. Monetary items denominated in foreign currencies are subsequently translated into the ruble equivalent of the corresponding foreign currency at the official exchange rate at the reporting date. Non-monetary items measured at historical cost in a foreign currency are not retranslated after initial recognition. Non-monetary items measured at fair value in a foreign currency are translated into the ruble equivalent of the corresponding foreign currency at the official exchange rate at the date the fair value was determined.
Going concern	7	The financial statements have been prepared on the assumption that the Company operates and will continue to operate in the foreseeable future (at least 12 months from the date of the financial statements). Accordingly, the Company has neither the intention nor the need to liquidate or curtail materially the scale of its operations.
Restatement of items for previous periods considering changes in general purchasing power of the Russian ruble	7.1	N/A
Section III. Accounting policies relevant to understanding the financial statements. Recognition criteria and measurement basis for financial instruments	14	x

Disclosure requirements	Line No.	Description
Recognition criteria and measurement basis for cash and equivalents	10	Cash and cash equivalents are assets that are readily convertible into known amounts of cash and are subject to insignificant changes in value. Cash and cash equivalents comprise: - Cash on hand - Cash balances on settlement accounts - Minimum balances on settlement accounts with an original maturity of less than three months Funds that are subject to restrictions on use for a period exceeding three months are excluded from cash and cash equivalents and are recognized in the Company's financial statements within deposits and other funds placed with credit institutions. Cash and cash equivalents are carried at amortized cost.
Recognition criteria and measurement basis for deposits and other funds placed with credit institutions and non-resident banks	11	Funds advanced or placed under loans agreements or bank deposit agreements are measured at amortized cost.
Initial and subsequent recognition of financial assets at fair value through profit or loss	12	As at 31 December 2025 and 31 December 2024, the Company did not have any financial assets at fair value though profit or loss.
Initial and subsequent recognition of available-for-sale financial assets	13	As at 31 December 2025 and 31 December 2024, the Company did not have any financial assets classified as available-for-sale.
Initial and subsequent recognition of held-to-maturity financial assets	14	As at 31 December 2025 and 31 December 2024, the Company did not have any financial assets classified as held-to-maturity.
Initial and subsequent recognition of other funds placed and receivables	15	Assets classified as 'Other funds placed and receivables' are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. On initial recognition, these assets are measured at fair value plus transaction costs. Following initial measurement, other funds placed and receivables are carried at amortized cost using the effective interest method less any allowance for impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when such assets are derecognized or impaired, as well as through the amortization process of any discount or premium over the life of the instrument. Other funds placed and receivables are tested for impairment in accordance with the policy applicable to financial assets measured at amortized cost.
Initial and subsequent recognition of investments in subsidiaries, jointly controlled entities and associates	16	As at 31 December 2025 and 31 December 2024, the Company did not have any investments in subsidiaries, jointly controlled entities or associates.
Initial and subsequent recognition of other assets	17	Other assets include inventories, means and subjects of labor received under settlement or foreclosure arrangements (where their intended use has not yet been determined), as well as property and/or salvaged items obtained as a result of the policyholder's (beneficiary's) abandonment of title to insured property. Inventories are initially recognized at cost and are subsequently measured at the lower of cost and net realizable value. Means of labor acquired under settlement or foreclosure arrangements, where their intended use has not yet been determined, are initially recognized at fair value less costs to sell. Subjects of labor acquired under such arrangements are initially recognized at their estimated selling price less costs to sell (net realizable value).

Disclosure requirements	Line No.	Description
		Means of labor acquired under settlement or foreclosure arrangements, where their intended use has not yet been determined, are subsequently measured at the lower of historical cost at the date of recognition and fair value less costs to sell. Means of labor acquired under settlement or foreclosure arrangements, where their intended use has not yet been determined, are subsequently measured at the lower of historical cost at the date of recognition and the estimated selling price less costs to sell (net realizable value) at the end of each reporting year. Property and/or salvaged items obtained as a result of the policyholder's (beneficiary's) abandonment of title to insured property, are initially recognized at the estimated selling price less costs to sell (net realizable value), and are subsequently measured at the lower of their carrying amount and net realizable value at the end of each reporting year.
Initial and subsequent recognition of financial liabilities at fair value through profit or loss	18	The Company recognizes a financial liability in its statement of financial position when, and only when, it becomes a party to contractual provisions. On initial recognition of a financial liability measured at fair value, the Company measures and subsequently carries it at fair value; gains or losses are recognized through profit or loss. The Company derecognizes a financial liability (or part of a financial liability) in the statement of financial position when, and only when, it is extinguished, that is, when the obligation specified in the agreement is discharged or canceled or expires.
Initial and subsequent recognition of loans and other borrowed funds	19	Financial liabilities are recognized in the accounting records on the basis of primary accounting documents prepared in accordance with Russian legislation. On initial recognition, the borrowed amount with a term of more than one year is determined by discounting future cash flows at a market effective interest rate. After initial recognition, borrowed amounts are carried at amortized cost using the effective interest method. Amortized cost is the amount at which the financial instrument was initially recognized, less repayments of principal, plus/(less) accrued interest, less impairment losses (either directly or through the use of an allowance account). Amortized cost is calculated by the Company at least quarterly, as at the last day of the reporting period.
Initial and subsequent recognition of debt securities issued	20	As at 31 December 2025 and 31 December 2024, the Company did not have any debt securities issued.
Initial and subsequent recognition of other financial liabilities	21	Other financial liabilities of the Company are carried at amortized cost.
Offsetting of financial assets and financial liabilities	22	For the purpose of presenting balance sheet items, offsetting is performed if, and only if, the Company currently has a legally enforceable right to set off the recognized amounts, and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. Where a financial asset has been transferred but does not meet the criteria for derecognition, the Company does not offset the transferred asset against the related liability.
Section IV. Initial and subsequent recognition of hedges	28	x
Cash flow hedges (description of the type of hedge, nature of hedged risks, and description of financial instruments designated as hedging instruments)	23	The Company does not engage in hedging transactions.

Disclosure requirements	Line No.	Description
Fair value hedges (description of the type of hedge, nature of hedged risks, and description of financial instruments designated as hedging instruments)	24	The Company does not engage in hedging transactions.
Hedges of net investments in foreign operations (description of the type of hedge, nature of hedged risks, and description of financial instruments designated as hedging instruments)	25	The Company does not engage in hedging transactions.
Section V. Recognition criteria and measurement basis for assets and liabilities, income and expenses related to insurance activities	32	x
Insurance activities. Recognition and classification of insurance contracts	26	Reinsurance contracts are contracts under which the Company assumes significant insurance risk from the reinsurer by agreeing to compensate if a specified uncertain future event (an insured event) adversely affects the reinsurer. For accounting purposes, a reinsurance contract is classified as short-term if its term or risk period does not exceed 12 months, or there is a contractual option of changing the insurance premium rate or liability limit under certain circumstances. All other contracts are classified as long-term. The Company operates both facultative and treaty reinsurance arrangements. The date of recognition of income under inward reinsurance contract is determined on a contract-by-contract basis. Recognition of insurance premiums under inward reinsurance contracts depends on the form of reinsurance (facultative or treaty), the structure of the arrangement (proportional or non-proportional), and whether the contract is classified as short-term or long-term. For facultative inward reinsurance contracts, recognition occurs at the date when the Company assumes risk under the contract (the commencement of the reinsurance period). Where the commencement date is open-ended and specified in a reinsurance slip or other document, recognition is made at the date of acceptance of such document. Where the effective date of the reinsurer's coverage precedes the acceptance date, recognition is made at the acceptance date. In the case of treaty reinsurance arrangements, the recognition date is either the commencement date under the contract (if specified) or the date of the reinsurer's statement of account (bordereau). The Company cedes risks to reinsurance (retrocession) in respect of contracts where the exposure exceeds the maximum retention limits established by its internal reinsurance policy approved by the CEO in accordance with the requirements of Law No. 4015-1 of the Russian Federation "On Organization of Insurance Business in the Russian Federation" dated 27 November 1992 (as amended on 2 December 2019). The Company accounts for outward reinsurance contracts based on whether they transfer significant insurance risk. A reinsurance contract transfers significant insurance risk if the reinsurer may incur a material loss under the contract.

Disclosure requirements	Line No.	Description
Recognition, derecognition and amortization of deferred acquisition income and costs. Treatment of deferred acquisition costs in liability adequacy testing	27	Direct acquisition costs under reinsurance contracts are recognized when contractual relationships with intermediaries exist or when other circumstances give rise to an obligation to pay a commission, and when the amount of such commission can be measured reliably. The recognition date of direct acquisition costs under reinsurance contracts corresponds to the recognition date of the insurance premium under the related reinsurance contracts. Acquisition income under inward reinsurance contracts represents reinsurance commissions receivable from reinsurers. Such commission income is recognized on the same date as the recognition of the insurance premium under the related reinsurance contract. The Company capitalizes direct acquisition costs (income) related to commissions payable to insurance brokers and other intermediaries. Deferred acquisition costs are determined on a pro rata temporis basis. Deferred acquisition income under outward reinsurance contracts is determined on the same basis. Where contract terms change for contracts under which acquisition costs have previously been capitalized, the amount of deferred acquisition costs is also reassessed. Indirect acquisition costs and income are not capitalized. The Company approved the procedure for liability adequacy testing of the reinsurer's liabilities in the Regulation on the Formation of Insurance Reserves.
Initial and subsequent recognition, impairment testing and derecognition of insurance, co-insurance and reinsurance receivables	28	Reinsurance receivables represent amounts due from reinsurers or brokers and include receivables arising from insurance premiums; receivables arising from subrogation and recourse claims; and receivables from reinsurers in respect of insurance claims. After initial recognition, receivables are reduced by: amounts received from counterparties in settlement of the receivable, with a corresponding credit to cash and cash equivalents; amounts offset against the Company's payables to the counterparty based on a contract, bordereau or mutual offset agreement; write-offs of receivables deemed uncollectible, charged against the impairment allowance. Offsetting of assets and liabilities under different reinsurance contracts, as well as within a single reinsurance contract between different reinsurers and/or types of settlements, is not permitted, except where the Company has a legally enforceable right of set-off under the contract, agreement between the parties, or applicable legislation. The Company performs impairment testing of receivables arising from reinsurance operations. Impairment losses are recognized through an allowance account in an amount sufficient to reduce the asset's carrying amount to the present value of expected future cash flows (excluding future credit losses that have not yet been incurred), discounted using the original effective interest rate of the asset. Uncollectible assets are written off against the allowance for impairment, after all the necessary procedures for full or partial recovery have been completed and the ultimate loss amount has been determined.
Initial and subsequent recognition, and derecognition of insurance, co-insurance and reinsurance payables	29	Reinsurance payables include settlements with brokers and reinsurers, as well as amounts related to subrogation and recourse recoveries. Payables are carried at amortized cost and are recognized on an accrual basis. Reinsurance receivables and payables are offset within a single counterparty where a legally enforceable right to set-off exists.

Disclosure requirements	Line No.	Description
Recognition, classification, measurement, subsequent recognition, impairment testing and derecognition of liabilities under insurance contracts classified as life insurance contracts	30	The Company does not enter into life insurance contracts.
Recognition, classification, measurement, subsequent recognition, impairment testing and derecognition of liabilities under non-life insurance contracts	31	The Company recognizes the following types of insurance reserves. The unearned premium reserve (UPR) represents the portion of gross written premiums that will be earned in subsequent reporting periods. The UPR is calculated separately for each insurance contract on a pro-rata basis and is presented net of estimated contract cancellations in respect of policies in force at the reporting date. Movements in the UPR are recognized in profit or loss in the period in which insurance coverage is provided. Claims reserves represent the amounts estimated by the Company as necessary to fully settle claims incurred but not yet settled at the reporting date, whether reported or not, as well as provisions for related external loss adjustment expenses. Claims reserves include a reserve for reported but not settled claims, a reserve for incurred but not reported (IBNR) claims, and a reserve for loss adjustment expenses (LAE). Claims reserves are estimated by analyzing individual reported claims, as well as through the estimation of IBNR reserves, taking into account the effects of external and internal expected future developments, such as movements in external loss adjustment expenses, regulatory changes, historical experience and prevailing trends. At the reporting date, the Company establishes a reserve for the estimated amount required to fully settle claims arising from insured events that occurred prior to that date, whether reported or not, including related external loss adjustment expenses, net of amounts already paid. Claims reserves are not discounted for the time value of money. The reserve for unexpired risk (URR) represents an estimate of claims and expenses arising from unexpired policies. The reserve is recognized when the expected claims and loss adjustment expenses arising during the unexpired coverage period of insurance policies in force at the reporting date exceed the UPR for those policies, net of deferred acquisition costs. The URR is calculated based on historical data, projected loss rates (including loss adjustment expenses), and costs associated with maintaining the existing insurance portfolio. Expected insurance claims are based on events that occurred prior to the reporting date. The key assumptions used in the liability adequacy test are described in line 4 of this table.
Initial and subsequent recognition, classification and derecognition of liabilities under life insurance contracts classified as investment contracts with or without discretionary participation features	32	The Company does not enter into life insurance contracts.
Recognition, measurement and derecognition of reinsurance assets, and impairment assessment procedures. Composition and definition of reinsurance assets	40	In the course of its operations, the Company cedes risk to reinsurance. Reinsurance assets represent amounts receivable from reinsurance companies in respect of insurance liabilities ceded to reinsurers. Recoveries are measured in accordance with the terms of reinsurance contracts using methods consistent with those applied in the measurement of the underlying insurance contract liabilities. At each reporting date, reinsurance assets are assessed for impairment. The identification of impairment indicators and the measurement of impairment losses on reinsurance assets follow the same approach as that applied to the impairment assessment of insurance receivables. Impairment losses on reinsurance assets in the form of reinsurers' share of insurance reserves are reflected as a reduction of that share.

Disclosure requirements	Line No.	Description
Initial and subsequent recognition of insurance and reinsurance premiums	33	Premiums under facultative reinsurance contracts are recognized at the date when the Company assumes risk under the underlying insurance contracts and are earned on a pro rata basis over the term of insurance contracts. Where the commencement of risk under a reinsurance contract occurs prior to the acceptance date of the contract, the recognition date is deemed to be the acceptance date of the reinsurance contract. Premiums under proportional treaty reinsurance contracts are recognized at the date of acceptance of the premium bordereau (statement of account) in the amount specified therein, as received from the reinsurer. Premiums under non-proportional treaty reinsurance contracts are recognized as income and accrued as follows: minimum deposit premiums are recognized as income at the inception date of the reinsurance contract in the amount specified in the contract. Reinstatement premiums are recognized when the right to receive them arises, if such payment is provided for under the reinsurance contract. The Company determines the recognition date for reinstatement premiums as the date when the obligation to make a claim payment arises under an insured event that triggers such reinstatement, but not earlier than the date when the Company became aware (or should have become aware) of its obligation to make the payment. At each reporting date, the Company estimates additional premiums to be accrued under reinsurance contracts where final information is not available due to delayed receipt of documentation from reinsurers. Such estimates are based on the expected amount of reinsurance premiums determined in accordance with the terms of the reinsurance contracts.
Initial and subsequent recognition of insurance claims under insurance and reinsurance contracts, including reinsurers' share of claims	34	Insurance claims under reinsurance contracts are recognized at the date when the claim is recognized under the underlying insurance contract. Under non-proportional treaty reinsurance, claims are recognized at the date when the reinsurer accepts the loss bordereau. The reinsurer's share of claims is recognized at the date when the claim is recognized under the inward reinsurance contract.
Composition and classification of acquisition costs. Recognition of acquisition costs and income	35	Acquisition costs represent expenses incurred in connection with the conclusion and renewal of reinsurance contracts. Acquisition costs are classified as direct or indirect. Direct acquisition costs are variable costs incurred by the reinsurer in connection with the conclusion or renewal of specific reinsurance contracts. Indirect acquisition costs include variable costs incurred in relation to the conclusion of insurance contracts which cannot be directly attributed to specific reinsurance contracts, but are associated with sales promotion or incentives, where a relationship between such costs and the growth in insurance premiums can be established. Expenses in the form of commissions payable to insurance brokers and reinsurance commissions under reinsurance contracts are recognized at the date of recognition of the insurance premium under the inward reinsurance contract. Other direct acquisition costs are recognized as the related services are rendered, based on supporting documentation.
Recognition of income from subrogation and recourse claims	36	Income from subrogation and recourse claims represents compensation receivable by the Company from at-fault parties, as well as from insurers covering the liability of such parties, in the portion attributable to the Company in accordance with the terms of the reinsurance contract.

Disclosure requirements	Line No.	Description
Recognition of income from disposal of salvage (abandonment)	37	The Company does not engage in the disposal of salvage.
Composition and recognition of income and expenses from compulsory health insurance operations	38	The Company does not engage in compulsory health insurance operations.
Accounting for changes in liabilities under contracts classified as insurance contracts and investment contracts with discretionary participation features	39	The Company does not enter into life insurance contracts.
Section VI. Recognition criteria and measurement basis for investment property	48	x
Accounting model applied to investment property	41	As at 31 December 2025 and 31 December 2024, the Company did not hold any investment property.
Criteria used to distinguish investment property from owner-occupied property and property held for sale in the ordinary course of business	42	As at 31 December 2025 and 31 December 2024, the Company did not hold any investment property.
Extent to which the fair value of investment property (measured or disclosed in the financial statements) is based on valuations performed by an independent appraiser with an appropriate recognized professional qualifications and recent experience in valuing investment property of the same category and location as the subject property	43	As at 31 December 2025 and 31 December 2024, the Company did not hold any investment property.
Section VII. Recognition criteria and measurement basis for property and equipment	52	x
Section VIII. Recognition criteria and measurement basis for intangible assets	56	x
Disclosure of each class of intangible assets with indefinite useful lives, including annual impairment testing and indicators of impairment	49	As at 31 December 2025 and 31 December 2024, the Company did not have any intangible assets with indefinite useful lives.
Useful lives and amortization methods for intangible assets with finite useful lives, determination of residual value and related changes	50	Intangible assets with finite useful lives are amortized over their useful lives. The Company amortizes intangible assets with finite useful lives on a straight-line basis over their estimated useful lives. Amortization begins when the intangible asset becomes available for use and ceases at the earlier of the date when the asset is classified to non-current assets held for sale and the date when the asset is derecognized. Amortization is not suspended during the asset's useful life. The useful life of an intangible asset may not exceed the Company's operating life (licenses – 1 to 5 years; software – 3 to 5 years; website – 1 to 10 years; other – 5 years).

Disclosure requirements	Line No.	Description
Accounting for costs of internally generated intangible assets	51	The Company divides the process of creating internally generated intangible assets into the research phase and the development phase. Research comprises original and planned investigations undertaken by the Company in order to obtain new scientific or technical knowledge. Expenditure incurred during the research phase when creating an intangible asset is recognized as an expense as incurred. Development is the application of research findings and other knowledge to a plan or design of the production of new or substantially improved devices, products, processes, systems or services prior to their commercial use. Expenditure incurred during the development phase of an intangible asset is recognized as part of the cost of the intangible asset if all of the following conditions are met: - The Company intends to complete the creation of an intangible asset and use it in its operations. - The intangible asset will generate future economic benefits. - The Company has resources (technical, financial and other) to complete the development and use of the intangible asset. - The Company can demonstrate the technical feasibility of completing the intangible asset. - The Company is able to measure reliably the expenditure attributable to the intangible asset in the process of its development. If the Company cannot distinguish between the research phase and the development phase of a project aimed at creating an intangible asset, all expenditure is treated as research costs. Expenditure initially recognized as an expense is not subsequently recognized as part of the cost of an intangible asset.
Section IX. Initial and subsequent recognition of employee benefits and related contributions	62	x
Recognition of expenses related to wages and salaries, including compensationtant and incentives, vacation pay, temporary disability benefits, childcare benefits, year-end bonuses and termination benefits	52	Wages and salaries, contributions to the State Pension Fund and the Social Insurance Fund, paid annual leave, temporary disability benefits and other employee benefits are recognized as the related work is performed (related services are rendered) by Company employees. Salary amounts paid in advance are recognized on the dates specified in the employment contract. Salary amounts paid at month-end are recognized at the last day of the reporting month. Where vacation leave spans the month following the reporting month, the related expense is recognized in the month in which the obligation to pay such leave arises. Accrued vacation represents the expected cost to be paid to an employee for unused paid leave at the end of the annual reporting period. All adjustments (changes) to previously recognized employee benefit obligations and related contributions to extra-budgetary funds are recognized at the last day of the reporting month. Accordingly, adjustments relating to advance payments are also adjusted at the last day of the reporting month, while accrual adjustments relating to month-end calculations are recognized in the following reporting month. Bonus obligations, including those related to year-end performance bonuses, are recognized by the Company when: - The Company has a present obligation to pay bonuses based on internal regulations and other internal documents, employment contacts and/or collective agreements. - The amount of the obligation to pay bonuses, including year-end performance bonuses, can be reliably measured. The methodology for determining bonus obligations is established in the Company's internal regulations and other internal documents, as well as in employment contracts and/or collective agreements.

Disclosure requirements	Line No.	Description
Description of defined benefit pension plans operated by the insurer	53	The Company does not operate any pension plans.
Use of the projected unit credit method to measure defined benefit obligations and the related current service cost	54	The Company does not operate any pension plans.
Recognition of past service cost and other accounting policies relating to post-employment benefits other than defined contribution plans	55	The Company does not operate any pension plans.
Section X. Recognition criteria, measurement basis and accounting policies for other assets and liabilities	67	x
Initial and subsequent recognition of non-current assets held for sale	56	As at 31 December 2025 and 31 December 2024, the Company did not have any non-current assets held for sale.
Initial and subsequent recognition of provisions	57	Provisions recognized as liabilities represent present obligations arising from past events, and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle them (assuming a reliable estimate can be made). A provisions is recognized in the Company's accounting records when all of the following conditions are met: - The Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event (one or more). A constructive obligation arises from the Company's actions, including published policies, statements or other conduct, that create a valid expectation among other parties that the Company will fulfill them. - It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. - A reliable estimate of the obligation can be made. If these conditions are not met, no provision is recognized. The amount recognized as a provision represents the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period, that is, the amount that the Company would rationally pay to settle the obligation or to transfer it to a third party. In measuring provisions, the Company: - Applies appropriate estimation techniques based on specific circumstances and, where necessary, formalizes such approaches in internal policies - Develops assumptions regarding uncertainties and estimates expected expenditure based on professional judgment - Where a large number of possible outcomes exists, measures the obligation by weighting all possible outcomes by their respective probabilities. Where there is a continuous range of possible outcomes and each points within this interval is equally probable, the midpoint of the range is used - Discounts provisions to their present value where the effect of the time value of money is material. The Company independently determines materiality thresholds and, where necessary, formalizes such criteria in its internal policies - Takes account of future events that may affect the amount required to settle an obligation when measuring the provision where there is sufficient objective evidence that the events will occur - Considers other factors that may affect the best estimate of the obligation Where the effect of the time value of money is material, provisions are discounted, i.e., measured at the present value of the expected expenditure required to settle the obligation. Provisions are reviewed by the Company on a quarterly basis no later than the last day of the respective quarter.

Disclosure requirements	Line No.	Description
Initial and subsequent recognition and derecognition of lease liabilities	58	At the commencement date of the lease, the Company, as lessee, recognizes a right-of-use asset and a lease liability. At the commencement date, the right-of-use asset is measured at cost and the lease liability is measured at the present value of lease payments. Lease payments are discounted over the lease term and using the interest rate implicit in the lease. If that rate cannot be readily determined and the Company does not raise borrowed funds, the Company determines the discount by reference to interest rate on loans published by the Bank of Russia for loans secured by assets or guarantees. Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise payments for the right to use the underlying asset during the lease term that are not paid at the commencement date, including: (a) Fixed payments less any lease incentive receivables (b) Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate at the commencement date, depending on changes in market lease rates (refinancing rate) (c) Amounts expected to be payable under residual value guarantees (d) The exercise price of a purchase option, if the lessee is reasonably certain to exercise that option (e) Payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising an option to terminate The initial measurement of the lease liability is included in the cost of the right-of-use asset. The cost of the right-of-use asset also includes lease payments made before the commencement date and initial direct costs incurred by the lessee to enter into the lease. After initial recognition, right-of-use assets relating to property and equipment are measured using the cost model, less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Lease liabilities are subsequently measured by: (a) Increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability (b) Reducing the carrying amount to reflect lease payments made (c) Remeasuring the carrying amount to reflect lease modifications or reassessments Interest expense is accrued on a periodic basis (at least monthly or in accordance with contractual payment dates) for the period since the previous lease payment. From the commencement date, the lease liability is remeasured to reflect changes in lease payments in the event of a change in the lease term, or a change in assessment of an option to purchase the underlying asset. The amount of the remeasurement of the lease liability is recognized by the Company, as the lessee, as an adjustment to the right-of-use asset (with a corresponding increase or decrease in the carrying amount of the lease liability). The lease liability is also remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate in any of the following cases: - A change in the lease term (revised lease payments are determined based on the revised lease term) - A change in the option to purchase the underlying asset (revised lease payments are determined to reflect the change in the amounts payable under the option to purchase the underlying asset) The revised discount rate is determined as the interest rate implicit in the lease for the remaining lease term, if that rate can be readily determined, or otherwise as the lessee's incremental borrowing rate at the date of the remeasurement. If that rate cannot be readily determined and the Company does not raise borrowed funds, the Company determines the discount by reference to interest rate on loans published by the Bank of Russia for loans secured by assets or guarantees. The lease liability is further remeasured by the lessee by discounting the revised lease payments in any of the following cases:

Disclosure requirements	Line No.	Description
		- When there is a change in the amounts expected to be payable under residual value guarantee (with revised lease payments reflecting such changes) - When future lease payments change as a result of changes in the index or rate used to determine those payments (remeasurement is recognized only when the related cash flows change) The Company, acting as the lessee, applies a constant discount rate, except where a change in lease payments results from changes in floating rates.
Use of recognition exemptions for short-term leases and leases of low-value assets	58.1	N/A
Initial and subsequent recognition and derecognition of payables	59	Payables are carried at amortized cost and are recognized on an accrual basis. When reinsurance receivables are impaired, a corresponding write-off of the related liability (reinsurance payable) may be recognized. Such write-offs are assessed and recognized on an individual basis for each liability, and the amount written off does not exceed the amount of impairment recognized on the related asset (reinsurance receivable) for each respective pair. Where reinsurance premium receivables are impaired, a proportionate write-off of the related payable to the insurance intermediary under the same reinsurance contract may be recognized. In such cases, the same impairment percentage applied to the receivable may applied to determine the amount of the payable to be written off.
Recognition and measurement of share capital and share premium	60	Share capital represents the maximum amount of capital within which the Sole Member bears liability for the Company's outstanding obligations to its creditors. The amount of share capital corresponds to the nominal value of the Sole Member's equity interest as approved in the Company's Articles of Association.
Recognition and measurement of treasury shares	61	The Company has no treasury shares.
Recognition and measurement of reserve fund	62	The Company does not maintain reserve fund.
Initial recognition, measurement, subsequent recognition and derecognition of deferred tax assets and deferred tax liabilities	63	Deferred tax assets and liabilities comprise amounts of income tax that are expected to affect the reduction or increase, respectively, of income tax payable in future reporting periods. A deferred tax liability represents the amount of income tax payable in future reporting periods in respect of taxable temporary differences. A deferred tax asset is the amount of income tax recoverable in future reporting periods in respect of: • Deductible temporary differences • Tax losses carried forward not utilized to reduce income tax Deferred tax liabilities are recognized for all taxable differences at an amount equal to the product of such differences and the income tax rate established by Russian tax legislation and effective at the end of the reporting period. Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences can be utilized. Deferred tax assets are measured as the product of deductible temporary differences or tax losses carried forward and the income tax rate established by Russian tax legislation and effective at the end of the reporting period.

Disclosure requirements	Line No.	Description
		If the Company does not expect to generate sufficient taxable profit to utilize part or all of a deferred tax asset, such part or the entire amount of the deferred tax asset is not recognized. Any unrecognized deferred tax asset is reassessed at each reporting date and is recognized to the extent that it becomes probable that future taxable profit will be available for the deferred tax asset to be utilized. Deferred tax liabilities and deferred tax assets are not discounted.
Recognition of dividends	64	The Company's ability to declare and pay dividends is governed by applicable Russian law. Dividend income is recognized when the Company's right to receive the related distribution is established and it is probable that the economic benefits associated with the dividends will flow to the Company.

Note 5. Cash and cash equivalents

Table 5.1. Cash and cash equivalents

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	31.12.2025	31.12.2024
		1	2
Cash at bank	3	1,167,306	500,523
Total	**7**	**1,167,306**	**500,523**

Text disclosure. Cash and cash equivalents

Line No.	Content
	1
1	x
2	As at 31 December 2025, the balances presented in line 3 of Table 5.1 comprise funds held with the following credit institutions: VTB BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) in the amount of RUB 102,123 thousand, or 8.75% of total cash balances; SBERBANK OF RUSSIA PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY in the amount of RUB 64 thousand, or 0.01% of total cash balances; ALFA-BANK JOINT-STOCK COMPANY in the amount of RUB 160,069 thousand, or 13.71% of total cash balances; T-BANK JOINT-STOCK COMPANY in the amount of RUB 255 thousand, or 0.02% of total cash balances; UNICREDIT BANK JOINT-STOCK COMPANY in the amount of RUB 453,858 thousand, or 38.88% of total cash balances; Commercial Indo Bank LLC in the amount of RUB 80 thousand, or 0.02% of total cash balances; and OTP Bank JSC in the amount of RUB 450,857 thousand, or 38.62% of total cash balances. As at 31 December 2024, the balances presented in line 3 of Table 5.1 comprise funds held with the following credit institutions: VTB BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) in the amount of RUB 86,461 thousand, or 17.27% of total cash balances ; SBERBANK OF RUSSIA PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY in the amount of RUB 180 thousand, or 0.04% of total cash balances; ALFA-BANK JOINT-STOCK COMPANY in the amount of RUB 410,581 thousand, or 82.03% of total cash balances; ROSBANK PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY in the amount of RUB 559 thousand, or 0.11% of total cash balances; UNICREDIT BANK JOINT-STOCK COMPANY in the amount of RUB 2,550 thousand, or 0.51% of total cash balances; Commercial Indo Bank LLC in the amount of RUB 92 thousand, or 0.02% of total cash balances; and OTP Bank JSC in the amount of RUB 99 thousand, or 0.02% of total cash balances.

Table 5.2. Reconciliation of amounts in the statement of cash flows with similar items in the balance sheet

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	31.12.2025	31.12.2024
		3	4
Cash and cash equivalents in the balance sheet	1	1,167,306	500,523
Other	2.1	(2,196)	(2,096)
Cash and cash equivalents in the statement of cash flows	**3**	**1,165,110**	**498,427**

Note 6. Deposits and other funds placed with credit institutions and non-resident banks

Table 6.1. Deposits and other funds placed with credit institutions and non-resident banks

31.12.2025

(Amount in RUB'000)

Indicator	Line No.	Not impaired	Total	Carrying amount
		1	3	5
Other funds placed	5	2,201,007	2,201,007	2,201,007
Total	**6**	**2,201,007**	**2,201,007**	**2,201,007**

31.12.2024

(Amount in RUB'000)

Indicator	Line No.	Not impaired	Total	Carrying amount
		1	3	5
Other funds placed	a.5	2,184,419	2,184,419	2,184,419
Total	**a.6**	**2,184,419**	**2,184,419**	**2,184,419**

Text disclosure. Deposits and other funds placed with credit institutions and non-resident banks

Line No.	Content
	1
1	As at 31 December 2025, the amounts presented in line 3 of Table 6.1 comprise deposits placed with the following credit institutions: SBERBANK OF RUSSIA PUBLIC JOINT STOCK COMPANY in the amount of RUB 590,900 thousand (interest rate: 15.57%; maturity: 28 January 2026); ALFA-BANK JOINT-STOCK COMPANY in the amount of RUB 500,000 thousand (interest rate: 16.00%; maturity: 24 February 2026); VTB BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) in the amount of RUB 590,000 thousand (interest rate: 14.20%; maturity: 26 January 2026); and T-BANK JOINT-STOCK COMPANY in the amount of RUB 439,300 thousand (interest rate: 14.40%; maturity: 12 January 2026), as well as interest accrued on the above deposits. As at 31 December 2024, line 5 of Table 6.1 presents deposits with the following credit institutions: SBERBANK OF RUSSIA PUBLIC JOINT STOCK COMPANY in the amount of RUB 486,000 thousand (interest rate: 18.90%; maturity: 14 January 2025); ALFA-BANK JOINT-STOCK COMPANY in the amount of RUB 415,000 thousand (interest rate: 20.16%; maturity: 14 January 2025); VTB BANK (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) in the amount of RUB 475,000 thousand (interest rate: 19.10%; maturity: 14 January 2025); Rosbank PJSC in the amount of RUB 370,700 thousand (interest rate: 17.44%; maturity: 14 January 2025); and OTP Bank JSC in the amount of RUB 350,000 thousand (interest rate: 18.50%; maturity: 9 January 2025), as well as interest accrued on the above deposits.

Table 6.2. Nominal interest rates and expected maturities of deposits and other funds placed with credit institutions and non-resident banks

Indicator	Line No.	31.12.2025		31.12.2024	
		Contractual interest rate range	Maturity range	Contractual interest rate range	Maturity range
		1	2	3	4
Deposits	2	20.43–16.68	90–120	21.91–18.54	90–120

Note 10. Insurance, co-insurance and reinsurance receivables

Table 10.1. Insurance, co-insurance and reinsurance receivables

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	31.12.2025	31.12.2024
		3	4
Non-life insurance receivables	2	123,481	194,211
Total	**3**	**123,481**	**194,211**

Table 10.3. Non-life insurance receivables

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	31.12.2025	31.12.2024
		3	4
Inward reinsurance receivables	4	123,481	194,211
Total	**13**	**123,481**	**194,211**

Text disclosure. Non-life insurance receivables

Line code	Content
	1
1	Receivables exceeding RUB 100 thousand. As at 31 December 2024, the Company had 11 debtors, each owing over RUB 100 thousand (31 December 2023: 15 debtors). The total amount receivable from these debtors was RUB 194,071 thousand (31 December 2023: RUB 190,859 thousand), representing 100% of total reinsurance receivables (31 December 2023: 100%). Receivables exceeding RUB 1 million. As at 31 December 2024, the Company had 10 debtors, each owing over RUB 1 million (31 December 2023: 7 debtors). The total amount receivable from these debtors was RUB 193,931 thousand (31 December 2023: RUB 187,179 thousand), representing 99.86 % of total reinsurance receivables (31 December 2023: 98.07 %).

Note 12. Loans, other funds placed and other receivables

Table 12.1. Loans, other funds placed and other receivables

31.12.2025

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	Not impaired	Total	Carrying amount
		1	3	5
Finance lease receivables	6	1,040	1,040	1,040
Total	**12**	**1,040**	**1,040**	**1,040**

31.12.2024

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	Not impaired	Total	Carrying amount
		1	3	5
Finance lease receivables	a.6	1,040	1,040	1,040
Total	**a.12**	**1,040**	**1,040**	**1,040**

Note 15. Reserves and reinsurers' share of non-life insurance reserves

Table 15.1. Reserves and reinsurers' share of non-life insurance reserves

(Amount in RUB'000)

Indicator	Line No.	31.12.2025			31.12.2024		
		Reserves	Reinsurers' share of reserves	Reserves, net	Reserves	Reinsurers' share of reserves	Reserves, net
		1	2	3	4	5	6
Unearned premium reserve	1	343,373	323,964	19,409	309,944	296,018	13,926
Loss reserves	2	2,234,115	2,178,262	55,853	1,849,308	1,803,075	46,233
Reserve for loss adjustment expenses	3	44,354	17,350	27,004	31,623	16,408	15,215
Total	**7**	**2,621,842**	**2,519,576**	**102,266**	**2,190,875**	**2,115,501**	**75,374**

Text disclosure. Reserves and reinsurers' share of non-life insurance reserves

Line No.	Description
	1
1	As at 31 December 2025, the Company assessed the adequacy of its non-life insurance reserves. The loss reserve recognized by the Company equals the best actuarial value, which means that the reserve is adequate.

Table 15.2. Movements in unearned premium reserve and reinsurers' share of unearned premium reserve

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	Reserves	Reinsurers' share of reserves	Reserves, net
		1	2	3
At the beginning of the reporting period	1	309,944	296,018	13,926
Premiums written during the reporting period	2	1,181,508	1,125,329	56,179
Premiums earned during the reporting period	3	(1,148,079)	(1,097,383)	(50,696)
At the end of the reporting period	5	343,373	323,964	19,409

Movements in the unearned premium reserve and reinsurers' share of the unearned premium reserve. Comparative data.

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	Reserves	Reinsurers' share of reserves	Reserves, net
		1	2	3
At the beginning of the comparative period	1	140,057	135,352	4,705
Premiums written during the comparative period	2	928,699	882,522	46,177
Premiums earned during the comparative period	3	(758,812)	(721,856)	(36,956)
At the end of the comparative period	5	309,944	296,018	13,926

Text disclosure. Movements in the unearned premium reserve and reinsurers' share of the unearned premium reserve.

Line No.	Content
	1
1	In order to meet insurance liabilities on insured events that have not yet occurred, but may occur in the future, the Company forms an unearned premium reserve (UPR) at the expense of insurance premiums written. Therefore, the UPR is a monetary estimate of the Company's liabilities that may arise in the future after the reporting date up to the expiration of the insurance contract. The UPR was calculated based on insurance premiums, denominated in the currency of inward reinsurance contracts taking into account a decrease or increase in insurance premiums due to changes in contract terms (gross premiums written). The UPR was calculated in the contract currency. If the contract currency was different from the Russian ruble, the ruble equivalent of the UPR was obtained by multiplying the generated UPR in the contract currency by the exchange rate of the respective currency at the reporting date. The UPR under insurance contracts as at 31 December 2025 was calculated using the pro rata temporis method. The unearned premium determined using the pro rata temporis method is calculated for each contract as the product of the insurance premium written under the contract and the ratio of the unexpired term of reinsurance under the contract (in days) to the entire term of reinsurance (in days). The reinsurers' share of the UPR and deferred acquisition income. At the reporting date, the Company had a single quota share outwards treaty covering the entire spectrum of the inward reinsurance business underwritten by the Company. The reinsurer's share was calculated as the amount of the UPR for each inward reinsurance contract multiplied by the retrocessionary's share in accordance with the terms of this contract (97.5%). Similarly, for each inward reinsurance contract, deferred acquisition income was calculated using the pro rata temporis method from original commissions, fronting fees, profit commission (tantieme), breakeven discounts, brokerage commissions, taxes and any other deductions provided for in the outwards treaty (6.75% of the gross retrocessional premium).

Table 15.3. Movements in the loss reserve and reinsurers' share of the loss reserve (Amount in RUB'000)

Indicator	Line No.	Reserves	Reinsurers' share in reserves	Reserves, net
		1	2	3
At the beginning of the reporting period	1	1,849,308	1,803,075	46,233
Losses incurred in the current reporting period	2	1,083,805	1,056,695	27,110
Claims paid during the current reporting period	4	(698,998)	(681,509)	(17,490)
At the end of the reporting period	6	2,234,115	2,178,262	55,853

Movements in the loss reserve and reinsurers' share of the loss reserve (comparative data) (Amount in RUB'000)

Indicator	Line No.	Reserves	Reinsurers' share in reserves	Reserves, net
		1	2	3
At the beginning of the comparative period	1	1,119,188	1,091,208	27,980
Losses incurred in the comparative period	2	1,003,601	978,511	25,090
Claims paid during the comparative period	4	(273,481)	(266,644)	(6,837)
At the end of the comparative period	6	1,849,308	1,803,075	46,233

Text disclosure. Movements in the loss reserve and reinsurers' share of the loss reserve

Line No.	Content
	1
1	The retrocessional protection of the Company's portfolio is ensured by a single quota share outwards treaty covering the entire range of the inwards reinsurance business underwritten by the Company. The quota share of participation (own retention) of the Company is 2.5% for each risk, the share of the retrocessionaire is 97.5%. The sole reinsurer (retrocessionaire) is GIC Re (Mumbai), the Sole Member of the Company. RNPK JSC refused the 10% share offered as part of the mandatory cession. The reinsurers' share of the outstanding claims reserve is formed in accordance with the quota outwards treaty, i.e., as 97.5% of the Company's share of the original claim. The reinsurers' share of the IBNR reserve is formed in accordance with the quota outwards treaty, i.e., as 97.5% of the IBNR reserve for the reserve group. The reinsurers' share of the reserve for loss adjustment expenses was formed as 97.5% of direct loss adjustment expenses. The reinsurers' share of the URR by reserve group is not calculated, because no URR was formed as at 31 December 2025.

Table 15.4. Movements in the reserve for loss adjustment expenses and reinsurers' share of the reserve for loss adjustment expenses

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	Reserves	Reinsurers' share of reserves	Reserves, net
		1	2	3
At the beginning of the reporting period	1	31,623	(16,408)	15,215
Loss adjustment expenses incurred in the current reporting period	2	21,645	(9,661)	11,984
Loss adjustment expenses paid during the reporting period	4	(8,914)	8,719	(194)
At the end of the reporting period	5	44,354	(17,350)	27,004

Movements in the reserve for loss adjustment expenses and reinsurers' share of the reserve for loss adjustment expenses. Comparative data

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	Reserves	Reinsurers' share of reserves	Reserves, net
		1	2	3
At the beginning of the comparative period	1	58,667	(24,464)	34,203
Loss adjustment expenses incurred during the comparative period	2	(25,506)	6,556	(18,945)
Loss adjustment expenses paid during the comparative period	4	(1,538)	1,500	(38)
At the end of the comparative period	5	31,623	(16,408)	15,215

Note 21. Intangible assets

Table 21.1. Intangible assets

(Amount in RUB'000)

Indicator	Line No.	Intangible assets acquired	Total
		Computer software	
		3	2
Carrying amount at the beginning of the comparative period, including: Total	1	25,349	25,349
Cost (revalued amount)	2	27,622	27,622
Accumulated amortization	3	(2,273)	(2,273)
Additions	5	4,249	4,249
Disposals, including: Total	8	(1,591)	(1,591)
Accumulated amortization	10	(1,591)	(1,591)
Amortization	12	(858)	(858)
Impairment, including:			
Reversal of impairment, including:			
Revaluation surplus (deficit), including:			
Carrying amount at the end of the comparative period, including: Total	23	27,149	27,149
Cost (revalued amount)	24	30,281	30,281
Accumulated amortization	25	(3,132)	(3,132)
Carrying amount at the beginning of the reporting period, including: Total	27	27,149	27,149
Cost (revalued amount)	28	30,281	30,281
Accumulated amortization	29	(3,132)	(3,132)
Additions	31	6,140	6,140
Disposals, including: Total	34	(2,259)	(2,259)
Accumulated amortization	36	(2,259)	(2,259)
Amortization	38	(2,559)	(2,559)
Impairment, including:			
Reversal of impairment, including:			
Revaluation surplus (deficit), including:			
Other	48	2,259	2,259
Carrying amount at the end of the reporting period, including: Total	49	30,730	30,730
Cost (revalued amount)	50	34,162	34,162
Accumulated amortization	51	(3,432)	(3,432)

Note 22. Property and equipment and capital investments in them

Table 22.1. Property and equipment and related capital expenditure (Amount in RUB'000)

Indicator	Line No.	Own property and equipment		Right-of-use assets related to property and equipment	Total
		Office and computer equipment	Motor vehicles	Land, buildings and structures	
		4	5	7	2
Carrying amount at the beginning of the comparative period, including: Total	1	36	749	3,994	4,779
Cost (revalued amount)	2	280	3,211	16,042	19,533
Accumulated depreciation	3	(244)	(2,462)	(12,048)	(14,754)
Additions	5	-	-	27,624	27,624
Disposals, including: Total	9	(280)	-	(16,042)	(16,321)
Cost (revalued amount)	10	(280)	-	-	(280)
Accumulated depreciation	11	-	-	(16,042)	(16,042)
Depreciation	13	(36)	(642)	(13,222)	(13,900)
Impairment, including:					
Reversal of impairment, including:					
Revaluation surplus (deficit), including:					
Other	21	280	-	16,862	17,141
Carrying amount at the end of the comparative period, including: Total	22	-	107	19,216	19,323
Cost (revalued amount)	23	280	3,211	27,624	31,115
Accumulated depreciation	24	(280)	(3,104)	(8,408)	(11,792)
Carrying amount at the beginning of the reporting period, including: Total	26	-	107	19,216	19,323
Cost (revalued amount)	27	280	3,211	27,624	31,115
Accumulated depreciation	28	(280)	(3,104)	(8,408)	(11,792)
Disposals, including: Total	36	-	(3,211)	-	(3,211)
Cost (revalued amount)	37	-	(3,211)	-	(3,211)
Depreciation	40	-	(107)	(9,216)	(9,323)
Impairment, including:					
Reversal of impairment, including:					
Revaluation surplus (deficit), including:					
Other	50	-	3,211	-	3,211
Carrying amount at the end of the reporting period, including: Total	51	-	-	9,999	9,999
Cost (revalued amount)	52	-	3,211	27,624	30,835
Accumulated depreciation	53	-	(3,211)	(17,625)	(20,836)

Note 23. Deferred acquisition costs and income

Table 23.1. Deferred acquisition costs

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	31.12.2025	31.12.2024
		1	2
Deferred acquisition costs related to non-life insurance, co-insurance and reinsurance	3	11,102	6,336
Total	**4**	**11,102**	**6,336**

Table 23.4. Deferred acquisition costs related to non-life insurance, co-insurance and reinsurance

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	Contents
		1
Deferred acquisition costs related to non-life insurance, co-insurance and reinsurance at the beginning of the reporting period	1	6,336
Change in deferred acquisition costs, including:	2	4,767
Deferred acquisition costs for the period	3	62,789
Amortization of deferred acquisition costs	4	(58,023)
Deferred acquisition costs related to non-life insurance, co-insurance and reinsurance at the end of the reporting period	7	11,102

Deferred acquisition costs related to non-life insurance, co-insurance and reinsurance. Comparative data.

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	Contents
		1
Deferred acquisition costs related to non-life insurance, co-insurance and reinsurance at the beginning of the comparative period	1	1,234
Change in deferred acquisition costs, including:	2	5,102
Deferred acquisition costs for the previous reporting period	3	12,639
Amortization of deferred acquisition costs	4	(7,537)
Deferred acquisition costs related to non-life insurance, co-insurance and reinsurance at the end of the comparative period	7	6,336

Table 23.5. Deferred acquisition income

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	31.12.2025	31.12.2024
		1	2
Deferred acquisition income related to non-life insurance, co-insurance and reinsurance	3	16,543	19,981
Total	**4**	**16,543**	**19,981**

Table 23.8. Deferred acquisition income related to non-life insurance, co-insurance and reinsurance

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	Contents
		1
Deferred acquisition income related to non-life insurance, co-insurance and reinsurance at the beginning of the reporting period	1	19,981
Change in deferred acquisition income, including:	2	(3,438)
Deferred acquisition income for the period	3	27,322
Amortization of deferred acquisition income	4	(30,760)
Deferred acquisition income related to non-life insurance, co-insurance and reinsurance at the end of the reporting period	6	16,543

Deferred acquisition income related to non-life insurance, co-insurance and reinsurance. Comparative data.

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	Contents
		1
Deferred acquisition income related to non-life insurance, co-insurance and reinsurance at the beginning of the comparative period	1	9,136
Change in deferred acquisition income, including:	2	10,845
Deferred acquisition income for the period	3	33,575
Amortization of deferred acquisition income	4	(22,730)
Deferred acquisition income related to non-life insurance, co-insurance and reinsurance at the end of the comparative period	6	19,981

Note 24. Other assets and inventories

Table 24.1. Other assets

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	31.12.2025		31.12.2024	
		Gross carrying amount	Carrying amount	Gross carrying amount	Carrying amount
		3	5	6	8
Taxes receivable other than income tax	2	1,315	1,315	1,373	1,373
Receivables from employees	3	224	224	91	91
Trade receivables	6	1,871	1,871	2,320	2,320
Total	**10**	**3,410**	**3,410**	**3,784**	**3,784**

Loans and other borrowed funds

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	31.12.2025	31.12.2024
		1	2
Lease liabilities	6	12,122	21,058
Total	**8**	**12,122**	**21,058**

Note 30. Insurance, co-insurance and reinsurance payables

Table 30.1. Insurance, co-insurance and reinsurance payables

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	31.12.2025	31.12.2024
		1	2
Non-life insurance, co-insurance and reinsurance payables	2	1,659,436	1,314,187
Total	**3**	**1,659,436**	**1,314,187**

Table 30.3. Non-life insurance, co-insurance and reinsurance payables

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	31.12.2025	31.12.2024
		1	2
Payables under inward reinsurance contracts	3	272	874
Payables under outward reinsurance contracts	4	1,659,164	1,313,313
Total	**9**	**1,659,436**	**1,314,187**

Text disclosure. Non-life insurance, co-insurance and reinsurance payables

Line No.	Content
	1
1	The retrocessional protection of the Company's portfolio is ensured by a single quota share outwards treaty. The sole reinsurer (retrocessionaire) is GIC Re (Mumbai), the Company's Sole Member. Therefore, the total amount of reinsurance payables represents payables under this treaty. No balances of payables to counterparties in terms of reinsurance operations with expired contractual maturities are recorded in the balance sheet.

NOTE 35. OTHER LIABILITIES

Table 35.1. Other liabilities

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	31.12.2025	31.12.2024
		1	2
Payables to employees	9	3,522	2,033
Trade payables	11	418	2,993
Taxes payable other than income tax	12	468	393
Total	**18**	**4,408**	**5,419**

NOTE 37. CAPITAL MANAGEMENT

Table 37.1. Comparison of the statutory solvency margin and the actual solvency margin calculated by the insurer in accordance with Russian legislation

Indicator	Line No.	Text disclosure
		1
Description of the insurer's policies and management procedures for complying with equity (capital) adequacy requirements established by the Bank of Russia	1	The Company's capital management objectives are to comply with capital adequacy requirements established by Russian legislation and to ensure its ability to continue as a going concern.

Indicator	Line No.	Text disclosure
Information on the insurer's compliance during the reporting period with the Bank of Russia's regulations on investing equity (capital) and insurance reserves	2	During 2025, the Company complied with all capital adequacy requirements established by the Bank of Russia. The minimum required amount of fully paid share capital as at 31 December 2025 was RUB 600,000 thousand. As at 31 December 2025, the Company's fully paid share capital amounted to RUB 600,000 thousand.
List of instances where the insurer violated equity (capital) requirements established by the Bank of Russia, including description of causes and consequences of such violations	3	None

NOTE 44. NON-LIFE INSURANCE, CO-INSURANCE AND REINSURANCE PREMIUMS – NET OF REINSURANCE

Table 44.1. Insurance, co-insurance and reinsurance premiums

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		3	4
Premiums under inward reinsurance contracts	2	1,181,509	928,699
Total	**4**	**1,181,509**	**928,699**

Table 44.2. Premiums ceded

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
Premiums ceded	1	1,125,329	882,522
Total	**3**	**1,125,329**	**882,522**

NOTE 45. LOSSES INCURRED UNDER NON-LIFE INSURANCE – NET OF REINSURANCE

Table 45.1. Claims paid under insurance, co-insurance and reinsurance contracts

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
Claims paid under inward reinsurance contracts	2	698,998	273,481
Total	**4**	**698,998**	**273,481**

Table 45.2. Loss adjustment expenses

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		3	4
Direct expenses, including: Total	1	8,914	1,538
Expenses for required expert reviews, negotiations	2	8,914	1,538
Indirect expenses, including: Total	**6**	**8,261**	**8,024**
Payroll payable to employees directly engaged in loss adjustment	7	6,527	6,116
Other expenses	8	1,734	1,907

Line item	Line No.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
Total loss adjustment expenses – gross of reinsurance	9	17,175	9,562
Reinsurers' share of loss adjustment expenses	10	(8,719)	(1,500)
otal loss adjustment expenses – net of reinsurance	11	8,456	8,062

Table 45.3. Change in loss reserves

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
Change in loss reserve	1	384,807	730,120
Change in reserve for loss adjustment expenses	2	12,731	(27,043)
Total	**4**	**397,538**	**703,077**

Table 45.4. Change in reinsurers' share of loss reserves

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		3	4
Change in reinsurers' share of loss reserve	1	375,187	711,867
Change in reinsurers' share of reserve for loss adjustment expenses	2	942	(8,056)
Total	**4**	**376,129**	**703,811**

Table 45.5 Recoveries from recourse, subrogation and other reimbursements – net of reinsurance

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	01.01.2025–31.12.2025
		2
Recoveries from recourse and subrogation	1	40
Reinsurers' share of recoveries from recourse and subrogation	2	(39)
Total	**5**	**1**

NOTE 46. EXPENSES ON NON-LIFE INSURANCE, CO-INSURANCE AND REINSURANCE – NET OF REINSURANCE

Table 46.1. Acquisition costs

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
Commissions to insurance brokers	2	11,660	12,271
Expenses on payroll and insurance contributions to state extra-budgetary funds	7	6,125	7,349
Reinsurance commissions to reinsurers	8	15,662	11,264
Other expenses related to contract conclusion	9	2,323	2,952
Total	**10**	**35,770**	**33,836**

Table 46.2. Change in deferred acquisition costs and income (Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
Change in deferred acquisition costs	1	4,767	(5,102)
Change in deferred acquisition income	2	3,437	10,845
Total	**3**	**8,204**	**5,743**

NOTE 48. OTHER NON-LIFE INSURANCE INCOME AND EXPENSES

Table 48.1. Other non-life insurance income (Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
Gains from write-off of payables arising from outward reinsurance contracts	4	21,330	20,547
Gains from write-off of payables arising from insurance and co-insurance operations and inward reinsurance contracts	5	–	3,068
Profit commission under outward reinsurance contracts	6	–	78,710
Total	**8**	**21,330**	**102,325**

Table 48.2. Other non-life insurance expenses (Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
Other expenses	6	41,469	29,593
Total	**7**	**41,469**	**29,593**

NOTE 49. INTEREST INCOME

Table 49.1. Interest income (Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
Interest income			
Arising from non-impaired financial assets, including:	1	407,446	336,489
Total			
Arising from deposits and other funds placed with credit institutions and non-resident banks	5	407,446	336,489
Arising from impaired financial assets, including:			
Total	21	407,446	336,489

NOTE 54. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Table 54.1. General and administrative expenses

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
Personnel expenses	1	45,610	40,227
Depreciation of property and equipment	2	11,556	16,798
Amortization of intangible assets	3	2,559	2,449
Professional services (security, telecommunication, etc.)	6	34,148	30,347
Insurance expenses	7	2,834	3,661
Advertising and marketing expenses	8	-	63
Legal and advisory fees	9	51,316	22,311
Hospitality	11	1,249	1,322
Transportation	12	492	738
Business travel	13	281	-
Fines and penalties	14	-	18
Bank charges	15	198	223
Taxes other than income tax	16	20	21
Other administrative expenses	17	897	694
Total	**18**	**151,160**	**118,872**

Text disclosure. General and administrative expenses

Line No.	Content
	1
1	In 2025, personnel expenses include, among other things, expenses related to employees' annual performance bonuses in the amount of RUB 36,745 thousand (2024: RUB 32,454 thousand), insurance contributions to state extra-budgetary funds made in accordance with Russian legislation in the amount of RUB 8,840 thousand (2024: RUB 7,657 thousand), as well as expenses related to personnel training and retraining in the amount of RUB 25 thousand (2024: RUB 116 thousand).

NOTE 55. INTEREST EXPENSE

Note 55.1 Interest expense

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
Lease liabilities	2	2,227	2,997
Total	**9**	**2,227**	**2,997**

NOTE 57. OTHER INCOME AND EXPENSES

Table 57.1 Other income

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
Other income	11	2,668	1,468
Total	**12**	**2,668**	**1,468**

Note 57.1

Table 57.1.1. Information on leases where the insurer acts as the lessee

Line item	Line No.	Description
Nature of the lessee's leasing activities	1	Lease of office premises
Future cash flows to which the lessee is potentially exposed and which are not reflected in the measurement of lease liabilities	2	0
Restrictions or covenants imposed by leases	3	None
Sale and leaseback transactions	4	None
Amount of lease commitments for short-term leases if the portfolio of short-term leases to which the lessee is committed at the end of the reporting period is dissimilar to the portfolio of short-term leases to which the short-term lease expense relates	5	0

Table 57.1.2. Assets and liabilities related to leases where the insurer acts as the lessee

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	Carrying amount	
		31.12.2025	31.12.2024
		1	2
Property and equipment and related capital expenditure	1	9,999	19,216
Loans and other borrowed funds	**3**	**12,122**	**21,058**

Table 57.1.3. Cash flows from leases where the insurer acts as the lessee

(Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
Cash flows from operating activities, including:			
Cash flows from financing activities, including: Total	5	(13,758)	(11,601)
Payments of lease liabilities	6	(13,758)	(11,601)
Total cash outflows	**7**	**(13,758)**	**(11,601)**

NOTE 58. INCOME TAX

Table 58.1 Income tax expense (benefit) recorded in profit (loss) by component (Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
Income tax expense (benefit) recorded in profit (loss) by component			
Current income tax expense (benefit)	1	(40,094)	(8,465)
Change in deferred tax liability (asset)	3	(31,460)	(62,779)
Total, including: Total	4	(71,554)	(71,244)
Income tax expense (benefit)	6	(71,554)	(71,244)

Text disclosure. Income tax expense (benefit) recorded in profit (loss) by component (income tax rate)

Line item	Line code	31.12.2025	31.12.2024
		1	2
Text disclosure. Income tax rate	**1**	**25.00**	**20.00**

Table 58.2. Reconciliation between the theoretical and the actual income tax expense (Amount in RUB'000)

Line item	Line No.	01.01.2025–31.12.2025	01.01.2024–31.12.2024
		1	2
Profit (loss) before tax	1	281,600	326,876
Theoretical income tax expense (benefit) at the respective base rate (2025: 25%; 2024: 20%	2	(70,359)	(65,375)
Adjustments for non-taxable income or non-deductible expenses under the national tax accounting system, including:	3	(1,195)	(823)
Non-deductible expenses	5	(1,195)	(823)
Effect of income tax rate change	13	-	(5,046)
Income tax expense (benefit)	14	(71,554)	(71,244)

Text disclosure. Reconciliation between the theoretical income tax expense and the actual income tax expense

Line No.	31.12.2025	31.12.2024
	1	2
1	–	On 12 July 2024, Federal Law No. 176-FZ On Amendments to Parts One and Two of the Tax Code of the Russian Federation, Certain Legislative Acts of the Russian Federation, and the Annulment of Certain Provisions of Legislative Acts of the Russian Federation was adopted. Among other changes, the law provides for an increase in the corporate income tax rate from 20% to 25%. Accordingly, income tax for 2024 is payable at a rate of 20%, while from 2025 onwards the new rate of 25% applies. The law is effective from 1 January 2025. Apart from an additional income tax disclosure, the Company recognized additional deferred tax liabilities and deferred tax assets to reflect the increase in the income tax rate effective from 1 January 2025.

Table 58.4 Tax effect of temporary differences and deferred tax loss

Continuing operations

(Amount in RUB'000)

Line item	Line item	Type of temporary differences	At the end of the period	Recognized in profit or loss	At the beginning of the period
		x1	1	2	4
Section I. Tax effect of deductible temporary differences and tax losses carried forward	Significant tax deductible adjustments	Finance leases	531	70	461
	Significant tax deductible adjustments	Provision for unused vacation	1,038	432	606
	Other		5,930	758	5,172
	Total deferred tax asset		7,499	1,260	6,239
	Deferred tax asset for tax loss carried forward		-	(23,188)	23,188
	Deferred tax asset before offsetting against deferred tax liability		7,499	(21,928)	29,427
Section II. Tax effect of taxable temporary differences	Significant tax non-deductible adjustments	Insurance reserves	(62,520)	(9,532)	(52,988)
	Total deferred tax liabilities		(62,520)	(9,532)	(52,988)
	Net deferred tax asset (liability)		(55,021)	(31,460)	(23,561)
	Recognized deferred tax asset (liability)		(55,021)	(31,460)	(23,561)

Tax effect of temporary differences and deferred tax loss. Comparative data.

Continuing operations

(Amount in RUB'000)

Line item	Line item	Type of temporary differences	At the end of the period	Recognized in profit or loss	At the beginning of the period
		x1	1	2	4
Section I. Tax effect of deductible temporary differences and tax losses carried forward	Significant tax deductible adjustments	Finance leases	461	438	23
	Significant tax deductible adjustments	Provision for unused vacation	606	(147)	753
	Significant tax deductible adjustments	Insurance reserves	-	(8,971)	8,971
	Other		5,172	2,717	2,455
	Total deferred tax asset		6,239	(5,963)	12,202
	Deferred tax asset for tax loss carried forward		23,188	(3,829)	27,017
	Deferred tax asset before offsetting against deferred tax liabilities		29,427	(9,792)	39,219
Section II. Tax effect of taxable temporary differences	Significant tax non-deductible adjustments	Insurance reserves	(52,988)	(52,988)	–
	Total deferred tax liabilities		(52,988)	(52,988)	-
	Net deferred tax asset (liability)		(23,561)	(62,780)	39,219
	Recognized deferred tax asset (liability)		(23,561)	(62,780)	39,219

GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA
(A Government of India Company)
CIN: L67200MH1972GOI016133 | **IRDAI REG. NO.:** 112
Regd. Office: 'Suraksha', 170, J. Tata Road, Churchgate, Mumbai-400020
Tel: +91-22-2286 7000 | **Fax:** +91-22-2288 4010
Website: www.gicre.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **54th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)** of the members of **GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA (the Corporation)** will be held on **Tuesday, 22nd September 2026, at 11:00 A.M.**, through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements (Standalone & Consolidated) of the Corporation for the financial year ended 31st March 2026 and the reports of the Board of Directors and the Auditors thereon.
2. To declare dividend of ₹13.25 per equity share for the financial year 2025-26, as recommended by the Board of Directors.
3. To authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the Joint Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2026-27.
4. To appoint a director in place of Ms. Jayashri Balkrishna (DIN: 11210291), who retires by rotation and being eligible, offers herself for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS

5. **Appointment of Shri Hitesh Rameshchandra Joshi (DIN: 09322218) as Chairman-cum-Managing Director (CMD) of the Corporation**

   To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

   "**RESOLVED THAT** pursuant to letter dated 15th June 2026 issued by the Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India, Section 152, 196 and 203 read with the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 and other relevant rules & applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, relevant applicable regulation(s) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 and provisions of Article no. 83 of the Articles of Association of the Corporation, the appointment of Shri Hitesh Rameshchandra Joshi (DIN: 09322218), Executive Director as Chairman-cum-Managing Director (CMD) on the Board of the Corporation in the scale of pay of ₹2,05,400-2,24,400/- (Level 16) with effect from 16th June 2026 i.e. the date of assumption of charge of the post till the date of his superannuation (i.e. 30.09.2028), or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby noted."

   "RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors be and is hereby authorised to do all acts and take all such steps as may be necessary, proper or expedient to give effect to this resolution."

6. **Appointment of Dr. Debasish Prusty (DIN: 10655471) as Government Nominee Director of the Corporation**

   To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

   "**RESOLVED THAT** pursuant to the letter dated 19th June 2026 issued by the Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India, Section 152 and 161(3) read with the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 and other relevant rules & applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, relevant applicable regulation(s) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 and provisions of Article no. 75(ii) of the Articles of Association of the Corporation, the appointment of Dr. Debasish Prusty (DIN: 10655471), Additional Secretary, Department of Financial Services as Government Nominee Director on the Board of the Corporation, with immediate effect i.e. 19th June 2026 and until further orders, be and is hereby noted."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board of Directors be and is hereby authorised to do all acts and take all such steps as may be necessary, proper or expedient to give effect to this resolution."

7. **Appointment of Shri Hiteshkumar Kismatbhai Bhandari (DIN: 11890575) as Part-time Non-Official Director (Independent Director) of the Corporation**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the letter dated 12th August 2026 issued by the Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India, Section 149, 152 and 161(3) read with the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 and other relevant rules & applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, relevant applicable regulation(s) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 and provisions of Article No. 75 of the Articles of Association of the Corporation, the appointment of Shri Hiteshkumar Kismatbhai Bhandari (DIN: 11890575), as Part-time Non-Official Director (Independent Director) on the Board of the Corporation, for a period of three years from the date of issuance of Ministry letter dt. 12th August 2026 or until further orders, whichever is earlier (effective from 13th August 2026 being the date of assumption of office), be and is hereby noted."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors be and is hereby authorised to do all acts and take all such steps as may be necessary, proper or expedient to give effect to this resolution."

Place: Mumbai
Date: 28th August 2026

By the Order of the Board of Directors
For General Insurance Corporation of India

Sd/-
(Satheesh Kumar)
Company Secretary

Registered Office:
"Suraksha",170, J. Tata Road,
Churchgate, Mumbai – 400 020
CIN: L67200MH1972GOI016133
Tel: +91 22 2286 7000
Email: investors.gic@gicre.in
Website: www.gicre.in

NOTES:

1. The Ministry of Corporate Affairs (**"MCA"**) has vide its General Circular numbers 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023, 09/2024 and 03/2025 and the Securities and Exchange Board of India (the "SEBI") vide its Circular no. SEBI/ HO/PoD-2/P/CIR/2023/4, SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 and SEBI/ HO/ CFD/ CFDPoD-2/ P/ CIR/ 2024/ 133 dated 5th January 2023, 7th October 2023 and 3rd October 2024 respectively, (collectively referred to as **"Circulars"**) permitted holding of the Annual General Meeting of companies through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), till further orders, without the physical presence of the members at a common venue, subject to the fulfillment of the requirements provided in the circular.
2. In compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 **("the Act")** read with the relevant Circulars and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**"SEBI LODR Regulations"**), the 54th Annual General Meeting of the Corporation is being conducted through VC/OAVM (hereinafter referred to as **"AGM"**). In accordance with the Secretarial Standard -2 ("SS-2") on General Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) read with Guidance/Clarification dated 15th April 2020 issued by Institute of Company Secretaries of India (**"ICSI"**), the proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the registered office of the Corporation which shall be the deemed venue of the AGM.
3. Pursuant to Section 143(5) of the Act, the Auditors of a Government Company are to be appointed or re-appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) and in terms of Section 142(1) of the Act, their remuneration has to be fixed by the Corporation in the Annual General Meeting or in such manner as the Corporation in General Meeting may determine. Accordingly, the members are requested to authorize the Board of Directors of the Corporation to fix the remuneration of the Joint Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the financial year 2026-27.
4. As per the provisions of Clause 3.A.II. of the General Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020, the matter of Special Business as appearing at item no. 5 to 7 of the accompanying Notice, is considered to be unavoidable by the Board and hence forming part of this Notice.
5. Additional Information as required under Regulation 36(3) of the SEBI LODR Regulations, in respect of Item No. 4 to 7 is furnished as annexure to the Notice.
6. A statement pursuant to Section 102(1) of the Act relating to Special Business to be transacted at the meeting, in respect of item no. 5 to 7 is annexed hereto and forms part of the Notice.
7. A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint proxy/proxies to attend and vote instead of himself/ herself and such proxy/proxies need not be a Member of the Corporation. **Since this AGM is being held in accordance with the relevant Circulars through VC/OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Further, in accordance with the Circulars, the facility for appointment of proxy/proxies by the Members will not be available for the AGM. Hence, the Proxy Form, Attendance Slip and Route Map are not annexed to this Notice.**
8. The Corporation has engaged the services of National Securities Depository Limited ('NSDL') for facilitating participation by the Members at the AGM through VC/OAVM including e-voting during the AGM.
9. Institutional/Corporate Members (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) intending to authorize representatives to attend AGM on its behalf, are requested to send a duly certified scanned copy (PDF/JPG Format) of its Board/governing body resolution/authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) electronically through their registered email address to the Scrutinizer at mail@csraginichokshi.com/ragini.c@rediffmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.com. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution/ Power of Attorney/ Authority Letter etc. by clicking on **"Upload Board Resolution/ Authority Letter"** displayed under **"e-Voting"** tab in their login.
10. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
11. In compliance with the aforesaid circulars, notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year ended on 31st March 2026 is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the RTA/ Depository Participant (DP). The Notice calling the AGM and the Annual Report has been uploaded on the website of the Corporation at www.gicre.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

12. **Green Initiative:**

In support of the "Green Initiative", Members who have not yet registered their email addresses are requested to register the same with their respective DPs in case the shares are held by them in electronic form or with M/s. KFin Technologies Limited (**"RTA"**) in case the shares are held by them in physical form.

13. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and Register of Contracts or arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 and relevant documents referred to in this Notice and explanatory statements, will also be available electronically for inspection by the members during the AGM. All documents referred to in the Notice will also be available for electronic inspection without any fee by the members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to cs.gic@gicre.in stating their DP-ID & Client ID or Folio No along with their PAN Card copy.

14. The Board of Directors at its meeting held on 26th May 2026 declared the payment of final dividend of ₹13.25 per share of Face Value of ₹5/- each for the financial year 2025-26.

15. Record date for Dividend:

The Corporation has announced Record date of **Friday, 4th September 2026** and accordingly Dividend on Equity Shares as recommended by the Board of Directors for the Financial Year 2025-26, if approved at the AGM, will be paid within the stipulated period of 30 days of declaration, to those eligible members whose name appeared:

i. As Beneficial Owners, as on **Friday, 4th September 2026** as per the list furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) in respect of shares held in dematerialized form, and

ii. As Members in the Register of Members of the Corporation as on **Friday, 4th September 2026** in respect of shares held in Physical Form.

16. Pursuant to provisions of Income Tax Act, 2025 and the Corporation is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the Members are requested to refer to the Income Tax Act, 2025. The Members are requested to update their PAN with the Corporation/RTA (in case of shares held in physical mode) or with respective DPs (in case of shares held in demat mode).

17. **Transfer of Unclaimed/Unpaid amounts to the Investor Education and Protection Fund (IEPF):**

Members are hereby informed that Dividends which are not encashed or remain unclaimed for a consecutive period of seven years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account, are liable to be transferred to Investor Education & Protection Fund (IEPF) constituted by the Central Government under Section 124 and 125 of the Companies Act, 2013. The shares in respect of such unclaimed dividends are also liable to be transferred to the Demat account of the IEPF Authority.

In view of this, Members/ Claimants are requested to kindly ensure updation of their bank details and also claim their dividends from the Corporation, within the stipulated timeline. The Members, whose unclaimed dividends/shares have been transferred to IEPF, may claim the same by making an application to the IEPF Authority, in Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in

The details of dividends paid by the Corporation and their respective due dates of transfer to the IEPF are as below:

Date of Declaration of Dividend	Dividend for the Financial Year	Proposed Month and Year of Transfer to the Fund
05.09.2018	2017-18	Transferred to IEPF Authority in October 2025
27.08.2019	2018-19	October 2026
27.05.2022	2021-22	June 2029
26.09.2023	2022-23	October 2030
26.09.2024	2023-24	October 2031
23.09.2025	2024-25	October 2032

18. **Payment of Dividend through electronic means:**

Reserve Bank of India has initiated National Electronic Clearing System (NECS) facility for credit of dividend directly to the bank account of the members. Hence, members are requested to opt for **Electronic Credit** of dividend payment and ensure registration/updation of their Bank Account details (Core Banking Solutions enabled account number, 9 digit MICR code &

11 digit IFSC code), in respect of shares held in dematerialized form with their respective DPs and in respect of shares held in physical form with the RTA at the address given in **Sr. No. 22 (ii)** below.

19. **Dematerialization of Shares:**

As per Regulation 39 and 40 of the SEBI LODR Regulations, as amended, read with SEBI circular dated 24th January 2022, listed companies can effect shareholders requests such as issuance of duplicate securities certificate, renewal / exchange, endorsement, subdivision/split, consolidation of securities certificate, transfer, transmission and transposition only in Dematerialized form. Therefore, members are advised to dematerialize the shares held by them in physical form.

In view of SEBI Circular dated 3rd November 2021 read with SEBI Circular dated 14th December 2021, 16th March 2023, 26th September 2023 and 17th November 2023, holders of physical securities, whose folio(s) are not updated with any of the KYC details viz., PAN, nomination, contact details, mobile number, bank account details or specimen signature, shall be eligible for payment of dividend in respect of such folios, only through electronic mode with effect from 1st April 2024. Please refer SEBI by accessing the link: https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/nov-2023/simplified-norms-for-processing-investor-s-service-requests-by-rtas-and-norms-for-furnishing-pan-kyc-details-and-nomination_79167.html. Accordingly, dividend payable to members holding shares in physical mode, whose KYC details are not updated shall be withheld by the Corporation. Therefore, members who have not updated their KYC details are requested to update the same by sending the request to RTA in Form ISR-1. The said Form is also available on the website of the Corporation https://www.gicre.in/phocadownload/notice-communication-to-shareholders/Communication%20to%20Shareholders%20-%20Form%20ISR-1%20to%20ISR-3%20and%20SH-13%20and%2014.pdf and also on the website of RTA https://investor.kfintech.com/investor-information-resources/

20. **Nomination**:

Pursuant to Section 72 of the Companies Act, 2013 read with Rule 19(1) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, Members are entitled to make nomination in respect of Shares held by them in Form No. SH-13. Shareholders holding shares in single name and physical form are advised to make nomination in respect of their holding in the Corporation by submitting duly completed Form No SH-13 with the RTA or to their respective DP in case of shares held in electronic form. Joint Holders can also use nomination facility for shares held by them. The said Form is also available on the website of the Corporation and on the website of RTA.

21. **Members' holding shares in Multiple Folios:**

Members holding shares in physical form in multiple folios, in identical names or joint holding in the same order of names, are requested to send the share certificates to RTA for consolidation into a single folio.

22. **Updation of Details**:

Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/ mobile numbers, PAN, registering of nomination, power of attorney registration, bank mandate details etc.:

i. For shares held in dematerialised form - to their respective DP.

ii. For shares held in physical form - to the RTA, M/s. KFin Technologies Limited, Selenium, Tower-B, Plot number 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal , Hyderabad - 500 032. Tel. Nos.: (040) 6716 1562; Fax No.: (040) 2300 1153; E-mail Address: **einward.ris@kfintech.com** or at the registered office of the Corporation.

Further, Members may note that SEBI has mandated the submission of PAN by every participant in securities market.

23. **Non-Resident Members**:

Non-Resident Indian Members are requested to inform RTA/their respective DP immediately of:

a. Change in their local address in India for correspondence and e-mail ID for sending all e-communications.

b. Change in their residential status on return to India for permanent settlement.

c. Particulars of their bank account maintained in India with complete name, branch, account type, account number, IFSC Code, MICR No. and address of the bank, if not furnished earlier, to enable Corporation to remit dividend to the said Bank Account directly.

24. **Remote E-voting**:

Process and Manner of e-voting is as under:

a. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, Secretarial Standards - 2 (SS-2) and Regulation 44 of SEBI LODR Regulations and the aforesaid circulars, the Corporation is providing the facility of remote e-voting to its members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, Members are provided with the facility to cast their votes electronically through the remote e-voting platform provided by NSDL on all resolutions set-forth in this notice.

b. Members of the Corporation holding shares either in physical form or in electronic form as on the cut-off date of **Tuesday, 15th September 2026** may cast their vote by remote e-voting. The voting rights of the members (for voting through remote e-voting before the AGM and e-voting during the AGM) shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Corporation, as on the cut-off date.

The remote e-voting facility would commence on **Thursday, 17th September 2026 at 09:00 A.M.** (IST) and end on **Monday, 21st September 2026 at 05:00 P.M.** (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution stated in this notice is cast by member through remote e-voting, the member shall not be allowed to change it subsequently and such e-vote shall be treated as final.

c. Members will be provided with the facility for voting through the electronic voting system during the video conferencing proceedings at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting before the AGM may also attend the AGM, however such Member shall not be allowed to vote again.

d. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before the AGM as well as e-voting during the AGM. Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Corporation and becomes member of the Corporation after the notice is sent through e-mail and holding shares as of the cut-off date i.e. **Tuesday, 15th September 2026,** may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com or to Corporation/RTA. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using **"Forgot User Details/Password"** or **"Physical User Reset Password"** option available on www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000. In case of Individual Shareholders holding securities in demat mode who acquires shares of the Corporation and becomes a Member of the Corporation after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. **Tuesday, 15th September 2026** may follow steps mentioned in the Notice of the AGM under **"Access to NSDL e-Voting system"**.

25. **Instructions for attending the AGM through VC/OAVM and remote e-voting (before and during the AGM) are given below (to be provided by e-voting agency)**

(i) Pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate there at and cast their votes through e-voting.

(ii) The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

(iii) The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

(iv) Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Regulation 44 of SEBI LODR Regulations (as amended), and relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, the Corporation is providing facility of remote e-Voting to its Members

in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Corporation has entered into an agreement with NSDL for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-Voting system as well as venue voting on the date of the AGM will be provided by NSDL.

(v) AGM has been convened through VC/OAVM in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with MCA Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020 and MCA Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, MCA Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, MCA Circular No. 2/2021 dated January 13, 2021 and General Circular No. 03/2025 dated 22.09.2025.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING AND JOINING ANNUAL GENERAL MEETING ARE AS UNDER:

The remote e-voting period begins on **Thursday, 17th September 2026 at 09:00 A.M.** and ends on **Monday, 21st September 2026 at 05:00 P.M.** The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. **Tuesday, 15th September 2026**, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Corporation as on the cut-off date, being **Tuesday, 15th September 2026**.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	1. For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp You will have to enter your 8-digit DP ID, 8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
	2. Existing **IDeAS** user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the **"Beneficial Owner"** icon under **"Login"** which is available under **'IDeAS'** section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on **"Access to e-Voting"** under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to **e-Voting website of NSDL** for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 3. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select **"Register Online for IDeAS Portal"** or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp

4 Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

5 Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App "NSDL Speede" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.

NSDL Mobile App is available on

App Store Google Play

Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	1. Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then user your existing my easi username & password. 2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022 - 4886 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800-21-09911

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. *Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.*
4. Your User ID details are given below:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12********** then your user ID is 12**********
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example, if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:
   a) If you are already registered for e-Voting, then you can user your existing password to login and cast your vote.
   b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
   c) How to retrieve your 'initial password'?
      (i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file

contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process **for those shareholders whose email ids are not registered.**

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

   a) Click on **"Forgot User Details/Password?"** (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

   b) **Physical User Reset Password?"** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

   c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.com mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

   d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join Annual General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
2. Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join Meeting".
3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to mail@csraginichokshi.com with a copy marked to evoting@nsdl.com. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution / Power of Attorney / Authority Letter etc. by clicking on "Upload Board Resolution / Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 or send a request to (Name of NSDL Official) at evoting@nsdl.com.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investors.gic@gicre.in
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to investors.gic@gicre.in If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at step 1 **(A) i.e. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.**
3. Alternatively, shareholder/member may send a request to evoting@nsdl.com for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system**. After successful login, you can see link of "VC/OAVM" placed under **"Join meeting"** menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further, Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
5. Shareholders who would like to express their views/have questions may send their questions in advance mentioning their name demat account number/folio number, email id, mobile number at gicagm.speakers@gicre.in before 05:00 p.m. on **Thursday, 17th September 2026**. The same will be replied by the Corporation suitably.

6. **Registration as Speakers:** Members who would like to express their views/ask questions as a speaker at the Meeting may pre-register themselves by sending a request from their registered e-mail address mentioning their names, DP ID and Client ID/ Folio number, PAN and mobile number at gicagm.speakers@gicre.in between Tuesday, 15th September 2026 (09:00 a.m. IST) and Thursday, 17th September 2026 (05:00 p.m. IST). Only those Members who have pre-registered themselves as a speaker will be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Corporation reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

26. The Corporation has appointed Mrs. Ragini Chokshi (FCS 2390) and in her absence Mr. Umashankar Hegde (ACS 22133), from M/s Ragini Chokshi & Co., Company Secretaries as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
27. The Chairman shall, at the AGM, at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting, by use of e-Voting system for all those Members who are present during the AGM through VC/OAVM but have not cast their votes by availing the remote e-Voting facility. The remote e-Voting module during the AGM shall be disabled by NSDL for voting, 15 minutes after the conclusion of the Meeting.
28. The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the AGM, first count the votes cast at the AGM, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make a consolidated scrutiniser's report and submit the same to the Chairman of the Corporation or such other officer authorized by the Chairman.
29. The results on resolutions shall be declared within the prescribed period and the resolutions will be deemed to be passed at the Registered Office of the Corporation on the AGM date subject to receipt of the requisite number of votes in favour of the Resolutions.
30. The results of voting along with the Scrutinizer's Report(s) thereon would be available on the website of the Corporation www.gicre.in and on NSDL's website www.evoting.nsdl.com immediately after the declaration of the results and would also be communicated simultaneously to the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited within the prescribed period.

ADDITIONAL INFORMATION OF DIRECTORS PROPOSED TO BE APPOINTED IN PURSUANCE OF PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2013 & REGULATION 36(3) OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS & DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

FOR ITEM NO. 4

Ms. Jayashri Balkrishna (DIN: 11210291)

Date of Birth: 15.10.1967

Age: 58 years

Date of Appointment: 23.07.2025

Nationality: Indian

Qualification: PG in Commerce, FIII & ACII

Brief Profile:

Ms. Jayashri Balkrishna has handled a diverse range of functions across various domains. Her experience encompasses Investment Operations and Accounts, Reinsurance Operations (including Claims Management), Audit, Budgeting and Forecasting, Corporate Communications, Credit Rating, Broker Relationship Management, and Investor Relations. Recognized for her results-driven approach, she has consistently led initiatives to successful completion within stipulated timelines while ensuring high standards of execution.

Ms. Jayashri Balkrishna currently serves as the Chief Risk Officer (CRO) of the Corporation and is responsible for overseeing Enterprise Risk Management, Corporate Social Responsibility, Procurement, Non-Performing Assets (NPA), Investment (Mid and Back Office), Office Services Department, INTOPS, ITMG, Digital Team, Actuary, Claims Vertical, and General Accounts. In this role, she provides strategic leadership across these functions, driving governance, operational excellence, and sustainable business outcomes.

Nature of her expertise in specific functional areas: Administration, Risk management and investments

Disclosure of relationships between Directors and Key Managerial Personnel inter-se: She is spouse of Shri V. Balkrishna, GM & CFO (relieved from the services of the Corporation upon availing VRS w.e.f. 17th July 2026).

Names of other listed entities in which the person holds directorship and also membership in Committees of the Board:

Directorship – NIL

Member - NIL

Chairman - NIL

Listed entities from which the person has resigned in the past three years- (1) GIC Bhutan Reinsurance Co. Ltd. - Non-Executive Director

Shareholding in the Corporation: Holds 1222 shares in the Corporation.

Note: Details of Ms. Jayashri Balkrishna's attendance of Board Meeting and other Committees of the Board are provided in the Corporate Governance Report of the Annual Report 2025-26.

Terms and Conditions of appointment: As per the letter dated 22nd July 2025 issued by Ministry of Finance, Ms. Jayashri Balkrishna (DIN: 09322218) was appointed as Executive Director in level 14A (pay scale ₹1,76,800-2,24,000) on the Board of the Corporation w.e.f. 23rd July 2025 and up to the date of her attaining the age of superannuation (i.e. 31st October 2027), or until further orders, whichever is earlier.

Ms. Jayashri Balkrishna will be entitled to other benefits, allowances etc. as per the policy of the Corporation for employees and/or as may be approved or direction issued by the Ministry of Finance, Government of India.

Save and except for Ms. Jayashri Balkrishna, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation or their relatives are, in any way, concerned or interested in the resolution set out at item no. 4 of the Notice. The Board recommends the passing of the proposed Ordinary Resolution as set out at item no. 4 of the Notice.

FOR ITEM NO. 5

Mr. Hitesh Rameshchandra Joshi (DIN: 09322218)

Date of Birth: 19.09.1968

Age: 57 years

Date of Appointment: 16.06.2026

Nationality: Indian

Qualification: Post-graduate in Accountancy and Masters in Financial Management

Brief Profile:

Shri Hitesh Rameshchandra Joshi is a post-graduate in Accountancy from Mumbai University and holds a master's in financial management from the Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies. He is also a Fellow of the Insurance Institute of India.

Over the course of his career in Corporation, Mr. Joshi has undertaken a diverse range of assignments across key functions.

Nature of his expertise in specific functional areas: Insurance & Administration

Disclosure of relationships between Directors and Key Managerial Personnel inter-se: None

Names of other listed entities in which the person holds directorship and also membership in Committees of the Board:

Directorship – GIC Housing Finance Limited – Non-Executive Director

Member – GIC Housing Finance Limited – (a) Audit Committee

Chairman - NIL

Listed entities from which the person has resigned in the past three years- Nil

Shareholding in the Corporation: NIL

Note: Shri Hitesh Rameshchandra Joshi was appointed as Chairman cum Managing Director w.e.f. 16th June 2026. He held the position of Executive Director of the Corporation till 16th June 2026.

Terms and Conditions of appointment: As per the Ministry letter dated 15th June 2026, Shri Hitesh Rameshchandra Joshi (DIN: 09322218), Executive Director was appointed as Chairman-cum-Managing Director of the Corporation in the scale of pay of ₹2,05,400-2,24,400/- (level-16), w.e.f. the date of his assumption of charge of the post (i.e. 16th June 2026) till the date of his superannuation (i.e. 30th September 2028), or until further orders, whichever is earlier.

FOR ITEM NO. 6

Dr. Debasish Prusty (DIN: 10655471)

Date of Birth: 07.07.1976

Age: 50 years

Date of Appointment: 19.06.2026

Nationality: Indian

Qualification: PhD from the Management Department and M. Phil in Environmental Sciences

Brief Profile:

Dr. Debasish Prusty is a member of the Indian Administrative Service and now serving as the Additional Secretary in the Department of Financial Services in the Union Ministry of Finance in the Government of India. He has more than 26 years of experience in the designing and implementing policies in the realm of Public Finance, Sustainable Development, and Development Cooperation and Environmental and Urban Governance. Before joining his current assignment, he served as the Principal Secretary in Finance and Urban Development Department in the Government of Rajasthan.

He had contributed to India's initiative for collaboration and partnership with various countries to launch the International Solar Alliance (ISA) platform in the year 2015 when he was the Director in the Climate change division of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in Government of India. He has served as India's Deputy Chief of Mission in the Embassy of India to Belgium, Luxembourg and the European Union in Brussels from 2019 to 2024. He contributed to the resumption of negotiations on the Free Trade Agreement between the India and EU and the launch of the first ever India -EU Trade and Technology Council and the discussion on the India - Luxembourg Financial Sector Dialogue. Dr. Prusty is trained from the International Monetary Fund (IMF) in the field of Finance for Macro-economists.

Nature of his expertise in specific functional areas: Administration

Disclosure of relationships between Directors and Key Managerial Personnel inter-se: None

Names of other listed entities in which the person holds directorship and also membership in Committees of the Board:

Directorship –
Union Bank of India -Government Nominee Director

Member – Union Bank of India – (a) Audit Committee

(b) Stakeholders Relationship Committee

Chairman - NIL

Listed entities from which the person has resigned in the past three years - NIL

Shareholding in the Corporation: NIL

Note: Shri Debasish Prusty was appointed w.e.f. 19th June 2026.

Terms and Conditions of appointment: As per the Ministry letter dated 19th June 2026, Dr. Debasish Prusty (DIN: 10655471) was appointed as Government Nominee Director on the Board of the Corporation w.e.f. 19th June 2026 and until further orders.

FOR ITEM NO. 7

Shri Hiteshkumar Kismatbhai Bhandari (DIN: 11890575)

Date of Birth: 10.07.1975

Age: 51 years

Date of Appointment: 13.08.2026

Nationality: Indian

Qualification: Masters of Law (LLM)

Brief Profile:
Shri Hiteshkumar Kismatbhai Bhandari is a practicing advocate at Silvassa District Court and has wide experience of 26 years in handling civil & criminal matters.

Nature of his expertise in specific functional areas: Legal Professional

Disclosure of relationships between Directors and Key Managerial Personnel inter-se: None

Names of other listed entities in which the person holds directorship and also membership in Committees of the Board:

Directorship – NIL

Member – NIL

Chairman - NIL

Listed entities from which the person has resigned in the past three years - NIL

Shareholding in the Corporation: NIL

Note: Shri Hiteshkumar Kismatbhai Bhandari was appointed w.e.f. 13th August 2026.

Terms and Conditions of appointment: As per the Ministry letter dated 12th August 2026 issued by Ministry of Finance, Shri Hiteshkumar Kismatbhai Bhandari (DIN: 11890575) was appointed as Part Time Non-official Director (Independent Director) on the Board of the Corporation for a period of three years from the date of issuance of the aforesaid ministry letter, or until further orders, whichever is earlier (effective from 13th August 2026 being the date of assumption of office).

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Item No. 5: Appointment of Shri Hitesh Rameshchandra Joshi (DIN: 09322218) as Chairman- cum-Managing Director (CMD) of the Corporation

The Board of Directors of the Corporation based on the recommendation of Nomination and Remuneration Committee approved the appointment of Shri Hitesh Rameshchandra Joshi (DIN: 09322218) as Chairman-cum-Managing Director on the Board of the Corporation w.e.f. 16th June 2026 i.e. the date of assumption of office till the date of his superannuation (i.e. 30th September 2028), or until further orders, whichever is earlier, in line with the letter dated 15th June 2026 issued by Ministry of Finance.

As per requirements of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and applicable provisions of the Companies Act, 2013, Shareholders' approval is sought through ordinary resolution for appointment of Shri Hitesh Rameshchandra Joshi as Chairman-cum-Managing Director on the Board of the Corporation. It is a statutory requirement for the Corporation to have Managing Director and KMP.

The Corporation has received from him all statutory disclosures and declarations including (i) Consent in writing to act as a Director

in Form DIR-2 pursuant to Rule 8 of the Companies (Appointment & Qualification of Directors) Rules, 2014 (ii) Intimation in Form DIR-8 in terms of the Companies (Appointment & Qualification of Directors) Rules, 2014, to the effect that he is not disqualified under Section 164(2) of the Companies Act, 2013.

Shri Joshi will be entitled to other benefits, allowances etc. as per the policy of the Corporation for employees and/or as may be approved or direction issued by the Ministry of Finance, Government of India. He is liable to retire by rotation as per Section 152 of the Companies Act, 2013.

Save and except Shri Hitesh Rameshchandra Joshi, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation or their relatives are, in any way, concerned or interested in the resolution set out at item no. 5 of the Notice. The Board recommends the passing of the proposed Ordinary Resolution as set out at item no. 5 of the Notice.

Relevant documents in respect of the said item are available in electronic form for inspection by the Members as per details mentioned in the AGM Notice.

Item No. 6: Appointment of Dr. Debasish Prusty (DIN: 10655471) as Government Nominee Director of the Corporation

The Board of Directors of the Corporation, approved the appointment of Dr. Debasish Prusty (DIN: 10655471) as Government Nominee Director on the Board of the Corporation w.e.f. 19th June 2026 and until further orders, in line with the letter dated 19th June 2026 issued by Ministry of Finance. As per requirements of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and applicable provisions of the Companies Act, 2013, Shareholders' approval is sought through ordinary resolution for appointment of Dr. Debasish Prusty as Government Nominee Director on the Board of the Corporation

The Corporation has received from him all statutory disclosures and declarations including (i) Consent in writing to act as a Director in Form DIR-2 pursuant to Rule 8 of the Companies (Appointment & Qualification of Directors) Rules, 2014 (ii) Intimation in Form DIR-8 in terms of the Companies (Appointment & Qualification of Directors) Rules, 2014, to the effect that he is not disqualified under Section 164(2) of the Companies Act, 2013.

Dr. Debasish Prusty will not be liable to retire by rotation as per Section 152 of the Companies Act, 2013.

Save and except Dr. Debasish Prusty, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation or their relatives are, in any way, concerned or interested in the resolution set out at item no. 6 of the Notice. The Board recommends the passing of the proposed Ordinary Resolution as set out at item no. 6 of the Notice.

Relevant documents in respect of the said item are available in electronic forms for inspection by the Members as per details mentioned in the AGM Notice.

Item No. 7: Appointment of Shri Hiteshkumar Kismatbhai Bhandari (DIN: 11890575) as Part-time Non-Official Director (Independent Director) of the Corporation

The Board of Directors of the Corporation, approved the appointment of Shri Hiteshkumar Kismatbhai Bhandari (DIN: 11890575), as Part Time Non- Official Director (Independent Director) on the Board of the Corporation for a period of three years from the date of issuance of the Ministry letter dated 12th August 2026 or until further orders, whichever is earlier (effective from 13th August 2026 being the date of assumption of office).

As per requirements of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and applicable provisions of the Companies Act, 2013, Shareholders' approval is sought through special resolution for appointment of Shri Hiteshkumar Kismatbhai Bhandari as Independent Director on the Board of the Corporation.

The Corporation has received from him all statutory disclosures and declarations including (i) Consent in writing to act as a Director in Form DIR-2 pursuant to Rule 8 of the Companies (Appointment & Qualification of Directors) Rules, 2014 (ii) Intimation in Form DIR-8 in terms of the Companies (Appointment & Qualification of Directors) Rules, 2014, to the effect that he is not disqualified under Section 164(2) of the Companies Act, 2013 (iii) Declaration for criteria of Independence as prescribed under Section 149(6) of the Act and Regulation 16(1)(b) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Shri Hiteshkumar Kismatbhai Bhandari will not be liable to retire by rotation as per Section 152 of the Companies Act, 2013.

Save and except Shri Hiteshkumar Kismatbhai Bhandari, none of the other Directors, Key Managerial Personnel of the Corporation

or their relatives are, in any way, concerned or interested in the resolution set out at item no. 7 of the Notice. The Board recommends the passing of the proposed Special Resolution as set out at item no. 7 of the Notice.

Relevant documents in respect of the said item are available in electronic forms for inspection by the Members as per details mentioned in the AGM Notice.

Place: Mumbai
Date: 28th August 2026

By the Order of the Board of Directors
For General Insurance Corporation of India

Sd/-
(Satheesh Kumar)
Company Secretary

Registered Office:
"Suraksha",170, J. Tata Road,
Churchgate, Mumbai – 400 020
CIN: L67200MH1972GOI016133
Tel: +91 22 2286 7000
Email: investors.gic@gicre.in
Website: www.gicre.in

1	Acquisition Costs	That portion of an insurance premium which represents the cost of obtaining the insurance business: it includes the agency commission, the company's marketing expense and other related expenses.
2	Assume	To accept an obligation to indemnify all or part of a risk or exposure subject to the contract terms and conditions.
3	Asset-liability management (ALM)	Management of an insurance business in a way that coordinates investment-related decisions on assets and liabilities.
4	Aviation insurance	Insurance of accident, liability risks, as well as hull damage, connected with the operation of aircraft.
5	Bordereaux	A report provided periodically by the ceding company detailing the reinsurance premiums and/or reinsurance losses and other pertinent information with respect to specific risks ceded under the reinsurance agreement. This report typically includes the insured's name, premium basis, policy term, type of coverage, premium and the policy limit.
6	Broker	An intermediary who negotiates reinsurance contracts between the ceding company and the reinsurer(s). The broker generally represents the ceding company and receives compensation in the form of commission, brokerage and/or other fees, for placing the business and performing other necessary services.
7	Burning Cost (also known as Pure Loss Cost)	The ratio of the reinsurance losses incurred to the ceding company's subject premium based upon historical experience for a proposed reinsurance agreement.
8	Business interruption	Insurance covering the loss of earnings resulting from, and occurring after, destruction of property; also known as "loss of profits" or "business income protection insurance".
9	Capacity	The largest amount of insurance or reinsurance available from a company or the market in general, based on financial strength or regulatory limitations.
10	Catastrophe Reinsurance	A form of excess of loss reinsurance which, subject to a specific limit, indemnifies the ceding company in excess of a specified retention with respect to an accumulation of losses to multiple insureds and/or policies resulting from an occurrence or series of occurrences arising from one or more disasters.
11	Cede	This action is described as transferring the risk or a part of the risk from the insurer to the reinsurer.
12	Cedent (also known as Ceding Company, Reassured, Reinsured)	The issuer of an insurance contract that contractually obtains an indemnification for all or a designated portion of the risk from one or more reinsurers.
13	Ceding Commission	An amount deducted from the reinsurance premium to compensate a ceding company for its acquisition, other overhead costs, including premium taxes, and occasionally a margin of profit.
14	Cession	The passing of the insurer's risks to the reinsurer against payment of a premium.
15	Claim	Demand by an insured for indemnity under an insurance contract.
16	Claims handling	Activities in connection with the investigation, settlement and payment of claims from the time of their occurrence until settlement.
17	Claims incurred	All claims payments (including claim adjustment expenses) plus the outstanding claims provision of a business year.
18	Claims ratio	Sum of claims paid and change in the provisions for unpaid claims and claim adjustment expenses in relation to premiums earned.

19	Coinsurance	Arrangement by which a number of insurers share a risk.
20	Combined Ratio	The combined ratio is calculated by taking a percentage of claims incurred (net) divided by premiums earned (net) plus percentage of expenses of management and net commission and then dividing the quotient by net premium.
21	Commission	Remuneration paid by the insurer to its agents, brokers or intermediaries, or by the reinsurer to the insurer, for costs in connection with the acquisition and administration of insurance business.
22	Commutation Agreement	An agreement between the ceding insurer and the reinsurer that provides for the valuation, payment and complete discharge of some or all current and future obligations between the parties under particular reinsurance contract(s).
23	Cover Note	A written statement issued by an intermediary, broker or direct writer indicating that the coverage has been effected and summarizing the terms.
24	Credit insurance	Insurance against financial losses sustained through the failure, for commercial reasons, of policyholders' clients to pay for goods or services supplied to them.
25	Cut-Through Endorsement	An endorsement to an insurance policy or reinsurance contract which provides that, in the event of the insolvency of the insurance company, the amount of any loss which would have been recovered from the reinsurer by the insurance company (or its statutory receiver) will be paid instead directly to the policyholder, claimant, or other payee, as specified in the endorsement, by the reinsurer.
26	Deposit Premium	The amount of premium (usually for an excess of loss reinsurance contract), that the ceding company pays to the reinsurer on a periodic basis (usually quarterly) during the term of the contract. This amount is generally determined as a percentage of the estimated amount of premium that the contract is expected to produce.
27	Directors' and Officers' liability insurance (D&O)	Liability insurance for Directors and Officers of an entity, providing cover for their personal legal liability towards shareholders, creditors, employees and others arising from wrongful acts such as errors and omissions.
28	Earned Reinsurance Premium	A reinsurance term that refers to either 1) that part of the reinsurance premium applicable to the expired portion of the policies reinsured, or 2) that portion of the reinsurance premium which is deemed earned under the reinsurance contract.
29	Excess of Loss Reinsurance (also known as Non-Proportional Reinsurance)	A form of reinsurance, which, subject to a specified limit, indemnifies the ceding company for the amount of loss in excess of a specified retention. It includes various types of reinsurance, such as catastrophe reinsurance, per risk reinsurance, per occurrence reinsurance and aggregate excess of loss reinsurance.
30	Ex-Gratia Payment	A voluntary payment made by an insurer or reinsurer in response to a loss for which it is not technically obligated under the terms of its contract.
31	Expense ratio	Sum of acquisition costs and other operating costs and expenses, in relation to premiums earned.
32	Facultative Reinsurance	Reinsurance of individual risks by offer and acceptance wherein the reinsurer retains the ability to accept or reject and individually price each risk offered by the ceding company.
33	Fair value change account	Unrealised gains/ losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and mutual funds.
34	Follow the Fortunes	Follow the fortunes generally provides that a reinsurer must follow the underwriting fortunes of its reinsured and therefore, is bound by the decisions of its reinsured in the absence of fraud, collusion or bad faith.

35	Gross Line	The total limit of liability accepted by an insurer on an individual risk (net line plus all reinsurance ceded)
36	Gross Net Earned Premium Income (GNEPI)	GNEPI represents the earned premiums of the primary company for the lines of business covered (Net, meaning after cancellation, refunds and premiums paid for any reinsurance protecting the cover being rated, but Gross, meaning before deducting the premium for the cover being rated)
37	Gross Net Written Premium Income (GNWPI)	It is the amount of an insurance company's premiums that are used to determine what portion of premiums is owed to a reinsurer. Generally GNWPI are gross written premium less returned premiums, less premiums paid for reinsurance that inure to the benefit of the cover in question.
38	Ground Up Loss	The total amount of loss sustained by the ceding company before taking into account the credit(s) due from reinsurance recoverable(s).
39	Health insurance	Generic term applying to all types of insurance indemnifying or reimbursing for losses caused by bodily injury or sickness or for expenses of medical treatment necessitated by sickness or accidental bodily injury.
40	Hull insurance	Insurance protecting the owners against loss caused by damage or destruction of waterborne craft or aircraft.
41	Incurred But Not Reported (IBNR)	An actuarial estimate of amounts required to pay ultimate net losses that refers to losses that have occurred but have not yet been fully and finally settled/paid.
42	Incurred But Not Enough Reported (IBNER)	IBNER is a provision in claims and losses already reported but which have not yet been paid in full for potential increases in the value of these claims when they are ultimately paid.
43	Incurred Loss (also known as Loss Incurred)	For a specific reinsurance period (typically annual) incurred loss is calculated as paid losses during the period, plus outstanding loss at the end of the period, minus outstanding losses at the beginning of the period irrespective of when the loss actually occurred or when the original policy attached.
44	Layer	Section of cover in a non-proportional reinsurance programme in which total coverage is divided into a number of consecutive layers starting at the retention or attachment point of the ceding company up to the maximum limit of indemnity.
45	Liability Insurance	Insurance for damages that a policyholder is obliged to pay because of bodily injury or property damage caused to another person or entity based on negligence, strict liability or contractual liability.
46	Life Insurance	Insurance that provides for the payment of a sum of money upon the death of the insured, or upon the insured surviving a given number of years, depending on the terms of the policy.
47	Line of Business	The general classification of business in the insurance industry to identify the major segments of policies that are sold to the general public, i.e., fire, marine, motor, health, liability, agriculture etc.
48	Loss Development	The process of change in the value of claims over time until the claims are fully settled and paid.
49	Losses Occurring During	The provision in a reinsurance contract that designates that the losses to which the reinsurance applies are those losses that actually happen during the term of the reinsurance even if the original policies that cover the losses are issued prior to the inception of the reinsurance contract.

50	Marine Insurance	Line of insurance which includes coverage for property in transit (cargo), means of transportation (except aircraft and motor vehicles), offshore installations and valuables, as well as liabilities associated with marine risks and professions.
51	Maximum Foreseeable Loss/ Probable Maximum Loss (PML)	The worst loss that is foreseeable or probable to occur because of a single event. This term is typically used in property reinsurance.
52	Minimum Premium	An amount of premium which will be charged (usually for an excess of loss reinsurance contract), notwithstanding that the actual premium developed by applying the rate to the subject premium could produce a lower figure.
53	Motor insurance	Line of insurance which offers coverage for property, accident and liability losses involving motor vehicles.
54	Net Retained Liability	The amount of insurance that a ceding company keeps for its own account and does not reinsure in any way. It is the amount of loss that a cedent retains after all available reinsurance recoveries.
55	Net Loss	The amount of loss sustained by an insurer after making deductions for all recoveries, salvage and all claims upon reinsurers.
56	Non-life insurance	All classes of insurance business excluding life insurance.
57	Non-proportional reinsurance	Form of reinsurance in which coverage is not in direct proportion to the original insurer's loss; instead the reinsurer is liable for a specified amount which exceeds the insurer's retention; also known as "excess of loss reinsurance".
58	Obligatory Treaty	A reinsurance contract under which the subject business must be ceded by the insurer in accordance with contract terms and must be accepted by the reinsurer.
59	Occurrence	A frequently used term in reinsurance referring to an incident, happening or event which triggers coverage under an occurrence-based reinsurance agreement.
60	Occurrence Limit	A provision in most property per risk reinsurance contracts that limits the reinsurer's liability for all risks involved in one occurrence.
61	Operating margin ratio	The operating margin is calculated as operating result divided by total operating revenues. The operating result is before interest expenses, taxes and net realised gains/losses.
62	Operating revenues	Premiums earned plus net investment income plus other revenues.
63	Operational risk	Risk arising from failure of operational processes, internal procedures and controls leading to financial loss.
64	Outstanding Loss Reserve (OSLR)	For an individual claim, an estimate of the amount the insurer expects to pay for the reported claim, prior to the final settlement of the claim. May include amounts for loss adjustment expenses.
65	Overriding Commission	In reinsurance or retrocession business (typically proportional treaties) an allowance paid to the ceding company over and above the actual acquisition and related cost to produce and underwrite the original business.
66	Placement Slip	A temporary agreement outlining reinsurance terms and conditions for which coverage has been effected, pending replacement by a formal reinsurance contract. Also known as a binder, confirmation, slip and in some circumstances, cover note.
67	Portfolio	Portfolio reinsurance is a type of contract in which an insurer has a large block of insurance policies reinsured. It may involve shifting risk from the insurer to the reinsurer for a particular type of policy (such as property, life, marine, etc.), or all policies within a geographic area, or for a book of business.

68	Premium	The payment, or one of the periodical payments, a policyholder agrees to make for an insurance policy.
69	Premiums earned	Premiums an insurance company has recorded as revenues during a specific accounting period.
70	Premiums written	Premiums for all policies sold during a specific accounting period.
71	Premium Deficiency Reserve	When the anticipated losses, loss adjustment expenses, commissions and other acquisition costs, and maintenance costs exceed the recorded "unearned premium reserve", a premium deficiency reserve is recognized by recording an additional liability for the deficiency, with a corresponding charge to operations.
72	Priority	The retention of the primary company in a reinsurance agreement.
73	Product liability insurance	Insurance covering the liability of the manufacturer or supplier of goods for damage caused by their products.
74	Professional indemnity insurance	Liability insurance cover which protects professional specialists such as physicians, architects, engineers, lawyers, accountants and others against third-party claims arising from activities in their professional field.
75	Profit Commission (P.C.)	A commission feature whereby the cedent is allowed a commission based on the profitability of the reinsurance contract after an allowance for the reinsurer's expense and profit margin.
76	Property insurance	Collective term for fire and business interruption insurance as well as burglary, fidelity guarantee and allied lines.
77	Pro Rata Reinsurance (also known as Proportional Reinsurance)	A generic term describing all forms of quota share and surplus reinsurance in which the reinsurer shares a pro rata portion of the losses and premiums of the ceding company.
78	Quota Share Reinsurance	A form of pro rata reinsurance (or proportional reinsurance) indemnifying the ceding company for an established percentage of loss on each risk covered in the contract in consideration of the same percentage of the premium paid to the ceding company.
79	Rate	The percent or factor applied to the ceding company's subject premium that results in the reinsurance premium for excess of loss reinsurance.
80	Rate On Line (ROL)	A percentage derived by dividing reinsurance premium by reinsurance limit; the inverse is known as the payback or amortization period.
81	Rating/Pricing	There are two basic approaches for pricing of reinsurance contracts: exposure rating and experience rating. Both methods can be used as separate rating approaches or may be weighted together to calculate the expected loss for a contract that is then used as the basis for pricing the reinsurance.
82	Reinstatement Clause	A provision in a reinsurance contract stating that, when the amount of reinsurance coverage provided under a contract is reduced by the payment of loss as the result of one occurrence, the reinsurance coverage amount is automatically reinstated for the next occurrence, sometimes subject to the payment of a specified reinstatement premium.
83	Reinstatement Premium	An additional reinsurance premium that may be charged for reinstating the amount of reinsurance coverage reduced as the result of a reinsurance loss payment under a reinsurance contract.

84	Reinsurance	The transaction whereby the assuming insurer ("reinsurer"), in consideration of premium paid, agrees to indemnify another insurer ("ceding company") against all or part of the loss which the latter may sustain under a specific policy or group of policies which it has issued.
85	Reinsurance ceded/accepted	An insurance risk that is transferred by the ceding company to reinsurer for sharing premiums and claims as per agreed terms and conditions is considered as reinsurance accepted by the reinsurer and reinsurance ceded by the ceding company.
86	Reinsured	See Cedent.
87	Reinsurer	The insurer that assumes all or a part of the insurance or reinsurance risk written by another insurer.
88	Reserves	Amount required to be carried as a liability in the financial statements of an insurer or reinsurer to provide for future commitments under outstanding policies and contracts.
89	Retention	The amount of risk the ceding company keeps for its own account or the account of others.
90	Retrocede	The action of a reinsurer of reinsuring another reinsurer for its liability assumed under one or more reinsurance contracts with primary insurance companies or with other reinsurers.
91	Retrocedent	A reinsurer who reinsures all or part of its assumed reinsurance with another reinsurer.
92	Retrocession	A reinsurance transaction whereby a reinsurer, known as a retrocedent, cedes all or part of the reinsurance risk it has assumed to another reinsurer, known as a retrocessionaire.
93	Retrocessionaire	A reinsurer who assumes reinsurance from another reinsurer.
94	Return on equity (ROE)	Net income as a percentage of time-weighted shareholders' equity.
95	Risk	Condition in which there is a possibility of injury or loss; also used by insurance practitioners to indicate the property insured or the peril insured against.
96	Risk management	Management tool for the comprehensive identification and assessment of risks based on knowledge and experience in the respective fields.
97	Run-Off	A termination provision of a reinsurance contract that stipulates that the reinsurer remains liable for loss as a result of occurrences taking place after the date of termination for reinsured policies in force at the date of termination until their expiration or for a specified time period.
98	Sliding Scale Commission	A commission adjustment on earned premiums whereby the actual commission varies inversely with the loss ratio, subject to a maximum and minimum.
99	Solvency Ratio	This is a regulatory measure of capital adequacy, calculated by dividing available solvency margin by required solvency margin, each as calculated in accordance with the guidelines of the IRDAI on a standalone restated basis. The IRDAI has set a minimum solvency ratio of 1.50.
100	Stop-loss reinsurance	Form of reinsurance that protects the ceding insurer against an aggregate amount of claims over a period, in excess of either a stated amount or a specified percentage of estimated benefit costs.
101	Subrogation	The assignment of a contractual right of an insured or reinsured by terms of the policy or a contract or by law, after payment of a loss, of the rights of the insured to recover the amount of the loss from one legally liable for it.

102	Surplus Reinsurance (also known as Surplus Share Reinsurance or Variable Quota Share Reinsurance)	A form of pro rata reinsurance under which the ceding company cedes that portion of its liability on a given risk which is greater than the portion of risk the cedent retains (i.e., net line), and the premiums and losses are shared in the same proportion as the ceded amount bears to the total limit insured on each risk.
103	Syndicate	Lloyd's Syndicate refers to an entity composed of corporate and/or individual members formed for the purpose of underwriting insurance and/or reinsurance at Lloyd's, London.
104	Treaty	A reinsurance contract under which the reinsured company agrees to cede and the reinsurer agrees to assume a portfolio of risks of a particular class or classes of business.
105	Ultimate Net Loss (UNL)	The loss amount, including covered Loss Adjustment Expenses (LAE), against which the retention and the reinsurance limits apply.
106	Unearned Premium Reserve (UPR)	Unearned premiums are the sum of all the premiums representing the unexpired portions of the policies or reinsurance agreements which the insurer or reinsurer has on its books as of a certain date.
107	Underwriting Capacity	The maximum amount of money an insurer or reinsurer is willing to risk in a single loss event on a single risk or in the aggregate on all risks in a given period.
108	Working Cover	A contract covering an amount of excess reinsurance in which frequency of loss is anticipated, usually attaching over a relatively low retention and usually providing a relative low limit of reinsurance coverage per loss or risk.



General Insurance Corporation Of India
भारतीय साधारण बीमा निगम
वैश्विक पुनर्बीमा समाधान
Global Reinsurance Solutions
'सुरक्षा', 170, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई – 400 020, भारत।
दूरभाष: (बोर्ड): +91 22 2286 7000 ईमेल: **info@gicre.in**
हमारी वेबसाइट **www.gicre.in** पर जाएँ
170, Jamshedji Tata Road, Churchgate, Mumbai - 400 020, India.
Tel.: (Board): +91 22 2286 7000 Email: info@gicofindia.com
visit us at www.gicofindia.in
सीआईएन: **L67200MH1972GO1016133** और आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या: 112
CIN:L67200MH1972GO1016133 & IRDAI Registration No: 112